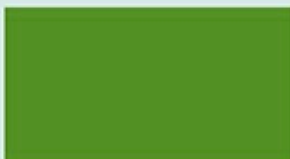
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA



भारत 2020





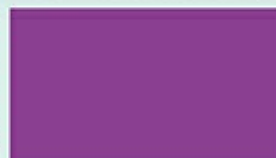














VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
तथा
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का
मानचित्र

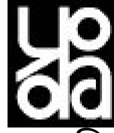


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 315ए को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मानचित्र। नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दो जिले करगिल और लेह हैं। पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का शेष भाग नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हैं।

भारत 2020

वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ

न्यू मीडिया विंग
द्वारा संकलित



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

2020 (शक 1941)
64वां संस्करण
मुद्रित संस्करण (2020) का e-संस्करण*

ISBN : 978-81-230-3275-7

प्रकाशक
प्रधान महानिदेशक,
प्रकाशन विभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ई-मेलः dpda@nic.in

प्रकाशन विभाग
संपादन : राकेशरेणु, सीमा रानी, अब्दुल मन्नान

संकलन और समन्वय : न्यू मीडिया विंग
के. सतीश नम्बूदिरिपाड , सईद रबीहश्मि, साक्षी सिंह, सिम्मी कुमार

आवरण सज्जा : राजेश कुमार
उत्पादन : वी.के. मीणा

*यह ई-पुस्तक (e-Book) पूरी तरह इसके मुद्रित संस्करण के अनुरूप है। वर्तनी स्थानों के नाम, तथ्य तथा आंकड़े, व्यक्तियों के नाम और अन्य नामांकन मुद्रित संस्करण जैसे ही रखे गए हैं।

अनुक्रम

1 भारत भूमि और उसके निवासी

"भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा है। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना केवल भारत में निहित है।"

– मार्क ट्वेन

भारत बेजोड़ संस्कृति वाला देश है और यह विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है। यह उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गांवों और दक्षिण-पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।[1] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले कई वर्षों के दौरान भारत ने चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक प्रगति की है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पर्वतमाला और समुद्र इसे शेष एशिया से पृथक करते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान प्रदान करते हैं। यह उत्तर में विशाल हिमालय से घिरा है और दक्षिण की ओर विस्तार के साथ कर्क रेखा पर शंकु आकार धारण किए पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में फैला है।

पूरी तरह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति 8°4' और 37°6' अक्षांश उत्तर तथा 68°7' और 97°25' देशांतर पूर्व में है। उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ देशांतरीय विस्तार करीब 2,933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 कि.मी. है।

भौगोलिक पृष्ठभूमि

भारत की सीमा उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान; उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल; सुदूर पूर्व में म्यामां और पूर्व में बांग्लादेश से लगती है। पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। देश को मुख्य रूप से 6 अंचलों- उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर अंचल में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहां 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।[2]

प्राकृतिक संरचना

मुख्य भूमि चार भागों- विशाल हिमालय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में बंटी है।

हिमालय पर्वतमाला में तीन लगभग समानांतर शृंखलाएं हैं, जो बड़े पठारों और घाटियों से विभाजित हैं, जिनमें से कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंची होने के कारण इसके कुछ दर्रों से होकर ही यात्रा की जा सकती है, जिनमें दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में चुंबी घाटी होते हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित जेलेप-ला, नाथू-ला और कल्पा (किन्नौर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला

प्रमुख हैं। पर्वतमाला करीब 2,400 किलोमीटर में फैली है, जो अलग-अलग स्थानों पर 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। पूर्व में भारत और म्यामां तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई की पर्वत शृंखलाएं हैं। लगभग समूचे पूर्व-पश्चिम में गारो, खासी, जयंतिया और नगा पर्वतमालाएं इस शृंखला को उत्तर-दक्षिण में मिजो और रखाईं पर्वतमाला के साथ जोड़ती हैं।

गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, करीब 2,400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो तीन विशेष नदी प्रणालियों- सिंधु , गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से मिल कर बने हैं। ये मैदान, नदियों की बाढ़ के साथ बह कर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से हैं और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक हैं। दिल्ली में यमुना और बंगाल की खाड़ी के बीच करीब 1,600 किलोमीटर क्षेत्र की ऊंचाई में केवल 200 मीटर की ढाल है।

रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है- 'वृहत रेगिस्तान' और 'लघु रेगिस्तान।' वृहत रेगिस्तान कच्छ के रण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है। समूचा राजस्थान-सिंध सीमावर्ती क्षेत्र इसमें समाहित है। लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर-पश्चिम तक है। बृहत और लघु रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर की पहाड़ियों से सटी चट्टानी भूमि शामिल है।

प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से सटा है, जिसमें 460 से 1,220 मीटर तक अलग-अलग ऊंचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएं शामिल हैं। इनमें अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकल और अजंता पर्वतमालाएं प्रमुख हैं। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट स्थित हैं जिनकी ऊंचाई करीब 610 मीटर है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 915 से 1,220 मीटर तक है, जो कुछ स्थानों पर 2,440 मीटर तक जाती है। पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक वृहत्तर तटवर्ती क्षेत्र है। पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरि पर्वतमाला से निर्मित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके परे कार्डमम हिल्स है जिसे पश्चिमी घाट का विस्तार माना जा सकता है।

भूगर्भीय संरचना

भूगर्भीय क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं का अनुसरण करता है और इसे तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं- हिमालय और उससे जुड़ी पर्वतमालाओं का समूह, सिंधु-गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय ढाल।

उत्तर में हिमालय और पूर्व में नगा-लुशाई पर्वत निर्माण करने वाली हलचलों से निर्मित क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग, जो आज विश्व के कुछ सर्वाधिक मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता है, वह करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र था। करीब सात करोड़ वर्ष पहले शुरू हुईं हलचलों से हुए पर्वत निर्माण की शृंखलाओं में, तलछट चट्टानों ने अधिक ऊंचाई ग्रहण की। मौसमी परिवर्तनों और भू-क्षरण से चट्टानों के टूटने के कारण मैदानों का निर्माण हुआ, जो आज हमें दिखाई देता है। सिंधु-गंगा के मैदान विस्तृत कछारी क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से पृथक करते हैं।

प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र है और इसमें कभी-कभार भूकंप से हलचल पैदा होती है। इस क्षेत्र में 380 करोड़ वर्ष पूर्व धरती के निर्माण के समय के अत्यंत प्राचीन कायांतरित शैल पाए जाते हैं; शेष चट्टानों में गोंडवाना संरचना, दक्षिणी पठार संरचना और कम प्राचीन तलछट भूमि शामिल है।

नदी प्रणालियां

भारत की नदी प्रणालियों को चार समूहों:- (1) हिमालयी नदियों, (2) दक्षिणी नदियों, (3) तटवर्ती नदियों और (4) अंतरदेशीय बरसाती नदियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमालयी नदियां बर्फ और हिमनदों के पिघलने से बनती हैं और इसलिए वे वर्षभर निरंतर बहती रहती हैं। मानसून के महीनों में, हिमालयी क्षेत्र में तेज वर्षा होती है, जिससे नदियों में उफान आता है और बार-बार बाढ़ आती है। दूसरी तरफ दक्षिणी नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, अतः उनका आकार घटता-बढ़ता रहता है। इनमें से कई नदियां बारहमासी नहीं हैं। तटवर्ती नदियां, विशेषकर पश्चिमी तटवर्ती नदियों की लंबाई अधिक नहीं है और उनके जलग्रहण क्षेत्र सीमित हैं। उनमें से अधिकतर बारहमासी नहीं हैं। अंतरदेशीय बरसाती नदियां पश्चिमी राजस्थान थाले से संबद्ध हैं जो गिनी-चुनी और अलग-थलग हैं। इनमें से

ज्यादातर थोड़े दिन ही बहती हैं।

मुख्य हिमालयी नदी प्रणालियां सिंधु और गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना प्रणाली का हिस्सा हैं। सिंधु नदी, विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट है और यह पहले भारत और इसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय भू-भाग में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सतलुज (जो तिब्बत से निकलती है), व्यास, रावी, चिनाब और झेलम शामिल हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना अन्य महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है जिसके प्रमुख उप-थालों में भागीरथी और अलकनंदा के थाले शामिल हैं। ये दो नदियां देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती हैं। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। भागीरथी, अतीत के मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे से निकलती है जबकि पद्मा पूर्व की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन शामिल हैं। चंबल और बेतवा इसकी महत्वपूर्ण उप-सहायक नदियां हैं, जो यमुना के गंगा में मिलने से पहले यमुना में समा जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं और पद्मा या गंगा के रूप में निरंतर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से प्रारंभ होती है, जहां इसे त्सांगपो के रूप में जाना जाता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने तक यह दिहांग के नाम से एक लंबा मार्ग तय कर चुकी होती है। पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं और यह संयुक्त नदी असम घाटी में बहती है। धुबरी से निचली धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है।

भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलडिया और मानस शामिल हैं। बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और वह अंततः गंगा में समाहित हो जाती है। मेघना की मुख्यधारा के रूप में बराक नदी मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र से शुरू होती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मक्कू, तरांग, तुइवई, जीरी, सोनाई, रुकणी, कटाखल, धालेश्वरी, लांगचिनी, मदुआ और जयंतिया शामिल हैं। बराक बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा-ब्रह्मपुत्र के मिलने के स्थान तक जारी रहती है।

दक्षिणी क्षेत्र में, सामान्यतः पूर्व दिशा में बहने वाली अधिकतर बड़ी नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं।

दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, जो भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती है। इसके बाद कृष्णा नदी घाटी का स्थान है और इस क्षेत्र में महानदी एक अन्य बड़ी नदी घाटी है। दक्षिण क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा का थाला और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की ओ बहने वाली कावेरी नदी का थाला, दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु उनका स्वरूप और विशेषताएं भिन्न हैं।

इस क्षेत्र में अनेक तटवर्ती नदियां हैं, जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। इन नदियों में गिनी-चुनी ऐसी हैं, जो पूर्वी तट के डेल्टा के निकट सागर में गिरती हैं, जबकि 600 ऐसी नदियां हैं; जो पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं।

राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जाती हैं। वे साल्ट लेक (लवण झील) में गिरती हैं और रेत में लुप्त हो जाती हैं। इनके अलावा कुछ रेगिस्तानी नदियां हैं, जो कुछ दूरी तक बहती हैं और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं। ये हैं- लूनी, माछु, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्घर आदि।

समूचे देश को बीस नदी घाटियों/नदी थाला समूहों में वर्गीकृत किया गया है जिनमें से 12 बड़े थाले और 8 संयुक्त नदी थाले हैं। 12 बड़े नदी थालों में:- (1) सिंधु (2) गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (3) गोदावरी (4) कृष्णा (5) कावेरी (6) महानदी (7) पेन्नार (8) ब्राह्मणी-वैतरणी (9) साबरमती (10) माही (11) नर्मदा (12) ताप्ती हैं। इनमें से प्रत्येक थाले का बहाव क्षेत्र 20 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक का है।

आयोजन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आठ संयुक्त नदी थाले हैं, जो शेष सभी मध्यम (2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर बहाव क्षेत्र वाली) और लघु नदी प्रणालियों (2000 वर्ग किलोमीटर से कम बहाव क्षेत्र वाली) को उपयुक्त ढंग से जोड़ते हैं। ये हैं- (1) सुवर्ण रेखा थाला, जो सुवर्ण रेखा और वैतरणी के बीच अन्य छोटी नदियों को जोड़ता है (2) महानदी और पेन्नार के बीच पर्व की ओर बहने वाली नदियां (3) पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर

बहने वाली नदियां (4) राजस्थान के रेगिस्तान में अंतरदेशीय बहाव क्षेत्र (5) लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (6) तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (7) ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और (8) म्यामां (बर्मा) और बांग्लादेश की ओर बहने वाली छोटी नदियां।

जलवायु/ऋतुएं

भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय बरसाती कहा जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चार आधिकारिक ऋतुएं निर्दिष्ट की हैं:- (1) शीत, दिसंबर से अप्रैल के प्रारंभ तक। वर्ष के सबसे ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी होते हैं, जब उत्तर-पश्चिम में औसत तापमान करीब 10-15 डिग्री सेल्सियस (50-59 डिग्री फारेनहाइट) होता है; भारत के दक्षिण-पूर्व में मुख्य भू-भाग पर जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, तो औसत तापमान बढ़ता जाएगा, जो लगभग 20-25 डिग्री सेल्सियस (68-77 डिग्री फारेनहाइट) पर पहुंच जाएगा, (2) ग्रीष्म या मानसून-पूर्व ऋतु, अप्रैल से जून तक (उत्तर-पश्चिमी भारत में अप्रैल से जुलाई) तक। पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में अप्रैल सबसे गर्म महीना होता है; उत्तरी क्षेत्र में सबसे गर्म महीना मई का है। अधिकतर दूरदराज के क्षेत्रों में औसत तापमान करीब 32-40 डिग्री सेल्सियस (90-104 डिग्री फारेनहाइट), (3) मानसून या वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक, इस मौसम में आर्द्र दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्म मानसून छाया रहता है, जो मई के अंत या जून के प्रारंभ में शुरू होकर धीरे-धीरे देशभर में फैलता है। मानसून की वर्षा उत्तर भारत में अक्टूबर के शुरू में कम होने लगती है। दक्षिण भारत में अधिक वर्षा होती है और (4) मानसून-परवर्ती ऋतु, अक्टूबर से दिसंबर तक। उत्तर-पश्चिमी भारत में अक्टूबर और नवंबर आमतौर पर वर्षारहित होते हैं।

हिमालयी राज्यों के अधिक समशीतोष्ण होने के कारण, यहां दो अतिरिक्त ऋतुएं होती हैं:- पतझड़ और वसंत। परंपरागत रूप में भारत में छह ऋतुएं मानी जाती हैं, जिनमें प्रत्येक की अवधि करीब दो महीने होती है। ये हैं- वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पूर्व पतझड़ (शरद), उत्तर पतझड़ (हेमंत) और शीत (शिशिर)। यह 12 महीनों को छह ऋतुओं में बांटने के ज्योतिषीय वर्गीकरण पर आधारित है। प्राचीन हिंदू कैलेंडर भी इन ऋतुओं को उनके महीनों के क्रम में रखता है।

भारत की जलवायु दो मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है- उत्तर-पूर्वी मानसून और दक्षिण-पश्चिमी मानसून। उत्तर-पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीतकालीन मानसून कहा जाता है, जिसमें हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून है, जिसमें हवाएं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए ज़मीन की ओर बहती हैं। दक्षिण-पश्चिमी मानसून से वर्ष के दौरान देश में सर्वाधिक वर्षा होती है।

वनस्पति

भारत वनस्पति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पादप विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है। कोलकाता स्थित भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (बीएसआई) के अनुसार अभी तक करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों में 46,000 पादप प्रजातियां पाई गई हैं। यहां उत्कृष्ट वनस्पतियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं।

उष्ण से लेकर अतिशीत तक विविध जलवायु स्थितियों के साथ, भारत में समृद्ध और विविध वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस दृष्टि से भारत की बराबरी गिने-चुने देश कर पाते हैं। भारत को आठ विशिष्ट वानस्पतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं- पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्षिणी क्षेत्र, मालाबार और अंडमान क्षेत्र।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। इसके उष्ण अंचल के जंगलों में चीड़, देवदार, अन्य शंकु वृक्ष और चौड़ी पत्तियों वाले उष्ण वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार, नीले चीड़, सनोवर वृक्ष व श्वेत देवदार के जंगल हैं। लगभग 4,750 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर उष्ण अंचल की ऊपरी सीमा से अल्पाइन अंचल यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है। इस अंचल के विलक्षण वृक्षों में उच्च स्तरीय श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष, सदाबहार वृक्ष शामिल हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर फैला है और दार्जिलिंग,

कुर्सियांग और आसपास के क्षेत्रों को अपने में समेटे है। इस उष्ण अंचल में ओक, लॉरेल्स, मेपल्स, बुरुंश तथा भोजवृक्ष के जंगल हैं। कई शंकुधर वृक्ष, सदाबहार वृक्ष तथा छोटी बेंत भी यहां होती है। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और सुरमा घाटियां शामिल हैं, जहां आमतौर पर मोटे बांस के गुच्छे और लंबी घास वाले सदाबहार वन हैं। सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। यह एक शुष्क एवं उष्ण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है, जहां गेहूं, गन्ना और चावल की खेती होती है। इस भू-भाग में केवल छोटे से क्षेत्र में विविध प्रकार के वन पाए जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की समूची समतल भूमि समाहित है। इस क्षेत्र में झाड़ीदार जंगलों से लेकर मिश्रित पतझड़ी जंगलों की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। मालाबार क्षेत्र में अत्यधिक आर्द्र पर्वतीय प्रदेश शामिल है, जो प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर है। जंगली वनस्पतियों की दृष्टि से समृद्ध होने के अलावा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों जैसे- नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू की खेती की जाती है। अंडमान क्षेत्र में प्रचुर सदाबहार, मैनग्रोव, तटवर्ती और बरसाती जंगल हैं। हिमालयी क्षेत्र कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है जिसमें सिक्किम, मेघालय और नगालैंड समाहित हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप स्थानिक वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे पेड़-पौधे हैं, जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं।

देश की वनस्पति का अध्ययन भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (बीएसआई) और देशभर में स्थित इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है।

एथनो-बोटेनिकल यानी मानव-वनस्पति अध्ययन में पादपों और उनके उत्पादों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसे पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन बीएसआई द्वारा किया गया है। देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई विस्तृत नृजातीय सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की 800 प्रजातियों को विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा किया गया है और उनकी पहचान की गई है।

कृषि, उद्योग और शहरी विकास के लिए वनों के ह्रास के कारण कई भारतीय पौधों का अस्तित्व खतरे में है। करीब 1,336 पादप प्रजातियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है। बड़े पौधों की करीब 20 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनका अस्तित्व समाप्त होने की आशंका है, क्योंकि उन्हें पिछले 6-10 दशकों से देखा नहीं गया है। भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ने अस्तित्व समाप्ति का खतरा झेल रहे पौधों की एक सूची 'रेड डेटा बुक' के रूप में प्रकाशित की है।

भारत के जीव संसाधन

भारत अपनी बेजोड़ जैव-भौगोलिक अवस्थिति, विविधतापूर्ण जलवायु स्थितियों और असंख्य पारिस्थितिक विविधता और भू-विविधता के कारण जैविक विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। भारत की विशाल जैविक विविधता में पारिस्थितिकी प्रणालियां, जनसंख्या, प्रजातियां और उनके आनुवंशिक स्वरूप शामिल हैं। इस विविधता का श्रेय भौतिक और जलवायु स्थितियों में व्यापक भिन्नता को जाता है, जिनके फलस्वरूप पारिस्थितिकी में प्राकृतिक वास संबंधी विविधताएं पैदा होती हैं और यह उष्णकटिबंधी, उप-उष्णकटिबंधी, समशीतोष्ण, अल्पाइन से रेगिस्तान तक फैली हुई है। विश्व जैव-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार भारत दो प्रमुख क्षेत्रों (प्लेयाक्रेटिक और इंडो-मलायन) और तीन बायोम्स अर्थात् पादप जीवन के प्रमुख रूपों (जैसे उष्णकटिबंधी आर्द्र वन, उष्णकटिबंधी शुष्क/पर्णपाती वन और गर्म रेगिस्तान/ अर्द्ध-रेगिस्तान) का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने एक संशोधित वर्गीकरण प्रस्तावित किया है, जो देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है- हिमालय-पार, हिमालयी, भारतीय रेगिस्तान, अर्द्ध-शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर भारत, द्वीप और तटवर्ती क्षेत्र। जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार, भारत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी विकास की दृष्टि से विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। वास्तव में विश्व के कुल भू-भाग में मात्र करीब दो प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व के कुल जीव-जंतुओं की 7.5 प्रतिशत प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें 92,037 प्रजातियां शामिल हैं। इनमें मात्र कीटों की 61,375 प्रजातियां शामिल हैं। अनुमान है कि अकेले भारत में आज जितनी प्रजातियां विद्यमान हैं, उसका करीब दो गुना ऐसी हैं, जिनकी अभी खोज की जानी है।

जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि

जनगणना

भारत की जनगणना, 2001 की 21वीं सदी और तीसरी सहस्राब्दी की प्रथम जनगणना होने के कारण ऐतिहासिक और युगारंभ करने वाली थी। यह एक शताब्दी और सहस्राब्दी परिवर्तन के समय देश में उपलब्ध प्रचुर मानव संसाधनों की स्थिति, उनकी जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि, संस्कृति और आर्थिक संरचना के बारे में मानदंड निर्धारित करने वाले आंकड़े उद्घाटित करती है।

भारत में 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। इसे दो चरणों में कराया गयाः (1) मकानों की सूची और आवास गणना (अप्रैल से सितंबर, 2010) और (2) जनसंख्या की गणना (9 से 28 फरवरी, 2011 और संशोधनात्मक दौर 1 से 5 मार्च, 2011)। संदर्भ तिथि तारीख 1 मार्च, 2011 मानी गई। बर्फीले क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना 11 से 30 सितंबर, 2010 की अवधि में की गई थी। जनसंख्या के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल, 2013 को जारी किए गए।

जनसंख्या

भारत की जनसंख्या 1 मार्च, 2011 को 121.09 करोड़ (62.32 करोड़ पुरुष और 58.76 करोड़ महिलाएं) थी। विश्व की 13.579 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भू-भाग में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.4 प्रतिशत है। फिर भी यह विश्व की आबादी के एक बड़े हिस्से को आश्रय प्रदान करता है और उसका पालन-पोषण करता है।

भारत की जनसंख्या, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में करीब 23.84 करोड़ थी, 2011 में बढ़ कर 121.09 करोड़ हो गई। 1911-21 के दशक को छोड़ कर, 1901 से प्रत्येक दशक में हुई जनगणनाओं के दौरान भारत की आबादी में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई है।

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या संकेंद्रण के महत्वपूर्ण पैमानों में जनसंख्या घनत्व भी एक है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 17.72 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के साथ 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था।

1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। बड़े राज्यों में बिहार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, जहां जनसंख्या का घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल (1,028) और केरल (860) का स्थान है।

लिंग अनुपात

लिंगानुपात को प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी समाज में एक निर्दिष्ट काल के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रचलित समानता को मापने के लिए लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। देश में लिंग अनुपात महिलाओं की संख्या की दृष्टि से हमेशा प्रतिकूल रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह 972 था और उसके बाद 1941 तक इसमें निरंतर कमी दर्ज हुई। 1901-2011 की अवधि में लिंग अनुपात में 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में 10 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई, परंतु बच्चों के लिंग अनुपात में गिरावट आई और यह प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होकर 919 पर आ गई।

साक्षरता

2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति को साक्षर समझा गया, जो किसी भाषा में पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है, परंतु लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं कहा जा सकता। 1991 से पहले की जनगणनाओं में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्यतः निरक्षर समझा जाता था।

2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता की दर

73 प्रतिशत है, जिसमें 80.9 प्रतिशत पुरुष और 64.6 प्रतिशत महिलाएं हैं। 94 प्रतिशत साक्षरता के साथ केरल ने प्रथम स्थान बनाए रखा है। इसके करीब ही लक्षद्वीप (91.9 प्रतिशत) का स्थान है। देश में साक्षरता की दृष्टि से बिहार अंतिम स्थान पर है, जहां साक्षरता की दर 61.8 प्रतिशत है। 96.1 प्रतिशत पुरुष साक्षरता और 92.1 प्रतिशत महिला साक्षरता दर के साथ केरल का देश में पहला स्थान है। इसके विपरीत, पुरुषों (71.2 प्रतिशत) और महिलाओं (51.5 प्रतिशत), दोनों की साक्षरता दर के मामले में बिहार अंतिम पायदान पर है।

टिप्पणी : विस्तृत विवरण के लिए कृपया जनगणना रिपोर्ट, 2011 देखें।

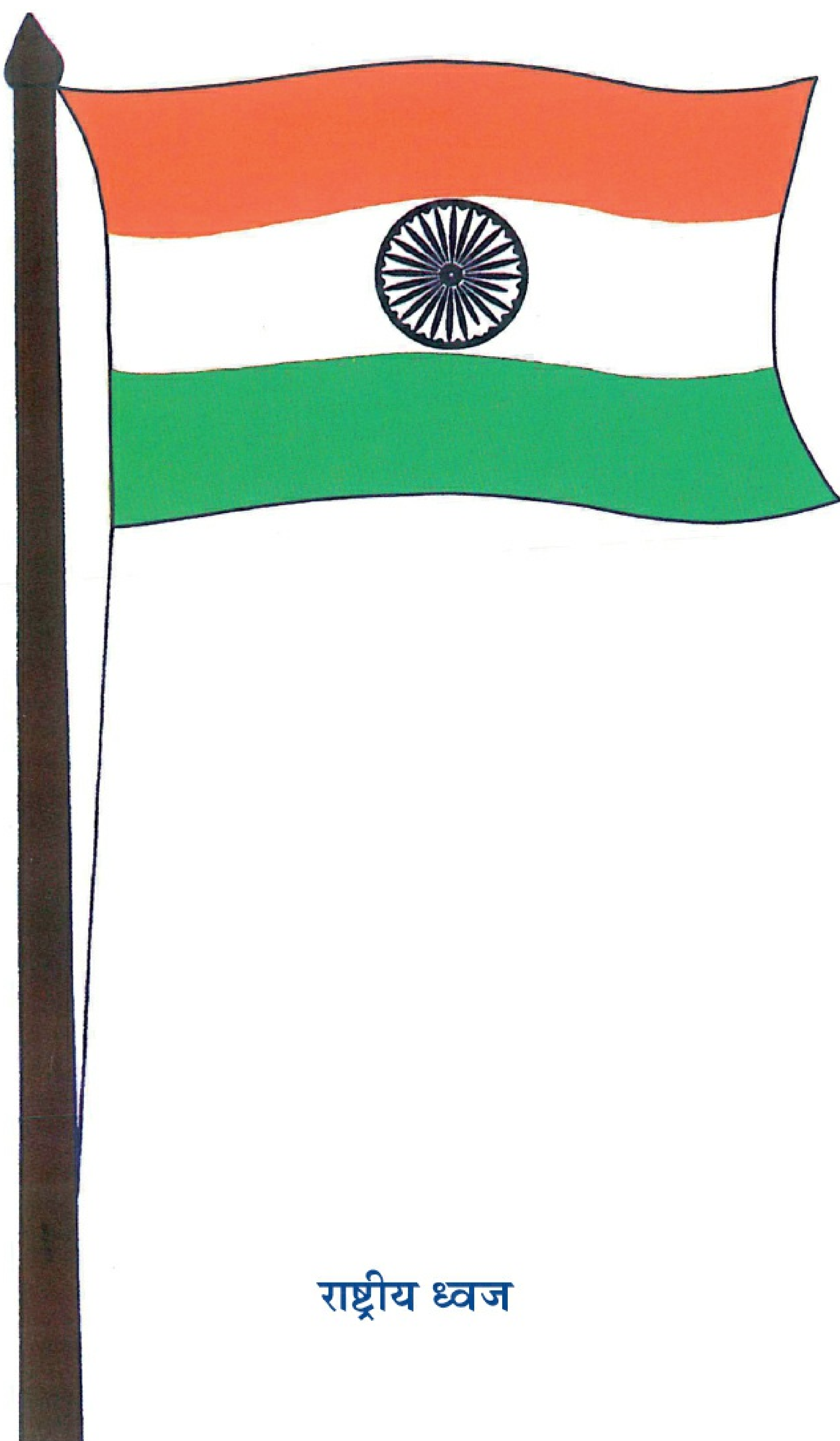
2 राष्ट्रीय प्रतीक

राष्ट्रीय ध्वज

भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरी केसरिया पट्टी है, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज़ पर बनाया गया है। इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के समान है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया।

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गैर-सांविधिक अनुदेशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (1950 का 12वां) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69वां) की व्यवस्थाएं लागू होती हैं।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 जो 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी हुई, में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है। भारत की ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं हैं, परंतु इस बारे में राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है।



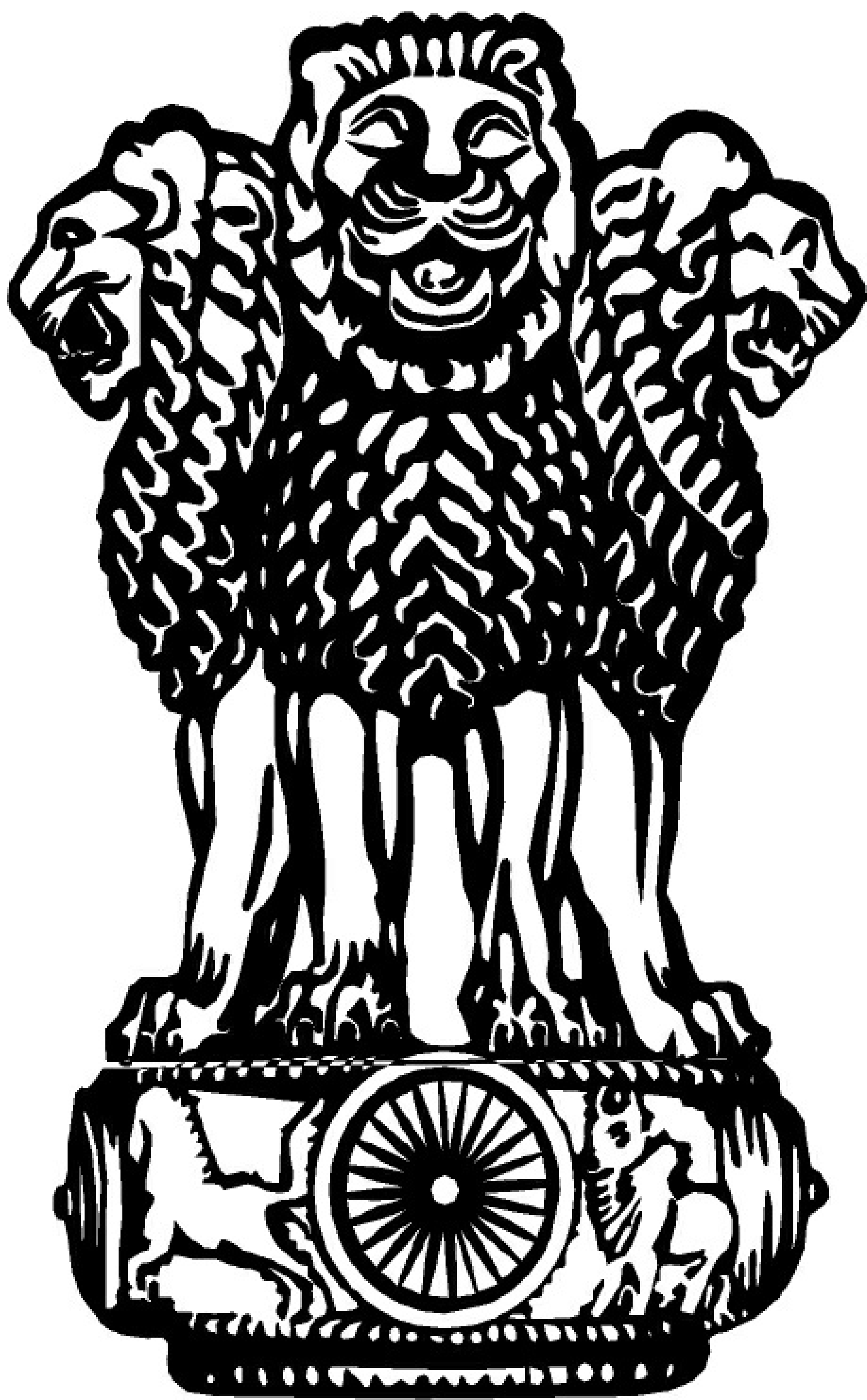
राष्ट्रीय ध्वज

राजचिह्न

भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं, जिनके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं। चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर बनाए गए इस स्तंभ पर 'धर्मचक्र' सुशोभित है।

भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए राजचिह्न में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। दाएं और बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। घंटाकार पद्म छोड़ दिया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है– 'सत्य की ही विजय होती है।'

भारत के राजचिह्न का उपयोग भारत के राजकीय (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत नियंत्रित होता है।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय चिह्न

राष्ट्रगान

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं। प्रथम पद, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है :

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां (गाने का समय लगभग 20 सेकेंड) होती हैं जो इस प्रकार हैं :

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।।

राष्ट्रगीत

बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है :

वंदे मातरम् !
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम्, मातरम् !
शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम्, मातरम् !

पद का श्री अरबिंदो द्वारा गद्य में अंग्रेजी अनुवाद[1]:

I bow to thee, Mother,
richly-watered, richly-fruited,
cool with the winds of the south,
dark with the crops of the harvests,
The Mother!
Her nights rejoicing in the in the glory of the moonlight,

her lands clothed beautifully with her trees in flowering bloom,
sweet of laughter, sweet of speech,
the Mother, giver of boons, giver of bliss.

राष्ट्रीय पंचांग (कैलेंडर)

ग्रिगेरियन कैलेंडर के साथ-साथ देशभर के लिए शक संवत् पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च, 1957 को इन्हें सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया : (1) भारत का राजपत्र, (2) आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, (3) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर और (4) भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित-पत्र।

राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगेरियन कैलेंडर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।

वेबसाइट: www.mha.gov.in

भारत का राजनैतिक मानचित्र

भारत के महासर्वेक्षक ले० जनरल गिरीश कुमार, विशिष्ट सेवा मैडल (सेवानिवृत्त) के निदेशन में प्रकाशित,

Published under the direction of Lt General Girish Kumar, VSM (Retd.) *Surveyor General of India.*

Survey of India, Department of Science & Technology, Government of India, Hathibarkala Estate, Post Box No. 37, DehraDun-248001 (Uttarakhand).

2020.

इस मानचित्र की मापनी इस प्रकार है :-	1:5,000,000
भारत का राजनैतिक मानचित्र	प्रथम संस्करण

3 राजनीतिक संरचना

राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है। यह गणराज्य 26 जनवरी, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत एवं 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है।

संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है। भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे। इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है। संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगों और मुख्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रावधान है।

केंद्र और उसके क्षेत्र

भारत में 28 राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य हैं– आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघाल मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश हैं– अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को कानून का रूप देकर (गृह मंत्रालय, एम. ओ. संख्या 3979 (ई) दिनांक 2 नवंबर, 2019) पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-एक जिसे पहले की भांति जम्मू और कश्मीर ही कहा जाता है तथा दूसरा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया। 31 अक्टूबर, 2019 की तिथि को अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए निर्धारित दिवस अधिसूचित किया गया। 5 अगस्त, 2019 को अधिनियम हेतु एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, जो उसी दिन पारित हुआ। लोकसभा ने इसे 6 अगस्त, 2019 को पारित किया। 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति प्रदान की। विधेयक पेश करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया। नतीजे के तौर पर भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए।

इस प्रकार, 'राज्य की विधान परिषद् सहित राज्य विधायिका' को समाप्त कर दिया गया है, और अब आगे से उसे "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा" माना जायेगा। संविधान के सारे प्रावधान, समय-समय पर किये गए संशोधनों सहित मौजूदा जम्मू और कश्मीर पर 5 अगस्त, 2019 से प्रभावी तौर पर लागू हो चुके हैं। 5

अगस्त, 2019 तथा 31 अक्टूबर, 2019 के बीच की अवधि में जो अधिसूचना या आदेश जारी हुए, नियम बनाए गए, नियुक्तियां की गयीं, उन्हें संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है, यथा ये कार्य विधि अनुसार किये गए हों। राज्य के कानून में 'स्थायी निवासी' या 'आनुवांशिक राज्य नागरिक' के भावों को प्रकट करने वाले संदर्भों को, जो लागू थे, लुप्त कर दिया गया है।

श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू और कश्मीर के सबसे पहले उप-राज्यपाल हैं, जबकि श्री राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के नए उप-राज्यपाल बनाए गए हैं।

नागरिकता

संविधान में संपूर्ण भारत के लिए में एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है, जो संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को) भारत में स्थायी रूप से रहता हो; और (क) जो भारत में पैदा हुआ हो; अथवा (ख) जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ है, अथवा (ग) जो सामान्यतया कम से कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो नागरिकता अधिनियम, 1955 में लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

नागरिकता *(*संशोधन*)* विधेयक

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे संसद ने 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। संशोधित अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह धार्मिक समुदायों- हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। यह उन लोगों पर लागू होगा जो अपने-अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के कारण या ऐसी प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं और 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। नागरिकता प्राप्ति पर ऐसे प्रवासी भारत में अपने प्रवेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जायेंगे और उनके गैर-कानूनी प्रवास या नागरिकता सम्बन्धी सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी। अधिनियम की तीसरी अनुसूची को संशोधित कर तीनों देशों के वर्णित समुदायों के आवेदकों को सहजीकरण द्वारा नागरिकता के योग्य माना गया है, यदि वे भारत में पांच वर्ष तक अपना निवास साबित कर सकें। पहले इसके लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता थी।

यद्यपि, अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों तथा अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्यों सहित 'इनर लाइन परमिट' वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

स्रोतः [https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=195666; https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=195783; http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214646.pdf]

मौलिक अधिकार

संविधान में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर संविधान में छह प्रकार की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी दी गई है, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती हैं। संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद–12 से 35 तक, में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार हैं: (1) समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोज़गार के लिए समान अवसर; (2) विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार सम्मेलन करने, संस्था या केंद्र बनाने, देश में सर्वत्र आने-जाने, भारत के किसी भी भाग में रहने तथा कोई रोज़गार या व्यवसाय करने का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकारों को देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता में सीमित किया गया है); (3) शोषण से रक्षा का अधिकारः इसके अंतर्गत सभी प्रकार की बेगार, बालश्रम और व्यक्तियों के क्रय-विक्रय का निषेध किया गया है; (4) अंतःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने

की स्वतंत्रता का अधिकार; (5) नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार; और (6) मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार।

मौलिक कर्तव्य

1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग चार 'ए' के अनुच्छेद–51 (क) में दिए गए हैं। इसमें अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें; स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करें; देश की रक्षा करें और कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवा में जुट जाएं। धर्म, भाषा और क्षेत्रीय तथा वर्ग संबंधी भिन्नताओं को भुला कर सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत

संविधान में निहित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे 'देश के प्रशासन का मूल आधार हैं' और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे। ये सिद्धांत संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। उनमें कहा गया है– सरकार ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो। सरकार ऐसी नीति-निर्देशित करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को जीवनयापन के लिए यथेष्ट अवसर दे, सामान कार्य के लिए समान वेतन तथा अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमाओं के अनुसार सबको काम तथा शिक्षा दिलाने की प्रभावी व्यवस्था करे और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा अपंगता या अन्य प्रकार की अक्षमता की स्थिति में सबको वित्तीय सहायता दे। सरकार श्रमिकों के लिए निर्वाह् वेतन, कार्य की मानवोचित दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा उद्योगों के प्रबंधन में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए भी प्रयास करेगी।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति इस ढंग से लागू करनी चाहिए जिससे कि समाज के भौतिक संसाधनों पर अधिकार और उनका लोगों के बीच इस प्रकार वितरण हो कि वे सभी लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो। अतः यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक व्यवस्था को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध धन और उत्पादन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित नहीं हो।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशात्मक सिद्धांत हैं: बच्चों को स्वस्थ वातावरण में विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाना; 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना; अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना; ग्राम पंचायतों का गठन; कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, संपूर्ण देश के लिए समान नागरिक संहिता की घोषणा; राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था; पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार; वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा; राष्ट्रों के बीच न्यायोचित तथा समानतापूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन; अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों का सम्मान एवं अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को बढ़ावा देना।

संघ

कार्यपालिका

केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा करते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के

निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और केंद्र के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है तथा पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद–61 में निहित प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। वह उप-राष्ट्रपति को संबंधित स्व-हस्तलिखित पत्र द्वारा पद-त्याग करवा सकते हैं।

कार्यपालिका के समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा कराते हैं। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने, संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने लोकसभा को भंग करने, दोनों अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने, बजट तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की सिफ़ारिश करने और विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान, दंड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने या कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने, छूट देने या दंड को बदलने के अधिकार प्राप्त हैं। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि ऐसा कोई गंभीर संकट पैदा हो गया है जिससे देश अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह देश में आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं।

उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उप राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का और राज्य सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और उन्हें इस पद पर पुनःनिर्वाचित भी किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-67(ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हों या जब राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो, तब छह महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते।

मंत्रिपरिषद्

कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह केंद्र के कार्यों के संचालन के संबंध में मंत्रिपरिषद् के निर्णयों, कानून बनाने के प्रस्तावों तथा उनसे संबंधित जानकारियों से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहें।

मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री तथा उपमंत्री होते हैं।

विधायिका

संघ की विधायिका को ‘संसद’ कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति, दोनों सदन (लोकसभा तथा राज्यसभा) शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछली बैठक के छह महीने भीतर बुलानी होती है। कुछ अवसरों पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है।

राज्यसभा

संविधान में व्यवस्था है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सदस्यों

की संख्या 238 से अधिक नहीं होगी। राज्य सभा के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है; राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और उसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं।
वेबसाइट: www.rajyasabha.in

लोकसभा

लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अब अधिकतम 552 है (530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीय (एंग्लो इंडियन) समुदाय के दो व्यक्तियों को उस हालत में मनोनीत करने का अधिकार है, जब उन्हें ऐसा लगे कि सदन में इस समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला)। लोकसभा के लिए विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि राज्य के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात जहां तक संभव हो, सभी राज्यों में समान हो। वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे चुने गए हैं। 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के तहत विभिन्न राज्यों में लोकसभा की वर्तमान सीटों की कुल संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है तथा 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जाएगा।

लोकसभा का कार्यकाल, यदि उसे भंग न किया जाए, सदन की पहली बैठक को लेकर पांच वर्ष होता है। किंतु यदि आपात स्थिति लागू हो तो यह अवधि संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई जा सकती है। परंतु यह वृद्धि एक समय पर एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती और आपात स्थिति समाप्त होने के बाद किसी भी हालत में छह महीने से अधिक नहीं हो सकती। अब तक 16 लोकसभाएं गठित की जा चुकी हैं। प्रत्येक लोकसभा के कार्यकाल और उसके अध्यक्षों का विवरण तालिका-1 में दिया गया है। 16वीं लोकसभा के सदस्यों के नाम, उनकी पार्टी और चुनाव क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
वेबसाइट: www.loksabha.in

संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं

संसद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यताएं संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है।

संसद के कार्य और अधिकार

अन्य संसदीय लोकतंत्रों की भांति भारत की संसद को भी कानून बनाने, प्रशासन की देख रेख, बजट पारित करने, लोगों की कठिनाइयों को दूर करने और विकास योजनाओं, राष्ट्रीय नीतियों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। केंद्र और राज्यों में अधिकारों के वितरण की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार विधायी क्षेत्र में कई तरह से संसद को उच्च स्थान दिया गया है। संसद कुछ परिस्थितियों में ऐसे विषयों के विधायी अधिकार भी प्राप्त कर सकती है, जो अन्यथा राज्यों के लिए सुरक्षित हैं। संसद को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को संविधान की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।

सभी कानूनों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। हालांकि, धन विधेयक के मामले में लोकसभा की 'मंजूरी' महत्वपूर्ण रहती है। प्रदत्त विधान पर पुनरावलोकन और अधिकार संसद के पास होता है। विधि निर्माण के अलावा, संविधान द्वारा संसद को संविधान के अधिकार भी सौंपे गए हैं।

संसदीय समितियां

संसद के कार्यों में विविधता है। चूंकि उसके पास समय सीमित होता है, इसलिए उसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी अथवा अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं हो सकता है। अतएव इसका बहुत-सा कार्य संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना, कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी होती है। इन समितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर एक जैसी ही है और यह संविधान के अनुच्छेद-118 (1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार नियंत्रित होती हैं।

सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं– स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं।

स्थायी समितियां: लोकसभा की स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों, अर्थात लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजानिक उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है और ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नज़र रखती हैं। लोक लेखा समिति और सार्वजानिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं।

प्राक्कलन समितिः प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ? यह इस बात की भी जांच करती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही धन व्यय किया गया है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन को संसद में किस रूप में पेश किया जाए। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कराती है। यह सुनिश्चित कराती है कि सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। सार्वजानिक उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की, यदि कोई रिपोर्ट हो, तो उसकी जांच करती है। वह इस बात की जांच भी करती है कि ये सार्वजनिक उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं तथा इनका प्रबंधन ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं।

इन तीन वित्तीय समितियों के अलावा, लोकसभा की नियमों संबंधी समिति ने विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियां गठित करने की सिफारिश थी। इसके अनुसार 8 अप्रैल, 1993 को इन 17 समितियों का गठन किया गया। जुलाई 2004 में नियमों में संशोधन किया गया, ताकि ऐसी ही 7 समितियां और गठित की जा सकें। इस प्रकार इन समितियों की संख्या 17 से बढ़ कर 24 हो गई।



1. संविधान के अनुच्छेद-94 के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अपना पद नई लोकसभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता।
2. अपने सामान्य कार्यकाल से 38 दिन पूर्व ही भंग हो गई।
3. निधन।

4. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 40 दिन पूर्व ही भंग हो गई।
5. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 44 दिन पूर्व ही भंग हो गई।
6. अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष 79 दिन पूर्व ही भंग हो गई।
7. त्यागपत्र दे दिया।
8. लोकसभा का कार्यकाल जोकि 18 मार्च, 1975 को समाप्त होना था (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए 18 मार्च, 1977 तक बढ़ा दिया गया। इसे लोकसभा द्वारा एक वर्ष की और अवधि 18 मार्च, 1978 तक के लिए (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बढ़ाया गया। हालांकि 5 वर्ष, 10 माह और 13 दिन तक अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग कर दिया गया था।
9. त्यागपत्र दे दिया।
10. दो वर्ष चार माह और 28 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया था।
11. त्यागपत्र दे दिया।
12. अपने कार्यकाल की समाप्ति से बीस दिन पूर्व ही भंग हो गई।
13. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 48 दिन पूर्व ही भंग हो गई।
14. एक वर्ष, दो महीने और 25 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया।
15. एक वर्ष, छह महीने और 13 दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया।
16. एक वर्ष, छह महीने और चार दिन अस्तित्व में रहने के बाद सदन को भंग किया गया।
17. निधन।
18. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 253 दिन पूर्व ही भंग हो गई।

इन समितियों के कार्य हैं : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उनके बारे में सदन को सूचित करना; (ख) लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे गए ऐसे विधेयकों की जांच पड़ताल करना और जैसा भी मामला हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना; (ग) मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करना और उन पर अपनी रिपोर्ट देना, और (घ) सदन में प्रस्तुत नीति संबंधी दस्तावेजों (यदि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पास भेजे गए हैं) पर विचार करना और जैसा भी हो, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना।

प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियां, उनके कार्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित हैं:

(1) जांच समितियां*:* (क) याचिका समिति विधेयकों और जनहित संबंधी मामलों पर प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करती है और केंद्रीय विषयों पर प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करती है; (ख) विशेषाधिकार समिति सदन या अध्यक्ष/सभापति द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी भी मामले की जांच करती है। *(2)*समीक्षा समितियां*:* (क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों एवं संकल्पों आदि पर उनके कार्यान्वित होने पर नज़र रखती है; (ख) अधीनस्थ विधि निर्माण समिति इस बात की जांच करती है तथा सदन को इसकी रिपोर्ट देती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उप-नियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित उपयोग किया जा रहा है; और (ग) पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति वैधानिक अधिसूचनाओं औ आदेशों के अलावा, जोकि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्यक्षेत्र में आते हैं, मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागज़ातों की जांच करती है और देखती है कि संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत कागज़ात प्रस्तुत करते हुए उनकी व्यवस्थाओं का पालन हुआ है या नहीं। *(3)* सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां*:* (क) कार्य मंत्रणा समिति सदन में पेश किए जाने वाले सरकारी एवं अन्य कार्यों के लिए समय-निर्धारण की सिफारिश करती है; (ख)गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी लोकसभा की समिति निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं उनके लिए समय का निर्धारण करती है, निजी सदस्यों द्वारा पेश प्रस्तावों पर बहस के लिए समय का निर्धारण करती है और लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा पेश किए जाने से पूर्व संविधान संशोधन विधेयकों की जांच करती है। राज्यसभा में इस प्रकार की समिति नहीं होती। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी विधेयकों एवं प्रस्तावों के चरण या चरणों में बहस के लिए समय के निर्धारण की सिफ़ारिश (अनुशंसा) करती है; (ग) नियम समिति सदन में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है और नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफ़ारिश करती है, और (घ) सदन में बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी लोकसभा की समिति सदन के सदस्यों की बैठकों से अनुपस्थिति या छुट्टी के आवेदनों तथा सदस्यों की छुट्टी आदि पर विचार करती है। राज्यसभा में इस प्रकार की समिति नहीं है और सदस्यों की छुट्टी अथवा अनुपस्थिति के आवेदनों पर सदन स्वयं विचार करता है। *(4)* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की समितिः इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है और इस बात पर नजर रखती है कि

उन्हें जो संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। *(5)* सदस्यों को सुविधा प्रदान करने संबंधी समितियां: (क) सामान्य प्रयोजन संबंधी समितिः सदन से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करती है, जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तथा अध्यक्ष/सभापति को इस बारे में सलाह देती है; और (ख) आवास समिति – सदस्यों की आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था; (6) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति – यह समिति संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन गठित की गई है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन संबंधी नियम बनाने के अतिरिक्त यह उनके चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन क्षेत्र एवं सचिवालय संबंधी सुविधाओं के नियम बनाती है। *(7)* लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समितिः यह केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त समितियों एवं अन्य निकायों की संरचना तथा स्वरूप की जांच करती है, और यह सिफारिश करती है कि ऐसे कौन-कौन-से पद हों, जो संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को योग्य अथवा अयोग्य बनाते हैं। *(8)* पुस्तकालय समितिः इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह समिति संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है। *(9)* महिला अधिकारिता समितिः 29 अप्रैल, 1997 को महिलाओं के अधिकारों के बारे में दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं को हैसियत, गरिमा और समानता प्रदान करना है और *(10)* आचार: संहिता समिति – 4 मार्च, 1997 को राज्यसभा की आचार-संहिता समिति गठित की गई। लोकसभा की आचार-संहिता समिति 16 मई, 2000 को गठित की गई।

तदर्थ समितियां**:** इस तरह की समितियों को मोटे तौर पर दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है– (क) संसद के दोनों सदनों द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव लाकर अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा किसी विशिष्ट विषय पर जांच करने एवं रिपोर्ट देने हेतु समय-समय पर गठित समितियां, (उदाहरण स्वरूप संसदीय परिसर में खाद्य प्रबंधन पर समिति, संसदीय परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्रों/प्रतिमाओं की स्थापना पर समिति, संसदीय परिसर में सुरक्षा पर समिति, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति आदि) और (ख) विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त प्रवर एवं संयुक्त समितियां। विधेयकों के संदर्भ में ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से भिन्न हैं और इनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष/सभापति के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया जाता है।

संसद में विपक्ष के नेता

राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को वैधानिक मान्यता दी गई है। 1 नवंबर, 1977 से लागू एक पृथक कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन तथा कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।

संसद में सरकारी कामकाज

संसदीय कार्यमंत्री को संसद के दोनों सदनों में सरकारी कामकाज को समन्वित करने, उसकी योजना बनाने और तत्संबंधी व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है। इस दायित्व को निभाने हेतु दो राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं। मंत्री दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों के नेताओं, मुख्य संचेतकों और संचेतकों के साथ निरंतर नज़दीकी संबंध बनाए रखते हैं।

सलाहकार समितियां

भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को आवंटित कार्यों में से एक, विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसदीय सलाहकार समितियों का कार्य है। सलाहकार समिति की न्यूनतम सदस्यता 10 और अधिकतम सदस्यता 30 है। प्रत्येक लोकसभा भंग होने पर सलाहकार समिति भी भंग हो जाती है तथा नई लोकसभा के गठन के साथ सलाहकार समितियां भी पुनर्गठित की जाती हैं।

16वीं लोकसभा के लिए विभन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 सलाहकार समितियां गठित की गई थी और जून 2016 से मई 2017 के बीच इनकी 96 बैठकें हुई थीं।

युवा संसद प्रतियोगिता

युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों और कॉलेजों/

विश्वविद्यालयों के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित कराने की यह योजना सबसे पहले 1966-67 में दिल्ली के विद्यालयों में लागू की गई थी। बाद में 1978 में दिल्ली और आस-पास के केंद्रीय विद्यालयों में इस योजना को लागू किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में केंद्रीय विद्यालयों में एक अलग योजना के रूप में इसे शुरू किया गया। इसी तरह 1997-98 में दो नई योजनाओं के अंतर्गत युवा संसद प्रतियोगिता लागू की गई, एक जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और दूसरी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

समान हित के विषयों पर चर्चा करने तथा संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाने हेतु कानून बनाने वाली संस्थाओं के व्यावहारिक कार्य-संचालन से सदस्य संबंध रखने वाले केंद्र और राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सचेतकों के बीच उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करता है। वर्ष 1952 से अब तक 17 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

विशेष उल्लेख के अंतर्गत मामले

संसदीय कार्य मंत्रालय लोकसभा में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन संबंधी नियमों के नियम 377 और राज्यसभा में विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाए गए विषयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे दोपहर में सदस्य सार्वजानिक महत्व के जरूरी विषय उठाते हैं। राज्यसभा में सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी विषय प्रातः 11 बजे उठाते हैं। मंत्रीगण कभी-कभी सदस्यों द्वारा इंगित बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है। संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्यमंत्री सदन अथवा सदस्य को आश्वासन देते हैं कि संबंधित मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा।

आश्वासनों का कार्यान्वयन

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों, संकल्पों को छांटकर उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन के लिए भेजता है। इसके बाद इनके कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और वायदों की पूर्ति की दिशा में काम करने हेतु संबंधित मंत्रालयों को याद भी दिलाया जाता है। मंत्रालयों से कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा समुचित जांच के बाद सरकार द्वारा आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण समय-समय पर सदन के पटल पर रखे जाते हैं। कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इसे सदन के पटल पर रखे जाने की सूचना सदस्यों तथा संबंधित मंत्रालय को दे दी जाती है।

सद्भावना शिष्टमंडल

किसी देश के सांसद उस देश की नीति के निर्धारण तथा अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारी नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों को दूसरे देशों के समकक्षों और राय निर्माताओं के समक्ष पेश करके भारत के पक्ष में उनका समर्थन पाने के लिए विशेषकर, भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश में कुछ संसद सदस्यों और विशिष्ट व्यक्तियों की सेवाएं लेना उपयोगी एवं आवश्यक है।

संसदीय कार्य मंत्रालय अन्य देशों के लिए सद्भावना शिष्टमंडल प्रायोजित करता है और विदेश मंत्रालय के माध्यम से आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत सांसदों का वैसा ही शिष्टमंडल देश में बुलाता है।

संसद सदस्यों का कल्याण

संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले बीमार सांसदों के कल्याण को देखता है और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाता है। किसी संसद की दिल्ली में मृत्यु होने की स्थिति में संसदीय कार्य मंत्रालय मृत सदस्य के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु परिवार द्वारा चयनित स्थान पर ले जाने में शोकाकुल परिवार को हर जरूरी सहायता प्रदान करता है।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे पद से हटाने के लिए वहीं कार्यविधि अपनाई जाती है, जो उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। अपना पद् छोड़ने के बाद वह केंद्र या राज्य सरकार में कोई और नौकरी नहीं कर सकता है।

केंद्र और राज्यों का लेखा-जोखा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाएगा। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र के लेखा-जोखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के लेखा-जोखा की रिपोर्टें संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजी जाएंगी, जो इसे विधान सभा में प्रस्तुत कराएंगे। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में निर्धारित की गई हैं।
वेबसाइट: www.cag.gov.in

अटॉर्नी जनरल

भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश बनने योग्य व्यक्ति की नियुक्ति इस पद के लिए की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल का काम कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य करना और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर अपने तहत दिए गए कार्यों को निर्वहन करने संविधान या उसके तहत लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत निर्दिष्ट या कार्य सौंपे जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए भारत के क्षेत्र में आने वाली सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार होगा और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

भारत का सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य वकील भी होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल देश का अतिरिक्त कानून अधिकारी होता है। वह अटॉर्नी जनरल का सहायक होता है और वह स्वयं भारत के कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सहायक होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त वकील, सरकार को सलाह देते हैं और कानून अधिकारी (नियम और शर्तें) नियम, 1972 के संदर्भ में भारत के संघ की ओर से पेश होते हैं।

हालांकि, भारत के अटॉर्नी जनरल का पद, जो अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, के विपरीत सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद केवल वैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति, कैबिनेट समिति द्वारा की जाती है।

प्रशासनिक ढांचा

भारत सरकार के कार्यों का आवंटन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद-77 के अंतर्गत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 बनाए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का गठन किया जाता है। इन मंत्रालयों/विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में भारत सरकार के कार्यों का संचालन इन नियमों में निर्दिष्ट विषयों के वितरण के अनुसार होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करते हैं। प्रत्येक विभाग आमतौर पर एक सचिव के अधीन होता है, जो नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन के बारे में मंत्री की मदद करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय

मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट सचिवालय का कार्य होता है: (क) मंत्रिमंडल

तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालय सहयोग; और (ख) कार्य नियम।

कैबिनेट (मंत्रिमंडल) सचिवालय भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें वह सरकार के मंत्रालय/विभागों में इन नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से कार्य संचालन की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करते हुए और मंत्रालयों/विभागों के बीच मतभेदों को दूर करते हुए यह सचिवालय सरकार को निर्णय लेने में मदद करता है और सचिवों की स्थायी/तदर्थ समितियों के जरिए आपस में सहमति बनाए रखता है।

कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में हर महीने एक सारांश बनाकर राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को उससे अवगत कराया जाए। देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना तथा ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना भी कैबिनेट सचिवालय का काम है। सभी सचिव समय-समय पर गतिविधियों के बारे में कैबिनेट सचिव को सूचित करते हैं। कार्यकरण नियमों के संचालन के लिए भी यह आवश्यक है कि समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों के बारे में विशेषकर यदि कहीं नियमों का पालन नहीं हो रहा हो तो उसके बारे में कैबिनेट सचिव को सूचित किया जाए।
वेबसाइट: www.cabsec.gov.in

सरकार के मंत्रालय/विभाग

सरकार के कई मंत्रालय/विभाग होते हैं। इनकी संख्या समय-समय पर इस बात पर निर्भर करती है कि काम कितना है तथा किस मामले को कितना महत्व दिया जा रहा है।

मंत्रालयों/विभागों की सूची [1]

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
   (i) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, (ii) कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग (iii) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
2. आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय
3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
   (i) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, (ii) उर्वरक विभाग (iii), औषध विभाग
4. नागर विमानन मंत्रालय
5. कोयला मंत्रालय
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
   (i) वाणिज्य विभाग, (ii)औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7. संचार मंत्रालय
   (i) दूरसंचार विभाग, (ii) डाक विभाग
8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
   (i) उपभोक्ता मामले विभाग, (ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
9. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
10. संस्कृति मंत्रालय
11. रक्षा मंत्रालय
    (i) रक्षा विभाग, (ii) रक्षा उत्पादन विभाग, (iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, (iv) पूर्व सेनानी कल्याण विभाग
12. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
13. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
14. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
15. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

16. विदेश मंत्रालय
17. वित्त मंत्रालय
    (i) आर्थिक कार्य विभाग, (ii) व्यय विभाग, (iii) राजस्व विभाग, (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, (v) वित्तीय सेवाएं विभाग
18. मत्स्य पालन, पशु पालन और डेरी मंत्रालय
19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
    (i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
21. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
    (i) भारी उद्योग विभाग, (ii) लोक उद्यम विभाग
22. गृह मंत्रालय
    (i) आंतरिक सुरक्षा विभाग, (ii) राज्य विभाग, (iii) राजभाषा विभाग, (iv) गृह विभाग, (v) जम्मू और कश्मीर विभाग, (vi) सीमा प्रबंधन विभाग
23. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
    (i) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, (ii) उच्चतर शिक्षा विभाग
25. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
26. जल शक्ति मंत्रालय
    (i) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (ii) पेयजल और स्वच्छता विभाग
27. श्रम और रोज़गार मंत्रालय
28. विधि और न्याय मंत्रालय
    (i) विधि कार्य विभाग, (ii) विधायी विभाग, (iii) न्याय विभाग
29. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
30. खान मंत्रालय
31. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
32. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
33. पंचायती राज मंत्रालय
34. संसदीय कार्य मंत्रालय
35. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
    (i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, (iii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
36. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
37. योजना मंत्रालय
38. विद्युत मंत्रालय
39. रेल मंत्रालय
40. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
41. ग्रामीण विकास मंत्रालय
    (i) ग्रामीण विकास विभाग, (ii) भूमि संसाधन विभाग
42. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
    (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (ii) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, (iii) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
43. पोत परिवहन मंत्रालय
44. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
45. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (ii) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

46. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
47. इस्पात मंत्रालय
48. वस्त्र मंत्रालय
49. पर्यटन मंत्रालय
50. जनजातीय कार्य मंत्रालय
51. महिला और बाल विकास मंत्रालय
52. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

    (i) युवा कार्यक्रम विभाग, (ii) खेल विभाग

केंद्र सरकार के स्वतंत्र विभाग

53. परमाणु ऊर्जा विभाग

54. अंतरिक्ष विभाग

प्रमुख स्वतंत्र कार्यालय

55. मंत्रिमंडल सचिवालय

56. राष्ट्रपति सचिवालय

57. प्रधानमंत्री कार्यालय

58. नीति आयोग

रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक शस्त्रों (हथियारों) के विकास, उत्पादन, भंडारण और प्रयोग पर समझौता एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि है (सीडब्ल्यूसी) जो रासायनिक शस्त्रों (हथियारों) के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग एवं उनके पूर्ववर्ती स्वरूपों पर प्रतिबंध लगाती है। यह संधि 1997 से लागू हुई और मार्च 2016 तक 192 देशों ने इस संधि का समर्थन अथवा इस पर हस्ताक्षर किए। दी हेग, नीदरलैंड्स में स्थित रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संगठन (ओसीडब्ल्यूसी) इस संधि के लिए बना बहुराष्ट्रिक संगठन है । ओसीडब्ल्यूसी को 2013 में मिला नोबेल पुरस्कार इस संगठन की प्रभावशीलता को प्रमाणित करता हैं।

इस संधि के प्रावधानों के पालन और देश में इस संधि से जुड़े सभी विषयों पर रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संगठन (ओसीडब्ल्यूसी) एवं अन्य सभी सहमत देशों से प्रभावपूर्ण तरीके से संपर्क बनाए रखने के लिए एक केंद्र के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तत्वावधान में रासायनिक शस्त्र संधि हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनएसीडब्ल्यूसी) का कार्यालय बनाया गया है। संसद द्वारा वर्ष 2000 में पारित रासायनिक शस्त्र संधि अधिनियम जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ। भारत 41 सदस्यीय ओसीडब्ल्यूसी की कार्यकारी समिति के चार अनिर्वाचित सदस्यों में से एक है । ओसीडब्ल्यूसी की एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस (एबीएएफ), दी कॉन्फीडेंशिअलिटी कमीशन, नेटवर्क कमिटी ऑन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी तथा हाल में ही सृजित एडवाइजरी बॉडी ऑन एजुकेशन एंड आउटरीच (एबीईओ) ऑफ ओसीडब्ल्यूसी में भारतीय प्रतिनिधित्व है। इस संधि के प्रावधानों के अनुपालन में भारत ओसीडब्ल्यूसी और सभी सदस्यों के साथ सक्रिय सहयोग करता है।

लोक शिकायत

लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) की स्थापना लोक शिकायतों का संतोषजनक समाधान उचित समय सीमा में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नहीं हो पाने के मद्देनज़र इनके निराकरण हेतु वर्ष 1988 में की गई थी। अतः डीपीजी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु अंतिम पड़ाव के रूप में कार्य करता

है। डीपीजी के पास शिकायतें डाक द्वारा, ई-मेल अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती हैं। ऑफलाइन द्वारा प्राप्त सभी मामलों को सिस्टम में डालने के बाद पीजीएआरएमएस एप्लीकेशन का प्रयोग कर कार्रवाई की जाती है।

प्रत्येक शिकायत को पहले डीपीजी के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों के आधार पर छांटा जाता है। डीपीजी के कार्यक्षेत्र से बाहर क्षेत्रों से संबंधित मामलों को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में उचित निष्पादन हेतु भेज दिया जाता है तथा इसकी सूचना शिकायकर्ता को दे दी जाती है। शेष शिकायतों में मामले की गंभीरता देखी जाती है और देखा जाता है कि क्या संबंधित मंत्रालय/विभाग को शिकायत के निराकरण हेतु अवसर दिया गया है? गंभीर प्रकृति की शिकायतों को, जो या तो बहुत अधिक समय से लंबित हैं अथवा संबंधित सेवा संगठन/मंत्रालय से जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, विस्तृत जांच के लिए हाथ में लिया जाता है। इन मामलों का अनुसरण उनके तर्कसंगत एवं उचित निर्णय होने तक किया जाता है। अन्य मामलों को संबंधित मंत्रालय के पास समुचित कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है।

डीपीजी द्वारा टिप्पणी मांगे जाने पर विभाग या संगठन से अपेक्षित है कि वे मामले की जांच करके 30 दिनों के भीतर उसका जवाब भेज दें। टिप्पणी प्राप्त होने के बाद यदि डीपीजी आवश्यक समझता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायत को विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रोत्साहित तरीके से निपटाया गया, अतिरिक्त सूचनाएं मांग सकता है। मामले को बंद करने से पहले शिकायतकर्ता से उसकी शिकायत के संतोषजनक निपटारे की सहमति प्राप्त की जा सकती है।

अपने शुरुआती दिनों से ही डीपीजी अपने कार्यों का निरंतर कंप्यूटरीकरण कर रहा है। डीपीजी हेतु एक विशिष्ट स्वचलन कार्यक्रम, लोक शिकायतें निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (पीजीआरएमएस) को 1999 में ही अपना लिया गया था। पीजीआरएमएस को अब सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए नए केंद्रीकृत लोक शिकायत निस्तारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) में समाहित कर लिया गया है। निराकरण प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए वर्ष 2016-17 से कुछ और उपाय भी शुरू किए गए हैं जिसमें पीजीआरएमएस का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने के लिए इसका हिंदी संस्करण शुरू करना, शिकायतकर्ता से बेहतर संवाद और संपर्क के लिए ई-मेल/एसएमएस जैसी सुविधाओं का समावेश करने तथा डीपीजी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना शामिल है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

किसी भी संगठन का आविर्भाव हमेशा एक विकासपरक प्रक्रिया के द्वारा होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी ऐसी ही अवस्था से निर्मित हुआ। भारत सरकार ने 1999 में एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की और गुजरात के भूकंप के पश्चात राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपदा प्रबंधन के महत्व को मान्यता देते हुए और प्रभावी शमन तंत्र द्वारा सुझाव पर एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की। पहली बार दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय को शामिल किया गया। बारहवें वित्त आयोग में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने को अनिवार्य किया गया था।

सरकार ने 2005 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसने गृह मंत्रालय के तहत, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, देश में आपदा प्रबंधन के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के नेतृत्व और कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। एनडीएमए एक सर्वोच्च संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना; आपदा प्रबंधन के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

इसकी कई जिम्मेदारियों में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करना; राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना; राज्य योजना के निर्माण के लिए राज्य प्राधिकरणों द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना; विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या आपदा पश्चात इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के दिशानिर्देश निर्धारित करना; बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन प्रदान करना; आपदा की रोकथाम के लिए अन्य उपाय करना या आपदा परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए राहत या तत्परता और क्षमता के निर्माण के रूप में

आवश्यक विचार करना; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करना शामिल हैं।
वेबसाइट: www.ndma.gov.in

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों को सुलझाने का कार्य करने वाली भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। यह आमतौर पर राज्यों से जुड़े मामले और विशेषकर केंद्र सरकार से जुड़े शिकायत के मामलों को देखती है। विभाग कुशल प्रशासन से जुड़ी कार्यप्रणाली को ऑडियो-विजुअल और प्रकाशन माध्यमों से प्रसारित करने और प्रलेखन पर जोर देती है। यह अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और लोक सेवा सुधारों के प्रोत्साहन में सहयोग को भी बढ़ावा देती है।
वेबसाइट: www.darpg.gov.in

लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के असाधारण तथा अभिनव कार्यों की पहचान एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार ने लोक प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रारंभ किए हैं। इसके अंतर्गत लोक सेवकों के उत्कृष्ट और आदर्श कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2007 में प्रारंभ से अब तक तीन श्रेणियों- व्यक्तिगत, सामूहिक एवं विभागीय के अंतर्गत 67 पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ष 2015-16 में प्राथमिकता कार्यक्रमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन की एक नई श्रेणी शुरू की गई। 2018 में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव अधिकारियों और निदेशक/उपसचिव पद पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए एक-एक नए पुरस्कारों की शुरूआत की गई थी। यह पुरस्कार उनको कार्यविधियों/तंत्र को सरलीकृत और उसे पुनः व्यावहारिक बनाने के सुधारों के लिए दिया गया है।

लोक सेवा दिवस

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोक सेवा अधिकारी नागरिक हितों के प्रति अपनी निष्ठा एवं कार्यों में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दोहराते हैं। ऐसा पहला आयोजन 21 अप्रैल, 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने "लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार" दिया था। यह तिथि स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ पटेल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को 'मेटकाफ हाउस' नई दिल्ली में संबोधित किए जाने की तिथि से मेल खाती है। यह डीएपीआरजी द्वारा नई दिल्ली में वार्षिक आयोजित होता है।

ई-गवर्नेंस *(* शासन*)* पर राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर एक राज्य सरकार के सहयोग से 1997 से ही प्रतिवर्ष ई-गवर्नेंस (शासन) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन राज्य सरकारों के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सचिवों, केंद्रीय सरकार के आईटी प्रबंधकों, संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों, उद्योग एवं अकादमिक संस्थानों के बुद्धिजीवियों सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ई-गवर्नेंस (शासन) से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने तथा अनुभव साझा करने का मंच उपलब्ध कराता है। अब तक 21 ई-गवर्नेंस (शासन) सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। डीएआरपीजी ई-गवर्नेंस (शासन) प्रयासों को लागू करने में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित श्रेणियों में ऐसे सम्मेलनों में पुरस्कार प्रदान करता है: (i) सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता; (ii) नागरिक केंद्रित सेवा देने में उत्कृष्ट योगदान; (iii) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से अंतर अन्य सरकारी विभागों की मौजूदा परियोजनाओं में नवीकरण; (iv) पूर्वोत्तर राज्य में आईसीटी के जरिए सर्वश्रेष्ठ जिला स्तरीय पहल; (v) पर्वतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली के अलावा); (vi) ई-गवर्नेंस स्थापित तकनीक और जीआईएस का उपयोग; (vii) स्टार्ट-अप्स द्वारा ई-गवर्नेंस/शुरूआतों में आईसीटी का अभिनव प्रयोग; (viii) सरकारी पंजीकरण आदि।

प्रत्येक श्रेणी को एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार दिया जाता है। स्वर्ण पुरस्कार परियोजना और विजेता टीम को अधिकतम रुपये 2 लाख तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें प्रतिव्यक्ति अधिकतम राशि रुपये 75,000 की होती है। रजत पुरस्कार विजेता परियोजना और उसकी टीम को अधिकतम रुपये 1 लाख का नगद पुरस्कार और प्रतिव्यक्ति रुपये 50,000 की अधिकतम राशि होती है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी एसेसमेंट

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी एसेसमेंट (NeSDA) का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों को ई-गवर्नेंस संबंधी सेवा वितरण तंत्र को गहराई और दक्षता का मूल्यांकन करना है। इस फ्रेमवर्क की परिकल्पना देश में ऐसी सेवाओं के समग्र मूल्यांकन के लिए की गयी है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट सर्वे किया जाता है जो ई-गवर्नमेंट के प्रयोग में प्रगति का विश्लेषण उपलब्ध कराता है। 193 सदस्य देशों में 2014 में भारत 118वें स्थान पर था जिसमें सुधार हुआ और 2016 में भारत 107वें तथा 2018 में 96वें स्थान पर पहुंच गया।

ई-ऑफिस प्रोजेक्ट

ई-ऑफिस 'डिजिटल इंडिया' योजना के कार्यान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण मिशन मोड परियोजना है। ई-ऑफिस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) प्रशासनिक मंत्रालय है। कार्यप्रवाह तथा नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों तथा कार्यालय आदेश को तुरंत खोज तथा पुनः प्राप्ति, डिजिटल हस्ताक्षर, फार्म तथा रिपोर्टिंग संघटकों के उपयोग में वृद्धि करना ई-ऑफिस का उद्देश्य है।

सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

डीएआरपीजी केंद्र सरकार के लिए लोक शिकायतों में हर्जाने से संबंधित मामलों की जांच और सहयोग तथा नीतिगत दिशानिर्देश के निर्गमन का कार्य करता है। शासन प्रणाली के संघीय सिद्धांतों के अनुसार राज्यों से जुड़े लोग शिकायत के मामलों को राज्य सरकारों को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया जाता है। 2015 में एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप लांच की गई थी जिसके जरिए आमजन अपनी शिकायतें दर्ज और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी रख सकते हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (यूएमएएनजी) के साथ जोड़ कर एप को और अधिक विकसित कर यूजर फ्रेंडली बनाया गया है।

इसके अलावा, वास्तविक समय में जन शिकायतों पर निगाह रखने और प्रणालीगत सुधारों के पुनरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया गया है। डैशबोर्ड पर शिकायती मामलों से संबंधित तंत्रगत सुधार औ उनके निगरानी माप दर्शाए जाते हैं। इनकी मदद से मंत्रिमंडल सचिवालय, डीएआरपीजी और संबंधित मंत्रालयी विभागों को सुधारों के अमल में लाए जाने पर दृष्टि रखने में मदद मिलती है। समय-समय पर नागरिकों और स्वयं व्यवस्था के समक्ष आने वाली दिक्कतों को देखते हुए सीपीजीआरएएम को अपडेट किया जाता है। मौजूदा समय में 2018 से सीपीजीआरएएमएस का छठा संस्करण कार्यरत है जिसके जरिए एक बार पंजीकरण किया जा सकता है। इसकी मदद से नागरिक को सिंगल स्क्रीन पर उसकी शिकायत और संबंधित स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

विभाग भारत सरकार के सिटिजन चार्टर और सूचना एवं सुविधा काउंटर्स (आईएफसीज़) पहल से भी सहयोग करता है। जन सेवा डिलिवरी और सरकार को जन केंद्रीय बनाने के लिए 'सर्वोत्तम' नामक सुधार ढांचा भी विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत, बेहतर सेवा डिलीवरी प्रदान करने के लिए मंत्रालयों, विभागों सहित राज्य सरकारों को सर्वोत्तम ढांचे को अमल में लाए जाने पर सहयोग दिया गया है।

प्रलेखन और प्रसार

विभाग का प्रलेखन और प्रसार प्रभाग मूल रूप से राज्यों के/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के अनुभव, एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने और उसे दोहराने के उद्देश्य से इनके प्रलेखन और प्रसार के कार्य में संलग्न है।

बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन के लिए वित्तीय सहायता: योजना का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बेहतर शासन पहल के पेशेवर प्रलेखन तथा प्रसार को बढ़ाने के लिए तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देना

है। अभी तक 82 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहयता दिए जाने की संशोधित योजना के अनुसार पेशेवर प्रलेखन रिपोर्ट कागज़ी प्रलेखन के स्थान पर अब ई-बुक में होगा तथा तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता से सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक लघु वृत्त चित्र भी बनाया जाएगा।

श्रेष्ठ कार्यकलापों पर वृत्त चित्र का निर्माण: विभाग पूरे देश में श्रेष्ठ कार्यकलापों पर वृत्त चित्र बनाने का कार्य कर रहा है। ये फिल्में प्रशासन के लिए उपयोगी हैं तथा सफलता की कहानियों के प्रसार से इन्हें किसी और स्थान पर दोहराने में सहायता मिलेगी। ऐसे 78 वृत्त चित्रों का निर्माण किया जा चुका है। ये वृत्त चित्र विभाग की वेबसाइट और यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय सम्मेलन: सुशासन के तौर तरीकों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के अनुभवों को साझा करने के लिए स्वयंसेवी संस्थानों, बुद्धिजीवियों, मीडिया तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संगठनों को साथ लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

सर्वोत्तम कार्यकलापों पर पुस्तकः यह प्रभाग चुनिंदा पुरस्कार विजेता सुशासन कार्यकलापों पर लेखों की पुस्तक प्रकाशित करता है। ये लेख उन पहलों से संबंधित होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार या राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। यह संग्रह प्रशासकों के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि सफलता की कहानियों के प्रसार से इसे अन्यत्र दोहराने में सुविधा होती है। प्रभाग (डिवीजन) ने इस विषय पर पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है।

मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंसः प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 1969 से सरकार का नियतकालिक जर्नल 'मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट' (एमआईजी) प्रकाशित करता है जिसका नाम अब 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' कर दिया गया है। जर्नल में उन सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का वर्णन होता है जिनमें प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं और नेशनल ई-गवर्नेंस पुरस्कारों तथा 2015 में आई पहली ई-बुक की शुरुआत के बारे में भी इसमें बताया गया है। 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' ई-बुक विभाग की वेबसाइट : http://darpg.gov.in/journal-MGMG पर भी उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान एवं सहयोग

विभाग लोक प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मामलों के लिए प्रमुख (नोडल) केंद्र है। इसके कार्यों में भारत और अन्य देशों के बीच (द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय) समझौता/समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत परियोजनाओं/द्विपक्षीय उपायों से संबंधित हिस्से के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग घटक का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार को सूचनाओं, सर्वोत्तम अनुभवों और कार्मिकों के आदान-प्रदान में सक्षम बनाना है। अपने अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के तहत विभाग ने प्रशासनिक अनुभवों तथा आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, चीन के साथ द्विपक्षीय और दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राज़ील के साथ (आईबीएसए) के तहत त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लोक प्रशासन और सेवा वितरण के क्षेत्र में कार्यक्रमों/परियोजनाओं तथा गतिविधियों का दायित्व शामिल है ताकि शासन की वर्तमान व्यवस्था में सुधार हो और जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की बेहतर भावना पैदा हो सके तथा लोक सेवा वितरण, सुशासन, लोक सेवा में सुधार, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता उन्नयन के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त हो सके।

राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र के साथ सहयोग

राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन केंद्र (सीएपीएएम) समूचे राष्ट्रमंडल में लोकप्रबंधन, लोकतंत्र एवं सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध संगठन है। इसका मुख्यालय कनाडा के ओटावा में है। 1991 में हरारे तथा 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठकों में लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप इस केंद्र की स्थापना 1994 में की गई थी। स्थापना के बाद से राष्ट्रमंडल देशों में इसकी सदस्य संख्या 1,100 से अधिक हो गई है। भारत सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 1997 में सीएपीएम का संस्थागत सदस्य बना। इस संस्था का सदस्य बनने से भारत सरकार सीएपीएएम द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय नवाचार सोपान कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय बैठकों, विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों और कार्यक्रमों की जानकारी के साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं, प्रलेखों एवं अध्ययन रिपोर्टों से नवीनतम सूचनाएं हासिल कर सकती है। अपने पुरस्कारों के

माध्यम से सीएपीएएम चार श्रेणियों में सुशासन को मान्यता एवं प्रोत्साहन देता है। अंतरराष्ट्रीय नवाचार पुरस्कारों के द्वारा लोक सेवा क्षेत्र में सुशासन एवं सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संगठनों में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

अवधारणात्मक रूप में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की भूमिका को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अपनी वृहद केंद्रीय भूमिका में यह सरकार की नीतियां तैयार करने और ऐसे निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके द्वारा निर्धारित मानक एवं स्वीकृत मानदंडों का पालन सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अन्य संबंधित विषयों के साथ अपने यहां कार्मिकों की भर्ती (नियुक्ति), सेवा शर्तों के नियमनपद स्थापना (तैनाती)/स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय किया जाता है। विभाग सभी संस्थानों को कार्मिक प्रबंधन के बारे में परामर्श भी देता है। अधिक तात्कालिक स्तर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का प्रत्यक्ष दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ ही केंद्रीय सचिवालय में तीन सचिवालय सेवाओं का संवर्ग (कैडर) नियंत्रक प्राधिकारी होना भी है। विभाग सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम भी चलाता है जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'क' केंद्रीय सेवाओं से उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर उन्हें उपसचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में आवधिक प्रतिनियुक्ति (टेन्योर डेपुटेशन) के आधार पर तैनात करता है। विभाग विभिन्न लोक उपक्रमों/प्रतिष्ठानों, निगमों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रबंधन बोर्डों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों/सदस्यों की नियुक्ति का भी काम देखता है। यह विभिन्न विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति का कार्य भी करता है। यह सभी अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की प्रशिक्षण नीतियों को बनाने और उनके समन्वयन के साथ ही राज्य सरकारों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है।
वेबसाइट: www.dopt.gov.in

भर्ती एजेंसियां

विभाग जिन दो संगठनों के माध्यम से सरकार के कर्मचारियों की भर्ती को सुनिश्चित करता है वे हैं- संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)। पहले संगठन का उत्तरदायित्व अखिल भारतीय सेवाओं सहित उच्च लोक (सिविल) सेवाओं एवं लोक सेवक पदों पर नियुक्ति करने के लिए परीक्षाएं कराना है। भर्ती के तरीकों, प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के समय अनुकरणीय सिद्धांतों तथा सभी अनुशासनात्मक मामलों में आयोग से परामर्श लिया जाना अनिवार्य है। अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे सहायक, आशुलिपिक इत्यादि के लिए भर्ती करना कर्मचारी चयन आयोग का उत्तरदायित्व है।

डीओपीटी द्वारा की गई पहल में शामिल हैं:

(क) ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार पर विराम

जनवरी 2016 से कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'बी' (गैर-राजपत्रित) की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया। यह प्रक्रिया भारत सरकार के मंत्रालयों/संबंधित/अधीन कार्यालयों/स्वायत्त इकाइयों सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के लिए अमल में लाई जाएगी। 18 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी शामिल हैं, ने निचले स्तर की भर्तियों के लिए साक्षात्कार की जरूरत को समाप्त करने की नीति को अपना लिया है।

(ख) ओएमआर आधारित परीक्षा की बजाय कप्यूटर का चलन

पारदर्शिता बढ़ाने और भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया में कम समय व्यय करने के लिए सरकार ने एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (सीजीएलई, सीएचएसएलई, एमटीएस आदि) को पारंपरिक ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रीडर) से कंप्यूटर आधारित मोड में बदल दिया है।

(ग) एकल पंजीकरण और परीक्षा का टू-टीयर तंत्र

मौजूदा समय में सरकारी नौकरी तलाश रहे परीक्षार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है जिनमें उत्तीर्ण होने की समान योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में विभिन्न भर्ती एजेंसियां न केवल परीक्षार्थियों पर बोझ बनती हैं बल्कि विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर अपव्यय भी होता है। अब सरकार ने ग्रुप 'बी' के गैर-राजपत्रित स्थानों हेतु प्रत्याशी सूची तैयार करने के लिए एक समान योग्यता परीक्षाएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव रखा है और एसएससी द्वारा आयोजित टीयर-1 परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित/ऑनलाइन मोड परीक्षा की पहल की है। नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल के जरिए प्रत्याशियों का समान पंजीकरण किया जाएगा। अंतिम चुनाव भर्ती एजेंसियों द्वारा अपने स्तर पर आयोजित विशिष्ट टीयर-2 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(घ) नियुक्ति के लिए स्व-प्रमाणपत्र

जून 2016 से भर्ती एजेंसियां प्रत्याशियों द्वारा नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर मान्य स्व-प्रमाणीकृत आधारित पत्र जारी कर रही हैं। इसके आधार पर नियुक्ति पुख्ता करने के लिए छह माह के भीतर पुलिस जांच करानी आवश्यक होती है ताकि नागरिकों में विश्वास मजबूत हो और पुलिस जांच के कारण कार्य में न्यूनतम विलंब हो।

(ङ) दिव्यांग जन भर्तियों में तेजी

दिव्यांग जन को बराबर के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मई 2015 को विशेष भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसके जरिए केंद्र सरकार में दिव्यांग जन के लिए 15,694 भर्ती स्थानों में से 13,492 भर्तियां की जा चुकी हैं।

(च) पूर्व-सैनिकों को आरक्षण लाभ

इससे पहले पूर्व सैनिकों असैनिक रोजगार का एक अवसर प्रदान किया जाता था। नए आदेशों के अनुसार, किसी भी असैनिक रोजगार से जुड़ने से पहले उन्हें अपनी पसंद का ओहदा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

(छ) प्रशासन में नागरिक केंद्रीयता

नागरिकों को आसानी से सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल को सीआईसी से पंजीकृत सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग को जोड़ा गया है। सभी नागरिक प्राधिकारी वर्ग इसमें पंक्तिबद्ध तरीके से जोड़ा गया है।

(ज) उच्च पद नियुक्ति व्यवस्था

यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्च पदों पर नियुक्तियां योग्यता और निष्ठा के आधार पर हों। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर विभिन्न स्रोत से प्रतिपुष्टि को भी सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड्स के चुनाव के लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। कार्यकारी क्षेत्र में विस्तार और निजी क्षेत्र/राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के कार्यकारियों के अनुभवों का इस्तेमाल करने के लिए, उन कार्यकारियों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड स्तरीय पदों के उपयुक्त बनाना।

(झ) भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां

भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' की नीति का पालन करती है। 'मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस' का आधारभूत लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार और उसकी एजेंसियां जन केंद्रित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में काम करें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निवारक और दंडात्मक कदम उठाए गए हैं।

(ञ) अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति की गहन पड़ताल

अकर्मण्य, बेअसर और संदिग्ध छवि वाले अफसरों को निकालने के लिए, नियम एफआर 56जे के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड और अन्य संबंधित प्रावधानों की गहन पड़ताल की गई है। सेवा रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल के बाद जिन अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायत और मामले प्राप्त हुए, ऐसी संदिग्ध छवि वाले अफसरों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करने से जुड़े निर्णय भी लिए गए।

प्रशासनिक सुधार आयोग

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) का गठन 2005 में हुआ था। इसका कार्य जन प्रशासनिक तंत्र के जांच आयोग के तौर पर था। इसने सरकार को विचार हेतु 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं: (1) सूचना का अधिकारः कुशल प्रशासन की कुंजी, (2) अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटलः एनटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस - ए केस स्टडी, (3) क्राइसिस मैनेजमेंट: फ्रॉम डेस्पेयर टू होप, (4) एथिक्स इन गवर्नेंस, (5) पब्लिक ऑर्डर: जस्टिस फॉर ईच... पीस फॉर ऑल, (6) लोकल गवर्नेंस, (7) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन - फ्रिक्शन टू फ्यूजन, (8) कॉम्बेटिंग टेररिज्म, (9) सोशल कैपिटल - ए शेयर्ड डेस्टिनी, (10) रीफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन - स्केलिंग न्यू हाइट्स, (11) प्रोमोटिंग ई-गवर्नेंस - द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, (12) सिटिजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन - द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, (13) ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, (14) स्ट्रेंथेनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, (15) राज्य एवं जिला प्रशासन। केंद्र सरकार ने 15 में से 14 रिपोर्टों पर विचार किया है और दूसरी एआरसी की सिफारिशों पर कार्रवाइयां विभिन्न चरणों में हैं।

सूचना का अधिकार

नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, सरकार की प्रणाली को जवाबदेह बनाने, भ्रष्टाचार रोकने और वास्तविक लोकतंत्र के अर्थों में लोगों के लिए कार्य करने के विचार से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया है। अधिनियम का उद्देश्य सूचना से लैस नागरिक तैयार करना है जो शासन के विभिन्न अंगों पर आवश्यक सतर्कता बनाने के लिए बेहतर तरीके से सक्षम होंगे और शासन के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाएंगे।

अधिनियम सभी नागरिकों को किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासित संस्था या संविधान द्वारा या संविधान के अंतर्गत गठित सरकार संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश को रोकने पर सूचना पाने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के मालिकाना हक वाली, नियंत्रण और पर्याप्त वित्त पोषित संस्थाएं तथा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पोषित गैर-सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकार की परिभाषा में आते हैं, अधिकार में शामिल हैं। कार्य निरीक्षण, प्रलेख और रिकॉर्ड, नोट लेना, प्रलेखों या रिकार्ड का सार या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, लोक प्राधिकार या लोक प्राधिकार नियंत्रक द्वारा रोकी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। इसमें किसी खास समय में लागू कानून के तहत लोक प्राधिकार की पहुंच वाली निजी संस्था से संबंधित सूचना शामिल है। सूचना के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आप ही लोक प्राधिकार को प्रकाशित करना होता है।

जो भी सरकार के किसी कार्यालय से कोई सूचना चाहता है उसे कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को ए अनुरोध करना पड़ता है। अनुरोध में केवल सूचना और जिस पते पर सूचना मांगी गई है उसे दर्शाना होता है। अनुरोध डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। यह अनुरोध हिंदी या अंग्रेजी या फिर उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में किया जा सकता है और ई-मेल के जरिए भी भेजा जा सकता है। यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है या वह प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो वह 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीलीय अधिकारी के पास, जो जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है, अपील कर सकता है। अपील प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होता है। यदि अपीलीय अधिकारी के जवाब से भी आवेदक संतुष्ट नहीं होता तो वह 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अपील स्वीकार करता है जबकि राज्य सूचना आयोग संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उपक्रमों आदि से संबंधित अपील स्वीकार करता है।

केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग अधिनियम द्वारा सृजित उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इन आयोगों को चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर दंड लगाने का अधिकार है। कानून काफी विस्तृत है और शासन के लगभग सभी स्तरों को शामिल करता है। यह न केवल केंद्र/राज्य तथा स्थानीय सरकारों के लिए लागू है बल्कि सरकारी अनुदान पाने वालों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच व्यापक होती है और छूट न्यूनतम है। सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकार की कार्यप्रणाली में गोपनीयता की वर्तमान संस्कृति को खुलेपन और पारदर्शिता की संस्कृति में बदल दिया है।

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद-343 (1) के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में केंद्र की राजभाषा होगी। अनुच्छेद-343 (2) में शासकीय कार्य में अंग्रेजी के उपयोग को संविधान के लागू होने के बाद से वर्ष, अर्थात 25 जनवरी, 1965 तक जारी रखने का भी प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद-343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रख सकती है। तदनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3 (2) में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अलावा, अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाज के लिए 25 जनवरी, 1965 के बाद भी जारी रहेगी। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कुछ विशेष कार्यों, जैसे प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासकीय और अन्य रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, ठेकों अदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा।

राजभाषा के विषय में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग को स्थापित किया गया था। तब से, ये विभाग हिंदी के (व्यवसाय के विनियोजन) नियम, 1961, के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में तेजी लाने के प्रयास कर रहा है। इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उपकरण (मानकीकृत लिपि के साथ) को शामिल करने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो इत्यादि के आवश्यक मामले शामिल हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 जो कि 1967 में संशोधित हुआ, की धारा 8 (1) के अंतर्गत 1967 में राजभाषा नियम बनाए गए थे। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) ये नियम केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू हैं, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) एवं इसके नियंत्रण वाले निगम या कंपनियां भी शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु राज्य शामिल नहीं है।

(ii) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यथा उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली) या किसी व्यक्ति के बीच पत्र-व्यवहार की भाषा हिंदी होगी।

(iii) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के राज्यों (पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन और दीव या दादरा और नगर हवेली) को पत्र अदि हिंदी में भेजे जाएंगे किन्तु यदिहैक्री संवाद अंग्रेजी म तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(iv) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या किसी अन्य कार्यालय (केंद्रीय कार्यालय नहीं होने पर) या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र 'ग' क्षेत्र के लिए अंग्रेजी में भेजे जाएंगे।

(v) क्षेत्र 'ग' के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश या किसी कार्यालय (केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं हो) अथवा ऐसे राज्यों के किसी भी व्यक्ति को हिंदी अथवा अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं।

राजभाषा नीति

राजभाषा नीति की विशेषताएं हैं:

(i) केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी नियमावलियां, संहिताएं तथा प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में तैयार कराए जाएंगे। सभी प्रपत्र, पंजिकाओं (रजिस्टरों) के शीर्ष, नामपट्ट, सूचना पटल तथा स्टेशनरी की वस्तुएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी।

(ii) अधिनियम की धारा 3 (3) में उल्लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी हों।

(iii) केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि नियम-12 के अंतर्गत जारी नियमों और निर्देशों तथा धारा की व्यवस्थाओं का पूरा पालन हो रहा है तथा इस पर नजर रखने के लिए समुचित एवं कारगर जांच बिंदु बनाए जाएं।

वेबसाइट: www.rajbhasha.nic.in

वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा के संकल्प, 1968 का पालन करते हुए राजभाषा विभाग हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में पत्र-व्यवहार, हिंदी टंकक और आशुलिपिक की भर्ती, वेबसाइटों, हिंदी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें और निरीक्षण, पुस्तकालयों हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद आदि का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में केंद्र सरकार के कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी जाती हैं। इस तिमाही रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है और इसकी प्रतियां राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में भेजी जाती हैं।

समितियां

केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह नीति निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जो राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में दिशानिर्देश तय करती है। राजभाषा पर संसद समिति का गठन 1976 में किया गया। इसका गठन सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के लिए किया गया था।

पुरस्कार योजनाएं

केंद्र की राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु राजभाषा विभाग कीर्ति पुरस्कार प्रदान करता है। राजभाषा गौरव हिंदी पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा केंद्र सरकार के स्वायत्तशासी संस्थानों के कार्यरत/सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों हेतु नगद पुरस्कार, शील्ड तथा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र की राजभाषा नीति केंद्र की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को प्रत्येक वर्ष राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं।

अंतरराज्यीय परिषद्

संविधान के अनुच्छेद-263 में अंतरराज्यीय परिषद् की स्थापना का प्रावधान है। केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1990 में अंतरराज्यीय परिषद् का गठन किया गया था। अंतरराज्यीय परिषद् एक अनुशंसात्मक इकाई है और उसे ऐसे विषयों की जांच और चर्चा के लिए अधिकार दिए गए हैं जिनमें कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित जुड़ा हो। इस विषय के संबंध में बेहतर नीतिगत समन्वय और कार्रवाई के लिए यह राज्यों के उन समान हित के मुद्दों पर भी विचार करती है जिसे परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया गया हो।

माननीय प्रधानमंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (जहां विधानसभा हो) के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों (जहां विधानसभा न हो) के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट स्तर के छह मंत्री, जिन्हें इस परिषद् के अध्यक्ष ने नामांकित किया हो, इस परिषद् के सदस्य होते हैं।

वेबसाइट: www.interstatecouncil.nic.in

क्षेत्रीय परिषदें

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-3 के अनुसार पांच क्षेत्रीय परिषदों यथा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य

क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। इनके उद्देश्य हैं- राष्ट्रीय एकीकरण; तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषाई एवं पक्षपाती प्रवृत्तियों को रोकना; केंद्र और राज्यों में सहयोग तथा विचारों के आदान-प्रदान को सक्रिय बनाना तथा विकास योजनाओं के त्वरित तथा सफल कार्यान्वयन हेतु राज्यों में परस्पर सहयोग के वातावरण का निर्माण।

क्षेत्रीय परिषदों की रचना

क्षेत्रीय परिषद	सदस्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
मध्य क्षेत्रीय परिषद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु , कर्नाटक, केरल, तेलंगाना तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी

क्षेत्रीय परिषदों की संगठनात्मक संरचना

केंद्रीय गृहमंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में हर राज्य के दो अन्य मंत्री सदस्य होते हैं। सदस्य राज्य के मुख्य सचिव, वार्षिक रोटेशन के आधार पर क्षेत्रीय परिषद के सचिव होते हैं तथा एक अन्य विकास अधिकारी/विकास आयुक्त तथा योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति (प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए) एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार होता है।

राज्य

राज्यों में शासन व्यवस्था केंद्र से काफी मिलती-जुलती है।

कार्यपालिका

राज्यपाल

राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह-सहायता देती है- सिवाय उन मामलों के जहां संविधान के तहत उन्हें कुछ कार्य अपने विवेक से भी करना होता है। नगालैंड के मामले में संविधान के अनुच्छेद-371 क के अंतर्गत राज्यपाल को कानून-व्यवस्था के बारे में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। यद्यपि कानून-व्यवस्था संबंधित मामलों में उनके लिए मंत्रिपरिषद् से परामर्श करना जरूरी होता है, फिर भी वह कार्रवाई के बारे में अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।

इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के मामले में संविधान के अनुच्छेद 371 ज के अधीन कानून-व्यवस्था तथा इससे संबंधित कार्यों को निपटाने में राज्यपाल का विशेष दायित्व है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के परामर्श के कार्रवाई के संबंध में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। किन्तु ये सभी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या किसी अन्य आधार पर संतुष्ट हो जाएं कि कानून-व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपना अब आवश्यक नहीं है तो वह आदेश जारी कर ऐसे निर्देश दे सकते हैं।

इसी प्रकार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों पर लागू होने वाली छठी अनुसूची के पैरा 20 में किए गए उल्लेख के अनुसार, जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने के अधिकार दिए गए हैं। छठी अनुसूची में मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को दिसंबर 1998 से लागू लगभग सभी कार्यों (कर लगाने और जिला परिषदों द्वारा गैर-जनजातीय समुदाय के धन उधार देने वालों के मामलों को छोड़कर) में अपने विवेक इस्तेमाल करने के अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं। सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

सभी राज्यपालों को अपने ऐसे संवैधानिक कार्य करते समय, जैसे- मुख्यमंत्री की नियुक्ति अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की रिपोर्ट भेजते समय अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने से संबंधित मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है।

मंत्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

विधानमंडल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो सदन होते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के दो सदन हैं, जिन्हें विधान परिषद् और विधानसभा कहते हैं। शेष राज्यों में विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, जिसे विधानसभा कहा जाता है। किसी राज्य में वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहां वह नहीं है, वहां उसे बनाने के लिए यदि संबंधित विधानसभा प्रस्ताव पारित करे तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है।

विधान परिषद्

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी (जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 50 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विधान परिषद में 36 सदस्य हैं)। परिषद् के लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हों। एक-तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल करते ह कुल सदस्य संख्या के 12वें भाग के बराबर सदस्यों का निर्वाचन राज्य की माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से काम कर रहे अध्यापकों के निर्वाचक मंडल करते हैं। अन्य 12वें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं जिन्हें स्नातक की उपाधि लिए हुए कम-से-कम तीन वर्ष हो गए हों। शेष सदस्यों के नाम राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नामित किए जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। विधान परिषदें भंग नहीं होती हैं। उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

विधानसभा

किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा कम-से-कम 60 सदस्य होते हैं (संविधान के अनुच्छेद-371 'छ' के अनुसार, सिक्किम विधानसभा में 32 सदस्य हैं)। इनका निर्वाचन उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत किए गए स्थानों की संख्या के बीच अनुपात, जहां तक संभव हो, संपूर्ण राज्य में समान रहे। आमतौर पर विधानसभा का कार्यालय पांच वर्ष का होता है, लेकिन उसे अवधि से पहले भी भंग किया जा सकता है।

अधिकार और कार्य

राज्य विधानमंडलों को संविधान की सातवीं अनुसूची- ।। में वर्णित विषयों पर पूर्ण अधिकार तथा उनकी सूची- ।।। में दिए गए विषयों पर केंद्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण व्यय, आगे जाने वाले कर और ऋण प्राप्त करना शामिल है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल सिफारिश कर सकती है, परंतु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए विधानसभा स्वतंत्र है।

विधेयकों को रोके रखना

विधानमंडल कवर पारित किसी विधेयक को राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजने से रोक सकता है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, उच्च न्यायालयों की शक्ति और स्थिति पर प्रभाव वाले उपाय, अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी विकास परियोजनाओं में पानी और बिजली के संग्रह, वितरण और बिक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से संबंधित विधेयक अनिवार्यतः इस तरह से रोके रखे जाने चाहिए। राज्य विधानमंडल में अंतरराज्यीय व्यापार पर रोक लगाने का कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य विधानमंडल वित्त पर सामान्य नियंत्रण रखने के अतिरिक्त कार्यपालिका के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद-विवादों, स्थगन, अविश्वास प्रस्तावों तथा संकल्पों आदि सामान्य प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। उनकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा समितियां भी होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अनुदानों का उचित उपयोग किया जाए।

केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पुद्दुचेरी के प्रशासकों को उप-राज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है। दादरा और नगर हवेली का प्रशासक दमन और दीव का भी कार्य देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद् हैं। पुद्दुचेरी विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II और सूची- III में निहित, केंद्र शासित क्षेत्र संबद्ध कानून बना सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को भी संविधान की अनुसूची- ।। की प्रविष्टि 1, 2 और 18 को छोड़कर, जो विधानसभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत नहीं है, ये सभी शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति लेना भी अनिवार्य है। केंद्र शासित क्षेत्र पुद्दुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ और स्वीकृति देने के लिए रोक लिया जाता है।

स्थानीय प्रशासन

नगरपालिकाएं

भारत में स्थानीय निकायों का लम्बा इतिहास है। सर्वप्रथम पूर्व-प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर-निगम की स्थापना 1688 में की गई। उसके बाद 1726 में इसी तरह के नगर-निगम मुंबई और कोलकाता (तत्कालीन बम्बई और कलकत्ता) में स्थापित किए गए। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा की विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन संविधान में शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट रूप से संवैधानिक दायित्व नहीं दिया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में गावों में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर, नगरपालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रविष्टि में स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई हैं।

स्थानीय शहरी निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और निकायों को स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशाली लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मजबूत बनाने के कार्य में मदद करने के उद्देश्य से संसद ने 1992 में (नगरपालिका एक्ट) नगरपालिकाओं से संबंधित संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 पारित किया। यह अधिनियम, 1993 से अमल में लाया गया। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून, 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया। संविधान में नगरपालिकाओं के संबंध में एक नया खंड IX-क जोड़ दिया गया है, ताकि अन्य बातों के अलावा तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जा सके: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, निर्धारित अवधि की नगरपालिकाएं, राज्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति और महानगर तथा जिला योजना समितियों का गठन। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने निर्वाचन आयोगों और वित्त आयोगों का गठन कर लिया है।

पंचायतें

संविधान के अनुच्छेद-40 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि वे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया खंड (IX)जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न व्यवस्था भी की गई है- गांव अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा; ग्राम और अन्य स्तरों या स्तर पर पंचायतों का गठन; ग्राम और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए और इन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों को सीधा चुनाव; ऐसे स्तरों पर पंचायत सदस्यों और पंचायत-अध्यक्षों के पदों के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण; महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण; पंचायत के लिए पांच साल के कार्यकाल का निर्धारण करना और किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में छह महीने के भीतर उसका चुनाव कराना।

निर्वाचन आयोग

भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान ने संसद और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव समस्त प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार आयोग में निहित किया है।

निर्वाचन आयोग, आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। यह मतदाता सूचियां तैयार करता है और उनका रखरखाव करता है तथा समय-समय पर उन्हें अद्यतन करता है। उम्मीदवारों के नामांकन का पर्यवेक्षण, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवारों के धन एवं खर्च सहित चुनाव प्रचार की निगरानी करता है। यह चुनाव की प्रक्रिया में मीडिया द्वारा कवरेज में सहायता करता है, मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने के उपाय करता है, मतदान केंद्रों और बूथों की व्यवस्था करता है और मतगणना तथा नतीजों की घोषणा की निगरानी करता है। यह ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों) के जरिए मतदान कराता है और हाल में ही प्रायोगिक आधार पर वीवीपीएटी (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की शुरुआत की गई है। निर्वाचन मतदान के समय फोटो पहचान-पत्रों (ईपीआईसी) फोटो पर्चियों के वितरण के माध्यम से अनिवार्य पहचान का भी प्रावधान किया है।

चुनाव, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सहायता से कराए जाते हैं। प्रमुख कानून राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952; जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 हैं। सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 में निर्धारित मानदंड के आधार पर आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। यह दलों के बंटवारे/विलय से संबद्ध विवादों का भी फैसला करता है।

राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण, आयोग का समग्र नियंत्रण राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के हाथ में होता है, जिसकी नियुक्ति आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों के बीच में से चयन के आधार पर की जाती है। भारत में जिला और उपमंडलीय स्तरों पर क्षेत्रीय प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (उपायुक्त/कलक्टर), सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, राजस्व मंडलीय अधिकारी, तहसीलदार आदि द्वारा संचालित किया जाता है। निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के इन अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी आदि की नियुक्ति कर चुनाव कार्य में इनका उपयोग करता है। चुनाव के समय वे निर्वाचन आयोग को कमोबेश पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध होते हैं।

पिछले कई वर्षों के दौरान, आयोग ने लोकसभा के 17 आम चुनाव और राज्य विधानमंडलों के 400 से अधिक चुनाव संपन्न कराते हुए, शांतिपूर्ण, व्यवस्थित एवं लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किया है।

निर्वाचन आयोग ने शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और निर्वाचक लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन का अत्याधुनिक संसाधन केंद्र-भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) शुरू किया है। वर्तमान में यह संस्थान नई दिल्ली से काम कर रहा है। संस्थान निर्वाचन आयोग के क्षेत्र अधिकारियों और विदेशी भागीदारों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है। आयोग अन्य देशों के निर्वाचन प्रबंध निकायों के साथ विशेषज्ञता एवं अनुभव की भागीदारी बढ़ा रहा है और द्विपक्षीय अनुरोधों एवं बहु-पक्षीय प्रबंधों के आधार पर निर्वाचन सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने यूएनडीपी, अंतरराष्ट्रीय आईडीईए और आईएफईएस के साथ सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के अलावा 16 देशों के साथ सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वेबसाइट: www.eci.gov.in

---

[1] मंत्रालय/विभागों की सूची समय-समय पर संशोधित कामकाज आवंटन नियम, 1961 में दी गई सूचना पर आधारित है और कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : http://cabsec.nic.in पर उपलब्ध है।

4 | कृषि

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है और देश के सकल मूल्य संवर्धन (वर्तमान मूल्य पर) 2016-17 में इसकी हिस्सेदारी 17.4 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से बढ़ी हुई जल क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीफ 2016 के साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की भी शुरुआत की गई है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित तीन विभागों में से एक है। अन्य दो विभाग हैं- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग और कृष अनुसंधान और शिक्षा विभाग। वेबसाइट: www.agriculture.gov.in, www.agricoop.nic.in, www.dare.nic.in, www.dahd.nic.in

उत्पादन

2017 में मानसून की सामान्य वर्षा और सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों से वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन संभव हो सका। वर्ष 2017-18 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानतः 284.83 मिलियन टन है जो 2016-17 के उत्पाद से अधिक है। 2017-18 के दौरान हुआ खाद्यान्न उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17) के औसत उत्पादन से 24.66 मिलियन टन अधिक है।

किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति

भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति के कई प्रावधानों को विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए लागू किया जा रहा है, जिनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। नीति के अन्य प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया और संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

मुख्य कार्यक्रम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का अनुमोदन 50,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि हेतु किया गया है। पीएमकेएसवाई के मुख्य उद्देश्य हैं- ज़मीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी का अपव्यय कम करने हेतु और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग, सुनिश्चित सिंचाई और पानी बचाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि (प्रति बूंद अधिक फसल), भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना आदि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2016 में पीएमकेएसवाई को एक मिशन के रूप में लागू करने का

फ़ैसला किया। इस मिशन का संचालन वर्तमान जलशक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं गंगा संरक्षण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति बूंद अधिक फसल' घटक के साथ करता है।

कृषि क्रेडिट

प्रत्येक वर्ष बजट में सरकार कृषि ऋण हेतु वार्षिक लक्ष्य की घोषणा करती है। कृषि ऋण प्रवाह में प्रत्येक वर्ष निरंतर प्रगति हुई है। वर्ष 2016-17 में 900,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित था और 10,65,756 करोड़ रुपये किसानों को कृषि ऋण के रूप में दिया गया था। वर्ष 2017-18 में 10,00,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित था। विभाग, आर्थिक सहायता के वायदे वाली योजना के तहत ब्याज पर ऋण देता है। इसके तहत किसानों को सात प्रतिशत सालाना ब्याज पर तीन लाख रुपये तक का कर्ज एक साल के लिए देता है। यदि इस ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो ब्याज की दर चार प्रतिशत सालाना कर दी जाती है।

फसल बीमा

प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशकों, बीमारियों और मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और नारियल, खजूर बीमा योजना आती हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम लागू होने के बाद वर्ष 2013-14 की रबी फसल से बंद कर दी गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2015-16 तक कर दी गई है। एक नई योजना- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में खरीफ फसल से लागू की गई है। इसके साथ-साथ पुनर्गठित प्रायोगिक एकीकृत पैकेज बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी लागू की गई हैं।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

एक समन्वित एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर परामर्श देना है। इनमें सात खाद्यान्न (धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ), पांच दलहनी उपजें (चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर), सात तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तोरिया सरसों, कुसुम, नाइजरसीड और तिल), कोपरा (सूखा नारियल), कपास, कच्ची पटसन और गन्ना शामिल हैं। आयोग प्रतिवर्ष पांच अलग-अलग वर्गों- खरीफ फसलों, रबी फसलों, गन्ना, कच्ची पटसन और कपास के लिए मूल्य नीति रिपोर्ट्स के रूप में अपनी अनुशंसाएं सरकार को देता है।

एमएसपी के निर्धारक

अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों में उत्पादन लागत (सीओपी) एमएसपी के निर्धारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक है। मूल्य के अतिरिक्त, आयोग मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों की प्रवृत्ति, अंतरफसल मूल्यों में समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और उस वस्तु के एमएसपी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव और भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित इस्तेमाल का भी ध्यान रखता है। अतः मूल्य नीति 'लागत जोड़' पर आधारित नहीं है, हालांकि लागत एमएसपी का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी निकाय है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई, 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बागबानी, मत्स्य पालन तथा पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सर्वोच्च निकाय है। इसके देशभर में 101 आईसीएआर संस्थान तथा 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि व्यवस्थाओं में से एक है। अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास के जरिये भारत में हरित क्रांति लाने और कृषि में सतत् विकास करने में इसकी अग्रणी भूमिका है जिसके कारण देश में

1951 से 2017 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 5.4 गुणा, बागबानी फसलें 10.1 गुणा, मत्स्य उत्पादन 15.2 गुणा, दुग्ध उत्पादन 9.7 गुणा तथा अंडा उत्पादन 48.1 गुणा बढ़ा है। राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। कृषि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ाने में परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
वेबसाइट: www.icar.org.in

मिट्टी और जल उत्पादकता

देश के प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों, उप-प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्रों, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (1992), कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (2015) और उप-कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी) ने एनबीएसएस भूमि जीओ पोर्टल विकसित किया है। इससे मिट्टी, ज़मीन के प्राकृतिक रूपों, वर्षा, तापमान, फसल वृद्धि अवधि और सिंचाई की स्थिति पर आधारित क्षेत्र/क्षेत्र विशेष की दृष्टि से अनुकूल, लाभकारी फसलों और फसल क्रम की जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने जीआईएस प्लेटफॉर्म पर एन्ड्रॉएड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है ताकि भूमि उपयोग नियोजन और गुजरात के लिए गांव और खेत स्तर पर, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए वेब आधारित सहायता प्रणाली स्थापित करने में मदद मिल सके। इस एप पर मिट्टी मानचित्र इकाई की जानकारी और उस सर्वेक्षण संख्या के लिए भूमि उपयोग योजना संबंधी सुझाव दिए जाएंगे।

जेनेटिक स्रोत

अनेक प्रमुख अन्वेषण किए गए और 1,532 जर्मप्लाज्म का संग्रह किया गया जिनमें 1,095 उगाए गए और 437 जंगली पौधे थे। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में दो-दो अन्वेषण तथा अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, नगालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड में एक-एक अन्वेषण किया गया। मध्य अंडमान द्वीप से एकत्र किए गए मोमोरडिका कोचिनचिनेनसिस को नई उप-किस्म मोमोरडिका कोचिनचिनेनसिस सबस्पीशिज़ अंडमानिका के रूप में परिभाषित किया गया। बाद में इन्हें डीएनए बारकोडिंग के जरिए प्रमाणित किया गया।

फसल सुधार

मख्य रूप से नई किस्मों/अधिक उत्पादकता वाली विभिन्न जैविक तथा अजैविक महत्व की संकर सहनशील किस्मों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। विकसित की गई 209 किस्मों में से 117 अधिक उत्पादन देने वाली अनाज की संकर किस्में थीं। अनाज की इन फसलों में 65 चावल की, 14 गेहूं, 24 मक्का की, पांच रागी की, त बाजरा की और एक-एक ज्वार, जौ, कंगनी, कोदो, बाजरा, छोटा बाजरा तथा प्रोसो बाजरा की थी। इन्हें देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उगाने के लिए जारी किया गया। अधिक उत्पादन देने वाली तिलहन की 28, दालों की 32, वाणिज्यिक फसलों (कपास, गन्ना और जूट) की 24 और चारे की आठ फसलें जारी की गईं।

पशुधन

गीर, कांकरेज और साहिवाल पशुओं के आनुवांशिक सुधार के लिए चयन परियोजना के जरिए स्वदेशी पशओं की नस्ल में सधार पर विचार किया गया। भैंस सुधार परियोजना नेटवर्क के तहत नीली-रावि भदावरी तथा स्वैम्प प्रजनन केंद्र, संरक्षण और सुधार इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। जाफराबादी, पंधारपुरी तथा सुरती प्रजनन केंद्र, फील्ड वंश जांच और बैल उत्पत्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट गोवृंद के रखरखाव तथा 567 के प्रजनन योग्य खेड़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बकरी सुधार के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 13 जनजातीय गांवों में चलाई जा रही है। इससे जनजातियों की आजीविका सुरक्षा बेहतर हुई है, क्योंकि बकरी जनजातियों और पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के गरीबों की आय का प्रमुख स्रोत है। मुर्गीपालन के बारे में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत सभी 12 केंद्र, स्थान विशेष ग्रामीण कुक्कुट नस्लों के विकास पर काम कर रहे हैं।

फसल प्रबंधन

मक्का-गेहूं और चावल-गेहूं प्रणाली में दीर्घावधि खेती के प्रयोगों से संकेत मिले हैं कि चावल और मक्का की खेती गेहूं के

खेत में करने से गेहूं की फसल प्रभावित नहीं होती। गर्मियों में छिड़काव सिंचाई से संबंधित आधुनिक तकनीकों के जरिए जल के उपयोग से हरे चने की उत्पादकता बढ़ने से आईपीएम 205-7 की तुलना में सम्राट किस्म में अधिक स्थिरता का संकेत मिला है। छिड़काव (स्प्रिंकल) सिंचाई से पानी कम (26.3 प्रतिशत) इस्तेमाल हुआ, जल उत्पादकता अधिक (43.2 प्रतिशत) रही और बाढ़ सिंचाई के मुकाबले प्रतिफल (28.4 प्रतिशत) बेहतर रहा।

पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन

सभ्यता की शुरुआत से ही कषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं। इन कार्यों ने न केवल भोजन की जरूरतों को पूरा किया है और पशुधन का विकास किया है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का भी काम किया है। जलवायु और स्थलाकृति अनुकूल होने के कारण पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन गतिविधियों में पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की भी महती भूमिका रही है। इनके कारण ग्रामीण भूमिहीन, छोटे और हाशिये पर रहने वाले किसानों, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई और साथ ही लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध हुआ है।

पशुधन उत्पाद और कृषि का आपस में गहरा संबंध है, दोनों क्षेत्र एक-दूसरे पर आश्रित हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा से भी जुड़े हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र कृषि जगत का महत्वपूर्ण उपक्षेत्र भी है। यह अधिकांश किसानों के जीविकोपार्जन से जुड़ा है और कृषि को कई स्तरों पर मदद देता है, घर-परिवारों के स्वास्थ्य और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आय में वृद्धि, रोज़गार के अवसर और अंततः जरूरत के समय 'मवेशी बैंक' के तौर पर भी काम आता है। यह पूरक उपक्रम की भी भूमिका निभाता है।

भारत के पास पशुधन और मुर्गीपालन की विशाल संपदा है जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका रहती है। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में करीब 300 मिलियन गाय, 65.07 मिलियन भेड़ें, 135.2 मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन शूकर हैं।

पशुधन उत्पाद

पशुधन उत्पाद और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हैं, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों बेहद जरूरी हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार 2015-16 के दौरान पशुधन क्षेत्र की मौजूदा उत्पाद दर 5.91,691 करोड़ रुपये रही जोकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पाद की 28.5 प्रतिशत है। सतत मूल्य के अनुसार पशुधन उत्पाद की कीमत कृषि और संबंधित क्षेत्रों का लगभग 29 प्रतिशत होती है। भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। पशुधन की उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के लिए कई नए कदम भी उठाए गए हैं।

दुग्ध उत्पादन

2016-17 और 2017-18 में दूध का उत्पादन क्रमश: 165.4 मिलियन टन और 176.3 मिलियन टन हुआ। इस दौरान दूध के उत्पादन में सालाना 6.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 375 ग्राम प्रतिदिन थी।

अंडा उत्पादन

पिछले चार दशकों में देश में पॉल्ट्री उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका मूल कारण अत्याधुनिक तकनीकी आविष्कारों के आधार पर इस क्षेत्र का गैर-वैज्ञानिक से कमर्शियल उत्पाद तंत्र की श्रेणी में जा पहुंचना रहा है। दसवीं योजना (2006-07) के दौरान क्षेत्र के उत्पादन का आंकड़ा 50.70 बिलियन था जबकि ग्यारहवीं योजना (2011-12) के दौरान यह 66.45 बिलियन रहा। मौजूदा समय में (19वीं पशुधन गणना) पॉल्ट्री उत्पाद 729.21 मिलियन है और 2016-17 के दौरान अंडा उत्पादन लगभग 88.14 बिलियन रहा। 2017-18 के दौरान सालाना प्रतिव्यक्ति अंडा उपलब्धता का आंकड़ा 74 रहा।

ऊन उत्पादन

ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत में ऊन उत्पादन में आंशिक गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान उत्पादन का आंकड़ा 44.7 मिलियन किलोग्राम रहा था जोकि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत में 45.1 मिलियन किलोग्राम था। बारहवीं योजना (2012-13) की शुरुआत में ऊन उत्पादन 46.05 मिलियन किलोग्राम रहा और 2014-15 के दौरान यह बढ़कर 48.1 मिलियन किलोग्राम पहुंच गया था। 2016-17 के दौरान ऊन उत्पादन गिरकर 43.5 मिलियन किलोग्राम हो गया। 2017-18 के दौरान उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दिखायी देती है।

मांस उत्पादन

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत में मांस उत्पादन 2.3 मिलियन टन था जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत में यह बढ़कर 5.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। बारहवीं योजना (2012-13) के दौरान मांस उत्पादन 5.95 मिलियन टन था जोकि 2017-18 के दौरान बढ़कर 7.7 मिलियन टन तक जा पहुंचा था।

मत्स्य पालन उत्पाद

आंतरिक जल स्रोतों के अलावा लगभग 8,118 किमी लंबी तटीय रेखा के चलते देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। 2017-18 वित्त वर्ष के दौरान, भारत ने 13,77,244 टन मछली तथा मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया जिसका मल्य 45.106.89 करोड रुपये था।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

डेयरी और पॉल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पर, पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए , 2014-15 में बारहवीं योजना के अंतर्गत, 2,800 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन की स्थापना पशुधन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य हेतु की गई थी, जिसके अंतर्गत पशुओं के लिए उत्तम चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के प्रवाह में सुधार और पशुपालकों आदि को संगठित करना है। इसके चार उप-लक्ष्य हैं- 1. पशुधन पालन विकास; 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में शूकर पालन विकास; 3. उत्तम चारे की उपलब्धता; और 4. कौशल विकास, तकनीक हस्तांतरण और प्रसार।

पशुधन स्वास्थ्य

संकरण कार्यक्रमों की मदद से मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ, मवेशियों में विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ गया है। इनमें से कुछ रोग विदेशी पशुओं से भी फैलते हैं। रुग्णता और मृत्युदर को कम करने की दिशा में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें पॉलीक्लीनिकों, पशु अस्पतालों, चिकित्सालयों और प्राथमिक उपचार केंद्रों के अलावा सचल पशु चिकित्सालयों की मदद से बेहतर उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

राज्यों में मौजूदा जांच प्रयोगशालाओं के अलावा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है जो पूरी तरह काम कर रही हैं। रोगनिरोधी टीकाकरण की मदद से मवेशियों और पॉल्ट्री के रोगों को रोकने के लिए आवश्यक टीके देशभर में 27 पशु चिकित्सालय टीका-उत्पादन इकाइयों में बनाए जा रहे हैं। इनमें से 20 निजी क्षेत्र के संस्थान हैं। एक ओर जहां देश में मवेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है, वहीं बाहरी रोगों की रोकथाम के भी उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए पशुओं के लिए जरूरी दवाओं और फॉर्मूलों की गुणवत्ता को बनाए रखने पर भी कार्य जारी है। वर्तमान में भारतीय औषध महानियंत्रक, विभाग के परामर्श से पशुओं की दवाओं और जैविकों की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।

पशुधन गणना

देश में पशुओं की गणना पहली बार 1919-1920 में हुई थी और उसके बाद से प्रत्येक पांच वर्षों में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह गणना की जाती है। विभिन्न मवेशियों और पॉल्ट्री पक्षियों से जुड़ी वृहद जानकारी एकत्र करने का यह एकमात्र स्रोत है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के साथ 2019 में देश में 20वीं पशुपालन गणना कराई गई थी। इससे पता चलता है कि देश में पशुधन की संख्या 2012 के 512.06 मिलियन से 4.6 प्रतिशत बढ़कर 536 मिलियन हो गई है।

भारतीय मत्स्य पालन

मौजूदा समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पाद के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पाद प्राप्त करने में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल मछली उत्पादन (तात्कालिक) 12.61 मिलियन मीट्रिक टन था। इसमें से 8.92 मिलियन मीट्रिक टन अंतर्देशीय क्षेत्र से और 3.69 मिलियन मीट्रिक टन समुद्र से था।

मत्स्य पालन उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें कई स्रोत और संभावनाएं हैं। प्राथमिक तौर पर इससे 14.50 मिलियन लोग जुड़े हैं और आपूर्ति शृंखला में कई अन्य लोग भी इस उद्योग से जुड़े हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र के पारंपरिक रूप से व्यावसायिक रूपांतरण से मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है।

भारत में मछली पालन का इतिहास बताता है कि यहां समुद्री मछली पालन के स्थान पर अंतर्देशीय मछली पालन का योगदान बढ़ा है। पिछले ढाई दशक के दौरान मछली पकड़ने के बजाय मछली पालन का व्यवसाय बढ़ा है। 1980 के दशक में मध्य में आंतरिक मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान 34 प्रतिशत था, जो हाल के वर्षों में बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गया है। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप यह मछली उत्पादन का एक प्रमुख जरिया बन गया है। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता और तकनीक, अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रसार संबंधी सहायता के लिए मत्स्य कृषि विकास एजेंसियां गठित की गई हैं।

वर्षों तक देश में मेरिकल्चर (सागरीय कृषि) अधिकतर खाने योग्य सीप, मोती-सीप और कुछ हद तक समुद्री शैवालों जैसे सीपी तक सीमित रही है। पिछले दशक के दौरान समुद्री कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर देने से अग्रणी और पिछड़े संयोजनों के साथ विकास योजनाएं बनाई गई हैं ताकि इन गतिविधियों से देश में समुद्री आहार के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके।

5 संस्कृति और पर्यटन

संस्कृति मंत्रालय को देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण तथा मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की कलाओं एवं संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है। मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, छह अधीनस्थ कार्यालय और 35 स्वायत्त संगठन हैं जो पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। देश के विभिन्न अंचलों की लोक और पारंपरिक कलाओं से संबंधित कार्यों के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्रालय के चार मिशन भी हैं जिनके नाम हैं : राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और गांधी धरोहर स्थल मिशन। मोटे तौर पर मंत्रालय हर प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य कर रहा है जिनमें मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की विरासत शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रालय पर गांधीजी की विरासत के संरक्षण और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने और महापुरुषों की जन्म शताब्दी के आयोजन का भी दायित्व है। मूर्त धरोहर के अंतर्गत मंत्रालय केंद्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की देख-रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से करता है। इसी तरह मंत्रालय देश में संग्रहालय आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है और अधिकतर संग्रहालय उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। मंत्रालय अनुदान सहायता देकर क्षेत्रीय संग्रहालयों को भी बढ़ावा देता है।

अमूर्त कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय दृश्य कलाओं, निष्पादन कलाओं और साहित्यिक कलाओं में संलग्न व्यक्तियों, समूहों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसी तरह मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की पहचान कर साहित्य अकादमी और संगीत-नाटक अकादमी जैसी अपनी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें पुरस्कार प्रदान करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश की पारंपरिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए समसामयिक प्रासंगिकता वाले जीवंत रंगमंच आंदोलन को बढ़ावा देने में लगा है।

जहां तक ज्ञान की धरोहर का सवाल है मंत्रालय देश के सभी प्रमुख पुस्तकालयों का संरक्षक है। यह पुस्तकालयों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है और पुस्तकालयों के विकास के बारे में सभी नीतिगत मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। संस्कृति मंत्रालय बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य में भी लगा है और इसके लिए सारनाथ, वाराणसी और लेह आदि स्थानों में स्थित विभिन्न संस्थाओं की मदद ली जाती है। भारतीय और एशियाई कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए मंत्रालय का सुनियोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी (भारतीय पुरातत्व विज्ञान संस्थान), स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज (अभिलेखीय अध्ययन संस्थान), राष्ट्रीय इतिहास और कला संस्थान तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान जैसी संस्थाएं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रमुख संगठनों में शामिल हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम मंत्रालय के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कुछ उदाहरण हैं। मंत्रालय संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न यूनेस्को कन्वेंशन्स के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। भारत के 107 देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते हैं और उसने 69 देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों से संबंधित समझौते किए हैं।
वेबसाइट: www.indiaculture.nic.in

उपलब्धियां

मुंबई की इमारत को विश्व धरोहर का दर्जा

यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 'मुंबई स्थित विक्टोरियन तथा आर्ट डेको इनसेम्बल्स' को दर्ज किया जाना भारत की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अहमदाबाद के बाद मुंबई देश का दूसरा शहर है, जिसे इस सूची में स्थान मिला है। भारत में अब 37 विश्व धरोहर हैं जिसमें 29 सांस्कृतिक, सात प्राकृतिक तथा एक मिश्रित प्रकृति का है।

अंतरराष्ट्रीय कला मेला

अभी तक का पहला अंतरराष्ट्रीय कला मेला फरवरी, 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अनेकता में एकता की भावना तथा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के महत्व को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। इसमें 300 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल लगे जिसमें दुनिया भर के 800 सहभागी शामिल हुए।

सेवा भोज योजना

संस्कृति मंत्रालय ने 2018 में एक नई योजना 'सेवा भोज योजना' की शुरुआत की। केंद्रीय वस्तु तथा सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर में केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति करने हेतु इस योजना की परिकल्पना की गई, ताकि उन धार्मिक/धर्मार्थ संस्थाओं का वित्तीय बोझ कम किया जा सके, जो बिना किसी भेदभाव के लोगों/भक्तों को भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारा उपलब्ध कराते हैं।

गुरु नानक की *550*वीं जयंती का उत्सव

भारत सरकार ने गुरु नानक की 550वीं जयंती राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। वर्षभर चलने वाले समारोहों में कई धार्मिक गतिविधियां जैसे कथा, कीर्तन, प्रभात फेरी, लंगर तथा शैक्षणिक गतिविधियां जैसे सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान आदि का आयोजन शामिल है, जिनका समापन 2019 में हुआ। इसमें सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर केंद्र सरकार की बौद्धिक सहयोगी है।

कबीर महोत्सव

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में जून, 2018 में 15वीं शताब्दी के कवि-संत कबीर की 500वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। देशभर के कलाकारों और शिल्पकारों ने इसमें भाग लिया और आध्यात्मिक परिवेश में लोक संगीत और नृत्य जिसमें संगीतमय और रंगमंच कार्यक्रम सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समागम में समाज के सभी वर्गों को एकसूत्र में पिरोने वाले संत कबीर के साहित्य व संदेश के माहात्मय को दर्शाया गया।

ललित कला अकादमी

ललित कला अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट) की स्थापना 1954 में की गई। यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है। अकादमी एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कला के वैश्विक प्रभावों के बारे में दुनिया को पता चलने से बहुत पहले से ही कला के क्षेत्र के राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण और प्रलेखन किया है जो भारत की आधुनिक और समसामयिक कला की जीवंतता, जटिलता और इसके उभरते स्वरूपों को प्रतिबिंबित करता है। अकादमी पूरे साल कई ऐसी कई प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो महत्व की दृष्टि से बेजोड़ होते हैं। अकादमी का अपना पुस्तकालय, कला संग्रह, अभिलेखागार और परिरक्षण प्रयोगशाला है और यह देशभर में उत्तम बौद्धिक उत्कृष्टता वाले विद्वानों तथा प्रकाशनों को मदद देती है।

अकादमी के मिशन का मुख्य विषय है आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सकें। इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतरराष्ट्रीय त्रिनाले- इंडिया (त्रैवार्षिकी भारत) जैसे आयोजन करती है।

अकादमी अपने कार्यक्रमों और नीतिगत साझेदारियों के माध्यम से भारतीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित करती है। कला के विकास के प्रति अकादमी की वचनबद्धता नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय और भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, गढ़ी (नई दिल्ली) स्थित केंद्रों तथा शिमला और पटना

स्थित उप-केंद्रों में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शानदार कार्यक्रमों से प्रदर्शित होती है। कला को बढ़ावा देने की अकादमी की एक अन्य प्रमुख गतिविधि विभिन्न विधाओं जैसे मूर्तिशिल्प, ग्राफिक कला, सेरेमिक्स कला और चित्रकला के कलाकारों को काम करने के लिए स्टूडियो प्रदान करना है। दिल्ली में अकादमी गढ़ी में कलाकार स्टूडियो का संचालन करती है जिसमें 200 कलाकार नियमित रूप से कार्य करते हैं।
वेबसाइट: www.lalitkala.gov.in

संगीत नाटक अकादमी

संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जिसकी आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है। कलाएं क्षणिक और नश्वर होती हैं इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें आम आदमी को कलाओं को सीखने, अभ्यास करने और इसका प्रचार-प्रसार करने का मौका मिले। 1945 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यास बनाकर उसके तहत तीन अकादमियों- नृत्य, नाटक और संगीत की अकादमी, साहित्य अकादमी और कला एवं स्थापत्य की अकादमी के गठन की बात कही गई थी। इसी के अनुसार स्वतंत्रता के बाद तीन अकादमियां गठित की गईं जिनमें से संगीत नाटक अकादमी अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी जिसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव से हुई। 1961 में सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठन किया और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1957 में यथा संशोधित) के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराया।

अकादमी भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य साधना करने वालों की मदद के लिए एकीकृत ढांचे का निर्माण के लिए कार्य करती है जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण समेत देश के सभी भागों की पारंपरिक और आधुनिक कलाएं शामिल हों। अकादमी द्वारा प्रस्तुत और प्रोत्साहित संगीत, नृत्य और नाटकों के कार्यक्रम देशभर में प्रस्तुत किए जाते हैं। निष्पादन कलाओं की महान हस्तियों को अकादमी में अध्येता के रूप में चुना गया है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा हर साल जाने-माने कलाकारों और विद्वानों को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। दूर-दराज इलाकों समेत देशभर में संगीत, नृत्य और नाट्य विधा की शिक्षा देने वाली हजारों संस्थाओं ने अपने कार्य के लिए अकादमी से सहायता प्राप्त की है। इसी तरह विभिन्न विधाओं के अनुसंधानकर्ताओं, लेखकों और प्रकाशकों को भी संबंधित क्षेत्रों में सहायता दी गई है।

अकादमी के पास श्रव्य और दृश्य टेप, 16 मिमी फिल्मों, फोटोग्राफ और ट्रांसपेरेंसीज का विशाल अभिलेखागार है और यह निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए देश में सूचनाओं और सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत है। मंत्रालय का अपना संदर्भ पुस्तकालय है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें ह
अकादमी की प्रकाशन इकाई प्रासंगिक विषयों में छोटे पैमाने पर साहित्य का प्रकाशन करती है।

अकादमी निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं और परियोजनाएं स्थापित करती है और उनकी देख-रेख करती है। इंफाल स्थित जवाहर लाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी (जेएनएमडीए) की स्थापना 1954 में हुई थी। यह मणिपुरी नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण देने वाली प्रमुख संस्था है। 1959 में अकादमी ने दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और एशियाई रंगमंच संस्थान की स्थापना की। 1964 में दिल्ली में ही कथक केंद्र स्थापित किया गया। अकादमी की राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं में केरल का कुटियट्टम रंगमंच भी शामिल है जिसकी स्थापना 1991 में की गई। 2001 में यूनेस्को ने कुटियट्टम को मानवता की अमूर्त और मौखिक धरोहर की उत्कृष्टतम कृतियों में से एक बताया था। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के छऊ नृत्य की परियोजना 1994 में प्रारंभ हुई। असम के सत्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच तथा इन से संबंधित कलाओं को परियोजना सहायता 2002 में शुरू हुई।

निष्पादन कलाओं में विशेषज्ञता वाली संस्था होने के नाते अकादमी भारत सरकार को निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने और उन पर अमल के बारे में परामर्श और सहायता प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा भी देती है। अकादमी विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए विदेशों में प्रदर्शनियों और महोत्सवों का आयोजन भी करती है।
वेबसाइट: www.sangeetnatak.gov.in

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) दुनिया का अग्रणी रंगमंच संस्थान है और भारत में अपनी तरह का पहला है। 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्थान बना दिया गया जिसका वित्त पोषण पूरी तरह संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को रंगमंच के इतिहास, नाटकों के निर्माण, दृश्य आकल्पन, परिधान आकल्पन, प्रकाश, रूप सज्जा जैसे रंगमंच के विभिन्न पक्षों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देना है। विद्यालय का पाठ्यक्रम तीन साल का है और इसके लिए दो चरण वाली चयन प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थियों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा को भारतीय विश्व विद्यालय संघ से एम.ए. की डिग्री के समतुल्य मान्यता प्राप्त है और इसे हासिल करके कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में नौकरी प्राप्त की जा सकती है और पीएच.डी. डिग्री के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। विद्यालय के प्रस्तुति स्कंध में पेशेवर रंगमंच के लिए नाट्य मंडली और प्रायोगिक रंगमंच के लिए संस्कार रंग टोली (थियेटर इन एजुकेशन) है, बाल रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए संस्कार रंग टोली का गठन 1989 में किया गया था और यह बच्चों के लिए नाटकों के निर्माण, दिल्ली के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन रंगमंच कार्यशालाओं के आयोजन और शनिवारीय क्लबों के माध्यम से बाल रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। 1998 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हर साल 'जश्न-ए-बचपन' नाम का राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह आयोजित कर रहा है। इस तरह का पहला समारोह भारत की स्वतंत्रता की 50वीं जयंती के सिलसिले में 18 मार्च से 14 अप्रैल, 1999 तक आयोजित किया गया। तब से लगातार इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

1978 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए 'विस्तार कार्यक्रम' नाम का अल्पावधि कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत विद्यालय स्थानीय रंगमंडलियों/कलाकारों के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन करता है और ये कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में ही आयोजित किए जाते हैं। कार्यशालाओं को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है : प्रस्तुति मूलक कार्यशालाएं, प्रस्तुति मूलक बच्चों की कार्यशालाएं और रंगमंच के बारे में शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। बंगलुरु में विद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जो दक्षिण के चार राज्यों और पुदुचेरी की रंगमंच संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच के बारे में पाठ्यपुस्तकों का भी प्रकाशन करता है और इस विषय में महत्वपूर्ण पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी उपलब्ध कराता है।
वेबसाइट: www.nsd.gov.in

साहित्य अकादमी

साहित्य अकादमी भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय अकादमी है। यह इ मान्यता प्राप्त भाषाओं में कार्यक्रमों का आयोजन करती है, इन भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान करती है और इनमें पूरे साल पुस्तकों का प्रकाशन करती है। पिछले छह दशकों से भी अधिक अवधि में अकादमी ने 24 भाषाओं में 7,000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। अकादमी कथा साहित्य, कविता, ड्रामा और आलोचना की मौलिक पुस्तकों के साथ-साथ उनके अनुवाद भी प्रकाशित करती है और क्लासिकल, मध्यकालीन, प्राक्-आधुनिक और समसामयिक साहित्य इसके दायरे में आता है। साहित्य अकादमी तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है: इंडियन लिटरेचर (अंग्रेजी द्वैमासिक), समकालीन भारतीय साहित्य (हिंदी द्वैमासिक) और संस्कृत प्रतिभा (संस्कृत त्रैमासिक)। अकादमी श्रेष्ठ बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करती है। अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और कोलकाता, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई में इसके कार्यालय हैं।

साहित्य अकादमी के पुरस्कार भारत में अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माने जाते हैं जो अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाली सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों को प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अलावा साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने और समृद्ध करने वाले लेखकों/विद्वानों/संपादकों/संग्रहकर्ताओं/निष्पादकों/अनुवादकों तथा देश के क्लासिक व मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान के जरिए विलक्षण योगदान करने वालों को भाषा सम्मान के रूप में एक लाख रुपये और प्रशस्ति-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है। अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए दिए जाने वाले अनुवाद

पुरस्कार के तहत 50 हजार रुपये की राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। अकादमी के दो अन्य पुरस्कार हैं- बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार जिनके अंतर्गत विजेताओं को 50 हजार रुपये और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में बाल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखकों को दिया जाता है जबकि युवा भारतीय लेखकों को बढ़ावा देने के लिए अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान करती है।

अकादमी भारतीय लेखन को महत्व प्रदान करने के लिए हर साल साहित्योत्सव का आयोजन करती है। दिल्ली स्थित जनजातीय और मौखिक साहित्य केंद्र और इंफाल में पूर्वोत्तर मौखिक साहित्य केंद्र के माध्यम से अकादमी जनजातीय और मौखिक परंपरा के साहित्य को बढ़ावा देती है। अकादमी जाने-माने भारतीय लेखकों और भारतीय साहित्य की सेवा में संलग्न विदेशी विद्वानों को फैलोशिप भी प्रदान करती है।

अकादमी की कुछ प्रमुख परियोजनाओं में भारतीय लेखकों पर मोनोग्राफ, विश्वकोश, संकलन, भारतीय साहित्यिक अभिलेखागार, भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय पुस्तक सूची, भारतीय काव्य, शास्त्र का विश्वकोश और भारतीय साहित्य के इतिहास की परियोजनाएं प्रमुख हैं। विदेशों में साहित्यिक उत्सवों और पुस्तक मेलों में भाग लेने के साथ-साथ अकादमी विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित करती है और हर साल लेखकों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करती है।

नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तकालय गिने-चुने बहुभाषिक पुस्तकालयों में से एक है जो पूरी तरह से साहित्य को समर्पित है। भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य और साहित्यिक परंपराओं की पुस्तकों के समृद्ध संग्रह वाला यह पुस्तकालय अपने आप में अनोखा है। इस पुस्तकालय के अलावा साहित्य अकादमी के मुंबई, कोलकाता और बंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पुस्तकालय हैं। साहित्य अकादमी पुस्तकालय में पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 13,219 है और पुस्तकों की कुल संख्या 1,72,000 है। रोजाना करीब 150 सदस्य पुस्तकालय में आते हैं। सभी 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य के बेहतर प्रसार के लिए साहित्य अकादमी हर साल देशभर में करीब 180 पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेती है।
वेबसाइट: www.sahitya-akademi.gov.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक अनुसंधान केंद्र है जिसके दायरे में क्लासिकल से लेकर लोक, लिखित से लेकर मौखिक और प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सभी प्रकार की कलाओं का अध्ययन और अनुभव शामिल है। नई दिल्ली के बीचों-बीच स्थित यह कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त न्यास है। यहां भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के स्थापत्य, मानव विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र, भाषा और साहित्य, कला व शिल्प समेत विभिन्न विषयों के संसाधनों का समृद्ध संकलन उपलब्ध है।

आईजीएनसीए की छह कामकाजी इकाइयां यानी प्रभाग हैं- विविध रूपों में उपलब्ध पुस्तकों का संग्रहालय कलानिधि; भारतीय भाषाओं में मौलिक पाठ के अध्ययन और प्रकाशन को समर्पित कलाकोश; जीवन शैली संबंधी अध्ययन जनपद संपदा; आईजीएनसीए के अनुसंधान और अध्ययनों को प्रदर्शनियों के माध्यम से मूर्त रूप में प्रस्तुत करने वाली इकाई कलादर्शन; संस्कृति का परिरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी संबंधी उपायों का उपयोग करने वाली कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला; और सूत्रधार यानी प्रशासनिक अनुभाग जो रीढ़ की हड्डी की तरह इन सभी गतिविधियों में तालमेल और सहायता करता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु में है, इसके अलावा पूर्व क्षेत्र का केंद्र वाराणसी, पूर्वोत्तर का गुवाहाटी में है। इसके अलावा रांची, पुद्दुचेरी, वडोदरा, त्रिशूर, गोवा और श्रीनगर में इसके छह नये केंद्र चालू हुए हैं। आईजीएनसीए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी प्रबंधन करता है जिसने देशभर में फैले परिरक्षण केंद्रों के जरिए बहुमूल्य धरोहर का परिरक्षण और डिजिटाइजेशन किया है।
वेबसाइट: www.ignca.gov.in

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की दिशा में काम करने वाले अग्रणी संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1979 में स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई। नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय के अलावा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं- विद्यार्थियों में भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों की विविधता के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना और इस जानकारी को शिक्षा के साथ जोड़ना। इसका मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि किस तरह शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाए और किस तरह से विद्यार्थियों को विकास कार्यक्रमों में संस्कृति के महत्व के बारे में जागरूक बनाया जाए। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र देश के विभिन्न भागों के शिक्षकों के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से प्रतिभागियों में भारतीय कला और संस्कृति में अंतर्निहित सुंदरता, सौंदर्यबोध और दर्शन की समझ और पहचान पैदा करने में मदद मिलती है। इनसे शिक्षण पाठ्यक्रमों में संस्कृति वाले घटक को शामिल करने के तौर-तरीकों का पता लगाने में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इनमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आवास, कृषि, खेल-कूद आदि में संस्कृति की भूमिका पर भी जोर दिया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान और प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं परिरक्षण में विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने में भी मदद मिलती है।

सीसीआरटी नाटक, संगीत और वाचिक कला विधाओं आदि के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करता है। अध्यापकों को ऐसे कार्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया जाता है जिनसे शैक्षिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने में कला विधाओं का लाभ उठाया जा सके। सीसीआरटी स्मारकों, संग्रहालयों, कलावीथियों, शिल्प केंद्रों, चिड़ियाघरों और उद्यानों के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध कम लागत की वस्तुओं से शिल्पों के प्रशिक्षण के लिए भी शिविर आयोजित किए जाते हैं। कलाकारों और विशेषज्ञों के व्याख्यान और कला-प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी कलाकारों और हस्तशिल्पियों को अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की बौद्धिक और सौंदर्यबोध की क्षमताओं के विकास पर जोर दिया जाता है।

पिछले कई वर्षों से सीसीआरटी पटकथाओं, रंगीन स्लाइडों, फोटोग्राफ और ऑडियो व वीडियो रिकार्डिंग तथा फिल्मों का संग्रह कर रहा है। हर साल यह ग्रामीण भारत की कलाओं और शिल्प विधाओं को पुनर्जीवित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। भारतीय कला और के विभिन्न पहलुओं की समझ और परख को लेकर यह पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। सीसीआरटी सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना को भी लागू करता है जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे या किसी पारंपरिक निष्पादन कला के घराने में तालीम हासिल कर रहे 10 से 14 साल के प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों, खासतौर पर दुर्लभ कला विधाओं में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। ये छात्रवृत्ति उनके 20 साल का होने या विश्वविद्यालय की डिग्री के पहले साल में पहुंचने तक दी जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी लागू की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 25 साल तक के आयुवर्ग वालों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, उप-शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, दृश्य कलाओं, लोक/पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं में अधिकतम 400 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

संस्कृति परियोजना संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत वाराणसी में शिक्षा संस्थाओं में इंटरप्रेटेशन सेंटरों का विकास/स्थापना की गई है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र, पट्टिका और पच्चीस हजार रुपये नकद दिये जाते हैं।
वेबसाइट: www.ccrtindia.gov.in

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि किस तरह ये मिलकर एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान बनती हैं और अंततः भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विविधता के रूप में परिलक्षित होते हैं। इन केंद्रों ने समूचे देश में संस्कृति के संवर्द्धन, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में अग्रणी एजेंसी के रूप में अपने आप को पहले ही स्थापित कर लिया है। ये केंद्र साहित्य और दृश्य कलाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करके निष्पादन कलाओं को बढ़ावा देते हैं। पटियाला, कोलकाता, तंजावर, उदयपुर,

इलाहाबाद, दीमापर और नागपुर में सात क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना 1985-86 में की गई थी। किसी राज्य की अपने सांस्कृतिक संपर्कों के आधार पर एक से अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में भागीदारी इन क्षेत्रीय केंद्रों के गठन की विशेषता है। विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के सिद्धहस्त हस्तशिल्प और दस्तकार शिल्प मेलों में हिस्सा लेते हैं। ये केंद्र जिस बात पर खास जोर देते हैं वह है- कला की विभिन्न दुर्लभ लोक और जनजातीय विधाओं का प्रलेखन करना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कलाकारों, संगीतशास्त्रियों और विद्वानों का आदान-प्रदान किया जाता है। इससे देश के विभिन्न भागों में कई तरह की लोक/जनजातीय कला विधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है। रंगमंच में नयी जान फूंकने के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिनेताओं, कलाकारों, निर्देशकों और लेखकों को एक मंच में आकर कार्य करने का अवसर मिलता है। नयी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए गुरु-शिष्य परंपरा शुरू की गई है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शिल्प ग्रामों के जरिए हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र अपने-अपने इलाकों में विभिन्न निष्पादन/लोक कला विधाओं की पहचान करते हैं और प्रत्येक विधा के एक-दो प्रतिभाशाली कलाकारों का चयन करते हैं।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की घोषणा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई। इस पहल के व्यापक लक्ष्य हैं: (1) हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का महिमामंडन और देश के लोगों के बीच परंपरा से विद्यमान भावनात्मक संबंधों के ताने-बाने को बनाए रखना और सुदृढ़ करना; (2) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सालभर तक चलने वाले सुनियोजित गहन और स्तरीय संपर्क के जरिए राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना; (3) किसी भी राज्य की समृद्ध धरोहर और संस्कृति तथा रीति-रिवाज़ और परंपराओं को प्रदर्शित करना ताकि लोग भारत की विविधता को समझ और परख सकें और उनके बीच एक जैसी पहचान को बढ़ावा मिले; (4) दीर्घावधि संपर्कों की स्थापना; (5) ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें एक-दूसरे के बेहतरीन तौर-तरीकों और अनुभवों से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत

बौद्ध तिब्बती संस्थाओं का उद्देश्य देश की अमूर्त बौद्ध/तिब्बती/हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार और संरक्षण में मदद करना है।

इस योजना का उद्देश्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण करना है। इसे 2011 में संशोधित किया गया था जिसके अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां करने वालों को अनुदान सहायता दी जाती है : (1) सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और अनुसंधान; (2) पुरानी पांडुलिपियों, साहित्य, कला व शिल्प का परिरक्षण औ संगीत, नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों/गतिविधियों का प्रलेखन; (3) कला और संस्कृति के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार; और (4) हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेशों में परंपरागत और लोक कलाओं में प्रशिक्षण। कॉलेज और विश्वविद्यालय भी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी एक संगठन को दी जाने वाली अधिकतम राशि की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई है।

बौद्ध/तिब्बती संगठनों का विकास

इस योजना का उद्देश्य बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परंपराओं के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों और मठों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को 2011 में संशोधित किया गया और इसमें सूचना टेक्नोलॉजी संबंधी सुधार, परिवहन सुविधा, प्रशिक्षण केंद्रों, स्कूलों की इमारतों और कक्षाओं के निर्माण, परंपरागत सामग्री की रिकार्डिंग/प्रलेखन को भी शामिल कर लिया गया।

केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान

लेह-लद्दाख स्थित केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस) जिसे पहले बौद्ध दर्शन विद्यालय के नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री स्वार्गीय जवाहरलाल नेहरू की पहल पर 1959 में स्थापित किया गया। जनवरी, 2016 में इस

संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्था का दर्जा मिला।

नव नालंदा महाविहार

नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में बिहार के नालंदा में राज्य सरकार ने की थी। यह पालि और बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा का केंद्र है। इस समय यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है और 2006 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय

केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी की स्थापना 1967 में हिमालय में सीमावर्ती इलाकों के तिब्बती और भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए की गई थी। बाद में 1988 में इसे विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्था का दर्जा दे दिया गया।

केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान

केंद्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (सीआईएचसीएस) का 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक समिति के रूप में पंजीकरण कराया गया था। संस्थान बौद्ध और हिमालयी अध्ययन के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसे अधीनस्थ स्कूल स्थापित करने और उनके संचालन का भी अधिकार है। अनुदान प्राप्त करने वाली छह संस्थाओं- धर्मशाला स्थित तिब्बती कृतियों और अभिलेखों के पुस्तकालय; नई दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस; अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ; सिक्किम में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोमडिला में जीआरएल मोनास्टिक स्कूल को सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं- पुरातत्व अवशेषों का सर्वेक्षण और उत्खनन; केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव और संरक्षण। स्मारकों और पुरातात्विक अवशेषों का रासायनिक अनुरक्षण; स्मारकों का वास्तुशास्त्रीय सर्वेक्षण; पुरालिपि अनुसंधान तथा मुद्रा अध्ययन जैसी विद्याओं का विकास; किसी स्मारक या पुरातात्विक स्थल पर संग्रहालय की स्थापना तथा पुनर्गठन; विदेशों में अभियान; पुरातत्व शास्त्र में प्रशिक्षण; और तकनीकी रिपोर्टों व अनुसंधान ग्रथों का प्रकाशन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पांच क्षेत्रीय निदेशालय, 29 सर्किल और तीन मिनी सर्किल हैं जिनके माध्यम से यह अपने अधीन स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण करता है।

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देशभर में 3,686 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। इनमें से 21 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पांच स्थल- गुजरात में चंपानेर-पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन (जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था), वृहदीश्वर मंदिर परिसर, गंगइकोंडाचोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर संकुल और वृहदीश्वर मंदिर संकुल के विस्तार के रूप में दारासुरम। तंजावुर को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। यह शहर अब आमतौर पर जागृत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस समय 5,000 से अधिक संरचनाओं का रखरखाव कर रहा है। अंतर्जलीय पुरातत्व स्कंध का मुख्य कार्य देश की समुद्री जलसीमा और अन्य क्षेत्रों में जलमग्न सांस्कृतिक धरोहरों की खोज, अध्ययन और संरक्षण करना है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में खोज और उत्खनन का कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय देहरादून में है और देश के विभिन्न भागों में इसकी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो स्मारकों, पुरावस्तुओं, पांडुलिपियों, चित्रकला आदि का रासायनिक संरक्षण करती हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उद्यान शाखा देश के विभिन्न भागों में केंद्र द्वारा संरक्षित करीब 287 स्मारकों/स्थलों में उद्यानों का रखरखाव करती है। दिल्ली, आगरा, श्रीरंगपट्टनम और भुवनेश्वर की प्रमख पौधशालाओं से

विभिन्न उद्यानों के लिए पौधे भेजे जाते हैं। मैसूर स्थित पुरालेख शाखा संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में अनुसंधान करती है जबकि नागपुर शाखा अरबी और फारसी भाषाओं में यही कार्य करती है।
वेबसाइट: www.asi.nic.in

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन की शुरुआत 2007 में हुई। इसका उद्देश्य 11वीं योजना के दौरान निर्मित धरोहर और स्थलों तथा पुरावशेषों के बारे में विभिन्न स्रोतों एवं संग्रहालयों से राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि योजनाकार और अनुसंधानकर्ता आदि इसका उपयोग सांस्कृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में कर सकें। इसमें शामिल कार्य के परिमाण को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार मिशन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक प्रभाग बना दिया गया है।

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन को सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुसार दो रजिस्टर यानी पंजियां तैयार की जानी हैं : (1) निर्मित धरोहरों और स्थलों का राष्ट्रीय रजिस्टर; और (2) पुरावशेषों का रजिस्टर। विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से दो लाख निर्मित धरोहरों और स्थलों के डेटा का प्रलेखन किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन के पास अब तक विभिन्न स्रोतों से करीब 15 लाख पुरावस्तुओं के डेटा का प्रलेखन किया है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना 2003 में की गई थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को इसकी देख-रेख करने वाली नोडल एजेंसी बनाया गया था। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में विद्यमान देश की ज्ञान की विरासत को सहेज कर रखना था। भारत की मूर्त विरासत के स्थान निर्धारण, प्रलेखन, परिरक्षण और प्रलेखन के लिए देशभर में पांडुलिपि संसाधन केंद्र, पांडुलिपि संरक्षण केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण साझेदार केंद्र बनाए गए हैं।

मिशन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं : सर्वेक्षण के माध्यम से पांडुलिपियों का प्रलेखन करना, निवारक और उपचारात्मक विधियों से पांडुलिपियों का संरक्षण, संरक्षण के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं का संचालन करना, प्राचीन लिपियों के बारे में शिक्षण के लिए हस्तलिपि विज्ञान और पुरालेखशास्त्र की कार्यशालाएं आयोजित करना, पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण ताकि उन्हें अभिलेखागार में इस तरह से रखा जा सके जिससे ज्ञान के इस स्रोत तक आसानी से पहुंचा जा सके, प्रकाशनों के जरिए पांडुलिपियों में निहित ज्ञान का प्रसार और पांडुलिपियों के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विस्तारण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय संग्रहालय

राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में की गई थी और यह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय की तरह कार्य करता है। यह 2.6 लाख से अधिक कलाकृतियों का खजाना है जिनमें प्रागैतिहासिक काल की सामग्री से लेकर आधुनिक कला वस्तुएं भी शामिल हैं। संग्रहालय की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं : कला वस्तुओं का प्रदर्शन, दीर्घाओं का आधुनिकीकरण/पुनर्संयोजन, शैक्षिक गतिविधियां और विस्तार कार्यक्रम, जनसंपर्क, प्रकाशन, फोटो प्रलेखन, ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम, स्मारक व्याख्यान, फोटो यूनिट, मॉडलिंग यूनिट, पुस्तकालय, संरक्षण प्रयोगशाला और कार्यशालाएं।

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) की स्थापना 1954 में समसामयिक भारतीय कला के विकास और संवर्धन के लिए की गई थी। इसमें करीब 1,748 समकालीन भारतीय कलाकारों की 17.858 प्रतिनिधि कृतियां रखी हुई हैं। संग्रहालय के अनमोल खजाने में चित्र कलाकतियां, मूर्तिशिल्प, ग्राफिक कलाकृतियां और फोटोग्राफ शामिल हैं। यह अपने संग्रह की कलाकृतियों के साथ-साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत प्राप्त कलाकृतियों की समय-समय पर प्रदर्शनियां आयोजित करता है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का उद्देश्य आधुनिक कलाकृतियों के बारे में लोगों की समझ और संवेदनशीलता को बढ़ाना है।
वेबसाइट: www.ngmaindia.gov.in

भारतीय संग्रहालय

कोलकाता का भारतीय संग्रहालय (इंडियन म्यूजियम) दुनिया के आठ सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। करीब 1.10 लाख कलाकृतियों का यह खजाना प्राच्य इतिहास और भारत की धरोहर की कहानी कहता है। भारतीय संग्रहालय की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भारत की विरासत और संस्कृति के विकास के शानदार घटनाक्रम की गाथा कहता है। भारत विद्या के महान विद्वान विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और अपना सारा जीवन भारत की सेवा में लगा दिया। डेनमार्क के वनस्पतिशास्त्रीय डॉ. नैथेनियल वालिच ने एशियाटिक सोसाइटी को एक पत्र लिखकर सोसाइटी परिसर में एक संग्रहालय स्थापित करने की जोरदार वकालत की। इस तरह डॉ. नैथेनियल वालिच के दिशानिर्देशन में 1814 में 'एशियाटिक सोसाइटी परिसर' में एक संग्रहालय की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसे 'एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम' के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम 'इंपीरियल म्यूजियम' कर दिया गया। बाद में इसे 'इंडियन म्यूजियम' के नाम से पुकारा जाने लगा। हालांकि यह संग्रहालय को देखने आने वालों में 'जादूघर' के रूप में भी मशहूर रहा है। इंडियन म्यूजियम (भारतीय संग्रहालय) की शुरुआत केवल दो दीर्घाओं से हुई मगर बाद में यह बहुउद्देश्यी संगठन के रूप में उभरकर सामने आया। इसके छह अनुभागों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संकलन किया गया है। इनके नाम हैं- कला, पुरातत्व विज्ञान, मानवशास्त्र, जीव विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इस तरह एशियाटिक सोसाइटी की गोद में पला यह संग्रहालय देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है और राष्ट्र की धरोहर और गौरव को प्रदर्शित करता है। 1878 में यह अपने वर्तमान भवन में आया। भारत की कला एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संग्रहालय को भारत गणराज्य के संविधान में अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है।

भारतीय संग्रहालय न केवल भारतीय धरोहर की कला वस्तुओं के परिरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि भारतीय कला धरोहर की विवेचना को उत्प्रेरित करने में भी योगदान करता है। विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित अपनी विविधतापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से यह दर्शकों के सीखने के केंद्र के रूप में काम करता है। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह दुनिया में अपनी तरह का अकेला संगठन है जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों का सबसे बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है। यह 'जनता के सशक्तीकरण के लिए विज्ञान संचार' के लक्ष्य के साथ देशभर में फैले अपने विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क माध्यम से समाज में, खासतौर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ावा देने में लगा है। देश में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर विज्ञान केंद्र विकसित करने संबंधी विज्ञान योजना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कार्यान्वयन एजेंसी है। परिषद का 25 विज्ञान संग्रहालयों/केंद्रों का नेटवर्क है और इसने 24 विज्ञान केंद्र विभिन्न राज्य सरकारों को बनाकर दिए हैं। परिषद अन्य संगठनों को उत्प्रेरक सहायता भी उपलब्ध कराती है जिसके अंतर्गत प्रदर्शन की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पारस्परिक संवाद आधारित प्रदर्शनियों का विकास किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार परिषद दो तरह की गतिविधियों का संचालन करती है : विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों, गैलरी, प्रदर्शनी, वस्तुओं और नवसृजन केंद्रों का विकास; और करके सीखने पर आधारित विज्ञान कार्यक्रमों तथा विद्यालयेत्तर गतिविधियों का आयोजन। इस तरह अपनी दोआयामी गतिविधियों से परिषद स्कूलों को विज्ञान शिक्षा में अनौपचारिक सहायता प्रदान करती है।

भारत में 'म्यूजियम ऑन ह्वील' यानी चलती-फिरती प्रदर्शनी की अवधारणा की शुरुआत 1965 से हुई जब कोलकाता के रामकृष्ण मिशन स्कूल में सचल विज्ञान संग्रहालय के जरिए सचल विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के विभिन्न विज्ञान केंद्रों से सचल विज्ञान प्रदर्शनियों की 23 बसों का काफिला जुड़ा हुआ है। ये प्रदर्शनियां देश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों का दौरा करती हैं और विज्ञान व टेक्नोलॉजी के संदेश को ग्रामीण जनता तक पहुंचाती हैं। स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रदर्शनियों के अलावा सचल विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में विज्ञान शो, विद्यार्थियों के लिए करके सीखने की कार्यशालाएं, दूरबीन से रात को

आकाश का प्रेक्षण और विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन करके इनके महत्व में और वृद्धि की जाती है। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सफलतम कार्यक्रमों में से एक है और अब तक 65 मिलियन से अधिक लोग, जिनमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं इसका फायदा उठा चुके हैं। पिछले साल इस कार्यक्रम को भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबी अवधि से चलाए जा रहे अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारतीय विद्यार्थियों के अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड (जूनियर श्रेणी) में भाग लेने में भी मदद करती है। परिषद इसके लिए हर साल अभिविन्यास एवं चयन कैंप का आयोजन करती है तथा चुने गए विद्यार्थियों के लिए रवानगी से पहले का प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। परिषद विज्ञान केंद्रों/संस्थानों में नवसृजन केंद्र गठित करने की योजना को भी लागू कर रही है ताकि देश के युवाओं में नवसृजन, रचनात्मकता और विज्ञान के प्रति लगाव की संस्कृति को बढ़ावा मिले। परिषद ने अमरीका, रूस, फ्रांस, बल्गारिया, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, ट्रिनिडाड और टोबैगो, गुयाना, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत 15 देशों के लिए चलती-फिरती प्रदर्शनियों की परिकल्पना करके उनका विकास किया है और वहां भेजा है। इनका विवरण इस वेबसाइट पर उपलब्ध है :
वेबसाइट: www.ncsm.gov.in

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल

कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना मुख्य रूप से वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1921 में भारत-ब्रिटेन इतिहास को रेखांकित करने वाले कालखंड संग्रहालय के रूप में की गयी थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। यह 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के भारत-ब्रिटेन इतिहास का अग्रणी कालखंड संग्रहालय है। यह कोलकाता की प्रमुख कला दीर्घा, संग्रहालय, अनुसंधान पुस्तकालय और सांस्कृतिक स्थल भी है। यह भारत में भारत ब्रिटिश वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है जो 'राज के ताज' के नाम से भी मशहूर है। दुनिया के सबसे बड़े यात्रा और पर्यटन संबंधी वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने 2017 में इसे भारत के 'नंबर 1' और एशिया के 'नंबर 9' संग्रहालय के रूप में चिह्नित किया। भारत के शीर्षस्थ पर्यटन स्थल के रूप में इसके तेजी से बढ़ते कद का पता इसे लोनली प्लेनेट का 'टॉप च्वाइस' और 'फोड्र्स च्वाइस' का दर्जा मिलने से भी चलता है। कुल मिलाकर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के शीर्षस्थ संग्रहालयों में से एक है जहां 2017-18 के दौरान 21 लाख लोग इसकी दीर्घाओं में और 14 लाख अन्य इसके उद्यानों में पहुंचे। 2015 में इसे 'भारत का सबसे स्वच्छ' स्मारक घोषित किया गया जिसके लिए इसे 'इंडिया टुडे सफाईगिरी पुरस्कार' भी प्रदान किया गया।

संग्रहालय के रूप में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की नौ दीर्घाओं में 28,394 शिल्पकृतियांहैं जो 1650 ई. के ब की तीन सदियों की हैं। संग्रह में ऑयल कलर और वाटर कलर में चित्रकृतियां, रेखाचित्र और ड्रॉइंग्ज, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां, टिकट और डाक लेखन सामग्री, सिक्के और मेडल, हथियार और कवच, मूर्तिशिल्प, पोशाक, व्यक्तिगत स्मृतिचिह्न और अभिलेखागार के महत्व वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
वेबसाइट: www.victoriamemorial-cal.org

कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान

यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यह संग्रहालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र संग्रहालय विश्वविद्यालय है। फिलहाल यह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की पहली मंजिल में चल रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय का महानिदेशक इस विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति भी होते हैं। इसके मुख्य उद्देश्यों में (क) कला, इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान के विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में स्नातकोत्तर (एम.ए.) और पीएच.डी. स्तर की शिक्षा प्रदान; (ख) भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए कला की परख के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित करना; और (ग) संग्रहालय शिक्षा, कला और संस्कृति पर संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, सम्मेलन और विशेष व्याख्यान आयोजित करना है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला की स्थापना 1976 में संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के तौर पर की गई थी। इसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है। यह संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातत्व विभागों और अन्य संबद्ध सांस्कृतिक संस्थाओं को संरक्षण संबंधी मामलों में संरक्षण सेवाएं और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। यह संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है, संरक्षण की विधियों और तौर-तरीकों के बारे में अनुसंधान करता है, संरक्षण के बारे में ज्ञान का प्रसार करता है और देश में संरक्षण के कार्य में लगे कर्मियों को सेवाएं उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ के जानकीपुरम में इसके प्रशिक्षण संस्थान का पूर्ण परिसर है और मैसूर में क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला के रूप में क्षेत्रीय केंद्र है जो दक्षिण भारत की संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान

इस संस्थान की परिकल्पना 1936 में श्री रामकृष्ण (1836-1886) की पहली जन्मशती के अवसर पर उनके स्थायी स्मारक के रूप में की गई थी। इसकी विधिवत स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र के रूप में श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के संदेश के प्रसार के लिए 1938 में की गई। श्री रामकृष्ण ने अपने संदेश में मुख्य रूप से (1) सभी धर्मों की समानता; (2) मनुष्य में देवत्व की संभावनाओं; और (3) ईश्वर की उपासना के लिए मनुष्य की सेवा का रास्ता अपनाने वाले मानवता के नये धर्म पर जोर दिया था।

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण दुनिया में अपनी तरह का अनोखा संगठन है। अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन भारतीय जनसंख्या की जैव-सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन का अपना दायित्व पूरा कर रहा है। बीते दशकों में भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण मजबूत होता चला गया है और इसने देश के मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए एक बेजोड़ परिप्रेक्ष्य विकसित कर लिया है। इसकी गतिविधियों में शामिल हैं : मानव जाति विज्ञान सामग्री के संकलन, संरक्षण, रखरखाव और प्रलेखन के साथ-साथ प्राचीन मानव कंकालों के अवशेषों का अध्ययन करना। हाल में भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने अपने बुनियादी ढांचे का समग्र आधुनिकीकरण किया है और भारत में मानव जाति के आनुवंशिक विकास के अध्ययन के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी और मानववैज्ञानिक आनुवंशिकी का उपयोग प्रारंभ किया है। कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय और सात क्षेत्रीय केंद्रों (पोर्ट ब्लेयर, शिलांग, नागपुर, मैसूर, देहरादून, उदयपुर और कोलकाता), एक उप-क्षेत्रीय केंद्र (जगदलपुर), तीन फील्ड स्टेनशनों (सागर, रांची और विशाखापत्तनम) और नई दिल्ली, स्थित कैंप कार्यालय के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की हैं ।सर्वेक्षण ने कई पुस्त मोनोग्राफ, अनुसंधान रिपोर्ट और यदा-कदा छापे जाने वाले प्रकाशनों का भी प्रकाशन किया है। इसके अलावा यह त्रैमासिक न्यूजलेटर और अर्धवार्षिक गृह पत्रिका भी छापता है। भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण देश के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है।
वेबसाइट: www.ansi.gov.in

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के प्रचलन से बाहर के रिकॉर्ड का संरक्षक है और रिकॉर्ड तैयार करने वालों तथा आम उपभोक्ताओं के लिए ऐसी सामग्री को न्यासी की तरह सहेज कर रखता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दक्षिण-पूर्व एशिया में गैर-प्रचलित रिकॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार भी है। अभिलेखागार किसी राष्ट्र की अमूल्य दस्तावेजी धरोहर है और देश के अग्रणी अभिलेखीय संस्था के नाते भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर अभिलेखागारों के विकास और उन्हें नयी दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के सार्वजनिक रिकॉर्ड के लिए केंद्र सरकार के एकमात्र भंडार के नाते इसकी स्थिति बड़ी अनोखी है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसे राष्ट्र की दस्तावेजी धरोहर के परिरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। यह 1993 के पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट और 1997 के पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल्स पर अमल के लिए भी यह नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के

प्रबंधन, प्रशासन और परिरक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का एक क्षेत्रीय कार्यालय है और भुवनेश्वर, जयपुर और पुद्दुचेरी में इसके तीन रिकॉर्ड सेंटर भी हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्रमुख गतिविधियों में सार्वजनिक रिकॉर्ड को विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अनुसंधान करने वाले विद्वानों को उपलब्ध कराना; ऑनलाइन अनुसंधान पोर्टल www.abhilekh-patal.in के जरिए रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराना; रिकॉर्ड के संरक्षण के बारे में व्यक्तियों और संस्थाओं को तकनीकी सहायता देना; राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज (अभिलेखागार अध्ययन विद्यालय) के जरिए अभिलेख विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देश की अभिलेख संपदा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अभिलेखागारों, स्वैच्छिक संगठनों और संरक्षण का कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
ई-मेल : archives@nic.in
वेबसाइट : www.nationalarchives.nic.in

पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल कर नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित कार्य करती है : (i) सभी प्रकार की महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्री (रोज़मर्रा की गैर-जरूरी सामग्री को छोड़कर) और राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपियों का अधिग्रहण और संरक्षण; (ii) देश के बारे में तमाम मुद्रित सामग्री का संग्रह करना भले ही इस तरह की सामग्री कहीं भी छपी हो; (iii) सामान्य और विशिष्ट (दोनों प्रकार की वर्तमान और पुरानी सामग्री के बारे में ग्रंथ सूचीकरण और प्रलेखन सुविधा; (iv) परामर्श केंद्र के नाते ग्रंथसूची संबंधी तमाम सूचनाओं के तमाम स्रोतों के बारे में पूर्ण और सही-सही जानकारी हासिल करना, ग्रंथसूची संबंधी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना; और (v) अंतरराष्ट्रीय पुस्तक विनिमय केंद्र और देश के भीतर ऋण पर पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले केंद्र की भूमिका निभाना।
वेबसाइट: www.nationalliabrary.gov.in

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार को प्रारंभ में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, कोलकाता के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई। 1969 से यह ग्रंथागार नई दिल्ली के शास्त्री भवन में कार्य कर रहा है और इसमें मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों और मानविकी से संबंधित विषयों के सात लाख से अधिक दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह केंद्र सरकार/राज्य सरकारों के दस्तावेज समेत भारत के तमाम आधिकारिक दस्तावेजों का भंडारगृह है। इसके क्षेत्रीय अध्ययन प्रभाग के पास उपलब्ध पुस्तकों का संकलन अनोखा है जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर पुस्तकों को रखा गया है। इसके पास अत्यंत दुर्लभ पुस्तकों का एक संग्रह भी है जिसमें बड़ी संख्या में जीवनियां उपलब्ध हैं।

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार केंद्र सरकार के अधिकरियों और पुस्तकालय में देशभर से आने वाले अनुसंधानकर्ताओं को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हाल में इसने भारत सरकार के राजपत्र, कमेटियों और आयोगों की रिपोर्टों का डिजिटाइजेशन किया और इस संग्रह के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग प्रणाली (जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन पुस्तक सूची) भी तैयार की है।

केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार की नई दिल्ली में दो शाखाएं हैं जिनमें से एक बहावलपुर हाउस के तुलसीसदन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों की है। इसमें हिंदी की 1.9 लाख और संविधान में स्वीकृत 13 अन्य भारतीय भाषाओं की 1.8 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं। दूसरी शाखा नई दिल्ली में आर.के. पुरम में है जो पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के स्नातक स्तर तक के बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है।
वेबसाइट: www.csl.nic.in

पुस्तकालयों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक

लाइब्रेरी, रामपुर रज़ा पुस्तकालय और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी शामिल हैं।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के जीवन और समय के बारे में एक संग्रहालय; अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग; एक पुस्तकालय (जिसे देश में सामाजिक विज्ञान पुस्तकालयों में प्रमुख माना जाता है); मौखिक इतिहास प्रभाग; पांडुलिपि प्रभाग; समसामयिक अध्ययन केंद्र; तारामंडल और बच्चों और युवाओं के लिए नेहरू लर्निंग सेंटर शामिल हैं। इसका अभिलेखागार व्यक्तियों और संस्थानों के निजी दस्तावेजों का सबसे बड़ा संग्रह है जिनमें से अधिकांश स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित हैं। भारत के आधुनिक और समसामयिक इतिहास के इस विशाल भंडार का उपयोग दुनियाभर के विद्वान और शिक्षाविद् अपने अनुसंधान कार्य में करते हैं।

समसामयिक अध्ययन केंद्र फेलोशिप कार्यक्रम संचालित करता है (32 फेलो) जिसका अकादमिक जगत में बड़ा नाम है। यह नियमित रूप से व्याख्यानों, सम्मेलनों, पुस्तक चर्चाओं, परिचर्चाओं और कार्यशालाओं आदि का भी आयोजन करता है। प्रकाशन विभाग सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जाने-माने विद्वानों की रचनाओं और सम्मेलनों व संगोष्ठियों की कार्रवाई पर आधारित सामग्री का प्रकाशन करता है। इसके अलावा यह ऑकेजनल पेपर्स नाम की एक अनुसंधान शृंखला का भी प्रकाशन करता है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय का तारामंडल दिल्ली क्षेत्र में अपनी तरह का पहला है। स्कूली बच्चों, कॉलेज के विद्यार्थियों, अध्यापकों और आम जनता समेत हजारों लोग रोजाना इसे देखने आते हैं और खगोलविज्ञान तथा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करते हैं।
वेबसाइट: www.nehrumemorial.nic.in

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान दिए जाने के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में संस्कृति मंत्रालय ने 2012 में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का गठन किया। इसे जो जिम्मेदारियां सौंपी गई वे हैं- भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के आदर्श पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तकालयों का गुणवत्ता और संख्यात्मक दृष्टि से सर्वेक्षण, और क्षमता निर्माण करना।

भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का उद्देश्य भारत से संबंधित सूचनाओं के डिजिटल संसाधनों और भारत में उत्पन्न सूचनाओं का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना है, जिस तक पहुंचना आसान हो।

निष्पादन कला

संस्कृति मंत्रालय का निष्पादन कला प्रभाग निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन करता है :

निष्पादन कला अनुदान योजना

यह निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय की प्रमुख और प्रतिष्ठित योजना है। इसके अतर्गत नाट्य मंडलियों, रंग मंडलियों, संगीत मंडलियों, बाल रंगटोलियों और विभिन्न प्रकार की निष्पादन कला विधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। रिपर्टरी ग्रांट (कलाकार मंडली) के तहत एक वित्तीय वर्ष में पूरे साल के लिए किसी सांस्कृतिक संगठन के एक गुरु/निर्देशक के अधीन अधिकतम 25 शिष्यों/ कलाकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक गुरु/ निर्देशक के लिए वित्तीय सहायता की वर्तमान राशि 10,000 रुपये मासिक है।

राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों के लिए योजना

देशभर में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को प्रोत्साहन देने और उनकी मदद के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। यह ऐसे संगठनों को दी जाती है जिनका उचित तरीके से गठित प्रबंधन संगठन हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जिनका स्वरूप अखिल भारतीय हो, जो पूरे भारत में कार्य करते हों, जिनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों और जिन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में पिछले पांच साल में से तीन साल एक करोड़ रुपये या इससे अधिक खर्च किया हो। इस योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि एक

करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये तक हो सकती है। अनुदान सहायता दो किस्तों में दी जाती है और ये किस्तें स्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बराबर होती हैं। इस योजना का पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in/scheme-financialassistance-culture-organisations-national-presence पर उपलब्ध है।

भवन अनुदान सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले सांस्कृतिक संगठनों को सांस्कृतिक गतिविधियों के स्थलों जैसे- ऑडिटोरियम, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कलाकारों को रिहर्सल और अपनी कला के प्रदर्शन के लिए जगह तथा उपकरणों की खरीद में मदद करना है। स्टूडियो थियेटर भी इस योजना का घटक है जिसके अंतर्गत थियेटर और अन्य निष्पादन कलाओं के लिए जगह उपलब्ध कराने में मदद दी जाती है। सहायता राशि महानगरों में कुल लागत के 60 प्रतिशत के बराबर होती है। (महानगरों में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है जबकि अन्य स्थानों पर यह 25 लाख रुपये है।) योजना का पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in/scheme-building-grants-including-studio-theatres पर उपलब्ध है।

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना

टैगोर सांस्कृतिक परिसर योजना पूर्ववर्ती बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर योजना का संशोधित और सुधरा हुआ रूप है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती पर इसे नया नाम दिया गया। इसके अंतर्गत अलग आकार के नये सांस्कृतिक परिसर बनाने और टैगोर जन्मशताब्दी के सिलसिले में 1960 और 1970 के दशक में देश के विभिन्न भागों में बनाए गए टैगोर ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण, मरम्मत और उन्नयन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना राज्य सरकारों, राज्यों द्वारा प्रायोजित संगठनों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य संगठनों तथा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम न करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों के लिए खुली हुई है। इसका पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in/scheme-tagore-culturals complexes पर उपलब्ध है।

कलाकारों के लिए पेंशन योजना

इस योजना के तहत जरूरतमंद कलाकारों और कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पारंपरिक विधाओं के विद्वानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता प्राप्त करने वाले की आमदनी उसके जीवनसाथी की आमदनी समेत 4,000 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उम्र भी 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए। (आश्रितों के मामले में यह शर्त लागू नहीं होती।) इस योजना के अंतर्गत आने वाले कलाकारों केंद्र-राज्य कोटा के तहत साझेदारी आधार पर मासिक भत्ता दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन दोनों ही इसमें अंशदान करते हैं जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों का हिस्सा/प्रति लाभार्थी कम से कम 500 रुपये मासिक होना जरूरी है। ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला अंशदान 3,500 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस योजना के बारे में पूरा विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट: www.indiaculture.nic.in/artists-pension-scheme-and-welfare-fund पर उपलब्ध है।

फेलोशिप और वजीफा योजना

(1) संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करने की योजना : विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को कनिष्ठ (25 से 40 वर्ष) और वरिष्ठ (40 वर्ष से अधिक) फेलोशिप प्रदान की जाती हैं। ये फेलोशिप्स दो साल के लिए होती हैं और इनके अंतर्गत कनिष्ठ अध्येता को 10,000 रुपये और वरिष्ठ अध्येता को 20,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अध्येताओं का चयन करती है। इस तरह की 400 फैलोशिप्स (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) दी जाती है।

(2) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति देने की योजना : इस योजना के अंतर्गत 18 से 25 साल तक के उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, माइम,

दृश्य कलाओं, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं और उप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत के भीतर उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चुने गए उम्मीदवारों को दो साल तक 5,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और खासतौर पर गठित विशेषज्ञ समिति उम्मीदवारों में से चयन करती है। किसी एक बैच वर्ष में 400 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

निर्माण अनुदान योजना

इस योजना के अंतर्गत मुनाफे के उद्देश्य से काम न करने वाले सभी संगठन, एनजीओ, सोसाइटियां, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और व्यक्ति आते हैं। यह अनुदान संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अनुसंधान कार्यशालाओं, समारोहों, प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों, नृत्य, संगीत, रंगमंच की प्रस्तुतियों और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर छोटी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। अनुदान पाने के लिए जरूरी है कि संगठन कार्यरत हो और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का xxiवां), न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या राज्यों और केंद्रों के किसी भी अन्य अधिनियम के तहत कम से कम तीन साल से पंजीकृत हो। लेकिन योजना के तहत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए इससे छूट है। योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

टैगोर राष्ट्रीय फैलोशिप योजना

यह योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और देश की अन्य चिह्नित सांस्कृतिक संस्थाओं में नयी जान फूंकने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि विद्वानों/अकादमिक विशेषज्ञों को पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इन संगठनों से जुड़ने को प्रेरित किया जा सके। संस्थाओं को ज्ञान की नयी पूंजी से समृद्ध करने के लिए योजना के तहत विद्वानों/अकादमिक विशेषज्ञों से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना और अनुसंधान कार्य के लिए संस्थाओं के किसी खास संसाधन का चयन करेंगे जो इन संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य से संबंधित हैं। यह भी अपेक्षा की जाती है कि इससे उनमें नयी सृजन शक्ति और अकादमिक उत्कृष्टता का संचार होगा।

यह योजना भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों, दोनों ही के लिए खुली है। विदेशियों का अनुपात साल में दिए जाने वाले फैलोशिप्स की कुल संख्या के एक-तिहाई से ज्यादा नहीं होगा। टैगोर फैलो को 80,000 रुपये मासिक अध्येतावृत्ति और आकस्मिक व्यय राशि दी जाती है जबकि टैगोर स्कॉलरों को 50,000 रुपये मासिक मानदेय और आकस्मिक व्यय राशि दी जाती है।

गांधी धरोहर स्थल

अप्रैल, 2006 में भारत सरकार ने श्री गोपाल कृष्ण गांधी की अध्यक्षता में गांधी धरोहर स्थल पैनल का गठन किया था। इस पैनल की सिफारिश पर 2013 में 'गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन' का गठन किया गया जिसका कार्यकाल पांच साल नियत किया गया। इसके लिए कुल 42 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया गया। मिशन की अवधि मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

मिशन को 39 मुख्य स्थलों के साथ ही मास्टर सूची के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के परिरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। (मास्टर सूची में ऐसे 2,000 स्थान शामिल हैं जहां गांधीजी गए थे)। इसके साथ ही मिशन संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशन करेगा और इसमें मदद देगा। गांधीजी से जुड़ी मूर्त, साहित्यिक और दृश्य धरोहरों के डेटाबेस के निर्माण में भी मिशन सहायता देगा।

गांधी स्मृति और दर्शन समिति

गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन 1984 में राजघाट स्थित गांधी स्मृति के विलय से एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया था। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता से कार्य करती है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसकी गतिविधियों में दिशानिर्देश के लिए इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। समिति का मूल लक्ष्य और उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार-प्रसार करना है।

इसके दो परिसर हैं :

गांधी स्मृति वह स्थान है जहां महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम 144 दिन रहे और जहां 30 जनवरी, 1948 को उनके महान जीवन का अंत हुआ। वे जिस स्थान पर हत्यारे की गोलियों का शिकार हुए थे, उस स्थान पर बना शहीद स्तंभ भारत के लंबे स्वाधीनता संग्राम की तमाम पीड़ाओं और बलिदान को साकार करता खड़ा है। गांधी स्मृति में उनके फोटोग्राफ, मूर्तिशिल्प, पेंटिंग्ज, भित्ति चित्र, प्रस्तर चित्र और यहां पर प्रवास के वर्षों के उनके स्मृतिचिह्न प्रदर्शित किए गए हैं। गांधीजी के सादा व्यक्तिगत जीवन की मामूली वस्तुओं को भी यहां बड़ी सावधानी से सहेज कर रखा गया है।

गांधी दर्शन वह दूसरा परिसर है जो राजघाट में गांधीजी की समाधि से सटा हुआ है। 36 एकड़ में फैला यह विस्तृत परिसर महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी पर बनाया गया था। इस अवसर की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय गांधी दर्शन प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस समय केंद्र में गांधीजी पर विस्तृत प्रदर्शनी, सम्मेलन कक्ष, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए शिविर की सुविधा, एक पुस्तकालय, निवासी विद्वानों के लिए हॉस्टल, बच्चों का कोना, फोटो यूनिट और प्रकाशन प्रभाग है।

पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। इस प्रकिया में मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से परामर्श और सहयोग करती है। पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन और बहुत से देशों में विदेशी मुद्रा की आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत है और इन देशों में भारत भी शामिल है। इसमें बड़े पैमाने पर और विभिन्न प्रकार के रोज़गार के अवसर पैदा करने की बड़ी क्षमता है और रोज़गार के ये अवसर अत्यधिक विशेषज्ञता वाले से लेकर अकुशल किस्म के भी होते हैं इसलिए ये रोज़गार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पर्यटन समता के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन गंतव्यों को विश्वस्तरीय रूप देकर पर्यटन को बढ़ावा देना और इसमें मदद करना है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास, वीजा संबंधी कायदे-कानूनों को सरल बनाना, पर्यटन सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में गुणवत्ता, मानकों का आश्वासन देश को पूरे साल पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना और पर्यटन का चिरस्थायी विकास आदि भी पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारियों में शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय पर्यटन स्थलों का समग्र विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रय कर रहा है। इसमें विभिन्न एजेंसियों जैसे अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और पर्यटन उद्योग से संबंध रखने वाले अन्य संगठनों के बीच तालमेल कायम करके सामूहिक प्रयास से बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, इंटरप्रेटेशन केंद्रों आर कौशल विकास केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' परियोजना भी आरम्भ की गयी। इस कार्यक्रम के तहत विरासत स्थलों को सार्वजानिक क्षेत्र तथा वैयक्तिगत रूप में 'स्मारक मित्र' बनकर गोद ले सकते हैं ताकि स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
वेबसाइट: www.tourism.gov.in

विदेशी पर्यटकों का आगमन

वर्ष 2018 के दौरान 10.56 करोड़ (अनंतिम) विदेशी पर्यटक भारत आए जो पिछले साल की इसी अवधि में आए पर्यटकों की संख्या में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

'विशेष पर्यटन क्षेत्र'

विशेष प्रयोजन से गठित कंपनियों (एस.पी.वी.) का गठन कर राज्यों के सहयोग से विशेष पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ परामर्श करके नये कार्यक्रमों पर अमल के दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं और इस कार्यक्रम को लागू करने से पहले अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा की आय

2017 में पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय 1,80,379 करोड़ रुपये रही जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में हुई आय की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। 2016 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय 1,54,146 करोड़ रुपये रही और इसमें 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

ई-वीजा सुविधा

विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए सुविधाजनक वीजा प्रणाली एक पूर्व-शर्त है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर पहल कर रही है। दिसम्बर, 2018 में ई-वीजा सुविधाओं का विस्तार करके 167 देशों के नागरिकों के लिए इसे पांच उप-श्रेणियों में बांटा गया है। ये हैं- 'ई-टूरिस्ट वीजा', 'ई-बिजनेस वीजा', 'ई-मेडिकल वीजा', 'ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा', तथा 'ई-कांफ्रेंस वीजा'। इस अवधि में 'ई-टूरिस्ट वीजा' पर 2.4 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आये जो पिछले साल की तुलना में 39.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

चौबीसों घंटे और सातों दिन बहुभाषी टूरिस्ट इंफो लाइन

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों/आगंतुकों को यात्रा और पर्यटन के बारे में सूचना उपलब्ध कराने और भारत में यात्रा करते समय सलाह देकर मदद करने के लिए पर्यटन मंत्रालय हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे बहुभाषी टूरिस्ट इंफो लाइन सेवा उपलब्ध कराती है। भारत में रहते पर्यटकों द्वारा की गई कॉल्स (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू) निःशुल्क होती हैं। यह सेवा टेलीफोन नं. 1800 111 363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर उपलब्ध रहेगी। जिन अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में यह सेवा उपलब्ध है उनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, जापानी, कोरियन, चीनी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं।

विशिष्ट उत्पाद

भारत पहुंचने वाले लोगों में बांटने के लिए आप्रवासन काउंटर पर प्रवास को अधिक सुरक्षित और आरामदेह बनाने की कुछ हिदायतों वाले स्वागत कार्ड शुरू किए गए। पर्यटन की 'मौसम पर निर्भरता' संबंधी पहलू एक चुनौती है। पर्यटन मंत्रालय ने देश के विशिष्ट पर्यटन उत्पादकों की पहचान करने, इनमें विविधता लाने, इनका विकास करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए पहल की है। ऐसा मौसम पर निर्भरता से उबरने और भारत में साल के सभी 365 दिन को गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने, विशेष रुचियों वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और अनोखे पर्यटक उत्पादों की वजह से अपेक्षाकृत लाभप्रद भारत में पर्यटकों फिर से आने को लुभाने के लिए किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय जिन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की है उनमें शामिल हैं : क्रूज पर्यटन, एडवेंचर (साहसिक), मेडिकल (चिकित्सा), वैलनेस (आरोग्य), गोल्फ, पोलो, बैठक-प्रोत्साहन-सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई), इको-टूरिज्म, फिल्म पर्यटन और टिकाऊ पर्यटन।

राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन बोर्ड

राष्ट्रीय चिकित्सक और आरोग्य पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है जो भारत में चिकित्सा पर्यटन का संचालन और संवर्धन करने वाले अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा।

साहसिक पर्यटन हेतु कार्यबल

साहसिक पर्यटन से जुड़े मुद्दों जिनमें पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा शामिल हैं, के समाधान के लिए 2016 में कार्यबल गठित किया गया ताकि साहसिक पर्यटन का विकास हो और उसे प्रोत्साहन मिले।

आतिथ्य शिक्षा

आतिथ्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति का ढांचा खड़ा करना एक चुनौती है। पर्यटन मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि आवश्यक बुनियादी ढांचे की सहायता से प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की ऐसी प्रणाली तैयार की जाए जो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकताओं को गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से पूरा

कर सके। इस समय देश में 42 होटल प्रबंधन संस्थान हैं जिनमें से 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान हैं और 10 पाक कला संस्थान (फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट) हैं जो मंत्रालय की मदद से बने हैं। इनका गठन स्वायत्त समिति के रूप में आतिथ्य शिक्षा देने/आतिथ्य कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। जहां होटल प्रबंधन संस्थान डिग्री स्तर की आतिथ्य शिक्षा प्रदान करते हैं वहीं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कौशल स्तर की शिक्षा देते हैं। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद होटल प्रबंधन संस्थानों और भोजन कला संस्थानों के शैक्षिक प्रयासों को दिशा देते हैं और विनियमित करते हैं।

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है और भुवनेश्वर, नेल्लौर, नोएडा और गोवा में इसके केंद्र हैं। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान यात्रा और पर्यटन शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है जो पर्यटन और यात्रा उद्योग के लिए विशेषज्ञता पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है।

भारतीय पाक कला संस्थान

भारतीय पाक कला संस्थान की स्थापना पर्यटन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति में की है। यह भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसका शैक्षिक सत्र 2016 से प्रारंभ हुआ। मंत्रालय ने नोएडा में इसकी उत्तरी शाखा खोलकर संस्थान का विस्तार किया है।

अतुल्य भारत

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में मंत्रालय 'अतुल्य भारत' (इनक्रेडिबल इंडिया) के नारे के साथ प्रचार अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देना है ताकि देश में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों का आगमन हो और घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बढ़े। विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों के जरिए महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में कई तरह की प्रोत्साहन गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसी तरह के प्रयास घरेलू भारत पर्यटन कार्यालय देश के भीतर करते हैं। इनका उद्देश्य देश की पर्यटन क्षमता को विदेशी और घरेलू पर्यटकों के समक्ष उजागर करना है।

अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन अभियान

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। 2016-17 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियान की विश्वव्यापी शुरुआत की गई। मंत्रालय ने इसका शुभारंभ प्रमुख टेलीविजन चैन जैसे- सीएनएन, बीबीसी, डिस्कवरी और टीएलसी, यूरो न्यूज, हिस्ट्री, सीएनबीसी, ट्रैवल चैनल, सीबीएस (अमरीका), ताबी (जापान), आरएमसी (फ्रांस) और गूगल के जरिए किया। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक व खान-पान संबंधी विविधता से देशवासियों को अवगत कराने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 'भारत पर्व' का आयोजन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर किया।

पूर्वोत्तर भारत

मंत्रालय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को अपने अनेक मीडिया प्रचार अभियानों के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ने डिस्कवरी चैनल के सहयोग से पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'गो नॉर्थ ईस्ट' नाम की डॉक्यूमेंटरी शृंखला तैयार की है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय के दो प्रमुख योजनागत कार्यक्रम हैं। इनमें से 'स्वदेश दर्शन थीम' यानी किसी खास विषय पर आधारित पर्यटन सर्किटों के समन्वित विकास के लिए है जबकि 'प्रसाद' नाम का दूसरा कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थानों और धरोहर स्थलों समेत देश में पर्यटन के आधारभूत ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित करने और आध्यात्मिक उन्नति का अभियान है।

स्वदेश दर्शन योजना

स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित ऐसे पर्यटन सर्किटों (भ्रमण पथ) के विकास के लिए की गई है जिसमें पर्यटकों की

अधिकतम सुविधा, प्रतिस्पर्धात्मकता और निरंतरता के सिद्धांतों पर अमल करते हुए सभी संबद्ध पक्षों के सरोकारों का ध्यान रखते हुए उनके प्रयासों को समन्वित करने पर जोर दिया गया है, ताकि पर्यटकों के सुखद अनुभवों में वृद्धि हो और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ें। योजना के अंतर्गत थीम पर आधारित 13 पर्यटन सर्किटों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है जिनके नाम हैं: पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, समुद्र तटवर्ती सर्किट, कृष्ण सर्किट, मरुस्थलीय सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और धरोहर सर्किट।

प्रसाद योजना

तीर्थयात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित करने और आध्यात्मिक उन्नति की प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक महत्व के 25 स्थलों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है। ये हैं: अमरावती (आंध्र प्रदेश), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), अयोध्या (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ (उत्तराखंड), द्वारका (गुजरात), देवघर (झारखंड), बेलूर (पश्चिम बंगाल), गया (बिहार), गुरुवयूर (केरल), हजरतबल (जम्मू और कश्मीर), कामाख्या (असम), कांचीपुरम (तमिलनाडु), कटरा (जम्मू और कश्मीर), केदारनाथ (उत्तराखंड), मथुरा (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), पुरी (ओडिशा), श्रीसैलम (आंध्र प्रदेश), सोमनाथ (गुजरात), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), त्रयंबकेश्वर (महाराष्ट्र), उज्जैन (मध्य प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और वेल्लांकणी (तमिलनाडु)।

इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल एप

भारत को अध्यात्म, धरोहर, साहसिक, सांस्कृतिक, योग और आरोग्य तथा इसी तरह के विभिन्न अनुभव देने वाले समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल एप' जारी किया गया। इसे आधुनिक पर्यटकों की रुचियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के रुझान तथा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है। इस एप में भारत यात्रा के प्रत्येक चरण में पर्यटकों की मदद के लिए व्यवस्था की गई है।

इंडिया टूरिज्म मार्ट *2018*

पहले इंडियन टूरिज्म मार्ट-2018 का आयोजन नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (एफएआईटीएफ यानी पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की एसोसिएशनों के परिसंघ) ने राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के सहयोग से किया। इसने पर्यटन से जुड़े विभिन्न पक्षों को विदेशी खरीदारों के साथ एक ही स्थान पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया।

स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 आदर्श संपर्क स्मारकों के लिए संचालित स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप को अब विंडोज फोन और आई-फोन पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इससे पहले यह केवल एंड्रॉइड फोन पर उपलब्ध था। पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना निगरानी इकाई इस मोबाइल एप की निगरानी करती है। पर्यटन मंत्रालय ने ई-वीजा पर भारत आने वाले पर्यटकों को यहां पहुंचने पर प्री-लोडेड सिम कार्ड उपलब्ध कराने की एक योजना की शुरुआत 2017 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सहयोग से की। इसके अंतर्गत बीएसएनएल ई-वीजा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्री-लोडेड सिम कार्ड वितरित करता है। प्रारंभ में यह सुविधा ई-वीजा की सुविधा वाले नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (टी-3 टर्मिनल) पर उपलब्ध थी और बाद में बाकी 15 अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों में भी इसकी शुरुआत कर दी गई। इस पहल का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को टेलीफोन संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने परिवार और परिजनों से संपर्क बनाए रख सकें। साथ ही इससे वे मुसीबत के वक्त या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में पर्यटन मंत्रालय की सप्ताह में चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली बहुभाषिक निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा से सहायता और दिशानिर्देश प्राप्त कर सकें।

6 मूल आर्थिक आंकड़े

वर्ष 1999 में सांख्यिकीय विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का आपस में विलय करके एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय के दो खंड हैं: पहला सांख्यिकीय विषयक है और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। सांख्यिकीय खंड को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) का नया नाम दिया गया है जिसमें केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) शामिल हैं।

कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के तीन प्रभाग हैं: (i) बीस सूत्रीय कार्यक्रम (ii) अवसंरचना एवं परियोजना अनुरक्षण (निगरानी) तथा (iii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन तीन प्रभागों के अतिरिक्त भारत सरकार के संकल्प (एमओएसपीआई) के माध्यम से सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) तथा एक स्वायत्त संस्थान भी है, अर्थात भारतीय सांख्यिकीय संस्थान; जिसे संसद द्वारा अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
वेबसाइट: www.mospi.nic.in

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन

भारत सरकार ने एक जून, 2005 को पारित एक संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएससी) की स्थापना का निर्णय लिया था। एनएससी की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रंगराजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद की गयी थी जिसने वर्ष 2001 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा की थी। देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय एवं प्राधिकृत निकाय के रूप में कार्य करने वाली संस्था के तौर पर सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों का निर्धारण, निगरानी एवं प्रवर्तन करने और सांख्यिकीय समन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2006 में एनएससी का शुरुआती गठन किया गया था। एनएससी में एक अंशकालिक अध्यक्ष और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं जो विभिन्न सांख्यिकीय विधाओं के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त नीति आयोग के सचिव इस आयोग के अवैतनिक सदस्य होते हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् ही इस आयोग के सचिव होते हैं। वह सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव भी हैं।

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) मंत्रालय का ही एक संबद्ध कार्यालय है जो देशभर में सांख्यिकीय क्रियाकलापों का समन्वयन करता है और सांख्यिकीय मानकों का निर्धारण करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंकड़ों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास आंकड़े, जिसमें राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिंग आधारित आंकड़े भी सन्निहित हैं, से जुड़े क्रियाकलाप भी इस कार्यालय के जिम्मे हैं। साथ ही यह कार्यालय ऊर्जा (बिजली) संबंधी, सामाजिक एवं पर्यावरण विषयक आंकड़ों का प्रसार करता है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण भी तैयार करता है।

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने जनवरी, 2011 से देश के ग्रामीण और शहरी तथा संयुक्त रूप से दोनों के लिए (ग्रामीण+शहरी) अल्पकालिक आधार पर मूल्य तुलना हेतु अलग-अलग राज्य वार/केंद्र-शासित प्रदेश वार अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक जारी करने शुरू कर दिए थे। इनके लिए आधार वर्ष 2010 था। तदनुसार इन सूचकांकों के आधार पर जनवरी, 2012 से हर वर्ष वार्षिक मुद्रास्फीति के

आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। सीएसओ ने सीपीआई के लिए आधार वर्ष को 2010 से बदल कर 2012 कर दिया है और संशोधित शृंखला जनवरी, 2015 में शुरू की गई। संशोधित शृंखला के पहले वाली शृंखलाएं भी प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई गईं। ये सभी जानकारियां इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) भारत में औद्योगिक सांख्यिकीय जानने का प्रमुख स्रोत है। इसके माध्यम से निर्माण प्रक्रिया, टूट-फूट मरम्मत सेवाओं, विद्युत उत्पादन, पारेषण इत्यादि, गैस एवं जलापूर्ति और शीत भंडारण में लगे हुए संगठित क्षेत्र के उद्योगों की संरचना और आकार, विकास में आए बदलावों के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से एवं वास्तविक रूप से सांख्यिकीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

एएसआई पूरे देश के लिए है। इसके तत्वावधान में कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1948 के अनुच्छेद 2(एम)(i) और 2(एम)(ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने आते हैं जबकि निर्माण प्रक्रिया को इसी अधिनियम के अनुच्छेद 2(के) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सर्वेक्षण में बीड़ी और सिगार निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान भी हैं जिनको बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ऐसे सभी विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण उपक्रम, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत नहीं हैं, एएसआई भी के अंतर्गत आते हैं।

हालांकि रक्षा उद्यमों, तेल भंडारण और वितरण डिपो, रेलवे कार्यशालाएं, आरटीसी कार्यशालाएं, सरकारी टकसालें, स्वच्छता उपकरण, जल आपूर्ति इत्यादि को सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। एएसआई के सर्वेक्षण का दायरा कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1948 के अनुच्छेद 2(एम)(i) और 2(एम)(ii) और बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) अधिनियम, 1966 से आगे बढ़ा दिया गया है।

इसके तत्वावधान में शुरुआत के तौर पर इसमें 100 या उससे अधिक श्रमिकों वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयां, जो कारखाना अधिनियम (फैक्ट्रीज एक्ट), 1948 के अनुच्छेद 2(एम)(i) और 2(एम)(ii) के अंतर्गत अभी तक पंजीकृत नहीं हैं लेकिन इनमें से सात अन्य कानूनों/परिषदों/प्राधिकरणों अर्थात कंपनी अधिनियम, 1956; फैक्ट्री अधिनियम, 1948, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, समिति पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केंद्र) के प्रतिष्ठान व्यवसाय पंजिका (बीआरई) में दर्ज हैं, को शामिल किया गया है।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (स्पेशयल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स) के अनुरूप हर महीने औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) जारी किया जाता है जो अगले छह सप्ताहों के लिए होता है। आईआईपी का आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर 2011-12 किया गया और नई शृंखला मई 2017 में शुरू की गई। यह सूचकांक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्थापित 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए तैयार किया जाता है। तीन क्षेत्रों अर्थात खनन, निर्माण (उत्पादन) और विद्युत में सूचकांक के अलग-अलग आंकड़ों के अतिरिक्त प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत सामानों, मध्यवर्ती वस्तुओं, अवसंरचना/निर्माण वस्तुओं, स्थाई उपभोक्ता वस्तुओं एवं जल्दी नष्ट हो जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुरूप आंकड़े भी साथ-साथ ही जारी किए जाते हैं। पहले-पहल मिले आंकड़ों को एक महीने बाद इन 14 एजेंसियों से उत्पादन के संशोधित आंकड़े मिलने के बाद पहले संशोधन के रूप में जारी किया जाता है। फिर पहले संशोधन के दो महीने बाद इन आंकड़ों को दुबारा संशोधित किया जाता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग आईआईपी के आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है जो पूरे आईआईपी के लिए 407 में से 322 आंकड़े उपलब्ध कराकर कुल आंकड़ों का 47.5 प्रतिशत देता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाला राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

(एनएसएसओ) अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न विषयों के लिए व्यापक स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करवाने हेतु उत्तरदायी है। सांख्यिकीय अधिनियम एवं उपक्रम सर्वेक्षण नियमावली के अंतर्गत आर्थिक जनगणना के तारतम्य में अनुवर्ती गतिविधि के रूप में पूरे देश में घर-घर जाकर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों एवं उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) हेतु नियमित रूप से सर्वेक्षण करने के बाद प्राथमिक आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अतिरिक्त एनएसएसओ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मदों के मूल्यों संबंधी आंकड़े एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए क्षेत्रवार गणना और फसल (उपज) अनुमान सर्वेक्षणों का अध्ययन व परिवीक्षण करके फसल संबंधी सांख्यिकीय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिदर्श तैयार करने के लिए शहरी क्षेत्र एककों की प्रणाली भी संचालित करता है। एनएसएसओ उस राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) के समग्र दिशानिर्देशों और निगरानी के अंतर्गत अपने सर्वेक्षणों के आधार पर आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और उनके प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के मामले में आवश्यक प्राधिकारों और स्वायत्तता के साथ कार्य करता है जो अपने सर्वेक्षणों के लिए आवश्यक उपकरणों और कार्यविधि को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों वाली तकनीकी समितियों और कार्यदलों की नियुक्ति भी करता है। एनएसएसओ के समस्त कार्यकलापों के समग्र समन्वयन और निरीक्षण के लिए महानिदेशक (सर्वेक्षण) उत्तरदायी होते हैं तथा उनकी सहायता के लिए चार अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। इतने व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण के चार महत्वपूर्ण कारकों की डिजाइनिंग और आयोजना, जमीनी स्तर पर कार्य, आंकड़ा प्रसंस्करण एवं समन्वयन के लिए अलग-अलग विभागों के प्रभारी होते हैं।

मूल्य संबंधी आंकड़ों का संकलन

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) देश की शहरी आबादी से संबंध उपभोग वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के खुदरा मूल्य के सामान्य स्तर में एक अंतराल के बाद हुए परिवर्तन को शहरी क्षेत्रों में मापते हैं। सीपीआई (शहरी) का मूल्य आंकड़ों का संकलन कार्य 2008 में एनएएसएसओ के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रभाग द्वारा शुरू किया गया, जो उसने सीएसओ, मूल्य सांख्यिकीय प्रभाग के लिए किया था। सीपीआई (शहरी) के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2012=100 है। मूल्य आंकड़ों का संकलन कार्य देश के 310 शहरों में 1078 कोटेशन्स प्रति माह के तौर पर किया गया।

थोक मूल्य सूचकांक (बहिर्गामी) : थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का प्रयोग भारत में महंगाई के महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में किया जाता है। वित्तीय तथा मौद्रिक नीति में बदलाव बड़े पैमाने पर डब्ल्यूपीआई में बदलाव से प्रभावित होता है।

ग्रामीण खुदरा आंकड़ा संकलन : ग्रामीण खुदरा मूल्य आंकड़े उन क्षेत्रीय कार्य प्रभागों द्वाराजोएकत्र किए जाते हैं श्रम और रोज़गार मंत्रालय के श्रमिक ब्यूरो (लेबर ब्यूरो) से नियमित रूप से कृषि श्रमिकों/ ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बनाने के लिए प्राप्त होते हैं। वर्तमान में श्रमिक ब्यूरो ही कृषि श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का संकलन करके उसे प्रकाशित करता है। खपत के स्वभाव और प्रकार से उपभोक्ता मदों के मूल्यों में आने वाले बदलावों को दर्शाने के लिए वर्ष 1986 में 260 वस्तुओं की आवश्यक वस्तु बास्केट अपनाई गई थी। वस्तु बास्केट में शामिल मदों के मूल्य आंकड़े प्रत्येक माह 20 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में चयनित 603 गांवों/बाजारों से अनुसूची 3.01 (आर) का प्रयोग करते हुए एकत्र किए जाते हैं। आरपीसी बुलेटिन, जिसे 'ग्रामीण भारत में मूल्य और दिहाड़ी' भी कहते हैं, का प्रत्येक तिमाही में प्रकाशन किया जाता है, इसमें देशभर के आंकड़े मिलते हैं और दिहाड़ी से जुड़े आंकड़े राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के 26 प्रमुख शहरों के होते हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम

वर्ष 1975 में शुरू किए गए बीस सूत्री कार्यक्रम को 1982, 1986 और फिर 2006 में पुनर्गठित किया गया। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश से गरीबी का उन्मूलन करने और समाज के निर्धन एवं वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण जैसे विषय इस कार्यक्रम में शामिल हैं।

मूलरूप से इस कार्यक्रम में 20 सूत्र और 66 मदें थीं जिनकी अलग-अलग निगरानी संबंधित विषय देख रहे केंद्रीय मंत्रालय करते थे । इन 66 में से 25 की मासिक आधार पर और शेष की वार्षिक आधार पर इस मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती थी । इन 25 में से 21 के बारे में आवश्यक सूचनाएं विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों से एकत्र की जाती थी और शेष चार की जानकारी संबंधित मंत्रालयों से ली जाती थी । 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' इन 66 में से एक ऐसी योजना थी जिसे पहले 2008 से एक अन्य योजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' में मिलाया गया और 2009 में इसका नया नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' कर दिया गया । 2014 से आंकड़े हर तिमाही में एकत्र किए जाते हैं और मासिक निगरानी के स्थान पर तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है । वर्तमान में शेष 65 में से 19 योजनाओं की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जा रही है । वर्तमान की केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी में प्रखंड स्तर की निगरानी को जोड़कर टीपीपी -2006 के निगरानी कार्यतंत्र को विस्तृत किया गया है ।

निगरानी कार्यतंत्र

कार्यक्रम का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करने का प्राथमिक दायित्व उसे लागू करने वाली एजेंसी का है । जो इस मामले में राज्य सरकारें/केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालय होते हैं । सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय टीपीपी-2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी राज्य सरकारों/ केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासनों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त कार्य निष्पादन प्रतिवेदनों के विवेचन से करता है । मंत्रालय ने राज्य सरकारों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों से त्वरित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित की है ।

टीपीपी-2006 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही अधिकतर राज्य सरकारों/केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासनों एवं संबंधित नोडल केंद्रीय मंत्रालयों ने टीपीपी-2006 के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों/ योजनाओं कार्य प्रगति की निगरानी के लिए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी समितियां गठित की हैं ।

निगरानी और प्रभाव का मूल्यांकन

मंत्रालय ने अभी तक दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए हैं । पहला अध्ययन उत्तर-पूर्वी राज्यों के तीन चयनित जिलों में एमजीएनआरईजीए के प्रभाव से संबंधित है जबकि दूसरा अध्ययन दीनदयाल दिव्यांगता पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में किया गया था । मंत्रालय ने नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकनों के प्रतिवेदनों की बारीकी से जांच करने का कार्य भी किया है ।

अवसंरचना निगरानी

देश में प्रमुख और महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों की निगरानी की व्यवस्था निर्णय लेने वाले नीति निर्माता प्राधिकरणों को अब तक हुए कार्यों का ब्यौरा देने और कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों और रह गई कमियों का समग्र विवरण देने के लिए की गई है । यह मंत्रालय ग्यारह प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों- ऊर्जा (विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम, सड़कों, रेलवे, पोत परिवहन, पत्तनों (बंदरगाहों), नागर विमानन और दूरसंचार के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है । इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन की समीक्षा और विवेचना वर्तमान महीने और कुल अवधि के लिए निर्धारित वर्तमान लक्ष्य तथा इससे पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य के तुलनात्मक अध्ययन से की जाती है । अवसंरचना कार्य निष्पादन पर मासिक समीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अवसंरचनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भेजी जाती है ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) वर्ष 1993 में लागू की गई थी । प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया था । अक्टूबर, 1994 में यह योजना सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई । एमपीएलएडी योजना का उद्देश्य सांसदों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी योजनाओं में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल

देते हुए विकासोन्मुख कार्यों की अनुशंसा करने के लिए सक्षम बनाना है। ये राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं: स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पेयजल सुविधा, शिक्षा, विद्युत सुविधा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई सुविधा, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, सीवर, रेलवे, सड़कें, खड़ंजे एवं पुल, स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य इत्यादि। इस योजना के संचालन एवं प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमावली है। योजना के लिए वर्तमान नियमावली 2016 में संशोधित एवं प्रकाशित की गई थी।

योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं :

(i) पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना जिसके अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में कोष सीधे जिला प्रशासन को जारी किया जाता है।

(ii) योजना के अंतर्गत जारी किया गया कोष कालातीत नहीं होता अर्थात किसी निर्धारित वित्त वर्ष में यदि स्वीकृत धनराशि जारी नहीं हो पाती तो इसे पात्रता होने की स्थिति में अगले वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक सांसद/संसदीय क्षेत्र के लिए पांच करोड़ रुपये वार्षिक की पात्रता है।

(iii) योजना के अंतर्गत सांसद की भूमिका कार्यों के लिए प्रस्ताव देना व उनके लिए अनुशंसा करना है। उन्हें स्वीकृत करना व कार्यान्वयन के बाद प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

(iv) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए सिफ़ारिश (अनुशंसा) कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जिस राज्य से चुने गए हैं, वहां किसी भी स्थान के लिए सिफ़ारिश कर सकते हैं। संसद के लिए नामित सदस्य देश में किसी भी स्थान में कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकते हैं।

(v) सांसद निधि (एमपीएलएडीएस) कार्य बाढ़, तूफान, ओला वृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना, टिड्डी आक्रमण, भू-स्खलन, चक्रवात, भूकंप, सूखा, सुनामी, अग्निकांड तथा जैविक, रासायनिक, परमाणु विकिरण जैसे खतरों/ प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

(vi) अनुसूचित जाति/जनजाति वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से सांसद निधि (एमपीएलएडीएस) कोषों का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में व 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा।

(vii) यदि संसद का निर्वाचित सदस्य इन कोषों का उपयोग अपने राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी अन्य स्थान पर, जो उस राज्य में नहीं है अतः राज्य से बाहर है, के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष के लिए सिफ़ारिश कर सकता है। ऐसी सदभावना से जमीनी स्तर पर जन-साधारण में राष्ट्र एकता, समरसता और बंधुत्व को प्रोत्साहन मिलेगा।

(viii) संसद सदस्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तिपहिया रिक्शा (मोटर चलित रिक्शा सहित), बैटरी चलित व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग तथा नेत्रहीन एवं बधिर दिव्यांगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर सकता है।

7 वाणिज्य

वाणिज्य विभाग उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। वाणिज्य विभाग को आवश्यकतानुसार उचित अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्यिक नीतियों को बनाने व उनके प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के विनियमन, विकास और संवर्धन के लिए अधिकृत किया गया है। विभाग का मूल कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास हेतु उचित वातावरण और आधारभूत ढांचे (अवसंरचना) के निर्माण में सहायता देना है। विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का प्रतिपादन, क्रियान्वयन एवं निगरानी करता है जिसके द्वारा निर्यात और व्यापार संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली नीति और कार्यविधि का बुनियादी आधारभूत ढांचा मिलता है। इसके अलावा विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुविधा, कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं।

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2020 तक देश को वैश्विक व्यापार में प्रमुख भागीदार बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों में भारत की अग्रणी भूमिका को उसके बढ़ते महत्व के अनुरूप बनाने हेतु प्रयास करने का दृष्टिकोण अपनाया है। मध्यम अवधि की सोच में भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के 2017-18 तक निर्यात को 2008-09 के स्तर का दुगुना करना और दीर्घावधि की सोच में वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को भी दुगुना करने का लक्ष्य है।

निर्यात

भारत के माल निर्यात में अप्रैल-मार्च, 2009-10 से अप्रैल-मार्च, 2018-19 तक (त्वरित अनुमान) 7.09 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-मार्च, 2018-19 (त्वरित अनमान) के दौरान देश का माल निर्यात नई ऊंचाई को छूता हुआ 331.02 बिलियन अमरीकी डॉलर पर आ गया। इस दौरान इससे पिछले वर्ष की तुलना में 9.06 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस तरह यह वर्ष 2013-14 में किए गए 314 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वाधिक निर्यात को पार कर गया।

आयात

अप्रैल-मार्च, 2018-19 (त्वरित अनुमान) के दौरान आयातित माल का संयोजित मूल्य 507.44 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस दौरान इससे पिछले वर्ष की तुलना में 8.99 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 465.58 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया था। अप्रैल-मार्च, 2018-19 (त्वरित अनुमान) के दौरान 140.47 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल का आयात किया गया था जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए 108.66 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल आयात की तुलना में 29.27 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-मार्च, 2018-19 (त्वरित अनुमान) के दौरान 366.97 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के गैर-तेल वस्तुओं का आयात किया गया जोकि पिछले वर्ष किए गए 356.92 बिलियन

अमरीकी डॉलर मूल्य के आयात के मुकाबले 2.82 प्रतिशत अधिक था।

व्यापार संतुलन

अप्रैल-मार्च, 2018-19 (त्वरित अनुमान) के दौरान व्यापार घाटा 176.42 बिलियन अमरीकी डॉलर था जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 162.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अधिक है।

वैश्विक परिदृश्य

भारत ने हाल में प्रभावशाली वृद्धि की है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक विकास में करीब करीब ठहराव की स्थिति बनी रही है, जिससे वैश्विक व्यापार वृद्धि पर विपरीत असर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अक्तूबर, 2018 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में दर्शाई गई वैश्विक आर्थिक वृद्धि, विश्व उत्पादन वृद्धि की तुलना में कम रही है। हाल में जनवरी और अप्रैल 2019 की रिपोर्टों में वर्ष 2019 और 2020 के लिए संशोधित वैश्विक वृद्धि में गिरावट दर्शाई गई है। अप्रैल, 2019 के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 2019 में 3.3 प्रतिशत और 2020 में 3.6 प्रतिशत दर्शाई गयी है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर पांच प्रतिशत से मामूली कमी पर स्थिर दर्शाई गई है, हालांकि इसमें क्षेत्र और देश के संदर्भ में भिन्नता की सम्भावना है। एशिया की विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में वृद्धि दर वर्ष 2018 की 6.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019 में कम होकर 6.3 प्रतिशत हो जाएगी। जबकि वर्ष 2020 में वृद्धि दर 2019 के स्तर पर ही बने रहने का अनुमान है। वैश्विक वृद्धि में मंदी की आशंका बनी हुई है। विश्व की दो बड़ी शक्तियों- अमरीका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव से विश्व व्यापार पर दबाव पड़ सकता है। वित्तीय बाजार, अमरीका-चीन व्यापार सौदों और ब्रेक्जिट से उत्पन्न अनिश्चित्ताओं से प्रभावित हुए हैं। वर्ष मई माह के शुरू में चीन के साथ और जून से मैक्सिको के साथ अमरीका के बढ़ते व्यापार तनाव के बाद अमरीकी इक्विटी बाजार बिक्री के दबाव का सामना कर रहे हैं (आरबीआई, जून, 2019)।

व्यापार तनाव तथा नीतिगत अनिश्चितता के और बढ़ने से वृद्धि दर और अधिक कमजोर हो सकती है। वर्ष 2020 के बाद वार्षिक वृद्धि लगभग 3.6 प्रतिशत पर स्थिर रहने की सम्भावना है। ऐसा भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में वृद्धि के कारण हो सकता है। भारत और चीन ने धीमी वृद्धि वाली विकसित और उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अच्छी विकास दर हासिल की है। (हालांकि चीन की वृद्धि दर अंततः औसत ही रहेगी) (विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अप्रैल, 2019)।

चूंकि उभरता और विकासशील एशिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक गतिशील है फिर भी इस पर वैश्विक घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा है। एशिया में भारत और चीन लगातार विकास के महत्वपूर्ण वाहक बने हुए हैं। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की अप्रैल, 2019 में जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में 7.1 प्रतिशत विकास दर हासिल की और चीन की विकास दर 6.6 प्रतिशत रही।

वैश्विक व्यापार स्थिति

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार बढ़ते व्यापार तनावों और बढ़ती व्यापार अनिश्चितता के चलते वर्ष 2018 में अपेक्षा से कम विकास दर रहने के कारण वर्ष 2019 और 2020 में व्यापार में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्रियों को आशंका है कि वर्ष 2019 में माल व्यापार वृद्धि दर वर्ष 2018 के 3.0 प्रतिशत से कम होकर 2.6 प्रतिशत हो सकती है।

वर्ष 2018 के लिए ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में माल व्यापार की दृष्टि से 1.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 19वां सबसे बड़ा निर्यातक और 2.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 10वां सबसे बड़ा आयातक देश है। माल व्यापार के मामले में चीन दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश है और अमरीका सबसे बड़ा आयातक देश है। वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में भारत 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आठवां सबसे बड़ा निर्यातक और 3.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दसवां सबसे बड़ा आयातक देश है। वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में अमरीका विश्व में आयात और निर्यात दोनों के मामले में पहले स्थान पर है।

विदेश व्यापार

पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के लिए संरचना का प्रावधान किया गया है। विदेश व्यापार नीति को जारी किए जाने के साथ ही इसका विवरण, प्रक्रियाओं की पुस्तिका, परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र भी जारी किए गए हैं। प्रक्रिया पस्तिका में विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत जारी आदेशों और विदेश व्यापार विकास तथा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से निर्यातक या आयातक या लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो दस्तावेज शामिल होते हैं वे हैं: (क) प्रक्रियाओं की पुस्तिका (ख) परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र, (ग) मानक आगत-निर्गत मानदंड (एसआईओएन)। विदेश व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विदेश व्यापार के लिए स्थाई तथा सतत नीति के अनुकूल माहौल और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया तथा कारोबार सुगमता जैसी पहल के साथ आयात-निर्यात के लिए अन्य प्रोत्साहन तथा संबद्ध नियम व प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है ताकि भारत के निर्यात में विविधता लाई जा सके। इसके लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करने के वास्ते देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। विदेश व्यापार नीति के तहत देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए करों के बोझ से बचने, प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहित करने और संवर्द्धन के उपायों का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य निर्यातकों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए अब संरचनात्मक अक्षमता और अतिरिक्त खर्चों को कम करना है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों को विदेश व्यापार नीति में शामिल करने के लिए इसमें समुचित बदलाव किए गए हैं।

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य, विदेश व्यापार क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर पहला व्यापक वक्तव्य है। विदेश व्यापार निष्पादन में सुधार के लिए व्यापक कार्यात्मक संरचना विकसित करना जरूरी है जो कई प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। विदेश व्यापार नीति ब्यौरा के जरिए विदेश व्यापार क्षेत्र पर समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले इसमें विदेश व्यापार क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक कुछ ढांचागत और संस्थागत संस्थानों को दक्ष बनाने के लिए सरकारी रणनीति के बारे में बताया गया है। दूसरा, इसमें ऐसे तौर-तरीके भी बताए गए हैं जिनके तहत सरकार व्यापार भागीदारों के साथ व्यापार और आर्थिक एकीकरण समझौता करेगी और भारतीय उद्यमियों के लिए बेहतर काम करेगी। सरकार ने विदेश व्यापार नीति के जरिए एक बड़ी पहल की है। इसके अंतर्गत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में मुख्यधारा के राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों को साथ लिया है। विदेश व्यापाईनीति के तहत दो न योजनाएं शुरू की गई हैं। ये हैं-विशिष्ट बाजारों को विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस) और अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)।

माल निर्यात

भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस) की शुरुआत विदेश व्यापार नीति के तहत की गई थी। विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य देश में उत्पादित/विनिर्मित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यातकों के लिए अवसंरचनात्मक अक्षमता और अतिरिक्त खर्चों को समाप्त करना है। इस योजना के तहत निर्यातक, निर्यातित उत्पाद के एचएस कोड पर आधारित वर्ष 2018-19 में किए गए निर्यात के लिए एफओबी मूल्य के दो, तीन, चार, पांच और सात. 10 और 20 प्रतिशत में से किसी एक दर पर शुल्क जमा पावती पत्र के लिए पात्र होंगे। ये पावती पत्र हस्तांतरणीय हैं और इनका इस्तेमाल सीमा शुल्क सहित कुछ केंद्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस योजना के दायरे में 8000 टेरिफ लाइन्स से अधिक का निर्यात आता है (सभी देशों के साथ आठ अंक के स्तर पर 3 दिसंबर, 2018 तक 8056 एचएस कोड थे)।

कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

भारत से माल निर्यात योजना (एमईआईएस) अनुसूची के अधिकतर कोड के लिए प्रणाली प्रमाणीकृत तंत्र के तहत बिना मानवीय हस्तक्षेप के इस योजना का लाभ देने के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन ई-कॉम मॉड्यूल वर्ष 2018

से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस मॉड्यूल में एक सुविधा और जोड़ी गई है जिससे निर्यातकों को प्रमाणीकरण के बारे में स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। एमईआईएस के तहत मामलों की जांच के लिए एक नई जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है जो औचक चयन की बजाय एचएस कोड पर आधारित है। इसे विदेश व्यापार का महानिदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लागू किया जा रहा है। ई-कॉमर्स शिपमेंट्स के लिए भारत से माल निर्यात योजना के वास्ते आवेदन के लिए 2019 में ई-कॉम मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। इसके लिए कम से कम दस्तावेजों के साथ एक नये आयात-निर्यात प्रपत्र को भी अधिसूचित किया गया है।

सेवा निर्यात

भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) के तहत विदेशी विनिमय अर्जन पर अधिसूचित सेवाओं के उन सेवा प्रदाताओं के लिए इनाम हैं जो भारत से विदेशों में सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सेवाएं शुल्क जमा पावती पत्र के रूप में हैं जो अंतरणीय हैं और इनका इस्तेमाल सीमा शुल्क सहित कुछ केंद्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। व्यापार निर्यात नीति की मध्यावधि समीक्षा में नवम्बर, 2017 से निर्यात के लिए इन सभी सेवाओं की दर में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है और इस तरह वार्षिक प्रोत्साहन राशि में 1,140 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। भारत से सेवा निर्यात योजना के तहत आवेदन करने वाले निर्यातकों के लिए वर्ष 2018 में नया आवेदन प्रपत्र अधिसूचित किया गया था। इसमें अनावश्यक विषय हटा दिए गए। नये प्रपत्र पर आधारित भारत से सेवा निर्यात योजना के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। इसमें एएनएफ 3 बी के तहत आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा है।

शुल्क छूट योजनाएं

शुल्क निराकरण/छूट योजनाएं सरकार के इस सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का किया जाता है न कि करों और शुल्कों का। इसका उद्देश्य शुल्क मुक्त आयात/आगत की प्राप्ति की अनुमति या इस्तेमाल किए गए आगत या इनके शुल्क घटक पर पुनः पूर्ति की अनुमति देना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

अग्रिम प्राधिकरण योजना

अग्रिम प्राधिकार देने की योजना के तहत निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक ईंधन, तेल और आवेजक इत्यादि सहित अन्य उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है। आगतों की अनुमति या तो मानक आगत-निर्गत मानदंडों (एसआईओएन) या वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के तहत अस्थाई मानकों के आधार पर जाती है। मानकों का निर्धारण तकनीकी समिति या मानक समिति द्वारा किया जाता है। यह सुविधा वास्तविक निर्यात (विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों और आर्थिक क्षेत्र इकाई डेवलपरों सहित) और मध्यम आपूर्ति सहित प्रस्तावित निर्यात के लिए उपलब्ध है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर न्यूनतम मूल्य संवर्द्धन 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। निर्यातकों को मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टि से विर्निदिष्ट समयावधि में निर्यात उत्तरदायित्वों को पूरा करना होता है। प्राधिकारों के संयोजन की सुविधाएं सरल बनाई गईं और अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया। कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके निर्यात पर प्रतिबंध था, उन्हें भी अनुबंधित शर्तों के आधार पर अग्रिम प्राधिकार देने की योजना के तहत निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण *(*डीएफआईए*)*

वर्ष 2006 से लागू शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) के तहत निर्यात पूरा हो जाने के बाद उन उत्पादों के लिए जिनके वास्ते मानक आगत-निर्गत मानदंड अधिसूचित किए जा चुके हैं, निर्यात के आधार पर शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार जारी किए जाएंगे। इस योजना के उद्देश्यों में, निर्यात पूरा होने के बाद प्राधिकारों या मानक आगत-निर्गत मानदंड के अनुरूप आयातित उत्पादों के अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार योजना के प्रावधान, अग्रिम प्राधिकार योजना के समान है। इस योजना के तहत 20 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य संवर्द्धन आवश्यक है।

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं

देश के कुल माल निर्यात में रत्न और आभूषण क्षेत्र का हिस्सा बहुत अधिक है। यह एक रोजगारपरक क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण रत्न और आभूषण निर्यात पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। नामजद एजेंसियों से मूल्यवान धातुओं (सोना/चांदी/प्लेटिनम) का शुल्क मुक्त आयात/खरीद की अनुमति, अग्रिम या पुनः पूर्ति के रूप में दी गई है। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार योजना रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए नहीं होगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं इस प्रकार हैं :

नामजद एजेंसियों से मूल्यवान धातुओं की अग्रिम खरीद/पुनः पूर्ति; रत्नों के लिए पुनः पूर्ति प्राधिकार; उपभोग्य सामग्री के लिए पुनः पूर्ति प्राधिकरण; मूल्यवान धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार।

उद्योग की बढ़ती मांग को देखते हुए, आभूषण के भागों को जोड़ने में मदद के लिए पश्च, बांध, पश्च कर्ण जैसी वस्तुएं जिनमें तीन कैरेट और इससे अधिक 22 कैरेट की अधिकतम सीमा तक सोना हो, उन्हें भी शुल्क छूट योजना के तहत अनुमति दी गई है।

शुल्क छूट योजना के तहत प्राधिकारों का जारी करना

प्राधिकारों को विभिन्न योजनाओं- अग्रिम प्राधिकारों, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकारों और पुनः पूर्ति लाइसेंस (रत्न और आभूषण) के तहत जारी किया जाता है।

पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्द्धन *(*ईपीसीजी*)* योजना

पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्द्धन (ईपीसीजी) योजना का उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम कोटि की सेवाओं और उत्पादों के उत्पादन के वास्ते पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत शून्य सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति दी जाती है जिसमें शर्त है कि शुल्कों तथा करों के छह गुणा के तुल्य निर्यात की जिम्मेदारी अदा करे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय

विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, जिसका प्रमुख विदेश व्यापार का महानिदेशक होता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी जब सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार का दौर चल रहा था। यह संगठन अपनी स्थापना के समय से ही विनियमों के जरिए विदेश व्यापार के नियमन और संवर्द्धन में कार्यरत है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के अनुरूप कार्यरत होकर और कुल मिलाकर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को सुविधा प्रदाता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात/निर्यात पर नियंत्रण और निषेध के बजाय आयात/निर्यात संवर्द्धन और इ सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे देश के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति बनाने और इसे लागू करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातकों को प्राप्ति पत्र/प्राधिकार भी जारी करता है और अपने 38 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इंदौर में एक विस्तार काउंटर के जरिए निर्यातकों के कार्यों की निगरानी करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलुरु, बेलागवी, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, एर्नाकुलम (कोच्चि), गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मदुरै, मुरादाबाद, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी (गोवा), पानीपत, पटना, पुद्दुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, शिलांग, श्रीनगर, सूरत, तिरुअनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापत्तनम, वडोदरा और विजयवाड़ा में हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय और इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय आईएसओ 9000-2008 प्रमाणित संगठन हैं। इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालय आयातकों तथा निर्यातकों को अपने व्यापार संबंधी निर्णय लेने में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों जैसे विश्व व्यापार संगठन समझौतों, नियमों और डंपिंग रोधी मुद्दों के संदर्भ में होने वाले घटनाक्रम के बारे में सहायता प्रदान करते हैं।
वेबसाइट: www.dgft.gov.in

ध्यान देने योग्य वर्तमान मुद्दे

विकास की इस उत्साहजनक छलांग के बावजूद जहां तक निर्यात क्षेत्र का संबंध है, कई जोखिम के क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर विभाग को ध्यान केंद्रित करना है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समीक्षा करके उसे मजबूत किया गया है। वस्त्र क्षेत्र के दो उपक्षेत्रों, अर्थात तैयार (रेडीमेड) परिधानों और बने-बनाए वस्त्रों के लिए एमईआईएस प्रोत्साहनों को दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें 2,743 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है। सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित सेवाओं जैसे- व्यवसाय, न्यायिक, लेखा कार्य, वास्तु-कला संबंधी, अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग), शैक्षणिक, चिकित्सालय, होटल एवं रेस्त्रां के लिए एसईआईएस प्रोत्साहनों को दो प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सेवा क्षेत्र के लिए अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि 1,140 करोड़ रुपये होगी। प्रतिभूति प्रमाण-पत्रों व शेयरों के स्थानांतरण तथा बिक्री पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है तथा स्वयं घोषणा के साथ सीमा शुल्क छूट योजना के अंतर्गत निर्यात उत्पादनों के लिए करमुक्त निवेशों की अनुमति देने के लिए नई न्यासी आधारित स्वयं सत्यापन योजना शुरू की गई है।

जीएसटी के साथ श्रेणीबद्ध करना

निवेशों पर अग्रिम जीएसटी के भुगतान के कारण निर्यातकों की चालू पूंजी फंस जाने के मुद्दे को हल कर लिया गया है। अग्रिम अधिकार देने के अंतर्गत 'पूंजीगत सामग्री योजना' (ईपीजीसी) के लिए निर्यात संवर्धन, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयूज) के लिए निर्यातकों को अपने निर्यात हेतु किसी भी प्रकार के जीएसटी के अग्रिम भुगतान के बिना विदेशों के अलावा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से भी निवेश तथा पूंजीगत सामान मंगाने की सुविधा दी गई है। इन योजनाओं को चालू करने के लिए अप्रैल, 2018 से ई-वॉलेट भी शुरू किया गया है। जीएसटी ने भारतीय निर्यात के लिए एक नया नियामक तंत्र तैयार कर दिया है। इसने घरेलू कारोबारी कंपनियों के साथ ही निर्यातक कंपनियों की सुविधा के लिए कई नए सकारात्मक बदलाव शुरू किए हैं। कंपनियों को अब कम संख्या में करों का भुगतान करना होता है (17 करों के स्थान पर एक जीएसटी), कर की पहले से कम राशि; (जीएसटी से पहले के 25-28 प्रतिशत कराधान के स्थान पर औद्योगिक उत्पादों के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी) अधिक कर भारों की तुलना में कम कर का भुगतान।

सभी राज्यों में जीएसटी की एक समान दर ने कर भार और अनुपालन लागत को और अधिक घटा दिया है। इन बदलावों से लागत में कमी आती है और प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है अतः निर्यात के लिए यह लाभदायक होगा। जीएसटी निर्यात का मूल्यांकन शून्य आपूर्ति के रूप में करता है, यह डब्ल्यूटीओ द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है। शुरुआत में जीएसटी नियमों के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए किसी भी निवेश का आयात करते समय सभी प्रकार के करों का भुगतान करना होता था और निर्यात के बाद ही करों के रूप में जमा कराए गए धन की वापसी होती थ हालांकि ऐसा करते समय निर्यातकों को अपनी पूंजी के अटक जाने की आशंका बनी रहती थी। उनके अनुरोध पर जीएसटी परिषद ने अग्रिम अधिकार-पत्र, ईपीसीजी और 100 प्रतिशत ईओयू योजनाओं का उपयोग करते हुए निवेशों को मंगाते समय जीएसटी के भुगतान में छूट देने की अनुमति दे दी है।

राजकीय ई-बाज़ार

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) ने सरकार/लोक उपक्रमों द्वारा खरीदी-बेची गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समर्पित 'ई-बाजार' की स्थापना की है। यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद एवं आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच है। इस पोर्टल को अगस्त, 2016 में शुरू किया गया था और अक्टूबर, 2016 तक यह पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। अक्टूबर, 2017 में डीजीएसएंडडी को समेट दिया गया है। राजकीय ई-बाजार (जीईएम) एक मापन प्रणाली है तथा यह पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी एवं व्यवस्था संचालित होने के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं की सरलता, कुशलता एवं तीव्रता से आपूर्ति करती है। जीईएम आपूर्ति प्रक्रिया की अपनेआप में पूर्ण श्रृंखला है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण से लेकर क्रेता (खरीदार) द्वारा वस्तुओं का चयन, आपूर्ति आदेश बनाना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की पावती से लेकर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था है।

व्यापार सुगमीकरण

भारत द्वारा व्यापार सुगमीकरण करार (टीएफए) की संपुष्टि किए जाने के बाद राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण समिति (एनटीएफसी) का गठन किया गया। चार कार्य समूहों का गठन (i) अवसंरचना, (ii)न्यायिक विषयों, (iii) पहुंच तथा (iv) समय निर्गमन अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। साथ ही सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण कार्य योजना (एनटीएफएपी) बनाई गई, जिसके द्वारा क्रियान्वयन समय-सीमा के अंतर्गत 76 व्यापार सुगमीकरण उपायों की पहचान की गई जिनमें से 51 टीएफए + गतिविधियां हैं। टीएफए श्रेणी 'बी' की वस्तुओं के लिए इन उपायों को पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के स्थान पर तीन वर्ष में ही लागू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्यात की वस्तुओं और सॉफ्टवेयर की निगरानी करने और रिजर्व बैंक द्वारा विकसित एक एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकृत डीलर बैंकों द्वारा सभी प्रकार के विवरणों एवं रिटर्न्स जमा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत आईटी-आधारित प्रणाली है जिसे 'निर्यात आंकड़े संसाधन एवं निगरानी प्रणाली' (ईडीपीएमएस) कहा जाता है। सभी 19 समुद्री बंदरगाहों और 17 हवाई माल अड्डों पर सभी प्रवेश बीजकों (बिलों) के लिए 24 x 7 समयानुसार प्रत्येक दिन और चौबिसों घंटे सीमा शुल्क निकासी सुविधा प्रदान की गई है।

आधुनिकतम व्यापार विश्लेषक

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में एक आधुनिकतम व्यापार विश्लेषक की स्थापना की गई है। इस नवाचार में व्यापारिक अधिसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त व्यापारिक सूचनाओं एवं भारत के प्रमुख निर्यात बाज़ारों से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों का विश्लेषण करने और उनका संसाधन प्रोसेसिंग करने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई की पहचान की व्यवस्था की गई है। नए निर्यात बाजारों की खोज के अंतर्गत अफ्रीका जैसे विशाल संभावना वाले अभी तक के अल्पज्ञात एवं अछूते बाजारों में भारत का निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। ताकि न केवल वस्तुओं का व्यापार और निवेश ही बढ़े बल्कि क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य देखरेख एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों तक भी पहुंच बनाई जा सके। कृषि उत्पाद संसाधन, उत्पादन, खनन, वस्त्र, उपभोक्ता उत्पाद, आधारभूत संरचना विकास और निर्माण ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र होंगे। आसान ऋण सुविधा के माध्यम से परियोजनाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ ही लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों से अधिकाधिक अनुबंध करना।

वेब पोर्टल

डीजीएफटी ने आसानी से काम करने वाली और जल्दी सूचना प्रदान करने वाली वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट में एक ज्यादा सक्रिय घटक हैं जिससे व्यापारी समुदाय सूचना, शिक्षा, संवाद (आईईसी) और अन्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। विभाग द्वारा शुरू किए गए भारतीय व्यापार पोर्टल में निय एवं आयात से जुड़ी उपयोगी सूचनाएं डाली जाती हैं। इसमें भारतीय वाणिज्य दूतावासों द्वारा अपलोड की गई जानकारी, भारत के प्रमुख व्यापार सहयोगियों के शुल्क एवं व्यापार आंकड़े, निर्यात बाज़ार रिपोर्ट एवं व्यापार समझौते शामिल हैं।

क्षमता निर्माण

निर्यात के लिए नए उद्यमियों का कौशल विकास एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। पिछले दो वर्षों में डीजीएफटी द्वारा लागू 'निर्यात बंधु कार्यक्रम' के अंतर्गत 50,000 से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर स्टार्टअप इंडिया एवं कौशल भारत (स्किल इंडिया) पहल पूरी की गई। विभाग के अधीन कार्यरत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय पैकेजिंग संस्थान, भारतीय प्लांटेशन संस्थान, निर्यात संवर्धन परिषद, उत्कृष्टता केंद्र, प्लांटेशन अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों में संस्थागत ढांचे को क्षमता निर्माण, निर्यात संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास और दीर्घावधि नीति-निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र

वैश्वीकरण प्रक्रिया की जटिलताओं और घरेलू नीति-निर्माण में इसके कारण आए उतार-चढ़ावों के चलते वर्तमान अनुसंधान क्षमताओं को और बड़े पैमाने पर बढ़ाने एवं उन्हें नए तथा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रयोग में लाने की

आवश्यकता अनुभव की जा रही थी । इसी क्रम में एक नए संस्थान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र (सीआरआईटी) की स्थापना की गई । आशा की जाती है कि यह संस्थान इन जरूरतों को पूरा कर सकेगा एवं उन विकासशील देशों के साथ ऐसे दीर्घावधि सहयोग संबंध बनाने में सहायक सिद्ध होगा जिनके हित भारत से मिलने की संभावना है और जो वैश्विक स्तर पर लंबे समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत के व्यापार सहयोगी बन सकते हैं। सीआरआईटी के पांच अनुसंधान केंद्र व्यापार निवेश कानून केंद्र, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, व्यापार संवर्धन केंद्र और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अध्ययन केंद्र होंगे ।

व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का गठन 2015 में किया गया था। यह परिषद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से उनके राज्यों में एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम परिस्थितियों की उपलब्धता के लिए निरंतर विचार-विमर्श को सुनिश्चित करने के साथ ही देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को सक्रिय सहयोगी बनाने के लिए एक तंत्र तैयार करेगी।

निर्यात में वृद्धि के संबंध में राज्यों से अपनी व्यापार नीति को विकसित करने, निर्यात आयुक्तों की नियुक्ति करने, वस्तुओं के आवागमन पर रोक लगाने वाली ढांचागत कमियों को दुरुस्त करने, मूल्यवर्धित कर (वीएटी), चुंगी, राज्य स्तरीय करों की धन वापसी, विभिन्न स्वीकृतियों से जुड़े मुद्दों के समाधान एवं नए निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत एशिया के पहले देशों में से एक था जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (ईपीजी) मॉडल के महत्व को समझा । इसकी शुरुआत 1965 में कांडला स्थित एशिया के पहले ईपीजी के साथ हुई थी । नियंत्रण और निर्गम की विविधता, विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक ढांचे और अस्थायी राजस्व व्यवस्था की कमियों को देखते हुए तथा भारत में वृहद विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजी) नीति की घोषणा की गई थी । इस नीति के आधार पर, केंद्र और राज्यों में, न्यूनतम संभव नियामकों और आकर्षक राजस्व पैकेज के आधार पर एसईजी को आर्थिक विकास के अग्रणी स्थल बनाने की तैयारी की गई । वर्ष 2000 से 2006 तक भारत में एसईजी विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों पर चले जिसके बाद उचित कानूनों के आधार पर इनके लिए राजस्व को भी प्रोत्साहन दिया गया।

एसईजी नियमाधारित 2005 का एसईजी कानून वर्ष 2006 में अमल में लाया गया । इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारों से जुड़े मामलों को एक ही स्थान पर पारित करने और अन्य कार्यपद्धतियों को सरल बनाने का कार्य किया गया । एसईजी कानून के प्रमुख लक्ष्य हैं: अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का विकास; वस्तुओं और सेवाओं निर्यात को प्रोत्साहन; घरेलू और विदेशी निवेश स्रोतों को प्रोत्साहन; रोजगार के अवसरों का विकास; और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।

डिजिटाइजेशन और पीएफएमएस

इस विभाग के सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों- दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एवं मुंबई का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है । डिजिटाइजेशन हेतु एक सिरे से दूसरे सिरे तक के ऑनलाइन भुगतान के लिए पीएफएमएस के ईएटी और डीबीटी मापदंड (मॉड्यूल) को लागू किया गया है । पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीजकों (बिलों) की आंशिक पूर्व जांच और भुगतान किया जाता है।

गुणवत्ता के मानक सरकार

भारत को उत्पादन और निर्यात का केंद्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। अभी बहुत-से भारतीय उत्पाद जांच के दौरान उनमें कीटनाशकों, रोगाणुओं, अवैध रंजकों के अंश पाए जाने पर प्रयोगशाला परीक्षणों में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं । भारतीय कारोबारी गुणवत्ता के ऊंचे मानकों को प्राप्त कर सकें इसके लिए गुणवत्ता और आधारभूत संरचनाओं को आधुनिकतम बनाने एवं मानकों पर खरे न उतर सकने वाले निम्न कोटि के आयात से भारतीय उपभोक्ताओं को बचाने के प्रयास जारी रहेंगे । अधिक से अधिक वैश्विक मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना, भारतीय प्रयोगशालाओं की क्षमता

में वृद्धि और सहयोगी देशों के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उपभोक्ताओं का संरक्षण, उत्पादित तिजारती सामान की गुणवत्ता में सुधार एवं सर्वाधिक सूक्ष्मदर्शी बाजारों तक भारतीय निर्यात बढ़ा सकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए एक रूपरेखा बना ली गई है।

एंटी-डंपिंग

विभाग के अधीन एंटी-डंपिंग एवं संवर्गी शुल्क महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी-डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज-डीजीएडी) की भूमिका स्वदेशी उद्योगों को विदेशी निर्यातकों के समान अवसर उपलब्ध कराने की है ताकि वे घरेलू बाजारों में उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। यह उपाय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के अंतर्गत किया गया है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुपालन में है। अगस्त, 2017 में डीजीएडी की जांच प्रक्रिया को आईएसओ-9001:2015 आज्ञाकारिता (कमप्लाऐंट) प्राप्त हो गई जिससे महानिदेशालय के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही आ गई है। विभाग ने अपने क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपीज) को विकसित कर लिया है। इन एसओपीज को गुणवत्ता नियमावली एवं प्रक्रियाओं में कूटबद्ध कर दिया गया है।

8 | संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय करता है । इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मिशन है, ई-गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सतत विकास को बढ़ावा देना। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का विस्तार और देश में इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है। वहीं संचार मंत्रालय का काम डाक एवं दूरसंचार विभाग की देखरेख करना है। इन विभागों की विशेषताएं, गतिविधियां और इनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में यहां बताया गया है।
वेबसाइट: www.meity.gov.in, www.indiapost.gov.in

डाक

भारत में वर्ष 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था और इसे 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया। डाक नेटवर्क का विस्तार 1786 से 1793 के दौरान हुआ। वर्ष 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तत्कालीन तीन प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे लाया जा सके। इसके बाद, 1854 के डाकघर अधिनियम में संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप बदल गया और 1 अक्टूबर, 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए जाने लगे। देश में पहला डाक टिकट उसी समय जारी किया गया था जो पूरे देश में मान्य था। डाक टिकटों की दरें कम और समान रखी गईं। डाक दर दूरी के हिसाब से न होकर भेजे जाने वाले पत्र अथवा पैकेट के वजन से तय की गई। आमजन पहली बार एक ऐसी सुविधा का उपयोग कर सके जिसके तहत उन्हें दरवाज़े तक पत्र मिलने लगे। पहले इस तरह की सुविधा केवल राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी अधिकारियों को ही मिलती थी। तब से डाक ने देश में सभी के जीवन को प्रभावित किया है। यद्यपि ब्रिटिश शासन ने साम्राज्यवादी हितों के लिए डाकघरों की स्थापना की, लेकिन डाकघर, रेल और टेलीग्राफ के साथ सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बन गया।

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1898 द्वारा भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया जाता है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में डाकघर, डाक बंगलों और डाक सरायों की देखभाल करके यात्रा को भी सगम और सहज बनाते थे। मेल ऑर्डर सेवा 1877 में मल्य देय प्रणाली शरू होने के साथ प्रारंभ जबकि 1880 से मनीऑर्डर सेवा के माध्यम से दरवाजे पर धनराशि प्राप्त करना संभव हुआ। 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ होने के साथ बैंकिंग सुविधा सभी लोगों तक पहुंची और 1884 तक सभी सरकारी कर्मियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया। डाक संचार सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर नेटवर्क 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से धन का हस्तांतरण, बैंकिंग और बीमा सेवा भी दे रहा है।

संगठन का संक्षिप्त विवरण

डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय डाक सेवा

बोर्ड है। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं छह सदस्य हैं। बोर्ड के छह सदस्य कार्मिक, डाक प्रचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, बैंकिंग और मानव संसाधन विकास और नियोजन के विभागों का कार्य देखते हैं। संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बोर्ड के आमंत्रित स्थायी सदस्य हैं। सेवा बोर्ड का अध्यक्ष डाक विभाग का सचिव भी होता है। बोर्ड की बैठकों में विभाग के महानिदेशक और उप महानिदेशक भी शामिल होते हैं।

वित्तीय सेवाएं

डाक विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है जो इन योजनाओं से संबंधित ढांचागत और नियामकों में फेर-बदल करता है और डाक विभाग को पारिश्रमिक भुगतान करता है। डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) में कई करोड खाताधारक हैं। बचत बैंक सविधा 1.54 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। डाकघर बचत बैंक बचत खाते, रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी), टाइम डिपॉजिट (टीडी), मासिक आय योजना (एमआईएस), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एनएससी), किसान विकास-पत्र (केवीपी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी योजनाएं चलाते हैं।

म्यूचुअल फंड्स बिक्री

डाकघर देश में पूंजी बाज़ार की पहुंच को बढ़ाने तथा सामान्य जन को बाजार आधारित निवेश विकल्प उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में 2,000 डाकघरों के माध्यम से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विभिन्न म्यूचुअल फंड उत्पादों की रिटेलिंग की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा

अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा विदेशों से व्यक्तिगत तौर पर भारत में धन भेजने का त्वरित और सहज तरीका है। वेस्टर्न यूनियन जैसी अत्याधुनिक धन स्थानांतरण वित्तीय सेवाओं के डाकघरों तथा भारत सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से 195 देशों से भारत में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाला धन शीघ्र और सहज तरीके से मिल जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

2009 में सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसे पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए करीबी इकाई है। भारतीय डाक व्यवस्था आम जन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) है। 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और 60 वर्ष की आयु तक योजना में अपना अंशदान कर सकता है। पेंशन अंशदान का निवेश पेंशन फंड नियामक (पीएफआरडीए) द्वारा भुगतानकर्ता की प्राथमिकता के मुताबिक उसकी पसंद की योजना में किया जाता है।

जन सुरक्षा योजनाएं

जन सुरक्षा योजनाएं तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) सभी सीबीएस डाकघरों में 7 सितंबर, 2015 से लॉन्च की गई थीं। ये योजनाएं डाकघर के सभी बचत खाताधारकों के लिए उपलब्ध हैं। डाक विभाग ने पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (एनआईसी) और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2015 से सीबीएस मुख्य डाकघरों में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भी लॉन्च की गई थी।

कोर बैंकिंग समाधान और एटीएम की स्थापना

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लाना है। परियोजना का उद्देश्य चालू योजनाअवधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के लिए सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान को लागू करना है। परियोजना से 'कहीं भी, कभी भी' बैंकिंग, एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

मिल सकेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना

कन्या शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना नामक नई लघु बचत योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के नाम पर उसके कानूनी/नैसर्गिक अभिभावक एक खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के अधीन वह दो कन्याओं के नाम पर उनके जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक दो अलग-अलग खाते भी खुलवा सकते हैं।

भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक

भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना सामान्य जन के लिए सबसे सुगम्य, वहनीय और भरोसेमंद बैंक के तौर पर 2016 में की गई थी। इसका लक्ष्य प्रमुख रूप से नगद आधारित अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेन-देन की स्थापना और बैंकिंग दायरे से बाहर के लोगों को इसके अधीन लाना है। आईपीपीबी को डाक विभाग के अंतर्गत 100 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के तौर पर शामिल किया गया है। देश भर में आईपीपीबी की 650 शाखाएं स्थापित की गई हैं जो जिला प्रधान डाकघरों से जुड़ी हैं। जिलों के सभी डाकघरों को भी उनकी आईपीपीबी शाखा से जोड़ा गया है। इसके अनुसार, 1.36 लाख अधिगम स्थलों के साथ आईपीपीबी देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है जिसके अधीन 3 लाख प्रशिक्षित और पंजीकृत डाककर्मी और जीडीएस घरों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाते हैं।

आईपीपीबी अनेक सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें प्रमुख हैं - (1) बचत जमा - बचत खाता, चालू खाता; (2) राशि हस्तांतरण - सरल, सुरक्षित, त्वरित एवं चौबीस घंटे सुविधा; (3) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण - मनरेगा, छात्रवृत्तियां, समाज कल्याण लाभ और अन्य सरकारी छूट; (4) थर्ड पार्टी प्रोडक्ट - ऋण, बीमा, निवेश, डाकघर बचत योजनाएं; (5) बिल और अन्य भुगतान - मोबाइल एवं डीटीएच रीचार्ज, बिजली/पानी/गैस बिल, अनुदान तथा बीमाशुल्क; और (6) उद्यम एवं व्यापारिक भुगतान - डाक उत्पाद, ई-कॉमर्स डिलिवरी का डिजिटल भुगतान, छोटे व्यापारी/किराना स्टोर/असंगठित रिटेल, ऑफलाइन पेमेंट, नगद प्रबंधन सेवाएं।

डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) का प्रमुख लक्ष्य बचत होता है जबकि आईपीपीबी मुख्यतः डिजिटल भुगतान और प्राप्ति का मार्ग अपनाने पर जोर देता है। पीओएसबी की बचत खाता, सावधि जमा, मासिक आय योजना, पीपीएफ, एसएसआई आदि बचत योजनाएं हैं, जबकि आईपीपीबी बचत खाता एवं चालू खाता (सीएएसए), प्रेषण एवं बिल भुगतान सेवाएं, व्यापारिक सेवाएं और थर्ड पार्टी उत्पाद जैसी सेवाएं प्रदान करता है। आईपीपीबी के आरंभ के साथ ही, डाकघर बचत खाता (पीओएसबी) को एक आईपीपीबी खाते से जोड़ा जा सकता है जिसके जरिए एक अंत:प्रचालनीय बैंकिंग इकोसिस्टम के माध्यम से पीओएसए खातों को संचालित किया जा सकता है, जिससे व आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस तथा बीबीपीएस जैसे अन्य ऑनलाइन भुगतान पेमेंट्स करने योग्य भी बनते हैं। इसी तरह, किसी दिन एक लाख रुपये से अधिक की शेष राशि वाले पीओएसए खाते आईपीपीबी खातों को स्वीप-आउट लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक साबित होते हैं। आईपीपीबी डिजिटल भुगतान के माध्यम से डाक विभाग को ई-कॉमर्स व्यवसाय सेवाएं भी प्रदान करता है।

डाक विभाग-आईपीपीबी प्रणाली एकीकरण के माध्यम से पीओएसबी के करोड़ों खातों को जोड़ा जाएगा जो फिलहाल अंत:प्रचालनीय बैंकिंग इकोसिस्टम के जरिए एक सीमित लूप सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से इन खातों को मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बिल पेमेंट, डिजिटल भुगतान आदि की चौबीस घंटे चलने वाली सुविधाएं मिल सकेंगी। आईपीपीबी का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्र के लाभार्थियों, प्रवासी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, छोटे और मझोले उद्यमों, पंचायतों, अल्प-आय परिवारों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बैंकिंग रहित और न्यून बैंकिंग क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाना है।

ग्रामीण व्यवसाय

डाक विभाग का मुख्य नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में है। देश के 1,54,965 डाकघरों में से 1,39,067 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कुछ वर्षों से डाक विभाग (डीओपी) के वित्तीय समावेशन ग्रामीण बैंकिंग (आरबी) डिवीजन को देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डाकघर की वित्तीय और डाक योजनाओं के दायरे में लाने का आदेश

जारी किया है ताकि लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) का प्रारंभ 1 फरवरी, 1884 को डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना के तौर पर हुआ था और 1888 में इसके अंतर्गत टेलिग्राफ विभाग के कर्मचारियों को भी लाया गया था। इसके अंतर्गत, केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता से चलने वाले शैक्षिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत बैंक एवं स्थानीय निकाय आदि आते हैं। पीएलआई की बीमा सुविधा के अंतर्गत रक्षा सेवाओं तथा अर्द्ध-सुरक्षाबलों को भी लाया गया है। केंद्र/राज्य सरकारों के सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/बैंकों में न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले अनुसूचित कमर्शियल बैंकों, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, संयुक्त उद्यमों के कर्मचारियों को भी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान भी इसके अंतर्गत आते हैं। पीएलआई की सुविधा अब डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, बैंकरों आदि को और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में सूचीबद्ध कंपनियों को भी उपलब्ध है।

4,000 रुपये की उच्च बीमा सीमा से शुरू कर, इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये का अधिकतम बीमा किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक 64.16 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत 1,74,203.90 करोड़ रुपये का बीमा किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 के लिए डाक जीवन बीमा शुल्क 7,978.35 करोड़ रुपये रहा है। एकल बीमा पॉलिसियों के अतिरिक्त, पीएलआई, डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी चलाती है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा

ग्रामीण डाक बीमा योजना (आरपीएलआई) की शुरुआत 1995 में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की गई थी। इस योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण जन और विशेषकर गांवों के कमजोर वर्ग व महिलाकर्मियों को बीमा उपलब्ध कराना है और साथ ही ग्रामीण आमजन के बीच बीमा के प्रति जागरूकता फैलाना भी है।

बीमा क्षेत्र के उदार बनने के साथ ही डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक बीमा योजना को बाजार स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। पीएलआई और आरपीएलआई बीमा योजनाएं अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में कम लागत पर बीमा कवच उपलब्ध कराती हैं। इसीलिए पात्र ग्राहकों में पीएलआई और आरपीएलआई बहुत लोकप्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 31 मार्च, 2019 तक आरपीएलआई की 247.50 लाख पॉलिसियां अस्तित्व में चुकी हैं जिनके जरिए 1,27,679.92 करोड़ रुपये की राशि बीमाकृत हो चुकी है।

डाक जीवन बीमा के 6 प्लान हैं:

1. संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुरक्षा), 2. परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (सुविधा), 3. एंडोमेंट सुरक्षा (संतोष), 4. अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (सुमंगल), 5. संयुक्त बीमा सुरक्षा (युगल सुरक्षा), 6. बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)।
ग्रामीण जीवन बीमा के 6 प्लान हैं:

1. संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम सुरक्षा), 2. परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन सुरक्षा (ग्राम सुविधा), 3. एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम संतोष), 4. अनुमानित एंडोमेंट सुरक्षा (ग्राम सुमंगल), 5. 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय), 6. बाल पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)।

एस्टेट्स मैनेजमेंट

देश भर में कम दरों पर बुनियादी डाक सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डाक विभाग की है। डाक विभाग के पास ही सुचारू डाक व्यवस्था सेवाओं हेतु डाकघरों, डाक और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए बेहतर इमारतें उपलब्ध कराने का अधिकार भी है। नए तैयार किए जा रहे अवसंरचनात्मक ढांचे के अनुसार दिव्यांग कर्मियों के अवरोध रहित आवागमन का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। यह तैयारी दिव्यांग अधिकार कानून में निहित निर्देशों के अनुसार की गई है जिसमें दिव्यांग एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए अवरोध रहित परिवेश एवं अनुकूलन संबंधी

दिशानिर्देश स्पष्ट किए गए हैं।

मैटीरियल मैनेजमेंट

डाक वितरण आदि कार्य के लिए डाक विभाग द्वारा बड़ी संख्या में पोस्टल बैग्स, डाक कर्मियों की पोशाक, प्लास्टिक सील्स, डाक पेटियां, बारकोड आदि प्राप्त किए जाते हैं। इन वस्तुओं का निर्माण अधिकांशतः लघु, छोटे एवं मझोले उद्यमों में होता है। 2016 के बाद से इन वस्तुओं की खरीद आदि का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। इसके बाद प्रत्येक वस्तु के मानकीकरण से जुड़े ब्योरे का विवरण और इन सभी वस्तुओं को सरकार के ई-मार्केटप्लेस पर उपलब्ध कराए जाने के प्रयास भी चल रहे हैं।

नवीन एवं मूल्य संवर्द्धित सेवाएं

स्पीड पोस्ट

स्पीड पोस्ट की शुरुआत अगस्त 1986 में की गई। इस सेवा के अंतर्गत 35 किलो तक के वजन वाले पत्रों या पार्सलों को देशभर में कहीं भी तेजी से और निश्चित समयावधि में भेजा जा सकता है। यह डाक विभाग का अग्रणी उत्पाद है और घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में इसका स्थान अग्रणी है। इस सेवा से महीने में तीन करोड़ से अधिक पत्र और पार्सल भेजे जाते हैं। स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा देश के लगभग सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध है और पूरे देश में सामग्री पहुंचाई जाती है। स्पीड पोस्ट से भेजी गई सामग्री के बारे में ऑनलाइन 13 डिजिट के स्पीड पोस्ट आर्टिकल नंबर के जरिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट (www.indiapost.gov.in) से पता किया जा सकता है। बुकिंग के समय दिए गए फोन नंबर के आधार पर डाक विभाग डिलिवरी के सामान के पहुंचने पर और डिलिवरी के पश्चात प्राप्तकर्ता को निःशुल्क एसएमएस भी भेजता है। स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जाने वाले सामान पर न एक लाख की सहायक बीमा सेवा भी उपलब्ध है।

डाकघर नेटवर्क का पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में लाभ उठाना

विभाग की शुरुआत के साथ ही इसे पासपोर्ट सेवा के साथ भी जोड़ा गया है क्योंकि पासपोर्ट स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचते हैं। पासपोर्ट सेवा को व्यापक स्तर पर और वृहद क्षेत्र के उसके अधीन लाने के लिए डाक विभाग और विदेश मंत्रालय नागरिकों की सुविधा के लिए डाकघर नेटवर्क को पासपोर्ट सेवा केंद्र के तौर पर लाभ उठाने के संबंध में सहमत हुए हैं।

एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल

भारत में बढ़ते हुए ई-कॉमर्स बाजार ने पार्सल खंड को गति दी है जहां बी2सी पार्सल में वृद्धि हो रही है। इसी तरह, सी2सी श्रेणी में भी आवश्यकता पूरी करने की गुंजाइश है। एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल सेवाएं सरकार द्वारा 2013 से शुरू की गई।

एक्सप्रेस पार्सल खुदरा व थोक ग्राहकों के लिए विशिष्ट पार्सल सेवा है। इसके जरिए, पार्सलों की समयबद्ध तथा सुरक्षित होम डिलिवरी की जाती है। पारगमन में समय न लगे, इसलिए जरूरत के अनुसार तुरंत इन पार्सलों को हवाई जहाज के माध्यम से भेजा जाता है। एक्सप्रेस पार्सल में न्यूनतम 0.5 किलोग्राम वजन पर शुल्क लिया जाता है, जबकि खुदरा ग्राहकों से अधिकतम 20 किलोग्राम पर और संविदा ग्राहकों से 35 किलोग्राम पर शुल्क लिया जाता है।

बिजनेस पार्सल का लक्ष्य कॉर्पोरेट ग्राहकों को मितव्ययी वितरण सेवा उपलब्ध कराना है। इस श्रेणी में न्यूनतम शुल्क दो किलोग्राम पर लिया जाता है जबकि अधिकतम शुल्क वजन 35 कि.ग्रा. पर है। इसकी सेवा देश में सभी स्थानों पर दी जाती है।

कैश ऑन डिलिवरी

ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति बढ़ते रुझान से भुगतान सेवाओं, ऑर्डर प्रोसेसिंग और उनकी पूर्ति करने वाली सेवाओं आदि को व्यापक अवसर मिले हैं। इन व्यावसायिक अवसरों को पूरा करने तथा सामग्री डिलिवरी के समय धनराशि

लेने और भेजने वाले को उसे सौंपने के लिए तेज, सुरक्षित और किफायती समाधान के लिए वर्ष 2013 से कैश ऑन डिलिवरी सेवा की शुरुआत की । कैश ऑन डिलिवरी सेवा एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट के संविदा ग्राहकों के लिए है ।

लॉजिस्टिक्स पोस्ट

लॉजिस्टिक्स पोस्ट द्वारा कॉरपोरेट ग्राहकों को वितरण से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं और देशभर में विशाल नेटवर्क के जरिए इस सेवा ने त्वरित संचालन सेवाएं मुहैया करा कर विशिष्ट दर्जा हासिल किया है । लॉजिस्टिक्स पोस्ट के अंतर्गत डाक विभाग वितरण व्यवस्था के तौर पर, फुल ट्रक लोड (एफटीएल) सेवाएं, लेस दैन ट्रक लोड (एलटीएल) सेवाएं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग एवं पूर्ति सेवा तथा रिवर्स लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है । लॉजिस्टिक्स पोस्ट द्वारा भेजे गए माल के वजन की ऊपरी सीमा नहीं होती जबकि न्यूनतम वजन सीमा 50 कि.ग्रा. है । वायु सेवा द्वारा भेजे जाने वाले सामान में न्यूनतम 25 कि.ग्रा. वजन पर शुल्क लिया जाता है ।

लॉजिस्टिक्स पोस्ट एयर सेवा की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी । शुरुआत में इसके अंतर्गत निम्न 15 शहरों को जोड़ा गया थाः अगरतला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इम्फाल, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, तिरुअनंतपुरम ।

बिजनेस पोस्ट

किसी पत्रादि को डाक में भेजने से पहले उसे फोल्ड करने, लिफाफे में डालने, टिकट चिपकाने, पता और पेस्टिंग जैसी कई गतिविधियों से गुजरना पड़ता है । बड़ी संस्थाएं ऐसे प्री-मेलिंग कार्य करने में परेशानी महसूस कर रही थीं, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने 1996 में 'बिजनेस पोस्ट' सेवा की शुरुआत की थी । इसके अंतर्गत, कॉरपोरेट/सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य कॉरपोरेट हाउसेज की प्री-मेलिंग जरूरतों का व्यापक समाधान किया जाता है । अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के अलावा, इस कार्य से कॉरपोरेट और विस्तृत डाक उपभोक्ताओं की जरूरतों का समाधान होता है । देश के बड़े डाक घरों के बिजनेस पोस्ट केंद्रों में बिजनेस पोस्ट सेवाएं मौजूद हैं । इसके अंतर्गत, होम/ऑफिस कलेक्शन, अंतर्वेश, सीलिंग, पता लिखना, चिपकाना, विशेष प्रबंधन आदि सेवाएं दी जाती हैं ।

मीडिया पोस्ट

भारतीय डाक सेवा भारतीय कॉरपोरेट जगत और अन्य सरकारी संस्थानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए मीडिया पोस्ट की अनोखी सुविधा उपलब्ध कराती है । कोई भी अन्य माध्यम विस्तार और पहुंच में भारतीय डाक प्रसार का मुकाबला नहीं कर सकता । मीडिया पोस्ट डाकखाने, डाक स्टेशनरी, डाक परिसरों आदि जैसे विज्ञापन माध्यमों की भी सुविधा उपलब्ध कराती है ।

डायरेक्ट पोस्ट

देश में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों के कारण व्यापारिक संगठनों के उत्पादों एवं सेवाओं की डायरेक्ट एडवरटाइजिंग की जरूरत बढ़ रही है । बिक्री संदेश या किसी उपभोक्ता अथवा बिजनेस मार्केट से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार प्रकाशित सामग्री डायरेक्ट मेल सेवा कहलाती है । यह डायरेक्ट एडवरटाइजिंग का सबसे सशक्त माध्यम है । विकसित देशों में डायरेक्ट मेल डाक प्रशासनों द्वारा संचालित किया जाने वाला बहुत बड़ा माध्यम होता है । डायरेक्ट मेल किसी विशेष पते के लिए या पता रहित भी हो सकता ।

भारत में डायरेक्ट मेल डायरेक्ट पोस्ट का पता रहित अंश होता है और इमें पत्र, कार्ड, ब्रॉशर्स, प्रश्नावलियां, पेम्पलेट्स, नमूने, सीडी/फ्लॉपी और कैसेट आदि जैसे प्रचार सामग्री हो सकती है । इसके अलावा कूपन, पोस्टर्स, मेलर्स या भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 या भारतीय डाकघर नियम 1933 द्वारा गैर-प्रतिबंधित प्रकाशित सामग्री भी हो सकती है ।

रिटेल पोस्ट

ग्राहकों को सुविधा और वहन योग्य सेवाओं को उनके निकट लाने के लिए डाक विभाग को एक ही स्थान के तौर पर

विकसित किया जा रहा है। रिटेल पोस्ट का लाभ उठाने के लिए 1,55,000 डाकघरों के नेटवर्क को बिजली बिल, टेलिफोन बिल, कर, फीस, राखी लिफाफों की बिक्री, पता सत्यापन सेवा, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार एजेंसियों आदि सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है।

रेल मंत्रालय के सहयोग से डाकघरों में सभी श्रेणियों के रेल टिकटों को सुविधाजनक स्थलों पर मुहैया कराया जा रहा है।

डाकघरों के जरिए गंगाजल

भारतीय डाक व्यवस्था ने गंगाजल की सप्लाई एवं वितरण का भी प्रबंध किया है जो कि देशभर के डाकघरों में ऋषिकेश और गंगोत्री से प्राप्त होता है। यह शुरुआत वर्ष 2016 से की गई थी। गंगाजल मुख्य डाकघरों और ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। देशभर में स्पीड पोस्ट के जरिए भी गंगाजल घरों तक उपलब्ध कराए जाने की तैयारी भी चल रही है।

पोस्ट शॉप

अपने ग्राहकों को खरीदारी का आरामदेह अनुभव प्रदान करने के लिए डाक विभाग ने 'पोस्ट शॉप' के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया है। महत्वपूर्ण डाकघरों में स्थित पोस्ट शॉप एक सुविधा स्टोर के तौर पर है, जहां आमतौर पर डाक टिकटें, फर्स्ट डे कवर्स, फ्रेम्स, एल्बम और 'माई स्टाम्प' कॉर्नर होते हैं जहां लोग अपनी तस्वीर वाली स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं। स्टेशनरी उत्पादों के अलावा इन दुकानों पर कवर्स/लिफाफे, सीडी मेलर्स आदि भी मिलते हैं। पोस्ट शॉप्स में सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरों द्वारा स्थानीय स्तर पर काम में आने वाली पारंपरिक वस्तुओं को भी रखा जाता है। यहां आधुनिक शेल्फ और रैक पर की जाती हैं जिससे ग्राहकों को शॉपिंग का सुखद अहसास होता है।

समय में देश में अस्सी 'पोस्ट शॉप्स' कार्यरत हैं और इन्हें ग्राहकों की अधिकाधिक पहंच के जरिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

यात्री आरक्षण व्यवस्था

रेल मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के बीच कुछ डाकघरों में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था (पीआरएस) सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सर्वप्रथम यह सेवा 30 डाकघरों में शुरू हुई थी। अब इनकी संख्या 337 तक पहुंच चुकी है। भारतीय डाक के पीआरएस केंद्र वाले डाकघरों की सूची एवं संपर्क ब्योरा वेबसाइट www.indipost.gov.in पर दिया गया है।

2007 में इसकी शुरुआत के बाद से विभाग द्वारा आरक्षित टिकटों पर लिए जाने वाले सेवा शुल्क में भी ज्यादा वृद्धि नहीं की गई है।

सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना

वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 में शुरू की गई और वित्त मंत्रालय तथा आरबीआई द्वारा चलाई जा रही सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना (एसजीबी) को भी विभाग सक्रियता से संचालित कर रहा है। योजना का लक्ष्य सबसे निचले स्तर पर निवेशकों तक पहुंचना और जनता के बीच 'पेपर गोल्ड' को लोकप्रिय बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर *(ई-आईपीओ)*

देश से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई फीस जमा कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर (ई-आईपीओ) की शुरुआत की गई थी। यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा रखा गया था।

धारक फीस ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए जमा करा कर इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीद सकते हैं। वह वीजा या मास्टर डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से यह फीस जमा करा सकते हैं।

इस सुविधा की शुरुआत वर्ष 2013 में केवल प्रवासी भारतीयों के लिए की गई थी जो दुनिया भर में कहीं भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के जरिए केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) से सूचना प्राप्त कर सकते थे।

वर्ष 2013 में विदेशों में स्थित 176 भारतीय दूतावासों में भी इस योजना को समाहित किया गया। वर्ष 2014 में भारतीय नागरिकों के लिए भी ईआईपीओ सुविधा आरंभ कर दी गई जिससे उन्हें आरटीआई फीस ऑनलाइन भरने में सुविधा हो।

ई-डाकघर

ई-डाकघर डाक विभाग का ई-कॉमर्स पोर्टल है जो इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल का लक्ष्य आमजन को उनके घरों/दफ्तरों से कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए चुनिंदा डाक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा देना है। इसके जरिए ग्राहक डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फिलाटेलिक टिकटों की खरीद और पीएलआई/आरपीएलआई के प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक को पहली बार इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होता है।

ई-डाक

ई-डाक सेवा इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने की सुविधा देने वाली गैर-पंजीकृत हाइब्रिड सेवा है जिसमें टेक्स्ट मैसेज, स्कैन किए गए चित्र तथा अन्य तस्वीरें शामिल हो सकती हैं। हार्ड कॉपी डाकघरों के माध्यम से नियत स्थान पर पहुंचाई जाती है। मौजूदा समय में, ई-डाक सुविधा 13,000 डाकघरों पर उपलब्ध है और उन्हें 1.54 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के जरिए इंटरनेट की मदद से ग्राहक अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार संदेश को तैयार, डिजाइन और भेज सकते हैं। प्री-पेड ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रीचार्ज सुविधा डेबिट/क्रेडिट कार्ड के आधार पर उपलब्ध है।

ई-भुगतान

व्यवसायों एवं संगठनों को डाकघर के माध्यम से अपने बिल या भुगतान प्राप्त करने के रूप में काम करने वाली सेवा है। ई-भुगतान किसी भी संगठन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक विधि से भुगतान प्राप्त कर सकती है। इसके जरिए टेलिफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा फीस, कर, विश्वविद्यालय फीस, स्कूल फीस आदि प्राप्त की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का सदस्य है। 192 देशों के इस संगठन का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना, सुगम बनाना और सुधारना है। यूपीयू के पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (पीओसी) के चुने गए सदस्य के रूप में भारत कमेटी-1 (सप्लाई चेन इंटिग्रेशन) का सह अध्यक्ष भी है। भारत सेवा निधि गुणवत्ता, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (क्यूएसएफ बीओटी) का प्रतिष्ठित सदस्य भी है जो विकासशील देशों में डाक सेवाओं के विकास के लिए काम करता है।

भारत एशियन-पैसेफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के 31 सदस्य देशों में से एक है। एपीपीयू का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ाना, सहयोग और उनमें सुधार लाना, साथ ही, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डाक सेवाओं में सहयोग करना है।

मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट

मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमएनओपी) को डाक तंत्र को सुचारू बनाने एवं उसकी मूल कार्यप्रणाली को सुसंगत बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया है। इस परियोजना में स्पीड पोस्ट, अंतरराष्ट्रीय डाक, प्रथम श्रेणी डाक और द्वितीय श्रेणी डाक को समाहित किया गया है।

एमएनओपी को देशभर में 23 डाक सर्कलों के जरिए अमल में लाया गया है। एमएनओपी परियोजना के जरिए नागरिकों को स्पीड पोस्ट की डिलिवरी गुणवत्ता, स्पीड पोस्ट के जरिए बुकिंग से डिलिवरी तक की डाक विभाग की वेबसाइट पर सूचना जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

सड़क परिवहन नेटवर्क विभाग

पार्सलों के सुरक्षित एवं त्वरित संचारण और विशेषकर ई-कॉमर्स द्वारा प्रेषित सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए

विभाग ने समर्पित मार्ग परिवहन नेटवर्क का गठन किया है। इस पहल के अंतर्गत, अभी तक, देश के 67 शहरों के 17 सर्कलों के 42 रूट्स संचालित किए गए हैं। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत 2 लंबे रूट्स भी निर्धारित किए जा चुके हैं।

पोस्टमैन मोबाइल एप (पीएमए)

डाक विभाग के मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सिलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी) में पूर्णतया स्वदेशी तकनीक से निर्मित 'पोस्टमैन मोबाइल एप' नामक एंड्रॉयड आधारित एप्लिकेशन विकसित की है। इसे देशभर में 15,000 स्मार्टफोनों के जरिए लांच किया गया। मोबाइल एप की मदद से डिलिवरी स्टाफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल और सीओडी पार्सलों सहित रजिस्टर्ड पोस्ट की वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना का हिसाब रखता है। एप में प्राप्तकर्ता/भेजने वाले के हस्ताक्षर लेने की भी सुविधा है। वास्तविक समय की डिलिवरी सूचना से, पहले जैसी किसी भी तरह की गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है और ग्राहकों को डिलिवरी से जुड़ा असाधारण अनुभव प्राप्त होता है। डाक विभाग अपने डिलिवरी स्टाफ को 38,000 अतिरिक्त स्मार्टफोन्स उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है।

फिलाटेली

फिलाटेली डाक टिकटों का संग्रह करने, डाक टिकटों का इतिहास और अन्य संबद्ध वस्तुओं के अध्ययन की रुचि है। यह टिकट संग्रह के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण करने तथा राष्ट्रीय विरासत, संस्कृति और घटनाओं को प्रोत्साहित करने का तरीका है। डाक टिकटें सचित्र प्रतिनिधि होती हैं। यह देश की संप्रभुता की अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

स्वतंत्रता के उपरांत, डाक टिकटों के माध्यम से विज्ञान एवं तकनीकी में देश की उपलब्धियों को दर्शाया जाता था। साथ ही, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास, और इस्पात संयंत्र और बांध आदि के बारे में भी बताया जाता था। बाद में, देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को दर्शाया गया और कई खूबसूरत डाक टिकटों में कला, स्थापत्य, कौशल, सामुद्रिक धरोहर, विज्ञान, तकनीकी, रक्षा एवं सिनेमा जैसे विषय भी दिखे। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के महान नेताओं के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम महात्मा गांधी हैं। राष्ट्रपिता को स्मारक डाक टिकट के साथ-साथ नियत टिकट से भी सम्मानित किया गया है। स्मारक डाक टिकटों में चित्रकारी, साहित्य, विज्ञान, संगीत, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तित्वों को भी स्थान दिया गया है।

'टोकन ऑफ पोस्टेज' तथा 'सांस्कृतिक राजदूत' होने की दोहरी भूमिका के अनुरूप डाक हैंकटों की दो श्रेणियां नियत डाक टिकट और स्मारक डाक टिकट। नियत डाक टिकट दैनिक प्रयोग के लिए होते हैं, जिनके द्वारा डाक से भेजी जाने वाली सामग्रियों के शुल्क का भुगतान किया जाता है। इनके डिजाइन में कम पेचीदगी होती है जिससे उनकी निर्माण लागत कम से कम होती है और बड़ी मात्रा में लंबी अवधि के लिए उनकी छपाई की जाती हैं। दूसरी तरफ स्मारक डाक टिकटों के डिजाइन और छपाई में कलात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन्हें सीमित मात्रा में तैयार किया जाता है जिसमें टिकटविदों तथा संग्रहकर्ताओं को अधिक रूचि होती हैं।

विभाग की टिकट संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं- डिजाइनिंग, छपाई, वितरण तथा डाक टिकट कार्यालयों एवं काउंटरों, ई-डाकघरों इत्यादि के माध्यम से स्मारक डाक टिकटों की बिक्री आदि। इसके अलावा नियत डाक टिकटों और डाकघरों की स्टेशनरी जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र-कार्ड, पोस्टकार्ड, एरोग्राम, रजिस्ट्री लिफाफे आदि की डिजाइनिंग, छपाई तथा वितरण के साथ-साथ डाक टिकटों के संवर्धन तथा डाक टिकट प्रदर्शनियों की निगरानी तथा नई दिल्ली के डाक भवन स्थित राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय का रख-रखाव वगैरह।

फिलाटेलिक एडवाइजरी कमिटी (पीएसी) स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम के लिए सरकार को सलाह देती है। यह नागरिकों और सरकार को एक मंच पर लाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति स्मारक डाक टिकटों के लिए ऐसे मुद्दों या अवसरों, संस्थानों, व्यक्तित्वों एवं थीम की पहचान करते हैं जिनके आधार पर भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर बढ़ती है।

डाक टिकटों का लोकार्पण

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान 49 विषयों पर डाक टिकट जारी किए गए। इनमें प्रमुख स्मारक चिह्न हैं- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, गोअनतिएतर (गोवा संगीत थियेटर), विश्व पर्यावरण दिवस, साम्प्रदायिक सौहार्द, ओडिशा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018, भारत में हॉलीडे डेस्टिनेशन, पटना विश्वविद्यालय, राजस्थान के पर्वतीय किले, कालांतर में भारतीय फैशन जगत।

माई स्टाम्प्स

माई स्टाम्प्स भारतीय डाक टिकटों का निजी रूप है। ग्राहक की तस्वीरें और संगठन, स्मारकों अथवा कलाकृतियों की छोटी छवियां, धरोहरनुमा इमारतों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य पशुओं एवं पक्षियों आदि की छोटी तस्वीरों के माध्यम से उन्हें निजी कार्य हेतु उपयुक्त बनाया जाता है।

माई स्टाम्प्स का निजीकरण

निजीकृत माई स्टाम्प्स डाक टिकटों का निजी प्रारूप होती हैं। इन निजी विषयी टिकटों के साथ, ग्राहक अपनी, अपने अभिभावकों, परिवार आदि की तस्वीरों वाली टिकटें भी प्रिंट करवा सकते हैं। निजी स्टाम्प्स में कुछ थीम ताज महल, हवा महल, मैसूर महल, भारतीय सेना, गुलाब, सालगिरह, वैष्णो देवी के होते हैं।

माई स्टाम्प्स का अनुकूलन

अनुकूलित माई स्टाम्प्स में कारपोरेट, संगठन और संस्थान, 'माई स्टाम्प' थीम की शीट्स इंडिया पोस्ट से प्रिंट करवा सकते हैं। इन निजीकृत विषयी डाक टिकटों के साथ ही, वह अपने लोगो, संगठन/संस्थान की छवियां भी प्रिंट करा सकते हैं।

महात्मा गांधी की ***150***वीं जयंती

जुलाई 2019 में दुनिया के 25 डाक प्रशासनों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किए।

नवीकृत डाक टिकटों का मुद्रण

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर सात सर्कुलर स्मारक डाक टिकटें जारी की गईं। यह पहला मौका था जब स्वतंत्र भारत में सर्कुलर डाक टिकटें जारी की गईं। आमतौर पर तिकोने और चौकोर आकार की मिनिएचर शीट्स के स्थान पर भुवनेश्वर में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप पर इस बार अलग से डिजाइन की गई मिनिएचर शीट्स का इस्तेमाल किया गया। इसका लक्ष्य न केवल हॉकी खेल का उत्सव मनाना था बल्कि युवाओं को फिलाटेली की ओर आकर्षित करना भी था। यूनेस्को लोगो के आकार में एक मिनिएचर शीट राजस्थान कीपर्वतीय किलों की तैयार की गई क्योंकि ये किले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं।

स्टैम्प डिजाइनों की क्राउड सोर्सिंग

डाक विभाग आमजन आधारित विषय-वस्तुओं पर डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा है। देशभर से अनेकानेक लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं।

दीनदयाल स्पर्श योजना

2017-18 में दीनदयाल स्पर्श योजना नाम से एक डाक टिकट छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया। इसका लक्ष्य बच्चों में छोटी आयु से ही फिलाटेली की हॉबी को स्थायी तौर पर इस तरह बढ़ावा देना है जिससे वह उनके स्कूली पाठ्यक्रम को समर्थन देते हुए उन्हें तनावमुक्त रहने में मदद करे। इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रतिवर्ष छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच 920 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता

पत्र लेखन की कला को बढ़ावा देने के लिए 2017-18 से देश भर में 'ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता' का आरंभ किया गया। कुल चार श्रेणियों में से शीर्ष तीन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। 2018-19 के लिए इस अभियान की विषय-वस्तु 'मातृभूमि को मेरे पत्र' था जो रवीन्द्रनाथ टैगोर के 'अमार देशेर माटी...' से प्रेरित

रहा। 2019-20 के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता की विषय-वस्तु 'प्यारे बापू, तुम अमर हो...' होगा जो महात्मा गांधी को वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइन की श्रद्धांजलि 'आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि हाड़मांस से बना ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर चला था' से प्रेरित है।

ई-डाकघर

ई-डाकघर भारतीय डाक विभाग का ई-कॉमर्स पोर्टल है। इसका आरंभ वर्ष 2017 में वैश्विक स्तर पर 192 देशों के ग्राहकों के लिए किया गया था ताकि वह स्मारक डाक टिकटें, सहायक डाक सामग्री आदि ऑनलाइन खरीद सकें।

प्रशिक्षण

भारत सरकार के 2012 की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की सहमति के साथ डाक विभाग ने वर्ष 2012 में डाक प्रशिक्षण नीति की शरुआत की थी। डाक प्रशिक्षण नीति का मख्य लक्ष्य 'सबके लिए प्रशिक्षण' है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भर्ती स्तर (प्राथमिक प्रशिक्षण) पर दिया जाता है और स्टाफ के सभी स्तर/श्रेणियों के लिए समय-समय पर तीन मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लागू किए जाते हैं। विभाग ने अच्छी तरह प्रशिक्षण अवसंरचना की स्थापना की है। विभाग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान पूरा करते हैं:

- रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है जिसे उच्च प्रबंधन कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए डाक एवं संचार विभाग से मान्यता मिली हुई है। इसमें भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक के अन्य प्रबंधन अधिकारियों को प्राथमिक और सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है। अकादमी विदेशी डाक प्रशासन और केंद्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागों के प्रबंधकों को भी समान हित के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती है। अकादमी भारतीय डाक के अधिकारियों के लिए डीओपीटी द्वारा अधिसूचित मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 'एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम' (ईडीपी), 'मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम' (एमडीपी) और 'एडवांस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम' (एडीपी) का भी प्रशिक्षण देती है।
- डाक प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर और वड़ोदरा में हैं जहां संचालन स्टाफ और निरीक्षण कैडर को प्रशिक्षित किया जाता है। इनके अलावा, अन्य विशिष्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम भी हैं। यह छह प्रशिक्षण केंद्र, विभाग के कार्यकारी स्टाफ की प्रशिक्षण जरूरतों के लिए, कंप्यूटर लैब्स, कक्षाओं एवं होस्टल सुविधाओं से संपन्न हैं।

जन शिकायतें

कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र *(सीसीसी)*

अपनी सेवाओं के संबंध में विभाग के पास जन शिकायतें सुनने की सुचारू प्रणाली है। सेवाओं की गुणवत्ता और जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया भी मौजूद है।

- जन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और उनके सुचारू संचालन के लक्ष्य के आधार पर विभाग ने ग्राहक सेवा केंद्रों को वेब आधारित शिकायतों के संचालन की दृष्टि से अपग्रेड किया है। कंप्यूटराइज्ड ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसीसी) सॉफ्टवेयर के बदले स्वरूप को 2010 से काम में लाया जा रहा है। इसके अलावा, स्वचालित पावती उत्पादन; अनसुलझी शिकायतों पर बेहतर कार्रवाई और शीघ्र निपटान के लिए अगले प्रशासनिक स्तर पर भेजना; शिकायतों का छोटी, बड़ी और गंभीर श्रेणियों में आवंटन; जांच पूरी होने पर शिकायतकर्ता को स्वचालित उत्तर; शिकायतकर्ता से फीडबैक उपलब्ध करना आदि जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है।

मौजूदा समय में देशभर में डाकघरों, छंटाई केंद्रों, स्पीड पोस्ट केंद्रों और मंडलीय/क्षेत्रीय/सर्कल मुख्यालयों में जन शिकायतों के निपटान के लिए 19201 सीसीसीसी स्थापित किए जा चुके हैं जो इस संबंध में ऑनलाइन सूचना का आदान-प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क में देश के सभी मुख्य डाकघरों को समाहित किया गया है। इसका लक्ष्य ग्राहकों की शिकायतों के अलावा, उनके लिए जरूरी सूचना और मदद को त्वरित और सुचारू बनाना है।

सोशल मीडिया सेल

सोशल मीडिया सेल एक स्वायत्त इकाई है और ट्विटर तथा फेसबुक पर डाक विभाग के अकाउंट्स संभालता है। सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें समयबद्ध होती हैं और 24 घंटे के भीतर इनका जवाब दिया जाता है। सोशल मीडिया सेल प्रतिदिन सभी सर्कलों को भेजी गई शिकायतों पर नजर रखता है।

भारतीय डाक सहायता केंद्र *'1924'*

सरकार द्वारा कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा दिए जाने की शुरुआत को लेकर डाक विभाग ने 'भारतीय डाक सहायता केंद्र' की शुरुआत की थी। यह वाराणसी में 1 जून, 2018 को स्थापित इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) से जुड़ी सेवा है। जुलाई 2018 तक भारतीय डाक विभाग को इसके उपभोगकर्ताओं और प्रस्ताविक प्रयोक्ताओं की ओर से कॉल सेंटर को पूछताछ से जुड़े 1,59,586 प्रश्न प्राप्त हुए थे। यह कॉल सेंटर आमजन की इस तरह मदद करता है: लोक शिकायतों में सुधार कार्य, विभिन्न शुरुआतों, गतिविधियों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं जारी परियोजनाओं संबंधित सूचना प्रसार।

भारतीय डाकघर नियम

1933 के आईपीओ नियमों का निवर्तन करने वाले भारतीय डाकघर नियम 2019, शीघ्र ही लागू किए जाएंगे। भारतीय डाकघर नियम 2019 नए नियमों का समुच्चय होगा जो मौजूदा परिवेश में डाकघरों के संचालन की दिशा निर्धारित करेगा। इन नियमों के माध्यम से डाक सेवाओं का बेहतर प्रशासन स्थापित होगा जिससे उपभोक्ता को संतोषप्रद सेवाएं प्राप्त होंगी। नियम एवं विनियमों में सुधार हेतु लगभग 76 वर्षों के बाद लाया जाने वाला यह परिवर्तन उन्हें मौजूदा कामकाजी परिवेश के अनुसार बनाने के सरकार के प्रयासों का अंश है।

डिजिटलीकृत जीवन प्रमाणपत्र

केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत 2015 में पेंशनधारकों को डिजिटल तौर पर जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कराने की सुविधा दी गई थी। डीएलसी एक बायोमीट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। इस सेवा के अंतर्गत, पेंशनधारकों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने का काम अब आधार नंबर की मदद से डिजिटल तौर पर हो जाता है। इसके लिए देश के सभी 810 मुख्य डाकघरों में जीवन प्रमाण केंद्र कार्यरत हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट (आईएसपी लाइसेंसिंग को छोड़कर) तथा साइबर सुरक्षा संबंधी नीतिगत विषयों को देखता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं द्वारा दक्षता बढ़ाना और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लांच करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। कार्यक्रम के तीन विजन हैं- प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाएं तथा देश में डिजिटल खाई को पाट कर नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम अवसंरचना, विनिर्माण, कौशल तथा डिलिवरी प्लेटफॉर्म की समग्र क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया है जो कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने में नेतृत्व करेगा। डिजीटल अवसंरचना में प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के रूप में नागरिक सेवा प्रदान करने, हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल पहचान, मोबाइल फोन और बैंक खातों से डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी, पब्लिक क्लाउड के बीच निजी स्थान बनाना और देश में सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस गठित करना।

मांग आधार पर गवर्नेंस और सेवाओं में सभी विभागों या क्षेत्राधिकारों को एकीकृत सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन तथा मोबाइल प्लेटफॉर्मों पर वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता, कारोबारी सहजता के लिए डिजिटल रूप

में परिवर्तित सेवाएं, निर्णय संबंधी सहयोग प्रणाली और विकास के लिए जीआईएस का लाभ उठाना शामिल है।

नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में वैश्विक डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराना, डिजिटल स्रोतों तक आसान पहुंच बनाना, सभी सरकारी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराना और डिजिटल स्रोतों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता और क्लाउड के माध्यम से सभी पात्रताओं की सुवाह्यता सुनिश्चित करना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के नौ स्तंभों यथा ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी से सभी को जोड़ना, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस, तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सब के लिए सूचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी का नौकरियों और अच्छी पैदावार के लिए कृषि कार्यक्रमों में इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के विभागों के साथ किया जाता है।

मंत्रालय दो प्रमुख अधिनियमों के दायरे में कार्य करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में इलेक्टॉनिक्स डाटा के आदान-प्रदान द्वारा इलेक्टॉनिक सचना के अन्य साधनों जिन्हें सामान्यतः 'इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य' कहा जाता है और जिसमें पत्र-व्यवहार और सूचना के भंडारण के कागज आधारित विकल्पों का उपयोग शामिल है, किए गए कार्यों को विधिक मान्यता देने तथा सरकारी अभिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी निदेशित किया गया है। इस अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के माध्यम से संशोधन किया गया। इस संशोधन में 'डिजिटल दस्तखत' के स्थान पर 'इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत' शब्द रखा गया है। इस संशोधन के माध्यम से नए खंड जोड़ने के साथ-साथ विभिन्न खंडों में बड़े परिवर्तन किए गए।

लक्षित लाभार्थियों तक विभिन्न लाभों और सब्सिडी को पहुंचाने के उद्देश्य से आधार प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के सभी प्रयास किए गए हैं। आधार को वैधानिक शक्ति प्रदान करने के लिए संसद में उचित विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) कानून, 2016 में सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की डिलिवरी में सुशासन, दक्षता, पारदर्शिता का प्रावधान है। इस पर आने वाला खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है। यह लाभ भारत में रहने वाले लोगों को आधार संख्या प्रदान कर दिया जाता है। इस विधेयक में आधार नामांकन संख्या, यूआईडीएआई की मौलिक स्थापना आदि सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है। यूआईडीएआई अब वैधानिक इकाई है।

डिजिटल पहचान

आधार 12 अंकों का बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी आधारित पहचान स्थापित करता है जोंीइअपने आप में अनोख ऑनलाइन और प्रामाणिक होती है। 2016 को अस्तित्व में आए आधार विधान के अंतर्गत, यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार संबंधित कार्यों के सभी चरण, योजना विकास, व्यक्तियों को आधार वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली तथा प्रमाणीकरण की देखरेख और लोगों की निजी सूचना एवं प्रमाणीकरण रिकॉर्डों को सुनिश्चित करना शामिल है। अभी तक 116 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। आधार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा डिजिटल लेन-देन और भुगतान में भी सहायक भूमिका निभाता है। इससे जुड़ी कुछ बड़ी शुरुआतें हैं:

आधार सक्षम भुगतान*:*

1. आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी): ऐसे किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के जरिए उसके बैंक खाते में भुगतान भेजा जा सकता है, बशर्ते कि उसका खाता आधार नंबर से जुड़ा हो। एपीबी के जरिए भारत सरकार लाभार्थियों के खातों में लाभ एवं सब्सिडी सीधे भेज सकती है।

2. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस): एईपीएस ऐसा मंच है जिसके जरिए व्यक्ति माइक्रो एटीएम से अपने खाते में बुनियादी लेन-देन कर सकता है, जिनमें पैसा निकालना, कैश जमा कराना, पैसे का स्थानांतरण आदि शामिल हैं। बैंक का चुनाव स्थानिक निवासी करता है क्योंकि यह स्थानिक आधारित लेन-देन होता है।

3. आधार भुगतान: यह एईपीएस का व्यापारिक रूप है। यह एप्लिकेशन सस्ते एंड्रॉयड फोन पर, सरल बायोमीट्रिक

उपकरण से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यापारी ग्राहकों से कैशरहित भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी।

4. पे टू आधारः भीम एप से जुड़ी यह सुविधा यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसके जरिए, प्राप्तकर्ता के आधार नंबर को वित्तीय पते के रूप में पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) भुगतान किया जा सकता है। भुगतान करने वाले और प्राप्तकर्ता के आधार नंबर जुड़े होने चाहिए। वर्ष 2017 में यह योजना शुरू की गई थी।

आधार सक्षम सेवाएं

(1) पीडीएस के तहत अनाज का लक्षित वितरण: 18.05 करोड़ राशन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणीकरण के बाद राशन प्राप्त होता है। इससे इस बात की सुनिश्चितता रहती है कि कोई अन्य उनका राशन न प्राप्त करे और चोरी आदि जैसे मामलों में कमी आती है। आधार व्यवस्था से 2.33 करोड़ जाली राशन कार्डों और डीबीटी प्रक्रिया पर रोक लगी है।

(2) पहल और उज्वला योजनाएं: पहल योजना के अंतर्गत 15.12 करोड़ एलपीजी लाभार्थियों को एलपीजी सब्सिडी उनके बैंक खातों में प्राप्त होती हैं। उज्वला योजना के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 2.5 करोड़ कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(3) ई-केवाईसी से बैंक खाते खोलने की सुलभता: आधार ने इसे बैंक खाता खोलने के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर सक्षम बनाया है।

(4) आयकर जमा कराने के लिए ई-सत्यापन: आधार द्वारा ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए आयकर जमा कराने, और आयकर अधिकारियों को भौतिक तौर पर आईटीआर-5 भेजने के लिए आयकर देने वालों को सहूलियत दी गई है।

ई-गवर्नेंस

शीर्ष कार्यक्रम के रूप में डिजिटल इंडिया की शुरुआत के साथ ई-क्रांति, ई-गवर्नेंस प्रणालियों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति, ई-मेल नीति, आईटी संसाधनों के उपयोग की नीति, सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोर्ड को खोल कर सहकारी एप्लीकेशन विकास की नीति, क्लाउड रेडी एप्लीकेशनों के लिए एप्लीकेशन विकास और ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा जैसी अनेक नीतिगत पहल की गई है। इस दिशा में ई-जिले, समान सेवा केंद्र तथा राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) जैसी प्रमुख योजनाएं भी काम कर रही हैं।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपनाने की नीति: यह नीति सरकारी संगठनों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (ओएसएस) को औपचारिक रूप से अपनाने तथा उपयोग को प्रोत्साहन देती है। सभी सरकारी संगठन, ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस त प्रणाली को लागू करते समय नीति का परिपालन सुनिश्चित करना होता है और रणनीतिक नियंत्रण, सुरक्षा, संपूर्ण जीवन लागत तथा समर्थन आवश्यकताओं के संदर्भ में ओएसएस तथा क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर (सीएसएस) की तुलना करके निर्णय लेंगे।

सरकारी एप्लीकेशनों के सोर्स कोड को खोल कर सहयोगी एप्लीकेशन विकासः इस नीति का उद्देश्य ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन की गति को बढ़ाना तथा ओपन सोर्स कोड अपनाना, उच्च गुणवत्ता संपन्न ई-एप्लीकेशनों को संयुक्त प्रयास से तेजी से क्रियान्वित करना है। नवाचारी ई-एप्लीकेशनों और सॉल्यूशंस को संयुक्त प्रयास के जरिए प्रोत्साहन देना भी लक्ष्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग: यह नीति उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों तक उचित पहुंच और उपयोग को सुनिश्चित करना और उसका दुरुपयोग रोकना है।

भारत सरकार की ई-मेल नीति: यह नीति सरकार की ई-मेल सेवाओं के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करती है। यह नीति भारत सरकार की ई-मेल सेवा का उपयोग करने वाले, भारत सरकार के सभी कर्मचारियों/ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो भारत सरकार की ई-मेल सेवा का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार के ई-मेल सर्वर इस्तेमाल करने वालों के लिए इसके सुरक्षित इस्तेमाल और एक्सेस

को सुनिश्चित करना है।

ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज (एपीआई): यह ओपन एपीआई के संबंध में सरकार की शुरुआत है जिसका उद्देश्य सभी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशनों तथा प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर के अंतरसंचालन को प्रोत्साहित करना तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करना है।

ई-गवर्नेंस सक्षमता रूपरेखा (ई-जीसीएफ): टूलकिट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एंड यूजर नॉलेज एरिया का सेट होता है। इस रूपरेखा का उद्देश्य क्षमता सृजन योजना को सुदृढ़ बनाना है ताकि ई-गवर्नेंस के अंतर्गत विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए आवश्यक सक्षमता आधारित प्रणाली के माध्यम से सक्षमता को चिह्नित और परिभाषित किया जा सके।

सेवाओं की गुणवत्ता में परिवर्तन करने तथा एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ई-क्रांति' पहल का उद्देश्य क्लाउड और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और सेवाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कार्यक्रम का सिद्धांत 'परिवर्तन' करना है, कार्य में परिणत करना नहीं। इसका उद्देश्य एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है, व्यक्तिगत सेवाएं देना नहीं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल 'जीवन प्रमाण' है जिसका उद्देश्य पेंशनधारियों को 'आधार' आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्रदान करना है। इसकी शुरुआत से अभी तक 88.72 लाख पेंशनधारकों ने इस पोर्टल पर रजिस्टर किया है और 77.04 लाख डिजिटल प्रमाणपत्रों को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया जा चुका है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल किसी भी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रदान करने वाला केंद्रीकृत मंच है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रार्थना पत्र, मंजूरी एवं अदायगी कार्य समाहित हैं। 1.21 करोड़ से अधिक आवेदन जारी किए जा चुके हैं। 8 मंत्रालयों/विभागों की 52 योजनाएं पंजीकृत की गई हैं।

विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए मोबाइल सेवा कार्यक्रम लांच किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, सामाजिक कल्याण तथा ई-गवर्नेंस पर सूचना प्रदान करने के लिए 15 से अधिक भाषाओं में 'विकासपीडिया' पोर्टल लांच किया गया है। इसमें और भाषाओं को जोड़ा जाएगा।

Mygov.in एक अभिनव प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सरकार के निर्णयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि सुशासन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह नागरिकों और विश्व भर के शुभेच्छुओं के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है।

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं के संबंध में लगातार फीडबैक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'रेपिड असेसमेंट सिस्टम' (आरएएस) की शुरुआ की है। इस प्रणाली में फीडबैक प्राप्ति के लिए विभिन्न चैनल हैं और विश्लेषणकर्ता इस पर नजर रखते हैं। यह विश्लेषणकर्ता स्थायी सुधार और बेहतर प्रशासन के लिए संबंधित विभागों को सहयोग करते हैं।

ई-संपर्क डाटाबेस जन प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों को संदेश और ईमेल भेजने के लिए विकसित किया गया है। इस डाटाबेस में 1.90 करोड़ ईमेल एड्रेस और 82 करोड़ मोबाइल नंबर हैं। 563 अभियानों के लिए मेलर्स/भेजी गई ईमेल्स की संख्या 301 करोड़ से अधिक है।

ई-ताल वेब पोर्टल, मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की ई-गवर्नेंस योजनाओं के संबंध में ई-लेन-देन आंकड़ों के प्रसार का काम करता है। यह वास्तविक समय के आधार पर, समय-समय पर, वेब आधारित एप्लीकेशनों द्वारा लेन-देन के आंकड़ों को प्राप्त करता है। ई-ताल विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं से जुड़े आंकड़ों को सारणीबद्ध एवं ग्राफिकल स्वरूप में प्रस्तुत करता है, जिससे उनके लेन-देन से जुड़े विवरणों का शीघ्र पता चल सके।

आधार सहायक बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली (एईबीएस): सरकार में दक्षता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार सक्षम बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है।

ई-पेमेंट संरचना: सभी भुगतान और प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगी। ऑनलाइन भुगतान के लिए सामूहिक मंच payonline.gov.in पोर्टल लांच किया गया है।

ई-जिले: यह ई-क्रांति के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) होती है। इस परियोजना का नोडल

मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और इसे राज्य सरकारों तथा उनकी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा। मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य जिला और ऐसे उपजिला स्तर पर, जो किसी अन्य मिशन मोड परियोजना का हिस्सा नहीं हैं, एमएमपी ई-अवसंरचना के चार स्तंभों का लाभ उठाकर उन्हें अमल में लाती है। यह परियोजना 634 जिलों में लांच की गई और 1012 ई-सेवाएं भी लांच की गई हैं।

समान सेवा केंद्र: इस योजना का उद्देश्य भारत के 6 लाख गांवों में आईसीटी सक्षम फ्रंट एंड सेवा आउटलेट प्रदान करना है। ऐसे इंटरनेट सक्षम केंद्रों से नागरिकों, निजी कौशल विकास, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक एक्सेस की अनुमति होती है। बैंकिंग, बीमा तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत पेंशन सेवाओं ने समान सेवा केंद्रों (सीएससी) को जीवंत बना दिया है। डिजिटल साक्षरता प्रसार के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए) से सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सक्रिय भागीदारी सक्षम बनाया गया है। आधार नामांकन/अपडेट को सीएससी के जरिए सक्षम बनाया गया है। देश में 3,00,774 सीएससी पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें अगस्त 2017 तक 1,96,922 ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर हैं।

राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन): एसडब्ल्यूएएन को ई-गवर्नेंस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए मुख्य अवसंरचना तत्व के रूप में चिह्नित किया गया है। राष्ट्रीय गवर्नेंस एक्शन प्लान के अंतर्गत इसे एनआईसीएनईटी/ राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के जरिए ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। यह 34 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के विभागों में कार्यरत है और इसकी औसत बैंडविड्थ उपयोग 60 प्रतिशत है।

क्षमता विकास योजना 2 (सीबी स्कीम 2): राष्टीय ई-गवर्नेंस योजना एमईआईटीवाई के अंतर्गत भारत सरकार ने क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण को पारित किया है। इसके अधीन, सरकारी तंत्र में उचित गुणों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए समानता और तालमेल की जरूरत पर बल दिया गया है। क्षमता विकास योजना के द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/केंद्र-शासित लाइन विभागों में विभिन्न पहलों के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त करना है। यह पहल परियोजना गुटों की योग्यता के विकास की दिशा में की गई है ताकि उनमें परियोजनाओं के लिए समझ, संकल्पना और उन्हें पूरा करने की समग्र क्षमता विकसित हो सके।

जीआई क्लाउड: क्लाउड संगणना के उपयोग और लाभ देने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'जी क्लाउड' प्रारंभ किया है जिसे 'मेघराज' नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का फोकस रणनीति विकसित करने तथा सरकार में क्लाउड के प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी व्यवस्था सहित विभिन्न घटकों को लागू करने पर है। क्लाउड नीति तैयार करना एक प्राथमिक कदम है जो सरकार द्वारा क्लाउड को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय जियो-इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनसीओजी): यह केंद्र सरकारी मंत्रालयों/विभागों कोत जीआईएस आधारि सेवाएं प्रदान करता है। एनसीओजी वर्तमान में विभिन्न संगठनों के लिए जीआईएस आधारित निर्णय समर्थ प्रणाली तैयार करने का काम कर रहा है। ग्राम स्तर, प्रमुख सड़कों, नदियों, रेल तक प्रशासनिक सीमाओं के लिए पूरे देश में 1:10,000 के स्केल पर बेस मैप लेयर्स पूरे कर लिए गए हैं। जीआईएस आधारित डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। अभी तक, विभिन्न डोमेन्स तक 21 एप्लीकेशन कार्य कर रहे हैं।

डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन

डिजिटल भुगतान तंत्र डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का नैसर्गिक विस्तार है और इसमें वित्तीय लेन-देन को औपचारिक बनाकर अर्थव्यवस्था को बदलने की पूरी क्षमता है। डिजिटल भुगतान के जरिए कम कीमत पर सेवाएं, व्यापक मापक क्षमता का वहन और छोटे तथा लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तथा ई-वाणिज्य के लाभ मुहैया कराए जा सकते हैं। वर्ष 2016 में नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न स्वरूपों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 'डिजिशाला' नामक एक नये शैक्षिक चैनल की शुरुआत की गई थी। डीडी फ्री डिश पर डिजिशाला शैक्षिक एवं गैर-व्यावसायिक टीवी चैनल के तौर पर उपलब्ध है।

2016 में ही www.cashlessindia.gov.in नामक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। बतौर ज्ञान संग्राहक, इसका लक्ष्य विभिन्न तरह की डिजिटल भुगतान विधियों, योजनाओं के प्रति नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाना है।

2016 में, शुरुआत के साढ़े चार महीने के दौरान ही भीम एप के डाउनलोड का आंकड़ा 2 करोड़ से अधिक पहुंच गया था और इसके जरिए 3,000 करोड़ रुपये का लेन-देन भी संपन्न हुआ। व्यापारियों की ओर से भीम एप को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2017 में 'भीम आधार' की शुरुआत की गई। डिजिटल भुगतान एवं लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 'डिजिधन मिशन' नामक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगमता की राष्ट्रीय नीति (2013) को दिव्यांग व्यक्तियों की बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ उन्हें दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीटी में स्वतंत्र रूप भाग लेने के लिए शुरू किया गया था। यह नीति दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव खत्म कर सकती है और उन्हें रोजमर्रा के जीवन में अपने दम पर शामिल होने में सहायक साबित हो सकती है। 25 दिसंबर, 2013 को मंत्रालय ने सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक सुगमता से जुड़ी राष्ट्रीय योजना का आरंभ किया था। यह नीति दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव समाप्त कर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईसीटी तक समान सुगमता की जरूरत पर जोर देती है। यह नीति दिव्यांग लोगों की विविधताओं को मान्यता देते हुए उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती है।

ई-प्रमाण

जनसेवाओं के ई-प्रमाणीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने ई-प्रमाण योजना का प्रारूप तैयार कर उसे अमल में लाने का कार्य किया है। योजना का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को उसके अपेक्षित लाभार्थियों तक सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मार्ग द्वारा पहुंचाना और साथ ही, नागरिकों के बीच ऑनलाइन सेवाओं के प्रति विश्वास कायम करना है क्योंकि यह माध्यम अक्सर पहचान चोरी और अन्य संबंधित खतरों से जूझता रहता है। सी-डैक, मुंबई की मदद से एमईआईटीवाई ने ई-प्रमाण को जन-उपभोग के लिए उपलब्ध कराया है। ई-प्रमाण एक केंद्रीकृत, मानकाधारित प्रबल बहुमुखी प्रमाणीकृत प्रणाली है जो धारक प्रमाणीकरण के लिए चार कारक उपलब्ध कराती है, जो हैं: पासवर्ड (टेक्स्ट, इमेज), वन टाइम पासवर्ड (एसएमएस, ईमेल, मोबाइल एप), डिजिटल प्रमाणपत्र (भारतीय सीए) और बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट, आईआरआईएस)। ई-प्रमाण की प्रमुख विशेषताएं हैं: सिंगल साइन ऑन (एसएएमएल 2.0 आधारित), जावा आधारित सपोर्ट, डॉट नेट और पीएचपी, अनुरूपित प्रमाणीकृत श्रृंखला आदि, भूमिका आधारित प्रमाणीकरण, सुरक्षित संचार चैनल। ई-प्रमाण सेवा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है। मौजूदा समय में 105 एकीकृत सेवाएं हैं जो ई-प्रमाण को सत्यापन हेतु इस्तेमाल कर रही हैं। ई-प्रमाण का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है आधार परितंत्र। सी-डैक मुंबई, आधार सेवाओं के लिए यूआईडीएआई की एएसए/केएसए-एयूए/केयूए है।

ऑनलाइन ई-साइन *(ई-हस्ताक्षर)*

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक लक्ष्य 'ई-साइन' सुविधा के जरिए आवेदक की पहचान पुख्ता करना है। यह सुविधा ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर सेवा है। ई-साइन की औपचारिक शुरुआत 2015 में हुई थी। यह ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जिसे सेवा वितरण एप्लिकेशनों से एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसके जरिए यूजर को दस्तावेज पर ई-साइन करने की सुविधा प्राप्त होती है। आधार ई-केवाईसी सेवा के जरिए आधार धारक के प्रमाणीकरण के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा की सुविधा मिलती है। ई-साइन सेवा कानूनी तौर पर मान्य तरीके से नागरिकों का दस्तावेजों पर तुरंत हस्ताक्षर करने की सुविधा उपलब्ध कराती है।

राज्य डेटा केंद्र

राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तीन प्रमुख अवसंरचनात्मक अंशों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत, सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सरकार से सरकार (जीटूजी), सरकार से नागरिकों (जीसी) और सरकार से व्यवसाय (जीटूबी) तक कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं पहुंच लिए डेटा केंद्रों को स्थापित किया गया है ताकि सेवाओं, एप्लिकेशंस और अवसंरचनात्मक ढांचे को पुख्ता किया जा सके। इन सेवाओं को सभी राज्य सुचारू रूप से, कोर कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर से सहयोग प्राप्त कॉमन सर्विस डिलिवरी प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें ग्रामीण स्तर पर एसडब्ल्यूएएन और सीएससी जैसे कोर कनेक्टिविटी फ्रंटएंड डिलिवरी आउटलेट्स हैं। एसडीसी के जरिए प्रदान किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं राज्यों के लिए केंद्रीय भंडारण, सुरक्षित डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन सेवा

वितरण, नागरिक सूचना/सेवा पोर्टल, राज्य इंट्रानेट पोर्टल, आपदा रिकवरी, सुदूर प्रबंधन और एकीकृत सेवा आदि। एसडीसी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए डेटा प्रबंधन, आईटी रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रस्तरण और अन्य मूल्यों की न्यूनतम समग्र लागत के साथ-साथ बेहतर संचालन और प्रबंधन अधिकार भी देता है।

ई-संगम

नेशनल सर्विस डिलिवरी गेटवे (एनएसडीजी) एक मिडिलवेयर अवसंरचना है जिसे सी-डैक मुंबई अमल में ला रहा है। यह एक मानक आधारित रूटिंग और मैसेज स्विच है जो भौगोलिक तौर पर भिन्न क्षेत्रों में स्थापित विभागों के बीच डेटा के सुचारू आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ई-संगम में राष्ट्रीय सेवा निदेशिका भी सन्निहित है।

नेशनल नॉलेज नेटवर्क

नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। एनकेएन का लक्ष्य उच्चशिक्षा एवं अनुसंधान के सभी संस्थानों को हाई-स्पीड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ना है जिससे वह ज्ञान वितरण और सहयोगपूर्ण अनुसंधान की सुविधाओं का आदान-प्रदान कर सकें। इसकी स्थापना के बाद से एनकेएन ने भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरोत्तर विकास किया है ताकि वह अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक सहयोगपूर्ण उपक्रमों का नेतृत्व कर सकें। एनकेएन दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसे मौजूदा समय में वैश्विक तौर पर शोध एवं अनुसंधान के अग्रणी संस्थान के तौर पर माना जाता है। वैश्विक तौर पर एनकेएन एकमात्र नेटवर्क है जो एक ही स्थान पर अनुसंधान एवं मूल्यांकन, इंटरनेट और ई-गवर्नेंस को तीन स्वतंत्र स्तंभों के तौर पर स्थापित करता है। एनकेएन डिजिटल इंडिया मंच को भी सुविधाएं प्रदान करता है क्योंकि वह देश में ई-शासन का आधार है। शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ, एनकेएन सभी एसडीसी (राज्य डेटा केंद्रों), एनडीसी (राष्ट्रीय डेटा केंद्र), सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को एक साथ जोड़ता है।

मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने मोबाइल गवर्नेंस की एक व्यापक राष्ट्रव्यापी पहल की है जिसे सी-डैक मुंबई अमल में ला रही है। इसका लक्ष्य, मोबाइल फोन/उपकरणों के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना है। इस पहल के एक अंश के तौर पर, मोबाइल गवर्नेंस के ढांचे को 2012 में अधिसूचित किया गया था। मोबाइल सेवा के माध्यम से एसडीसी, एसडब्ल्यूएएन और एसएसडीजी/एनएसडीजी जैसी सार्वजनिक ई-गवर्नेंस अवसंरचनाओं को मोबाइल प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मदद मिलती है। इसकी मदद से किसी भी सरकारी विभाग को वेब और मोबाइल आधारित सेवाओं को सुचारू रूप से जोड़ने में मदद मिलती है और मोबाइल फोन के व्यापक विस्तार के कारण विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं तक पहुँच भी आसान बनती ह

उमंग

यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (यूएमएएनजी) को बड़ी सरकारी सेवाओं के प्रसार के लिए सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्ष 2017 में विकसित और शुरू किया गया था। यूएमएएनजी को केंद्रीय प्लेटफॉर्म आधार, डिजीलॉकर, पेजीओवी, रेपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) आदि के साथ जोड़ा गया है। इसके जरिए नागरिक केंद्रीय, राज्य सरकारों, स्थानीय इकाइयों एवं उनकी एजेंसियों की सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी के अतिरिक्त यह 12 भारतीय भाषाओं में काम करता है और क्लाउड पर भी मौजूद है। यूएमएएनजी का लक्ष्य नागरिकों तक सभी सुविधाओं को लेकर आना है।

डिजिटल लॉकर

यह भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और नॉलेज इकॉनमी में रूपांतरित करना है। कागजरहित शासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए, डिजिटल लॉकर में दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल तौर पर प्रमाणित और जारी करने पर जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप कागजी दस्तावेजों के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं रहती। डिजीलॉकर अकाउंट पर खाता खोलने वाले भारतीय नागरिकों को विशेष क्लाउड स्टोरेज स्पेस दिया जाता है। डिजिटल लॉकर पर पंजीकृत करने वाले संस्थान, दस्तावेज और प्रमाणपत्रों (उदाहरणार्थ ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल प्रमाणपत्र) की प्रतियां सीधे नागरिकों

के लॉकर्स में भेज सकते हैं। नागरिक अपने वसीयत दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियां भी अपने अकाउंट्स में अपलोड कर सकते हैं। ई-साइन सुविधा की मदद से इन वसीयत दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हस्ताक्षरित भी किया जा सकता है।

स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम सुविधा

स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम (एसवीसी) परियोजना का लक्ष्य हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 3204 सरकारी अधिकृत विद्यालयों सहित 50 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम सुविधा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य देश के दूर-दराज/ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। इसके अलावा, दिल्ली में ईआरएनईटी के डेटा केंद्र में एक केंद्रीकृत कमान केंद्र की स्थापना भी गई जो एक से अधिक लोगों के ऑडियो/वीडियो आदान-प्रदान के लिए स्ट्रीमिंग/रिकॉर्डिंग सर्वर और अन्य संबंधित उपकरणों की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, सभी सहभागियों के बीच चौबीस घंटे शिक्षण/सहयोग हेतु ऑफलाइन अधिगमन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। एसवीसी परियोजना का बुनियादी लक्ष्य तकनीक आधारित कक्षाओं की स्थापना है जिसके आधार पर कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, विशेष सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव ऑडियो/वीडियो सिस्टम आदि के आधार पर अध्यापन एवं पठन-पाठन के अवसरों को प्रोत्साहन मिल सके।

ओपन गवर्नमेंट डेटा

नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) की सम्मति के आधार पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) की स्थापना कर रहा है। इसका लक्ष्य सरकारी डेटा तक सरल पहुंच स्थापित करना है। यह पहुंच देश भर में विस्तृत नेटवर्क में ओपन/मशीन फॉर्मेट के आधार पर हो सकेगा जो कि सामयिक तरीके से सरकार की विभिन्न संबंधित नीतियों, नियमों एवं कार्यों के अधीन पूरा होगा।

ई-अस्पताल परियोजना

डिजिटल इंडिया पहल के एक अंश के तौर पर, एनआईसी ने ई-अस्पताल, ई-ब्लड बैंक और ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था (ओआरएस) एप्लिकेशन्स विकसित की हैं। अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए ओआरएस ई-अस्पताल के अंतरफलक के तौर पर कार्य करता है। इसे इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है और देशभर के अस्पतालों में अपॉइंटमेंट लेने तथा लैब रिपोर्ट, रक्त की उपलब्धता आदि की जांच करने के लिए यह रोगी केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराता है।

प्रगति

पीआरएजीएटीआई (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम्ली इम्प्लिमेंटेशन): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के जरिए तकनीक की सहायता से सरकारी कामकाज में सुधार की इस पहल का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के जरिए भारत सरकार के सचिव और राज्यों के प्रमुख सचिव एक ही मंच पर आते हैं, जहां प्रधानमंत्री उनके साथ विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर मंत्रणा कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ यह विमर्श पूरी सूचना और जमीनी स्तर की नवीनतम तस्वीरों के आधार पर किया जाता है। इससे केंद्रीय स्तर की योजनाओं/परियोजनाओं, राज्य स्तर की परियोजनाओं पर तेज कार्य करने और केंद्र तथा राज्य स्तर के विभागों से जुड़ी शिकायतों के समाधान में तेजी आती है।

डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी संस्थान के भौतिक दस्तावेजों या उनकी तस्वीरों को स्कैन करने की डिजिटलीकृत सेवाएं डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म (डीआईपी) के अंतर्गत आती हैं। इसका लक्ष्य विभिन्न रूपों में मौजूद सभी दस्तावेजों, भाषाओं को डिजिटाइज करना और दस्तावेज प्रबंधन, आईटी एप्लिकेशनों एवं रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट डेटा के सार तत्वों को प्राप्त करना है। इसका शुभारंभ डिजिटल इंडिया के अंतर्गत वर्ष 2015

में हुआ था। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य सरकार के दस्तावेजों को शुरू से अंत तक आईटी ढांचे में तैयार कर नागरिकों तक उनसे जुड़ी सेवाएं पहुंचाना और साथ ही विभिन्न स्व-निर्धारित स्वयंसेवकों, अंशकालिक कर्मियों, गृहणियों, छात्रों तथा आमजन को सशक्त करना है जो व्यापक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने-अपने स्तर पर क्लाउड सोर्सिंग का हिस्सा रहते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) कार्यक्रम में मौजूदा बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के स्थान पर आधार सक्षम खातों में लाभार्थियों को सीधे राशि हस्तांतरित करने की सुविधा मिलती है। यह योजना डीबीटी मिशन द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत, प्रत्येक मंत्रालय में डीबीटी मिशन स्थापित किया जाएगा।

ई-वे बिल

जीएसटी नियामकों के अंतर्गत, ई-वे बिल करदाताओं और परिवाहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए एकल ई-वे बिल प्राप्त करने हेतु स्वयंसेवा मंच उपलब्ध कराता है। जीएसटी के अमल में लाए जाने के उपरांत व्यापार को सुलभ बनाने और मौजूदा कर एकत्रण के उपायों में सुधार की जरूरत महसूस की गई थी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में ई-वे बिल तंत्र की स्थापना हुई।

साइबर सुरक्षा

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोग साइबर स्पेस में उपलब्ध सेवाओं और सूचनाओं पर निर्भर करते हैं। सरकार, व्यवसाय और राष्ट्रीय अवसंरचना अधिकाधिक तौर पर साइबर स्पेस पर निर्भर हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना की गुणवत्ता और संख्या वृद्धि के साथ ही जहां बिजनेस मॉडलों में भी सुधार हुआ है, वहीं आपराधिक एवं विरोधी पक्षों ने भी अपनी गतिविधियों को छुपकर अंजाम देने के लिए साइबर स्पेस को एक लाभकारी तरीके के तौर पर अपनाया है। अतः राष्ट्रीय कार्यसूची में साइबर स्पेस की सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

इसके महत्व को समझते हुए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई। इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना तथा सूचना अवसंरचना को संरक्षित करके, साइबर खतरों को रोकने के लिए क्षमता सृजन और संस्थागत अवसंरचनाओं, जनता, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी तथा सहयोग के माध्यम से अन्य साइबर घटनाओं से हुई क्षति को कम करके नागरिकों, व्यवसाय तथा सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है।

नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी) : की स्थापना साइबर हमलों के लिए तैयारी और पूर्वानुमान लगाने के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की जा रही है। एनसीसीसी देशभर में सभी स्रोतों से साइबर हम से जुड़ी सूचना एकत्र कर के उनका आकलन और उनके प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा, जिसकी मदद से सही समय पर संकट सूचना और नियतकालीन रिपोर्ट प्राप्त हो सकें। इस शुरुआत से लोगों की विशेषज्ञता के इस्तेमाल, प्रामाणिक मानदंडों के उपयोग और स्रोतों की सहभागिता से देश में साइबर स्पेस को मजबूती और साइबर सुरक्षा की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी।

साइबर स्वच्छता केंद्र: इंडियन कंप्यूटर एमर्जेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर) का आरंभ किया है। यह केंद्र बैंकों और आम इस्तेमालकर्ताओं के पक्ष में खतरनाक कंप्यूटर कार्यक्रमों का पता लगाने और उसके लिए फ्री टूल्स मुहैया कराता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित योजना आयोग के सहायक विभाग के तौर पर वर्ष 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना की गई थी। इसकी परिकल्पना, 'भारत के नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान और उसे कहीं भी, कभी भी प्रमाणित करने का डिजिटल मंच उपलब्ध कराना' है। आधार कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य विभिन्न सामाजिक उत्थान योजनाओं और जनकल्याण योजनाओं तक पहुंच के लिए पहचान अवसंरचना की स्थापना है। आधार की क्षमता इसे पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करने और विभिन्न राज्य विभागों, केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की इकाइयों की सेवाओं को

नागरिकों तक एकीकृत तौर पर पहुंचाने में निहित है।

एमईआईटीवाई के अधीन कई अन्य संगठन हैं जो इसके कार्यक्रमों और योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।

प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीए) द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे अधिनियम प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक (सीसीए) द्वारा अधिकार प्राप्त होता है। सीसीए विभाग लाइसेंसशुदा प्रमाणन प्राधिकारों (सीए) को ई-साइन सेवा का अधिकार देता है जिसके लिए कानूनी ढांचा और दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। अभी तक आठ में से तीन लाइसेंसशुदा सीए को ही ई-साइन सेवा का अधिकार दिया गया है। इन ई-साइन सेवा प्रदाताओं (ईएसपी) को यूआईडीएआई से ईकेवाईसी की बुनियाद पर आधार-धारकों के ही डिजिटल हस्ताक्षर का कार्य ही आगे बढ़ाने का अधिकार है।
वेबसाइट: www.cca.gov.in

साइबर अपीली अधिकरण

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 48(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार 2006 में साइबर नियामक अपीली अधिकरण (सीएटी) की स्थापना की गई। आईटी अधिनियम के अनुसार प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक या कानून के तहत किसी न्यायिक अधिकारी के आदेश से यदि कोई व्यक्ति आहत है तो वह साइबर अपीली अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर मेटीरियल्स (सी-मेट) की स्थापना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पदार्थों के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के अंतर्गत वर्ष 1990 में की गई थी। सी-मेट अपनी पुणे, हैदराबाद और थ्रिसूर स्थित प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। इन तीन प्रयोगशालाओं के पास इलेक्ट्रॉनिक मैटीरियल्स से जुड़े विशेषाधिकार हैं, जिसके अंतर्गत यह भारतीय उद्योगों के लिए प्रयोगशाला स्तर से संयंत्र प्रदर्शन तक तैयार नई तकनीकों को लेकर आ सकते हैं।

एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क

एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क (ईआरएनईटी) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है। इसने देश में नेटवर्किंग के विकास में महत्वपर्ण योगदान दिया है। ईआरएनईटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के अतिरिक्त आईटी परामर्श, परियोजना प्रबंधन तथा प्रशिक्षण के जरिए अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन

देश में ई-गवर्नेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर ई-गवर्नेंस डिविजन की स्थापना की गई। एनईजीडी प्रोग्राम प्रबंधन तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों को पूरा करने में तकनीकी तौर पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

वर्ष 1976 में स्थापित एनआईसी निचले स्तर तक ई-गवर्नमेंट/ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन बनाने वाले वृहद संगठन और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसर प्रोत्साहक के रूप में उभरा है। एनआईसी ने अपने आईसीटी नेटवर्क 'एनआईसीएनईटी' के माध्यम से सभी मंत्रालयों/केंद्र सरकार के विभागों, 36 राज्य सरकारों/केंद्र-शासित प्रदेशों और लगभग 650 से अधिक भारत के जिला प्रशासन के साथ संस्थापक संपर्क स्थापित कर दिया है। एनआईसी केंद्र में सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्य, जिला तथा ब्लॉक तक ई-गवर्नमेंट/ई-गवर्नमेंट एप्लीकेशनों के संचालन में ये

सहायक रहा है, सरकारी सेवाओं को सुधारने में सहायता देर रहा है, व्यापक पारदर्शिता ला रहा है और विकेंद्रित प्रबंधन और नियोजन को प्रोत्साहन दे रहा है।
वेबसाइट: www.nic.in

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है जो देशभर में प्रयोगशालाओं एवं केंद्रों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत, सरकारी व निजी संस्थाओं को परीक्षण, कैलिबरेशन, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज

एनआईएक्सआई कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत) के तहत स्थापित गैर-लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ता है और देश के अंदर घरेलू ट्रैफिक का मार्ग तय करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से एनआईएक्सआई निम्नलिखित गतिविधियां चला रहा है- 1. इंटरनेट एक्सचेंज, 2. आईएन रजिस्ट्री तथा अंतरराष्ट्रीय डोमेन नेम (आईडीएन), और 3. नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर)।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक सोसायटी है। यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, साइबर कानून, साइबर सुरक्षा, आईपीआर, जीआईएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईएसडीएम, ई-कचरा, आईओटी, ई-गवर्नेंस तथा संबंधित इकाइयों के क्षेत्र में क्षमता सृजन और कौशल विकास का कार्य सक्रिय रूप से कर रही है। एनआईईएलआईटी औपचारिक और अनेक राज्यों में कर्मचारियों और जनता के लिए आईटी साक्षरता कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अधिमान्य एजेंसी है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना वर्ष 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सोसायटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करना है। यह सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र का काम करता है। एसटीपीआ द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यातक समुदाय को दी जाने वाली सेवाएं वैधानिक, डाटा कम्युनिकेशन, संरक्षण सुविधाएं, मूल्यवृद्धि और परियोजना प्रबंधन सलाह सेवाएं होती हैं। एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

मीडिया लैब एशिया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित मीडिया लैब एशिया गैर-लाभकारी कंपनी है। इस कंपनी का उद्देश्य जनसाधारण तक ईसीटी का लाभ पहुंचाना है। इसकी गतिविधियों में एप्लीकेशन क्षेत्र यथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जीविका तथा दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए आईसीटी को शामिल करना है।

इंडियन कम्प्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की इंडियन कम्प्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) कानून, 2008 के अनुच्छेद 70बी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय एजेंसी के तौर पर निम्न कार्य करती है: साइबर सुरक्षा के मामलों में सूचना का एकत्रण, आकलन और वितरण, साइबर सुरक्षा मामलों की भविष्यवाणी और चेतावनी, साइबर सुरक्षा के मामले में आपसी सहयोग, साइबर मामलों के अभ्यास, विधियों, रोकथाम, प्रतिक्रिया और सूचना आदि से जुड़े दिशानिर्देश, सलाह, संवेदनशीलता संबंधित नोट्स और श्वेतपत्र तैयार करना।

प्रगत संगणन विकास केंद्र

तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक विकास को देखते हुए देश में आईटीएंडई (सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) एक अग्रणी संस्थान की भूमिका निभा रहा है। इसका कार्य विशिष्ट बुनियादी क्षेत्रों के जरिए मार्केट की जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय तकनीकी क्षमताओं को सशक्तता प्रदान करना है। उच्चस्तरीय अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के संस्थान के तौर पर सी-डैक सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में आगे रहा है, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को भावी/समर्थ तकनीकों, नवाचार और आईटी उत्पाद एवं समाधान के क्षेत्र में कुशलता और क्षमता बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराता है।

प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था

प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था (एसएएमईईआर) की स्थापना मुंबई में सूक्ष्मतरंग अभियांत्रिकी तथा विद्युत चुम्बकीय तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की प्रयोगशाला के तौर पर वर्ष 1984 में हुई थी। यह मुंबई में वर्ष 1977 में स्थापित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की विशेष सूक्ष्मतरंग अभियांत्रिकी इकाई (एसएमपीयू) की प्रशाखा के तौर पर स्थापित की गई थी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) की स्थापना वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की विस्तृत शाखा के तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों को संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस कराने के लिए की गई थी। इसके द्वारा प्रेषित सेवाओं में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, तकनीकी सहयोग, डिजाइन और विकास, संचालन और प्रबंधन, गुणवत्ता परख और संपूर्ण आईसीटी सॉल्यूशंस एवं सेवाएं शामिल हैं।

दूरसंचार

ज्ञान की तेजी से बढ़ती दुनिया में दूरसंचार सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना बन गया है। देश के सभी हिस्सों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच नए परिवर्तनकारी और प्रौद्योगिकी संपन्न समाज के विकास का अभिन्न हिस्सा है। अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर इंटरनेट तथा मोबाइल सेवाओं के बीच सकारात्मक संबंध है। सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के परिणामस्वरूप भारतीय दूरसंचार क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है।

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग तेज समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती तथा उच्च गुणवत्ता संपन्न कनवर्ड दूरसंचार सेवाएं, कहीं भी, कभी भी देने के लिए संकल्पबद्ध है। विभाग पूरे देश में सुरक्षित किफायती दर पर, विश्वसनीय तथा सुरक्षित वॉयस तथा डाटा सेवाएं प्रदान कर जनहित के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से देश में दूरसंचार ने अभूतपूर्व विस्तार किया है। उपभोक्ताओं की मांग के अलावा, भारत सरकार की मुक्त और सुधारवादी नीतियों के चलते भी इस क्षेत्र में तेजी से विकास देखा गया है। सरकार ने सेवा प्रदाताओं के बीच खुली प्रतिस्पर्धा, और स्पष्ट एवं सक्रिय नियामक ढांचा सुनिश्चित किया है जिसके आधार पर दूरसंचार सेवाएं उपभोक्ताओं तक कम कीमत पर पहुंच सकी हैं। साथ ही, सरकार ने टेलिकॉम उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी अनुकूल प्रयास किए हैं। क्षेत्र में विकेंद्रित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण भी एफडीआई में वृद्धि हुई है। मौजूदा दौर में भारत दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और यहां इस क्षेत्र के 1.18 बिलियन ग्राहक हैं। भारत की मोबाइल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा दौर में समूचे टेलिफोन उपभोक्ताओं का 98 प्रतिशत इससे संबद्ध है। 2020 तक मोबाइल उद्योग का कुल आर्थिक ढांचा 14 खरब (217.37 बिलियन डॉलर्स) रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

वेबसाइट: www.dot.gov.in

टेली घनत्व

टेली घनत्व से तात्पर्य प्रति 100 व्यक्तियों के बीच टेलिफोन की संख्या से होता है। यह देश में टेलिफोन की पहुंच के महत्वपूर्ण सूचक के तौर पर होता है। मार्च 2019 के अंत तक देश में टेली घनत्व 90.10 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व 57.50 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 159.66 प्रतिशत रहा। सेवा क्षेत्रों में टेली घनत्व आंकड़े हिमाचल प्रदेश (146.37 प्रतिशत), तमिलनाडु (116.94 प्रतिशत), पंजाब (125.35 प्रतिशत), केरल (126.15 प्रतिशत) और कर्नाटक (110.04 प्रतिशत) रहे। यह आंकड़े बिहार (59.95 प्रतिशत), असम (68.81 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (70.11 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (70.11 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (71.39 प्रतिशत) और ओडिशा (75.74 प्रतिशत) अपेक्षाकृत कम रहे। महानगरों में दिल्ली में टेली घनत्व सबसे अधिक 238.57 प्रतिशत रहा, जिसके बाद कोलकाता (165.51 प्रतिशत) और मुंबई (165.62 प्रतिशत) रहा।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच

मार्च 2018 के अंत तक देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं (ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड को मिलाकर) की संख्या 493.95 मिलियन रही जो कि मार्च 2019 तक बढ़कर 636.73 मिलियन तक जा पहुंची थी। मार्च 2019 के अंत तक वायरलेस फोन आदि के माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 615.05 मिलियन थी। इसी अरसे के दौरान वायरलाइन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 21.68 मिलियन थी।

अनुसंधान एवं विकास

स्वायत्त निकाय सी-डॉट दूरसंचार विभाग का अंग है। यह संगठन लागत प्रभावी, स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। सी-डॉट उपग्रह संचार, आईएन, एटीएम, डीडब्ल्यूडीएम, एनएमएस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, जीपीओएन, एनजीएन तथा मोबाइल सेल्युलर प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केंद्र बन गया है।

डीओटी के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न संस्थानों के प्रशासनिक अधिकार आते हैं: 1. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल); 2. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल); 3. आईटीआई लिमिटेड; 4. टेलिकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल); 5. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल); 6. हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)।

भारत संचार निगम लिमिटेड

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी और यह पूरी तरह भारत सरकार के अधीन आती है। यह देशभर में, दिल्ली और मुंबई के अतिरिक्त दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती ह बीएसएनएल लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल और जीएसएम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट्स और लंबी दूरी की टेलिकॉम सेवाओं जैसी सभी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराती है। ग्रामीण टेलिफोनी पर इसका विशेष फोकस है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों तथा वामपंथी उग्रवाद झेल रहे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर इसका विशेष फोकस है।
वेबसाइट: www.bsnl.co.in

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

1986 में स्थापित एमटीएनएल एक नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह देश के प्रमुख महानगरों, दिल्ली व मुंबई में सेवा प्रदान करती है। इन दो महानगरों में एमटीएनएल निर्धारित लाइन की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। एमटीएनएल दिल्ली के साथ नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद तथा गाजियाबाद और मुंबई के साथ-साथ मुंबई महापालिका, नवी मुंबई निगम और ठाणे पालिका निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदान करती है। एमटीएनएल अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर वॉयस, हाई स्पीड इंटरनेट तथा आईपीटीवी की ट्रिपल पे सेवा प्रदान करती है।
वेबसाइट: www.mtnl.net.in

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज

इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड की स्थापना 1948 में तब के दूरसंचार सेवा प्रदाता दूरसंचार विभाग को उपकरणों की सप्लाई करने के लिए की गई थी। आईटीआई ने अपना संचालन 1948 में बंगलुरु में शुरू किया। बाद में इसका विस्तार हुआ और जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पलक्कड़ में इसकी उत्पादन इकाइयां स्थापित हुईं। सभी उत्पादन इकाइयां आईएसओ 9001-2000 मानक प्राप्त हैं। विभिन्न स्थानों पर इन इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाना है बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी है।
वेबसाइट: www.itiltd-india.com

टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

टेलीकम्युनिकेशंस कलस्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की स्थापना 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि उचित विपणन नीति तैयार कर, निरंतर आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करके और अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए विदेशी तथा घरेलू बाजारों में परिचालन की श्रेष्ठता बनाई रखी जा सके। इसने साइबर पार्कों, इंटेलिजेंट बिल्डिंग, साइबर और स्मार्ट सिटी तथा ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया कंजरवेंट सेवा पर फोकस करके, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में प्रवेश कर अपनी विविधता कायम की है। टीसीआईएल बाहरी देशों में भी दूरसंचार और आईटी अवसंरचना विकसित कर रही है।
वेबसाइट: www.tcil-india.com

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) को भारतीय कंपनी कानून 1956 के अंतर्गत 2012 को शामिल किया गया ताकि लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जीपीज) में भारतनेट योजना लागू की जा सके।
वेबसाइट: www.bbnl.nic.in

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड *(एचपीआईएल)*

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) डीओटी के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। विदेश संचार निगम लिमिटेड (अब टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड) की 25 प्रतिशत बिक्री के दौरान चार स्टेशनों की 1230.13 एकड़ भूमि में से 773.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सीमा तय कर दी गई थी और यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त भूमि इस विनिवेश का हिस्सा नहीं होगी और इसकी देखभाल अन्य रियल्टी कंपनी करेगी।

डिजिटल इंडिया का विजन

डिजिटल इंडिया का लक्ष्य देश को डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और नॉलेज इकॉनमी बनाने का है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डीईआईटीवाई) विभाग ने की थी। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरकारी सेवाओं के वितरण प्रदत्त अधिकार में उत्तरदायित्व में भी वृद्धि करेगा जिसके जरिए अतःप्रचालनीय एवं समेकित सरकारी एप्लिकेशनों एवं डेटा आधार पर मौलिक और मानकाधारित यूनिक आईडी और ई-प्रमाण वितरित किए जाएंगे। मौजूदा समय में अधिकांशतः ई-शासन परियोजनाओं को केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के जरिए वित्तीय सहयोग दिया जाता है। नई योजना के जरिए डिजिटल इंडिया की व्यक्तिगत योजनाओं को उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा।

डिजिटल इंडिया का प्रसार

इस कार्यक्रम का कुल प्रसारः (1) भारत को नॉलेज फ्यूचर के लिए तैयार करना; (2) रूपांतरण की तैयारी यानी आईटी (इंडियन टेलेंट) + आईटी (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी) = आईटी (इंडिया टुमॉरो); (3) परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को आधार बनाना; और (4) विभिन्न विभागों को एक कार्यक्रम के जरिए जोड़ना।

कार्यक्रम में एक व्यापक विज़न के अंतर्गत अनेकानेक विचारों और योजनाओं को जोड़ने का लक्ष्य है ताकि प्रत्येक

विचार वृहद लक्ष्य का अभिन्न अंग बन सके। प्रत्येक विचार की अपनी उपयोगिता होती है, परंतु साथ ही वह बड़ी तस्वीर का हिस्सा भी होता है। उन सभी अंशों को जोड़कर ही रूपांतरण के लक्ष्य को यथार्थरूप दिया जा सकता है।

इसलिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं को पुनर्गठित और पुनःसंचालित करके सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर अपनाया जाएगा। कार्यक्रमों के डिजिटल इंडिया शीर्षक के अंतर्गत उनकी रूपांतरण क्षमता की विशेषता दिखती है।

विकास हेतु आवश्यक नौ क्षेत्रों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से व्यापक सहयोग मिलेगा, यह क्षेत्र हैं: (1) ब्रॉडबैंड हाइवे; (2) मोबाइल कनेक्टिविटी तक व्यापक पहुंच; (3) पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम; (4) ई-शासनः तकनीक के माध्यम से सरकारी कामकाज में सुधार; (5) ई-क्रांति सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरण; (6) सबके लिए सूचना; (7) इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण; (8) नौकरियों के लिए आईटी; और (9) शीघ्र कटाई कार्यक्रम।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। अदालती मुकदमों पर सक्रिय रीके से नजर रखने के लिए एलआईएमबीएस एक आसान पहंच वाला व्यापक और विनियामक वेब आधारित टूल है। विभिन्न जरूरतों वाले यूजर्स यह वेब आधारित और आसान पहुंच वाला पोर्टल है जिसके जरिए प्रशासन के सभी हलकों तक पहंच सरल हो जाती है। इसका अर्थ, प्रयोक्ता निचले स्तर से लेकर शीर्ष प्रशासनिक स्तर तक पहुंच सकता है। अदालती मुकदमों के विस्तार के लिए एलआईएमबीएस डेटा एंटी स्क्रीन का इस्तेमाल करता है जो बेहद सरल होता है और इसके आधार पर अदालती मुकदमों की ताजा जानकारी प्रेषित की जा सकती है। एमआईएस की विभिन्न रपटों के जरिए इन मामलों पर नजर रखने में मदद मिलती है। ई-डॉक्यूमेंट के जरिए प्रयोक्ता महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी प्रेषित कर सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर एसएमएस अलर्ट यूजर्स को सूचित करता है।

नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कार्यक्रम

इस नीति का उद्देश्य, विभिन्न संबंधित नीतियों के अंतर्गत, एक नेटवर्क से पठनीय और मशीन सक्षम पठनीय रूप में सरकार का साझा करने लायक डाटा एक्सेस करना है। इस संबंध में, पब्लिक डाटा एवं सूचना तक वृहद पहुंच के लिए भारत सरकार की विभिन्न धाराएं एवं नियम अनुमति प्रदान करते हैं।

ई-ऑफिस

ई-ऑफिस के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. सरकारी प्रतिक्रिया में सक्षमता, निरंतरता और प्रभाव बढ़ाना, 2. परिवर्तन समय में कमी लाना तथा नागरिक चार्टर मांगों की पूर्ति करना, 3. प्रशासन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कारगर संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना, 4. प्रोसेसिंग विलंब में कमी लाना, 5. पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करना, और 6. सिस्टम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होना आदि।

9 रक्षा

सरकार देश और उससे संबंधित प्रत्येक पक्ष की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह रक्षा मंत्रालय (एमओडी) करता है जो सरक्षा बलों को उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए समचित नीति और संसाधन उपलब्ध कराता है। स्वतंत्रता पश्चात कैबिनेट मंत्री के अधीन रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। प्रत्येक सरक्षा बल का नेतत्व एक कमांडर-इन-चीफ करता है। वर्ष 1955 में कमांडर-इन-चीफ का नाम बदल कर थलसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख कर दिया गया। 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की नींव रखी गई जिसके अंतर्गत रक्षा उपकरणों से जुड़ा अनुसंधान, विकास और उत्पादन आता है। रक्षा जरूरतों के आयात से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग बना दिया गया। 2004 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग का नाम बदल कर रक्षा उत्पादन विभाग कर दिया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन हुआ जबकि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना 2004 में हुई। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख रक्षा मंत्री होता है। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद सृजित किया गया।

भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति

यह अधिकाधिक तौर पर स्पष्ट होता जा रहा है कि दुनिया भर में तीव्र और अनपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं जिन्हें कुछ लोग संरचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। प्रतिदिन तेजी से विकसित हो रही सुरक्षा एवं तकनीकी चुनौतियों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक अनुक्रमों का स्वरूप बदल रहा है। इस दृष्टि से भारत के विकास और सुरक्षा के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय तौर पर उचित वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। भारतीय विदेश एवं सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय प्रगति और विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण एवं समुचित माहौल बनाए जाने पर जोर देती है। यह भी सच है कि भारत के सुरक्षा वातावरण को पुख्ता बनाने की दिशा में विभिन्न अप्रत्याशित क्षेत्रीय और वैश्वि विकास पक्ष बड़ी भूमिका निभाते हैं। सामरिक स्वायत्तता और आपसी लाभकारी सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर भारत अपनी सुरक्षा के समक्ष आने वाली कई पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक चुनौतियों का मुकाबला करता आया है। इसके लिए वह वैश्विक, क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय आधार पर सहयोगी देशों के साथ रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है। आज दुनिया की शांति एवं सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद और कट्टरपंथ के रूप में उपस्थित है। यह देखते हुए, विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों से भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों का सामना करने के अपने दृढ़ निश्चय के बारे में बार-बार जोर देकर कहा है। सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) का प्रसार वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। डब्ल्यूएमडी का प्रसार तब तक व्यापक खतरा बना रहेगा जब तक आतंकवादी अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इससे जुड़ी सामग्री और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे। भारत ने हमेशा से अपने मित्र राष्ट्रों के साथ आणविक सुरक्षा शिखर सम्मेलन (एनएसएस) की प्रक्रिया को सफल बनाने का प्रयास किया है और वह न्यूक्लियर सेक्योरिटी कॉन्टेक्ट ग्रुप के अपने सहयोगियों के साथ भी सक्रिय रहता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश

भारत सरकार एशिया के अन्य देशों के साथ सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने को उच्च प्राथमिकता देती है। इस दिशा में भारत द्वारा निकट संपर्क, मजबूत संबंध और सहयोग को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की व्यापक सराहना भी हुई है। 'नेबरहुड फर्स्ट' की अपनी नीति के अनुसार भारत अपने पड़ोसियों के साथ निकटवर्ती और मैत्रीपूर्ण

संबंधों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करता है। गत वर्ष भी भारत ने अपनी इस नीति पर कार्य किया। भारत की रक्षा एवं सुरक्षा नीति, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसी के चलते बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम (बीआईएमएसटीईसी) के अंतर्गत सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में व्यापक सुधार भी हुआ है । 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बीआईएमएसटीईसी सम्मेलन ने क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को व्यापक मजबूती प्रदान की थी। काठमांडू घोषणा के माध्यम से सुरक्षा एवं आतंकवाद से निपटने, आपदा नियंत्रण, संपर्क एवं व्यापार, कृषि, गरीबी उन्मूलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन तथा आमजन के बीच संपर्क तथा अन्य महों पर सहयोग के लिए नेताओं को नया विज़न प्राप्त हुआ।

भारत समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए अपने समुद्री पड़ोसी देशों को मेरिटाइम डोमेन अवेयरनेस (एमडीए) के विकास के माध्यम से उनके तटीय निगरानी नेटवर्क विकसित करने हेतु सहयोग कर रहा है। इस संदर्भ में, 2018 में भारत ने गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशियन रीजन (आईएफसी-आईओआर) का शुभारंभ किया। आईएफसी-आईओआर एक बड़ा कदम है, जिसके माध्यम से भारत के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में एमडीए के लिए सुचारू तंत्र स्थापित होगा जिससे क्षेत्र में समद्री गतिविधियों के प्रति स्थितिपरक जागरूकता सुनिश्चित हो सकेगी। भारत के निकट पड़ोस में सुरक्षा वातावरण से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। मौजूदा समय में अफगानिस्तान अनेक बदलावों के दौर से गुजर रहा है। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है जिसके चलते वह न्यनतम अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर आतंकवाद का मकाबला कर रहे हैं। गत वर्ष वहां आतंकवादी हिंसा की अनेक वारदातें देखने को मिली। नतीजतन, आतंकवाद का प्रसार अफगानिस्तान के शांत क्षेत्रों तक जा पहुंचा है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इन हालात को लेकर बहुत चिंतित है और उसने नित बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं। हालांकि, इन प्रयासों के पुख्ता परिणाम अभी आने शेष हैं। वृहद विकास संबंधी सहयोग के आधार पर भारत अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस (एएनडीएसएफ) की प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास की दिशा में मदद भी कर रहा है।

दिसंबर, 2018 में बांग्लादेश में आम चुनाव आयोजित हुए जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के दल ने वहां एक बार फिर सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी क्षेत्रों में सहयोग में व्यापक विस्तार हुआ है। वहीं बांग्लादेश में सुरक्षा माहौल भी स्थायी बना हुआ है। 2016 के आतंकी हमलों के बाद बांग्लादेश ने अतिवादी संगठनों की गतिविधियों पर सफलतापूर्वक रोक भी लगाई है। भारत और बांग्लादेश रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं जिसके अंतर्गत बांग्लादेश से लगने वाली सीमा सुरक्षा कार्ययोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की डिफेंस एलओसी सहायता भी शामिल है ।

हिन्द महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की सुरक्षा चिंताएं उसके तटीय पड़ोसियों के साथ जुड़ी हैं जिनमें मालदीव भी शामिल है। विगत वर्षों में दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच सहयोग में विस्तार हुआ है। भारत मालदीव की सुरक्षा सेनाओं की कुशलता एवं क्षमता विकास में लगातार सहयोग कर रहा है। दोनों देशों की थलसेना (एकुवेरिन), नौसेना (इकाथा) और तटरक्षकों (दोस्ती) में वार्षिक तौर पर युद्धाभ्यास होते हैं।

नेपाल में 2018 में प्रधानमंत्री श्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद, शासनाध्यक्षों की तीन पारस्परिक राजकीय यात्राओं के बाद भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में नई स्फूर्ति देखी गई है। इन यात्राओं का प्रमुख लक्ष्य द्विपक्षीय परियोजनाओं एवं नई पहलों का समयोचित एवं शीघ्र तौर पर अमल में लाना था। भारत-नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण 'सूर्य किरण' भी 2018 में आयोजित किया गया। वहीं भारत और म्यामां के बीच सुरक्षा सहयोग में भी व्यापक सुधार हुआ है। इसके अंतर्गत भारत-म्यामां सीमारेखा पर उग्रवादी समूहों की समस्या से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां म्यामां सुरक्षा बलों के साथ अनेक स्तरों पर काम कर रही हैं।

संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास के गहरे अभाव में पाकिस्तान में राजनीतिक हालात चुनौतीपूर्ण रहे हैं। आम चुनावों के बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की विदेश सुरक्षा और रक्षा नीतियों को निर्देशित करने वाले सबसे बड़े संगठन के तौर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वित्तीय संकट के बावजूद, पाकिस्तान अपने सैन्य, और विशेषकर आणविक एवं मिसाइल क्षमताओं का विकास करने में व्यस्त है। पड़ोसी देशों में आतंकी

कार्रवाइयों को अंजाम देने वाले जिहादी एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना कार्रवाई को टालती रही है। ऐसे समूहों को सहयोग मिलना जारी है। पाकिस्तान की सेना इन संगठनों को जम्मू और कश्मीर एवं अन्य क्षेत्रों में पूरे साल सीमारेखा पर भारी गोलाबारी की आड़ में भारत में घुसपैठ करने को बढ़ावा देती है। हालांकि, सीमारेखा पर की जाने वाली गोलाबारी का भारतीय सशस्त्र दल मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सीमापार से किए जाने वाले हमलों के जवाब देने की श्रृंखला में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर सफलतापूर्वक एहतियाती गैर-सैन्य आतंकरोधी हवाई हमला किया था। भारत का रुख हमेशा से यह रहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाले आतंकवादी समूहों को सहयोग करना बंद करे और उनके खिलाफ कड़े और स्थायी कदम उठाए। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से भारत पर हमला करने वाले इन आतंकवादियों तथा आतंकी गुटों के बुनियादी ढांचों को समाप्त कर दे।

भारत-श्रीलंका के संबंधों में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ रक्षा एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से सुधार आया है। भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने अपना छठा वार्षिक सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' का आयोजन किया। वहीं निकटवर्ती विकास सहभागिता के संदर्भ में चीन के साथ संबंध स्थायित्व की दिशा में बढ़े हैं। भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के स्थायी हित हैं और इस क्षेत्र में विभिन्न देशों एवं संगठनों के साथ भारत के संबंधों में निरंतर गहराई आ रही है। वर्ष 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की नई हिंद महासागरीय नीति पर प्रकाश डाला था। 'सागर' (एसएजीएआर) नामक इस नीति को अंग्रेजी में 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन' कहा गया है। इसके अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था हेतु सामुद्रिक पड़ोसी एवं द्वीप राष्ट्रों के साथ विशेष तौर पर आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग पर बल दिया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद सामुद्रिक पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में मजबूती आई है। इस दिशा में, भारत पूर्व की ओर मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर से प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ जुड़ता है - इनमें आसियान देश, जापान, कोरिया गणतंत्र, चीन, अमरीका एवं अन्य प्रशांत देश मौजूद हैं। इस क्षेत्र में व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारत, सामुद्रिक राष्ट्रों के बीच लगातार सहयोग को आसियान क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) से प्रोत्साहित करता रहा है। भारत-प्रशांत निरंतरता की अविरल धारा का एक अंश भारत एवं अफ्रीका भी हैं। अफ्रीका के देशों, विशेषकर पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सामुद्रिक संबंधों में भी निरंतर विकास हो रहा है।

पश्चिम एशिया हमेशा से ही भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस क्षेत्र के लोगों और भारतीय जन-साधारण के बीच गहरे संबंध हैं जिसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में नौ मिलियन भारतीय रहते हैं जो विदेशों से भारतीय द्वारा स्वदेश भेजे जाने वाली कुल राशि 62 बिलियन अमरीकी डालर में से 60 प्रतिशत (39 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स) इस क्षेत्र से भेजते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारी आधी से अधिक जरूरतोंकी आपूर्ति इसी क्षेत्र होती है। भारत-रूस के संबंध भी मधुर हैं और इसका अंदाजा दोनों देशों के नेताओं की निरंतर मुलाकातों से लगता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ वृहद एवं दीर्घकालिक सहयोग रहा है। यूरोप आंतरिक एवं बाहरी विदेश नीति चुनौतियां झेल रहा है। ब्रेग्ज़िट जैसे मुद्दों का हल होना अभी बाकी है। कुछ अग्रणी यूरोपीय देशों के साथ भारतीय संबंधों में तेजी आई है।

भारत-अमरीका संबंध सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हैं। इसके मद्देनजर भारत को अमरीका के 'नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट' के अंतर्गत अमरीका का 'बड़ा रक्षा साझीदार' घोषित किया गया है। इसके बाद 'स्ट्रेटिजिक ऑथोराइजेशन एक्ट-1 स्टेट्स' (एसटीए-1) के पायदान चढ़ते हुए भारत अमरीका के सबसे निकटवर्ती सहयोगियों की सूची में शामिल हो गया है।

तेल सहित भारतीय व्यापार का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से होकर आता है। इस दृष्टि से समुद्र से होने वाले व्यापारिक आदान-प्रदान की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए भारतीय नौसेना व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान करती है और समुद्री डकैती के प्रयासों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मॉरीशस, सेशेल्स और मैडागास्कर के साथ सुरक्षा ढांचे को सहयोग देने के लिए औपचारिक प्रारूप तैयार किया है।

आंतरिक सुरक्षा परिवेश

केंद्र और राज्यों की सरकारों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश का समग्र आंतरिक सुरक्षा परिवेश पुख्ता हो गया है। हमारे संघीय ढांचे में 'जन व्यवस्था' और 'पुलिस कार्यप्रणाली' की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। हालांकि, केंद्र सरकार आतंकवाद, उग्रवाद, घुसपैठ और अतिवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को समग्र सहयोग प्रदान करती है। आतंकवाद/घुसपैठ के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा को पैदा होने वाली चुनौतियों को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें हैं (1) अंदरूनी क्षेत्रों में आतंकवाद, (2) जम्मू और कश्मीर में सीमापार आतंकवाद, (3) पूर्वोत्तर में उग्रवाद और (4) कुछ राज्यों में वामपंथी अतिवाद। जहां तक अंदरूनी क्षेत्रों में आतंकवाद का प्रश्न है, व्यापक तौर पर हालात काबू में हैं। 2017 के दौरान देश के अंदरूनी क्षेत्रों में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई।

रक्षा मंत्रालय और उसके विभाग

रक्षा मंत्रालय का मख्य कार्य रक्षा और सरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निर्देश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति-निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आवंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए। इसके विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करना। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए भी उत्तरदायी है। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जी के देसीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सैन्य उपस्करों और प्रचालन तंत्र (लॉजिस्टिक्स) से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देता है और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साजो-सामान के अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करता है और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों को देखता है।
वे ब सा इ ट: www.mod.gov.in, www.mod.gov.in/dod, www.ddp.mod.gov.in, www.drdo.gov.in, www.desw.gov.in

एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय

उच्च रक्षा प्रबंधन के पुनरीक्षा हेतु मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर 2001 में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (एचक्यूआईडीएस) की स्थापना की गई। स्टाफ कमिटी प्रमुखों के अध्यक्ष के तत्वावधान में यह संगठन विभिन्न र सेवाओं के बीच परस्पर तालमेल हेतु काम कर रहा है। मुख्यालय का नेतृत्व एकीकृत रक्षा स्टाफ के अध्यक्ष सीओएससी (सीआईएससी) प्रमुख करते हैं जिनका स्तर किसी भी सेवा मुख्यालय के उप-प्रमुख के समकक्ष होता है। संगठन में तीनों रक्षा सेवाओं, विदेश मंत्रालय, डीआरडीओ, रक्षा विभाग और रक्षा (वित्त) के नुमाइंदों की भूमिका रहती है। मुख्यालय की उल्लिखित भूमिका के अंतर्गत शाखाओं, प्रभाग और निदेशालयों के तौर पर कार्य में सांगठनिक इकाइयों और सामंजस्य स्थापित करना शामिल है। आईडीएस स्टाफ कमिटी प्रमुखों के अध्यक्ष (सीओएससी) को सचिवालयी और आम सहायता प्रदान करता है। यह बह-सेवा निकायों के सचारु कामकाज में सविधा महैया कराता है। संगठन के प्रमुख कार्य और भूमिका के दायरे में आते हैं- (क) डिफेंस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (डीसीएमजी) जिसे सीओएससी की मंजूरी के लिए आकस्मिक योजनाओं और आकलन क्षमता मापने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तत्पश्चात, आवश्यक्तानुसार, योजनाओं को रक्षा मंत्री/सीसीएस की मंजूरी के लिए भेजा जाता है; (ख) तीनों रक्षा सेवाओं के लिए दीर्घकालिक योजनाएं एवं वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना तथा प्रस्तावों का समन्वित सेट रक्षा मंत्री को भेजा जाता है; (ग) रक्षा सेवा कर्मियों की सैन्य शिक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों एवं योजनाओं से जुड़ी नीतियां और कार्यक्रम बनाना।

थलसेना

बहुध्रुवीय विश्व में भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक परिदृश्य हमेशा गतिशील रहता है और सैन्य शक्ति के प्रयोग से

संबंधित विभिन्न पक्ष भी निरंतर विकसित होते रहते हैं। इसलिए, भावी संघर्ष अधिक हिंसक, युद्ध विभीषिका, अप्रत्याशित तौर से अनेक अनिश्चित पक्षों के कारक आपस में जुड़े हुए और विवशतापूर्ण होंगे। यही नहीं, भविष्य में पारंपरिक युद्ध भी असंयमित तत्वों से लदे दिखेंगे और इस कारण उन्हें 'हाइब्रिड' युद्धों की संज्ञा दी जा रही है। बाहरी और भीतरी खतरों से भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए और शांतिपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निकट भविष्य में 'भूमि' पक्ष केंद्र में रहेगा। मौजूदा समय में, थलसेना देश के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों से, सैन्य और असैन्य तौर पर उभरने वाले विषम और अर्धपारंपरिक खतरों से सफलतापूर्वक निपट रही है। परंतु सीमा प्रबंधन में रहने वाली कमियों के कारण, इस खतरे का बड़ा रूप लेने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण सेना की व्यापक पहुंच की सख्त जरूरत है। इस कारण, देश की क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा में भारतीय सेना की बड़ी भूमिका बनी रहेगी।

अगले कुछ वर्षों में भारतीय सेना का व्यापक आधुनिकीकरण देखने को मिलेगा। तकनीकी विस्तार से जुड़े अनेक उपकरणों के आधार पर, सेना भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' लक्ष्य को मूर्त रूप देने में विशेष तौर पर सहायक सिद्ध होगी। चूंकि मौजूदा सशस्त्र संघर्षों की निर्मिति में तकनीक की बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए भावी संघर्षों की रूपरेखा भी इसके आधार पर ही तैयार होगी। भावी युद्धों की परिवर्तनीय एवं अप्रत्याशित वृत्ति को देखते हुए, सेना की घातक क्षमता, गतिशीलता, परिस्थितियों के प्रति सजगता और संधारणीयता आवश्यक है। हमारे सैनिकों को नवीन, अत्याधुनिक, मॉड्यूलर, हल्के हथियार और प्रणालियों से लैस करने के प्रयास बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। आयुध निर्माण उद्योग के साथ लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली बंदूकों और गोला-बारूद तथा भविष्य में युद्धक्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के निर्माण के लिए व्यापक तैयारी चल रही है। साइबर, हवाई और विशिष्ट संचालनों के लिए आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का सहयोग लिया जा रहा है। अतः दीर्घकालिक योजना परिदृश्य पर नजर रखते हुए भारतीय थलसेना अपने युद्ध कौशल में तकनीकी पक्ष का समुचित समावेष कर रही है।
वेबसाइट: www.indianarmy.nic.in

संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में सहयोग

परिचालन एवं आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों के बावजूद, भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सहयोग देने वाली दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। मौजूदा समय में, भारत के चार संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन दल पूरी दुनिया भर में तैनात हैं। 1950 से दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के 71 अभियानों में से 51 में भारत शामिल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भारत अब तक 2,34,000 से अधिक सैनिकों का योगदान दे चुका है। भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान अफ्रीका औरोंएशिया के कुछ हिस् में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का रहा है। भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभियानों में 15 फोर्स कमांडर्स उपलब्ध करा चुका है। विभिन्न देशों के शांतिदलों को प्रशिक्षित कर भारत संयुक्त राष्ट्र की क्षमता विकास में सहयोग कर रहा है। इसके लिए दिल्ली में 'सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन्स पीस कीपिंग' प्रशिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी जहां संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों के लिए भारतीय और विदेशी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहां यूएन मिलिट्री ऑब्जवर्स कोर्स, यूएन फीमेल मिलिट्री ऑफिसर्स कोर्स और यूएन कंटिन्जेंट कमांडर्स कोर्स सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की सुविधा हेतु सात अंतरराष्ट्रीय कोर्स संचालित किए जाते हैं।

ऑपरेशन सद्भावना

आतंकवाद का दंश झेल रही जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की जनता के लिए सेना ने अनोखे मानवीय प्रयासों की पहल की है। ऑपरेशन सद्भावना के जरिए व्यापक जनसुमदाय को सहायता प्रदान की गई है। बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में आरंभ किया गया यह अभियान 'अवाम' को मुख्यधारा से पुनः जोड़ने का प्रयास है, जो आतंकवाद विरोधी रणनीति का हिस्सा है। ऑपरेशन सद्भावना का प्रमुख लक्ष्य सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचनात्मक ढांचे के पुनर्विकास और जनसेवाओं को पुनःबहाली के लिए विकसित करना तथा क्षेत्र के विकास के लिए समुचित माहौल तैयार करने के सरकारी प्रयासों को सशक्त करना है। नौसेना नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिए राष्ट्र की सीमा में आने वाले समुद्र के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है, साथ ही दूसरों द्वारा उसके समुद्र के शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध रक्षा करना है।

नौसेना

नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिए राष्ट्र की सीमा में आने वाले समुद्र के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है, साथ ही दूसरों द्वारा उसके समुद्र के शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध रक्षा करना है। नौसेना का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है जिसमें एक तरफ शत्रु से घनघोर युद्ध करना तो दूसरी तरफ मानवीय सहायता करना और प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने का कार्य करना शामिल है । उसके इस विस्तृत कार्यक्षेत्र को विशेष जरूरतों के अनुसार अलग-अलग भूमिकाओं में बांटा जा सकता है । अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भारतीय नौसेना देश की समुद्री संप्रभुता और समुद्री गतिविधियों के व्यापक इस्तेमाल के प्रमुख गारंटर और रक्षक के तौर पर कार्य करती है । भारतीय नौसेना की मुख्य भूमिकाएं हैं- सैन्य, कूटनीतिक, सिपाहियों के दस्ते और सौम्यतापूर्ण व्यवहार ।
वेबसाइट: www.indiannavy.nic.in

सैन्य भूमिका

भारतीय नौसेना का मुख्य सैन्य उद्देश्य देश के विरुद्ध किसी भी सैन्य दुस्साहस, जिसमें भारत के मामलों और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध विध्वंसकारी रणनीतियां शामिल हैं, को रोकना है और हमला होने की स्थिति में दुश्मन को धूल चटाना है । नौसेना द्वारा प्रतिरोध के उपायों और तरीकों में दुश्मन को रोकना और उसे दंडित करना दोनों ही उपायों से परंपरागत प्रतिरोध शामिल है । इसके लिए वह सुदृढ़ सैनिक क्षमता रखती है और संभावित दुश्मन को यह एहसास दिलाती है कि भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध उसने किसी तरह का दुस्साहस किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है । भारत में एक लंबा समुद्र तट और ढेरों द्वीप हैं, एक विशाल समुद्री इलाका, समुद्र तटीय क्षेत्र में ऊर्जा की अवसंरचनाएं और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं, इसके अलावा बड़ी जनसंख्या है, जिसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र तटीय इलाकों में रहता है । चूंकि समुद्र में कोई भौतिक अवरोध नहीं होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों और संपत्तियों की सुरक्षा समुद्र के रास्ते होने वाले खतरों के प्रति बहुत संवेदनशील या नाजुक होती है । इसलिए भारतीय नौसेना की सैन्य भूमिका में अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है । भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसी की भूमिका दी गई है जिसमें तटीय सुरक्षा और तट से दूर समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा शामिल है ।

जलदस्यु विरोधी अभियान

भारतीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जिसमें तेल और खाद शामिल है, अदन की खाड़ी (जीओए) से होकर गुजरता है । जहाजरानी मंत्रालय का अनुमान है कि इस मार्ग से भारतीय आयात लगभग 50 अरब अमरीकी डॉलर्स और निर्यात लगभग 60 अरब अमरीकी डॉलर्स का होता है । इस सामुद्रिक मार्ग की सुरक्षा औरबेरोकटोक आवाजा राष्ट्रीय हित के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है । पिछले कुछ वर्षों से सोमालिया के तटवर्ती क्षेत्रों में जलदस्युओं का आतंक बढ़ा है और 2010 और 2011 में यह असाधारण तौर पर बढ़ गया था । हालांकि, 2012 में इसमें काफी कमी देखी गई । भारतीय जहाजों की सुरक्षा और सामुद्रिक कार्यों से जुड़े भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने जीओए में 2008 में पाइरेसी विरोधी गश्त आरंभ किया । भारतीय पोतों और जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा अन्य देशों के जहाजों को भारतीय नौसेना सुरक्षा प्रदान करती है ।

मुक्त गश्त *(फ्री पेट्रोल)*

2008 में भारतीय नौसेना ने 'एस्कोर्ट साइकिल' सिद्धांत से हटकर 'फ्री पेट्रोल' सिद्धांत की ओर कदम बढ़ाया । 'फ्री पेट्रोल' यानी मुक्त गश्त के आधार पर अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाजों को पाइरेसी विरोधी अभियानों में अधिक सुगमता प्राप्त होती है । इसके अलावा, सीसीएस द्वारा दिए गए अधिकार के आधार पर अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम सूचना आवंटन में शामिल होना भी संभव हो पाया है । साथ ही, यह क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास और रक्षा मंत्रालय/विदेश मंत्रालय के सहयोग से सोमालिया में क्षमता/योग्यता विकास हेतु की जाने वाली पहल में भी सहयोग करती है ।

मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान

2018 में कटिबंधीय दबाव बेर्गुयेटा मॉरीशस को पार कर गया था। मॉरीशस के एचसीआई के निवेदन और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरीशस सरकार को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के तौर पर सामान्य वस्तुएं, कपड़े और दवाएं सौंपी थीं। इस बीच सूचना प्राप्त हुई थी कि 'मरियम' नामक एक मछली पकड़ने वाला जहाज फरवरी 2018 में रत्नागिरी से 100 नॉटिकल मील की दूरी पर असहाय खडा है और उसका इंधन समाप्त हो चका है। भारतीय नौसेना के डॉर्नियर ने इस जहाज का पता लगाया और बाद में भारतीय नौसेना के ही एक अन्य जहाज चेन्नई ने इस जहाज तक पीने का ताजा पानी, भोजन और अन्य सामग्री पहंचाने का कार्य किया। बांग्लादेश के चिटगांव में भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने मानवीय सहायता पहंचाई थी। प्रशासन ने अंडमान और निकोबार कमांड से अनुरोध किया था कि वह शहीद द्वीप से पर्यटकों को निकालने में सहयोग दे।

ऑपरेशन मदद

केरल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एसएआर और आपदा राहत पहुंचाने के लिए 'ऑपरेशन मदद' संचालित किया गया था। केरल मुख्यमंत्री राहतकोष में भारतीय नौसेना ने 8.92 करोड़ रुपये का योगदान भी दिया।

तितली, गज, फेथाई, फानी चक्रवात

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रशासनों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में वायुयानों द्वारा राहत सामग्री और भोजन पैकेट गिराने में भी नौसेना ने एचएडीआर और एसएआर सहयोग दिया है।

वायु सेना

वायु सेना (आइएएफ) ने हमेशा से ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन योग्यता और क्षमता के विकास को बढ़ावा दिया है। स्वदेशी रूप से निर्मित प्लेटफार्म तैयार करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की इसकी कोशिश के चलते आइएएफ की विभिन्न प्रणालियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीज़र 2016 में, 'मेक' एंड बाई [(इंडियन इंडीजेनसली में डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर (आइडीडीएम)] श्रेणियों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। एलसीए एमके-1ए, लाइट कम्बैट हेलिकॉप्टर (एलसीएच), एडबल्यूएसीएस (भारत) और हाइ फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट जैसे कुछ उदाहरण हैं जो आइडीडीएम रूट के जरिए तैयार किए जा रहे हैं।

घटनास्थलों पर अल्प-समय में पहुंचने और त्वरित कार्रवाई की क्षमता के कारण भारतीय वायु सेना किसी भी आपदा के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाती है। गत एक वर्ष के दौरान भारतीय वायु सेना ने देश के भीतर और बाहर, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभियानों के दौरान 1900 घ की 1600 उड़ानें भरी हैं। वायु सेना ने असैनिक कार्यों में जल्दी मदद पहुंचाने में भी पहल की है।
वेबसाइट: www.indianairforce.nic.in

मेक इन इंडिया

आईएएफ का एक प्रमुख लक्ष्य रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण प्रोत्साहित करना है ताकि रक्षा उपकरणों को आयात करने पर निर्भरता कम हो। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल, एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर्स (एएलएच) पहले ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बन चुके हैं जिससे स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा, भविष्य में भारतीय वायु सेना अधिक क्षमतावान एलसीए एमके-1ए को भी शामिल करना चाहती है। भारतीय वायु सेना रक्षा विभाग को एलसीएच, आरपीए, मध्यम श्रेणी के रेडार, लो लेवल ट्रेकिंग रेडार और अन्य सिस्टम्स में भी पूरा सहयोग दे रही है। भारतीय वायु सेना डीआरडीओ के साथ मिलकर कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों के विकास पर भी काम कर रही है। निर्माण उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से भी आधुनिकीकरण योजना को मजबूत किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना ने कई रक्षा उपकरणों की सिरीज की पहचान की है जिन्हें 'मेक' श्रेणी के अंतर्गत निर्माण के लिए रखा गया है। रक्षा मंत्रालय रक्षा उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहता है। 'सामरिक साझीदार' मॉडल के अंतर्गत 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल रोजगार उपलब्धता तथा कौशल स्तर में सुधार होगा बल्कि देश में एयरोस्पेस क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी के विकास में भी सहायता मिलेगी।

डिजिटल इंडिया पहल

भारतीय वायु सेना ने समूची वायु सेना के लिए 3जी डब्ल्यूसीडीएमए मोबाइल नेटवर्क एएफसीईएल की शुरुआत की है। यह नेटवर्क वॉयस कॉल और डाटा सेवाओं के साथ पूरी तरह सक्रिय है। वायु सेना के अन्य इन-हाउस विकास कार्यों में कुछ एप्स भी हैं, यथा इंस्टेंट मैसेजिंग (एएफबीएचएटी); आईएएफ डायरेक्टरी सर्च एप, कॉन्फ्रेंस होल्डर एप, कॉलर आईडी एप, एयर फोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस (एएफसीएओ) एप और वेबसाइट, मेडवॉच एप।

महिला सशक्तीकरण

वायु सेना के लड़ाकू पायलट वर्ग में 2016 में पहली बार कमीशंड अधिकारी के तौर पर शामिल होकर अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने इतिहास कायम किया। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा होने पर तीनों महिला पायलटों को, जो अब फ्लाइंग ऑफिसर्स के तौर पर कार्यरत हैं, मिग-21 बिसोन एंड हॉक यूनिटों में स्क्वॉड्रन पायलट्स के तौर पर तैनात किया गया। लड़ाकू दस्तों के लिए महिलाओं के दूसरे बैच का चयन भी किया जा चुका है। मौजूदा दौर में, वह हकीमपेट वायु सेना स्टेशन में लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के दूसरे चरण को पूरा कर रही हैं और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें लड़ाकू पायलट दस्ते में शामिल किया जाएगा।

कमीशन-प्राप्त रैंक

तीनों सेनाओं में कमीशन-प्राप्त रैंक इस प्रकार हैं- प्रत्येक रैंक को दूसरी सेना में उसके समान रैंक के सामने दिखाया गया है।

थलसेना	नौसेना	वायुसेना
जनरल	एडमिरल	एयरचीफ मार्शल
लेफ्टिनेंट जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
मेजर जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
ब्रिगेडियर	कमोडोर	एयर कमोडोर
कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर
कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट	सब-लेफ्टिनेंट	फ्लाइंग ऑफिसर

भारतीय तटरक्षक

भारतीय तटरक्षक की स्थापना निम्नलिखित कर्तव्यों के उद्देश्य के साथ 1977 में की गई थीः (क) कृत्रिम द्वीपों की सुरक्षा एवं बचाव, समुद्र में टर्मिनल और अधिष्ठापन; (ख) मछुआरों की सुरक्षा जिसमें समुद्र में संकट के समय उनकी सहायता करना शामिल है; (ग) समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना और रोकना; (घ) तस्करी रोकने के अभियानों में कस्टम और अन्य विभागों की सहायता करना; (ङ) समुद्र में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा और वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना; (च) समुद्री क्षेत्र में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को लागू करना।

भारतीय तटरक्षक दल को कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इनमें प्रमुख हैं (क) क्षेत्रीय जलसीमा की सुरक्षा; (ख) गहरे पानी में मछली पकड़ने पर निगरानी, प्रवर्तन और जांच; (ग) व्यापारी जहाजों की खोज एवं बचाव कार्य; (घ) समुद्र में तेल रिसाव रोकथाम कार्रवाई; (ङ) तटीय एवं सामुद्रिक सीमावर्ती क्षेत्रों की अग्रणी खुफिया एजेंसी के तौर पर कार्य आदि।

वेबसाइट: www.indiancoastguard.gov.in

भर्ती

सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

सशस्त्र बलों में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है:

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नौसेना अकादमी (एनए): संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सफल उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने एवं एनडीए की मेरिट सूची में आने वाले सफल उम्मीदवार आवेदन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं। प्रशिक्षण क्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है।

(ख) संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई): संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। विश्वविद्यालयों के स्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होना होता है। मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को स्थायी कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौसेना अकादमी में 18 महीने का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण एवं अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर (एसएससीओ) बनने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में 11 महीने का सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है। एसएससीओ 10 वर्ष की अवधि तक सेवा कर सकता है जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी कमीशन के लिए अथवा पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प ले सकते हैं, जिस पर एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

सेना में भर्ती

संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा नीचे बताए तरीकों से भी सेना में कमीशनप्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती है:

(क) विश्वविद्यालय प्रवेश योजनाः अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं के अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैंपस साक्षात्कार के जरिए चुना जाया है। इन अभ्यर्थियों को एसएसबी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है। सफल अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में एक वर्षीय कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के भी हक़दार होते हैं।

(ख) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी): सेना शिक्षा कोर के लिए इंजीनियरिंग की अधिसूचित शाखा के इंजीनियरिंग ग्रेजएट, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंक योग वाले पोस्ट ग्रेजुएट एवं सैन्य फार्म के लिए कषि/डेयरी में एमएससी डिग्री धारक उम्मीदवार इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते हैं।

(ग) अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेशः अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती कराती है। एसएसबी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए

अभ्यर्थियों को ओटीए, चेन्नई में 49 सप्ताह का कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यर्थी भी कमीशन प्राप्त होने पर एक वर्ष पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं।

(घ) 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस): जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड की 10+2 परीक्षा पास की है, वे (टीईएस) के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी में सफल रहने तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर वे प्रशिक्षण अकादमी, गया में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष का इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है।

(ङ) अल्पकालिक सेवा कमीशन (महिला): पात्र महिला उम्मीदवारों को सेना में अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। वैद्यत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स कोर. सिग्नल कोर सेना शिक्षा कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा, सेना आपूर्ति कोर, सेना आयुध कोर और सेना वायु रक्षा में कमीशन प्रदान किया जाता है। महिलाओं को तीन स्ट्रीमों अर्थात् गैर-तकनीकी स्नातक, तकनीकी और स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ में दस वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है, जिसे पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने महिला अफसरों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेना शिक्षा कोर एवं जज एडवोकेट जनरल शाखा में स्थायी कमीशन का विकल्प प्रदान किया है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 49 सप्ताह है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी) प्रविष्टि के लिए अधिसचित शाखाओं में बीई/बी.टेक. उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। इसके पश्चात सीधे एसएसबी साक्षात्कार एवं चिकित्सकीय जांच होती है। हालांकि गैर-तकनीकी स्नातक शाखाओं के लिए आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है और लिखित परीक्षा के बाद एसएसबी साक्षात्कार के लिए आना होता है जैसा कि अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अफसरों के मामले में किया जा रहा है। गैर-तकनीकी शाखा की 20 प्रतिशत आवंटित सीटें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारित उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 'बी' ग्रेड एवं 50 प्रतिशत अंक योग प्राप्त किया हो। आवेदन एनसीसी निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के माध्यम से भेजे जाएंगे जैसा कि पुरुष अफसरों के मामलों में किया जा रहा है। जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विधि स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें सीधे एसएसबी साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। सेवा कार्मिकों की जो विधवाएं पात्रता संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आयु में चाए वर्ष की छूट के लि पात्र हैं और उनके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में पांच प्रतिशत (तकनीकी और गैर-तकनीकी, प्रत्येक शाखा में 2.5 प्रतिशत) सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी), एनसीसी प्रविष्टि एवं जज एडवोकेट जनरल शाखाओं के लिए लिखित परीक्षाओं से छूट है और इनके लिए सीधे अतिरिक्त भर्ती महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) को आवेदन करना होगा। अधिसूचना एसएससीडब्ल्यू (तकनीकी) के साथ वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।

(च) एनसीसी (विशेष प्रवेश योजना): न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी इस प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने पहले दो वर्षों में न्यूनतम 50 प्रतिशत समग्र अंक प्राप्त किए हों। ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार में चयन होने की स्थिति में 50 प्रतिशत समग्र अंक प्राप्त करने होंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ओटीए में प्रवेश लेने के समय उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए अथवा ततीय वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को ओटीए में प्रशिक्षण आरंभ होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। इन कैडेटों को एसएसबी द्वारा आयोजित साक्षात्कार के पश्चात मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है। योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। संबंधित ग्रुप मुख्यालयों द्वारा स्क्रीनिंग के बाद एनसीसी महानिदेशालय योग्य कैडेटों के आवेदन-पत्र रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय स्थित भर्ती निदेशालय को भेजता है।

(छ) जज एडवोकेट जनरल प्रवेश: एलएलबी में न्यूनतम 55 प्रतिशत कुल अंकों सहित विधि स्नातक और 21 से 27 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को सीधे ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात उनकी चिकित्सकीय जांच की जाती है। यह अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रवेश है जिसमें योग्य उम्मीदवार बाद में स्थायी कमीशन का चुनाव कर सकते हैं।

जूनियर कमीशंड अफसरों तथा अन्य रैंकों (जेसीओ एवं ओआर) की भर्ती: सेना में 48 रेजीमेंटल केंद्रों के अतिरिक्त ग्यारह आंचलिक भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय और 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं जो अपने-अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में रैलियों के माध्यम से भर्तियां करते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क/स्टोर कीपर ट्रेड एवं सोल्जर नर्सिंग सहायक श्रेणियों के लिए जेसीओ/ओआर की भर्ती ऑनलाइन एप्लिकेशन सिस्टम द्वारा की जाती है। हालांकि, रिलिजियस टीचर जेसीओ (आरटी जेसीओ), हवलदार एजुकेशन, हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर तथा जेसीओ केटरिंग जैसी श्रेणियों के लिए आवेदन प्रणाली ही प्रयोग में लाई जा रही है। जेसीओ/ओआर के लिए मौजूदा भर्ती में इच्छुक उम्मीदवारों की रैली साइट पर 1.6 किमी. की दौड़ के बाद छंटनी शामिल है और उसके बाद दस्तावेज की जांच, शारीरिक स्वस्थता जांच, शारीरिक नाप व चिकित्सकीय जांच की जाती है। इसके बाद सभी जांचों के बाद पात्र पाए गये उम्मीदवारों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि एक भर्ती वर्ष में एक बार भर्ती रैलियों द्वारा देश के प्रत्येक जिले तक पहुंचा जा सके।

भारतीय नौसेना में भर्ती

भर्ती का तरीका: भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली सुव्यवस्थित, पारदर्शी, द्रुत और उम्मीदवारों के अनुकूल प्रक्रिया है। भारतीय नौसेना में भर्ती दो तरीकों से की जाती है, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग भर्ती और संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती।

(क) संघ लोक सेवा आयोग भर्ती: संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में स्थायी कमीशन (पीसी) अफसरों के रूप में भर्ती के लिए वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन करता है। 10+2 (पीसीएम) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। लिखित परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की छंटाई करता है। इसके उपरांत उम्मीदवारों को बंगलुरु, भोपाल, कोयंबटूर और विशाखापट्टनम में स्थित सेवा चयन बोर्डों के पास भेजा जाता है। अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की अंतिम मेरिट सूची के आधार पर एनडीए/आईएनए में नियुक्ति के लिए सूचित किया जाता है। एनडीए/आईएनए में प्रशिक्षण पूरा होने पर नौसेना कैडेटों को नौसेना समुद्री प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में प्रशिक्षण पोतों पर भेजा जाता है। स्नातक विशेष भर्ती योजना के लिए संघ ल सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) का आयोजन करता है। बी.टेक. डिग्री धारक अथवा बी.टेक. अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। सफल उम्मीदवारों को नौसेना अनुकूलन पाठ्यक्रम (एनओसी) के लिए एझिमला, केरल स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शामिल किया जाता है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती: गैर-यूपीएससी प्रवेश के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां स्थायी कमीशन (पीसी) और अल्पकालिक सेवा कमीशन (एसएससी) दोनों के लिए होती हैं। इस प्रकार की भर्तियों के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा उनकी छंटाई की जाती है। तत्पश्चात छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। उसके बाद रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाती है। कार्यपालक, नौसेना वास्तुकार सहित इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नौसेना की शिक्षा शाखाओं/संवर्गों के लिए सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से गैर-यूपीएससी की भर्ती की जाती है।

(ग) 10+2 (कैडेट प्रवेश योजना): यह योजना भारतीय नौसेना की कार्यपालक, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है। इस योजना के तहत 10+2 (पीसीएम) सफल उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात बी.टेक. पाठ्यक्रम के लिए भारतीय नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें भारतीय नौसेना में कार्यपालक, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग शाखाओं में

स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

(घ) विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस): यूईएस को अल्पकालिक सेवा कमीशन के रूप में पुनःआरंभ किया गया है। सातवें और आठवें सेमेस्टर के इंजीनियरिंग छात्र नौसेना की एग्जीक्यूटिव एवं तकनीकी शाखाओं में प्रवेश पाने के पात्र हैं। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और कमान मख्यालयों से नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छांटने के लिए परे देश में एआईसीटीई द्वारा अनमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों का दौरा करते हैं। उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके पश्चात सफल उम्मीदवारों की चिकित्सकीय जांच की जाती है। अंतिम चयन, सैन्य चयन बोर्ड साक्षात्कार में अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर प्राप्त अंकों तथा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होता है।

(ङ) महिला अधिकारी: नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा (पर्यवेक्षक, एटीसी, विधि एवं प्रचालन तंत्र), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरिंग शाखा के नौसेना वास्तुकला संवर्ग में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एसएससी) अधिकारी के रूप में महिलाओं का प्रवेश हो रहा है।

(च) एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन: 2008 से रक्षा मंत्रालय ने एग्जीक्यूटिव शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना वास्तुकला) के अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को स्थायी कमीशन प्रदान करना आरंभ किया है।

(छ) एनसीसी के माध्यम से भर्ती: न्यूनतम बी ग्रेड के एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण विश्वविद्यालय पासआउट्स को नौसेना में नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है। इन स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है और उनका चयन केवल एसएसबी साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाता है। वे सीडीएसई कैडेटों के साथ ही नौसेना अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम (एनओसी) के लिए नौसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं।

(ज) विशेष नौसेना वास्तुशिल्प प्रवेश योजना: सरकार ने हाल ही में 'विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना' (एसएनईएएस) के तहत भारतीय नौसेना में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में नौसेना वास्तुकार अफसरों को भर्ती किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। नौसेना का एक सक्षम दल आईआईटी खड़गपुर आईआईटी चेन्नई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोच्चि (सीयूएसएटी) और आंध्र विश्वविद्यालय, जिनमें बी.टेक. (नौसेना वास्तुशिल्प) पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, के कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने हेतु दौरा करता है। चुने हुए उम्मीदवारों की निकटतम मिलिटरी अस्पताल में मेडिकल जांच की जाती है और उपयुक्त पाए जाने पर प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाता है।

(झ) नाविकों की भर्ती: नौसेना में भर्ती उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार 'भर्ती योग्य पात्र पुरुष आबादी की राज्यवार मेरिट पर अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। राज्य विशेष से भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या उन पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस टेस्ट और डॉक्टरी जांच तथा मेरिट में उनकी अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप होती है। जाति/पंथ अथवा धर्म के आधार पर रिक्तियों का कोई कोटा नहीं होता है। पात्र वालंटियरों से आवेदन पत्र मंगवाने हेतु सभी प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। बहुत से स्कूलों/कॉलेजों और जिला सैनिक बोर्डों में भी प्रचार सामग्री भेजी जाती है। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है।

भर्ती के प्रकारः शैक्षिक योग्यताओं के साथ नाविकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं:

(क) आर्टिफिसर अप्रैंटिस (एए)-10+2 (पीसीएम)

(ख) सीनियर सेकेंडरी रंगरूट (एसएसआर)-10+2 (विज्ञान)

(ग) मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एमईआर)-रसोइया, परिचारक एवं संगीतकार की भर्ती के लिए मैट्रिकुलेशन

(घ) गैर-मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एनएमआर), नाविकों (सफाईवाला) की भर्ती के लिए कक्षा VI

(ङ) सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

भारतीय वायु सेना में भर्ती

अफसरों का चयन

(क) अफसरों की भर्ती: अफसरों की भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (एनडीए) और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। गैर-यूपीएससी द्वारा अफसरों की भर्ती इस प्रकार की जाती है: एसएससी (पुरुष एवं महिला) उड़ान, एनसीसी भर्ती (पुरुषों के लिए), एएससी स्थायी (पुरुषों के लिए), जीडीओसी (गैर तकनीकी) (पुरुषों के लिए), एयरमैन भर्ती स्थायी (वायु योद्धाओं के लिए), एसएसएस (तकनीकी) (पुरुषों एवं महिलाओं के लिए) तथा एसएससी गैर तकनीकी (पुरुषों एवं महिलाओं के लिए)।

(ख) सेवा चयन द्वारा भर्ती: सेवा चयन बोर्ड और वायु सेना बोर्ड फ्लाइंग (पायलट), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकेनिकल), शिक्षा, प्रशासन, प्रचालन तंत्र (लॉजिस्टिक्स), लेखा तथा मौसम विभागों में अफसरों का वायु सेना में चयन करता है।

(ग) विश्वविद्यालय प्रवेश योजनाः विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के अंतर्गत अंतिम और पूर्व अंतिम वर्ष इंजीनियरिंग संकाय के छात्र वायु सेना के तकनीकी विभागों में स्थायी कमीशन ऑफिसर भर्ती के योग्य होते हैं।

(घ) महिला अफसरों की भर्तीः भारतीय वायु सेना में योग्य महिलाओं की भर्ती अल्पसेवा कमीशन ऑफिसरों के रूप में फ्लाइंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग (मेकेनिकल), शिक्षा, प्रशासन, मौसम, लेखा, प्रचालन तंत्र (लॉजिस्टिक्स), मौसम विज्ञान शाखाओं में की जाती है।

(ङ) एनसीसी के माध्यम से भर्ती: वायु सेना में सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा स्थायी कमीशन ऑफिसरों की भर्ती स्नातक में 50 प्रतिशत अंक और न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग वाला एनसीसी का 'सी' प्रमाण-पत्र रखने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों में से की जाती है। फ्लाइंग ब्रांच कैडेट के पास 10+2 में मुख्य विषय के रूप में गणित और भौतिकी विषय होने चाहिए।

(च) ऑफिसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती (पीबीओआर): ऑफिसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती केंद्रित चयन प्रणाली के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय एयरमैन चयन बोर्ड (सीएएसबी) देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित 14 एयरमैन चयन केंद्रों (एएससी) के सहयोग से अभ्यर्थियों का चयन करता है।

प्रशिक्षण

रक्षा क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण संस्थान एक-दूसरे के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। जहां एक ओर कुछ संस्थान ती सेवाओं यानी सेना, नौसेना और वायु सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थान एकल सेवा की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

तीनों सेवाओं का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध-नीति शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र है। इस कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए भारतीय और विदेशी सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर/समकक्ष पदधारित तथा प्रशासनिक सेवा के निदेशक और उससे उच्च अफसर नामित किए जाते हैं। नामित अधिकारियों के ग्यारह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा होता है जिसमें सभी घरेलू क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल होते हैं ताकि भावी नीति निर्धारकों को राष्ट्रीय रणनीति की योजना बनाने के लिए आवश्यक बहुविध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिल सके।
वेबसाइट: www.ndc.nic.in

रक्षा प्रबंधन कॉलेज

रक्षा प्रबंधन कॉलेज (सीडीएम) देश का एकमात्र त्रि-सेना प्रशिक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ

अधिकारियों, अर्ध-सैनिक बलों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निदेशात्मक और कार्यात्मक स्तरों पर रक्षा प्रबंधन की शिक्षा प्रदान करता है। यह कॉलेज रक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण पर कई असैन्य और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी भी करता है। भारतीय सशस्त्र बलों में 'उच्चतर रक्षा प्रबंधन' शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसे 'सैन्य मामलों में क्रांति' ने अनिवार्य बना दिया, सीडीएम ने अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना को सुधारा और यह सालाना तकरीबन 500 ऑफिसरों को प्रशिक्षित करता है। सीडीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों में सभी स्तरों पर प्रबंधन शिक्षा के लिए जरूरत के अनुसार कैप्सूल पाठ्यक्रम/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) भी विकसित किए हैं। कई मित्र देश भी इन एमडीपी में शामिल होते हैं।
वेबसाइट: www.cdm.ap.nic.in

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज

रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) एक सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान (एएफटीआई) है, जो तीनों सेवाओं के चुनिंदा अधिकारियों के लिए और साथ ही केंद्रीय लोक सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी स्टाफ पाठ्यक्रम चलाता है। इसके अतिरिक्त, मित्र देशों के रक्षा ऑफिसर भी इस कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे स्टाफ पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। डीएसएससी से पास होने वाले ऑफिसरों को चेन्नई विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की जाती है।
वेबसाइट: www.dssc.gov.in

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संस्था है जहां तीनों सेवाओं के कैडेटों को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। एनडीए में भर्ती का आयोजन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो वर्ष में दो बार - अप्रैल और सितंबर में आयोजित की जाती है। अभ्यर्थियों का 12वीं कक्षा पास होना तथा अकादमी में शामिल होते समय साढ़े सोलह वर्ष से साढ़े उन्नीस वर्ष के बीच की आयु का होना अपेक्षित है। एनडीए में तीन वर्षों के पाठ्यक्रम को छह सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है और कैडेटों को बीए/बीएससी की डिग्री प्रदान की जाती है। इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर कैडेट सशस्त्र सेना बलों में कमीशन प्राप्त अफसर बनने से पहले आगे का सेवा विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए अपनी-अपनी सेवा अकादमियों में जाते हैं।
वेबसाइट: www.nda.nic.in

भारतीय सैन्य अकादमी

वर्ष 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, (आईएमए) देहरादून का उद्देश्य सेना में ओफिसरों के रूप मिल ह वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गणों का पर्णतः विकास करना है। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं:- एनडीए से स्नातक होने पर; सेना कैडेट कॉलेज से, जो आईएमए का ही एक विंग है, स्नातक होने पर; सीधी भर्ती स्नातक कैडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं; तकनीकी पाठ्यक्रम (टीजीसी) के लिए; इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यूईएस) के अंतर्गत आईएमए मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी

वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओटीएस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 1988 से इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) का नाम दिया गया। वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जैंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया। 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात ओटीए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी, गया

अफसर प्रशिक्षण अकादमी 2011 में शुरू हुई थी। फिलहाल इसकी प्रशिक्षण क्षमता 400 जैंटलमैन कैडेटों की है। उत्तरोत्तर यह क्षमता बढ़ाकर 750 जैंटलमैन कैडेट की जाएगी। ओटीए , गया निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है: 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना; विशेष कमीशन प्राप्त अफसर।

ओटीए, गया मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना 1948 में इंडियन मिलिट्री कैडेट कोर के तौर पर हुई थी। यह संगठन स्कूल और कॉलेज के छात्रों को तीनों सेवाओं के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराता है। इसने अपनी स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनसीसी युवाओं में प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों को मजबूत करके, देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर तरह से विकास का प्रयत्न करता है, जिससे वे सफल नागरिक बन सकें। एनसीसी का उद्देश्य है 'एकता और अनुशासन'। एनसीसी कैडेटों की कुल स्वीकृत संख्या 15 लाख है। इसमें वर्ष 2010 में दो लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या शामिल है। इसके अधीन प्रतिवर्ष 40,000 कैडेटों को पांच चरणों में शामिल किया जा रहा है। एनसीसी 16,288 संस्थानों के साथ देश के 716 में से 703 जिलों में मौजूद है।

सीनियर डिविजन/सीनियर विंग कैडेटों की भर्ती नीति को दो वर्ष से बदलकर तीन वर्ष कर दिया गया है। इसकी मदद से कैडेट्स के प्रशिक्षण स्तर और उनके आउटपुट की गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा। एनसीसी को कक्षा 10 और 12 में अतिरिक्त/वैकल्पिक विषय के तौर पर शामिल किया गया है। इसकी मदद से एनसीसी अधिक आकर्षक बनेगी और कैडेट्स को उनके शैक्षणिक नतीजों में अधिक अंक लेने में सहयोग मिलेगा।
वेबसाइट: www.nccindia.nic.in

सैनिक स्कूल

सैनिक स्कूलों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। ये सैनिक स्कूल सोसायटी के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में 26 सैनिक स्कूल स्थित हैं। सैनिक स्कूलों के उद्देश्यों में आम आदमी तक ऊंची पब्लिक स्कूल शिक्षा की पहुंच बनाना, बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना एवं सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना शामिल है। सैनिक स्कूलों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में पहुंचने वाले कैडेटों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसे ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूल लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की मार्फत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

देश में पांच मिलिट्री स्कूल कर्नाटक के बंगलुरु और बेलगाम, हिमाचल प्रदेश के चैल और राजस्थान के अजमेर तथा धौलपुर में हैं। ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त तथा पूर्ण रूप से आवासीय स्कूल हैं जो रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करते हैं। कॉमन एंट्रेन्स टेस्ट के परिणामों के आधार पर लड़कों की छठी और नवीं कक्षा में भर्ती होती है। सेना, नौसेना और वायु सेना के जेसीओ/ओआर (पूर्व सैनिकों सहित) के आश्रितों के लिए 70 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं और शेष 30 प्रतिशत सीटें सेना, नौसेना और वायु सेना के अफसरों (सेवानिवृत्त अफसरों सहित) तथा नागरिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रहती हैं। कुल 50 सीटें युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित होती हैं। सभी श्रेणियों में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं।
वेबसाइट: www.rashtriyamilitaryschools.in

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज

भारतीय सशस्त्र बल में अधिकारी बनने के इच्छुक तथा भारत में जन्मे या रहने वाले लड़कों को आवश्यक प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्टीय इंडियन मिलिटी कॉलेज (आरआईएमसी) की वर्ष 1922 में स्थापना की गई थी। यह संस्थान आज राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सहयोग संस्थान के रूप में काम कर रहा है। आरआईएमसी के

लिए चयन अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है जिसमें एक लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार शामिल है। विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होता है। यह कॉलेज लड़कों को आठवीं कक्षा में भर्ती करता है। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर बिना किसी आरक्षण के वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई में) प्रत्येक टर्म में 25 कैडेटों को भर्ती किया जाता है।
वेबसाइट: www.rimc.gov.in

कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग

पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। यहां इंजीनियरिंग कोर, अन्य सशस्त्र सेवाओं, नौसेना, वायु सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस तथा सिविलियन को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएमई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से बी.टेक. और एम.टेक. डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भी सीएमई द्वारा चलाए जा रहे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है।

रक्षा उत्पादन

देश की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक हथियारों, उपकरणों, प्लेटफॉर्मों और उपस्करों के उत्पादन के लिए औद्योगिक आधार को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी। गत वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोला-बारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं।

विभाग ने रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की जिसका लक्ष्य है, निश्चित समयावधि में उपकरणों/ हथियारों के डिजाइन, विकास और उत्पादन को पूरा करना।

आयुध कारखाने

कोलकाता स्थित आयुध फैक्ट्री बोर्ड के मुख्यालय के तत्वावधान में आने वाली 41 फैक्टरियों - द इंडियन ऑर्डनेंस फैक्टरीज ऑर्गेनाइजेशन के पास रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 200 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। यह संस्थान भूमि, समुद्र और वायु उपकरणों के क्षेत्र में उत्पादन, परीक्षण, संचालन, अनुसंधान, विकास और मार्केटिंग के समग्र कार्यों से जुड़ा है। भारतीय आयुध कारखाने रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाला सबसे पुराना और बड़ा औद्योगिक ढांचा है। आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से निर्मित उपकरणों का एकीकृत केंद्र हैं और इनका प्रमुख लक्ष्य सशस्त्र सेनाओं को युद्ध से जुड़े अत्याधुनिक हथियारों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है।

आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) सेनाओं को अत्याधुनिक युद्ध उपकरण और गोला-बारूद मुहैया कराने के लिए कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें 155 मिमि. x 45 कैलिबर के 'धनष' गन आर्मामेंट के लिए बाई-मॉडयलर चार्ज सिस्टम. बीएमपी-II का उन आदि शामिल हैं। ओएफबी डीआरडीओ के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है ताकि सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूदों, जैसे 7.62 x 51 मिमि. असॉल्ट राइफल, प्रोटेक्टिव कार्बाइन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर एम्युनिशन आदि, में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। उपर्युक्त के अलावा, ओएफडी के 13 आयुध विकास केंद्र सेनाओं की भविष्य की आवश्यकताओं के विकास में लगे हुए हैं जैसे कि 'फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन', 'एयर डिफेंस गन फॉर आर्मी', 'माउंटेड गन सिस्टम'। इसके लिए ओएफबी तकनीकों और उत्पादन के स्वदेशी विकास के लिए आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़ गया है।
वेबसाइट: www.ofbindia.gov.in

रक्षा उपक्रम

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड: वर्ष 1940 में स्थापित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) एशिया की प्रमुख अग्रणी एयरोनॉटिकल कंपनी है। एचएएल एक नवरत्न कंपनी है, जिसके पूरे देश में नौ भौगोलिक क्षेत्रों में 20 उत्पादन डिविजन और 11 अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। एचएएल की विशेषज्ञता में विमानों, हेलिकॉप्टरों, एयरो-इंजिनों, सहायक सामग्रियों, वैमानिकी और प्रणालियों के डिजाइन और विकास, उत्पादन, मरम्मत, ओवरहॉल तथा उन्नयन शामिल हैं। एचएएल द्वारा उपलब्ध कराए गए बेड़ों के लिए और ओईएम ने जिन बेड़ों के सहायता देना बंद कर दिया है, जैसे कि एचएच 748, चीता/चेतक आदि, उन बेड़ों के लिए भी एचएएल भारतीय रक्षा सेवाओं को अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है। यह कंपनी गैर-एचएएल उत्पादित विमानों और इंजनों के लिए भी सहायता प्रदान करती है जैसे कि मिराज 2000, एएन-32, सी किंग हेलिकॉप्टर मॉड्यूल, जीनोम इंजन, टीएम-333 2बी2 इंजन आदि। एचएएल भारतीय सेना और तटरक्षक बल के 100 प्रतिशत बेड़ों को अनुरक्षण सहायता देता है और भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के संबंध में यह सहायता क्रमशः 75 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है। एचएएल ने भारतीय रक्षा सेवाओं की विमानन आवश्यकताओं, जैसे- प्रशिक्षक, लड़ाकू, परिवहन विमान और हल्के हेलिकॉप्टरों के लिए खुद को एक व्यापक समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित किया है।
वेबसाइट: www.hal-india.co.in

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुई थी। देशभर में बीईएल की नौ विनिर्माण इकाइयां हैं। कंपनी की मुख्य क्षमता रक्षा संचार, रडार और मिसाइल सिस्टम, सोनार एवं फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एवं वैमानिकी सिस्टम, नेटवर्क केंद्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, होम लैंड सिक्योरिटी आदि के क्षेत्रों में है। कंपनी का तकरीबन 88 प्रतिशत टर्नओवर इन्हीं व्यावसायिक क्षेत्रों से आता है। गैर-रक्षा क्षेत्र में बीईएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), टैबलेट पीसी (बीईएल द्वारा डिजाइन किए हुए), डॉपलर वेदर रडार, विभिन्न प्रकार के संघटक जैसे एकीकृत सर्किट, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सोलर सेल आदि का निर्माण करता है। इनके अलावा, बीईएल की मौजूदगी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और चुनिंदा गैर-रक्षा अनुप्रयोगों में भी है।
वेबसाइट: www.bel-india.in

बीईएमएल लिमिटेडः 1964 में स्थापित बीईएमएल लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह कोयला, खनन, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, सिंचाई, निर्माण, सड़क निर्माण, रक्षा, रेलवे, मेट्रो परिवहन प्रणाली और एयरोस्पेस जैसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादों की व्यापक शृंखला के डिजाइन, विकास, निर्माण और बिक्री के बाद सेवा में लगा हुआ है। बीईएमएल तीन व्यावसायिक श्रेणियों में कार्य करता है- खनन व निर्माण, रक्षा व एयरोस्पेस, रेल व मेट्रो तथा निर्यात गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग।
वेबसाइट: www.bemlindia.in

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड: मिनी रत्न श्रेणी-1 की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) का गठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1970 में किया गया था। एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों (एटीजीएम) के निर्माण में अग्रणी बीडीएल और नवीनतम पीढ़ी के एटीजीएम का निर्माण करने वाली समेकित कंपनी का रूप ले चुकी है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम, सामरिक हथियार, लांचर, पानी के अंदर मार करने वाले हथियार, दुश्मन को झांसा देने वाले और परीक्षण उपकरणों का निर्माण करती है। सेना की मांग के अनुसार पुरानी मिसाइलों का आधुनिकीकरण करने और उनकी जीवन अवधि बढ़ाने का भी काम किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और महत्व को बढ़ाया जा सके।
वेबसाइट: www.bdl-india.in

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) रक्षा उद्योग से जुड़ी अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कंपनी को 1960 में भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। ऐसा करने के पीछे लक्ष्य इसे स्वदेशी युद्धपोत निर्माण करने के लिए प्रेरित करना था। एमडीएल ने विभिन्न तरह के युद्धपोतों का निर्माण किया है जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिजेटस, मिसाइल कोर्वेट्स, मिसाइल बोट्स और पनडुब्बियां। इसके अलावा, एमडीएल ने कमर्शियल जहाज और ओएनजीसी के लिए रिग्स/प्लेटफॉर्स भी निर्मित किए हैं।

युद्धपोत निर्माण के लिए कंपनी ने अपनी क्षमताओं में विस्तार भी किया है। आधुनिकीकरण के संबंध में अतिरिक्त उत्पादन क्रम, मॉड्यूल वर्कशॉप और वेट बेसिन का निर्माण किया गया है। पनडुब्बी निर्माण के लिए नई असेम्बली वर्कशॉप भी विकसित की गई है।
वेबसाइट: www.mazagondeck.in

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड: गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) एक मिनी रत्न श्रेणी-1 कंपनी है जिसे 1960 में रक्षा की पीएसयू के तौर पर निगमित किया गया था। पिछले कई वर्षों से कंपनी ने पोत डिजाइन/पोत निर्माण में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। अत्याधुनिक तेज हमलावर जहाजों के अलावा विश्वस्तरीय स्टेल्थ फ्रिजेट्स जैसे अनेकानेक जहाजों के निर्माण के साथ कंपनी पोत निर्माण में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। पोत निर्माण और मरम्मत के अलावा, जीआरएसई ने डीजल इंजन, विभिन्न डेक मशीनरी और प्री-फेब्रिकेटटेड स्टील ब्रिज जैसे अन्य इंजीनियरिंग व्यवसायों में भी कार्य विस्तार किया है। कंपनी ने हाल में डीजल इंजन प्लांट का आधुनिकीकरण किया है और एमटीयू जर्मनी के साथ मिलकर स्वदेशी तौर पर मैरीन इंजन बनाने की शुरुआत की है।
वेबसाइट: www.grse.in

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड: गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) एक मिनी रत्न ग्रुप-1 स्तर की कंपनी और इसका कार्य देश की सामुद्रिक सरक्षा के लिए उच्च तकनीक और परिष्कृत जहाजों का निर्माण करना है। पिछले चार दशकों से भी ज्यादा समय से, जीएसएल ने रक्षा वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए उच्चस्तरीय पोत डिजाइन और निर्मित किए हैं। कंपनी की विशेषता स्टील और एल्युमिनियम ढांचे वाले आधुनिक पेट्रोल चालित पोतों का निर्माण करना है। जीएसएल के उत्पादों में ऑफशोर पेट्रोल वैसल्स (ओपीवी), फास्ट पेट्रोल वैसल्स, मिसाइल नावें, सर्वे वैसल्स, लैंडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी वैसल्स और अन्य सहायक जहाज शामिल होते हैं। कंपनी ने ग्लास रीइन्फोर्ल्ड प्लास्टिक (जीआरपी) इंटरसेप्टर नावों के निर्माण में भी सफलतापूर्वक कदम रखा है।
वेबसाइट: www.goashipyard.in

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) की स्थापना मूल रूप से सेठ वालचंद हीराचंद द्वारा 1941 में स्वदेशी जलयानों के निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस शिपयार्ड को 2010 में रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इस शिपयार्ड का बुनियादी ढांचा बहत अच्छा है और पूर्वी समुद्री तट पर यह एक अग्रणी शिपयार्ड बनने की क्षमता रखता है। एचएसएल में कई प्रकार के जलपोतों का निर्माण किया जाता है जिनमें गश्ती नौकाओं या पनडुब्बियों की मरम्मत आदि शामिल हैं। स्थापना के बाद से यहां 179 जहाजों का निर्माण हो चुका है। एचएसएल देश के पूर्वी तट पर स्थित है और यह जलपोतों का निर्माण और पनडुब्बियों की मरम्मत करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी है।
वेबसाइट: www.hsivizag.in

मिश्र धातु निगम लिमिटेड: मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआइडीएचएएनआइ) की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में की गई थी जिसका उद्देश्य शुरू में भारत के रक्षा उद्योग के सामरिक क्षेत्र में जरूरी महत्वपूर्ण सामग्री का निर्माण करना था। मिधानी (एमआइडीएचएएनआइ) ढलाई के लिए धातु के पिंड (कास्ट इनगोट), फोर्जिंग, हॉट रोल्ड रॉड और कोल्ड रोल्ड रॉड, तार, धातु की चादरें एवं पट्टियां, अर्ध निर्मित आकार, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और औद्योगिक पेंच आदि रूपों में सुपर मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, स्पेशल स्टील, चुंबकीय मिश्र धातुओं का निर्माण करता है। अपनी सीएसआर गतिविधि के अंग के तौर पर यह जरूरतमंद मरीजों के लिए बायो चिकित्सा इम्प्लांट भी बनाता है।
वेबसाइट: www.midhani-india.in

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्युरेंस: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्युरेंस (डीजीक्यूए) सेना, नौसेना (युद्ध सामग्री को छोड़कर) और वायु सेना के लिए आयुध कारखानों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एवं निजी क्षेत्र से मंगाई गई सामान्य वस्तुओं, रक्षा स्टोरों और उपकरणों, चाहे वे स्वदेशी हों या आयातित, की गुणवत्ता का आश्वासन दिलाता है। यह देश की रक्षा तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीजीक्यूए हथियारों को सेना में शामिल किए जाने से पहले उनका विस्तृत रूप से तकनीकी मूल्यांकन करता है। डीजीक्यूए की भूमिका में बड़ा बदलाव आ गया है और अब वह क्वालिटी ऑडिट की जगह क्वालिटी प्रबंधन और निर्माण की प्रक्रिया का ऑडिट करता है क्योंकि

नियंत्रित सिस्टम से स्वयं ही उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होगी।
वेबसाइट: www.dgqadefence.gov.in

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्युरेंस

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्युरेंस (डीजीएक्यूए) वायु सेना, थलसेना, नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के सैन्य उड्डयन स्टोरों के क्वालिटी एश्युरेंस (क्यूए) की नियामक अथॉरिटी है। यह रक्षा पीएसयू, आयुध कारखानों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, तेल रिफाइनरियों, निजी कंपनियों आदि में डिजाइन, विकास, उत्पादन, मरम्मत, उन्नतिकरण और सुधार के दौरान सेना के विमानों, हेलीकॉप्टरों, संबंधित उपकरणों, हवाई हथियारों, मानवरहित विमानों (यूएवी), मिसाइलों आदि को क्वालिटी एश्युरेंस मुहैया कराता है। डीजीएक्यूए सैन्य उडयन स्टोरों की विदेशी खरीद के दौरान तकनीकी मूल्यांकन, फील्ड परीक्षण और प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन (पीडीआई) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वेबसाइट: www.dgaeroqa.gov.in

डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन

मानकीकरण निदेशालय (डीओएस) की स्थापना 1962 में की गई थी जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं की रक्षा सूची के प्रसार को नियंत्रित करना और उपकरणों/कलपुर्षों में सर्वोत्कृष्ट स्तर तक एकरूपता लाकर इसे सीमित करना था। यह काम दिनोंदिन मानकीकरण, वस्तुओं के कोडिकरण और एंट्री कंट्रोल के जरिए पूरा किया जा रहा है।
वेबसाइट: www.ddpdos.gov.in

योजना एवं समन्वय निदेशालय

रक्षा उत्पादन विभाग से संबद्ध योजना एवं समन्वय निदेशालय की स्थापना 1964 में की गई थी। इस निदेशालय का काम मेक इन इंडिया, एफडीआई नीति/औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में उदारीकरण, निजी क्षेत्र को समान अवसर देकर और स्वदेशी सामग्री की खरीद को प्राथमिकता देकर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। निदेशालय रक्षा विभाग के वेबसाइट पर, मेक इन इंडिया, पोर्टल का कामकाज देखने और उसे अपडेट करने का भी काम करता है। यह निदेशालय रक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढाने और दूसरे देशों को रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अलावा, यह सेना मुख्यालय के पूंजी (उपकरण आदि) अधिग्रहण प्रस्तावों पर सलाह देता है और रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीडीपी) को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निदेशालय शिपयार्डों के आधुनिकीकरण में भी बड़ी भूमिका निभाता है।

भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां

भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का एक मंच उपलब्ध कराने के लिए रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ) 'एयरो इंडिया' और 'डिफेक्सपो इंडिया' नाम से द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करता है। एयरो इंडिया जहां विमान और उड्डयन उद्योग से संबंधित होता है, वहीं डिफेक्सपो इंडिया में थल एवं नौसेना के रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाती है।

विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां

भारतीय रक्षा उद्योग के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीईओ बड़े अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में इंडिया पवेलियन का आयोजन करता है ताकि भारत में निर्मित रक्षा उत्पादों के लिए बाजार विकसित किया जा सके ।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिपबिल्डिंग

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस शिपबिल्डिंग (एनआइआरडीईएसएच) की स्थापना केरल के कोझिकोड में की गई है जिसका उद्देश्य रक्षा विभाग के लिए जलपोतों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस संस्थान को भारत के भावी जलपोत निर्माण कार्यक्रम के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में देखा गया है।

एनआइआरडीईएसएच के मुख्य कार्यों में अनुसंधान और विकास, जलपोतों का डिजाइन, प्रौद्योगिकी का विकास और प्रशिक्षण के साथ इंडस्ट्री इंटरफेसिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शामिल है।

अनुसंधान और विकास

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है। इसका गठन 1958 में किया गया था। वैज्ञानिक समस्याओं पर रक्षा सेवा को सलाह और सहायता तथा रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु 1948 में गठित रक्षा विज्ञान संगठन और तीनों सेनाओं के तकनीकी विकास स्थापना का विलय करके ही डीआरडीओ की स्थापना की गई। प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए वर्ष 1980 में एक अलग रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का गठन किया गया। वर्ष 1958 में दस प्रयोगशालाओं के साथ काम शुरू करने वाले डीआरडीओ के पास आज 46 प्रयोगशालाएं हैं। ये प्रयोगशालाएं पूर्व में तेजपुर से पश्चिम में मुंबई तक और उत्तर में लेह से दक्षिण में कोच्चि तक फैली हैं। डीआरडीओ हथियारों, प्लेटफार्मों और निगरानी सेंसरों के वैज्ञानिक पक्ष का आकलन करता है और सलाह देता है। यह रक्षा सेनाओं के लिए उन्नत सेंसर, हथियार प्रणाली प्लेटफॉर्म तथा सहयोगी उपकरण के उत्पादन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का विकास करता है।

हाल में इसके कार्यों में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जोड़ दिया गया है, जिसमें जांच करने की क्षमता, सुरक्षा समाधान नेटवर्किंग पद्धतियां और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। इस प्रक्रिया में डीआरडीओ ने राष्ट्रीय अवसंरचना, औद्योगिक सुरक्षा की बड़ी क्षमता और समर्पित एवं उन्नत मानव संसाधन का विकास सुनिश्चित किया है।

डीआरडीओ का प्रमुख रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है जो रक्षा अनुसंधान विकास विभाग का सचिव और अनुसंधान एवं विकास का महानिदेशक भी होता है। रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन की 46 प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के आधार पर इन्हें सात प्रौद्योगिक क्लस्टरों में बांटा गया है। ये क्लस्टर हैं- 'आर्मामेंट और कम्बैट इंजीनियरिंग पद्धतियां (एसीई)', 'एयरोनॉटिकल पद्धतियां मिसाइल्स एंड स्ट्रटेजिक सिस्टम (एमएसएस)', 'नौसेना पद्धतियां और सामग्री (एनएसएंडएम)', 'इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार पद्धतियां (ईसीएस)', 'माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कंप्यूटेशनल पद्धतियां (एमईडी एंड सीओएस)' और 'जीवन विज्ञान (एलएस)'।

मानव संसाधन

उद्देश्यपूर्ण संस्था होने के नाते डीआरडीओ मानवशक्ति नियोजन की गतिशील प्रणाली का पालन करता है। प्रयोगशालाओं के कार्यभार और नई परियोजना शुरू करने के कारण तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दूसरे वर्ष प्राधिकरण की समीक्षा की जाती है। गतिशील मानवशक्ति प्रबंधन पद्धति के द्वारा यह संगठन मानवशक्ति का बेहतर इस्तेमाल करता है। संगठन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए तथा सेवानिवृत्ति आदि से रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयोगशालाओं की जरूरत के अनुसार हर वर्ष वैज्ञानिकों की भर्ती की जाती है। अपनी सभी भर्तियों और मूल्यांकन के लिए डीआरडीओ ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करता है। डीआरडीओ में कर्मियों की कुल संख्या 25,966 है। इनमें से 7,574 रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा (डीआरडीएस) में, 9,643 रक्षा अनुसंधान तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) में तथा 8,775 प्रशासन एवं अन्य सहयोगी संवर्ग में हैं।

डीआरडीओ प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा अपने सभी संवर्गों के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। ये प्रशिक्षण संस्थान हैं- डीआईएटी, पुणे (तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए), आईटीएम, मसूरी तकनीकी-प्रबंधकीय कार्यक्रमों के लिए) और रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर (तकनीकी, प्रशासनिक तथा बद्ध संवर्ग के लिए)। प्रायोजित कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष चने हुए वैज्ञानिकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.ई./एम.टेक./पीएच.डी. करने के लिए भेजा जाता है। डॉ. राजा रमन्ना कॉम्प्लेक्स, बंगलुरु में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों हेतु लक्षित प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) भी डीआरडीओ के वार्षिक प्रशिक्षण का अंग है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम

चलाता है। विभाग में पनर्वास और पेंशन दो डिविजन हैं और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं- केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), महानिदेशालय (पुनर्वास) (डीजीआर) और केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (सीओ, ईसीएचएस) है।

केंद्रीय सैनिक बोर्ड

केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो शहीदों की विधवाओं/युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों, ईएसएम और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्य में 32 राज्य सैनिक बोर्ड और 392 जिला सैनिक बोर्ड सहायता करते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) शहीदों की जरूरतमंद विधवाओं/विकलागों, ईएसएम और उनके आश्रितों को वितीय सहायता प्रदान करने का प्रमुख स्रोत है।
वेबसाइट: www.ksb.gov.in

पुनर्वास महानिदेशालय

पुनर्वास महानिदेशालय एक त्रि-सेना संगठन है जो पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है और अफसरों, जेसीओ/ओआर तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्षों के साथ-साथ विधवाओं और आश्रितों को रोजगार, स्वरोजगार व प्रशिक्षण के बहुविध अवसर प्रदान करता है। प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सशस्त्र सैन्यकर्मी सेवानिवृत हो जाते हैं अथवा सक्रिय सेवा से हट जाते हैं, उनमें से अधिकांश की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच होती है और उन्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए दूसरा रोजगार चाहिए होता है। इन कर्मियों के रूप में देश के पास मूल्यवान, अनुशासित, सुप्रशिक्षित, प्रतिबद्ध एवं प्रतिभावान कार्मिक ताकत होती है।
वेबसाइट: www.dgrindia.com

प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) को सेवा निवृत्त होने जा रहे/सेवा निवृत्त हो चुके सैनिकों को दूसरी आजीविका के लिए तैयार करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) की समाज में उसके अनुरूप रोजगार उपलब्धता की दृष्टि से इन पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है:

अधिकारी प्रशिक्षण: ईएसएम (अधिकारी) के प्रशिक्षण हेतु चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में आईआईएम और अन्य प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में 24 सप्ताह का प्रबंधन पाठ्यक्रम, अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में परियोजना वित्तपोषण, शैक्षणिक संस्थाएं, आपूर्ति श्रृंखला, रिटेल, मानव संसाधन, सुविधा, आयात एवं निर्यात, इवेंट सिक सिग्मा, जेट ट्रांजीशन एंड सीफेरिंग इत्यादि जैसे मॉड्यूलर प्रबंधन कार्यक्रम आते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसी को स्व-रोजगार के रूप में अपनी आजीविका बनाने के इच्छुक अधिकारियों के लिए छह सप्ताह का कॉरपोरेट सिक्युरिटी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम भी पहले से ही उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों की फीस का 60 प्रतिशत भुगतान डीजीआर द्वारा दिया जाता है। अधिकारियों की विधवाएं भी इन पाठ्यक्रमों के योग्य मानी गई हैं।

जेसीओ/ओआर एवं समकक्ष प्रशिक्षण: जेसीओ/ओआर एवं समकक्ष के लिए विभिन्न विधाओं में एक वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं : सुरक्षा, अग्नि एवं औद्योगिक सुरक्षा, 'ओ' स्तर की कंप्यूटर एवं आईटी, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन, कृषि उत्पाद आधारित, व्यापार प्रबंधन, मॉड्यूलर प्रबंधन, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान इत्यादि। यह पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में चलाए जाते हैं। इनमें लगने वाली शत-प्रतिशत फीस का भुगतान डीजीआर द्वारा किया जाता है। विधवाएं / जेसीओ / ओआर के एक आश्रित को भी डीजीआर द्वारा प्रायोजित पाठयक्रमों में शामिल होने की अनमति दी जाती है। भतपर्व सैनिक अब डीजीआर प्रायोजित उस नियमित पाठ्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं जो सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारी द्वारा पूरी तरह से आवेदित न हो। डीजीआर के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने का एक उद्देश्य यह भी है कि जिन भूतपूर्व सैनिकों ने पहले यदि ऐसे किसी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया हो, वे अब अपना कौशल सुधारने के लिए इन पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सभी रेजिमेंटल सेंटर्स पर प्रतिमाह ऐसे दो नियमित पाठ्यक्रम पेंशन प्रक्रिया में आने वाले सैनिकों के लिए चलाए जाने की योजना है।

ईएसएम प्रशिक्षण: इस योजना के अंतर्गत राज्य सैनिक बोर्डों को अपने-अपने राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए कोष आवंटित किया जाता है। यह योजना मुख्यतः उन भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो कार्यकाल के दौरान पुनर्वास के लिए ऐसी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा सके थे।

रोजगार के अवसर

सरकारी नौकरियों में आरक्षणः केंद्र सरकार ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की है : (अ) समूह 'ग' रिक्तियों में 10 प्रतिशत और समूह 'घ' पदों में 20 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त हर श्रेणी में 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांग हो चुके जवानों और विधवाओं/आश्रितों के लिए आरक्षित होंगे। (आ) लोक उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह 'ग' पदों में 14.5 प्रतिशत और समह 'घ' पदों में 24.5 प्रतिशत। (इ) अर्ध-सैनिक बलों में सहायक सेनानी (कमांडेंट) पद के लिए 10 प्रतिशत और (ई) रक्षा सुरक्षा कोर में शत-प्रतिशत।

आरक्षण का क्रियान्वयनः भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय को प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया है।

कॉरपोरेट/ निजी क्षेत्र में रोजगार: भूतपूर्व सैनिकों के लिए कॉरपोरेट/निजी क्षेत्र में रोजगार की अच्छी-खासी संभावनाएं हैं। इस बारे में जागरूकता लाने और इन क्षेत्रों से अपने यहां भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए अनुरोध करने हेतु डीजीआर ने अगस्त, 2014 में एक नेशनल कॉरपोरेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया था जिसमें कॉरपोरेट प्रमुखों के समक्ष भूतपूर्व सैनिकों की कार्यक्षमता का विवरण प्रस्तुत किया गया और रक्षा मंत्री ने उनसे अपने क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी खोलने का अनुरोध किया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डीजीआर ने भर्ती उद्योग महासंघ (सीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

स्व-रोजगार के लिए योजनाएं

कोयला दुलान योजनाएं एवं टिपर संयोजन: जुलाई, 2014 में नये समझौता ज्ञापन और दिशानिर्देशों के साथ इस योजना को फिर से तैयार किया गया है।

कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी द्वारा संचालित खुदरा (रिटेल) दुकानें: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुरूप डीजीआर ने पूरे भारत में कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी द्वारा संचालित खुदरा (रिटेल) आउटलेट्स योजना (सीओसीओ) के अंतर्गत आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स के प्रबंधन के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना प्रारंभ किया है।

गोपालजी डेयरी एंड फ्रेश फार्मस: इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जेसीओ/ओआर को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधनः नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को शामिल करने के लिए इस योजना का कार्यक्षेत्र पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तारित कर दिया गया है।

सेना के अधिशेष श्रेणी V 'बी' श्रेणी वाहनों का आवंटनः भूतपूर्व सैनिक और सेवा अवधि के दौरान ही जिन सैनिकों का निधन हो गया, उनकी विधवाओं को सेना के अधिशेष श्रेणी V'बी' श्रेणी वाहनों का आवंटन करने के योग्य माना गया है।

तेल उत्पाद एजेंसी योजनाः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल कंपनियों द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार डीजीआर को आठ प्रतिशत रक्षा कोटा के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।

स्वास्थ्य देख-रेख

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना: भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत पहली अप्रैल, 2003 को हुई थी। अक्टूबर, 2010 में इस विस्तार किया गया। ईसीएचएस योजना का लक्ष्य भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अच्छी स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना है जो उन्हें देशभर में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों, सेना

चिकित्सा सुविधाओं तथा नागरिक क्षेत्र के सूचीबद्ध (इम्पैनल्ड)/शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से दी जाएंगी। यह योजना केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना (सीजीएचएस) की तरह ही है और इसका वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ सैन्यकर्मियों व उनके आश्रितों को इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की सुविधा सुनिश्चित करना है।

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों को 'बहिरंग रोगी स्वास्थ्य सेवा' के रूप में इस प्रकार गठित किया गया है जिसमें परामर्श, आवश्यक परीक्षण और औषधि उपलब्धता का प्रावधान है। विशिष्ट परामर्श, परीक्षण और अंतरंग रोगी सेवा (चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती किया जाना) को सेना चिकित्सालयों, सभी सरकारी अस्पतालों के साथ ही ईसीएचएस के अंतर्गत इम्पैनल्ड नागरिक चिकित्सा सुविधाओं में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

केंद्रीय संगठनः शीर्षस्थ स्तर पर केंद्रीय संगठन अर्थात ईसीएचएस नई दिल्ली में स्थित है जो रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय में सेनाध्यक्षों की समिति (चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी) के अधीन एडजुटेंट जनरल के माध्यम से कार्यरत है। केंद्रीय संगठन के अध्यक्ष सेवारत मेजर जनरल होते हैं। ईसीएचएस की कार्यकारी शक्तियां भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में निहित होती हैं।

ईसीएचएस टोल फ्री हेल्पलाइनः सभी ईसीएचएस सदस्यों को 1800-114-115 नंबर पर टोल फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध करवाई गई है जहां से वे अपनी सदस्यता, उपचार और रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा सभी कार्यदिवसों पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः नौ बजे से सायं पांच बजे तक उपलब्ध होगी।

ईसीएचएस वेबसाइटः ईसीएचएस से संबंधित सभी सूचनाएं, जिसमें इम्पैनल्ड सुविधाओं की सूची, सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र और नवीनतम नीतियां इत्यादि www.echs.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रक्षा पेंशन

तकरीबन 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों/परिवार के पेंशन भोगियों को पूरे भारतवर्ष में फैले 21 सरकारी बैंकों, तीन निजी बैंकों, 308 कोषागारों, 64 रक्षा पेंशन वितरण कार्यालयों (डीपीडीओ), एक डाकघर, पांच वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) के माध्यम से वितरित की जाती है। नेपाल में रह रहे सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन का वितरण तीन पेंशन भुगतान कार्यालयों (पीपीओ) के माध्यम से किया जाता है।

10 शिक्षा

शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है। भारत के नागरिक इसके सबसे मूल्यवान संसाधन हैं, ऐसे में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले मजबूत देश को अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिए मौलिक शिक्षा के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है। इसके लिए उनके समग्र विकास की आवश्यकता है, जोकि शिक्षा की मजबूत नींव के निर्माण से किया जा सकता है। अच्छी गणवत्ता की शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमिता का आधार है जो व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास एवं समद्धि की शुरुआत करती है। इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों और अध्यापन कार्य को समाज एवं अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा समस्या के समाधान की गुणवत्ता एवं कलात्मक सोच, अभ्यास के जरिए सीखने और युवावस्था से ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की कला को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर देने के लिए कई नए कदम उठाए हैं, यथा- (1) अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन, (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन, (3) छात्रों के लिए 'राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' (एनएमएमएसएस), माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई), जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसे कार्यक्रम, (4) भेदभाव के निवारण के लिए विनियम और लोकपाल (ओम्बड्समैन) की स्थापना और (5) रैगिंग के विरुद्ध एक वेब पोर्टल विकसित करना। भारत सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए, इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना व जनजातीय उप-योजना (एससीएसपी, टीएसपी) के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय में सभी को तथा इस विभाग के अंतर्गत सभी संगठनों व संस्थाओं को भेज दिए गए हैं। मंत्रालय का जोर पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और जम्मू और कश्मीर सहित देश के स क्षेत्रों के समग्र और संतुलित शैक्षणिक विकास पर रहा है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है: (क) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और (ख) उच्च शिक्षा विभाग।
वेबसाइट: www.mhrd.gov.in

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार और सर्वशिक्षा अभियान

भारत के संविधान की धारा 21ए के फलस्वरूप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 देश में वर्ष 2010 में लागू हुआ। आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल में समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इन स्कूलों को कुछ अनिवार्य सिद्धांतों और मानकों का पालन करना होता है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने आरटीई नियमों की अधिसूचना जारी कर चुके हैं। केंद्र प्रायोजित सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए); आरटीई अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देता है। इसमें नये विद्यालयों की स्थापना, स्कूलों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल सुविधाएं, शिक्षकों की व्यवस्था और शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, यूनीफॉर्म, सीखने के स्तर में सुधार हेतु, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी जैसे सहयोग शामिल होते हैं।

कार्यक्रम हस्तक्षेप

I. सर्व-सुलभता

प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' (एसएसए) कार्यक्रम वर्ष 2001 से लागू किया गया है। इसने शिक्षा को निष्पक्ष और सर्वसुलभ बनाने में काफी प्रगति की है।

(क) नये स्कूल: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले वर्षों में सर्व सुलभता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति निरंतर बनी हुई है। पिछले वर्षों में 2,04,740 प्राथमिक विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, इसके साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में 1,59,415 उच्च प्राथमिक स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण: आरटीई अधिनियम में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। स्कूल न जाने वाले बच्चों में से अधिकतर बच्चे वंचित (सुविधाहीन) समुदायों से आते हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, प्रवासी, दिव्यांग, शहरी वंचित, कामकाजी, अन्य कठिन परिस्थितियों से आए बच्चे यथा- दुर्गम स्थानों में रहने वाले बच्चे, विस्थापित परिवारों के बच्चे और गृहयुद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे इत्यादि सम्मिलित हैं। विशेष प्रशिक्षण, आवासीय अथवा गैर-आवासीय पाठ्यक्रम के तौर पर दिया जा सकता है। विद्यालय परिसरों में ही यह व्यवस्था की जाती है। परंतु यदि विद्यालय में इस तरह की वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो सुरक्षित और सुगम हों तब प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

(ग) आवासीय सुविधाएं: पर्वतीय अथवा बिखरे हुए तथा घने जंगलों वाले दुर्गम क्षेत्रों में स्कूली छात्रों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधा दी जाती है। एसएसए ने 90,855 छात्रों की क्षमता वाली 826 आवासीय संस्थाएं प्रदान की हैं।

(घ) परिवहन अथवा अनुरक्षण सुविधाएं: ये सुविधाएं उन बच्चों को प्रदान की जाती हैं जो दूर-दराज़ के क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियों में रहते हैं, या उन शहरी क्षेत्रों में जहां ज़मीन का मिलना एक समस्या है, या उन बच्चों को दी जाती है जो अत्यंत वंचित वर्ग के हैं अथवा विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) हैं।

(ङ) पोशाकः सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को स्कूली वर्दी के दो-दो सेट दिए जाते हैं। वर्दी देने का यह प्रावधान उस स्थिति में लाग होता है जहां:- (i) राज्य सरकारों ने अपने-अपने आरटीई कानूनों में यह प्रावधान किया है कि स्कूली वर्दी बच्चों का अधिकार है, (ii) राज्य सरकारें अपने बजट से पहले से ही वर्दी नहीं दे रही होती हैं।

II. प्राथमिक शिक्षा में लड़के-लड़कियों की संख्या में अंतर को दूर करना

(क) बालिका शिक्षाः आरटीई-एसएसए लड़कियों और वंचित तथा कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा पर स्पष्ट जोर और विशेष ध्यान देता है। एसएसए के तहत सामान्य हस्तक्षेप सभी लड़कियों और वंचित तथा कमजोर वर्गों के बच्चों पर लागू होता है। इसमें आरटीई नियमों के अनुसार बस्तियों के अंदर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों, वर्दी, पाठ्य-पुस्तकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है। विशेष प्रशिक्षण के हस्तक्षेप भी मुख्यतः लड़कियों और वंचित समूहों पर ही केंद्रित होते हैं, क्योंकि यह बच्चों का वह वर्ग है जो शिक्षा के अवसर से सबसे अधिक वंचित है।

(ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनु.जा., अनु.जन.जा., अ.पि.व, मुस्लिम समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं। ये विद्यालय उन विकास खंडों में खोले गए हैं जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जहां विद्यालय काफी दूरी पर हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा एक चुनौती है। केजीबीवी उन किशोरियों को शिक्षा देने के लिए खोले गए हैं जो नियमित विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं। ये विद्यालय उन बालिकाओं के लिए हैं जो दस वर्ष से अधिक आयु की हैं तथा प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी कर सकी हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं। ये विद्यालय उन किशोरियों के लिए भी हैं जो दुर्गम और बिखरी हुई आबादी वाले उन क्षेत्रों के प्रवासी परिवारों से आती हैं, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पात्रता नहीं रखते। केजीबीवी में 75 प्रतिशत स्थान अ.जा, अ.ज.जा, ओबीसी और अल्पसंख्यक परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होते हैं। जबकि 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। राज्यों में 3,600 ऐसे विद्यालय हैं और इनमें 3,66,756

बालिकाएं सूचीबद्ध हैं।

(ग) स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों से लिंग (जेंडर) के आधार पर भेदभाव हटाना: 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क' (एनसीएफ) वर्ष 2005 के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने जेंडर (यानी बालक-बालिकाओं के बीच अंतर) को बालिकाओं और महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के जरिए, बदलाव का महत्वपूर्ण नमूना स्थापित करने का सुविचारित निर्णय लिया है। इसमें उनकी भूमिका को बदलने की व्यवस्था भी है। अधिकतर राज्यों ने बालिकाओं की भर्ती, अनुत्तीर्णता और शिक्षा पूरी करने जैसे विषयों से निपटने के लिए अपनी नियमित शाला प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में जेंडर को शामिल किया है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता के मद्देनजर विद्यालयों में छात्राओं के लिए उचित वातावरण तैयार करने, जेंडर जागरुकता पर चर्चा के लिए महिला शिक्षकों के साथ सद्भावपूर्ण संपर्क आदि पर ध्यान दिया जाता है। राज्यों में जेंडर संबंधित मुद्दों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेषकर किशोरियों से जुड़े जेंडर संबंधी मुद्दों पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

(घ) बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु डिजिटल जेंडर एटलसः विद्यालयीन शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वेबसाइट पर भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति पर एक एटलस तैयार किया है। यूनीसेफ की सहायता से निर्मित यह साधन उन क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा जहां पर अनु.जा., अनु.जन.जा. और मुस्लिम समुदायों जैसे वंचित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति कमजोर है। शैक्षिक हस्तक्षेप की योजना बनाने और उसे लागू करने की दृष्टि से जेंडर एटलस का उद्देश्य दिव्यांगता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वंचित लड़कियों की समान शिक्षा को सुनिश्चित और चिह्नित करने में मदद करना है।

(च) बालिकाओं के लिए अलग शौचालयः सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य स्कूल, गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में योजना बनाते हैं। इन सुविधाओं में शौचालय और पेयजल भी शामिल है। इसे उनकी वार्षिक कार्ययोजनाओं एवं बजट में दर्शाया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत सभी नए स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए शौचालय की सुविधा है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में बालिकाओं की शिक्षा का आह्वान करते हुए संकल्प व्यक्त किया कि एक वर्ष के अंदर राष्ट्र के सभी स्कूलों में शौचालय होगा; लड़कियों के लिए अलग शौचालय होंगे ताकि पढ़ाई बीच में छोड़ने को उन्हें विवश न होना पड़े। प्रधानमंत्री के इस प्रेरक आह्वान को देखते हुए विद्यालयीन शिक्षा विभाग में 64 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और 11 निजी कॉरपोरेट कंपनियों की भागीदारी में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए विद्यालय पहल की शुरुआत की।

III. समावेशी शिक्षा

(क) अनु. जाति, अनु. जनजाति और मुसलमान

प्राथमिक स्कूलों में अनु. जाति के बच्चों का पंजीकरण 2015-16 में बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2010-11 में 19.06 प्रतिशत था। यह (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) देश की इनकी कुल आबादी 16.60 प्रतिशत से अधिक है। प्राथमिक स्तर पर अनु. जनजाति के बच्चों के पंजीकरण में वर्ष 2010-11 के मुकाबले वर्ष 2015-16 में मामूली गिरावट आई और यह 10.70 प्रतिशत से घटकर 10.35 प्रतिशत पर आ गया। यह (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार), देश की कुल आबादी में इनकी 8.60 प्रतिशत संख्या से अधिक है। मुसलमानों का पंजीकरण वर्ष 2010-11 के 12.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13.8 प्रतिशत हो गया। यह इनकी 14.2 प्रतिशत आबादी (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से थोड़ा कम है। वर्ष 2016-17 के लिए एसएसए के अंतर्गत कुल आवंटन का 19 प्रतिशत मुस्लिम बहुलता वाले 88 विशेष फोकस्ड जिलों के लिए किया गया है। एसटी फोकस्ड वाले 109 जिलों के लिए वर्ष 2016-17 में एसएसए के तहत कुल आवंटन के 13 प्रतिशत का प्रावधान कया गया है। एसएसए के अंतर्गत कल आवंटन का 19 प्रतिशत 61 एससी फोकस्ड जिलों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ख) दिव्यांग बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन)

आरटीई-एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर दिव्यांग बच्चे को चाहे वह किसी भी प्रकार से और कितना भी अशक्त क्यों न हो, उसे उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ऐसे बच्चों के लिए एसएसए हस्तक्षेप के

मुख्य घटकों में शामिल हैं- शिनाख्त, क्रियाशीलता तथा औपचारिक आकलन, पर्याप्त शैक्षिक नियोजन, वैयक्तिक शिक्षा योजना की तैयारी, सहायक यंत्रो तथा उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन समर्थन, संरचनात्मक बाधाओं को हटाना, निगरानी तथा मूल्यांकन और दिव्यांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान देना।

(ग) बच्चों के लिए पाठ्य-पुस्तकें

सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2016-17 में 8.38 करोड़ बच्चों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। गतिविधि आधारित कक्षा प्रक्रियाओं की सुविधा और सीखने की प्रक्रियाओं के संपूरण के लिए कई राज्यों द्वारा वर्कबुक और वर्कशीट उपलब्ध कराई जा रही हैं।

IV. सर्वशिक्षा अभियान के तहत उप-कार्यक्रम

(क) पढ़े भारत, बढ़े भारत (पीबीबीबी): सर्व शिक्षा अभियान के इस उप-कार्यक्रम का उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षा में समझ के साथ पढ़ाई-लिखाई और गणित पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश विशिष्ट हस्तक्षेप लागू कर रहे हैं। तमिलनाडु में एबीएल, कर्नाटक में नल्ली काली और गुजरात में प्रज्ञा के तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण का मॉड्यूल विकसित करने के कदम उठाए गए हैं। पंजाब, मेघालय और दिल्ली ने पहली तथा दूसरी कक्षा में गणित की पढ़ाई को और बेहतर करने का कार्यक्रम शुरू किया है। सिक्किम में समुदाय के सदस्यों की मदद से प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए कक्षा बनाए गए हैं।

(ख) सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आविष्कार अभियान' (आरएए) की शुरुआत स्व. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी की ओर आकृष्ट व प्रेरित करना है। ऐसा, कक्षा के अंदर और बाहर अवलोकन, प्रयोग, अनुमान, चित्रांकन तथा मॉडल निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। आईआईटी, आईआईएसईआर और एनआईटी जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों ने परामर्श के लिए स्कूलों को गोद लिया है। कुछ राज्यों में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए उन्हें कारखानों और अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है। विद्यालय स्तरों पर विज्ञान और गणित के क्लब गठित किए जा रहे हैं, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी खोज (नवाचार) दर्शाने के लिए छात्र प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं।

(ग) सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक अन्य उप-कार्यक्रम 'विद्यांजलि' है। इसका उद्देश्य सर्वशिक्षा अभियान के तत्वावधान में देशभर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। इसका उद्देश्य स्वयंसेवियों की सेवाओं के जरिए सरकारी विद्यालयों में सह-शैक्षिक गतिविधियों कोगूप्रभावी तरीके से ल करना है।

(घ) शगुन पोर्टलः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'शगुन' नाम का एक वेब पोर्टल विकसित किया है। 'शगुन', 'शाला' और 'गुणवत्ता' शब्दों से निकला है। राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षण के दो भाग हैं यथा, एक है श्रेष्ठ अभ्यासों, चित्रों, वीडियोज़, अध्ययनों, समाचार-पत्र आलेखों का संग्रह केंद्र। ये सब सभी के उपयोग के लिए होंगे। शगुन का वेबपोर्टल है: http://seshagun.gov.in

V. शिक्षक प्रशिक्षण

(क) शिक्षकों की उपलब्धताः प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2016-17 तक 19.49 लाख अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गई है। शिक्षा का अधिकार के तहत यह अनिवार्य है कि शिक्षक पद पर केवल उन्हीं की नियुक्ति की जा सकती है जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा-टीईटी पास की हो। सीबीएसई ऐसी ग्यारह परीक्षाएं आयोजित कर चुका है। एसएसए के तहत 2.34 लाख अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।

(ख) सेवाकाल में शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए उनके सेवाकाल में एसएसए सभी शिक्षकों को वर्ष में 20 दिन का प्रशिक्षण देता है। एनसीटीई के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए जा चुके प्रत्येक अप्रशिक्षित शिक्षक को दो वर्ष तक सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अलावा नई भर्ती वाले

प्रशिक्षित शिक्षकों को एक महीने का प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूलों में अध्ययन प्रक्रिया और कक्षाओं में विद्या प्राप्ति के तरीकों में सुधार के लिए विषयवस्तु तथा तौर-तरीकों सहित, अध्यापन संबंधी सभी मुद्दों पर जोर दिया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं- एनसीएफ 2005 के दिशानिर्देशक सिद्धांत, सीसीई, बच्चे कैसे सीखते हैं, विषय-विशिष्ट सामग्री अथवा अध्ययन संबंधी मुश्किलें, गतिविधि उन्मुख पद्धतियां, टीएलएम अथवा अध्ययन किट का उपयोग।

(ग) प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण: शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को शिक्षण प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) शिक्षकों के लिए सुदूर शिक्षा कार्यक्रमः कार्मिकों और संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' (इग्नू) तथा विभिन्न राज्यों में अन्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों की सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सुदूर शिक्षा सामग्री की डिजाइनिंग, विकास, उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह राज्यों में पेशेवर रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

VI. शिक्षण सहायता प्रणाली

(क) शैक्षिक सहायता ढांचाः शिक्षकों को विकेंद्रीकृत शैक्षिक सहायता देने, उनके प्रशिक्षण तथा निरीक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्र बनाए गए हैं। सितंबर 2016 तक देशभर में 6,759 ब्लॉक संसाधन केंद्र और 76,064 क्लस्टर संसाधन केंद्र बनाए जा चुके हैं।

(ख) स्कूल और शिक्षक अनुदानः एसएसए, प्रासंगिक शिक्षण सहायता के लिए सभी शिक्षकों को 500 रुपये का अनुदान देता है। डीआईईटी और बीआरसी विषय संबंधी कम कीमत की शिक्षण सहायक सामग्री विकसित करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्कूलों में उपयोग की जानेवाली वस्तुओं पर खर्च के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5,000 और अन्य को 7,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल को 7,500 रुपये रखरखाव के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक नए प्राथमिक विद्यालय को 'टीचिंग, लर्निंग इक्विपमेंट' अनुदान के रूप में एक मुश्त 20,000 रुपये और इसमें उच्च स्तर के विद्यालयों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं।

(ग) कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई: एसएएस के तहत स्कूलों में कंप्यूटर की मदद से बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। यह स्कूलों को कंप्यूटर उपकरणों अथवा प्रयोगशालाओं, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम आधारित ई-लर्निंग सामग्री के विकास और कंप्यूटर में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए होता है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद लगभग 1,06,753 स्कूल इससे लाभान्वित हुए हैं।

(घ) प्रवीणता वृद्धि कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल व्यय का दो प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्ययन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार कर अच्छे नतीजे हासिल करना है।

(ङ) विद्यार्थियों के अध्ययन के नतीजों में सुधारः एसएसए के विभिन्न गुणवत्ता हस्तक्षेपों का असर बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र होने के नाते एनसीईआरटी ने एमएचआरडी की सलाह पर कक्षा 3, 5 और 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के निष्पादन स्तर को मापने का एक कार्यक्रम शरू किया है। कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के पठन-पाठन स्तर का आकलन करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एनसीईआरटी का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाता है। एनएएस का सर्वेक्षण छात्रों की उपलब्धियों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराता है ताकि प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके। एसएसए का प्रमुख घटक विद्यार्थियों के अध्ययन के नतीजों में सुधार करना है। पठन-पाठन पर 'राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण' (एनएएस) के परिणामों के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश को राज्य पठन-पाठन उपलब्धि सर्वेक्षण कराने के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है ताकि प्रखंड और जिला स्तर पर पठन-पाठन उपलब्धियों के सूक्ष्म स्तरीय चित्र स्पष्ट हो सके।

VII. बुनियादी ढांचा

आरटीई-एसएसए, निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में राज्यों के प्रति काफी लचीला है। केंद्र न तो डिजाइन और न ही

इकाई की लागत का निर्धारण करता है। राज्यों को स्थानीय स्थितियों के आधार पर भवन का डिजाइन तैयार करने और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित दरों की सूची के आधार पर लागत अनुमान लगाने की छूट है। हालांकि स्कूलों के आधारभूत ढांचे का प्रावधान अकेले राज्य की ही गतिविधि नहीं है। स्कूली बच्चों के पंजीकरण, हाजिरी तथा उनके पढ़ाई जारी रखने में स्कूल के आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता और डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएसए के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्य आरटीई के प्रावधानों के अनुसार हर मौसम के अनुकूल भवन उपलब्ध कराते हैं। आरटीई- एसएसए के तहत स्थानीय समुदाय में स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए सभी नागरिक कार्य संबंधी गतिविधियों में उन्हें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठेकेदारों के निर्माण कार्य की तुलना में समुदाय जनित स्कूलों का निर्माण गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर साबित हुआ है। स्कूल भवनों के स्थल और डिजाइन के चयन तथा देखरेख में समुदाय से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा रहती है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां समुदाय ने अपने गांव के स्कूल के सुधार में धन व श्रम के लिहाज से उल्लेखनीय योगदान किया है।

आरटीई-एसएसए पुराने भवनों की मरम्मत में भी मदद करता है। भवनरहित, जीर्ण-शीर्ण और नवीकृत स्कूली भवनों को जोखिम रहित बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आरटीई-एसएसए ने अब निर्माण कार्यों का अन्य पक्ष से मूल्यांकन कराया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक निरीक्षण और पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है।

VIII. स्कूल प्रबंधन समितियां और सामुदायिक भागीदारी

एसएसए ने सरकारी स्कूलों के प्रभावी संचालन के लिए समुदाय के स्वामित्व के महत्व को हमेशा स्वीकार किया है। नियमों के अनुसार स्कूलों के लिए प्रबंधन समितियां (एसएमसी) बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इनके सदस्य संबंधित स्कूलों के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक होते हैं।

IX. निगरानी संस्थान

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसएसए के कार्यान्वयन की सावधि निगरानी का काम विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग तथा समाज विज्ञान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सौंपा गया है। बड़े राज्यों में निगरानी का काम एक से अधिक संस्थानों को सौंपा गया है। इन निगरानी संस्थानों को क्षेत्र का दौरा कर हर छह महीने में जमीनी स्तर पर एसएसए की प्रगति के बारे में रिपोर्ट देने का काम दिया गया है। हर दो साल बाद यह चक्र दोहराया जाता है। एसएएस कार्यक्रम के तहत आवश्यकता के अनुरूप निगरानी संस्थानों की सीमा क्षेत्रों में बदलाव किया जाता है।

X. आरटीई कानून की धारा *12 (1) (ग)* के तहत प्रवेश

इसके तहत गैर-सहायता प्राप्त सभी निजी और विशेष श्रेणी के स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है। एसएसए के तहत भारत सरकार निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत प्रवेश पर किया गया व्यय राज्यों को वापस देगी। यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति बच्चा लागत नियमों पर आधारित होगा और एसएसए वार्षिक कार्ययोजना और बजट राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत तक होगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इसका, उद्देश्य और अधिक बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उसकी गुणवत्ता सुधारना है। इसमें बस्तियों में उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वर्ष 2017 तक 'सकल भर्ती अनुपात' (जीईआर) शत-प्रतिशत हो जाए और वर्ष 2020 तक सभी स्कूली बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें। इसके अलावा सभी स्कूलों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराना, छात्राओं के साथ भेदभाव खत्म करना, सामाजिक-आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाएं समाप्त कर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनमें शामिल हैं: (i) अतिरिक्त कक्षा-कमरे, (ii) प्रयोगशालाएं, (iii) पुस्तकालय, (iv) कला एवं शिल्प कक्ष, (v) शौचालय खंड, (vi) पेयजल प्रावधान, (vii) विद्युत, टेलीफोन तथा इंटरनेट कनेक्टीविटी और (viii) दिव्यांगनुकूल प्रावधान।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरएमएसए के तहत की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:

(i) शाला सिद्धिः वर्ष 2015 को स्कूल मानक तथा मूल्यांकन तंत्र और इसका वेब पोर्टल शुरू किया गया। स्कूलों में सुधार के लिए उनके मूल्यांकन के वास्ते यह एक व्यापक माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को अधिक दक्ष और संकेंद्रित तरीके से अपने कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सक्षम बनाना है। इससे उन्हें सुधार के लिए पेशेवर परख में सहायता मिलती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों और उनके मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक स्कूल के लिए सहमति वाले मानक स्थापित करना है।

(ii) शाला दर्पण: सभी 1,099 केंद्रीय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण परियोजना जून 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समुदायों के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्कूल सूचना सेवाओं के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी- स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन, विद्यार्थी प्रोफाइल प्रबंधन, कर्मचारी की जानकारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति, अवकाश प्रबंध, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यक्रम पता लगाने का तरीका, विद्यार्थियों व प्रशासन विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में एसएमएस अलर्ट।

(iii) जीआईएस मैपिंग: बिना किसी भेदभाव के उचित दूरी पर किसी भी बस्ती के माध्यमिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यूडीआईएसआई में उपलब्ध स्कूल की सचना सहित उसके भौगोलिक निर्देशांक स्कल के जीआईएस यक्त प्लेटफार्म http://schooldis.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने एनआईसी के साथ स्कूलों की भौगोलिक निर्देशांक और जीआईएस मैपिंग को साझा किया है। इस मैपिंग को यूडीआईएसई डाटा बेस से लिंक किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक स्कूल की मैपिंग की गई है और यह यूडीआईएसई जानकारी पर आधारित विस्तृत स्कूल रिपोर्ट के अनुरूप है। स्कूल की सूचना (स्थानिक एवं गैर-स्थानिक आंकड़ों) के बारे में वेब युक्त प्लेटफार्म तैयार करने का प्रयास एसएसए तथा आरएमएसए के अंतर्गत नियोजन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और साधनों की उपलब्धता का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

(iv) कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहली बार कक्षा दस के लिए राष्ट्रीय निष्पादन सर्वेक्षण किया। दसवीं कक्षा के राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनएएस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट 4 जनवरी, 2016 को मंत्रालय को सौंपी गई थी। इसमें पांच विषयों- अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा में विद्यार्थियों के निष्पादन का परीक्षण किया जाता है। नमूना डिजाइन की वैज्ञानिक प्रक्रिया, परीक्षण विकास और अनुवाद में तकनीकी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के बाद यह परीक्षण 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है।

बच्चों की उपलब्धि उनकी पृष्ठभूमि के विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सर्वेक्षण में इसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। उपलब्धि के अंकों और पृष्ठभूमि की विविधता की गहराई से विश्लेषण से नीति निर्माताओं, पाठ्यक्रम तैयार करने वालों तथा अन्य संबद्ध पक्षों को पूरी जानकारी मिलती है। तदनुसार विभिन्न विषयों के संदर्भ में शैक्षणिक पहलुओं में सुधार के लिए एनएएस के निष्कर्षों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण (सेवा-पूर्व और सेवाकालीन) कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इससे राज्यों को पाठ्यक्रम अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने तथा पाठ्यक्रम सुधार शुरू करने में मदद मिलेगी।

(v) कला उत्सवः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कला उत्सव पहल का उद्देश्य शिक्षा में कला (संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कला तथा शिल्प) को बढ़ावा देना है। उच्चतर शिक्षा के स्तर पर स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा के पोषण और प्रदर्शन से ऐसा किया जाता है। यह, कलाओं को समग्र रूप में महत्व देने का एक मंच भी है।

(vi) विज्ञान तथा गणित पर संकेंद्रणः वर्ष 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया गया। इसके तहत विज्ञान और गणित के 1.04 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, इन विषयों के किट दिए गए विद्यार्थियों के लिए विज्ञान केंद्रों तथा संग्राहलयों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विज्ञान का विशेष शिक्षण दिया गया, वैदिक गणित का शिक्षण दिया गया और जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई।

(vii) शिक्षा में नवाचार के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः आईसीटी के

तहत सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण में आईसीटी के इस्तेमाल और कंप्यूटर से पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी के अभिनव इस्तेमाल के लिए शिक्षकों और उनके प्रशिक्षकों को प्रेरित करने के वास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का प्रावधान है।

(viii) विद्यार्थियों और शिक्षकों संबंधीः वर्ष 2016 में आधार के तहत 5-18 वर्ष की आयु के 25,04,73,095 (लगभग 71.6 प्रतिशत) बच्चे सूचीबद्ध थे, जबकि 2015 में इनकी संख्या 20,94,34,376 (लगभग 59.8 प्रतिशत) थी।

समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए 2018.19 में एक एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा की शुरुआत की। इसने स्कूल की परिकल्पना प्री-स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर जारी रखने के रूप में की।

प्राथमिकता शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लाकों (ईबीबी), विशेष ध्यान वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती इलाकों और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षापूर्ण जिलों को दी जाएगी। वर्दी के लिए आवंटन प्रति वर्ष प्रति बच्चा 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है और पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चे को दी जाने वाली राशि 150/250 रुपये से बढ़ाकर 250/400 रुपये कर दी गई है। उत्साहित करने वाली पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) में कक्षा तीसरी, पांचवीं, आठवीं और 10वीं में छात्रों के अध्ययन स्तर का आकलन किया गया, शुरू में जिला रिपोर्ट कार्ड जारी की गई और बाद में मई 2018 में कक्षा तीसरी, पांचवीं, और आठवीं के लिए वेबसाइट पर राज्य स्तरीय अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई और कक्षा 10 के लिए इसे नवम्बर 2018 में उपलब्ध कराया गया। राज्य स्तरीय अध्ययन रिपोर्टों के दो लिंक इस प्रकार हैं:
http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/SRC.html
http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/SRCX.html

विभिन्न राज्यों के सभी जिलों तक पहुंचने के लिए एनएएस के बाद (2018-19) प्रयास शुरू किए गए। अध्ययन संबंधी पहचाने गए अंतरालों का इस्तेमाल जिलों को फीडबैक प्रदान करने के लिए किया गया। स्कूलों में अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक रूपरेखा का सुझाव दिया गया। प्रयासों का खाका तैयार करने और कार्यान्वयन के दायरे में स्कूल लीडरों, अध्यापकों और समूहों, ब्लॉकों, डीआईईटी, एससीईआरटी औ विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशालयों को शामिल किया गया।

ई-पाठशालाः एनसीईआरटी की पुस्तकें डिजीटल संस्करण में मुफ्त उपलब्ध हैं। 15 लाख छात्र ई-पाठशाला ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। एक वर्ष में इस तक पहुंचने वालों की संख्या 3 करोड़ को पार कर चुकी है।

परीक्षा पर चर्चा

प्रधानमंत्री का स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम "परीक्षा पर चर्चा" 2018 में आयोजित किया गया। यह 'टाउन हॉल' कार्यक्रम था जो अपने आप में अनोखा था और जिसका आयोजन पहली बार किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने देश भर के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ वेब के जरिये संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम के लिए छात्रों से मायजीओवी प्लेटफॉर्म पर संवाद कार्यक्रम के लिए छात्रों के लिखित प्रश्न आमंत्रित किए गए थे।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2011 में अनुमोदित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने की इस केंद्र प्रायोजित योजना को वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था ताकि इसे 'राष्ट्रीय कौशल पात्रता संरचना' (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाया जा सके। जिसमें एनवीईक्यूएफ का विलय भी कर दिया गया है। इस योजना में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित

तथा रोज़गार योग्य लोगों के बीच अंतर को पाटने, माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने और उच्च शिक्षा पर दवाब में कमी लाने के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है। यह सब मांग जनित, योग्यता आधारित, मानक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इच्छानुसार प्रवेश तथा निकासी (मल्टी एंट्री, मल्टी इक्विटी) के अध्ययन अवसरों और पात्रता में विषम स्तरीय गतिशीलता (वर्टिकल मोबिलिटी) तथा अंतर परिवर्तन की योग्यता (इंटरचेज एविलिटी) के प्रावधानों के जरिए किया जाएगा।

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करते हुए यह जो संशोधित योजना बनाई गई है उसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का एकीकरण करना है तथा विद्यार्थियों को समस्तरीय और विषम स्तरीय गतिशीलता का अवसर प्रदान करना है। इसमें अभिकल्पना, विकास, प्रदायत्री, आकलन और कौशल अंश के प्रमाणन में उद्योग जगत के साथ निकट सहभागिता की संभावनाओं का ध्यान रखा गया है।

छात्राओं के हॉस्टल का निर्माण और संचालन

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए हॉस्टल के निर्माण और संचालन की केंद्र प्रायोजित यह योजना वर्ष 2008-09 में शरू की गई थी। इसे वर्ष 2009-10 से लाग किया गया है। इससे पहले गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित योजना लाग थी। इस योजना को मई 2013 में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (आरएमएसए) में समाहित कर लिया गया था। छात्राओं के लिए हॉस्टल की योजना का उद्देश्य यह है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षा (IX-XII) की छात्राएं बीच में पढ़ाई न छोड़ें और उन्हें स्कूल की दूरी, अभिभावकों की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा अन्य सामाजिक कारणों के बावजूद पढ़ाई आगे जारी रखने का अवसर मिल सके। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 14-18 वर्ष की आयु की नौवीं से बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीबी) से उत्तीर्ण छात्राओं को छात्रावास में वरीयता दी जाएगी। कम से कम 50 प्रतिशत छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की होनी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना

यह योजना दिव्यांग बच्चों के लिए पहले की एकीकृत शिक्षा योजना (आईईडीसी) के स्थान पर वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) को वर्ष 2013-14 के दौरान 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' में समाहित कर लिया गया है। इसके अंतर्गत कक्षा IX से XII तक के दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में मदद दी जाती है। इसका उद्देश्य सभी दिव्यांग बच्चों को आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्कूल (IX से XII) की और चार वर्ष की पढ़ाई, समग्र और अनुकूल माहौल में जारी रखने में सहायता करना है।

यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो 'दिव्यांगता अधिनियम, 1995' तथा 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999' की परिभाषा के तहत एक या अधिक प्रकार से दिव्यांग हैं। इनमें शामिल हैं- (i) दृष्टिहीनता, (ii) कम दृष्टि, (iii) कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, (iv) बधिर, (v) अंग संचालन अक्षमता, (vi) मानसिक अस्वस्थता, (vii) मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, आत्मविमोह (vii) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)। यह योजना उनके लिए भी है जो बोलने, समझने में अक्षम हैं।

इस योजना में शामिल हैं- दो प्रमुख घटकों में सहायताः (क) विद्यार्थी अभिमुखी घटक: (i) शैक्षिक व चिकित्सकीय आवश्यकताओं का आकलन, (ii) विद्यार्थी विशेष सुविधाओं का प्रावधान, जैसे सहायक उपकरण, आरोग्य सेवाएं, पुस्तक सहायता सेवा इत्यादि, (ii) अध्ययन सामग्री का विकास, (iv) स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की खरीद। दिव्यांग छात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए माध्यमिक स्कूल तक उनकी शिक्षा में मदद के प्रयासों के तहत उन्हें प्रतिमाह 200 रुपये वजीफ़ा दिया जाता है। केंद्रीय सहायता के रूप में सालाना 3,000 रुपये और राज्यों द्वारा 600 रुपये की छात्रवृत्ति अलग से दी जाती है।

(ख) अन्य घटक: (i) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, (ii) विशेष शिक्षण में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षकों को प्रतिमाह 400 रुपये विशेष वेतन, (iii) साधन संपन्न कक्ष का निर्माण तथा उपकरण, (iv) विशेष आवश्यकताओं वाले (दिव्यांग)

बच्चों के क्षमता निर्माण के लिए सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण, (v) स्कूलों को निर्बाध बनाना।

शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

(क) शिक्षक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' के अनुसरण में केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1987 में शुरू की गई थी। इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में संशोधित किया गया और इसका परिव्यय संशोधित कर 6308.45 करोड़ रुपये कर दिया गया। केंद्र और राज्य इस राशि को साझा करेंगे। इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2011 तक गठित सभी जिलों में डी.आई.आई.टी. स्थापित करना; इनकी संख्या 571 से बढ़ाकर 646 करना; शिक्षक शिक्षण के कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 106 से 122 करना और मौजूदा सरकारी माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों का उन्नयन कर इन्हें सीटीई में तब्दील करना; आईएएसई की संख्या 32 से बढ़ाकर 39 करना; विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों का उन्नयन कर इन्हें आईएएसई में बदलना और चयनित 196 अनु. जाति, अनु. जनजाति व अल्पसंख्यक सघन जिलों में शिक्षक शिक्षा के ब्लॉक संस्थान स्थापित करना। इनमें से 96 'ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान' (बीआईटीई) अ.जा. व अ.ज.जा. और अल्प संख्यक समुदायों के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता

अलग कैडर बनाना: 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने शिक्षक शिक्षा योजना के तहत इन शिक्षकों को अलग कैडर बनाया है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से इस कैडर को मजबूत करने को भी कहा गया है।

नए मानक वर्ष 2014 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्कः वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वर्ष 2016-17) के अनुसार 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने डीएड, डीईएलएड पाठ्यक्रम 'नवीन मानक एवं प्रतिमान (एनसीटीई) नियमन, 2014' के अनुरूप संशोधित कर लिए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) नियमन, 2014-मानक एवं प्रतिमानः एनसीटीई की स्थापना संसद द्वारा वर्ष 1993 में पारित एक कानून के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य, देशभर में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा प्रणाली और इससे जुड़े विषयों में मानकों और प्रतिमाओं का नियमन एवं उचित संधारण करना है। एनसीटीई द्वारा संशोधित नियमों को नवंबर 2014 में अधिसूचित किया गया था।

शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए कैडर पुनर्संरचना और एससीईआरटी का पुनर्गठन/पुनर्संरचनाः सीएसएस शिक्षक शिक्षा के तहत 9 राज्यों ने वर्ष 2016 में अपने एससीईआरटी का पुनर्गठन/पुनर्संरचना की है।

सीएसएसटीई योजना के तहत नई गतिविधियां व पहल

इंडिया टीचर एजुकेशन पोर्टल (प्रशिक्षक): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने 30 जून, 2016 को यह पोर्टल शुरू किया। इससे शिक्षक विकास संस्थानों की निगरानी और भावी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अपनी पसंद का संस्थान चुनने के लिए विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा में अल्पसंख्यकों को समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देता है। इसके लिए सरकार अल्पसंख्यकों के बच्चों को मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना (एसपीक्यूईएम) लागू कर रही है। इस योजना के उद्देश्य हैं-

- वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर मदरसों तथा मक़तब में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना;
- मदरसों और मक़तबों में कक्षा I से XII में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक रूप से प्रवीण बनाना;
- मदरसे, मक़तब, दार-उल-उलूम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की मान्यता प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं जिसके लिए उन्हें उपयुक्त सहायता दी जाएगी;
- मदरसों, मक़तबों, दार-उल-उलूम में 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का अवसर

देना और एसपीक्यूईएम के बारे में जागरुकता तथा निगरानी के लिए मदरसा बोर्ड को मजबूत करना।

इस योजना के तहत :-

- विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा विज्ञान की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के वास्ते मदद दी जाती है। पूर्ण कालिक ग्रेजुएट शिक्षक को एक वर्ष के लिए 6000 रुपये मासिक और पोस्ट ग्रेजुएट व बीएड को 12,000 रुपये वेतन दिया जाता है।
- माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक मदरसों में विज्ञान, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं के लिए एकमुश्त 100,000 रुपये की सहायता दी जाती है। रखरखाव के लिए 5,000 रुपये प्रति वार्षिक अनुदान दिया जाता है।
- पुस्तकालयों, पुस्तक बैंकों, शिक्षण अध्ययन सामग्री के लिए एकमुश्त 50,000 रुपये तक और बाद में वार्षिक 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। विज्ञान, गणित किट और अन्य शिक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 15,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एनआईओएस का विकल्प चुनने वाले छात्रों के पंजीकरण शुल्क और एनआईओएस द्वारा प्रदत्त पठन सामग्री की लागत के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।
- कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में आए तथा केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिनियमों अथवा मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बोर्डों अथवा एनआईओएस के तहत पंजीकृत मदरसे इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी योजनाओं के तहत नियुक्त मदरसा शिक्षकों के लिए समूहों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- जिन मदरसों के शिक्षकों के पारिश्रमिक का खर्च राज्य सरकार वहन करती है वे इस योजना में वेतन घटक के तहत राशि पाने के पात्र नहीं होंगे।
- शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्य-पुस्तकों, कंप्यूटर, विज्ञान व गणित किट आदि के लिए किसी अन्य राज्य व केंद्रीय योजना से वित्तीय सहायता पाने वाले मदरसे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास

आईडीएमआई योजना अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर अल्पसंख्यकों की शिक्षा में मदद करती है। यह योजना समूचे देश में लागू है। इसके तहत सहायता प्राप्त निजी, गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रति स्कूल यह राशि अधिकतम 50 लाख रुपये होगी। केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे कम से कम पिछले 3 वर्ष से काम कर रहे हों और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों ने बड़ी संख्या में इनमें दाखिला लिया हो।

यह योजना राज्य सरकार के माध्यम से लागू की जाती है। वित्तीय सहायता के सभी आवेदनों पर राज्य सरकार विचार करती है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन किया जाता है।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आठवीं कक्षा के बाद बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। चुने गए विद्यार्थियों को नौवीं से लेकर बारहवीं तक प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (500 रुपये प्रतिमाह) की एक लाख छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह छात्रवृत्ति सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की शासन प्रणाली के लिए अलग-अलग कोटा तय है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी साधनों से आय 1,50,000 रुपये से कम है, वे छात्रवृत्ति के पात्र हैं। राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार आरक्षण भी दिया जाता है। छात्रवृत्तियों के लिए विद्यार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा से किया जाता है। छात्रवृत्तियों का वितरण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विद्यार्थियों के बैंक खातों में तिमाही आधार पर इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए किया जाता है।

राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना

बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की यह केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई) मई 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जिसमें माध्यमिक स्कूलों में विशेषकर अनु.जा. व अनु.जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश को बढ़ावा दिया जा सके और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी की जा सके। इस योजना के अंतर्गत नौवीं कक्षा की अविवाहित पात्र लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये सावधिक खाते में जमा किए जाते हैं। यह राशि वे दसवीं कक्षा पास करने और 18 वर्ष की होने पर ब्याज के साथ निकलवा सकती हैं। यह योजना (1) अनु.जा. व अनु. जनजाति से संबंध रखने वाली आठवीं पास करने वाली और (2) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (वे अनु.जा. व अनु. जनजाति से संबद्ध हैं इस पर विचार किए बिना) से आठवीं पास करने वाली और राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में दसवीं में प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का क्रियान्वयन

'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) योजना प्रणाली पहली जनवरी 2013 से शुरू की थी, जिसके तहत आठ मंत्रालयों व विभागों की 25 योजनाएं 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 43 जिलों में डीबीटी के क्रियान्वयन के लिए प्रयोग के तौर पर चुनी गई थी। इसमें 'आधार भुगतान सेतु' (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे ही धनराशि भेज दी जाती है। जनवरी 2015 से डीबीटी योजना पूरे देश में लागू हो गई है। स्कूली शिक्षक और साक्षरता विभाग की दो योजनाएं- 'राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना' (एनएमएमएसएस) और 'राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना' (एनएसआईजीएसई) को डीबीटी में शामिल किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और एनएसअईजीएसई के लाभार्थियों का प्रस्ताव तथा सूची ऑनलाइन भेजने के लिए एक 'राष्ट्रीय ई-छात्रवत्ति पोर्टल' (एनईएसपी) शुरू किया गया है। विभाग ने राज्य सरकारों को लाभार्थी विद्यार्थियों की आधार संख्या प्राप्त कर उसे उनके डिजिटीकृत डेटाबेस से युक्त करने का परामर्श दिया था। राज्यों को भी दोनों योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों को उनकी आधार संख्या से जोड़ने की सलाह दी गई है ताकि आधार भुगतान सेतु से आसानी से भुगतान किया जा सके।

वयस्क शिक्षा

स्वतंत्रता के समय भारत की 86 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी इसलिए वयस्क शिक्षा का जोर इसके सबसे नीचे के स्तर पर अर्थात् 'बुनियादी साक्षरता' पर ही था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रथम योजना अवधि से ही अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें से जो सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित है, वह है 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'। यह 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' को वर्ष 2009 में संशोधित कर इसे 'साक्षर भारत' का नाम दिया गया। नये मिशन में आजीवन शिक्षा का नया आयाम जोड़ा गया है। देश की साक्षरता दर में पर्याप्त प्रगति हुई है परंतु अब भी विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्प संख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान है। व्यस्क शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार कर पूर्ण साक्षर समाज का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए), प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास की सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालक और कार्यान्वयन संगठन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएलएमए साक्षरता दर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक करने और लड़कों-लड़कियों की संख्या का अंतर 10 प्रतिशत से कम करने का प्रयास करता रहा है।

साक्षर भारत कार्यक्रम के पात्र 410 जिलों में से 404 जिलों की 1.64 लाख ग्राम पंचायतों में इसे लागू करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ये सभी जिले 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। इन 404 जिलों में यह कार्यक्रम वर्ष 2016-17 से जारी रहा है। अक्टूबर 2016 के अंत तक करीब 1.56 लाख वयस्क शिक्षा केंद्र (एईसी) स्थापित किए गए हैं। 1.64 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.57 लाख ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 10.68 करोड़ निरक्षरों की पहचान कर ली गई है। 57.8 लाख साक्षरता केंद्रों में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया शुरू

की गई है। प्रधान प्रशिक्षकों द्वारा लगभग 45.73 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों और 2.54 लाख प्रधान प्रशिक्षकों को उपाय कुशल (रिसोर्स) व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा लगभग 13.5 हजार उपाय कुशल (रिसोर्स) व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। वयस्क शिक्षा केंद्रों में गतिविधियां आयोजित करने हेतु 2.76 लाख प्रेरकों को नए काम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तेरह भाषाओं और 26 स्थानीय बोलियों में बेसिक साक्षरता प्राइमर प्रकाशित कर बांटे गए हैं।

राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी) को शिक्षण पठन-पाठन सामग्री के विकास, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, वातावरण तैयार करने वाली गतिविधियों, कार्य अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में वयस्क एवं सतत शिक्षा को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन का सहयोग प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में, देश में 32 एसआरसी हैं। 'जन शिक्षण संस्थानों' (जेएसएस) में निरक्षरों नवसाक्षरों वयस्कों के साथ-साथ पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना जारी है। यह प्रशिक्षण उस कौशल में दिया जाता है, जिसकी स्थानीय बाजार में उपयोगिता की पड़ताल कर ली जाती है। जेएसएस की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक समीक्षा की भावना भरने के उद्देश्य से एक प्रबंधन सूचना प्रणाली' (एसआईएस) विकसित की गई है।

'वयस्क शिक्षा निदेशालय' स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एनएलएमए का सहयोग प्रदान करता है।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएटी) 1958 में शुरू किया गया था। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रशंसनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने के लिए हर वर्ष 5 सिंतबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर दिए जाने वाले कुल 378 पुरस्कारों में से 23 संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तथा संगठन के लिए शिक्षकों की संख्या के आधार पर कोटा निर्धारित है। इनमें विदेशों में स्थित स्वतंत्र संबद्ध स्कूलों, भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद, सैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन और परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्कूल शामिल हैं। वर्ष 2011 से एक विशेष पुरस्कार भी शुरू किया गया है। यह स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले और सामान्य स्कूलों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। यह विशेष पुरस्कार 43 शिक्षकों को इन श्रेणियों के लिए दिया जाता है। • मुख्यधारा के स्कूलों में कार्यरत दिव्यांग शिक्षक; • समावेशी शिक्षा के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले विशेष या प्रशिक्षित सामान्य शिक्षक। पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये नकद, एक रजत पदक और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन

'केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना' को वर्ष 1962 में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य यह व्यवस्था करना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तबादले की स्थिति में उनके बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए। केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में की गई थी (अब यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इकाई है)। शुरुआत में शिक्षण वर्ष 1963-64 के दौरान रक्षा कर्मियों की अधिकता वाले स्थानों पर संचालित 20 रेजीमेंटल स्कूलों का अधिग्रहण केंद्रीय विद्यालय के रूप में किया गया।

केंद्रीय विद्यालय संगठन को 15 दिसंबर, 1965 को समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य समूचे भारत और विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, धनसुलभता (निधियन), रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है। भारत सरकार पूरी तरह संगठन का वित्त पोषण करती है।
वेबसाइट: www.kvsangathan.nic.in

जवाहर नवोदय विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का उद्देश्य आवासीय नवोदय स्कूलों की स्थापना करना है ताकि समानता और सामाजिक

न्याय के साथ उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति को 'समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860' के तहत पंजीकृत किया गया। नवोदय विद्यालय की स्थापना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों में, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का भेदभाव किए बगैर मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरुकता, साहसिक गतिविधियों तथा शारीरिक शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा देने के लिए की गई थी।

जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के प्रस्ताव पर की जाती है जिसके लिए वह लगभग 30 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार को बिना किराये के इस तरह का अस्थाई भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं ताकि समिति द्वारा स्कूल के भवन निर्माण तक तीन-चार वर्ष तक 240 विद्यार्थी और स्टाफ उसमें रह सकें।
वेबसाइट: www.navodaya.gov.in

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। इसकी स्थापना 1961 को शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। परिषद नीतियां और कानून बनाने और केंद्र एवं राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती है। इसने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' (वर्ष 1968-1986) और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निरूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधान से नई योजना, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने में मदद मिली है। परिषद शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए आवश्यकता आधारित तथा नवाचार वाले पाठ्यक्रम तैयार करती है। इसके द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और अन्य अध्ययन सामग्री से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायता मिली है। एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अपने पिछले 50 वर्ष के कामकाज से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। यह भारत का एक अनूठा संस्थान है जो अनुसंधान करता है, कुशल शैक्षिक वृतिजीवी तैयार करता है और पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री तैयार करता है। परिषद की प्रमुख इकाइयां हैं-

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईईई), नई दिल्ली;

(ख) केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), नई दिल्ली;

(ग) पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल;

(घ) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा उमिअम (मेघालय) में क्षेत्रीय संस्थान (आरआईई)।
वेबसाइट: www.ncert.nic.in

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त पोषण से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1956 में की गई थी। बाल भवन एक आंदोलन के रूप में देश के कोने-कोने में फैला है। देश भर में 134 बाल भवन और बाल केंद्र हैं। इनके अलावा दिल्ली में 48 बाल भवन केंद्र और मांडी गांव में एक बाल भवन है। राष्ट्रीय बाल भवन का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों तथा अवसरों के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है ताकि वे परस्पर संवाद तथा अनुभव और अपनी आयु, रुझान तथा योग्यता के अनुरूप अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकें। ये बच्चों को स्वच्छंद माहौल में बिना किसी दबाव के नवाचार के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय बाल भवन और इनसे संबद्ध संस्थानों में विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के लिए नियमित रूप से विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
वेबसाइट: www.nationalbalbhawan.nic.in

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड है। बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे केवल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ही लागू करें।

वेबसाइट: www.cbse.nic.in

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) किसी संस्थान से जुड़े बिना डिग्री पूर्व स्तर की शिक्षा पाने के इच्छुक बाहरी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। इसकी शुरुआत वर्ष 1979 में सीबीएसई ने अंतरनिहित लचीलेपन वाली परियोजना के तौर पर की थी। वर्ष 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' ने मुक्त विद्यालय प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया ताकि देशभर में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र देने की स्वतंत्र व्यवस्था के साथ चरणबद्ध रूप से मुक्त शिक्षा की सुविधा दी जा सके। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने वर्ष 1989 में 'राष्ट्रीय खुला विद्यालय' (एनओएस) की स्थापना की। जुलाई 2002 में संगठन का नाम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान कर दिया। इसका उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं के आकलन तथा राष्ट्रीय नीति के दस्तावेजों के अनुरूप औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में प्राथमिकता वाले ग्राहक समूह को मुक्त शिक्षा व्यवस्था के जरिए डिग्री पूर्व स्तर तक स्कूली शिक्षा जारी रखना है। इसके अलावा अनिवार्य शिक्षा, समाज में अधिक समानता तथा न्याय और शिक्षा के विकास के जरिए अपना योगदान देना है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 'मुक्त तथा सुदूर शिक्षा' (ओडीएल) के जरिए निम्न पाठ्यक्रम व कार्यक्रम उपलब्ध कराकर शिक्षा पाने के इच्छुक लोगों को अवसर प्रदान करता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोर तथा प्रौढ़ समूह के लिए मुक्त मौलिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई), क, ख तथा ग स्तर पर शिक्षित करने का है जोकि तीसरी, पांचवीं और आठवीं की औपचारिक स्कूल प्रणाली के बराबर है। इसमें माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, जीवन समृद्धि कार्यक्रम शामिल हैं।

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, संस्थान मनपसंद विषयों व पाठ्यक्रमों (एनआईओएस) में एक श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम पर आधारित सतत अध्ययन की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। जिससे बच्चों, नवसाक्षरों, स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, वंचित और एनएफई पूरा करने वालों की शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित बनी रहे।

सीखने की गति तथा सीबीएसई से क्रेडिट्स का अंतरण, स्कूल शिक्षा का कोई बोर्ड और राज्य मुक्त स्कूल के चयन संदर्भ में हर प्रकार की छूट देता है। इसमें शिक्षा प्राप्त करने वालों को पांच वर्ष की अवधि में सार्वजनिक परीक्षा में नौ बार बैठने का मौका दिया जाता है। पढ़ने वालों को जो अंक मिलते हैं, वे तब तक आपस में जुड़ते रहते हैं जब तक वह व्यक्ति प्रमाणन हेतु अपेक्षित अंक न प्राप्त कर ले। शिक्षा के तरीकों में शामिल हैं- मुद्रित स्व-निर्देशक सामग्री, दृश्य व श्रव्य कार्यक्रम, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों (पीसीवी)में भागीदारी तथा शिक्षक द्वारा चिह्नित कार्य (टीएमए)। छमाही पत्रिका- 'ओपन लर्निंग' के जरिए विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्पन्न बनाया जाता है। अध्ययन सामग्री हिंद अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध कराई जाती है। उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मांग पर परीक्षा प्रणाली लागू है। माध्यमिक परीक्षा के लिए 28 विषय, आठ माध्यमों में (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगू, गुजराती, मलयालम तथा उड़िया) और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए भी 28 विषय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और ओडिया भाषा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा एनआईओएस ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शैक्षिक विषयों से मेल खाते व्यावसायिक विषयों और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विषयों के साथ मेल खाते 20 व्यावसायिक विषयों का भी प्रावधान किया है।
वेबसाइट: www.nios.ac.in

मध्याह्न भोजन योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्वशिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों व मकतबों के पहली से आठवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। देशभर की 11.40 लाख संस्थाओं के 9.78 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन देने की यह विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयीन भोजन योजना है। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में लाने और उनकी उपस्थिति बनाए रखने के अलावा मध्याह्न भोजन योजना से सामाजिक और स्त्री-पुरुष समानता को भी प्रोत्साहन मिला है। इससे कक्षा में भूख से निवारण, स्कूल में उपस्थिति और सामाजिक समानता को बढ़ावा तथा बालक-बालिकाओं के बीच समानता को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है।

मध्याह्न भोजन के मानक

(I) मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्यः पके हुए भोजन में 100 ग्राम गेहूं/चावल, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी और 5 ग्राम तेल/चिकनाई शामिल होती है, जिससे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, उसमें 150 ग्राम गेहूं/चावल, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी और 7.5 ग्राम तेल/चिकनाई होती है, जिससे 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है।

(II) एमडीएम योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागतः खाना पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल, मसालें और ईंधन का खर्च शामिल होता है। जुलाई 2016 से खाना पकाने की लागत प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए 4.13 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए 6.16 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन पड़ती है। गैर-पूर्वोत्तर राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खाना पकाने का व्यय 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत व्यय केंद्र द्वारा वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड में 90:10 के अनुपात में केंद्र और संबंधित राज्य खर्च उठाते हैं।

तिथि भोजन

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य में 'तिथि भोजन' के नाम से एक नई अवधारणा का सूत्रपात हुआ है। समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को बच्चे को जन्म, परीक्षा में सफलता, गृहप्रवेश जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोहों को स्थानीय स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में योगदान देकर मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

समुदाय और परिवार स्वेच्छा से इसमें योगदान करते हैं। नियमित मध्याह्न भोजन के साथ मिठाई और नमकीन, पूर्ण भोजन, अंकुरित अनाज आदि जैसे पोषक आहार के रूप में योगदान करने के अलावा रसोई के बर्तन, डिनर सेट और पानी पीने के गिलास आदि का भी योगदान किया जाता है।

सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 'तिथि भोजन' की प्रथा को इसी नाम से अथवा राज्य सरकारों की इच्छा के अनुकूल नाम से अपनाने के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग नाम से इस अवधारणा को अपनाना शुरू कर दिया है। असम में 'संप्रीति भोजन', हिमाचल प्रदेश में 'धाम', महाराष्ट्र में 'स्नेह भोजन', कर्नाटक में 'शालेगागी नावू नीवू', पुद्दुचेरी में 'अन्न धानम', पंजाब में 'प्रीतिभोज' और राजस्थान में 'उत्सव भोज' नाम से तिथि भोजन की परंपरा शुरू हो चुकी है।

एमडीएमएस की निगरानी हेतु स्वचालित निगरानी प्रणाली

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एमडीएमएस की तात्कालिक व वास्तविक निगरानी के लिए आंकड़े प्राप्त करने की एक स्वचालित प्रणाली निभाई है। ये आंकड़े सीधे स्कूलों से लिए जाते हैं और इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को कोई खर्च नहीं करना होता है।

स्वचालित प्रणाली के अंतर्गत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों से प्रतिदिन के आधार पर आंकड़ों की प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त प्रणाली अर्थात इंटरऐक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस), एसएमएस, मोबाइल एप, वेब एप्लीकेशन स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने स्वचालित ली भी शुरू की है। इसका उपयोग निगरानी तथा अनवर्ती कार्रवाई के लिए किया जा रहा है।

राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व निर्धारित प्रारूप में ये आंकड़े तत्काल एनआईसी के केंद्रीय सर्वर को भेज रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल एनआईसी की देख-रेख में काम कर रहा है। संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड स्तर पर योजना की तत्काल निगरानी के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

बच्चों का शत-प्रतिशत आधार नामांकन

विभाग ने सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए आधार अधिनियम के तहत गजट अधिसूचना

जारी की है। सेवाओं या लाभों या अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करने के लिए 'आधार पहचान पत्र' का उपयोग सरकारी प्रदाय प्रक्रियाओं को सरल बना देता है तथा पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है। आधार के तहत बच्चों का फर्जी नामांकन नहीं हो सकेगा और मध्याह्न भोजन योजना का लाभ पात्र बच्चों को आसानी से मिल सकेगा।

मध्याह्न भोजन नियम

'मध्याह्न भोजन नियम' को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है और वह इसके प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर, 2015 से प्रभावी हो गया है। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र स्कूलों को 'एमडीएम नियम 2015' के बारे में समझाने और उन्हें लागू करने के लिए परामर्श दिया गया है। उन्हें इन नियमों के अमल के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है। सभी बच्चों को अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को क्रियान्वयन के प्रभावी दिशानिर्देश तय करने को भी कहा गया है। मध्याह्न भोजन नियम, 2015 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(i) खाने के नमूने की जांच को अनिवार्य बनाकर, गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना;

(ii) स्कूलों में एमडीएम की निगरानी (अधीक्षण) में स्कूल प्रबंधन समितियों की विस्तारित भूमिका।

(iii) बीपीएल दरों, चावल के लिए 5.65 रुपये और गेहूं के लिए 4.15 रुपये के स्थान पर एनएफएसए दरों यानी 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं की आपूर्ति;

(iv) यदि खाद्यान्न की अनुपलब्धता, खाना पकाने की लागत, ईंधन अथवा रसोइया सह-सहायक की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से किसी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा।

खाद्य नमूनों की जांच

मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा काम पर रखी जाने वाली अधिमान्य प्रयोगशालाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सोशल ऑडिट

इस प्रक्रिया में लोग मिलजुल कर किसी कार्यक्रम या योजना की नियोजन तथा कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। सोशल ऑडिट जवाबदेही तथा पारदर्शिता समिति (एसएसएएटी) ने वर्ष 2012-13 के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा खम्मम जिलों में किया था। इसके नतीजों से उत्साहित होकर मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट कराने के लिए वर्ष 2014 में विभाग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। अब तक 13 राज्य यह सोशल ऑडिट पूरा कर चुके हैं। ये राज्य हैं- बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नगालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिज़ोरम और तमिलनाडु।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद से देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि है। स्वतंत्रता के समय देश में कुल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे। कॉलेजों की संख्या में 77 गुनी (अर्थात 38,498) और विश्वविद्यालयों की संख्या में 38 गुनी (अर्थात 760) वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, दाखिलों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा प्रणाली के सांख्यिकीय अवलोकन से स्पष्ट है कि संस्थाओं (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं) के साथ उनमें पढ़ने वालों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना (एनआईआरएफ) की शुरुआत निष्पक्ष पैमानों और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थाओं और अन्य हितसाधकों द्वारा संस्थाओं की रैंकिंग तय किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए की गई थी। शिक्षा विशेषज्ञों और संस्था प्रमुखों के एक समूह द्वारा तैयार पोर्टल और संरचना वर्तमान में इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन संस्थाओं के बारे में उपलब्ध है।

अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना

देश की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए दस लक्ष्यों की पहचान की गई है और प्रत्येक के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने के वास्ते अनुसंधान समूह बनाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी और आईएससी जैसे अग्रणी संस्थानों का चयन किया गया है।

नियामक समीक्षा

व्यावसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक निजी संस्थाएं उभर कर सामने आई हैं। ये संस्थाएं प्रायः निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं करती। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का पूरा काम-काज अनुदान प्रदान करने के इर्द-गिर्द घूमता है और वह न्यूनतम मानदंडों को लागू करवाने तथा नियमन पर समय नहीं दे पाता।

इसी प्रकार की एक समिति, 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (एआईसीटीई) के लिए भी गठित की गई है। यह समिति एआईसीटीई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा बेहतर कार्य निष्पादन हेतु उसके पुनर्गठन और पुनर्संरचना के उपाय सुझाएगी।

बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़

यूजीसी ने 'राष्ट्रीय कौशल पात्रता तंत्र' (एनएसक्यूएफ) के तहत डिप्लोमा व अग्रवर्ती डिप्लोमा के एकाधिक-निकास के विविध पाठयक्रमों वाली बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके उद्देश्य हैं- (i) युवाओं की रोज़गार पाने की क्षमता में वृद्धि करना; (ii) एकाधिक-प्रवेश और एकाधिक-निकास के अध्ययन अवसरों और विषम गतिशीलता के प्रावधानों के जरिए उनकी प्रतियोगी क्षमता बनाए रखना; (iii) शिक्षित और रोजगार योग्य लोगों के बीच के अंतर को दूर करना और (iv) माध्यमिक स्तर पर स्कूल/पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना। वर्तमान में 25 राज्यों के 2,035 स्कूल इस योजना पर अमल कर रहे हैं।

युवाओं की व्यावसायिक उन्नति हेतु कौशल आकलन मैट्रिक्स

एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणालियों के बीच विषम तथा पार्श्विक गतिशीलता को सुगम बनाता है। शैक्षिक ज्ञान और व्यावहारिक-व्यावसायिक कौशल की प्रगति के प्रयासों का निर्बाध एकीकरण ही इस फ्रेमवर्क की शक्ति है।

शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद

'शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद' का गठन वर्ष 2014 में शैक्षणिक संकायों और शिक्षक योग्यता से इतर रोज़गार की भूमिका पर विचार करने के लिए किया गया था। एसएससी के कार्यों में श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली' (एलएमआईएस) का गठन शामिल है ताकि कौशल विकास की जरूरतों की पहचान कर प्रशिक्षण की योजना बनाई और प्रदान की जा सके तथा कौशल के प्रकारों का कैटलॉग तैयार किया जा सके। कौशल विकास योजना तैयार करना और कौशल इंवेंट्री बना कर रखना, कौशल दक्षता मानकों और योग्यताओं का विकास करना भी इसके कार्यों में सम्मिलित हैं।

युक्ति-योग्य कलाकृति की तकनीक

युक्ति का उद्देश्य कौशल विकास तथा अभिकल्पन और प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करना है ताकि पारंपरिक शिल्प और कला से जुड़े लोगों की आजीविका और आर्थिक संभावनाएं विस्तार पा सकें। इसका उद्देश्य अभिकल्पन, प्रौद्योगिकी और कौशल के उन्नयन की शुरुआत के लिए शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों को अपनाना है।

सक्षम-दिव्यांग बच्चों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति

सक्षम-दिव्यांग बच्चों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति (एआईसीटीई) की इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में तकनीकी

शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को शिक्षण शुल्क और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। उन्हें यह सहायता इसलिए दी जाती है ताकि वे अध्ययन की समस्याओं, पर्यावरणीय चुनौतियों और चिकित्सा पर व्यय के बावजूद कॉलेज के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों हेतु ईशान उदय

यूजीसी ने वर्ष 2014-15 के शिक्षा सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए 'ईशान उदय' नाम की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। योजना में क्षेत्र के उन 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपये वार्षिक से कम है। इन छात्रों को देश के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर तक के अध्ययन के लिए प्रतिमाह 3,500 से 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ईशान विकास-पूर्वोत्तर के छात्रों हेतु शैक्षणिक अवसर

ईशान विकास, यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के कॉलेज और स्कूलों के चुनिंदा छात्रों को उनके लंबे अवकाश के दौरान आईआईटी एवं आईटी और आईएसईआर संस्थानों के निकट संपर्क में लाने की योजना के तहत शुरू किया गया है ताकि उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसरों का ज्ञान हो सके।

महिला नेता

महिलाओं को शीर्ष तकनीकी शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतिहास में पहली बार दो महिला वैज्ञानिकों को आईआईटी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रगति

'प्रगति' (छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति) एआईसीटीई की इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है। विकास प्रक्रिया में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह 'तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण' द्वारा प्रत्येक युवती को अपनी शिक्षा को और आगे ले जाने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं: प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति की संख्या 4,000 प्रति परिवार एक बालिका, जहां परिवार की आय सालाना 6 लाख रुपये से कम हो। अभ्यर्थियों का चयन पात्रता परीक्षा के जरिए योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इसमें छात्रवृत्ति की राशि शिक्षण शुल्क 30,000 रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो औ आकस्मिक व्यय हेतु 2,000/- रुपये, दस महीनों के लिए प्रतिवर्ष है। अनु.जा. 15 प्रतिशत, अनु.जन.जा. 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के उम्मीदवार आवेदक के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है। प्रत्येक योजना में छात्रवृत्तियां प्रत्येक डिग्री व डिप्लोमा स्तर पर उपलब्ध हैं और किसी वर्ग में पात्र अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर स्थानांतरणीय हैं।

स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति

शिक्षा के अनेक स्तरों पर बालिकाओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने का अनुपात बालकों की तुलना में कहीं अधिक है। महिला शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए 'स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति' शुरू की है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन लड़कियों की उच्च शिक्षा के खर्च की सीधे-सीधे प्रतिपूर्ति करना है जो अपने परिवार की एकमात्र संतान हैं।

अपना कॉलेज जानो

'अपना कॉलेज जानो' (नो योर कॉलेज) एक ऐसा पोर्टल है जो कॉलेजों के बारे में आवश्यक जानकारी देकर छात्रों को कॉलेज के चयन संबंधी निर्णय लेने में मदद करता है। सहयोग, मोबाइल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक कॉलेज, आईसीटी का उपयोग, आदर्श पाठ्यचर्या और अनुसंधान जैसे विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसके

अतिरिक्त, दिव्यांगों हेतु सुविधाएं, बालिकाओं हेतु सुविधाएं, स्थापन (प्लेसमेंट) सुविधाएं और उद्यमिता के विवरण भी उपलब्ध हैं। छात्र निराकरण के लिए अपनी शिकायतें भी पोर्टल पर डाल सकते हैं। यह एप्लीकेशन (एप) देश के अंदर अथवा बाहर से छात्रों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर देता है।

कैंपस कनेक्ट

'राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना का उद्देश्य अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रियाओं के लिए आईसीटी की संभावनाओं का लाभ उठाना है। इस मिशन के दो प्रमुख अंग हैं: (क) सामग्री सृजन (ख) संस्थाओं और छात्रों को आवश्यक यंत्र प्रदान करने के साथ संपर्क सुविधा प्रदान करना। एनएमईआईसीटी मिशन के तहत 419 विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं और 25,000 से अधिक कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थाओं को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है।

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय

'राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय' की परिकल्पना ज्ञान की ऐसी राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में की गई है जो सर्वव्यापी डिजिटल ज्ञान स्रोत उपलब्ध कराएगी। यह देशभर में सभी प्रकार के अध्येता समूहों की शिक्षा, शोध और नवाचार की आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करेगी। विभिन्न पृष्ठभूमि, अपेक्षाओं और भाषाओं के विभिन्न अध्येताओं के मतानुसार गुणात्मक ई-सामग्री तैयार करना और उसे दक्षतापूर्वक सुलभ कराना भी इसका लक्ष्य है।

स्वयं- (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड) महत्वाकांक्षी युवाओं हेतु सक्रिय पठन के लिए अध्ययन वेब्स

'स्वयं' व्यापक शैक्षिक संरचना वाला एक राष्ट्रीय विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठयक्रम (एमओओसी) है। यह एकीकृत मंच इंजीनियरिंग, मानविकी एवं समाजशास्त्र आदि जैसे पाठ्यक्रम पेश करेगा ताकि शिक्षार्थी (अध्येता) व्यापक रूप से इसका लाभ उठा सकें।

शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल

शैक्षणिक नेटवर्क हेतु वैश्विक पहल 'ज्ञान' (जीआईएएन) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक और उद्यमी प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें उच्च अध्ययन के भारतीय संस्थानों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे देश के वर्तमान शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग हो सकेगा, गुणात्मक सुधार को गति मिलेगी और भारत की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षमता को विश्वस्तरीय उत्कृष्टता प्रदान की जा सकेगी। कार्यक्रम को विभिन्न देशों के सहयोग से शरू करने का प्रस्ताव है।

अनुसंधान पार्क

'अनुसंधान पार्क' का उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से ज्ञान और नवाचार के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इससे वैश्विक स्तर से भी बेहतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास हो सकेगा।

संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण

महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जन्मशती के अवसर पर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में संख्यात्मक नवाचार में बढ़ती प्रवृत्ति और प्रशिक्षण (जीएएनआईटी) 'सप्ताह' मनाया गया। इसका उद्देश्य गणित में छात्रों की रुचि को सक्रियता से बढ़ावा देना था।

स्वत्वाधिकार

स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) प्राप्त करना स्वतः प्रक्रिया है और इसके लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। किसी भी कृति का सृजन होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कानून की धारा-48 के तहत कॉपीराइट के पंजीकरण का

प्रमाण-पत्र और उसमें की गई प्रविष्टियां कॉपीराइट के स्वामित्व संबंधी विवादों के संदर्भ में अदालत में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मानी जाती हैं।

कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। यह उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका अध्यक्षता कॉपीराइट पंजीयक होता है, जिसके पास कॉपीराइट संबंधी मामलों से निपटने की अर्द्धन्यायिक शक्तियां होती हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य काम कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा तैयार किया गया कॉपीराइट रजिस्टर आम लोगों को कॉपीराइट के काम के बारे में जानकारी देता है। अब कॉपीराइट कार्यालय को अलग कर आ गया है और यह एक पृथक संस्था के तौर पर काम कर रहा है। कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकरण के अलावा रजिस्टर की जांच और उसमें से उद्धरण लेने जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं।

कॉपीराइट कानून-1957 के अनुच्छेद-13 के अनुसार कॉपीराइट निम्नलिखित वर्गों या कार्यों में निहित होता है: (क) मौलिक साहित्यिक, सॉफ्टवेयर, संगीत और कलात्मक कार्य; (ख) सिनेमैटोग्राफिक फिल्म और (ग) साउंड रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट कार्यालय, वर्ष 2013 के कॉपीराइट नियमों के नियम 70 के अनुसार कॉपीराइट रजिस्टर में शामिल कॉपीराइट के ब्योरों में बदलाव का भी पंजीकरण करता है। कानून के अनुच्छेद-47 के तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क अदा करके कॉपीराइट के रजिस्टर से उद्धरण की पंजीकृत प्रतियां ले सकता है या कॉपीराइट के रजिस्टर की जांच कर सकता है। इसके लिए कॉपीराइट कार्यालय में उन कार्यों की सूची भी बनाई जाती है, जिनके बारे में रजिस्टर में जानकारी दी गई होती है। हालांकि पंजीयक रजिस्टर में शामिल ब्योरे में छोटे-मोटे सुधार और बदलाव कर सकता है, किसी असंतुष्ट व्यक्ति अथवा पंजीयक के निवेदन पर रजिस्टर में शामिल किसी भी लेख को हटाने का अधिकार केवल कॉपीराइट बोर्ड के पास ही होता है।

कॉपीराइट पंजीकरण हेतु प्रक्रियाः कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा-45 के तहत लेखक या प्रकाशक या कॉपीराइट मालिक या किसी भी काम के कॉपीराइट का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में कॉपीराइट रजिस्टर में कार्य के ब्योरे को शामिल कराने के लिए निवेदन कर सकता है। कॉपीराइट कार्यालय सभी प्रकार के कार्यों के लिए पंजीकरण सुविधा मुहैया कराता है। पंजीकरण के आवेदन डाक से कॉपीराइट कार्यालय भेजे जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरणः ई-फाइलिंग सुविधा की शुरुआत 17 फरवरी, 2014 को की गई और नई तरह से डिजाइन किए गए प्रमाण-पत्र के साथ कॉपीराइट का नया प्रतीकचिह्न भी प्रयोग किया जा रहा है। कॉपीराइट अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी जल्दी शुरू किया जा रहा है। लगभग 6 लाख कॉपीराइट रजिस्टरों को स्कैन किया जा चुका है।

'अर्द्धन्यायिक निकाय कॉपीराइट बोर्ड' का गठन सितंबर 1958 में किया गया और यह अंशकालिक आधार प कार्य कर रहा था। कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है। बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण और कॉपीराइट निर्धारण संबंधी विवादों को निपटाने, पंजीकरण में सुधार, जनता से रोके गए कार्य के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस की मंजूरी, अप्रकाशित भारतीय कार्य, दिव्यांगों के लाभ के लिए अनुवादों का प्रकाशन तथा प्रस्तुति और विशेष मकसद के कार्यों के मामले में निर्णय लेने का काम सौंपा गया है। कॉपीराइट बोर्ड, कवर संस्करण और साहित्यिक एवं संगीतमय कार्यों के प्रसारण और साउंड रिकॉर्डिंग के वैधानिक लाइसेंसों के लिए अधिशुल्क की दरें भी तय करता है। बोर्ड कॉपीराइट कानून के तहत इसके सामने लाए गए अन्य मामलों में भी सुनवाई करता है। कॉपीराइट (संशोधन) कानून 2012 के तहत कॉपीराइट बोर्ड के तीन स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य हैं।

11 ऊर्जा

ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन-स्तर बेहतर बनाने का एक आवश्यक साधन है। समाज में ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। ऊर्जा के गैर-परंपरागत, वैकल्पिक, नए और नवीकरणीय स्रोतों जैसे- सौर, पवन और जैव ऊर्जा आदि के विकास और संवर्धन पर लगातार ध्यान दिए जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। देश में समग्र ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

विद्युत

भारत में विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंत में, सन् 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति की शुरुआत से हुआ। उसके बाद सन् 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में पनबिजली घर काम करने लगा। स्वतंत्रता से पहले विद्युत की आपूर्ति मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी। पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न चरणों में राज्य बिजली बोर्डों का गठन, देशभर में विद्युत आपूर्ति उद्योग के सुव्यवस्थित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं आरंभ हुईं और ताप, जल और परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के बाद से विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है। मंत्रालय परिप्रेक्ष्य नियोजन, नीति निर्धारण, निवेश संबंधी निर्णयों के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों का विकास और प्रशासन तथा तापीय एवं पनबिजली उत्पादन के संबंध में कानून का अधिनियमन, पारेषण एवं वितरण से संबद्ध है। सभी तकनीकी मामलों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है।

केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र के बिजली निगमों यथा- नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी), नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ) तथा पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को सौंपा गया है। पॉवर ग्रिड केंद्रीय क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी पारेषण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। संयुक्त क्षेत्र के दो बिजली निगमों- सतलुज जलविद्युत निगम (एसजेवीएन) (जो पूर्व में एनजेपीसी के नाम से जाना जाता था) और टिहरी पनबिजली विकास निगम- टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) क्रमशः हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी बिजली परियोजना तथा उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पॉवर कॉम्प्लेक्स के लिए जिम्मेदार हैं। तीन वैधानिक निकाय यथा- दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) वित्तीय सहायता देता है। विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को मियादी वित्तीय सहायता देते हैं। दो स्वायत्त निकाय (संस्थाएं) यथा- केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनटीपीआई) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं। प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र की विशाल विद्युत परियोजनाओं की सहायता के लिए बिजली व्यापार निगम का गठन किया गया है, जो बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को अंतिम रूप देने वाला एकमात्र संगठन है।

वेबसाइट: www.powermin.nic.in

विद्युत उत्पादन

वर्ष 2018-19 में नवीकरणीय स्रोतों समेत कुल विद्युत उत्पादन 1376.096 बिलियन यूनिट रहा, जबकि इससे पहले वाले वर्ष में 1308.146 बिलियन यूनिट रहा था। इस प्रकार 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) नामक एक नई योजना का शुभारंभ कियाः (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना, (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन, (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में (फीडर्स, वितरण ट्रांसफॉर्मर्स और उपभोक्ताओं की) मीटरिंग। पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को डीडीयूजीजेवाई में पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण संघटक के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है और पूर्व योजना के स्वीकृत परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में ले जाया गया है।

सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

मार्च, 2019 तक देश में सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रुपये की कुल लागत से सौभाग्य योजना की शुरुआत की। योजना के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत मकानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। एपीएल परिवार 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे (जो विद्युत बिलों में 10 किस्तों में देय है), दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित गैर-विद्युतीकृत मकानों और गैर-पहुंच वाले उन गांवों/बस्तियों, जहां ग्रिड एक्सटेंशन व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं है, के लिए एकल प्रणाली आधारित सोलर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) उपलब्ध कराना और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब और सभी गैर-विद्युतीकृत मकानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) का शुभारंभ किया गया जिसके प्रमुख घटक हैं:

1) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण,
2) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग,
3) वितरण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की सक्षमता तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

उदय-उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

उदय योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर की बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन संबंधी और वित्तीय अकुशलताओं का स्थायी समाधान तलाशना था। हालांकि ब्याज दरों में कमी, बिजली की लागत कमी, राजस्व में वृद्धि और दक्षतापूर्ण परिचालन के रूप में लक्षित कदम उठाए गए हैं।

भागीदारी के लिए उदय एक स्वैच्छिक योजना है और अब तक 26 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके हैं। इस योजना की निगरानी एक अंतर-मंत्रालयी समिति और राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। राज्यों/डिस्कॉम्स द्वारा सुगमता से आंकड़े दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल (www.uday.gov.in) बनाया गया है। यह पोर्टल पारदर्शिता के उपाय के रूप में विभिन्न राज्यों/ बिजली वितरण कंपनियों के बुनियादी विश्लेषण और कार्य निष्पादन में प्रगति की जानकारी देता है।

वर्ष *2018-19* के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम और उपलब्धि

वर्ष 2018-19 के लिए 500 मेगावॉट परमाणु बिजली सहित पारंपरिक स्रोतों से 8106.15 मेगावॉट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में 5921.755 मेगावाट की क्षमता जोड़ी जा सकी।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

देश में राष्ट्रीय ग्रिड का विकास चरणबद्ध तरीके से किया गया। इस दिशा में काम करते हुए सभी पांचों क्षेत्रीय ग्रिडों उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र को समसामयिक रूप से कनेक्ट किया गया है। राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता जून, 2017 में लगभग 75,050 मेगावॉट है।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) का अद्यतन संस्करण 2017 को प्रारंभ किया गया। ईसीबीसी, 2017 के कार्यक्षेत्र में कवर/आवरण, लाइटिंग, हीटिंग, एयर-कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सहित भवन डिजाइन के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं। यह 100 किलोवॉट और उससे अधिक या 120 केवीए और उससे अधिक की संविदा मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की आठ करोड़ महिलाओं को बिना जमा राशि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) का शुभारंभ किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना तथा घर के भीतर गंभीर वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जलावन की लकड़ी, कोयला, गाय का गोबर आदि जैसे ईंधन के परंपरागत साधनों के गंभीर प्रभावों को घटाते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। खाना पकाने के ईंधन के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल महिलाओं को जलावन की लकड़ी बीनने की मशक्कत से छुटकारा दिलाता है, खाना पकाने पर लगने वाले समय में कमी लाता है और वनों की कटाई रोकता है। अब तक 5.55 करोड़ बीपीएल परिवार इस योजना से लाभांवित हो चुके हैं।

इसके पात्र परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के जरिए की जाती है। एसईसीसी सूची में नाम नहीं पाए जाने की स्थिति में, सात श्रेणियों यथा- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमजेवाई-ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वनवासी, चाय/पूर्व चाय बागान जनजातियों और द्वीपसमूहों। नदी द्वीपों के निवासी योजना की अन्य शर्तें पूरा करने की स्थिति में लाभांवित हो सकते हैं।

पहल

सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 'पहल' के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराने की लक्षित योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी बंद करना नहीं, बल्कि सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकने के दृष्टिकोण के आधार पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना है। उपयक्त सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है। अब तक 22.40 करोड से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता 'पहल' योजना के साथ जुड़ चुके हैं। विश्व की अब तक की विशालतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के कारण 'पहल' योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अब तक 83,653 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं के खातों में भेजी जा चुकी है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण (तरल प्राकृतिक गैस के आयात सहित) और उत्पादन, शोधन, वितरण, विपणन, आयात-निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबद्ध है।

ऊर्जा आर्थिक प्रगति का मुख्य चालक है। सक्षम, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा भारत की समग्र अर्थव्यवस्था के सतत् विकास और समेकित प्रगति के लिए आवश्यक है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाज़ार बन चुका है। भारत 2015 के दौरान रूस को पीछे छोड़ते हुए चीन और अमरीका

के बाद विश्व में तीसरा बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया। भारत की ऊर्जा खपत में तेल और गैस का भाग लगभग 35 प्रतिशत रहा। वास्तव में, भारत ने 2015 के दौरान अमरीका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ दिया।
वेबसाइट: www.petroleum.nic.in

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

वर्ष 2016-17 में 36.01 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2017-18 में कच्चे तेल का उत्पादन 35.68 एमएमटी रहा, जो लगभग 0.9 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 32.649 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो 2016-17 में 31.8970 बीसीएम के उत्पादन से 2.35 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 में 37.01 एमएमटी कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में अप्रैल से दिसंबर, 2018 तक कच्चे तेल का उत्पादन 25.94 एमएमटी रहा।

रिफाइनिंग क्षमता

भारतीय रिफाइनरी उद्योग ने स्वयं को एक वैश्विक उद्योग स्थापित करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत, जो चीन के बाद एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनर है, मांग से अधिक रिफाइनिंग क्षमता वाला एक रिफाइनरी हब है। देश की रिफाइनरी क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है।

कच्चे तेल का आयात

वर्ष 2017-18 के दौरान 220.43 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य 5,65,951 करोड़ रुपये आंका गया, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 213.93 एमएमटी कच्चे तेल का आयात किया गया, जिसका मूल्य 4,70,159 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान आयातित कच्चे तेल की मात्रा के संदर्भ में 3.04 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 20.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात

अप्रैल से नवम्बर, 2018 के दौरान 21.25 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हुआ, जिनका मूल्य 75,160 करोड़ रुपये आंका गया, जो वर्ष 2016-17 के दौरान आयातित 23.94 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों, जिनका मूल्य 54,731 करोड़ रुपये आंका गया था, की तुलना में मात्रा के संदर्भ में 11.24 प्रतिशत की गिरावट और मूल्य के संदर्भ में 37.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल से नवम्बर, 2018 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 41.69 एमएमटी हुआ, जिनका मूल्य 1,92,154 करोड़ रुपये आंका गया, जो मात्रा के संदर्भ में 6.04 प्रतिशत की गिराव और मूल्य के संदर्भ में 36.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मेक इन इंडिया

तेल और गैस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान का आरंभ करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खरीद वरीयता उपलब्ध कराने की दिशा में एक नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य घरेलू गैस और तेल क्षेत्र में घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, रोज़गार के अवसरों का सृजन करना, देश में विनिर्मित उत्पादों तथा तेल और गैस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में उच्च मूल्य वृद्धि जोड़ना था तथा आयात पर निर्भरता में कमी लाना था।

सहज

सहज तेल विपणन कंपनियों की एक डिजिटल पहल है जिसके द्वारा ऑनलाइन भुगतान द्वारा एलपीजी कनेक्शन देने तथा डिजिटल इंडिया पहल के तहत ई-एसवी जारी करने का प्रावधान है। यह सुविधा पूरे भारत के लिए उपलब्ध है।

ऊर्जा सुरक्षा

सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में

अनेक प्रमुख नीतिगत उपाय किए हैं। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ओएनजीसी और ओआईएल के ऐसे डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स के मुद्रीकरण के लिए डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड (डीएसएफ) नीति को अधिसूचित किया गया, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया गया था। वहां इस नीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के जरिए 30 संविदा क्षेत्रों के विकास का दायित्व सौंपा गया।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत

पेट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित मूल्य प्रणाली (एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मेकेनिज्म) या लागत जमा मूल्य प्रणाली (कॉस्ट प्लस प्राइसिंग) 1976 में लागू की गई थी। यह प्रणाली भारत में तेल क्षेत्र नियंत्रण से मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप 2002 से खत्म कर दी गई। सरकार ने अधिसूचित किया कि पीडीएस मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी को छोड़कर पेट्रोलियम के सभी उत्पादों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होगी। रंगराजन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जून, 2006 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की मूल्य प्रणाली को आयात समरूपता से बदलकर कारोबार समरूप बना दिया (कारोबार समरूपता 80:20 के अनुपात में आयात समरूपता और निर्यात समरूपता कीमतों का नापा हुआ औसत है) जबकि पीडीएस मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी की मूल्य प्रणाली आयात समरूपता आधार पर बनी रहेगी।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सार्वजनिक क्षेत्र का एक विशाल उपक्रम (पीएसयू) है, जिसे 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है। इसकी दो मुख्य रिफाइनरियां हैं, एक रिफाइनरी, मुंबई (पश्चिमी तट) पर स्थित है जिसकी क्षमता 6.5 एमएमटीपीए है तथा दूसरी विशाखापट्टनम (पूर्वी तट) पर स्थित है और इसकी क्षमता 8.3 एमएमटीपीए है। ये रिफायनरियां ईंधन, ल्यूब्रीकेंट्स और विशिष्ट उत्पाद सहित व्यापक विविधता वाले पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करती हैं। एसपीसीएल की मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) में 16.95 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यह मंगलूर स्थित अत्याधुनिक रिफायनरी है, जिसकी सालाना क्षमता 9.69 एमएमटीपीए है।

एचपीसीएल के विशाल विपणन नेटवर्क में मुख्य शहरों में 13 आंचलिक कार्यालय एवं 101 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जहां टर्मिनल्ज, विमानन सेवा सुविधाओं, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों, ल्यूब फिलिंग प्लांट्स, आंतरिक रिले डिपो आदि जैसी आपूर्ति एवं वितरण की बुनियादी सुविधाएं हैं। एचपीसीएल के पास अपने मूलभूत कारोबार की सहायता के लिए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी है। इसका डाटा सेंटर हैदराबाद की हाईटेक सिटी में है।
वेबसाइट: www.hindustanpetroleum.com

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

अतीत में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से विख्यात रही गेल (इंडिया) लिमिटेड का 1984 में निगमन हुआ। इसके साथ ही देश में प्राकृतिक गैस के एक नये युग की शुरुआत हुई। प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में शुरुआत कर के आज यह एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी है, जिसने प्राकृतिक गैस की उपयोगी शृंखलाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। गैस ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में शुरू करके विगत वर्षों में इसने 8700 कि.मी. से भी लंबी पाइपलाइन के विशाल नेटवर्क का निर्माण किया। देश की प्रमुख एकीकृत गैस कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाते हुए गेल ने एलएनजी आयात का बुनियादी ढांचा तैयार किया है और वह शहर में गैस वितरण, पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार, गैस उपयोगी शृंखलाओं में अत्यधिक अंतर वाले डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में विविधता हासिल कर और नवीकरणीय कारोबार वाला पोर्टफोलियो तैयार करने जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है।
वेबसाइट: www.gailonline.com

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) भारत की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है और इसके व्यापारिक हित समस्त हाईड्रोकार्बन मूल्य शृंखला में व्याप्त हैं- जिसमें तेलशोधन, पाइपलाइन परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से लेकर कच्चे तेल और गैस का अन्वेषण तथा उत्पादन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा

और अब परमाणु ऊर्जा का विपणन शामिल है। भारत में 22 में से 10 रिफाइनरियों का स्वामित्व और प्रचालन इंडियन ऑयल समूह की कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनकी संयक्त तेल शोधन क्षमता 213.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। परे भारत में इंडियन ऑयल के कच्चे तेल और उत्पाद पाइपलाइनों का नेटवर्क 10,909 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसकी वाहक क्षमता 75.55 एमएमटीपीए कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद तथा 96 एमएमएससीएमडी गैस है। यह नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है, जो उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को कार्यकुशलता, मितव्ययिता और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करता है।

इंडियन ऑयल 38,000 से अधिक टच प्वाइंट्स वाले बेजोड़ नेटवर्क के माध्यम से कीमती पेट्रोलियम उत्पाद देशभर में पहुंचाती है, जिसका लगभग 52 प्रतिशत भाग उद्योगों की अवसंरचना में इस्तेमाल होता है। यह 20,000 से अधिक रिटेल आउटलेट्स वाले सबसे विशाल नेटवर्क का संचालन करती है। कॉरपोरेशन की इंडेन कुकिंग गैस 5934 इंडेन वितरकों के माध्यम से साढ़े छह करोड़ घरों तक पहुंचायी जाती है। 139 टर्मिनल और डिपो, 96 विमान ईंधन स्टेशन और 89 इंडेन बॉटलिंग प्लांट्स से आपूर्ति के जरिए ये प्रयास संपन्न किए जाते हैं। उपभोक्ता समूह को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 6218 थोक उपभोक्ता पंप्स भी काम करते हैं, ताकि उन्हें उत्पाद और सामान अपनी दहलीज पर ही मिल सके।

विगत वर्षों के दौरान, इंडियन ऑयल ने, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) और बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) जैसी स्वतंत्र तेलशोधन इकाइयों को अपने दायरे में लाकर, असम ऑयल कंपनी (एओसी) और आईबीपी कंपनी लिमिटेड का विलय करते हुए तेलशोधन और विपणन गतिविधियों में समन्वय करके अपने प्रचालन में विस्तार किया है। श्रीलंका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपनी अनुषंगी कंपनियां स्थापित करने के साथ ही साथ इंडियन ऑयल एशिया और अफ्रीका के ऊर्जा बाजारों में नए कारोबारी अवसरों की तलाश भी कर रही है।
वेबसाइट: www.iocl.com

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) डाउनस्ट्रीम सेक्टर की एक एकीकृत तेल कंपनी है, जो कच्चे तेल के शोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में संलग्न है। कंपनी ने पेट्रोकैमिकल फीडस्टॉक के उत्पादन और विपणन में भी विविधता उत्पन्न की है। बीपीसीएल की रिफायनरियां मुंबई और कोच्चि में हैं, जिनकी मिश्रित शोधन क्षमता 21.5 एमएमटीपीए है। दोनों रिफायनरियां एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत प्रमाणित हैं, जिसका लक्ष्य आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रबंधन प्रणालियों को मिलाते हुए गुणवत्ता, वातावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता,दर्शाते हुए प्रॉसेसि इंटरफेसिज, संरचना एवं प्रलेखन प्रणालियों में एकीकृत रवैया अपनाना है।

बीपीसीएल का प्रमुख भंडारण प्रतिष्ठानों और डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स, 1938 किलोमीटर क्रॉस-कंट्री पाइपलाइन और दो ल्यूब्रीकेंट ब्लैंडिंग प्लांट्स वाला सशक्त वितरण नेटवर्क है।
वेबसाइट: www.bharatpetroleum.com

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में संलग्न तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को 1993 में सांविधिक आयोग से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बदलने के भारत सरकार के फैसले के अनुसार संसद के एक अधिनियम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम हस्तांतरण एवं निरस्त अधिनियम, 1993) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया।
वेबसाइट: www.ongcindia.com

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) विदेशों में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में संलग्न है। अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन के कारोबार के संचालन के लिए 1965 में हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के रूप में

ओवीएल की स्थापना की गई थी। 1989 से इस कंपनी का नाम बदल कर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) कर दिया गया था। कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से या पूर्ण स्वामित्व वाली अपनी अनुषंगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से 15 देशों की 30 परियोजनाओं में हिस्सा लिया, जिनमें से नौ परियोजनाओं का संचालन ओवीएल ने किया, सात परियोजनाओं का संचालन संयुक्त रूप से किया गया तथा 14 परियोजनाएं भागीदारी हित के माध्यम से संचालित की गईं। वर्तमान में, ओवीएल आठ देशों में 10 परियोजनाओं के माध्यम से तेल और गैस का उत्पादन कर रही है, इनमें रूस (सखालिन-1 तथा इंपीरियल एनर्जी), सीरिया (अल-फुरत पेट्रोलियम कंपनी), वियतनाम (ब्लॉक 06.1), कोलंबिया (एमईसीएल), सूडान (ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी), दक्षिण सूडान (ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी और सुड पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी), वेनेजुएला (सान क्रिस्टोबल) और ब्राजील (बीसी-10) शामिल हैं। इसके अलावा, पांच परियोजनाओं में हाइड्रोकार्बन्स की खोज की गई है और वे विकास की विविध अवस्थाओं में हैं और 15 अन्वेषण की विविध अवस्थाओं में हैं।
वेबसाइट: www.ongcvidesh.com

भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड

भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल) का गठन 2006 में किया गया था। यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी और अन्वेषण एवं उत्पादन इकाई है। बीपीसीएल जहां भारत के मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों के साथ संलग्न है, वहीं बीपीआरएल भारत तथा विदेश में अपस्ट्रीम कार्यकलाप करती है। बीपीआरएल के आठ देशों में फैले 24 ब्लॉक्स में भागीदारी हित (पीआई) हैं और इसके साथ ही साथ चार निर्माण परिसंपत्तियों के लिए लाइसेंस प्राप्त दो रूसी इकाइयों में इक्विटी है।
वेबसाइट: www.bharatpetroresources.in

ऑयल इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) देश और विदेश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है। ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1959 को असम के नहारकटिया और मोरान के नए खोजे गए तेल क्षेत्रों के विस्तार और विकास के लिए की गई थी। 1961 में ओआईएल, भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके, की संयुक्त उद्यम बन गई। 1981 में ओआईएल भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम बन गया। देश में इसके प्रचालन क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, और राजस्थान में फैले हैं। ओआईएल की उपस्थिति नौ देशों यथा- वेनेजुएला, लीबिया, गैबॉन, ईरान, नाइजीरिया, यमन, सूडान, तिमोर लेस्ट और मिस्र में है, जहां यह विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है।

इसके अलावा नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोंगाइगांव तेल शोधन इकाइयों की जरूरतें पूरी करने के लिए ओआईएल देश के पूर्वोत्तर हिस्से में कच्चे तेल के परिवहन के लिए ट्रंक क्रूड ऑयल पाइपलाइन का प्रचालन करती है। दिग्बोई तेलशोधन इकाई की जरूरतें पूरी करने के लिए एक ब्रांच लाइन का स्वामित्व और उसके प्रचालन का दायित्व भी ओआईएल के पास है।
वेबसाइट: www.oil-india.com

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए संघीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय रोशनी, खाना पकाने और मोटिव विद्युत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नवीकरणीय विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों और अनुप्रयोगों के विकास समेत व्यापक विषयों वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुकर बनाता रहा है।
वेबसाइट: www.mnre.gov.in

भारतीय परिदृश्य

पिछले कुछ वर्षों में देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ग्रिड संबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह राष्ट्र की ऊर्जा संबंधी जरूरतों की पूर्ति के समाधान के अभिन्न अंग और ऊर्जा तक पहुंच के अनिवार्य क्षेत्र के रूप में उभरते हुए सरकार की सतत विकास संबंधी कार्यसूची का समर्थन करता है। यह समझा जा चुका है कि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने और ऊर्जा आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को आने वाले वर्षों में काफी गहन भूमिका निभानी होगी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के परिदृश्य में सौर ऊर्जा का योगदान बढ़ाने की त्वरित और महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ नीतिगत ढांचे में कई बदलाव देखने को मिला है। ऐसी अवधारणा बनी है कि नवीकरणीय ऊर्जा अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, साथ ही अब प्रौद्योगिकियों में विश्वास और यह कर पाने की क्षमता है। राष्ट्रीय सौर मिशन के दायरे को व्यापक बनाया जाना इन दोनों का प्रतीक है और यह वस्तुतः भविष्य के लिए दृष्टि और महत्वाकांक्षा को संपुष्टित करता है।

विकास के मुख्य वाहक

वर्तमान में भारत की लगभग 69.5 प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता कोयले पर आधारित है। इसके अलावा आयातित तेल पर भारत की बढ़ती निर्भरता की बदौलत उसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 33 प्रतिशत आयात से पूरा हो रहा है। संस्थापित क्षमता में 113 गुना से अधिक वृद्धि होने के बावजूद भारत अब तक अपनी चरम विद्युत मांग और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान चरम विद्युत अभाव 12.2 प्रतिशत यानी लगभग 9,252 मेगावाट था, लेकिन वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक चरम विद्युत अभाव घटकर 2.4 हो गया। इसके परिणामस्वरूप, मांग और पूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए सरकार और यूटिलिटीज द्वारा योजनाबद्ध और गैर-योजनाबद्ध उपाय किए गए। अपने समस्त नागरिकों के लिए ऊर्जा के विश्वसनीय और आधुनिक स्वरूपों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत के लिए एक चुनौती है। लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ठोस ईंधन पर निर्भर करते हैं और केवल 55 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की ही बिजली तक पहुंच है। हालांकि इतनी कम पहुंच के बावजूद, ज्यादातर ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांवों में प्रकाश की व्यवस्था में कमी के कारण मिट्टी के तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसमें कमी किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है और आयात पर निर्भरता बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है।

भारत ने 2030 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 2005 के स्तर से 33-35 प्रतिशत तक कमी लाने की स्वेच्छा से प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का प्रारूप (यूएनएफसीसीसी) के 21वें सम्मेलन में भारत ने प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु कोष (जीसीएफ सहित कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय ऋण की मदद से वर्ष 2030 तक अपनी लगभग 40 प्रतिशत संचयी इलेक्ट्रिक विद्युत संस्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाएं

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं व्यावसायिक तौर पर दोहन किए जा सकने वाले स्रोतों अर्थात वायु-102 गीगावॉट (खंबे की 80 मीटर की ऊंचाई से), लघु हाइड्रो-20 गीगावॉट, जैव ऊर्जा-25 गीगावॉट और सौर ऊर्जा-750 गीगावॉट, तीन प्रतिशत बंजर भूमि उपलब्ध मानते हुए अनुमानित तौर पर लगभग 900 गीगावॉट है। मंत्रालय ने 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) के अंतर्गत देशभर में 500 नए स्टेशनों में 100 मीटर स्तर पर वास्तविक संभावनाओं का आकलन करने के लक्ष्य से कवर नहीं किए गए/नए क्षेत्रों में पवन संसाधन आकलन के कार्यान्वयन के लिए नई पहल की। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने अत्याधुनिक मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग किया है और 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की संभावनाओं के आकलन को संशोधित करते हुए इसे 302 मेगावॉट पाया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच में प्रवेश करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बिजली से वंचित या बिजली की कमी का सामना करने वाले गांवों और कस्बों को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा विकेंद्रीकृत या स्वचालित मोड के रूप में, एक समुचित, बढ़ने वाला और व्यवहार्य समाधान है। 1.2 मिलियन से ज्यादा परिवार अपनी प्रकाश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं और लगभग

इतने ही परिवार खाना पकाने संबंधी जरूरतें बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) पॉवर सिस्टम्स का उपयोग अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, रेलवे सिग्नलिंग, माइक्रोवेव रिपीटर्स, मोबाइल टॉवर्स, टीवी ट्रांसमिशन और रिस्पेशन में किया जा रहा है और वे सीमा चौकियों को भी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा के आंकड़ों को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) ने भारत की पवन एटलस का निर्माण किया है। इस संस्थान को पहले पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र के नाम से जाना जाता था। एनआईडब्ल्यूई सौर विकिरण की उपलब्धता का आकलन और उसकी मात्रा का निर्धारण करने तथा देश में सौर एटलस का निर्माण करने के लिए सौर विकिरण संसाधन आकलन केंद्रों से भी आंकड़े एकत्र करता है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने सौर पीवी मॉडल्यूस द्वारा कवर की जाने वाली बंजर भूमि के तीन प्रतिशत भाग के साथ राज्य वार सौर क्षमता का आकलन किया है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु ने भारत की बायोमास एटलस तैयार की है और वैकल्पिक पन ऊर्जा केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ने देश की लघु पन क्षमताओं का आकलन किया है।

ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालय ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए बायोगैस संयंत्र, फोटोवोल्टिक प्रणालियों, बायोगैस गैसीफायर, सौर कुकर तथा सौर तापीय प्रणाली आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों की संस्थापना के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहा है।

स्वीकृत मॉडल्स वाले 35,000 से अधिक बायोगैस संयत्र मंत्रालय की वित्तीय सहायता से देशभर में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही देश के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचयी स्थापना 49.40 लाख बायोगैस संयत्र हो गई है। राष्ट्रीय बायोगैस चूल्हे संबंधी पहल के अंतर्गत, घरेलू और आंगनवाड़ी, स्कूलों, जनजातीय छात्रावासों आदि में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बड़े स्तर पर खाना पकाने के लिए बेहतर बायोमास चूल्हे लगाने के लिए कई प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं।

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम

नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमसी) लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किसानों व डेयरी संचालकों की रोशनी व ताप-ऊर्जा संबंधी छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करना तथा परिवारों की रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। बायोस्लरी आधारित जैविक खाद प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इस कार्यक्रम के अनेक लाभ हैं जिनमें ग्रामीणों समय और ऊर्जा की बचत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे अन्य आजीविका संबंधी गतिविधियों में लगाया जा सकेगा। ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ेगी और वनों पर दवाब भी कम होगा।

वर्ष भर कार्यान्वित कार्यक्रमों में शामिल हैं : (i) ऊर्जा सक्षम सौर/हरित भवन कार्यक्रम, (ii) शहरी, औद्योगिक तथा कृषि कचरा/अवशेष से ऊर्जा; और (iii) उद्योगों में बायोगैस सह-उत्पादन (गैर-खोई) सहित शहरी, औद्योगिक तथा कृषि कचरा/अवशेष।

राष्ट्रीय सौर मिशन

जनवरी, 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) की शुरुआत की गई, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत संचालित किया गया पहला मिशन था। तीन चरणों वाला दृष्टिकोण अपनाते हुए मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए जितनी जल्दी संभव हो पूरे देश में सौर तकनीकी डिफ्यूशन संबंधी नीति व शर्तें तैयार की जानी हैं।

इस मिशन को लागू करने के लिए पॉलिसी दस्तवेजों की एक शृंखला अंगीकृत की गयी है। संशोधित प्रशुल्क नीति के मुताबिक सभी राज्यों को वर्ष 2022 तक 10.5 प्रतिशत सोलर आरपीओ का लक्ष्य पूरा करना है।

राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड में निर्माण उप-नियमों तथा उनके समावेश को अनिवार्य किए जाते जैसे विनियमन

हस्तक्षेपों द्वारा सरकारी, व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों में सोलर वाटर हीटर तथा छतों पर सोलर सिस्टम्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है ताकि ऑफ-ग्रिड तथा छत पर सौर अभिप्रयोगों को प्रोत्साहन मिले। मंत्रालय की ओर से शोध एवं विकास परियोजनाओं तथा उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति देकर भी शोध एवं विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन उपायों से देश में सौर ऊर्जा के क्रय मूल्य में कमी आयी है।

सौर/हरित भवन कार्यक्रम

मंत्रालय 2009 से ही "ऊर्जा सक्षम सौर/हरित भवन" संबंधी योजना लागू किए हुए है। इसका उद्देश्य देशभर में ऊर्जा सक्षम सौर/हरित भवन निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके लिए वित्तीय व उन्नति प्रोत्साहन संबंधी गतिविधियां- जागरूकता अभियान, कार्यशाला व प्रचार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

सौर शहर कार्यक्रम

"सौर शहरों का विकास" कार्यक्रम का लक्ष्य पांच वर्षों के अंत तक पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित मांग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाना है। ऊर्जा सक्षमता उपायों को अपना कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति बढ़ानी होगी। मंत्रालय की ओर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों तथा शहरी स्थानीय निकायों को सहायता दी जाती है ताकि वे नगरों में ऊर्जा सक्षमता व नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करें और इस मास्टर प्लान को लागू करने हेतु संस्थागत प्रणाली स्थापित करें तथा जागरूकता वृद्धि व क्षमता सृजन की गतिविधियों का संचालन करें। सौर शहर कार्यक्रम के विकास के अंतर्गत मंत्रालय शहर में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों को मास्टर प्लान तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

कोयला

कोयला मंत्रालय (एमओसी) कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी संबद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. (एनएलसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।
वेबसाइट: www.coal.nic.in

कोयला भंडार

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार देश में कोयले का भंडार 319.020 बिलियन टन है। ये कोयला भंडार मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं।

लिग्नाइट भंडार

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि देश में लिग्नाइट भंडार 45.66 बिलियन टन है। इसका प्रमुख भंडार क्षेत्र तमिलनाडु में है, इसके बाद राजस्थान, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल तथा केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा पुद्दुचेरी में है।

कोयला उत्पादन

2018-19 के दौरान भारत में कोयले के समग्र उत्पादन का अनुमान 730 मीट्रिक टन लगाया गया था। वर्ष 2018-19 की अवधि में 730.25 मीट्रिक टन रहा, जो वर्ष 2017-18 के वास्तविक उत्पादन 675.40 मीट्रिक टन की तुलना में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत 'महारत्न' कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल दुनिया में अकेली सबसे बड़ी कोयल उत्पादक कंपनी है। सीआईएल भारत के आठ राज्यों में फैले 82 खनन क्षेत्रों के जरिए संचालन करती है। कोल इंडिया लिमिटेड की 429 खदाने हैं, जिनमें से 237 भूमिगत, 166 खुली खदाने और 26 मिश्रित खदाने हैं। कोलकाता में अपने मुख्यालय के साथ कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कोयला उद्योग की शीर्ष संस्था है। सीआईएल सात पूर्ण स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक अनुषंगियों और एक खान आयोजना एवं परामर्शी कंपनी के साथ नियंत्रक कंपनी है। यह कोयला रिजर्व की पहचान, अपनी खानों से कोयला निकालने के लिए विस्तृत अन्वेषण के बाद उनकी योजना एवं कार्यान्वयन और संचालन सहित व्यापक कार्य करती है। इसकी उत्पादक कंपनियों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सैंक्टोरिया, पश्चिम बंगाल; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखंड; सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रांची, झारखंड; साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़; वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र; नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली, मध्य प्रदेश; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संबलपुर, ओड़ीसा हैं। परामर्शदाता कंपनी के रुप में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची, झारखंड शामिल हैं।
वेबसाइट: www.coalindia.in

नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड

नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) का कंपनी के रूप में पंजीयन 1956 में हुआ था। माइन-1 में खनन कार्य औपचारिक रूप से 1957 को शुरू हुआ। नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है। इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में और कॉरपोरेट कार्यालय तमिलनाडु के नेयवेली में है। यह ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसी नेयवेली में सालाना 28.5 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली लिग्नाइट की तीन खुली खदानों और बडसिंगार, राजस्थान में सालाना 2.1 मिलियन टन की कुल क्षमता वाली एक खुली खदान का संचालन करती है। वह नेयवेली में 2,490 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ तीन ताप बिजली घरों और बडसिंगार, राजस्थान में 250 मेगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एक ताप बिजली घर का संचालन करती है। एनएलसी की सभी खानों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त है। एनएलसी के सभी बिजली घर भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणित हैं। एनएलसी की प्रगति निरंत जारी है और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
वेबसाइट: www.nlcindia.com

12 पर्यावरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है, जो झीलों तथा नदियों समेत देश के प्राकृतिक संसाधनों, इसकी जैव-विविधता, वनों तथा वन्यजीवन के संरक्षण से संबंधित पर्यावरण एवं वन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन देखती है ताकि प्राणियों का कल्याण एवं प्रदूषण की रोकथाम एवं निवारण सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए इन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) की भी नोडल एजेंसी है। पर्यावरण से जुड़े मामलों में मंत्रालय सतत विकास आयोग (सीएसडी) तथा ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और एशिया तथा प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (एस्कैप) व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ भी समन्वय करता है।
वेबसाइट: www.moef.nic.in

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण तथा फूलों के अध्ययन हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन शीर्ष अनुसंधान संगठन है। देश के पादप संसाधनों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। कोलकाता में 'रॉयल बॉटेनिकल गार्डन' के तत्कालीन अधीक्षक सर जॉर्ज किंग को बीएसआई का पहला पदेन मानद निदेशक नियुक्त किया गया था। आजादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक विकास के हिस्से के रूप में विभाग का पुनर्गठन किया। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के दौर बीएसआई के कामकाज का आधार बढ़ा दिया गया और उसमें कई अन्य गतिविधियां भी शामिल कर दी गईं, जैसे- स्थानीय, दुर्लभ तथा जोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों की सूची बनाना, संरक्षण की रणनीतियां तैयार करना, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीवमंडल संरक्षण स्थल जैसे दुर्बल पारिस्थितिकी तंत्र एवं संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना, वनस्पति उद्यानों तथा ऑर्किड उद्यानों में स्थानीय तथा जोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों, जंगली सजावटी पौधों को बढ़ाना तथा संवारना, पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को लिखकर रखना तथा हर्बेरियम के नमूनों/जीवित संग्रहों/वनस्पति के चित्रों/रेखाचित्रों, पौधों के वितरण एवं नामकरण, पौधों के उपयोग आदि का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

मंत्रालय के अधीन अग्रणी शोध संस्था भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) को देश की सेवा करते हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। वर्ष 1916 में अपनी स्थापना के बाद से ही इसने सर्वेक्षण, खोज एवं अनुसंधान का काम सक्रियता के साथ किया है, जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध प्राणी विविधता के बारे में हमारी जानकारी बढ़ी है। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जेडएसआई का कामकाज भी लगातार बढ़ता गया और उसमें पर्यावरण पर प्राणियों के प्रभाव का आकलन; संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण; लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण प्राणी संसाधनों के बारे में जानकारी का कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण; जैव विविधता पर पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस); पहचान एवं परामर्श सेवाएं; नमूनों की नेशनल डेजिग्नेटेड रिपॉजिटरी; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,

1972 को लागू करने में सहायता करना; संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समुद्री जलीय जीवशाला एवं संग्रहालय की स्थापना आदि शामिल कर दिए गए। साथ ही, यह राष्ट्रीय प्राणी संग्रहों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न हिस्सों में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। Bharat_2020_DPD: E published on DPD mobile app

भारतीय वन सर्वेक्षण

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता रहता है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में 'प्री इंवेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज' (पीआईएसएफआर) के स्थान पर की गई। पीआईएसएफआर को भारत सरकार द्वारा 1965 में आरंभ किया गया था और यह एफएओ एवं यूएनएडीपी द्वारा प्रायोजित था। पीआईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के चुनिंदा क्षेत्रों में लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल मिलता रहे। वर्ष 1976 में अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय कृषि आयोग (एनसीए) ने सिफ़ारिश की थी कि नियमित अंतराल पर देशभर में वन संसाधनों के समग्र सर्वेक्षण के जरिए विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने हेतु राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की जाए। उसके बाद जून, 1981 में पीआईएसएफआर का पुनर्गठन कर एफएसआई की स्थापना की गई। इसकी गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा करने के बाद 1986 में एफएसआई का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया ताकि वह देश की तेजी से बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरा उतर सके।

जैव विविधता संरक्षण

जैव विविधता संधि (सीबीडी) वर्ष 1992 में रियो डि जेनेरो में संपन्न हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्वीकार किए गए प्रमुख समझौतों में से एक है। सीबीडी के उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवांशिक संसाधनों के इस्तेमाल से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी। 1994 में भारत द्वारा सीबीडी को अंगीकार किए जाने के बाद से संधि के तहत किए गए संकल्पों को पूरा करने एवं संधि से मिल रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सीबीडी के त्रिस्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप विधाई, प्रशासनिक तथा नीतिगत प्रणालियां लागू करना है। इस संधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया। भारत ने 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना भी तैयार की तथा 2014 में इस कार्य योजना में 20 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य जोड़े गए।

सीबीडी के अंतर्गत 2010 में अंगीकार की गई उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर प्रोटोकॉल नगोया का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों की उचित एवं निष्पक्ष साझेदारी करना है।

जीवमंडल (बायोस्फियर) रिजर्व

'बायोस्फियर रिजर्व' का विचार यूनेस्को ने 1973-74 में अपने मैन एंड बायोस्फियर (एमएबी) कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया था। 1970 में यूनेस्को द्वारा आरंभ किया गया एमएबी व्यापक पारिस्थितिकीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जीवमंडल के संसाधनों के तार्किक प्रयोग एवं संरक्षण के लिए और मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच संबंध सुधारने हेतु प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के भीतर ही आधार तैयार करना था। उद्देश्य यह भी था कि इससे आज की गतिविधियों के भविष्य की दुनिया पर होने वाले प्रभावों का अनुमान लगाया जा सकेगा और इस तरह जीवमंडल के प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की मनुष्य की क्षमता में इजाफा होगा।

भारतीय राष्ट्रीय मनुष्य एवं जीवमंडल (एमएबी) समिति यूनेस्को के दिशानिर्देशों और मानदंडों पर चलते हुए बायोस्फियर रिजर्व के लिए संभावित स्थान पहचानती है और उनकी सिफ़ारिश करती है। 18 बायोस्फियर रिजर्व निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 10 बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फियर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है।

संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग/लाइन विभाग इसे क्रियान्वित करने वाले संगठन हैं। बायोस्फियर रिजर्व के लिए चिह्नित शीर्ष संस्थान मंजूर की गई अनुसंधान परियोजनाओं पर शोध की गतिविधियां करते हैं तथा आवधिक समीक्षाओं एवं प्रगति रिपोर्टों का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

पूरी रिपोर्ट का मूल्यांकन निर्धारित समिति द्वारा किया जाता है।

जैव सुरक्षा से संबंधित जैव विविधता संरक्षण योजना

जैव विविधता संरक्षण की योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1991-92 में आरंभ की गई थी ताकि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो सके और उसके लिए पर्याप्त नीतिगत उपायों की समीक्षा, निगरानी एवं विकास हो सके। मुख्य उद्देश्य है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा (द्वितीय चरण) पर यूएनईपी जीईएफ समर्थित क्षमता निर्माण परियोजना का क्रियान्वयन करना और जैव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना।

कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल (सीपीबी): इस पर जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तत्वावधान में चर्चा हुई थी और 2000 में इसे मंजूरी दी गई। भारत इस प्रोटोकॉल में शामिल है। इस प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न हुए ऐसे सजीव संवर्द्धित प्राणियों का सुरक्षित हस्तांतरण, देखभाल एवं प्रयोग सुनिश्चित करना है, जिनका मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के लिहाज से जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

वन संरक्षण

वन प्रबंधन योजना के सघनीकरण की यह केंद्र प्रायोजित योजना दावानल यानी जंगल की आग के प्रबंधन से संबंधित है ताकि जंगल में आग की प्रतिकूल प्रभावों की बढ़ती चिंता दूर की जा सके। इसके साथ ही वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की गई।

वन्यजीव संरक्षण

मंत्रालय का एक वन्यजीव विभाग है, जिसके दो प्रभाग हैं: प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रभाग और वन्यजीव प्रभाग। साथ ही तीन स्वायत्तशासी निकाय- वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, संरक्षण एवं चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय को बाघ संरक्षण के लिए स्वायत्तशासी संस्था बनाकर किया गया। राजधानी का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्यजीव विभाग का हिस्सा है।

वन्यजीव प्रभाग जैव विविधता तथा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण के लिए नीति एवं कानून बनाने हेतु प्रक्रियाओं एवं विश्लेषण को सुगम बनाने के उद्देश्य से नीति एवं कानून के मामलों एवं जानकारी के प्रबंधन का क करता है। मंत्रालय का यह प्रभाग केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास के अंतर्गत तथा केंद्र की योजना - वन्यजीव विभाग का सुदृढीकरण तथा विशेष कार्यों के लिए परामर्श के जरिए तथा केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को अनुदान के माध्यम से सहायता कर वन्यजीव संरक्षण में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देता है।

भारत सरकार वन्यजीव संरक्षण की गतिविधियों में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे 'वन्यजीव पर्यावास का एकीकृत विकास' के जरिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। योजना के तीन घटक हैं- संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व एवं कम्युनिटी रिजर्व) को सहायता प्रदान करना; वन्यजीव बाहरी संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा अत्यंत विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यक्रम।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) सांविधिक बहुपक्षीय निकाय है, जिसकी स्थापना देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय के अधीन की गई है। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा जबलपुर में इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय; गुवाहाटी, अमृतसर तथा कोच्चि में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय और रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला एवं मोरे में पांच सीमावर्ती इकाइयां हैं। इसका काम है संगठित वन्यजीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना और अपराधियों

को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई हेतु यह जानकारी राज्य एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को देना; वन्यजीव अपराध का केंद्रीकृत डेटाबैंक स्थापित करना; अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के सिलसिले में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना; वन्यजीव अपराध नियंत्रण हेतु समन्वित एवं एक समान कार्रवाई के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद करना; वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक तथा पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण करना और वन्यजीव अपराधों के मामले में सफल अभियोजन के लिए राज्य सरकारों की मदद करना; राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभावों वाले वन्यजीव अपराध संबंधी मसलों, नीतियों एवं कानूनों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 2007 में की गई थी।

केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण

नई दिल्ली में मुख्यालय वाले केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना 1992 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी और इसका कार्य संरक्षण में प्राणी उद्यानों या चिड़ियाघरों की भूमिका बढ़ाने के लिए देश में चिड़ियाघरों का कामकाज देखना है। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों की देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मानकों तथा नियमों को लागू करना, मौजूदा चिड़ियाघरों की निगरानी तथा मूल्यांकन करना और देश में चिड़ियाघरों के सुधार के तरीके और उपाय सुझाना है ताकि उन्हें विलुप्तप्राय जंगली प्राणियों का उनके आवास से दूर संरक्षण करने वाला प्रभावशाली स्थान बनाया जा सके।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1959 में की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन उद्यान का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता विशेषकर जंगली वनस्पति के संरक्षण हेतु हो रहे राष्ट्रीय प्रयासों में मदद करना और उन्हें मजबूत बनाना है। इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है- विलुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन उनके मूल स्थान से बाहर की स्थितियों में कराने एवं उचित तथा वांछित समय पर जंगल में उनके पुनर्वास के लिए संतानों का पालन-पोषण करने के प्रयासों द्वारा उनके संरक्षण में मदद करना; चिड़ियाघर में आने वालों में वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति जगाना, उनमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बरकरार रखने की जरूरत के प्रति समझ तथा जागरूकता विकसित करना तथा संरक्षण के लिए उपयोगी वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अवसर प्रदान करना और मूल स्थान पर तथा उससे बाहर संरक्षण में लगी एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए डेटाबेस तैयार करना।

प्रोजेक्ट एलीफैंट

प्रोजेक्ट एलीफैंट को 1991-92 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य था हाथियों, उनके आवास स्थल तथा गलियारों का संरक्षण करना; मानव और हाथी के टकराव की समस्या पर काम करना; पालतू हाथियों के कल्याण का ध्यान रखना।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/बाघ परियोजना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जिसे 2006 में संशोधित किया गया है, के समर्थ प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण की मजबूती के लिए की गई है। एनटीसीए बाघों की हालत की जानकारी के आधार पर परामर्शों, मानक दिशानिर्देशों, प्रगामी संरक्षण उपायों तथा विशेष तौर पर गठित समितियों के सुझावों द्वारा चौकसी बनाए रखते हुए अपने शासनादेश को पूरा करता रहा है। बाघ परियोजना, केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जो राज्यों को बाघों वाले जंगलों तथा नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की यथावत संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि विलुप्ति के कगार पर खड़े बाघों को लुप्त होने से यकीनी तौर पर बचाया जा सके।

बाघ परियोजना

बाघों को बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। आरंभिक वर्षों में नौ बाघ अभ्यारण्यों में काम शुरू

किया गया, जो अब बाघ के जंगलों वाले 18 राज्यों के 50 अभ्यारण्यों तक फैल चुका है। इन सुरक्षित क्षेत्रों को कोर/बफर रणनीति क्षेत्रों के रूप में विकसित किया गया है। कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान अथवा पक्षी अभ्यारण्य का वैधानिक दर्जा प्राप्त है। जबकि बफर अथवा परिधीय क्षेत्र वन तथा वन-विहीन भूमि का मिश्रित रूप है, जिसे बहु-उपयोगी क्षेत्र के तौर पर व्यवस्थित किया गया है। बाघ वाले राज्यों को इनके संरक्षण हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना मंत्रालय का अनवरत कार्य है। एनटीसीए/बाघ परियोजना चार वर्षों में एक बार बाघों की हालत, सह-परभक्षी, शिकार तथा वास स्थल का देशव्यापी जायजा लेती है जिसमें टाइगर टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित परिशोधित कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। परियोजना के तहत संगठित प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत को विश्व में सबसे ज्यादा 2967 बाघों वाले देश का गौरव हासिल हुआ है। अखिल भारतीय बाघ आकलन के चौथे चक्र के नतीजों का सार यही है। जीआईएस डोमेन में जीन प्रवाह के लिए बाघ राहदारी का मानचित्र बना लिया गया है। बाघ परियोजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को नवीकृत किया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि बाघों के साथ अन्य वन्य जीवों को भी सुरक्षा मिले। एक-एक करके सभी राष्ट्रीय उद्यानों ने लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के उपाय किए हैं। उदाहरण स्वरूप गीर ने शेरों के संरक्षण और काजीरंगा ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के उपाय किये हैं।

हर वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है ताकि बाघ संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति जन-जागरूकता व समर्थन बढ़े। इस तरह के आयोजन का विचार 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में सामने आया। यह फैसला भी किया गया कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में जाना जाएगा। शिखर सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों के पैनल ने बाघ संरक्षण की दिशा में 2022 तक इनकी संख्या दोगनी करने के लक्ष्य की घोषणा की।

पशु कल्याण

सामान्य पशु कल्याण-भारतीय पशु कल्याण बोर्ड

सामान्य पशु कल्याण में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के अंतर्गत जानवरों विशेषकर पालतू जानवरों तथा बंद कर रखे गए जंगली जानवरों का कल्याण आता है। एडब्ल्यूबीआई सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्य कार्य सरकार को पशु कल्याण के मुद्दों पर सलाह देना, पशु कल्याण में जागरूकता उत्पन्न करना तथा पशुओं के कल्याण के लिए एडब्ल्यूबीआई की नियमित योजनाओं एवं केंद्रीय योजनाओं को लागू करना है।

मुफ्त सचल पशु क्लिनिक

बोर्ड गरीबों के बीमार तथा घायल पशुओं को चेन्नई स्थित मुख्यालय से संचालित अपने सचल पशु क्लिनिक कार्यक्रम के जरिए मौके पर मुफ्त पशु चिकित्सा मुहैया कराता है तथा विश्व पशु दिवस सप्ताह में जागरूकता रैलियां आयोजित करता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने मानव शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चेन्नई के स्कूलों एवं करुणा इंटरनेशनल, चेन्नई के साथ मिलकर पशुओं के प्रति संवेदना जगाने के लिए रैलियां कीं।

पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन

पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ईआईए) पर्यावरण संबंधी चिंताओं को योजना के आरंभिक चरण से ही विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का तरीका है। भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग 1978 में नदी घाटी परियोजनाओं में किया गया था और बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में भी आजमाया गया, जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इन तरीकों को पहली बार ईआईए अधिसूचना, 1994 में संहिताबद्ध किया गया। इसमें 37 प्रकार की परियोजनाओं/प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी आवश्यक कर दी गई और इनकी सूची अधिसूचना में दी गई थी। निवेश का मानदंड ही विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं की बुनियाद था।

प्रदूषण नियंत्रण

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या विशेषकर महानगरों में गंभीर समस्या बनती जा रही है। बड़ी संख्या में शहर और नगर प्रदूषणकारी तत्वों, विशेषकर कणों (पार्टिकुलेट मैटर) के मानकों का पालन नहीं करते। दिल्ली समेत कुछ शहरों में वातावरण में कणों की सघनता मानकों से बहुत अधिक, कई बार तीन या चार गुना अथवा और भी ज्यादा है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता नियमों एवं कार्यों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अमल में लाया जाता है। इन कानूनों में इस समस्या से निपटने के तरीके और प्राधिकरण बताए गए हैं। बड़ा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। दिल्ली और एनसीआर के पिछले पांच वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कणों या पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 10 और पीएम 2.5) की सघनता समूचे क्षेत्र के लिए चिंता का बड़ा विषय है। किंतु दिल्ली, मेरठ और फरीदाबाद में नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड की सघनता में कुछ गड़बड़ देखी गई है। पिछले पांच वर्ष में लगभग सभी स्थानों पर सल्फर डाई-ऑक्साइड की सघनता मानक सीमा के भीतर ही रही है। पीएम 10 सांस में जाने लायक मोटे कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। पीएम 2.5 बारीक कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है।

आमतौर पर युवा एवं स्वस्थ लोगों पर मध्यम वायु प्रदूषण के गंभीर अल्पकालिक प्रभाव होने की आशंका नहीं रहती। लेकिन वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने या अधिक समय तक प्रदूषण में रहने से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले लक्षण दिख सकते हैं। इससे श्वसन तंत्र पर प्रभाव तो पड़ ही सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है। फेफड़ों अथवा हृदय की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ने की आशंका अधिक होती है।

वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 12 प्रदूषकों वाले राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित किया गया है। साथ ही परिवेशी वायु के लिए 32 सामान्य मानकों के अतिरिक्त 104 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 115 उत्सर्जन/उत्प्रवाह मानक भी अधिसूचित किए गए हैं। सरकार परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम चला रही है। नेटवर्क में 691 मैनुअल परिचालन केंद्र हैं, जिनके दायरे में 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 303 शहर या नगर आते हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण की बात करें तो गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि) प्रचलित करने, एथेनॉल मिश्रण, 2017 तक सभी जगह बीएस-4 लागू करने, एक अप्रैल, 2020 तक बीएस-4 से सीधे बीएस-6 में अंतरण, मेट्रो, बस, ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क एवं कारपूलिंग को बढ़ावा देने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम बनाने, लेन में अनुशासन बरतने, वाहन की देखभाल करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

2015 में 14 शहरों से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आरंभ किया गया और अब यह 34 शहरों में लागू है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना में विभिन्न स्रोतों से होने वाले पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन पर नियंत्रण करने तथा पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर को 'मध्यम' राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से ऊपर जाने से रोकने की आवश्यकता है। उपाय एक साथ अपनाने हैं। आपातकाल तथा गंभीर स्तरों में वे सभी उपाय एक साथ अपनाए जाते हैं, जो बेहद खराब, खराब और मध्यम जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक के निचले स्तरों में सूचीबद्ध हैं। खराब और मध्यम श्रेणी में सूचीबद्ध कार्य पूरे वर्ष करने की आवश्यकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली तथा एनसीआर समेत बड़े शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 42 उपायों को लागू करने के लिए निर्देशों की व्यापक सूची जारी की है। लोगों को इन प्रयासों में शामिल करने के लिए सरकार ने 2017 में 'हरित दीवाली एवं स्वस्थ दीवाली' नाम का एक अभियान चलाया, जिसमें दिल्ली के 2,00 से अधिक स्कूल तथा देश में दो लाख से अधिक स्कूल शामिल हुए। 'स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ हवा' के नाम से एक मिनी मैराथन 2017 में आयोजित की गई।

ध्वनि प्रदूषण

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति - 2006 के अनुच्छेद 5.2.8(4) पर कार्रवाई करते हुए परिवेश में व्याप्त शोर को निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों में निगरानी के लिए नियमित पैमाने के रूप में शामिल किया गया। राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क

कार्यक्रम की शर्तें तैयार कर ली गई हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को बांट दी गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर सात महानगरों में वास्तविक समय में परिवेशी शोर की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना की। साथ ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, लखनऊ और हैदराबाद में 70 शोर निगरानी प्रणाली स्थापित की गईं। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए इन कदमों में दूसरी बातों के साथ दीपावली के मौके पर शोर पर नज़र रखने; रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक; पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार करने, पटाखे रोकने के लिए सामान्य जनता में जागरूकता पैदा करने के अलावा छात्रों को पाठ्यक्रम के जरिए इसके प्रति संवेदनशील बनाने की सलाह एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 और वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(बी) के अंतर्गत निर्देश जारी करना शामिल है।

सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों की योजना

सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) का विचार प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहकारी आंदोलन खड़ा करने के इरादे से आया। इन संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की अधिक से अधिक रक्षा करते हुए एकल इकाई के लिए शोधन के खर्च को कम से कम करना है। बेकार पानी का शोधन एवं जल संरक्षण सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्रों के प्रमुख उद्देश्य हैं। इन संयंत्रों का विचार अनुकूल लघु उद्योगों के क्लस्टरों से निकलने वाले तरल कचरे के शोधन के उद्देश्य से रखा गया था।

देश के सभी राज्यों में लघु उद्योगों को नए सामान्य तरल कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करने एवं पुराने संयंत्रों का उन्नयन करने में सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरंभ की है। संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में (क) केंद्रीय सब्सिडी को परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना; (ख) शोधन के तीनों स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए सहायता देना एवं (ग) सीईटीपी का प्रबंधन उचित विधान के अंतर्गत पंजीकृत की गई विशेष उद्देश्य वाली कंपनी को सौंपा जाना शामिल है।

हानिकारक पदार्थों का प्रबंधन

हानिकारक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग हानिकारक पदार्थों एवं रासायनिक आपात स्थितियों समेत ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए मंत्रालय के भीतर ही नोडल बिंदु है। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ठोस कचरे के सुरक्षित प्रबंधन, हानिकारक रसायनों समेत हानिकारक पदार्थों एवं कचरे के प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

इसके अतिरिक्त प्रभाग सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 एवं उसके तहमों तय किए गए निय को लागू करने के काम भी करता है। प्रभाग की गतिविधियां तीन प्रमुख क्षेत्रों हानिकारक कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन एवं रासायनिक सुरक्षा के अंतर्गत चलाई जाती हैं।

रासायनिक सुरक्षा

रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमों के दो समूह अधिसूचित किए हैं- (क) हानिकारक रसायनों के उत्पादन, भंडारण तथा आयात के नियम, 1989 (एमएसआईएचसी); और (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन नियोजन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996 (ईपीपीआर)। एमएसआईएचसी नियमों के मुख्य उद्देश्य हैं: (अ) औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाली बड़ी दुर्घटनाएं रोकना; और (आ) ऐसी दुर्घटनाओं के प्रभाव सीमित करना। ये नियम गुणवत्ता आधारित दृष्टिकोण के जरिए इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। एमएसआईएचसी नियमों के तहत उद्योग वाले व्यक्ति को निकटवर्ती जनता के बीच यह सूचना देनी पड़ती है कि उद्योग के कारण उस स्थान पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एमएसआईएचसी नियम, 1989 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि विभिन्न प्राधिकरणों की गतिविधियों का उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एवं स्थान से दूर आपातकाल योजना तैयार करने, संभालने एवं क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार जिलाधिकारी की मदद करने हेतु देश में रासायनिक संकट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन नियोजन, तैयारी एवं प्रतिक्रिया) नियम, 1996 नाम का नियमों का एक सेट अधिसूचित किया गया, जिसका लक्ष्य रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रभावी

नियोजन, तैयारी तथा प्रतिक्रियाओं के लिए विभिन्न स्तरों जैसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना था कि दुर्घटना से प्रभावित हो सकने वाली जनता को जानकारी उपलब्ध हो सके। रासायनिक दुर्घटना (ईपीपीआर) अधिनियम, 1996 में देश में राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की कल्पना की गई थी।

हानिकारक कचरा प्रबंधन

हानिकारक कचरे का निष्पादन करते समय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कचरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक कचरा (प्रबंधन, रखरखाव तथा सीमा पार परिवहन) नियम, 2008 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। नियमानुसार ने हानिकारक कचरा उत्पन्न करने तथा उसका इस्तेमाल करने वाली इकाइयों को अनुमति देने के लिए प्रावधान तैयार कर इस प्रक्रिया की कार्यप्रणाली तय की गई है। हानिकारक कचरे का निस्तारण करने के लिए नियमों में शोधन, भंडारण तथा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी है। नियमों में हानिकारक कचरे के आयात/निर्यात के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जो हानिकारक कचरे के सीमा के आर-पार परिवहन तथा निपटारे पर नियंत्रण की बेसल संधि के तहत हमारी बाध्यताओं के अनुरूप हैं। भारत भी इस संधि में शामिल है।

हानिकारक तथा अन्य कचरा (प्रबंधन एवं सीमा पार परिवहन) नियम, 2016 की कई विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं- अन्य कचरे को शामिल कर नियमों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना; हानिकारक एवं अन्य कचरा निपटान कर रहे सभी हितधारकों के लिए अनुमति एवं पंजीकरण के स्थान पर केवल इस नियम के तहत अनमति की व्यवस्था करना: कचरा प्रबंधन के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना, जिसमें सबसे पहले रोकथाम, फिर कम से कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, पुनर्चक्रण करना, फिर प्राप्त करना (रिकवरी), साथ प्रसंस्करण करना और सुरक्षित तरीके से निपटाना शामिल हैं; प्रक्रिया को सरल बनाकर और आयात/निर्यात के नियमन वाले कचरे की सूची संशोधित कर इन नियमों के तहत कचरे के आयात/ निर्यात के तरीकों को सुगम बनाना; धातु कबाड़, कागजी कचरे तथा दोबारा इस्तेमाल होने लायक बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे आदि के लिए अलग अनुसूची तैयार करना, जिसे मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं। आयात के लिए प्रतिबंधित कचरे की सूची को संशोधित कर उसमें खाद्य वसाओं तथा जानवर या वनस्पति से बनने वाले तेल, घरेलू कचरे, गहन चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों, ठोस प्लास्टिक कचरे और तरल रासायनिक कचरे को शामिल किया गया है।

ई-कचरा प्रबंधन

ई-कचरे से संबंधित नियम सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उपकरणों एवं उपभोक्ता इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनि उपकरणों से निकलने वाले ई-कचरे पर लागू होते हैं जैसे टेलीविजन सेट (एलसीडी तथा एलईडी), रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर। संबंधित राज्य एजेंसियों को इन नियमों के तहत ई-कचरा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों जैसे संग्रह करना, अलग-अलग करना, तोड़ना और पुनर्चक्रण करना, आदि के नियंत्रण, निगरानी तथा नियमन का अधिकार मिल जाता है। उत्पादकों को कचरा संग्रह की व्यवस्था तैयार करनी चाहिए ताकि उनके अपने उत्पादों के बेकार होने पर उत्पन्न होने वाले ई-कचरे का पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन करने के खर्च को वे वहन करें। साथ ही बिजली के उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली छह हानिकारक सामग्री के लिए विश्व स्तर पर स्वीकार्य सीमा तय की गई है। उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल तय सीमा के भीतर ही करें। ई-कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल निपटारे में ये नियम प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

ठोस कचरा प्रबंधन

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, *2016*

मंत्रालय ने नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन के नियम 16 वर्ष बाद संशोधित किए। नए नियम नगरपालिका क्षेत्रों से परे लागू होते हैं और शहरी समुदाय, जनगणना वाले नगर, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेलवे के अधीन आने वाले क्षेत्र, हवाई अड्डे, हवाई ठिकाने, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य तथा केंद्र सरकार के संगठन, तीर्थस्थल, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान भी उनके दायरे में आते हैं। स्रोत स्थल

पर ही कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य कर दिया गया है। कचरा छांटने वालों पर ही उसे तीन श्रेणियों- गीला (स्वाभाविक तरीके से समाप्त होने वाला), सूखा (प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी आदि) और घरेलू हानिकारक कचरा (डायपर, नैपकिन, सफाई करने वाले पदार्थों के खाली डिब्बे, मच्छर भगाने वाले पदार्थ आदि) - में बांटकर अलग-अलग करने का जिम्मा दे दिया गया है। नियमों में कचरा इकट्ठा करने वालों को शामिल करने के तरीके भी हैं। नियमों में स्थानीय निकायों को अधिकार दिया गया है कि वे 'यूजर शल्क' लगाने के लिए उपनियम सकते हैं, यह शुल्क कचरा बनाने वाले उसे इकट्ठा करने वाले को देंगे और कचरा फैलाने एवं उसे अलग नहीं करने पर तुरंत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत जिस साझेदारी की परिकल्पना की गई है, उसे लागू कर दिया गया है, जैसे थोक एवं संस्थागत कचरा उत्पादक, बाज़ार संगठन, कार्यक्रम आयोजक तथा होटल एवं रेस्तरां को स्थानीय निकायों के साथ मिलकर कचरा अलग-अलग करने और उसका प्रबंधन करने के लिए सीधे जिम्मेदार बना दिया गया है। सभी निवासी कल्याण संघों, बाजार संघों, 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले गेट युक्त समुदायों और संस्थाओं, नई टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को कचरे के प्रबंधन तथा स्वयं समाप्त होने वाले कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था स्वयं ही करने का जिम्मा सौंप दिया गया है।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, *2016*

सर्वविदित है कि प्लास्टिक के विविध प्रयोग होते हैं और उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों ने व्यावसायिक रूप से उसे सफल बना दिया है। लेकिन उनका अंधाधुंध निपटारा पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गया है। प्लास्टिक की थैलियां खासतौर पर बिखरे हुए कचरे में सबसे अधिक योगदान करती हैं और हर वर्ष प्लास्टिक की लाखों थैलियां जमीन, जल निकायों, जल प्रवाहों के जरिए पर्यावरण में मिल जाती हैं। इन्हें पूरी तरह समाप्त होने में औसतन 1,000 वर्ष लगते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए 2011 में नए नियम- प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन एवं व्यवहार) नियम, 2011 अधिसूचित किए गए, जिनमें प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन शामिल है। किंतु ये नियम इतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सके क्योंकि इन नियमों का दायरा नगरपालिका क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जबकि आज प्लास्टिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इन समस्याओं से निपटने तथा कचरा प्रबंधन के लिए स्वावलंबी व्यवस्था तैयार करने के लिए मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया। नियमों के तहत (अ) प्लास्टिक की थैलियों की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन की गई है; (आ) वस्तुओं को पैक करने तथा लपेटने के लिए प्लास्टिक शीट की न्यूनमत मोटाई 50 माइक्रॉन तय करने का काम पहली बार किया गया है ताकि प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करना तथा उसका पनर्चक्रण करना आसान होः (इ) प्लास्टिक की थैलियों के मल्य निर्धारण की प्रक्रिया दुरुस्त कर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन शुल्क शुरू किया गया है, जिसे वे खुदरा दुकानदार अथवा सड़क पर दुकान लगाने वाले पूर्व पंजीकरण शुल्क के रूप में भरेंगे, जो प्लास्टिक की थैलियां देना चाहते हैं; (ई) प्लास्टिक के कचरे के लाभकारी इस्तेमाल, जैसे बिजली बनान सड़क निर्माण में इस्तेमाल करना को बढ़ावा देने के तरीके लाए गए हैं और (उ) स्थानीय प्रशासन द्वारा यूजर शुल्क तथा स्पॉट जुर्माना आरंभ किया गया है।

निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, *2016*

मंत्रालय ने देश में निर्माण एवं विध्वंस से होने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए पहली बार निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 तैयार किए। इन नियमों से पहले इसका नियमन नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2000 के तहत होता था और इसे शहरी स्थानीय निकायों के जिम्मे छोड़ दिया गया था। नए नियम नगरीय ढांचे के निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत और तोड़-फोड़ से निकलने वाले कचरे का नियमन करते हैं और ऐसे कचरे का लाभकारी तरीके से दोबारा इस्तेमाल करने या पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था करते हैं। नए नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, जो निर्माण तथा तोड़-फोड़ से निर्माण सामग्री का कचरा उत्पन्न होने के लिए, किसी भी निजी अथवा संगठन अथवा प्रशासन के नगरीय ढांचे के निर्माण, रिमॉडलिंग, मरम्मत अथवा विध्वंस से मलबा या रोड़ा तैयार होने के लिए जिम्मेदार है। नियमों के अंतर्गत कचरा बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोडा, मिट्टी और अन्य कचरे को इकट्ठा करने, अलग-अलग करने तथा निर्माण एवं विध्वंस से तैयार हुए कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किए गए संग्रह स्थल पर जमा करने अथवा अधिकृत प्रसंस्करण संयंत्रों को सौंपने का जिम्मा सौंपा गया है। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कूड़ा न तो बिखरे और न ही जमा हो, जिससे यातायात या नालियां बाधित नहीं हों। सेवा प्रदाताओं को समग्र कचरा प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी, जिसमें उनके अधिकार

क्षेत्र में निर्माण तथा तोड़-फोड़ के कारण उत्पन्न हुए कचरे को अलग-अलग करना, भंडारण करना, संग्रह करना, पुनः इस्तेमाल करना, पुनर्चक्रण करना, ढुलाई करना और निपटान शामिल होगा। निर्माण तथा तोड़-फोड़ का कचरा हटाने का जिम्मा भी उन्हीं का होगा।

फ्लाई ऐश का उपयोग

बिजली की तेजी से बढ़ती मांग और बिजली की दो-तिहाई जरूरतें पूरी करने के लिए कोयले पर निर्भर रहने के कारण भारी मात्रा में फ्लाई ऐश तैयार हो रही है। फ्लाई ऐश का प्रबंधन चिंता का विषय हो गया है क्योंकि उसके निपटारे के लिए बड़े भू-भाग की जरूरत पड़ती है। फ्लाई ऐश के निपटारे की पर्यावरण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए मंत्रालय ने 1999 में फ्लाई ऐश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की, जिसमें कोयले/लिग्नाइट से चलने वाले ताप बिजली संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश के लक्ष्य इस विचार के साथ तय किए गए कि चरणबद्ध तरीके से उसका 100 प्रतिशत उपयोग किया जाने लगेगा। 2003, 2009 और 2016 में अधिसूचना में संशोधन किया गया। फ्लाई ऐश का उपयोग 1996-97 में 6.64 मिलियन टन से बढ़कर 2015-16 में 107.77 मिलियन टन तक पहुंच गया है। पहले फ्लाई ऐश को 'हानिकारक औद्योगिक कचरा' माना जाता था, लेकिन अब उसे उपयोगी और बिक्री लायक सामग्री कहा जाता है। इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, मिट्टी की ऊपरी परत को संरक्षित रखना, ताप बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उड़कर जमीन पर फैलने से रोकना और उस राख का इस्तेमाल निर्माण सामग्री तैयार करने और निर्माण गतिविधियों में करना।

अंतरराष्ट्रीय संधियां

बेसल संधि

हानिकारक कचरे के सीमा पार आवागमन तथा निस्तारण पर नियंत्रण हेतु बेसल संधि को बेसल, स्विट्जरलैंड में 1989 में स्वीकार किया गया। बेसल संधि का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानिकारक कचरे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है। अपने उद्भव और/अथवा संरचना एवं गुणों के आधार पर हानिकारक कचरे' के रूप में परिभाषित किया गया विभिन्न प्रकार का कचरा और 'अन्य कचरे' के रूप में परिभाषित दो प्रकार का कचरा (घरेलू कचरा और भट्ठी की राख) इसके दायरे में आता है।

रॉटरडैम संधि

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निश्चित हानिकारक रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के लिए रॉटरडैम संधि वर्ष 2004 में लागू हुई। भारत ने एक वर्ष बाद यह संधि स्वीकार कर ली ।भारत में रसायन ए उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय इसके लिए निर्धारित संस्थाएं हैं। आधिकारिक पर्क बिंदु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बनाए गए हैं। इस संधि की अनुसूची 3 में 47 रसायन दिए गए हैं, जिनमें 33 ऐसे कीटनाशक तथा 14 ऐसे औद्योगिक रसायन हैं, जिन्हें स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण कारणों से दो या अधिक सदस्य देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है या बहुत सीमित कर दिया है तथा जिन्हें सदस्यों के सम्मेलन ने पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के अधीन घोषित कर दिया है।

स्टॉकहोम संधि

जिद्दी जैविक प्रदूषक तत्वों (पीओपी) पर स्टॉकहोम संधि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। संधि में आरंभ में 12 रसायन थे, जिनके उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबंध था। अब इसमें 23 रसायन हैं। संधि 2004 में लागू हुई। भारत ने 2006 में इसे लागू किया। संधि के अनुच्छेद 7 के अनुसार संधि के सदस्यों राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना तैयार कर यह दिखाना होगा कि संधि के प्रति अपने संकल्पों को वे कैसे पूरा करेंगे और यह योजना वैश्विक पर्यावरण प्रतिष्ठान के धन से तैयार की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जीईसी तथा स्टॉकहोम संधियों के लिए केंद्र बिंदु का कार्य करता है। कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय एवं रसायन तथा पेट्रोरसायन मंत्रालय इसके लिए निर्धारित राष्ट्रीय संस्थाएं हैं।

पारे पर मीनामाता संधि

फरवरी, 2009 में यूएनईपी की प्रशासनिक परिषद ने पारे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक योजना तैयार करने के मामले में निर्णय 25/5 लिया। जापान के मीनामाता तथा कुमामोतो में 2013 में आयोजित पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन में 'पारे पर मीनामाता संधि' को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को पारे के दुष्प्रभावों से बचाने वाली वैश्विक संधि है।

अंतरराष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण

वर्ष 2006 में भारत समेत 190 से अधिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय रसायन प्रबंधन पर रणनीतिक दृष्टिकोण (एसएआईसीएम) स्वीकार किया, जो रसायनों के सही प्रबंधन को बढ़ावा देने वाला अंतरराष्ट्रीय नीतिगत ढांचा है। एसएआईसीएम के अंतर्गत आरंभिक गतिविधियों में राष्ट्रीय रसायन प्रोफाइल का निर्माण अथवा उसे अद्यतन करना, संस्थाओं को मजबूत करना तथा रसायनों के सही प्रबंधन को राष्ट्रीय रणनीतियों की मुख्यधारा में लाना शामिल थीं। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन प्रोफाइल तैयार करना आरंभ किया, जिससे रसायनों के प्रबंधन हेतु भारत के बुनियादी ढांचे और क्षमता का पता लग सके।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

वर्ष 1985 में गंगा कार्ययोजना आरंभ होने के साथ ही नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। गंगा कार्ययोजना को 1995 में बढ़ाया गया और अन्य नदियों को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत ले लिया गया। एनआरसीपी का उद्देश्य देश में जल के बड़े स्रोत के रूप में काम कर रही नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारना है। इसके लिए नदियों के प्रदूषित भाग के रूप में चिह्नित हिस्सों के किनारे बसे विभिन्न शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए काम किया जाता है, जिसका खर्च केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। फिलहाल एनआरसीपी (गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के अंतर्गत 14 राज्यों के 75 शहरों में 31 नदियों के प्रदूषित हिस्से आते हैं और इसके अंतर्गत अभी तक 2,445 मिलियन लीटर पानी के शोधन की क्षमता तैयार कर ली गई है।

झील संरक्षण

एनएलसीपी/एनपीसीए के अंतर्गत अभी तक 14 राज्यों में 63 झीलों के संरक्षण के लिए कुल 46 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें मैले जल को निकालने की प्रणाली तथा कचरा शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने, कचरे को रोकने और उसकी दिशा मोड़ने, गाद समाप्त करने, जलग्रहण क्षेत्र के उपचार, तूफानी जल के प्रबंधन आदि पर काम होता है। 34 झीलों के संरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। जिन परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है, उनमें जम्मू और कश्मीर में डल झील, मध्य प्रदेश में शिवपुरी तथा सिंध सागर झील, नगालैंड (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में मोकोकचंग स्थि जुड़वां झीलें, राजस्थान में अन्नसागर, पुष्कर तथा पिचोला झीलें और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल तथा लक्ष्मीताल प्रमुख हैं।

जलमय भूमि का संरक्षण

जलमय या दलदली भूमि बड़ी आबादी के लिए जीवनरेखा सरीखी होती हैं और ताजे जल का बड़ा स्रोत भी होती हैं। उनमें बहुत अधिक जैव-विविधता तो होती ही है, मानव जाति को वे पारितंत्र संबंधी कई सेवाएं भी देती हैं। किंतु मानव की गतिविधियों के कारण जलमय भूमि कम होती जा रही है। जलमय भूमि पर पड़ने वाले बड़े दबावों में जलविज्ञान की प्रणालियों का बंटना, बर्बाद हुए जलग्रहण क्षेत्र से गाद का आना, प्रदूषण, अतिक्रमणकारी प्रजातियों का फैलना तथा संसाधनों का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल होना शामिल हैं।

बर्बादी पर नियंत्रण करने और जलमय भूमि को बचाने के लिए 1987 में राष्ट्रीय जलमय भूमि संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया और चिह्नित जलमय भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्ययोजना लागू करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

रामसर संधि

संभावित जलमय भूमि संरक्षण के हेतु प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत ने 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय सहयोग करेगा और जलमय भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्ता भरे प्रयोग के

लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाएगा। फिलहाल भारत में 26 रामसर क्षेत्र हैं।

जलमय भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन) नियम

संधि के उद्देश्यों को लागू करने के लिए दिसंबर, 2010 में जीएसआर-951(ई) के जरिए जलमय भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम बनाकर नियामकीय प्रणाली लागू की गई। जलमय भूमि नियम, 2010 के अंतर्गत केंद्रीय जलमय भूमि नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 14 राज्यों में फैले 25 जलमय क्षेत्रों को पहले ही इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

विश्व जलमय भूमि दिवस

दुनियाभर में जलमय भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए जागरूकता फैलाने हेतु हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व जलमय भूमि दिवस (वर्ल्ड वेटलैंड्स डे) मनाया जाता है। 'जलमय भूमि और आपदा के खतरे में कमी' विषय के साथ विश्व जलमय भूमि दिवस-2017 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर भोज जलमय भूमि, भोपाल में मनाया गया। भोज जलमय भूमि रामसर संधि के तहत भारत में निर्धारित 26 रामसर स्थलों में शामिल है।

राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड

देश में वनरोपण, पौध रोपण, पर्यावरण की बहाली और पर्यावरण के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1992 में राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड (एनएईबी) की स्थापना की गई। एनएईबी समाप्त हो रहे वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों से लगी भूमि, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों तथा पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों जैसे- पश्चिमी हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाट आदि के पुनर्विकास पर विशेष ध्यान देता है।

एनएईबी के उद्देश्यों में समाप्त हुए वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि का व्यवस्थित नियोजन एवं क्रियान्वयन द्वारा पर्यावरणीय पुनर्वास करने की प्रणाली विकसित करना; पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए तथा ग्रामीण समुदायों की जलावन, चारे संबंधी एवं अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए वन आवरण को प्राकृतिक पुनर्निर्माण अथवा समुचित हस्तक्षेप के जरिए बहाल करना; समाप्त हुए जंगल तथा करीबी भूमि से जलावन, चारे, लकड़ी तथा अन्य वनोपज की उपलब्धता बढ़ाना ताकि इन उत्पादों की मांग पूरी हो सके; समाप्त हो रहे वन क्षेत्रों तथा निकटवर्ती भूमि के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए नई तथा उचित प्रौद्योगिकियां प्रचारित करने के लिए अनसंधान प्रायोजित करना तथा जानकारी फैलानाः वनरोपण और पर्यावरण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य के साथ मिलकर सामान्य जागरूकता उत्पन्न करना तथा जनांदोलन को मजबूत करना एवं समाप्त हुए वन क्षेत्र तथा समीप की भूमि के सहभागितापूर्ण एवं सतत टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ा देना शामिल है।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम योजना

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) योजना भारत सरकार में एनएईबी की प्रमुख वनरोपण योजना है। 2000-02 में आरंभ की गई यह योजना अपने क्रियान्वयन के पिछले सोलह वर्षों में परे भारत में फैल गई है और देश के 28 राज्य वन विभाग की जमीन पर वन विकास एजेंसियों और गांवों के स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की दोहरी संस्थागत व्यवस्था के जरिए इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। 2010-11 से एफडीए हेतु धन की आवक सुगम बनाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी बनाई गई हैं। यह कार्यक्रम अब राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी, जिला/वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के त्रिस्तरीय ढांचे से संचालित होता है। आरंभिक गतिविधियों के अंतर्गत 'केयर एंड शेयर' के विचार के साथ सामुदायिक संपत्तियां तैयार की गई हैं। योजना का उद्देश्य है- सक्रिय जन सहभागिता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सुरक्षा; भूमि का विनाश, वनोन्मूलन तथा जैव विविधता की बर्बादी रोकना; पर्यावरण बहाल करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण विकास; ग्राम स्तर पर जन संगठन तैयार करना, जो गांवों के भीतर और आस-पास प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेंगे तथा ग्रामीण जनता की रोज़गार हासिल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्द्धन करेंगे।

पर्यावरण विकास बल योजना

पर्यावरण विकास बल (ईडीएफ) योजना को 1980 के दशक में अत्यधिक नष्ट हो जाने के कारण अथवा सुदूर स्थित होने के कारण अथवा कानून-व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण मुश्किल मान लिए गए क्षेत्रों के पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। यह मुश्किल क्षेत्रों में पर्यावरण के पुनर्वास तथा पूर्व सैन्यकर्मियों को सार्थक रोज़गार देने के दोहरे उद्देश्य पर आधारित है।

इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरण कार्यबल (ईटीएफ) की बटालियनों की स्थापना तथा संचालन पर होने वाला खर्च पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उठाता है और पौधों, बाड़ लगाने जैसी सामग्री एवं पेशेवर तथा प्रबंधकीय निर्देशन राज्य वन विभागों से प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय हरित भारत अभियान

राष्ट्रीय हरित भारत अभियान (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत चलने वाले आठ अभियानों में से एक है, जिसका लक्ष्य भारत के नष्ट होते वन को बचाना तथा बढ़ाना है ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। इसमें हरियाली बढ़ाने का सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया गया है और कार्बन को अलग करने (सीक्वेस्ट्रेशन) तथा उत्सर्जन में कमी जैसे लाभ के साथ पारितंत्र की विभिन्न सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अभियान में उप-अभियानों तथा हस्तक्षेपों के जरिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने तथा उसे कम करने की चुनौतियों से निपटा जाता है: (क) इसके तहत वन आवरण की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तथा पारितंत्र की सेवाएं बेहतर की जाती हैं; (ख) पारितंत्र बहाल किया जाता है और वन आवरण में वृद्धि की जाती है; (ग) कृषि-वानिकी तथा सामाजिक वानिकी पर ध्यान दिया जाता है और वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है।

पश्चिमी घाट पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा

पश्चिमी घाट जैव विविधता के प्रमुख वैश्विक केंद्र हैं और जैविक विविधता की खान हैं, जहां फूल वाले पौधों, मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों और अकशेरुकी प्राणियों की कई विलुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और प्रायद्वीपीय भारत की कई अन्य नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं है, जिन पर इस क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। इसीलिए पश्चिमी घाट के सतत एवं समावेशी विकास को जारी रखते हुए उसकी अनूठी जैव-विविधता को संरक्षित करने तथा बचाने की जरूरत है। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की अवधारणा किसी क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने तथा उसका टिकाऊ विकास होने द का तरीका है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र

मंत्रालय की 'राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र' (एनएनआरएमएस) योजना पूर्ववर्ती योजना आयोग की योजना समिति- राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र योजना (पीसी-एनएनआरएमएस) का ही अंग है और 1985 से चल रही है। देश के प्राकृतिक संसाधनों की सूची तैयार करने, मूल्यांकन करने तथा निगरानी करने के लिए दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही पीसी-एनएनआरएमएस का मुख्य उद्देश्य है।

वानिकी अनुसंधान

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र में अग्रणी संस्था भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के समग्र विकास पर काम कर रही है तथा वानिकी के सभी पक्षों को इसमें शामिल कर रही है। परिषद समाधान आधारित वानिकी अनुसंधान करती है, जो इस क्षेत्र में आने वाली नई समस्याओं के अनुरूप होता है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का संरक्षण, मरुस्थलीकरण तथा संसाधनों के सतत प्रबंधन एवं विकास जैसे वैश्विक मसले भी शामिल हैं। वन अनुसंधान में जुटे प्रमुख संस्थान हैं-

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर; काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरु; शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; हिमालई वन अनुसंधान संस्थान, शिमला; वन उत्पादकता संस्थान, रांची और वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी

वर्ष 1938 में स्थापित भारतीय वन महाविद्यालय को उन्नत बनाकर तथा नाम बदलकर 1987 में इस अकादमी की स्थापना की गई थी। अकादमी भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती है और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों को सेवाकाल के बीच में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसे 'स्टाफ कॉलेज' का दर्जा दिया गया है। अकादमी का कार्य आईएफएस के प्रोबेशन पर आए अधिकारियों को प्रशिक्षण के जरिए पेशेवर वन अधिकारी वाला ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना तथा उन्हें देश के वन एवं वन्यजीव संसाधनों को लगातार संभालने योग्य दक्षता प्रदान करना है। साथ ही यह उन्हें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में काम करने योग्य भी बनाता है। इसके क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सेवा में आए नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, सेवारत आईएफएस अधिकारियों के बैचों को प्रशिक्षण (मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम) देना, राज्य वन सेवा से प्रोन्नति पाकर आईएफएस में शामिल हुए अधिकारियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। अकादमी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारतीय राजस्व सेवाओं के प्रोबेशनरों, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों जैसे कई अन्य हितधारकों को भी ओरियंटेशन पाठ्यक्रम प्रदान करती है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की स्थापना 1986 में मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी। यह संस्थान वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रतिष्ठित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनकर उभरा है। इसके प्राथमिक कार्य हैं: (क) वन्यजीव तथा जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक अनुसंधान करना; (ख) वन्यजीव विज्ञान को शैक्षिक गतिविधियों के जरिए विकसित करना; (ग) वन्यजीव प्रबंधन एवं संरक्षण नियोजन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण; (घ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराना। संस्थान अनुसंधान के जरिए वन्यजीव विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त जानकारी तथा ज्ञान संबंधी उत्पाद तैयार कर रहा है और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में उनका उपयोग कर रहा है। साथ ही वह केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श सेवा भी प्रदान कर रहा है।

जैव विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना

भारतीय वन्यजीव संस्थान परियोजना क्रियान्वित करने वालों की क्षमता बढ़ाने के लिए और जैव विविधता संरक्षण दृष्टिकोण पर ज्ञान प्रबंधन केंद्र के रूप में इस परियोजना के क्रियान्वयन में साझेदार है।

राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम

राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) का गठन 2001-02 में किया गया। एनजीसी को मिली शानदार प्रतिक्रिया ने 15 वर्ष में देशभर में एक लाख ईको क्लबों का नेटवर्क तैयार कर दिया है, जिससे यह सबसे बड़े संरक्षण नेटवर्कों में शुमार हो गया है। एनजीसी कार्यक्रम के अंतर्गत 86,765 ईको क्लबों को सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य के साथ 1986 के मध्य में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी) आरंभ किया गया। इस अभियान में देशभर के एनजीओ, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, महिला तथा युवा संगठनों, सैन्य इकाइयों, सरकारी विभागों आदि में जागरूकता बढ़ाने और कार्योन्मुख गतिविधियों के लिए छोटा-सा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है। 2016-17 के लिए विषय 'स्वच्छ भारत अभियान, गंगा पुनर्वास एवं नदी स्वच्छता' था।

राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की एक पहल है, जिसका लक्ष्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाना, उसके बारे में समझाना तथा उसके प्रति लगाव उत्पन्न करना है। इस पहल के जरिए यह उम्मीद की जाती है कि मिडल स्कूल (कक्षा 6 से 8) जाने वाले प्रत्येक बच्चे को उन वर्षों के दौरान कम से कम 2-3 दिन के लिए शिविर में रहने का अनुभव प्राप्त होगा।

ग्लोब

ग्लोब लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टु बेनिफिट द एन्वायरन्मेंट (ग्लोब) अंतरराष्टीय पर्यावरण विज्ञान तथा शिक्षा कार्यक्रम है, जो छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों को वैश्विक पर्यावरण के अध्ययन के लिए एक साथ लाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अमरीकी सरकार ने भारत में ग्लोब कार्यक्रम लागू करने के लिए 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इंडियन एन्वायरन्मेंटल सोसायटी, दिल्ली भारत में ग्लोब की क्रियान्वयन एजेंसी है।

उत्कृष्टता केंद्र

उत्कृष्टता केंद्र की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई। योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, एनजीओ समेत प्रतिष्ठित संस्थानों पेशेवर संगठनों और अन्य वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को चुनिंदा सहयोग प्रदान करना है ताकि वे मंत्रालय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उस विशिष्ट विषय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत केंद्र बन सकें। फिलहाल मंत्रालय के अधीन सात उत्कृष्टता केंद्र काम कर रहे हैं। ये हैं- पर्यावरण शिक्षा केंद्र, अहमदाबाद; सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई; पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु; सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं इतिहास केंद्र, कोयंबटूर; सेंटर फॉर एन्वायरन्मेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड ईको सिस्टम्स, दिल्ली; मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई और फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, बंगलुरु।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण तथा वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से वर्ष 2010 में एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी। इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुक़सान से राहत एवं मुआवजा दिलाना और उससे संबंधित अथवा उससे मिलते-जुलते मामलों को देखना भी शामिल है।

यह विशेष निकाय है, जिसके पास विभिन्न विषयों वाले मामलों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है। अधिकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित की गई प्रक्रिया से नहीं बंधा है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलना होता है। अधिकरण को आवेदनों तथा अपीलों का निपटारा दाखिल होने के छह महीने के भीतर करने का प्रयास करना होता है।

एनजीटी की पांच पीठ हैं; मुख्य पीठ दिल्ली में है और पुणे, कोलकाता, भोपाल तथा चेन्नई में क्षेत्रीय पीठ भी हैं। अधिकरण के शिमला, शिलांग और जोधपुर में सर्किट पीठ भी हैं।

जलवायु परिवर्तन

पृथ्वी की जलवायु हमेशा बदलती और विकसित होती रही है। उनमें से कुछ परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हुए हैं किंतु अन्य परिवर्तन मानवीय गतिविधियों के कारण हुए हैं, जैसे- वनोन्मूलन, उद्योग एवं परिवहन आदि से होने वाले उत्सर्जन, जिसके कारण वातावरण में गैसें और एरोसॉल जमा हो गई हैं। इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस कहा जाता है क्योंकि वे गर्मी को रोक लेती हैं और ज़मीन के पास हवा का तापमान बढ़ा देती हैं, जैसे ग्रह की सतह पर ग्रीनहाउस करते हैं। देश में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषक क्षमता तैयार करने और बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम (सीसीएपी) के तहत विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकें तथा वार्ताएं की गईं, जिनमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-22) शामिल हैं

।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एवं राज्य कार्ययोजना

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की घरेलू रणनीति उसके कई सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों में निहित है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) को विशिष्ट क्षेत्रों में नोडल मंत्रालयों के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, अधिक ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ कृषि, टिकाऊ आवास, जल, हिमालई पारितंत्र, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के क्षेत्र में आठ राष्ट्रीय अभियान एनएपीसीसी के केंद्र में हैं।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष केंद्र की एक योजना है, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इसमें राष्ट्रीय क्रियान्वयन निकाय है। कोष का वास्तविक उद्देश्य अनुकूलन की ठोस गतिविधियों में सहायता करना है, जो समुदायों, क्षेत्रों तथा राज्यों के सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने वाली राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए जारी गतिविधियों में नहीं आती हैं।

जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम

मंत्रालय जनवरी, 2014 से ही 'जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम' नाम की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा नीतिगत कार्यक्रमों के लिए उचित संस्थागत ढांचा स्थापित करते हुए और सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए देश में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक एवं विश्लेषक क्षमता निर्मित करना एवं मजबूत करना है। एनसीएपी विभिन्न संस्थाओं वाला तथा विभिन्न एजेंसियों वाला अध्ययन है। इस पहल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदर्श तकनीकों का प्रयोग करते हुए ब्लैक कार्बन के प्रभावों की निगरानी एवं मूल्यांकन के जरिए जलवायु परिवर्तन में ब्लैक कार्बन की भूमिका की समझ बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ काम करता है।

पेरिस संधि

भारत ने 2016 में यूएनएफसीसी की पेरिस संधि को अंगीकार कर लिया। पेरिस संधिकेतथा उसके घटकों क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकें एवं अंतरराष्ट्रीय वार्ताएं आयोजित की गईं।

ओजोन प्रकोष्ठ

ओजोन परत का संरक्षण

ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना अणु है, जो सूर्य से तीव्र ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी स्तरों में ऑक्सीजन से प्राकृतिक रूप से बनती है। पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को विखंडित कर देता है और परमाणुओं को मुक्त कर देता है, जिनमें से कुछ ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं। इस प्रकार बनी लगभग 90 प्रतिशत ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर रहती है, जिसे वायुमंडल का क्षेत्र (स्ट्रेटोस्फियर) कहते हैं। वातावरण के इस हिस्से में पाई जाने वाली ओजोन को ओजोन की परत कहा जाता है।

ओजोन की परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक यूवी-बी विकिरण को समूचा सोख लेती है। यह पौधों और

पशुओं को यूवी-बी विकिरण से बचाती है। यूवी-बी विकिरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और फसलों की उपज घट सकती है। इसी के कारण 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना संधि की गई और 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन एवं खपत समाप्त करना है। भारत ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुई वियना संधि और ओजोन परत नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा उनमें होने वाले सभी संशोधन/परिवर्तन में शामिल है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संधि के प्रभावी एवं सामयिक क्रियान्वयन के लिए और ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ओजोन इकाई के रूप में ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

वियना संधि

ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना संधि तथा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वायुमंडलीय ओजोन के संरक्षण के लिए विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इतिहास में सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि माना गया है। इसे सभी ने स्वीकार किया है और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देश वियना संधि तथा उसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के 29 वर्षों के दौरान इस संधि के तहत असाधारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने सीएफसी, सीटीसी और हैलोन जैसे ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कई प्रमुख पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोग 2010 से ही बंद कर दिया है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि

भूमि के क्षरण तथा मरुस्थलीकरण को रोकने एवं भूमि वापस प्राप्त करने की चिंता कई राष्ट्रीय नीतियों में परिलक्षित होती है, जैसे- राष्ट्रीय जल नीति, 2012; राष्ट्रीय वन नीति, 1988; राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006; किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007; राष्ट्रीय वर्षा जल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), 2007। इनमें इन समस्याओं से निपटने में सहायक प्रावधान हैं। सतत वन प्रबंधन, सतत कृषि, सतत भूमि प्रबंधन के लक्ष्यों तथा देश सतत विकास के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, उनमें भी यह स्पष्ट होता है। भारत ने 1994 में मरुस्थलीकरण से निपटने की संयुक्त राष्ट्र की संधि (यूएनसीसीडी) पर हस्ताक्षर कर दिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यूएनसीसीडी के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है और संधि से संबंधित सभी मसलों के समन्वय के लिए मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ मंत्रालय के भीतर नोडल बिंदु है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास

मंत्रालय का अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सतत विकास (आईसीएंडएसडी) विभाग अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग एवं सतत विकास से संबंधित मामलों का समन्वय करता है, जिसमें सतत विकास के लक्ष्य भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

भारत यूएनईपी का सदस्य है और हर वर्ष यूएनईपी पर्यावरण कोष में एक लाख डॉलर का वार्षिक वित्तीय योगदान करता है। यूएनईपी के अंतरराष्ट्रीय संसाधन समूह के 33 सदस्यों में से तीन इस समय भारत से हैं। मंत्रालय आईआरपी संचालन समिति का सदस्य है। आईआरपी यूएनईपी की संसाधन कुशलता/सतत उपभोग एवं उत्पादन उप कार्यक्रम में मदद करता है और वह सरकारी नीति निर्माताओं, उद्योग एवं समाज के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करने के इरादे से दुनिया की सबसे गंभीर संसाधन समस्याओं का आकलन कर रहा है।

द ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी

भारत ग्लोबल एन्वायरन्मेंट फैसिलिटी (जीईएफ) का संस्थापक सदस्य है। 1991 में स्थापित जीईएफ 183 देशों की बहुपक्षीय वित्तीय सहायता प्रणाली है, जो वैश्विक पर्यावरणीय लाभों, जिन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में चिह्नित भी किया गया है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जीईएफ के कार्य जैव-विविधता संधि, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप संधि, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोधी संधि, स्टॉकहोम पीओपी संधि और मीनामाता

पारा संधि जैसी बहुपक्षीय पर्यावरण संधियों के सदस्यों के सम्मेलन से मिलने वाले निर्देशन के अनुसार तय किए गए हैं। जीईएफ के अनुदान पांच केंद्रीय क्षेत्रों यथा जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, अंतरराष्ट्रीय जल तथा रसायन एवं कचरा के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

13 वित्त

वित्त मंत्रालय पर सरकार के वित्त का प्रशासन संभालने का दायित्व है। इसका संबंध पूरे देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक एवं वित्तीय विषयों से है जिनमें विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए संसाधन जुटाना भी शामिल है। यह राज्यों को संसाधन के अंतरण समेत सरकार के व्यय का नियमन करता है। सरकार के अधीन देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित यह एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है, जो भारतीय राजकोष विभाग के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से यह कराधान, वित्तीय विधि निर्माण, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार, केंद्र और राज्य-वित्त और केंद्रीय-बजट के साथ संबंधित है। इस मंत्रालय के अंतर्गत, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय लागत लेखा सेवा और भारतीय सिविल लेखा सेवा का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण भी है।

इस मंत्रालय में पांच विभाग हैं, जिनके नाम हैं: (i) आर्थिक कार्य, (ii) व्यय, (ii) राजस्व, (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, तथा (v) वित्तीय सेवाएं।
वेबसाइट: www.finmin.nic.in

आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग, सरकार की नोडल एजेंसी है जो देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को निरूपित और निगरानी करती है। केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है। इसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों में व्यापक आर्थिक नीतियों का निर्माण और निगरानी करना, वित्तीय नीति और सार्वजनिक वित्त से संबंधित मुद्दों सहित मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और स्टॉक एक्सचेंजों सहित पूंजी बाजार को क्रियाशील बनाना, बैंक नोट और विभिन्न तरह के सिक्कों, डाक स्टेशनरी, डाक टिकटों का निर्माण और भारतीय आर्थिक सेवा (आईबीएस) के लिए कैडर प्रबंधन, करियर योजना और करियर प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

विभाग अन्य बातों के साथ वर्तमान आर्थिक रुझानों पर नज़र रखता है और मूल्य, ऋण, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति एवं निवेश संबंधी नियमन समेत उन सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता है, जिनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक एवं विदेशी पहलुओं पर प्रभाव हो सकता है। एफएओ, आईएलओ, यूनिडो जैसे विशेषज्ञता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुए अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहयोग के अतिरिक्त भारत को मिलने वाले सभी प्रकार के विदेशी, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की निगरानी भी इसी विभाग द्वारा की जाती है।

आर्थिक कार्य विभाग के 14 क्रियाशील प्रभाग हैं: (i) प्रशासन और समन्वय प्रभाग, (ii) सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, (ii) द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग, (iv) बजट प्रभाग, (v) मुद्रा और सिक्का प्रभाग, (vi) आर्थिक प्रभाग, (vii) पूंजी बाजार प्रभाग, (viii) वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा विधि निर्माण प्रभाग, (ix) वित्तीय स्थिरता प्रभाग, (x) अवसंरचना नीति तथा वित्त प्रभाग, (xi) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग, (xii) निवेश प्रभाग, (xiii) बहुपक्षीय संस्थान प्रभाग तथा (xiv) सांख्यिकी तथा आंकड़ा विश्लेषण व निगरानी प्रभाग। केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण

मुद्रा निदेशालय के पास होता है। एसपीएमसीआईएल भारत सरकार की टकसालों, करेंसी प्रेस, सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल का प्रबंधन करती है। बैंक नोट एवं सिक्कों के डिजाइन अथवा सुरक्षा तत्वों से संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने एवं स्मारक सिक्के जारी करने के अतिरिक्त निदेशालय को इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित करने तथा बैंक नोट एवं अन्य सुरक्षा उत्पादों के उत्पादन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री का स्वदेशीकरण करने का अधिकार है।
वेबसाइट: www.dea.gov.in

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय अथवा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है। 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहलाने वाला यह विवरण ही बजट का मुख्य दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की आय एवं भुगतान को तीन भागों में दिखाता है, जिनमें सरकार के खाते विभाजित किए जाते हैं: (क) समेकित कोष, (ख) आकस्मिक कोष और (ग) लोक खाता। सरकार द्वारा प्राप्त किया गया सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से हुई प्राप्तियां समेकित कोष कहलाती हैं। सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित कोष से ही होता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता। ऐसे अवसर आ सकते हैं, जब सरकार को संसद की अनुमति के बगैर ही आपात एवं अप्रत्याशित व्यय करने पड़ते हैं। ऐसे व्यय के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक कोष होता है। ऐसे व्यय के लिए तथा इसके समतुल्य राशि का आहरण समेकित कोष से करने के लिए बाद में संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और आकस्मिक कोष से खर्च हुई राशि की भरपाई कर दी जाती है। संसद द्वारा अधिकृत कोष में अभी 500 करोड़ रुपये की राशि है।

सरकार की समेकित कोष से संबंधित सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य निश्चित लेन-देन सरकार के खातों में आते हैं, जिनके संदर्भ में सरकार बैंकर के समान काम करती है। उदाहरण के लिए भविष्य निधि कोष, लघु बचत संग्रह एवं अन्य जमा आदि से संबंधित लेन-देन। इस प्रकार प्राप्त धन को लोक खाते में रखा जाता है और संबंधित भुगतान भी वहीं से किए जाते हैं, इसलिए लोक खाते से इस प्रकार के भुगतानों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ मामलों में विशिष्ट उद्देश्यों जैसे- सड़क विकास, मध्याह्न भोजन समेत प्राथमिक शिक्षा आदि पर व्यय के लिए सरकार के राजस्व का एक अंश अलग कोषों में रखा जाता है। इन राशियों को संसद की अनुमति के बाद समेकित कोष से आहरित किया जाता है और विशिष्ट उद्देश्यों पर व्यय हेतु लोक खाते में रखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों पर प्रस्तावित वास्तविक व्यय के लिए भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से है,अलग करना होता इसलिए सरकार का बजट (i) राजस्व बजट एवं (ii) पूंजी बजट से मिलकर बनता है।

अनुदान मांगें

समेकित कोष से होने वाले व्यय के अनुमान, जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है और संसद में जिन पर मतदान होता है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के लिए एक अनुदान मांग रखी जाती हैं। किंतु बड़े मंत्रालयों एवं विभागों के लिए एक से अधिक मांगें रखी जाती हैं। प्रत्येक मांग में सामान्यतः किसी सेवा के लिए सभी प्रावधान होते हैं अर्थात् राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों के लिए अनुदान एवं सेवा से संबंधित ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान होते हैं। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र के लिए अलग से मांग रखी जाती है।

जिन मामलों में किसी एक सेवा- जैसे ब्याज भुगतान के लिए किया गया प्रावधान पूरी तरह से समेकित निधि पर लगाए गए व्यय के लिए है, वहां मांग से अलग हट कर उस मद के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है और इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, किसी सेवा पर किए गए व्यय में 'स्वीकृत कर' और 'लगाया गया कर' दोनों मदें शामिल की जाती हैं, लेकिन बाद वाली मद को उस सेवा के लिए की गई मांग में शामिल किया जाता है। हालांकि उस मांग में 'स्वीकृत' और 'लगाए गए' प्रावधानों को अलग से दिखाया जाता है। अनुदान

मांगों को वार्षिक वित्तीय लेखे-जोखे के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त विधेयक

वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 110 (1)(ए) की आवश्यकता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लागू करने, समाप्त करने, माफ करने, परिवर्तित करने तथा उनका नियमन करने का विवरण होता है। वित्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक होता है। इसके साथ उसमें शामिल किए गए प्रावधानों के विवरण वाला एक ज्ञापन संलग्न होता है।

विनियोग विधेयक

अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान होने के बाद अनुमोदित राशि का आहरण समेकित कोष से करने तथा समेकित कोष पर 'भारित' व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का आहरण करने हेतु विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 114 (3) के अंतर्गत संसद द्वारा कानून लागू किए बगैर समेकित कोष से किसी भी प्रकार की राशि नहीं निकाली जा सकती।

भुगतान का संतुलन

वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति सुगम और संतोषजनक बनी रही। हालांकि 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के दौरान चालू वित्तीय घाटा बढ़ कर 57.3 अरब अमरीकी डॉलर (सकल उत्पाद दर का 2.1 प्रतिशत) तक पहुंच गया जो इसके पहले के वित्त वर्ष 2017-18 (अप्रैल-मार्च) में 48.7 अरब अमेरिकी डॉलर (सकल उत्पाद दर का 1.8 प्रतिशत) दर्ज किया गया था। 2017-18 (अप्रैल-मार्च) में भुगतान संतुलन के आधार पर 309.0 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक निर्यात हुआ था जो 2018-19 (अप्रैल-मार्च) 9.1 प्रतिशत बढ़कर 337.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 2017-18 (मार्च-अप्रैल) में किया गया 469 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात 2018-19 (अप्रैल-मार्च) में 10.3 प्रतिशत बढ़कर 517.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे 2018-19 (अप्रैल-मार्च) में 180.3 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 160.0 अरब था। शुद्ध सेवाओं और शुद्ध निजी लेनदेन में वृद्धि के कारण शुद्ध अदृश्य प्राप्तियां 2018-19 (अप्रैल-मार्च) में 123.0 अरब से अधिक रहीं जबकि 2017-18 (अप्रैल-मार्च) में यह दोनों 111.3 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थीं। 2018-19 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सालाना आधार पर शुद्ध सेवाओं की प्राप्ति में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राजस्व के स्रोत

संविधान (18वां संशोधन) अधिनियम, 2000 जिसे 1 अप्रैल, 1996 से लागू किया गया है, के अनुसार अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों एवं करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों एवं शुल्कों पर संबंधित अधिभार एवं संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से लागू किए गए उपकर के अतिरिक्त केंद्रीय सूची में दिए गए सभी प्रकार के करों को भारत सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा एवं संग्रहीत किया जाएगा और उसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य उसी विधि से वितरित किया जाएगा, जिस विधि का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। 2015-2020 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण की विधि चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार के पश्चात् जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित कर दी गई है। केंद्रीय कर राजस्व के मुख्य स्रोत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, निगम एवं आय कर होते हैं। गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज से होने वाली प्राप्तियां, लाभांश/लाभ, जुर्माने तथा प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन, विनियामकीय शुल्कों एवं लाइसेंस शुल्क तथा सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपयोग शुल्क से होने वाली अन्य प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं।

सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं

भारत के सार्वजनिक ऋण को केंद्र सरकार की देयताओं की तीन श्रेणियों आंतरिक ऋण, विदेशी ऋण और अन्य देयताओं में विभाजित किया गया है।

भारत सरकार के आंतरिक ऋण में प्रमुख अंश निश्चित अवधि एवं निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों (दिनांकित प्रतिभूतियां एवं सरकारी हुंडियां) का होता है, जिनका निर्गम नीलामियों के माध्यम से किया जाता है। इनमें बाजार ऋण (दिनांकित प्रतिभूतियां), सरकारी हुंडियां (91, 182 और 364 दिन) और 14 दिन की अवधि वाली सरकारी हुंडियां (केवल राज्य सरकारों के लिए निर्गम), नकदी प्रबंधन बिल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋण-पत्र (बॉण्ड), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की जाने वाली गैर-विनिमय एवं गैर-ब्याज वाली रुपये की प्रतिभूतियां तथा बाज़ार स्थायित्व योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां होती हैं। इसका उद्देश्य भौतिक सोने पर निर्भरता कम करना और आयात कम करना है।

विदेशी ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का सूचक होता है। केंद्र सरकार अंतरराष्टीय पंजी बाजारों से सीधे ऋण नहीं लेती है। विदेशी मद्रा में उधारी लेने की इसकी प्रक्रिया बहुपक्षीय एजेंसियों एवं द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है और आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) का हिस्सा होती है।

'अन्य' देयताएं सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत नहीं आतीं। उनमें सरकार की ब्याज प्रदान करने वाली अन्य बाध्यताएं होती हैं, जैसे- डाकघर बचत जमा, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा, डाकघर नकद प्रमाण-पत्र के माध्यम से लिए गए ऋण, भविष्य निधि एवं कुछ अन्य निश्चित जमा।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (धारा 20 एवं 21) के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंधन करता है और उनके लिए बैंकर का काम करता है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के लिए भी, संबंधित राज्य के सरकार की सहमति द्वारा, समान कार्यों का दायित्व लेता है (धारा 21 ए के अंतर्गत)।

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

मुख्य कार्यक्रमों यथा- सर्वशिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं, स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 100 स्मार्ट शहर, आदि को उच्च प्राथमिकता जारी है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया एक मुख्य सुधार पहल है। यह विभिन्न सरकारी नकद अंतरण के लाभ हेतु व्यापक दृष्टि और निर्देश देता है। आधार परियोजना का लाभ लेने हेतु डीबीटी की कल्पना अभीष्ट लाभार्थियों की सही पहचान और दक्षता बढ़ाने, योजनाओं के अंतर्गत लाभों/सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य से की गई थी। डीबीटी के आदेश को व्यापक बनाया गया तथा इसका विस्तार कर व्यक्तिगत लाभार्थियों को नकद लाभ अंतरण के अवयव वाले सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इसके अंतर्गत लाया गया। डीबीटी के क्षेत्र का पुनः विस्तार कर इसे लाभार्थियों के नकद अंतरण तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि जैसी सरकारी योजनाओं के विभिन्न अवयवों को दिए जाने वाले अंतरणों/मानदेयों और लाभार्थियों को वस्तु हस्तांतरण को भी इसमें शामिल किया गया। डीबीटी पहल (एलपीजी सब्सिडी हेतु संशोधित डीबीटीएल) जैसी योजनाओं, पुद्दुचेरी, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में सार्वजनिक वितरण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी योजनाओं ने पूरे देश में उत्साहजनक परिणाम का प्रदर्शन किया है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर डीबीटी के क्रियान्वयन हेतु नए तंत्र की स्थापना सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना तथा अधिकार का समुचित वितरण, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक लाभों/सेवाओं की डिलीवरी हेतु वित्तीय संसाधन की जरूरत है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2005-06 से अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण हेतु योजनाओं संबंधी अलग विवरण बजट दस्तावेज में शामिल किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह विवरण केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं से संबंधित 'अनुसूचित जाति उपयोजना' और 'जनजातीय उपयोजना' के अंतर्गत योजना (प्लान) स्कीमों पर केंद्रित है। इसमें वर्षवार वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान होता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्ववर्ती योजना आयोग योजना आवंटनों के एक भाग के रूप में

एससीएसपी और टीएसपी हेतु अलग-अलग आवंटन कर रहा है।

ग्रीन जलवायु कोष

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के विकासशील देशों के प्रयासों के समर्थन हेतु ग्रीन जलवायु कोष (जीसीएफ), जो एक बहुपक्षीय कोष है, बनाया गया है। जीसीएफ ने प्रारंभिक रूप से संसाधन जुटाना वर्ष 2014 में शुरू किया और 10.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के संसाधन जुटाए। अब तक जीसीएफ बोर्ड द्वारा 43 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। भारत की भी एक परियोजना बोर्ड द्वारा नाबार्ड के साथ अनुमोदित है। यह परियोजना- 'ओडिशा के कमजोर आदिवासी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लचीलापन बढ़ाने हेतु भू-जल पुनर्भरण और सौर सूक्ष्म सिंचाई' जीसीएफ बोर्ड की 16वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। यह परियोजना 34.357 मिलियन अमरीकी डॉलर के जीसीएफ अनुदान सहित 166.29 मिलियन अमरीकी डॉलर परिव्यय हेतु अनुमोदित है, जिसमें अन्य वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था ओडिशा सरकार और विश्व बैंक द्वारा की जाएगी।

आर्थिक विकास

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मई 2019 में जारी राष्ट्रीय आय के अंतरिम अनुमान (पीई) के अनुसार वर्ष 2011-12 की स्थिर बाजार दर के आधार पर 2018-19 के लिए जीडीपी में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जबकि इसी आधार पर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई थी। 2011-12 के स्थिर बाजार मूल्यों के आधार पर 2018-19 में सकल मूल्यवृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि 2017-18 में सकल मूल्य वृद्धि 6.9 प्रतिशत दर्ज हुई। क्षेत्रीय स्तर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में में 2018-19 की अवधि में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की सकल मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2018-19 की विभिन्न तिमाहियों के लिए लगातार कीमतों पर जीडीपी की अनुमानित वृद्धि क्रमशः 8.0 प्रतिशत, 7.0 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत रही।

मूल्य

मुद्रास्फीति (आधार 2012=100) के आधार पर वर्ष 2017-18 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) घटकर 3.6 प्रतिशत हो गया, जो 2016-17 में 4.5 प्रतिशत, 2015-16 में 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 5.9 प्रतिशत रहा था। 2018-19 में इसका औसत 3.4 प्रतिशत था और मार्च 2019 में 2.9 प्रतिशत था। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति 2017-18 में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गया, जो 2016-17 में 4.2 प्रतिशत था। 2015-16 में यह 4.9 प्रतिशत और 2014-15 में 6.4 प्रतिशत था। 2018-19 में इसका औसत 0.1 प्रतिशत रहा और मार्च 2019 में औसत 0.3 प्रतिशत। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ मेंतिमापी गई मुद्रास्फी 2016-17 के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 3.0 प्रतिशत रही। 2015-16 में यह (-) 3.7 प्रतिशत और 2014-15 में 1.2 प्रतिशत थी। 2018-19 में इसका औसत 4.3 प्रतिशत और मार्च 2019 में 3.1 प्रतिशत था।

विदेशी मुद्रा भंडार

रुपये के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से ही भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी पैठ बना कर अपने लिए एक निश्चित स्तर पर विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है। 28 जून, 2019 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 427.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च, 2019 के इसके 412.9 अरब अमेरिकी डॉलर भंडार से 14.9 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्शाता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैक्रो आर्थिक अनिश्चितता से बचने के लिए यह विनिमय दर की संतोषजनक स्थिति है।

रुपया का विनिमय दर

वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) में रुपये की औसत मासिक विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) अप्रैल, 2018 में 65.64 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर और मार्च, 2019 में 69.48 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर थी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, रुपया 2018-19 में 7.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69.93 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया जबकि वर्ष 2017-18 में यह 64.46 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था। मार्च, 2019 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया के मूल्य में सुधार हुआ।

विदेशी ऋण

मार्च, 2019 के अंत में भारत का बाहरी ऋण स्टॉक 543.02 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च, 2018 के अंत के स्तर से 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक है। भारत के बाहरी ऋण की पूर्ण रुपेण अदायगी का लेखा-जोखा दीर्घकालिक उधार के प्रभुत्व को दर्शाता है। मार्च, 2019 के अंत में, दीर्घकालिक बाहरी ऋण 434.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो कि मार्च 2018 के अंत के 427.1 अरब अमेरिकी डॉलर से 1.7 प्रतिशत अधिक था। मार्च, 2019 के अंत में दीर्घकालिक बाह्य ऋण कुल बाहरी ऋण का 80.0 प्रतिशत था जबकि मार्च, 2018 के अंत में यह 80.7 प्रतिशत था।

जलवायु परिवर्तन

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (COP 24) के लिए सदस्य देशों के सम्मेलन का 24वां सत्र पोलैंड के काटोविस में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पेरिस समझौते से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों/नियमों को अंतिम रूप दिया जाना था। पेरिस समझौता 2020 के बाद की अवधि के लिए है। इसके तहत, विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। विकसित देशों ने यह संकल्प लिया था कि वे वर्ष 2020 तक विकासशील देशों में जलवायु से जुड़े कार्यों में सहायता देने के लिए प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएंगे। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.5 और 9.7 के अंतर्गत जलवायु के लिए वित्तीय सहायता से जुड़े मुद्दों, विशेषकर वित्तीय प्रावधानों पर दिशानिर्देशों को लागू किया गया।

बैंकिंग क्षेत्र

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में (घरेलू परिचालन) खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन सुधरा है। मार्च, 2018 और दिसंबर, 2018 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर प्रदर्शनकारी अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत हो गया, साथ ही, उनके पुनर्रचित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात में 0.7 से 0.4 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इसी अवधि में स्ट्रेस एडवांस (एसए) अनुपात 12.1 से घटकर 10.5 प्रतिशत हो गया। मार्च, 2018 और दिसंबर, 2018 के बीच सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों का जीएनपीए अनुपात 15.5 से घटकर 13.9 प्रतिशत हो गया।

ऋण वृद्धि

फरवरी, 2019 में गैर-खाद्य ऋण (एनएफसी) में 13.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई1,8जबकि फरवरी, 20 में यह वृद्धि 9.8 प्रतिशत थी। बड़े उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दिए गए बैंक ऋण 2018 19 में समग्र एनएफसी वृद्धि के प्रमुख कारक थे। मध्यम और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण हाल के महीनों में और कम हो गया है।

बैंकिंग विनियमों में परिवर्तन

बड़े उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋण की समय पर अदायगी के चलन को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों से ऋण जारी करने से सम्बंधित दिशानिर्देश 5 दिसंबर, 2018 को जारी किए गए थे। तदनुसार जिन उधारकर्ताओं के पास बैंकिंग से कुल 1500 मिलियन और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी थी उनके लिए 01 अप्रैल, 2019 से स्वीकृत सीमा के 40 प्रतिशत के 'ऋण घटक' का न्यूनतम स्तर प्रभावी था। इस 40 प्रतिशत ऋण घटक को 1 जुलाई, 2019 से संशोधित कर 60 प्रतिशत कर दिया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के ऋणों का एक बार पुनर्गठन

पहली जनवरी, 2019 को कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से 25 करोड़ रुपये तक के ऋणों को पूरी अवधि में एक बार फिर से पुनर्गठन करने की योजना लागू की गई। यह पुनर्गठन 31 मार्च, 2020 तक लागू किया जाना है। इस योजना के तहत पुनर्गठित खातों के संबंध में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान रखा जाएगा।

मौद्रिक गतिविधियां

वर्ष 2016 के संशोधित वैधानिक ढांचे के तहत, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2018-19 में छह बैठकें कीं। अप्रैल, 2018 में 2018-19 के लिए अपने पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो दर को 6.0 प्रतिशत पर बनाए रखने और तटस्थता की नीति को जारी रखने का निर्णय किया। खाद्य और ईंधन के अलावा मुद्रास्फीति के बढ़ने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के उछाल मारने वाले बढ़े खतरे के मद्देनजर एमपीसी ने अपनी तटस्थता की नीति बनाए रखते हुए 6 जून, 2018 की अपनी बैठक में पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25 करने का फैसला किया। अगस्त में तीसरी द्वि-मासिक बैठक में एमपीसी ने रुख को तटस्थ रखते हुए नीतिगत रेपो दर को और 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। हालांकि, अक्टूबर, 2018 के चौथे द्वि-मासिक विवरण में पॉलिसी रुख को तटस्थ से आंशिक नियंत्रण वाला कर दिया। फरवरी, 2019 में एमपीसी ने अपनी छठी द्विमासिक बैठक में मौद्रिक नीति के रुख को आंशिक नियंत्रित से बदलकर फिर तटस्थ कर दिया और रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।

दिवाला और दिवालियापन कोड

व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ाने हेतु वैश्विक मानदंडों के अनुरूप भारत में आवश्यक न्यायिक क्षमता वाले उद्यमों अनुकूल कानूनी दिवालियापन ढांचा प्रदान करने के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 2014 को किया गया था। तदनुसार, दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) 2016 से प्रभाव में आया। इस कोड का लक्ष्य है- उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और समयबद्ध रूप में निगम के लोगों, साझेदार फर्मों और व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाने और उसे संबंधित मामलों के लिए पुनर्गठन और दिवालियापन प्रस्ताव से संबंधित कानूनों के एकीकरण और संशोधन द्वारा सभी भागीदारों के हितों में संतुलन कायम करना। यह कोड निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करने हेतु एक ढांचे का प्रस्ताव करता है- किसी व्यापार में तनाव का जल्दी पता लगाना; कर्जदाता; वित्तीय ऋणदाता या परिचालन लेनदार द्वारा दिवालियापन प्रस्ताव की प्रक्रिया प्रारंभ करना; अलाभकारी व्यवसायों का परिसमापन और विफल व्यवसायों के मूल्य में नुकसान से परहेज करना। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इस कोड के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर्नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती और संस्थानीकरण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर फोरम के रूप में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) स्थापना 2010 में की गई थी। यह परिषद, अन्य बातों के साथ, बड़ी वित्तीय कंपनियों के संगठन के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के वृहत् विवेकशील पर्यवेक्षण को मॉनीटर करता है तथा वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों का समाधान करता है। आर्थिक मामलों के विभाग में अवस्थित एसएसडीसी सचिवालय परिषद को सचिवालीय सहयोग देता है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड

कमजोरियों के समाधान और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत नियामक, पर्यवेक्षकीय और अन्य नीतियों के क्रियान्वयन और विकास हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरणों, मानक स्थापित करने वाले निकायों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को साथ लाकर वर्ष 2009 में जी-20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना की गई थी। भारत एफएसबी का एक सक्रिय सदस्य है और पूर्ण अधिवेशन में इसके तीन सदस्य हैं।

अवसंरचना वित्त पोषण

निवेश की आवश्यकताओं और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु जन संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु माध्यमों की तलाश आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में अवसंरचना में दीर्घावधि निवेश जुटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) बैंक वित्तपोषण: बैंक अवसंरचना वित्त पोषण के मुख्य स्रोत रहे हैं। आरबीआई 5/25 योजना; टेक आउट

वित्तपोषण सहित अवसंरचना के लिए अग्रिमों के दिशानिर्देशों में संशोधन कर रहा है।

(ii) संस्थागत वित्त: अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका के निर्वहन के विशिष्ट आदेश के साथ सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है। आईआईएफसीएल दीर्घावधि ऋण, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्वित्त के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को निधि प्रदान करता है, जिसकी अवधि 10 वर्षों से अधिक की अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रूप में होती है।

(iii) अवसंरचना ऋण कोष (आईडीएफ): भारत सरकार ने परिचालन संपत्ति के लिए परियोजना ऋणों का बैंकों से निश्चित आय बाज़ार में स्थानांतरण में सहायता हेतु अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और तीव्र करने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण कोष (आईडीएफ) की अवधारणा को जन्म दिया।

(iv) रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट्स)/अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट्स): ये न्यास आधारित ढांचे हैं जो प्रभावी कर छूट और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाते हैं। इनविट्स तथा रीट्स हेतु दिशानिर्देश/नियामक सेबी द्वारा 2014 में अधिसूचित किए गए थे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारियां

निरंतर आधार पर व्यापक और समावेशी विकास हेतु उत्तम अवसंरचना की निरंतर आधार पर उपलब्धता पहली आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा हेतु भी अवसंरचना महत्वपूर्ण है। निवेश जरूरतों की व्यापकता और भौतिक अवसंरचना में निवेश हेतु सार्वजनिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के मेल द्वारा अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए रास्ते की तलाश आवश्यक है। पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की कमी को पूरा करता है तथा सृजित परिसंपत्ति के रख-रखाव और संचालन हेतु प्रभावी लागत वाली नई प्रौद्योगिकी लाकर प्रस्ताव के लिए लंबी अवधि का मूल्य प्राप्त करता है। भारत ने उच्च प्राथमिकता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और अवसंरचना की डिलीवरी हेतु योजनाबद्ध तरीके से पीपीपी कार्यक्रम लागू किया है तथा पिछले दशक में संभवतः विश्व के सबसे बड़े पीपीपी कार्यक्रमों में से एक विकसित किया है।

सूचना प्रसार

भारत में पीपीपी प्रयासों से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने हेतु डीईए का पीपीपी प्रकोष्ठ एक वेबसाइट: www.pppinindia.gov.in का रखरखाव करता है। यह वेबसाइट भारत में पीपीपी पहल पर सूचना भंडार के रूप में काम करता है जिसमें संबंधित नीतिगत दस्तावेज, ऐसी परियोजनाओं को मुख्यधारा में लाने हेतु जारी सरकारी दिशानिर्देश हैं। इसमें पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं के त्वरित मूल्यांकन और पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन हेतु योजनाओं के सांस्थानिक तंत्र संबंधी सूचनाएं शामिल हैं। इस वेबसाइट में पीपीपी द्वारा विकसित विभिन्न ज्ञान उत्पादों सहित ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले लोक अधिकारियों और निजी डेवलपरों से सर्वोत्तम पीपीपी साझा कर उनकी योग्यता में वृद्धि करना शामिल है।

भारत के सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे पीपीपी समेत अवसंरचना परियोजनाओं का एक डाटाबेस www.infrastructureindia.gov.in है। यह सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है।

जी-20

जी-20 की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच के रूप में यह मानकर की गई कि वैश्विक आर्थिक महत्व विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाज़ारों वाली अर्थव्यवस्था की ओर व्यापक रूप से स्थानांतरित हो रही है। विश्व के आर्थिक समन्वयक के रूप में जी-8 की लगातार घटती भूमिका तथा आर्थिक प्रशासन पर वैश्विक बातचीत में उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्था के बढ़ते वर्चस्व के कारण 1999 में जी-8 के स्थान पर जी-20 आ गया।

जी-20 को वास्तव में प्रमुखता 2008 में मिली, जब 2007-10 के वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभावी रूप से उत्तर देते हुए इसे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच की बजाय राष्ट्राध्यक्षों के मंच का रूप दे दिया गया।

ब्रिक्स

ब्रिक्स राष्ट्र अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका दक्षिण-दक्षिण सहयोग के पांच मुख्य स्तंभ हैं और जी-20 जैसे वैश्विक फोरम में उभरते हुए बाज़ार तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधि स्वर हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित नवीन विकास बैंक ने मार्च, 2017 में मध्य प्रदेश में मुख्य जिला सड़क परियोजना के वित्तपोषण हेतु ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित कर भारत में अपनी पहली छाप छोड़ी। स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के सुदृढ़ पाइपलाइन के विकास हेतु भारत बैंक के प्रबंधन के साथ घनिष्ठ रूप से मिलकर काम कर रहा है। 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की पूंजी के साथ ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) के रूप में कल्पित विनिमय का ढांचा, किसी सदस्य राष्ट्र को अल्पावधि के लिए नकदी समर्थन की जरूरत होने की स्थिति में परिचालित होता है। व्यापक आर्थिक स्थिति के आदान-प्रदान की पद्धति विकसित कर ब्रिक्स केंद्रीय बैंक सीआरए के अंतर्गत अपनी शोध क्षमताओं को मजबूत करने हेतु काम कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) है। यूएनडीपी का उद्देश्य कार्यक्रम में शामिल देशों में दरिद्रता उन्मूलन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण समेत सतत मानव विकास हेतु क्षमता विकास के माध्यम से सहयोग करना है। यूएनडीपी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी प्रकार की सहायता अनुदान के रूप में होती है। यूएनडीपी को विभिन्न दाता देशों से प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक योगदान से धन मिलता है। यूएनडीपी में भारत का वार्षिक योगदान 45 करोड़ डॉलर तक रहा है, जो विकासशील देशों के बीच बहुत बड़ा योगदान है। वार्षिक योगदान के अतिरिक्त भारत सरकार स्थानीय कार्यालय के व्यय का भी आंशिक भुगतान करता है। यूएनडीपी संसाधनों का देशवार आवंटन, देशीय सहयोग ढांचे (सीसीएफ) के अंतर्गत पांच वर्ष में एक बार किया जाता है, जो प्रायः भारत की पंचवर्षीय योजना के साथ ही चलता है।
वेबसाइट: www.undp.org

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना है। इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इसका सचिवालय काठमांडू में है। इसने इस क्षेत्र के नागरिकों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों के समाधान हेतु कई क्षेत्रीय समझौते किए हैं तथा संस्थान बनाए हैं, यह विचारों के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं के विकास के लिए आम सहमति के आधार का एक मंच है। लघु अवधि के विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने या दीर्घ अवधि के लिए व्यवस्था होने तक अथवा लघु अवधि में ही मुद्दे का समाधान हो जाने तक भुगतान शेष के संकटों के समाधान की राह प्रदान करने के इरादे से सार्क देशों के बीच मुद्रा की अदला-बदली की व्यवस्था की गई थी। इस सुविधा के अंतर्गत सार्क के प्रत्येक सदस्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के लिए आरबीआई उनके दो महीने की आयात जरूरतों पर निर्भर तथा अमरीकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में कुल दो बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं हो; विभिन्न आकार के मुद्रा की अदला-बदली प्रदान करता है। अभी तक भूटान, श्रीलंका और मालदीव द्वारा इस सुविधा का लाभ लिया गया है।
वेबसाइट: www.saarc-sec.org

सार्क विकास कोष *(*एसडीएफ*)*

सार्क विकास कोष (एसडीएफ) की स्थापना 2008 में सार्क देशों द्वारा क्षेत्र में लोगों के जीवनयापन में सुधार और

आर्थिक वृद्धि तेज करने, सामाजिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन हेतु की गई थी। यह कोष कई सार्क परियोजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। एसडीएफ में परियोजना की फंडिंग तीन मुख्य क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना) के अंतर्गत की जानी है। परियोजना क्रियान्वयन के लिए एसडीएफ के तीन मुद्दों में से आर्थिक और अवसंरचना मुद्दे परिचालित किए जा रहे हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

आर्थिक कार्य विभाग का द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग जी-8 देशों, संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता से संबंधित मामले देखता है। यह प्रभाग विकासशील देशों के लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार से संबंधित कार्य को भी देखता है। यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों/देशों द्वारा चार हफ्तों तक के लघु आवधिक विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशासन के लिए केंद्र बिंदु है।

द्विपक्षीय अधिकारिक विकास सहायता

भारत अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र के विकास और केंद्र एवं राज्य दोनों जगहों पर भारतीय नागरिकों के ज्ञान/कौशल की वृद्धि के लिए अपने द्विपक्षीय पार्टनरों से ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में विदेशी सहायता स्वीकार करता रहा है। 2005 में जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार द्विपक्षीय विकास सहायता सभी जी-8 देशों, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी फेडरेशन तथा यूरोपियन संघ, से स्वीकार किए जा सकते हैं। जी-8 से बाहर के यूरोपियन यूनियन के देश भी भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता दे सकते हैं बशर्ते वे न्यूनतम 2.5 करोड़ डॉलर वार्षिक विकास सहायता के लिए प्रतिबद्ध हों।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना सहयोगी और स्थाई मौद्रिक ढांचा के विकास हेतु की गई थी। वर्तमान में 188 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। स्थापना के बाद से ही इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु इसके परिचालन में, जिसमें निगरानी, वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है, विकसित हो रहे विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों के हिसाब से विकास हुआ है। आईएमएफ के शासक मंडल में एक गवर्नर और प्रत्येक सदस्य देशों से एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। भारत के लिए वित्तमंत्री आईएमएफ के शासक मंडल हेतु पदेन गवर्नर हैं। आईएमएफ में भारत के क्षेत्र में तीन अन्य देश बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के वैकल्पिक गवर्नर हैं।
वेबसाइट: www.imf.org

विश्व बैंक

भारत गरीबी में कमी लाने, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, आदि क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के माध्यम से विश्व बैंक से कर्ज लेता है। भारत सरकार के लिए आईडीए कोष सबसे रियायती विदेशी ऋण है तथा इसका उपयोग मुख्यतः सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने वाले सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाता है। हालांकि, भारत आईडीए से डिग्री प्राप्त है।
वेबसाइट: www.wordlbank.org

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देता है। 1956 में स्थापित आईएफसी में 184 सदस्य हैं। भारत आईएफसी का संस्थापक सदस्य है, जो देश में निजी क्षेत्र के वित्त पोषण और सलाह को परिचालित करता है। विनिर्माण, वित्तीय बाजारों, कृषि व्यवसाय, एसएमई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला है। विश्व बैंक समूह के देश साझेदारी रणनीति (सीपीएस) के अनुरूप भारत में आईएफसी का ध्यान भारत के निम्न आय वाले राज्यों पर केंद्रित है।

नवीन विकास बैंक

नवीन विकास बैंक (एनडीबी) की स्थापना उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना और सतत विकास पहल को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है। एनडीबी के संस्थापक सदस्य हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), जिन्होंने प्रारंभिक योगदान द्वारा एक बिलियन अमरीकी डॉलर की पूंजी जुटाई है।
वेबसाइट: www.ndb.int

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) एक बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) है जिसकी स्थापना अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा एशिया में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, उत्पादक संपत्तियों का सृजन और अवसंरचना में सुधार के लिए वर्ष 2016 में स्थापित किया गया। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है और दूसरा सबसे बड़ा अंशधारक है। एआईआईबी की बीजिंग में स्थापना हेतु वर्ष 2016 में भारत और बीस अन्य देशों ने अंतर-सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।
वेबसाइट: www.aiib.org

कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष

कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र के 13वें विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के रूप में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी और भूख उन्मूलन के प्रति समर्पित है।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) साझा वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के उपायों के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त अनुदान और रियायती कोष प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। जीईएफ पात्र देशों को पांच मुख्य क्षेत्रों में अनुदान देता है: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अवक्रमण, अंतरराष्ट्रीय जल, रसायन एवं कचरा। यह जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), स्थाई जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन (पीओपी), बंजर से मकाबले के लिए संयक्त राष्ट सम्मेलन (यएनसीसीडी), मरकरी के विषय में मिनामाटा सम्मेलन के लिए वित्तपोषक तंत्र के रूप में भी काम करता है तथा ओजोन परत (एमपी) नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉनट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में भी मदद करता है।

एशियाई विकास बैंक

भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का एक संस्थापक सदस्य है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। एडीबी के 67 सदस्य हैं (48 क्षेत्रीय और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों सहित) और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। दिसंबर, 2016 तक एडीबी में भारत का 6,72,030 शेयरों के साथ 6.331 प्रतिशत शेयर होल्डिंग तथा मताधिकार 5.363 प्रतिशत है। बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने के कार्य में लगा है। इस कार्य हेतु ऋण और इक्विटी निवेश, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और अन्य सलाहकार सेवाएं, गारंटी, अनुदान और नीति चर्चाएं इसके मुख्य यंत्र हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पूर्ण बाह्य ऋण प्रबंधन नीति के अंतर्गत जिसमें रियायती शर्तों पर कम व्ययशील स्रोतों से और दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले कोष प्राप्त करने पर केंद्रित है, एडीबी से ऋण प्राप्त करता है। भारत ने 1986 में एडीबी से ऋण लेना शुरू किया।
वेबसाइट: www.adb.org

मुद्रा एवं सिक्के

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। यह नौ इकाइयों- चार टकसालें, चार प्रेस (दो मुद्रा नोट प्रेस एवं दो प्रतिभूति प्रेस) एवं एक कागज मिल के निगमीकरण से बनी है, जो पहले वित्त मंत्रालय के अधीन थीं। कंपनी आरबीआई को मुद्रा/बैंक नोट एवं सिक्के, विभिन्न राज्य सरकारों को स्टांप-पत्र, डाक विभाग को डाक स्टेशनरी एवं टिकट, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट, वीजा स्टिकर एवं यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेज की आपूर्ति करती है। अन्य उत्पादों में स्मारक सिक्के, एमआईसीआर एवं नॉन-एमआईसीआर चेक आदि शामिल हैं। बैंक नोट कागज के उत्पादन में स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसपीएमसीआईएल) और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के 50:50 वाले संयुक्त उपक्रम बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की भी स्थापना दो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पेपर लाइनों को लागू करने हेतु की गई है, जिसकी कुल वार्षिक क्षमता लगभग 12,000 मीट्रिक टन है। इन दोनों स्रोतों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है।
वेबसाइट: www.spmcil.com

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

भारत सरकार ने अपने आर्थिक कार्यक्रम के मूल तत्वों में से एक अवसंरचना में निवेश किया है। 1992 से 2010 के दौरान अवसंरचना में भारत का औसत निवेश जीडीपी का 4.7 प्रतिशत था; इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्रों में इक्विटी के प्रवाह में कमी आई है जिससे आगे निवेश बाधित हुआ है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का निर्माण वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों में तथा रुकी हुई परियोजनाओं समेत अवसंरचना विकास के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से इक्विटी निवेश पाने के उद्देश्य से की गई थी।
वेबसाइट: www.niifindia.in

अंतरराष्ट्रीय निवेश समझौते एवं ढांचा

भारत सरकार ने विस्तृत आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जो वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ था, के एक भाग के रूप में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईटी)/द्विपक्षीय निवेश प्रोन्नति एवं सुरक्षा समझौते (बीआईपीए) करने की शुरुआत की थी। बीआईटी अनिवार्यतः एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारा हेतु एक स्वतंत्र फोरम प्रदान करते हुए व्यवहार का एक न्यूनतम मानक और सभी मामले में भेदभाव नहीं होना सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के सुविधा स्तर को बढ़ाता है और उनमें विश्वास की वृद्धि करता है। बदले में बीआईटी से भारत को एक आकर्षक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना और विदेशों को जाने वाले भारतीय एफडीआई की रक्षा करना अपेक्षित है।

वर्ष 1993 के बाद से हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए बीआईटी से जुड़े मुद्दों के सारे पहलू और सीईसीए/सीईपीए मुक्त व्यवसाय समझौतों (एफटीए) के सावधानीपूर्वक परीक्षण की जरूरत थी। वर्ष 2015 के नए भारतीय बीआईटी मॉडल का लक्ष्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों और व्यवहारों के आलोक में भारत में विदेशी निवेशकों और विदेशों में भारतीय निवेशकों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना है।

व्यय विभाग

व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की देख-रेख करने वाला नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन, ऑडिट टिप्पणियों/अवलोकनों की मॉनीटरिंग, केंद्र सरकार के खातों की तैयारी के लिए उत्तरदाई है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों का अनुकूलन करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में भी सहायता करता है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल है वित्तीय नियमों/विनियमों/आदेशों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालय/विभागों में व्यय प्रबंधन की देखरेख, प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं की पूर्व मंजूरी का मूल्यांकन तथा राज्यों को हस्तांतरित थोक केंद्रीय बजटीय संसाधनों की हैंडलिंग, कार्मिक एवं स्थापना डिवीजन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का नियमन,

पेंशन मामलों पर नीति और पदों के सृजन एवं उन्नयन तथा कैडर की समीक्षा जैसे कार्मिक मामलों से संबद्ध मामलों सहित सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों (डीएफपीआर) आदि जैसे विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रशासन हेतु उत्तरदाई है।
वेबसाइट: www.doe.gov.in

महालेखा नियंत्रक

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक (सीजीए) भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है और तकनीकी रूप से सुदृढ़ लेखा प्रबंधन प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। सीजीए का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, देनदारियों और विभिन्न राजकोषीय सूचकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। संविधान की धारा 150 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन दस्तावेजों के साथ 'लेखा एक नजर में' शीर्षक वाला एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार कर संसद में वितरित किया जाता है। यह सामान्य सिद्धांतों, केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए प्रपत्र और लेखा की प्रक्रिया से संबद्ध नीतियां बनाता है। यह केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान, प्राप्तियां और लेखा की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सरकार की राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक मजबूत वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति के माध्यम से केंद्रीय सरकार के मासिक और वार्षिक लेखा तैयार, समेकित और जमा करता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों में अपने आंतरिक लेखा परीक्षा इकाइयों के माध्यम से विभागीय लेखा कार्यालयों में लेखा के निर्दिष्ट तकनीकी मानकों को बनाए रखने और सिविल मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों के वित्तीय निष्पादन और प्रभावोत्पादकता की मानिटरिंग हेतु उत्तरदाई है।
वेबसाइट: www.cga.nic.in

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (पीएफएमएस) सीजीए द्वारा आकल्पित, विकसित, स्वामित्व वाला तथा क्रियान्वित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। पीएफएमएस का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान, प्राप्ति और लेखांकन के व्यापक नेटवर्क के स्थापना द्वारा एक समर्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पद्धति की सुविधा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य है- (i) समय पर कोषों का अंतरण और (ii) कोषों के जारी होने से संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में इसके जमा होने तक पूरी ट्रैकिंग। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान एवं प्राप्ति हेतु सक्षम बनाकर पीएफएमएस डिजिटल भारत पहल में प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण, योगदान करता है। विभिन्न राज्य सरकारों के वित्तीय आईटी पद्धतियों के साथ एकीकरण पीएफएमएस का एक मुख्य उद्देश्य है जिससे योजना कार्यान्वयन हेतु अंतरित कोषों की पूरी ट्रैकिंग और कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध वित्तकि समग्र अवलोकन सुविधा मिलेगी।

नॉन-टैक्स रेसिप्ट पोर्टल

नॉन-टैक्स रेसिप्ट पोर्टल (एनटीआरपी) का उद्देश्य नागरिकों/कॉरपोरेट्स/संस्थानों/अन्य प्रयोगकर्ताओं को एकल खिडकी पर भारत सरकार के देय गैर-कर पावतियों (एनटीआर) को जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसका उद्घाटन वर्ष 2016 में किया गया। इस पोर्टल में ऑनलाइन यूज़र इंटरफेस, पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर पर भुगतान और सरकारी विभाग/मंत्रालय द्वारा पावतियों का लेखा-जोखा सहित गैर-कर पावतियों की संपूर्ण मूल्य शृंखला के अंत से अंत समाधान की सुविधा है। एनटीआरपी पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर (पीजीए) साधन का उपयोग करता है। यह सुदृढ़ सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के बैक-एंड तंत्र से काम लेता है जहां सारे डाटा संकलित होते हैं और एमआईएस रिपोर्ट्स भी लेखा-जोखा और निगरानी दोनों उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होते हैं।

सरकारी लेखा और वित्त संस्थान

सरकारी लेखा और वित संस्थान (आईएनजीएएफ) कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स का प्रशिक्षण प्रभाग है। लेखा प्रशासनिक कार्यों तथा वित्तीय प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना के बाद के वर्षों में यह संस्था सरकारी लेखा तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र चेन्नई, कोलकाता,

आईजॉल तथा मुंबई में भी हैं।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की स्थापना वर्ष 1990 में केंद्रीय (सिविल) पेंशनधारियों और स्वतंत्रता सेनानियों आदि के लेखा एवं भुगतान के लिए किया गया था। सीपीएओ व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के अधीन एक सहायक कार्यालय है। यह अधिकृत बैंकों के जरिए केंद्र सरकार (सिविल) के पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना के संचालन के लिए उत्तरदाई है। इसके मुख्य कार्य हैं- पेंशन वितरण बैंकों के सीपीपीसी (केंद्रीय पेंशन प्रक्रिया केंद्रों) को नए पेंशन और पेंशन पुनरीक्षण मामलों में भुगतान के लिए प्राधिकृत करने हेतु स्पेशल सील ऑथोरिटीज (एसएसए) निर्गत करना; पेंशन अनुदान और संबंधित लेखा हेतु बजट की तैयारी; केंद्रीय सिविल पेंशनरों के पीपीओ और पुनरीक्षण प्राधिकारों में दर्ज सभी विवरणों वाले डाटा बैंक का अनुरक्षण; केंद्रीय सिविल पेंशनरों की शिकायतों को संभालना।

(क) सातवें सीपीसी पेंशन संशोधन की ई-संशोधन उपयोगिता: सीपीएओ ने ई-संशोधन उपयोगिता विकसित की है जिसमें सीपीओज़ को भेजे जाने वाले सातवें सीपीसी पेंशन मामलों के संशोधन के लिए ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित संशोधन अधिकार पत्र भेजना भी शामिल है। इस सुविधा का इस्तेमाल केंद्रीय नागर मंत्रालयों/विभागों के 600 भुगतान एवं लेखा कार्यालय कर रहे हैं। सीपीएओ पेंशन हेतु अधिकार प्राप्त सभी 24 बैंकों के 39 सीपीसीसी (केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्र) को डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक विशेष सील प्राधिकार (ई-एसएसए) उपलब्ध करा रहे हैं। इस सेवा के आधार पर लिखित शब्द सीमा पीएओज़ से सीपीएओ तक और सीपीओ से बैंकों तक सीमित रह गई है।

(ख) ऑनलाइन पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स (पीआरओज़) नंबर आवंटन: वर्ष 2016 से केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग (सीपीएओ) ने वेतन और लेखा कार्यालय की सीपीएओ वेबसाइट पर ऑनलाइन पीपीओ नंबर आवंटन की सुविधा आरंभ की है ताकि कागज आधारित पीपीओ नंबरों के आवंटन की आवश्यकता न पड़े। इसके आधार पर कागजी कार्य कम और कार्य प्रक्रिया पहले से तेज हो सकेगी। इसकी मदद से समय और डाक खर्च की भी बचत होगी।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान (ई-पीपीओ): केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) द्वारा कागज रहित कार्यप्रणाली हेतु पेंशन के लिए 24 आधिकारिक बैंकों के 39 केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्रों (सीपीपीसीज़) को प्रस्तावित डिजिटलीकृत हस्ताक्षरित ई-विशेष सील प्राधिकार (ई-एसएसए) कार्यशील है। साथ ही, सभी सीपीसीसीज़ अपने एसटीटीपी सर्वरों में नए तथा संशोधित पेंशन मामलों के डिजिटल हस्ताक्षरित विशेष सील प्राधिकार प्राप्त कर रहा है।

(घ) वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सेवा (डब्ल्यूआरपीएस): भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऑनलाइन अवसंरचना में सुधार के जरिए तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाए। यह कार्य सुरक्षित एवं स्थाई डिजिटल अवसंरचना; सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्रारूप में; वृहद डिजिटल शिक्षा के आधार पर भी किया जा सकता है।

(ङ) सीपीएओ की सोशल मीडिया उपस्थिति: पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों को बेहतर सेवा और उनकी शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए हैं। पेंशनधारी को सीपीएओ से संपर्क करने के लिए यह नवीनतम तरीके हैं। पेंशनधारकों एवं अन्य लाभार्थियों को ई-संशोधन उपयोगिता के लिए डब्ल्यूआरपीएस सुविधा के बेहतर इस्तेमाल हेतु कई शिक्षाप्रद वीडियो भी बनाए गए हैं।

(च) पेंशन पुनप्रीप्ति और लेखा प्रणाली प्राधिकरण (पीएआरएएस): पेंशन प्रक्रिया से सम्बंधित सभी कार्यों को उनके कार्यालय में प्राप्त होने से लेकर पूर्ण करके भेजने तक अब पारस (पीएआरएएस) के माध्यम से किया जाता है। पारस का वेब इंटरफेस पेंशनभोगियों को उनके वेतन और लेखा कार्यालय/मंत्रालय और बैंक के माध्यम से आवश्यक सारी जानकारी देता है। वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने लगभग 13 लाख केंद्रीय सिविल पेंशन मामलों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किया है। अब इन पेंशनरों का डिजिटल डेटाबेस भी बना लिया गया है। निगरानी उद्देश्यों के लिए इस सॉफ्टवेयर द्वारा विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट भी तैयार की जाती हैं।

(छ) अन्य मुख्य वेब सुविधाएं : सेवानिवृत्त हो चुके और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए इस सॉफ्टवेयर से मिलने वाली अन्य सुविधाएं इस प्रकार हैं : पेंशन और संशोधित आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड; पेंशन की डाउनलोड सुविधा; पेंशन प्रसंस्करण की नवीनतम स्थिति की जानकारी; शिकायतों का निपटारा; जीवन प्रमाण, भविष्य और अन्य संबंधित पोर्टल्स आदि के लिए लिंक की उपलब्धता।
वेबसाइट: www.cpao.nic.in

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) की स्थापना वर्ष 1993 में सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की गई। केंद्र के कैबिनेट में विचार किया गया कि एनआईएफएम, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के जरिए भर्ती किए गए और सरकार में लेखा एवं वित्त से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए उत्तरदाई वरिष्ठ एवं उच्च प्रबंधकीय पदों पर तैनात किए गए अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान होगा। संस्थान का लक्ष्य न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में वित्तीय प्रबंधन एवं संबंधित विधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर विकसित होना है। संस्थान संकाय की योग्यता तथा क्षमता के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करता है। वर्तमान में यह संस्थान एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पांच दीर्घावधि कार्यकम संचालित करता है। लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन नए चयनित व्यक्तियों हेतु एक वर्ष का पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा; सरकारी वित्त प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम; केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के अधीन अन्य संगठनों के अधिकारियों हेतु प्रबंधन में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय प्रबंधन) सक्षम शोधकर्ताओं, शिक्षकों और सलाहकारों के निर्माण हेतु प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वित्तीय बाज़ार)।
वेबसाइट: www.nifm.ac.in

सामान्य वित्तीय नियमों का पुनरीक्षण

सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों से संबंधित नियम एवं आदेश हैं। सामान्य वित्तीय नियम पहली बार 1947 में, वित्तीय मामलों से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों और अनुदेशों को एक साथ लाकर, जारी किए गए थे। इनमें क्रमशः संशोधन कर इन्हें जीएफआर 1963 और जीएफआर 2005 के रूप में जारी किया गया। सेवाओं की समयानुसार डिलीवरी की सुविधा में जरूरी लचीलापन प्रदान करते हुए राजकोषीय प्रबंधन की उन्नत, दक्ष और प्रभावकारी फ्रेमवर्क में सक्षमता हेतु सामान्य वित्तीय नियम-2017 जारी किया गया था। विगत कुछ वर्षों में सरकार ने अपने व्यवसाय संचालन के तरीकों में कई अभिनव बदलाव किए हैं। गैर-योजना और योजना व्यय में अंतर को हटाना, रेलवे बजट को सामान्य दस्तावेज के माध्यम से परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना जैसे सरका बजट में सुधार इन सभी का जीएफआर में परिलक्षित होना जरूरी है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पद्धति (पीएफएमएस) पर ज्यादा ध्यान, अधिकारों का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना पर भरोसा, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटिंग (जीईएम) पोर्टल, गैर-कर राजस्व पोर्टल जैसी नई ई-साइटों के लागू होने से भी वर्तमान जीएफआरएस के पुनरीक्षण की जरूरत हुई ताकि बदलते व्यावसायिक वातावरण के साथ सामंजस्य रखा जा सके। इसका उद्देश्य था जीएफआर को जवाबदेही के सिद्धांतों और वित्तीय अनुशासन तथा यथेष्ट प्रशासनिक तत्परता की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दक्षता बनाए रखना। स्वशासी निकायों को चलाने के तरीकों के अतिरिक्त गैर-कर राजस्वों, उपयोग प्रभारों, ई-प्राप्ति पोर्टल पर नए नियम जोड़े गए थे।

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी राजस्व मामलों के संबंध में दो वैद्यानिक निकायों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से नियंत्रण रखता है। यह विभाग केंद्रीय बिक्री कर, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य संबंधित राजकोषीय विधियों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियामक उपायों को लागू करने तथा प्रशासन संबंधी कार्य भी करता है। यह विभाग अफ़ीम का उत्पादन और इसके उत्पादों के निष्पादन पर भी नियंत्रण रखता है।

वस्तु एवं सेवा कर

विधाई विकास

राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2006-07 में पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन 2016 में किया गया था। वर्तमान में जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है। केंद्रीय जीएसटी बिल 2017; एकीकृत जीएसटी बिल 2017; जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) बिल 2017; पारित कर देश में जीएसटी जुलाई, 2017 में लागू किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय निर्माणों (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 के अंतर्गत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे सामान्यतः प्रतिकारी शुल्क जाना जाता है, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और केंद्रीय अधिप्रभारों एवं चुंगियों में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति से संबद्ध है, को सम्मिलित करना; वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतरराज्ईय के लेन-देन पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाना; वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत मानव खपत हेतु अल्कोहॉलिक शराब के अतिरिक्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करना। पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में यह प्रावधान है कि इन वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में जीएसटी की अनुशंसा पर अधिसूचित तिथि तक नहीं रखा जाएगा। संसद एवं राज्य विधान सभाओं को वस्तु एवं सेवा कर को संचालित करने वाले नियमों को बनाने हेतु समवर्ती शक्ति प्रदान करना; वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई जिसकी अवधि पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 लेन-देन के रिकॉर्ड किए गए दस्तावेजों से संबंधित स्टाम्प के रूप में नियमों के अनुरूप एक राजकोषीय कानून है। संक्षेप में, स्टाम्प शुल्क से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान संविधान में है: अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 91 में निर्धारित दस्तावेजों, यथा विनिमय के बिलों, चेकों, प्रतिज्ञा-पत्रों, लदान-पत्रों, साख-पत्रों, बीमा की पॉलिसियों, ऋण-पत्रों, प्रॉक्सी और प्राप्तियों पर संघ द्वारा अनुच्छेद 268 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क लिए जाते हैं। सभी राज्य जिनमें ये वसूले जाते हैं, प्राप्तियों को जमा कर अपने पास रखते हैं (केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर जहां ये प्राप्तियां भारत के समेकित कोष का अंश होती हैं)। वर्तमान में चेकों को छोड़कर इन सभी दस्तावेजों पर शुल्क लिए जाते हैं:

(i) उपरोक्त में वर्णित दस्तावेजों के अलावा अन्य पर स्टाम्प शुल्क राज्यों द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में वर्णित प्रवृष्टि 63 के आधार पर लगाया और संग्रहित किया जाता है।

(ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रवृष्टि 44 के अंतर्गत शुल्क की दरोंसे संबंधित के अला अन्य प्रावधान संघ और राज्यों दोनों की विधाई शक्ति के अंतर्गत आते हैं।

(iii) ऋण-पत्रों और प्रतिज्ञा-पत्रों के मामले में स्टाम्प शुल्क की दरों को सितंबर, 2008 में केंद्र सरकार द्वारा युक्तिसंगत बनाया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रत्यक्ष कर

केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा बनाया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व वाला शीर्ष निकाय है। यह आयकर विभाग (आईटीडी) का कैडर नियंत्रक प्राधिकारी होता है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे सीबीडीटी ने आयकर विभाग के विस्तृत कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है करदाता अनुकूल क्षेत्र की स्थापना, कर-आधार में वृद्धि करना, पर्यवेक्षण में सुधार और सरकार के लिए अधिक राजस्व पैदा करना। करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन और बिना हस्तक्षेप वाला और गैर-विरोधात्मक कर प्रशासन के सृजन को बढ़ाने का प्रयास है।
वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in

राजस्व संग्रह

प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रह निरंतर बढ़ रहा है । उन्नत कर प्रशासन और बेहतर कर अनुपालन के परिणाम स्वरूप एक निर्धारित अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में सकारात्मक झुकाव दिख रहा है ।

ई-गवर्नेंस पहल

(क) स्थाई खाता संख्या पैन

स्थाई खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं और इसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवंटित किया जाने वाला 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक संख्या है । स्थाई खाता संख्या (पैन) विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेन-देन को लिंक करने में सक्षम बनाता है । पैन के माध्यम से जोड़े गए लेन-देन में कर भुगतान, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट, आय/संपत्ति के रिटर्न, विशिष्ट लेन-देन, पत्राचार आदि । इस तरह पैन आयकर विभाग के लिए किसी व्यक्ति हेतु पहचानकर्ता का काम करता है ।

(ख) सामान्य व्यावसायिक पहचान संख्या

पैन के पहचानकर्ता की भूमिका अब आयकर विभाग से बाहर भी फैल गई है क्योंकि अब इसकी जरूरत बैंक खाता खोलने, डीमैट खाता खोलने, सेवा कर हेतु पंजीकरण प्राप्त करने, बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क पंजीकरण आदि के लिए भी है । कई सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए पंजीकरण हेतु सामान्य व्यावसायिक पहचान संख्या (सीबीआईएन) अथवा केवल व्यावसायिक पहचान संख्या (बीआईएन) बनने का लाभ भी पैन को है ।

(ग) एक व्यक्ति एक पैन

आयकर विभाग किसी एक व्यक्ति को एक ही पैन रखने की अनुमति देता है । डुप्लीकेट पैन निर्गत होने से रोकने के लिए 'फोनेटिक मैचिंग एल्गोरिथ्म' वाले सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा डाटा के प्रतिलिपिकरण की जांच की जाती है । आधार नामांकन के माध्यम से संग्रहित बायोमीट्रिक डाटा का फायदा उठाने के क्रम में आधार कार्ड को पहचान के वैध प्रमाण (पीओआई), जन्म तिथि के प्रमाण (पीडीओबी) और पते का प्रमाण (पीओए) आयकर नियम 1962 के अंतर्गत पैन के आवंटन हेतु दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्णय किया गया था । प्रतिलिपिकरण नहीं होने देने की प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने के लए पैन डाटाबेस का व्यक्तियों के कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) से जोड़ा जा रहा है ।

(घ) पैन सेवा प्रदाता

पैन से जुड़ी सेवाएं जैसे पैन आवेदन-पत्र प्राप्त करना, जमा किए गए दस्तावेजों की जांच, पैन आवेदन पत्र का डिजिटलीकरण, डाटा की एनसीसी (राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र) पर अपलोडिंग, पैन कार्डों की छपाई और पैन कार्डों भेजना को पैन सेवा प्रदाता मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल और मेसर्स एनएसडीएलई गौण को आउटसोर्स किया गया है । अपने 20,000 से अधिक फ्रंट कार्यालयों (पैन केंद्रों) के नेटवर्क के माध्यम से आवेदकों के द्वारा जमा किए पैन आवेदन को प्राप्त और प्रॉसेस किया जाता है । हालांकि, पैन आयकर विभाग के राष्ट्रीय कंप्यूटर केंद्र (एनसीसी) के सुदृढ़ सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग के डाटाबेस में केंद्रीय रूप से उत्पन्न (जेनरेट) किया जाता है और उसके बाद सेवा प्रदाता द्वारा छपाई कर भेजा जाता है ।

(ङ) पैन सत्यापन सुविधा

पैन सत्यापन सुविधा सीबीडीटी के ई-फाइलिंग सर्वर के माध्यम से इंटरनेट द्वारा सरकारी विभागों को प्रदान किया जाता है । इस यूजर के द्वारा एक-एक कर पैन सत्यापन अथवा एक हजार पैन का थोक सत्यापन फाइल प्रोसेसिंग द्वारा किया जा सकता है ।

नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि (डीओबी)/शामिल किए जाने की तिथि (डीओआई) मालूम होने पर आयकर के सरकारी बेवसाइट: www.incometaxindia.gov.in पर अपना पैन जानें सुविधा के माध्यम से भी पैन का सत्यापन किया जा सकता है । आयकर पैन सेवा प्रदाताओं (यूटीआईआईटीएसएल और एनएसडीएलईजीओवी) द्वारा (i) वित्तीय संस्थानों (आरबीआई/बैंकों), (ii) सरकारी एजेंसियों, (iii) वार्षिक सूचना रिटर्न भरने वाले व्यक्ति, (iv) वार्षिक सूचना रिटर्न फाइल करने वाली कोई अन्य संस्था, (v) क्रेडिट कार्ड कंपनियों/संस्थानों, आदि जैसी एजेंसियों

को पैन सत्यापन हेतु सेवा भी प्रदान की जाती है।

(च) शिकायत निवारण मशीनरी

पैन से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी पूर्णतः स्पष्ट है। पैन से संबंधित कोई शिकायत जब भी प्राप्त होती है उसे दिशानिर्देश और वर्तमान अनुदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने सहित उचित कार्रवाई की जाती है। केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग पद्धति (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त की जाती है। पैन से जुड़ी सभी शिकायतें सीपीजीआरएसएस के वेबसाइट से डाउनलोड की जाती हैं और उनकी जांच के बाद निदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है तथा ऐसे मामलों में की गई निवारक कार्रवाई के बारे में सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। पैनधारकों और नए पैन आवेदकों के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-निवारण सुविधा के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराने का नया तरीका उपलब्ध कराया गया है। यहां शिकायतकर्ता विशिष्ट शिकायत और इस मामले के निवारण के लिए उत्तरदाई अधिकारी का चयन कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और विभाग के पदाधिकारियों के अलावा पैन सेवा प्रदाताओं मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल और मेसर्स एनएसडीएलई (जीओवी) के ई-निवारण तंत्र के साथ सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए समेकित कर दिया गया है।

नई पहल

(क) डीआईपीपी का ई-बिज पोर्टल के साथ एकीकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ई-बिज कार्यक्रम एक मिशन मोड परियोजना है जो निवेशकों को लाइसेंसिंग, पर्यावरण एवं भूमि मंजूरी, स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से अनुमोदन जैसी एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) का ई-बिज पोर्टल के साथ पैन एवं टैन सेवा का एल1 एल3 एकीकरण पूरा कर लिया गया है। एल1 एकीकरण में पैन तथा टैन हेतु आवेदन ई-बिज पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और पैन सेवा प्रदाताओं को अग्रेषित किए जाते हैं।

(ख) एमसीए पोर्टल के साथ एकीकरण

एमसीए पोर्टल पर सामान्य एप्लीकेशन प्रपत्र 'स्पाईस' (आईएनसी32) के प्रयोग द्वारा नई कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ पैन एवं टैन प्रक्रियाओं को एकीकृत कर दिया गया है। पैन एवं टैन का आवंटन एमसीए पोर्टल से प्रपत्र 49ए और 49बी में आवेदन डाटा प्राप्त होने के समय से चार घंटे के टर्न अराउंड समय (टीएटी) में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया द्वारा नई कंपनियों के समावेशन का प्रमाण-पत्र पर सीआईएन के साथ पैन भी छापा जा रहा है।

(ग) डीएससी और ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए कागजविहीन आवेदन

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र और आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए पैन के आवेदन हेतु ऑनलाइन पेपरलेस प्रक्रिया दोनों सेवा प्रदाताओं मेसर्स एनएसडीएल और मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल के वेबसाइटों पर प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र या ई-सिग्नेचर वाला कोई व्यक्ति पैन के लिए ऑनलाइन फॉर्म 49ए द्वारा आवेदन कर सकता है और पहचान के प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियों के साथ फोटो और हस्ताक्षर सहित डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड कर सकता है। उसे भौतिक रूप से डाक द्वारा दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं है।

(घ) आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस आवेदन

आधार डाटा और आवेदक के फोटो का उपयोग करते हुए पैन के आवंटन हेतु दूसरी पेपरलेस प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस प्रक्रिया को ई-केवाईसी प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें एक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक द्वारा सीधे आधार डाटाबेस से आवेदक का जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो लिया जाता है। आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करते हुए आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस है और कुछ भी संलग्न करने की जरूरत नहीं है जिससे पैन का आवंटन जल्दी होता है।

(ङ) पैन कार्ड

सभी नए आवेदकों और कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को अब ई-आधार की तर्ज पर ई-मेल द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित ई-पैन कार्ड प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। इस पहल से डाक द्वारा पैन कार्ड के प्रेषण के समय में कमी आई है।

(च) सामान्य सेवा केंद्र

देश के दूर-दराज क्षेत्रों में पैन आवेदन प्राप्त करने के लिए पैन सेवा प्रदाताओं मेसर्स यूटीआईआईटीएसएल और मेसर्स एनएसडीएलईजीओवी के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (ग्राम स्तरीय उद्यम) को नामांकित किया गया है। इस पहल के परिणामस्वरूप ग्रामीण स्तर पर पैन सेवाओं की पहुंच बढ़ी है।

(छ) आयकर रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

आयकर रिटों की ई-फाइलिंग सर्वप्रथम 2006-07 में निगमों हेतु शुरू की गई थी। यह सुविधा करदाताओं के लिए निःशुल्क है। विभाग में फाइल किए गए कुल रिटनों का लगभग 98 प्रतिशत ई रिटर्न है। ई-फाइलिंग वेबसाइट जिसके 6.2 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं लेखा परीक्षा रिपोर्टों, करदाताओं द्वारा आवेदनों और सूचनाप्रद विवरणों सहित विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु सुविधा प्रदान करता है। 50 से अधिक प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

(ज) व्यावसायिक प्रक्रियाओं की आईटी सक्षमता

कर प्रशासन के अंतर्गत व्यावसायिक प्रक्रियाओं की रि-इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भमिका है जो कर्मचारियों को सुसंगत और सक्षम रूप से परिणामों की डिलीवरी में समर्थ बनाता है। आयकर विभाग के सभी आंतरिक प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण हेत नए एप्लीकेशन के विकास के साथ ही आयकर व्यावसायिक एप्लीकेशन (आईटीबीए) की परिकल्पना की गई थी। आईटीबीए का मख्य उद्देश्य सभी आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ई-समर्थ बनाना है ताकि निर्णय लेने और रिपोर्टिंग, पत्राचार और आंतरिक अनुमोदनों में परिश्रम को कम करने हेतु सूचना और कार्य को एक ही स्थान पर लाकर अधिकारी और कर्मचारी अपनी दक्षता बढ़ाने में समर्थ हो पाएं।

(झ) ई-निवारण*:* शिकायत निवारण पद्धति का एकीकरण

ई-निवारण का उद्देश्य विभाग द्वारा प्राप्त सभी ऑनलाइन और भौतिक शिकायतों के एकीकरण द्वारा जब तक ये तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचती शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने हेतु कर दाताओं के शिकायत निवारण का त्वरि निपटारा है।

(ञ) आयकर विभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट *: http:incometaxindia.gov.in*

आयकर विभाग द्वारा आयकर दाताओं की सेवाओं में वृद्धि हेतु वर्ष 2014 में नए राष्ट्रीय (www.incometaxindia.gov.in) की शुरुआत एक मुख्य पहल के रूप में की गई थी। इसमें वर्ष 2015 में विभिन्न उपयोगकर्ताओं, व्यापार संघों और अन्य हिस्सेदारों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कई सेवाओं को शामिल कर सुधार किया गया था। नए लेआउट वाला वेबसाइट उपयोगकर्ताओं और करदाताओं के लिए वर्ष 2015 में शुरू कराया गया था। कई नए फीचर, सेवाएं और कार्यात्मकताओं को इसके साथ जोड़ा गया ताकि इसे यूजर फ्रेंडली सूचनाप्रद और उपयोगी बनाया जा सके।

प्रमुख नागरिक उपयोगी पहल

आयकर सेवा केंद्र

दूसरी एआरसी के 12 रिपोर्ट का लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नागरिक केंद्रित शासन है। आयकर सेवा केंद्र (एएसके) आयकर विभाग के सिटिजन चार्टर के कार्यान्वयन हेतु सिंगल विंडो पद्धति और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु एक तंत्र है। एएसके में प्राप्त सभी पत्रों और रिटर्नों का नियमित निष्पादन अनिवार्य

है जिसकी मॉनिटर्रिंग और समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जा सकती है । इससे आयकर विभाग में ई-गवर्नेंस की मजबूत संरचना की स्थापना और निरंतरता सुनिश्चित होती है ।

आयकर सेतु

स्मार्ट फोन का उपयोग दिनानुदिन बढ़ रहा है । आयकर दाता की सेवाओं और मोबाइल द्वारा पहुंच के अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप (एन्ड्रोयड/आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और आयकर दाता सेवाओं (टीपीएस) के अनुभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट पर एक उत्तरदाई संस्करण 'आयकर सेतु' 2017 में आरंभ किया गया है । आयकर सेतु से आयकरों के ऑनलाइन भुगतान, करों की गणना, ई-निवारण मोड्यूल के जरिए शिकायतों का निवारण, कर ज्ञान, टीडीएस/ट्रेसेज और अन्य विशिष्टताओं की सुविधा होगी ।

टीडीएस एसएमएस चेतावनी योजना

सीबीडीटी ने करदाताओं को समय पर और सही डाटा प्रदान कर बेहतर करदाता सेवा प्रदान करने के क्रम में इस योजना में वेतनभोगी कर्मियों को त्रैमासिक आधार पर एसएमएस चेतावनी देने की योजना शुरू की गई है ।

प्रचार अभियान

विगत कई वर्षों से विभाग ने अपनी संवाद रणनीति में बदलाव द्वारा स्वयं को विशुद्ध रूप से प्रवर्तन एजेंसी की बजाए करदाताओं को सुविधा व सेवा प्रदान करने वाले तथा राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देने वाले के रूप में पेश किया है । इस रणनीति ने विभाग को करदाताओं के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने तथा राष्ट्र को सुरक्षित, प्रगतिशील एवं विकसित बनाने में उनके योगदान को मान्यता देने योग्य बनाया है । बहुत सारे प्रचार अभियान चलाए गए जिनमें अग्रिम कर के भुगतान की निर्धारित तिथि, रिटों को फाइल करना, टीडीएस विवरणों की फाइलिंग और टीडीएस प्रमाण-पत्रों को जारी करना, वार्षिक सूचना रिटर्न की फाइलिंग, टीआरपी की सेवाओं, सतर्कता जागरुकता सत्ता, आय घोषणा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, विमुद्रीकरण और पुराने बकायादारों के नामों का प्रकाशन जैसे जागरूकता अभियान ।

सोशल मीडिया

विभाग ने दिसंबर, 2015 से सोशल मीडिया के माध्यम से अनुमोदित सोशल मीडिया नीति के अनुसार सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू किया है । सोशल मीडिया संबंधी गतिविधियां आधिकारिक ट्विटर खाता @incometaxindia के माध्यम से भी लगातार जारी है । विभाग के ट्विटर खाते के 1,00,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं ।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का कार्य सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाने और उनका संग्रह करने, तस्करी रोकने और शुल्कों के अपवंचन से संबंधित नीति बनाने और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों से संबंधित है । सीबीईसी के मुख्य उद्देश्य हैं: अप्रत्यक्ष कर राजस्वों का संग्रह, करदाता सेवाओं में सुधार, निष्पक्ष व्यापार हेतु अनुपालन में सुधार तथा सीमा नियंत्रणों को लागू करना और दक्षता तथा पारदर्शिता को उन्नत करना और ऐसे उद्देश्यों हेतु मानव संसाधनों का विकास । सीबीईसी में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं ।
वेबसाइट: www.cbic.gov.in

विवाद निपटारा एवं अपील: सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सेवा कर नियमों (वित्त अधिनियम, 1944) के अंतर्गत मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है । आयुक्त (अपील) वाली अपीलीय तंत्र सीमा शल्क एवं केंद्रीय उत्पाद के आयुक्त से नीचे रैंक वाले अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हैं । सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील न्यायाधिकरण, सीईएसटीएटी (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत

सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तों हेतु एक स्वतंत्र मंच है और आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दूसरा अपील है।

सीमा शुल्क

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई पद्धति (आईसीईएस) एक ईडीआई आधारित कार्य प्रवाही एप्लीकेशन है जो (i) आयात एवं निर्यात घोषणाओं/मालसूचियों की फाइलिंग और प्रोसेसिंग, (ii) चुने गए मालों का प्रणाली मूल्यांकन, (iii) माल निकासी के प्रभारी और अन्य संबद्ध एजेंसियों के साथ संदेश का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने में सक्षम बनाता है। 214 स्थानों पर कार्यान्वित आईसीईएल के दायरे में सामग्रीवार देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 98 प्रतिशत से अधिक और मूल्यवार 90 प्रतिशत आता है। वार्षिक 200 करोड़ से अधिक हिट वाला ई-कॉमर्स वेबपोर्टल भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईजीएटीई), आईसीईएस और सीमा शुल्क समुदाय के साझीदारों के बीच बातचीत का एकमात्र स्थल है। यह पंजीकरण, ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, दस्तावेज की स्थिति और हेल्पडेस्क तथा सीमा शुल्क और विभिन्न नियामक और लाइसेंसिंग पदाधिकारियों के बीच डाटा (लेन-देन और अनुवर्ती व्यापार की सुविधा प्रदान करना लेन-देन की लागत और कार्गो में लगने वाले समय में सहवर्ती कमी के साथ) जैसी सेवाएं प्रदान करता है तथा जोखिम प्रबंधन पद्धति के माध्यम से गैर-अनुरूप अथवा जोखिम भरे लेन-देनों को लक्षित करता है। 2016 में छह मुख्य भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के साथ सीमा शुल्क ईडीआई स्थलों पर व्यापार को सुविधा प्रदान करने हेतु एकल खिड़की इंटरफेस (स्विफ्ट) को आयातित मालों की निकासी हेतु एकमात्र स्थल, इंटरफेस के रूप में प्रारंभ किया गया। स्विफ्ट आवेदकों को सामान्य इलेक्ट्रॉनिक 'एकीकृत घोषणा' हेतु सक्षम बनाता है जिसमें सीमा शुल्क, एफएसएसएआई, पादक संगरोधन, पशु संगरोधन, ड्रग नियंत्रक वन्य जीवन नियंत्रण ब्योरों और वस्त्र समिति की जरूरतों के अनुसार सूचनाएं संग्रहित होती हैं और इससे इन एजेंसियों के नौ अलग-अलग प्रपत्रों को हटा दिया गया है।

उद्यम डाटा वेयरहाउस

सीबीईसी उद्यम डाटा वेयरहाउस को सर्वप्रथम क्रियान्वित करने वाले सरकारी विभागों में से एक है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित वास्तविक समय के करीब एक साफ और अनुरूप केंद्रीय भंडार है। ऑनलाइन विश्लेषक प्रोसेसिंग और डाटा माइनिंग हेतु इसके पास अपने वर्ग में सर्वोत्तम व्यवसाय आसूचना यंत्र है और वर्तमान में सीबीईसी, अन्य मंत्रालयों और बाहरी एजेंसियों द्वारा वांछित डाटा और रिपोर्ट का प्राथमिक स्रोत है।

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1947 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में नई दिल्ली में की गई थी। फेरा, 1947 को बाद में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 से बदल दिया गया था। फेरा एक आपराधिक अधिनियम था जिसमें निर्णय देने वाले अधिकारियों द्वारा उल्लंघनों पर निर्णय देने के अलावा अदालत में अभियोजना पक्ष के दाखिल होने का प्रावधान था। फेरा को वर्ष 2000 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) से बदल दिया गया। बाद में निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनीलॉन्डरिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए), जो 2005 में प्रभाव में आया, के उत्तरदायित्वों के कार्यान्वयन का काम भी सौंपा गया था। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय दो कानूनों यथा- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और काले धन को वैध करने की रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) को लागू करने के अलावा फेरा के अंतर्गत प्रारंभ किए गए बचे हुए कार्य भी देख रहा है। निदेशालय विशिष्ट आसूचना/सूचना के आधार पर विदेशी मुद्रा के लेन-देन से संबंधित उल्लंघनों हेतु जांच प्रारंभ करता है और फेमा के अंतर्गत उचित कार्रवाई करता है। अधिनियम के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकरणों की समस्त शिकायतें दर्ज की जाती हैं। सक्षम निर्णायक प्राधिकरणों द्वारा आरोप सही होने का निर्णय होने पर उल्लंघनों की राशि अधिकतम तीन गुणा तक की राशि का दंड प्राधिकरण द्वारा आरोपित किया जा सकता है। निर्णायक प्राधिकारी ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है।

पीएमएलए के अंतर्गत अधिनियम का अनुसूची में दर्ज अपराधों में से किसी एक के अंतर्गत कानून प्रवर्तन एजेंसी

द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद ही निदेशालय जांच शुरू कर सकता है। निदेशालय मामले की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि क्या अपराध की आमदनी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज विधेय अपराधों से प्राप्त हुई है और ऐसी आमदनी के अवैध धन को वैध बनाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला बनने की स्थिति में निदेशालय उस दागी संपत्ति को जब्त या अटैच कर सकता है। अधिनियम में सीमा पार से संबंध रखने वाले लेन-देन से उत्पन्न दागी संपत्ति का पता लगाने और उसे गतिहीन कर देने हेतु जांच प्रारंभ करने का भी प्रावधान है। ऐसे अन्वेषण विदेशी प्रशासकों के साथ निवेदन-पत्र के माध्यम से किए जाते हैं। पीएमएलए के अंतर्गत अवैध धन को वैध बनाने का अपराध दंडनीय है जिसकी सजा जुर्माने के साथ कम से कम तीन वर्षों की कैद जिसकी अवधि सात वर्षों तक हो सकती है। एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन संबंधी अपराधों की स्थिति में 10 वर्षों तक की कैद हो सकती है। पीएमएलए के अंतर्गत सजा होने की स्थिति में अटैच की गई संपत्ति जब्त कर ली जा सकती है।
वेबसाइट: www.enforcementdirectorate.gov.in

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रोसेसिंग, विश्लेषण करने और प्रसार हेतु केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। एफआईयू-आईएनडी की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अवैध धन को वैध बनाने, संबंधित अपराधों और आतंकवादियों के वित्तपोषण का सामना करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय नेटवर्क हेतु की गई थी। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री के नेतृत्व वाले आर्थिक आसूचना परिषद (आईईसी) को रिपोर्ट करती है। प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु एफआईयू-आईएनडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है। एफआईयू-आईएनडी की स्थापना एक प्रशासनिक एफआईयू के रूप में की गई है यानी- विश्लेषणों को पाने वाले और समुचित कानूनी प्रवर्तन या अन्वेषण एजेंसी को एसटीआर का प्रसार करने वाले एक स्वतंत्र सरकारी निकाय के रूप में एफआईयू-आईएनडी मामलों का अन्वेषण नहीं करता है। एफआईयू-आईएनडी के मुख्य कार्यों में घरेलू सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, आउटरीच, अनुरोध करने एवं फीडबैक देने सहित फाइलिंग, विश्लेषण और सूचना के प्रसार हेतु पूरा समाधान देते हुए सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म (एफआईएन नेट) का अनुपालन और प्रशासन शामिल है।
वेबसाइट: www.finindia.gov.in

नशीले पदार्थ

नशीले पदार्थ नियंत्रण

नशीले पदार्थों का नियंत्रण डिवीजन नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अधिनियम 1985 को लागू करता है। य अधिनियम चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, धारण, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, खपत, अंतरराज्ईय आयात, अंतरराज्ईय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का निषेध करता है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

नारकोटिक्स आयुक्त की अध्यक्षता में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) का मुख्यालय ग्वालियर में है। विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के पास है जबकि राजस्व विभाग इसके कामकाज की निगरानी करता है। इस प्रमुख विभाग को नशीले (मादक) औषधियों, नशे के लिए प्रयुक्त होने वाले (मादक) पदार्थों और नशीली दवाओं व सामग्री के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक रसायनों पर नियंत्रण संबंधी नीतिगत निर्णयों का काम सौंपा गया है। यह विभाग मादक द्रव्य पर 1961 के एकमात्र अंतरराष्टीय समझौते के अंतर्गत भारत के लिए अफीम पोस्ता की खेती पर नियंत्रण और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय अफीम एजेंसी का कार्य करता है। वर्तमान में अफीम की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चयनित अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है। अफीम पोस्ता की खेती पर नियंत्रण से संबंधित कार्य के अलावा सीबीएन मादक द्रव्यों की तस्करी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करता है और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस अधिनियम, 1985 और उसके अनुपालन हेतु बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करता है।

राजकीय अफीम और उपक्षार (अल्कलॉइड) कारखाने

देश में सभी राजकीय अफीम और उपक्षार (अल्कलॉइड) कारखाने (जीओएएफ) राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आते हैं और निर्यात उद्देश्यों एवं अफीम अल्कलॉइड के निर्माण के लिए कच्ची अफीम के शोधन और प्रसंस्करण का कार्य करते हैं। यह संगठन फैक्ट्रियों के मुख्य नियंत्रक के अधीन है।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण

सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (पूर्ववर्ती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपील न्यायाधिकरण) की स्थापना क्रमशः सीमा शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त/आयुक्त (अपील) द्वारा दिए गए आदेशों एवं निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई हेतु अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में की गई थी। प्रतिपालन मामलों में अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है और ऐसे मामलों की सुनवाई अध्यक्ष, सीईएसटीएटी की अध्यक्षता में एक विशेष पीठ द्वारा की जाती है। अधिकरण का मुख्यालय और प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय शाखाएं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में है, जिनके अलग-अलग क्षेत्राधिकार हैं। जहां दिल्ली और मुंबई दोनों की चार-चार पीठे हैं, चेन्नई, में दो पीठ और अन्य स्थानों पर एक-एक पीठ हैं। इस न्याधिकरण की सभी पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होते हैं।

वित्तीय सेवा विभाग

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और वित्तीय संस्थानों से संबंद्ध नीतिगत मुद्दों हेतु उत्तरदाई है, जिसमें पीएसबी और वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एमडी एवं सीईओ), कार्यकारी निदेशकों (ईडी), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) की नियुक्ति, विधाई मामले, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संबंध शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण कृषि साख से जुड़े मामलों हेतु भी विभाग उत्तरदाई है। यह विभाग सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और ऋण के प्रवाह की सुविधा पर केंद्रित अन्य लक्षित योजनाएं, बीमा क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों से जुड़े मामले, विभिन्न बीमा अधिनियमों के प्रशासन को भी प्रशासित करता है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से जुड़े मामले, नई पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन सुधारों से जुड़े मामले, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीईआरडीए) आदि से संबंधित विधाई एवं अन्य मुद्दे भी विभाग देखता है।

इसमें पेंशन और औद्योगिक वित्त और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम भी शामिल हैं। इसने उपक्रम शुरू किए, इसने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण सांविधिक मण्डल है जो इस विभाग के अंतर्गत भी काम करता है।
वेबसाइट: www.financialservices.gov.in

बैंकिंग

बैंकिंग उद्योग किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास हेतु पूंजी प्रदान करने के लिए बचत और निवेश को सुगम बनाता है। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाकर और उन्हें कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण देकर बैंकों ने भारत के जन साधारण के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारतीय बैंकिंग उद्योग के मुख्य आधार हैं। बाजार में इनकी और इनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी है और ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के बैंक नेटवर्क का 78 प्रतिशत हिस्सा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी 87 प्रतिशत से अधिक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी 70 प्रतिशत जमा राशि और बाजार में दिए गए 66 प्रतिशत ऋण राशि के चलते देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी (आरयूएसयू) स्थानों में, उनका बचत खाता जमा के 88 प्रतिशत और बकाया ऋण का 81 प्रतिशत से भी अधिक है। पीएसबी और आरआरबी प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लघु और सीमांत किसानों को दिए गए ऋण के 74 प्रतिशत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋण के 65 प्रतिशत और शिक्षा ऋण के 95 प्रतिशत में इन बैंकों की हिस्सेदारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, जो भारतीय रुपये की मुद्रा संबंधी नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय अधिनियम, 1934 के अनुसार संचालन शुरू किया। 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, आरबीआई को 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया।

आरबीआई के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में चार आंचलिक कार्यालय हैं। पूरे भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप-कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, देवास, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, देहरादून और तिरुवनंतपुरम में हैं और उप-कार्यालय अगरतला, आइजॉल, देहरादून, गंगटोक, इंफाल, पणजी, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला और श्रीनगर में स्थित हैं।

केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई भारत का एक शीर्ष स्वतंत्र वित्तीय प्राधिकरण है जो बैंकों को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार संग्रहण जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। अलग-अलग देशों में केंद्रीय बैंक विभिन्न नामों से जाना जाता है। सभी देशों में केंद्रीय बैंक के कार्य भिन्न हैं और वे स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण वित्तीय शीर्ष संस्था है और सभी देशों में केंद्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं फिर भी वे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्य के साथ गतिविधियों और कार्यों का निष्पादन करते हैं।

आरबीआई देश की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बैंक एशियाई समाशोधन संघ का सदस्य है। 21 सदस्य केंद्रीय निदेशक मंडल, राज्यपाल, चार उप-गवर्नर, वित्त मंत्रालय के दो प्रतिनिधि, महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित दस सरकारी निदेशक और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली मुख्यालयों के स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार निदेशक आरबीआई का सामान्य अधीक्षण और नीतियों का संचालन करते हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आर्थिक नीति की देख-रेख, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सरकार के लिए एक बैंक के रूप में और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कई कार्यों को निष्पादित करता है। यह देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी काम करता है। आरबी प्राथमिक उद्देश्य, वित्तीय क्षेत्र का संगति पर्यवेक्षण करना है जिसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल हैं।भुगतान और निपट प्रणाली, आर्थिक निपुणता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम), रिज़र्व बैंक को देश की भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण का अधिकार देता है।

आरबीआई की भूमिका, सकुशल, सुरक्षित और निपुण भुगतान और निपटान तंत्र के विकास और कार्यकलाप पर केंद्रित है। भुगतान की दो प्रणालियां, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों को एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। इन सुविधाओं का उपयोग केवल देश के भीतर धन हस्तांतरण के लिए ही किया जा सकता है। अधिक विस्तृत अर्थव्यवस्था और पूंजी प्रवाह से उत्पन्न होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण और इस सेगमेंट को विनियमित और प्रबंधित करने में आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह देश के विदेशी मुद्रा और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन करता है।

आरबीआई भारत में मुद्रा जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है। मुद्रा जब परिसंचरण के लिए उपयुक्त नहीं होती तो बैंक उसे वहीं नष्ट कर देता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए सभी पैसे इसकी मौद्रिक देयता है, यानी केंद्रीय बैंक कागज़ मुद्रा में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने के लिए, समान मूल्य की संपत्तियों के साथ मुद्रा को वापस करने के लिए बाध्य है। इसका उद्देश्य बैंक नोट जारी करना है और मुद्रा को बनाए रखना और पर्याप्त सार्वजनिक आपूर्ति करना है तथा देश के क्रेडिट सिस्टम को इसका सबसे अच्छे लाभ का इस्तेमाल करने के लिए और भंडार

बनाए रखना है। रुपयों की प्रिंटिंग के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ने नासिक, महाराष्ट्र और देवास, मध्य प्रदेश में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) ने भी कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल की सालबोनी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है। एसपीएमसीआईएल के पास मुंबई, भारतीय, कोलकाता और हैदराबाद में चार टकसालें हैं।

आरबीआई ने बाज़ार में नकली मुद्रा की समस्या को रोकने के लिए, लोगों के बीच नकली नोटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वेबसाइट www.paisaboltahai.rbi.org.in लॉन्च की है जो नकली मुद्रा की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
वेबसाइट: www.rbi.org.in

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, सहकारी ऋण योजना के वैकल्पिक सृजन हेतु और ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त सांस्थानिक ऋण सुनिश्चित करने हेतु की गई थी। आरआरबी भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों के संयुक्त स्वामित्व में है, इसकी जारी पूंजी क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत के अनुपात में है।

कृषि ऋण

प्रभावी और आसान कृषि ऋण की मदद से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा जमीनी स्तर के कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य तय कर रही है। पिछले पांच वर्षों के लिए वर्षवार कृषि ऋण प्रवाह के तहत लक्ष्य और उपलब्धि का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष वास्तविक वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लेने की निरंतर प्रवृत्ति को दर्शाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

कच्चे माल की खरीद समेत कृषि संबंधी सभी आवश्यकताओं को लचीले, सुविधाजनक एवं किफायती तरीके से पूरा करने के लिए किसानों को बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण आपूर्ति की अनूठी प्रणाली किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना 1998-99 में आरंभ की गई थी। योजना सभी सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है। केसीसी कृषि ऋण प्रदान करने की सबसे प्रभावी योजना है। सहकारी बैंकों एवं आरआरबी के संबंधमें योजना की निगरा नाबार्ड करता है और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में आरबीआई निगरानी करता है। आरबीआई एवं नाबार्ड के द्वारा केसीसी की एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसमें केसीसी को एटीएम कार्ड के समान एटीएम/पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर प्रयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष

1995-96 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने नाबार्ड द्वारा संचालित होने वाला कोष ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) स्थापित किया, जिसे कृषि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/दुर्बल क्षेत्रों के ऋण में से देश के अंदर संचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास बची राशि जमा कराकर नाबार्ड में ही स्थापित किया गया। उसके बाद से यह कोष काम कर रहा है और इसके लिए आवंटन प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट में कर दिया जाता है। वर्षों से काम करते हुए आरआईडीएफ का दायरा विस्तृत होता गया और अभी यह विभिन्न क्षेत्रों में 34 गतिविधियों हेतु वित्त पोषण करता है।

बीमा

वित्त क्षेत्र के अनन्य अंग के तौर पर बीमा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु, संपत्ति और दुर्घटना से जुड़े खतरों से बचाने के अलावा, यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और संस्थानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और साथ ही, बचत के अलावा देश के अवसंरचनात्मक विकास और दीर्घकालिक

परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराता है। बीमा क्षेत्र का विकास इसके अपने आर्थिक रूपांतरण के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं: (1) जीवन बीमा निगम; (2) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (3) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (4) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (5) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड; (6) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और (7) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के आधार पर की गई थी। इसका कार्यान्वयन बीमा अधिनियम, 1938, एलआईसी अधिनियम, 1956, एलआईसी नियामकों, 1959 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया जाता है। 31 मार्च, 2016 तक देश में एलआईसी के आठ क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडलीय कार्यालय, 2045 शाखा कार्यालय, 73 उपभोक्ता क्षेत्र, 1401 अनुषंगी कार्यालय और 1240 लघु कार्यालय हैं। मौजूदा समय में 14 अन्य देशों में भी एलआईसी के कार्यालय हैं। ये कार्यालय शाखा/संयुक्त उद्यम कंपनियों और पूर्ण अधीनस्थ कंपनी के तौर पर कार्यरत हैं।
www.licindia.in

बीमा क्षेत्र में सुधार

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 को अमल में लाए जाने के साथ ही बीमा क्षेत्र में निजी सहभागिता की शुरुआत हुई। भारत का बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तेलंगाना में हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करता है। प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं: (1) बीमा करने वाले और बीमा मध्यवर्तियों को लाइसेंस प्रदान करना; (2) वित्तीय और विनियामक देखरेख; (3) प्रीमियम दरों को तय करना; और (4) पॉलिसीधारकों की ब्याज दरों की सुरक्षा। बीमा क्षेत्र के विकास को देखते हुए, प्राधिकरण ने पॉलिसीधारकों के हित में नियामक जारी किए हैं, जो ग्रामीण और सामूहिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व को देखते हुए; माइक्रो फाइनेंस और लाइसेंसिंग एजेंट, कॉरपोरेट एजेंट, आढ़तिये, सर्वेक्षक और थर्ड पार्टी प्रबंधकों से जुड़े हैं। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों के पंजीकरण, ऋणशोधन सीमा, निवेश और वित्तीय रिपोर्टिंग की जरूरतों के लिए भी नियामक तय किए हैं। निजी एवं विदेशी निवेश के लिए इस क्षेत्र के द्वार खुलने के बाद 31 मार्च, 2018 तक इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों की संख्या सात से बढ़कर साठ हो चुकी है जो जीवन बीमा, जनरल, और पुनर्बीमा क्षेत्र (जिसमें विशेषज्ञ बीमाकर्ता, जैसे निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 को पारित करने से जुड़ा है। इस कानून के आधार पर बीमा अधिनियम, 1938 में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और इंश्योरेंस विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 में बड़े परिवर्तन किए गए। बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने बिना किसी बड़े परिवर्तन के बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014 की जगह ली। संशोधन कानून ने कानूनों में निहित पुरानी और व्यर्थ प्रस्तावनाओं को हटाकर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को कुछ नए प्रावधानों की सुविधा दी ताकि वह अपना कार्य अधिक असरकारी और सुचारू तौर पर कर सके। इस कानून के आधार पर किसी भी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई, हालांकि, कंपनी पर भारतीय मालिकाना अधिकार और कब्जे को सुनिश्चित रखा गया। बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विदेशी बीमाकर्ताओं को भारत में अपनी शाखाएं खोलने की भी सुविधा दी गई है। कानून ने पुनर्बीमा व्यवसाय या किसी भारतीय बीमा कंपनी में 49 प्रतिशत अधिकार प्राप्ति के लिए यूनाइटेड किंगडम के लॉयड्स और उसके सदस्यों को भारत में शाखाएं खोलने के भी अधिकार दिए हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

सरकार ने 60 वर्ष और अधिक आयु के बुजुर्गों की ब्याज आधारित आय को बाज़ार की अनिश्चितता से बचाने और वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) का शुभारंभ किया है।

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए अमल में लाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 10 वर्षों तक प्रतिमाह की दर से देय सालाना आठ प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया है। अंतर प्रत्यागम यानी जीवन बीमा द्वारा उत्पादित देय और भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर सुनिश्चित आठ प्रतिशत देय वहन किया जाएगा। 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक के एक वर्ष की अवधि के दौरान यह योजना ग्राहकी शुल्क के लिए खुली रही थी। 2018-19 के आम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 31 मार्च, 2020 तक के लिए पारित किया और प्रति परिवार रुपये 7.5 लाख तथा प्रति वरिष्ठ नागरिक रुपये 15 लाख की अधिकतम क्रय सीमा बढ़ा कर निश्चित कर दी।

आम आदमी बीमा योजना

समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहंचाने के लिए भारत सरकार ने बड़ी छट वाली बीमा योजनाओं की शुरुआत की है। आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को भारतीय जीवन बीमा निगम की मदद से संचालित किया जाता है। इस सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 48 निर्धारित पेशों से जुड़े गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से आंशिक तौर पर ऊपर के नागरिकों को समाहित किया गया है। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक तौर पर मृत्यु होने के कारण रुपये 30,000 का मृत्यु बीमा प्रदान किया जाता है। मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण पूर्ण अशक्तता (दोनों आंखों या दो अंगों के नुकसान) के कारण रुपये 75,000 और आंशिक स्थाई अशक्तता (एक आंख या एक अंग) के कारण नामित/लाभार्थी को रुपये 37,500 का भुगतान किया जाता है। यह सभी लाभ वार्षिक तौर पर प्रतिव्यक्ति रुपये 200 के आंशिक प्रीमियम के आधार पर दिए जाते हैं, जिनमें से रुपये 100 केंद्र सरकार एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से देती है और रुपये 100 का शेष प्रीमियम बीमाधारक/या प्रमुख एजेंसी/या केंद्र/राज्य सरकार का वह विभाग देता है जो नोडल एजेंसी के तौर पर कार्यरत है। साथ ही, बीमित सदस्य के नौवीं से 12वीं कक्षा (आईटीआई कोर्स सहित) में अध्ययनरत दो बच्चों वाले परिवार के लिए प्रति बालक/बालिका वार्षिक रुपये 1200 की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत मई, 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, के जोखिम के निवारण हेत की गई थी। एपीवाई असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होते हैं, पर केंद्रित है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो अपने बचत बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से इससे जुड़ सकता है। 18 वर्ष कीउम्र में जुड़ने वालों न्यूनतम मासिक अंशदान 42 रुपये, 84 रुपये, 126 रुपये, 168 रुपये अथवा 210 रुपये देने वाले भागीदारों को भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन क्रमशः 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये अथवा 5,000 रुपये है। ग्राहक के निधन के बाद उसके पति/पत्नी को उसकी मृत्यु तक पेंशन की यह राशि मिलती रहेगी। ग्राहक एवं उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्राहक द्वारा नामित व्यक्ति पेंशन कोष में ग्राहक की आयु 60 वर्ष होने तक जमा धन को पाने के लिए अधिकृत होगा।

एपीवाई में संशोधन

अभिदाता यानी ग्राहक की असामयिक मृत्यु के मामले में, सरकार ने उसके पति/पत्नी को ग्राहक के खाते में सहयोग राशि जमा कराते रहने की सुविधा दी है। वह यह राशि निश्चित अवधि तक जमा करा सकते हैं, यानी जब मूल अभिदाता की आयु 60 वर्ष की हो गई हो। इससे पहले 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु होने पर मूल अभिदाता के जीवनसाथी को एकमुश्त राशि देने का प्रावधान था। अब ग्राहक के जीवनसाथी को ग्राहक वाली ही पेंशन राशि उसे जीवनपर्यन्त प्राप्त होगी। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर अभिदाता के नामित व्यक्ति को, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु के समय की पेंशन निधि प्राप्त होगी। अभिदाता को उनके एपीवाई खातों के संचालन में आसानी लाने के लिए, पीएफआरडीए ने एपीवाई के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है। इसकी मदद से खाताधारक मोबाइल फोनों के जरिए अपने खातों का ब्योरा और अपने एपीवाई खातों से जुड़ी अन्य जानकारियां प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब सभी एपीवाई अभिदाता अपने एपीवाई खातों को वास्तविक समय में देखने के लिए

गूगल स्टोर से एनपीएस लाइट मोबाइल एप्लिकेशन्स डाउनलोड कर उन्हें अपने मोबाइल फोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके फीचर्स का अनुभव लेने के लिए वह वेबसाइट http://npslite-nsdl.com/CRAlite/ देख सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार उसका अन्वेषण भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

सरकार ने गरीबों और वंचितों को लक्षित कर एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पद्धति विकसित करने हेतु तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की घोषणा की। ये हैं- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई)। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है। जिसका हर वर्ष नवीकरण किया जाएगा। इसमें किसी भी कारण हुई मौत के लिए दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर है और यह 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग (लाइफ कवर 55 वर्ष तक) के लोगों के लिए जिनका बैंक में बचत खाता है और जो उसमें शामिल होने और ऑटो-डेबिट हेतु सहमति देते हैं, उपलब्ध है। इसमें आईटी मोड में क्रियान्वयन के साथ बैंक खाता से जुड़ा नामांकन और उपभोक्ता के बैंक खाता से ऑटो-डेबिट के जरिए प्रीमियम भुगतान शामिल है। इस योजना के क्रियान्वयन से वहन करने की क्षमता के साथ गरीबों तथा वंचितों को लक्षित करना संभव होता है और इससे देश में जीवन बीमा की कम पहुंच की स्थिति में भी सुधार होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसका नवीकरण साल-दर-साल किया जाता है। दुर्घटना होने पर मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए हैं और इसका फायदा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास किसी बैंक में खाता है और वे इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो डेबिट यानी खाते से स्वतः प्रीमियम काटने के विकल्प को अपनाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर दो लाख रुपये और स्थाई विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इस योजना में सूचना टेक्नोलॉजी से समन्वित बैंक खाते के आधार पर आसानी से शामिल हुआ जा सकता है और खातेदार के बैंक खाते से स्वतः ही बीमा प्रीमियम काटने की सुविधा है। गरीबों के लिए इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है क्योंकि यह उपेक्षित वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे देश में दुर्घटना बीमा सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए बैंकिंग सेवाओं का बढ़ा हुआ उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में वर्ष 2014 में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो।

पीएमजेडीवाई के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं- (i) संपूर्ण देश में एक बैंक की शाखा अथवा नियत स्थल पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) जो कम दूरी पर हों के द्वारा बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, (ii) प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो जो रुपये डेबिट कार्ड के साथ हो तथा जिसमें एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर हो।

पेंशन सुधार

राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 01 जनवरी, 2004 से इसे सरकारी सेवा में होने वाली सभी नई भर्तियों के लिए (सशस्त्र बलों को छोड़कर) अनिवार्य कर दिया गया है और 1 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दिया गया है। आत्मनिर्भरता, सुवाह्यता और मापनीयता नई पेंशन प्रणाली की विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, यह एक कम लागत और सुदृढ़ नियमों के आधार पर गठित कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में परिकल्पित की गई है। शुद्ध

'परिभाषित योगदान' उत्पाद के रूप में इससे होने वाली आय पूरी तरह से बाजार द्वारा नियंत्रित होगी। नई पेंशन योजना लोगों को एक विकल्प से दूसरे विकल्प को अपनाने या एक निधि प्रबंधक से दूसरे निधि प्रबंधक में स्थानांतरित होने के लिए कुछ विनियामक प्रतिबंधों के अधीन विभिन्न निवेश विकल्प और अवसर प्रदान करती है। नई पेंशन योजना पारदर्शी और वेब सक्षम है। यह ग्राहक को उसके निवेश और लाभों की निगरानी करने की अनुमति देती है। इसे कहीं से भी चलाए जाने (निर्बाध पोर्टेबिलिटी) की सुविधा है, जिससे इसके सदस्य (ग्राहक) को बचत अवधि के दौरान एकल पेंशन लेखा (स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या-पीआरएएन) चला सकेंगे। पेंशन निधि विनियामक निकाय और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन पेंशन क्षेत्र के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में किया गया है। यह पूरी तरह से नई पेंशन योजना के निर्माण के बारे में अब तक किए गए सभी प्रयासों और पहल को एकाकार करके इस योजना के विस्तार और इसकी पहुंच को बढ़ाने में लगा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया ने इस प्रणाली में केन्द्रीकृत रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) और पेंशन निधि के लिए निवेशकों की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले बिचौलियों की नियुक्ति को अपरिहार्य कर दिया है जो अभी तक संस्थागत रूप से पेंशन खाता खोलने और संग्रह केंद्रों के रूप में काम करती थीं। संग्रहकर्ता नेटवर्क (पीओपी-एसपी नेटवर्क) का पांच गुना विस्तार करने वाले अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा डाक विभाग को भी संग्रहकर्ता केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्य उपभोक्ताओं लिए गूगल प्ले स्टोर में एक मोबाइल ऐप दिया गया है जिसे एनपीएस बाई एनडीएलएस ई-जीओवी (NPS by NSDL e-Gov) और एनपीएस बाई केएआरवीवाई-सीआरए (NPS by Karvy-CRA) कहा जाता है। सदस्य इसके माध्यम से अपने खाते तक पहुंच सकते हैं। इस प्रणाली के साथ सदस्य ग्राहक के परस्पर संवाद (इंटरफेस) को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल ऐप में निम्नलिखित नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं: इस ऐप का उपयोग करके आधार को राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते से जोड़ा जा सकता है; एनपीएस के तहत शिकायतों/प्रश्नों को इसके माध्यम से उठाया जा सकता है; संकल्प विवरण के साथ शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है; इस ऐप का उपयोग करके ग्राहक अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है; एनपीएस ग्राहकों की सुविधा के लिए ऐप के द्विभाषी संस्करण को विकसित किया गया है।

पेंशन, सेवानिवृत्ति और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के बारे में व्यक्तिगत सलाह देने की प्रक्रिया के अंतर्गत अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने हेतु पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सेवानिवृत्ति सलाहकारों की नियुक्ति करता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार कोई एक व्यक्ति, पंजीकृत साझेदारी फर्म, कॉरपोरेट निकाय अथवा कोई पंजीकृत न्यास (ट्रस्ट) या समिति हो सकता है। सेवानिवृत्ति सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति/संस्था के पंजीकरण की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। सेवानिवृत्ति सलाहकारों के माध्यम से ग्राहकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सलाहकार के स्वागत स्क्रीन में एक हाइपरलिंक प्रदान किया जाता। यह लिंक उपयोगकर्ता को ई-एनपीएस पर फिर से निर्देशित करेगा जहां वह आरए कोड दर्ज कर सकता है और ग्राहक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

पेंशन और सेवानिवृत्ति की अवधारणाओं पर विशेष जोर देने के साथ ही वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए पीएफआरडीए (PFRDA) की एक और पहल पेंशन संचय (Sanchay) नाम से समर्पित वेबसाइट www.pensionsanchay.org.in है।

स्वावलंबन योजना

असंगठित क्षेत्र में कामगारों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2010 में स्वावलंबन योजना का आरंभ किया गया। यह सह-योगदान वाली पेंशन योजना है, जिसमें केंद्र सरकार 1,000 रुपये से 12,000 रुपये की वार्षिक बचत वाले प्रत्येक एनपीएस खाते में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का योगदान करेगी।

ग्रामीण आवासीय कोष

2008-09 में ग्रामीण आवासीय कोष का गठन किया गया जिससे प्राथमिक ऋण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों के बीच प्रतिस्पर्धी दरों में आवास ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु धन प्राप्त हो सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 5.77 करोड़ रुपये अनुमानित लघु व्यवसाय-इकाइयां हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार या सेवा व्यवसाय चला रही है, जिन्हें क्रेडिट की औपचारिक प्रणाली तक पहुंचना मुश्किल लगता है, इन इकाइयों में ऋण की आवश्यकता, आमतौर पर 10 लाख रुपये से कम होती है। हालांकि ऐसी इकाइयों के लिए औपचारिक क्रेडिट चैनलों तक पहुंचने हेतु पहले भी कई बार सुधारों की पहल की गई थी, मगर अभी तक एक भी महत्वपूर्ण और बड़े वर्ग के लिए ऋण/क्रेडिट की सुविधाएं नहीं थी। ऐसी इकाइयों के लिए एक योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 2015 में शुरू की गई थी, जिससे आय उत्पन्न करने वाले लघु व्यवसाय उद्यम ऋण तक पहुंचने में सक्षम हो सके। जिसके परिणामस्वरूप, प्रमुख संस्थानों के सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की पूंजी दी जाएगी। पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु उद्योगों की उद्यमशीलता सक्रियता में वृद्धि करना और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ गहन प्रचार अभियान, आवेदन-पत्रों का सरलीकरण, क्रेडिट गारंटी योजना, एमयूडीआरए लिमिटेड से पुनर्वित्त, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, प्रगति की निगरानी के लिए साप्ताहिक वीडियो सम्मेलन इत्यादि शामिल हैं।

लघु इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) भारत सरकार द्वारा गठित संस्था है जिसका उद्देश्य लघु इकाइयों के विकास हेतु भारत के उद्यमशीलता, खासकर गैर-कॉरपोरेट जो छोटे व्यवसाय क्षेत्र से आते हैं, को प्रोत्साहित करने हेतु वित्त प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के दिशानिर्देशों के तहत मुद्रा ने अपने तीन उत्पाद शुरू किए हैं जिनके नाम हैं- शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों लघु उत्पाद, लघु इकाइयों या उद्यमियों के विकास के चरणों और वित्त पोषण की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। मुद्रा बैंक राज्य स्तरीय संस्थाओं के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है। मुद्रा बैंक एनबीएफसी, एमएफआई, ग्रामीण बैंकों, जिला बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों, प्राथमिक ऋण संस्थानों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से ऋण वितरित करता है।

उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र जैसी आय अर्जित करनेवाली गतिविधियों में संलग्न कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी ऋण जरूरत 10 लाख रुपये से भी कम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण का लाभ उठाने के लिए बैंकों, एमएफआई वित्तीय संस्थानों या एनबीएफसी से संपर्क कर सकता है। पीएमएमवाई के तहत कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाये हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें शामिल है- गहन प्रचार अभियान, आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजनाएं मुद्रा लि. से पुनर्वित्त, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, प्रगति की निगरानी के लिए सप्ताह में वीडियो कान्फ्रेंस आदि।

कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी कोष

कौशल ऋण योजना के अनुसार कौशल विकास पाठ्यक्रम करनेवाले पात्र ऋण लेने वालों को 1.5 लाख रुपये (टर्म लोन) या अवस्थापक द्वारा निर्धारित कोई अन्य रकम तक बिना सहवर्ती प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा स्वीकृति और भुगतान की गारंटी है। कोई भी भारतीय नागरिक जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुसार न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो कौशल ऋण प्राप्त कर सकता है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग

विनिवेश विभाग 1999 में एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2001 में इसे विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था। वर्ष 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभागों में से एक है। वर्ष 2016 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है।

इस विभाग के कार्यों में शामिल है: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर विनिवेश सहित शेयर में केंद्रीय सरकार के निवेश प्रबंधन से जुड़े सभी मामले। योजनाबद्ध विनिवेश समेत विनिवेश हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की अनुशंसाओं पर निर्णय। विनिवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन हेतु स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर से संबंधित सभी मामले। राष्ट्रीय निवेश कोष में डाले गए विनिवेश के लाभों के उपयोग के संबंध में वित्तीय नीति।

वेबसाइट: www.dipam.gov.in

विनिवेश नीति

विनिवेश पर नीति में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इस नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपत्ति जनता के हाथों में है सीपीएसई में जनता के स्वामित्व का विकास (ख) सीपीएसई की कम संख्या में शेयर बिक्री द्वारा विनिवेश करते समय सरकार अपने पास शेयर का अधिक हिस्सा रखेगी यानी- शेयरहोल्डिंग का कम से कम 51 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधकीय नियंत्रण भी रखेगी। (ग) चिह्नित सीपीएसई में प्रबंधकीय नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ सरकार की शेयरधारिता का 50 प्रतिशत या अधिक हिस्से की बिक्री द्वारा युक्तिपूर्ण विनिवेश।

राष्ट्रीय निवेश कोष

सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का गठन 2005 में किया जिसका उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को दिशा देना था। एनआईएफ का कोष स्थाई था और सरकार को सतत लाभ प्रदान करने के लिए कोष में कमी किए बिना एनआईएफ को व्यावसायिक प्रबंध करना था। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए म्युचुअल फंडों यथा- यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एसबीआई कोष प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड) और एलआईसी म्युचुअल फंड ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को एनआईएफ कोष के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। इस योजना के अनुसार एनआईएफ की वार्षिक आय का 75 प्रतिशत का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को बढ़ाने वाले चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाना था। एनआईएफ के बचे हुए 25 प्रतिशत आय का उपयोग पुनर्निवेश करने वाले और लाभदायक पीएयू की पूंजी निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना था। वर्ष 2008-09 के भूमंडलीय मंदी और 2009-10 के भीषण सूखे के कारण उत्पन्न कठिन आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग हेतु नीति में परिवर्तन किया। इसमें विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग व्यय विभाग/योजना आयोग द्वारा नियत चुने हुए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं हेतु एक बार के लिए छूट दी गई।

एनआईएफ को विनिवेश नीति के अनुरूप रखने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से विनिवेश प्राप्तियों को वर्तमान एनआईएफ में, जोकि सरकारी लेखा के अंतर्गत एक सार्वजनिक लेखा है, जमा किया जाएगा और यह कोष अनुमोदित उद्देश्यों में निवेश किए जाने तक वहीं रहेगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एनआईएफ का उपयोग निम्नांकित उद्देश्यों हेतु किया जाएगा- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीपीएसई में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी कम नहीं हो सीपीएसई द्वारा अधिकार आधार पर जारी किए जा रहे शेयरों को खरीदन सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता का मुद्दा) विनियम, 2009 के अनुसार प्रोमोटरों को सीपीएसई के शेयरों का प्राथमिक आवंटन ताकि सीपीएसई द्वारा अपने पूंजी व्यय कार्यक्रम को पूरा करने हेतु नए शेयर जारी करने संबंधी सभी मामलों में सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे न हो।

सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु एनआईएफ द्वारा वित्तपोषण को भी अनुमोदित किया आरआरबीएस/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में सरकार द्वारा निवेश, विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी निवेश, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निवेश, भारतीय रेल में पूंजी व्यय के लिए निवेश का प्रावधान रखा है।

नोटों का विमुद्रीकरण

8 नवंबर, 2016 को सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और महात्मा गांधी शृंखला नोटों की कानूनी वैधता 9 नवंबर, 2016 से समाप्त हो गई। हालांकि, इस नीति के द्वारा महात्मा गांधी शृंखला के 5, 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोट की वैधता अप्रभावित रही और इनकी कानूनी वैधता बरकरार रही। सरकार ने कहा कि विमुद्रीकरण का कदम वर्तमान नोटों की नकल रोकने का प्रयास तो है ही, जिनका प्रयोग कथित रूप से आतंकवाद की आर्थिक मदद में हो रहा है, साथ ही यह देश में काले धन पर भी प्रहार है।

14 कॉरपोरेट मामले

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय मुख्यतः कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित देयता साझेदारी फर्म अधिनियम, 2008 और अन्य संबंधित कानूनों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदाई है ताकि कॉरपोरेट क्षेत्र के कामकाज का नियमन किया जा सके। मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदाई है ताकि प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन और निरंतरता मिले और कानून के तहत बने आयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अधीक्षण भी करता है, जिनका गठन संबंधित व्यवसायों के उचित और व्यवस्थित विकास के लिए संसद के तीन अधिनियमों के तहत किया गया था। मंत्रालय के पास भागीदारी अधिनियम, 1931, कंपनी (राष्ट्रीय निधियों के लिए दान) अधिनियम, 1951 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रशासन से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों को अंजाम देने की भी जिम्मेदारी है।
वेबसाइट: www.mca.gov.in

प्रशासनिक ढांचा

मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा त्रि-स्तरीय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और सात क्षेत्रीय महानिदेशक कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा शिलांग में हैं। इसके अतिरिक्त 15 कंपनी पंजीयक कार्यालय और 14 आधिकारिक परिसमापक हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कंपनी (आरओसी) पंजीयक और आधिकारिक परिसमापक भी है।

कंपनियों के अधिकार क्षेत्रीय पंजीयक के अधिकार क्षेत्र में वे सभी कंपनियां यथावत रहेंगी जिनका समावेश कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीयक, सीआरसी द्वारा किया गया हो। इसे अधिनियम के सभी प्रावधानों तथा बाद में बनाये गए नियमों, जो समावेश के उपरांत प्रासंगिक हों, पर प्रभावी माना जाएगा। आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, तथा संबंधित उच्च न्यायालयों से संलग्न होते हैं। उन पर मुख्यतः परिसमापन तथा कंपनियों के अंतिम विलयन संबंधी न्यायालय आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है।

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र

कंपनी निगमीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए ई-प्रपत्र परियोजना लागू की गई जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि एक कंपनी के नाम आरक्षण तथा निगमीकरण की प्रोसेसिंग भुगतान पुष्टि की तिथि+1 दिन में अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप संपन्न करनी चाहिए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने आवेदकों के नाम आरक्षण प्रोसेस करने के लिए 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का पहला चरण शुरू किया और 2016 में ही कंपनी आवेदकों के निगमीकरण पर अमल करने का दूसरा चरण आरंभ किया। सरकार का प्रोसेस री-इंजीनियरिंग अभ्यास (जीपीआर) सभी हितधारकों को अधिक से अधिक व्यवसाय करने की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) प्रदान करने के मंत्रालय के उद्देश्य के अनुकूल है। इसका परिणाम निगमीकरण संबंधी आवेदनों की तेजी से प्रोसेसिंग के रूप में आया है और नियम लागू करने तथा विवेकाधिकार को कम करने में एकरूपता आई है।

कंपनी निगमीकरण आवेदनों की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय जून, 2014 के पांच से 15 कार्यदिवस के बीच से घटकर मार्च, 2017 में औसत 0.6 कार्यदिवस रह गया। इसी तरह, नाम उपलब्धता आवेदनों का प्रोसेसिंग समय जून, 2014 के पांच से छह कार्यदिवस के बीच से घटकर मार्च, 2017 में औसत 0.4 कार्यदिवस रह गया। इसके अतिरिक्त, एक कार्यदिवस में 90 प्रतिशत से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप गति में तेजी आई है, पारदर्शिता बढ़ी है, एकरूपता आई है और विवेकाधिकार में कमी आई है।

व्यवसाय करने की सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस)

मंत्रालय ने ई-एमओ (इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) तथा ई-एओए (इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के साथ कंपनियों के निगमीकरण के लिए सरल निर्देशन-पत्र (एसपीआईसीई) तय किया है जिससे आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उद्यमियों को बिना किसी बाधा के भारत में कारोबार शुरू करने में सहायता मिलती है। निगमीकरण के लिए फीस 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई है। एकीकृत फार्म आईएनसी 29 के स्थान पर एसपीआईसीई लाया गया है। इस फार्म की प्रोसेसिंग 1-2 कार्य-दिवसों में की जा रही है। पैन जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंपनियों के निगमीकरण के लिए एसपीआईसीई का उपयोग करते हुए निगमित कंपनी को पहला टैन जारी करने के लिए एमसीए 21 प्रणाली का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ इलेक्टॉनिक एकीकरण किया गया है। अब हितधारक पैन और टैन के लिए निगमीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के समय आवेदन करते हैं। आयकर विभाग द्वारा दिया गया पैन फरवरी, 2017 से कंपनी निगमीकरण के प्रमाण-पत्र पर लगा दिया जाता है। इससे अनेक तरह की प्रोसेसिंग की संख्या और देश में व्यवसाय शुरू करने में लगने वाले समय में कमी आई है।

एसपीआईसीई एक बहुउपयोगी प्रारूप है और इससे भौतिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को ई-फार्म में संलग्न करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो सका है। हितधारक एकीकृत ई-फॉर्म एस.पी.आई.सी.ई. का इस्तेमाल करते हुए नई निगमीकृत कंपनी के लिए एक साथ पांच सेवाओं- कंपनी नाम, कंपनी निगमीकरण, निदेशकों का डीआईएन, परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एकाउंट नंबर (टैन) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2014 (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) के नियम 15 में मार्च, 2017 से संशोधन किया गया है ताकि निवल मूल्य/निवल कारोबार की सीमा 10 प्रतिशत से कम हो। पहले 10 प्रतिशत से अधिक की सीमा के लिए केवल बोर्ड के स्थान पर सदस्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक समान मुहर को वैकल्पिक बनाया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और सभी कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

सरकार के प्रयासों से लाभांश प्राप्ति हुई। विश्व बैंक के 'इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के मुताबिक भारत ने 23 स्थान की छलांग लगाई है। 2017 में 190 देशों में 100वें स्थान से 77वें स्थान पर आ गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 का उद्देश्य भारत की कंपनियों को विश्व में प्रचलित श्रेष्ठ व्यवहारों के अनुरूप चलाना है। कॉरपोरेट क्षेत्र को अपने मामले नियम के अनुरूप निपटाने की छूट दी गई है बशर्ते वे अपने क्रियाकलापों का पहले से खुलासा और दायित्व निर्धारण करें। सरकार कार्य अनुमोदन प्रक्रिया में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी। यह अधिनियम नए उद्यमियों को और अधिक अवसर प्रदान करता है और कॉरपोरेट क्षेत्र के अपने मामलों के संचालन में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल की सुविधा देता है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

कंपनी अधिनियम, **2013** की प्रमुख विशेषताएं

I. व्यापार अनुकूल कॉरपोरेट नियमन/व्यापार समर्थक पहल

– सरकारी स्वीकृति आधारित व्यवस्था के स्थान पर प्रकटीकरण/पारदर्शिता सहित स्व-नियमन का प्रावधान।

– कंपनियों के रिकार्डों/बैठकों का ऑटोमेशन-(1) कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को रखने, (2) बोर्ड बैठक आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की वैधानिक मान्यता।

– संक्षिप्त विलय और सीमापार विलय सहित त्वरित विलय और अधिग्रहण।

– फौरी परिसमापन : एक करोड़ और उससे कम की परिसंपत्तियों वाली कंपनियों के लिए आधिकारिक परिसमापकों को निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

– 2016 को अनुच्छेद 408 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का गठन।

– निष्क्रिय कंपनियों की अवधारणा प्रारंभ (लगातार दो वर्षों तक व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनियों को निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है।

– एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की शुरुआत।

II. उत्तम कॉरपोरेट शासन तथा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर)

– अनुच्छेद 149(4) के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकता के रूप में स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा की शुरुआत।

– बोर्ड की अनेक समितियों (लेखा परीक्षण समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अंशधारी संबंध समिति तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति) के गठन का प्रावधान।

– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए महिला निदेशक।

– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण सहित कॉरपोरेट दायित्व समिति के गठन

– और सीएसआर नीति बनाने के लिए अनिवार्य प्रावधान।

III. प्रबंधन जवाबदेही बढ़ाना

– 'दोषी अधिकारी' शब्दावली को और प्रासंगिक बनाने की समीक्षा।

– कंपनी के प्रमुख कार्यों का दायित्व तय करने के लिए 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' (केएसवी) और प्रवर्तक शब्दावली को परिभाषित किया गया है।

– अंशधारियों, कर्मचारियों, समुदाय और पर्यावरण के प्रति निदेशकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया।

– निदेशकों की संख्या सीमा निर्धारितः 20 कंपनियों में 10 सार्वजनिक कंपनियां हो सकती हैं।

IV. प्रवर्तन को मजबूत करना

– केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में स्वतः जांच की शक्ति होगी।

– गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण (एसएफआईओ) कार्यालय को वैधानिक मान्यता।

– 2016 में अनुच्छेद 435 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन किया गया है।

– जांच के दौरान मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती।

– जांच के दौरान कंपनी के अवैध लाभों या परिसंपत्तियों के उपयोग से वंचित करना।

V. लेखा संबंधी जवाबदेही

– लेखा और लेखा परीक्षण मानकों की मान्यता।

– लेखा परीक्षकों के लिए अयोग्यता के कठोर मानक।

– लेखा परीक्षक विनिर्दिष्ट गैर-लेखा परीक्षण सेवाएं नहीं देगा।

– लेखा परीक्षकों की कार्यावधि तथा क्रमावर्तन निर्धारित।

– बड़ी कंपनियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण।

– अनुपालन नहीं करने पर लेखा परीक्षक के लिए पर्याप्त दीवानी और आपराधिक दायित्व।
– धोखाधड़ी का पता लगने पर न्यायाधिकरण को लेखा परीक्षक बदलने संबंधी निर्देश देने का अधिकार।
– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षण।
– कंपनियों के निर्धारित वर्ग के लिए सचिवालईन लेखा परीक्षण।
– राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन किया जाएगा।
– छोटे अंशधारकों का संरक्षण।
– यदि उद्देश्य अथवा सुलह के दौरान आदि किसी तरह की असहमति हो तो अलग होने या बाहर निकलने का अधिकार।
– सुलह व्यवस्थाओं के दौरान मूल्यांकन अनिवार्य।
– विलय का छोटे अंशधारकों पर प्रभाव का खुलासा अनिवार्य।
– सूचीबद्ध कंपनियों में छोटे अंशधारियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक निदेशक।

VI. निवेशकों की सुरक्षा

– जनता से जमा राशि स्वीकार करने के कठोर नियम।
– निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) की भूमिका को मजबूत बनाना।
– आईईपीएफ से लाभांश दावों पर कोई समय सीमा नहीं।
– क्लास एक्शन सूट्स को मान्यता।
– छोटे अंशधारियों की सुरक्षा के लिए न्यायाधिकरण को अधिक शक्तियां।

कंपनी *(*संशोधन अधिनियम*), 2015*

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से संशोधन किया गया ताकि व्यवसाय को सुगम बनाया जा सके और हितधारकों की कुछ तात्कालिक चिंताओं को दूर किया जा सके। मंत्रालय ने 5 जून, 2015 को कंपनी अधिनियम की धारा 462 के तहत ये संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं जो संशोधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत (1) निजी कंपनियों, (2) सरकारी कंपनियों, (3) अनुच्छेद 8 की कंपनियों और (4) निधियों को छूट प्रदान करते हैं।

दिवाला और नष्टनिधि संहिता*, 2016*

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 (आईबीसी, 2016) 28 मई, 2016 को सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद से काम करने लगी है। भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन करके एक अगस्त, 2016 को प्रकाशित कर दिया गया, जिसके तहत संहिता लागू करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को दी गई है। यह संहिता कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी में चलने वाली कंपनियों तथा व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान समयबद्ध रूप से करने संबंधी कानूनों को सुदृढ़ बनाने और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड

भारतीय दिवाला और नष्टनिधि बोर्ड (आईबीबीआई) की स्थापना आईबीसी 2016 के अंतर्गत 1 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचित गजट के अनुसार है। बोर्ड के अध्यक्ष की नियक्ति भी उसी अधिसूचना के तहत की गई थी। मंत्रालय के आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 के अनुसार बोर्ड के चार पदेन सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है।

बोर्ड को संहिता के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और कार्यों के पालन के अतिरिक्त दिवाला विशेषज्ञों, दिवाला विशेषज्ञ एजेंसियों तथा सूचना उपयोगिताओं के नियमन का अधिकार प्राप्त है।

विशेष न्यायालय

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 435 के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्तमान 20 सत्र न्यायालयों तथा अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय घोषित करके विशेष अदालतों का गठन किया है। ये न्यायालय जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (कोयंबटूर), केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हैं। अन्य राज्यों में भी विशेष अदालतों की अधिसूचना जारी की जा रही है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एवं अपीली न्यायाधिकरण

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन की अधिसूचना एक जून, 2016 को जारी कर दी गई थी। इन संस्थानों का गठन कॉरपोरेट विवादों के तेज समाधान तथा अनेक एजेंसियों की संख्या में कमी लाने के लिए किया गया है ताकि देश में व्यवसाय करने की सुगमता हो। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन के साथ कंपनी कानून बोर्ड को भंग कर दिया गया और सीएलबी में लंबित मामलों को एनसीएलटी में हस्तातंरित कर दिया गया।

दिवाला और नष्टनिधि संहिता, 2016 तथा एसआईसीए निरस्तीकरण अधिनियम, 2003 के बारे में केंद्र सरकार ने एक दिसंबर, 2016 को अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही 'औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) तथा 'औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन की अपीलीय प्राधिकरण' भंग हो गया है। एनसीएलएटी की पीठों को दिवाला और नष्टनिधि संहिता 2016 के भाग दो के अंतर्गत क्षेत्राधिकार, शक्तियां और न्यायक्षेत्र प्राधिकार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने पंचाट समझौता, प्रबंधन तथा एनसीएलटी की पीठों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यवाहियों के हस्तांतरण के प्रावधान को अधिसूचित कर दिया है। कंपनी समेटने के बारे में उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित आवेदनों पर उच्च न्यायालय सुनवाई करते रहेंगे और नए आवेदन एनसीएलटी के समक्ष दायर करने होंगे।

एनसीएलटी की पीठों की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जा रही है और इसमें भौतिक अवसंरचना, सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जा रहा है। एनसीएलटी का मुख्यालय दिल्ली में है और एनसीएलटी पीठे दस स्थानों- नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में हैं। इन सभी स्थानों में समुचित अवसंरचना उपलब्ध कराई गई। समय-समय पर इन संस्थाओं से प्राप्त वृद्धि के जरूरतों के अनुरोधों का भी ध्यान रखा जाता है।

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण को 2017 में भंग करके एनसीएलटी में विलय कर दिया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील अब एनसीएलटी में सुनी जाएगी।

पंजीकृत कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा पूर्ववर्ती कंपनी कानूनों के अंतर्गत मार्च, 2017 तक देश में पंजीकृत कंपनियों की संख्या 16,41,333 थी। इनमें से 3,01,778 कंपनियां बंद हो गई, 802 कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 455 के अनुसार निष्क्रिय पड़ी हैं; 1,38,206 कंपनियों ने पिछले दो वर्षों से वैधानिक वार्षिक विवरणिका को नहीं भरा है; 5,698 कंपनियां परिसमापन की प्रक्रिया में हैं; 25,264 कंपनियों के नाम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं और 282 कंपनियां फिर से सक्रिय बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2017 तक 11,69,303 कंपनियां सक्रिय हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

भारत में कंपनियों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निभाना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की सातवीं अनुसूची के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया और कंपनियों के लिए (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 को अधिसूचित किया गया और पहली अप्रैल, 2014 को लागू हुआ।

मंत्रालय ने समय-समय पर कंपनियों के लिए (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 को संशोधित किया है और सर्कुलर के रूप में स्पष्टीकरण और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जारी किए हैं ताकि सीएसआर को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और इसका परिपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सीमित दायित्व साझेदारियां

भारत में औद्योगिक इकाइयों का 95 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार 90 प्रतिशत से अधिक इकाइयां एकल स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, दो से तीन प्रतिशत साझेदारी वाली कंपनियां हैं तथा दो प्रतिशत से कम कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। एमएसएमई क्षेत्र में व्यापक रूप से कॉरपोरेट स्वरूप दिखाई नहीं देता। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों से पता लगता है कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उच्च परिपालन लागत के कारण एमएसएमई कॉरपोरेट स्वरूप नहीं ले पाती।

स्वामित्व और साझेदारी वाली कंपनियों का कामकाज अपारदर्शी होने के कारण बैंकों द्वारा ऋण पात्रता का मूल्यांकन कठिन होता है। इसलिए एमएसएमई क्षेत्र बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के मामले में कॉरपोरेट की तुलना में अलाभकारी स्थिति में हैं। एक ऐसे नए कॉरपोरेट स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो एक तरफ पारंपरिक साझेदारी की असीमित व्यक्तिगत दायित्व का विकल्प प्रस्तुत करे और दूसरी ओर सीमित दायित्व वाली कंपनी को विधि-सम्मत प्रशासनिक संरचना प्रदान करे। इस संदर्भ में 2008 में 'सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) अधिनियम' बनाया जो 2009 को अस्तित्व में आया।

एलएलपी एक कारोबारी इकाई है जो साझेदारी वाली कंपनियों में साझेदारों के संयुक्त तथा अन्य देनदारियों से व्यक्तिगत साझेदार को संरक्षण प्रदान करती है। सामान्य कारोबार के सिलसिले में साझेदारों की देनदारी साझेदारों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से अलग होती है। यह करार करने और संपत्ति बनाए रखने में स्वतंत्र रूप से सक्षम होती है। एलएलपी अपने सीमित दायित्व के कारण अनुपालन मानक को सहजता से पूरा कर सकेंगी। अपेक्षा है कि एलएलपी के कॉरपोरेट ढांचा तथा प्रकटीकरण की वैधानिक अनिवार्यता के कारण उन्हें बाजार से ऋण लेने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

एमसीए *21* ई-गवर्नेंस परियोजना

मंत्रालय ने कंपनी तथा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) के पंजीकरण, निगमीकरण, रजिस्ट्री तथा परिपालन संबंधी सेवाओं को शामिल करते हुए प्रारंभ से अंत तक 'एमसीए 21' नामक ई-गवर्नेंस परियोजना का संचालन किया। मार्च, 2006 में बीओओटी (बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर) मॉडल के आधार पर यह परियोजना प्रारंभ की ग ताकि 'सरकारी सेवाओं की डिजाइन और डिलीवरी में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण' अपनाया जा सके। यह परियोजना मिशन मोड में चलाई गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा एलएलपी अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसमें (1) कंपनियों और एलएलपी के त्वरित निगमीकरण और (2) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष बल दिया गया।

यह परियोजना मंत्रालय के मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू की गई ताकि सार्वजनिक सेवाओं और कंपनियों तथा एलएलपी अधिनियम के प्रशासन में सेवोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जा सके। सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं और दाखिल किए गए सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं।

ई-सेवाओं की मदद से एमसीए 21 प्रणाली हितधारकों को सुविधाजनक, सरल और सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है तथा बेहतर गति और निश्चितता के साथ सभी एमसीए सेवाएं प्रदान करती है। इससे मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता, गति और सक्षमता आई है। मार्च, 2016 में एमसीए 21 के एसएपी आधारित प्लेटफार्म संस्करण 2 के सफल शुरुआत के बाद परियोजना आगे और सुधार के उद्देश्य से नए चरण में प्रवेश कर गई है।

लागत लेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के तहत वस्तुओं के उत्पादन और सेवा देने के काम में लगी कंपनियों के

अपने बही खातों में सामग्रियों, श्रम तथा लागत वाली उपयोग अन्य मदों को शामिल करना अनिवार्य है। जिन कंपनियों के लिए लागत रिकॉर्ड रखना जरूरी है और जिनका कारोबार निर्धारित है, उन्हें अपनी लागत रिकॉर्ड का ऑडिट लागत लेखाकार से कराना जरूरी होगा।

केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 को अधिसूचित किया है, इसमें उन कंपनियों के वर्ग, न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया है, जिनके लिए लागत लेखा-जोखा रखना और लेखा-परीक्षण कराना अनिवार्य है। उपरोक्त नियमों में से छह नियमित क्षेत्र 33 गैर-नियमित क्षेत्र में शामिल हैं, जो लागत रिकॉर्ड रखने तथा उनका लेखा परीक्षण करने के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते वे निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा में हों।

लागत रिकॉर्ड से कंपनियों को अपने ही उपयोग के लिए लागत प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए डाटाबेस संकलन में सहायता मिलती है। इन रिकॉर्डों का इस्तेमाल, मूल्य निर्धारण प्राधिकार, नियामक संस्थाओं, विश्व व्यापार संगठन की क्रियान्वयन और निगरानी एजेंसियों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राजस्व प्राधिकारों तथा अन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय लागत लेखा परीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण करता है और निर्दिष्ट कंपनियों द्वारा नियमों व कानूनों के अनुपालन पर नजर रखता है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

कंपनी अधिनियम में निवेशक जागरूकता को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) की स्थापना का प्रावधान है।

लाभांश राशि, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचरों तथा आवेदन राशि जिनका भुगतान नहीं हुआ है, जिनका देय तिथि से सात वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया है, कोई दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 205सी में इस 13वीं राशि के आईईपीएफ में अंतरण करा दिए जाने के बाद व्यक्ति को वापस करने की अनुमति नहीं थी। कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 125 आईईपीएफ में अंतरित भुगतान नहीं की गई राशि की वापसी की अनुमति देता है। ऐसी राशि की वापसी अधिनियम के अनुच्छेद 125 के अंतर्गत 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकार' द्वारा की जाती है।

आईईपीएफ प्राधिकार सितंबर 2016 से काम कर रहा है। आईईपीएफ प्राधिकार को आईईपीएफ में अंतरित राशि का उपयोग करते हुए निवेशक जागरुकता गतिविधियां चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्राधिकार का एक अध्यक्ष होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रोंसे लिए गए छह अ सदस्य भी होते हैं।

निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) तीन पेशेवर संस्थानों- (1) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, (2) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान तथा (3) भारतीय लागत लेखा संस्थान के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसार भारती के माध्यम से निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए 90 दिनों के लिए दूरदर्शन पर क्रॉलर संदेश और आकाशवाणी पर जिंगल्स प्रसारित किए जाते हैं।

भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय 'भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा' (आईसीएलएस) का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है। पूर्ववर्ती कंपनी विधि सेवा वर्ष का नामकरण' 2008 में बदलकर 'भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा' किया गया था।

गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय

भारत सरकार द्वारा 2003 को एक संकल्प के जरिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 में एसएफआईओ को वैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके कार्य और शक्तियों का पर्याप्त विस्तार किया गया है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 211 के अंतर्गत किया गया है।

एसएफआईओ का मुख्य कार्य गंभीर और जटिल स्वरूप की कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करना है। एसएफआईओ ऐसे जटिल मामलों की जांच का कार्य अपने हाथ में लेता है जिनका प्रभाव अन्य विभागों और शाखाओं पर पड़ सकता है। एसएफआईओ धन के विनियोग के आकार अथवा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ कानून, प्रक्रिया तथा व्यवस्था में सुधार और अन्वेषणों की आवश्यकता का संकेत देने वाले मामलों की जांच करता है। जांच का काम बहु-विभागीय दल द्वारा किया जाता है जिसमें लेखा क्षेत्र, फारेंसिक लेखा परीक्षण, कराधान, सीमा शुल्क, सूचना प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार, वित्तीय लेनदेन (बैंकिंग सहित) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान

मंत्रालय ने भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) का गठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया है। इसका उद्देश्य ऐसे समग्र थिंक टैंक और क्षमता निर्माण सेवा प्रदाय संस्थान के रूप में काम करना है जो समन्वित, साझेदारियों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से कॉरपोरेट विकास और सुधारों के लिए नीति निर्धारण और क्षमता सृजन की सेवा एक ही स्थान पर प्रदान कर सके। संस्थान अपने विभिन्न स्कूलों तथा केंद्रों के नेटवर्क के जरिए भारतीय कंपनी विधि सेवा (आईसीएलएस) तथा मंत्रालय, कॉरपोरेट, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा बैंकों के अधिकारियों के प्रशिक्षण आवश्कताओं की पूर्ति करता है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का राष्ट्रीय फाउंडेशन भी आईआईसीए तंत्र से जुड़ा है। यह संस्थान कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, निवेशक शिक्षा और संरक्षण, व्यवसाय दायित्व, वित्त, प्रतिस्पर्धा कानून आदि विविध क्षेत्रों में सेवा प्रदान व्यवस्था में सुधार करने में मदद देता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में की गई। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों की रोकथाम, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना और निरंतरता बनाये रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारत में कारोबार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 तथा सरकारी (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा दो बार संशोधन किया गया है।

मार्च, 2017 तक आयोग में प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों तथा विविध क्षेत्रों में प्रभाव डालने के अनुचित व्यवहार संबंधी 868 मामले आये। ये मामले बीमा, यात्रा, परिवहन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल विनिर्माण, रियल एस्टेट, औषध, वित्तीय क्षेत्र, पब्लिक प्रोक्योरमेंट तथा मनोरंजन आदि से संबंधित थे। 654 मामलों में (लगभग 75.34 प्रतिश अंतिम निर्णय दिए गए। उल्लंघन के गंभीर मामलों में दंडित भी किया गया।

संयोजन के नियमन के संदर्भ में आयोग को मार्च, 2017 तक संयोजन के लिए 498 नोटिसें (स्वतः संज्ञान के 9 मामलों सहित) मिली हैं। इनमें से 482 मामलों का निष्पादन निर्धारित समय में कर लिया गया।

15 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में दो विभाग हैं- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए)। देश में उभरते उपभोक्ता आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक विभाग बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होने के कारण मंत्रालय के दो विभागों में से एक-उपभोक्ता मामले विभाग को जन 1997 में पथक विभाग बनाया गया।

विभाग को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं: आंतरिक व्यापार; आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955; काला बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980; पैकबंद वस्तुओं का नियंत्रण; विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण; उपभोक्ता सहकारिताएं आदि।

मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह खाद्यान्नों की खरीद, उनके भण्डारण, दुलाई तथा उन्हें वितरण एजेंसियों तक पहुंचाने जैसे विविध कार्यकलाप करता है। इस विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और उपयोगी खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों का स्टॉक रखना और उनका रखरखाव करना, खाद्यान्नों की ढुलाई तथा वितरण करने वाली एजेंसियों को उनकी सुपुर्दगी करना और खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टॉक एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना शामिल है।

इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं भुखमरी की कगार पर पहुंचे परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कवर करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
वेबसाइट: www.consumeraffairs.nic.in, www.dfpd.nic.in

उपभोक्ता मामले

उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) का अधिदेश उपभोक्ताओं की हिमायत करना है। भारत ने उपभोक्ताओं की हिमायत में अग्रणी भूमिका निभाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) को 1986 में अधिनियमित किया. जो उस समय का सबसे प्रगतिशील कानन था और 1997 में उपभोक्ता मामलों को समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की। इस अधिदेश के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: उपभोक्ताओं को कुशल विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाना; उपभोक्ताओं के लिए न्यायोचित, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना; और उपभोक्ताओं के विवादों का समयोचित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना।

उपभोक्ता जागरूकता

उपभोक्ता मामले विभाग वर्ष 2005 से उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित विविध मुद्दों पर देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है। 'जागो ग्राहक जागो' अब घर-घर प्रचलित हो चुका है। हाल ही में जनसाधारण तक व्यापक पहुंच रखने वाले सभी सरकारी विभागों/संगठनों की भागीदारी से संयुक्त अभियान चलाए गए हैं। उदाहरण के लिए खाद्य के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक संगठन (एफएसएसएआई) के साथ, वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ, और औषधियों के संबंध में नेशनल

फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) के साथ टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, और आउटडोर विज्ञापनों जैसे विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान चलाए गए हैं। उपभोक्ता जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), दूरदर्शन नेटवर्क (डीडी) और ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के माध्यम से किया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

केंद्र सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन करने में समर्थ बनाने के लिए 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में संशोधन किया गया। इस कोष में प्रति वर्ष विनिर्माताओं को रिफंड नहीं किए जाने वाले बिना दावे के केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की राशि जमा की जाती है। उपभोक्ता कल्याण कोष का सृजन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण, संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने और देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कोष की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन की गई है और इसका प्रचालन उपभोक्ता विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014 में इसके नियम संशोधित किए जाने के बाद से उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत ऐसी कोई एजेंसी/संगठन जो कम से कम पांच साल की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो और कम्पनी अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी संस्था अधिनियम अथवा कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत हो, कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

उपभोक्ताओं के लिए प्रतिबद्धता

उपभोक्ता मामले विभाग, जागरूकता और शिक्षा, अनुचित व्यापार पद्धतियों के निवारण के जरिए उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देकर, मानकों और उनकी अनुरूपता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और संरक्षा बढ़ाकर तथा वहनीय एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना चाहता है। वर्ष 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता बाजारों में काफी बदलाव आया है। इस बदलाव के प्रमुख कारण उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन, नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में नवाचार, नई उपभोक्ता सेवाओं का उद्भव तथा बेहतर वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाएं हैं। आधुनिक बाजारों में जटिल उत्पादों और सेवाओं की आवक निहित है। विश्व आपूर्ति शृंखलाओं का उदय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और ई-वाणिज्य के तीव्रतम विकास ने वस्तुओं और सेवाओं की नई सुपुर्दगी प्रणाली विकसित की है तथा उपभोक्ताओं को नए अवसर प्रदान किए हैं। समानांतर रूप से इसने उपभोक्ताओं को नए किस्म के अनुचित व्यापार और कारोबार की अनैतिक पद्धतियों के प्रति असहाय भी बनाया है। इन चुनौतियोंएंको हल करने के लि नीतिगत अनुकूलता, समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वयन, नियामक कार्रवाई के सामंजस्य और ऐसे संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है, जिसके द्वारा सरकार के हस्तक्षेप के सर्वोत्कृष्ट नतीजे निकल सकें। यह विभाग सुशासन के लाभ आम जनता तक पहुंचाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता आया है। यह कार्य विविध हितधारकों- भारत सरकार के संबद्ध विभागों, राज्य सरकारों, विनियामक एजेंसियों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी से किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का अधिनियमन देश में उपभोक्ताओं के समर्थन की दिशा में प्रमुख मील का पत्थर है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक औपचारिक किंतु अर्द्ध-न्यायिक विवाद निवारण तंत्र का सृजन करके विधिक अवसंरचना उपलब्ध कराता है। इस प्रगतिशील कानून ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रि स्तरीय अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सरल, त्वरित और उचित निवारण उपलब्ध कराना है।

भारतीय मानक ब्यूरो

नया भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम 2016, वर्ष 2017 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे

प्रावधान हैं, जो सरकार को किसी भी अधिसूचित उद्योग, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा को, जिसे वह सार्वजनिक हित में या मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अथवा अनुचित व्यापार पद्धतियों की रोकथाम अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझती हो, उसे अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था के तहत लाने में समर्थ बनाते हैं। बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हालमार्किंग अनिवार्य बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नया कानून मानक के अनुपालन की स्व-घोषणा सहित विविध प्रकार की सरलीकृत अनुपालन योजनाओं की भी अनुमति प्रदान करता है, जो विनिर्माताओं को मानकों का पालन करने और अनुपालन का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के सरलीकृत विकल्प प्रदान करेंगी। यह कानून केंद्र सरकार को उत्पादों और सेवाओं के अनुपालन को मानक के अनुकूल सत्यापित करने तथा अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बीआईएस के अलावा, अन्य किसी भी प्राधिकरण/एजेंसी को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। इतना ही नहीं, उत्पाद के उत्तरदायित्व सहित ऐसे उत्पादों में सुधार करने या वापस लेने के प्रावधान भी मौजूद हैं, जिन पर मानक चिन्ह मौजूद हो, लेकिन वे उपयुक्त भारतीय मानक का अनुपालन न करते हों। नया कानून देश में कारोबार करने में सुगमता प्रदान करने में भी सहायता करके 'मेक इन इंडिया' अभियान को प्रोत्साहन देगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। भारतीय मानक ब्यूरो नियम भी वर्ष 2017 में अधिसूचित किए गए।

1947 में अस्तित्व में आई भारतीय मानक संस्था (आईएसआई) की परिसंपत्तियों और दायित्वों को ग्रहण कर भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 32 शाखा कार्यालय और 8 प्रयोगशालाएं हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो, सरकार, उद्योग जगत और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी सम्पर्क सूत्र का काम करते हैं। ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रमुख गतिविधियों यथा मानक निर्धारण, उत्पाद प्रमाणन और प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और हॉलमार्किंग में निरंतर प्रगति की है।

वेबसाइट: www.bis.gov.in

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के अधीन संचालित की जा रही एक परियोजना है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और एक पीआरआई लाईन के माध्यम से कॉल प्राप्त करने और उत्तर देने के लिए, इसका एक कस्टमाईज्ड सॉफ्टवेयर है, जो आईआईपीए में सर्वर आधारित है। यह परियोजना, उपभोक्ता के दिन-प्रतिदिन के व्यवहारों में व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से हल किए जाने की उपभोक्ता की आवश्यकता को समझता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य, उपभोक्ताओं के टेलीफोन कॉल प्राप्तकरना तथा कॉलर जानकारी प्रदान करना और उनकी शिकायतों को इनग्राम पोर्टल पर पंजीकृत करना, उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए परामर्श एवं सलाह प्रदान करना, इनग्राम पोर्टल, ईमेल, एसएमएस इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का समाधान करना, उपभोक्ताओं को उचित उपभोक्ता मंचों में उनकी शिकायत दर्ज करने के संबंध में सहायता/सलाह प्रदान करना, अन्य संबंधित संचालनों का निष्पादन करना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की प्रमुख कड़ी है। यह केवल कॉल सेंटर के रूप में ही कार्य नहीं करती। इसने 373 कंपनियों के साथ भागीदारी की है जो शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन प्रत्युत्तर देती हैं। इसे कंवर्जेंस तंत्र कहा जाता है। यह कंवर्जेंस कंपनी के साथ शिकायतों का अनुसरण करती है, शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करती है, शिकायत के संबंध में अनुसंधान और विश्लेषण करती है। एनसीएच एक राष्ट्रीय टॉल-फ्री नम्बर 1800-11-4000 उपलब्ध कराती है। नाम और शहर का उल्लेख करके +918130009809 पर एसएमएस (शुल्क लागू) भी भेजा सकता है। उपभोक्ता अपने प्रश्नों और शिकायतों के बारे में सूचना, परामर्श या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में एक त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, जो अपने समक्ष दायर शिकायतों पर निर्णय सुनाता है और उपभोक्ताओं को त्वरित प्रतितोष प्रदान करता है। इसमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग), जिसके अधिकार क्षेत्र में समूचा देश आता

है और जिसका आर्थिक क्षेत्राधिकार 1.00 करोड़ से ऊपर के दावों संबंधी उपभोक्ता विवादों/शिकायतों का है और जो राज्य/आयोगों पर अपीलीय प्राधिकरण है, 35 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग), जिनका अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्राधिकार 20.00 लाख रुपये से अधिक और 1.00 करोड़ रुपये तक की राशि की उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित दावों का है और जो जिला मंचों के ऊपर अपीलीय प्राधिकरण है तथा 679 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच), जिनके अधिकार क्षेत्र में पूरा जिला आता है और जिनका आर्थिक क्षेत्राधिकार 20.00 लाख रुपये तक का है।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला

भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वर्ष 1912 से क्रियाशील राष्ट्रीय परीक्षणशाला(एन.टी.एच.)- औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षणों तथा गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख प्रयोगशाला है। इस एक सदी पुराने वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान को भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के उद्देश्य से सीमित परीक्षण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (मूलतः सरकारी परीक्षणशाला के नाम से मशहूर) के रूप में मूलतः भारतीय रेलवे बोर्ड ने अलीपुर, कोलकाता में स्थापित किया था। एन.टी.एच. द्वारा प्रथम क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1963 में मुम्बई में की गईं और इसके बाद चेन्नई (1975), गाजियाबाद (1977), जयपुर (1994) तथा गुवाहाटी (1996) में प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। राष्ट्रीय परीक्षणशाला– विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्री तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में, माप उपकरणों/उपस्करों तथा यंत्र आदि के व्यास नापन के क्षेत्र में कार्य करता है। स्पष्ट रूप से कहें तो राष्ट्रीय परीक्षणशाला, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशनों या उपभोक्ता मानक विनिर्देशनों के अनुरूप वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य करता है।

कीमतों की निगरानी

उपभोक्ता मामले विभाग, एक कीमत निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) का संचालन करता है, जिसका कार्य चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करना है। यह निगरानी दैनिक खुदरा और थोक, दोनों कीमतों के संबंध में दैनिक आधार पर की जाती है। यह प्रकोष्ठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक आपूर्ति विभागों के माध्यम से देश भर के 71 रिपोर्टिंग केंद्रों से एकत्र की गई 22 आवश्यक वस्तुओं, जिनमें अनाज, दालें, सब्जियां, खाद्य तेल, चीनी, दूध आदि शामिल हैं, की कीमतों की निगरानी करता है। इन वस्तुओं की दैनिक कीमतें विभाग की वेबसाइट (www.fea.min.nic.in) पर उपलब्ध होती हैं और इन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के बाजारों में वर्तमान कीमतों की स्थिति के साथ-साथ कीमतों को प्रभावि करने वाले अन्य कारकों का विश्लेषण किया जाता है और यथोचित नीतिगत कार्रवाई के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श तंत्र के नोटिस में लाया जाता है। कीमतों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर शून्य अथवा रियायती आयात दरों पर आम उपयोग की विभिन्न वस्तुओं के आयात की अनुमति, आवश्यकता पड़ने पर निर्यात पर प्रतिबंध, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक धारण सीमा का निर्धारण तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के तहत उचित मूल्य पर खाद्यान्नों के आवंटन सहित विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग समुचित नीतिगत हस्तक्षेप को सुगम बनाने के लिए रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या, जो वर्तमान में 71 है, से बढ़ाकर चरणबद्ध रूप से 100 करने, कीमतों की निगरानी को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बढ़ाने, उपभोग की बदलती परिपाटियों के मद्देनजर समय-समय पर बाजार के सर्वेक्षणों के जरिए निगरानी की जा रही आवश्यक वस्तुओं की मौजूदा सूची में विस्तार करने, आवश्यक वस्तुओं की मांग-आपूर्ति और उपभोग की परिपाटियों के विश्लेषण जैसे वस्तु विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण पर कार्य कर रहा है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण करने, अनाज का बफर स्टॉक बनाये रखने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहित उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, जैसे उचित नीतिगत उपायों के जरिये चीनी तथा खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे

उपायों के माध्यम से देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

विभाग की खाद्य प्रबंधन नीति के मुख्य साधन अनाजों की खरीद, भंडारण और ढुलाई, सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक का अनुरक्षण है।

अनाज की खरीद

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों की खरीद करता है। प्रत्येक रबी/खरीफ मौसम से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें विभिन्न कृषि निवेशों की लागत और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है। खाद्यान्न खरीद के लिए खोले जाने वाले खरीद केंद्रों की संख्या तथा पैकेजिंग सामग्रियों की खरीद और भंडारण स्थान जैसे प्रबंधों का ख्याल रखा जाता है। खरीद मौसम प्रारंभ होने से पहले संबंधित राज्य की खरीद क्षमता और भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए एफसीआई और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा आपसी सलाह से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं। खरीद मौसम के दौरान अतिरिक्त खरीद केंद्रों की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं। राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अधिकतम सरकारी खरीद की जा सके, ढुलाई लागत में कमी आए और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कार्यों की पहुंच का विस्तार किया जा सके। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वयं अनाजों की खरीद और वितरण का कार्य करती हैं। राज्य की आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीदे गए अनाजों को अन्य स्थानों पर वितरण के लिए केंद्रीय पूल में रखा जाता है।

हाल के वर्षों में अनाज पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि और पूर्वी भारत में हरित क्रांति पर बल दिए जाने से अनेक राज्यों में खरीद कार्यों का विस्तार हुआ है, जिससे खाद्यान्नों का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक 319 लाख टन के बफर मानक की तुलना में 2012 में रिकॉर्ड 805.16 लाख टन पहुंच गया है। इसलिए अब खरीद, वितरण और खाद्यान्न निपटान की संतुलित नीति अपनाई जा रही है, ताकि किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले, टीपीडीएस आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अधिकतम खरीद की जा सके, बफर स्टॉक बनाए रखा जा सके और भविष्य में बाजार को असंतुलित किए बिना अतिरिक्त अनाजों का निपटान किया जा सके।

केंद्रीय पूल में अनाज का भंडार

खाद्य सुरक्षा के लिए नियत न्यूनतम भंडारण मानदण्डों की पूर्ति करने के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडबल्यूएस) के लिए मासिक स्तर पर अनाज जारी करने के लिए, अनपेक्षित रूप से फसल खराब होने, प्राकृतिक आपदाओं, त्योहारों आदि के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए तथा खुले बाजार की कीमतों को कम करने में सहायता करने के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय पूल के अनाजों के भंडार का उपयोग बाजार हस्तक्षेप में करने के लिए अनाज भंडारण के मानदण्ड (बफर मानदण्ड) का निर्धारण किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

जनता की खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 बनाया, जो 2013 से लागू हो गया। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव जीवन चक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित कराते हुए खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में व्यापक बदलाव का संकेत देता है और अब खाद्य सुरक्षा कल्याण आधारित न रह कर अधिकार आधारित हो गई है।

इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है। इस तरह आबादी का दो-तिहाई हिस्सा कवर हो जाता है। उच्च रियायती दर पर अनाजों की प्राप्ति दो श्रेणियों- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार की श्रेणी और प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी- में होती है। एएवाई

निर्धनतम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और 2.5 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए वर्ष 2000 में लांच की गई। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे परिवार को 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम मोटे अनाज/गेहूं/चावल प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिकता वाले परिवारों को उपर्युक्त रियायती दरों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है।

इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी अलग प्रावधान किए गए हैं।

एनएफएसए अब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 80.55 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है, जबकि वांछित लक्ष्य 81.34 करोड़ व्यक्तियों को कवर करना था। चंडीगढ़, पुद्दुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में यह कानून नकद अंतरण रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है, जिससे लाभार्थी अपनी पसंद के अनाज खुले बाजार से खरीद सकते हैं।

प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लागत साझेदारी के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली- टीडीपीएस संचालनों में प्रारंभ से अंत तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना लागू कर रहा है। इसके लिए 884.07 करोड़ रुपये की कुल राशि की आवश्यकता है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 489.37 करोड़ रुपये और राज्यों की हिस्सेदारी 394.70 करोड़ रुपये की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद यह कार्यक्रम और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाज की कीमत और कम होती है। इस योजना की अवधि एक वर्ष के लिए 2019 तक बढ़ा दी गई है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में (क) लाभार्थियों की सही पहचान करने, जाली राशन कार्डों को हटाने, खाद्य सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण करना, (ख) उचित मूल्य दुकानों के स्तर पर खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए अनाजों का ऑनलाइन आवंटन करना, और (ग) पारदर्शी पोर्टलों, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लागू करने के माध्यम से टीडीपीएस के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व लाने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था और पारदर्शिता पोर्टल।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से राशन कार्ड डेटाबेस में आधार संख्या जोड़ने का अनुरोध किया गया है। इतना ही नहीं, राशन दुकानों के ऑटोमेशन के लिए भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इनमें राशन की दुकानों पर लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण लगाना, राशन की दुकानों पर लाभार्थियों को की गई बिक्री का रिकार्ड रखना और केंद्रीय सर्वर में कारोबारी डेटा अपलोड करना शामिल है।

पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन *(*आईएम-पीडीएस*)*

केंद्रीय क्षेत्र की एक नयी योजना: 'पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन' (आईएम-पीडीएस) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (पीडीएसएन) की स्थापना करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों के डि डुप्लीकेशन को समाप्त करने, पोर्टेबिलिटी लागू करने का कार्य किया जा सके। यह योजना खाद्य सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करने को मजबूती प्रदान करेगी और लाभार्थियों को अपनी पसंद की एफपीएस से अनाज उठाने में सहायता करेगी।

2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार, (समय-समय पर यथा संशोधित) आधार (वित्तीय और अन्य प्रकार की सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 के तहत, एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणन कराना होगा। जिनके पास आधार नहीं होगा, उन्हें अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर के साथ-साथ राशन कार्ड का नम्बर और अन्य विवरण उपलब्ध कराते हुए उचित दर की दुकान के मालिक के जरिये या राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के जरिए आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया था कि जब तक लाभार्थियों को आधार नियत नहीं हो जाता, तब तक एनएफएसए के तहत पात्रताएं उन व्यक्तियों को राशन कार्ड दिखाने पर और या आधार नामांकन

आईडी स्लिप या उनके अनुरोध की प्रति के साथ निम्नलिखित में किसी भी प्रकार के पहचान संबंधी दस्तावेज यथा (1) मतदाता पहचान पत्र, या (2) पैन कार्ड, या (3) पासपोर्ट, या (4) ड्राइविंग लाइसेंस, या (5) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लैटरहैड पर जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र, या (6) डाक विभाग द्वारा जारी पते का कार्ड जिस पर नाम और पता दर्ज हो, या (7) किसान फोटो पासबुक या (8) राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कोई अन्य दस्तावेज दिखाने पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश भी जारी किये हैं कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/ लिंकिंग की समस्या या लाभार्थी की खराब बायोमीट्रिक या किसी अन्य तकनीकी कारण से बायोमीट्रिक प्रमाणन विफल होने की सूरत में लाभार्थी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा या खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण उस पुरुष/या महिला द्वारा अपने बायोमीट्रिक प्रमाणन की जगह अपना आधार कार्ड दिखाने के आधार पर किया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल आधार कार्ड न होने के कारण किसी को भी अनाज देने से मना नहीं किया जाएगा या राशन कार्ड के डेटाबेस से उसका नाम नहीं मिटाया जाएगा।

यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी परिवार के सभी सदस्यों को आधार संख्या नियत नहीं की गई हो, तो राशन कार्ड में नामित पात्र परिवार का कोई भी सदस्य, जो पहचान की शर्तों को पूरा करता हो और जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज हो, वह एनएफएसए के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज की पूरी मात्रा या खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा।

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है। यह योजना सरकारी/सरकारी सहायता प्रदत्त/ स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कवर करती है। प्रति बच्चा प्रत्येक स्कूल दिवस प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम की दर से तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम की दर से अनाज की निःशुल्क सप्लाई की जाती है, जिसके अंतर्गत पका भोजन /प्रसंस्कृत गर्म खाना परोसा जाता है या प्रति विद्यार्थी प्रति महीने 3 किलोग्राम अनाज वितरण किया जाता है। इस दौरान कच्चा अनाज वितरित किया जाता है।

गेहूं आधारित पौष्टिकता कार्यक्रम

यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यान्वित करता है। इसके तहत आवंटित होने वाले अनाजों का उपयोग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत 0-6 आयु व के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक/ऊर्जायुक्त आहार देने के लिए किया जाता है।

किशोरियों के लिए योजना

यह योजना केंद्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय चलाता है। लेकिन इस योजना के लिए अनाज, महिला और बाल विकास मंत्रालय को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल दरों पर आवंटित किया जाता है। सबला योजना 2010 में दो योजनाओं- पौष्टिकता कार्यक्रम और किशोरियां (एनपीएजी) तथा किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) को मिलाकर लांच की गई। इस योजना का उद्देश्य 11-18 साल की लड़कियों की पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर और उनके लिए उपयोगी विभिन्न कौशलों को उन्नत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी प्रदान करना और वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निर्देशित करना भी है। पौष्टिकता के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष में 300 दिन प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन 100 ग्राम आहार देने की आवश्यकता है।

कल्याणकारी संस्थाओं को अनाज की आपूर्ति

टीपीडीएस या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई कल्याणकारी संस्थाओं यथा भिक्षुगृह, नारीनिकेतन और अन्य समान प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों/केंद्र

शासित प्रदेशों को बीपीएल दरों पर अतिरिक्त अनाज (चावल और गेहूं) का आवंटन किया गया है, जो बीपीएल आवंटन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी छात्रावासों को अनाज की आपूर्ति

यह योजना 1994 में लागू की गई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी से संबंधित दो तिहाई विद्यार्थियों वाले छात्रावासों में रहने वाले प्रति महीने प्रति निवासी 15 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अनाज आवंटन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर करता है।

अन्नपूर्णा योजना

यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) के अंतर्गत पेंशन नहीं पाने वाले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति निःशुल्क 10 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। योजना के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बीपीएल कीमतों पर अनाज दिया जाता है।

मुक्त बाजार बिक्री योजना *(घरेलू)*

बफर स्टॉक बनाए रखने के अतिरिक्त तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में केंद्रीय पूल के गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत ई-टेंडर के माध्यम से पूर्वनिर्धारित कीमतों पर करता है, ताकि शुष्क मौसम में विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सप्लाई बढ़ाई जा सके।

अनाज का भंडारण

एफसीआई और राज्य एजेंसियों की क्षमता

सभी राज्यों में एफसीआई के पास अपने कवर्ड गोदामों का ग्रिड है, जहां केंद्रीय पूल के अनाज का सुरक्षित स्टॉक रखा जाता है। इसके अतिरिक्त एफसीआई केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा राज्य भंडारण निगमों जैसी राज्य एजेंसियों तथा निजी पक्षों से किराये पर क्षमता प्राप्त करता है।

निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है और जुलाई 2018 में 876.31 लाख एमटी क्षमता उपलब्धता की तुलना में 627.13 लाख एमटी का केंद्रीय अनाज स्टॉक था।

भंडारण क्षमता में वृद्धि

अनाज उत्पादन और खरीद में हो रही लगातार वृद्धि के प्रबंधन के लिए विभाग देश में कवर्ड भंडारण क्षमता संवर्धन के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना लागू कर रहा है। वर्ष 2008 में लांच किए गए पीईजी कार्यक्रम के अंतर्गत गोदाम सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के तहत बनाए जाते हैं और चुनिंदा साझेदार भूमि तथा निर्माण लागत वहन करते हैं। एफसीआई अपनी ओर से निजी निवेशकों को 10 वर्ष तक भंडारण क्षमताओं का इस्तेमाल करने तथा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को 9 वर्ष तक उपयोग की गारंटी देता है। एफसीआई भंडारण अंतर को कम करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर गोदाम निर्माण के लिए स्थलों को चिह्नित करता है। उपयोगकर्ता क्षेत्रों में पीडीएस और ओडब्ल्यूएस की चार महीने की आवश्यकता के आधार पर भंडारण अंतराल का आकलन किया जाता है, जबकि खरीदार राज्यों के भंडारण अंतर का आकलन पिछले तीन वर्षों के उच्चतम स्टॉक स्तरों के आधार पर तथा अनाज खरीद क्षमता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

भंडारण क्षमताओं के आधुनिकीकरण के तहत स्टील साइलो रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में भंडारण सुविधाएं बनाई जा रही हैं। प्रत्येक साइलो की क्षमता 25,000 या 50,000 एमटी होगी। इससे वर्तमान सप्लाई शृंखला का मशीनीकरण हो जाएगा और संचालन क्षमता में सुधार होगा।

भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित हुए गोदामों के निर्माण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना पूर्वोत्तर राज्य में

कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत, पीडीएस के आपूर्ति संभार तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र के विकास, कृषि विपणन में सुधार और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था के लिए वेयरहाउसिंग (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 बनाया। यह 2010 से लागू है। सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2010 में वेयरहाउसिंग विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का गठन किया। वेयरहाउस में किसानों द्वारा जमा कराए गए कृषि उत्पादों के लिए जारी निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) से किसानों को बैंक से ऋण लेने में मदद मिलेगी। इससे व्यस्त फसल मौसम में किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को आनन फानन में बेचने की समस्या पर काबू पाने में भी सहायता मिलेगी। एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए वेयरहाउस को डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा। पंजीकरण की अनुमति देने से पूर्व पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा वेयरहाउस का निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि तथा अन्य जिन्सों को वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से रखने की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वेयरहाउस द्वारा पूर्ण रूप से की गई है।

प्राधिकरण ने एनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, वनस्पति तेल, गिरी तथा रबर, तंबाकू, चाय, कॉफी, मखाना आदि तथा आलू, डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, सेब और किशमिश जैसी 26 बागवानी वस्तुओं सहित 123 कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया हैं।

केंद्रीय भंडारण निगम

केंद्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों, सामग्रियों और अन्य अधिसूचित जिन्सों के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार, सीडब्ल्यूसी 431 भंडारगृहों या वेयरहाउसेज का प्रचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 100.28 लाख एमटी है, जिसमें से 44 कस्टम बॉण्डेड वेयरहाउस, 29 कंटेनर फ्रेट स्टेशन/इनलैण्ड क्लीयरेंस डिपो, 3 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और 3 टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयरहाउसेज हैं, जो आयात/निर्यात व्यापार को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के पास 19 सहभागी राज्य भंडारण निगम हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 352.65 लाख एमटी है।

सीडब्ल्यूसी की एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) है, जो रेलसाइड वेयरहाउस परिसरों (आरडब्ल्यूसी) का विकास करती है।

फसल कटाई के बाद अनाज का प्रबंधन

अनाज के लिए गुणवत्ता के मानक

सरकार विधिवत रूप से केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए अनाज की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है। नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ तथा बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई और पटना स्थित फील्ड कार्यालय खरीदे गए और भंडार में रखे गए अनाजों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं और एफसीआई तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा वितरण के लिए जारी करते हैं।

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई), हापुड़ (उत्तर प्रदेश) तथा लुधियाना (पंजाब) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित उसके फील्ड स्टेशन अनाज के भंडारण प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्य संचालित करते हैं। आईजीएमआरआई भंडारण एजेंसियों और कीट नियंत्रण संचालकों आदि के लिए अनाज के भंडारण, निरीक्षण तथा कीट नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला

नई दिल्ली स्थित केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल) गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूनों का विश्लेषण करके सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण के समय अनाज गुणवत्ता की निगरानी में विभाग की मदद करती है।

अनाज का आयात और निर्यात

चावल और गेहूं की निर्यात नीति

सरकार ने वर्ष 2011 से निजी पक्षों द्वारा रखे गए स्टॉक में से निजी स्तर पर गैर-बासमती चावल के मुक्त निर्यात की अनुमति दी है। मेसर्स एनसीसीएफ तथा नेफेड सहित राज्य व्यापार उद्यमों को भी निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। इसी वर्ष से गेहूं निर्यात की अनुमति भी दी गई। सीमा शुल्क ईडीआई बंदरगाहों के माध्यम से भी गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी गई है। भारत-बांग्लादेश तथा भारत-नेपाल सीमा पर गैर ईडीआई लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए डीजीएफटी में मात्रा पंजीकरण अनिवार्य है। बीज गुणवत्ता वाले चावल तथा अन्य चावल (बीज गुणवत्ता से भिन्न भूसायुक्त चावल (धान या मोटा चावल) के निर्यात की अनुमति लाइसेंस के अंतर्गत दी गई है।

चीनी

चीनी उत्पादन

चीनी उद्योग कृषि आधारित एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है और लगभग 5 लाख कामगारों को चीनी मिलों में सीधे रोजगार मिला हुआ है। इसके साथ ही चीनी उद्योग से जुड़े विविध सहायक कार्यों जैसे परिवहन, व्यापार, मशीनरी की सर्विसिंग तथा कृषि आदानों की आपूर्ति से जुड़ी गतिविधियों में भी रोजगार सृजित होते हैं। ब्राजील के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चीनी की सबसे अधिक खपत वाला देश भी है। आज भारतीय चीनी उद्योग का वार्षिक उत्पादन लगभग 80,000 करोड़ रुपये मूल्य का है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देश में 742 चीनी मिलें स्थापित हैं जिनकी पर्याप्त पेराई क्षमता लगभग 343 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन की है। इस क्षमता को मोटे तौर पर निजी क्षेत्र तथा सहकारिता क्षेत्र की यूनिटों में बराबर विभाजित किया गया है। चीनी मिलों की क्षमता मोटे तौर पर 2500 टीसीडी से 5000 टीसीडी के बीच है, लेकिन इसमें तेजी से विस्तार हो रहा है और यह 10000 टीसीडी से पार जा रही है। देश में गुजरात और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में दो स्वचालित रिफाइनरी भी लगाई गई हैं, जो मुख्यतः आयातित कच्ची चीनी और स्वदेशी रूप से निर्मित कच्ची चीनी से रिफाइन्ड चीनी तैयार करती हैं।

चीनी का निर्यात

चीनी एक आवश्यक वस्तु है। मिलों से इसकी बिक्री, डिलीवरी और वितरण सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विनियमित किया जाता था। 1997 तक चीनी का निर्यात चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित निर्यात एजेंसियों अर्थात भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लि. (आईएसजीआईईआईसी) तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एसटीसी) द्वारा किया जा रहा था।

चीनी का आयात

चीनी का आयात 1994 में शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन रखा गया था और यह 1999 तक शून्य शुल्क के साथ जारी रखा गया था। सरकार ने 1998 से आयात की गई चीनी पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क और 850.00 रुपये प्रति एमटी की दर से प्रतिशुल्क लगाया। प्रतिशुल्क के अतिरिक्त, 1999 से मूल सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। वर्ष 1999-2000 के केंद्रीय बजट में, आयात की गई चीनी पर

शुल्क 20 प्रतिशत से और बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था और इस पर 10 प्रतिशत अधिभार लगा दिया गया था। चीनी के आयात पर सीमा शुल्क पुनः बढ़ाकर 30 दिसंबर, 1999 को 40 प्रतिशत और 9 फरवरी, 2000 को 60 प्रतिशत कर दिया गया और इसके साथ 950 रुपये प्रति टन प्रतिशुल्क (दिनांक 01 मार्च, 2008 से) के साथ 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर भी बरकरार रहा।

अत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी वितरण की समीक्षा

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सस्ते दामों पर चीनी का वितरण किया जाता था, जिसके लिए केंद्र सरकार सहभागी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 18.50 प्रति कि.ग्रा. की दर पर प्रतिपूर्ति करती थी। यह योजना 2001 की जनगणना के अनुसार देश की समस्त बीपीएल आबादी तथा पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी/पहाड़ी राज्यों तथा द्विपीय क्षेत्रों की समस्त जनसंख्या को कवर करती थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) को अब सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समान रूप से लागू किया जा रहा है। एनएफएसए के तहत, बीपीएल श्रेणी की पहचान नहीं की गई है तथापि, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान कर ली गई है। भारत सरकार ने चीनी राजसहायता योजना की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि समाज के सबसे गरीब वर्ग अर्थात अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को उनके आहार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में चीनी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण की मौजूदा पद्धति को निम्नानुसार जारी रखा जाए:- (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त चीनी की आपूर्ति संबंधी मौजूदा स्कीम को केवल अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के सीमित कवरेज हेतु जारी रखा जाए। उन्हें प्रति परिवार प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी उपलब्ध करायी जाएगी, (2) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही चीनी पर दी जा रही 18.50 प्रति किलोग्राम की राजसहायता को अंत्योदय अन्न योजना आबादी के लिए जारी रखा जा सकता है। संशोधित योजना 2017 में लागू की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना में 12 राज्यों ने भाग लिया था और इसके तहत राजसहायता के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है, जो मूल रूप से चीनी उद्योग के शीरा जैसे उप-उत्पादों से तैयार किया जाता है। जिस वर्ष गन्ने की उपज जरूरत से ज्यादा होती है और चीनी के भाव गिर जाते हैं उस वर्ष चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की कीमत उपलब्ध नहीं करा पाता। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपी) इथेनॉल को मोटर स्पिरिट के साथ मिश्रित करके प्रदूषण स्तर कम करने के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचाने और चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन करने का प्रयास करता है, ताकि उसे किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान करने में समर्थ बनाया जा सके।

सरकार ने जैव-ईंधन 2018 पर नयी राष्ट्रीय नीति भी अधिसूचित की, जिसके तहत इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने के रस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। चीनी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सी-हेवी शीरे से व्युत्पन्न इथेनॉल का मिल द्वार पर लाभकारी मूल्य 43.46 रुपये प्रति लीटर की दर से निर्धारित किया है। पहली बार सरकार ने बी-हेवी शीरे से व्युत्पन्न इथेनॉल का मिल-द्वार मूल्य भी 52.43 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है और जो मिलें चीनी का उत्पादन न करते हुए इथेनॉल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत गन्ने के रस का करेंगी और चीनी का उत्पादन नहीं करेंगी, उनके लिए 59.13 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया इथेनॉल सीजन 2017-18 में, 164 करोड़ लीटर की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

चीनी विकास कोष

चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देश में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली समस्त चीनी पर उत्पाद शुल्क के रूप में वसूले जाने वाले उपकर को करारोपण कानून अधिनियम, 2017 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। एकत्रित उपकर से बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से एसडीएफ के लिए कोष उपलब्ध कराया जाता था। भारत सरकार द्वारा चीनी विकास कोष अधिनियम, 1982 का उपयोग चीनी फैक्टरी या उसकी किसी यूनिट के पुनर्वास और आधुनिकीकरण में सहायता देने, गन्ना, खोई आधारित बिजली सह-उत्पादन

परियोजनाओं, निर्जल अल्कोहल उत्पादन या अल्कोहल से इथेनॉल उत्पादन, वर्तमान इथेनॉल संयंत्र को शून्य तरल निष्पादन संयंत्र में बदलने, चीनी उद्योग के विकास वाली किसी भी अनुसंधान परियोजना को अनुदान देने, किसी चीनी मिल को चीनी मूल्य स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षित भंडार बनाने और उसके रख-रखाव पर होने वाले खर्च को वहन करने, चीनी मिल को निर्यात खेप पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभार पर किए गए खर्च को चुकाने, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी कार्यक्रम के संदर्भ में चीनी फैक्टरियों को वित्तीय सहायता के उद्देश्य से दिए गए ऋण पर ब्याज चुकाने, कच्चे उत्पाद के विपणन और उन्नयन सेवाओं पर होने वाला व्यय चुकाने, चीनी मिलों को आसान ऋण देने के लिए ब्याज वहन, गन्ना लागत को समायोजित करने के लिए चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी तथा अधिनियम के प्रयोजनार्थ किए गए किसी अन्य व्यय को चुकाने में किया जाता है।

खाद्य तेल

खाद्य तेल और वसा सम्पूर्ण एवं संतुलित आहार के लिए अनिवार्य अवयव और व्यापक खपत की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वनस्पति तेल प्रसंस्करण उद्योगों, मूल्य नियंत्रण, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य तथा वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेल, खली और वसा की आपूर्ति एवं वितरण से जुड़े मामलों का कार्य भी देखता है। शर्करा एवं वनस्पति तेल निदेशालय में तकनीकी योग्यता प्राप्त स्टाफ तैनात है, जो विशेष रूप से वनस्पति तेलों के उत्पादन/उपलब्धता और इनकी कीमतों की निगरानी के समन्वित प्रबंधन में मंत्रालय की सहायता करता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत अनेक एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। इनमें विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), सार्क फूड बैंक, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद (आईजीसी) और अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन (आईएसओ) आदि शामिल हैं।

सार्क फूड बैंक

वर्ष 2007 में, नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार, सार्क देशों के प्रमुखों ने सार्क फूड बैंक स्थापित करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। फूड बैंक क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के राष्ट्रीय प्रयासों में पूरक भूमिका निभाएगा। इस समझौते के अनुसार, सार्क फूड बैंक में अनाज का भंडार रखा जाएगा। रख-रखाव का काम सभी सदस्य देश करेंगे जिसमें देश के मूल्यांकित हिस्से के अनुसार केवल गेहूं या चावल अथवा दोनों का समीकरण होगा।

खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य सुरक्षा समिति

वर्ष 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषज्ञता संपन्न एजेंसियों में एक है। इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाकर और ग्रामीण आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार लाकर पोषण और जीवन स्तर को सुधारना है। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस) खाद्य उत्पादन, खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए एक मंच के रूप में काम करती है। भारत एफएओ और सीएफएस दोनों का सदस्य है। खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस) डब्ल्यूएफएस कार्ययोजना की प्रगति की निगरानी करती है।

अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद

भारत अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद (आईजीसी) का सदस्य है। परिषद को 1995 तक अंतरराष्ट्रीय गेहूं परिषद के नाम से जाना जाता था। यह गेहूं और मोटे अनाज के मामले में सहयोग के लिए निर्यात-आयात करने वाले देशों का अंतर-सरकारी मंच है। यह ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन, 1995 को प्रशासित करता है। इसका सचिवालय 1949 से लंदन में है, जो खाद्य सहायता सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित खाद्य सहायता समिति को भी सेवाएं प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय अनाज समझौते में अनाज व्यापार समझौता और अनाज सहायता समझौता शामिल है। भारत 1995 से अंतरराष्ट्रीय अनाज समझौते और 1995 से लागू अनाज व्यापार समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है। आईजीसी के दो

प्रकार के सदस्यों में आयातक सदस्य देश और निर्यातक सदस्य देश शामिल होते हैं। भारत को जुलाई 2003 में निर्यात सदस्य की श्रेणी में शामिल किया गया और भारत ने समय-समय पर आयोजित परिषद की बैठकों/सत्रों में प्रतिनिधित्व किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में स्थापित किया गया। बाद में इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया था तथा कृषि मंत्रालय के अधीन लाया गया। इसे 2001 में पुनः मंत्रालय बना दिया गया और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नामित किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीतियों के निरुपण एवं कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। एक मज़बूत एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यीकरण में जीवंत भूमिका निभाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, कृषि उपजों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करता है, रोज़गार के अवसर बढ़ाता है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए बाजार सृजित करता है। मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक निवेश लाने, उद्योग का मार्गदर्शन और सहायता करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के यथेष्ट विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 के तहत मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार है: (1) निम्नलिखित से संबंधित उद्योगः (क) कतिपय कृषि उत्पादों (दूध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, मिश्रित दुग्ध आहार, संघनित दूध, घी एवं अन्य डेयरी उत्पाद), कुक्कुट एवं अंडे, मांस एवं मांस उत्पादों का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन (ख) मत्स्य प्रसंस्करण (केनिंग एवं फ्रीजिंग सहित) (ग) मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना तथा सेवा प्रदान करना (घ) मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता एवं सलाह (ङ) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (प्रशीतन एवं निर्जलीकरण सहित) एवं (च) खाद्यान्न मिलिंग उद्योग।

(2) ब्रेड, तिलहन, आहार (खाद्य), नाश्ते के भोजन, बिस्कुट, कंफेक्शनरी (कोको प्रसंस्करण तथा चॉकलेट बनाने सहित), जौ सत्व, प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन आहार, दूध छुड़ाने वाले आहार तथा अन्य निष्क्रमित खाद्य पदार्थों (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों सहित) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास एवं नियंत्रण तथा सहायता। (3) बीयर गैर-अल्कोहलयुक्त बीयर सहित (4) गैर-शीरा आधारित अल्कोहलयुक्त पेय (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशेष पैकेजिंग (6) वातित जल तथा सॉफ्ट ड्रिंक।
वेबसाइट: www.mofpi.nic.in

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान

कुछ वर्षों से भारत में कृषि उत्पादन में निरंतर उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दूध, घी, अदरक, केला, अमरूद, पपीता और आम के उत्पादन में विश्व में पहले नम्बर पर है। इसके अतिरिक्त, भारत चावल, गेहूं, और कई अन्य सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। कच्चे माल की प्रचुर आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि और सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रमुख रोजगार सघन क्षेत्र है जिसका 2014-15 में सभी पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में सृजित रोजगार में 12.77 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2014-15 के लिए उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 17.73 लाख थी। एनएसएसओ के 67वें दौर, 2010-11 के अनुसार, गैर-पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 47.9 लाख कामगारों को रोजगार प्राप्त हुआ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश *(*एफडीआई*)*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वतः अनुमोदन के अंतर्गत शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। भारत में विनिर्मित

और/अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित व्यापार के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति है।

खाद्य प्रसंस्करण और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम

'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक माना गया है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास के लिए योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

व्यापार करने की सुगमता

मंत्रालय पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपना रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मेगा फूड पार्क परियोजना तथा शीत शृंखला एवं अन्य सभी स्कीमों की अवंसरचना विकास परियोजनाओं के लिए दावे ऑन-लाइन दर्ज कर रहा है।

सुविज्ञ निर्णय लेने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भावी निवेशकों की सहायता और मदद करने के लिए 2017 में समर्पित निवेशक पोर्टल जिसे निवेश बन्धु कहा जाता है शुरू किया गया था। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों, प्रस्तावित प्रोत्साहनों, कृषि संसाधनों और देश भर में अवसंरचना सुविधाओं के बारे में 'वन स्टाप सूचना स्रोत' है। एक निवेशक अनुकूल मोबाइल एप- 'निवेश बंधु' भी शुरू किया है जो निवेशक को बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से कहीं भी सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है जो सुविज्ञ निवेश निर्णय लेने में निवेशकों के लिए बाजी पलटने वाला साबित हो रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रचालनरत प्रसंस्करण इकाइयों की प्रकृति और आकार के मद्देनजर, मूलभूत अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं में निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण तरीके से निवेश आने की संभावना नहीं है। अतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अवसंरचना निर्माण, प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सकारात्मक विकास के अन्य उपाय कर रहा है। इन सभी मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की गई, महत्वपूर्ण अंतरों की पहचान की गई और क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए इन अंतरों को दूर करने के लिए कुछ नई योजनाएं तैयार की गईं। क्षेत्र के त्वरित विकास पर आवश्यक जोर देने के लिए इन सभी योजनाओं को एक व्यापक स्कीम-प्रधानमंत्री किसान सम्पदा स्कीम (पीएमकेएसवाई) के अन्तर्गत एकीकृत किया गया और 2017 में इसका शुभारंभ किया गया। पीएमकेएसवाई एकसमग्र पैकेज है जिस परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा आउटलेट तक कार्यक्षम आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी बल्कि किसानों को बेहतर आमदनी मिलेगी और यह किसानों की आय दोगुनी करने, व्यापक रोजगार अवसर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित करने, कृषि उत्पादों की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने में सहायक होगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अधीन निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है: (i) मेगा फूड पार्क (i) एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्द्धन अवसंरचना (iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (यूनिट स्कीम) (iv) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (v) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन (vi) खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (vii) मानव संसाधन और संस्थान।

मेगा फूड पार्क योजना

वर्ष 2008 से कार्यान्वित मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य, प्रसंस्करण यूनिटों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित और मांग प्रेरित तरीके से हब एवं स्पॉक मॉडल पर आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का सृजन करना है। स्कीम का उद्देश्य केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण को रखते हुए अपेक्षित फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज से समर्थित एकीकृत मूल्य शृंखला की स्थापना को सरल बनाना है। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को उत्पादन क्षेत्रों में खेत पर स्थित प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और संग्रहण केंद्रों के साथ जोड़ा गया है। इस स्कीम का वृहत दृष्टिकोण यह है कि किसानों,

प्रसंस्करणकर्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाया जाए और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ा जाए ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम और किसानों की आय में सुधार लाया जा सके। मेगा फूड पार्क योजना में सहायक अवसंरचना एवं सु-स्थापित आपूर्ति शृंखला सहित अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं वाले सुपरिभाषित कृषि/ बागवानी-प्रसंस्करण जोन की परिकल्पना की गई है।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज तथा आलू के एकीकृत विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू की है। 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के लिए प्रचालन दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।

इस योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं- (i) टमाटर, प्याज तथा आलू (टीओपी) उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज को मजबूत करने एवं उन्हें बाजार के साथ जोड़कर लक्षित उपायों द्वारा टीओपी किसानों की मूल्य उगाही बढ़ाना। (ii) टीओपी क्लस्टरों में समुचित उत्पादन योजना से उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित स्कीम के साथ अभिसरण के माध्यम से दुहरे उपयोग की किस्में शुरू करना। (iii) खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि करना और उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सृजित करके टीओपी मूल्य शृंखला में मूल्यवर्धन।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

मंत्रालय ने 2012 में, 12वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) लांच किया। 11वीं योजना की केंद्रीय क्षेत्र में पांच जारी योजनाओं तथा चार नई योजनाओं का मिशन में विलय किया गया। सीएसएस-एनएमएफपी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की गई। हालांकि 2015 में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में सीएसएस एनएमएफपी से केंद्रीय समर्थन वापस ले लिया गया और इसके परिणामस्वरूप मिशन की सभी 9 योजनाएं खत्म कर दी गई।

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना- किसान संपदा योजना-(कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना) 2017 में लांच की और 2016-20 के लिए 6,000 करोड रुपये की राशि आवंटित की गई। यह योजना 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ-साथ समाप्त होगी। एक विस्तृत पैकेज है, जो खेत से खदरा दुकानों तक कारगर सप्लाई शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना निर्माण में सहायक होगा। यह न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने में सहायक होगा। यह किसानों की आय दोगुनी करने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान कीरने, कृषि उत्पादों बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात प्रोत्साहन के लिए बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान

मंत्रालय ने मई 2012 में हरियाणा के कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना की। निफ्टेम को डी नोवो श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और यह संस्थान बी.टेक., एम.टेक. तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है तथा खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य का संचालन कर रहा है। योजना के अंतर्गत, निफ्टेम को विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, खेल सुविधाओं, हानिकारक रसायन भंडारण, शोधन संयंत्र, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली और आवासीय सुविधाओं जैसी अकादमिक तथा बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसंधान गतिविधियों के विस्तार, गांव गोद लेने (वीएपी) संबंधी कार्यक्रम के विस्तार तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान *(*आईआईएफपीटी*)*

मंत्रालय ने 2008 में आईआईएफपीटी, तंजावुर, तमिलनाडु को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में अपग्रेड किया। यह संस्थान बी.टेक., एम.टेक. तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रमों का संचालन करता है तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करता है। योजना के अंतर्गत आईआईएफपीटी को अवसंरचना सुविधाएं विकसित करने

के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें परिसर विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन (22.7 एकड़) खरीदना और मशीन फैब्रिकेशन और टेस्टिंग केंद्र, खेल परिसर, सभागार, ट्रेनिंग कम इनक्यूबेशन सेंटर खोलना तथा आवासीय सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है। संस्थान को अपनी गतिविधियों के विस्तार में समर्थ बनाने के लिए, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और दुर्गम क्षेत्रों को शामिल करेंगे।

16 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रमुख संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। इस पर स्वास्थ्य तथा संबंधित विषयों पर नीतियां बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में राज्यों के मार्गदर्शन, केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रबंधन, चिकित्सा, नियमन (औषधियां और उपकरण) और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व भी है। इन पर किया जाने वाला खर्च स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सीधे तौर पर केंद्रीय योजनाओं या स्वायत्त/सांविधिक निकायों को अनुदान सहायता के जरिए देता है। इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दो विभाग थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग।

एड्स नियंत्रण विभाग का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया है। अब इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के नाम से जाना जाता है। आयुष विभाग को दिसंबर 2014 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय इसका संबद्ध कार्यालय है जो जनस्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी परामर्श देता है और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम लागू करने में शामिल होता है।
वेबसाइट: www.mohiw.gov.in, www.dhr.gov.in, www.naco.gov.in

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 15 वर्ष के बाद जारी की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी तथा महामारी संबंधी परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के बारे में है। इसमें स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा पैकेज सुनिश्चित करने की संकल्पना की गई है। नई नीति का उद्देश्य रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सबके लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाओं की ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें किसी को भी पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं मिलने की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होगा और उन्हें सस्ता करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में संसाधनों का बड़ा हिस्सा (दो-तिहाई या इससे अधिक) प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटित करने की हिमायत की गई है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रति 1,000 की आबादी के लिए कम से कम दो बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं। यह व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि आपात स्थिति में ये उपलब्ध हो सकें।

नीति की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण: यह निवारक और उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तेजी से बढ़ने वाले सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण की हिमायत करती है। (2) अल्प पोषकता अपूर्णता: अल्प पोषकता तथा कुपोषण को कम करने और सभी क्षेत्रों में पोषकता की कमी की विविधता के समाधान के लिए व्यवस्थित तरीके अपनाना। (3) मेक इन इंडिया पहल: भारतीयों को परंपरागत स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं को प्रोत्साहित कर पर जोर देना। (4) डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल: स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और उनमें सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना

व्यवस्था स्थापित करना ताकि दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक अनुभव में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में एक प्रावधान स्वास्थ्य देखभाल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है। इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्न पहल की हैं:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल: यह स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जानकारी, नागरिकों और संबद्ध पक्षों को विभिन्न भाषाओं (वर्तमान में छह) में उपलब्ध कराने के लिए एक नागरिक पोर्टल के रूप में कार्य करता है। इस पर निःशुल्क टेलीफोन नंबर 1800-180-1104 पर जानकारी दी जाती है। एक मोबाइप एप की शुरुआत भी की गई है। यह स्वास्थ्य और रोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है जिनमें शामिल हैं नियमों, मानकों, नीतियों, कार्यक्रमों, आयोगों इत्यादि और डाइरेक्टरी सेवाएं जैसे- अस्पताल, रक्त बैंक तथा एंबुलेंस सेवाएं। Bharat_2020_DPD: E published on DPD mobile app

अस्पताल सूचना प्रणाली: इसे सीएचसी स्तर तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में दक्षता तथा बेहतर सेवाओं के लिए अस्पताल प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है।

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण, फीस भुगतान तथा मिलने का समय निश्चित करने, ऑनलाइन नैदानिक रिपोर्ट, रक्त की उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी इत्यादि के लिए विभिन्न अस्पतालों को जोड़ने के बारे में है। लगभग 124 अस्पतालों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। ये अस्पताल हैं- एम्स, (नई दिल्ली, जोधपुर, बिहार, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, रायपुर, भोपाल) राममनोहर लोहिया अस्पताल, एसआईसी सफदरजंग अस्पताल, एनआईएमएचएएनएस, अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज, जेआईपीएमईआर इत्यादि।
- मेरा अस्पताल एप्लीकेशन, शॉर्ट मैसेज सर्विस, आउटबाउंड डायलिंग वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे मल्टी चैनलों का इस्तेमाल करते हुए, रोगी के संतुष्टि के स्तर की जानकारी एकत्र करने की आईटी आधारित फीडबैक व्यवस्था है। इसके जरिए ओपीडी खत्म होने के बाद और भर्ती मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के समय, स्वचालित रूप से संपर्क किया जाता है और उक्त का इस्तेमाल कर रोगियों से उनकी संतुष्टि के स्तर की जानकारी ली जाती है।
- मां और शिशु पर नज़र रखने की प्रणाली/प्रजननीय बाल स्वास्थ्य एप्लीकेशन के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समय पर प्रसव की सुविधाएं और प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात देखभाल और बच्चों के टीकाकरण की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि मां तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
- किलकारी एप्लीकेशन की शुरुआत गर्भधारण, शिशु जन्म और देखभाल के बारे में निःशुल्क साप्ताहिक श्रव्य संदेश के लिए की गई है। यह असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के लिए है।
- मोबाइल अकादमी, एक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठयक्रम है जिसका उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं की जानकारी बढ़ाना और उनके संवाद कौशल में सुधार करना है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में चलाया जा रहा है।
- टीबी के रोगियों पर निगरानी की प्रणाली 'निकश्य' के तहत सभी राज्यों में टीबी रोगियों के इलाज के लिए उन पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा ऐसे रोगियों को सलाह और इलाज संबंधी सहायता के लिए मिस्ड कॉल केंद्र सुविधा भी शुरू की गई है, जिसका नंबर है 1800-11-6666।
- तंबाकू निवारण कार्यक्रम एक मोबाइल आधारित कार्यक्रम है जिसके तहत तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए लोगों को सहायता और सलाह दी जाती है। इसके लिए 011-22901701 पर मिस्ड कॉल की सुविधा उपलब्ध है।
- मधुमेह कार्यक्रम, मोबाइल आधारित कार्यक्रम है, जिसमें मधुमेह की बीमारी पर काबू पाने और इलाज संबंधी जानकारी 011-22901701 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राप्त की जा सकती है।
- ई-सीजीएचएस कार्ड, किसी भी स्थान से सीजीएचएस कार्ड के स्व प्रकाशन की सुविधा है।

सुगम, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है जिसके तहत विशेषकर दवाओं,

क्लिनिकल ट्रायल, आचारनीति समिति और चिकित्सा उपकरणों, टीकों तथा सौंदर्य प्रसाधनों के संदर्भ में आवेदनों पर कार्यवाही और मंजूरी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

औषधियां और टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जिला औषधि भंडारगृहों, जिलों अस्पतालों तथा उनके उप-भंडारों इत्यादि को औषधियां, सीवन और सर्जिकल उपकरणों की खरीद, स्टॉक प्रबंधन और वितरण, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खरीद, आपूर्ति चेन, गुणवत्ता नियंत्रण और वित्तीय विभाग के कार्य को स्वचालित बनाकर करने के बारे में है।

मोबाइल एप: विभिन्न मोबाइल एप की शुरुआत की गई है, जो निम्न प्रकार हैं-

- इंद्रप्रस्थ, टीकाकरण का कार्यक्रम,
- इंडिया फाइट्स डेंगू (डेंगू के लक्षणों, निकटम अस्पताल/रक्त बैंक की जानकारी और फीड बैक देना),
- एनएचपी स्वस्थ भारत (रोग, जीवन शैली तथा प्राथमिक चिकित्सा सहायता),
- एचएचपी डायरेक्टरी सेवाएं (देशभर के अस्पतालों और रक्त बैंकों की जानकारी)
- नो मोर टेंशन (मानसिक दबाब संबंधी मुद्दों पर जानकारी)
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (सभी राज्यों में गर्भाधारण के मामलों की सूचना)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्टीय स्वास्थ्य नीति के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और एड्स, टीबी, मलेरिया, कुष्ठरोग जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पाने के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक जोर स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम दो प्रतिशत करने पर दिया गया है। 2005 में इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की शुरुआत की गई। 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दो उपमिशन बन गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सबको आवश्यकतानुसार एक समान, सस्ती और सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना और प्रजनन व मातृ-नवजात शिशु तथा किशोरों के स्वास्थ्य और संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों पर काबू पाना शामिल है।

मिशन इंद्रधनुष

मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें नियमित टीकाकरण के दौरान सभी या कुछ बीमारियों से बचाव के टीके नहीं लगे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2020 तक कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है।

मातृ और शिशु टिटेनस उन्मूलन

मातृ और शिशु टिटेनस उन्मूलन की परिभाषा के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में जन्म के समय हर एक हज़ार पर एक से भी कम शिशु टिटेनस का मामला होने की स्थिति है। भारत को मई 2015 में मातृ और शिशु टिटेनस उन्मूलन करने वाले देश के रूप में मान्यता दी गई। देश ने यह लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करके हासिल किया जिसके लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाए गए।

नए टीके

पोलियो से बचाव का टीका: विश्व में पोलियो उन्मूलन की रणनीति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए नवंबर 2015 से यह कार्यक्रम छह राज्यों में शुरू किया गया। जून 2016 तक इसका विस्तार समूचे देश में कर दिया गया। अगस्त 2017 तक बच्चों को लगभग 2.79 करोड़ खुराक दी जा चुकी थीं।

रोटा वायरस टीका: इसकी शुरुआत मार्च 2016 में रोटा वायरस के कारण होने वाले अतिसार पर काबू पाने के लिए की गई थी। प्रारंभ में इसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में शुरू किया गया तथा बाद में पांच और राज्यों- असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु में इसका विस्तार किया गया। इसकी शुरुआत के बाद बच्चों को लगभग 88.73 लाख खुराक दी जा चुकी थीं।

खसरा-रुबेला टीके के रूप में रुबेला टीका: खसरा-रुबेला टीका अभियान 9 महीने से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फरवरी 2017 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत पांच राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप और पुद्दुचेरी से की गई थी जहां यह अभियान पूरा होने के बाद खसरा-रुबेला टीके को 9 से 12 महीने की आयु और 16 से 24 महीने की आयु में लगाए जाने वाले 1 तथा 2 खसरा वाले टीके के स्थान पर नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया।

वयस्क जापानी एन्सेफेलाइटिस टीका: जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण 2006 में बच्चों के लिए शुरू किया गया। 2015 में इस रोग से पीड़ित वयस्कों की अधिक संख्या वाले जिलों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इसके लिए 35 जिलों का चयन किया गया है। ये जिले असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के हैं।

न्यूमैटिक कॉन्जुगेट टीका: यह टीका बाल मृत्यु के एक बड़े कारण, निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए है। इसका पहला चरण 2017 में 3 राज्यों- हिमाचल प्रदेश (12 जिलों), उत्तर प्रदेश (6 जिलों) और बिहार (17 जिलों) में शुरू किया गया था।

भारत नवजात शिशु कार्ययोजना

भारत में नवजात शिशुओं के लिए कार्ययोजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2030 तक नवजात शिशुओं और जन्म के समय मृत्युदर को दस से कम करना है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर 661 विशेष नवजात देखभाल इकाइयां, प्रथम रेफरल इकाइयों के स्तर पर नवजात इकाइयां और प्रसव केंद्रों में 18,323 नवजात देखभाल इकाइयां हैं।

आयुष्मान भारत

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई योजना, आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2018 में की गई थी। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'आयुष्मान भारत मिशन' के तहत चलाई जा रही है। इसके तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित गरीब और कमजोर वर्गों के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया जाएगा।

इस योजना की कई विशेषताएं हैं और इसे गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष दी जाने वाली 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा लगभग दूसरे दर्जे की सभी और तीसरे दर्जे की अधिकतर स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा सभी लाभार्थियों (विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों) के लिए सुनिश्चित करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसमें अस्पताल में दाखिल किए जाने से पहले और बाद के खर्चे भी शामिल होंगे। इस योजना के तहत निर्धारित सभी सेवाएं नीति लागू होने के पहले दिन से ही मुहैया कराई जाएंगी। लाभार्थी को हर बार अस्पताल में भर्ती किए जाने पर निर्धारित परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। इसके तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं- सूची में शामिल देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नगदी रहित इलाज की सुविधा।

यह पात्रता आधारित योजना है। इसमें पात्रता का आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित मानदंड, महिला मुखिया वाले परिवार, परिवार में 16 से 59 वर्ष तक की आयु के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य का न होना, दिव्यांग सदस्य और परिवार में दिव्यांगता के बिना किसी व्यस्क का न होना, अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के परिवार और ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्य स्रोत अस्थाई मजदूरी है। इलाज के लिए भुगतान पैकेज की दर के आधार पर किया जाएगा (सरकार द्वारा पहले से निर्धारित)। पैकेज दरों में इलाज से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे। लाभार्थियों के लिए इससे संबंधित लेन-देन नकदीरहित और कागजरहित होगा। राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दरों में सीमित बदलाव कर सकेंगे।

आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख नियमों में एक, सहकारिता संघवाद और राज्यों को स्वतंत्रता है। सह-सहयोग के जरिए राज्यों को भागीदार बनाने का भी प्रावधान है। इससे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों (अपने खर्च पर) की मौजूदा सुरक्षा योजनाओं/स्वास्थ्य बीमा को मिलाया जा सकेगा। राज्य सरकारों को इस योजना में विस्तार की अनुमति होगी। वे इसे बीमा कंपनियों के जरिए या सीधे न्यास/समिति के जरिए या मिश्रित मॉडल के जरिए लागू कर सकते हैं। राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की आवश्यकता होगी।

लाभार्थियों और अन्य संबद्ध पक्षों के लिए योजना के वांछित लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक मीडिया और पहुंच रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, परंपरागत मीडिया, आईईसी सामग्री और बाहरी गतिविधियां शामिल होंगी। इनके अलावा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लोगों की पूरी न की जा सकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा।

मां के असीम वात्सल्य का कार्यक्रम

मां के असीम वात्सल्य के व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। यह स्तनपान को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्तनपान की दर बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों के जरिए इसे बढ़ावा देना, सुरक्षित बनाना तथा इसमें मदद करना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं: स्तनपान के प्रति जागरुकता पैदा करना, इसे बढ़ावा देना, सामुदायिक स्तर पर व्यक्तियों के बीच सलाह मशविरा, प्रसव स्तर पर सहायता, निगरानी और पुरस्कार/मान्यता।

अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा

यह बच्चों की अतिसार से मृत्यु पर काबू पाने का कार्यक्रम है। इसका एक विशेष उद्देश्य ऐसी स्थिति बनाना है जिसके कारण किसी भी बच्चे की मौत न हो। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिसार से होने वाली मृत्यु पर नियंत्रण के लिए जुलाई 2014 से अभियान के रूप में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पांच वर्ष तक की आयु के 14.7 करोड़ से अधिक बच्चों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ओआरएस उपलब्ध कराया गया है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रतिपादन तथा जागरुकता गतिविधियां, अतिसार प्रबंधन सेवा प्रावधान, ओआरएस-जिंक प्रदर्शन स्थल स्थापन, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर ओआरएस का वितरण, बच्चों में पोषकता की कमी का पता लगाना तथा उसका निवारण, शिशुओं और बड़े बच्चों की आहार संबंधी गतिविधियों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर बढ़ावा देना और शिशु तथा बड़े बच्चों के आहार-आईवाईसीएफ स्थलों की स्थापना।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

मिट्टी से पेट में जाने वाले कीड़ों से होने वाले संक्रमण की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय एक दिन का यह कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसके तहत स्कूलों और आंगनवाड़ियों के 1 से 9 वर्ष के बच्चों को इसकी एक खुराक दी जाती है। फरवरी 2017 तक 27.8 करोड़ बच्चों की यह खुराक दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 2013 में शुरू किया गया था। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और इन चार रोगों के बारे में पता लगाकर उनका निदान किया जाता है: जन्म के समय की अपूर्णता, रोग, कमी, अपंगता तथा विकास में देरी। इसमें 30 स्वास्थ्य खामियों का निःशुल्क निदान भी किया जाता है। इसमें तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्जरी भी शामिल है। इसके तहत देशभर में चरणबद्ध रूप से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत, किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी, सामग्री और सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी। इनमें शामिल हैं:

साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरण : आईएफए अनुपूरण के साप्ताहिक अंतर्ग्रहण के जरिए किशोर लड़कों तथा लड़कियों में एनीमिया की स्थिति के बारे में प्रामाणिकता आधारित अनुक्रिया कार्यक्रम है।

मासिक धर्म संबंधी साफ-सफाई योजना : इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोरियों को मासिक धर्म और सेनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी हो। उन्हें उत्तम किस्म के सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही इनके निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीकों की जानकारी दी जाए।

मित्र-समूह शिक्षक कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि किशोरियों की पोषण, सेक्स तथा प्रजनन, एनसीडी की स्थितियों, उनके दुरुपयोग, चोट, हिंसा (जीबीवी सहित) और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नियमित रूप से मित्र-समूह शिक्षक कार्यक्रम का लाभ मिल सके। इन शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने 2017 में 'साथिया रिसोर्स किट' की शुरुआत की। मोबाइल आधारित एप यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए 'साथिया रिसोर्ट किट' में 'साथिया सलाह एप' को भी शामिल किया गया। इस एप को जानकारी के एक अन्य महत्वपूर्ण और सस्ते स्रोत निःशुल्क साथिया हेल्पलाइन से जोड़ा गया है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत जन स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं को ऑपरेशन सहित सभी सेवाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व की योजना है। इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ तथा शिशु मृत्युदर में कमी लाना है।

परिवार नियोजन

वर्ष 1952 में शुरू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पिछले कछ दशकों के दौरान यह कार्यक्रम मौजूद और लक्ष रहित दृष्टिकोण वाला हो गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में इसे प्रजननीय और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के माध्यम के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं तथा पुरुषों को प्रजननीय अधिकारों तथा सेवाओं की पूरी जानकारी और इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि प्रजनन के बारे में वे अपनी व्यक्तिगत पसंद तय कर सकें। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य, कार्यनीतियां और गतिविधियां विभिन्न नीतियों (राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के लक्ष्यों और उद्देश्यों की तर्ज पर पूरी बारीकी से बनाई गई हैं और इनके कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिबद्धता की सराहना हुई है।

निःशुल्क दवाएं

निःशुल्क दवाओं की पहल का उद्देश्य, सुविधानुसार आवश्यक औषधियों की सूची, वृहद खरीद प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी वाली सुविधाएं, आपूर्ति चेन प्रबंधन, समुचित भंडारण, आवश्यक औषधि नियामक, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं, मानक प्रशोधन दिशानिर्देश, नुस्खा परीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था करना है ताकि निःशुल्क दी जाने वाली आवश्यक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

निःशुल्क नैदानिक सेवाएं

निःशुल्क नैदानिक सेवाओं का उद्देश्य निदान पर अत्यधिक खर्च को कम करना और चिकित्सा की गुणवत्ता में सुधार

करना है। राज्यों के जनस्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक नैदानिक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इनके बारे में दिशानिर्देश 2 जुलाई, 2015 में जारी किए गए थे। राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप पांच राज्य- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा पहले ही इन्हें लागू कर चुके हैं।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक उपलब्धि, डायल 108/102 एम्बुलेंस सेवा के तहत चलने वाली रोगी परिवहन एम्बुलेंस है। डायल 108 आपात कार्रवाई व्यवस्था है। इसे मुख्य रूप से गंभीर वाले रोगियों और सदमाग्रस्त तथा दुर्घटना पीड़ितों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। डायल 102 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए रोगी परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाती है, हालांकि अन्य लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई

राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई का उद्देश्य, ग्रामीण और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव वाले इलाकों में लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। देश के 335 जिलों में 1,122 राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इनके तहत छोटे-मोटे रोगों, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों, प्रजनन, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ मामलों में ये लक्षित क्षेत्रों में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं मुहैया कराती हैं।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली और सेवाओं के अंतरण को मजबूत करने की पहल है। इसके तहत 1,057 शहरों/कस्बों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, 4,544 मौजूदा केंद्रों को जनस्वास्थ्य केंद्र के रूप में मजबूत किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान

इस कार्यक्रम के तहत हर महीने की 9 तारीख को हर गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व निःशुल्क, सुनिश्चित तौर पर, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें दूसरी/तीसरी बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्ण देखभाल सेवाओं के न्यूनतम पैकेज की गारंटी दी गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत इन कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए व्यवस्थित रवैया अपनाया जाता है। इन निजी डॉक्टरों को इस अभियान के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता पैदा करने के लिए नीतियां बनाना और निजी क्षेत्र को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के इस अभियान में शामिल होने की अपील करना शामिल है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों को गरीबों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता दी जा रही है। जिला अस्पतालों में पीपीपी तरीके से डायलिसिस सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहभागिता रही है। यह कार्यक्रम 384 जिलों में राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। इसके तहत हर स्वास्थ्य केंद्र में 6 डायलिसिस मशीनें होंगी और बाद में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी।

सस्ती औषधियों और इलाज के लिए प्रतिरोपकों की विश्वसनीय

कैंसर और कार्डिएक इम्प्लांट के साथ कार्डियोवसकुलर के लिए सस्ती औषधियों और इलाज के लिए विश्वसनीय प्रतिरोपकों की उपलब्धता के लिए बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें बाजार दर पर 60 से 90 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। जुलाई, 2017 तक ऐसे 84 स्टोर खोले जा चुके थे और इनसे 30 लाख रोगियों को लाभ पहुंचा है।

कायाकल्प

कायाकल्प पुरस्कारों की शुरुआत जनस्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता, आरोग्य और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से की गई है। इस पुरस्कार के तहत स्वच्छता के मानकों को पूरा करने और संक्रमण नियंत्रण जैसे अनुकरणीय कार्य करने वाले जन-स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

अंग प्रत्यारोपण

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, मानव अंग और ऊतक अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रत्यारोपण कार्यों, प्रशिक्षण देने और मृतकों के अंगदान देने को बढ़ावा देने के बारे में है। इसके तहत शीर्ष स्तर का एक संगठन- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्थापित किया गया है। मृतक के अंगों और ऊतकों के दान को बढ़ावा देने और इन्हें प्राप्त करने तथा वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री भी बनाई गई है। इसके अलावा, दिन-रात काम करने वाला एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है जिसका नंबर है- 1800114770 इस कार्यक्रम के संचालन के बारे में दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा और कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए नीति और मानदंडों की मंजूरी दे दी गई है। विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों के लिए एसओपी को भी स्वीकृति दी जा चुकी है और इन्हें वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की संयुक्त पहल है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकार आधारित प्रावधान किए गए हैं। यह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकसमान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की अधिकतम देखभाल हो सके और वे सम्मान तथा गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और पर्याप्तता में सुधार के लिए संस्थागत व्यवस्था को मज़बूत करता है। यह कानून मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों की जवाबदेही बढ़ाता है। यह केंद्र और राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या वाले और उन्हें सेवाएं देने वालों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

इस अधिनियम का सबसे प्रगतिशील प्रावधान यह है कि अग्रिम निर्देश, नामित प्रतिनिधि, प्रवेश के संबंध में महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, इलाज, स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई और इलेक्ट्रो-कनवलसिव थैरेपी तथा साइकोसर्जरी पर प्रतिबंध। आत्महत्या को अपराध न मानना इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे आत्महत्या की कोशिशों के कारक-गंभीर तनाव का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

एचआईवी और एड्स

एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 2017 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक इस संक्रामक रोग को खत्म करना है। एड्स से ग्रसित व्यक्तियों के साथ रोजगार व शैक्षिक प्रतिष्ठानों में, परिसंपत्ति किराए पर देने, सार्वजनिक या निजी कार्यालय में प्रवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने और बीमा सेवाओं के लिए पक्षपात नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में एचआईवी से संबंधित जांच, इलाज और क्लिनिकल शोध के लिए गोपनीयता सहमति और गोपनीयता सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। सरकारी देखभाल और हिरासत में मौजूद व्यक्ति को एचआईवी निवारण, जांच, इलाज और परामर्श सेवाएं पाने का अधिकार होगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), राष्ट्रीय एड्स पर

नियंत्रण के कार्य करने के लिए एक प्रमुख संगठन है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। इनका कार्यान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य/केंद्र शासित नियंत्रण समितियों (एसएसीएस) के माध्यम से किया जाता है। जिला एड्स रोकथाम और नियंत्रण इकाई (डीएपीसीयू) के जरिए उच्च प्राथमिकता वाले 188 जिलों में इनके कार्यान्यन पर नजर रखी जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) का चौथा विस्तार 2017-20 की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और क्लिनिकल केयर में तिगुनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता के विकास के बारे में है। इसका उद्देश्य सस्ती/विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं- देश के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव वाले क्षेत्रों में एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन। योजना के तहत 2014-15 से इससे सबंधित सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेज किया गया और हर वर्ष पूंजीगत व्यय में औसतन 42 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई।

चिकित्सा शिक्षा

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम 2016 के जरिए एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया गया है कि पूरे देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों के तहत प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा – राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, शिक्षण वर्ष 2016-17 से शुरू की गई, इससे इन पाठ्यक्रमों में विशेषकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अनुचित तरीकों पर रोक लग सकेगी और चिकित्सा शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आएगी तथा इसमें उच्च मानदंड सुनिश्चित हो सकेंगे।

दंत चिकित्सा शिक्षा

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के प्रारूप के तहत 2014 से 2016 के दौरान 12 नए कॉलेज खोले गए। पिछले तीन वर्षों में बीडीएस की 1,670 और एमडीएस की 943 सीटें बढ़ाई गई हैं।

संपूर्णात्मक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र

संपूर्णात्मक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र, आधुनिक और भारत की प्राचीन तथा परंपरागतकेचिकित्सा पद्धतियों सम्मिलन के लिए अनुसंधान के वास्ते नई दिल्ली के एम्स की अग्रगामी पहल है। इसका उद्देश्य एक आधुनिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना है। इसे भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावोत्पादकता साबित करने के लिए गहन अनुसंधान के समुचित केंद्र के रूप में गठित किया गया है।

कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर रोग और स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम

कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर रोग और स्ट्रोक रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार और जीवन-शैली में बदलाव से असंक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम के तहत जांच और निरोधक एनसीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

संशोधित तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य तपेदिक के रोगियों और इसके कारण होने वाली मौतों को कम करना और देश में एक बड़ी जनस्वास्थ्य समस्या बनने से रोकने के लिए इसके संक्रमण पर काबू पाना है। सरकार इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मानव संसाधनों, औषधियों, निदान और उपभोग्य सामग्री के लिए सहायता देती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एचआईवी संक्रमणग्रस्त दस लाख से अधिक

लोग पूर्वव्यापी वायरलरोधी-एआरटी उपचार ले रहे हैं। इनके अलावा एक लाख से अधिक लोगों को परीक्षण और उपचार नीति के अनुरूप पूर्वव्यापी वायरलरोधी (एआरवी) उपचार के दायरे में लाया गया है। यह नीति एआरटी उपचार ले रहे सभी रोगियों के लिए है, चाहे वे सीडी काउंट या क्लिनिकल चरण में हों।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007-08 में नौ राज्यों के 18 जिलों में शुरू किया गया था। 2008-09 में इसे और 12 राज्यों के 24 जिलों में भी शुरू कर दिया गया। वर्तमान में यह 29 राज्यों के 53 जिलों में लागू है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। इसके लिए सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तरीय कार्यों में सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों में नियमित रूप से मनोविकारी ओपीडी तथा आईपीडी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। मादक दवाओं की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है; औषधालय संबंधी मदद उपलब्ध कराई जाती हैं और तालुका अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामुदायिक, शिविर और पहुंच क्लिनिक में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता पैदा करने संबंधी गतिविधियां चलाई जाती हैं।

राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के बुजुर्गों को अलग से विशेषज्ञता और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना है।

जलने के घावों की रोकथाम और ऐसी घटनाओं के प्रबंधन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलने की घटनाओं और इनकी वजह से होने वाले घावों, अपंगता तथा मृत्युदर में कमी लाना है। इसके लिए लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और उद्योगों तथा खतरनाक व्यवसायों में लगे कर्मियों में इसके प्रति जागरुकता पैदा करना तथा उनका पुनर्वास कराना है।

नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की जनस्वास्थ्य सुविधाओं में ओरल हेल्थ देखभाल सेवाओं को मजबूत कर ऐसे रोगियों की संख्या कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों की दंत सर्जन की अनुबंध पर नियुक्ति, डेंटल हाइजिनिस्ट, दंत सहायक उपकरणों की खरीद, डेंटलण्क्लिनिक के नवीकर इलाज के लिए आवश्यक सामग्री, दंत रोगों के प्रति जागरुकता, क्षमता विकास और प्रशिक्षण से संबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के जरिए सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराकर कुष्ठ रोगियों में कमी लाना है, ताकि सभी राज्यों और जिलों में जनस्वास्थ्य की समस्या बनी इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए मामलों की संख्या कम कर प्रतिवर्ष एक लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिशत तक की जानी है। इस कार्यक्रम के कार्यकलापों में शामिल हैं- रोग का पता लगाना तथा उसका इलाज, अपंगता रोकथाम, स्वास्थ्य बहाली, व्यवहार परिवर्तन संचार सहित आईईसी, मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण और कार्यक्रम प्रबंधन।

यह योजना आयुष्मान भारत योजना में शामिल की जा चुकी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

यह योजना, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले अधिकतर रोगों के लिए सरकारी और सूची में शामिल निजी अस्पतालों में नकदीरहित इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इससे लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य

सेवाएं मिल सकेंगी।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित यह योजना सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। इसके मुख्य उद्देश्य और रणनीति में शामिल हैं- महामारी का रूप लेने की आशंका वाली बीमारियों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी की मदद से संचालित निगरानी प्रणाली को मजबूत और कार्यरत बनाए रखना, ताकि रोग के लक्षणों पर नजर रखी जा सके और प्रशिक्षित तथा त्वरित कार्रवाई दलों के माध्यम से रोग के फैलने की शुरुआत में ही इसका पता लगाकर इलाज किया जा सके। वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक जिले ई-मेल और पोर्टल के जरिए साप्ताहिक डाटा भेजते हैं। एसएसयू डीएसयू इसके आधार पर रोग के लक्षणों का आकलन करते हैं। अगर कभी रोग के बढ़ने के लक्षण पाए जाते हैं तो बीमारी का पता लगाने और इसके फैलने से रोकने के लिए आरआरटी द्वारा जांच की जाती है।

खाद्य विनियमन

खाद्य संरक्षण और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करने और खाद्य पदार्थों से संबंधित कानूनों को मजबूत करना है। इसके अलावा इनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और परिपूर्ण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जा सके और अन्य संबंधित मुद्दों तथा आकस्मिक मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। खाद्य संरक्षण और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने खाद्य संरक्षण आयुक्तों की नियुक्ति की है, न्यायिक अधिकारियों, नामित अधिकारियों और खाद्य संरक्षण अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों के लिए को अधिसूचित किया है ताकि वे अधिनियम के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकें। रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए अतिरिक्त खाद्य संरक्षण आयुक्तों को हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए नामित अधिकारियों के साथ अधिसूचित किया गया है। खाद्य व्यापार संचालकों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है।

अधिकृत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 125 और रेफरल प्रयोगशालाओं की संख्या 16 कर दी गई है। खाद्य पदार्थों के संबंध में 19 मानक और नियम हैं। इनमें शामिल हैं- खाद्य सुरक्षा तथा मानक (स्वास्थ्य अनुपूरकों, पोषकों के लिए खाद्य, विशेष आहार के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा के उद्देश्य के लिए खाद्य, फंक्शनल खाद्य और नए खाद्य) नियम, 2015; चांदी के वर्क के मानकों में संशोधन; फलों को पकाने केलिए एथेलीन गैस इस्तेमाल; खाद्य योगजों का कोडेक्स के साथ मिलान; कच्ची दालों के लिए मानक; मीट तथा उससे तैयार उत्पादों और दूध तथा उससे बने उत्पादों के लिए जीवाणु तत्व संबंधी मानक; ट्रेडमार्क युक्त खाद्य के लिए मानक; खाद्य सुरक्षा तथा मानक, खाद्य अधिनियम, 2016; खाद्य सुरक्षा तथा मानक (आयात अधिनियम, 2017) और खाद्य सुरक्षा तथा मानक (खाद्य प्रत्याहार प्रक्रिया) अधिनियम, 2017।

औषधि अधिनियम

देश में औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों के आयात, विनिर्माण, वितरण और विक्रय पर नियंत्रण को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया गया है। हमारे देश में औषधियों का विनिर्माण, वितरण और विक्रय मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि देश में आयात की गई और पहली बार शुरू की जाने वाली औषधियों पर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन के जरिए केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। औषधि विनियमन प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और वैज्ञानिक उत्कृष्टता पर आधारित चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और सर्वोत्तम विनियमन सुनिश्चित करना है।

चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत चिकित्सा उपकरणों का जोखिम आधारित वर्गीकरण, लाइसेंसिंग और नियमन किया जाता है। राष्ट्रीय नियमन प्राधिकरण को पांच में से चार और चार में से तीन कार्यों के सर्वाधिक परिपक्वता स्तर के साथ क्रियाशील घोषित किया गया। 344 इरेशनल फिक्स्ड

डोज़ कंबीनेशन पर रोक लगा दी गई है। आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इस सूची में 376 दवाएं हैं। कोरोनरी स्टेंट को एनएलईएम 2015 में शामिल किया गया है और रोगियों को राहत देने के लिए इनकी अधिकतम कीमत तय कर दी गई है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका उद्देश्य खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता एकमुश्त अनुदान के रूप में उस अस्पताल के अधीक्षक को पहुंचाई जाती है जिसमें रोगी का इलाज चल रहा होता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रोगी सहायता कोष के लिए भी सहायता अनुदान देती है। इस कोष में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 50 प्रतिशत होता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कैंसर रोगी कोष

स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंसर रोगी कोष को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत 2009 में शुरू किया गया था। इस कोष के इस्तेमाल के लिए 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत एक कोष बनाया गया है। इन उपायों से राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के कैंसर रोगी कोष के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और जरूरतमंद कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता बिना देरी के सुनिश्चित हो सकेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय विवेकाधीन अनुदान

स्वास्थ्य मंत्रालय विवेकाधीन अनुदान योजना के तहत बड़ी बीमारियों के इलाज और सर्जरी के लिए अस्पताल का कुछ खर्च चुकाने के वास्ते गरीबों और जरूरतमंद मरीजों के लिए सवा लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ नहीं उठा सकते और उनकी सालाना आमदनी सवा लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद- आईसीएमआर की स्थापना 1911 में भारतीय अनुसंधान कोष संघ के रूप में की गई थी। यह विश्व की सबसे पुरानी अनसंधान इकाइयों में से एक है। परिषद ने अपनेंसौ वर्ष से अधिक ल कार्यकाल में भारत और विश्व में बायोमेडिकल अनुसंधान के नियोजन, सूत्रीकरण, समन्वयन, कार्यान्वयन और संवर्द्धन में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह अनुसंधान, व्यावसायिक विकास, सहयोग और ज्ञान के प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बल पर देश की शीर्ष और अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान संस्था बनी हुई है। अपने 32 अनुसंधान संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों तथा गैर-सरकारी संगठनों के बाहरी वित्तपोषण से परिषद ने मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, तपेदिक, एड्स, काला-ज़ार, फाइलेरियासिस, कुष्ठरोग और पोलियो जैसे रोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान किया है। इसने पोषण, प्रजनन, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, व्यावसायिक तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणालियों संबंधी अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। परिषद के अनुसंधान के नतीजों से महत्वपूर्ण और सतत विकास को बल मिला है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से चिकित्सा अनुसंधान के भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसमें, चिकित्सा तथा औषधि अनुसंधान में व्यवसाय की तैयारी करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, लघु अवधि अनुसंधान स्टूडेंटशिप शामिल हैं। इसमें अनुसंधान के क्षेत्र में आने वालों के लिए उनके करियर के शुरू में उनके कौशल तथा ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनुसंधान फैलोशिप और लघु अवधि विज़िटिंग फैलोशिप शामिल है। परिषद विशेष विषयों पर अनुसंधान जारी रखने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सा वैज्ञानिकों और अध्यापकों की वैज्ञानिकों के पद पर नियुक्ति करती है। परिषद के अनुसंधानों का लाभ पूरी दुनिया को मिला है और यह हर महाद्वीप में अनुसंधान सहयोग बढ़ा रही है। इसमें 553 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा और मंजूरी शामिल हैं। इनमें से 68 को परिषद ने पिछले कुछ वर्षों में धन उपलब्ध कराया

है। परिषद ने समझौता ज्ञापनों के जरिए विश्वभर के विश्वविद्यालयों की भागीदारी से कैंसर, मधुमेह, संचारी रोगों और टीकों के विकास जैसे स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर अनुसंधान की दिशा में प्रभावशाली प्रयास किए हैं। इस सहयोग में वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, संयुक्त परियोजनाओं, बैठकों का सह-लेखन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और स्पिपोज़िया प्रेजेंटेशन शामिल हैं।

प्रमुख कार्यक्रम

भारतीय तपेदिक अनुसंधान संकाय: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मुख्य भूमिका निभाते हुए एक नया प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया ताकि भारतीय तपेदिक अनुसंधान और विकास संकाय की स्थापना की जा सके। इसका उद्देश्य तपेदिक की समस्या को लक्ष्य बनाकर निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में (अंतरराष्ट्रीय सहयोगकर्ताओं के साथ) सभी बड़े राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ताओं को एक मंच पर लाना है।

तपेदिक नैदानिक पहल: टीबी/एमडीआर-टीबी के लिए देश में निर्मित सस्ती, त्वरित अणु संबंधी नैदानिक किट-ट्रुएनट रिफ का विकास आईसीएमआर, डीबीटी और उद्योग के सहयोग से किया गया है। वर्तमान में इस पर एक सौ जिलों में अध्ययन जारी है। जनजातीय लोगों को दी जा रही सेवाओं में खामियों को दूर करने के लिए प्रमुख परियोजना, एक्टिव केस फाइंडिंग पांच राज्यों में शुरू की गई है।

ई-हेल्थ/एम-हेल्थ और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग

समय बदलने के साथ-साथ आईसीएमआर, ई-हेल्थ/एम-हेल्थ के इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर जोर दे रही है। आईसीएमआर ने मोबाइल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए मलेरिया के लिए एक मोबाइल आधारित रोग निगरानी प्रणाली विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी का विकास आरएमआरसी, डिब्रूगढ़ ने सीडीएसी, पुणे के सहयोग से किया है जिसे असम के तेंगाघाट पीएचसी में लगाया गया है। आईसीएमआर ने स्वास्थ्य अनुसंधान में विभिन्न ई-लर्निंग कार्यक्रम भी बनाए हैं और तपेदिक दवाओं, डीडीआरटीबी, खाद्य और पोषण डाटाबेस भी तैयार किया है। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को दूर करने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर ने ऊपरी असम के लिए जेई की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है, मलेरिया और मच्छरजनित स्थितियों पर अध्ययन शुरू किया है और फिलारियासिस के बारे में पूर्वानुमान के तरीके का विकास किया है।

रोग जिम्मेदारी अनुमान

राज्य स्तरीय रोग जिम्मेदारी अनुमान की शुरुआत अमरीका में वाशिंगटन के एक विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य औ परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से की गई। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नियोजन में सुधार के लिए राज्य स्तरीय रोगों की जिम्मेदारी और जोखिम का अनुमान लगाना है।

जीका वायरस के प्रकोप से निपटने की तैयारी

आईसीएमआर-एनआईवी ने जीका परीक्षण के लिए देश में 25 स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था की है। 25 प्रयोगशालाओं और 11 आईडीएसपी प्रयोगशालाओं के लिए पुनरावर्ती प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया है। आईसीएमआर के निगरानी नेटवर्क से जीका वायरस के चार मामलों का पता चला है (तीन गुजरात में एक तमिलनाडु में पाया गया है)। जीका वायरस के लिए एन्टोमोलोजिकल निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय रोटा वायरस निगरानी नेटवर्क *(2012-16)*

व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोटा वायरस टीके के असर और रोटा वायरस डायरिया की प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए चार प्रमुख रेफरल प्रयोगशालाओं, सात आईसीएमआर की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और 23 अस्पताल स्थलों पर अध्ययन किया गया।
वेबसाइट: www.icmr.nic.in

आयुष मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली विभाग की स्थापना, 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी। वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी यानी आयुष कर दिया गया। चिकित्सा की परंपरागत भारतीय पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने, तुलनात्मक रूप से महंगी एलोपैथिक पद्धति पर दबाव कम करने, स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियों के अधिकतम विकास तथा प्रचार तथा इनकी लोकप्रिय सुनिश्चित करने और विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में आयुष को प्राथमिकता देने तथा योग को समूचे विश्व में लोकप्रिय बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए 2014 में आयुष विभाग को मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इस मंत्रालय को चिकित्सा की आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) पद्धतियों के विकास करने और नीतियां बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आयुष पद्धतियों की मौजूदा सुविधाओं में हाल में 'सोवा रिग्पा' को भी जोड़ा गया है। आयुष के तहत आयुष देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने, क्लीनिकल गतिविधियों, वैज्ञानिक शोध तथा शिक्षा, औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, भेषजकोश मानकों का निर्धारण, प्रयोगशाला की अच्छी कार्य प्रणाली का विकास, विनिर्माण की अच्छी पद्धतियों का अनुपालन, शिक्षा मानकों का विनियमन जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। इनके अलावा एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष इकाइयों की स्थापना तथा जिला अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाना, आयुष अस्पतालों तथा औषधालयों का उन्नयन, स्वास्थ्य मेलों के आयोजन और सूचना, शिक्षा तथा संचार उपाय कर जागरूकता पैदा करना, औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना और आयुष के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे उपायों से भी मंत्रालय भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर रहा है।

शिक्षा तथा कार्य प्रणाली को विनियमित करने, विक्रय के लिए औषधियों का विनिर्माण और नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून मौजूद हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधियां औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के दायरे में आती हैं। चूंकि आयुष क्षेत्र की अधिकतर औषधियां, औषधीय पौधों से प्राप्त सामग्री से बनती हैं, इसलिए मंत्रालय ने इनकी खेती को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सतत आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड की स्थापना की है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार के तहत पांच अनुसंधान परिषदें, दो वैधानिक विनियामक संगठन, ग्यारह राष्ट्रीय संस्थान, भेषजकोश के तहत तीन संगठन, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और एक राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड है।
वेबसाइट: www.ayush.gov.in

स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियां

आयुर्वेद

आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है- जीवन विज्ञान। आयुर्वेद वेदों से निकला है जो जीवन, रोग और स्वास्थ्य के मूल सिद्धातों पर आधारित है। 2500 ईसा पूर्व के आस-पास विकसित चरक संहिता और सुश्रुता संहिता आयुर्वेद के मुख्य नुस्खे में पूरी तरह उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की पहली जरूरत स्वास्थ्य है। आयुर्वेद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है।

योग

योग अध्यात्म से जुड़ा है। यह स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है जो शरीर और मन के बीच समरसता पैदा करता है। योग शब्द के दो अर्थ हैं- पहला युजिर अर्थात जोड़ और दूसरा युजा जिसका अर्थ है- समाधि, यानी मन की सर्वोत्तम और संपूर्ण ज्ञान की अवस्था। संस्कृत के जाने-माने व्याकरण के ज्ञाता पाणिनी के अनुसार योग के ये दो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ हैं।

लोग स्वस्थ जीवनशैली के लिए योग को अपना रहे हैं और यह हमारी आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा बन गया है। वर्तमान समय में दुनियाभर में योग के प्रति रुझान बढ़ा है, क्योंकि यह जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है, रोगों का निवारण कर स्वस्थ बनाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। विभिन्न अध्ययनों से साबित हुआ है कि जीवनशैली संबंधी और मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने में योग बहुत कारगर है। इसकी विशेषता यह है कि इसे स्वास्थ्य देखभाल की अन्य पद्धतियों के साथ भी अपनाया जा सकता है।

प्राकृतिक चिकित्सा

प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है। इसमें औषधियां नहीं दी जातीं और यह पूरी तरह संस्थापित तत्व ज्ञान पर आधारित है। स्वास्थ्य, रोग और इलाज के सिद्धांतों के बारे में इसकी अपनी अवधारणा है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियोजन के बारे में प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सुव्यवस्थित जीवन की हिमायती है। इसमें स्वास्थ्यवर्द्धन, बलवर्द्धन, रोग निवारण और आरोग्य बनाने की क्षमता है।

यूनानी

यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ ग्रीस में हुआ। बाद में कई देशों में प्रचलित होने के बाद यह भारत पहुंची। यह पद्धति पूर्ण स्वास्थ्य के संवर्धन और रोगों के निवारण से संबंधित संस्थापित ज्ञान और प्रयोग पर आधारित है। इसमें मिस्र, अरब, ईरान, चीन, सीरिया और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताओं के परंपरागत ज्ञान का समावेशन है। इसमें प्राकृतिक पदार्थों, ज्यादातर जड़ी-बूटियों, जानवरों, समुद्री उत्पादों और कच्ची धातुओं से बनी दवाओं के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। इस पद्धति को शेख बू-अली सिना (अविसेना) (980-1037 ईसा पश्चात) ने चिकित्सा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अल-क्यूनून में, रज़ी ने (850-923) अल-हवी में और कई अन्य यूनानी चिकित्सकों ने अन्य पुस्तकों में लिखा।

सिद्ध

यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इसका द्रविड़ संस्कृति से गहरा संबंध है। सिद्ध शब्द का अर्थ है उपलब्धियां। कहा जाता है कि इसमें प्रवीणता हासिल करने वाले 18 सिद्धों ने इसके व्यवस्थित विकास में योगदान किया और अपने अनुभव तमिल भाषा में दर्ज किए।

होम्योपैथी

हिप्पोक्रेट्स के समय (लगभग 400 ई.पू.) से चिकित्सक मानते रहे हैं कि कुछ तत्व स्वस्थ व्यक्तियों में उसी तरह रोग के लक्षण पैदा करते हैं जिस तरह रोगियों में। जर्मनी के डॉ. क्रिस्टियन फ्रायडरिच सेमुएल हैनिमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच की और होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। भारत में यह पद्धति 1810 ई.पू. के आस-पास यूरोपीय मिशनरियों के जरिए आई। 1948 में संविधान सभा और बाद में तत्कालीन संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से इसे सरकारी मान्यता दी गई।

सोवा-रिग्पा

यह दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है। इसका इतिहास ढाई हजार वर्ष से भी पुराना है। यह हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर लेह-लद्दाख (जम्मू-कश्मीर), हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में प्रचलित है। यह पद्धति दमा, ब्रोंकाइटिस, गठिया जैसे गंभीर रोगों के इलाज में असरदार है। सोवा-रिग्पा के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं (1) शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु हैं; (2) एंटीडॉट जैसे इलाज; (3) एंटीडॉट के जरिए इलाज का तरीका; (4) रोग का निदान करने वाली औषधियां तथा (5) औषध विज्ञान। सोवा-रिग्पा में मानव शरीर की रचना में ब्रह्माण्ड संबंधी पांच भौतिक तत्वों, विकार की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया जाता है।

आयुष स्वास्थ्य देखभाल संरचना

वर्तमान में आयुष प्रणाली के तहत 3,632 अस्पताल, लगभग 58,020 बिस्तर, 26,325 डिस्पेंसरियां, 7,44,563 डॉक्टर, 9,282 औषधि उत्पादन इकाइयां और 550 शिक्षा संस्थान हैं। इन शिक्षा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट के लिए 32,256 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 4,339 सीटें हैं। इनके अलावा, 512 जिला अस्पताल, 2,739 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 9,112 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2014 में अधिसूचित किया गया था। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने, मौजूदा सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष डिस्पेंसरियों के उन्नयन और अधिकतम 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना पर ध्यान देता है। इसके अलावा, यह

आयुष शिक्षा संस्थानों, को मजबूत करता है; आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी दवाओं पर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने की व्यवस्था करता है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

आयुष औषधि गुणवत्ता नियंत्रण

आयुष मंत्रालय की अपनी औषधि नियंत्रण इकाई है जो आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं से संबंधित मुद्दों की देखरेख और समन्वय का काम करती है। मंत्रालय ने औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945 में संशोधन किया है ताकि वैज्ञानिक आंकड़ा आधारित शेल्फ लाइफ अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके और पारंपरिक संविन्यासों के नाम के आगे या पीछे कुछ जोड़ने पर रोक लगाई जा सके। राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्र प्रायोजित पहल के तहत राज्यों को दवाओं के उत्पादन तथा परीक्षण और नियामक प्रावधानों के अनुपालन के लिए नियामक क्षमता, बुनियादी ढांचा और कार्यप्रणाली को मजबूत करने के वास्ते सहायता अनुदान दिया जाता है। राज्यों के वैज्ञानिकों और नियामक कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए फार्माकोपोएइअल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी फार्माकोपोएअल लेबोरेटरी नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

आयुष में चिकित्सा शिक्षा

सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वैधानिक इकाई है। इसका गठन इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के तहत किया गया है। यह अपने विभिन्न विनियमों के जरिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में चिकित्सा शिक्षा के मानक तय करती है। होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा का नियमन सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी अपने विभिन्न विनियमों के जरिए, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 के तहत करती है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए इस प्रकार का कोई संचालन निकाय नहीं है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेज विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहे हैं। ये हैं- बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, विभिन्न विशेषज्ञता (एमडी/एमएस आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों में पोस्ट ग्रेजुएट, आयुर्वेद डिग्री विभिन्न विशेषज्ञता (एमडी/एमएस-सिद्ध) पाठ्यक्रमों में पोस्ट ग्रेजुएट सिद्ध डिग्री और विभिन्न विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों (एमडी-होम्योपैथी) में पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी डिग्री।

अंडर ग्रेजुएट शिक्षा

देश में कुल 549 आयुष कॉलेज (297 आयुर्वेद, 9 सिद्ध, 46 यूनानी और 197 होम्योपैथी) शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 543 आयुष कॉलेज (295 आयुर्वेद, 8 सिद्ध, 45 यूनानी और 195 होम्योपैथी) दे रहे हैं। 01.01.2016 तक इनकी प्रवेश क्षमता 33,611 विद्यार्थियों की थी। कुल 543 कॉलेजों में 102 सरकारी क्षेत्र के हैं,(57 आयुर्वेद, 3 सिद्ध 10 यूनानी और 32 होम्योपैथी)। इनमें 5,236 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं (2,967 आयुर्वेद, 160 सिद्ध, 431 यूनानी और 1,678 होम्योपैथी) नए राज्य तेलंगाना सहित 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 295 आयुर्वेद कॉलेज 17,202 विद्यार्थियों को, 195 होम्योपैथी कॉलेज 13,658 विद्यार्थियों को, 45 यूनानी कॉलेज 2,331 विद्यार्थियों को, 8 सिद्ध कॉलेज, 420 विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा दे रहे हैं।

पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम

चिकित्सा शिक्षा देने वाले कुल कॉलेजों में से छह कॉलेज (2 आयुर्वेद, 2 होम्योपैथी, 1 यूनानी, 1 सिद्ध) केवल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए हैं। इनमें 225 विद्यार्थियों (60 आयुर्वेद, 72 होम्योपैथी, 47 यूनानी और 46 सिद्ध) को प्रवेश दिया जाता है।

आयुष शिक्षा देने वाले स्वायत्त संस्थान

(i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर: यह आयुर्वेद में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फैलोशिप पाठ्यक्रमों के लिए है। इसमें अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में 92 और 14 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 104 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। यह आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चला रहा है। इसमें 300 बिस्तरों वाले दो अस्पताल हैं। अनुसूचित जातियों/जन जातियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्थान राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल इलाकों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाता है।

(ii) आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर: यह संस्थान 10 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है। इसमें पीएच.डी. के 50 छात्र भी हैं। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कानून एवं संविधि द्वारा संचालित इस संगठन को भारत सरकार से धन प्राप्त होता है। यह गुजरात के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा शिविरों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करता है। इसमें अच्छे प्रबंधन वाले अस्पताल हैं जिनमें ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं हैं।

(iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता: यह होम्योपैथी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 93 और 6 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 36 सीटें हैं। इसका 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी है जिसमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 250 की जा रही है। सीपीडब्ल्यूडी ने इसके नए भवन का निर्माण किया है जिसमें अतिरिक्त नैदानिक सुविधाएं हैं। अकादमिक ब्लॉक की तीन मंजिला इमारत को सात मंजिला किया गया है।

(iv) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलुरु: यह यूनानी चिकित्सा में आठ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है। इसमें 47 सीटें हैं। इसका एक 180 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है। संस्थान, सीएमई कार्यक्रम, कार्यशालाएं, गोष्ठियां और अतिथि व्याख्यानों का आयोजन करता है। इसके अस्पताल में त्वचा, जीआईटी, यकृत, तंत्रिका तथा मानसिक विकारों के लिए सामान्य और स्पेशिलिटी ओपीडी सेवाएं हैं।

(v) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई: इसमें सिद्ध चिकित्सा के छह पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम हैं जिनमें 46 सीटें हैं। स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा वाला यह संस्थान सिद्ध पद्धति के प्रचार और संवर्द्धन के लिए अनुसंधान भी करता है। अस्पताल में 160 बिस्तर हैं। संस्थान हर शनिवार को दो स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है। एक शिविर ग्रामीण इलाके में और दूसरा अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में लगाया जाता है। इसका उद्देश्य निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा कर सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों में समाज के लिए कुछ करने की भावना पैदा करना है।

अन्य इस प्रकार हैं- राष्ट्रीय आयर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली, नार्थ ईस्टर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ एफ एण्ड के मेडिसिन, पासीघाट, नार्थ ईस्टर्न इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एण्ड होम्योपैथी शिलांग। इन संस्थानों ने बाद में अपने अधिदेश का विस्तार किया है और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कौशल विकास के कई पाठयक्रमों को शामिल किया है। इन संस्थानों ने अपनी सुविधाओं का उन्नयन किया है और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए कई देशों के विद्यार्थियों को आकर्षित किया है।

समय के साथ-साथ बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संस्थानों ने विभिन्न अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या भी बढ़ाई है। इन संस्थानों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संस्थानों के बाह्य रोगी विभाग औ आंतरिक रोगी विभाग में आने वाले रोगियों की संख्या से स्पष्ट होता है कि इनमें गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन संस्थानों ने समय की आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रौद्योगिकीय और संरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन किया है।

नए स्वायत्त संस्थान

(i) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली: यह आयुर्वेद का शीर्ष संस्थान है, जिसमें 200 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल है। इसमें आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्स हैं। 18 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 84 सीटें हैं। इसमें ओपीडी भी है।

(ii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग: इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी कॉलेजों के अलावा अस्पताल भी हैं। आयुर्वेद अस्पताल में 100 और होम्योपैथी अस्पताल में 50 बिस्तर हैं।

आयुष में अनुसंधान

सरकार ने पांच स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। ये हैं- केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद। इन्हें संबंधित चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए अधिकृत

किया गया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मधुमेह के इलाज के लिए 05 आयुर्वेदिक औषधियों के पौधों से 'आयुष 82' नाम की दवा विकसित की है। इस दवा के परीक्षण में ब्लड शूगर में काफी कमी पाई गई है और मधुमेह में अन्य सुधार भी देखे गए हैं। परीक्षण के दौरान इसका कोई विषैला प्रभाव नहीं पाया गया। परिषद ने इसके वाणिज्यीकरण के लिए काम शुरू कर दिया है। परिषद के इसके अधीनस्थ 81 संस्थान, अनुसंधान कार्य के अलावा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने अपने कार्यक्रम - 'स्वस्थ बच्चों के लिए होम्योपैथी' के तहत दांत निकलने के दौरान और रोगों के इलाज में सहायता देने के लिए 40,000 बच्चों का नाम दर्ज किया है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, देश में औषधीय पौधों से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में समन्वय करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। बोर्ड, संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा एजेंसियों की परामर्शदायी इकाई है। यह औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण तथा इनके चहुंमुखी विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की योजना बनाने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और औषधीय पौधों से संबोधत गतिविधियों के लिए कार्य नीति बनाने में परामर्श देता है।

आयुष सेवाएं

राष्ट्रीय आयुष मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके तहत अन्य बातों के अलावा बेहतर आयुष सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। इसके लिए आयुष अस्पतालों, डिस्पेंसरियों की संख्या बढ़ाई जाती है और आयुष दवाओं तथा प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसका उद्देश्य आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाना तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी की गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए राज्यों में प्रयोगशालाएं स्थापित करना है। इन प्रयोगशालाओं पर औषधि तंत्र लागू करने की जिम्मेदारी है।

आयुष भेषज प्रयोगशालाएं

(i) भारतीय औषधियों के लिए भेषज प्रयोगशाला

गाज़ियाबाद स्थित यह प्रयोगशाला आयुष मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना 1970 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी मेडिसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भेषज मानक निर्धारक और औषध जांच्मेंप्रयोगशाला के रूप की गई थी। ये औषधि और सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1940 के तहत इन चारों चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के परीक्षण के लिए एक अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में काम करती हैं। भेषज प्रयोगशाला का उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शामिल करने के लिए आमंत्रित औषधियों और यौगिक सूत्रीकरण के भेषज मानकीकरण के विकास तथा प्रमाणीकरण और औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों तथा न्यायालयों से प्राप्त वैध औषधि नमूनों का विश्लेषण करना है।

(ii) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला

होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला की स्थापना (गाज़ियाबाद) एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य होम्योपैथिक दवाओं की पहचान, शुद्धता तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण करना तथा मानकों का निर्धारण करना है। यह प्रयोगशाला होम्योपैथिक दवाओं की परीक्षण की केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है। प्रयोगशाला द्वारा बनाए जाने वाले मानकों को भारतीय होम्योपैथिक भेषज में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी है।

(iii) भारतीय औषधियां और होम्योपैथी भेषज आयोग

आयुष मंत्रालय की प्राथमिकता आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास और इनका नियतकालिक नवीनीकरण करना है। इन दवाओं की लोकप्रियता और मांग तेजी से बढ़ रही है। आयोग, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है। इसे मुख्य रूप से भारत में

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी भेषज का समुचित समय के अंतराल में प्रकाशन तथा परिशोधन; आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी सूत्रीकरण तथा होम्योपैथिक औषधीय नियम संग्रहों का प्रकाशन तथा परिशोधन; आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं/ नुस्खों और इन चिकित्सा पद्धतियों के उत्पादों पर औषध अनुसंधान के प्रति जागरुकता पैदा करने और उसे बढ़ावा देने; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के विकास तथा अनुरूपण के लिए विश्व की विशेषज्ञ समितियों के साथ संवाद तथा जानकारी के आदान-प्रदान; अधिमूल्य पर संबद्ध पक्षों को रेफरेंस मानकों की आपूर्ति और रेफरेंस के उद्देश्य के लिए औषधियों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रामाणिक रेफरेंस कच्चे माल का राष्ट्रीय संग्रह बनाने; औषधियों के मानकीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे या अन्य सामग्री के रसायन रेफरेंस निर्माता मिश्रण का संग्रह बनाने तथा इसे बरकरार रखने और इन्हें अधिमूल्य पर रेफरेंस मानकों के रूप में संबधित पक्षों को आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नियामक परिषदें

आयुष के तहत वैधानिक नियामक परिषदें इस प्रकार हैं:

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, (सीसीआईएम) नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, अधिनियम 1970 के तहत गठित यह एक वैधानिक निकाय है। परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: (i) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों-आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी तिब. और सोवा रिग्पा में शिक्षा के न्यूनतम मानकों का निर्धारण, (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्यता की मान्यता (शामिल करना/हटाना) से संबंधित मुद्दों में केंद्र सरकार को सलाह देना (iii) भारतीय चिकित्सा का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाना शोधित करना (iv) चिकित्सकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले पेशेवर आचरण, शिष्टता और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना।

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी तिब. और सोवा रिग्पा में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए विनियम निर्धारित हैं। ऐसा यह सोचकर किया गया है कि इनके विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी तथा सोव रिग्पा के निपुण विद्वान बनेंगे और इनके पास संबंधित पद्धति के बारे में गहन वैज्ञानिक जानकारी होगी।

(ii) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच), नई दिल्ली

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य होम्योपैथी और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के लिए केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर बनाना है। केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 में अंतिम संशोधन वर्ष 2002 में किया गया तथा नए प्रावधानों को वर्ष 2003 में लागू किया गया था। होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 (संशोधन के अनुरूप), केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर बनाने के अलावा केंद्रीय परिषद को ये अधिकार प्रदान करता है: (i) विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों के अनुपालन के लिए होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम मानकों का निर्धारण, (ii) भारत में विश्वविद्यालयों, बोर्डों या संस्थानों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा योग्यता की मान्यता वापस लेने या मान्यता देने के बारे में केंद्र सरकार को सिफारिश करना, (iii) भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्य में ऐसे प्राधिकरणों के साथ बातचीत करना जिनके पास होम्योपैथी में चिकित्सा योग्यता की मान्यता प्रदान करने की योजना को स्थापित करने के लिए उस राज्य या देश के कानून के तहत पारस्परिक आधार पर होम्योपैथी के चिकित्सकों का रजिस्टर बनाने का अधिकार हो, (iv) नए कॉलेज खोलने, सीटें बढ़ाने और नए तथा उच्चतर पाठ्यक्रम शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

भारत सरकार के उपक्रम-भारतीय चिकित्सा औषध निगम लिमिटेड (आईएमपीसीएल) जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 98.01 प्रतिशत और 1.99 प्रतिशत हिस्सेदारी कुमायु मंडल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से उत्तराखंड सरकार की है, को 1978 में निगमित किया गया था। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और कारखाना उत्तराखंड राज्य में अलमोड़ा जिले के मोहन (रामगढ़ होते हुए) में है, जिसका पिन कोड 244715 है।

भारतीय चिकित्सा औषध निगम लिमिटेड, आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। यह कंपनी शेड्यूल डी, मिनि रत्न वर्ग-2, जीएमपी एण्ड आईएसओ 9001:2015 द्वारा प्रमाणित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य खुले बाजार में दवाएं बेचने के अलावा देश भर में केंद्र सरकार के अस्पतालों, केंद्र सरकार की अनुसंधान इकाइयों और राज्य सरकार से संबंधित विभागों को असली और प्रभावोत्पादक आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों की आपूर्ति करना है।

17 | आवासन और शहरी कार्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) पर शहरी आवास एवं शहरी विकास के लिए कार्यक्रमों से जुड़ी व्यापक योजनाओं की तैयारी और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी है। यह केंद्रीय स्तर पर शहरी यातायात के नीति निर्माण और उनके समन्वयन का नोडल मंत्रालय है। शहरी विकास राज्ईय कार्य होता है और संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस संबंध में कई कार्य शहरी स्थानीय निकायों के सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के आधार पर शहरी परियोजनाओं, शहरी आजीविका मिशन और समग्र शहरी विकास कार्यक्रमों के समन्वयन और उनकी निगरानी का कार्य करती है। मंत्रालय शहरी क्षेत्र के लिए उचित नीति निर्धारकों, अधीनस्थ कानूनों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है।
वेबसाइट: www.mohua.gov.in

भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय तथ्य बन चुका है और आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्धारक भी है। बड़े शहरों की संख्या में हुई प्रभावशाली वृद्धि शहरीकरण की प्रक्रिया के मूल में है, हालांकि, भारत अभी भी व्यापक तौर पर ग्रामीण से अर्ध-शहरी समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया के बीच में है। संयुक्त राष्ट्र के 2030 के विकास एजेंडा में शहरों के लिए संधारणीय स्थाई विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर जोर दिया गया है, इसका अर्थ है कि मानव बस्तियों को सम्मिलित, सुरक्षित, लचीली और स्थाई बनाने के लिए शहरों एवं समुदायों के संधारणीय विकास पर जोर दिया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की आबादी 1210.50 मिलियन थी जिसमें 377.10 मिलियन (31.2 प्रतिशत) शहरों में और 833.40 मिलियन (68.8 प्रतिशत) ग्रामीण इलाकों में थी। शहरी क्षेत्रों की आबादी 7,933 कस्बों में थी, जिनमें 4,041 सांविधिक शहरों और 3,892 जनगणना शहरों में रही थी। पूर्ण तौर पर 2001-2011 के दशक के दौरान शहरी आबादी में 90.99 मिलियन की वृद्धि हुई, जिसके बरक्स, ग्रामीण जनसंख्या में 90.97 मिलियन की वृद्धि हुई थी। मौजूदर वृद्धि दर के अनुस अनुमान है कि 2030 तक शहरी जनसंख्या 575 मिलियन और 2050 तक 875 मिलियन तक पहुंच जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना - सब के लिए आवास (शहर)

सब के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का आरंभ किया था, जिसे 2015-2022 तक अमल में लाया जाना है। मिशन में सभी सांविधिक शहरों के सभी उपयुक्त परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित सांविधिक शहरों के संबंध में निर्धारित (ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त) और अन्य योजना क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त) को सम्मिलित करने की छूट है। शहरी क्षेत्र में सब के लिए आवास मिशन पर कार्य करने के लिए चार पहलें की गई हैं: (1) निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता से स्वस्थ झोपड़ी पुनर्विकास (आईएसएसआर) के साथ मलिन बस्तियों में रहने वाले पात्रों के लिए उन स्थानों पर आवास विकास; (2) ऋण युक्त अनुदान के माध्यम से वहन योग्य आवास विकास (सीएलएसएस का नाम बदल कर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस कर दिया गया है); लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से मूल्य वहन योग्य आवास निर्माण (एएचपी); लाभार्थी द्वारा स्वयं का आवास निर्माण/वृद्धि; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 30 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य इन मकानों के आकार में वृद्धि भी कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार सालाना तीन लाख से कम आमदनी वाले होते हैं और 3-6 लाख रुपये वार्षिक आय वाले वर्गों को निम्न आय वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है।

योजना की प्रगति

पहले इस मिशन का दायरा 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक शहरों और उसके बाद अधिसूचित शहरों तक सीमित था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मिशन के अंतर्गत मिलने वाले लाभ आबादी के बड़े हिस्से तक पहुंचे, योजना के मार्ग-निर्देशों के पैरा 2.1 में परिभाषित 'समायोजन क्षेत्र' को कालांतर में तीन बार संशोधित गया। वर्ष 2018 में किये गए अंतिम संशोधन में इस दायरे को समस्त शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, जिसमें सभी सांविधिक शहर व क्षेत्र शामिल हो गए जैसे कि अधिसूचित नियोजित विकास क्षेत्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण, या राज्य विधिकरण के अधीन इस प्रकार के अन्य प्राधिकरण, जिसे शहरी नियोजन व विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पीएमएवाई (अर्बन) मिशन में मांग सर्वेक्षण, लाभार्थी चयन, दोहराव पर रोक, वित्तीय अंतरण, निगरानी इत्यादि में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रणालियां बनाईं गई हैं। क्षेत्रीय स्तर का सत्यापन, गुणवत्ता व निगरानी एजेंसी तथा सामाजिक लेखा परीक्षण से जुड़े तीसरे पक्ष से कराया जाता है। मिशन के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य/नगर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ हैं, जो केवल यही काम करते हैं।

सभी हितधारकों को भौतिक व वित्तीय प्रगति सम्बन्धी सूचनायें निर्बाध रूप से प्राप्त हों, इसके लिए एक व्यापक व सुदृढ़ एमआईएस प्रणाली कार्यरत है। इस प्रणाली में ऑनलाइन अनुरोध/मांगपत्र जमा करने, उसकी स्थिति मालूम करने तथा डिजिटलीकरण द्वारा अनेक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की सुविधा है जैसे सर्वेक्षण, परियोजना, सूचना, लाभार्थी विवरण, वित्तीय उपयोग इत्यादि। एमआईएस प्रणाली जिओ-टैगिंग विशेषताओं से लैस है तथा बीएलसी, आईएसएसआर व एएचपी के अधीन भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के 'भवन' पोर्टल तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के भारत मैप से जुड़ा हुआ है। यह प्रणाली लाभार्थियों की आधार सम्बंधी सूचना के सत्यापन हेतु आधार प्राधिकरण के सर्वर की सेवाएं भी लेता है। विभिन्न हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने के लिए एमआईएस प्रणाली को उमंग मोबाइल एप, नीति आयोग डैशबोर्ड तथा डीबीटी भारत पोर्टल से भी एकीकृत किया गया है। मिशन के बीएलसी वर्टीकल के लाभार्थियों को केंद्र और राज्य की सहायता राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। राज्यों द्वारा यह राशि अनेक किश्तों में, निर्माण के विभिन्न चरणों के समापन तथा जियो-टैग्ड सत्यापन के बाद ही दी जाती है।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटीज मिशन की शरुआत 2015 में हुई थी। इस मिशन का लक्ष्य ऐसे शहरों को तैयार करना है जो अपने नागरिकों को बुनियादी अवसंरचना और बेहतर जीवनशैली उपलब्ध कराते हों, साथ ही स्वच्छ एवं संधारणीय वातावरण और 'स्मार्ट' सॉल्यूशन्स को अमल में लाना है। स्मार्ट सिटी में निहित बुनियादी अवसंरचनात्मक तत्वों प्रचुर जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुचारू शहरी आवागमन और जन परिवहन, वहनीय आवास, खासकर निर्धन वर्ग के लिए, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन, विशेषकर ई-गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता, नागरिक सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए एवं स्वास्थ्य और शिक्षा।

स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण का उद्देश्य उन शहरों को प्रोत्साहित करना है जो कोर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हैं तथा अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जीवन, साफ तथा उपयुक्त माहौल व स्मार्ट सोल्यूशन्स अमल प्रदान कराते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की कार्यशैली का उद्देश्य टिकाऊ तथा समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अवधारणा के तहत सुगठित क्षेत्रों को सामने लाना है जो अन्य क्षेत्रों और शहरों के लिए मार्गदर्शक मॉडल हों। स्मार्ट सिटी के कोर अवसंरचना तत्वों में शामिल होंगे- (i) पर्याप्त जलापूर्ति; (ii) आश्वस्त विद्युत आपूर्ति; ठोस कचरा प्रबंधन सहित स्वच्छता; (iii) प्रभावी नागर संचलन तथा सार्वजनिक परिवहन; (iv) सस्ता आवास, विशेषतः गरीबों के लिए; (v) सुदृढ़ या भरोसेमंद आईटी जुड़ाव तथा डिजिटाइजेशन; (vi) अच्छा शासन, विशेषकर ई-शासन तथा नागरिक भागीदारी; (vii) सतत् पर्यावरण; (vii) नागरिकों की सुरक्षा व संरक्षा, खासकर महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों की और (ix) स्वास्थ्य एवं शिक्षा।

इस मिशन के तहत 100 नगरों में 5,151 परियोजनाओं के संचालन का प्रस्ताव है। उन परियोजनाओं पर शहरों के चयन की तिथि से पांच वर्षों की अवधि में 2,05,018 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। अखिल भारतीय प्रतियोगिता

के आधार पर चार चरणों में 100 नगरों का चयन किया गया है। इन सभी नगरों में विशेष कार्य हेतु गाड़ियों की व्यवस्था, नगर स्तरीय सलाहकार मंचों का गठन तथा परियोजना सलाहकारों की नियुक्ति हो चुकी है।

अमृत योजना

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) की शुरुआत 2015 में की गई थी। 500 शहरों को इस मिशन के अंतर्गत रखा गया है। एक लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), राज्यों की राजधानियां/केंद्र शासित प्रदेश, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (एचआरआईडीएवाई) के अधीन शहर, मुख्य नदियों के किनारों पर चिह्नित शहर, पर्वतीय राज्य, द्वीप एवं पर्यटन केंद्र इस श्रेणी में आते हैं। अमृत योजना में देश की 60 प्रतिशत शहरी आबादी को समाहित किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका कुल व्यय एक लाख करोड़ रुपये तक रहा है जिसमें पांच वर्षों के दौरान कुल 50,000 करोड़ रुपये केंद्रीय कोष से दिए जा रहे हैं। यह राशि 2015-2016 से 2019-2020 के दौरान में दी जाएगी। 50,000 करोड़ रुपये की शेष राशि राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों से आएगी।

मिशन के प्रमुख कार्य जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट, बरसाती पानी, हरित क्षेत्र एवं पार्क, गैर-मोटरयुक्त शहरी यातायात एवं क्षमता विकास हैं। मिशन के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों में बुनियादी अवसंरचनात्मक विकास पर केंद्रित किया गया है जिससे निम्न नतीजे अपेक्षित हैं: (1) प्रत्येक घर को पेयजल आपूर्ति दायरे में लाना; (2) सीवरेज क्षमता व्याप्ति एवं उसके रख-रखाव में व्यापक सुधार; (3) सिटी पार्कों का विकास; (4) सुधार कार्यान्वयन और क्षमता विकास। पेयजल क्षेत्र में मौजूदा समस्या को दूर करने के लिए, पुरानी पेयजल आपूर्ति प्रणाली और अन्य विषयों के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें जल स्रोतों, विशेषकर जलापूर्ति एवं भूजल पुनर्भरण और उपचार संयंत्र होंगे। व्यर्थ जल को पुनः प्रयोग में लाया जाना, राजस्व रहित जल में कमी और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए संभावनाएं तलाशना योजना के महत्वपूर्ण अंश हैं।

हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट

द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना (एचआरआईडीएवाई) भारत सरकार की केंद्रीकृत योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य सम्मिलित तौर पर शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत का संरक्षण करना है ताकि प्रत्येक हेरिटेज सिटी का मूल चरित्र सुरक्षित रह सके। नवंबर, 2018 तक और 500 करोड़ रुपये की राशि की लागत से इस योजना को अमल में लाने के लिए 12 शहरों का चुनाव किया गया जिनके नाम हैं अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल।

दीनदयाल अंत्योदय योजना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी निर्धन घरों की गरीबी एवं दुर्बलता को दूर करने के लिए 2013 से केंद्र द्वारा प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन (डीएवाई एनयूएलएम) योजना संचालित कर रहा है। मिशन के अंतर्गत देश के सभी सांविधिक शहरों को शामिल किया जाता है जिनका चुनाव राज्य स्थानीय जरूरत एवं क्षमता के आधार पर करता है।

इसके सात प्रमुख घटक हैं: (1) सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था विकास (एसएम एंड आईडी) योजना के अंतर्गत शहरी निर्धन महिलाओं, दिव्यांगों और मितव्यई एवं ऋण आधारित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके समुदाय आधारित संगठनों को गतिशील करने से जुड़ी एक नीति बनाई गई है; (2) कौशल विकास एवं प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) के जरिए शहरी निर्धन वर्ग को बाजार व्यवस्था आधारित कार्यों में प्रशिक्षित कर स्थाई आजीविका कमाने के लिए दक्ष बनाना; (3) स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के अंतर्गत शहरी निर्धन व्यक्तियों/समूहों को रोजगार उपक्रम/लघु उद्यम खोलने के लिए सहायता दी जाती है; (4) गलियों में फेरी लगाने वालों के लिए योजना, फेरी लगाने वालों के लिए बाजार विकास, ऋण अधिकार, गली में फेरी लगाने वालों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, कौशल विकास एवं लघु उद्यम विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सहयोग विलयन; (5) नवीकृत एवं विशेष परियोजनाएं (आई एंड एसपी) लोक, निजी एवं सामुदायिक सहभागिता

(पीपीसीपी) के माध्यम से नगरीय रोजगार के स्थाई स्रोतों को प्रोत्साहन देने का प्रयास है।

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016

संसद ने मार्च, 2016 में भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) को पारित किया, भू-संपदा के क्षेत्र में बदलाव के नए दौर का आगमन हुआ। बदलाव के इस कानून का मूलभूत उद्देश्य भू-संपदा क्षेत्र के विनियमन व संवर्धन को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करना और मकान खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के अलावा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अधिकतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के प्रावधानों की अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्वोत्तर के चार राज्यों में इस अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया जारी है। विगत वर्ष राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने नौ नियमित तथा भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की, जिससे देश भर में इन न्यायाधिकरणों की संख्या 21 हो गई है। पिछले एक वर्ष के दौरान 15 और राज्यों ने आरईआरए के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन वेब पोर्टल्स संचालित किया है। इस तरह अब कुल 23 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इन वेब पोर्टल्स का संचालन हो रहा है। देश भर में 40 हजार से अधिक भू-संपदा परियोजनाओं तथा 31 हजार भू-संपदा एजेंटों का आरईआरए के तहत पंजीकरण हो चुका है।

पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण तथा पथ-विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण एवं पथ-विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का उद्देश्य शहरी पथ-विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा और फेरी लगाने की गतिविधियों को विनियमन है। इस अधिनियम के तहत अब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों जिनके पास विधायिका है, उन्हें स्वयं नियम तथा योजनाएं तैयार करनी हैं, और जिनके पास विधायिका नहीं है, उनके लिए मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत नियम व योजनाएं बना दी हैं।

शहरी परिवहन

किसी भी शहर की उत्पादकता तब बढ़ जाती है यदि उसका अवसंरचनात्मक ढांचा बेहतर और सेवा व्यापार अच्छा हो। इस कार्य में शहरी परिवहन शहरी अवसंरचना का महत्वपूर्ण घटक है। इसकी मदद से शहरी आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है। अच्छा रोड नेटवर्क और सुचारू शहरी परिवहन किसी भी शहर और उसके वातावरण में कार्यकारी सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन व्यवस्था जितनी तेजी से लोगों और वस्तुओं को लाने-ले जाने का कार्य करेगी, यह उतनी ही तेजी से आर्थिक कार्य व्यापार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन में सहायक होगी। शहरों की बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर शहरी परिवहन व्यवस्था पर पड़ रहा है जिस कारण आर्थिक उत्पादकता दर में गिरावट देखने को मिल रही है। अतः शहरों में परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए शहरी विकास की दिशा में काम करना सही कदम है। वैश्विक अनुभव बताते हैं कि शहरी परिवहन को अपने हित में तभी इस्तेमाल में लाया जा सकता है जब उसकी नींव शहरी नियोजन एवं भूमि उपयोग की प्राथमिक अवस्था में रखी जाए।

आवासन और शहरी मामले मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर शहरी परिवहन के मामलों के योजना निर्माण और समन्वयन का नोडल मंत्रालय है। हालांकि, रेल परिवहन की तकनीकी योजना बनाने का कार्य रेलवे मंत्रालय के पास है। इसी तरह, मार्ग परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद, शहरी परिवहन अवसंरचना और सेवा वितरण कार्य राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की बड़ी जिम्मेदारी होती है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति

भारत सरकार ने शहरी परिवहन में उभरती समस्याओं से निपटने के लिए 2006 में राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाई। इस नीति में एकीकृत भूमि-उपयोग तथा परिवहन नियोजन, सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक प्रयोग तथा मोटर-विहीन यात्रा साधनों के साथ-साथ स्वच्छतर अभियांत्रिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। इसमें सार्वजनिक परिवहन में निवेश, मोटर-विहीन साधनों के अधिकाधिक प्रयोग की आधारभूत संरचना के साथ-साथ पार्किंग सुविधाओं के निर्माण तथा प्रदर्शनात्मक अग्रगामी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की पेशकश है। यह औद्योगिक एवं व्यक्तिगत स्तरों पर क्षमता संवर्धन, नवीकृत वित्तीय क्रियाविधि, संस्थागत, समन्वय,

निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा जन जागरूकता व सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

मेट्रो रेल प्रणालियों का मानकीकरण व स्वदेशीकरण

मेट्रो रेल प्रणाली के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने तथा लागत कम करने के उद्देश्य से उसके विभिन्न घटकों जैसे- डिब्बों, सिग्नल प्रणालियों, विद्युतीय तथा विद्युत-यांत्रिकी अवयवों तथा सिविल इंजीनियरिंग ढांचों को मानकीकृत किया गया है। इन अनिवार्य मापदंडों से एकरूपता सुनिश्चित होगी तथा सभी नई मेट्रो रेल परियोजनाओं की उप-प्रणालियों में इन निर्धारित मानकों का पालन किया जा सकेगा। इन मानकों में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के विशेष उपाय किये गए हैं। डिब्बों की खरीद के लिए भी एक मानक पात्रता कसौटी जारी की गई है।

आई-मेट्रोज *(* भारतीय मेट्रो रेल संगठनों की समिति*)*

भारतीय मेट्रो रेल कम्पनियों के कार्य-संपादन में उत्कृष्टता लाने के लिए मार्च, 2018 में विचार-विनिमय मंच के तौर पर इसकी शुरुआत हुई ताकि परस्पर-ज्ञान, अनुभव का आदान-प्रदान, उत्तम कार्यप्रणालियों तथा नवीकरणों को आवास साझा किया जा सके।

मेट्रो रेल नीति

इस नीति की शुरुआत आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मेट्रो रेल परियोजनाओं की संभाव्यता बढ़ाने तथा इसे सुनिश्चित करने हेतु की गई। इससे सरकारी व निजी भागीदारी सहित विभिन्न प्रारूपों के तहत बड़े शहरों में मेट्रो रेल के तेज विकास के लिए एक इको-प्रणाली विकसित हुई है तथा इस क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' उत्पादों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

18 भारत और विश्व

विश्व के साथ भारत के संपर्कों का प्राथमिक उद्देश्य विश्व में शांतिपूर्ण और स्थिरता का माहौल सुनिश्चित करना है ताकि देश के आर्थिक विकास और उन्नति के लिए अनुकूलतम स्थितियां उत्पन्न की जा सकें। वैश्विक मामलों में भारत की निखरती छवि ने अवसरों के नये द्वार खोल दिये हैं जिसका फायदा भारत के सामरिक और आर्थिक विकल्पों में विविधता लाने में किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भारत के बाह्य संपर्कों को सुदृढ़ करने के साथ ही ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्येक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय साझेदार के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं जहां इस तरह के संपर्क से भारत के हितों को अधिकतम बढ़ावा मिले। यहां भारत के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों के समचे परिदृश्य को जोड़ने वाले सामान्य सूत्र को प्रस्तुत किया गया है।

विदेश मंत्रालय भारत के वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदाई सरकारी एजेंसी है।
वेबसाइट: www.mea.gov.in

वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय ने भारत की सुरक्षा सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के साथ-साथ देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आसान बनाकर उसे बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक और परिणाममलक संवाद के प्रयास जारी रखे। यह कार्य बड़े जोरदार तरीके से किया गया और इसके लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ किया गया और महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर प्रभाव डालने के प्रयास किये गये। विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के साथ संवाद स्थापित करने के हमारे प्रयास खास जोश और नये-नये तौर-तरीकों के साथ जारी रहे। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, रूस और चीन के साथ प्रधानमंत्री के अनौपचारिक सम्मेलन, अमरीका के साथ 2+2 संवाद, अफ्रीका, लैटिन अमरीका और कैरिबियन देशों तथा मध्य एशियाई देशों के उच्चस्तरीय दौरे भारत के राजनयिक संपर्कों के विस्तार के नये चरण को दर्शाते हैं। जहाजरानी संबंधी मुद्दों पर भारत के लगातार विस्तृत होते दायरे की परिकल्पना छह सूत्री हिंद-प्रशांत नीति के प्रस्तुतीकरण से हुई जिससे सागर (सिक्योरिटी ए ग्रोथ फार ऑल इन द रीजन-यानी क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास) की हमारी परिकल्पना को मजबूती मिली। 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा का आयोजन कर जलवायु परिवर्तन और धरती के तापमान में असाधारण बढ़ोतरी (ग्लोबल वार्मिंग) संबंधी मुद्दों में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। यह सम्मेलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में दो साल तक चलने वाले समारोह के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ। अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्वीकरण पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच के रूप में भारत के उभर कर सामने आने की पुष्टि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन से हो जाती है जिनमें भू-राजनीति, भू-अर्थशास्त्र और भू-प्रौद्योगिकी के तीन स्तंभों को शामिल किया गया था।

भारत ने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर लाभप्रद, जनाभिमुख और स्थिरता तथा खुशहाली पर आधारित क्षेत्रीय ढांचा कायम करने के लिए पड़ोसियों को तरजीह देने की भारत की 'नेहबरहुड फर्स्ट' नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखा। द्विपक्षीय संपर्कों की रफ्तार कायम रखते हुए बुनियादी ढांचे तथा संपर्क बढ़ाने की परियोजनाओं को पूरा करने में प्रगति पर जोर दिया जाता रहा। पड़ोसी देशों के साथ रेल, सड़क, बंदरगाह, अंतरदेशीय जलमार्ग, जहाजरानी, ऊर्जा और ईंधन प्रेषण की परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के लोगों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर आपसी संबंध बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये गये। मई में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान नेपाल में अरुण-तृतीय जल विद्युत परियोजना और नेपाल-भारत रामायण पर्यटन सर्किट परियोजनाओं की शुरुआत हुई।

भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस बात पर एकमत थे कि परिवहन और ऊर्जा संपर्क बढ़ाने की दिशा में की

जा रही पहल से दोनों देशों के संबंधों का सुनहरा अध्याय शुरू हुआ है। भारत ने बांग्लादेश को आठ अरब डालर के तीन ऋणों का प्रस्ताव किया है। म्यामां के उत्तरी रखाइन प्रांत के विस्थापितों की मदद के लिए बांग्लादेश के प्रयासों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भारत ने 'ऑपरेशन इंसानियत' शुरू किया और मानवीय सहायता की तीन खेप वहां भेजीं। भारत रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के माध्यम से विस्थापितों की स्वदेश वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने में म्यामां को भी मदद कर रहा है। दोनों देशों ने भूमि सीमा पारगमन समझौते पर दस्तखत किये हैं जिसके तहत दोनों देशों के वीजा वाले यात्रियों समेत अन्य देश के यात्रियों के सामान्य रूप से आवागमन के लिए निर्धारित सीमा चौकियां खोली गई हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। मालदीव और भूटान के नवनिर्वाचित नेता विदेश यात्रा पर भारत आए। श्रीलंका के साथ भारत के संबंध मधुर बने रहे। वर्ष के दौरान दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर घनिष्ठ संपर्क से व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी के साथ-साथ जनता की भलाई की परियोजनाओं को लागू करने में मदद मिली। वर्ष के दौरान भारत-अफगानिस्तान संबंधों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जिनमें भारत से अफगानिस्तान को गेहूं और दलहनों की खेप का प्रेषण, दोनों देशों के बीच हवाई परिवहन गलियारे का विस्तार और 2017 में घोषित नई विकास साझेदारी के तहत भारत की सहायता से अफगानिस्तान में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत शामिल हैं।

अपनी सामरिक स्वायत्तता को केंद्र में रखकर भारत ने विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा और राष्ट्र हित में स्वतंत्र निर्णय भी लिये। चीन के साथ वुहान और रूस के साथ सोची में आयोजित अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों को इस दिशा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। पहली बार आयोजित भारत और अमरीका के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता से भारत की वैश्विक सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में मदद मिली। 2018 में 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से दोनों देशों के बीच पिछले करीब पांच वर्षों से चली आ रही विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में अभूतपूर्व बदलाव आया। इसमें सहयोग के व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया था और दोनों देशों के साझा मूल्यों और हितों पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर संपर्क और संवाद बढ़ाने के इन प्रयासों से दोनों देशों के नेताओं को घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर प्रगतिशील सामरिक वार्ताओं को लेकर विचारों के सीधे और सटीक आदान-प्रदान में मदद मिली। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को विश्व स्तर पर नये सिरे से तरजीह दी जा रही है, उससे 'एक्ट ईस्ट' यानी भारत के पूर्व में स्थित देशों के साथ सामारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की नीति को बढ़ावा मिला है।

हिंद-प्रशांत संबंधी भारतीय दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत फ्रेमवर्क में क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास (सागर-सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इन द रीजन) पर भारतीय सामुद्रिक नीति को एकीकृत करता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के निरंतर संवाद और संपर्क की पुष्टि उच्च स्तरीय दौरों के जारी रहने, प्रतिरक्षा, और सुरक्षा सहयो आतंकवाद व अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने, समग्र आर्थिक संपर्क, शिक्षा और कौशल विकास के बारे में नियमित वार्ताओं के आयोजन, छात्रवृत्तियों के जरिए क्षमता निर्माण व आईटीईसी कार्यक्रमों के आयोजन, सांस्कृतिक सहयोग सहित भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से देश की संस्कृति को बढ़ावा देने और भारतवंशियों के साथ बढ़ते संबंधों से हो जाती है। भारत और आसियान देशों ने समुद्र-संबंधी मामलों में सहयोग के साथ-साथ भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिये हैं। गैर-पारम्परिक सुरक्षा मुद्दों जैसे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरों के क्षेत्र में भी तालमेल बढ़ा है।

भारत की 'थिंक वेस्ट' नीति को आगे बढ़ाने तथा ऊर्जा और सुरक्षा हितों में तालमेल कायम करने के प्रयासों के तहत द्विपक्षीय संपर्क और संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से विदेश मंत्री ने बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। दिसंबर में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में संचालन की जिम्मेदारी संभाली जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ जमीनी व समुद्री संपर्क स्थापित होगा। इसके लिए अमरीका की ओर से पाबंदियों से छूट हासिल की गई जिससे ईरान से तेल के निर्बाध आयात में मदद मिली और भुगतान तथा समुद्री बीमा के लिए अलग प्रणाली विकसित की गई।

कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान भारत के राजनयिक संपर्क और संवाद के प्रयासों में जीवंतता बनी रही। राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर वर्ष के दौरान अनेक नेता भारत यात्रा पर पहुंचे जिनमें अन्य लोगों के अलावा रूस, मालदीव, सेशैल्स, कोरिया गणराज्य और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और भूटान, नेपाल, नीदरलैंड, श्रीलंका, इटली,

बांग्लादेश और नॉर्वे के प्रधानमंत्री शामिल थे । इसी तरह भारत के राष्ट्रपति ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ताजिकिस्तान, म्यामां, इक्वेटोरियल गिनी, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, ग्रीस, सुरीनाम, क्यूबा, साइप्रस, बल्गारिया और चेक गणराज्य की यात्राएं की । उपराष्ट्रपति बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मलावी, फ्रांस, बेल्जियम, ग्वाटेमाला, पनामा, पेरू, सर्बिया, माल्टा, रोमानिया और अमरीका के दौरे पर गये । प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से चीन, स्वीडन, ब्रिटेन, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, रूस, रवांडा, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान, अर्जेंटीना और मालदीव के साथ संबंधों को नया आयाम मिला ।

26/11 आतंकी हमलों की दसवीं सालगिरह पर सारा विश्व भारत के साथ एकजुट रहा । भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खतरे से निपटने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की निंदा की । भारत ने आतंकवाद से निपटने के बारे में विभिन्न साझेदार देशों के साथ संयुक्त कार्य-समूहों के जरिए संरचनागत विचार-विमर्श जारी रखा ।

बहुपक्षीय स्तर पर भारत ने जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार और काले धन जैसे अनेक पारस्परिक महत्व के मुद्दों के वैश्विक एजेंडा को आकार देने में अपना योगदान जारी रखा । जी-20 शिखर सम्मेलन में भी पहली बार आयोजित हुई जापान-अमरीका-भारत त्रिपक्षीय बैठक और रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय बैठक में गहन संवाद हुआ । भारत ने घोषणा की कि वह स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा । अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की महासभा, दूसरी मंत्रिस्तरीय आईओआरए नवीकरणीय ऊर्जा बैठक और दूसरी वैश्विक पुनर्निवेश बैठक भी दिल्ली में आयोजित की गई । अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहला अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में होगा । भारत ने विभिन्न प्रकार के अनेक क्षेत्रों में साझेदार देशों के साथ अपने विकास सहयोग कार्यक्रम जारी रखे । वर्ष के दौरान 1.03 मिलियन अमरीकी डालर की साख राशि देशों को प्रदान की गई और कुल 101.13 करोड़ डालर की नौ परियोजनाएं पूरी की गईं । भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 161 साझेदार देशों के 10 हजार से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को असैनिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये गये । आईटीईसी की लोकप्रियता और दुनिया भर में बदलती आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति को ध्यान में रखते हुए आईटीईसी उपहार के पिटारे में एक नये प्लेटफॉर्म ई-आईटीईसी तथा आईटीईसी-ऑनसाइट को भी शामिल किया गया है ।

मानवीय सहायता के मोर्चे पर भारत ने आपदाओं से पीड़ित देशों को सहायता प्रदान की । मोजाम्बिक, सीरिया, यमन, सोमालिया, यूगांडा, तंजानिया, मैडागास्कर, स्वाजीलैंड और केन्या को अन्य वस्तुओं के अलावा दवाएं उपलब्ध कराई गईं । बांग्लादेश और सीरिया को खाद्य पदार्थ और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई । भारत ने भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता के लिए 'ऑपरेशन समुद्रमैत्री' शुरू किया ।

घरेलू बदलाव को भारत की विदेश नीति की रणनीति का अभिन्न अंग बनाया गया है । अपने साझेदार देशों के साथ गहन संपर्क और संवाद से लोगों को मिल रहे फायदों का भारत में हो रहे विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधी समझौतों में वृद्धि, कारखानों की स्थापना और रोजगार के नये अवसरों में बढ़ोतरी से साफ पता चलता है । इस तरह विकास और खुशहाली का राजनय के साथ जो समन्वय किया गया है उससे 'मेक इन इंडिया', कौशल विकास, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और 'स्टार्ट-अप इंडिया' समेत राष्ट्रीय नवीकरण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहयोग हासिल करने में मदद मिली है ।

'वसुधैव कुटुंबकम्' की मजबूत बुनियाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भारत के सभ्यतागत मूल्यों का बढ़ता असर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बड़े प्रभावशाली तरीके से परिलक्षित हुआ जिसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है । इस अवसर पर 124 देशों के कलाकार गांधी जी के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो...' के गायन के लिए एकत्र हुए और उन्होंने इसे विश्व भर के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया । 2019 में वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के आयोजन से भी भारतवंशियों और उनकी मातृभूमि के बीच संबंध सुदृढ़ हुए ।

सेवा प्रदान करने और नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था पर सरकार द्वारा दिया जा रहा जोर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के चौथे स्तंभ ई-क्रांति की चार परियोजनाओं को मिशन मोड में संचालित किये जाने से परिलक्षित होता है । इन परियोजनाओं में ई-ऑफिस, ई-खरीद, अप्रवासन-वीजा, विदेशियों के पंजीकरण व उन पर नजर रखने की

प्रणाली (आई.वी.एफ.आर.टी.) तथा पासपोर्ट सेवा परियोजनाएं शामिल हैं । फिलहाल ये विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/दूतावासों में चल रही हैं । डिजिटल इंडिया के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस और ऑटोमेशन की कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे विदेश सेवा संस्थान के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का पोर्टल, ई-ऑडिट पोर्टल, पुनर्गठित नो इंडिया (भारत को जानो) कार्यक्रम और प्रवासी भारतीय दिवस पोर्टल, राजनयिक पहचान पत्र के पंजीकरण और जारी करने की प्रणाली आदि ।

पड़ोस

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच बहुआयामी सामरिक साझेदारी में लगातार मजबूती आई है । 2018 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भारत यात्राओं जैसे उच्च स्तरीय द्विपक्षीय आदान-प्रदान का सिलसिला जारी रहा । द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए उठाए गये कदमों से यह एक अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया । इसके अलावा कई अन्य पहल भी की गईं जिनमें हवाई मालवहन गलियारे की शुरुआत हुई; सुरक्षा और संपर्क जैसे क्षेत्रों समेत अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में वृद्धि की गई और मित्रतापूर्ण आदान-प्रदान को सुदृढ़ किया गया । भारत ने अफगानिस्तान में शांति और सुलह की अपनी नीति को जारी रखते हुए वहां समावेशी शांति के प्रयासों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया । शुरू से ही भारत की यह मान्यता रही है कि इस तरह के सभी प्रयास अफगान लोगों के नेतृत्व में संचालित किये जाने चाहिए और इनका अफगान स्वामित्व और नियंत्रण भी अफगान लोगों के हाथों में होना चाहिए । भारत अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा, एकता, संप्रभुता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु मदद करने को भी वचनबद्ध है ।

पाकिस्तान

सीमा पार से भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन लगातार जारी रहने से द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति बाधित रही । पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले इलाके में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ढांचे के खिलाफ कोई विश्वसनीय कार्रवाई नहीं की । पाकिस्तानी सीमा बलों की ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी करके युद्धविराम के उल्लंघन और आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने की घटनाओं का सिलसिला जारी रहा । भारत ने अपनी दृढ़ नीति के तहत पाकिस्तान से आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में संबंध सामान्य बनाने की इच्छा व्यक्त की और इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया । मानवीय विषयों और दोनों देशों की जनता के आपसी संबंधों से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ बंदियों, मछुआरों और तीर्थयात्रा से संबंधित मामलों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी लगातार प्रयास किये जाते रहे । भारत के लगातार प्रयासों से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तीर्थयात्रा को आसान और सुचारु बनाने के लिए गलियारे के निर्माण के भारत के प्रस्ताव को मान लिया ।

बांग्लादेश

समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गहराई और विविधता आई । शांतिनिकेतन में काजी नज़रुल इस्लाम विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने और शांतिनिकेतन में बांग्लादेश भवन के उद्घाटन के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत (पश्चिम बंगाल) की यात्रा की । दोनों देशों की सरकारों ने भारत की ओर से कुल आठ अरब डालर के तीन ऋणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए काम तेज कर दिया है । यह भारत द्वारा अब तक उपलब्ध कराई गई सबसे बड़ी ऋण राशि है जो बेहतरीन शर्तों पर दी गई है । बांग्लादेश भारत से अनुदान सहायता प्राप्त करने वाला प्रमुख देश है और वहां 35 लघु विकास परियोजनाएं भारत की सहायता से पूरी की जा चुकी हैं और 40 का कार्य चल रहा है ।

म्यामां

भारत और म्यामां के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक दिशा को बनाए रखा गया । 2018 में विदेश मंत्री ने म्यामां का दौरा किया और इस दौरान पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये । इनमें जमीनी सीमा पारगमन समझौता भी शामिल है जिसके तहत दोनों देशों के वीजा वाले यात्रियों के साथ-साथ किसी तीसरे देश के नागरिकों

को निर्धारित स्थानों से सामान्य रूप से आने-जाने की सुविधा दी जा रही है। नई दिल्ली में विदेश सचिवों के स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। बुनियादी ढांचे से संबंधित कुछ धरोहर परियोजनाओं के कार्य को तेज करने में भी काफी प्रगति हुई। कालादन मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना के तीन में से दो घटकों (बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग) का निर्माण पूरा कर लिया गया।

भूटान

भारत और भूटान के बीच पारस्परिक समझ-बूझ, सद्भाव और एक-दूसरे के हितों के प्रति सम्मान पर आधारित मित्रता और सहयोग के असाधारण संबंध हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे के साथ विधिवत राजनयिक संबंध स्थापित होने की स्वर्ण जयंती 2018 में संयुक्त रूप से मनाई। इस सिलसिले में कई स्मरणीय आयोजन किये गये जिनमें दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंधों को प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2018-19 में जलविद्युत शक्ति, संचार, प्रतिरक्षा और सुरक्षा, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और कृषि समेत सहयोग के तमाम क्षेत्रों में लगातार प्रगति देखी गई। द्विपक्षीय संबंधों में तेजी को उच्च स्तरीय अनेक यात्राओं और कार्य स्तर पर संवाद के जरिए बनाए रखा गया।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच संबंधों को उनके सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों, नागरिकों के बीच आपसी संपर्कों, बहु-आयामी आर्थिक व विकास संबंधी साझेदारी और दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं से मजबूती मिलती है। 2018-19 में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं सहित सघन द्विपक्षीय संपर्क जारी रहा। उच्च स्तरीय यात्राओं से द्विपक्षीय साझेदारी की समग्र समीक्षा करने के साथ साथ कृषि, अंतर्देशीय जलमार्गों और रेलवे जैसे क्षेत्रों में नई पहल करने का अवसर मिला। वर्ष के दौरान सरकारी और तकनीकी स्तर पर सघन द्विपक्षीय विकास पहल भी देखने में आईं। भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और वहां निवेश करने वाले सबसे बड़े निवेशकों में एक है। नेपाल में कई सामाजिक और भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं के साथ ही दोनों देशों के बीच परस्पर संपर्क की परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

चीन

भारत और चीन के बीच घनिष्ठ विकास साझेदारी ने उस समय नया प्रतिमान बनाया जब 2018 में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए मिले। इस अनौपचारिक सम्मेलन से द्विपक्षीय संबंधों के स्तर को उच्चतर धरातल पर ले जाने की दोनों पक्षों की इच्छा परिलक्षित होती थी और इसने पूरे साल उच्च स्तरीय संवाद और संपर्क की भूमिका तैयार कर दी। वर्ष के दौरान दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय शिख सम्मेलनों की पृष्ठभूमि में तीन और द्विपक्षीय बैठकें कीं। 2018 में शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) में भारत के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने और चीन द्वारा इस संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ स्तर पर और अधिक संवाद के अवसर प्राप्त हुए।

श्रीलंका

बीते वर्षों में भारत और श्रीलंका के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक श्रीलंका यात्रा से आपसी संबंधों में आई गतिशीलता को लोक कल्याणकारी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की परियोजनाओं पर अमल के जरिए जारी रखा गया। उच्च-स्तरीय राजनीतिक संवाद तथा दोनों देशों के नागरिकों के बीच व्यक्तिगत संपर्कों से द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत हुए। मध्य और दक्षिणी श्रीलंका के वे क्षेत्र जो अब तक भारत की विकास सहायता परियोजनाओं के दायरे में नहीं थे, वहां के लिए भारत की विकास सहायता कार्यक्रम के विस्तार से भरोसेमंद विकास साझेदार के रूप में भारत की छवि निखारने में मदद मिली। कुल मिलाकर सुरक्षा और प्रतिरक्षा सहयोग, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और वाणिज्य, पर्यटन, अंतरिक्ष और संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंध सुदृढ़ होकर ऐसे स्तर पर पहुंचे जिसे बहुआयामी कहा जा सकता है।

मालदीव

रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का महत्वपूर्ण आयाम बना रहा। भारत सरकार ने विशाखापत्तनम में 2018 में मालदीव

के तटरक्षक बल के जहाज हरावी में मामली मरम्मत का कार्य किया। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 14वां त्रिपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'दोस्ती-14' मालदीव में आयोजित किया गया। तीसरी ज्वाइंट स्टाफ वार्ता माले में आयोजित की गई।

मॉरीशस

घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भारतवंशी संबंधों की परम्परा के अनुरूप भारत और मॉरीशस के बीच सघन संपर्क और संवाद कायम रहा। विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारत के एक शिष्टमंडल ने 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दुनिया भर से हिन्दी प्रेमी भी शामिल हुए। आर्थिक मोर्चे में समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी (सी.ई.सी.पी.ए.) वार्ता में विचार विमर्श के कई दौर आयोजित किये गये और 2018 में इसे अंतिम रूप दिया गया जिसके बाद संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट पर दस्तखत किये गये। पुनर्जीवित विकास साझेदारी के तहत कई अनुदान परियोजनाओं पर अमल किया गया। इनमें 353 मिलियन अमरीकी डालर के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, कान-नाक-गला (ई.एन.टी.) अस्पताल, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत, सामाजिक आवास और स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल टेबलेट उपलब्ध कराने, सिविल सर्विस कॉलेज की स्थापना और 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता से प्राथमिकता के आधार पर चलाई जाने वाली वाली 18 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

सेशेल्स

संवर्द्धित विकास साझेदारी सहायता के बारे में भारत सरकार की वचनबद्धता पर आधारित भारत-सेशेल्स संबंध घनिष्ठ द्विपक्षीय साझेदारी के नये दौर में पहुंचा। दोनों देशों के व्यावहारिक और परिणाममूलक में 2018 में उस समय नई ऊर्जा का संचार हुआ जब भारत के राष्ट्रपति ने सेशेल्स की सफल यात्रा की। इस दौरान सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में छह महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत किये गये और भारत ने सेशेल्स को उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का डोर्नियर विमान उपहार में दिया।

हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों का संगठन *(*आईओआरए*)*

हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के संगठन (आईओआरए) की क्षेत्र की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आईओआरए को क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वह आईओआरए की गतिविधियों को और सशक्त बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी से लेकर समुद्री सुरक्षा और बचाव जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग का समर्थन करता रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया और एशिया-प्रशांत

2014 में शुरू की गई पूर्व के देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की 'एक्ट ईस्ट नीति' (ए.ई.पी.) के अंतर्गत भारत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र, ओशिनिया, उत्तर-पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के घनिष्ठ संपर्क में रहा है। 'एक्ट ईस्ट नीति' का केंद्रीय विषय आसियान के देश रहे हैं। अधिक सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 'लुक ईस्ट' का दर्जा बढ़ाकर उसे 'एक्ट ईस्ट' किया जाना न केवल इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि इससे महत्वपूर्ण सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवसरों का ध्यान रखते हुए भारतवंशियों की भूमिका की अहमियत भी उजागर होती है। भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के देशों के साथ राजनीतिक समझ, सुरक्षा और रक्षा सहयोग तथा आर्थिक संपर्क के जरिए संवाद बनाए हुए है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का निरंतर संपर्क अनेक उच्च स्तरीय दौरों और मजबूत रक्षा सहयोग से स्पष्ट हो जाता है जिसमें प्रशिक्षण, पोतों की यात्राएं, पूरे तालमेल के साथ संयुक्त गश्त, रक्षा सामग्री की बिक्री और आपूर्ति, घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग, खास तौर पर आतंकवाद और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग समग्र आर्थिक सहयोग, शिक्षा और कौशल विकास के बारे में नियमित वार्ताएं; छात्रवृत्तियों और आई.टी.ई.सी. कार्यक्रमों के जरिए क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक केंद्रों के जरिए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने सहित सांस्कृतिक सहयोग और भारतवंशियों के साथ मजबूत होते रिश्ते शामिल हैं। भारत सरकार ने अपने विभिन्न विकास सहायता कार्यक्रमों के जरिए कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तथा प्रशांत के द्वीप देशों के साथ संपर्क बनाए रखा।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संघ *(आसियान)*

2018 में भारत-आसियान वाणिज्यिक शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी करने के बाद भारत ने आसियान देशों के साथ गतिशील और बहु-आयामी संबंध कायम करने के सुनिश्चित प्रयास जारी रखे। 'एक्ट एशिया नीति' के अनुसार भारत ने राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आसियान के सदस्य देशों के साथ संबंधों का विस्तार किया। भारत और आसियान दोनों अपारम्परिक सुरक्षा मुद्दों जैसे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरों से निपटने पर लगातार और आधिकाधिक जोर देते आ रहे हैं। आसियान और अन्य क्षेत्रीय मंचों पर समुद्री मुद्दों में सहयोग के बारे में भारत का संवाद लगातार बढ़ता गया है। भारत ने भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आसियान देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किये हैं।

पूर्व एशिया

कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य

1973 में शुरुआत के बाद से ही भारत और कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध सद्भावपूर्ण और एक-दूसरे के लिए फायदेमंद रहे हैं। यह सिलसिला 2018 में भी जारी रहा।

जापान

भारत-जापान संबंध बड़ी सारगर्भित और उद्देश्यपूर्ण साझेदारी में बदल गये हैं और भारत की एक्ट ईस्ट नीति की नींव हैं। भारत-जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में 2018 में भी शानदार प्रगति जारी रही।

कोरिया गणराज्य

भारत और कोरिया गणराज्य के द्विपक्षीय संबंधों का विशेष सामरिक साझेदारी के स्तर पर उन्नयन किया गया।

मंगोलिया

मई, 2015 में प्रधानमंत्री की मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा के बाद मंगोलिया के साथ भारत के पारम्परिक रूप से मित्रता और सद्भावपूर्ण संबंध समय के साथ-साथ लगातार मजबूत होते गये हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। दोनों देशों के बीच 2018 में कई उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए।

यूरेशिया

रूस

रूस के साथ भारत की विशेष और खास महत्व की सामरिक साझेदारी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 2018 में रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के पहले ऐतिहासिक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन से भारत की विदेश नीति नई ऊंचाई पर पहुंची। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सिंगापुर में पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन और ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात तथा वर्ष के दौरान अनेक मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक-दूसरे देश की यात्राओं से दोनों देशों के आपसी संबंधों में और प्रगाढ़ता आई। दोनों देशों ने प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा के असैनिक उपयोग और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग की विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग जारी रखा।

मध्य एशिया

मध्य एशिया के अपने सुदूर पड़ोसियों के साथ संपर्क और सुदृढ़ करने के भारत के प्रयासों में 2018 में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और हमारे राष्ट्रपति के ताजिकिस्तान दौरे से और बढ़ावा मिला।

यूक्रेन और बेलारूस

यूक्रेन के साथ भारत के सद्भावपूर्ण संबंध कायम रहे। 2018 में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के बारे में संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की। 2018 में संसदीय शिष्टमंडल की मिन्स्क यात्रा से भारत और बेलारूस के संबंधों में गुणात्मक प्रगति हुई।

दक्षिण काकेशस

अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया के साथ भारत के संबंधों में सुधार का सिलसिला जारी रहा। 2018 में अंतर-सरकारी आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए अज़रबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल के दौरे से भारत और अज़रबैजान को उपयोगी संवाद का मौका मिला।

शंघाई सहयोग संगठन *(एस.सी.ओ.)*

शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के सभी सदस्य देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। ये संबंध पारस्परिक विश्वास और सद्भाव पर आधारित हैं। हमारे बहुपक्षीय संबंधों का मुख्य आधार भी यही संबंध हैं।

खाड़ी और पश्चिम एशिया

खाड़ी

खाड़ी देशों के साथ भारत के घनिष्ठ और मजबूत संबंध रहे हैं और दूरवर्ती पड़ोसियों वाला यह क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक खाड़ी देश के साथ मित्रतापूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की जड़ें हमारे साझा इतिहास में समाई हुई हैं और इन्हें बढ़ते बहुआयामी सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच जीवंत पारस्परिक रिश्तों से फलने-फूलने का अच्छा मौका मिला है। यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों वाले क्षेत्रों में से एक है और 2017-18 में इस क्षेत्र के साथ 123 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ। भारत की ऊर्जा आपूर्ति में से 50 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल और 70 प्रतिशत तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) इसी क्षेत्र से प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग से भारत में तेल के सुरक्षित भंडार बनाए जा रहे हैं और नये तेलशोधक कारखाना परियोजनाओं में निवेश से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय मूल के 90 लाख प्रवासी इस क्षेत्र के देशों के साथ सद्भाव बढ़ाने में मदद करने के साथ-साथ अपने घर को हर साल 38 बिलियन अमरीकी डालर की राशि (2017) भेजते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इस क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने एक-दूसरे देश की सघन यात्राएं की हैं जिससे उनके बीच संवाद और संपर्क के विस्तार के साथ-साथ विविधता भी आई है। खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ इस तरह के संबंध अभूतपूर्व हैं जो सुनिश्चित और विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित हमारी विदेश नीति के लक्ष्यों का अंग हैं। इनसे देश के हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वापूर्ण और ठोस परिण हासिल करने में मदद मिली है।

ईरान

वर्ष के दौरान ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का एक-दूसरे देश की यात्रा का सिलसिला भी निर्बाध रूप से जारी रहा। आर्थिक, ऊर्जा संबंधी, संपर्क, और नागरिकों के बीच पारस्परिक रिश्तों समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार हुआ। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पारगमन गलियारे की स्थापना का त्रिपक्षीय समझौता 2018 से प्रभावी हो गया।

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका (डब्ल्यू.ए.एन.ए.) क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। डब्ल्यू.ए.एन.ए. के सभी देशों के साथ भारत के संबंधों को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया गया। इसके लिए संस्थागत वार्ता प्रणाली के जरिए नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया गया और उच्च-स्तरीय यात्राएं आयोजित की गईं। इस क्षेत्र के देशों में मुख्य रूप से रॉक फास्फेट खनिज और इससे बनने वाले पदार्थ काफी मात्रा में पाये जाते हैं। विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन में काम आने वाला पोटाश भी यहां बहुतायत में मिलता है। रॉक फास्फेट की 80 प्रतिशत से अधिक मांग इसी क्षेत्र के देश पूरी करते हैं। यह क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से

भी समृद्ध है। भारत ने क्षेत्र में अपने ऊर्जा हितों को और अधिक सुरक्षित करने के अपने प्रयास तेज किये। क्षेत्र के ज्यादातर देशों के साथ खुफिया सूचनाओं की साझेदारी, आतंकवाद से निपटने और साइबर स्पेस आदि से संबंधित मामलों में सहयोग के लिए भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली कायम की। भारत ने जिबूती, सोमालिया और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी सहयोग सुदृढ़ किया ताकि समुद्री डकैती और जहाजरानी की सुरक्षा के क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा की जा सके। पिछले साल कई उच्च स्तरीय यात्राओं से संबंधों को सुदृढ़ करने में जो तेजी आई उसे 2018 में मंत्रिस्तरीय/अधिकारी स्तर की कई यात्राओं के जरिए बनाए रखा गया। क्षेत्र में अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कई व्यापारिक शिष्टमंडलों का परस्पर आदान-प्रदान किया गया।

अफ्रीका

पूर्व और दक्षिण अफ्रीका

2018-19 के दौरान भारत-अफ्रीका संबंधों में अभूतपूर्व नयेपन का सिलसिला जारी रहा जिससे अफ्रीकी देशों के साथ अभूतपूर्व राजनीतिक संपर्क व संवाद कायम हुआ। 2018 में भारत के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार 2018 में स्वाजीलैंड (स्वातिनी) और इक्वेटोरियल गिनी का दौरा किया। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 2018 में रवांडा का दौरा किया। राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 में जाम्बिया का भी दौरा किया और भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और 21 साल के अंतराल के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने युगांडा की यात्रा की। उच्च-स्तरीय राजनीतिक संपर्कों के साथ ही मंत्रिस्तरीय वार्ता जैसी संस्थागत प्रणालियों की बैठकों का भी आयोजन किया गया।

अफ्रीकी महाद्वीप में अधिक उद्देश्यपूर्ण राजनयिक उपस्थिति के उद्देश्य से भारत ने अगले चार वर्षों में 18 नये दूतावास/उच्चायोग खोलने का फैसला किया है जिससे वहां भारतीय दूतावासों की संख्या 47 हो जाएगी। इसी सिलसिले में रवांडा और जिबूती में भारतीय दूतावास इस साल पहले ही खोले जा चुके हैं। मंत्रिस्तरीय/उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण आयोजनों में दक्षिण अफ्रीका में पीटरमेरित्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के साथ हुई घटना के 120 साल पूरे होने की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम; नाइजीरिया में 2018 में पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय सी.आई.आई.-एक्जिम बैंक सम्मेलन और मलावी में इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी कार्यक्रम शामिल हैं। अफ्रीका के गणमान्य लोगों ने भी भारत में आयोजित इंडियन सोलर एलायंस के पहले सम्मेलन और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में हिस्सा लिया।

कार्यक्रमों की भौगोलिक पहुंच और क्षेत्रीय विस्तार में भी काफी बढ़ोतरी हुई। भारत ने अफ्रीकी देशों को अनुदान सहायता (दवाएं, पुस्तकें, वाहन आदि), ऋण, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और अल्पावधि असैनिक व सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों समेत अनेक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जरिए मदद देना जारी रखा। क्षमता निर्माण के लिए स्थापित नये संस्थानों में दक्षिण अफ्रीका में गांधी-मंडेला कौशल केंद्र और जिम्बाब्वे में उच्चीकृत भारत-जिम्बाब्वे प्रौद्योगिकी केंद्र शामिल हैं। भारत की बढ़ती विकास साझेदारी का केंद्र क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम हैं।

पश्चिम अफ्रीका

पश्चिम अफ्रीका (डब्ल्यू.ए.) क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों में विस्तार और विविधता का सिलसिला इस साल भी जारी रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय सम्मेलनों की पृष्ठभूमि में कई बैठकें और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं हुईं। इन बैठकों से राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक (व्यापार और निवेश) संबंध बढ़ाने और विकास साझेदारी को सुदृढ़ करने में मदद मिली। यह क्षेत्र (जिसमें पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के 25 देश शामिल हैं) अफ्रीका की सबसे अधिक आबादी और सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों वाला क्षेत्र है और यहां खनिज पदार्थों तथा ऊर्जा संसाधनों के सबसे बड़े प्रामाणिक भंडार हैं। यह क्षेत्र सभी ज्ञात खनिजों से समृद्ध है। भारत कच्चे तेल की अपनी 18 प्रतिशत आवश्यकता इस क्षेत्र से पूरी करता है (जिसमें अकेले नाइजीरिया का योगदान 11-12 प्रतिशत है)। भारत घाना से हर साल दो अरब डालर का सोना आयात करता है। इसके अलावा भारत कोट-डि-आई, गिनी बिसाऊ और सेनेगल जैसे इस क्षेत्र के देशों से बड़ी मात्रा में कच्चे काजू का भी आयात करता है।

यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से स्थिर रहा। लेकिन आतंकवाद और कई देशों में सक्रिय अपराधियों के संगठित

गिरोहों का असर कई देशों पर पड़ा। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए इस क्षेत्र के देशों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बना रहा। इनमें समुद्र तट के पास के पांच देशों के संयुक्त बलों के समूह (जी-5 सहेल) या एफसी-जी5एस शामिल हैं जिसकी स्थापना बुर्कीना फासो, चाड, माली, मॉरीटेनिया और नाइजर ने मिलकर किया है। भारत मोनुस्को (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन) के लिए सैन्य प्रेक्षक और पुलिसकर्मी भेज कर सुरक्षा में अपना योगदान करता रहता है।

यूरोप और यूरोपीय संघ

मध्य यूरोप

भारत ने मध्य यूरोप के देशों से अपने द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के लिए इनके साथ संबंध बनाने की अपनी नीति जारी रखी। राजनीतिक मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरह के मंचों पर आपसी समझ काफी अच्छी है। बढ़ता द्विपक्षीय व्यापार, व्यापारिक आदान-प्रदान, शैक्षिक विनिमय और सांस्कृतिक आयोजनों से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में मदद मिली। वर्ष के दौरान नॉर्वे, माल्टा, चेक गणराज्य और डेनमार्क के उच्च स्तरीय नेता भारत के दौरे पर पहुंचे। भारत के राष्ट्रपति ने ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य का दौरा किया जबकि उप राष्ट्रपति ने सर्बिया, माल्टा और रोमानिया की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने स्टॉकहोम में पहली बार आयोजित भारत और नॉर्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के नेताओं से विचार-विमर्श किया। वर्ष के दौरान मुख्य जोर कारोबार करने में सुविधा (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मानदंडों के अनुसार भारत में हुई प्रगति, देश में माल और सेवा कर के जरिए एकीकृत बाजार कायम होने, निवेश और लाइसेंस जारी करने की नीति, दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता बनाये जाने, उत्पादक विनिवेश उपायों, और मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप/स्टैंड-अप इंडिया, सबके लिए आवास, शहरी नवीकरण व पुनर्जीवन कार्यक्रम और डिजिटल अवसंरचना तथा औद्योगिक गलियारे, स्वच्छ भारत व स्किल इंडिया जैसी पहलों समेत बुनियादी ढांचे के विकास की पहल को लेकर सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने पर है। मध्य यूरोप के देशों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को द्विपक्षीय आधार पर समर्थन देना जारी रखा जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक-दूसरे के उम्मीदवार को समर्थन देना भी शामिल है।

पश्चिमी यूरोप

भारत ने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड और हॉलैंड, जैसे पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ बहुआयामी संबंध जारी रखे। भारत के उपराष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित 12वीं एशिया-यूरोप बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रुसेल्स का दौरा किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शताब्दी समारोह में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और पेरिस पीस फोरम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यूरोप के चार देशों की यात्रा से वहां के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों समेत अनेक विषयों पर गहन विचार-विमर्श करने का अवसर मिला जिससे यूरोपीय संघ के साथ हमारे बढ़ते सामरिक संपर्क को और मजबूत बनाने में मदद मिली। भारत और फ्रांस ने 1998 में शुरू हुई सामरिक साझेदारी के 20 साल पूरे कर लिये हैं। इससे उनके द्विपक्षीय संबंध विकसित और घनिष्ठ हुए हैं तथा कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देश एक जैसे विचार रखते हैं। प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैनिक परमाणु सहयोग भारत और फ्रांस की सामरिक साझेदारी में प्रमुख स्तंभ हैं।

भारत और फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस (आईएसए) और चिरस्थाई विकास व प्रगति समेत नये क्षेत्रों, जैसे हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ता जा रहा है। 2018 में भारत और जर्मनी के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की रफ्तार बनी रही। केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर दोनों ही तरफ से लगातार दौरे जारी रहे और व्यापार व निवेश, विनिर्माण, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना, नवाचार, रक्षा सहयोग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विचार-विमर्श और सहयोग जारी रहा।

भारत और इटली ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के सिलसिले में दोनों देशों में पूरे साल अनेक कार्यक्रम आयोजित किये। भारत और ब्रिटेन के बीच बहआयामी सामरिक साझेदारी में प्रधानमंत्री की लंदन यात्रा से नया उत्साह दिखाई दिया। तीन साल के अंतराल में यह प्रधानमंत्री स्तर की तीसरी यात्रा थी। यात्रा

के दौरान साइबर संबंधों के ढांचे, गंगा नदी की सफाई, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग, पशुपालन के क्षेत्र में सहयोग, मात्स्यिकी व दुग्ध उत्पादन, अपराधियों का रिकॉर्ड साझा करने, न्यूटन-भाभा कार्यक्रम के अंतर्गत मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और आयुर्वेद व पारम्परिक भारतीय औषधियों के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के दस समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर दस्तखत किये गये।

यूरोपीय संघ

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग का बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचा मौजूद है जिसके जरिए वर्ष 2000 से शिखर स्तर की बैठकें आयोजित की जाती रही हैं। दोनों के संबंधों के दर्जे को वर्ष 2004 में बढ़ाकर 'सामरिक साझेदारी' के स्तर का किया गया। आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच 30 वार्ता प्रणालियां हैं जो आपसी हित के विभिन्न प्रकार के व्यापक मुद्दों से संबंधित हैं। 2018 का साल सभी मानकों से भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी की दृष्टि से बड़ा घटनापूर्ण रहा। यूरोपीय संघ भारत के लिए एक नया रणनीति-पत्र लेकर आया जिसमें एक विस्तृत फलक को शामिल किया गया और अगले 10-15 साल में निपटाए जाने वाले मुद्दे निर्धारित किये गये थे। 2018 में मंत्रिस्तरीय विभिन्न यात्राओं के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, हॉलैंड और पुर्तगाल के साथ शिखर स्तर की वार्ताएं आयोजित की गईं जिससे पहले से मजबूत दोस्ती में और भी मजबूती आई।

अमरीका

उत्तर अमरीका

2018-19 में अमरीका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई दी और कनाडा के साथ संबंधों में सतत विकास हुआ। भारत, अमरीका और जापान के नेताओं का पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया। भारत-अमरीका मंत्रिस्तरीय 22 वार्ता ने विदेश नीति, प्रतिरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में गहन विचार-विमर्श और परिणामों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं के अमरीकी व्यापार में सामरिक व्यापार प्राधिकृत करने वाले टीयर-1 साझेदार के रूप में भारत का दर्जा बढ़ाया जाना उसे होने वाले फायदों का संकेत देता है। इससे भारत अमरीका का प्रमुख प्रतिरक्षा साझेदार बन गया है जिससे दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवाद की क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने में अमरीका के साथ तालमेल रखने में काफी सुधार होने की संभावना बन गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भारत-कनाडा सामरिक वार्ता ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने में कई क्षेत्रों में कामकाजी सहयोग को बढ़ावा दिया है।

लैटिन अमरीका

भारत लैटिन अमरीका और कैरीबियाई क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को बड़ा महत्व देता है। सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से भारत से जुड़े वहां के 10 लाख से अधिक भारतवंशी हमारे संबंधों को विशेष आयाम देते हैं। 2018 में इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध राजनीतिक संवाद और व्यापारिक व वाणिज्यिक संपर्क, दोनों ही लिहाज से सुदृढ़ हुए। अति विशिष्ट व्यक्तियों ने एक-दूसरे देश की यात्राएं और वार्ताएं कीं। भारत और लैटिन अमरीकी देशों के नेताओं के बीच नियमित रूप से संदेशों के आदान-प्रदान से घनिष्ठ संपर्क बनाने में मदद मिली।

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन

2018 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन और राष्ट्रमंडल सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय संवाद जारी रखा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय शिष्टमंडल ने लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने बाकू में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें मंत्रिस्तरीय मध्यकालीन सम्मेलन में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में भी विदेश मंत्री ने उच्च-स्तरीय खंड में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

भारत और शांति स्थापना

भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत विश्व स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्राथमिकता देने की मांग पर जोर देना जारी रखा। यह बात बार-बार रेखांकित की गई कि अंतरराष्टीय समुदाय को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी उपायों में सहयोग करके अपने कानूनी ढांचे को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर विस्तृत संधि की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा ढांचों में अधिक पारदर्शिता हो और वे अधिक कारगर भी हों।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैनिकों का योगदान करने वाला देश बना हुआ है। 1950 के दशक में उसने 2,00,000 से अधिक सैनिक और पुलिसकर्मी संयुक्त राष्ट्र को उपलब्ध कराए। 31 अक्तूबर, 2018 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने वाला चौथा सबसे बड़ा देश था और उसके 6,608 कर्मी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के नौ मिशनों में कार्यरत थे। भारत को 2019-21 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित किया गया। अठारह देशों के उम्मीदवारों में से भारत के उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिले। भारत को 2019-22 के लिए फिर से गैर-सरकारी संगठनों की कमेटी के लिए भी निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा उसे संयुक्त राष्ट्र के पांच संगठनों-अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग (2019-21), यूएनडीपी/यूएनएफपीए/यूएनओपीएस (कार्यकाल 2019-21), यूएन-वूमन (यूएन-वूमन के कार्यपालक बोर्ड के लिए, कार्यकाल 2019-21), जनसंख्या और विकास आयोग (कार्यकाल 2018-21), और सामाजिक विकास आयोग (कार्यकाल 2018-21) के लिए भी चुना गया है। भारत को 2019-2022 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन परिषद के सदस्य के रूप में भी फिर से चुन लिया गया।

राज्य प्रभाग

विदेश मंत्रालय का राज्यों से संबंधित एक प्रभाग भी है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और पोस्ट्स तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ संपर्क कायम करना था। प्रभाग ने द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में प्रांतीय और क्षेत्रीय सहयोग के जरिए राज्यों के विदेशी संपर्क बढ़ाने का सफल प्रयास किया। प्रभाग राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और विदेशी शहरों के बीच सहयोगी शहर/सहयोगी राज्य संबंधी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने में मदद करता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विदेशी संपर्क बढाने के लिए प्रभाग ने राज्यों के विभिन्न आयोजनों में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। इस तरह के आयोजन में दुनिया भर के निवेशकों के सम्मेलन और राज्यों के विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल हैं जिनसे भारत के राज्यों को विदेशों में अपने प्रचार-प्रसार का अवसर प्राप्त होता है। प्रभाग ने मुसीबत में फंसे विदेशियों को सहायता दी और इस तरह की घटनाओं की वजह से विदेशों में भारत की छवि धूमिल नहीं होने दी।

आतंकवाद का मुकाबला

2017 में विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न घटनाओं की पृष्ठभूमि में अनेक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय और बहपक्षीय बैठकों में आतंकवाद के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इस तरह की बातचीत से भारत ने आतंकवाद और उसके विभिन्न रूपों और प्रकारों की कड़ी निंदा की और विश्व स्तर पर इस खतरे का मुकाबला करने का आह्वान किया।

वैश्विक साइबर मुद्दे

राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से साइबर मुद्दे दुनिया भर में राजनयिक विचार-विमर्श के महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन गये हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने वैश्विक साइबर मुद्दों से संबंधित प्रकोष्ठ का विस्तार किया है ताकि इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों का अनुमान लगाने और उनकी रक्षा के लिए नये साइबर राजनय प्रभाग का गठन हो सके।

कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं

हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी करना विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सेवा बनकर सामने आया है। मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने में कई संख्यात्मक और गुणात्मक सुधार किये हैं।

भारतीय पासपोर्ट (इसके अलावा पहचान प्रमाणपत्र, भारत वापसी के लिए आपात प्रमाणपत्र, पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र और जम्म और कश्मीर में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट) जैसे दस्तावेज विदेश मंत्रालय के केंद्रीय पासपोर्ट डिविजन और भारत भर में फैले इसके 36 पासपोर्ट कार्यालयों, कांसुलर पासपोर्ट और वीजा प्रभाग (जो सिर्फ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट बनाता है) तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा जारी किये जाते हैं। इस नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया गया गया है और इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाक विभाग के सहयोग से 263 पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट कार्यालयों की विस्तारित शाखाओं के रूप में जोड़े गये हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (ओ.सी.आई.) कार्ड, आपात प्रमाणपत्र और अन्य विविध कांसुलर सेवाओं के साथ-साथ काउंसलर दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विदेशों में 184 भारतीय मिशनों/पोस्ट्स द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2018 के दौरान विदेश मंत्रालय ने भारत में 1.21 करोड़ पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई की जबकि 2017 में 1.17 करोड़ पर कार्रवाई की गई थी। इस तरह पासपोर्ट आवेदनों की संख्या में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा विदेशों में स्थित 184 भारतीय दूतावासों/कार्यालयों ने करीब 11,63,026 पासपोर्ट जारी किये यानी 2018 में भारत सरकार ने कुल 1,24,17,733 पासपोर्ट जारी किये। दिसंबर 2018 में 7.96 करोड़ नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट थे। विश्व में पासपोर्ट जारी करने के मामले में आज भारत चीन और अमरीका के बाद तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय ने डाक विभाग के सहयोग से देश में मुख्य डाकघरों (एच.पी.ओ.)/डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की अभिनव पहल की है जिन्हें पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और पासपोर्ट सेवा के लिए मुलाकात का समय तय करने के लिए 2018 में अतिरिक्त सेवाओं वाला एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप शुरू किया गया। यह एंड्रोइड और आईओएस प्लेटफार्स पर उपलब्ध है। अब नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर और प्रिंटर तक पहुंच होने की जरूरत नहीं रह गई है। जून 2018 से कोई भी आवेदक भारत में किसी भी स्थान से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। 2018 में इस योजना के तहत एक लाख आवेदन भरे गये। नागरिकों की सुविधा की इस पहल से आवेदक अपनी सुविधा के पासपोर्ट कार्यालय का चयन कर सकते हैं। इस तरह कोई भी नागरिक अपनी पसंद के पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.एस.के)/पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.) से आवेदन कर सकते हैं (चाहे उसका आवेदन में प्रदर्शित निवास का वर्तमान पता चुने गये आर.पी.ओ. के अंतर्गत आता हो या नहीं)। पुलिस सत्यापन उस थाने द्वारा किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवेदन में उल्लिखित पता आता है और पासपोर्ट भी उसी पते पर भेज दिया जाएगा।

प्रवासी भारतीय मामले

प्रवासी भारतीय मामले प्रभाग सीमा विहीन विश्व में विकास की परिकल्पना से प्रेरित है। इसके जरिए भारतवंशियों को भारत से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और उस संस्थागत ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाता है जिसके जरिए विदेश में रहने वाले भारतीयों की सहायता और उनके कल्याण की व्यवस्था की जाती है। प्रभाग भारतवंशियों से संबंधित तमाम मामलों में जानकारी, साझेदारी और सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रभाग ऐसे कई प्रयासों में भी लगा है जिनका संबंध भारतवंशियों से है जो व्यापार व निवेश बढ़ाने, आप्रवासन, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए हैं। भारतवंशियों के साथ संपर्क और संवाद बढ़ाने के उद्देश्य की केंद्र की प्रतिबद्धता के तहत 2018-19 में जो प्रमुख पहल की गईं उनमें विदेश संपर्क बढ़ाने का कार्यक्रम, नो इंडिया (भारत को जानो) कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, भारतवंशियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा सुरक्षित और कानून सम्मत प्रवास के लिए जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

19 उद्योग

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग का इसमें विलय करके इसका पुनर्गठन किया गया था। इससे पहले अक्टूबर, 1999 में लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग (एसएसआई एंड एएंडआरआई) तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम (एचआईएंडपीई) के लिए अलग मंत्रालय बनाए गए थे। इस विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और जनवरी, 2019 में इसका नाम बदल कर डीपीआईआईटी कर दिया गया। वर्ष 2018 में ई-कॉमर्स से संबंधित मामले इस विभाग को हस्तांतरित किए गए थे और वर्ष 2019 में आंतरिक व्यापार, व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण और स्टार्ट-अप्स से संबंधित मामलों का प्रभार इस विभाग को दिया गया।

यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण से संबंधित मामलों और आईपीआर से संबंधित छह अधिनियमों को भी संचालित करता है। यह विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और एनआरआई द्वारा निवेश से संबंधित मामलों को भी देखता है, और देश के औद्योगिक विकास में निवेश का संवर्धन करता है। अमरीका, यरोप, सीआईएस देशों, अफ्रीका और मध्य पर्वत एशिया और ओशियाना से उत्पन्न मामलों के संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और औद्योगिक संवर्धन को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है।

विभाग की भूमिका और उसके कार्यों में मुख्य रूप से जो बातें शामिल हैं, वे इस प्रकार है: (क) विकास की जरूरतों और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप उद्योग के लिए औद्योगिक नीति एवं रणनीतियों का निरूपण और उसे लागू करना; (ख) सामान्य रूप से औद्योगिक वृद्धि और विशेष रूप से निर्दिष्ट उद्योगों के कामकाज पर नजर बनाए रखना। इसमें सभी औद्योगिक व तकनीकी मामलों पर सलाह देना भी शामिल है; (ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का निरूपण करना और एफडीआई को प्रोत्साहन और स्वीकृति देने के साथ ही उसे सुगम बनाना; (घ) पेट ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन एवं वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों और उसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों के प्रशासन में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निर्माण।

यह विभाग मुख्य रूप से औद्योगिक वृद्धि एवं उत्पादन और विशेष रूप से चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे- सीमेंट, कागज़ व लुगदी, चमड़ा, टायर व रबर, हल्के इलेक्ट्रिकल उद्योगों, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, हल्के यांत्रिक औजारों, हल्के औद्योगिक मशीनों, हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों आदि पर नजर रखने का काम करता है। औद्योगिक क्षेत्र की निगरानी और समय-समय पर उसकी समीक्षा से प्राप्त नीतिगत जानकारियों के आधार पर उसमें समुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। यह विभाग कुछ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकीगत विकास के लिए जरूरी बातों का अध्ययन करता है, उनका आकलन करता है और पूर्वानुमान लगाता है। इस आधार पर वह भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीकी सुधार की योजना बनाता है ताकि वह औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

औद्योगिक विकास एवं निवेश को सुगम बनाने की अपनी भूमिका को निभाते हुए यह विभाग देश में निवेश के वातावरण और अवसरों पर सूचनाओं के प्रसार के जरिए निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। साथ ही इसके लिए संभावित निवेशकों को लाइसेंस की नीति एवं प्रक्रिया, विदेशी सहयोग और पूंजीगत माल आदि के बारे में सलाह भी देता है। यह विभाग पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियों का निरूपण भी करता है और उनके उन्नयन व संरक्षण से संबंधित प्रयासों का भी निरीक्षण करता है।

औद्योगिक साझेदारी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही तरह की बातचीत के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। इंडो-स्वीडिश, इंडो-लीबियन, इंडो-हंगेरियन और इंडो बेलारूस संयुक्त आयोगों के लिए एक नोडल विभाग होने के साथ ही कुछ चुनिंदा देशों के साथ संयुक्त आयोगों और संयुक्त कार्य समूहों में यह विभाग प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय संघ के साथ भी यही व्यवस्था अपनाई जाती है।
वेबसाइट: www.dipp.nic.in

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

विनिर्माण क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए और उसे जरूरी बल देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की गई, जिसका उद्देश्य एक दशक में जीडीपी में विनिर्माण का योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक पहुंचाना और 10 करोड़ से अधिक रोज़गार का सृजन करना था। यह नीति राज्यों के साथ मिलकर औद्योगिक विकास करने के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्र सरकार इसके लिए नीतिगत रूपरेखा विकसित करेगी, उपयुक्त वित्तीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहन देगी और राज्य सरकारों को इनकी योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमज़ेड) इस नीति की प्रमुख विशेषता है। इन क्षेत्रों की परिकल्पना एक विशाल समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में की गई है, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं होंगी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा वाली तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचा होगा और कौशल विकास की सुविधाएं होंगी ताकि विनिर्माण वाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जा सके।

विनिर्माण के केंद्र

विनिर्माण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक केंद्रों के विकास के तमाम मॉडलों को एक साथ जोड़ना है ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और लागत को कम किया जा सके। इसका अनुसरण करते हुए डीआईपीपी ने एक औद्योगिक सूचना सिस्टम (यूआरएल: www.ncog.gov.in/IIS) विकसित किया है। यह एक वेब पोर्टल है जो वर्तमान में मौजूद सभी औद्योगिक केंद्रों/मंडलों/पार्कों के अलावा भविष्य के ऐसे केंद्रों की सूचनाओं को ग्रहण करता है। इस सिस्टम को बीआईएसएजी द्वारा विकसित जीआईएस लेयरों पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में विकसित किया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नीति बनाने के मामले में डीपीआईआईटी एक नोडल विभाग है। यह भारत में भेजी गई रकम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर एफडीआई के डाटा के रखरखाव और प्रबंधन का काम भी देखता है। अधिक के अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए एक उदार नीति बनाई गई है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई को स्वतः अनुमति दी गई है। हाल के दिनों में इस नीति के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एफडीआई के मामले में लगातार एक आकर्षक स्थान बना रहे।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के विघटन के बाद एफडीआई को मंजूरी देने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है जिसमें एफडीआई के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग और एफडीआई व एफईएमए (फेमा) की मौजूदा नीति के तहत सरकार की मंजूरी का काम संबंधित मंत्रालय/विभाग देखता है। बहरहाल, डीपीआईआईटी सरकार का एकल सेवा केंद्र है, जो निवेशकों के लिए एफडीआई को सुगम बनाने का काम करता है। इसके लिए एक नया पोर्टल (http://www.fifp.gov.in) बनाया गया है जिसका संचालन यह विभाग करता है और आवेदनों को मंजूरी दिलाने की सुविधा देता है। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, नॉन-रेजिडेंट इंडियन/ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स निवेशों से संबंधित मंजूरियों के लिए डीपीआईआईटी एक नोडल विभाग है। पूंजीगत माल, मशीनरी, प्री-ऑपरेटिव और प्री-इनकॉरपोरेशन खर्चों के बदले में शेयर जारी करने से संबंधित मामले भी डीआईपीपी देखता है।

निवेश संवर्धन

यह विभाग देश में निवेश के वातावरण और अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित करके निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा वह संभावित निवेशकों को निवेश की नीतियों, प्रक्रियाओं और अवसरों के बारे में सलाह देने का काम भी करता है। औद्योगिक साझेदारियों के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल किए जाते हैं। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के जरिए औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंवेस्ट इंडिया (राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुगमता एजेंसी), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचेम) आदि जैसे सर्वोच्च औद्योगिक संघों के साथ सहयोग करता है ताकि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को गति प्रदान की जा सके।

मेक इन इंडिया

इस पहल को सितंबर, 2014 में भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश स्थल बनाने तथा विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम चार स्तंभों, यथा: नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र और नए विचार पर आधारित है। यह पहल सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के समेकन से बनाई गई है। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और सेवाओं को कवर करते हुए 21 क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाएं बनाई गई थीं। इन कार्य योजनाओं में बुनियादी ढांचे के सृजन की पहल, कारोबार करने में आसानी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय प्रोत्साहन और कौशल विकास शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत अब 27 क्षेत्रों-जिनमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। विनिर्माण क्षेत्रों के लिए सैक्टोरल प्लान को डीपीआईआईटी में समन्वित किया जाता है, जबकि सेवाओं के लिए सैक्टोरल प्लान को चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल के साथ मिलाकर वाणिज्य विभाग द्वारा समन्वित किया जाता है।

सार्वजनिक अधिप्राप्ति

सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 (पीपीपी-एमआईआई आदेश) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 153 (iii) का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के समर्थकारी प्रावधान के रूप में 2017 को जारी किया गया था।

यह आदेश केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों तथा कंपनी अधिनियम में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों (टर्न की कार्यों सहित) की खरीद पर लागू है।

पीपीपी-एमआईआई आदेश के अंतर्गत, आदेश के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए डीपीआईआईटी में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। पीपीपी-एमआईआई आदेश के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए विभाग में एक सार्वजनिक खरीद प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है, संबद्ध उत्पाद श्रेणियों हेतु न्यूनतम स्थानीय वस्तुएं अधिसूचित करने के लिए 19 नोडल विभाग नामित किए गए हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

देश में व्यवसाय के वातावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से डीपीआईआईटी ने विनियामक प्रक्रियाओं (पंजीकरण एवं निरीक्षण प्रक्रियाओं) को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं तथा प्रशासन को और अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाने वाले कारक के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है। विश्व बैंक की वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2019 में भारत का 77वां स्थान है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देशों को डिस्टेंस टू फ्रंटियर के आधार पर रैंकिंग में स्थान देती है, जो एक पूर्णांक है, जो 10 विशिष्ट संकेतकों पर भारत और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बीच अंतर को मापता है। भारत के पूर्णांक में सुधार हुआ है जो डीबीआर 2018 के 60.76 से बढ़कर डीबीआर 2019 में 67.23 हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उपायों तथा 10 संकेतकों यथा व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट संचालन, विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण, क्रेडिट प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण, कर भुगतान, विदेश व्यापार, संविदा प्रर्वतन तथा

दिवालियापन का समाधान आदि के आधार पर राष्ट्र की रैंक को मापता है। इन प्रयासों की कवरेज का विस्तार करने की प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया गया है। डीपीआईआईटी व्यवसाय करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और समग्र व्यवसायिक माहौल में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और प्रशासनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। डीपीआईआईटी में तत्काल आधार पर सुधारों के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। यह www.eodb.dipp.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जुलाई, 2018 को व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2017-18 का मूल्यांकन जारी किया गया था जो www.eodb.dipp.gov.in पर उपलब्ध है। 80 बिंदुओं वाली एक व्यवसाय सुधार कार्य योजना तैयार की गई है तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई है।

स्टार्ट-अप इंडिया

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक सशक्त तथा समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 2016 में आरंभ की गई स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत उद्यमियों को सहायता प्रदान करने, एक सुदृढ़ स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के निर्माण तथा भारत को रोजगार खोजने वालों के स्थान पर रोजगार सृजन करने वालों के देश में रूपांतरित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इन कार्यक्रमों को एक समर्पित स्टार्ट-अप इंडिया टीम द्वारा संचालित किया जाता है, जो डीपीआईआईटी को रिपोर्ट करती है। स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अंतर्गत, पात्र कंपनियां कर लाभ, अनुपालन में आसानी, आईपीआर में शीघ्रता तथा अन्य लाभों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती हैं।

इंवेस्ट इंडिया

इंवेस्ट इंडिया की स्थापना डीआईपीपी, फिक्की, सीआईआई, नैसकॉम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उपक्रम (लाभ के लिए नहीं) के तौर पर की गई है। इंवेस्ट इंडिया एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सहयोग एजेंसी है जो निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के तौर पर काम करती है। यह निवेशकों के लिए व्यापार की परिस्थितियों को आसान बनाकर देश में निवेश के वातावरण को क्रांतिकारी रूप से अनुकूल बना रही है। विभिन्न देशों, राज्यों और क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले इसके विशेषज्ञ उनके निवेश जीवनचक्र 'निवेश-पूर्व से लेकर बाद के देखभाल तक' में निवेशकों की सहायता करते हैं। यह उपक्रम कई रूपों में सहयोग करता है जैसे- बाज़ार में प्रवेश की रणनीतियां बनाना, उद्योग का गहन विश्लेषण करना, साझेदार की खोज करना और निर्णय लेने वालों के साथ स्थान आकलन नीति पर चर्चा करना।

परियोजना निगरानी- इन्वेस्ट इंडिया प्रकोष्ठ

परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को वर्ष 2013 में कैबिनेट सचिवालय में गठित किया गया था और हाल ही में 2019 से इसे डीपीआईआईटी में शामिल कर लिया गया है जिसे इन्वेस्ट इंडिया द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। पीएमजी को अब परियोजना निगरानी- इन्वेस्ट इंडिया प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। यह एक संस्थागत प्रणाली है जो स्थापना करने के मामलों का समाधान करने और तेजी से उनकी ट्रैकिंग करने तथा बड़े सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को शीघ्रता से स्थापित करने में सहायता करती है। 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित मूल्य (अब इस अधिकतम सीमा को घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है) की किसी परियोजना को पूरा करने में विलंब उत्पन्न करने वाले अथवा ऐसी संभावना वाले मुद्दों को कोई भी निवेशक पीएनआईसी के समक्ष इस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, जो केंद्र अथवा राज्य सरकारों में स्थित संबंधित अधिकारियों के समक्ष इन्हें उठाएगा।

अनुसंधान पार्क

आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर, आईआईएससी बंगलुरु, गांधीनगर, दिल्ली और मुंबई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग के बीच संयुक्त शोध एवं विकास (आरएंडडी) के माध्यम से नए सफल प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके।

जैव-तकनीकी में स्टार्टअप को प्रोत्साहन

जैव-उद्यमिता, बायो-क्लस्टर्स, बायो-इनक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज़ (टीटीओ) और बायो-कनेक्ट कार्यालय देशभर के शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जैव-तकनीकी के स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए प्रारंभिक कोष और इक्विटी फंडिंग मुहैया कराया जा रहा है।

मोबाइल एप और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल

स्टार्टअप इंडिया वेब पोर्टल और मोबाइल एप 2016 से विकसित और संचालित किए गए हैं।

स्टार्ट-अप इंडिया हब

स्टार्ट-अप से संबंधित तमाम सवालों का जवाब आसानी से पाने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया हब शुरू किया गया था। इसे डिजिटल विस्तार देने के लिए एक इंटेलीजेंट ऑनलाइन हब 2017 में चालू किया गया था जो एक प्लेटफार्म की तरह काम करेगा जहां स्टार्टअप से जुड़े सभी पक्ष अपने-अपने प्रयासों में आपसी सहयोग बना सकेंगे।

बौद्धिक संपदा अधिकार

डीपीआईआईटी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों- पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटिड सर्किट लेआउट डिजाइन के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। डीपीआईआईटी मंत्रिमंडल आदि के लिए आईपीआर की दृष्टि से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किए जाने वाले एमओयू तथा आईपीआर संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पुनरीक्षण भी करता है। डीपीआईआईटी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से संपर्क करने के लिए नोडल विभाग भी है। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) का कार्यालय, डीपीआईआईटी के तहत अधीनस्थ कार्यालय है, जो पेटेंट प्रदान करने तथा ट्रेडमार्क, डिजाइन और भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण से संबंधित सांविधिक कार्य करता है। कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रशासन कॉपीराइट कार्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जो सीजीपीडीटीएम के अंतर्गत कार्य करता है। इसके कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं, जबकि केंद्रीय आईपी प्रशिक्षण अकादमी नागपुर में स्थित है। 2003 में स्थापित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) पेटेंट नियंत्रक के साथ-साथ ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतकों के पंजीयक के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने वाला अपीलीय ट्राइब्यूनल है। वित्त अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कॉपीराइट बोर्ड का भी आईपीएबी में विलय कर दिया गया है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है।

राष्ट्रीय आईपीआर नीति

राष्ट्रीय आईपीआर नीति भारत में बौद्धिक संपदा के लिए भावी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह नीति भारत में मौजूद रचनात्मक और नई सोच की प्रचुरता को स्वीकार करती है तथा सभी के बेहतर और उज्ज्वल भविष्य के लिए इस ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता को समझती है। यह एक विजन दस्तावेज है जिसका लक्ष्य सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा (आईपी) संबंधी व्यवस्था और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा इसका सदुपयोग करना है। यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करती है। इसका लक्ष्य विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को भारतीय परिवेश के अनुरूप शामिल करना तथा अपनाना है। यह नीति अभिनव-समावेशी वातावरण का निर्माण करने में सरकार, अनुसंधान और विकास संगठनों, शिक्षण संस्थाओं, एमएसएमई सहित कॉरपोरेट कंपनियों, स्टार्ट-अप्स और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाएगी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही देश में स्थिर, पारदर्शी और सेवा-उन्मुखी आईपीआर प्रशासन मिलेगा।

यह नीति स्वीकार करती है कि भारत में आईपीआर की सुरक्षा के लिए टीआरआईपीएस के अनुकूल सुव्यवस्थित विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक फ्रेमवर्क मौजूद हैं, जो इसकी विकास संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उपलब्ध लचीलेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करते हैं। यह दोहा विकास एजेंडा तथा टीआरआईपीएस समझौते के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराती है।

इस नीति के निम्नलिखित सात उद्देश्य हैं: (i) आईपीआर जागरुकताः पहुंच और संवर्धन-समाज के सभी वर्गों में

आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना, (ii) आईपीआर सृजन-आईपीआर सृजन को प्रोत्साहन देना, (iii) विधिक और विधायी फ्रेमवर्क-सशक्त और प्रभावी आईपीआर कानून बनाना जो व्यापक जनहित के साथ-साथ अधिकार-स्वामियों के हितों के बीच संतुलन बनाए रख सके, (iv) प्रशासन और प्रबंधन-सेवा-उन्मुख आईपीआर प्रशासन को आधुनिक एवं सशक्त बनाना, (v) आईपीआर का वाणिज्यीकरण-वाणिज्यीकरण के माध्यम से आईपीआर के महत्व को समझना, (vi) प्रवर्तन और न्याय-आईपीआर के उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाना, (vii) मानव पूंजी विकास-आईपीआर संबंधी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों, संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत करना और उनका विस्तार करना।

उत्पादकता एवं गुणवत्ता

डीआईपीपी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता के संवर्धन एवं गुणवत्ता के लिए एक केंद्रीय (नोडल) विभाग है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ), जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। एनपीसी विशेष परामर्श, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ सम्मेलनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि लाने का काम देखता है। इसके अलावा वह उत्पादकता से संबंधित अनुसंधान, निरीक्षण, सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन और एपीओ के सहयोग से सूचनाओं के प्रसार का काम भी देखता है।

इस विभाग के अधीन एक अन्य स्वायत्त संस्था भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बॉडीज़ (एनएबीसीबी) द्वारा मान्यता सेवाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम्स (आईएसओ 9001 सीरीज), पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम्स (आईएसओ 14001 सीरीज), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम्स (आईएसओ 22000 सीरीज), उत्पाद प्रमाणीकरण और निरीक्षण संस्थाओं के संबंध में गुणवत्ता के मानदंडों को अपनाने का प्रोत्साहन देता है। एनएबीसीबी के अलावा चार अन्य बोर्ड भी हैं जैसे नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी), नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच), नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लेबोरेट्रीज़ (एनएबीएल) और नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन (एनबीक्यूपी) जो क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य और क्वालिटी प्रोत्साहन को मान्यता प्रमाणपत्र देते हैं।

औद्योगिक/आर्थिक गलियारे

औद्योगिक विकास, आय और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक/आर्थिक गलियारों का विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) की परियोजना 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच तैयार हुए एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) के आधार पर शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत दादरी (उत्तर प्रदेश) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), नवी मुंबई के बीच 1504 किमी. लंबे वेस्टर्न डेडीकेटेड रेल फ्रेट कॉरीडोर के दोनों तरफ डीएमआईसी को विकसित किया जा रहा है।

चेन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा

चेन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) का उद्देश्य एक सर्वांगीण दृष्टिकोण रखते हुए बुनियादी ढांचागत समस्याओं को दूर करना है। साथ ही सीबीआईसी से जुड़े दोनों राज्यों की विशेषताओं का पूरा लाभ उठाना है।

बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा

बंगलुरु-मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) का उद्देश्य एक सुनियोजित और संसाधन-संपन्न औद्योगिक केंद्र विकसित करना है जहां विश्व स्तर की संपर्क सुविधाएं हों और जिनसे नए प्रयोग, विनिर्माण, रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही दोनों ही राज्यों को संसाधन की सुरक्षा मिल सके।

अमृतसर-कोलकाता आर्थिक गलियारा

उत्तरी और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बल देने के लिए सरकार अमृतसर-कोलकाता आर्थिक गलियारा (एकेआईसी) बनाने का काम शुरू करना चाहती है। इसे ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी) के आस-पास एक मेरुदंड के तौर तैयार किया जाएगा।

वाईजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) भारत के पहले समुद्र-तटीय गलियारा पूर्वी समुद्र-तटीय आर्थिक गलियारा कॉरीडोर (ईसीईसी) का एक मुख्य हिस्सा है। वीसीआईसी स्वर्णिम चतुर्भुज के सीध में बनाया जा रहा है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन न्यास

डीएमआईसी परियोजना की सफलता और उसके महत्व को देखते हुए चार अन्य औद्योगिक गलियारों की घोषणा की गई, जिनके नाम हैं अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी), बंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी), चेन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) और ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक गलियारा जिसमें विकास के शुरुआती चरण के तौर पर विज़ाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारे (वीसीआईसी) को विकसित किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय डिजाइन नीति

राष्ट्रीय डिजाइन नीति का अनुमोदन 2007 में किया गया था। इस नीति के विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: (1) सुपरिभाषित और व्यवस्थित विनियामक, संवर्धक और संस्थागत फ्रेमवर्क के जरिए भारतीय डिजाइन को बढ़ावा देना, (2) ऑटोमोबाइल और परिवहन, आभूषण, चमड़ा, सॉफ्ट गुड्स, डिजिटल उत्पाद, खिलौने और गेम्स जैसे क्षेत्रों के लिए के लिए विशिष्ट डिजाइन केंद्रों अथवा इनोवेशन हब की स्थापना करना जो स्टार्ट-अप डिजाइन वाले उद्यमों और युवा डिजाइनरों की डिजाइनर फर्मों/हाउसेज के लिए उद्यम निधीयन और बाजार विकास सहायता जैसे तंत्रों के जरिए उद्यम इनक्यूबेशन के साथ-साथ वित्तीय सहायता सहित सामान्य सुविधाएं और त्वरित उत्पाद विकास, उच्च कार्य निष्पादन आदि जैसे समर्थित साधन उपलब्ध कराएंगे, (3) चुनिंदा स्थानों/औद्योगिक क्लस्टरों/पिछड़े राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में डिजाइन केंद्रों/इनोवेशन हब की स्थापना के लिए स्कीम बनाना, (4) भारत के सभी क्षेत्रों में डिजाइन संबंधी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार के मद्देनजर मौजूदा डिजाइन संस्थानों खासतौर पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और इसके नए परिसरों/केंद्रों और संकाय संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन करने पर विशेष ध्यान देना, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनआईडी की तर्ज पर देश के विभिन्न हिस्सों में चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों की स्थापना की जाएगी। (5) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के साथ-साथ निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित संस्थान, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में भी डिजाइन विभाग की स्थापना को बढ़ावा देना, (6) डिजाइन व्यवसायों के पंजीकरण और इस पेशे की मानक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मामलों को प्रशासित करने के लिए चार्टर्ड सोसायटी फॉर डिजाइनर (इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टिट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट, चिकित्सा परिषद, बार काउंसिल आदि की तर्ज पर) की स्थापना करना; (7) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलाकर भारतीय डिजाइन परिषद (आईडीसी) की स्थापना करना।

एनआईडी द्वारा देशभर में कार्यान्वित की जा रही डिजाइन क्लिनिक स्कीम परियोजना का उद्देश्य एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं में डिजाइन संबंधी कार्यक्रमों को शामिल करके उनकी विनिर्माण क्षमता को बेहतर बनाना और वैश्विक बाजार में उनके डिजाइन को ऊंचा दर्जा प्रदान करना है और इस प्रकार यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सहायता प्रदान करती है।

औद्योगिक प्रदर्शन

सरकार ने देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया', पहल और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' शामिल हैं

। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार लाने के लिए मौजूदा नियमों का सरलीकरण एवं युक्तिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का समावेशन, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना, ई-बिज पोर्टल का आरंभ और (एफडीआई) नीति का उदारीकरण तथा प्रक्रियाओं को उत्तरोत्तर सरल एवं उदार बनाया गया है। सरकार ने औद्योगिक शहरों के विकास के लिए विकसित जमीन और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशभर में पांच औद्योगिक गलियारों का निर्माण करने का कार्यक्रम शुरू किया है।

आठ मूलभूत उद्योगों का प्रदर्शन

आठ मूलभूत उद्योगों का सूचकांक (आईसीआई) हर महीने आठ मूलभूत या प्रमुख उद्योगों के कामकाज पर नजर रखता है। ये उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए आर्थिक सलाहकार कार्यालय और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन करके 2011-12 कर दिया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इन आठ उद्योगों का भार 42.27 प्रतिशत होता है।

चमड़ा उद्योग

चमड़ा उद्योग बड़ी मात्रा में उत्पादन, निर्यात से होने वाली आय और रोजगार देने की क्षमता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है। देश से चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के निर्यात में पिछले दो दशकों में संरचनात्मक परिवर्तन आया है। सरकार की नीति के तहत चमड़े के बेहतरीन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के कारण कुल निर्यात में चमड़े के जूते-चप्पलों, चमड़े के पोशाकों, चमड़े के सामान और चमड़े की अन्य वस्तुओं का हिस्सा बहुत अधिक बढ़ गया है।

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

भारतीय विकास कार्यक्रम का लक्ष्य चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के जरिए कच्चे माल का स्रोत बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी समस्याएं दूर करना, मानव संसाधन विकास, पारंपरिक चमड़ा कारीगरों की सहायता करना, बुनियादी ढांचे की बाधाएं दूर करना और संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है।

सीमेंट उद्योग: सीमेंट देश में तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उद्योगों में से एक है। अर्थव्यवस्था के आवासीय और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास में इस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमेंट के मूल्य और वितरण का नियंत्रण 1989 से हटा दिया गया और सीमेंट उद्योग को औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत लाइसेंस से 1991 से मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद से सीमेंट उद्योग ने क्षमता/उत्पादन और प्रसंस्कर प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की है। भारत विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, जैसे सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी), पोर्टलैंड पोलोजना सीमेंट (पीपीसी), पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट (पीबीएफएस), ऑयल वेल सीमेंट, व्हाइट सीमेंट आदि। सीमेंट के ये प्रकार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीमेंट के स्तर की होती है। बीआईएस निशान के बिना सीमेंट को देश में बेचा नहीं जा सकता है। भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्विक प्रौद्योगिकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में कामयाब रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से उद्योग को ऊर्जा, ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करके अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है।

सिरेमिक उद्योग: सिरेमिक उद्योग लगभग 50 वर्ष पुराना है। इसमें सिरेमिक टाइल्स, सैनिटरीवेयर और क्रॉकरी शामिल है। सिरेमिक उत्पाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा बड़े एवं छोटे स्तर पर बनाए जाते हैं जिनके प्रकार, आकार, गुणवत्ता व मानक अलग-अलग होते हैं। टाइल्स के उत्पादन और उपभोग के मामले में चीन और ब्राजील के बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। टाइल्स के उत्पादन के लिए जरूरी अधिकतर कच्चा माल देश में ही उपलब्ध होने से टाइल उद्योग समय के साथ बदल रहा है, डिजाइन तथा विनिर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है और विश्वस्तरीय टाइल्स बनाने में सक्षम है।

टायर एवं ट्यूब उद्योग: टायर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों व माल की ढुलाई के आवागमन और परिवहन के

मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका प्रयोग ठेलों, ट्रैक्टरों, ट्रकों और बसों से लेकर एक्सप्रेस-वे पर दौड़ने वाली आधुनिक यात्री कारों में होता है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरी सभी प्रकार के टायर भारत में बनाए जाते हैं। इन टायरों में मोपेड के 1.5 किग्रा. के टायरों से लेकर अर्थमूवर्स के 1.5 टन वजन तक के टायर शामिल हैं। बायस प्लाई टायरों से लेकर मजबूत ऑल स्टील रेडियल ट्रक टायर और यात्री कारों के उच्च प्रदर्शन वाले रेडियल एवं ट्यूबलेस टायर तक शामिल हैं। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने हर प्रकार के उद्देश्य के लिए टायरों के निर्माण में स्वावलंबन प्राप्त कर लिया है। मानव जीवन व वाहनों की सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा 2009 में ऑटोमोटिव वाहनों के न्यूमैटिक टायर एवं ट्यूब के लिए गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश अधिसूचित किया गया। इस आदेश के तहत उन न्यूमैटिक टायरों और ट्यूबों के आयात, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध है जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर खरे नहीं उतरते और जिन पर मानक चिह्न अंकित नहीं हैं। भारतीय टायर उद्योग में 39 कंपनियां और 60 टायर विनिर्माण संयंत्र हैं। बड़ी टायर कंपनियां एमआरएफ लिमिटेड, अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, सिएट, गुडईयर, मोदी रबर आदि हैं। तीन भारतीय कंपनियां (एमआरएफ लिमिटेड, अपोलो टायर्स और जेके टायर्स) शीर्ष 25 वैश्विक टायर कंपनियों में गिनी जाती हैं।

रबर के सामान का उद्योग: टायर और टयब के अतिरिक्त रबर उत्पादों के उद्योग में 4,550 छोटी और अति छोटी इकाइयां हैं जो लगभग 5.50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं। रबर उद्योग विभिन्न कार के उत्पाद जैसे रबर के एप्रन, गर्भनिरोधक, फुटवियर, रबर होज, तार, जीन, बैटरी के डिब्बे, लेटेक्स उत्पाद, कन्वेयर बेल्ट, सर्जिकल दस्ताने, गुब्बारे, सांचे से बनी रबर की वस्तुएं आदि तैयार करता है। रबर का सामान बनाने वाले उद्योग में प्राकृतिक रबर, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रबर, कार्बन ब्लैक, रबर रसायन आदि मुख्य कच्चा माल होता है।

सिगरेट उद्योग: सिगरेट उद्योग कृषि आधारित श्रम केंद्रित उद्योग है। उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में सिगरेट भी शामिल है और इसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है।

पेंट एवं सहायक उत्पाद उद्योग: लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त पेंट एवं उसका सहायक उत्पाद उद्योग में मुख्य रूप से पेंट, इनेमल, वार्निश, रंजक, छपाई की स्याही, कृत्रिम रंग आदि से शामिल हैं। राष्ट्रीय संपदा को क्षरण से बचाकर ये अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उत्पादों को संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बनाया जाता है।

कांच उद्योग: कांच उद्योग लाइसेंस से मुक्त उद्योगों की श्रेणी में आता है। इसमें सात प्रकार के उत्पाद जैसे फ्लैट ग्लास (शीट, फ्लोट, फिगर्ड, वायर्ड, सेफ्टी, मिरर ग्लास), ग्लास फाइबर एवं ग्लास वूल, हालो ग्लासवेयर, लेबोरेटरी ग्लासवेयर, टेबल एवं किचन ग्लास वेयर, कांच की चूड़ियां और कांच के अन्य सामान आते हैं। भारत चपटे कांच उत्पादों की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारतीय निर्माताओं ने इसके नए बाज़ार तलाश लिए हैं। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र और सहयोगी उत्पादों की वृद्धि के कारण ग्लास फाइबर की मांग में काफी संभावनाएं हैं।

कागज़ उद्योग: भारत विश्व में कागज़ के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। ज्ञान के बढ़ते आधार और सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), विकलांगों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस), प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, शिक्षा का अधिकार और केंद्र सरकार छात्रवृत्ति एवं शिक्षा ऋण योजना के कारण कागज़ और दफ्ती की मांग बढ़ी है। इस उद्योग को जुलाई 1997 में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। मौजूदा नीति के अनुसार लुगदी और कागज़ क्षेत्र के में स्वतः मंजूरी के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। कागज़, गत्ता और अख़बारी कागज़ का निर्माण करने वाली लगभग 850 इकाइयां हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता करीब 250 लाख टन है जिसमें से करीब 35 लाख टन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भारत में कागज़ का प्रतिव्यक्ति उपभोग करीब 13 किग्रा है जो विश्व औसत (58 किग्रा) से काफी कम है। भारतीय कागज उद्योग बंटा हुआ है, जिसमें प्रतिदिन 0.5 टन से लेकर 1.500 टन तक उत्पादन करने वाली छोटी, मझोली और बड़ी कागज़ मिलें शामिल हैं। ये इकाइयां लकड़ी, कृषि अवशेष और पुराने कागज़ का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में करती हैं।

कागज़ एवं गत्ता क्षेत्र: देशी कागज़ एवं गत्ता क्षेत्र कागज़ के उन सभी प्रमुख प्रकारों का उत्पादन करता है जिनकी बाज़ार में मांग है जैसे लिखने एवं छपाई का कागज़ (38 प्रतिशत), पैकिंग श्रेणी का कागज़ (53 प्रतिशत), अख़बारी

कागज़ (8 प्रतिशत) तथा विशेष प्रकार का कागज़। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के कागज़ों जैसे कोटेड कागज़, सेक्युरिटी कागज़ और चेक आदि के कागज़ों का आयात किया जाता है।

अख़बारी कागज़: देश में अख़बारी कागज़ उद्योग को न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश (एनसीओ), 2004 से नियंत्रित किया जाता है। इस आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध मिलों को वास्तविक प्रयोग के अनुसार उत्पाद शुल्क से छूट मिलती है। इस समय एनसीओ की अनुसूची में 124 मिलें पंजीकृत हैं लेकिन सालाना 9.9 लाख टन स्थापित क्षमता के साथ केवल 35 मिलें ही अख़बारी कागज़ का उत्पादन कर रही हैं, 23 मिलों ने एनसीओ में सूचीबद्ध होने के बाद काम बंद कर दिया है और 89 मिलों ने अख़बारी कागज़ का उत्पादन रोक दिया है। देश में अख़बारी कागज़ की करीब आधी मांग आयात से पूरी की जा रही है।

नमक उद्योग: विश्व में नमक उत्पादन में चीन और अमरीका के बाद भारत का तीसरा स्थान है और हमारा वार्षिक उत्पादन 260 लाख टन है। आयोडीन-युक्त नमक के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आजादी के समय नमक की कमी और आयात के दौर को पीछे छोड़कर भारत सही नीतियों के चलते कुछ ही समय में काफी आगे आ चुका है। देश ने आत्मनिर्भरता (1953) में हासिल कर ली थी और निर्यात के बाज़ार में अपनी जगह बना ली थी। उसके बाद से देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

विस्फोटक: इस समय मझोले और लघु क्षेत्र में 74 कारखाने विस्फोटकों का उत्पादन कर रहे हैं। साइट मिक्स्ड विस्फोटक (एसएमई) इकाइयों को कुल 16,56,555.5 मीट्रिक टन विस्फोटकों की उत्पादन क्षमता का लाइसेंस प्राप्त है।

हल्का बिजली उद्योग: हल्के बिजली उद्योग एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत से विशिष्ट उत्पाद और सहायक उत्पाद शामिल हैं। इनमें बिजली के तार और केबल, ट्रांसमिशन टॉवर, क्रेन, लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ियां, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, स्टोरेज बैटरियां, ड्राइ सेल बैटरियां, बिजली के लैंप एवं ट्यूब आदि शामिल हैं।

बिजली के तार व केबल: बिजली के तार व केबल उद्योग देश में शुरू हुए कुछ सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। देश में बहुत तरह के बिजली के तारों और केबलों का निर्माण किया जाता है, जिनमें जेली से भरे टेलिफोन केबल जैसे-संचार केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, स्विचबोर्ड केबल, को-ऐक्सियल केबल, वीएसएटी केबल, इलेक्ट्रिक केबल, लचीले तार, कम वोल्टेज वाले बिजली के केबल और ईएचटी पॉवर केबल शामिल हैं।

पारेषण टॉवर: पारेषण टॉवर लंबी दूरी तक बिजली ले जाने वाली उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों को सहारा देते हैं। ये लाइनें सब-स्टेशनों में बिजली पहुंचाती हैं ताकि बिजली का वोल्टेज कम करके उपभोक्ताओं।तक पहुंचाई जा सक भारत में बड़े बिजली संयंत्र विशेषकर मेगा एवं अल्ट्रा मेगा बिजली संयंत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे जहां संख्या में कम लेकिन बिजली पैदा करने वाले बड़े स्टेशन होंगे, उसके साथ ही बिजली के पारेषण की मांग भी तेजी से बढ़ेगी।

क्रेन: भारी सामान उठाने के लिए लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में क्रेन की मांग होती है। देश में आज विभिन्न प्रकार की क्रेनें बनाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, मोबाइल क्रेन, लैडल क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, क्रैब क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन और कंट्रोलर क्रेन आदि शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों और निर्माण उद्योग में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि की अच्छी संभावनाएं हैं।

लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ियां: औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा बहुमंजिला इमारतों, अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले विशाल मॉल एवं सुपरमार्केट के निर्माण, हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में अत्यधिक निवेश के कारण लिफ्ट एवं स्वचालित सीढयों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में विभिन्न प्रकार के लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां बनाई जाती हैं। इनमें सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, गियरलेस, हाइड्रोलिक, सर्वो एवं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) एलीवेटर शामिल हैं।

रेफ्रिजरेटर: टेलीविजन को छोड़ दें तो रेफ्रिजरेटर भारत में उपभोक्ताओं की सर्वाधिक पसंदीदा उत्पाद रहा है। बाज़ार में विभिन्न प्रकार के ब्रांडों के आने से रेफ्रिजरेटर उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और उपभोक्ताओं के पास बहुत विकल्प आ गए हैं। देश में बनने वाले रेफ्रिजरेटरों में इस समय दो मूलभूत डिजाइनों का प्रयोग किया जा रहा

है। इन्हें सामान्य भाषा में डायरेक्ट कूलिंग एवं फ्रास्ट फ्री कहा जाता है। इन दिनों उपभोक्ताओं में फ्रास्ट फ्री का चलन बढ़ता जा रहा है। दोहरी आय वाले परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण 180 लीटर के पारंपरिक रेफ्रिटरेटरों के स्थान पर दो दरवाजों वाले 220 लीटर अथवा अधिक क्षमता के रेफ्रिजरेटरों की मांग बढ़ती जा रही है।

वाशिंग मशीन: देश में वाशिंग मशीन के बाजार को सेमी-ऑटोमेटिक एवं फुली-ऑटोमेटिक में विभाजित किया जा सकता है। आय बढ़ने और आकांक्षाएं बढ़ने के कारण अधिक क्षमता वाली और पूर्णतः ऑटोमेटिक वाशिंग मशीनों की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह यांत्रिक की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का प्रयोग होता जा रहा है क्योंकि वाशिंग मशीनों की डिजाइन में माइक्रो-कंट्रोल लगाए जा रहे हैं। माइक्रो-कंट्रोल जहां इन मशीनों को इंटेलिजेंस या चतुरता प्रदान करते हैं, वहीं इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ाते हैं और साथ ही लागत कम करते हैं व बिजली की बचत भी करते हैं।

एयरकंडीशनर: बदलती जीवन शैली के कारण बदले हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में एयरकंडीशन हमारी जरूरत बनते जा रहे हैं। एयरकंडीशनर के बाज़ार को तीन श्रेणियों- विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रल एसी में बांटा जा सकता है। जगह कम होने तथा बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण तथा कम शोर करने वाले स्प्लिट एसी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिजली मंत्रालय के अधीन सांविधिक संस्था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने एयरकंडीशनरों के लिए ऊर्जा की बचत के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान करना आरंभ किया है ताकि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक ऊर्जा बचाने वाले उत्पाद खरीदने में मदद मिल सके।

लेड एसिड स्टोरेज बैटरी: लेड एसिड बैटरियां करेंट एवं बिजली का संग्रह करती हैं और कुछ समय बाद खाली (डिस्चार्ज) हो जाती हैं। इन्हें वाहनों में प्रयोग किया जाता है और यूपीएस, नियंत्रण कक्षों, बिजलीघरों, दूरसंचार आदि के लिए बैकअप बिजली के रूप में औद्योगिक प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा घरों में इमरजेंसी लाइट, टेलीफोन सिस्टम और खनन के काम में प्रकाश के स्रोत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरियों का नया प्रयोग बिजली से चलने वाले वाहनों में होने लगा है। इस तरह की बैटरी की आयु लगभग दो वर्ष होती है, इसलिए इन बैटरियों को वाहन अथवा मशीनों में प्रयोग के दौरान बार-बार बदलना पड़ता है। हालांकि भारत में इन बैटरियों का बड़े स्तर पर निर्माण करने वाली कुछ बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन बेहद असंगठित तरीके से इनका निर्माण करने वाली अत्यंत छोटी-छोटी इकाइयों की भरमार है। इन छोटी इकाइयों द्वारा बनाई जाने वाली बैटरियां बीआईएस के मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। लेड एसिड बैटरियों के सुरक्षित निस्तारण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बैटरियां (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 2001 अधिसूचना जारी की है।

शुष्क बैटरियां: शुष्क बैटरियां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से एक हैं। येकसबसे पुराने प्रकार बैटरियां हैं, जिनका प्रयोग आज भी हो रहा है। तकनीकी में विकास के कारण शुष्क बैटरियों का प्रदर्शन लगातार सुधरा है। नए प्रकार की शुष्क बैटरियों का जीवन लंबा होता है और उन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। इसके अलावा अब रिचार्ज करने योग्य सेल भी आ गए हैं। रक्षा, दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरतें पूरी करने के लिए देश में निकल कैडमियम बैटरियां एवं अन्य रिचार्ज योग्य बैटरियां बनती हैं। सेल्युलर फोन, लैपटॉप एवं आयातित खिलौनों की लोकप्रियता बढ़ने से नए तरह की बैटरियों का बाज़ार खुल सकता है जिनका निर्माण अभी नहीं हो रहा है।

बल्ब एवं ट्यूब: देश में विभिन्न प्रकार के बल्ब और ट्यूब का निर्माण किया जाता है जिनमें सामान्य बल्ब जैसे- फिलामेंट वाले बल्ब, हैलोजन बल्ब, गैस डिस्चार्ज बल्ब जैसे- फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, उच्च दाब युक्त मरकरी वाले बल्ब, मेटल हैलाइड लैंप, निम्न दाब एवं उच्च दाब वाले सोडियम वेपर लैंप तथा विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बल्ब शामिल हैं। बिजली महंगी होने के कारण बिजली की कम खपत करने वाले ऐसे बल्बों का विकास हुआ जो लगभग दिन के प्रकाश के समान रोशनी देते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप (सीएफएल) जो साधारण बल्बों जितनी रोशनी देने के बावजूद केवल 20 प्रतिशत बिजली की खपत करते हैं और इनका जीवन भी सामान्य बल्ब के मुकाबले 8 गुना ज्यादा होता है। ये बल्ब अब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सामान्य बल्ब और फ्लोरेसेंट लैंप की अपेक्षा एलईडी लैंप अधिक रोशनी देते हैं और इनसे पर्यावरण को हानि पहुंचने की संभावना भी कम होती है। भारत में एलईडी का प्रयोग बढ़ने से रोशनी के लिए बिजली के लोड को बहुत कम किया जा सकता है क्योंकि लगभग 22-25 प्रतिशत बिजली का उपयोग केवल रोशनी के लिए होता है। सिर्फ लाइटिंग के लिए इतनी बिजली खर्च होने

से बिजली की मांग बढ़ जाती है। महंगी होने के कारण एलईडी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रही हैं, हालांकि देश में इसका निर्माण शुरू हो चुका है।

हल्का इंजीनियरिंग उद्योग: हल्का इंजीनियरिंग उद्योग विभिन्न क्षेत्रों वाला विविधताभरा उद्योग है। इस उद्योग में कास्टिंग और फोर्जिंग जैसे सभी उद्योगों की जननी से लेकर अत्यंत परिष्कृत माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रोसेस कंट्रोल उपकरण और निदान संबंधी चिकित्सा उपकरण तक शामिल हैं। इस समूह में बेयरिंग, स्टील पाइप एवं ट्यूब, फास्टनर आदि उद्योग भी शामिल हैं। इंजीनियरिंग उद्योग में आने वाले उत्पादों का सामान्यतः पूंजीगत वस्तु उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए इस क्षेत्र में मांग सामान्यतः पूंजीगत वस्तु उद्योग की मांग पर निर्भर करता है।

रोलर बेयरिंग उद्योग: रोलर बेयरिंग लगभग सभी मशीनों जैसे- वाहन, इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन, औद्योगिक मशीनरी तथा औजार आदि में घूमने वाले पुर्जे के तौर पर जरूरी हिस्सा होता है। बेयरिंग का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसलिए उत्पाद भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। देशी विनिर्माता विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य उपयोग वाले उच्च क्वालिटी के बेयरिंग बना रहे हैं जो विश्व के प्रतिष्ठित विनिर्माताओं के स्तर के होते हैं। लेकिन जिनका इस्तेमाल विशेष कार्यों के लिए होता है और जिन्हें बनाने के लिए उच्च तकनीकी की जरूरत होती है, उनका अब भी आयात किया जा रहा है। कम अथवा अधिक तापमान वाली कठोर परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छोटे आकार और कम वजन के बेयरिंग का निर्माण करने की बहुत संभावनाएं हैं।

लौह कास्टिंग: इंजीनियरिंग उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में लौह कास्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वाहन, औद्योगिक मशीनरी, बिजली संयंत्र, रसायन एवं उर्वरक संयंत्र आदि के लिए ये मध्यवर्ती का काम करते हैं। भारत का फाउंड्री या ढलाई उद्योग विश्व में तीसरा स्थान है। देश में अब यह एक सुस्थापित उद्योग है और बड़े, मझोले व सूक्ष्म क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्योग की विशेषता यह है कि यह कुछ खास स्थानों पर है। हर स्थान या क्लस्टर किसी विशिष्ट बाजार की आवश्यकताएं पूरी करता है। उदाहरण के लिए कोयंबटूर क्लस्टर पंप सेट कास्टिंग के लिए, कोल्हापुर और बेलगांव वाहनों की कास्टिंग, राजकोट डीजल इंजन की कास्टिंग और बाटला तथा जालंधर मशीनरी के कलपुर्जो और कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है।

प्रोसेस नियंत्रण उपकरण उद्योग: भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों की निगरानी और मापन के लिए जरूरी उपकरण और सिस्टम प्रोसेस नियंत्रण उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। इनका इस्तेमाल दाब, तापमान, आर्द्रता, तरलता स्तर, प्रवाह, विशिष्ट गुरुत्व, पीएच समेत रासायनिक संघटन और विभिन्न प्रकार के स्पेक्टोमेट्री व स्पेक्टोफोटोमेट्री जैसे प्रोसेस के नियंत्रण और मापन में किया जाता है। प्रोसेस नियंत्रण उपकरण आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गए हैं। ऑटोमेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाला यह एक प्रमुख उद्योग । अधिक लागत वाले विशाल एवं परिष्कृत प्रोसेस उद्योगों जैसे- उर्वरक, इस्पात, बिजली संयंत्र, रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, सीमेंट एवं प्रोसेस उद्योगों में इनका बहुत महत्व होता है। वर्तमान तकनीकी एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित केंद्रीकृत नियंत्रण सिस्टम है।

जोड़रहित स्टील पाइप एवं ट्यूब: जोड़रहित स्टील पाइप और ट्यूब अलग-अलग आकारों में बनाए जाते हैं। अलग-अलग आकार में होने के कारण विभिन्न तरह के कामों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्माण की खास प्रक्रिया के चलते इन पाइपों में मजबूती आती है और वे टिकाऊ बनते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जंगरोधी पाइपों के तौर पर किया जा सकता है। इन पाइपों का इस्तेमाल विमान, मिसाइल तथा घर्षणरोधी बेयरिंग, आयुध आदि में भी किया जाता है। अत्यधिक शक्तिशाली और जंगरोधी गुणों के कारण ये तेल एवं गैस उद्योग, रसायन उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जोड़रहित पाइपों की कुल जरूरत का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा तेल क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता है। बेयरिंग और ब्वायलर के क्षेत्र में इसकी मांग करीब 30 प्रतिशत है। यह उद्योग 14 इंच के बाहरी व्यास तक के ट्यूब बनाने में सक्षम है।

विद्युतरोधी वेल्डेड (ईआरडब्ल्यू) स्टील पाइप एवं ट्यूब: ग्राहकों की जरूरत के आधार पर ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप और ट्यूब विभिन्न प्रकार की क्वालिटी, दीवार की अलग-अलग मोटाई एवं अलग-अलग व्यास में उपलब्ध हैं। उच्च क्षमता वाले ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप एवं ट्यूब में उच्च जंगरोधी क्षमता, उच्च नम्यता, अत्यधिक मजबूती और उच्च स्तर की कठोरता होती है। इन पाइपों का प्रयोग फेंसिंग, लाइनिंग पाइप, ऑयल कंट्री ट्यूबलर, स्केफोल्डिंग, पानी

एवं गैस के परिवहन, ढांचागत इंजीनियरिंग आदि में किया जाता है। तेल एवं गैस उद्योग, बुनियादी ढांचा और ऑटोमोबाइल उद्योग में इनकी मांग बढ़ने के कारण ईआरडब्ल्यू स्टील पाइपों के निर्माण में तेजी से वृद्धि हुई है। एमएसएमई सेक्टर में बड़ी संख्या में इनकी इकाइयां हैं।

सब मड आर्क वेल्डेड (एसएडब्ल्यू) पाइप: दो प्रकार के सब मड आर्क वेल्डेड (एसएडब्ल्यू) पाइप- लांगिट्यूडिनल एवं हेलिकल वेल्डेड एसएडब्ल्यू पाइप होते हैं। लांगिट्यूडिनल एसएडब्ल्यू पाइप को उच्च दाब वाली गैस पाइप लाइन में तथा 25 मि.मी. से अधिक मोटाई वाले पाइप की आवश्यकता होने पर प्रयोग किया जाता है। हेलिकल वेल्डेड पाइप कम दाब वाले कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। हेलिकल एसएडब्ल्यू पाइप लांगिट्यूडिनल पाइपों से सस्ते होते हैं। तेल एवं गैस के परिवहन एवं जल के पारेषण के कारण देश में एसएडब्ल्यू पाइपों की बहुत मांग है।

औद्योगिक फास्टनर: भारत में फास्टनर उद्योग को दो श्रेणियों- उच्च लचीलापन (हाइ टेसाइल) वाले और नरम इस्पात वाले फास्टनर में बांटा जा सकता है। उच्च लचीलापन वाले और नरम इस्पात वाले फास्टनरों में नट, बोल्ट, स्टड, रिवेट और पेंच आते हैं। नरम स्टील फास्टनर मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में बनाए जाते हैं जबकि उच्च नम्यता वाले फास्टनर के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है और उन्हें संगठित क्षेत्र की कंपनियां बनाती हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा मांग है। टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र और रेलवे में भी उच्च नम्यता वाले फास्टनरों की बहुत ज्यादा मांग है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र फास्टनर उद्योग में तेजी ला सकता है।

स्टील फोर्जिंग: फोर्जिंग मध्यवर्ती उत्पाद हैं जिन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में मौलिक पुर्जे बनाने वाले निर्माता बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। भारतीय फोर्जिंग उद्योग को चार श्रेणियों- बड़े, मझोले, लघु और सूक्ष्म में बांटा जा सकता है। इस उद्योग का बड़ा हिस्सा लघु और मझोली इकाइयों या उद्यमों (एसएमई) से बना है। इस उद्योग में पहले श्रम का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था लेकिन वैश्वीकरण बढ़ने के साथ ही अब इसमें पूंजी का अधिक उपयोग होने लगा है। फोर्जिंग पर निर्भर रहने वाले उद्योगों में वाहन, कृषि मशीनरी एवं उपकरण, वाल्व फिटिंग एवं पेट्रोरसायन प्रणाली, हाथ के औजार एवं हार्डवेयर, ऑफ-हाइवे एवं रेलरोड उपकरण, सामान्य औद्योगिक उपकरण, आयुध एवं पानी के जहाज़ व विमान निर्माण शामिल हैं। फोर्जिंग की मांग में मुख्य भूमिका वाहन उद्योग की है। कुल फोर्जिंग का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र में प्रयोग होता है।

साइकिल उद्योग: भारत में साइकिल उद्योग सबसे स्थापित उद्योगों में से एक है। भारत विश्व में चीन के बाद साइकिल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। साइकिल की अधिकांश विनिर्माण इकाइयां पंजाब और तमिलनाडु में स्थित हैं तथा लुधियाना (पंजाब) साइकिल का प्रमुख निर्माण केंद्र है। यह उद्योग निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि भारतीय साइकिलों, साइकिल के पुओं एवं साइकिल के अन्य सामानों के निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं। साइकिल कंपनियां अब शहरी बाज़ारों पर ध्यान दे रही हैं तथा पेशेवर व एडवेंचर श्रेणियोंमें अपना आधार ब रही हैं।

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी: आय के स्तर में वृद्धि, कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ने, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और बड़े स्तर पर मीडिया के प्रचार के कारण प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ने से खाद्य प्रसंस्करण की मशीनों के लिए भारतीय बाज़ार लगातार वृद्धि कर रहा है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस, मुर्गीपालन, दूध एवं समुद्री खाद्य, डिब्बाबंद भोजन, शीतल पेय एवं अनाज प्रसंस्करण में वृद्धि की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। खान-पान की आदतों में तेजी से बदलाव होने और देश में उपभोक्तावादी संस्कृति पनपने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। मशीन निर्माताओं ने डेयरी मशीनरी एवं खाद्य प्रसंस्करण की अन्य मशीनें बनाने में दक्षता हासिल कर ली है।

पैकेजिंग मशीनरी उद्योग: उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों की पैकेजिंग मार्केटिंग रणनीति की विशेषता बनती जा रही है। पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में विकास से उत्पाद देखने में न केवल आकर्षक होते जा रहे हैं बल्कि उनकी जीवन अवधि भी बढ़ जाती है। कुछ मामलों विशेष तरह की पैकेजिंग एक आवश्कता बन गई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएं और उपभोक्ताओं में पैकेजिंग के प्रति बढ़ती जागरुकता देखते हुए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। बड़ी संख्या में उत्पादों की पैकेजिंग के लिए देश में विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग मशीनरी उपलब्ध है। सामान्य रूप से मिलने वाली कुछ पैकिंग मशीनों में कोडिंग की मशीन एवं ऑनलाइन प्रिंटिंग मशीन, फीडिंग एवं लेबलिंग मशीन, स्ट्रिप पैकेजिंग मशीन, फार्म फिल एवं सील मशीन, कार्टन फिलिंग मशीन, पूरी तरह स्वचालित बैग

निर्माण मशीन एवं स्वचालित माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित पैकेजिंग मशीन शामिल हैं।

जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण: जल प्रदूषण रोकने के प्रति जागरुकता बढ़ने और प्रसंस्करण उद्योगों समेत विभिन्न प्रयोगों के लिए कठोर पर्यावरण नियंत्रण मानक लागू किए जाने के कारण जल/बेकार जलशोधन उद्योग में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है। जल प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों में बेकार जलशोधन संयंत्र, पेयजल जलशोधन संयंत्र एवं अपशिष्ट शोधन संयंत्र शामिल हैं। जल/बेकार जलशोधन में प्रदूषण करने वाले तत्वों को निकालना होता है और इसके लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया अपनाई जाती है। शोधन की प्रक्रिया में पहला चरण प्राथमिक शोधन है और उसमें नीचे बैठे हुए अथवा तैरते हुए प्रदूषणकारी तत्वों को हटाया जाता है। सामान्य औद्योगिक उपकरणों में क्लेयरिफायर एवं ऑयल-वाटर सेपरेटर शामिल हैं। दूसरे चरण में सीवेज की जैविक सामग्री को कम किया जाता है। इसके लिए सामान्य उपकरण हैं उत्प्रेरित स्लज, फिल्टर, जैविक रिएक्टर आदि। जलशोधन के तीसरे चरण में पहले और दूसरे चरण में छूट गए प्रदूषणकारी एवं घुले हुए ठोस पदार्थों, जैविक अवयवों और विषैले तत्वों को हटाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है। तीसरे चरण की भौतिक प्रक्रिया में प्रदूषणकारी तत्वों को छानना और कार्बन का अवशोषण शामिल है। इसकी रासायनिक प्रक्रिया में अवक्षेपण, ऑक्सीकरण, निष्प्रभावीकरण शामिल है। जैविक प्रक्रिया में जैविक तत्वों को कम करना शामिल है। बैक्टीरिया, फंगी, यीस्ट और एल्जी जैसे जीवों का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद शोधित जल से कोशिका ऊतकों को हटाया जाता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण: औद्योगिकीकरण और और शहरीकरण ने भारत की वायु की गुणवत्ता का बहुत क्षरण किया है। भारत की सबसे गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्या के कई कारण दिखाई देते हैं जिनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और उद्योगों का अशोधित धुआं शामिल है। विभिन्न उद्योगों में पर्यावरण संबंधी कठोर मानकों को अपनाए जाने के साथ, विशेष रूप से महानगरों और बड़े शहरों में, वायु प्रदूषण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए वायु प्रदूषण नियंत्रित करने वाले उपकरणों के उद्योग का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा न्यायिक फ़ैसलों ने वायु प्रदूषण रोकने वाले उपायों को अपनाने के लिए कुछ निश्चित निर्देश दिए हैं। नियंत्रण की विधियों का चयन प्रदूषणकारी तत्वों की प्रकृति, प्रवाह दर (प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन की मात्रा), कणों के आकार और संग्रह की वांछित क्षमता पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है जैसे सेटलिंग चैंबर्स, साइक्लोन एवं मल्टी-साइक्लोन, बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर, स्प्रे टॉवर, वेंचरी स्क्रबर, आयनाइजिंग स्क्रबर एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर।

औद्योगिक गियर: औद्योगिक गियर में मुख्यतः गियर और गियर बॉक्स होते हैं। गियर का प्रयोग दो मूलभूत उद्देश्यों के लिए होता है- घूर्णन की गति को बढ़ाना अथवा घटाना एवं शक्ति अथवा टार्क को बढ़ाना या घटाना। मशीन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण विभिन्न उद्योगों में गियर का अधिक प्रयोग है। इनमें ऑटोमोटिव उद्योग, कोयला संय उद्योग, कागज़ उद्योग, खनन एवं कई अन्य उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों में इनका व्यापक प्रयोग होता है। इनका इस्तेमाल कन्वेयरों (चलने वाले पट्टा), एलीवेटरों, भट्ठों, सेपरेटरों, क्रेनों और लुब्रीकेशन सिस्टमों में किया जाता है। गियरबॉक्स एक प्रकार का धातु का केस है जिसमें गियरों की एक ट्रेन सीलबंद कर दी जाती है। गियर और गियर बॉक्सों के विनिर्माण में उच्च सूक्ष्मता वाली मशीनों और सटीक असेंबली का प्रयोग होता है क्योंकि मशीनी शक्ति को शोर के बगैर और कम से कम नक़सान के साथ अंतरित करना होता है। देश में विभिन्न प्रकार के गियर जैसे स्पर गियर, हेलिकल गियर, वार्म गियर, स्पाइरल गियर आदि बनाए जाते हैं। गियर और गियर बॉक्स की मांग मुख्य रूप से औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स एवं उपभोक्ता तथा वाहन उद्योगों के विकास पर निर्भर करती है। वाहन उद्योग में औद्योगिक वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए गियर और गियर बॉक्सों के मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

लकड़ी आधारित उद्योग: प्लाइवुड, हर प्रकार के पोशिश तथा अन्य लकड़ी आधारित उत्पाद जैसे पार्टिकिल बोर्ड, मध्यम घनत्व वाले फाइबर बोर्ड इत्यादि भारत में इस उद्योग के प्रमख घटक उद्योग लाइसेंस मुक्त श्रेणी में आता है।

घड़ी उद्योग: देश में घड़ी उद्योग की इकाईयां संगठित तथा लघुस्तरीय क्षेत्र दोनों के तहत आती हैं। कुल मांग का 40 प्रतिशत संगठित क्षेत्र द्वारा पूरा होता है जबकि शेष भाग असंगठित क्षेत्र पूरा करता है। ज्यादातर घड़ियां इलेक्ट्रानिक प्रणाली के तहत निर्मित की जाती हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अधीन काम करता है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में एक राज्य मंत्रालय भी होता है। यह मंत्रालय तीन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहन देता है जो इस प्रकार हैं- पूंजीगत माल, ऑटो और भारी विद्युत उपकरण। इसके अलावा यह 31 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), 5 स्वायत्तशासी संगठनों को संचालित करता है, केंद्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए नीति-निर्देश तैयार करता है और समग्र रूप से सीपीईसी का प्रशासन देखता है। अपनी भूमिका पूरी करने के लिए यह विभाग दूसरे मंत्रालयों, सीपीईसी और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। इस विभाग के कुछ महत्वपूर्ण काम इस प्रकार हैं- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रभावित करने वाली आम नीति से संबंधित मामलों का समन्वय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन और उसके कामकाज पर नज़र रखना जिसमें समझौता ज्ञापन (एमओयू) की व्यवस्था भी शामिल है, इस तरह के उद्यमों के लिए परमानेंट मशीनरी ऑफ आरबिट्रेशन यानी मध्यस्थता की स्थायी व्यवस्था (पीएमए) से संबंधित मामले, सीपीएसयू में कर्मचारियों के लिए परामर्श, प्रशिक्षण और पुनर्वास, उद्यम को दोबारा खड़ा करने, पुनर्संरचना या उसे बंद करने से संबंधित मामलों में सलाह देना और सीपीएसी को श्रेणीबद्ध करना, जिसमें रत्न का दर्जा देना भी शामिल है।
वेबसाइट: www.dhi.nic.in, www.dpe.gov.in

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

पिछले पांच दशकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक जीवंत और मजबूत क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई बड़े उद्योगों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर न केवल बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण में भी मदद कर रहे हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर रहे हैं।

एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं। यह क्षेत्र देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को सहयोग देकर और नए उद्यम शुरू करने के प्रयासों को प्रोत्साहन देकर संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और इससे जुड़े अन्य पक्षों के सहयोग से इस क्षेत्र, जिसमें खादी, ग्राम एवं क्वायर उद्योग भी शामिल हैं, के प्रोत्साहन और विकास के द्वारा एक गतिशील क्षेत्र की परिकल्पना करता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कानून 2006 में अधिसूचित किया गया था जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की परिधि और निवेश की सीलिंग के साथ एमएसएमई को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करना था। यह कानून पहली बार, उद्यम, की अवधारणा की मान्यता के लिए कानूनी रूपरेखा मुहैया कराता है जिसमें विनिर्माण एवं सेवा इकाइयां दोनों शामिल हैं। इस कानून में पहली बार मध्यम उद्यम को परिभाषित किया गया है और इन उद्यमों की तीन श्रेणियों सूक्ष्म, लघु और मध्यम को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा यह कानून संबंधित पक्षों के सभी वर्गों खासकर उद्यमों की तीन श्रेणियों के संतुलित प्रतिनिधित्व के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक परामर्श तंत्र मुहैया कराता है।

सन् 2007 में भारत सरकार (कार्य नियतन) कानून, 1961 में संशोधन के बाद पूर्ववर्ती लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय बना दिया गया था। अब यह मंत्रालय एमएसएमई की सहायता करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ उसके लिए नीतियां बनाता है और प्रोत्साहन देता है, कार्यक्रम तैयार करता है। एमएसएमई के संवर्धन और विकास का पहला उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। लेकिन भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। मंत्रालय और इसके संगठनों का काम राज्य सरकारों की ओर से उद्यमिता, रोज़गार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहन देने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के प्रयासों में सहयोग करना है।
वेबसाइट: www.msme.gov.in

एमएसएमई की संख्या

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा कराए गए नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 73वें चक्र के अनुसार देश में 633.88 लाख गैर-निगमित गैर-कृषि आधारित एमएसएमई इकाइयां थीं जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी थीं। इनमें वे एमएसएमई शामिल नहीं थीं जो (क) फैक्टरीज़ एक्ट 1948, के सेक्शन 2एम(i) और 2एम(ii), (ख) कंपनीज़ एक्ट 1956 और (ग) नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन (एनआईसी) 2008 के सेक्शन एफ के अंतर्गत आने वाली निर्माण गतिविधियों के तहत पंजीकृत थीं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम (1956 का 61) के अंतर्गत की गई थी और 1987 व 2006 में जिसमें संशोधन किया गया था, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक संस्था है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। केवीआईसी गांवों में निम्न प्रतिव्यक्ति निवेश के साथ विकेंद्रीकृत क्षेत्र में गैर-कृषिगत रोज़गार मुहैया कराने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। यह कौशल विकास, तकनीकी के हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, मार्केटिंग जैसी गतिविधियां चलाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है।
वेबसाइट: www.kvic.org.in

क्वायर बोर्ड

क्वायर उद्योग के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने एवं इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े कामगारों की जीवन स्थितियां सधारने के लिए क्वायर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत स्थापित क्वायर बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। क्वायर उद्योग के विकास के लिए क्वायर बोर्ड का काम क्वायर उद्योग के वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां संचालित करना, क्वायर एवं क्वायर उत्पादों के निर्यात तथा आंतरिक उपभोग संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना, नए उत्पादों एवं डिजाइन का विकास करना, निर्यात एवं आंतरिक बिक्री के प्रोत्साहन के लिए प्रचार करना, भारत और विदेश में क्वायर एवं क्वायर उत्पादों की मार्केटिंग करना, निर्माताओं और निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाना, उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए इकाइयों की स्थापना में सहयोग करना, भूसी, क्वायर फाइबर, क्वायर धागे के निर्माताओं एवं क्वायर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना, उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के लिए लाभ सुनिश्चित करना शामिल है।
वेबसाइट: www.coirboard.gov.in

कपड़ा उद्योग

भारतीय कपड़ा उद्योग अपनी पूरी प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के विशाल आधार और विनिर्माण शक्ति के साथ विश्व के सबसे बड़े कपड़ा उद्योगों में से एक है। इस उद्योग का अनोखापन यह है कि यह हथकरघा क्षेत्र और पूंजीप्रधान मिल क्षेत्र दोनों में ही मजबूत है। मिल क्षेत्र में 3,400 कपड़ा मिलें हैं, जो 5 करोड़ से ज्यादा तकलियों और 8,42,000 से ज्यादा रोटरों की स्थापित क्षमता के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। पारंपरिक क्षेत्र जैसे- हैंडलूम, हस्तशिल्प और लघु स्तर की पॉवरलूम ईकाइयां ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत हैं। कपड़ा उद्योग का कृषि, संस्कृति और देश की परंपरा के साथ एक अंतर्निहित संबंध है जिससे यह विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार करता है जो घरेलू और निर्यात दोनों ही बाज़ारों के अनुकूल होते हैं। कपड़ा उद्योग को अगर मूल्य के मामले में आंकें तो यह कुल उद्योग में 7 प्रतिशत, देश के जीडीपी में 2 प्रतिशत, देश के कुल निर्यात आय में 15 प्रतिशत का योगदान करता है। 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाला यह उद्योग देश में सबसे ज्यादा रोज़गार का सृजन करने वाले स्रोतों में से एक है। भारत के विकास को समावेशी और सहभागी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण की बेहतरीन सुविधाओं का निर्माण करके, नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का आधुनिकीकरण करके और कौशल व कपड़ा क्षेत्र में पारंपरिक विशेषताओं को प्रोत्साहन देकर विनिर्माण को बढ़ाना है।
वेबसाइट: www.texmin.nic.in

इंडिया हैंडलूम ब्रांड: इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) के जरिए भारतीय हथकरघा की दुनियाभर में पहचान बन गई है जो उच्च क्वालिटी और प्राकृतिक सामग्री से बने असली हैंडलूम के उत्पाद की गारंटी देता है। इसने आईएचबी के उत्पादों को बेचने के लिए 100 खुदरा स्टोरों से साझेदारी कर रखी है। देशभर में 25 खुदरा स्टोरों ने काम शुरू कर दिया है। 23 परिधान निर्माता आईएचबी के पंजीकृत बुनकरों से कपड़ा मंगाने के लिए आईएचबी के निर्माताओं के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने परिधानों की एक अलग श्रेणी तैयार करके बाजार में उतार दी है। दुनियाभर में परिधानों के बड़े ब्रांड हथकरघों के इस्तेमाल से परिधानों की एक अलग श्रेणी तैयार करने के लिए आईएचबी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बीबा, पीटर इंग्लैंड, ओनाया पहले ही हैंडलूम के कपड़ों की एक अलग श्रेणी शुरू कर चुके हैं। हैंडलूम के बुनकरों/कारीगरों को मार्केटिंग का सीधा मंच मुहैया कराने के लिए ई-कॉमर्स की 21 बड़ी कंपनियां हैंडलूम के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग करने में लगी हुई हैं।

रेशम

भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम (सिल्क) एक विलासिता की वस्तु है। भारत में 97 प्रतिशत कच्चा मलबेरी (शहतूत) रेशम का उत्पादन पांच राज्यों- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में होता है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण तीन अन्य तरह के रेशम गैर-मलबरी रेशम की श्रेणी में आते हैं जिनके नाम हैं- एरी, तसर और मूगा।

कपास

कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसलों में से एक है और दुनिया में कुल फाइबर उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा देश में ही होता है। भारतीय कपड़ा उद्योग के कच्चा माल खपत वर्ग या बास्केट में कपास का हिस्सा करीब 59 प्रतिशत है। कपास करीब 58 लाख कपास किसानों और कपास से जुड़े कामों जैसे कपास की प्रोसेसिंग और व्यापार में लगे 4 से 5 करोड़ लोगों को आजीविका मुहैया कराता है। भारत में सबसे ज्यादा करीब 105 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और यह पूरी दुनिया में कपास की खेती की कुल जमीन का करीब 35 प्रतिशत है। कपास उद्योग को सहयोग देने के लिए भारत सरकार दो बुनियादी रेशा समूहों यानी मीडियम स्टेपल (रेशा) और लंबा रेशा कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास की कीमतें एमएसपी के स्तर पर आ जाने की स्थिति में एमएसपी का काम देखने के लिए भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है।

जूट

भारत सालाना 80 लाख गठ्ठों के साथ दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सरकार भारतीय जूट निगम द्वारा न केवल एमएसपी के जरिए जूट किसानों का सहयोग करती है बल्कि जूट पैकेजिंग मैटीरियल (सामान पैक करने के लिए अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाले जूट के बोरों की सीधे तौर पर खरीद करके भी उन्हें लाभ पहुंचाती है। यह केवल जूट किसानों के लिए ही नहीं बल्कि जूट मिल श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा सहयोग है। 2016 से जूट के बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म ,जूट-स्मार्ट, (जूट सैकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीजिशन टूल) लागू किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए अलग-अलग राज्य सरकारों की एजेंसियां सालाना करीब 27 से 30 लाख गठ्ठों (जूट के कुल सामानों का करीब 68 प्रतिशत) की खरीद कर रही हैं जिनकी कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपये होती है। यह प्लेटफार्म ई-गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां इस उद्योग से जुड़े ढेरों हिस्सेदार विभिन्न राज्य सरकारों के लिए जूट के बोरों की खरीद, जिसमें कई सारी जूट मिलें और मझोलिए भी शामिल होते हैं, से संबंधित जटिल लेन-देन के लिए बड़े पारदर्शी तरीके से एक ही प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर जूट किसानों की आय कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों और कृषि की बेहतर जानकारी के जरिए जूट-आईकेयर, शुरू किया गया है।

ऊन

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मंत्रालय ने एक एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)। यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में ऊन का उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों में

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से लागू किया जाएगा। पशमीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

तकनीकी कपड़ा

तकनीकी कपड़े को कपड़ा उद्योग का भविष्य माना जा रहा है। इसके रेशे वजन में हल्के और इससे बने कपड़े अब तक के सबसे मजबूत कपड़े हैं। इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, वास्तुशिल्प और बिल्डिंग, व्यावसायिक चिकित्सा, खेलकूद और परिधान उद्योग में किया जाता है। 11 फोकस इनक्युबेशन सेंटर (एफआईसी) प्लग एंड प्ले मॉडल पर (पांच सीओई में और छह आईआईटी-दिल्ली, मुंबई, कानपुर तथा खड़गपुर में) लगाए हैं ताकि संभावित उद्यमियों को तकनीकी कपड़ा उद्योग में कदम रखने में मदद मिल सके। एग्रो टेक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्र और देश के शेष हिस्सों में 9 प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं। टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) ने कार्बन फाइबर पर आधारित अंतरिक्ष संचार सिस्टम विकसित किया है। इसके अलावा कम लागत वाले मॉड्युलर शौचालय भी बनाए गए हैं जिनमें जूट के रेशों का इस्तेमाल किया गया है।

पॉवरलूम क्षेत्र को गति

भारत में पॉवरलूम क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र है, जिसमें ढेरों सूक्ष्म और छोटी इकाइयां काम कर रही हैं। 24.86 लाख पॉवरलूम देश में कुल कपड़े के 57 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन कर रहे हैं। पॉवरलूमों की क्वालिटी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने साधारण पॉवरलूमों को उन्नत बनाने के लिए पॉवरटेक्स इंडिया योजना के अंग के तौर पर साधारण पॉवरलूमों के उन्नयन शुरू किया है जिसके तहत साधारण पॉवरलूमों को प्रोसेस कंट्रोल उपकरण से जोड़ा जाता है और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, क्वालिटी बेहतर होती है और कुल उत्पादकता के मूल्य में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हो जाती है।

नए कदम

वीवर्स मुद्रा योजना: बुनकरों को रियायती कर्ज देने के लिए वीवर्स मुद्रा योजना शुरू की गई थी। हर बुनकर को मार्जिन मनी असिस्टेंस के तौर पर अधिकतम 10,000 रुपये और 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है।

ई-धागा एप: भारत सरकार ने हथकरघा के बुनकरों को अच्छी सेवा और चौबीसों घंटे जरूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए 2016 में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और ई-धागा मोबाइल एप शुरू किया था। यह एप 10 भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, ओडिया, कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम, उर्दू और बांग्ला में उपलब्ध है।

बुनकर मित्र हेल्पलाइन: हथकरघा के बुनकरों को उनके पेशे से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए 2017 में ए बुनकरमित्र हेल्पलाइन शुरू किया गया है जिसका नंबर है- 1800 208 9988। यह सेवा हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सात भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और असमिया में उपलब्ध है।

वित्तीय निगमों के साथ एमओयू: 14 चिह्नित जगहों पर ओबीसी व एससी कारीगरों और बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजनाएं लागू करने के लिए नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनबीसीएफडीसी) और नेशनल शिड्यूल कास्ट्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसएफडीसी) के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किया गया।

हथकरघा बुनकरों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं: बुनकरों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (आईजीएनओयू) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (आईजीएनओयू) के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किया गया जिसके तहत मंत्रालय एससी, एसटी, बीपीएल और महिला बुनकरों के परिवारों को 75 प्रतिशत फीस देती है।

कारीगर हेल्पलाइन: 2017 में सात भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, असमिया, बंगाली, तमिल और तेलुगू में एक हेल्पलाइन नंबर 1800 208 4800 शुरू किया गया।

हस्तकला सहयोग शिविर: हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए देशभर में हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित जाते हैं। इन शिविरों में लगभग 94,000 बुनकरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। इनमें कई तरह की

गतिविधियां जैसे बुनकरों और कारीगरों को मुद्रा ऋण, करघे, उनसे जुड़े सामान और टूल किट बांटे गए, पहचान, आईडी कार्ड और सूत पासबुक जारी किए गए, इग्नू और एनआईओएस के तहत बुनकरों के परिवार के सदस्यों के नाम लिखाए गए, जीएसटी, जीआई, बुनकरमित्र हेल्पलाइन और सरकार के हथकरघा व हस्तशिल्प विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस्पात

भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय लोहा एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास, आवश्यक कच्चे माल जैसे- लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैगनीज़ अयस्क, क्रोमाइट, लौह-अलॉय, स्पंज आयरन आदि के विकास और संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कच्चे इस्पात के उत्पादन और उसकी क्षमता में 2013-2014 से लगातार बढ़ोतरी हुई है।

यह उद्योग देश में औद्योगिक विकास का बुनियादी स्तम्भ रहा है। भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता निरंतर बढ़ते हुए इस समय 142 एमटी तक पहुंच गई है और भारत विश्व में इस्पात का दूसरा बड़ा उत्पादक (2018 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 111 एमटी रहा) बन गया है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जीवंत घरेलू इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोटिव, पूंजीगत वस्तुओं, रक्षा, रेल आदि जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट है। इस्पात अपनी पुनर्चक्रणयोग्य प्रकृति और त्वरित समापन समय के कारण पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तत्पर आर्थिक विकास के लिए प्रमाणित संचालक है। रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से प्रबल होने के कारण इस्पात क्षेत्र राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था पर इस्पात क्षेत्र के प्रत्यक्ष प्रभाव से लेकर आपूर्ति शृंखला एवं खपत उद्योगों पर पड़ने वाले सम्बद्ध प्रभाव तक, दोनों ही तरह के द्विगुणित प्रभाव पड़ते हैं।

भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग

उत्पादन में निरंतर वृद्धि ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत वैश्विक इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण प्रतिभागी बना रहेगा। विश्व भर में कच्चे इस्पात के कुल 1241 एमटी उत्पादन (जनवरी-अगस्त 2019 के दौरान 4.4 प्रतिशत वृद्धि) में 6.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी (75.69 एमटी) के साथ भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा और वर्ष 2018 की समान अवधि में हुए उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि रही। चीन ने इसी अवधि में 664.87 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन किया और वह विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बना रहा। कच्चे इस्पात के एशियाई उत्पादन के 75 प्रतिशत और विश्व उत्पादन के 54 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन चीन ने किया।

राष्ट्रीय इस्पात नीति

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी कि भारत का इस्पात क्षेत्र आधुनिक भारत की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने और क्षेत्र के लिए स्वस्थ टिकाऊ वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। एनएसपी को आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत और वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का सृजन करने के विजन के साथ परिभाषित किया गया है। इस नीति ने इस्पात क्षेत्र के लिए प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया है और उद्योग के लिए विविध पहल निर्धारित की गई हैं।

एनएसपी 2017 की प्रमुख विशेषताओं में निजी निर्माताओं, एमएसएमई इस्पात उत्पादकों, सीपीएसई को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। यह क्षमता में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात विनिर्माण क्षमताओं के विकास साथ ही साथ लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता, साथ ही विदेश में कच्चे माल की परिसंपत्ति अधिग्रहण सुगम बनाते हुए लागत कुशल उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। इस क्षेत्र की सहायता के लिए यह इस्पात की घरेलू मांग बढ़ावा देने वाले कदमों को भी प्रोत्साहन देती है।

यह नीति वर्ष 2030-31 तक कच्चे इस्पात की 300 एमटी क्षमता, 255 एमटी उत्पादन और परिष्कृत इस्पात की वर्तमान में 74 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में 160 किलोग्राम पुख्ता खपत का अनुमान व्यक्त करती है। वर्ष 2030-31 तक आयतित कोकिंग कोल पर निर्भरता 85 प्रतिशत से घटाकर लगभग 65 प्रतिशत करने के लिए इस नीति में परिशोधित कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि के साथ कार्यनीतिक अनुप्रयोग के लिए हाई ग्रेड

ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिकल स्टील, स्पेशल स्टील और मिश्र धातु इस्पात की भी परिकल्पना की गई है।

प्रमुख पहल

मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति में सूचीबद्ध विविध पहलों पर कार्रवाई शुरू की है। इनके अलावा, पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना की जा रही है, जो इनमें से अनेक पहलों के लिए प्रायोगिक स्थल के तौर पर कार्य करेगा। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

पूर्वोदय

भारत के पूर्वोत्तर राज्य (ओडिशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश) भारत के 80 प्रतिशत लौह भंडार का घर हैं। इसके अलावा उनकी बंदरगाहों, अंतरदेशीय जलमार्गों और स्लरी पाइप लाइन्स जैसे महत्वपूर्ण संभार तंत्र तक पहुंच है। इस प्रकार भारतीय इस्पात क्षेत्र के परिकल्पित विस्तार के लिए यह पूर्वी केंद्र इस्पात क्षेत्र की वृद्धि के साधन के तौर पर योगदान देगा। इसके अलावा यह निवेश आकर्षित करने, रोजगार के साधन सृजित करने और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इस प्रकार, भारतीय इस्पात इन क्षेत्रों के विकास का प्रमुख संचालक होगा।

इसलिए पूर्वी राज्यों में एक एकीकृत इस्पात केंद्र के लिए प्रमुख पहल-पूर्वोदय की परिकल्पना की गई। यह केंद्र ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों, क्लस्टरों, पूंजीगत वस्तुओं और आवश्यक बुनियादी संभार तंत्र की स्थापना के साथ उत्कृष्ट क्षमता का सृजन करने, मूल्य वर्धन में वृद्धि करने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने पर बल देगा। यह इस्पात मंत्रालय द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण पहलों के लिए प्रायोगिक स्थल के रूप में कार्य करेगा और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच निकट तालमेल कायम करेगा- यह कार्य पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है।

मेक इन स्टील

विभिन्न देशों के बीच किया गया इस्पात की खपत का अध्ययन, राष्ट्रों के आर्थिक विकास की अवस्था और इस्पात की खपत संबंधी उनकी पद्धति के बीच गतिशील संबंधों को उजागर करता है। अवसंरचना के निर्माण संबंधी चरण में इस्पात की खपत में तेजी से वृद्धि होती है, क्षमता निर्माण संबंधी चरण में निरंतरता आती है और विशेषज्ञता निर्माण संबंधी चरण में स्थिरता आती है। भारत अपने अवसंरचना के निर्माण संबंधी चरण में त्वरित विकास के शीर्ष पर है और अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च को देखते हुए, भारत की इस्पात की मांग में जबरदस्त वद्धि होने की संभावना है। इसलिए मंत्रालय सभी प्रमुख क्षेत्रों में इस्पात की प्रबलता में वृद्धि करने की दिशा अनेक कदम उठा रहा है:

इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पाती इरादा: यह एक सहयोगपूर्ण ब्रांडिंग अभियान है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के विविध पहलुओं मेंइस्पात के उपयोग के लाभों और यह किस तरह देश के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है, को प्रचारित करना है।

सड़कें: देश में कंक्रीट की सड़कों के उपयोग में सुधार लाने संबंधी अभियान के तहत मंत्रालय जीवन चक्र की लागत संबंधी विश्लेषण को अनिवार्य बनाने के लिए दिशानिर्देश में सुधारों का आकलन कर रहा है। इसके अलावा कैश बैरियर इंस्टॉलेशन को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

पुल: पुलों के लिए जीवन चक्र लागत संबंधी मापदंड के बारे में इस्पात विविध प्रकार के लाभ प्रस्तुत करता है और वे देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण अवसर हैं। इनका अनुसरण करते हुए, मंत्रालय जीवन चक्र की लागत संबंधी विश्लेषण को अनिवार्य बनाने के लिए दिशानिर्देश में सुधारों का आकलन कर रहा है। इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों में इस्पात के पुलों के डिजाइन का समावेशन किए जाने का भी अनुसरण किया जा रहा है।

व्यवसायिक एवं रिहायशी निर्माण: व्यवसायिक एवं रिहायशी भवनों के निर्माण में इस्पात के उपयोग में वृद्धि संभव बनाने के लिए मंत्रालय समस्त सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), भवन निर्माण संहिताओं साथ ही साथ

अनुसूचित दरों में बदलाव का आकलन कर रहा है।

कम लागत वाले जन आवास: कम लागत वाले मकानों में विशेषकर प्री-फैब स्ट्रक्चर्स के जरिए इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय प्री-फैब स्टील डिजाइन के लिए बीआईएस-801 डिजाइन में परिवर्तन लाने हेतु बीआईएस संहिता परिवर्तन का अनुसरण कर रहा है।

डीएमआई एंड एसपी नीति के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: इस्पात मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों द्वारा लोहे और इस्पात के उत्पादों की घरेलू सोर्सिंग में वृद्धि करने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं अयस्क उत्पाद खरीद नीति (डीएमआई एंड एसपी) में संशोधन किया है। हालांकि इस नीति के कारण 15,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के इस्पात के आयात को टाला जा सका है।

इस्पात की क्षमता

जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे देश में इस्पात के आत्मनिर्भर इकोसिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए इस्पात की क्षमता बढ़ाना और मूल्य वर्धन करना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। इसे संभव बनाने के लिए मंत्रालय ने दो प्रमुख पहलों पर कार्य शुरु किया है :

विशाल ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रारूप: इस्पात की क्षमता में परिकल्पित वृद्धि को हासिल करने के लिए ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना आवश्यक होगा। इसे सुगम बनाने के लिए, मंत्रालय निवेशकों के लिए प्रोजेक्ट में कम जोखिम के माध्यम से इस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए ज्यादा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निर्देशित फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में विविध हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

इस्पात समूहों की स्थापना के लिए नीति: छोटे इस्पात उत्पादक भारतीय इस्पात व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग हैं। वे इस्पात के इकोसिस्टम का मूल्य-वर्धन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इस संदर्भ में, मंत्रालय छोटे इस्पात उत्पादकों की वृद्धि को क्लस्टरों के गठन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए एक नीति के मसौदे पर कार्य कर रहा है।

उर्वरक

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग सातवें भाग का योगदान देने वाली कृषि देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या का पालन-पोषण करती है। इसके अलावा यह शेष जनसंख्या को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहारा देती है। पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दिया गया है और इस दिशा में सतत प्रयासों के फलस्वरूप कृषि उत्पादन और उत्पादकता में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है। घरेलू जरूरत को पूरा करने और निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है।

उर्वरक विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य वहन करने योग्य क़ीमत पर उर्वरकों की पर्याप्त व समय पर उपलब्धता और देश में कृषि उत्पादन में अधिकतम सीमा तक वृद्धि सुनिश्चित करना है। विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग का नियोजन, संवर्धन एवं विकास, उत्पादन का नियोजन एवं उस पर नज़र रखना, उर्वरकों का निर्यात और वितरण, स्वदेशी एवं पतित उर्वरकों के लिए सब्सिडी की रियायत के जरिए वित्तीय सहायता का प्रबंधन शामिल है।

इस विभाग के पास अपने अधीन एक संबद्ध कार्यालय फर्टिलाइज़र इंडिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी (एफआईसीसी) है। यह उर्वरकों की सार्वजनिक क्षेत्र की 9 इकाइयों (पीएसयू) को भी प्रशासित करता है।
वेबसाइट: www.fert.nic.in

उर्वरक विभाग ने इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विविध प्रकार की पहल की है। इन पहलों का लक्ष्य देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

नयी यूरिया नीति

नई यूरिया नीति-2015 देश में यूरिया का अधिकतम उत्पादन करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्यों के साथ अधिसूचित की गई थी। यह अपेक्षा की

गई थी कि तीन वर्ष के भीतर घरेलू यूरिया क्षेत्र ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। वास्तविक ऊर्जा खपत और वर्तमान मानकों के आधार पर इकाइयों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए ऊर्जा खपत के संशोधित मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। यह यूरिया इकाइयों को ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी और विविध उपायों का चयन करने के लिए प्रेरित करेगा। इन उपायों से प्राप्त उच्च ऊर्जा दक्षता से सब्सिडी बिल में कमी आएगी।

यूरिया पर नीम लेपन

देश के सभी उत्पादकों के लिए यूरिया पर नीम का लेपन अनिवार्य कर दिया गया है। एनसीयू का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता, इसलिए अब गैरकानूनी रूप से गैर-कृषि कार्यों में सस्ते यूरिया का उपयोग संभव नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए यूरिया को गैर-कानूनी रूप से अन्यत्र भेजे जाने पर इस प्रकार रोक लगाते हुए सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकना है।

नई निवेश नीति

यूरिया क्षेत्र में नया निवेश सुगम बनाने तथा भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2013 में नई निवेश नीति का आरंभ किया गया। उसके बाद संशोधन अधिसूचना जारी होने के पांच साल के भीतर ही उत्पादन शुरु कर देने वाली इकाइयों को ही लाभ देने के लिए इसमें एक संशोधन शामिल किया गया, जिसके तहत केवल वही इकाइयां इस नीति के अंतर्गत कवर की जाएंगी, सब्सिडी वर्तमान में घरेलू बिक्री पर उत्पादन की शुरुआत से केवल 8 साल की अवधि के लिए दी जाएगी। इसके बाद, इकाइयों को उस समय प्रचलित यूरिया नीति द्वारा शासित किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां

फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जनवरी 1961 को स्थापित एफसीआई को 1978 से नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमि. (एचएफसी) के साथ मिलाकर पांच कंपनियों एफसीआई, एनएफएल, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमि. (एचएफसी), राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमि. (आरसीएफ) एवं प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमि. (पीडीआईएल) में विभाजित कर दिया गया। पुनर्संरचना के बाद एफसीआई के पास सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामगुंडम (आंध्र प्रदेश) और तलचर (ओडिशा) में चार इकाइयां हैं, जिनकी सालाना 5.87 लाख एमटी की कुल नाइट्रोजन उत्पादन क्षमता है। कोरबा (छत्तीसगढ़) में भी एक परियोजना है, जो बीच में ही छोड़ दी गई।
वेबसाइट: www.fertcorpindia.nic.in

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का गठन 1978 में पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) तथा एनएफएल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पुनर्गठन के फलस्वरूप किया गया था। एचएफसीएल में बरौनी इकाई (बिहार), दुर्गापुर इकाई एवं हल्दिया इकाई (प.बंगाल) तथा नामरूप इकाई (असम) थीं। 2002 में नामरूप इकाई को अलग करके ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के नाम से अलग कंपनी बना दी गई।

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) का गठन 1978 में पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) के पुनर्गठन के बाद हुआ था। गठन के समय कंपनी के पास ट्रांबे (मुंबई के निकट) में केवल एक चालू इकाई थी और दो बड़ी परियोजनाओं ट्रांबे 4 और ट्रांबे 5 पर काम चल रहा था। ट्रांबे से लगभग 100 किमी दूर गैस से चलने वाली थल-वैशेट उर्वरक परिसर को बाद में आरसीएफ ने तैयार किया और उसने व्यावसायिक उत्पादन 1985 में शुरू किया।
वेबसाइट: www.rcfltd.com

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की स्थापना 1974 में भटिंडा (पंजाब) एवं पानीपत (हरियाणा) में एलएसएचएस के साथ दो नाइट्रोजन संयंत्र बनाने के लिए की गई थी, जिनमें प्रत्येक की सालाना 5.11 लाख एमटी यूरिया उत्पादन की क्षमता थी। 1978 में एफसीआई का पुनर्गठन होने के बाद उसकी नांगल इकाई (नांगल विस्तार परियोजना समेत) भी एनएलएफ को दे दी गई।
वेबसाइट: www.nationalfertilizers.com

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), जो पहले फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्रभाग था, का 1978 में एक अलग कंपनी के तौर पर पंजीकरण कर दिया गया। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में है।
वेबसाइट: www.pdilin.com

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) का गठन 1943 में किया गया था। 1947 में एफएसीटी ने कोचीन (अब कोच्चि) के निकट उद्योगमंडल में वार्षिक 50,000 एमटी की स्थापित क्षमता के साथ अमोनियम सल्फेट का उत्पादन शुरू किया। 1980 में एफएसीटी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई और 1982 के अंत में भारत सरकार इसमें बड़ी शेयरधारक बन गई। धीमी शुरुआत के बाद एफएसीटी उर्वरकों एवं पेट्रोरसायनों के विनिर्माण एवं विपणन, इंजीनियरिंग परामर्श एवं डिज़ाइन तथा औद्योगिक उपकरणों के फैब्रिकेशन एवं निर्माण में रुचि के साथ बहु-आयामी संगठन बन गई।
वेबसाइट: www.pdilin.com

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) की स्थापना भारत सरकार और अमरीका की अमोको (एएमओसीओ) इंडिया इनकॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1906 में की गई थी। इसमें 1985 में भारत सरकार की इक्विटी शेयर पूंजी 51 प्रतिशत थी। 1985 में अमोको अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर दिया जिसे भारत सरकार और एनआईओसी ने अपने-अपने अनुपात के हिसाब से खरीद लिया। नई हिस्सेदारी के अनुसार भारत सरकार के पास 67.55 प्रतिशत और एनआईओसी के पास 32.45 प्रतिशत शेयर थे।
वेबसाइट: www.madrasfert.nic.in

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) की नामरूप (असम) में दो परिचालन ईकाइयां हैं। इसका कॉरपोरेट कार्यालय भी नामरूप में स्थित है। कंपनी के अन्य प्रतिष्ठानों में नोएडा व कोलकाता में जनसंपर्क कार्यालय एवं गुवाहाटी, सिलीगुड़ी तथा पटना में विपणन कार्यालय हैं।
वेबसाइट: www.bvfel.com

एफसीआई-अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड

एफसीआई-अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल) की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की जोधपुर माइनिंग आर्गेनाइजेशन (जेएमओ) से अलग होने के बाद 2003 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई थी।
वेबसाइट: www.fagmil.nic.in

रसायन एवं पेट्रोरसायन

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था। उसके बाद इसे पेट्रोलियम एवं

रसायन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। फिर 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। यह विभाग रसायन, पेट्रोरसायन और दवा उद्योग क्षेत्र के नियोजन, विकास और नियमों के लिए उत्तरदायी है। इसके अधीन आने वाले कुछ उत्पाद और कार्य इस प्रकार हैं- दवाएं, उन दवाओं को छोड़कर जो अन्य विभागों के लिए आवंटित हैं; कीटनाशक, कीटनाशक कानून, 1968 को छोड़कर; शीरा; अल्कोहल-औद्योगिक एवं शीरे से बना पेय; सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, केवल उन्हें छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के लिए आवंटित नहीं हैं: पेटोरसायनः सिंथेटिक रबरः विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का नियोजन, विकास. नियंत्रण और उनका सहयोग।
वेबसाइट: www.chemicals.nic.in

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग

रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग ज्ञान और पूंजी के भारी उपयोग वाला उद्योग है। यह बढ़ते हुए भारतीय उद्योग का अभिन्न अंग है। इसमें मूलभूत रसायन और उनके उत्पाद जैसे पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र और टायलेटरी तथा औषधि आते हैं। यह उद्योग मूलभूत जरूरतें पूरी करने और जीवन स्तर बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक और कषि विकास की रीढ़ है और कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों मसलन- कपड़ा, कागज़, पेंट, साबुन, डिटरजेंट, औषधि, वार्निश आदि उद्योगों को बुनियादी सामग्री देता है। भारत में कई उत्कृष्ट एवं विशेष रसायन बनते हैं जिनका फूड एडिटिव, पिगमेंट, पॉलिमर एडिटिव और रबर उद्योग में ऐंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग होता है।

रसायन उद्योग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। ज्यादातर रासायनिक और पेट्रोरासायनिक उत्पाद लाइसेंस से मुक्त हैं। उद्यमी को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) जमा करना होता है, बशर्ते इसमें स्थान की समस्या न आ रही हो। हानिकारक होने के कारण केवल निम्नलिखित उत्पादों के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है: हाइड्रोसाइनिक एसिड और उसके व्युत्पन्न पदार्थ, फॉसजीन और उसके व्युत्पन्न पदार्थ, हाइड्रोकार्बन के आईसोसाइनेट और डाई-आईसोसाइनेट। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के तहत तीन कार्यक्रम लागू कर रहा है: (i) प्लास्टिक पार्क स्थापित करना (ii) पॉलिमर तकनीकी में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करना, और (iii) पेट्रोरसायन और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में नई तकनीकी खोज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

पेट्रोलियम रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र

पेट्रोलियम रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति का उद्देश्य बहुत बड़ेरस्तर पर एकीकृत औ अनुकूल वातावरण में पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। 2017 में इस नीति का मसौदा तैयार किया गया जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वेबसाइट: www.chemicals.nic.in

हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

मूलभूत कार्बनिक रसायनों में आत्मनिर्भरता पाने के लिए 1960 में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) का गठन किया गया। कंपनी की रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में दो विनिर्माण इकाइयां हैं। रसायनी इकाई (रासायनिक यौगिक) ने 1970-71 में और कोच्चि इकाई (फेनोल यौगिक) ने 1987-88 में उत्पादन शुरू किया। एचओसीएल भारत में डाई-नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड बनाने वाली इकलौती कंपनी है और इस रसायन की आपूर्ति इसरो को उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए की जाती है। एचओसीएल की एक सहयोगी कंपनी मैसर्स हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) है जो तेलंगाना के रुद्रारम में स्थित है और हाइटेक इंजीनियरिंग प्लास्टिक पॉली ट्रेटाफ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) एवं क्लोरो डाइ-फ्लोरो मीथेन (सीएफएम-22) का उत्पादन करती है।
वेबसाइट: www.hoclindia.com

हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड

हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड (एचआईएल) की स्थापना डीडीटी के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए 1954 में की गई थी। 1957 में कंपनी ने डीडीटी बनाने के लिए उद्योग मंडल, केरल में और 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में कीटनाशक मैलाथियन बनाने के लिए कारखाने लगाए। एचआईएल की तीसरी इकाई पंजाब के भटिंडा 2003 में स्थापित की गई। रसायनी और उद्योगमंडल की इकाइयों में डीडीटी और कृषि रसायन दोनों के निर्माण की सुविधाएं हैं जबकि भटिंडा की इकाई में केवल फार्मूलेशन और पैकेजिंग की सुविधा है।

एचआईएल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मच्छरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के लिए डीडीटी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी है। कंपनी के कुल कारोबार में डीडीटी का हिस्सा करीब 50 प्रतिशत है। कंपनी कुछ अफ्रीकी देशों को डीडीटी और ब्राज़ील व अर्जेंटीना जैसे देशों को मैलाथियन एवं मैंकोजेब जैसे उत्पादों का निर्यात करती है। कृषि क्षेत्र को उचित कीमत पर गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचआईएल 1970 के दशक के उत्तरार्ध में कृषि रसायनों का निर्माण भी करने लगी और उसके पास कई प्रकार के तकनीकी और फार्मुलेशन ग्रेड के कीटनाशक हैं। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसने बीज के कारोबार में भी कदम बढ़ा दिया है। कृषि मंत्रालय से इसे राष्ट्रीय स्तर की बीज एजेंसी (एनएलए) का दर्जा मिला हुआ है और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम), राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) तथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने उर्वरक के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है ताकि कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों जैसी कृषि संबंधी जरूरतें एक ही स्थान से पूरी की जा सकें।
वेबसाइट: www.hil.gov.in

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) की स्थापना 1983 में की गई थी। यह रुद्रारम, जिला मेडक, तेलंगाना में स्थित है। कंपनी ने 1987 में उत्पादन शुरू किया और यह पॉलीट्रेटा फ्लूरो एथिलीन (पीटीएफई) और क्लोरो डाइ-फ्लोरो मीथेन (सीएफएम-22) बनाती है। पीटीएफई का इस्तेमाल रासायनिक, यांत्रिक, विद्युतीय और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भी इसका रणनीतिक उपयोग होता है। सीएफएम-22 का प्रयोग प्रशीतक के तौर पर किया जाता है और पीटीएफई के उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग होता है।
वेबसाइट: www.hfl.co.in

असम गैस क्रैकर परियोजना-ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

केंद्र सरकार, ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) और ऑल असम गणपरिषद (एएजीपी) के बीच समझौते के फलस्वरूप 1985 में असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) आरंभ की गई। यह परियोजना असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अत्यंत आर्थिक महत्व रखती है। एजीसीपी को 2016 में देश को समर्पित किया गया था।

केंद्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

केंद्रीय प्लास्टिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) आईएसओ 9001:2008 क्यूएमएस, आईएसओ/आईईसी-17020 प्रमाणन वाला उत्कृष्ट प्लास्टिक संस्थान है जो रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। सीआईपीईटी की विविध गतिविधियों में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों जैसे- डिजाइन, सीएडी/सीएम/सीएई, टूल, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन आदि में कौशल विकास, उद्योग को तकनीकी सहयोग, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास (स्टार) आदि शामिल हैं। सीआईपीईटी का दायरा बढ़ा दिया गया है और यह अब देश के 18 राज्यों में 30 केंद्रों पर काम कर रहा है। इसके पांच हाई लर्निंग सेंटर (एचएलसी) हैं जिनमें अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्रियां दी जाती हैं। इनके अलावा 12 डिप्लोमा सेंटर हैं जो डिप्लोमा व कौशल वाले कोरों पर केंद्रित हैं, 6 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) हैं जो बेरोज़गार युवाओं को बेहतर रोज़गार देने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास का प्रशिक्षण देते हैं, 3 आरएंडडी विंग्स हैं जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यवहारमूलक अनुसंधान में लगे हैं, 3 विशेष सेंटर हैं

जो अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में शैक्षिक कोर्स और तकनीकी सहयोग सेवा मुहैया कराते हैं और प्लास्टिक प्रसंस्करण एवं रिसाइकिलिंग तकनीकी में ऑपरेटर स्तर का प्रशिक्षण कोर्स कराते हैं और एक पॉलिमर डेटा सर्विस सेंटर है जो डेटाबेस बनाने का काम देखता है। ये सेंटर अपने अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं।

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) की स्थापना 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। आईपीएफटी कीटनाशकों के तकनीकी एवं सूत्रीकरण, विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेषों और सीडब्ल्यूसी संबंधित रसायनों के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला है। संस्थान की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों की फार्मुलेशन (सूत्रीकरण) प्रौद्योगिकी तैयार करना है। आईपीएफटी ने कीटनाशक उद्योग के साथ मिलकर अच्छा तालमेल बिठा लिया है और अभी तक वह भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को 50 से अधिक कीटनाशकों की फार्मुलेशन प्रौद्योगिकी सौंप चुका है।

औषधि क्षेत्र

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था। उसके बाद इसे पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। फिर 1991 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। यह विभाग रसायन, पेट्रोरसायन और दवा उद्योग क्षेत्र के नियोजन, विकास और नियमों के लिए उत्तरदायी है। इसके अधीन आने वाले कुछ उत्पाद और कार्य इस प्रकार हैं- दवाएं, उन दवाओं को छोड़कर जो अन्य विभागों के लिए आवंटित हैं; कीटनाशक, कीटनाशक कानून, 1968 को छोड़कर; शीरा; अल्कोहल-औद्योगिक एवं शीरे से बना पेय; सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, केवल उन्हें छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के लिए आवंटित नहीं हैं; पेट्रोरसायन; सिंथेटिक रबर; विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और उनका सहयोग।
वेबसाइट: www.pharmaceuticals.gov.in

औषधि मूल्य निर्धारण नीति

राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण नीति-2012 (एनपीपीपी-2012) वर्ष 2012 में अधिसूचित की गई थी जिसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर दवाओं (आवश्यक दवाओं) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक ढांचा बनाना था, साथ ही दवा उद्योग की वृद्धि को सहयोग देने के लिए नई खोज व प्रतिस्पर्धा को भी पर्याप्त अवसर मुहैया कराना था ताकि रोज़गार के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और सभी को अर्थव्यवस्था का लाभ मिल सके। इसके बाद, एनपीपीपी-2012 को लागू करने के लिए 2013 में एक नया ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) ऑर्डर अधिसूचित किया गया ताकि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 (एनएलईएम-2011) के अनुसार विशिष्ट खुराकों व शक्तियों के मूल्य नियंत्रित किए जा सकें। इसे एनएलईएम-2015 में शामिल की गई दवाओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। उपरोक्त सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्राप्त की गई थी, जिसने चिकित्सा संबंधी उत्पादों के इस्तेमाल के सम-सामयिक ज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम 2011) के संशोधन की समीक्षा व सिफ़ारिश के लिए एक एक्सपर्ट कोर कमेटी गठित की थी।

चिकित्सा उपकरण उद्योग

चिकित्सा उपकरण उद्योग एक विविध उत्पादों वाला उद्योग है जो विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में भारत एक बड़े बाज़ार के तौर पर उभर रहा है। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग करीब 70 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है। अत्यंत उन्नत प्रौद्योगिकी वाले नए उपकरण और प्रौद्योगिकी एक अच्छी तरह से विकसित ढांचे में बनते हैं, जिसे भारत में उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि देशी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। 2014 में भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया था जिसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना था और इस प्रकार विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी को भारत में लाना था।

चिकित्सा उपकरण अनुभाग

चिकित्सा उपकरण खण्ड के दायरे में सिरिंज और सूइयों जैसी अपेक्षाकृत कम मूल्य वाली मदों से लेकर सीटी स्कैन और कैथ लैब्स आदि जैसे उच्च मूल्य के उपकरण तक शामिल हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मोटे तौर पर (क) चिकित्सकीय निपटान योग्य उपभोज्यों, (ख) मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अस्पताल के उपकरण, सर्जिकल उपकरण, (ग) अंतर्रोप या इम्प्लांट्स और (घ) नैदानिक अभिकर्मक या रीएजेंट्स में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

जनऔषधि योजना 2008 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां किफायती कीमतों पर बेचना था। इसके लिए देशभर के विभिन्न जिलों में जन औषधि केंद्र बनाए गए थे। इस योजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं: बेहतर क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि प्रतिव्यक्ति इलाज की यूनिट लागत को कम किया जा सके, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना ताकि क्वालिटी का मतलब केवल ऊंची कीमत न हो।

पहला जनऔषधि केंद्र 2008 में अमृतसर, पंजाब में खोला गया था। इस योजना का मूल लक्ष्य देश के हर जिले में जन औषधि स्टोर खोलना था। हाल ही में, प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना (पीएमजेएवाई) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, (पीएमबीजेपी) और प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र, (पीएमजेएके) का नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र, (पीएमबीजेके) कर दिया गया।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड

भारतीय ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) की स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। कंपनी के पास इस समय तीन विनिर्माण ईकाइयां हैं- एक ऋषिकेश (उत्तराखंड), एक हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और एक गुड़गांव (हरियाणा) में। आईडीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां हैं जिनके नाम हैं : आईडीपीएल लिमिटेड, चेन्नई (तमिलनाडु) और मुजफ्फरपुर (बिहार) में बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। इसके अलावा आईडीपीएल के पास दो संयुक्त उपक्रम हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें मदद देती हैं। ये हैं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर और ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल), भुवनेश्वर। हालांकि सरकार ने आरडीपीएल को आईडीपीएल से अलग करने का निर्णय लिया है और अलग करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।
वेबसाइट: www.idplindia.in

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) पहले निजी क्षेत्र की एक बीमार कंपनी थी जिसका नाम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स था। 1961 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स के नाम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दी गई। कंपनी की चार विनिर्माण ईकाइयां माणिक लाल, कोलकाता, उत्तरी 24 परगना (प.बंगाल), मुंबई (महाराष्ट्र) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हैं। यह कंपनी विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायनों का निर्माण और बिक्री करती है, सौंदर्य प्रसाधनों और घरेलू उत्पादों के अलावा विभिन्न प्रकार की दवाएं और औषधियां भी बनाती है। इसके लोकप्रिय घरेलू उत्पादों में कैंथराइडिन हेयर ऑयल और लैंप ब्रांड फिनायल प्रमुख हैं।
वेबसाइट: www.bengalchemicals.co.in

खदान एवं खनिज

खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों के सर्वेक्षण एवं उत्खनन के लिए, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, सीसा, सोना, निकल इत्यादि जैसे गैर-लौह धातुओं के खनन और धातु शोधन के लिए तथा खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 और उसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खानों व खनिजों के संबंध में बनाए गए नियमों के साथ-साथ तटीय क्षेत्र

खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2002 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

खान मंत्रालय जिन कार्यों के लिए जिम्मेदार है, वे हैं: समय-समय पर संसद द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत भारत की सीमा में आने वाले क्षेत्र के भीतर खानों के नियमन खनिजों के विकास के लिए कानून बनाना। इसमें समुद्री क्षेत्र या महाद्वीपीय सीमा या विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर पानी के नीचे स्थित खान और खनिज शामिल हैं; कोयला, लिग्नाइट और रेत के अलावा खानों के लिए विनियमन और खनिजों के विकास और कानून द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उद्देश्य के लिए उल्लिखित किसी अन्य खनिज के साथ विभिन्न राज्यों में खनिजों के विकास एवं विनियमन से जुड़े प्रश्न और उनसे जुड़े मामले; किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित नहीं की गई धातुएं एवं खनिज जैसे एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल; मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाले सभी उद्योगों का नियोजन, विकास, नियंत्रण और सहायता; भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो का प्रशासन और प्रबंधन।
वेबसाइट: www.minesgov.in

खनिज विधायन और सुधार

खानों एवं खनिजों के विकास एवं विनियमन के लिए केंद्रीय कानून खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 है जो 1958 से लागू हुआ। एमएमडीआर की धारा-13 प्रमुख खनिजों को खनिज छूट देने के लिए विनियमन संबंधी कानून बनाने का अधिकार सरकार को देती है। खनिज छूट नियम, 1960 इसके अनुसार ही बनाए गए हैं। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए और खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं संरक्षण के लिए नियम बनाने का अधिकार सरकार को देती है जिसके अनुसार खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 बनाया गया। एमएमडीआर, 1957 अधिनियम की धारा-15 छोटे खनिजों के संबंध में पट्टे का आवंटन करने, खनन पट्टे का आवंटन या अन्य खनिज रियायतों के विनियमन के लिए नियम बनाने की अनुमति राज्य सरकारों को देती है जिसके अनुसार सभी राज्य सरकारों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में अपने-अपने नियम बनाए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से निम्नलिखित नियम बनाए गए और उपरोक्त अधिनियम के नए संशोधित प्रावधान को प्रभावी बनाने तथा खनन क्षेत्र को बल देने के लिए बनाए गए। नए नियम इस प्रकार हैं: खनिज (खनिज सामग्री के प्रमाण) नियम 2015; खनिज (गैर-विशेष टोह परमिट), 2015; खनिज (नीलामी) नियम, 2015; और खनिज (सरकारी कंपनियों द्वारा खनन) नियम, 2015; खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन को योगदान) नियम, 2015; राष्ट्रीय अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015; खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकॉर्बन ऊर्जा खनिज 6; छूट) नियम, 201 खनिज (सीमित उद्देश्य के लिए नीलामी द्वारा मंजूर खनन लीज़ का हस्तांतरण) नियम, 2016; परमाणु खनिज छूट नियम, 2016; और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट

सरकार ने खदान एवं खनिज (विकास एवं कानून) संशोधन अधिनियम 1957 की धारा 9सी की उपधारा 1 का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015 को अधिसूचित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण को प्रोत्साहन दिया जा सके और खनिज उत्पादन में वृद्धि के अलावा खनिज के क्षेत्र में टिकाऊ विकास हासिल किया जा सके।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) शुरू की है जिसे संबंधित जिलों के जिला खनिज प्रतिष्ठानों (डीएमएफ) द्वारा लागू किया जाएगा। पीएमकेकेकेवाई खनन का अनुकूल वातावरण तैयार करने, प्रभावित व्यक्ति की दशा में सुधार करने और सभी पक्षों को फायदा पहुंचाने में सहायता करेगी। डीएमएफ के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा रहा है जो पीएमकेकेकेवाई के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने में मदद करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा पीएमकेकेकेवाई की निगरानी करेगी।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति, 2016 (एनएमईपी) बनाई जो देश के खनिज संसाधनों (गैर-ईंधन और गैर-कोयला) की गहन खोज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की रणनीति का उल्लेख करती है और उसकी कार्य योजना के बारे में बताती है। एनएमईपी का मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के जरिए देश में खनिजों के अन्वेषण को तेज करना है।

पारदर्शिता, नीलामी, निगरानी और संसाधन संवर्धन

खनिज ब्लॉक आवंटित होने के बाद जरूरी विभिन्न मंजूरियों को दिलाने में सहयोग करने और उसे तेज करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया गया है जो उत्खनन का काम जल्दी शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियों में तेजी लाएगा। मंत्रालय ने एक पारदर्शिता, नीलामी, निगरानी और संसाधन संवर्धन (टीएएमआरए) पोर्टल और मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया है। सांविधिक/अन्य मंजूरियों के लिए समय के नियोजन में सभी पक्षों के बीच आपसी संवाद के लिए एक मंच का काम करेगा।

खदानों की स्टार रेटिंग

खान मंत्रालय ने स्थायी विकास ढांचा (एसडीएफ) लागू करने के लिए 2016 में खदानों/खनन पट्टों की स्टार रेटिंग की योजना शुरू की। स्टार रेटिंग तकनीकी, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणगत मानदंडों पर खदानों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं और उनके गतिविधियों की वस्तुपरक रिपोर्टिंग देती हैं।

खनन निगरानी सिस्टम

अवैध खनन के खतरे को रोकने के लिए एक उपग्रह-आधारित निगरानी सिस्टम (एमएसएस) विकसित किया गया और शुरू किया गया जिसका उद्देश्य स्वतः दूर संवेदी खोज तकनीकी के जरिए एक प्रभावी खनिज प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करना है। उपग्रह से मिली ताजा छवियों का भू-संदर्भित खनन लीज़ मानचित्र से मिलान किया जाता है ताकि क्षेत्र में किसी अवैध खनन का पता लगाया जा सके।

खनिज संसाधन

संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण संरचना (यूएनएफसी) पर आधारित विभिन्न खनिजों के भंडारों/संसाधनों का वर्गीकरण अप्रैल 2010 में किया गया था जिसके बाद राष्ट्रीय खनिज सूची तैयार की जाती है। यूएनएफसी में तीन आयामी व्यवस्था है जिसके तीन क्षेत्र हैं- आर्थिक दृष्टि से लाभ की संभावना, व्यावहारिकता का आकलन और भौगोलिक आकलन।

बॉक्साइट

संयुक्त राष्ट्र प्रारूप वर्गीकरण (यूएनएफसी) के मुताबिक 2015 में बॉक्साइट का कुल संसाधन 38,970 लाख टन है। इन संसाधनों में 6,560 लाख टन भंडार और 32,400 लाख टन शेष संसाधन शामिल हैं। ग्रेड के अनुसार करीब 80 प्रतिशत संसाधन धातु-शोधन ग्रेड के हैं। असाध्य किस्म के संसाधन और रासायनिक ग्रेड सीमित मात्रा में हैं जिनकी कुल संख्या करीब 5 प्रतिशत है। राज्यों के अनुसार, अकेले ओडिशा में देश के कुल बॉक्साइट का 51 प्रतिशत संसाधन है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (16 प्रतिशत), गुजरात (9 प्रतिशत), झारखंड (6 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश (प्रत्येक 4 प्रतिशत) का स्थान आता है। बॉक्साइट के बड़े संसाधन ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी समुद्रतट के भंडारों में हैं।

क्रोमाइट

संयुक्त राष्ट्र प्रारूप वर्गीकरण (यूएनएफसी) प्रणाली के मुताबिक, 2015 में क्रोमाइट का कुल संसाधन करीब 3,440 लाख टन होने का अनुमान था जिसमें 1,020 लाख टन भंडार (30 प्रतिशत) और 2,420 लाख टन शेष संसाधन (70 प्रतिशत) था। क्रोमाइट के करीब 90 प्रतिशत संसाधन ओडिशा में हैं, ज्यादातर जाजपुर और क्योंझर जिलों के सुकिंदा घाटी में स्थित हैं। छोटे भंडार मणिपुर, नगालैंड, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिखरे हुए हैं। ग्रेड के हिसाब से चार्ज-क्रोम ग्रेड की मात्रा 31 प्रतिशत है, जिसके बाद फेरोक्रोम ग्रेड (18

प्रतिशत), लाभप्रद ग्रेड (25 प्रतिशत) और असाध्य ग्रेड (14 प्रतिशत) का नंबर आता है। निम्न, अन्य, गैर-वर्गीकृत और अज्ञात ग्रेड की कुल मात्रा 13 प्रतिशत है।

तांबा

2015 में तांबे के अयस्क का कुल संसाधन 15,115 लाख टन है जिसमें करीब 121.6 लाख टन तांबा धातु है। इसमें से 2077.70 लाख टन (13.74 प्रतिशत) आरक्षित श्रेणी में आता है जिसमें करीब 27.30 लाख टन तांबा है और शेष 13,037.30 लाख टन (86.26), शेष संसाधन, हैं जिनमें 94.20 लाख टन तांबा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 8,133.30 लाख टन तांबे का अयस्क (54 प्रतिशत) है जिसमें 44.80 लाख टन तांबा है। इसके बाद मध्य प्रदेश 2834.30 लाख टन अयस्क (19 प्रतिशत) और 34.20 लाख टन तांबा, झारखंड 2953.90 लाख टन अयस्क (20 प्रतिशत) और 32.80 लाख टन तांबा, और शेष 7 प्रतिशत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बिखरे हैं।

सोना

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में सोने का कुल संसाधन (प्राथमिक एवं प्लेसर) देश में 5,279.60 लाख टन था। इसमें से 172.30 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखे गए थे और शेष 5,107.30 लाख टन शेष संसाधन की श्रेणी में। सोने (प्राथमिक) का कुल संसाधन, धातु के मामले में, 654.74 टन था। इसमें से 70.09 टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया था और 584.65 टन शेष संसाधन की श्रेणी में। इन संसाधनों में प्लेसर टाइप के सोने का अयस्क केरल में है जो अनुमानित 261.20 लाख टन है और इसमें 5.86 टन सोना धातु है।

राज्यवार देखें तो सोने के अयस्क (प्राथमिक) का सबसे बड़ा संसाधन बिहार (44 प्रतिशत) में है, जिसके बाद राजस्थान (25 प्रतिशत) और कर्नाटक (21 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश (प्रत्येक 3 प्रतिशत), तेलंगाना और मध्य प्रदेश (प्रत्येक 2 प्रतिशत) का नंबर आता है। शेष बहुत कम मात्रा छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। धातु की मात्रा के मामले में कर्नाटक सबसे ऊपर है जिसके बाद राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड आदि का स्थान आता है।

लौह अयस्क

हेमाटाइट और मैगनेटाइट भारत में सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क हैं। करीब 50 प्रतिशत हेमाटाइट अयस्क के भंडार पूर्वी सेक्टर में पाए जाते हैं। करीब 92 प्रतिशत मैगनेटाइट अयस्क के भंडार दक्षिणी सेक्टर में हैं, खासकर कर्नाटक में। हेमाटाइट को उसके ऊंचे ग्रेड के कारण बेहतर माना जाता है। हेमाटाइट के भारतीय भंडार प्री-कैंब्रियन ल अयस्क सीरीज के हैं और यह अयस्क बैंडेड लौह अयस्क फॉरमेशन के अंतर्गत हैं जो विशाल चट्टानों, परतदार, भुरभुरे और चूर्ण के रूप में भी होते हैं।

यूएनएफसी प्रणाली के मुताबिक, 2015 में हेमाटाइट का कुल संसाधन 2,24,870 लाख टन होने का अनुमान था। इसमें से 54,420 लाख टन (24 प्रतिशत), आरक्षित श्रेणी में हैं और शेष 17,0450 लाख टन (76 प्रतिशत), शेष संसाधन, की श्रेणी में हैं। ग्रेड के हिसाब से गांठों का हिस्सा करीब 56 प्रतिशत, कोमल (फाइन) 21 प्रतिशत है, गांठ और कोमल 13 प्रतिशत और शेष 10 प्रतिशत काला लौह अयस्क, अज्ञात व अन्य ग्रेड के हैं। हेमाटाइट के बड़े संसाधन ओडिशा में स्थित हैं जो अनुमानित 75,590 लाख टन (34 प्रतिशत), इसके बाद झारखंड-52,860 लाख टन (24 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ 48,580 लाख टन (22 प्रतिशत), कर्नाटक-24,870 लाख टन (11 प्रतिशत) और गोवा-11,890 लाख टन (5 प्रतिशत) का स्थान आता है। हेमाटाइट के शेष संसाधन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं।

मैग्नेटाइट एक अन्य मुख्य लौह अयस्क है। यह भी ऑक्साइट के रूप में मिलता है। यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में मैग्नेटाइट का कुल संसाधन 1,97,890 लाख टन था जिसमें, आरक्षित, का हिस्सा केवल 530 लाख टन है जबकि 1,07,360 लाख टन को शेष संसाधनों में रखा गया है। ग्रेड के आधार पर 20 प्रतिशत संसाधन शोधन ग्रेड के हैं जबकि 80 प्रतिशत संसाधन गैर-वर्गीकृत, अज्ञात और अन्य ग्रेड में आते हैं। कोल वाशरी और फाउंड्री ग्रेड का अनुपात बहुत कम है। भारत के 96 प्रतिशत मैग्नेटाइट संसाधन चार राज्यों- कर्नाटक 78,020 लाख टन (72

प्रतिशत), आंध्र प्रदेश 13,920 लाख टन (13 प्रतिशत), राजस्थान 6170 लाख टन (6 प्रतिशत), और तमिलनाडु 5,070 लाख टन (5 प्रतिशत)। बाकी का 4 प्रतिशत असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय और नगालैंड को मिलाकर है।

सीसा और जस्ता

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में सीसा और जस्ता के अयस्कों का कुल संसाधन 7494.60 लाख टन था। इसमें से 1,061.20 लाख टन आरक्षित श्रेणी में है और शेष 6,433.40 लाख टन (86 प्रतिशत) ,शेष संसाधन, की श्रेणी में हैं। अयस्क के संसाधन, जिसमें 10 प्रतिशत से ज्यादा सीसा और जस्ता था, उसकी मात्रा अनुमानित 1243.30 लाख टन थी और 5 से 10 प्रतिशत सीसा व जस्ता वाले संसाधन की मात्रा 3298.80 लाख टन थी, 5 प्रतिशत से कम सीसा व जस्ता वाले संसाधन की मात्रा 2,953.50 लाख टन थी।

राजस्थान में सीसा और जस्ता का संसाधन सबसे ज्यादा 6,703.40 लाख टन (89.44 प्रतिशत) था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश 226.90 लाख टन (3.02 प्रतिशत), मध्य प्रदेश 148.40 लाख टन (1.98 प्रतिशत), बिहार 114.30 लाख टन (1.52 प्रतिशत) और महाराष्ट्र 92.70 लाख टन (1.24 प्रतिशत) था। गुजरात, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी इसके संसाधनों का अनुमान है।

मैगनीज़ अयस्क

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, देश में 2015 में मैगनीज़ का कुल संसाधन 4,960 लाख टन था। इसमें से 940 लाख टन को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और बाकी 4,020 लाख टन शेष की श्रेणी में। ग्रेड के हिसाब से फेरो-मैगनीज़ की मात्रा 7 प्रतिशत, मीडियम ग्रेड 11 प्रतिशत, बीएफ ग्रेड 28 प्रतिशत और शेष 54 प्रतिशत निम्न, अन्य और अज्ञात ग्रेड में आते हैं जिनमें 1.70 लाख टन बैटरी/रासायनिक ग्रेड शामिल हैं।

राज्यों के हिसाब से ओडिशा 44 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद कर्नाटक 22 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 12 प्रतिशत, महाराष्ट्र और गोवा प्रत्येक 7 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 4 प्रतिशत और झारखंड 2 प्रतिशत का स्थान आता है। राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल को मिलाकर करीब 2 प्रतिशत संसाधन है।

निकेल

ओडिशा के जाजपुर जिले की सुकिंदा घाटी में क्रोमाइट की परतों में निकेलिफेरस लिमोनाइट मिलता है जो ऑक्साइड के रूप में होता है। इसके उपयोग के लिए कोई समुचित तरीका विकसित किया जा रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में निकेल तांबे के खनिजीकरण के साथ सल्फाइड के रूप में भी होता है। इसके अलावा यह झारख के जादुगुडा में यूरेनियम के भंडारों के साथ भी पाया जाता है। कर्नाटक, केरल और राजस्थान में भी निकल होने की ख़बरें हैं। समुद्र के तल में पॉलीमेटालिक नोड्यूल निकल के एक अन्य स्रोत हैं। यूएनएफसी के अनुसार, 2015 में निकल का कुल संसाधन 1,890 लाख टन आंका गया था। करीब 92 प्रतिशत यानी 1,750 लाख टन अकेले ओडिशा में है। बाकी 8 प्रतिशत संसाधन झारखंड (90 लाख टन) और नगालैंड (50 लाख टन) में हैं। कर्नाटक (2.30 लाख टन) में भी निकेल का मामूली-सा संसाधन मिलता है।

टंगस्टन

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में टंगस्टन अयस्क का कुल संसाधन 874 लाख टन था, जिनमें 1,42,094 टन डब्ल्यू ओ3 (टंगस्टन ऑक्साइड) सामग्री थी। इन सभी संसाधनों को, शेष संसाधनों, की श्रेणी में रखा गया है। इसके संसाधन मुख्य रूप से कर्नाटक (42 प्रतिशत), राजस्थान (27 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (17 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9 प्रतिशत) पाए जाते हैं। बाकी 5 प्रतिशत संसाधन हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और प. बंगाल में हैं। राजस्थान के देगाना में शिरानुमा भंडारों में (वेन डिपॉजिट्स) डब्ल्यूओ3 सामग्री 0.13 से लेकर 0.80 प्रतिशत तक पाई जाती है जबकि बजरी वाले भंडारों में यह औसतन 0.04 प्रतिशत होती है। राजस्थान के सिरोही भंडार में डब्ल्यूओ3 सामग्री 0.18 से 0.51 प्रतिशत तक है।

बैराइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में बैराइट का कल संसाधन 867 लाख टन था जिसमें 59.2 प्रतिशत आरक्षित श्रेणी में और 40.8 प्रतिशत शेष श्रेणी में रखा गया है। ग्रेड के अनसार 64 प्रतिशत संसाधन तेल-कप डिलिंग ग्रेड का है और उसके बाद 6 प्रतिशत रासायनिक ग्रेड, 0.5 प्रतिशत पेंट ग्रेड, 27 प्रतिशत निम्न ग्रेड है। करीब 2.5 प्रतिशत संसाधन अन्य, गैर-वर्गीकृत और अज्ञात श्रेणी के हैं। आंध्र प्रदेश में देश के कुल बैराइट संसाधन का 92 प्रतिशत भाग है जिसके बाद तेलंगाना और राजस्थान का स्थान आता है।

हीरा

देश में हीरे की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल से है। इस समय भारत में हीरे के खानों को चार क्षेत्रों में बांटा जाता है: (1) आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसमें अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा और कुरनूल जिलों और तेलंगाना के महबूब नगर जिले के हिस्से आते हैं, (2) मध्य प्रदेश का मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें पन्ना इलाका और छतरपुर जिला आता है, (3) छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बेहरादीन कोडावली इलाक़ा और बस्तर जिले में टोकापाल, ड्र्गापाल आदि इलाका और (4) मुख्य रूप से ओडिशा का पूर्वी भारतीय क्षेत्र, जो महानदी और गोदावरी घाटियों के बीच पड़ता है।

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में भारत में हीरे का कुल संसाधन करीब 318.40 लाख कैरेट था। इसमें से 96 लाख कैरेट को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और 308.70 लाख कैरेट शेष श्रेणी में रखा गया है। ग्रेड के अनुसार, करीब 2.38 प्रतिशत संसाधन रत्न किस्म के हैं, 2.64 प्रतिशत औद्योगिक किस्म के और 95 प्रतिशत संसाधन गैर-वर्गीकृत श्रेणी में आते हैं। राज्यों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में अकेले 90.18 प्रतिशत संसाधन हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (5.73 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (4.10 प्रतिशत) का स्थान आता है।

डोलोमाइट

डोलोमाइट पूरे देश में पाया जाता है। यूएनएफसी के अनुसार, 1.4.2015 में डोलोमाइट का कुल संसाधन 84,150 लाख टन था। इसमें से 6790 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। करीब 88 प्रतिशत संसाधन आठ राज्यों में थे: मध्य प्रदेश (27 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (15 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (11 प्रतिशत), ओडिशा (10 प्रतिशत), कर्नाटक और राजस्थान (प्रत्येक 7 प्रतिशत), गुजरात (6 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (5 प्रतिशत)। बाकी 12 प्रतिशत संसाधन अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बंटे हैं।

फायर-क्ले

भारत में फायर-क्ले ऊष्मारोधी मिट्टी के पर्याप्त भंडार हैं। इसके सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश के लोवर, गोंडवा के कोयला खदानों में कोयले की परतों के साथ मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड, प.बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में नेवेली के लिग्नाइट कोयला खदानों में भी ये मिलते हैं। कुछ बड़े भंडार, जो कोयला खदानों से जुड़े नहीं हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के जबलपुर, और ओडिशा के बेलपहाड़-सुंदरगढ़ इलाके में हैं।

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में फायर-क्ले का कुल संसाधन और भंडार 7,230 लाख टन था। इसमें से अकेले ओडिशा में 24 प्रतिशत था, जिसके बाद मध्य प्रदेश (18 प्रतिशत), तमिलनाड (16 प्रतिशत), झारखंड (9 प्रतिशत), राजस्थान व गुजरात (प्रत्येक 8 प्रतिशत) का नंबर आता है। ग्रेड के हिसाब से कठोर प्लास्टिक ग्रेड सबसे ज्यादा 37 प्रतिशत है, जिसके बाद कठोर-अनिर्दिष्ट (14 प्रतिशत) और कठोर-गैर-प्लास्टिक, सेमी-प्लास्टिक (16 प्रतिशत) का स्थान आता है। शेष 33 प्रतिशत अन्य, अवर्गीकृत और अज्ञात ग्रेड की श्रेणी में आते हैं।

फ्लोरस्पार

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में फ्लोराइट का कुल संसाधन 188.8 लाख टन था। इसमें से 2.9 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। राज्यों के हिसाब से गुजरात में 120 लाख टन के साथ कुल संसाधन का 66 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद 52.40 लाख टन के साथ राजस्थान (29 प्रतिशत), 5.5 लाख टन के साथ छत्तीसगढ़ (3 प्रतिशत) और 3.9 लाख टन के साथ महाराष्ट्र (2 प्रतिशत) का स्थान है। ग्रेड के हिसाब से संसाधनों को बिक्री योग्य ग्रेड (81 प्रतिशत), निम्न ग्रेड (17 प्रतिशत) और गैर-वर्गीकृत ग्रेड (2 प्रतिशत) में बांटा जाता है।

जिप्सम

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में भारत में जिप्सम खनिज का कुल संसाधन 13,300 लाख टन था जिसमें से 370 लाख टन आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और 12,930 लाख टन शेष श्रेणी में। कुल संसाधनों में से उर्वरक/पॉटरी ग्रेड 80 प्रतिशत है और सीमेंट/पेंट ग्रेड 13 प्रतिशत। अवर्गीकृत और अज्ञात ग्रेड को मिलाकर 5 प्रतिशत संसाधन हैं। बाकी के 2 प्रतिशत संसाधन सर्जिकल प्लास्टर, मिट्टी शोधन ग्रेड में बंटे हैं। राज्यवार ढंग से देखें तो राजस्थान में अकेले 81 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 14 प्रतिशत संसाधन हैं। बाकी 5 प्रतिशत तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंटे हैं।

ग्रेफाइट

ग्रेफाइट के स्रोत वैसे तो कई राज्यों में मिलते हैं लेकिन आर्थिक महत्व की दृष्टि से यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाड में पाया जाता है। यएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में ग्रेफाइट का कल संसाधन 1,948.90 लाख टन था जिसमें से 79.60 लाख टन आरक्षित श्रेणी में और 1869.30 लाख टन शेष श्रेणी में रखा गया है। कुल संसाधन का 37 प्रतिशत हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है जिसके बाद जम्मू-कश्मीर (32 प्रतिशत), ओडिशा (10 प्रतिशत), झारखंड (9 प्रतिशत) और तमिलनाडु (4 प्रतिशत) का स्थान आता है। लेकिन भंडार के मामले में झारखंड 52 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है और उसके बाद 41 प्रतिशत के साथ तमिलनाडु आता है।

लिमेनाइट

अन्य भारी खनिजों के साथ लिमेनाइट और रुटाइल समुद्री तटों की रेत भंडारों के महत्वपूर्ण घटक हैं जो पश्चिम में रत्नागिरि तट (महाराष्ट्र) से लेकर पूर्व में ओडिशा के तट पर पाए जाते हैं। ये खनिज मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं।

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार, 2015 में लिमेनाइट (ल्युकोक्सीन समेत) का कुल संसाधन 3554.80 लाख टन था।

केओलिन

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में देश में चीनी मिट्टी (फेओलिन) का कुल संसाधन 29,412.50 लाख टन था। इसमें से 2294.70 लाख टन (8 प्रतिशत) आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ये संसाधन कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें केरल 23 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, उसके बाद राजस्थान (18 प्रतिशत), प),बंगाल (14 प्रतिशत ओडिशा (10 प्रतिशत) और कर्नाटक (9 प्रतिशत) का नंबर आता है। ग्रेड के हिसाब से देखें तो करीब 26 प्रतिशत या 7,710 लाख टन सेरामिक/पॉटरी ग्रेड में आता है, 4 प्रतिशत को केमिकल, पेपर फिलर और सीमेंट ग्रेड में रखा जाता है और करीब 70 प्रतिशत या 20,400 लाख टन संसाधन मिश्रित, अवर्गीकृत, अन्य व अज्ञात ग्रेड में आता है।

कायनाइट एवं सिलिमैनाइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में भारत में कायनाइट का कुल संसाधन 1,050 लाख टन था। राज्यवार ढंग से अकेले तेलंगाना में 46 प्रतिशत संसाधन हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (30 प्रतिशत), कर्नाटक (13 प्रतिशत) और झारखंड (7 प्रतिशत) का नंबर आता है। शेष 4 प्रतिशत संसाधन केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हैं। यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में सिलिमैनाइट का कुल संसाधन 702 लाख टन था। ये संसाधन मुख्य रूप से तमिलनाडु व ओडिशा (प्रत्येक 25 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (16 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (13 प्रतिशत), केरल (10 प्रतिशत) और असम (7 प्रतिशत) में मिलते हैं। बाकी के 4 प्रतिशत संसाधन झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और प.बंगाल में हैं।

चूना पत्थर

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में देश में चूना पत्थर का कुल संसाधन 20,32,250 लाख टन था। 27 प्रतिशत संसाधन के साथ कर्नाटक सबसे ऊपर है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान (प्रत्येक 12 प्रतिशत), गुजरात (10

प्रतिशत), मेघालय (9 प्रतिशत), तेलंगाना (8 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (5 प्रतिशत) आता है। यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में देश में चाक या खड़िया मिट्टी का कुल संसाधन 67.5 लाख टन था जिसमें से 50.6 लाख टन (75 प्रतिशत) आरक्षित श्रेणी में रखा गया है और बाकी 16.9 लाख टन शेष श्रेणी में है।

अभ्रक (माइका)

अभ्रक वाले पिग्मेटाइट पत्थर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी ये पत्थर मिलते हैं। यूएनएफसी प्रणाली के मुताबिक 2015 में इसका कुल संसाधन 63,53,020 लाख टन था। आंध्र प्रदेश 40 प्रतिशत संसाधन के साथ सबसे ऊपर था, जिसके बाद राजस्थान (28 प्रतिशत), ओडिशा (16 प्रतिशत), महाराष्ट्र (13 प्रतिशत), बिहार (2 प्रतिशत) और शेष (1 प्रतिशत से कम) झारखंड व तेलंगाना में है।

मैग्नेसाइट

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में मैग्नेसाइट का कुल भंडार/संसाधन करीब 3,940 लाख टन था। सबसे ज्यादा संसाधन उत्तराखंड (59 प्रतिशत) है, उसके बाद तमिलनाडु (25 प्रतिशत) और राजस्थान (14 प्रतिशत) का स्थान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल में भी इसके संसाधन हैं। तमिलनाडु में मैग्नेसाइट की उपस्थिति में चूने की मात्रा कम और सिलिका (पत्थर) की मात्रा ज्यादा है जबकि उत्तराखंड में चूने की मात्रा ज्यादा और सिलिका की मात्रा कम है।

फास्फेट खनिज

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में एपेटाइट का कुल संसाधन 240.40 लाख टन था। इसकी से ज्यादा मात्रा पश्चिम बंगाल (57 प्रतिशत) में है. जिसके बाद झारखंड (30 प्रतिशत) और मेघालय (5 प्रतिशत) है। बाकी 8 प्रतिशत संसाधन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में हैं।

यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 2015 में रॉक फॉस्फेट का कुल संसाधन 3,126.80 लाख टन था। कुल संसाधन का 34 प्रतिशत झारखंड, 31 प्रतिशत राजस्थान, 19 प्रतिशत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8-8 प्रतिशत है। गुजरात और मेघालय में भी थोड़े से संसाधन मिलते हैं।

अन्य खनिज

भारत में बड़ी मात्रा में मिलने वाले अन्य खनिज हैं बेंटोनाइट (राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और जम्मू एवं कश्मीर), कोरंडम (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़), कैल्साइट (आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात), मुल्तानी मिट्टी (राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक), गारनेट या लाल मणि (तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल), पाइराइट (बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, प.बंगाल और आंध्र प्रदेश), स्टीलाइट या सोपस्टोन (राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश), वोलैस्टोनाइट (राजस्थान और गुजरात), जरिकोन (केरल, तमिलनाडु और ओडिशा की समुद्र तटीय रेत), क्वार्ट्ज एवं सिलिका खनिज और ग्रेनाइट लगभग सभी राज्यों में मिलते हैं। इसके अलावा देश में संगमरमर, स्लेट और बलुआ पत्थर भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। संगमरमर मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, जम्मू-कश्मीर में और स्लेट आंध्र प्रदेश व हरियाणा में मिलता है।

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण

देश में पृथ्वी विज्ञान का प्रमुख संगठन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) सरकार, उद्योग और भूवैज्ञानिक क्षेत्र को पृथ्वी विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है। 1851 में मुख्य रूप से कोयले का अनुसंधान करने वाले विभाग के रूप में आरंभ हुए जीएसआई ने पिछले 166 वर्षों में अपनी गतिविधियों में कई गुना विस्तार किया है और राष्ट्र निर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान किया है। स्वतंत्रता के बाद शानदार विकास करने वाले इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट एवं बिजली जैसे जीवंत उद्योग राष्ट्रीय विकास में

जीएसआई के योगदान का बेहतरीन उदाहरण हैं।

जीएसआई के पास अब डेढ़ शताब्दी से भी ज्यादा समय में एकत्र की गई सबसे अधिक एवं व्यापक पृथ्वी विज्ञान संबंधी जानकारियां हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इसके परिचालन अधिकार पत्र में जीएसआई की गतिविधियों एवं दायित्वों का विवरण दिया गया है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान से संबंधित लगभग सभी गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं ज्ञान के आधार को भूमि, समुद्री एवं हवाई सर्वेक्षणों के माध्यम से तैयार एवं अद्यतन करना एवं उनका प्रसार करना जीएसआई का प्राथमिक लक्ष्य है।

जीएसआई की वर्तमान गतिविधियों में सतह की मैपिंग, हवाई एवं दूरसंवेदी सर्वेक्षण, तट से दूर सर्वेक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का अन्वेषण, इंजीनियरिंग भूविज्ञान, भू-तकनीकी जांच, भू पर्यावरणीय अध्ययन, जल संसाधनों का भू-विज्ञान, भू-जोखिमों का अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एवं सूचना सेवाएं आदि शामिल हैं।

वेबसाइट: www.gsi.gov.in

ओसीबीआईएस एंड नेशनल एयरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम

जीएसआई ने 2017 में एक ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम (ओसीबीआईएस) शुरू किया जो एक अत्याधुनिक आईटी आधारित सिस्टम है और जिसमें एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए जीएसआई की सभी प्रमुख गतिविधियों को समाहित किया गया है। इस सिस्टम में डाटा संकलन से लेकर डेटा संचयन, विश्लेषण और वितरण तक जीएसआई के कार्यों को डिजिटल रूप में ग्रहण किया जाता है, साथ ही इसमें जीएसआई की सभी प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियां भी शामिल होती हैं। जीएसआई की सभी उपलब्ध भू-विज्ञान के डेटा को मुफ्त में देखने एवं हासिल करने के लिए जियोस्पैटियल प्लेटफार्म पर डाल (अपलोड) कर दिया जाता है।

भारतीय खान ब्यूरो

1948 में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खान मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन है जिस पर कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों एवं लघु खनिजों के अतिरिक्त खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा व्यवस्थित अन्वेषण का सांविधिक और विकासात्मक दायित्व है।

भारतीय खान ब्यूरो खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 (2015 में संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों तथा खनिज सर्वेक्षण एवं विकास नियम, 2017, खनिज (परमाणु एवं हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों छोड़कर) छूट नियम, 2016 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियामक संबंधी कार्य करता है।

आईबीएम खनन उद्योग को खनिज संसाधनों का भू-वैज्ञानिक आकलन करने तथा बेनिफिसिएशन संयंत्रों समेत खनन परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। यह खनिजों का मानचित्र बनाता है और देशभर में पट्टे वाले क्षेत्र एवं फ्रीहोल्ड क्षेत्र में खनिज संसाधनों के भंडारों का आकलन करता है। यह खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता है। आईबीएम खान एवं खनिजों के डेटाबैंक के रूप में भी कार्य करता है और सांख्यिकीगत सूचनाओं को प्रकाशित करता है। यह खनिज जिंसों पर तकनीकी प्रकाशन/मोनोग्राफ/ बुलेटिन भी तैयार करता है। यह खनिज उद्योग के सभी पक्षों व्यापार और कानून आदि के बारे में केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देता है।

खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खनन एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करते हैं और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) खनिजों की खोज के क्षेत्र में काम करता है।

वेबसाइट: www.ibm.nic.in

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) इस्पात एवं खान मंत्रालय के अधीन नवरत्न श्रेणी का सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी स्थापना 7 जनवरी, 1981 को हुई थी और इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। यह कंपनी समूह 'ए' का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जो खनन, धातु एवं बिजली क्षेत्रों में एकीकृत व विविध क्षेत्रों में काम करता है। 2016-17 में इसका कुल बिक्री कारोबार 7,933 करोड़ रुपये था। नालको देश में सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट-एल्युमिना एल्युमिनियम-पॉवर-कॉम्प्लेक्स में से एक है। कंपनी के पास ओडिशा में कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में 68.25 लाख टन वार्षिक क्षमता वाली बॉक्साइट खान एवं 21 लाख टन वार्षिक क्षमता (मानक क्षमता) वाली एल्युमिना रिफायनरी है तथा ओडिशा के अंगुल में 4.60 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एल्युमिनियम स्मेल्टर व 1,200 मेगावाट क्षमता वाला कैप्टिव बिजली संयंत्र भी है। एल्युमिना/ एल्युमीनियम के निर्यात और कास्टिक सोडा के आयात के लिए विजाग बंदरगाह में नालको के पास परिवहन सुविधाएं भी हैं और वह कोलकाता तथा पारादीप बंदरगाहों पर भी सुविधाओं का उपयोग करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बंगलुरु में हैं तथा घरेलू विपणन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर उसके 11 गोदाम हैं।

नालको देश में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने 1989 में लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर पंजीकरण कराकर बड़े स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कदम रखा था। कंपनी 1992 से बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सूचीबद्ध है। आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18000 एवं एसए 8000 प्रमाणन के अतिरिक्त कंपनी ने ऊर्जा प्रमाणन प्रणाली के लिए आईएसओ 5001 मानक भी अपनाए हैं।
वेबसाइट: www.nalcoindia.com

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1967 में किया गया था। तांबे के भंडार के उत्खनन और अन्वेषण से संबंधित सभी संयंत्रों, परियोजनाओं एवं अध्ययन को अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार के इस उपक्रम की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग का अधिग्रहण भी इसमें शामिल था। यह तांबे का पूर्ण रूप से उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र कंपनी है जो उत्खनन एवं तांबे को लाभकारी बनाने से लेकर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग तक और तांबे को बिक्री योग्य उत्पादों में ढालने तक सभी कार्य स्वयं करती है।
वेबसाइट: www.hindustancopper.com

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) आईएसओ 9001-2008 प्रमाणन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की उत्कृष्ट खनिज अन्वेषण कंपनी है। 1972 में अपने गठन के बाद से कंपनी ने विस्तृत खनिज अन्वेषण एवं खान विकास की 1,371 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं राष्ट्रीय खनिज भंडार में 160 अरब टन खनिज संसाधनों की वृद्धि की है। यह सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है जो एक ही स्थान पर खनिज अन्वेषण से संबंधित सारे कार्य करती है। 1972 में अपनी स्थापना के समय से एमईसीएल खनिज अन्वेषण की आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाती आ रही है और अब यह देश में अन्वेषण की एक प्रमुख एजेंसी बन गई है।
वेबसाइट: www.mecl.gov.in

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स (एनआईआरएम) पूरे दक्षिण एशिया में एकमात्र संस्थान है जो रॉक मेकेनिक्स में अनुसंधान के लिए बनाया गया है। 25 वर्षों से यह संस्थान उत्खनन, पनबिजली परियोजनाओं, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं, तेल एवं गैस सेक्टर और रेल, सड़क, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के प्राधिकरणों समेत विभिन्न केंद्रीय, राज्य सरकार की एजेंसियों को विशेषज्ञता मुहैया कराता है।
वेबसाइट: www.nirm.in

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर (एनआईएचएस) खान मंत्रालय के अधीन स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसका उद्देश्य खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों में कार्यरत लोगों में व्यावसायिक स्वास्थ्य को एवं व्यावसायिक बीमारियों के निरोध को प्रोत्साहित करना है । यह संस्थान व्यावसायिक स्वास्थ्य, कार्य स्थल की निगरानी से संबंधित अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियां चलाता है । संस्थान ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में ब्रांड इमेज और व्यापक तकनीकी सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है ।
वेबसाइट: www.nimh.gov.in

जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर

जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट (जेएनआरडीडीसी) भारत सरकार के खान मंत्रालय और यूएनडीपी के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1989 में स्थापित उत्कृष्टता का केंद्र है जिसका उद्देश्य भारत में उभरते आधुनिक एल्युमिनियम उद्योग को अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। यह केंद्र 1996 से काम कर रहा है । इस केंद्र को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की है। बॉक्साइट से लेकर तैयार उत्पाद तक सभी प्रकार का अनुसंधान एवं विकास एक ही स्थान पर करने वाला भारत का यह एकमात्र संस्थान है।

यह केंद्र बॉक्साइट, एल्युमिना और एल्युमिनियम के बुनियादी और व्यावहारिक क्षेत्रों में प्राइमरी और सेकंडरी दोनों ही एल्युमिनियम उत्पादकों को अनुसंधान एवं विकास की जरूरतों को पूरा करता है । जेएनएआरडीडीसी रेड मड, धातुमल एवं रद्दी आदि जैसे एल्युमिनियम उद्योग के अवशिष्टों का प्रभावी तरीके से उपयोग करके लाभकारी बनाने की प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन, बॉक्साइटों के उन्नतीकरण, बिजली की खपत व पर्यावरण का प्रदूषण कम करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रोसेस मॉडलिंग की सुविधा के साथ एल्युमिनियम उद्योग व पूरे देश के हित में काम किया है।
वेबसाइट: www.jnarddc.gov.in

20 विधि और न्याय

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। यह 1833 से पुराना है जब ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1833 में चार्टर अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम में पहली बार एक प्राधिकार, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को विधायी शक्तियां प्रदान की गईं थीं। इस प्राधिकार के प्रभाव और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की धारा 22 के अंतर्गत निहित अधिकारों से गवर्नर जनरल की काउंसिल ने वर्ष 1834 से वर्ष 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 की शुरुआत के बाद इसके अंतर्गत गठित भारतीय विधानमंडल ने विधायी शक्तियों का प्रयोग किया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र उपनिवेश बन गया और स्वतंत्र उपनिवेश के विधानमंडल ने इंडिया (अस्थायी संविधान) ऑर्डर, 1947 द्वारा रूपांतरित भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के अंतर्गत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। भारत के संविधान के अंतर्गत जिसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, उसके अंतर्गत विधायी शक्तियां संसद को प्रदान की गईं।
वेबसाइट: www.lawmin.gov.in

विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग को मिलाकर बना है। विधि कार्य विभाग को संविधान और कानूनों की विवेचना, अभियोग, कानूनी पेशे, कानूनों में सधार, नागरिक कानूनों से जडे महों पर भारतीय विधि सेवाओं सहित वहद विधि सेवाओं आदि पर. विदेशों के साथ संधियां एवं समझौते करने से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। वहीं विधायी विभाग के पास केंद्र सरकार के प्रमुख कानूनों के आलेखन का कार्य होता है। न्याय विभाग के पास भारत के प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस्तीफे और उन्हें हटाए जाने से जुड़े कार्य होते हैं।
वेबसाइट: www.legalaffairs.gov.in, www.doj.gov.in, www.legislative.gov.in

भारतीय विधि व्यवस्था

भारतीय विधि व्यवस्था में चार घटकों को शामिल किया गया है। ये हैं:- संविधान में निहित बुनियादी मूल्य तथा सिद्धांत, साधारण कानून से सौंपे गए अधिकार और जिम्मेदारियां; संवैधानिक नियमों के तहत इन अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को लागू करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था और विधि तथा न्यायिक कर्मी। भारत के एक लोकतांत्रिक देश होने और यहां प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होने के नाते इसे जनता में निहित संप्रभुत्ता के प्रति कई उत्तरदायित्वों को निभाना होता है।

विधि के स्रोत

भारत में विधि के प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि (कानून), पारंपरिक (कस्टमरी) कानून और निर्णय विधि (केस लॉ) हैं। कानून संसद, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा बनाए जाते हैं। इनके अलावा अनेक अधीनस्थ कानून हैं जिन्हें नियमों, विनियमों और उप-कानूनों के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारों जैसे- नगर-निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाया गया है। ये अधीनस्थ कानून संसद अथवा संबद्ध राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उच्च अदालतों जैसे- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक फैसले कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतें उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए बाध्य हैं। स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो अधिनियम, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें भी मान्यता है

और कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय अदालतों द्वारा इन्हें भी ध्यान में रखा जाता है।

कानून बनाना

केंद्रीय सूची में एक-एक करके बताए गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची में एक-एक करके बताए गए मामलों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम हैं। राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। समवर्ती सूची में एक-एक करके बताए गए मामलों पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। लेकिन विरोध की स्थिति में, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से अधिक महत्वपूर्ण संसद द्वारा बनाया गया कानून होगा। विरोध की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून तब तक निष्प्रभावी होगा जब तक उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती और ऐसी स्थिति में वह उस राज्य में प्रभावी रहेगा।

न्यायपालिका

संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष में भारत का उच्चतम न्यायालय है। प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का अनुक्रम है। कछ राज्यों में छोटे-मोटे और स्थानीय प्रकति के दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करने के लिए न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि नामों से पंचायत अदालतें काम कर रही हैं। इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र विभिन्न संबंधित राज्यों के कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं।

प्रत्येक जिले में सर्वोच्च अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश की होती है। यह जिला अदालत दीवानी न्याय सीमा की प्रधान अदालत है और इसमें मृत्युदंड दिए जाने वाले मामलों सहित हर तरह के अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है। जिला और सत्र न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक बानी न्याय करने का अधिकार रखने वाली अदालतें हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों में मुंसिफ, उप-न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश और इसी तरह के अन्य न्यायाधीशों के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दीवानी अदालतों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट आते हैं।

उच्चतम न्यायालय

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, किंग इन काउंसिल अथवा प्रीवि काउंसिल जैसा कि आमतौर पर बुलाया जाता था, भारत में अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों और आदेशों से की गई अपीलों को सुनने का सर्वोच्च मंच था। 1833 में न्यायिक समिति कानून लागू होने के बाद, इसे प्रीवि काउंसिल की न्यायिक समिति कहा जानेलिगा। न्यायिक समि के फैसलों का सलाहकार मंच में वर्णन किया जाता था, हालांकि, व्यवहार में सम्राट हमेशा उसकी सलाह मानता था और यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसकी रिपोर्ट को अमल में नहीं लाया जाएगा। प्रीवि काउंसिल एक चैनल के रूप में काम करती थी, जिसके जरिए अंग्रेजी विचारों को भारतीय कानूनों के साथ सम्मिलित किया गया। इसने भारतीय और अंग्रेजी विधि व्यवस्था के बीच सेतु का काम किया, जिसके मार्फत इंग्लैंड से भारत तक कानूनी ज्ञान पहुंचा। इसी निकाय के जरिए भारत में कानूनी व्यवस्था के आधार के रूप में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत इंग्लैंड के सामान्य कानून की शुरुआत की गई। अपने करियर के दौरान भारत की सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में करीब 200 वर्षों की अवधि के लिए, प्रीवि काउंसिल ने 2,500 फैसले सुनाए, और आज तक ये फैसले भारत में अनेक बिंदुओं पर कानून का प्रमुख स्रोत हैं।

हालांकि, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की मांग बढ़ रही थी, यह महसूस किया जाने लगा था कि प्रीवि काउंसिल में अपील करना काफी खर्चीला है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसने भारत की जनता के आत्मसम्मान को कम किया था। भारत सरकार कानून, 1935 ने भारत में संघीय संविधान पेश किया, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र और संघटक इकाइयों के बीच किया गया। भारत के संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 1937 से काम करना शुरू कर दिया। पहले से ही, संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र काफी सीमित था, यह केंद्र और संघटक इकाइयों अथवा संघटक इकाइयों के बीच आपस में, परामर्शी तथा उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपीलीय न्याय करने के अधिकार तक सीमित था। मूल रूप से न्याय करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिए गए फैसलों अथवा संघीय न्यायालय अथवा प्रीवि काउंसिल की अवकाश अवधि में संघीय न्यायालय

से अपीलें प्रीवि काउंसिल में जा सकती थीं। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में, पक्षकारों को सबसे पहले उच्च न्यायालय से अपील में संघीय न्यायालय में जाना पड़ता था और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलें सीधे प्रीवि काउंसिल में जाती थीं। वह सार्वजनिक महत्व के ऐसे सवालों पर सलाह दे सकती थीं जैसाकि अपने विवेक से गवर्नर जनरल द्वारा उल्लिखित किया जाता था। संघीय न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र 1948 की अधिनियम संख्या 1 के लागू होने पर बढ़ गया और उन्हीं परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के फैसलों से संघीय न्यायालय को अपीलें प्रदान की जाती थीं, जिसमें अपीलों को विशेष अनुमति के बिना और किसी अन्य मामले में संघीय अदालत की विशेष अनुमति के बिना प्रीवि काउंसिल में लाया जा सकता था। हालांकि, प्रीवि काउंसिल में संघीय न्यायालय अथवा काउंसिल की अनुमति से अपील करना अभी भी संभव था।

अगस्त, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त कर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को हासिल करने के बाद, भारतीय सरकार की ओर से संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और उसे अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग उठी। 1949 से प्रीवि काउंसिल में अपीलों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अपीलीय न्याय करने का संपूर्ण अधिकार संघीय न्यायालय में निहित कर दिया गया। 26 जनवरी, 1950 को संघीय न्यायालय ने नए संविधान के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का मार्ग प्रशस्त किया। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है।

28 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय के उद्घाटन के बाद न्यायालय की कार्यवाही संसद भवन के एक हिस्से में शुरू हुई। न्यायालय अपनी वर्तमान इमारत में 4 अगस्त, 1958 को आया। 1950 के मूल संविधान में उच्चत्तम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अधीनस्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई और इनकी संख्या बढ़ाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामने आने वाले सभी मामलों पर सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश एक साथ बैठा करते थे। जैसे-जैसे न्यायालय का काम बढ़ता गया और मामले बकाया होते चले गए, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25 और 2009 में 30 कर दी जो 1950 में केवल सात थी। जैसे ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, वे दो और तीन की छोटी पीठों में बैठने लगे, जरूरत पड़ने पर मतभेदों और विवादों का निपटारा करने के लिए पांच और अधिक की बड़ी पीठों में एक साथ आने लगे।

भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है और वह कम से कम पांच वर्ष के लिए उच्च न्यायालय अथवा ऐसे ही दो या अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अथवा कम से कम दस वर्ष के लिए दो या अधिक ऐसी ही अदालतों में अधिवक्ता रह चुका हो अथ राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए प्रावधान मौजूद है। संविधान में विभिन्न तरीकों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल उसी स्थिति में हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन में संबोधन के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करे और इसके लिए उस सदन में दो-तिहाई सदस्यों की मौजूदगी और मतदान जरूरी है। अभद्र व्यवहार अथवा अक्षमता साबित होने के आधार पर न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसके किसी भी न्यायालय अथवा भारत के अन्य किसी प्राधिकार में वकालत करने पर रोक है। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी में ही होती है। उच्चतम न्यायालय के 2013 के नियमों ने 1966 के नियमों का स्थान लिया है। ये नियम उच्चतम न्यायालय में वकालत करने और उसकी कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। माननीय न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
वेबसाइट: www.supremecourtofindia.nic.in

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का अर्थ है राज्य के न्यायिक प्रशासन का प्रमुख। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से तीन उच्च

न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए गए अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल इतना अंतर है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफ़ारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक कार्यभार संभाल सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य होने के लिए किसी का भी भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसने 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक कार्यालय संभाला हो अथवा इतनी ही अवधि के लिए उच्च न्यायालय अथवा ऐसी ही दो या अधिक अदालतों में अनुक्रम में अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो।

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और उसकी पीठ

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों की देखरेख करने का अधिकार है। वह ऐसी अदालतों से कामकाज का ब्योरा मांग सकता है, सामान्य नियम बना सकता है और उन्हें जारी कर सकता है और अदालतों की कार्यवाही को नियमित करने तथा तरीका तय करने के लिए निर्धारित फार्म बना सकता है जिसमें खाता प्रविष्टियां और लेखा ब्योरा रखा जा सकता है। नीचे दी गई तालिका में उच्च न्यायालयों की पीठ और उनके क्षेत्राधिकार की जानकारी दी गई है।

उच्च न्यायालयों का नाम, उनकी प्रमुख पीठ, बेंच और उनके अधिकार क्षेत्र

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	प्रमुख पीठ	अधिकार क्षेत्र	स्थायी पीठ और जिस तारीख से पीठ ने काम करना शुरू किया
1.	इलाहाबाद	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (01.07.1948)
2.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	आंध्र प्रदेश	–
3.	बंबई	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा; दमन और दीव दादरा और नगर हवेली	नागपुर (01.05.1960) पणजी (01.07.1948) औरंगाबाद (27.08.1984)
4.	कलकत्ता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ (काम शुरू करना बाकी)
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	–
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	–
7.	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, नगालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश	कोहिमा (10.02.1990) आईज़ाल (05.07.1990) ईटानगर (12.08.2000)
8.	गुजरात	सोला (अहमदाबाद)	गुजरात	–
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	–
10.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	–
11.	झारखंड	रांची	झारखंड	–

12.	कर्नाटक	बंगलुरु	कर्नाटक	सर्किट पीठ धारवाड़ (07.02.2008) गुलबर्गा (07.02.2008)
13.	केरल	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह	–
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	ग्वालियर (01.11.1956) इंदौर (01.11.1956)
15.	मद्रास	चेन्नई	तमिलनाडु और पुदुचेरी	मदुरई (24.07.2004)
16.	मणिपुर	इंफाल	मणिपुर	–
17.	मेघालय	शिलांग	मेघालय	–
18.	ओडिशा	कटक	ओडिशा	–
19.	पटना	पटना	बिहार	–
20.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	चंडीगढ़
21.	राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान	जयपुर (31.01.1977)
22.	सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम	–
23.	तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	हैदराबाद (01.01.2019)
24.	त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा	–
25.	उत्तराखंड	नैनीताल	उत्तराखंड	नैनीताल

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्वीकृत एवं कार्यकारी संख्या

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यकारी संख्या और रिक्तियां (01.07.2019 के अनुसार)

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या			कार्यकारी संख्या			स्वीकृत संख्या के अनुसार रिक्तियां		
क.	भारत का उच्चतम न्यायालय	31			31			0		
ख.	उच्च न्यायालय	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1.	प्रयागराज	76	84	160	58	48	106	14	36	54
2.	आंध्र प्रदेश*	28	09	37	13	0	13	15	09	24
3.	बंबई	71	23	94	62	05	67	09	18	27
4.	कलकत्ता	54	18	72	20	22	42	34	–04	30
5.	छत्तीसगढ़	17	05	22	08	07	15	09	–02	07
6.	दिल्ली	45	15	60	40	0	40	05	15	20

7.	गुवाहाटी*	18	06	24	16	03	19	02	03	05
8.	गुजरात*	39	13	52	28	0	28	11	13	24
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	01	10	01	02	03
10.	जम्मू और कश्मीर	13	04	17	09	0	09	04	04	08
11.	झारखंड*	19	06	25	14	05	19	05	01	06
12.	कर्नाटक	47	15	62	20	12	32	27	03	30
13.	केरल	35	12	47	27	07	34	08	05	13
14.	मध्य प्रदेश*	40	13	53	33	0	33	07	13	20
15.	मद्रास	56	19	75	43	15	58	13	04	17
16.	मणिपुर	04	01	05	04	0	04	0	01	01
17.	मेघालय	03	01	04	02	0	02	01	01	02
18.	ओडिशा	20	07	27	14	0	14	06	07	13
19.	पटना	40	13	53	30	0	30	10	13	23
20.	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	43	07	50	21	14	35
21.	राजस्थान	38	12	50	24	0	24	14	12	26
22.	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23.	तेलंगाना	18	06	24	10	01	11	08	05	13
24.	त्रिपुरा	04	0	04	03	0	03	01	0	01
25.	उत्तराखंड	09	02	11	09	01	10	0	01	01
	कुल	**771**	**308**	**1079**	**542**	**134**	**676**	**229**	**174**	**403**

* कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार

उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकार और सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश दे सकता है अथवा रिट जारी कर सकता है। इन अधिकारों का इस्तेमाल किसी ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जो वाद हेतु क्षेत्रों के संबंध में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से इन अधिकारों को प्रयोग में ला रहा हो, चाहे सरकार का आधार अथवा प्राधिकार अथवा ऐसे व्यक्ति की रिहायश उन क्षेत्रों में न हो।

अधीनस्थ अदालतें

अधीनस्थ अदालतों की संरचना और कामकाज कुल मिलाकर देशभर में एक जैसा है। अदालतों के पदनाम उनके कामकाज की जानकारी देते हैं। यह अदालतें हर प्रकार के दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमों का निपटारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के अनुसार करती हैं। ये अदालतें प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले दो महत्वपूर्ण कोडों, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (सीपीसी), 1908 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सी.आर.पी.सी.,1973 का पालन करती हैं और राज्य स्तर पर संशोधनों द्वारा और मजबूत होती हैं। अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन के मामले में डब्ल्यूपी (दीवानी) 1022/1989 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार देशभर में अधीनस्थ न्याय प्रणाली के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक समान पदनाम लाया गया यानी दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष में जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि जैसे कि

जानकारी सी.आर.पी.सी. में दी गई है। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों द्वारा इनमें से किसी भी श्रेणियों के साथ उनके समकक्ष को दिखाकर वर्तमान पदों में जरूरत पड़ने पर उचित तालमेल किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय के पास है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ व्याख्या करने वाले अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते समय राज्य सरकार ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय की सलाह से नियम और विनियम बना सकती है। राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्य इन नियमों और विनियमों से संचालित होते हैं।

न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन

न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई। इसके दो उद्देश्य हैं- देरी और बकाया मामलों को कम करके पहुंच बढ़ाना और ढांचागत परिवर्तनों और कामकाज के मानक और क्षमताओं को स्थापित करके जवाबदेही बढ़ाना। यह मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों को चरणबद्ध तरीके से निपटाने के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कंप्यूटरीकरण सहित अदालतों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, अधीनस्थ अदालतों की संख्या बढ़ाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी की संभावना वाले क्षेत्रों में नीतिगत तथा विधायी उपाय करना, मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अदालती प्रक्रिया की पुनर्रचना करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना है। मिशन ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्रों में अनेक कदम उठाए हैं। सभी राज्यों ने सरकारी अभियोजन में कमी लाने के लिए अपनी अभियोग नीतियों को व्यवस्थित किया है। राज्य एजेंसियों द्वारा अभियोजन के प्रसार में कमी लाने के लिए उनसे राज्य अभियोजन नीतियों का आकलन करने का निवेदन किया गया है। विधि कार्य विभाग ने राष्ट्रीय अभियोजन नीति 2015 का सूत्रपात किया जिस पर मौजूदा समय में सरकार गहराई से विचार कर रही है। न्यायिक सुधार का एक जरूरी पक्ष अदालतों की पुनर्रचना प्रणाली और कानूनी मामलों के शीघ्र निपटान से जुड़ा है। समयोचित न्याय मिलने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया को बड़ी अड़चन के तौर पर माना गया है।

न्याय में देरी के लिए अक्सर जिन प्रमुख कारणों का जिक्र किया जाता है उनमें से एक न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान के लिए न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है। न्यायाधीशों की कमी की समस्या से दो तरह की कार्यनीति से निपटा जा रहा है। पहला, न्यायपालिका में खाली पड़े मौजूदा पदों को भरना और दूसरा न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि करना। इस संदर्भ में यह गौर करना उपयुक्त होगा कि संवैधानिक ढांचे के तहत अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और चयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों पर है।

इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधि आयोग से कहा है कि वह लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त अदालतों की संख्या के निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित करे। देश में आबादी के अनुपात में आवश्यक न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या के निर्धारण के लिए मानदंडों की समीक्षा की गई है। यह समीक्षा, विधि आयोग ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में की है। विधि आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि प्रति व्यक्ति दायर मामलों की संख्या भौगोलिक दृष्टि से काफी अलग-अलग होती है क्योंकि मामलों का दायर किया जाना जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से जुड़ा होता है। उसी रूप में विधि आयोग ने देश में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या के निर्धारण के लिए जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या के मानदंडों को वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं समझा। विधि आयोग ने पाया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आंकड़े एकत्र करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण न होने के कारण लंबित मामलों को निपटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे भी मामले लंबित न रहें, अतिरिक्त न्यायाधाशों की आवश्यक संख्या का पता लगाने के लिए मामलों को निपटाने के तरीके का मूल्यांकन करना उपयोगी और व्यावहारिक है। उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर जवाब देने को कहा था। शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमसी) से कहा था कि वह विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करे और इस संबंध में अपने सुझाव दे। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को सौंप दी थी। इसमें कहा गया है कि दीर्घ काल में, अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का निर्धारण,

प्रत्येक अदालत में लंबित मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक कुल न्यायिक घंटों के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपना कर करना होगा। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में प्रस्ताव किया है कि स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता के अनुरूप संख्या के आधार पर मामलों को निपटाया जाना चाहिए।

सभी हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप निचली अदालतों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे बढ़कर दिसंबर, 2017 में 22,619 हो गई जो वर्ष 2012 के अंत 17,715 थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25 प्रतिशत बढ़ाने के बारे में अप्रैल, 2014 में उन सिफारिशों को सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी जिनकी सिफारिश अप्रैल, 2014 में आयोजित किए गए मुख्यमंत्रियों और मुख्य-न्यायाधीशों के सम्मेलन में की गई थी। कई राज्यों ने पहले से ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 की 906 से बढ़कर वर्ष 2017 में 1079 हो गई है। देश में सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में न्यायाधीश-आबादी का अनुपात, मौजूदा समय में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर लगभग 19.61 न्यायाधीश हैं। गौर करने वाली बात यह है कि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में धीरे-धीरे हो रही वृद्धि के बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

न्यायिक अवसंरचना

अधीनस्थ न्यायिक संबंधी अवसंरचनात्मक विकास की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्यों को न्यायिक अवसंरचनात्मक विकास में मदद देने के लिए 1993-94 में एक केंद्र प्रायोजित योजना अमल में लाई गई। इसके अंतर्गत, अदालती इमारतों और न्यायिक अधिकारियों को रिहायशी सुविधाएं विकसित करने का कार्य किया गया। 2011 तक केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना में बराबर अंशदान कर रही थीं, परंतु 2011-12 से केंद्र सरकार ने इस योजना में अपना अंशदान 75 प्रतिशत कर दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों के मामले में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत आर्थिक सहयोग करती है। हालांकि, केंद्रीय निधि, योजना के लिए बजट संबंधी आवंटन पर निर्भर करती है।

ई-न्यायालय समेकित मिशन मोड परियोजना

ई-न्यायालय समेकित मिशन मोड परियोजना देश की जिला/अधीनस्थ अदालतों और उच्च न्यायालयों में लागू की जा रही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का अंश है। इस परियोजना की संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमिटी द्वारा 'भारतीय न्यायाधिकरण-2005' में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अमलीकरण की राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना के अंतर्गत तैयार की गई थी। प्रधान तथा तदर्थ अध्यक्ष के तौर भारत के प्रधान न्यायाधीश के संरक्षण में ई-कमिटी का गठन 2004 में न्यायपालिका को आईसीटी समर्थ बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के आधार पर हुआ था।

अधिकारविहीन लोगों के लिए न्याय की पहुंच

अधिकारविहीन लोगों तक न्याय तक पहुंच बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में न्याय विभाग ने अधिकारविहीन लोगों के लिए न्याय की पहुंच हेतु एक दशक (2008-2017) लंबा कार्यक्रम शुरू किया। यह परियोजना बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के आठ यूएनडीएएफ राज्यों में प्रसारित की गई है। इस परियोजना में मुख्यतः अधिकारविहीन लोगों को न्याय दिलाने के लिए रणनीति विकसित करने का प्रयास किया गया है ताकि कानूनी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंचने में अड़चनें दूर हो सकें। इस समय परियोजना अमलीकरण के दूसरे दौर में है।

विधि कार्य

न्यूयॉर्क समझौते के अनुसार, 1996 के आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अधिनियम की धारा 44(बी) के अंतर्गत, विदेशों से आपसी रजामंदी के साथ विधि कार्य विभाग, पंचाट निर्णयों को अमल में लाने वाला प्रमुख विभाग है। 1965 के हेग सम्मेलन के अनुसार, विधि कार्य विभाग, नागरिक और वित्तीय मामलों में, न्यायिक और न्यायेत्तर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण है। इस दायित्व के अनुसार, मई, 2014 से मई, 2017 तक 9309 प्रार्थना-पत्रों पर काम किया गया।

विधिक सूचना प्रबंधन और विवरण तंत्र

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत, यह प्रणाली अदालती मामलों के ब्योरों का डिजिटलीकरण कर विभिन्न साझेदारों को एक मंच पर लाती है। किसी भी अदालती मामले के समूचे कार्यकाल के दौरान एलआईएमबीएस उस मामले से जुड़े विभिन्न साझीदारों के बीच पारदर्शिता और प्रभुत्व भाव को बनाए रखता है। विभिन्न मंत्रालयों, उनके नोडल अधिकारियों और स्थानीय प्रशासनों की मदद से, अल्पावधि में ही एलआईएमबीएस ने 1.36 लाख अदालती मामलों सहित 5,500 पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं, 14,000 से अधिक वकीलों और 12,00 न्यायालयों तक पहुंच स्थापित की है। इसके पोर्टल पर 452 पंचाट मामले पहुंचे हैं। 62 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंधित अधिकारियों के लिए 200 प्रस्तुतियां तैयार की गईं।

भावी दिशा

विधि कार्य विभाग ने संरचना और उसे दिए गए आदेश के भीतर सुशासन, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से अन्य बातों के अनुरूप सार्वजनिक संबंधों से निपटने में पारदर्शिता निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की। कल्याणकारी प्रकृत्ति होने के कारण सरकार का आकार विशाल है। वृद्धि, विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या में वृद्धि और अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए नए साधन और कानून बनाए गए हैं। इस दिशा में नया भारत-2022 की संकल्पना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित बड़ी पहल/सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है।

मुकदमों का आकलन

विभाग ने छोटे से विवाद के मुकदमेबाजी का रूप लेने, उसके नतीजे लागू करने या न करने से उत्पन्न सफर के दौरान मामले की जांच के लिए आकलन/विधि परीक्षण/दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रारंभिक उपाय किए हैं। तैयार किए जाने वाले दिशानिर्देशों की सहायता से इस प्रयोग से निश्चित तौर पर मुकदमों से काफी हद तक बचा जा सकेगा और अपरिहार्य परिस्थितियों में इसका सहारा लिया जा सकेगा।

अगर मुकदमे का आकलन, नीति निर्माण के स्तर पर किया जाता है तो इसके नतीजे इस प्रकार होंगे:

i. प्रस्ताव में पूरी तस्वीर उभरकर आएगी;

ii. मुकदमेबाजी को और बढ़ने से रोका जा सकेगा;

iii. न्यायालयों में बढ़ते मामलों का दबाव कम होगा और;

iv. सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा।

राष्ट्रीय मुकदमा नीति

भारत की विभिन्न अदालतों में लगभग 3.2 करोड़ मामले लंबित हैं। समझा जाता है कि सबसे अधिक मामले सरकार से संबंधित हैं। विधि आयोग की अनेक रिपोर्टों में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने, अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने और सरकारी खजाने पर इनके खर्च का बोझ कम करने की सलाह दी गई है। अतः राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2017 के मसौदे में ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे मुकदमेबाजी पर रोक लगाई जा सके, उन पर नियंत्रण रखा जा सके और उनकी संख्या कम की जा सके।

पंचाट को संस्थागत बनाना

कानूनी प्रक्रिया और समय पर निपटाए जाने की आवश्यकता वाले पूंजी निवेश संबंधी मामलों/आवेदनों में देरी अंतरराष्ट्रीय पंचाट का कारण बनती है जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। अपनी कानूनी और न्याय संबंधी व्यवस्था को सुचारू बनाने की जरूरत है ताकि वाणिज्यिक विवादों को जल्द सुलझाया जा सके और यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। विधि विभाग ने भारत में पंचाट व्यवस्था को संस्थागत बनाने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने

जुलाई, 2017 में विधि और न्याय मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

कानूनी पेशे में सुधार

विधिक बिरादरी समाज का सबसे प्रबुद्ध और पारंपरिक तौर पर सम्मानित वर्ग होता है। लोकतांत्रिक राजतंत्र में इस पेशे की भूमिका तो सदा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह लोकतंत्र का पहरेदार होता है और संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए कानून और व्यवस्था के मामलों को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। भारत में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को कानूनी कार्य करने के विरुद्ध हमेशा से कड़ा विरोध होता रहा है, इसकी बुनियाद में तर्क दिया जाता है कि विदेशों में कानूनी कार्य करने के लिए भारतीय वकीलों को भी कार्यविधि संबंधी अड़चनें आ सकती हैं। अतः कानूनी कार्य करने के अवसर को समतामूलक आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 18 के अंतर्गत जून, 2000 में की गई थी। फेमा (एफईएमए) की धारा 19 के अंतर्गत, धारा 17 के उप-खंड (i) में उल्लिखित के अलावा विशेष निदेशक (अपील) अथवा किसी निर्णायक प्राधिकार द्वारा दिए गए आदेश से असंतुष्ट केंद्र सरकार अथवा कोई भी व्यक्ति, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने को प्राथमिकता दे सकता है जिसे आदेश मिलने की तारीख से 45 दिन के भीतर असंतुष्ट व्यक्ति अथवा केंद्र द्वारा दायर किया जा सकता है।

फेमा की धारा 20 में व्यवस्था है कि अपीलीय न्यायाधिकारण में एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होने चाहिए जितना केंद्र सरकार उचित समझे। अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल पीठों द्वारा किया जा सकता है। पीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, जिसमें एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं जो भी अध्यक्ष को उपयुक्त लगे। अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठे सामान्य तौर पर नई दिल्ली और ऐसे अन्य स्थानों पर बैठती हैं जिसकी केंद्र सरकार अध्यक्ष से सलाह करें और उनकी बारे में अधिसूचना दें। अध्यक्ष किसी भी सदस्य का तबादला एक पीठ से दूसरी पीठ में कर सकता है। यदि किसी भी अवस्था में ऐसा लगता है कि मामले की सुनवाई दो सदस्यों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए, अध्यक्ष उस मामले को उस पीठ में स्थानांतरित कर सकता है जिसे वह इसके योग्य समझे। कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, उसे न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है और जो व्यक्ति जिला न्यायाधीश के लिए योग्यता प्राप्त हो उसकी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। धारा 49 की उप-धारा (5) के खंड (ख) के अंतर्गत सभी अपीलें जो पेरा (पीईआरए) के समक्ष लम्बित हैं, उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के नियंत्रण में हैं।

प्रवर्तन एजेंसियां

पुलिस

देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है, पुलिस का रख-रखाव और नियंत्रण राज्यों द्वारा किया जाता है। किसी भी राज्य में पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है। राज्य को उपयुक्त क्षेत्रीय खंडों में विभाजित किया गया है जिसे रेंज कहा जाता है और प्रत्येक पुलिस रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अनेक जिले रेंज का गठन करते हैं। जिला पुलिस को पुलिस डिवीजनों, सर्कलों और पुलिस स्टेशनों में उप-विभाजित किया गया है। इसके अलावा नागरिक पुलिस, राज्यों की अपनी सशस्त्र पुलिस और पृथक गुप्तचर शाखाएं, अपराध शाखाएं आदि हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे आदि में पुलिस सीधे तौर पर पुलिस आयुक्त के अंतर्गत आती है जिसके पास मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकार होते हैं। विभिन्न राज्यों में सभी वरिष्ठ पुलिस पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर होती है।

केंद्र सरकार केंद्रीय पुलिस बलों, गुप्तचर ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पुलिस अधिकारियों और

अपराध विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की देखरेख करती है ताकि विशेष आपराधिक मामलों की जांच करने में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने में राज्यों की सहायता की जा सके और राज्य सरकारों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की स्थापना चीनी हमले के मद्देनजर 1962 में की गई जिसकी शुरुआत में केवल चार बटालियनें थीं। मूल रूप से इसकी संकल्पना एक 'समेकित गुरिल्ला और खुफिया तथा लड़ाकू बल' के रूप में की गई थी, जो आपूर्ति, संचार और खुफिया जानकारी एकत्र करने में आत्मनिर्भर था, समय बीतने के साथ यह परंपरागत सीमा प्रहरी बल में बदल गया। आज, यह 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रखवाली कर रहा है और 173 सीमा चौकियों पर इसके जवान तैनात हैं। आज लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप-ला तक भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फुट से 18,750 फुट की ऊंचाई पर सीमा चौकियों पर इसके जवान तैनात हैं। आईटीबीपी की आठ बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित इलाके में हैं। बल पांच सीमांत मुख्यालयों, 14 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सेवा बटालियनों, चार विशेष बटालियनों, दो आपदा प्रबंधन बटालियनों और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए संचालन करता है, जिसमें कुल 89,432 जवान हैं।

आईटीबीपी मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित सशस्त्र बल है और इसके अधिकांश अधिकारी और जवान प्रशिक्षित पर्वतारोही और स्कीयर्स हैं जो 2012 के अभियान के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चार बार और 180 अन्य हिमालयी चोटियों पर परचम लहरा चुके हैं। आईटीबीपी के पर्वतारोही नेपाल, ईरान, जापान और दक्षिण अमरीका के कई पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। वहीं, आईटीबीपी के स्कीयर्स नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं और शीत ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा, यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा जैसी विशाल नदियों के तेज बहाव में वाइट वाटर राफ्टिंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुके हैं। इस क्षेत्र में भी कई अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान इनके नाम हैं।
वेबसाइट: www.itbpolice.nic.in

सीमा सुरक्षा बल

सितंबर, 1965 में भारत-पाक युद्ध तक पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर संबद्ध देशों का राज्य पुलिस बल तैनात था। इस व्यवस्था की कुछ अंतर्निहित कमियां युद्ध के दौरान सामने आईं और यह फैसला किया गया कि भारत संघ के अंतर्गत पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली के लिए एक बल होना चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में 25 बटालियनों और तीन कॉय की मदद से की गई थी। इतने वर्षों में बल का आकार बढ़ गया और आज इसकी 186 बटालियनें हैं जिसमें एनडीआरएफ की तीन बटालियनें, पांच बड़े प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केंद्र और तीन छोटे प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके दो विशेष महानिदेशालय (विशेष डीएसजी) यानी विशेष डीजी (पूर्वी कमान) और विशेष डीजी (पश्चिमी कमान), 13 फ्रन्टियर और 46 सेक्टर मुख्यालय, जल शाखा, वायु शाखा और अन्य सहायक इकाइयां हैं। 31 दिसंबर, 2016 को बीएसएफ की स्वीकृत क्षमता 2,57,363 थी।

शांतिकाल के दौरान बीएसएफ की भूमिका इस प्रकार है: (i) सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना; (ii) सीमा पार से अपराधों की रोकथाम, भारत के क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश अथवा निकासी को रोकना; (iii) सीमा पर तस्करी और किसी अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना; (iv) घुसपैठ रोकने का कर्तव्य और (v) सीमा पार की खुफिया जानकारी एकत्र करना।

युद्ध के दौरान बीएसएफ की भूमिका इस प्रकार है: (i) सौंपे गए क्षेत्रों में मैदान संभालना; (ii) दुश्मन की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस अथवा अनियमित बलों के खिलाफ सीमित आक्रामक कार्रवाई; (iii) सेना के नियंत्रण के तहत व्यवस्थित दुश्मन के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना; (iv) युद्धबंदियों के शिविरों की पहरेदारी; (v) सीमावर्ती इलाकों में सेना के लिए गाइड के रूप में कार्य करना; (vi) शरणार्थियों के नियंत्रण में सहायता; (vii) क्षेत्रों का प्रावधान और (vili) छापों सहित गुप्तचर के साथ जुड़े विशेष कार्य करना।

वेबसाइट: www.bsf.nic.in

असम राइफल्स

असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई और यह भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल है। इस बल की स्थापना प्रारंभिक तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले जंगली और अनियंत्रित आदिवासियों से असम की जलोढ समतल भूमि की रक्षा करने के लिए की गई थी। यह शुरुआत में सम्मिलित इकाई थी जो असम राइफल्स के रूप में विकसित हो गई। धीरे-धीरे ऐसी कुछ और इकाइयों की स्थापना की गई और उन्हें सुदूरवर्ती इलाकों में चौकियां स्थापित करने के लिए तैनात किया गया और इन्होंने अंग्रेजों के प्रभुत्व को बढ़ाने में नागरिक प्रशासन के मजबूत हथियार के रूप में काम किया। बल ने दुर्गम और निर्जन इलाकों को खोलने और विकास गतिविधियां हाथ में लेने में मदद की; प्रशासन से इन्हें अनेक पुरस्कार मिले। असम राइफल्स का योगदान पूर्वोत्तर के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से उनका लंबा जुड़ाव बल में झलकता है और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और भारत-म्यामां सीमा की रखवाली करने के लिए प्रेमपूर्वक 'पूर्वोत्तर का पहरेदार' और 'पहाड़ी जनता का मित्र' कहा जाता है।

इसका मुख्यालय शिलांग में है और 1,631 किलोमीटर लंबी भारत-म्यामां सीमा की रखवाली के लिए पूर्वोत्तर में बल को पूरी तरह तैनात किया गया है। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। बल में एक महानिदेशालय मुख्यालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, एक प्रशिक्षिण केंद्र और प्रशासनिक आधार हैं। इसके जवानों की कुल क्षमता 63,747 है।
वेबसाइट:www.assamrifles.gov.in

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

70 के दशक के दौरान पश्चिम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद ने अपना सिर उठा लिया था। यह विमान अपहरण, लोगों को बंधक बनाने, गणमान्य और अन्य व्यक्तियों की हत्याओं सहित अनेक रूपों में सामने आ रहा था। सामान्य कानून-व्यवस्था मशीनरी और पश्चिमी देशों की सेनाएं इस अभिशाप से निपटना चाहती थीं। विशेष हथियारों से लैस और प्रशिक्षित बल जैसे ब्रिटेन का एसएएस, अमरीका का डेल्टा फोर्स और पश्चिम जर्मनी जीएसजी-9 की विदेश में स्थापना हो चुकी थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लूस्टार के समय नीतिगत गुप्तचर पर आधारित सर्जिकल कार्रवाई करने के लिए भारत में विशेष बल के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई ने न केवल उसे भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और इन सबसे ऊपर सिखों के मानस को बुरी तरह ठेस पहुंची। ब्रिटेनमेंमें एसएएस, फ्रांस जीआईजीएन, जर्मनी में जीएसजी-9, इसराइल में शार-एट-मटकल और अमरीका में डेल्टा फोर्स जैसे विशेष बलों का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की संकल्पना और उसका गठन किया गया। फलस्वरूप, गृह मंत्रालय के अंतर्गत संघीय आकस्मिक बल के रूप में अक्टूबर, 1985 में एनएसजी की स्थापना की गई। इसे सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के चुने हुए और अत्यधिक प्रेरित जवानों की मदद से बनाया गया है। 53 प्रतिशत जवान सेना से लिए गए हैं जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी का योगदान 47 प्रतिशत है। एनएसजी की गौरवशाली विरासत रही है और इसे बहुत आदर से देखा जाता है। अपनी स्थापना के समय से ही इसके कमांडो 114 प्रमुख सफल आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों में शामिल हुए हैं। इसे अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं और तीन अशोक चक्रों, दो कीर्ति चक्रों, तीन शौर्य चक्रों और दस पीपीएमजी से इसे सम्मानित किया जा चुका है। एनएसजी के 9 कमांडो ने एनएसजी के आदर्श वाक्य 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' के अनुरूप आचरण करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है।
वेबसाइट:www.nsg.gov.in

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसे नया नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके लिए बहआयामी भमिका की संकल्पना की। सीआरपीएफ की झोली में अनेक

उपलब्धियां हैं। यह सीआरपीएफ ही थी जिसने 1959 में लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स पर पहले चीनी हमले का हिम्मत से सामना किया, जब सीआरपीएफ के एक छोटे गश्ती दल पर अधिक संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। इस संघर्ष में सीआरपीएफ के दस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब हर वर्ष 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बल ने 1965 में एक बार फिर अपनी वीरता को साबित किया जब सैकिंड बटालियन सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात में सरदार पोस्ट पर 9 अप्रैल को पाकिस्तानी बिग्रेड द्वारा किए गए एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया और चार को जिंदा पकड़ लिया गया। सैनिक युद्ध के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि थोड़े से पुलिसकर्मी इस तरीके से सम्पूर्ण पैदल सेना के दल को खदेड़ दें। इस घटना में सीआरपीएफ के छह बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी। हमारे बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 9 अप्रैल अब हर वर्ष बल के 'वीरता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

सीआरपीएफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में भी तैनात किया गया। श्रीलंका में सीआरपीएफ की दो बटालियनें और महिला बटालियन की एक कम्पनी भारतीय शांति सेना का हिस्सा थी। एलटीटीई का पहला बड़ा हमला सीआरपीएफ के खिलाफ था, गैर-परंपरागत युद्ध का प्रयोग करते हुए इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अब संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार, पूरी तरह गठित महिला इकाई को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लाइबेरिया में तैनात किया गया है। 13 दिसंबर, 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया, उस वक्त सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने इस हमले को सफलतापूर्वक नाकाम किया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में, पांचों आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। महिला कैप्टन कमलेश कुमारी जिसने इस घटना के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें उनकी बहादुरी के लिए शांति काल में दिया जाना वाला शौर्य पुरस्कार 'अशोक चक्र' मरणोपरांत प्रदान किया गया। जब पांच सशस्त्र आतंकवादियों ने जुलाई, 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद परिसर में घुसने का प्रयास किया और बाहरी सुरक्षा घेरे को भेदकर घुस गए, उनका मुकाबला अंदरूनी सुरक्षा घेरे में तैनात सीआरपीएफ जवानों से हुआ। सीआरपीएफ के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए आतंकवादियों के खराब मंसूबों पर पानी फेर दिया और मौके पर सभी आतंकियों को मार गिराया।

सीआरपीएफ की 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर चार जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, दो संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, सात संचालन रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और चार संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें तीन महिला बटालियनें हैं। बल के अधिकतर जवानों को आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात किया गया है। वर्तमान मेंसेक्सल गतिविधियों निपटने के लिए इसकी 10 कोबरा इकाइयां विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। कोबरा बटालियनों को रणनीतिक दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। सीआरपीएफ ने हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब विनाशकारी सुनामी ने जान-माल को नुकसान पहुंचाया अथवा जब जम्मू और कश्मीर के भूकंप ने विशाल क्षेत्र में तबाही मचाई और बड़े पैमाने पर जीवन को अस्त-व्यस्त किया, सीआरपीएफ ने राहत, बचाव और पुनर्वास प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हमारी सीआरपीएफ की दो बटालियनें आपदा प्रबंधन बटालियनों के रूप में कार्य कर रही हैं और उन्हें पुणे और अहमदाबाद में रखा गया है।
वेबसाइट:www.crpf.nic.in

रेपिड एक्शन फोर्स

1992 में, सीआरपीएफ की 10 बटालियनों को पुनर्गठित किया गया और इन्हें रेपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की प्रत्येक चार कॉय की 10 बटालियनों में बदल दिया गया। आरएएफ के जवान प्रशिक्षित हैं और सांप्रदायिक दंगों और इसी प्रकार की स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए लैस किया गया है। इन बटालियनों को देशभर में सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील 10 स्थानों पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की वारदात की स्थिति में ये तेजी से निपट सकें। ये सभी बटालियनें असंबद्ध स्वरूप पर संगठित हैं और एक महानिरीक्षक की देखरेख में कार्य कर रही हैं।

साहसी कार्रवाई के लिए कमांडो बटालियन

माओवादियों से प्रभावकारी तरीके से निपटने के लिए एक ऐसे विशेष बल के गठन की आवश्यकता महसूस की गई जो नक्सलियों के गढ़ में जाकर उन पर हमला करने में सक्षम हो। इसी विचार के मद्देनजर वर्ष 2008 और वर्ष 2011 के बीच कोबरा बटालियन (साहसी कार्रवाई के लिए कमांडो बटालियन) का गठन किया गया। इसके लिए चुने गए कर्मियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया ताकि उन्हें दुर्गम तथा जोखिम भरी परिस्थितियों में रहने, कठोर तथा कपटी तत्वों से मुकाबला करने और गुरिल्लाओं से गुरिल्लाओं की तरह लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जा सके। दस कोबरा बटालियनों में से नौ को वामपंथी उग्रवाद यानी माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में और एक कोबरा बटालियन को असम में तैनात किया गया है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1969 में गठित, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 59 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 303 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह 87 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तक केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। बल्कि यह आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश के प्रमुख महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा ठिकानों को सुरक्षा प्रदान करने वाली देश की प्रमुख बहु-कौशल सुरक्षा एजेंसी बन गई है। सीआईएसएफ इस समय 308 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान. रक्षा उत्पादन इकाइयां खाने, तेल क्षेत्र और रिफाइनरियां, प्रमुख समुद्री बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग इस्पात संयंत्र, फर्टिलाइजर इकाइयां, हवाई अड्डे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक/ताप बिजली संयंत्र, संवेदनशील सरकारी इमारतें और यहां तक कि धरोहर स्मारक (ताजमहल और लाल किला सहित) और प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं।

यह देश की सबसे बड़ी अग्नि सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियों में से एक है। यह 86 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा प्रदान करती है। सीआईएसएफ के सुरक्षा दायरे में रत्नागिरि गैस और ताप ऊर्जा स्टेशन लि., हरियाणा के हिसार स्थित राजीव गांधी ताप ऊर्जा परियोजना को भी जोड़ा गया है। इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज को हाईजैक कर कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा सीआईएसएफ के सुपुर्द की गई है।

देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ के पास है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी शामिल हैं। साथ ही, इसने 45 सरकारी इमारतों की सुरक्षा का भी जिम्मा लिया है, जिनमें दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का एक हिस्सा और सीजीओ कॉम्प्लेक्स हैं। सीआईएसएफ अधिनियम को, देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक निजी/संयुक्त उपक्रम औद्योगि इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मानदेय प्राप्ति आधार पर संशोधित किया गया था। नवंबर, 2008 के मुंबई हमलों के बाद, एजेंसी को निजी क्षेत्र को सीधे सुरक्षा प्रदान करने के भी अधिकार दिए गए हैं। 175 से अधिक निजी क्षेत्र उपक्रमों ने सीआईएसएफ सुरक्षा के लिए आवेदन दिया है और अगस्त, 2009 में बंगलुरु स्थित इंफोसिस का मुख्यालय निजी क्षेत्र की पहली कंपनी थी जिसे सीआईएसएफ सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ। सीआईएसएफ लागत प्रतिपूर्ति वाली एजेंसी है, यानी, इसके रखरखाव के खर्च का बोझ राजकोष पर नहीं पड़ता। अक्टूबर, 2009 में सीआईएसएफ ने अपनी वेबसाइट www.cisf.gov.in पर यात्री मित्र सेवा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत, जिन हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ तैनात रहती है, वहां गुम और प्राप्त सामान की सूचना वेबसाइट पर दी जाती है।
वेबसाइट:www.cisf.gov.in

सशस्त्र सीमा बल

'सशस्त्र सीमा बल' (एसएसबी) भारतीय संघ का नवीनतम सीमा सुरक्षा बल है जिस पर भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 2001 से 'सीमा सुरक्षा बल' भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा कर रहा है और 2004 में इसे भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सशस्त्र सीमा बल की शुरुआत, भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद, 1963 के आरंभ में की गई थी। उस समय इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका शुरुआती लक्ष्य तत्कालीन नेफा, उत्तरी असम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर (लद्दाख) के लोगों का मनोबल बढ़ाना था। बाद में, 1965-1991 के बीच में इसका

कार्यक्षेत्र मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू, मेघालय, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, मिज़ोरम, दक्षिण बंगाल और नगालैंड तक बढ़ा दिया गया।

एसएसबी के पहले की भूमिकाओं में इसके कार्य थेः (1) सीमांत क्षेत्रों की जनता का मनोबल बढ़ाना और उनमें सुरक्षा की भावना मजबूत करना; (2) राष्ट्रीय जागरूकता और सुरक्षा के प्रति सतर्क बनाना और (3) दुश्मन का सामना करने के लिए सीमांत क्षेत्रों की जनता को व्यवस्थित और तैयार करना।
वेबसाइट:www.ssb.nic.in

नागरिक सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा में ऐसे उपाय शामिल हैं जिनका संबंध वास्तव में युद्ध से नहीं है। नागरिक सुरक्षा के तहत भारत अथवा क्षेत्र के किसी भी भाग में वायु, भूमि, समुद्र अथवा किसी भी अन्य स्थान से होने वाले शत्रुओं के हमले से किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान अथवा वस्तु को सुरक्षा प्रदान करना अथवा उसके प्रभाव से बचाना है, चाहे ऐसे उपाय पहले किए जाएं, हमले के दौरान किए जाएं अथवा हमले के बाद किए जाएं, अथवा किसी आपदा से पहले, उसके दौरान अथवा उसके बाद आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से किए जाएं।

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के लिए संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक के जरिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा घटकों की अतिरिक्त भूमिका को कानूनी मंजूरी दी गई। नागरिक सुरक्षा आपात स्थितियों के दौरान संवर्धित प्रतिष्ठान और वैतनिक कर्मचारियों के छोटे केंद्र को छोड़कर मुख्य रूप से स्वयंसेवी आधार पर संगठित की जाती है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी देश निर्माण और कई अन्य सकारात्मक कार्यों से जुड़ते हैं जिसमें, सामाजिक और कल्याणकारी सेवाओं के लिए प्रशासन को सहयोग, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान और उनके बाद राहत एवं बचाव कार्यों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना शामिल हैं। इस संगठन का प्रशिक्षण तीन स्तरों पर होता है। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण और नागपुर स्थित राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण तथा राज्य नागरिक सुरक्षा संस्थानों में टीम/लीडरशिप प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण स्थानीय/कस्बाई स्तर पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षकों के अधीन होता है।

होम गार्ड

होमगार्ड स्वयंसेवी बल है, इसकी स्थापना आंतरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करने के उद्देश्य से दिसंबर, 1946 में की गई थी। इसके बाद स्वयंसेवी नागरिकों के बल की संकल्पना को अनेक राज्यों ने अपनाया। 1962 में चीनी हमले को ध्यान में रखकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासितप्रदेशों को सलाह दी वे अपने वर्तमान स्वयंसेवी संगठनों का एक समान स्वयंसेवी बल, होमगार्ड के रूप में विलय कर लें। होमगार्डों की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे हवाई हमले, अग्नि, तफान, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की मदद करना, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में मदद करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों की रक्षा करने में प्रशासन की सहायता करना, सामाजिक-आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में भागीदारी और नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वाह करना है। होमगार्ड दो प्रकार के हैं- ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में, सीमा खंड की होमगार्ड बटालियन भी बनाई गई है, जो सीमा सुरक्षा बल के सहायक के रूप में कार्य करती है। इनका संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। सात सीमावर्ती राज्यों में सीमा खंड होमगार्डों (बीडब्ल्यूएचजी) की कुल 18 बटालियनें स्थापित की गई हैं, ये हैं पंजाब (छह बटालियनें), राजस्थान (चार बटालियनें), गुजरात (चार बटालियनें) और असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में एक-एक बटालियन स्थापित की गई है ताकि वह बाहरी आक्रमण की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा/तटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने, वीवीआईपी और संचार लाइनों की पहरेदारी में सीमा सुरक्षाबल के सहायक के रूप में कार्य कर सकें।

होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के अंतर्गत की गई थी। इनकी नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों जैसे- डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि और औद्योगिक कामगारों आदि में से की जाती है जो समुदाय की बेहतरी के लिए

संगठन को अपना खाली समय दे सकें। भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18-50 वर्ष है, वे होमगार्ड के सदस्य बन सकते हैं। होमगार्ड में सदस्यता का सामान्य कार्यकाल तीन से पांच वर्ष का होता है। होमगार्ड के जवानों को वीरता, उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पदक प्रदान किया जाता है। जब भी किसी होमगार्ड को ड्यूटी/प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, उसे खर्चे के लिए निर्धारित दरों पर ड्यूटी/प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है। संगठन में होमगार्ड के सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करने, अपराध रोकने, डकैती के विरुद्ध उपाय करने, सीमा पर गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटी और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, नागरिक सुरक्षा के कुछ हिस्से का कार्य भी होमगार्ड को सौंप दिया जाता है। गृह मंत्रालय होमगार्ड संगठन की भूमिका, उसके लक्ष्य, उसके बढ़ने, प्रशिक्षण, सज्जित करने, स्थापना और अन्य मामलों में मदद करता है। होमगार्डों पर होने वाले खर्च को वर्तमान वित्तीय नीति के अनुसार आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांट लिया जाता है।

दमकल सेवा

'दमकल सेवा राज्य' का विषय है और इसे अनुच्छेद 243-डब्ल्यू के संदर्भ में भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निगम के कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों/नगर निगम निकायों की मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड को लागू करना और दमकल सेवाओं को मजबूत बनाने और उन्हें सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 13वें वित्त आयोग ने देशभर में दमकल और आपात सेवाओं को नया रूप देने की बात को स्वीकार करते हुए सिफारिश की कि शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान किए गए आर्थिक सहायता के एक हिस्से को उनके संबद्ध इलाकों की दमकल सेवाओं के पुनर्निर्माण पर खर्च किया जाए। इसके अलावा, वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि 10 लाख (2001 की जनगणना) से अधिक की आबादी वाले सभी नगर निगम अपने संबद्ध इलाकों में आग लगने के खतरे की जानकारी देने और ऐसी घटनाएं कम करने संबंधी योजना तैयार करें। भारत सरकार पूरक पहल के रूप में अग्नि और आपात सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए देश में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रही है। आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक दमकलों, मिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हाई प्रेशर पंप, त्वरित प्रतिक्रिया टीम वाहन, तलाशी और बचाव के लिए कॉम्बी उपकरण और विभिन्न साझेदारों के क्षमता निर्माण शुरू करके यह योजना वर्तमान अग्निशमन और राहत क्षमताओं में वर्तमान अंतर को भरने का प्रयास है।

पर्सनल लॉ

भारत में विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले लोग हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद्लेलेने, वसीयत आदि जुड़े पारिवारिक मामलों में वे विभिन्न पर्सनल लॉ के अधीन हैं। पर्सनल लॉ की विषय-वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की सूची III-की प्रविष्टि 5 से संबंधित है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधान विधायिका, संसद का विषय है। राज्य विधानसभाएं भी इससे जुड़े कानून बना सकती हैं।

विवाह

विवाह और तलाक से जुड़े कानून को विभिन्न कानूनों में विधिबद्ध किया गया है जो विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं। ये हैं: (1) धर्मांतरण विवाह विच्छेद कानून, 1866; (2)तलाक कानून, 1869; (3) भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872; (4) काज़ी कानून, 1880; (5) आनंद विवाह कानून, 1909; (6) भारतीय उत्तराधिकार कानून, 1925; (7) पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936; (8) मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून, 1939; (9) विशेष विवाह कानून, 1954; (10) हिंदू विवाह कानून, 1955; (11) विदेशी विवाह कानून, 1969; और (12) मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की रक्षा) कानून, 1986।

विशेष विवाह कानून, 1954 में विवाह की विशेष विधि की व्यवस्था की गई और इस तरह के विवाह के पंजीकरण का दायरा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे भारत में फैल गया, लेकिन यह जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले नागरिकों पर भी लागू होता है। इस कानून से संचालित नागरिक विशेष तौर से इस कानून के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं चाहे वे विभिन्न धर्मों और मतों को मानने वाले क्यों न हों। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि किसी भी रीति से होने वाले विवाह को विशेष विवाह कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है,

यदि वह कानून की जरूरतों को पूरा करता हो। 'अथवा मिरगी' शब्द को हटाने के लिए कानून की धारा 4(बी) (iii) में संशोधन किया गया। निर्वाह धन अथवा पालन-पोषण और नाबालिग बच्चों की शिक्षा के लिए आवेदन को प्रतिवादी के नोटिस देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाने के लिए धारा 36 और 38 में संशोधन किया गया। हिंदू विवाह कानून, 1955 द्वारा हिंदुओं में प्रचलित व्यावहारिक कानून को विधिबद्ध करने का प्रयास किया गया। ये कानून जिसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में हुआ, उन क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं पर भी लागू होता है जहां इस कानून का विस्तार हुआ है जो क्षेत्र इन क्षेत्रों से बाहर हैं। यह उन हिंदुओं (अपने किसी भी स्वरूप अथवा विकास में) बौद्धों, सिखों, जैनियों और उन लोगों पर भी लागू होता है जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं हैं। तथापि यह कानून किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक केंद्र सरकार अपने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश न दे। तलाक के संबंध में प्रावधान हिंदू विवाह कानून की धारा 13 और विशेष विवाह कानून की धारा 27 में निहित हैं। इन कानूनों के अंतर्गत जिन सामान्य कारणों के आधार पर कोई पति अथवा पत्नी तलाक की मांग कर सकते हैं, वह हैं व्याभिचार, परित्याग, क्रूरता, दिमागी अस्वस्थता, यौन रोग, कोढ़, आपसी सहमति और सात वर्ष से जीवित होने की जानकारी न हो।

ईसाई समुदाय के संबंध में, विवाह और तलाक से जुड़े प्रावधान क्रमशः भारतीय ईसाई विवाह कानून, 1872 और भारतीय तलाक कानून, 1869 की धारा 10 में निहित हैं। इस धारा के अंतर्गत कोई भी पति अपनी पत्नी से व्याभिचार के आधार पर तलाक ले सकता है और पत्नी अपने पति के धर्म परिवर्तन करने और किसी अन्य महिला से विवाह करने अथवा (क) किसी सगे-संबंधी के साथ यौन संबंध स्थापित करने; (ख) व्यभिचार के साथ दो पत्नियां रखने; (ग) व्यभिचार के साथ दूसरी महिला से विवाह; (घ) बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पाशविकता; (ङ) व्यभिचार के साथ ऐसी क्रूरता जो व्यभिचार के बिना उसे तलाक की हक़दार बनाए (तलाक की ऐसी व्यवस्था जो रोमन कैथलिक चर्च ने बनाई जो व्यभिचार, विकृत आचरण, क्रूरता के आधार पर न्यायिक तौर पर अलग होने के बराबर है) और (च) दो वर्ष अथवा अधिक समय के लिए बिना किसी तर्कसंगत बहाने के परित्याग के साथ व्यभिचार का दोषी पाए जाने पर तलाक ले सकती है।

तलाक के मामले में महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने और आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए तलाक कानून, 1869 में भारतीय तलाक (संशोधन) कानून 2001 के जरिए व्यापक संशोधन किए गए। साथ ही, 1869 के कानून की धारा 41 में संशोधन विवाह कानून (संशोधन) कानून, 2001 द्वारा किया गया ताकि निर्वाह धन अथवा पालन-पोषण और अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा संबंधी आवेदन का निपटारा प्रतिवादी नोटिस की तारीख से 60 दिन के अंदर किया जा सके। मुसलमानों के संबंध में, विवाह देश में मौजूद मुसलमान कानून द्वारा संचालित है। तलाक के मामले में किसी मुस्लिम पत्नी के पास अपने विवाह को तोड़ने के संबंध में अधिक प्रतिबंधित अधिकार हैं। लिखे नहीं गए और परंपरागत कानून मुस्लिम महिला को अपनी स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित रूपों अंतर्गत विवाह तोड़ने की इजाजत देते हैं: (क) तलाक-ए-तफवीद : यह प्रदत्त तलाक की एक विधि है। इसके अनुसार पति विवाह समझौते में तलाक का अपना अधिकार दूसरों को सौंप देता है जो गारंटी देता है, अन्य बातों के साथ, उसके दूसरी पत्नी लाने पर, पहली पत्नी को उसे तलाक देने का अधिकार है; (ख) खुला : यह विवाह के पक्षों के बीच विच्छेद का एक समझौता है जिसमें पत्नी विवाहसूत्र से मुक्त होने के लिए पति को कुछ निमित्त देती है। शर्तें मोल-तोल का मामला है और आमतौर से पत्नी को मेहर अथवा उसका एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है और (ग) मुबारत : यह आपसी सहमति से लिया जाने वाला तलाक है।

साथ ही, मुस्लिम विवाह कानून, 1939 द्वारा, किसी मुस्लिम पत्नी को अपने विवाह को तोड़ने का इन आधारों पर अधिकार दिया गया है; (i) चार वर्ष से पति का ठौर-ठिकाना पता न हो; (ii) पति ने दो वर्ष से पत्नी की परवरिश न की हो; (ii) सात वर्ष या अधिक समय के लिए पति जेल में रहा हो; (iv) पति बिना किसी उपयुक्त कारण के तीन वर्ष तक अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा हो; (v) पति की नपुंसकता; (vi) दो वर्ष लंबा पागलपन; (vii) कोढ़ अथवा संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो; (viii) 15 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाह हो चुका हो तथा विवाह को शारीरिक संबंध स्थापित करके पूर्ण नहीं किया हो और (ix) क्रूरता।

पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 पारसियों के वैवाहिक संबंधों को संचालित करता है। कानून, में 'पारसी' शब्द को पारसी जोरोएस्ट्रियन के रूप में परिभाषित किया गया है। जोरोएस्ट्रियन वह व्यक्ति है जिसने जोरोएस्ट्रियन धर्म को अपनाया है। इसका जातिगत महत्व है। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक विवाह और तलाक को

कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत कराना जरूरी है। केवल पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 के प्रावधानों से तैयार इस कानून का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसे हिंदू विवाह कानून, 1955 के समकक्ष लाया जा सके। पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 की धारा 39 और 49 में विवाह कानून (संशोधन) द्वारा संशोधन किया गया और पत्नी अथवा पति को नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर अल्पवयस्क बच्चों की शिक्षा का निपटारा किया जाना चाहिए। यहूदियों के विवाह संबंधी कानूनों के लिए, भारत में कोई विधिबद्ध कानून नहीं है। यहां तक कि आज तक वे अपने धार्मिक कानूनों से संचालित हैं। यहूदी विवाह को आपस में इकरारनामा नहीं मानते, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध मानते हैं जिसमें काफी समर्पित कर्तव्य शामिल हैं। विवाह को व्याभिचार अथवा क्रूरता के आधार पर अदालतों के जरिए तोड़ा जा सकता है। विवाह एक स्त्री के प्रति समर्पित रहने का रिश्ता है।

गोद लेना

हालांकि गोद लेने के लिए संचालित कोई सामान्य कानून नहीं है, लेकिन हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून,1956 और हिंदुओं के बीच और संख्या की दृष्टि से नगण्य व्यक्तियों के कुछ वर्गों में इसकी इज़ाज़त है। चूंकि गोद लेना किसी बच्चे का कानूनी संबंध है, यह पर्सनल लॉ की विषय-वस्तु बनता है। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के कोई दत्तक ग्रहण कानून नहीं हैं और उन्हें अभिभावक और देखरेख कानून, 1890 के अंतर्गत अदालत की शरण में जाना पड़ता है। इस कानून के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई और पारसी केवल पोषक देखभाल के लिए बच्चे को ले जा सकते हैं। पोषक देखभाल के अंतर्गत रह रहा बच्चा जब वयस्क यानी अट्ठारह वर्ष का हो जाता है, वह इन सभी संपर्कों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, ऐसे बच्चे के पास उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार नहीं होता। विदेशी, जो भारतीय बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उन्हें उक्त कानून के अंतर्गत अदालत का सहारा लेना पड़ेगा।

गोद लेने से संबंधित हिंदू कानून में संशोधन किया गया और उसे हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन पोषण कानून,1956 में विधिबद्ध किया गया, जिसके अंतर्गत कानूनी हैसियत से पुरुष अथवा हिंदू महिला पुत्र अथवा पुत्री को गोद ले सकती है। एक नाबालिग बच्चे के अभिभावक के सवाल से निपटने में, जैसा कि अन्य क्षेत्रों के पारिवारिक कानून में है, कोई समान कानून नहीं है। हिंदू कानून, मुस्लिम कानून और अभिभावक और संरक्षक कानून, 1890 तीन अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं जो प्रचलन में हैं। एक अभिभावक स्वाभाविक अभिभावक हो सकता है, वसीयती अभिभावक हो सकता है अथवा अदालत द्वारा नियुक्त अभिभावक हो सकता है। अभिभावक के सवाल का फैसला करने में दो पृथक बातों को ध्यान में रखना होगा- नाबालिग की शख्सियत और उसकी संपत्ति। अक्सर एक ही व्यक्ति को दोनों नहीं सौंपे जाते। हालांकि, पर्सनल लॉ (संशोधन) कानून, 2010 के जरिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून, 1956 में संशोधन किया गया ताकि केवल अपने विवाहित होने के आधार पर पुत्र अथवा प को गोद लेने के लिए विवाहित महिला की अयोग्यता को समाप्त किया जा सके और यह व्यवस्था की जा सके कि पिता की सहमति से मां और पिता को मां की सहमति से अपने बच्चों को किसी को गोद देने के लिए सौंपने का समान अधिकार होगा।

हिंदू अल्पमत और संरक्षकता कानून, 1956 ने अल्पमत और संरक्षकता से जुड़े हिंदुओं के कानूनों को विधिबद्ध किया है। गैर-विधिबद्ध कानून के मामले में इसमें पिता के उच्चतर अधिकार की पुष्टि की गई है। इसमें निर्धारित किया गया है कि कोई भी बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक नाबालिग है। मां के पूर्वगामी अधिकार को केवल पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखने के लिए मान्यता दी जाएगी। नाजायज बच्चों के मामले में, तथाकथित पिता के मुकाबले मां का दावा अधिक होगा। इस कानून में नाबालिग और उसकी संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं रखा गया है, इसलिए अभिभावक के पद का दोनों पर नियंत्रण रहेगा। मुस्लिम लॉ (शरीयत) के अंतर्गत, पिता प्रधान होता है। इसमें अभिभावक के पद और संरक्षण में अंतर रखा गया है। अभिभावक के पद के लिए, जिसका आमतौर पर संपत्ति के संरक्षक के रूप में उल्लेख होता है, सुन्नियों के अनुसार, पिता वरीय है और उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाहक। यदि पिता द्वारा किसी निर्वाहक की नियुक्ति नहीं की गई है, तो दादा अभिभावक के पद की जिम्मेदारी उठाएंगे, न कि निर्वाहक। दोनों मत हालांकि इस बात से सहमत हैं कि अपने जीवनकाल में पिता ही एकमात्र संरक्षक है। पिता की मृत्यु के बाद भी मां को स्वाभाविक संरक्षक के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। स्वाभाविक संरक्षक के अधिकारों के संबंध में, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि पिता का अधिकार संपत्ति और बच्चे की शख्सियत दोनों पर है। यहां तक कि जब मां नाबालिग बच्चे की संरक्षक होती है, पिता का देखरेख और नियंत्रण का सामान्य अधिकार बरकरार रहता

है। पिता हालांकि मां को वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है। अतः, हालांकि मां को स्वाभाविक संरक्षक के रूप में पहचान नहीं मिलेगी, लेकिन पिता की इच्छानुसार उसकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है।

मुस्लिम लॉ इस बात की मान्यता देता है कि नाबालिग बच्चों को रखने का मां का अधिकार पूर्ण अधिकार है। यहां तक कि पिता भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता। दुर्व्यवहार एकमात्र ऐसी शर्त है जो मां को इस अधिकार से वंचित करती है। किस आयु में संरक्षण में रखने का मां का अधिकार समाप्त होता है, शिया मत है कि मां का अधिकार केवल बच्चे के खड़े होकर चलने तक है जो बच्चे के दो वर्ष की आयु पूरी करने पर समाप्त हो जाता है, जबकि हनफी मत है कि यह अवधि नाबालिग बच्चे के सात वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक रहती है। लड़कियों के मामले में, शिया कानून मां के अधिकार का लड़की के सात वर्ष की उम्र हासिल करने तक समर्थन करता है और हनफी कानून उसके यौवन अवस्था तक पहुंचने को मानता है।

अभिभावक के पद और संरक्षक के संबंध में सामान्य कानून अभिभावक और संरक्षक कानून, 1890 में निहित है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पिता का अधिकार प्रमख है और तब तक किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक पिता अस्वस्थ नहीं है। यह कानून इसकी भी व्यवस्था करता है कि कानून के अंतर्गत संरक्षक की नियुक्ति करते समय बच्चों के कल्याण को भी ध्यान में रखा जाए। हालांकि, पर्सनल लॉ (संशोधन) कानून, 2010 से अभिभावक और संरक्षक कानून, 1890 में संशोधन किया गया था ताकि मां को भी पिता के साथ बच्चे के अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए शामिल किया जा सके और अदालतें ऐसी स्थिति में नाबालिग बच्चे के अभिभावक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति न करें जब ऐसे नाबालिग के माता-पिता में से कोई एक अभिभावक स्वस्थ हो।

भरण-पोषण

पति का अपनी पत्नी को संभालने का दायित्व विवाह की स्थिति से उत्पन्न होता है। भरण-पोषण का अधिकार पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के अंतर्गत भरण-पोषण का अधिकार न केवल पत्नी और आश्रित बच्चों का है, बल्कि गरीब माता-पिता और तलाकशुदा पत्नी का भी है। पत्नी आदि के दावे, हालांकि पति के पास पर्याप्त साधन पर निर्भर करते हैं। सभी आश्रित व्यक्तियों के लिए भरण-पोषण का दावा 500 रुपये प्रतिमाह तक सीमित है, लेकिन इस सीमा को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संशोधन) कानून, 2001 द्वारा हटा दिया गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत भरण-पोषण के अधिकार को शामिल करने का लाभ है कि तेज और सस्ता उपाय किया जा सकता है। हालांकि, तलाकशुदा पत्नियां जिन्हें प्रचलित पर्सनल लॉ के अंतर्गत भुगतान किया गया धन प्राप्त होता है वह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा करने की हक़दार नहीं हैं।

हिंदू कानून के अंतर्गत, पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन वह अपना अधिकार खो सकती है यदि वह शुचिता के रास्ते से भटक जाए। भरण-पोषण के उसके अधिकार को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया है। भरण-पोषण की राशि का आकलन करते समय, अदालत पति की दशा और देनदारियां जैसे विभिन्न कारणों को ध्यान में रखती है। वह यह भी अनुमान लगाती है कि क्या पत्नी का पति से अलग रहना न्यायोचित है। कानून में तर्कसंगत कारणों की व्याख्या की गई है। भरण-पोषण (अनिर्णित मुकदमा) और यहां तक कि वैवाहिक मुकदमे का खर्च पति या पत्नी द्वारा उठाया जाएगा, यदि दोनों में से किसी एक की (पति या पत्नी) अपनी सहायता के लिए कोई स्वतंत्र आमदनी नहीं है। यही सिद्धांत स्थायी भरण-पोषण के भुगतान को संचालित करता है।

मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया है अथवा उन्होंने तलाक ले लिया है अथवा इससे संबंधित घटना या समस्या को ध्यान में रख कर व्यवस्था करता है। यह अधिनियम अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी करता है कि तलाकशुदा महिला- (क) पर्याप्त और न्यायपूर्ण भरण-पोषण का प्रबंध पाने और उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के भीतर भुगतान करने; (ख) अपने जन्मे बच्चों के जन्म की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्व पति से पहले अथवा बाद में खुद भरण-पोषण करने; (ग) विवाह के समय अथवा मुस्लिम कानून के अनुसार किसी भी समय तय मेहर अथवा दहेज की रकम के बराबर उसे भुगतान करने पर सहमति और (घ) विवाह से पहले अथवा विवाह के समय अथवा विवाह के बाद उसके रिश्तेदारों अथवा मित्रों अथवा पति अथवा पति के किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्र द्वारा उसे दी गई संपत्ति की हक़दार है।

इसके अलावा, कानून में यह भी व्यवस्था है कि जहां कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद खुद का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है, मजिस्ट्रेट उसके रिश्तेदारों को निर्देश दे सकता है कि उसे पर्याप्त और न्यायपूर्ण भरण-पोषण दिया जाए क्योंकि मुस्लिम लॉ के अनुसार मृत्यु होने पर उसकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार हो सकता है। वह तलाकशुदा महिला की जरूरतों, विवाह के दौरान उसके द्वारा भोगे गए जीवन स्तर के संबंध में उपयुक्त और जायज भरण-पोषण निर्धारित करेगा और महिला की ली गई पैतृक संपत्ति के आकार के अनुपात में ऐसे रिश्तेदारों की धन दौलत और उनके द्वारा दिए गए भरण-पोषण का भुगतान उस अवधि में करना होगा जिसका जिक्र मजिस्ट्रेट अपने आदेश में करता है।

जहां ऐसी तलाकशुदा महिला के बच्चे होंगे, मजिस्ट्रेट ऐसे बच्चों को महिला को भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकता है और यदि बच्चे भरण-पोषण का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसी तलाकशुदा महिला के माता-पिता को भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में अथवा जहां ऐसे रिश्तेदार उसे भरण-पोषण देने की स्थिति में नहीं हैं, मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 के अंतर्गत स्थापित उस इलाके के वक्फ बोर्ड को उसके द्वारा निर्धारित भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जहां महिला रहती है।

पारसी विवाह और तलाक कानून, 1936 निर्वाह खर्च और स्थायी निर्वाह खर्च, दोनों के लिए पत्नी के अधिकार को मान्यता देता है। अदालत में लंबित वैवाहिक मुकदमे के दौरान निर्वाह खर्च के रूप में अदालत द्वारा अधिकतम राशि के संबंध में दिया गया आदेश, पति की कुल आमदनी का पांचवां हिस्सा होगा। स्थायी भरण-पोषण के रूप में मात्रा तय करते समय, अदालत यह पता लगाएगी कि क्या न्यायोचित है, इसके लिए वह पति की भुगतान क्षमता, पत्नी की अपनी संपत्ति और संबद्ध पक्षों के आचरण को ध्यान में रखेगा। आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक पत्नी पवित्र और अविवाहित रहती है। तलाक अधिनियम, 1869, अन्य बातों के अलावा ईसाई पत्नी के भरण-पोषण अधिकारों से संचालित है। इसके प्रावधान वही हैं जो पारसी कानून के हैं और भरण-पोषण की इजाजत देते समय दोनों निर्वाह खर्च और स्थायी भरण-पोषण लागू होते हैं।

उत्तराधिकार

वर्ष 1925 में अस्तित्व बने निर्वसीयत और वसीयतनामा उत्तराधिकार कानून को मजबूत बनाने के लिए भारतीय उत्तराधिकार कानून बनाया गया। यह अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में लागू नहीं होता। जबकि उत्तराधिकार के संबंध में कानून को मजबूत बनाते समय, दो योजनाओं, एक जिसका संबंध भारतीय ईसाइयों, यहूदियों और विशेष विवाह कानून, 1954 के अंतर्गत विवाहित व्यक्तियों की संपत्ति के उत्तराधिकार से था और दूसरा पारसियों के उत्तराधिकार से संबंधित था, को अपनाया गया।

पहली योजना में, जो पारसियों के अलावा अन्य पर लागू की गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयत (वसीयत किए बिना) मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी और उसके नजदीकी वंश के लोग हैं, तो उसकी विधवा, संपत्ति का एक-तिहाई नियत हिस्सा लेने की हक़दार है और नजदीकी वंश के लोग शेष दो-तिहाई हिस्सा लेने के हक़दार हैं। विधवा महिलाओं के अधिकारों में सुधार लाने के लिए बाद में इस कानून में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जहां किसी व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी है और नजदीकी वंश का कोई नहीं है और संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, ऐसी स्थिति में विधवा महिला पति की पूरी संपत्ति की हक़दार है। जहां संपत्ति का कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, वह चार प्रतिशत भुगतान पर ब्याज के साथ 5,000 रुपये ले सकती है और बची हुई संपत्ति में वह अपने हिस्से की हक़दार है। यह कानून, संपत्ति की वसीयत करने के किसी व्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाता।

दूसरी योजना के अंतर्गत, कानून में निर्वसीयत पारसियों के उत्तराधिकार के लिए व्यवस्था की गई है। भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 1991 से इस कानून में संशोधन किया गया ताकि माता पिता की संपत्तियों में पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्सा मिल सके चाहे वह पिता की हो अथवा माता की। इसमें पारसियों के लिए यह भी व्यवस्था की गई कि वे बेरोक-टोक किसी धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्देश्य से अपनी संपत्ति वसीयत में दे सकते हैं। वास्तव में संशोधित कानून में यह व्यवस्था की गई कि जब किसी पारसी की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति और बच्चे रह जाते हैं, उसकी संपत्ति का विभाजन होगा ताकि विधवा/

विधुर और प्रत्येक बच्चे को समान हिस्सा मिल सके। इसके अलावा, जब किसी पारसी की मृत्यु के बाद उसके परिवार में एक या दोनों माता-पिता, विधवा/विधुर रह जाते हैं, संपत्ति का विभाजन इस प्रकार होगा कि माता-पिता या माता अथवा पिता को प्रत्येक बच्चे की संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाएगा।

इस कानून में संशोधन भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2002 द्वारा किया गया। यह महसूस किया गया कि मुख्य कानून की धारा 32 विधवाओं के लिए भेदभावपूर्ण है और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए धारा 32 के प्रावधानों को हटा दिया गया। इस संशोधित कानून द्वारा धारा 213 में भी संशोधन किया गया ताकि ईसाइयों को भी अन्य समुदायों के बराबर लाया जा सके।

हिंदुओं, बौद्धों, सिखों अथवा जैनियों के बीच वसीयतनामे से जुड़ा कानून कुछ प्रतिबंधों का विषय है और भारतीय उत्तराधिकार कानून, 1925 तीसरी अनुसूची के अंदर समझा जाए, की धारा में संशोधन किए गए। हिंदुओं में निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में विधिबद्ध किया गया। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर इसका पूरे भारत में विस्तार हुआ। कानून की उल्लेखनीय विशेषताओं में महिला द्वारा बिना वसीयत वाली संपत्ति का पुरुषों के बराबर उत्तराधिकार हासिल करने के अधिकार को मान्यता देना था। इसमें इस व्यवस्था को समाप्त किया गया कि महिला वारिस के जीवनकाल तक ही उसके पास संपत्ति का स्वामित्व रहेगा। साथ ही (देखें हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005), हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में संशोधन किया गया ताकि एक संयुक्त हिंदू संपत्ति में सह-समांशभागी पुत्री को समान हिस्सा मिल सके।

भारत में अधिकांश मुसलमान सुन्नी कानून के हनफी मत का अनुसरण करते हैं। अदालतों का मानना है कि मुसलमान तब तक हनफी कानून के अधीन हैं जब तक यह स्थापित न हो जाए कि असंगत है। हालांकि शिया और सुन्नी मतों के बीच अनेक विशेषताएं सर्वनिष्ठ हैं, लेकिन कुछ बातों में मतभेद हैं। सुन्नी कानून कुरान की उत्तराधिकार की आयतों को इस्लाम पूर्व व्यावहारिक कानून के जोड़ के रूप में मानता है, उसने पुरुष पूर्वजों की श्रेष्ठ स्थिति को सुरक्षित रखा है। हिंदू और ईसाई कानूनों के विपरीत, मुस्लिम कानून किसी व्यक्ति के वसीयत के अधिकार पर रोक लगाता है। एक मुसलमान अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई वसीयत में दे सकता है। वारिस की इज़ाज़त के बिना किसी अजनबी को वसीयत देना वैध है यदि वह संपत्ति के एक-तिहाई से अधिक नहीं है, लेकिन किसी वारिस को अन्य वारिसों की मंजूरी के बिना वसीयत में देना अमान्य है। उत्तराधिकार प्रारंभ करने के बाद वसीयत देने के लिए वारिस की मंजूरी अवश्य ली जानी चाहिए और वसीयत देने वाले को वसीयतकर्ता के जीवनकाल के दौरान वसीयत देने की मंजूरी को उसकी मृत्यु के बाद लौटाया जा सकता है। शिया कानून में मुसलमानों को प्रयोग के लिए उपलब्ध एक तिहाई की भी वसीयत देने की आजादी है।

आनंद विवाह *(*संशोधन*)* कानून*, 2012*

सिखों के विवाह अधिकार जिन्हें आनंद कारज कहा जाता था, उसकी वैधता के संदेहों को मिटाने के लिए आनंद विवाह कानून, 1909 बनाया गया और इसमें विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं प्रदान की गई। हिंदू विवाह कानून, 1955 धर्म द्वारा सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों अथवा सिखों पर लागू होता है। यह उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी अथवा यहूदी नहीं हैं जब तक कि वे यह स्थापित न कर दें कि वे इस कानून से पहले हिंदू कानून, रीति-रिवाजों और परिपाटियों से नियंत्रित नहीं थे। हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 8 में हिंदू विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था है और क्योंकि हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 2 के अंतर्गत सिखों को हिंदुओं की परिभाषा में शामिल किया गया है, सिख विवाह रस्म के अनुसार होने वाले सिख विवाह जिसे 'आनंद' कहा जाता है अथवा अन्य प्रचलित रस्मों को यहां हिंदू विवाह कानून, 1955 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है।

हालांकि आनंद विवाह (संशोधन) कानून, 2012 से आनंद विवाह कानून, 1909 में संशोधन किया गया ताकि आनंद कारज के रूप में मशहूर आनंद विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था हो सके।

चुनाव कानून और चुनाव सुधार

संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के संबंध में कानून: (i) जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950; (ii) जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951; (iii) राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव कानून,

1952; (iv) परिसीमन कानून, 2002; (v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद कानून, 2005; और (vi) तमिलनाडु विधान परिषद कानून, 2010 को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा प्रभाव में लाया जाएगा।

हमारे देश की चुनाव प्रणाली जिसे चुनावों का फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, उसके सत्तर वर्ष पूरे हो चुके हैं।

देश में लगातार बदलते चुनावी परिदृश्य ने अनेक अवसरों पर चुनाव कानूनों में सुधार को आवश्यक बना दिया। चुनावों के दौरान हुए अनुभवों, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों, राजनैतिक दलों, जानी-मानी हस्तियों समेत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रस्तावों और विधायिकाओं और विभिन्न सार्वजनिक निकायों में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकारों ने समय-समय पर अनेक उपाय किए ताकि चुनाव सुधार किए जा सकें; हालांकि चुनाव सुधारों के व्यापक पैकेज के असर की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में समग्रता के साथ चुनाव सुधार का मुद्दा भारत के विधि आयोग के पास जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा जा चुका है। विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने पर साझेदारों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श कर इसकी जांच की जाएगी।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

प्रतिनिधित्व व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवधिक पुनर्व्यवस्थापन अनिवार्य है जहां एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए किया जाता है। पिछली प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव संबंधी सीमाएं तय की जाती हैं और यह तुलनात्मक रूप से आबादी के बराबर होती हैं। समान रूप से बसे हुए निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं को विधायिका में समान महत्व के मत डालने का अधिकार प्रदान करते हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में बहुत परिवर्तन आया है- जिस स्थिति को 'खराब विभाजन' कहा जाता है- वह लोकतंत्र के केंद्रीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है, सभी मतदाताओं को समान महत्व के मत डालने का अधिकार हो। परिसीमन और चुनाव संसदीय लोकतंत्र के दो प्रमुख स्तंभ हैं।

भारत के पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, दूसरे का 1962 में और तीसरे का 1973 में किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का तीसरा प्रयोग वर्ष 1975 में पूरा हुआ। वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित है, जिसे 30 वर्ष बाद हाथ में लिया गया। जनसंख्या में करीब 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और देश में निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकृति कुल मिलाकर खराब विभाजन वाली है।

सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति योजना के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम में राज्य सरकारों के निर्भीक होकर लगे रहने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के प्रेरक उपायों में वर्ष 2026 तक ताजा परिसीमन का काम हाथ में लेने पर वर्तमान संवैधानिक रोक को बढ़ाने का फैसला किया। यह भी फैसला किया गयाकि निर्वाचन क्षेत्रों पुनर्व्यवस्थापन और उसकी बुद्धिसंगत व्याख्या करने का कार्य एक साथ हाथ में लिया जाए। राज्यों के विधानमंडलों के लिए आवंटित सीटों की संख्या को प्रभावित किए बिना इनमें वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया जाए ताकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी/मतदाताओं की असंगत वद्धि के कारण उत्पन्न असंतुलन को ठीक किया जा सके। संविधान (84वां संशोधन) कानून, 2001 को 2002 में कानून बनाया गया। इसके पश्चात परिसीमन कानून, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया और भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त बी.बी. टंडन को इसका पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। आयोग का प्रमुख कार्य प्रत्येक राज्य में निचले सदन में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के खंडों की सीटों के क्षेत्रीय स्तर पर बंटवारे का पुनर्व्यवस्थापन करना था। इसके बाद संविधान (87वां संशोधन) कानून, 2003 लागू किया गया और इस कानून के जरिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बदलकर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना कर दिया गया।

हालांकि परिसीमन के नियम देशभर में अलग हैं, आमतौर पर सीमांकन का कार्य एक जैसा है। भारत में सीमांकन के कार्य के लिए आमतौर पर आवश्यक है: (क) राज्यों और राज्य के भीतर जिलों को सीटों का आवंटन; (ख) मानचित्रों, आबादी के आंकड़ों और संबद्ध इलाके की भौगोलिक/प्राकृतिक/प्रशासनिक स्थिति को दर्शाने वाले विवरण को दर्ज कर एक डेटाबेस तैयार करना; (ग) लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के सांविधिक प्रतिनिधियों को जोड़ना; (घ) राज्यों और जिलों को भौगोलिक इकाइयों में बांटना जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है; (ङ) परिसीमन

की प्रक्रिया में सार्वजनिक सहयोग के लिए विस्तृत अभ्यास; (च) निर्वाचन क्षेत्रों का सार और मूल्यांकन; और (छ) अंतिम आदेश को पारित और प्रकाशित करना। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन कानून, 2002 में स्पष्ट व्याख्या की गई है। यह कानूनी रूपरेखा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परिसीमन आयोग की व्यवस्था करती है। आयोग के अंतिम आदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार के सुधार अथवा वीटो का विषय नहीं हैं।

परिसीमन आयोग पारदर्शी तरीके से कार्य करता है। इसके लिए कार्य पद्धति और दिशानिर्देश स्पष्ट तौर पर स्थापित किए गए हैं और पहले से प्रकाशित कर लिए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करते समय आयोग ने जहां तक व्यावहारिक हो-आपस में एक-दूसरे में रुचि रखने वाले समुदायों जैसे जहां एक तरह के आदिवासी, जाति अथवा नस्ल के लोग हैं और जिन्हें भौगोलिक दृष्टि से अथवा प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतों, जंगलों, नदियों आदि द्वारा परिभाषित किया गया है, को ध्यान में रखा है। आयोग ने संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के दूसरे प्रावधान और अनुच्छेद 170 की उपधारा (3) के दूसरे प्रावधान के पालन में परिसीमन की अंतिम स्थिति प्राप्त होने के बाद 19, फरवरी 2008 को राष्ट्रपति का आदेश जारी कर देशभर में नये परिसीमन को प्रभावी बनाया गया। हालांकि परिसीमन कानून, 2002 की धारा 10(बी) ने झारखंड राज्य के संबंध में 2007 के परिसीमन आदेश के कानूनी प्रभाव को निरस्त कर दिया।

परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आदेशों के बारे में निर्दिष्ट तिथि की अधिसूचना देने वाले राष्ट्रपति के आदेश के जारी होने के साथ, अमल में आने पर, यह जरूरी हो गया कि संबद्ध प्रावधानों और परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित परिसीमन आदेशों के जरिए किए गए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने वाले जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जाए। फलस्वरूप, पड़ने वाली जरूरतों के रूप में, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करते हुए परिसीमन की सहमति के साथ जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) कानून, 2008 बनाया गया, जो 2008 से प्रभावी हो गया। इस संशोधन कानून के जरिए अन्य संशोधनों सहित जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची को हटा दिया गया। जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 में अन्य बातों के साथ एक नई धारा 8(ए) को शामिल किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि भारत के राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नगालैंड राज्यों में वर्तमान स्थिति और हालात परिसीमन का कार्य कराने के लिए हितकर हैं, तो वे आदेश द्वारा, इनमें से किसी भी राज्य के संबंध में परिसीमन कानून 2002 की धारा 10(ए) के अंतर्गत जारी स्थगन आदेश को रद्द कर सकते हैं और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों में परिसीमन का कार्य कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत के निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की उप-धारा (धारा 8(ए) के 2) के अनुसार उपर्युक्त चार राज्यों के संबंध में जल्द से जल्द ताजा परिसीमन का काम हाथ में ले, जो हो सकता है कि इन राज्यों संबंध में स्थगन आदेशों को रद्द करने के बाद कराया जाए। परिसीमन का कार्य नये सिरे से शुरू किया जाएगा जब इन राज्यों में परिसीमन का कार्य कराने के लिए स्थिति हितकर होगी।

राष्ट्रपति के 2008 के आदेश के जारी होने के बाद, परिसीमन आयोग ने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार और गुजरात राज्यों के संबंध में अपने पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए आठ (8) आदेश/शुद्धिपत्र जारी किए।

महिलाओं के लिए सीट आरक्षण

पिछले कई वर्षों से संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु लगातार मांग उठती रही है। 1992 में किए गए संविधान संशोधन 73 और 74 में ऐसी ही मांग को समर्थन दिया गया। इसके आधार पर संसद और राज्य विधायिकाओं में सीट आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल देश में प्रयोग के आधार पर 1982 में शुरू किया गया। ईवीएम के सार्वभौमिक इस्तेमाल में दो दशक से अधिक समय लगा और 2004 में लोकसभा चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों,

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलुरु (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) ने 1989 में ईवीएम विकसित की।

मतदाता फोटो पहचान-पत्र

निर्वाचन आयोग ने 1993 में देशभर में मतदाता फोटो पहचान-पत्र का इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनावों में जाली मतदान को रोका जा सके। पंजीकृत मतदाता को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। मतदाता सूची को आमतौर पर चुनाव संबंधी तारीख के रूप में हर वर्ष पहली जनवरी से संशोधित किया जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र इस तारीख को 18 वर्ष या अधिक है वह मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार उसके मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाने पर, उसे मतदाता पहचान-पत्र मिल जाएगा। मतदाता पहचान-पत्र जारी करने की योजना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

हालांकि ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मतदाता पहचान-पत्र जल्द से जल्द जारी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कुछ प्रयास इस प्रकार हैं: (i) सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान-पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान; (ii) मतदाता पहचान-पत्र बनाने के लिए मतदाताओं को अपनी फोटो की प्रतियां देने की इजाज़त; (iii) फोटो एकत्र करने और सभी मतदाताओं के फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति; (iv) मतदाताओं के नामांकन और मतदाता पहचान-पत्र बनाने पर विशेष ध्यान देने के लिए 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित; (v) मतदाता पहचान-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी मतदाता को देने के लिए विशेष प्रचार अभियान शुरू और (vi) यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मतदाता पहचान-पत्र संख्या एक बार जारी हो जाने पर यह मतदाता के पूरे जीवनकाल में वैध रहेगी चाहे उसका पता बदल जाए।

विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार

जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 19 में व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र चुनाव संबंधी तारीख पर 18 वर्ष से कम नहीं है और वह निर्वाचन क्षेत्र का साधारणतः निवासी है वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हक़दार है। 'साधारणतः निवासी' का अर्थ इस अधिनियम की धारा 20 में दिया गया है। मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका में अध्याय-III के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा रोजगार के सिलसिले में देश से बाहर गया है उसे उस स्थान से बाहर निकला हुआ माना जाएगा। किसी इमारत अथवा किसी अन्य अचल संपत्ति का केवल स्वामित्व होने से मालिक को निवासी होने की योग्यता न मिलती।

बड़ी संख्या में भारत के नागरिक विभिन्न कारणों से भारत से बाहर रह रहे हैं। वे लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाए।

सरकार ने मांग के सभी पहलुओं पर विचार किया और फलस्वरूप वर्ष 2006 में राज्य सभा में जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2006 पेश किया ताकि उन भारतीय नागरिकों के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकें जहां के वे साधारणतः निवासी हैं और जिसका जिक्र उनके पासपोर्ट में है तथा जो रोज़गार, शिक्षा अथवा किसी अन्य सिलसिले में बाहर होने के कारण अपने सामान्य निवास में उपस्थित नहीं हैं ताकि वे चुनाव के समय यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान कर सकें।

स्थायी समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए, सरकार ने राज्यसभा में 27 फरवरी, 2006 को पेश किए गए जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 को वापस ले लिया और अन्य बातों के साथ एक नया विधेयक जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2010, अगस्त, 2010 में पेश किया ताकि जन प्रतिनिधित्व कानून,1950 में संशोधन किया जा सके जिसमें: (क) प्रबंध किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है और जिसे किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं मिली है और जो अपने रोज़गार, शिक्षा अथवा किसी अन्य कारण से भारत में अपने साधारणतः निवास स्थान में उपस्थित नहीं है और भारत के बाहर है (चाहे अस्थायी तौर पर अथवा नहीं), वह उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हक़दार है

जहां भारत में उसका निवास है जिसका जिक्र उसके पासपोर्ट में किया गया हो; (ख) प्रबंध किया गया है कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूचियों में संशोधन करे और यथोचित सत्यापन के बाद मतदाता सूचियों में नाम शामिल करे और (ग) केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करे कि वह भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह करने के बाद, नियमों द्वारा, उस समय के अंदर बताए जिसमें ऊपर उप-पैरा में दिए गए लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा सकें और ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का तरीका और प्रक्रिया बताई जाए।

इस विधेयक ने जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) कानून, 2010 के रूप में कानून का रूप लिया। इस कानून के प्रावधानों का पालन करके केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग की सलाह से 3 फरवरी, 2011 को मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 और 23 फरवरी, 2011 को मतदाता पंजीकरण (दूसरा संशोधन) नियम 2011 तैयार किया और उसे प्रकाशित किया। केंद्र सरकार इस कानून को फरवरी, 2011 में अमल में लाकर आवश्यक अधिसूचना जारी कर चुकी है। विदेशों में रहने वाले भारतीय अब स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करके अपने संबद्ध निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य को लेकर पूरी तरह से सचेत थे कि हमारे समाज में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विगत कई सदियों से शोषित रहीं हैं और उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी स्थिति में व्यापक सुधार हो सके। इसलिए, हमारे संविधान में कई विशेष प्रावधानों को समाहित किया गया। ऐसा एक प्रावधान लोकसभा और राज्य विधान परिषदों में इन जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा था। संविधान की धाराओं 330 और 332 में इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह, संविधान निर्माता आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों की संभावी समस्याओं को लेकर भी संवेदनशील थे। नतीजतन, समाज के इस छोटे हिस्से को उचित प्रतिनिधित्व देने के उपाय किए गए। संविधान की धारा 331 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को संसद में नामांकित करते हैं।

इसी तरह, जहां भी आवश्यकता हो, राज्य विधान सभाओं में भी इस समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करने के अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होते हैं। आरंभ में, यह प्रावधान संविधान निर्माण के पहले दस वर्षों के लिए ही निर्धारित किए गए थे। हालांकि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, फिर भी ये समुदाय अन्य समुदायों से काफी पीछे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी इन समुदायों के नुमाइंदे, अपने दम पर, उचित संख्या बल के साथ चुन कर प्रतिनिधि के तौर पर सामने नहीं आ सके हैं। कुछ ऐसे ही, आंग्ल-भारतीय समुदाय के भी लोग हैं जिन्हें राजनीतिक हलकों में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। लिहाजा, संविधान निर्माण के साथ निर्धारित दस वर्षों के प्रावधान कोसमय-समय पर बढ़ा गया है। वर्ष 2009 में संविधान विधेयक (109वां संशोधन) की अवधि को संसद के दोनों सदनों में अगले दस वर्षों तक बढ़ाने के लिए पारित किया गया और इसे जनवरी, 2010 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिली। इस तरह, उपर्युक्त 2009 का संविधान विधेयक (109वां संशोधन) अमल में लाया गया।

21 श्रम, कौशल विकास और रोज़गार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार के महत्वपूर्ण और सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है। सामान्य श्रमिकों के साथ-साथ विशेष रूप से समाज के निर्धन, वंचित एवं उपेक्षित वर्ग के श्रमिकों के हितों की रक्षा कर उन्हें संरक्षण देना इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। इसके अलावा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करना एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सेवाओं का विकास एवं समन्वय करना मंत्रालय का लक्ष्य है। उदारीकरण की प्रक्रिया में साथ-साथ चलने व बने रहने के लिए मंत्रालय का ध्यान श्रम कल्याण के संवर्धन और उन्हें संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यह विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के माध्यम से प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है जिनके द्वारा श्रमिकों के रोज़गार और सेवा शर्तों को नियमित एवं नियंत्रित किया जा सके। भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है और इस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं।
वेबसाइट: www.labour.gov.in

नई पहल

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन

भारत सरकार ने आयातित कामगारों की वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू का है। इस योजना के तहत पंजीकरण फरवरी 2019 से ही शुरू हो चुका है।

असंगठित कामगारों में ज्यादातर घर बैठे वाम करने वाले फेरी लगाने वाले दोपहर का भोजन कार्य करने चाले, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्टा मज़दूर, मोची कचरा बिनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्शा खींचने वा भूमिहीन मज़दूर, स्वलेखा कर्मी, खेती मज़दूर, निर्माण कर्मी, बीती मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा कर्मी, श्रव्य-दृश्य कर्मी तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों से जुड़े कामगार शामिल हैं जिनका मासिक आय 35000 रुपये या उससे कम हो, वे ही पीएम-एसवाईएम के तहत इन शर्तों के साथ अपना पंजीकरण करा सकते हैं पंजीकरण का आयु 8 से 40 बर्ष के बीच हो; नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत न आता हो। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसो) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का लाभार्थी न हो, आयकरदाता न हो।

पीएम-एसवाईएम एक स्वैच्छिक तथा योगदान आधारित पेंशन योजना है जिसमें लाभार्थी एक निर्धारित आयु सीमा तक और केंद्र सरकार 50-50 के अनुपात में योजना दिशा-निर्देशों के मुताबिक योगदान करेंगे। उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष का आयु में योजना में प्रवेश करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक 100-रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार योजना के खाता धारकों को ये लाभ होंगे:

पीएम-एसवाईएम के खाता धारकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कम-से-कम 3000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि खाता धारक की मौत हो जाती है तो लाभार्थी के पति/पत्नी को लाभार्थी को मिल रही पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। परिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा।

नियमित योगदान करते हुए किसी कारण से 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी/पति को योजना के एक्जिट एवं निकासी प्रावधानों के तहत नियमित योगदान जारी रखते हुए

योजना में बने रहने या उससे बाहर निकलने का विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

लाभार्थी के योगदान की राशि उनके बचत खाते अथवा जनधन खाते से स्वतः पीएम-एसवाईएम खाते में जमा होती रहेगी, जो खाता धारकों के योजना में प्रवेश के समय आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है। खाताधारी को पीएम-एसवाईएम से जुड़ने के समय से लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक लगातार योगदान करते रहना है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा सामान्य सेवा केंद्रों-एसपीवी द्वारा लागू की जा रही है। एलआईसी को पेंशन निधि मैनेजर बनाया गया है और पेंशन का भुगतान उसी की जिम्मेदारी है। देशभर में फैले लगभग तीन लाख सामान्य सेवा केद्रों (एसपीवी) के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

राष्ट्रीय आजीविका सेवा परियोजना

राष्ट्रीय रोज़गार सेवा को रोज़गार से संबंधित विभिन्न सेवाओं जैसे आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचनाएं, प्रशिक्षुता इत्यादि का प्रदाता में रूपांतरित करने के लिए मंत्रालय मिशन मोड में राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना लागू कर रहा है। एनसीएस का पोर्टल (www.ncs.gov.in) 2015 से चल रहा है। एनसीएसपी की सहायता के लिए प्रत्येक मंगलवार से रविवार तक (प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक) एक समर्पित बहुभाषी हेल्पडेस्क उपयोगकर्ताओं की सहायता हेतु 18004251514 पर उपलब्ध है। इस हेल्पडेस्क में 3600 से अधिक आजीविकाओं के बारे में अच्छी-खासी जानकारी उपलब्ध है।

सभी रोज़गार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल से परस्पर जोड़ने के लिए एनसीएस परियोजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन सेवाएं दी जा सकें। योजना में राज्यों को अपने आईटी तंत्र को अद्यतन करने एवं रोज़गार मेलों का आयोजन करने के लिए अपने रोज़गार कार्यालयों की सूक्ष्म पुनर्सज्जा हेतु आंशिक वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय 2016-17 से ही प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत कराने के लिए सभी नवनियुक्त कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में पहले तीन वर्ष तक 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान करेगी। इससे नियोक्ताओं को बेरोज़गार व्यक्तियों को नियुक्ति देने एवं अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति देने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना 15,000 रुपये प्रतिमाह की आय वाले व्यक्तियों पर लागू होगी। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

श्रम निरीक्षण योजना

जोखिम कर्म मानकों के आधार पर किए गए निरीक्षणों की आकस्मिक क्रम रहित अनिवार्य कंप्यूटरीकृत सूची बनाई जाती है :

1. गंभीर मामलों को अनिवार्य निरीक्षण की सूची के अनुसार देखा जाता है।
2. शिकायत मिलने के उपरांत आंकड़ों और साक्ष्यों की जांच के बाद केंद्रीय स्तर पर जांच का निर्णय लिया जाता है।
3. जांच किए जाने के 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

श्रम सुविधा पोर्टल

श्रम कानूनों को लागू करने और उनके सुगम अनुपालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए मंत्रालय ने एक एकीकृत वेब पोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है। यह मंत्रालय के अधीन कार्यरत चार प्रमुख संगठनों की

आवश्यकताएं पूरी करता है। ये संगठन हैं: प्रमुख श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय), महानिदेशक खान सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

एकल समेकित वार्षिक विवरणी

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने आठ श्रम कानूनों (अधिनियमों) के लिए एकल समेकित वार्षिक विवरण शुरू की है। इससे विभिन्न उपक्रमों (औद्योगिक इकाइयों) को अलग-अलग विवरणी भर कर देने की बजाय सरलीकृत एकल ऑनलाइन विवरणी भरकर जमा करने में आसानी होगी। ये कानून हैं: (1) वेतन/मज़दूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; (2) न्यूनतम वेतन/मज़दूरी अधिनियम, 1948; (3) अनुबंध श्रमिक (पंजीकरण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970; (4) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; (5) भवन निर्माण व अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996; (6) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; (7) अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोज़गार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 तथा (8) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

सामान्य पंजीकरण

पांच केंद्रीय श्रम कानूनों (अधिनियमों) के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण की सुविधा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई-ब्रिज पोर्टल पर विकसित की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले अधिनियम (कानून) इस प्रकार हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; भवन निर्माण व अन्य निर्माण श्रमिक (आरईसीएस) अधिनियम, 1996; अनुबंध श्रमिक (पंजीकरण एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (आरईसीएस) अधिनियम, 1979।

श्रम संहिता

मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन (लागू करने) में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ करना एवं एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए प्रेरित होकर नियमों का पालन करने वाला बनाना है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रशासन में सुधार लाना और वर्तमान श्रम कानूनों का सरलीकरण, उन्हें तर्कसंगत बनाना एवं मिला कर चार संहिताओं में लिपिबद्ध करके विधायी सुधार करना इन कदमों में शामिल है।

विधायी पहल

ड्राफ्ट लघु उद्योग विधेयक

इस विधेयक में 40 से कम श्रमिकों वाली लघु उत्पादन इकाइयों में श्रमिकों के लिए कार्य और सेवा शर्तों के नियमन का प्रावधान है। यह विधेयक इन लघु उद्योगों के लिए छह श्रमिक कानूनों को आपस में मिलाने, उनके सरलीकरण और उन्हें तर्कसंगत बना कर उन्हें एक स्थान पर रखने का प्रावधान करता है। यह विधेयक लघु उद्योगों के संचालन को आसान बनाते हुए उन्हें और अधिक रोज़गार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करेगा।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व तथा नौकरी के समय दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में चिकित्सा सुविधा और आर्थिक सहायता देने के लिए 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1952 से लागू ईएसआई योजनाओं को चला रहा है। उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

ईएसआईसी का स्वास्थ्य सुधार एजेंडाः स्वास्थ्य सुधार एजेंडा (प्रारूप) की पूरी शृंखला लागू की गई। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- ईएसआई लाभार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों की ऑनलाइन (बीमित व्यक्ति और उनके आश्रित परिवारी सदस्य);
- अभियान इंद्रधनुषः सप्ताह के दौरान प्रतिदिन 'वीआईबीजीवाईओआर' प्रकार से बिस्तर की चादर बदलना;
- आपात स्थिति में एवं ईएसआई अस्पताल की कैजुअल्टी/इमरजेंसी से निर्देश प्राप्त करने के लिए चिकित्सा हेल्पलाइन नं. 1800113839;
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक खंड;
- ईएसआई अस्पतालों में अपराह्न में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष ओपीडी।

ईएसआईसी 2.0 की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: चरणबद्ध रूप में औषधि वितरण केंद्रों को छह बिस्तरों वाले अस्पतालों में उच्चीकृत करना, विभिन्न स्तरों पर अस्पतालों में पर्याप्त एवं उचित कैंसर, हृदय रोग के निदान व उपचार, योग सुविधाओं का प्रावधान, सभी ईएसआईसी अस्पतालों में पीपीपी आधार पर डायलिसिस सुविधाएं देना, अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा उपलब्ध सुविधाओं को उच्चीकृत करके सभी संभव पैथोलॉजी सुविधाओं का प्रावधान, रोगियों के सुगम पंजीकरण और औषधि वितरण के लिए प्रत्येक अस्पताल में पंक्ति प्रबंध प्रणाली, रोगियों/उनकी सुश्रुषा (तीमारदारी) में लगे व्यक्तियों को संभालने के कार्य में सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए अस्पतालों के गैर-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों को व्यवहारजन्य प्रशिक्षण देना, सभी अंतरंग (भर्ती) रोगियों के लिए फीडबैक प्रणाली, अस्पताल में आने वाले लोगों को उचित दिशानिर्देशों एवं सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के लिए सभी ईएसआईसी अस्पतालों में आवश्यक स्थानों पर आकर्षक दिशापट्ट लगाना, डिस्पेंसरी स्तर पर विभिन्न चरणों में आयुष (एवाईयूएसएच) सुविधाओं का विस्तार, लाभार्थियों के लिए विभिन्न चरणों में टेली-मेडिसिन सुविधा का प्रावधान।

डिजिटल भारत-ईएसआईसी की ई-पहल

ई-बिज प्लेटफॉर्म*:* ईएसआईसी केंद्र सरकार का ऐसा पहला संगठन था जिसने अपनी सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने और वित्तीय लेन-देन की लागत घटाने के लिए नियोक्ताओं का पंजीकरण करने लिए नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के ई-बिज पोर्टल के माध्यम का उपयोग किया है।

ई-पहचान*:* आधार संख्या को बीमा संख्या से जोड़कर बीमित व्यक्ति की पहचान आधार संख्या से करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इससे बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों द्वारा सभी प्रकार के लाभों की सुविधा लेते समय विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली पहचान की प्रक्रिया सरल हो गई है। इससे बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों को अपने बायोमेट्रिक कार्ड जारी करवाने के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक पहचान देने के लिए विभिन्नकार्यालयों में जाने बोझिल प्रक्रिया से बच सकेंगे।

आईपी के लिए मोबाइल एप*:* विभाग के आईपी के लिए एक मोबाइल एप 'आस्क एंड अप्वाइमेंट' (एएए +) की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी रोगी को वास्तव में अस्पताल जाने से पहले डॉक्टर से ऑनलाइन अप्वाइमेंट मिल जाएगा।

शासकीय निर्देशों का समावेशन*:* जीईएम, ई-ऑफिस से संबंधी विभिन्न शासकीय निर्देशों का या तो समावेशन कर लिया गया है अथवा उनके समावेशन, अनुकूलन और अंगीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

आईपी का सशक्तीकरण*:* एक व्यवस्था ऐसी भी की गई है जिसके द्वारा श्रमिक यह जान सकते हैं कि वे इस योजना में शामिल हैं/नहीं हैं/उनकी उपस्थिति/वेतन/दिहाड़ी/नियोक्ता द्वारा जमा कराए गए अंशदान की क्या स्थिति है। आईसीटी प्रभाग ने बदलते व्यवसाय नियमों एवं परिवेश को ध्यान में रखने के साथ ही ईएसआईसी की तीव्र गति से बढ़ती हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक अपनी व्यवस्था का उच्चीकरण कर लिया है। इसके अंतर्गत, (क) नए कार्यान्वित क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए घटी हुई दर पर अंशदान का समावेशन, (ख) वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा कर 21,000 रुपये किए जाने का समावेशन, (ग) ईएसआई अंशदान के भुगतान की तिथि को माह समाप्त होने के बाद 15 दिन आगे किया जाना शामिल है।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता 12 महीने के स्थान पर 24

महीने मिलेगा। आरजीएसकेवाई के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए अंशदान करने की पात्रता की शर्त भी अब तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर को प्रोत्साहन देने के लिए अब नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के अंशदान का भुगतान अब शुरुआती दस वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों व संस्थानों में कार्यरत सभी स्थायी दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर विचार किए बगैर नियोक्ता द्वारा देय अंशदान पर शुरुआती दस वर्षों के लिए छूट मिलेगी।

प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए ईएसआईसी ने 'एक आईपी-दो डिस्पेंसरी' नाम से एक नई योजना शुरू की है। अब अपने नियोक्ता के माध्यम से कोई भी श्रमिक/कर्मचारी दो डिस्पेंसरियां चुन सकेगा- एक अपने लिए तथा दूसरी अपने उस परिवार के लिए जो देशभर में कहीं भी किसी दूसरे स्थान पर रह रहा हो।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में संविधान की अनुसूची-1 में वर्णित ऐसे उद्योगों/संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा कोष का प्रावधान है।

यद्यपि ईएसआईसी के कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों में निगरानी करने के लिए उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत निर्देशपालन अनुरक्षण (निगरानी) प्रणाली के रूप में सहायता उपकरण (प्रकल्प) उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन उन निर्देशों का पालन कराने वाली व्यवस्था के पास इन संस्थानों की पहचान करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की थी। इसके कारण कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों का विलंब से निरीक्षण हो रहा था क्योंकि इसमें कानूनी पेचीदगियां आने लगी थीं और इसका कारण यह था कि ये संस्थान पिछली तारीखों से कार्यक्षेत्र में आने योग्य पाए गए किंतु इन्होंने नियमानुसार देय बकाया राशि, ब्याज के भुगतान और देरी से जुर्माने सहित बकाया राशि जमा कराने और मुकदमेबाजी से जुड़ी पिछली दावेदारियों का जिम्मा लेने से इंकार कर दिया था। यह अधिनियम अपने-आप ही लागू किया जा सकता है और इसके न मानने पर किसी भी कारण से उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में अनुसूची में वर्णित ऐसे उद्योगों/संस्थानों जिनमें 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारी हों, में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा कोष का प्रावधान है। भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करवाती है तथा निम्नलिखित के तीन योजनाएं इस अंतर्गत बनाई गई हैं: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952; कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, तथा कर्मचारी-बचत से जुड़ी बीमा योजना, 1976।

ऑनलाइन पंजीकरण

ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए अपने संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है।

सार्वभौमिक खाता संख्या

ईपीएफ खाताधारकों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर-यूएएन) की औपचारिक शुरुआत 2014 में हुई थी। रोज़गार/जीविका में परिवर्तन होने पर यूएएन की स्वतः संवहनीयता ही इसकी अंतर्निहित विशेषता है बशर्ते कि कर्मचारी अपने नियोक्ता के माध्यम से 'अपने उपभोक्ता को जानें' विवरणों में अपने यूएएन को सक्रिय करवा ले।

पेंशन सुधार

न्यूनतम पेंशन

न्यूनतम पेंशन के क्रियान्वयन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया। केंद्र सरकार श्रमिक/कर्मचारी

के परिवारजनों/विधवा(विधुर)/अक्षम/नामित आश्रित अभिभावक पेंशनरों को 1000 रुपये प्रतिमाह, अनाथ पेंशनरों को 750 रुपये प्रतिमाह और अल्प वयस्क बालक/बालिका पेंशनरों को 250 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दे रही है ।

न्यूनतम पेंशन अधिघोषणा के लागू होने के बाद ऐसे सभी परिवार सदस्यों/विधवा(विधुर)/अक्षम/नामित आश्रित अभिभावक पेंशनरों, जिनकी मूल पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह से कम थी, को भी न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे । सदस्यों को मिलने वाले लाभों में से की जाने वाली कटौती पेंशन के लिए दावा किए जाते समय प्राप्त कम्युटेशन, पूंजी की वापसी और लघु अवधि सेवा जैसे विकल्प के भुगतान के अनुसार ही होगी ।

औद्योगिक संबंध

केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में औद्योगिक विवादों के संदर्भ में न्यायिक निर्णयों हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत बाइस केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)-सह-श्रम न्यायालयों का गठन किया गया है । वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के कारण उत्पन्न होने वाली अपीलों के निस्तारण का अधिकार भी इन न्यायाधिकरणों को दिया गया है । ये न्यायाधिकरण धनबाद (झारखंड), मुंबई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्णाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी में एक-एक न्यायालय है । साथ ही मुंबई और कोलकाता के दो औद्योगिक न्यायाधिकरण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में भी कार्य करते हैं ।

विलंबित मुकदमों की संख्या कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) (सीजीआईटी) वैकल्पिक शिकायत निस्तारण प्रणाली के रूप में लोक अदालतों का भी आयोजन कर रही है ।

बाल श्रम

बाल श्रम बहुत चिंता का विषय है और केंद्र सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है । समस्या के आकार और प्रकृति को देखते हुए सरकार सुदृढ़ बहु-संतति योजनाओं पर अमल कर रही है । इनमें वैधानिक एवं विधिक उपाय, बचाव एवं पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा के साथ, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उपशमन तथा रोज़गार सृजन योजनाएं निहित हैं । इस कवायद का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें परिवारों को अपने बच्चों को काम पर न भेजना पड़े । सरकार ने सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बच्चों को निकालने और उनका पुनर्वास करने की नीति अपनाई है ।

बाल श्रम पर नीति

अगस्त 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति इस जटिल एवं उलझे हुए विषय का व्यापक, समग्र और समन्वित रूप में समाधान करती है । इस नीति की कार्ययोजना बहु-आयामी है और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं: विधायी कार्ययोजना; बाल श्रम के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्यवाही तथा ऐसे श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना ।

विधायी कार्ययोजना

विधायी कार्ययोजना के अंतर्गत बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में लागू हुआ था । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 18 पेशों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोज़गार देने पर प्रतिबंध लगाया गया था । इसके अनुसरण में केंद्र सरकार ने बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया । नया अधिनियम 2016 से ही लागू हो गया था । इस संशोधन में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को किसी भी प्रकार के पेशे और प्रक्रिया में काम पर रखने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था और रोज़गार पर प्रतिबंध की आयु को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु से जोड़ना; जोखिम वाले कार्यों अथवा प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष) के रोज़गार पर प्रतिबंध और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं को कठोर दंड की व्यवस्था; राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुपालन में बाल

श्रम के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में बाल श्रम से छुड़ाए बच्चों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) शुरू की गई। यह केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत चलने वाली सतत योजना है और वर्तमान में देश के 270 जिलों में स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बाल श्रमिक सर्वेक्षण के माध्यम से कामगार बाल श्रमिकों को छुड़वाकर उन्हें विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है जहां पढ़ते हुए उन्हें कालांतर में मुख्य औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होने का परिवेश और अवसर मिलता है। इन विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रवृत्ति, पूरक पोषाहार, व्यावसायिक शिक्षा और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलती है।

निर्धनता ही ऐसी सामाजिक बुराइयों की जड़ है अतः ऐसे बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास उनके परिवारों का आर्थिक पुनर्वास करके किया जाता है। इसके लिए समाभिरूपता नीति के अंतर्गत उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं के लाभ दिए जाते हैं।

एनसीएलपी योजना का आरटीई अधिनियम, *2009* के साथ पुनः संयोजन

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के लागू होने के साथ ही एनसीएलपी योजना को आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के साथ पुनः संयोजित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। आरटीई अधिनियम के उपबंध-4 और बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य अधिकार (आरटीई) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसार अब एनसीएलपी विद्यालय अभी तक अपंजीकृत और विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। केंद्रीय अधिनियमों की सूची के अध्याय-1 में क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का वर्ष 2016 से नाम बदल कर उसे अब 'बाल एवं किशोर श्रम' (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कर दिया गया है।

बंधुआ श्रमिक

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए 1978 में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को समान अनुपात में (50:50) केंद्रीय अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना को वर्ष 2000 में जबरदस्त रूप से संशोधित कर दिया गया ताकि जिले के आधार पर बंधुआ श्रमिकों की पहचान, जागरुकता बढ़ाने वाली गतिविधियों और उनका मूल्यांकन करने वाले अध्ययनों के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जा सके। पुनव अनुदान राशि को भी 10,000 प्रति बंधुआ श्रमिक से बढ़ाकर 20,000 प्रति बंधुआ श्रमिक कर दिया गया है। साथ ही यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य अपने लिए निर्दिष्ट समतुल्य राशि जुटाने में असमर्थ रहते हैं तो भी उन्हें शत-प्रतिशत अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वेतन *(*मज़दूरी*)* एवं बोनस

न्यूनतम वेतन *(*मज़दूरी*)* अधिनियम, *1948*

अधिकतर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) अधिनियम, 1948 लागू किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित रोज़गारों में श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) के निर्धारण, संशोधन, समीक्षा और उसे लागू करवाने के लिए सक्षम प्रशासक हैं। इस समय केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में क्रमशः 45 और 1697 अनुसूचित रोज़गार हैं। न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) अधिनियम, 1948 के अनुपालन को दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। जहां एक ओर केंद्रीय क्षेत्र में इस अधिनियम की पालना मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आपमें निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कराई जाती है जिन्हें सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध प्रशासन (सीआईआरएम) के रूप में नामित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर राज्यों में इन नियमों का अनुपालन राज्य प्रवर्तन विभाग द्वारा करवाया जाता है।

न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हुए

परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) देना प्रारंभ किया है। जहां तक राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों की बात है, उनमें से 27 ने वीडीए को न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) का एक घटक बना लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही समय-समय पर इन अनुसूचित रोज़गारों के लिए देय न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) में संशोधन करते रहते हैं।

पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) ढांचा तैयार करने एवं न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) में असमानता को कम करने के लिए 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग (एनसीआरएल) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) (एनएफएलएमडब्ल्यू) की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में एनएफएलएमडब्ल्यू को 137 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 160 रुपये प्रतिदिन किया है। तथापि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम वेतन (मज़दूरी) एक गैर-संवैधानिक उपाय है।

वेतन *(* मज़दूरी*)* का भुगतान

वेतन (मज़दूरी) का भुगतान अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान समय पर हो और कामगारों के वेतन में से किसी भी प्रकार की अनाधिकृत कटौती न की जाए। अधिनियम के अनुच्छेद 1 के उप-बंध (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों को आधार मानते हुए वर्ष 2012 से वेतन (मज़दूरी) की सीमा 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है।

वेतन *(*मज़दूरी*)* का भुगतान *(*संशोधन*)* अधिनियम*, 2017:* वेतन (मज़दूरी) का भुगतान नकद अथवा चेक से या फिर कर्मचारी के बैंक खाते में सीधा भेजने के लिए वेतन (मज़दूरी) का भुगतान अधिनियम, 1936 के अनुच्छेद 6 में 2017 में संशोधन किया गया। संशोधन के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि सक्षम सरकार सरकारी राजपत्र (गजट) में अधिघोषणा कर सकती है कि किसी भी उद्योग या उपक्रम में नियोक्ताओं में से कौन अपने यहां कार्यरत कर्मचारी के वेतन का भुगतान चेक द्वारा अथवा बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत होगा।

बोनस का भुगतान

बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया है। अब इसके अनुच्छेद 2 (13) के अंतर्गत पात्रता की योग्यता सीमा को 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत गणना की सीमा को 3,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह करने या सक्षम सरकार अनुसूचित रोज़गार के लिए न्यूनतम वेतन (मज़दूरी), जो भी अधिक हो, की व्यवस्था की गई है। ये सभी संशोधन 2014 से प्रभावी होंगे।

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और कारखाना सुरक्षा सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) महानिदेशालय के माध्यम से लागू किया जा रहा है। डीजीएमएस खान सुरक्षा अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त अपने निरीक्षकों के माध्यम से खनन उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधानों को लागू करवाते हैं। डीजीएफएएसएलआई अपने डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से बंदरगाहों और पोतों में सुरक्षा प्रावधान लागू करवाते करवाते हैं और इसके साथ ही वे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षणालयों के लिए समन्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों/लोक उपक्रमों तथा ऐसी निर्माण इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों जिनमें 500 या उससे अधिक कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत हैं को उनके कार्य निष्पादन, कर्तव्यनिष्ठा के सम्मान स्वरूप प्रति वर्ष दिए जाते हैं। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों अथवा समूह को उनके ऐसे उत्कृष्ट सुझावों के लिए दिए जाते हैं जिससे उत्पादकता, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ आयात में कमी लाने के वे विकल्प मिलें जिनके कारण विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयों, गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य

एवं कल्याण) अधिनियम, 1986; तथा भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिक (रोज़गार का विनियम एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले नियोक्ताओं में उत्तम सुरक्षा कार्य निष्पादन की पहचान और सम्मान के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाली खानों में सुरक्षा के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए दिया जाता है।

अनुसंधान और प्रशिक्षण

श्रमिक शिक्षा एवं विकास हेतु राष्ट्रीय बोर्ड

श्रमिक शिक्षा एवं विकास हेतु दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका कार्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई/ग्राम स्तर पर श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना है। बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों के सभी वर्गों में जागरुकता लाना है। संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों में परिवीक्षक और प्रबंधक संवर्ग के व्यक्तियों को भी बुलाया जाता है। बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है और देशभर में इसके 50 क्षेत्रीय एवं 08 उप-क्षेत्रीय निदेशालय हैं। बोर्ड के 06 संभागीय निदेशालय नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और भोपाल में हैं जो क्षेत्रीय निदेशालयों की अपने अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का लेखा-जोखा लेते रहते हैं। बोर्ड की प्रकृति त्रिपक्षीय है और इसमें केंद्रीय श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं, केंद्र/राज्य सरकारों एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत इस स्वायत्तशासी संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी। अब यह श्रमिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बन चुका है। अपनी स्थापना के समय से ही संस्थान ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विभिन्न विषयों और संबंधित समूहों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए अपनी ओर से, प्रशिक्षण, शिक्षा और साहित्य प्रकाशन के व्यापक प्रयास किए हैं। ऐसे प्रयासों का उद्देश्य नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाना एवं समतावादी व लोकतांत्रिक समाज में श्रमिक को सम्मानजनक स्थान दिलाना सुनिश्चित करना है।

कौशल विकास

देशभर में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए अभी तक छिटपुट प्रयास ही होते रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत बहुत पीछे दिख रहा है। कौशल विकास की तात्कालिकता व सभी संबंधित पक्षों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया। इस मंत्रालय का नाम कौशल्ा विकास एवं उद्यमि मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय सभी प्रकार के कौशल विकास में समन्वयन, कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच आ गए अंतर को पाटने, व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक ढांचे का निर्माण करने, कौशल उन्नयन, नए कौशल सृजित करने, ऐसी अनूठी सोच जो न केवल वर्तमान आजीविकाओं वरन आगे सृजित होने वाले रोज़गारों का भी ध्यान रख सके जैसे उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय का उद्देश्य बड़े पैमाने पर द्रुत गति और ऊंचे मानकों से युक्त ऐसे कौशल का विकास करना है जिससे उसके अपने 'कौशल भारत' के संकल्प की पूर्ति हो सके।

इन अनूठी पहलों में मंत्रालय की सहायता के लिए इसके क्रियात्मक अंग हैं: राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) एवं 33 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) और एनएसडीसी के पास पंजीकृत 187 प्रशिक्षण सहयोगी।

इस मिशन का लक्ष्य एक उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले ढांचे के माध्यम से समभारिता तैयार करने एवं विविध-पक्षीय निर्णयों में तेजी लाना है इससे अखिल भारतीय स्तर पर कौशल विकास गतिविधियों का एकीकरण, समन्वयन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण (निगरानी) किया जा सकेगा।

यह एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे वाला मिशन है जिसमें सभी निकायों की निर्बाध गतिविधियों में नीति संबंधी निर्देश और परामर्श देना, समूची प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना और मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन करना शामिल है। साथ ही उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुने हुए उप-मिशन चलाना भी इस मिशन के कार्यों में आता है। शुरू में निम्नलिखित सात क्षेत्रों में उप-मिशन प्रस्तावित हैं: (1) संस्थागत प्रशिक्षण;

(2) अवसंरचना; (3) एकीकरण; (4) प्रशिक्षक; (5) विदेशों में रोज़गार; (6) स्थायी आजीविका; (7) लोक अवसंरचना का लाभ उठाना।
वेबसाइट: www.msde.gov.in

कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति

कौशल विकास एवं उद्यमिता पर पहली राष्ट्रीय नीति (एनपीएसडी) वर्ष 2009 में अधिसूचित हुई थी। एनपीएसडी में विस्तृत ढांचे के साथ ही देश में कौशल परिदृश्य के लिए लक्ष्यों और परिणामों की भी रूपरेखा तैयार की गई थी। देश के कौशल पारिस्थितिकीय तंत्र में आदर्श परिवर्तन और कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान मिले अनुभव इस नीति पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता दर्शा रहे थे। साथ ही 2009 की नीति में स्वयं ही प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा करने का प्रावधान किया गया था ताकि नीतिगत ढांचे को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आ रहे बदलावों से जोड़ा जा सके। तदनुसार ही 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता पर नई राष्ट्रीय नीति की अधिसूचना जारी की गई जिसने 2009 की नीति का स्थान लिया।

इस नीति का कौशल घटक अन्य बातों के अलावा कौशल परिदृश्य के प्रमुख मुद्दों जैसे- कम महत्वाकांक्षा; औपचारिक शिक्षा से असंबद्धता; परिणामों पर ध्यान देने का अभाव; प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता का समाधान करता है। इस नीति का उद्देश्य मान और पूर्ति को जोड़ना, वर्तमान कौशलों के बीच की खाई को पाटना, उद्योग संबद्धता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता विश्वास के ढांचे को चालू करना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना एवं चिन्हित विषयों के समाधान के लिए प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) को बढ़ावा देना। इसका एक अन्य लक्ष्य महिलाओं सहित सामाजिक/भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े एवं अभी तक वंचित समूहों के लिए समान कौशल विकास के अवसर मुहैया कराना भी है।

उद्यमिता के क्षेत्र में यह नीति उद्यमिता औपचारिक/कौशल शिक्षा के एक अंश रूप में शिक्षा के समर्थन और एकीकरण के माध्यम से उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने, ऋण और बाजार सम्पर्क के संदर्भ में उद्यमियों के लिए सहायता जुटाने, नवाचार-संचालित सामाजिक उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापार करने की सुगमता में सुधार की इच्छुक है। यह नीति सामाजिक/भौगोलिक रूप में अलग-थलग पड़े एवं वंचित समूहों की उद्यमिता आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा महिलाओं की उद्यमिता के विकास हेतु भी सुझाव देती है।

योजनाएं एवं पहल

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पीएमकेईवाई इस मंत्रालय की परिणाम आधारित फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार के योग्य बनाने तथा अपनी आजीविका से धन अर्जन कर सकने के लिए परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र करना है।

यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और केंद्र द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू की जा रही है।

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र

यह मंत्रालय देश के हर जिले में आदर्श कौशल केंद्र की स्थापना के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों की कवरेज को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना लागू करता है।

पीएमकेके में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- बेंचमार्क संस्थान बनाए जो कार्यक्रम की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर महत्वाकांक्षी मूल्य आकस्मिकता आधारित कौशल विकास का प्रदर्शन कर सके;
- गुणवत्ता और स्थायित्व के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करे और कौशल वितरण प्रक्रिया में हित धारकों से जुड़े;
- एक जनादेश संचालित किसी भी दिशा में चले जाने वाले मॉडल।

उद्यमिता हेतु योजना

प्रधानमंत्री युवा योजना

इस योजना का लक्ष्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, परामर्श, उद्यमिता समर्थन तंत्र तक सुगम पहुंच और सामाजिक उद्यमिता के संवर्धन के माध्यम से उद्यमिता के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) संभावित एवं शुरुआती चरण वाले उद्यमियों को शिक्षित एवं सुसज्जित करना;

(ख) समकक्षों, अनुभवी सलाहकारों, सहारा देने वालों (इंक्यूबेटर्स), वित्तीय सहायता और व्यवसाय सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों को जोड़ना;

(ग) उद्यमिता हब्स (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता देना; तथा

(घ) आकांक्षी उद्यमियों को सहायता देने के लिए अब तक चली आ रही मनोवृत्ति में बदलाव के लिए प्रेरित करना। यह योजना निजी एवं लोक भागीदारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

उड़ान

जम्मू-कश्मीर के लिए बनी यह विशेष उद्योग पहल (एसआईआई) योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू की जा रही है। यह कार्यक्रम राज्य में विभिन्न आर्थिक मुद्दों के समाधान की समग्र पहल का एक हिस्सा है तथा राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार देने पर केंद्रित है। साथ ही इसका उद्देश्य भारत के उद्योगपतियों को राज्य की प्रतिभाओं से भी परिचित करवाना है।

22 | जनसंचार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशनों, विज्ञापन जैसे जनसंचार के साधनों और संचार के पारंपरिक तरीकों जैसे- नाटक, संगीत और नृत्य के जरिए लोगों को निर्बाध रूप से सूचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है और उनको राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता मिटाने तथा महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करता है। मंत्रालय चार खंडों में विभाजित है यथा- सचना खंड, प्रसारण खंड, फिल्म खंड और एकीकृत वित्त खंड। मंत्रालय 21 मीडिया इकाइयों/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है।

सूचना खंड, प्रकाशन और प्रेस से संबंधित नीतिगत मुद्दों के अलावा सरकार की प्रचार की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम करता है। मंत्रालय का सामान्य प्रशासन संबंधी कामकाज भी इसी खंड के अधीन है।

प्रसारण खंड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मामलों व निजी टीवी चैनलों के प्रसारणों की विषय-वस्तु के नियमन के साथ ही साथ आकाशवाणी व दूरदर्शन के कार्यक्रमों तथा केबल टीवी और सामुदायिक रेडियो चैनलों के संचालन संबंधी मामलों की देख-रेख की जिम्मेदारी आदि भी संभालता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) जो अधीनस्थ कार्यालय है, वह भी इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

मंत्रालय का फिल्म खंड, फिल्म जगत से जुड़े मामले देखता है। वृत्तचित्रों का निर्माण और वितरण, फिल्म उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने, प्रशिक्षण, फिल्म समारोहों के आयोजन, फिल्मों के आयात और निर्यात से संबंधित सभी पहलुओं पर यह खंड काम करता है। एकीकृत वित्त खंड, मंत्रालय के वित्तीय मामलों को देखता है।
वेबसाइट: www.mib.gov.in

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारत का लोक सेवा प्रसारक) देश में लोक सेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके लोगों को सूचित, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना है।

उद्देश्य

प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के अंतर्गत प्रसार भारती निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- (1) देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना, (2) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, (3) लोक हित के सभी मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष एवं संतुलित सूचना प्रदान करना, (4) शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, (5) महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना, (6) विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना, (7) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा कामगारों एवं अल्पसंख्यकों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और (8) प्रसारण प्रौद्योगिकी का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य होता है, जिसका कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होती है। कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल पांच वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ वर्ष होती है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल छह वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। प्रसार भारती बोर्ड की बैठक समय-समय पर होती है जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर विचार-विमर्श होता है तथा कार्यकारी को नीतिगत दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं।

वेबसाइट: www.prasarbharati.gov.in

आकाशवाणी

रेडियो के आविष्कार और कुछ पश्चिमी देशों में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई जैसे भारतीय शहरों में कुछ निजी रेडियो क्लब द्वारा प्रसारण शुरू हुआ।

जून, 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इसके बाद एक प्रसारण सेवा की स्थापना हुई जिसमें भारत सरकार और एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के बीच समझौते के तहत 23 जुलाई, 1927 को मुंबई और कोलकाता में एक साथ प्रायोगिक आधार पर रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। 1930 में इस कंपनी के दिवालिया होने पर 'प्रसारण नियंत्रक' विभाग के अंतर्गत भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया और 1935 में लियोनेल फील्डन को भारत में प्रसारण नियंत्रक नियुक्त किया गया। भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम जनवरी, 1936 में बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। एक से चार वर्ष की अवधि तक ऑल इंडिया रेडियो को संचार विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग और सूचना और कला विभाग के अधीन रखा गया और उसके बाद से अंततः यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। विभाजन के समय भारत में छह रेडियो केंद्र थे (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ) और तीन रेडियो केंद्र पाकिस्तान में चले गए (लाहौर, पेशावर और ढाका, जो अब बांग्लादेश में है)।

1,000 किलोवॉट के दो अति शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमीटर 1969 में कोलकाता के पास मोगरा और 1971 में राजकोट में लगाए गए। 500 किलोवॉट के चार अति शक्तिशाली शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर 1994 में बंगलुरु में श किए गए, जिससे ये केंद्र दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण केंद्रों में शामिल हो गया। मद्रास में 23 जलाई, 1977 को देश की पहली एफएम सेवा की शुरुआत हई। 198 में सभी आकाशवाणी केंद्रों को पांच चैनल रिसीवर टर्मिनल उपलब्ध कराए गए। 1994 में मुंबई और 1995 में चेन्नई में मल्टी-ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शुरुआत हुई।

अवसंरचना

1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश काल से देशी राज्यों द्वारा संचालित किए जा रहे आकाशवाणी मैसूर, हैदराबाद रेडियो और रेडियो कश्मीर आदि जैसे रेडियो स्टेशनों का दायित्व आकाशवाणी ने संभाल लिया।

1947 में मात्र 18 ट्रांसमीटर से पहली पंचवर्षीय योजना के अंत तक 46, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 59, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 110 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 433 ट्रांसमीटर हो गए। इस प्रकार मार्च, 2018 तक आकाशवाणी के देशभर में कुल 662 ट्रांसमीटर हो गए जिनमें से 139 मीडियम वेव, 48 शार्ट वेव और 475 एफएम ट्रांसमीटर हैं। 1947 के छह रेडियो केंद्रों की तुलना में मार्च, 2018 में देशभर में 469 रेडियो केंद्र हो गए।

सॉफ्टवेयर

आकाशवाणी कई वर्षों से त्रि-स्तरीय प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय प्रसारण में कर रहा है। वह

अपने स्टेशनों के जरिए महाद्वीपीय आयाम और बहुलवादी समाज में श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी जरूरतें पूरी करता है। ये स्टेशन 23 भाषाओं और 176 बोलियों में समाचार, संगीत, बोले गए शब्द और अन्य कार्यक्रम पूरे देश की जनसंख्या तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जो हाल ही में एक बिलियन से अधिक हो चुकी है।

आकाशवाणी का विविध भारती नामक मनोरंजन चैनल 3 अक्टूबर, 1957 को शुरू हुआ और इस चैनल पर 1 नवंबर, 1967 से विज्ञापनों का प्रसारण होने लगा। पहला रेडियो संगीत सम्मेलन 1954 में आयोजित किया गया और उसके बाद से यह हर साल आयोजित होने लगा। कार्यक्रम, अभियांत्रिकी, समाचार और श्रोता अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 1974 में आकाशवाणी के वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई। 1 अप्रैल, 1976 को दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। चुनावों से पूर्व राजनीतिक पार्टियों का पहला प्रसारण आकाशवाणी के विविध स्टेशनों से 1977 से शुरू हुआ। आकाशवाणी के शिलांग परिसर से 3 जनवरी, 1990 से आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा शुरू हुई। शाम के समय लोकसेवा प्रसारण शुरुआत में रोजाना करीब साढ़े पांच घंटे तक होता था। इसे तीन प्रसारणों तक बढ़ा दिया गया है। 50 केवी एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर के जरिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की विभिन्न भाषाओं/बोलियों में संगीत कार्यक्रमों के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। फोन-इन-प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं।

चैनल एवं कार्यक्रम

आठ दशकों में ऑल इंडिया रेडियो ने जबरदस्त तरक्की की है और वह दुनिया के सबसे विशाल मीडिया संगठनों में से एक हो गया है। वर्तमान में इसके 469 स्टेशन और 662 ट्रांसमीटर हैं। देश की विविध प्रकार की सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रम बनाने की तकनीकों के जरिए इसके नेटवर्क में विस्तार किया गया है। आकाशवाणी की सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

उद्देश्य

जनता के कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने (बहुजन हिताय बहुजन सुखाय) के लिए उसे सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु आकाशवाणी की ओर से निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं: (i) देश की एकता और संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना, (ii) किसी विचारधारा या अपनी विचारधारा की वकालत किए बगैर विपरीत दृष्टिकोणों सहित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय हित संबंधी सूचना का निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह प्रस्तुत करना, (iii) सभी वर्गों के लोगों को जागृत, सूचित, प्रबुद्ध, शिक्षित करने, उनका मनोरंजन करने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए विविध कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करना, (iv) कृषि, शिक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य के विस्तार सहित विकास से संबंधित गतिविधियों के सभी आयामों से जुड़े कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करना (v) युवाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों, जनजातीय आबादी और सीमावर्ती क्षेत्रों, पिछड़े अथवा दूरदराज के इलाकों में रहने वाली आबादी की विशेष जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण, निरक्षर और वंचित आबादी को सेवाएं प्रदान करना, (vi) ग्रामीण आबादी, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, बच्चों, निरक्षर लोगों, साथ ही साथ समाज के कमज़ोर एवं असहाय वर्गों को सेवाएं प्रदान करना (vii) राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

त्रि-स्तरीय प्रसारण

आकाशवाणी के प्रसारण की त्रि-स्तरीय व्यवस्था महाद्वीपीय आयाम वाले इस देश और बहुलवादी समाज के श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी जरूरतें अपने स्टेशनों के माध्यम से पूरी करती है। ये स्टेशन देश की लगभग समस्त आबादी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 121.0 करोड है, के लिए समाचार, संगीत, बोले गए शब्द और अन्य कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। इसकी व्यापक पहुंच विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में इसकी पहुंच इसे प्राथमिक और कई बार सूचना और मनोरंजन का एकमात्र स्रोत बनाती है।

देशभर के ज्यादातर हिस्सों में मीडियम वेव पर सुने जाने वाले राष्ट्रीय सेवा के राष्ट्रीय कार्यक्रम पहले चरण की प्रसारण जरूरतें पूरी करते हैं। हाल ही में यह प्रसारण शॉर्ट वेव पर भी शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्टेशन क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम देकर और क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर प्रसारण का दूसरा

चरण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा महानगरों में एफएम चैनल यानी एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड जनता, विशेषकर युवाओं की आधुनिक जरूरतें पूरी करते हैं। 40 स्थानों पर विविध भारती भी प्रसारण व्यवस्था की एफएम पद्धति अपना चुका है। एफएम पद्धति पर 86 स्थानीय रेडियो स्टेशन (एलआरएस) हैं, जो देश के विभिन्न भागों में छोटे शहरों के श्रोताओं की जरूरतों और पसंद के अनुसार कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। देश में उपलब्ध विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से सामुदायिक रेडियो हाल ही में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। स्थानीय जनजातीय आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए आकाशवाणी ने पांच स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

क्षेत्रीय चैनल

क्षेत्रीय चैनल ज्यादातर राज्यों की राजधानियों और प्रत्येक राज्य के प्रमुख भाषाई, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हैं। ऐसे 128 चैनल 28 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। आकाशवाणी की लोक प्रसारण सेवा इकाई क्षेत्रीय चैनल अपने श्रोताओं के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सूचना और मनोरंजन प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। क्षेत्रीय चैनल मोटे तौर पर मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करते हैं और वे कंपोजिट प्रोग्रामिंग मिक्स का अनुसरण करते हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रमुख बल देते हुए कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। प्रमुख चैनलों के कुल प्रसारण का करीब 40 प्रतिशत संगीत पर आधारित होता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, सुगम, लोक, फ़िल्म और अन्य भाषाओं का संगीत शामिल है। प्रसारण समय के 20 से 30 प्रतिशत हिस्से में समाचार और समसामयिक मामलों के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। रेडियो नाटक और ड्रामा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रम, ग्रामीण जनता को सशक्त बनाने के लक्ष्य वाले खेती और घरेलू कार्यक्रम प्रमुख चैनलों के अन्य महत्वपूर्ण खंड हैं। ये चैनल आकाशवाणी के सभी चैनलों में से सबसे ज्यादा पहुंच वाले हैं। वे अपने श्रोताओं तक उस भाषा में पहुंच बनाने का प्रयास करते हैं जो सभी लोगों द्वारा समझी जाती हो।

स्थानीय रेडियो केंद्र

देशभर में इस समय 86 स्थानीय रेडियो केंद्र (एलआरएस) हैं। ये केंद्र क्षेत्र की स्थानीय आबादी तक पहुंच बनाकर उन्हें उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं।

एफएम रेनबो

आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल की शुरुआत उस वक्त हुई, जब बड़े शहरों में रेडियो सुनने वालों की संख्या घट रही थी। एफएम रेडियो ने श्रोताओं को बाधारहित और उच्च गुणवत्ता का संगीत उपलब्ध करवाकर इस कमी को सफलतापूर्वक दूर किया। एफएम रेडियो पर प्रस्तुतकर्ताओं के नए अंदाज ने भी श्रोताओं की अपेक्षाओं और बदलती जरूरतों को पूरा किया। प्रस्तोता की बातचीत की शैली ने युवाओं के नब्ज पकड़ी है और उन्हें रेडियो के करीब आने के लिए प्रेरित किया है। चौबीसों घंटे के प्रसारण के दौरान श्रोताओं के लिए मनोरंजन की बिल्कुल नई शैली प्रस्तुत की जाती है। जल्दी ही एफएम रेडियो ने आधुनिक रेडियो का दर्जा प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह उनके अंदाज में बात कर रहा था और उन्हें सुनने का मजा दे रहा था। श्रोताओं के प्रतिशत के लिहाज से रेडियो का पुराना गौरव फिर बहाल हो चुका है।

आकाशवाणी के देश भर में 475 एफएम ट्रांसमीटर हैं। इनमें से एफएम रेनबो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, लखनऊ, पणजी, जालंधर, कानपुर, कोच्चि, पुदुचेरी, शिलांग, कसौली, कटक, कोडाइकनाल, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, रायबरेली, जम्मू, श्रीनगर और विजयवाड़ा में उपलब्ध है।

एफएम गोल्ड

एफएम गोल्ड चैनल की शुरुआत दिल्ली में 1 सितंबर, 2001 को एक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक चैनल के रूप में हुई, जिसमें 30 प्रतिशत समाचार और समसामयिक कार्यक्रम और 70 प्रतिशत मनोरंजक कार्यक्रम शामिल थे। एफएम गोल्ड चैनल इस समय पांच स्थानों- चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तथा एक अन्य स्थान लुधियाना में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त चैनल ने श्रोताओं को आकाशवाणी के अन्य प्रसारणों और क्षेत्र के निजी एफएम स्टेशनों के दो विकल्पों में एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया। यह चैनल मनोरंजन और ज्ञान के साथ-

साथ यातायात, एयरलाइंस, रेल सेवाओं और मौसम आदि के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं।

डीटीएच सेवा

टेलीविजन सेट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए डीटीएच रेडियो चैनल के माध्यम से सेटेलाइट सेवा प्रदान की जाती है। डीटीएच सेवा प्रसार भारती के डीटीएच प्लेटफार्म के जरिए दिल्ली के टोडापुर से अपलिंक द्वारा उपलब्ध है। ये टेरिस्ट्रीयल प्रसारण सेवा नहीं है और इसके कार्यक्रम सामान्य रेडियो सेट्स पर नहीं सुने जा सकते। यह 24 घंटे की डिजिटल प्रसारण सेवा है। इसके कार्यक्रमों की योजना इस प्रकार बनाई जाती है कि पुनः प्रसारण कम से कम होता है।

डीटीएच सेवा 39 भाषाओं में चैनल मुहैया कराती है, जो देश के प्रत्येक कोने में उपलब्ध हैं। इस प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी डिजिटल गुणवत्ता है।

विविध भारती

लोकप्रिय विविध भारती सेवा 41 सीबीएस-वीबी केंद्रों से दिन में 17 घंटे मनोरंजन उपलब्ध कराती है। विविध भारती सेवा देशभर में 65 स्थानीय रेडियो स्टेशनों और 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटरों के जरिए भी प्रसारित होती है।

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) विभिन्न वर्गों के लोगों तक पहुंच कायम करने के लक्ष्य के साथ अपनी उपस्थिति विविध क्षेत्रों में बढ़ा रहा है। समाचार सेवा प्रभाग ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति में पर्याप्त वृद्धि की है और बड़े पैमाने पर श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है।

समाचार सेवा प्रभाग की 47 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू), लोगों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आरएनयू ख़बर को क्षेत्र विशेष के लिहाज से और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए 77 क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों में बुलेटिन और कार्यक्रम बनाती हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 478 बुलेटिन हर रोज़ प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल प्रसारण अवधि करीब 38 घंटे है। इनमें क्षेत्रीय, विदेशी, डीटीएच सेवाएं और एफएम हेडलाइंस शामिल हैं। आरएनयू हर महीने समाचारों पर आधारित 1060 कार्यक्रम भी प्रसारित करती हैं, जिनकी कुल अवधि करीब 140 घंटे होती है। इनके अलावा राज्य विधानसभाओं के सत्र के समय इन इकाइयों से विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

एफएम हेडलाइंस शहरों और कस्बों में अपने दैनिक व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का जरिया है। वर्तमान समय में आरएनयू द्वारा 17 भाषाओं में 252 हेडलाइन बुलेटिन तैयार किए जा रहे हैं।

एनएसडी की इकाइयां

समाचार संग्रहण और प्रसारण सुगम बनाने के लिए एनएसडी में विभिन्न इकाइयां हैं यथा- रिपोर्टिंग इकाई, वार्ता और समसामयिक कार्यक्रम इकाई, संदर्भ इकाई और अनुश्रवण इकाई। इन इकाइयों के सहयोग से एनएसडी घटनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, आदर्श आदि सरीखी सरकार की नयी पहल जैसे विविध समाचारों और घटनाओं को समग्र दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका। एनएसडी प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के विदेश दौरों/यात्राओं के भी व्यापक कवरेज में सक्षम हो सका।
वेबसाइट: www.newsonair.com, www.newsonair.nic.in

मन की बात

मन की बात कार्यक्रम के लिए वेबसाइट newsonair.nic.in पर लाइव वेबकास्टिंग की जाती है। इस प्रयोजन के लिए विशेष विंडो और पेज सृजित किया गया है।

प्रतिलेखन और कार्यक्रम विनिमय सेवा

आकाशवाणी में प्रतिलेखन और कार्यक्रम विनिमय सेवा भी है, जिसमें सेंट्रल आर्काइव्स, साउंड आर्काइव्स, डिजिटल साउंड आर्काइव्स, डिजिटल लाइब्रेरी, रेडियो आत्मकथा, प्रतिलेखन इकाई और नवीकरण इकाई शामिल हैं।

केंद्रीय अभिलेखागार

आकाशवाणी की लिप्यंतरण सेवा अप्रैल, 1954 को प्रारंभ हुई थी और इसे सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों की लिपि तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। इसमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष संदर्भ तैयार करना महत्वपूर्ण था। यह यूनिट विनियल डिस्क लेबल्ड 'एआईआर टीएस रिकॉर्ड्स' की प्रोसेसिंग के दायित्व का भी निर्वाह करती है ताकि भावी प्रसारण के लिए रिकार्डिंग्स को संरक्षित किया जा सके। वर्ष 1959 से इस सेवा को 'ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस' यानी लिप्यंतरण एवं कार्यक्रम आदान-प्रदान सेवा का नाम दिया गया। प्रोसेस किए गए रिकॉर्ड लागत की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध न हो पाने के कारण प्रोसेसिंग कार्य 1967 में बंद कर दिया गया और एनालॉग मैगनेटिक टेप्स जैसे नए संरक्षण माध्यम इस्तेमाल किए गए।

साउंड आर्काइव्स

आकाशवाणी की साउंड आर्काइव्स को राष्ट्रीय ऑडियो आर्काइव्स नाम दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पास विभिन्न श्रेणियों में संगीत और बोले गए शब्दों की कीमती रिकॉर्डिंग का खजाना है। भारतीय संगीत रिकार्डिंग का यह सबसे बड़ा ऑडियो पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में महात्मा गांधी के भाषणों का एक अलग संग्रह मौजूद है, जिसमें सोदपुर आश्रम, कोलकाता में 11 मई, 1947 को दिया गया पहला प्रार्थना भाषण और दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में 29 जनवरी, 1948 का अंतिम प्रार्थना भाषण भी शामिल है। दिल्ली आकाशवाणी से गांधीजी का 12 नवंबर, 1947 का एकमात्र प्रसारण भी सुरक्षित है। पुस्तकालय में भारत के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, सरदार पटेल, सरोजनी नायडु और बहुत-सी अन्य जानी-मानी हस्तियों की आवाज़ की रिकॉर्डिंग्स भी संरक्षित हैं। इसके अलावा पुरस्कार विजेता रेडियो ड्रामा, फीचर, वृत्तचित्र और अन्य स्मारक व्याख्यान इस पुस्तकालय में मौजूद है।

डिजिटल साउंड आर्काइव्स

प्रतिलेखन एवं कार्यक्रम विनिमय सेवा (टी एंड पीईएस) ने सारे एनालॉग कंटेंट का डिजिटलीकरण करने की वृहद परियोजना का दायित्व लिया है। इस दिशा में प्रमुख कदम उठाए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, आकाशवाणी प्रसारण नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के साथ प्रमुख डिजिटल लाइब्रेरीज़ में से एक हो गया है।

आर्काइव डिजिटल लाइब्रेरी

रेडियो आत्मकथा

रेडियो आत्मकथा में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विख्यात हस्तियों की रिकॉर्डिंग्स को सुरक्षित रखा गया है। आकाशवाणी का सेंट्रल आर्काइव्स जाने-माने संगीतज्ञों, जानी-मानी हस्तियों, साहित्यकारों आदि की रेडियो आत्मकथा की बहुमूल्य रिकॉर्डिंग्स का समृद्ध खजाना है। इन प्रमुख हस्तियों में जे.आर.डी. टाटा, उस्ताद अली अकबर खान, हरिवंश राय बच्चन और डॉ. वर्गीज़ कुरियन शामिल हैं। प्रमुख हस्तियों की पहचान आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से की गई।

कार्यक्रम आदान-प्रदान पुस्तकालय *(पीईयू)*

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का स्टेशनों के बीच जरूरत के मुताबिक आदान-प्रदान है। पीईयू पुस्तकालय में लगभग 8,000 टेप्स हैं, जिनमें संगीत और बोले गए शब्दों के कार्यक्रम इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किए गए हैं। विविध भारतीय भाषाओं में संगीत और बोले गए शब्दों के आइटम्स के अलावा, पीईयू पुस्तकालय बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, संस्कृत, तमिल और तेलुगू भाषा के सबक भी संरक्षित कर रहा है।

प्रतिलेखन इकाई

प्रतिलेखन इकाई का मुख्य कार्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों का प्रतिलेखन तैयार करना और उन्हें संस्करणों के रूप में भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भाषण की रिकॉर्डिंग्स के टेप्स और उनका प्रतिलेखन प्राप्त किया जाता है। सभी प्रतिलेखनों के जिल्दबंद संस्करण तैयार करके आर्काइव्स में रखे जाते हैं।

नवीकरण इकाई

आर्काइव्स की पुरानी संगीत रिकॉर्डिंग्स का नवीकरण करने के लिए कुछ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस इकाई का गठन किया गया था। सैकड़ों घंटों के संगीत और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आदि की आवाज की रिकॉर्डिंग्स का यहां नवीकरण किया गया। वर्तमान में यह इकाई आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा जारी की जाने वाली रिकॉर्डिंग्स की ऑडियो की गुणवत्ता का ध्यान रखती है।

विदेश सेवा प्रभाग (ईएसडी)

विदेश नीति और सरकारी कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय/विदेश प्रसारण सेवा द्वारा अदा की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को विस्तार से बताए जाने की दरकार नहीं है। इंग्लैंड के साथ औपनिवेशिक संपर्क के कारण, भारत और इंग्लैंड में प्रसारण लगभग एक साथ प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार बीबीसी द्वारा प्रथम विदेशी प्रसारण 1938 में अरबी भाषा में शुरू किए जाने के बाद आकाशवाणी ने भी 1 अक्टूबर, 1939 को विशुद्ध रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के प्रचार के माध्यम के रूप में विदेश प्रसारण पश्तो भाषा में शुरू किया। इसका लक्ष्य क्षेत्र में जर्मन रेडियो ब्लिट्जक्रेग के प्रचार का सामना करना और विश्व के इस भाग में बीबीसी के प्रयासों को बल प्रदान करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ईएसडी को एक उभरते हुए राष्ट्र, एक प्राचीन सभ्यता की आवाज़ और कूटनीति के एक साधन के रूप में नया रूप धारण करना पड़ा। विभिन्न प्रकार के संकटों के समय एक कारगर प्रचार मशीनरी के रूप में भी उसे अपनी भूमिका निभानी थी। तभी से आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग भारत और शेष विश्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, विशेषकर उन देशों में, जहां भारतीय लोगों के रहने की वजह से उनके साथ भारत के हित मिलते हैं।

लगभग 100 देशों को कवर करते हुए और 27 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की गिनती पहुंच और रेंज की दृष्टि से विश्व के चुनिंदा विदेश सेवा नेटवर्कों में होती है। इस सेवा के माध्यम से विदेशों में रहने वाले लोगों को भारत से जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है। यह प्रभाग विदेशी श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, फारसी, पश्तो, दारी, बलची, सिंहली, नेपाली, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मी और भाषा इंडोनेशिया में कार्यक्रम प्रसारित करता है। प्रवासी भारतीय श्रोताओं के लि यह प्रभाग हिंदी, तमिल, तेलगु, मलयालमय और गुजराती में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सैराइकी, कन्नड़ और बांग्ला भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (एनएबीएम)

राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (एनएबीएम) (कार्यक्रम) जिसे अब तक कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) के नाम से जाना जाता था, प्रसार भारती का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। यह आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध स्टेशनों में कार्यरत कार्यक्रम और प्रशासनिक कर्मियों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है।

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

आकाशवाणी का सोशल मीडिया प्रकोष्ठ उसके निरंतर बढ़ते नेटवर्क के सतत कार्यों का विस्तार है। महत्वपूर्ण गतिविधियों और आकाशवाणी के प्रसारणों को नियमित रूप से हाइलाइट करने के अलावा यह प्रकोष्ठ कार की नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रचारित करता है।

श्रोता अनुसंधान इकाई

जनसंचार के बदलते परिदृश्य के साथ, श्रोता अनुसंधान महत्वपूर्ण स्थान पा चुका है। दुनियाभर में, लगभग सभी

बड़े मीडिया संगठन आंतरिक स्तर पर किसी न किसी रूप में या 'मार्केट रिसर्च' के रूप में श्रोता अनुसंधान में जुटे हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया संगठन श्रोताओं (उपभोक्ताओं) की क्षमता और अपनी मीडिया विषय-वस्तु के लिए बाजार को जाने बगैर अपने अपर्याप्त संसाधनों को दाव पर नहीं लगा सकता।

आकाशवाणी इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उसके पास देशभर में श्रोता अनुसंधान इकाइयों का विशाल नेटवर्क है, जो 1946 से मौजूद है। यह कार्यक्रम के निर्माताओं को कार्यक्रम का फीडबैक उपलब्ध कराता है, ताकि वे लक्षित श्रोताओं की जरूरतों, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम की योजना, डिजाइन और उनमें सुधार ला सकें।

दूरदर्शन

दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में सितंबर, 1959 को प्रायोगिक सेवा के तौर पर हुई थी। हाल के वर्षों में इसने जबरदस्त प्रगति की है और वह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है। हाल के वर्षों में दूरदर्शन ने न सिर्फ देश के कोने-कोने तक अपने नेटवर्क का विस्तार किया, बल्कि वह टीवी प्रसारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय घटनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चला है। वर्तमान में दूरदर्शन के 34 उपग्रह चैनल हैं और इसका 67 स्टूडियो और 1,416 ट्रांसमीटरों वाला विशाल नेटवर्क भी है, जिसके बल पर यह देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक कवरेज उपलब्ध कराता है। इसके अलावा दूरदर्शन फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा भी प्रदान कर रहा है।

दूरदर्शन की कमान महानिदेशक के हाथ में है, जो नीति-निर्धारण, योजना और विकास, अवसंरचना और प्रौद्योगिकीय विकास, बजटीय नियोजन और नियंत्रण, मानव संसाधन विकास, प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यकलापों की निगरानी करने आदि का दायित्व संभालते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्र में प्रोजेक्ट और अनुरक्षण गतिविधियों की देख-रेख करते हैं। दूरदर्शन के विभिन्न प्रतिष्ठान हैं- दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो सेंटर), हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स (एलपीटी) और वेरी लो पॉवर ट्रांसमीटर्स (वीएलपीटी)। अनुरक्षण केंद्र एलपीटी और वीएलपीटी के समूहों की देख-रेख करते हैं।

डीडी नेशनल

डीडी नेशनल चैनल, विश्व का सर्वाधिक बड़े टेरिस्ट्रीयल नेटवर्क वाला लोक सेवा प्रसारक है। यह देश की लगभग 92.0 प्रतिशत आबादी एवं 81.0 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है। लोक सेवा प्रसारक होने के कारण चैनल ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के क्रम में तेजी लाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, लोगों में एकता एवं भाईचारे के भाव उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक प्रवृति को बढ़ाने में सार्थक योगदान देना जारी रखा है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन के साधनों और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के उपायों के बारे में यह जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जानकारी/शिक्षा और सूचना के प्रसार में योगदान करता है। यह चैनल मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का स्वस्थ मिश्रण उपलब्ध कराता है। इसकी सेवाएं टेरिस्ट्रीयल मोड में प्रात: 5.30 से लेकर मध्य रात्रि तक उपलब्ध हैं। उपग्रह मोड में ये सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज भारत का एकमात्र स्थलीय-सह-उपग्रह बहुभाषी समाचार चैनल है। यह समाचार चैनल सफलतापूर्वक विभिन्न विचारों को व्यक्त करने और साथ ही सनसनी रहित, संतुलित, निष्पक्ष और सटीक खबर देने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। डीडी न्यूज को नवंबर, 2003 को डीडी मेट्रो चैनल के स्थान पर 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में शुरू किया गया था। इसके उपग्रह प्रसारण पूरे देश में उपलब्ध हैं। डीडी न्यूज का टेरिस्ट्रीयल पहुंच देश के 49 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक है। यह वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इसमें लाइव प्रसारण द्वारा 18 घंटे विभिन्न भाषाओं में 40 से अधिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण होता है। डीडी न्यूज की देशभर में 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां (आरएनयू) हैं, जो बुलेटिन प्रसारित करती हैं।

डीडी इंडिया

दूरदर्शन ने 14 मार्च, 1995 को अपना अंतरराष्ट्रीय चैनल प्रारंभ करके दुनिया के लिए अपनी खिड़कियां खोल दीं। पहले इस चैनल का नाम डीडी वर्ल्ड रखा गया, जिसे बाद में 2002 में बदल कर डीडी इंडिया कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में इस चैनल पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

डीडी भारती

दूरदर्शन का डीडी भारती चैनल भारतीय संस्कृति और धरोहर को प्रामाणिकता के साथ संरक्षित रखने और उसे बड़े पैमाने पर जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 2012 में पुनः प्रारंभ किया गया। यह एकमात्र चैनल है, जो भारत में कला और संस्कृति के लिए समर्पित है। डीडी भारती ने चैनल की प्रकृति और दर्शकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई सार्वजनिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के लेखागार में उपलब्ध दुर्लभ कार्यक्रमों का न्यायपूर्ण चुनाव कर उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके साथ साझेदारियां की हैं।

डीडी उर्दू

डीडी उर्दू 2006 को अस्तित्व में आया। नवंबर, 2007 से इसका प्रसारण चौबीसों घंटे होने लगा। यह चैनल समाचार, स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आयोजनों का सीधा प्रसारण, राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेशों, राज्य नेताओं पर विशेष कार्यक्रमों के प्रसारण के अतिरिक्त लक्षित दर्शकों के लिए धरोहर, संस्कृति, साहित्य, सूचना, शिक्षा और समाज से संबंधित मुद्दों का सार दर्शाने वाले नए और पुनः प्रसारित, प्राप्त और इन-हाउस सॉफ्टवेयर का मिश्रण उपलब्ध कराता है। इस प्रसारण का प्रमुख उद्देश्य/विषय लक्षित दर्शकों के शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण के आधुनिकीकरण से संबंधित है।

स्पोर्ट्स चैनल

स्पोर्ट्स चैनल 1999 में प्रारंभ किया गया। इस चैनल के प्रसारण का समय 2000 से 24 घंटे कर दिया गया।

डीडी कशीर

डीडी कशीर चैनल प्रतिदिन साढ़े चौदह घंटों के प्रसारण के साथ सन् 2000 में प्रारंभ किया गया था। एक साल बाद इसे 24 घंटों के प्रसारण वाले चैनल में परिवर्तित कर दिया गया।

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा

दूरदर्शन व्यावसायिक सेवा (डीसीएस) एक स्वंतत्र प्रकोष्ठ है, जो मुख्यालय, दूरदर्शन केंद्रों, विपणन प्रभागों और डीसीडी द्वारा एयर टाइम की बिक्री, एजेंसियों/ग्राहकों/निर्माताओं से राजस्व एकत्र करने के किए जा रहे सभी व्यावसायिक कार्यकलापों में ताल-मेल बैठाने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रसार भारती बोर्ड के अनुमोदन से विपणन प्रभागों और क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार व्यावसायिक नीतियों का गठन करने और दर कार्ड को अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

डीडी आर्काइव्स

डीडी आर्काइव्स वर्ष 2003 में नए दृष्टिकोण के साथ खुद में नयापन लेकर आया और उसने ऑडियो विजुअल डिजिटल वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया।

दर्शक अनुसंधान

देशभर में दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों के साथ कुल 19 दर्शक अनुसंधान इकाइयां काम कर रही हैं। वर्ष 1976 से ये इकाइयां प्रसारण से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परीक्षण में लगी हैं।
वेबसाइट: www.ddindia.gov.in

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर

टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली अवांछनीय सामग्री से अपने नागरिकों की रक्षा करने के नियम का पालन विश्व के सभी प्रमुख लोकतंत्र करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही सामग्री की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। ईएमएमसी विश्व के उन प्रमुख संगठनों में से एक है, जो प्रसारण क्षेत्र और प्रसारकों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री की निगरानी करते हैं। यह केंद्र देश में सरकार के स्वामित्व वाली मीडिया इकाइयों में सबसे नवीनतम है।

यहां यह बताना जरूरी है कि कंटेंट की निगरानी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि टेलीविजन उद्योग में घटिया रियलिटी शो, टॉक शो, न्यूज, वृत्तचित्रों और सोप ऑपेरा के खिलाफ विभिन्न हलकों से शिकायतें आती हैं।

ईएमएमसी लगभग 600 चैनलों की सामग्री पर नजर रखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है, जोकि भारतीय क्षेत्र में दिखाए जाते हैं जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले नियम के उल्लंघन की जांच की जा सके। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कई नियम हैं जिनका सभी प्रसारण संस्थाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए। भारतीय दर्शकों के लिए प्रसारित चैनलों के संशोधित अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग दिशा-निर्देशों के लिए संभावित उल्लंघनों का निरीक्षण अपेक्षित है जिससे संबंधित उपाय किए जा सकें।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर लोक महत्व के मामलों को चिह्नित करता है और यदि आवश्यक हो, तो मंत्रालय को मूल्यांकन और कार्रवाई करने के लिए उनके संबंध में जानकारी देता है। ईएमएमसी सरकार द्वारा वांछित विषयों पर मंत्रालय के लिए विशेष रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करता है। सफलता का एक उदाहरण स्थापित करते हुए ईएमएमसी ने 1 जनवरी, 2015 से रेडियो की निगरानी प्रारंभ की है। ईएमएमसी का नया विंग वर्तमान में संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की निगरानी कर रहा है। वर्तमान में देशभर के 30 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी यह देखने के लिए की जा रही है कि कहीं वे भारत सरकार और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बीच सामान्य समझौता(जीओपीए) और 'आकाशवाणी के कार्यक्रम और विज्ञापन कोड' का उल्लंघन करने वाले प्रसारण तो नहीं कर रहे। बहुत ही कम समय में सीआरएस की सामग्री में अनेक स्पष्ट उल्लंघन पाए गए जिनके संबंध में ईएमएमसी ने मंत्रालय को जानकारी दी। ये स्पष्ट उल्लंघन न केवल अश्लील और अभद्र कार्यक्रमों को लेकर हैं, बल्कि ऐसी सामग्री के भी हैं जो मंत्रालय के सामान्य नियमों का उल्लंघन करती है।

चैनलों की बढ़ती संख्या के कारण उन सभी के बीच ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने को लेकर होड़ मची रहती है, जिसके कारण अधिकतर चैनल अपनी हद पार कर जाते हैं और अक्सर उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। नियामक दिशा-निर्देशों के प्रति टीवी चैनलों का ढीला-ढाला रवैया बहुत हद त चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर जब एक औसत भारतीय परिवार पहले से अधिक समय तक टीवी देखता है। टीवी देखने की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि टेलीविजन उद्योग पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ा हो गया है। टीवी शो भी लगातर विकसित हो रहे हैं और अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कई बार अनुचित सामग्री का सहारा लेते हैं। यह देखा गया है कि कुछ टीवी शो कम उम्र के दर्शकों को प्रभावित करते हैं और यह एक समस्या बनता जा रहा है। टेलीविजन ने छोटे बच्चों के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। घर पर ही बच्चे का संपर्क हिंसा और विषम संस्कृति से हो रहा है। मास मीडिया अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के दौरान कई बार जनहित के दायित्व भूल जाता है।

विज्ञापन क्षेत्र भारतीय टेलीविजन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों पर टीवी मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ यह उपभोक्तावाद का एक उत्प्रेरक बन गया है। विज्ञापन के क्षेत्र में रचनात्मकता के लिए अपार संभावनाएं हैं। लोग विज्ञापनों को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि वे बाजार में आए नए उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं और उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। हमारे द्वारा किसी उत्पाद को खरीदने या न खरीदने का फैसला अक्सर पूरी तरह संबंधित कंपनियों के द्वारा संचालित की जा रही प्रचार की गतिविधियों से प्रभावित होता है। इसलिए व्यापार के अनुचित तरीकों, भ्रामक विज्ञापनों और तंबाकू और शराब जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों के विज्ञापन के व्यापक प्रतिकूल प्रभाव के कारण भारत सरकार उचित कानूनों, आदेशों और निर्देशों के माध्यम से अंकुश लगाने या कम से कम उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है। स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल उत्पादों को प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्देश के फलस्वरूप शराब और तंबाकू बनाने वाली प्रमुख कंपनियों ने 'सरोगेट

विज्ञापन' का रास्ता अपनाया है। इन विज्ञापनों को दर्शकों को इसलिए दिखाया जाता है ताकि वे शराब और तंबाकू के ब्रांडों को भूल न जाएं क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना प्रतिबंधित है।

'रियलिटी शोज के दौर' के आगमन से भारतीय टीवी उद्योग में कई टीवी चैनलों ने काफी अच्छी टीआरपी हासिल की। जब हर दूसरा टीवी चैनल 'उधार के विचारों और मूल्यों पर आधारित रियलिटी कार्यक्रम' का अपना संस्करण लेकर आ रहा है, सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वे हमारे देश के युवाओं के मानस के साथ खिलवाड़ न करें। अन्य टीवी कार्यक्रमों की तुलना में इस तरह के कार्यक्रमों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे वास्तविक जीवन स्थितियों की व्याख्या करते हैं। रियलिटी शो वयस्कों के लिए होते हैं और उचित ज्ञान, समझ और मार्गदर्शन के बिना इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को गुमराह कर सकते हैं। कुछ रियलिटी शो में बच्चे ही प्रतिभागी होते हैं जिन पर प्रदर्शन करने का जबरदस्त दबाव होता है। इसके अलावा बच्चे टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रमों को देखकर चकित होते हैं और स्वयं और अपने साथियों से उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद करने लगते हैं।

बड़ी संख्या में भ्रामक विज्ञापन कुछ उत्पादों के संबंध में निराधार दावे करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आगाह किया है कि विज्ञापनों को उत्पादों के ऐसे चमत्कारी गुणों के बारे में नहीं बताना चाहिए जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता है। यह इस विज्ञापन संहिता, विशेष रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत आने वाले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम के नियम 7 (5) का का उल्लंघन है।
वेबसाइट: www.emmc.gov.in

प्रेस और प्रिंट मीडिया

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। अपने वैधानिक और व्युत्पन्न कार्यों के तहत यह समाचार-पत्रों के नामों को मंजूरी देता और उन्हें सत्यापित करता है, उन्हें पंजीकृत करता है एवं उनके प्रसार के दावों की जांच करता है तथा उन्हें स्थापित करता है। कार्यालय हर वर्ष 31 दिसंबर तक सूचना एवं प्रसारण सचिव को देश में प्रेस की स्थिति पर में 'प्रेस इन इंडिया' नामक रिपोर्ट सौंपता है। इसे भारत में 'प्रेस इन इंडिया' के नाम से प्रकाशित किया जाता है। अपने गैर-वैधानिक कार्यों के तहत, आरएनआई पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अख़बारी कागज़ (न्यूजप्रिंट) के आयात के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करता है, साथ ही मुद्रण मशीनरी आदि के आयात के लिए भी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करता है।

शीर्षक का सत्यापन

आरएनआई को शीर्षकों के सत्यापन के लिए इच्छुक प्रकाशकों के आवेदन जिलाधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित किए जाते हैं और कार्यालय पीआरबी अधिनियम की धारा 6 के तहत सत्यापन प्रक्रियाओं पर कार्य करता है। 2015 के दौरान आरएनआई ने नामों के सत्यापन के लिए 15,293 आवेदनों की जांच की, जिनमें से 9,272 नाम सत्यापित किए गए। आवेदकों की सुविधा के लिए आरएनआई ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। संबद्ध डीएम द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदक से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने की अपेक्षा की जाती है जिसे आरएनआई को अग्रेषित करने के लिए संबद्ध डीएम को सौंपा जाता है। आवेदकों को आरएनआई द्वारा आवेदन प्राप्ति और नाम के सत्यापन के संबंध में एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। आवेदनों की स्थिति के बारे में आरएनआई वेबसाइट से जाना जा सकता है। विसंगति-पत्र और नाम सत्यापन-पत्र भी आरएनआई वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

शीर्षकों से रोक हटाना

शीर्षक के सत्यापन के बाद प्रकाशकों को उस शीर्षक का पंजीकरण कराना होता है। यदि 2 वर्ष तक आरएनआई को पंजीकरण के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, तो शीर्षक से रोक हटा ली जाती है और वह शीर्षक अन्य इच्छुक आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जाता था।

पंजीकरण

शीर्षक के सत्यापन के बाद अधिनियम के तहत प्रकाशक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत घोषणा-पत्र, प्रमाणीकरण के बाद निर्दिष्ट दिनों के भीतर प्रकाशित प्रथम अंक की एक प्रति और कोई विदेशी टाई-अप न होने के संबंध में एक शपथ-पत्र सौंपना होता है। यह सुनिश्चित होने के बाद कि पीआरबी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत निर्दिष्ट नियमों के तहत प्रकाशन प्रकाशित और मुद्रित किया गया है, अखबार/पत्रिका को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाता है और आरएनआई के रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी जाती है। इसके बाद प्रकाशक को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (सीआर) जारी किया जाता है।

वार्षिक विवरणी

पीआरबी अधिनियम की धारा 19डी के तहत, समाचार-पत्र के प्रकाशक से अपेक्षा की जाती है कि वह हर वर्ष 31 मई तक फॉर्म 2 में वार्षिक विवरण, जो समाचार-पत्र पंजीकरण (सेंट्रल) नियम, 1956 में निर्दिष्ट है, प्रेस रजिस्ट्रार को सौंपे, जिसमें नियम के तहत विभिन्न सूचनाएं दर्ज होती हैं। यह हर प्रकाशक के लिए बाध्यकारी है कि वह अपने प्रकाशन में हर साल फरवरी माह के अंतिम दिन के बाद पहले अंक में फार्म 4 में स्वामित्व और अन्य संबंधित विवरणों को प्रकाशित करे। वार्षिक विवरण वह बुनियादी दस्तावेज है जिसके आधार पर आरएनआई प्रेस संबंधी संकलन और विश्लेषण करता है जिसे उसकी वार्षिक रिपोर्ट 'भारत में प्रेस' में शामिल किया जाता है।
वेबसाइट: www.rni.nic.in

पत्र-सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया तक प्रसारित करने की नोडल एजेंसी है। यह सरकार तथा मीडिया के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करती है और मीडिया में आ रही जनता की प्रतिक्रियाओं को भी सरकार तक पहुंचाती है। इसके पांच जोन हैं, जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं। पीआईबी क्षेत्रीय मीडिया की जरूरतें पूरी करने के लिए विविध साधनों जैसे- प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, फीचर, लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग्स, साक्षात्कारों, संवाददाता सम्मेलनों और प्रेस दौरों आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। पीआईबी सूचना का प्रसार करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्स का इस्तेमाल भी करता है। सूचना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के साथ-साथ 13 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है, जो देशभर के अख़बारों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है। पीआईबी मीडिया कर्मियों को प्रत्यायन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, ताकि वे सरकारी स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए उन तक पहुंच बना सकें।

प्रचार

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध विभागीय प्रचार अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, बैकग्राउंडर्स तथा संवाददाता सम्मेलनों, प्रेस दौरों, मीडिया ब्रीफिंग्स आदि के जरिए मीडिया तक सूचना का प्रचार-प्रसार करते हैं। ये अधिकारी अपने-अपने मंत्रियों को आवश्यक सेवा उपलब्ध कराते हैं तथा साथ ही उन मंत्रालयों के बारे में मीडिया की सूचना संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं।

प्रधानमंत्री इकाई

प्रधानमंत्री की प्रचार और संदर्भ इकाई प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल के लिए एक समर्पित इकाई है। इस इकाई द्वारा मीडिया से संबंधित संकलन तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख मामलों को हाईलाइट करने वाली समाचार-पत्रों की कतरनें, साप्ताहिक पत्रिका रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पोर्टलों की ओर से फीडबैक रिपोर्ट्स तथा प्रधानमंत्री की यात्राओं के बारे में प्रेस कवरेज का विशेष सारांश शामिल हैं।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर पीआईबी की उपस्थिति ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है। मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न आयोजनों/कार्यकलापों/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर तत्काल और व्यापक प्रसार के

लिए उपलब्ध कराई जाती है। बजट प्रस्तुति, योग दिवस, स्वाधीनता दिवस आदि जैसे विशिष्ट आयोजनों के लिए विशेष इंफोग्राफिक्स, वीडियो मैसेज आदि तैयार किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं। पीआईबी के अनेक क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के भी अपने समर्पित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्स हैं।

ट्विटर: ट्विटर पर पीआईबी के हैंडल @PIB_India और @PIBHindi पर क्रमशः 1.35 मिलियन से अधिक तथा 42,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं।

फेसबुक: पीआईबी के फेसबुक पेज www.facebook.com/pibindia को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या 1,20,000 से अधिक हो चुकी है।

इंस्टाग्रामः पीआईबी की इंस्टाग्राम गैलरी www.instagram.com/pibindia को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या 52,000 से अधिक हो चुकी है।

मीडिया इंटरैक्टिव सत्र

मीडिया इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन चुनिंदा राज्यों की राजधानियों में सामाजिक-आर्थिक विकास, अवसंरचना, विकास योजनाओं आदि मुद्दों पर किया जाता है। इस पहल के अंतर्गत, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री एवं संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस आयोजन में भाग लेने तथा राष्ट्रीय व स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत करने और सरकार के महत्वपूर्ण कदमों पर रोशनी डालने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 'वार्तालाप' कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की विविध प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से छोटे शहरों/ग्रामीण पत्रकारों को परिचित कराने/अवगत कराने के लिए किया जाता है। देशभर में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं की सफलता गाथाएं बताने के लिए पीआईबी के मुख्यालय/स्थानीय व शाखा कार्यालय प्रेस दौरों का आयोजन करते हैं।

ऑनलाइन प्रेस प्रत्यायन

पत्र सूचना कार्यालय विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रक्रिया को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पीआईबी द्वारा प्रत्यायन के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली का संचालन 2010 से प्रारंभ किया गया, जिसे प्रत्यायन के अनुरोधों की बढ़ती संख्या के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए निरंतर अद्यतन किया जाता है।

पत्रकार कल्याण कोष

पत्र सूचना कार्यालय की ओर से गंभीर बीमारी के कारण अत्यंत वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे पत्रकारों एवं उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत तत्काल आधार पर एक बार अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार के परिवार को पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। कैंसर, गुर्दा खराब होने, हृदय रोग, ब्रेन हैमरेज जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के खर्च हेतु भी तीन लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। दुर्घटनाग्रस्त होने, गंभीर चोट के कारण हॉस्पिटल में दाखिल होने की स्थिति में दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

आपात स्थितियों में कंट्रोल रूम

आपात स्थिति से निपटने के लिए पीआईबी के पास एक न्यूजरूम/कंट्रोल रूम है, जो सालभर, किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात सक्रिय रहता है। किसी भी आपात और अनपेक्षित परिस्थिति में भी बहुत कम समय में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने तथा उसे उसी समय पीआईबी केंद्रों के माध्यम से देशभर में वेबकास्ट करने की व्यवस्था रात नौ बजे के बाद भी हमेशा तैयार रहती है। आपात स्थिति तथा संकट के समय में कंट्रोल रूम रोज़ाना चौबीसों घंटे काम करता है।

फीडबैक, फीचर एवं फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया में परिलक्षित लोगों की धारणा से सरकार को अवगत कराना है। इस बारे में देश की राजधानी में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों से, स्थानीय/शाखा कार्यालयों से स्थानीय भाषा के समाचार-पत्रों से प्राप्त होने वाले व टीवी समाचार चैनलों, वेब मीडिया एवं पत्रिकाओं से इनपुट प्राप्त किए जाते हैं।

इसके अलावा, पत्र सूचना कार्यालय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर मीडिया के रुझानों के बारे में भी उन्हें जानकारी प्रदान करता है। कार्यालय की फीचर इकाई फीचर, सफलता की गाथाएं, पृष्ठभूमि, इंफो-नगेट्स, फोटो फीचर्स भी जारी करता है, जो क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भी अनुवाद और स्थानीय मीडिया में प्रसारित करने के लिए भेजे जाते हैं।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह

पत्र सूचना कार्यालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई)-2017 का अंग था, जिसका कार्य गोवा में समारोह स्थल पर मीडिया को समारोह के बारे में सूचनाएं प्रदान करने में सहायता करना था। इसने समारोह में शिरकत करने वाले मीडियाकर्मियों को मीडिया केंद्र में कार्य करने के लिए अनुकूल एवं प्रोत्साहक वातावरण उपलब्ध कराया।
वेबसाइट: www.pib.gov.in

समाचार एजेंसियां

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) भारत की सबसे बड़ी बिना मुनाफ़े वाली सहकारी संस्था है, जो देश के अखबारों द्वारा चलाई जाती है और जिसका उद्देश्य अपने सभी ग्राहकों को संतुलित और निष्पक्ष खबरें प्रदान करना है। पीटीआई की स्थापना अगस्त, 1947 को हुई, लेकिन इसने काम करना फरवरी, 1949 से शुरू किया। पीटीआई की सेवाएं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। भाषा पीटीआई की हिंदी समाचार सेवा है। पीटीआई के ग्राहकों में 500 भारतीय और कई विदेशी अखबार शामिल हैं। देश के सभी बड़े टेलीविजन और रेडियो चैनल और बीबीसी लंदन जैसे- विदेशी चैनल इसकी सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के पास इनसेट उपग्रह पर एक ट्रांस्पोंडर की सहायता से अपनी सेटेलाइट डिलीवरी प्रणाली है जिसकी बदौलत उसकी सेवाएं देशभर में कहीं भी सीधे प्राप्त की जा सकती हैं। अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक सैटेलाइट के जरिए पीटीआई की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। पीटीआई की फोटो सेवा को सैटेलाइट के साथ-साथ डायल-अप के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

पीटीआई ने के-यू बैंड के जरिए समाचारों का सैटेलाइट ट्रांसमिशन भी शुरू कर दिया है, जिससे ग्राहक ये सेवाएं सस्ते सैटेलाइट रिसीवर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। पीटीआई इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। एजेंसी की समाचार सेवा www.ptinews.com पर उपलब्ध है। उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट पर पीटीआई की किसी भी सेवा को प्राप्त करने का विकल्प मौजूद है। वर्ल्ड स्पेस रेडियो प्रसारण के जरिए भी पीटीआई के समाचार उपलब्ध हैं। पीटीआई की फोटो सेवा को सैटेलाइट के साथ-साथ डायल-अप के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। पीटीआई अब तस्वीरों का पुरालेखण कर रही है। देश के लगभग हर जिले और कस्बे में पीटीआई के 400 से ज्यादा पत्रकार और लगभग 500 स्ट्रिंगर्स मौजूद हैं। प्रतिदिन कुल मिलाकर पीटीआई अपने ग्राहकों को अलग-अलग श्रेणियों में 2,000 से ज्यादा खबरें और 200 से ज्यादा फोटोग्राफ प्रदान करती है।

पीटीआई संवाददाता दुनियाभर में प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों पर काम करते हैं। दुनिया में अपनी पहुंच व्यापक बनाने के लिए पीटीआई के कई विदेशी समाचार एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान संबंधी समझौते हैं। वर्तमान में भारत में समाचार एजेंसी बाजार के नब्बे प्रतिशत हिस्से पर पीटीआई का कब्जा है। समाचार और फोटो सेवाओं के अलावा पीटीआई फीचर, विज्ञान सेवा, आर्थिक सेवा, डाटा इंडिया और न्यूज स्कैन और स्टॉक स्कैन सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। पीटीआई टीवी बड़े निगमों के वत्तचित्र सेवा भी प्रदान करता है। पीटीआई ने भारत में समाचार सेवा प्रदान करने के लिए एसोसिएटेड प्रेस (एपी) और एजेंसी फ्रांस प्रेस (एएफपी) के साथ करार किया हुआ है। एपी की तस्वीरें और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक सूचनाएं देशभर में पीटीआई के माध्यम से वितरित होती हैं।

dahiṣt: www.ptinews.com

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया

यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1959 में किया गया था और इसने 1961 से काम करना शुरू किया। पिछले पांच दशकों में यूएनआई भारत में एक बड़े समाचार संगठन के रूप में उभरी है, जिसने समाचार संग्रह और उसके प्रसार में एक स्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म दिया। इसने 1982 में पूर्ण रूप से हिंदी सेवा 'यूनीवार्ता' की शुरुआत की। इसी दशक में यूएनआई ने फोटो सेवा और ग्राफिक सेवा की भी शुरुआत की। जून, 1992 में यूएनआई ने पहली बार उर्दू समाचार सेवा की शुरुआत की। यूएनआई की फोटो सेवा प्रतिदिन लगभग 200 तस्वीरें वितरित करती है जिनमें यूरोपीय प्रेस फोटो एजेंसी (ईपीए) और रॉयटर्स से प्राप्त 60 अंतरराष्ट्रीय तस्वीरें भी होती हैं। इसकी ग्राफिक सेवा पांच या छह ग्राफिक हर रोज वितरित करती है।
वेबसाइट: www.uniindia.gov.in

नैम समाचार नेटवर्क

नैम न्यूज नेटवर्क (एनएनएन) गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच समाचार और फोटो विनियम के लिए एक नयी इंटरनेट आधारित व्यवस्था है। इस नेटवर्क की वेबसाइट www.namnewsnetwork.org पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित गुटनिरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियां समाचार और फोटो के रूप में योगदान करती हैं। मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा कुआलालंपुर से इस नेटवर्क को संभाल रही है।

अप्रैल, 2006 से अस्तित्व में आई एनएनएन ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल (एनएएनएपी) की जगह ली, जिसने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच 30 वर्षों तक समाचार विनिमय किया। इंटरनेट सस्ते और विश्वसनीय संचार माध्यम है और वह एनएनएन के 116 सदस्यों वाले गुटनिरपेक्ष देशों के समूह के बीच सूचना का निरंतर प्रवाह करता है। एनएएनएपी की स्थापना 1976 में हुई और यह सदस्य देशों के बीच सूचना के प्रसार का पहला प्रयास था। जिन दिनों संचार लागत बहुत अधिक थी, उस दौरान एनएएनएपी ने गुटनिरपेक्ष समूह के देशों की समाचार एजेंसियों को समाचारों के आदान-प्रदान के लिए संचार के चैनल उपलब्ध कराए, ताकि उन सभी में समाचारों के विनिमय का एक साझा नेटवर्क स्थापित हो सके।
वेबसाइट: namnewsnetwork.org

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद संवैधानिक अर्धन्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने त भारत में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बरकरार रखने व उसे सुधारने के दोहरे कार्यों की पूर्ति के लिए संसद से अधिदेश प्राप्त है, यह अधिकारियों और प्रेसकर्मियों दोनों के लिए समान अर्धन्यायिक प्राधिकरण की तरह कार्य करती है। परिषद में एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। परिपाटी के अनुसार, जहां इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, वहीं इसके 28 सदस्यों में से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा पाठकों के हितों की निगरानी करने वाले आठ अन्य सदस्यों में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा से तीन और राज्य सभा से दो) तथा देश के प्रमुख साहित्यिक एवं विधिक निकायों यथा-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधि परिषद तथा साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि होते हैं। कानून के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद के पास अपना कोष होता है, जिसमें कि पंजीकृत समाचार-पत्रों पर उनके प्रसार के आधार पर लगाया जाने वाला शुल्क और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और अन्य पावतियां शामिल हैं।

देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और समाचार-पत्रों व समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना तथा उसमें सुधार लाना प्रेस परिषद का उत्तरदायित्व है। परिषद सलाहकार की भूमिका भी निभाती है या तो स्वयं संज्ञान लेकर या कानून की धारा 13(2) के तहत सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर वह किसी भी विधेयक, विधान, कानून या प्रेस संबंधित अन्य मामलों का अध्ययन करती है और सरकार को या अन्य संबद्ध व्यक्ति को अपनी राय देती है। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर भी, उनकी संवैधानिक उत्तरदायित्वों के बारे में, स्वतः संज्ञान लेकर परिषद मौके पर जांच कर सकती है।

परिषद शिकायतों के मामलों पर, चाहे वे प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन की शिकायत हो या प्रेस द्वारा अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की शिकायत हो, अधिनिर्णय के माध्यम से प्रमुख रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करती है। जांच के बाद यदि परिषद इस बात पर आश्वस्त हो जाती है कि किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता के आदर्शों के मानकों या लोक रुचि का उल्लंघन किया है अथवा किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई पेशेवर कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, डांट सकती है या उनकी भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण की निंदा कर सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में परिषद के पास यह अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता में बाधक सरकार सहित किसी भी संस्था के आचरण पर अपनी टिप्पणी कर सकती है। धारा (4) के तहत परिषद के निर्णय अंतिम होते हैं और न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867 की धारा 8सी भारतीय प्रेस परिषद की धारा 6 या उक्त अधिनियम की धारा 8बी के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया है। इस बोर्ड में एक चेयरमैन और एक सदस्य होता है। भारतीय प्रेस परिषद अपने सदस्यों में से एक सदस्य को नामित करता है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस

देश में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है।
वेबसाइट: www.presscouncil.nic.in

नया मीडिया स्कंध

वर्ष 1945 में स्थापित अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नाम अब 'नया मीडिया स्कंध' रखा गया है और यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा एकांश के रूप में काम करता है। यह मंत्रालय, उसकी मीडिया इकाइयों तथा जनसंचार से संबद्ध अन्य इकाइयों के इस्तेमाल के लिए पृष्ठभूमि, संदर्भ और अनुसंधान सामग्री प्रदान करता है।

सोशल मीडिया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सोशल मीडिया प्रकोष्ठ 2012 में अपनी शुरुआत के साथ ही अंतिम छोर तक पहुंच बनाने के लिए विविध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मंत्रालय सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्स पर सक्रिय है और उसने श्रोताओं के साथ सशक्त संबंध कायम किया है। टॉकेथॉन और फेसबक लाइव जैसे विभिन्न प्रारूपों में सोशल मीडिया संपर्कों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाता है, ताकि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता के बीच सीधा संवाद कायम किया जा सके। ट्विटर पर मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल @MIB_India के प्रतिमाह औसतन छह मिलियन इंप्रेशन्स सहित 929 फॉलोअर्स हैं। मंत्रालय के फेसबुक पेज @inbministry पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में मंत्रालय ने सोशल मीडिया जगत में हिंदी भाषी लोगों तक पहंच बनाने के लिए हिंदी में भी ट्विटर हैंडल @MIB_Hindi प्रारंभ किया है।

भारत-वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

स्कंध अंग्रेजी में 'इंडिया' के नाम से एक सालाना संदर्भ ग्रंथ का संकलन करता है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विकास और प्रगति की जानकारी होती है। इसके साथ ही इसका हिंदी संस्करण भारत के नाम से प्रकाशित किया जाता है।

फोटो प्रभाग

भारत सरकार की गतिविधियों की फोटो कवरेज करके दृश्य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित फोटो प्रभाग एक स्वतंत्र मीडिया इकाई और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है तथा यह फोटोग्राफी के क्षेत्र में देश में अपने किस्म की सबसे बड़ी उत्पादन इकाई है। फोटो प्रभाग की स्थापना 1959 में इस माध्यम के

महत्व को देखते हुए, पृथक विभाग की स्थापना करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप की गई थी, क्योंकि तस्वीर सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सटीक ब्योरा प्रस्तुत करती हैं साथ ही साथ सही प्रस्तुति के लिए नए माध्यम को मान्यता देती है, व्यावसायिक विशेषज्ञों की देख-रेख में पुरातात्विक रिकॉर्ड तैयार करती है। यह कार्य प्रकाशन विभाग और पत्र-सूचना कार्यालय और तत्पश्चात् डीएवीपी (वर्तमान लोक संपर्क और संचार ब्यूरो) की फोटो इकाई को जोड़कर किया गया ताकि कार्यकलापों का दोहराव समाप्त हो सके। यह प्रभाग भारत सरकार की उपलब्धियों और कार्यकलापों के देश और विदेशों में प्रसार और अन्य उद्देश्यों के लिए फोटोग्राफिक विजुअल तैयार करता है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक के 60 साल में प्रभाग के पास लगभग 10 लाख से अधिक चित्रों का संकलन है। प्रभाग ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर साल 2010 में राष्ट्रीय फोटो-चित्र पुरस्कारों की शुरुआत की, ताकि देश की कला, संस्कृति, विकास, विरासत, इतिहास, दैनिक जीवन, समाज और इसकी परंपराओं को प्रोत्साहित किया जा सके और देशभर के पेशेवर और उभरते हुए छायाकारों को बढ़ावा दिया जा सके। आधिकारिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रभाग की अपनी वेबसाइट है। प्रभाग तस्वीरों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचे जाने की प्रक्रिया में है।

अन्य मीडिया इकाइयों से तालमेल

मीडिया की अन्य इकाइयों से तालमेल स्थापित करने के लिए प्रभाग ने कई उपाय किए हैं। 8-10 लाख अभिलेखीय और वर्तमान चित्रों के बीच वैश्विक स्तर पर तालमेल के लिए प्रभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से प्रभाग ने छवियों को ई-कॉमर्स के जरिए खरीदने/बेचने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। अभिलेखीय छवियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्ति के लिए एक उच्च क्षमता वाला सर्वर लगाया गया है। समाचार-पत्रों और पत्र-सूचना कार्यालय को चित्र भेजने में देरी न हो इसके लिए फोटो समाचार नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल शैली में काम कर रहा है। लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो को प्रदर्शनी के उद्देश्य से बड़ी डिजिटल इंकजेट छवियों की आपूर्ति करने हेतु प्रभाग पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

फोटो प्रभाग का आधुनिकीकरण

प्रभाग की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों के लिए आदमकद प्रिंट लेने हेतु लार्ज फॉर्मेट इंकजेट प्रिंटर्स, वीवीआईपी एल्बम के लिए बैक टू बैक प्रिंट तैयार करने के लिए स्पेशल डिजिटल फोटो प्रिंटर जैसे उपकरणों को अद्यतन करने जैसे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा 8-10 लाख छवियों के अभिलेखन, अनुक्रमण, सूचीबद्ध करने व पुनःप्राप्ति के लिए उच्च क्षमता का सर्वर स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार

फोटो प्रभाग ने वर्ष 2010 में अपने 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के पेशेवर एवं शौकिया फोटोग्राफर्स को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की शुरुआत की। यह देश की समृद्ध धरोहर, कला एवं संस्कृति के प्रलेखन को भी प्रोत्साहन देता है। प्रभाग ने विख्यात फोटोग्राफर्स को 11 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए हैं।

वेबसाइट: www.photodivision.gov.in

प्रकाशन विभाग

राष्ट्रीय महत्व और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के भंडार के रूप में प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई थी। यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार को समृद्ध करने में निम्नलिखित तरीके से अपना योगदान कर रहा है: (1) भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव-जंतुओं और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठ पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन, (2) राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन से समसामयिक घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना; समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर भारतीय समाज और पाठकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए पुस्तकें छापना और (3) बाल साहित्य का प्रकाशन।

यह लोकप्रिय पुस्तकों तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पत्रिकाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण में संलग्न भारत सरकार के प्रमुख प्रकाशन संगठनों में से एक है । विभाग अन्य विषयों के अलावा भारतीय पैनोरमा के विविध पहलओं यथा- कला और संस्कति, आधनिक भारत के निर्माताओं व सांस्कृतिक नेताओं की जीवनियों, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के जीवन और कार्य, भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है ।

विभाग ने गांधीवादी दर्शन पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें 100 खंडों में अंग्रेजी में कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) और हिंदी में संपूर्ण गांधी वाङ्मय शामिल है, जिसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है । प्रकाशन विभाग ने गुजरात विद्यापीठ के साथ मिलकर प्रमुख गांधीवादी विद्वानों की निगरानी में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का ई-संस्करण (ई-सीडब्ल्यूएमजी) भी तैयार किया है । मास्टर कॉपी सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई डीवीडी के सेट के रूप में उपलब्ध है, इसमें किसी भी विषय को आसानी से खोजा जा सकता है । विशेषज्ञ पैनल की देख-रेख में मास्टर कॉपी के आधार पर सीडब्ल्यूएमजी का प्रिंट संस्करण भी तैयार किया गया है । प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के साथ साझेदारी में कई धरोहर प्रकाशनों को बहाल और पुनः प्रकाशित करने करने में संलग्न है ।

पत्रिकाएं

पुस्तकों के अलावा, प्रकाशन विभाग 18 मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है, जिनमें योजना अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भाषाओं में, आजकल (हिंदी और उर्दू), बाल भारती (हिंदी) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी) और साप्ताहिक पत्र रोजगार समाचार (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में) का प्रकाशन शामिल हैं । विभाग की पत्रिकाओं के पाठक बहुत बड़ी संख्या में हैं और इन पत्रिकाओं की जनता के बीच विश्वसनीयता बहुत अधिक है । ये पत्र और पत्रिकाएं आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, बाल साहित्य और रोजगार एवं करियर के विकल्पों पर सूचना जैसे व्यापक विषय वाले क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों को परिलक्षित करते हैं । इन पत्रिकाओं का ऑनलाइन ग्राहक भी बना जा सकता है, विवरण इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

एम्प्लॉइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार, हर शनिवार को जारी होने वाला साप्ताहिक अखबार है और यह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में एक साथ प्रकाशित होता है । इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी । यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के बारे में सूचना प्रदान करता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के नोटिस, परीक्षा के नोटिस और यूपीएससी, एसएससी जैसे संगठनों और अन्य सामान्य भर्ती निकायों के परिणामों का प्रकाशन करता है ।

रोजगार समाचार का ई-संस्करणः रोजगार समाचार, एम्प्लॉइमेंट न्यूज (अंग्रेजी) का तदनुरूप संस्करण है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र सरकार में रोजगार के अवसरों के बारे में हिंदी में सूचित करने वाली एक प्रमुख रोजगार पत्रिका है । यह विभिन्न क्षेत्रों में दाखिले और करियर के अवसरों के बारे में विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए करियर से संबंधित लेखों के माध्यम से सूचना और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है । ई-रोजगार समाचार डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध है और इसका वार्षिक शुल्क 400 रुपये है ।

मोबाइल एप "डिजिटल डीपीडी": यह एप निःशुल्क डाउन लोड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और यह डीपीडी पुस्तकों के बारे में पढ़ने और उन्हें खरीदने को सुगम बनाएगा । पायरेसी रोकने के लिए इस मोबाइल एप को डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम के समकालीन बनाया गया है और भुगतान की सुविधा के लिए भारतकोष पेमेंट गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है ।

नए सिरे से डिजाइन की गई प्रभावशाली वेबसाइटः समेकित पेमेंट गेटवे सहित आमूल-चूल बदलावों के साथ नए सिरे से डिजाइन की गई डीपीडी की प्रभावशाली वेबसाइट (www.publicationsdivision.in) वास्तविक समय में खरीद की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही साथ प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है । भारतकोष के पेमेंट गेटवे के माध्यम से सभी पुस्तकें बिक्री के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । इस उपयोग सुलभ वेबसाइट का स्वरूप आकर्षक है और सुगम्य पहुंच वाला सोशल मीडिया माध्यम है ।

डिजिटल आर्काइव्स और ई-पुस्तकें तैयार करनाः प्रकाशन विभाग ने अब अपने प्रकाशनों को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से उनका डिजिटलीकरण करने का महत्वपूर्ण दायित्व ग्रहण किया है तथा वह चुनिंदा विक्रय योग्य पुस्तकों की ई-बुक्स तैयार करवा रहा है। अभिलेखीय मूल्य वाली पुस्तकों को संरक्षित रखने के लिए डिजिटल आर्काइव किया जा रहा है। वर्ष 2015 से, प्रमुख प्रकाशन-वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया और भारत का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और उन्हें विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्णतया खोजे जा सकने वाली और डाउनलोड की जा सकने वाली ई-बुक्स में परिवर्तित कर दिया गया है।

पुस्तकों और पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री: डीपीडी ने महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय के सहयोग से भारतकोष (www.bharatkosh.gov.in) पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपनी प्रकाशित पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया है।

सूची और व्यापार संबंधी अन्य प्रचालनों का कंप्यूटरीकरणः सूची प्रबंधन, रॉयल्टी के भुगतान, बिक्री, लेखा, ग्राहक प्रबंधन, बिक्री एम्पोरियम के साथ नेटवर्किंग सहित प्रकाशन विभाग की समूची व्यापार संबंधी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है, जो वेबसाइट्स को प्रकाशित पुस्तकों साथ ही साथ ई-बुक्स की उसके डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिक्री करने में समर्थ बनाता है।

विभाग की समर्पित वेबसाइट्स http://www.publicationsdivision.nic.in है, योजना के लिए www.yojana.gov.in और एम्प्लॉयमेंट न्यूज के लिए वेबसाइट http://employmentnews.gov.in हैं।

प्रकाशन विभाग फेसबुक पर https://www.facebook.com/publicationsdivision और @DPD_India पर भी मौजूद है।

व्यापार एवं वितरण नेटवर्क

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री एवं वितरण सूचना भवन स्थित उसके मुख्यालय और दिल्ली सचिवालय, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम स्थित कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।
वेबसाइट: www.publicationsdivision.nic.in

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की गाथा आजादी के बाद से देश के घटनाप्रधान वर्षों के समकालिक है और पिछले 68 वर्षों से यह प्रभाग भारतीय जनता को राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। फिल प्रभाग के लक्ष्य और उद्देश्य देश के राष्ट्रीय स्वरूप पर केंद्रित हैं, ताकि लोगों को शिक्षित और प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सके तथा भारतीय और विदेशी दर्शकों के समक्ष भारत की समृद्ध विरासत की तस्वीर पेश की जा सके। देश के वृत्तचित्र आंदोलन को मजबूती और गति प्रदान करना भी फिल्म प्रभाग का एक लक्ष्य है, क्योंकि यह देश के सूचना, संवाद और सौहार्द के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है। फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र, लघु फिल्में, एनिमेशन फिल्में और समाचार पत्रिकाएं तैयार करता है। प्रभाग देशभर के लगभग 4,000 सिनेमाघरों और साथ ही गैर थियेटर सर्किटों जैसे- बीओसी की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों, दूरदर्शन, शैक्षिक संस्थानों, फिल्म समितियों और स्वयंसेवी संगठनों की जरूरतों को पूरा करता है। फिल्म प्रभाग के थियेटर सर्किटों में राज्य सरकारों के वृत्तचित्रों और न्यूज रील्स को भी जारी किया जाता है। फिल्म प्रभाग भारत के साथ-साथ विदेशों में भी वृत्तचित्र फिल्मों और फीचर फिल्मों के प्रिंट, स्टॉक शॉट और डीवीडी/वीसीडी और उनके वितरण अधिकार बेचता है। फिल्म निर्माण के अलावा फिल्म प्रभाग फिल्म निर्माताओं को अपने रिकॉर्डिंग थियेटर, एडिटिंग कक्ष और अन्य सिने उपकरण किराए पर उपलब्ध कराता है।

अभिलेखीय शोध केंद्र

अभिलेखीय शोध केंद्र (एआरसी) फिल्म प्रभाग की एक मल्टी स्टेशन शोध सुविधा है जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर, 2013 में की गई थी। इस सुविधा का लक्ष्य उस विजुअल इतिहास और विजुअल प्रलेखन की विपुल संपदा को साझा करना है, जिसे फिल्म प्रभाग अपनी संकल्पना के बाद से संजोता आया है। एआरसी ने फिल्म प्रभाग के संपूर्ण

अभिलेखागार को 15 शोध केंद्रों पर उपलब्ध कराया है। अनुसंधान इत्यादि के उद्देश्य से इन पंद्रह केंद्रों पर फिल्म प्रभाग का अभिलेखागार उपलब्ध रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह

फिल्म प्रभाग 1990 से द्विवार्षिक 'वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव' (एमआईएफएफ) का आयोजन कर रहा है। यह फिल्मोत्सव फिल्मकारों, निर्माताओं, वितरकों, प्रदर्शकों और फिल्म समीक्षकों को मिलकर विचारों और धारणाओं का आदान-प्रदान करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है।

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की अवधारणा एक विलक्षण विचार है, जिसका अनुसरण भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार किया गया है। भारतीय सिनेमा के 100 साल के इतिहास में, ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी बहुत-सी सामग्री नष्ट या खराब हो गई है अथवा संरक्षण के अभाव में उसकी उचित देख-रेख नहीं की गई है। क्योंकि भारत में कोई फिल्म संग्रहालय नहीं है इसलिए यह संग्रहालय सिर्फ आम लोगों के लिए ही सूचना का विशाल खजाना नहीं साबित होगा, बल्कि फिल्मकारों, समीक्षकों और विद्यार्थियों को भी न सिर्फ देश के भीतर बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों में कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर सिनेमा के विकास क्रम को समझने में मदद करेगा।

एफडी जोन

एफडी जोन फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं का संयुक्त अनुभाग है, जो डॉक्युमेंटरी, लघु फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों तथा कला के क्षेत्र में अग्रगामी और सार्थक सिनेमा की नियमित क्युरेटिड स्क्रीनिंग का आयोजन करता है। प्रत्येक स्क्रीनिंग के लिए कोई स्वतंत्र फिल्मकार स्वैच्छिक आधार पर फिल्म प्रभाग और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के मिश्रण को स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाने वाली स्वतंत्र फिल्मों के निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर या संपादक, ध्वनि रिकॉर्डिस्ट और निर्माण दल के प्रमुख सदस्यों को दर्शकों के साथ वार्तालाप के लिए स्क्रीनिंग के समय आमंत्रित किया जाता है। फिल्मों की स्क्रीनिंग निःशुल्क और सबके लिए खुली होती है।
वेबसाइट: www.filmsdivision.org

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) का निगमन (शत प्रतिशत स्वामित्व वाला भारत सरकार का निकाय) 1975 में किया गया था। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करना है। फिल्म वित्त निगम (एफएफसी) तथा इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (आईएमपीईसी)के एनएफडीसी में विलय के द्वारा 1980 में एनएफडीसी का पुनर्निगमन किया गया था।

पूर्व फिल्म वित्त निगम (एफएफसी) का गठन 1964 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य युवा प्रतिभावान फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था, जबकि स्वायत्त निकाय इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (आईएमपीईसी) का गठन फिल्मों के आयात-निर्यात के नियमन और देश में नए स्टॉक के प्रबंधन के लिए हुआ था। भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को समुचित माहौल उपलब्ध कराने के लिए एक निकाय की जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने एफएफसी और आईएमपीईएस का विलय एनएफडीसी में कर दिया। एनएफडीसी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों को या तो वित्तीय सहायता दी है या निर्माण किया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी इन फिल्मों को व्यापक पैमाने पर सराहा गया है और इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते हैं। निगम का कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई में है, जबकि इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में और एक शाखा कार्यालय तिरुअनंतपुरम में है।
वेबसाइट: www.nfdcindia.com

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन

बोर्ड केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय है। यह निकाय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत जारी किए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही भारत में उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकता है। भारत में पहली फिल्म (राजा हरिश्चंद्र) का निर्माण 1931 में दादासाहेब फाल्के द्वारा किया गया था, लेकिन भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1920 में पारित और लागू किया गया। उन दिनों सेंसर बोर्ड्स (तब उन्हें इसी तरह पुकारा जाता था) मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर और रंगून के पलिस प्रमुखों के नियंत्रण में होते थे। क्षेत्रीय सेंसर्स स्वतंत्र थे। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय सेंसर्स की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई और उन्हें बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स के अंतर्गत लाया गया। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के लागू होने के साथ ही बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स के रूप में एकीकृत और पुनर्गठित किया गया।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियमों को 1983 में संशोधित किया गया और तब से केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाना जाने लगा। बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है) और यह अपने मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ काम करता है। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में स्थित हैं। फिल्मों की जांच में परामर्शी पैनल क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा परामर्शी पैनलों के सदस्यों के रूप में दो साल की अवधि के लिए नामित किया जाता है।

प्रमाणन की प्रक्रिया सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952; सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983, और अधिनियम की धारा 5(बी) के अंतर्गत सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार है। शुरुआत में केवल दो प्रमाण-पत्र यू और ए होते थे। 1983 में दो और प्रमाण-पत्र अर्थात यूए और एस शुरू किए गए। यूए का आशय है कि यह फिल्म बे-रोकटोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई है, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता से कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती हैं, 'एस' प्रमाण-पत्र कुछ खास दर्शकों जैसे डॉक्टरों के लिए उपयुक्त फिल्मों को दिया जाता है।
वेबसाइट: www.cbfcindia.gov.in

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना 1973 में अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके लिए यह मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में अपनी गतिविधियों का संचालन करता है (क) भारतीय अंतरराष्ट्र फिल्म समारोह, (ख) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, (ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में दूतावासों के जरिए भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन, (घ) भारतीय पैनोरमा का चयन, (ङ) विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी, (च) भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन और (छ) प्रिंट संग्रहण तथा प्रलेखन।

ये गतिविधियां सिनेमा के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों, संस्कृति तथा अनुभव के आदान-प्रदान के लिए बेजोड़ मंच प्रदान करती हैं। ये भारतीय सिनेमा को सशक्त मंच प्रदान करती हैं तथा भारतीय फिल्मों के लिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देती हैं। देश के भीतर इसने विश्व सिनेमा की नवीनतम प्रवृत्तियां आम जनता, फिल्म उद्योग तथा विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

50वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20-28 नवम्बर, 2019 को आयोजित किया गया। इस वर्ष फोकस रूस पर था और इस दौरान 76 देशों की 200 से ज्यादा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इनमें भारतीय पैनोरमा खण्ड में 26 फीचर फिल्मों और 15 गैरफीचर फिल्मों का प्रदर्शन भी शामिल था। इतालवी फिल्म 'मार्गे एंड हर मदर' के भारतीय प्रीमियर के साथ उत्कृष्ट सिनेमा के इस नौ दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। महोत्सव के दौरान स्वर्ण मयूर, रजत मयूर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए।
वेबसाइट: www.iffigoa.org

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हैं जोकि सिनेमाई उत्कृष्टता को रेखांकित करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, साथ ही साथ सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 3 मई, 1913 को पहली भारतीय फ़ीचर फ़िल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तदनुसार, 2017 के लिए 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए।

*65*वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

भारतीय सिनेमा की वर्ष 2017 की उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रीमा दास द्वारा निर्देशित 'विलेज रॉकस्टार्स' (असमिया) को प्रदान किया गया। सम्पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार एस एस राजामौली द्वारा निर्देशित 'बाहुबली-2 द कन्क्लूजन' (तेलुगू) को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋद्धि सेन को फिल्म 'नगरकीर्तन' (बांग्ला) के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिवंगत श्रीदेवी को फिल्म 'मॉम' (हिंदी) के लिए दिया गया। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार बॉबी वाहेंगबाम की 'मतमागी मणिपुरः द फर्स्ट फीचर फिल्म' को दिया गया, जबकि गिरधर झा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा को सराहनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वरिष्ठ अभिनेता विनोद खन्ना को मरणोपरांत प्रदान किया गया।

महात्मा गांधी फिल्मोत्सव

महात्मा गांधी फिल्मोत्सव का आयोजन मोतीहारी, बिहार में 14-16 अप्रैल, 2017 की अवधि में किया गया। यह फिल्मोत्सव महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाए गए चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसका आयोजन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी के सहयोग से किया गया।

वेबसाइट: www.dff.nic.in

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सिनेमा के संरक्षण का अपना महत्व है और दुनियाभर में इसे मान्यता दी गई है। सिनेमा को इसके तमाम रूपों और प्रकारों में संरक्षित करने के लिए एक ऐसा संगठन जरूरी है जिस स्थायी ढांचा हो, जिसे फिल्म उद्योग का विश्वास प्राप्त हो और जिसके पास पर्याप्त संसाधन तथा विशेषज्ञता हो। इसीलिए मंत्रालय की मीडिया इकाई के रूप में फरवरी, 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) की स्थापना की गई। इसके निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य हैं: राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, उसे जानना और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संग्रह तैयार करना, फिल्मों से संबंधित आंकड़ों को वर्गीकृत और अभिलेखबद्ध करना, सिनेमा पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा इसके नतीजों का प्रकाशन-वितरण करना, देश में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने के केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना, एनएफएआई ने अपने अस्तित्व के 51 वर्षों के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

फिल्म भंडारण/संरक्षण

एनएफएआई में अंतरराष्ट्रीय मानकों और विशिष्टताओं से युक्त लगभग 27 अत्याधुनिक फिल्म संरक्षण सुविधाएं/कक्ष हैं। इन कक्षों में लगभग दो लाख फिल्म रील के भंडारण की क्षमता है। फिल्म कक्षों में श्वेत-श्याम फिल्मों, रंगीन फिल्मों और नाइट्रेट आधारित फिल्मों के लिए निम्नलिखित तापमान रखे जाते हैं:

फिल्मों का प्रकार	तापमान	संबंधित आर्द्रता
नाइट्रेट फिल्में	10–12 डिग्री सेल्सियस	40 प्रतिशत
श्वेत-श्याम फिल्में	10–12 डिग्री सेल्सियस	40 से 50 प्रतिशत
रंगीन फिल्में	2 डिग्री –4 डिग्री सेल्सियस	30 प्रतिशत

फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स

फिल्म संस्कृति के प्रसार के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि स्क्रीन शिक्षा योजना है, जिसमें देशभर में विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाने वाले दीर्घ या लघु अवधि के फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स शामिल हैं।

फिल्मों की आपूर्ति

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एनएफएआई विभिन्न गतिविधियां चलाता है। उसके वितरण पुस्तकालय में देशभर में लगभग 25 सक्रिय फिल्म क्लब/सदस्य हैं। देशभर में विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रमों और फिल्म समारोहों के लिए आर्काइव फिल्मों की आपूर्ति करता है।

फिल्म समारोहों में शिरकत

एनएफएआई देश-विदेश में विभिन्न फिल्म समारोहों में हिस्सा लेता है और महोत्सव के लिए निर्धारित विलक्षण विषयों पर विभिन्न रेट्रस्पेक्टिव में उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों और पोस्टरों प्रदर्शनियों के संग्रह का प्रदर्शन करता है।
वेबसाइट: www.nfai.gov.in

महात्मा गांधी की *150*वीं जयंती

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए दो महोत्सवों का आयोजन किया गया। यह आयोजन नौगांव, असम और पोर्ट ब्लेयर में किया गया। फिल्मों के पैकेज में महात्मा गांधी के जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया।

राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन

भारत सरकार के प्रतिष्ठित मिशन- राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन (एनएफएचएम) की शुरुआत नवंबर, 2014 में देश की फिल्म धरोहर को बहाल करने और उसका संरक्षण करने के लिए की गई। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंग है, जो 13वीं योजना में जारी रहेगी। इस पहल की फिल्म उद्योग द्वारा बड़े पैमाने पर सराहना की गई। इस नई योजना के आयोजना में एनएफएआई के पास उपलब्ध फिल्मों के डिजिटलीकरण/बहाली का ध्यान रखा गया है।

एनएफएचएम के उद्देश्यों में: (1) फिल्म संग्रह की स्थिति का आकलन करना और फिल्म के शेष जीवन का पता लगाना, (2) 1,32,000 फिल्म रीलों का बचाव व संरक्षण, (3) 1,086 युगांतकारी फिल्मों और भारतीय सिनेमा के 1,152 शॉर्ट्स के 2के/4के चित्र और ध्वनि की बहाली तथा नयी पिक्चर की रिकॉर्डिंग और प्रत्येक फिल्म के साउंड इंटर-निगेटिव्स की रिकॉर्डिंग, (4) 1,160 फ़ीचर फ़िल्मों और 1,660 शॉर्ट्स का डिजिटलीकरण, (5) एनएफएचएम के अंतर्गत बहाल की गई सामग्री के संरक्षण के लिए एनएफएआई परिसर, पुणे में धूलरहित, कम आर्द्रता और कम तापमान वाली परिस्थितियों में अभिलेखीय और संरक्षणात्मक सुविधाओं का निर्माण और (6)संरक्षण, परिरक्षण और पुरालेखन के क्षेत्र में इस क्षेत्र की विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल से प्रशिक्षण कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम।

बाल चित्र समिति, भारत

बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1955 से कार्य करना शुरू किया था। यह बच्चों की रचनात्मकता, करुणा और महत्वपूर्ण चिंतन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से बाल फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन करने तथा देश में उत्साहजनक बाल संस्कृति का सृजन और पोषित

करने के लिए अधिदेशित है। सीएफएसआई ने इस तरह की फिल्मों, धारावाहिकों, एनिमेशन्स और वृत्तचित्रों का निर्माण, प्रदर्शन और वितरण किया है, जो बच्चों का मनोरंजन करते हैं और उन्हें अपने आस-पास की दुनिया के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 15 भाषाओं में 260 से अधिक फिल्मों की आकर्षक सूची के साथ सीएफएसआई देश में बाल फिल्मों की प्रमुख निर्माता है। इनमें से अनेक फिल्मों ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

सीएफएसआई फिल्में सिनेमा के माध्यम से बड़ी तादाद में बच्चों को मूल्यों पर आधारित मनोरंजन उपलब्ध कराती हैं। ये फिल्में केवल मनोरंजन ही नहीं करतीं, बल्कि उनमें ढेरों संदेश भी शामिल किए जाते हैं, जिनमें जब इरादे मजबूत हों, तो सपने साकार होना नामुकिन नहीं रहता, बड़ों का सम्मान करो, जनजातीय लोग भी हमारे देश के नागरिक हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। परिवार सबसे बढकर होता है और इसके प्रत्येक सदस्य को बचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए। चमत्कार नहीं, कड़ी मेहनत आपको फल दिलाती है, खेलों के माध्यम से सामाजिक संबंध, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं से प्रेम करो, अपनी शारीरिक अक्षमता के लिए शर्मिंदगी नहीं महसूस करो, बच्चे भी राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता आदि में योगदान कर सकते हैं, आदि शामिल हैं।

फिल्म निर्माण

सीएफएसआई की ओर से भावी फिल्म निर्माताओं को 23 भारतीय भाषाओं में किसी भी शैली या अवधि की बाल फिल्म का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सीएफएसआई का वार्षिक लक्ष्य पूर्वोत्तर संघटक सहित 10 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ 3 फीचर और 2 लघु फिल्मों का निर्माण करना है। सीएफएसआई पुरस्कृत विदेशी फिल्मों की डबिंग, सबटाइटलिंग खरीद भी करती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भागीदारी

सीएफएसआई फिल्मों ने विविध विख्यात राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों में भाग लिया है और वाह वाही बटोरी है तथा अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)

लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) की स्थापना 2017 में पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत एवं नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) को राष्ट्रीय, मंडलीय/क्षेत्रीय और फील्ड स्तरों पर एकीकृत करके की गई थी और सरकार के आउटरीच संचार को सुचारू बनाने के लिए उन्हें बीओसी के अंतर्गत तीन अलग-अलग प्रभागों में रूपांतरित किया गया था, ताकि मीबिया में कवर नहीं ह वाले क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके और प्रिंट मीडिया विज्ञापन, श्रव्य-दृश्य विज्ञापन, बाह्य प्रचार, प्रदर्शनियां, न्यू मीडिया आदि जैसे विविध संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता के साथ उसको समझ में आने वाले स्वरूप और भाषा में संवाद करके किया जा सके। विज्ञापन एवं दृश्य संचार प्रभाग (पूर्व डीएवीपी) बीओसी का नोडल प्रभाग है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों की ओर से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संचार के विविध माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण तथा शहरी दोनों तरह की आबादी को सूचित और शिक्षित करता है। बीओसी के लोक संचार प्रभाग का लक्ष्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना और लाइव मीडिया के माध्यम से जन-साधारण के बीच सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति जागरूकता और भावनात्मक संवेदनशीलता उत्पन्न करना है।

बीओसी का क्षेत्रीय प्रचार प्रभाग जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय स्तर पर असर रखने वाले नेताओं और लक्षित लाभार्थियों के साथ इंटरेक्टिव सत्र आयोजित करने, समूह चर्चा करने, घर-घर जाने, गांवों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से उनसे सीधे संवाद करने और अंतर्वैयक्तिक संचार कार्यक्रम संचालित करने के लिए अधिदेशित है। विभिन्न हितधारकों यथा राज्य सरकार और स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामजिक संगठनों आदि के समर्थन से विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में और नजदीकी स्थानों पर आयोजित होने के कारण इन संचार कार्यक्रमों का प्रभाव सरकार की योजनाओं की बेहतर समझ को संभव

बनाता है और व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। इन प्रयासों को पारंपरिक और लोक मीडिया और अन्य पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक तरीकों के उपयोग से मदद मिलती है। एफसीडी के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यान्वयन एजेंसियों के लाभ के लिए सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक जुटाते हैं। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें 23 क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी) और 148 फील्ड आउटरीच ब्यूरो (एफओबी) शामिल हैं।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की स्थापना 1960 में की गई थी। 1974 में टेलीविजन शाखा खोलने के बाद इसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नाम दिया गया। अक्टूबर, 1974 में यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी बन गया। सोसायटी में मशहूर हस्तियां हैं जिनमें फिल्म, टेलीविजन, संचार से जुड़े लोग तथा संस्थान के छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। संस्थान एक शासी परिषद के अंतर्गत कार्य करता है जिसका प्रमख अध्यक्ष होता है। अकादमिक परिषद संस्थान की शैक्षिक नीतियां और योजनाएं तैयार करती हैं। स्थायी वित्त समिति संस्थान के वित्त से जुड़े मामलों को देखती है। संस्थान के दो खंड हैं- फिल्म और टेलीविजन खंड, दोनों श्रेणियों में पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से लेकर फिल्म निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और फिल्म संपादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल हैं। संस्थान अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाता है तथा एक साल का स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन निर्माण कला और तकनीक में आधुनिकतम शिक्षा प्रदान करता है। दूरदर्शन और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान आधुनिकतम डिजिटल और प्रसारण उपकरणों से लैस है जैसे- नॉन लीनियर, बीटा कैम और ए/बी रॉल एडिटिंग सेटअप, डिजिटल कैमरा जैसे- सोनी बीवीपी-500 पी, सॉफ्ट क्रोमा कीयर, डिजिटल स्पेशल इफेक्ट्स जेनेरेटर, एलायस सॉफ्टवेयर के साथ सिलीकॉन ग्राफिक्स 02 वर्क स्टेशन, आधुनिक फिल्म कैमरा और रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदि जो संस्थान के प्राध्यापकों और छात्रों को एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं।
वेबसाइट: www.ftii.ac.in

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, (एसआरएफटीआई), कोलकाता की स्थापना एक स्वायत्तशासी शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटीज पंजीकरण कानून, 1961 केअधीन पंजीकृत करा गया। फिल्म जगत की मशहूर हस्ती सत्यजीत रे के नाम पर कोलकाता में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह देश का दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है। संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और ऑडियोग्राफी में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। इनके अलावा संस्थान टेलीविजन और फिल्म से संबंधित लघु और मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाता है। समाजशास्त्र, संस्कृति एवं फिल्म और टेलीविजन की तकनीकी के बारे में शोध एवं अन्वेषण अध्ययन ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, जिन पर एसआरएफटीआई द्वारा ध्यान दिया जाता है।

एसआरएफटीआई का संचालन भारत सरकार द्वारा गठित सोसायटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में यह सोसायटी शासी परिषद के जरिए संस्थान को चलाती है। शासी परिषद का गठन सोसायटी के चुनिंदा सदस्यों से किया जाता है। यह शासी परिषद संस्थान के सभी कार्यकारी कार्यों की सर्वोच्च संस्था है। आवश्यकता पड़ने पर यह अकादमिक परिषद, स्थायी वित्त समिति आदि जैसी विविध समितियों/निकायों का गठन भी करती है।
वेबसाइट: www.srfti.ac.in

भारतीय जनसंचार संस्थान

सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) की स्थापना 1965 में की गई थी। संस्थान की स्थापना जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और

अनुसंधान के उद्देश्य के साथ की गई थी।

यह संस्थान प्रिंट पत्रकारिता, रेडियो और टेजीविजन पत्रकारिता और विज्ञापन और जनसंपर्क में कई स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। 1969 से संस्थान एशियाई, अफ्रीकी, देशों के मध्यमस्तरीय पत्रकारों के लिए विकास पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है। ये पाठ्यक्रम विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में चलाया जाता है।

इसके अलावा संस्थान छोटी अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाता है जो एक सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक के होते हैं। ये पाठ्यक्रम केंद्र, राज्य सरकार में मीडिया प्रचार विभागों में काम करने के इच्छुक मीडियाकर्मियों के लिए होते हैं। ये संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजित करता और अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है।

संस्थान न सिर्फ भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों की सूचना संबंधी जरूरतों के लिए उपयोगी सूचना ढांचे को बनाने और मजबूत करने में अपना योगदान देता है। संस्थान अपनी विशेषज्ञ और सलाहकार सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों/अंगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को प्रदान करता है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसकी एक शाखा 1993 में ओडिशा के धेनकलान में खोली गई।

वर्तमान में यहां दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पत्रकारिता 'अंग्रेजी' और 'उड़िया' में चलाए जाते हैं। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान की गतिविधियों की देख-रेख के लिए कार्यकारी परिषद होती है जिसके अध्यक्ष (पदेन रूप में) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव होते हैं और वे संस्थान (सोसायटी) के अध्यक्ष भी होते हैं। इनके साथ-साथ परिषद में मीडिया के क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियां तथा संस्थान के फैकल्टी के सदस्य भी होते हैं। अपने चार दशक से अधिक के निरंतर अथक परिश्रम और बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत संस्थान ने 'उत्कृष्टता के केंद्र' का दर्जा हासिल किया है।

शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान की शैक्षणिक और प्रशिक्षण गतिविधियों को चार कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता है- छात्रों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमः इनके अंतर्गत पत्रकारिता में चार पाठ्यक्रम और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में एक पाठ्यक्रम शामिल हैं: (1) अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (2) हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (3) ओडिया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (4) अंग्रेजी और हिंदी में रेडियो और टेजीविजन पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (5) विज्ञापन और जनसंपर्कमें स्नातकोत्तर डिप्लो पाठ्यक्रम (अंग्रेजी और हिंदी)।

इस चार महीने के पाठ्यक्रम की एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमरीकी और अन्य विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों के बीच खूब मांग है। पाठ्यक्रम के हर समूह में 20 से 25 प्रतिभागी होते हैं। संस्थान हर वर्ष ऐसे दो पाठ्यक्रम चलाता है।

अल्पावधि पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन

भारत और अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में जनसंचार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में बेहतर समझ कायम करने में योगदान देने और उभरती नई तकनीकों और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्थान संचार और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अल्पावधि पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करता रहता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के लिए समय-समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम चलाता रहता है। रक्षा अधिकारियों और केंद्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मीडिया और प्रचार विभागों में काम करने वाले लोगों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थान एक सप्ताह से लेकर 12 हफ्तों तक के कार्यक्रम चलाता है।
वेबसाइट: www.iimc.nic.in

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) लाभ अर्जित करने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य निजी प्रसारणकर्ताओं को राष्ट्रीय प्रसारणकर्ताओं की विशेषज्ञता उपलब्ध कराना था। वर्तमान में, बेसिल प्रसारण अभियांत्रिकी में एक स्थापित सलाहकार, प्रणाली समेकक और समाधान उपलब्ध कराने वाली एजेंसी है। बेसिल द्वारा कई प्रकार की प्रसारण प्रणालियों का संचालन और रख-रखाव भी किया जाता है। इसके ग्राहकों में सरकारी, अर्द्धसरकारी, विदेशी और निजी संगठन शामिल हैं।

बेसिल के विशेषज्ञता क्षेत्र निम्नलिखित हैं: फ्रीक्वेंसी, कवरेज योजना और अनुमान आदि के साथ रेडियो और टीवी प्रसारण सुविधाओं की स्थापना आदि, सीधे प्रसारण और डाटा प्रसारण में सक्षम ईथरनेट संयोजकता सहित ध्वनि और दृश्य के लिए अत्याधुनिक स्टूडियो सुविधाओं की स्थापना, केबल टीवी प्रणालियों और एचआईटी (हेड एंड इन द स्काई) तथा वायरलाइन प्रसारण की स्थापना, सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना के लिए टर्न-की समाधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी समाधान (रेडियो और टीवी टेरिस्ट्रीयल या सैटेलाइट) और जीएसएम, सीडीएमए और वी-सैट के लिए सुरक्षा संबंधित निगरानी प्रणाली की अवधारणा से लेकर उसे शुरू करने तक की व्यवस्था, सभी प्रकार के प्रसारण इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों की बिक्री और सहायता, नई तकनीक से डीएसएनजी वाहनों का डिजाइन और एकीकरण, प्रसारण केंद्रों, टीवी स्टूडियो, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी क्षेत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए पेशेवर लोग उपलब्ध कराना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के लिए विभिन्न प्रकार के निगरानी, अवरोधक और कूटलेखन, विकोडन उपकरणों की आपूर्ति और सहायता पर उपलब्ध कराना।

बेसिल के ग्राहकों में सरकारी, अर्द्धसरकारी, विदेशी और निजी संगठन शामिल हैं। इसे भारत में कई तरह की पहल करने का श्रेय प्राप्त है जिनमें प्रथम टेलीपोर्ट की स्थापना करना, पहली बार अवसंचना स्थापित करना, बंगलुरु में सात एफएम चैनलों को मिलाते हुए भारत में पहली बार मल्टी चैनल प्रसारण शुरू करना, राष्ट्रपति सचिवालय और लोकसभा टीवी के लिए पहली बार एचडीटीवी स्टुडियो सेटअप को डिजाइन और स्थापित करना शामिल है।
वेबसाइट: www.becil.com

23 आयोजना

भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत संगठित उद्योगों के अलावा लघु उद्योग, कृषि, व्यापार, आवास निर्माण और संबंधित क्षेत्र आते हैं। विकास के राष्ट्रीय प्रयास में व्यक्तिगत और निजी प्रयासों को अधिकतम स्वैच्छिक सहयोग के साथ आवश्यक समझा जाता है।

नीति आयोग

राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) की स्थापना 2015 में की गई थी। इसकी स्थापना 1950 में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग, योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है। इस नई संस्था की परिकल्पना भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे पूर्णतावादी दृष्टिकोण के ज़रिए विकास प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में चहुंमुखी विकास के लिए की गई थी। इसे सहकारिता संघवाद के सिद्धांत के तहत राष्ट्रीय विकास के समान भागीदारों के तौर पर राज्यों की सशक्त भूमिका के मूल सिद्धांत के जरिए हासिल किया जाना है। यह नई संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे जाकर विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है। विकास की समग्र पहल से उसके लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण का कार्य करती है। इस अवधारणा का आधार है: सहकारी संघवाद के सिद्धांत के राष्ट्रीय विकास में राज्यों की सशक्त और समान भागीदारी; आंतरिक और बाह्य संसाधनों के ज्ञान भंडार से सभी स्तरों पर सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों हेतु सरकार को सहयोग देना, ज्ञान और नीतिगत विशेषज्ञता प्रदान कर थिंक टैंक (विचार केंद्र) के रूप में काम करना; विकास के संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति में प्रगति की निगरानी कर, खामियों को दूर कर और केंद्र तथा राज्यों को साथ लाकर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक साझा मंच तैयार करना।
वेबसाइट: www.niti.gov.in

उद्देश्य

2015 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन आयोग अर्थात नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष हैं। यह संस्था केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, ज्ञान के भंडार के रूप में काम करती है और भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नज़र रखती है। यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में नीतिगत तत्वों पर रणनीतिगत और तकनीकी सलाह देने का काम करती है। इनमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामले देश के अंदर से और विदेशों की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का प्रसार और नए नीतिगत विचारों और समस्या आधारित विशिष्ट सहयोग का अनुप्राणन शामिल है। आयोग परामर्श के रूप में या अन्य किसी व्यवस्था के जरिए एक या अधिक राज्यों या विश्व के अन्य भागों में अपनायी जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में सभी राज्यों को सूचना उपलब्ध कराता है ताकि वे भी उन्हें अपना सकें। आयोग संरचनाबद्ध सहयोग और नीति-निर्देशन के माध्यम से सहयोगी संघवाद को निरंतर बढ़ावा देता है।

यह संस्था महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम की संरचना और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करता है और उनकी प्रगति तथा प्रभावी व्यापकता पर नियमित रूप से नज़र रखता है। निगरानी और फीडबैक से सीखे सबक का उपयोग नीति आयोग नवाचारी सुधार के लिए करती है। प्रायः नीतियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बीच में भी सुधार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और प्रयासों के

क्रियान्वयन की सक्रियता से निगरानी और मूल्यांकन करता है ताकि कार्यक्रमों की सफलता की संभावना सुदृढ़ हो सके। आयोग समसामयिक विषयों पर नीति संबंधी शोध-पत्रों का प्रकाशन करता है; सर्वोत्तम पद्धतियों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है; नीतियों में सुधार लाने के लिए राज्यों के आदर्श कानून का प्रारूप तैयार करता है और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करता है। दिशा और नीति संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुशासन पर शोध के आधार के रूप में काम करता है और यह अनुसंधान संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराता है।

संरचना

आयोग का गठन इस प्रकार है- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। संचालन (शासी) परिषद् में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले सभी केंद्र शासित राज्यों यथा- दिल्ली, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होते हैं।

विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करते हैं। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है:

- उपाध्यक्ष : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
- पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य: अधिकतम दो सदस्य, जो प्रमुख विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों से पदेन सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्य बारी-बारी से बदलते रहेंगे।
- पदेन सदस्य : अधिकतम चार सदस्य जिनका मनोनयन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद् से करेंगे।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री एक निश्चित अवधि के लिए करेंगे, जैसा आवश्यक हो।

वर्तमान में नीति आयोग का गठन निम्न प्रकार है :

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

उपाध्यक्ष: डॉ. राजीव कुमार, कैबिनेट मंत्री के रैंक में

सदस्य:

डॉ. बिबेक देबरॉय,

डॉ. वी. के. सारस्वत

प्रो. रमेश चंद

डॉ. विनोद के. पॉल

राव इंद्रजीत सिंह, योजना राज्यमंत्री

अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्

केंद्रीय सचिवालय द्वारा जारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के गठन की अधिसूचना के अनुसार इसमें शामिल हैं:-

डॉ. बिबेक देबरॉय, सदस्य नीति आयोग- अध्यक्ष

डॉ. सुरजीत भल्ला, अंशकालिक सदस्य

डॉ. रथिन रॉय, अंशकालिक सदस्य

डॉ. आशिमा गोयल, अंशकालिक सदस्य

सुश्री शमिका रवि, अंशकालिक सदस्य

श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार, नीति आयोग, सदस्य-सचिव

संचालन परिषद् की तीसरी बैठक

नीति आयोग की संचालन परिषद् की तीसरी बैठक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2017 में हुई। इसमें गृहमंत्री, रेलमंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पदेन सदस्य के रूप में और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री और कपड़ा मंत्री ने विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। मानव संसाधन विकास मंत्री, राज्यमंत्री(आई/सी), नियोजन, उपाध्यक्ष- नीति आयोग, नीति आयोग के स्थायी सदस्य, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इसमें संचालन परिषद् की दूसरी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई और उसके फैसलों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

पूर्व योजना आयोग

योजना आयोग की स्थापना मार्च, 1950 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का पूरी तरह दोहन, उत्पादन में वृद्धि और सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर, लोगों के जीवन-स्तर में तेजी से वृद्धि करने के सरकार के घोषित लक्ष्य को आगे बढ़ाना था। इसे देश के सभी संसाधनों का आकलन कर संसाधनों में वृद्धि करने, संसाधनों के अधिकतम प्रभावी तथा संतुलित इस्तेमाल के लिए योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे।

पहली पंचवर्षीय योजना

1951 में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों के आयात और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसमें सिंचाई और बिजली परियोजनाएं प्रमुख थीं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय 2,069 करोड़ रुपये (जो बाद में बढ़कर 2,378 करोड़ रुपये हो गया) का 44.6 प्रतिशत आवंटित किया गया। योजना का लक्ष्य निवेश की दर को राष्ट्रीय आय के पांच प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग सात प्रतिशत करने का रखा गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1957 से 1960-1961) का लक्ष्य विकास के प्रारूप को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य अंततः भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था। इसका प्रमुख लक्ष्य था: (1) राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना, (2) आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर औद्योगीकरण को तीव्र करना, (3) रोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार तथा (4) आय और धन की असमानता कम करना और आर्थिक शक्ति के वितरण में और समानता लाना। योजना का लक्ष्य 1960-61 तक पूंजी निवेश की दर को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के लगभग सात प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना था। इसमें औद्योगीकरण, लौह एवं इस्पात के उत्पादन में बढ़ोतरी, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों सहित भारी रसायनों तथा भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन निर्माण उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) का लक्ष्य आत्मनिर्भर विकास को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना था। इसके तात्कालिक उद्देश्य (1) राष्ट्रीय आय को पांच प्रतिशत वार्षिक से अधिक करना और इसी के साथ यह सुनिश्चित करना कि निवेश का यह तरीका आगामी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रह सके; (2) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग तथा आयात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना; (3) इस्पात, रसायन, ईंधन और ऊर्जा जैसे आधारभूत उद्योगों का प्रसार और मशीन निर्माण की क्षमता का विकास करना ताकि 10 वर्षों के भीतर देश के अपने संसाधनों से औद्योगीकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। (4) देश के श्रम शक्ति संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार करना और (5) अधिक से अधिक

अवसरों की समानता का उत्तरोत्तर विकास करना और आय व धन की असमानता में कमी लाना तथा आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 1960-61 के 14,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1965-66 तक लगभग 19,000 करोड़ रुपये (1960-61 की दर पर) करने और इसी अवधि में प्रतिव्यक्ति आय में 17 प्रतिशत वृद्धि कर इसे 330 रुपये से बढ़ाकर 386 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया था।

वार्षिक योजना

1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, निरंतर दो वर्ष भीषण सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और योजना के निर्धारण के लिए उपलब्ध संसाधनों में क्षरण होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्णय में देरी हुई। इसके स्थान पर 1966 और 1969 के बीच चौथी योजना के मसौदे की रूपरेखा के तहत तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं।

चौथी पंचवर्षीय योजना

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करने के लिए विकास की गति को तीव्र करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए तैयार कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की बात कही गई थी। इस योजना में विशेषतौर पर रोजगार और शिक्षा के प्रावधानों के जरिये कम सुविधा प्राप्त और दुर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। समानता को बढ़ावा देने के लिए धन, आय और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया था। योजना में शुद्ध घरेलू उत्पाद (1968-1969 के फैक्टर कॉस्ट पर) को 1969-1970 में 29,071 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकास की परिकल्पित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) गंभीर मुद्रास्फीति के दबावों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्यों में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा गरीबी-रेखा के नीचे रह रहे लोगों के खपत मानक में वृद्धि करने के उपायों को अपनाना था। इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थायित्व लाने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य भी तय किया गया था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में चार वार्षिक योजनाएं पूर्ण की गईं। इसके उपरांत पांचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978-79 के वार्षिक योजना के अंत के साथ ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का सबसे प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इसमें कृषि एवं औद्योगीकरण के लिए एक साथ अवसंरचना को मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई थी। सभी क्षेत्रों वहत प्रबंधन, कार्यक्षमता और व्यापक निगरानी के साथ व्यवस्थित दष्टिकोण से अंतर्संबंधित मस्याओं के निराकरण पर बल दिया गया था। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास की विशेष योजनाएं बनाने में जन-भागीदारी तथा योजनाओं के तीव्र और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने को प्रमुखता दी गई थी। छठी योजना का वास्तविक खर्च, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय 97,500 करोड़ रुपये (1979-80 के मूल्य) की तुलना में 1,09,291.7 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य) था। इस प्रकार इसमें सामान्य अवधि में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। योजना के लिए औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में उन नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया गया था, जो खाद्यान्न, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय आदि नियोजन के बुनियादी सिद्धांतों की संरचना में उत्पादकता पर केंद्रित थे। खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 1967-68 और 1988-89 के बीच की अवधि में 2.68 प्रतिशत की तुलना में सातवीं योजना के दौरान 3.23 प्रतिशत पर पहुंच गई। कुल मिलाकर

अनुकूल मौसम, प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सरकार तथा किसानों के सम्मिलित प्रयासों के कारण अस्सी के दशक में विकास दर 2.55 प्रतिशत हो गई । बेरोजगारी और उसके परिणामस्वरूप गरीबी की स्थिति में कमी लाने के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों के अलावा जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए । पहचान कायम कर चुके संगठनों को भूमिका दी गई, लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इस संबंध में भूमिका निभा सकते थे । सातवीं योजना का कुल खर्च कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिकल्पित परिव्यय 1,80,000 करोड़ रुपये की तुलना में 2,18,729.62 करोड़ रुपये (वर्तमान मूल्य) रहा, इस प्रकार इसमें सामान्य अवधि में 21.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई । इस योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 5.8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा । यह निर्धारित विकास दर से 0.8 प्रतिशत अधिक था ।

आठवीं वार्षिक योजनाएं

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) केंद्र में तेजी से बदल रही राजनीतिक स्थिति के कारण आरंभ नहीं की जा सकी । आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू हुई और 1990-91 और 1991-92 को पृथक वार्षिक योजना के रूप में देखा गया । आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) की पृष्ठभूमि में तैयार की गई इन वार्षिक योजनाओं का मूल उद्देश्य रोजगार और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना था ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की शुरुआत 1990-91 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति और महंगाई की स्थिति में विकृति आ जाने के बाद उसकी भरपाई के लिए शुरू की गईं ढांचागत समायोजन नीतियों और दीर्घ स्थिरीकरण नीतियों के तुरंत बाद की गई थी । उसके बाद विभिन्न संरचनात्मक समायोजन नीतियों को लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर के पथ पर लाया जा सके और इसे सुदृढ़ किया जा सके तथा इस प्रकार से भविष्य में भुगतान संतुलन और महंगाई के संकट की स्थिति को रोका जा सके । इन सुधारों के कारण आने वाले नीतिगत बदलावों में से कुछ का आठवीं योजना में जायजा लिया गया । इस योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत और औसत औद्योगिक विकास दर 7.5 प्रतिशत तय की गई । इन विकास लक्ष्यों को सापेक्ष मूल्य स्थिरता और देश भगतान संतलन में ठोस सधार करके पाने की योजना बनाई गई । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक प्रदर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं:- (क) तीव्र आर्थिक विकास, (ख) निर्माण क्षेत्र और कृषि व सहायक क्षेत्र का तीव्र विकास, (ग) आयात और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर, व्यापार और चालू खाता घाटे में सुधार तथा केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे में उल्लेखनीय कमी । हालांकि, केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण केंद्रीय क्षेत्र में व्यय की कमी रही । राज्यों के मामले में, वर्तमान राजस्व के संतुलन में कमी, राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों के अनुदान कमी, नकारात्मक शुरुआती संतुलन, गैर-योजनागत व्यय में बढ़ोतरी और लघु बचतों के संग्रह में कमी होने से उचित संसाधनों को जुटाने में विफलता, राज्यों में धन की कमी का बड़ा कारण था । आठवीं योजना का कुल खर्च कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय 4,34,100 करोड़ रुपये (1991-92 के मूल्य) की तुलना में 1996-1997 (संशोधित अनुमान) को लेते हुए वर्तमान मूल्य पर 4,95,669 करोड़ रुपये रहा, तथा 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई । आठवीं योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.6 प्रतिशत परिकल्पित की गई थी । इसके स्थान पर इस योजना के दौरान 6.8 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर हासिल हुई ।

नौवीं पंचवर्षीय योजना

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई थी । इस योजना में जीडीपी की सात प्रतिशत वार्षिक दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और सात केंद्रीय आधारभूत न्यूनतम सेवाओं (बेसिक मिनिमम सर्विसेज- बीएमएस) पर जोर दिया गया था । समयबद्ध तरीके से जनसंख्या को पूर्ण रूप से शामिल करने हेतु इन सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता निश्चित की गई । इसके तहत स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बेघर गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता, बच्चों को पोषण सहायता, सभी गांवों और बस्तियों के लिए सड़कें और गरीबों को ध्यान में रखकर जन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना शामिल था । इस योजना में सुदृढ़ राजस्व संग्रह और विशेषकर छूट संबंधी अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित कर, उपभोक्ता शुल्क की प्राप्ति कर, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं पर और

अधिक विश्वास रखते हुए नियोजन एवं क्रियान्वयन का विकेंद्रीकरण कर केंद्र, राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित सरकार के राजस्व घाटे में कमी लाने के लिए राजकोषीय समेकन की नीति अपनाई गई थी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के विशेष उद्देश्य थे: (1) पर्याप्त उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रमुखता; (2) स्थिर मूल्य के साथ आर्थिक विकास की दर को तीव्रतर करना; (3) सभी के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर ध्यान दिया गया था; (4) निश्चित समय-सीमा में सुरक्षित पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए आश्रय और संपर्क की आधारभूत न्यूनतम सेवा मुहैया कराना; (5) जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना; (6) सभी स्तरों पर लोगों को लामबंद करना और जनभागीदारी सुनिश्चित करना; (7) महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों, सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक बदलाव और विकास का वाहक बनाकर सशक्त करना, (8) पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी और स्व-सहायता समूहों जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और विकसित करना; (9) आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रयासों को मजबूत करना। नौंवी योजना के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तय की गई, पहले दृष्टि-पत्र में यह सात प्रतिशत तय की गई थी। विकास दर के लक्ष्य में यह कटौती नौंवी योजना के पहले दो वर्ष में राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए की गई थी। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में औसत वार्षिक विकास दर 5.5 प्रतिशत रही।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

राष्ट्रीय पंचवर्षीय विकास परिषद् (एनडीसी) ने दिसंबर, 2002 में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 2007) का अनुमोदन किया था। इस योजना में एनडीसी के अधिदेश उद्देश्यों को बढ़ाते हुए दस वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने और वार्षिक विकास दर जीडीपी के आठ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया। एकमात्र उद्देश्य आर्थिक विकास ही नहीं था, बल्कि योजना में विकास के लाभ का उपयोग लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए था। इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए: वर्ष 2007 तक गरीबी के अनुपात को कम कर 26 प्रतिशत से 21 प्रतिशत पर लाना, दशकीय जनसंख्या वृद्धि को 1991-2001 में 21.3 प्रतिशत से घटाकर 2001-2011 में 16.2 प्रतिशत पर लाना, लाभकारी रोजगार में वृद्धि, कम से कम श्रम बल को जोड़कर गति बनाए रखना, 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना और 2007 तक सभी बच्चे स्कूल में पांच वर्ष पूर्ण करें- यह सुनिश्चित करना, महिलाओं तथा पुरुषों की साक्षरता और मजदूरी दरों के अंतर में 50 प्रतिशत तक कमी लाना, साक्षरता दर को 1999-2000 में 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 2007 में 75 प्रतिशत करना, सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना, शिशु मृत्युदर को 1999-2000 में 72 प्रतिशत से घटाकर 2007 में 45 प्रतिशत किया जाना, वन/पेड़ से घिरे क्षेत्र को र19 प्रतिशत से बढ़ाक 25 प्रतिशत किया जाना और प्रमुख प्रदूषित नदी क्षेत्रों की सफाई करना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की कई विशेषताएं हैं जिनमें प्रमुख हैं: पहला, योजना में श्रम बल में तीव्र वृद्धि को प्रमुखता दी गई। वर्तमान विकास दर और उत्पादन में श्रम की उपयोगिता को देखते हुए भारत में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना थी, जिसके परिणामस्वरूप समाज में बेचैनी बढ़ती, इसलिए दसवीं योजना में पांच करोड़ नौकरी के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए कृषि, सिंचाई, वानिकी, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं अन्य सेवाओं जैसे वृहत रोजगारपरक क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। दूसरे, योजना में गरीबी और सामाजिक संकेतकों के अस्वीकार्य निम्न स्तर के मुद्दे का हल दिया गया। यद्यपि ये सभी पिछली योजनाओं के उद्देश्यों में शामिल थे, वर्तमान योजना में विशेष निगरानी लक्ष्यों को शामिल किया गया, जिन्हें विकास लक्ष्यों के साथ ही पूर्ण किया जाना था।

अर्थव्यवस्था के वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) नौंवी योजना के 4.5 प्रतिशत से घटकर दसवीं योजना में 3.6 हो गया। आईसीओआर में यह कमी मुख्य तौर पर मौजूदा क्षमता के कुशल उपयोग और पूंजी के उपयुक्त क्षेत्रवार आवंटन और इसके प्रभावी उपयोग से पाई जा सकी। अतः विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीडीपी के 28.4 प्रतिशत की निवेश दर की आवश्यकता पड़ी। इसे जीडीपी की 26.8 प्रतिशत घरेलू बचत और 1.6 प्रतिशत की बाहरी जमा से पूरा किया गया। अतिरिक्त घरेलू बचत का एक बड़ा हिस्सा सरकार की बचत को जीडीपी के -4.5 प्रतिशत (2001-02) से घटाकर -0.5 प्रतिशत (2006-07) कर पूरा किया गया। दसवीं योजना के अंतिम चार वर्षों (2003-04 से 2006-07) में औसत विकास दर आठ प्रतिशत से कुछ अधिक थी, इस प्रकार संपूर्ण

दसवीं योजना के दौरान विकास दर 7.7 प्रतिशत रही। यद्यपि यह दसवीं योजना के लिए आठ प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही, लेकिन यह किसी योजना में हासिल की गई विकास दर में उच्चतम है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत पर निर्माण के साथ उभर कर आई कमजोरियों को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान की। इसमें पांच वर्षों के दौरान नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल करना और योजना के अंत में इसे तीव्र कर 10 प्रतिशत पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था।

बारहवीं योजना

बारहवीं योजना में इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है कि विकास का उद्देश्य देशवासियों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था में व्यापक सुधार लाना है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तेज वृद्धि इस उद्देश्य को प्राप्त करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

बारहवीं योजना के दृष्टि-पत्र में इस पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान औसत विकास दर जीडीपी के नौ प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया। यह लक्ष्य उस वर्ष के यूरो जोन संकट के पहले निर्धारित किया गया था। इस संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में भारी उलटफेर देखा गया और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी के परिमाण का पता लगा था। बारहवीं योजना में इस बात का ध्यान रखा गया कि जीडीपी में (तत्कालीन) गिरावट को, विशेषतौर पर मुद्रास्फीति के दबाव के नियंत्रण में रखने के लिए बचत में वृद्धि के साथ ही निवेश में वृद्धि जैसे ठोस सुधारात्मक उपाय कर दूर किया जा सकता है।

अटल नवाचार मिशन

अटल नवाचार मिशन, प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे देशभर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है। अटल नवाचार मिशन को एक शीर्ष नवाचार संगठन के तौर पर तैयार किया गया है जो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के तहत नवाचार नीतियां बनाने में, हायर सेकेंडरी स्कूलों और विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं उच्च शिक्षा संस्थानों और लघु व मध्यम उद्यमों/कॉरपोरेट जैसे विभिन्न स्तरों पर नवाचार तथा उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने में सहायक की भूमिका निभाएगा।

स्कूलों में रचनात्मक और प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन, देश के स 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोल रहा है। इनमें 1000-1500 वर्गफुट क्षेत्र में नवाचार गतिविधियां होती हैं। इनमें 3डी प्रिंटर, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिनिएच्योराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स 'डू इट योरसेल्फ' किट्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ताकि छठी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर नए आविष्कार कर सकें।

विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अटल इन्क्यूबेटर्स मिशन, विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन और कॉरपोरेट उद्योग स्तर पर विश्वस्तरीय अटल इन्क्यूबेटर्स स्थापित कर रहा है ताकि देश के हर क्षेत्र/राज्य में निरंतर स्टार्ट-अप्स सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें और देश में उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके तथा रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। ये मौजूदा इन्क्यूबेटर्स को अपना कामकाज बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं। अटल इन्क्यूबेटर्स मिशन के तहत ग्रीनफील्ड इन्क्यूबेटर्स की स्थापना करने वालों या मौजूदा का प्रवर्द्धन करने वाले आवेदकों को 10 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहा है। इस मिशन का उद्देश्य यह है कि नामित 110 स्मार्ट सिटी के हरेक और हर राज्य के 5-10 बड़े शिक्षण/औद्योगिक संस्थानों में एक विश्वस्तरीय इन्क्यूबेटर हो ताकि विश्वविद्यालयों/उद्योगों में युवाओं/स्टार्ट-अप समुदायों को नए स्टार्ट-अप शुरू करने का अवसर मिल सके।

चौदहवां वित्त आयोग

हर पांच साल में गठित किया जाने वाला वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसे केंद्र-राज्य संघीय संबंधों को परिभाषित करने के व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम केंद्र द्वारा विभाज्य पूल में संग्रहीत राज्यों के राजस्व के, केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे और प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से के आवंटन के बारे में सिफारिश करना है।

चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें 2014 में सरकार को प्रस्तुत कर दी थीं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल है- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल से राज्यों को दी जाने वाली 32 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया जाए।

मेंटर इंडिया

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) द्वारा शुरू किया गया-मेंटर इंडिया कार्यक्रम, शैक्षणिक समुदाय और उद्योग जगत के बीच भागीदारी के लिए एक पथ प्रवर्तक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से 3,200 से अधिक परामर्शदाताओं को 1,800 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब के साथ निरंतर काम के लिए नियुक्त किया गया है। ये परामर्शदाता, स्वेच्छा से अपना अमूल्य समय देकर अटल टिंकरिंग लैब के विद्यार्थियों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान साझा कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर मेंटर का एक अन्य वर्ग विद्यार्थियों को प्रेरक व्याख्यान देता है।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) और स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर, ऐसे इन्क्यूबेशन स्थल हैं जिनकी स्थापना, मार्गदर्शन, कारोबार नियोजन सहायता, शुरुआती पूंजी प्राप्त करने, उद्योग हिस्सेदारी, प्रशिक्षण और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के साथ संचालन सुविधाएं और पूंजीगत उपकरण जैसे नवाचार स्टार्ट-अप्स को उद्भवन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। देश भर में 19 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर पहले से कार्यरत हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स का इन्क्यूबेशन कर रहे हैं और नए युग की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) की स्थापना 2018-2019 में की गई थी। अटल नवाचार मिशन ने यह पहल अनुदान आधारित तंत्र के जरिए राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों/समाधानों के सृजन के लिए नए आविष्कार करने वालों को सहायता देने के उद्देश्य से की है। अटल नवाचार मिशन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और उनमें नवाचार को आकर्षित करने के लिएअलग-अलग मंत्राल के साथ मिलकर इस कार्यक्रम पर काम कर रहा है। ये मंत्रालय हैं- कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, पेय जल तथा स्वच्छता मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य का मंत्रालय। अटल इंडिया मिशन इससे आगे बढ़कर, देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के बीच सहयोगात्मक प्रायोगिक अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम-अटल लघु उद्यम अनुसंधान तथा नवाचार यानी अराइज़ (एआरआईएसई) शुरू करने पर विचार कर रहा है। अटल नवाचार मिशन, विद्यार्थियों और स्टार्ट-अप्स समुदायों के लिए विभिन्न संरचित कार्यक्रमों के अलावा समय-समय पर व्याख्यानों, गोष्ठियों और वक्ता सत्रों का आयोजन करता है।

पहल और सुधार

कृषि सुधार

अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना

नीति आयोग ने विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के वास्ते केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके एक व्यवस्था बनाई है। इसके अनुरूप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की शुरुआत की। इसमें तीन व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं-मूल्य समर्थन योजना या बाजार आश्वासन योजना, मूल्य औचित्य भुगतान योजना

और निजी खरीद भण्डारकों के लिए प्रायोगिक योजना।

अनुबंध खेती

केंद्र सरकार ने पहली बार किसानों को अवसर दिया है कि वे अनुबंध खेती के बारे में बनाए गए आदर्श अधिनियम के जरिए खरीददारों के साथ सौदेबाजी कर सकें और अपनी फसल के मूल्य के बारे में फैसला कर सकें। इस आदर्श अधिनियम को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उत्पाद तथा पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं (संवर्द्धन और सुविधाकरण) कानून, 2018, नीति आयोग के साथ सलाह-मशविरे से तैयार किया गया और वर्ष 2018 में ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू करने की शुरुआत की गई। कृषि उत्पादों और पशुधन के लिए सेवा अनुबंध सहित उत्पादन पूर्व से फसल कटाई के बाद विपणन तक समूची वैल्यू चेन इस आदर्श कानून के दायरे में आते हैं।

पोषण में सुधार

पोषण अभियान

बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुधार के लिए समग्र पोषण योजना या पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2018 में शुरू किये गये पोषण अभियान के तहत देश का ध्यान कुपोषण की समस्या और इसके निराकरण की ओर आकर्षित किया जा रहा है ताकि अभियान चलाकर इस समस्या का निवारण किया जा सके। कुपोषण के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का उद्देश्य अगले तीन वर्ष में कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी लाना है। इस पर अमल के लिए चार सूत्री कार्यनीति इस प्रकार है- (i) बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अंतर क्षेत्रीय अभिसरण, (i) यथासमय वृद्धि निगरानी और महिलाओं तथा बच्चों पर नजर रखने के लिए प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का इस्तेमाल (iii) पहले 1000 दिनों के लिए गहन स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं और (iv) जन आंदोलन।

पोषण माह

वर्ष 2018 में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इस दौरान सामाजिक व्यवहार्यता बदलाव और संचार संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिन विषयों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया, वे थे- प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान (शुरुआत में और केवल मां का दूध), अनीमिया, वृद्धि पर नजर, बालिका शिक्षा, आहार, विवाह की सही उम्र, स्वच्छता तथा साफ-सफाई और स्वास्थ्यप्रद खानपान।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार

आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में एक ऐसी समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और दक्षता व पारदर्शिता में सुधार करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय के उद्देश्य से डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आयुष्मान भारत अपने इन दो उद्देश्यों के साथ देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है-पहला, आपूर्ति के संदर्भ में निवारक और प्राथमिक देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का संचालन करना और दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति परिवार इलाज के लिए हर वर्ष पांच लाख रुपये तक वित्तीय संरक्षण प्रदान करना।

24 ग्रामीण विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत कल्याणकारी राष्ट्र रहा है और सरकार के समस्त प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य देश के लोगों का कल्याण रहा है। नीतियां और कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लक्ष्य को ध्यान में रख कर तैयार किए गए, जो भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। यह महसूस किया गया कि गरीबी उपशमन की स्थायी कार्यनीति विकास की प्रक्रिया में निरंतर लाभकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर आधारित होनी चाहिए। गरीबी, अज्ञानता, बीमारियां और अवसरों की असमानता जैसी कुप्रवृत्तियों का अंत तथा बेहतर और उच्चतर गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान करना बुनियादी सिद्धांत रहे हैं, जिन पर सभी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया। ग्रामीण विकास के अंतर्गत लोगों की आर्थिक बेहतरी और सामाजिक परिवर्तन, दोनों को ध्यान में रखा गया है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी, आयोजना का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर प्रवर्तन और ऋण सुलभ कराना जैसे उपाय किए गए। प्रारंभ में कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुषंगी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया, परंतु बाद में यह महसूस किया गया कि तीव्र विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में निचले स्तर के लोगों की प्रत्यक्ष और परोक्ष भागीदारी भी हो।

तदनुरूप 1952 में योजना आयोग के तहत सामुदायिक परियोजना प्रशासन नाम के एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे सामुदायिक विकास संबंधी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व सौंपा गया। 1952 में प्रारंभ किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में मील का पत्थर था। इस कार्यक्रम में बाद में कई बदलाव आए और इसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित किया गया। अक्टूबर, 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। अगस्त, 1979 में इस विभाग का दर्जा बढ़ाया गया और इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का नाम दिया गया। बाद में इस मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया और एक बार फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक विभाग केररूप में परिवर्तित क दिया गया। सितंबर, 1985 में इसे एक बार फिर कृषि मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1991 में विभाग का दर्जा बढ़ा कर ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया। 1992 में इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया।

मार्च, 1995 में इसे ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया और तीन विभागों- ग्रामीण रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग; ग्रामीण विकास विभाग और बंजर भूमि विकास विभाग को इसके तहत रखा गया। 1999 में मंत्रालय के नाम में पुनः बदलाव किया गया और ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग को इससे पृथक कर जुलाई, 2011 में एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन नामक दो विभाग हैं।
वेबसाइट: www.rural.nic.in, www.dolr.gov.in

ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं: दिहाड़ी आधार पर रोज़गार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए); स्वरोजगार एवं कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम); बीपीएल परिवारों को आवास (घर) उपलब्ध कराने हेतु सभी के लिए आवास - प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी); उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों के

निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); सामाजिक पेंशन हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी); श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन (आरयूआरबीएएन) मिशन; भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु समेकित जल-संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)।

ग्रामीण रोजगार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अपनी शुरुआत के बाद से कई बदलावों से गुजरा है और करोड़ों लोगों की जीवनरेखा बन गया है। इस अधिनियम का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। इसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन के लिए दिहाड़ी रोज़गार पक्के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते उसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों। महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों में सामाजिक समावेशन, लिंग समानता, सामाजिक सुरक्षा और समानता पर आधारित विकास शामिल है।

इस कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 दिन के लिए अकुशल श्रम कार्य के रूप में दिहाड़ी रोज़गार उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित गुणवत्ता के साथ स्थिर लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है; संबद्ध क्षेत्र के ढांचागत आधार का विकास करने वाले कार्यों में दिहाड़ी रोज़गार सृजित करते हुए ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि; ग्रामीण निर्धनों का आजीविका संसाधन आधार सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना; महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित करना; ग्रामीण निर्धनों का सक्रिय सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना और उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना तथा निचले स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करना।

सरकार नए उपायों के जरिए इस कार्यक्रम में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रही है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के समग्र फ्रेमवर्क के अंदर मनरेगा कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक क लिए अधिक बजट आवंटन सनिश्चित करने के अलावा कार्यक्रम कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस), आधार संबद्धता, सृजित संपत्तियों की जियो-टैगिंग और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढीकरण आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

धन प्रवाह व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करने और दिहाड़ी के भुगतान में विलंब दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) ल की है। इस प्रक्रिया से राज्यों को दिहाड़ी के भुगतान के लिए धन के आवंटन में विलंब में कमी आती है और विभिन्न स्तरों पर धन का ठहराव समाप्त होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 96 प्रतिशत दिहाड़ी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के जरिए सीधे मनरेगा श्रमिकों के बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जा रहा है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का नया नाम दिया गया है। यह योजना 2011 में शुरू की गई। इसका लक्ष्य 8-9 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंचना है। इसमें प्रत्येक परिवार से एक महिला सदस्य को शामिल करते हुए महिला स्वयं-सहायता समूह का गठन किया जाता है और ग्राम स्तर और उससे उच्चतर स्तरों पर इन सहायता समूहों के परिसंघ बनाए जाते हैं। ऐसा करते समय डीएवाई-एनआरएलएम समाज के कमजोर वर्गों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करता है, जैसे लाभार्थियों में 50 प्रतिशत अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समूहों और तीन प्रतिशत विकलांगजन समूहों को शामिल किया जाता है। ग्रामीण निर्धन परिवारों की शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निर्धन परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक एवं जाति गणना (एसईसीसी) और भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के जरिए की जाती है और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराया जाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

(i) निर्धनों के संस्थानों को प्रोत्साहित करना: स्वयं-सहायता समूहों और उनके परिसंघों के रूप में प्राथमिकता के आधार पर निर्धनों के गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना की जाती है । बचत और ऋण आधारित सामान्य सामुदायिक संस्थानों और उनके परिसंघों के अतिरिक्त, डीएवाई-एनआरएलएम विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों को भी प्रोत्साहित करता है, जैसे आजीविका संगठन, उत्पादक सहकारी संस्थाएं । आजीविका प्रोत्साहन कंपनियां । निर्धनों के लिए कार्य करने वाले संस्थान अपने सदस्यों का सशक्तीकरण करते हैं और जानकारी एवं प्रौद्योगिकी संप्रेषण का माध्यम बनते हैं तथा उत्पादन, सामूहिकीकरण और व्यापार के केंद्र बनते हैं ।

(ii) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण: स्वयं-सहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कार्यकर्ताओं, बैंकरों, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य हितभागियों में क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित और बहुआयामी कार्यनीति अपनाई जाती है । क्षमता निर्माण का लक्ष्य निर्धनों को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है ताकि वे अपने संस्थानों का प्रबंधन कर सकें, बाजारों से जुड़ सकें, अपनी मौजूदा आजीविकाओं का प्रबंधन कर सकें और अपनी ऋण इस्तेमाल क्षमता और तत्संबंधी साख में वृद्धि कर सकें । समय पर सहायता प्रदान करने और गरीबी का स्तर कम करने के लिए सामुदायिक व्यावसायियों और विशेषज्ञों को काम पर लगाने को तरजीह दी जाती है ।

(iii) समुदाय निवेश सहायता निधि: परिसंघों (प्राथमिक और माध्यमिक स्तर) के माध्यम से समुदाय निवेश सहायता निधि स्वयं-सहायता समूहों तक पहुंचाई जाती है, ताकि जहां-कहीं संभव हो, वहां सदस्यों के लिए उपयुक्त आजीविका के विकास और सामूहिक गतिविधियां प्रारंभ करने में सहायता की जा सके । समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) का एक हिस्सा अत्यंत निर्धन समुदायों के समावेशन के लिए असुरक्षा कमी निधि (वीआरएफ) के रूप में प्रदान किया जाता है और उनकी पहुंच ब्याज सहित या ब्याज रहित ऋण तक कायम करने में मदद की जाती है ।

(iv) समाभिरूपता में सहायता के लिए राष्ट्रीय विशेष निधि: डीएवाई-एनआरएलपी के अंतर्गत राज्यों को राष्ट्रीय विशेष निधि प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें गरीबी कम करने और ग्रामीण निर्धनों के सशक्तीकरण के लिए समाभिरूपता को एक कारगर पद्धति के रूप में अपनाने में सहायता प्रदान की जा सके ।

(v) ढांचा निर्माण और विपणन सहायता: डीएवाई-एनआरएलएम यह सुनिश्चित करता है कि निर्धनों की प्रमुख आजीविका गतिविधियों की जरूरतें पूरी की जाएं । यह कार्यक्रम निर्धनों के संस्थानों को विपणन के लिए भी सहायता प्रदान करता है । विपणन सहायता गतिविधियों के दायरे में बाज़ार पहुंच, बाज़ार ज्ञान, प्रौद्योगिकी विस्तार, पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संपर्क विकसित करना, आजीविका समूहों का निर्माण और उनकी व्यापार योजनाओं में मदद करना शामिल हैं ।

(vi) संवेदनशील सहायता संगठन: डीएवाई-एनआरएलएफ ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-जिला स्तरों पर संवेदनशील और प्रतिबद्ध सहायता संगठनों की स्थापना की है । इन सहायता संगठनों में प्रतिबद्ध व्यवसायी काम पर लगाए गए हैं ।

(vii) महिला किसान सशक्तीकरण योजना (एमकेएसपी): महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) एनआरएलएम का एक उप-घटक है, जो महिला किसानों की विशेष जरूरतें पूरी करता है और ग्रामीण महिला किसानों, जिनमें मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसान शामिल होते हैं, का सामाजिक आर्थिक और तकनीकी सशक्तीकरण करता है ।

(viii) आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना: भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 'आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना' (एजीईवाई) नाम का एक नया उप-कार्यक्रम शुरू किया है । इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना, जिसके लिए राज्यों द्वारा पहचान किए गए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इन सहायता समहों को सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करने की सविधा प्रदान की जाती है और दूरदराज के गांवों को महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं (बाजारों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कायम करने सहित) से जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और समुदाय नियंत्रित ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना ताकि डीएवाई-एनआरएलएम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत

उपलब्ध सहायता का इस्तेमाल क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए किया जा सके।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

यह निर्णय किया गया है कि देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की जाए। आरएसईटीआई संस्थान बैंक के नेतृत्व और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से संचालित हैं। भारत सरकार इसके लिए एकबारगी एक करोड़ रुपये की ढांचागत सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा निर्धन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की लागत भी अदा करती है। राज्य सरकार निःशुल्क अथवा मामूली मूल्य पर भूमि प्रदान करती है और बैंक आरएसईटीआई संस्थानों के रोजमर्रा की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं। आरएसईटीआई संस्थानों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर वर्ष 750 ग्रामीण निर्धन युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वे अपने निवास के इलाके में स्व रोज़गार शुरू कर सकें। आरएसईटीआई संस्थान समय-समय पर कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं, ताकि निरंतर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में स्वरोजगार उद्यमियों के प्रस्तावों को व्यवहार्य और मूर्तरूप प्रदान किया जा सके। वर्तमान में देश में 583 आरएसईटीआई संस्थान काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

गरीबी में कमी लाने हेतु कार्यनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की थी। केंद्र प्रायोजित इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण सड़कें बनाने के काम में राज्यों की मदद करना था, हालांकि ग्रामीण सड़कें संविधान में राज्य सूची का विषय हैं। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य कोर-नेटवर्क के अनुरूप अभी तक सड़क से न जुड़ पाई पात्र बस्तियों को हर मौसम में काम करने वाली सड़कों (आवश्यक पुलियों और नालियों सहित, जो पूरे साल काम करती हों) के साथ जोड़ना है। मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली बस्तियों को पात्र समझा गया है। इसी प्रकार 'विशेष श्रेणी वाले राज्यों' (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश) तथा उत्तराखंड), रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची 5) क्षेत्रों और 88 चुने हुए जनजातीय और पिछड़े जिलों के मामले में कोर नेटवर्क के अनुरूप अभी तक सड़क से न जुड़ पाई 250 या उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली पात्र बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है।

वांछित गुणवत्ता मानकों के साथ कार्यक्रम के निष्पादन के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था संस्थाबद्ध रूप में की गई है। इस व्यवस्था का प्रथम स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट स्तर पर विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण से संबद्ध है। इस स्तर का लक्ष्य फील्ड प्रयोगशाला स्तर पर अनिवार्य परीक्षणों और वर्कमैनशिप के जरिए प्रक्रिया नियंत्रण करना है। दूसरे स्तर की व्यवस्था राज्य गुणवत्ता नियंत्रकों के जरिए राज्य स्तार पर स्वतंत्र गुणव निगरानी के रूप में की गई है, जिसमें बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान है। तीसरे स्तर के अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रक एनआरआरडीए द्वारा तैनात किए जाते हैं, जो बेतरतीब सड़क कार्यों का निरीक्षण करते हैं और न केवल गुणवत्ता की जांच करते हैं, बल्कि फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का वरिष्ठ व्यावसायियों के माध्यम से मार्गदर्शन भी करते हैं।

ग्रामीण आवास

आवास को सर्वत्र बुनियादी आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से निर्धनों के लिए आवास की कमी दूर करना और आवास की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इंदिरा आवास योजना- एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से तीन करोड़ साठ लाख मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा चुकी है।

2022 तक 'सबके लिए आवास' प्रदान करने की सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में ग्रामीण आवास योजना-आईएवाई को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू हुआ। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (क) 2016-17 से 2018-19 के दौरान तीन वर्ष की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना; (ख)

मैदानी इलाकों में प्रति मकान दी जाने वाली सहायता 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये की गई और पर्वतीय राज्यों, कठिन क्षेत्रों और आईएपी जिलों में यह सहायता 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये हो गई; (ग) सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना (एसईसीसी 2011) से संबंधित परिवारों के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों का चयन, जिसके अनुसार स्वतः बहिष्करण श्रेणी में आने वाले परिवारों को बाहर करने के बाद बेघर या कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले दो कमरे के या उससे कम के मकानों में रहने वाले परिवार पात्र समझे जाते हैं; (घ) कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को मकानों के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने और परियोजना के अंतर्गत लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह बेरोज़गार, वृद्ध, बीमार और अक्षम होने की स्थिति में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करेगा। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह अपने साधनों के भीतर कल्याण के अनेक उपाय संचालित करे। इन्हीं नेक सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रारंभ किया। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड, दिशानिर्देशों और शर्तों के अनुरूप लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के मामले में वृद्धों, विधवाओं, विकलांगजनों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा प्रदान किए जा रहे अथवा भविष्य में प्रदान किए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त सहायता दी जाती है, ताकि न्यूनतम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सहायता सुनिश्चित की जा सके। शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के पीछे लक्ष्य यह है कि समूचे देश में लाभार्थियों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। इस सहायता में और सहायता जोड़ने अथवा कवरेज का विस्तार करने के लिए राज्य स्वतंत्र है।

एनएसएपी के अंतर्गत वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए निम्नांकित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस): इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह 60-90 वर्ष आयुवर्ग के व्यक्तियों को प्रतिमाह केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये की तथा 80 वर्ष और अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस): इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवार से संबद्ध 40 से 79 वर्ष आयु समूह में आने वाली विधवा को 300 रुपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु होने पर लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि वह 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सके।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस): इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बीपीएल परिवार से संबद्ध 18-79 वर्ष आयु समूह में आने वाले गंभीर तथा अधिसंख्य दिव्यांगता/विकलांगता वाले व्यक्ति को 300 रुपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को आईजीएनओएपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि वह 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सके।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस): इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु समूह में आने वाले परिवार के प्रमुख जीविका अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि 20,000 रुपये होती है।

अन्नपूर्णा: इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है,

जो आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्र हों, लेकिन उन्हें आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त न हो रही हो।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण के साथ ही रोज़गार मुहैया कराने के भी प्रयास किए जाते हैं। 2014 में घोषित डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी कार्यसूची है, जिसके तहत यह वैश्विक मानकों और जरूरतों के अनुसार एक बेंचमार्क रोजगार संबद्ध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य भारत के जनसांख्यिकीय अधिशेष को जनसांख्यिकीय लाभ में रूपांरित करना है, ताकि ग्रामीण भारत का विकास वैश्विक रूप में वरीयता वाले कुशल श्रमिकों के स्रोत के रूप में किया जा सके। परिणामस्वरूप, यह कार्यक्रम 55 मिलियन से अधिक ग्रामीण युवाओं को भी लाभ पहुंचाएगा, जो स्थिर रोज़गार प्रदान किए जाने पर कौशल प्रशिक्षण हासिल करने के लिए तैयार हैं। इस तरह इस कार्यक्रम से पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। यह ऐसा प्रथम कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं और यह पहला कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करने में आईटी सोल्यूशन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें प्रशिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से टेबलेट प्रदान करना, उपस्थिति की आधार से संबद्ध बायोमीट्रिक जानकारी और प्रशिक्षण केंद्रों एवं कक्षाओं का जियो-टैग्ड समयबद्ध रिकॉर्ड शामिल है। डीडीय-जीकेवाई मूल रूप से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का नया रूप है। एसजीएसवाई का सृजन 1999 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) को पुनर्गठित करके किया गया था, जिसमें विशेष परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत आवंटन का प्रावधान था। 2010 में एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करने के लिए 2013 में आजीविका कौशल के बारे में दिशानिर्देशों को संशोधित किया। 25 सितंबर, 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका कौशल को डीडीयू-जीकेवाई में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं को घरेलू और वैश्विक रोज़गार के लिए कौशल प्रदान करने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य विशेषताएं

डीडीयू-जीकेवाई सरकारी-निजी-भागीदारी पद्धति में एक त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन ढांचे का अनुपालन करता है, जिसमें राष्ट्रीय यूनिट नीति, केंद्रीय निवेश और तकनीकी सहायता से संबद्ध है, एसआरएलएम्स/राज्य कौशल मिशन सरकारी निवेश, कार्यान्वयन एवं निगरानी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं और कौशल प्रशिक्षण में विरासत के साथ सार्वजनिक और निजी प्रशिक्षण भागीदार के रूप में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां संसाधन जुटाने, प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(i) इस कार्यक्रम में निर्धन परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के निम्नांकित से संबंधित ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: (क) मनरेगा श्रमिक परिवार, जिसमें परिवार के सदस्यों ने मिला कर 15 कार्यदिवस पूरे कर लिए हों; (ख) आरएसबीवाई परिवार; (ग) अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक परिवार; (घ) बीपीएल पीडीएस कार्डधारी; (ङ) एनआरएलएम-एसएचजी परिवार और (च) एसईसीसी-2011 के मानदंडों के अंतर्गत स्वतः कवर किए जाने वाले परिवार।

(ii) सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित समूहों को अनिवार्य रूप से कवर करके अजा/अजजा समूहों के लिए 50 प्रतिशत आवंटन, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत और विकलांगजनों के लिए तीन प्रतिशत सुरक्षित कवरेज की व्यवस्था से लाभार्थियों का पूर्ण सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जाता है।

(iii) सभी सफल उम्मीदवारों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत को न्यूनतम 6,000 रुपये प्रतिमाह वेतन अथवा न्यूनतम दिहाड़ी राशि, इनमें जो भी अधिक हो, के साथ दिहाड़ी रोजगार अनिवार्य रूप से प्रदान करने का प्रावधान है।

(iv) बहुआयामी संबद्धता के जरिए उद्योग के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह कार्यक्रम आर्थिक कार्यनीतियों - 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करता है। इसमें चैंपियन नियोक्ता नीति, कैप्टाइव नियोक्ता नीति और औद्योगिक इंटर्नशिप नीति शामिल है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ 2014 में किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा एक गांव का विकास 2016 तक आदर्श गांव के रूप में और 2019 तक ऐसे दो अन्य गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य महात्मा गांधी के व्यापक और मौलिक आदर्श ग्राम के सपने को वर्तमान संदर्भ में पूरा करना है। दूसरे शब्दों में एसएजीवाई के अंतर्गत मूल्य परिवर्तन के जरिए मूल्य शृंखला विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अभी तक इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में संसद सदस्यों द्वारा 702 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम बेजोड़ और परिवर्तनकारी है, क्योंकि इसमें विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसमें चुने हुए गांव का समन्वित विकास करने की व्यवस्था है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ढांचागत विकास मात्र से परे जाकर एसएजीवाई का लक्ष्य गांवों और वहां के लोगों में विभिन्न मूल्यों का समावेश करना है, जैसे लोगों की भागीदारी, अंत्योदय, लिंग समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूलता, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, शांति और सद्भाव, परस्पर सहयोग, आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्व-शासन, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही आदि शामिल हैं ताकि इन गांवों को अन्य गांवों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनाया जा सके।

मुख्य विशेषताएं

एसएजीवाई की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं :

ग्राम विकास योजना: एसएजीवाई के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतें ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं, जिनमें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध गतिविधियां शामिल की जाती हैं, ताकि संसाधनों के समाभिरूपण के जरिए गांव की समग्र प्रगति का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा को शामिल करते हुए विकास की अत्यंत व्यवस्थित नीति अपनाई है और अपने विकास के लिए व्यापक ग्राम विकास योजनाएं तैयार की हैं। ग्राम विकास योजनाओं में सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक ट्रैकिंग टेम्पलेट विकसित किया गया है और प्रगति पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाती है;

पंचायत दर्पण: मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई के कार्यान्वयन के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक 35 सूत्री प्रभाव निगरानी केंद्र का विकास किया है। प्रगति का मूल्यांकन परिणाम संकेतकों के जरिए किया जाता है, जिनमें मोटेतौर पर बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ई-गवर्नेंस जैसे संकेतक शामिल किए जाते हैं। प्रभाव का मूल्यांकन तिमाही (22 संकेतक), छमाही (7 संकेतक) और वार्षिक (6 संकेतक) आधार पर किया जाता है।

'ग्राम स्वराज अभियान' नाम का एक अभियान भी शुरू किया गया था। 'सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास' के अंतर्गत प्रारंभ इस अभियान का लक्ष्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा निर्धनों के कल्याणार्थ उठाए गए कदमों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने एवं निर्धन परिवारों को सूची में शामिल करने के लिए प्रयास करने और विभिन्न कल्याणकारी कदमों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। इस दौरान निर्धनों के लिए चलाई जा रही सात फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों/ परिवारों को शत-प्रतिशत शामिल किया जाएगा।

भूमि सुधार

जल-संभर प्रबंधन कार्यक्रम

भूमि एवं जल दो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। भूमि एवं जल पर जनसंख्या के दबाव एवं इसकी बढ़ती मांग के साथ ही तेजी से घटते इन संसाधनों ने हमारी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की स्थिरता और लचीलेपन को प्रभावित किया है। मानवीय बस्तियों एवं आधारभूत ढांचे के फैलाव कृषि और उससे संबद्ध कार्यों के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में विस्तार और गहनता ने भूमि एवं जल स्रोतों की समन्वित योजना एवं प्रबंधन की महती आवश्यकता को रेखांकित

कर दिया है।

जल-संभर एक स्थलाकृतिक रूप से अंकित क्षेत्र होता है जो निकासी प्रणाली से सूख जाता है। इसमें भौतिक एवं जलीय प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। जल-संभरण प्रबंधन में सर्वोत्तम उत्पादकता के लिए मानवीय बसावटों को कम से कम क्षति पहुंचाते हुए भूमि एवं जलीय संसाधनों का यथोचित उपयोग किया जाता है। जल-संभर प्रबंधन किसी भी जल-संभर में विद्यमान भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के निर्देशन और उन्हें व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। भूमि उपयोग, मृदा एवं जल-संरक्षण तथा ऊपरी और निचले जल क्षेत्रों के परस्पर आंतरिक जुड़ाव की पहचान को भी इस प्रक्रिया में समाहित कर लिया जाता है। स्थायी एवं दीर्घकालिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए जल-संभर का विकास बहु-आयामी क्षेत्र है। जल-संभर विकास कार्यों से पृथ्वी का तापमान बढ़ने (ग्लोबल वार्मिंग) की प्रक्रिया में भी कमी आती है।

जल-संभर विकास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 में तीन मंत्रालयों की निम्नलिखित योजनाओं- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) का त्वरित (बंजर) सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा एमएसकेवाई (डब्ल्यूआर); ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि सुधार विभाग का समेकित जल-संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) के अंतर्गत दीर्घकालीन कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के कृषि जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) के सूक्ष्म सिंचाई घटक को मिलाकर प्रारंभ किया गया था। पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 की अवधि में 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) 39.07 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8214 जल-संभर विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी जो मुख्य रूप से वर्षा जल से सिंचाई पर आधारित कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बनाए जा सकने वाली परती (बंजर) भूमि के विकास हेतु थी। इसके अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों में पहाड़ी क्षेत्र उपचार, निकासी लाइन उपचार, भूमि एवं उसमें उपस्थित नमी का संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, पौधशालाएं निर्मित करने, वनीकरण, बाग़वानी, चरागाह विकास, भूमिहीन विभिन्न व्यक्तियों के लिए आजीविका प्रबंधन शामिल हैं। वर्ष 2015-16 में आईडब्ल्यूएमपी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के जल-संभर विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में समाहित कर लिया गया था। हालांकि 2015-16 के बाद से किसी भी नई जल-संभर परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है। वर्तमान में चल रही जल-संभर विकास परियोजनाओं के गुणात्मक एवं समयबद्ध क्रियान्वयन और पूर्णता पर ही मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय भूमिसुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय भूमिसुधार आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) का नया नामकरण करते हुए इसे डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का नाम दिया गया। इसे 2008 से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड की पंजीकरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि के रिकॉर्ड हस्तलिखित रूप में जारी करना बंद कर दिया है और 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि रिकॉर्ड वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण कर दिया है तथा 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि रिकार्डों को पंजीकरण के साथ एकीकृत कर दिया है। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण की बात करें तो एनआईआरडी और पीआर ने 864 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 22,032 प्रशिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में 400 एनआईआरडी और पीआर नेटवर्किंग कार्यक्रम शामिल थे, जो देश में ग्रामीण विकास के 28 राज्य संस्थानों के सहयोग से चलाए गए थे।

पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य संविधान के भाग-9 के प्रावधानों, अनुच्छेद 243 जेडडी और पीईएसए के अनुसार जिला आयोजना समिति संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकृत और भागीदारीपूर्ण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना है। मंत्रालय का मिशन पंचायती राज संस्थानों का सशक्तीकरण, उन्हें सक्षम

एवं जवाबदेह बनाना है ताकि सामाजिक न्याय और सक्षम सेवा वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करता है। पंचायती राज मंत्रालय ज्ञान के सृजन और उसे साझा करने पर बल देता है ताकि समाधान किए जाने वाले मुद्दे स्पष्ट हों, उनके लिए सार्थक कार्यनीतियां तैयार की जाएं और सरकार के भीतर और गैर-सरकारी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों के बीच भागीदारी हो। मंत्रालय विभिन्न राज्यों में सीखने के लिए तकनीकी सहायता और सुविधाएं भी प्रदान करता है। हाल में किए गए नीतिगत परिवर्तनों और उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय ने अपने अधिदेश में बुनियादी परिवर्तन करते हुए अपने को नए ढंग से तैयार किया है।

वेबसाइट: www.panchayat.gov.in

संवैधानिक लक्ष्य

भारत के संविधान के भाग-9 में त्रि-स्तरीय पंचायतों की स्थापना (20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दो स्तरीय) का प्रावधान है: (i) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत; (ii) जिला स्तर पर जिला पंचायतें और (iii) ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बीच उप-जिला स्तर पर मध्यवर्ती पंचायतें। इसमें ग्राम सभा (ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत मतदाताओं की आम सभा) का भी प्रावधान है, जो ग्रामवासियों के स्थानीय शासन में सीधे भागीदारी के लिए एक मंच है। भारत के संविधान ने इन पंचायतों के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है और इनमें महिलाओं एवं भारतीय समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है, जबकि महिलाओं के लिए 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। परंतु , अनेक राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों और मुखिया के पदों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। भारत के संविधान में पंचायतों के सभी सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव की भी व्यवस्था की गई है। इन चुनावों के संचालन के लिए सभी राज्यों को एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का अधिदेश दिया गया है। राज्यों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे हर पांच वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करें, जो राज्य और स्थानीय सरकारों (शहरी और ग्रामीण दोनों) के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के सिद्धांतों की अनुशंसा करे। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोल और प्रशुल्कों आदि की निवल प्राप्तियों के वितरण के बारे में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देंगे। वे पंचायतों को सौंपे गए या उनके द्वारा अधिगृहित करों, प्रशुल्कों, टोल और फीस तथा राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान का निर्धारण करेंगे और पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उपाय सुझाएंगे।

उपर्युक्त व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर, चूंकि स्थानीय सरकार राज्य का विषय है, अतः मेंअपने-अपने राज्यों पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं के निर्धारण में राज्य विधानमंडलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां तक पंचायतों के अधिकारों के हस्तांतरण का प्रश्न है, राज्य उसकी कुंजी हैं। संविधान में प्रावधान किया गया है कि पंचायतें स्थानीय शासन के संस्थानों के रूप में काम करेंगी और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजना बनाएंगी तथा उन्हें लागू करेंगी, परंतु पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार हस्तांतरित करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया गया।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि यानी 2012-13 से 2015-16 तक राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) चलाया। इस अभियान के दौरान पंचायतों के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं जैसे अधिकारों का अपर्याप्त हस्तांतरण, कार्मिकों का अभाव, बुनियादी ढांचे का अभाव और पंचायतों की कारगर कार्यप्रणाली में सीमित क्षमता का अध्ययन किया गया और उन्हें दूर करने के लिए कार्मिक, ढांचा, प्रशिक्षण और पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने तथा जवाबदेही का ढांचा कायम करने के उपाय किए गए।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित

किया जाएगा ताकि बुनियादी सेवाएं वितरित करने के लिए समाभिरूप कार्रवाई की जा सके और विकास के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जीपीडीपी के पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए सभी संबद्ध पक्षों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने और उनके संवर्धन के व्यापक प्रयास किए जाएंगे।

ई-पंचायत

ई-पंचायत, 2006 में तैयार की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत तय की गई 27 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशें

14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के अनुसार संविधान के भाग-9 के अंतर्गत देश में ठित ग्राम पंचायतों को 2.00.292.20 करोड रुपये का अनदान वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए हस्तांतरित किया गया। इसका अर्थ है, 26 राज्यों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष 488 रुपये की सहायता प्रदान की गई, ताकि नियमित अंतरालों पर इन संस्थानों के लिए संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इससे इन संस्थानों के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होगी और वे सौंपे गए सांविधिक कार्यों के निवर्हन के लिए संसाधनों में वृद्धि कर सकेंगे। 14वें वित्त आयोग ने मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम, मणिपुर के पर्वतीय जिलों, नगालैंड एवं मिज़ोरम के ग्रामीण क्षेत्रों में छठी अनुसूची के अंतर्गत भाग-9 से इतर पंचायती राज संस्थानों के लिए अनुदान की अनुशंसा नहीं की है।

पेयजल और स्वच्छता

पेयजल आपूर्ति विभाग की स्थापना 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, जिसे बाद में 2010 में पेयजल और स्वच्छता विभाग का नाम नाम दिया गया। ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के रूप में एक पृथक मंत्रालय अधिसूचित किया। जून, 2019 में एक अधिसूचना के बाद मंत्रालय का नाम बदलकर पेयजल आपूर्ति विभाग, जलशक्ति मंत्रालय किया गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है, जो भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और देश में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए समग्र नीति, आयोजना, वित्त पोषण और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
वेबसाइट: www.jalshakti_ddws.gov.in

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के पीछे यह धारणा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को शौचालयों, ठोस और तरल कचरे के निपटान की प्रणालियों और ग्राम स्वच्छता सहित स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। यह कार्यक्रम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2019 तक, अर्थात् महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत को वास्तविकता बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस मिशन का लक्ष्य स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना है। यह 2014 में 39 प्रतिशत थी, जिसे अक्टूबर, 2019 तक बढ़ा कर शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य है। कार्ययोजना में पांच वर्षों में भारत को खुले में शौच जाने से पूरी तरह मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में स्वच्छ भारत के हिस्से के रूप में देश के सभी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी गई। यह कार्य एक वर्ष में पूरा कर लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जैसेः (क) जल और स्वच्छता, दोनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, जिसके अनुसार जल और स्वच्छता के लिए धन का इस्तेमाल परस्पर एक-दूसरे के लिए किया जा सके, ताकि राज्यों के पास धन अधिशेष न रहे और दोनों क्षेत्रों में से किसी के लिए भी धन की कमी के कारण लक्ष्य पूरे करने पर प्रभाव न पड़े; (ख) केंद्र द्वारा राज्यों को धन देने के लिए अपनाई गई 'समयबद्ध' आवंटन नीति का अनुपालन करना, ताकि भारत सरकार को धन पर अतिरिक्त लागत वहन न करना पड़े; (ग) नाबार्ड, सिडबी (अथवा बिना किसी प्रतिभूति के बैंकों के जरिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) जैसी एजेंसियों के जरिए ऐसे परिवारों को शौचालयों के निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करने की प्रणाली विकसित करना, जो प्रोत्साहन के पात्र हैं अथवा जो नहाने के

स्थान सहित बेहतर शौचालय बनाना चाहते हैं; (घ) प्रत्येक गांव के लिए एक स्वच्छग्रही (प्रेरक व्यक्ति) की पहचान करना, उसे स्वच्छता कौशल प्रदान करना और कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना और (ङ) परिवार के स्तर पर गहन निगरानी मंत्रालय के आईएमआईएस के जरिए रखी जाएगी, चूंकि पेयजल आपूर्ति मंत्रालय ने बेसलाइन डेटा के जरिए प्रत्येक परिवार की जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली है।

स्वच्छ भारत मिशन *(ग्रामीण)*

ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उपाय सर्वप्रथम 1954 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू किए गए थे। सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के रूप में एक सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और गरिमा प्रदान करना था। 1999 से 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' के अंतर्गत 'मांग संचालित' दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों पर बल दिया गया, ताकि स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग का सृजन हो सके। 'निर्मल भारत अभियान' (एनबीए), जो पूर्ण स्वच्छता अभियान का उत्तराधिकारी कार्यक्रम था, 2012 में प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य एमएनआरईजीएस के साथ समाभिरूपता के जरिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करके निर्मल गांवों का विकास करना था। इन सभी कार्यक्रमों की अपनी-अपनी उपलब्धियां रहीं, फिर भी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा रह गया, जिसकी पहुंच शौचालयों तक नहीं थी। इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण आकार प्रदान करने और स्वच्छता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शुरू किया गया। नई कार्यनीति में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य सरकारों (चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है) को छूट प्रदान की जाए कि वे राज्य विषयक जरूरतों को ध्यान में रख कर अपनी कार्यान्वयन नीति और व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय कर सकें।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं: (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वस्थता को प्रोत्साहित करना और खुले में शौच जाने की कुप्रवृत्ति को समाप्त करना; (ख) दो अक्टूबर, 2019 तक स्वस्थ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना; (ग) पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती और समुचित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

मंत्रालय स्वच्छता क्षेत्र में मात्रात्मक सुधार लाने के लिए शौचालयों के निर्माण के जरिए गांवों को खुले में शौच जाने से मुक्त करने पर जोर दे रहा है। खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के बुनियादी साधन के रूप में मुख्य रूप से व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए संकेंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिलाओं की दृष्टि से संवेदनात्मक जानकारी, व्यवहार परिवर्तन के बारे में दिशानिर्देश और लोगों को शिक्षित बनाने की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित कि जाता है। मंत्रालय ने लिंग संबंधी दिशा निर्देश 2017 में जारी किए। इससे पहले, 2015 में मासिक धर्म संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल, 2016 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य एक पखवाड़े के दौरान सरकारी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए उनके अधिकार क्षेत्र में सफाई संबंधी मुद्दों और स्वच्छता की पद्धतियों पर गहन ध्यान केंद्रित करना है। स्वच्छता पखवाड़ों के आयोजन के लिए योजना बनाने में मंत्रालयों की सहायता के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम मंत्रालयों में पहले से ही वितरित कर दिया जाता है।

नमामि गंगे

नमामि गंगे कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। इस कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच जाने से मुक्त करने और ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन के उपाय लागू करने पर बल दिया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में करीब 52 जिलों में कुल 4,470 गांवों को राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता से खुले में शौच जाने से मुक्त कराया गया है। मंत्रालय ने अब गंगा नदी के किनारे बसे 24 गांवों को चुना है, जिन्हें नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ समन्वित करते हुए गंगा ग्राम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

गंगा ग्राम, स्वच्छ भारत मिशन तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के बीच एक अन्य अंतर-मंत्रालयी परियोजना है। जल शक्ति मंत्रालय, जो गंगा किनारे बसे गांवों में स्वच्छता बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है, गंगा ग्राम परियोजना का समन्वयन भी कर रहा है। यह परियोजना अन्य विभागों के साथ तालमेल के जरिए बेहतर साफ-सफाई तथा ढांचागत सुविधाओं पर बल देती है। गंगा ग्राम परियोजना का आरंभ 2017 में सरपंचों के एक बड़े सम्मेलन में हुआ, जहां सभी 4.475 गंगा ग्रामों को खुले में शौच जाने से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया। बाद में राज्य सरकारों ने 24 गंगा ग्रामों की पहचान की ताकि उन्हें आदर्श गंगा ग्राम बनाने की पायलट परियोजना में लिया जा सके। खुले में शौच जाने से मुक्त बनाना, तालाबों और जल-स्रोतों का नवीकरण, स्प्रिंकल इरिगेशन को प्रोत्साहन, पर्यटन को बढ़ाबा, आधुनिक श्मशान बुनियादी ढांचा, केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का सम्मिलन, बेकार पानी का समुचित निवारण, ठोस कचरे का समुचित निपटारा, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों को उगाना इत्यादि इस पायलट परियोजना का हिस्सा हैं। ग्रामीणों के बीच खुले में शौच तथा बेकार पानी के अनुचित निस्तारण से नदियों और गांवों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों की जानकारी देने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाए गए।

ग्राम पंचायतों को गंगा ग्राम गतिविधियों के स्वामित्व तथा रख-रखाव में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बनाया गया है। जन भागीदारी गंगा ग्राम परियोजना का बड़ा आधार है। इसके अतिरिक्त, गंगा ग्राम पहल को जनआंदोलन बनाने के लिए केन्द्रित प्रयास स्वरूप जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय) ने 2018 में गंगा चौपाल का आयोजन किया, इसी क्रम में गंगा स्वच्छता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

स्वच्छता कार्ययोजना

स्वच्छता कार्ययोजना (एसएपी) अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें स्वच्छता के लिए अंतर मंत्रालयी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। यह कार्यक्रम स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनाने की दिशा में एक ठोस उपाय है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने इस लक्ष्य को महत्वपूर्ण ढंग से हासिल करने की दिशा में समुचित बजट प्रावधानों के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

प्रतिष्ठित स्वच्छ

स्थल मंत्रालय ने देशभर में 100 स्थानों को स्वच्छ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बहु-हितधारक कार्यक्रम शुरू किया है। ये स्थान धरोहर, धार्मिक और आमजन या सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से 'प्रतिष्ठित' स्थल हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन प्रतिष्ठित स्थलों की स्वच्छता स्थितियों में सुधार लाना है ताकि उन्हें स्वच्छता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया जा सके। यह कार्यक्रम शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के स भागीदारी के जरिए चलाया जा रहा है, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (वर्तमान जल शक्ति मंत्रालय) एक नोडल मंत्रालय है। प्रथम दो चरणों के दौरान 20 प्रतिष्ठित स्थलों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। इन सभी 20 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निर्दिष्ट किए गए।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को समुचित मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्ल्यूपी भारत निर्माण का एक घटक है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति क्षेत्र में महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान करने और पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिली है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में ऐसे विषयों में भी रखा गया है, जो राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। इस प्रकार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

जलापूर्ति क्षेत्र में भारत सरकार ने बड़ा कार्यक्रम 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के रूप में शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 'समस्याग्रस्त गांवों' में जलापूर्ति की कवरेज में तेजी

लाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता दी जाती थी। जल की गुणवत्ता, समुचित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, मानव संसाधन विकास सहायता और अन्य संबंधित गतिविधियों पर बल देने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया, जिसे बाद में 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) का नया नाम दिया गया। 1999-2000 के दौरान पेयजल कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने के लिए क्षेत्र सुधार परियोजनाएं शुरू की गईं, जिन्हें 2002 में स्व-जलधारा कार्यक्रम के रूप में संगठित कर दिया गया। 2009 में इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का नाम दिया गया।

25 | वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सरकारी विभागों से जोड़ने वाली नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। यह विभाग विभिन्न संस्थाओं एवं क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के बीच प्रतिस्पर्धा के जरिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने में बाहर से सबसे अधिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग प्रदान करता है। रणनीतिक महत्व वाले इस काम से हमारे देश के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यों का परिणाम बेहतर होता है तथा देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बदलने में भी मदद मिलती है।

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग

देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता तथा सामर्थ्य बढ़ाने के प्रयास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई योजनाएं चलाईं ताकि भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय को वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके। विभाग ने जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनमें से कुछ हैं: विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी जानकारों की संख्या बढ़ाना, वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की वैश्विक रैंकिंग बेहतर करने के लिए आरएंडडी संस्थानों को प्रोत्साहन देना तथा ढांचागत सुविधाएं तैयार करना, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय साझेदारी की प्रणाली लागू करने में सहयोग करना, राष्ट्रीय अभियानों के जरिए प्रौद्योगिकी लागू करना, राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान हेतु प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करने के लिए संस्थाओं और उद्योग की क्षमता विकसित करना, समाज के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराना और इस क्षेत्र के लिए नीति बनाना।
वेबसाइट: www.dst.gov.in

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति

वर्ष 2013 में लाई गई नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया गया है। एसटीआई नीति का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होड़ करने की क्षमता हासिल करने और विज्ञान को देश के विकास के एजेंडा से जोड़ना है। नीति का मुख्य लक्ष्य है साइंस, रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया (सृष्टि)। विज्ञान, अनुसंधान तथा नवाचार प्रणालियों का एकीकरण करने और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में पांच या छह शीर्ष शक्तियों में पहुंचाने की इच्छा नई एसटीआई नीति में स्पष्ट रूप से जताई गई है। इस सपने को साकार करने के लिए विभाग ने पहले ही एक समर्पित नीति अनुसंधान प्रकोष्ठ गठित कर दिया है। देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में लागू करने के लिए नए कार्यक्रम एवं कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षिक संस्थानों में पांच नीति अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनसंधान तथा विकास में बहत मदद मिली है। बोर्ड के बहुआयामी कार्यक्रमों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न हितधारकों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। वैज्ञानिकों के सेवाकाल के विभिन्न चरणों में प्रतिभा पलायन रोकने के लिए बोर्ड ने कई नए कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे अनुसंधान जल्द आरंभ करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना

करने में युवा अध्यापकों की सहायता हेतु अब करियर रिसर्च अवार्ड्स (ईसीआरए)। ईसीआरए के अंतर्गत प्रतिवर्ष 300 अभ्यर्थियों की सहायता की जाएगी।

टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस (टीएआरई) मोबिलिटी स्कीम: 2016-17 में आरंभ हुई इस योजना का लक्ष्य राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में नियमित रूप से काम कर रहे शिक्षकों को आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएसईआर, राष्ट्रीय प्रयोगशाला जैसी शैक्षिक संस्थाओं में भेजना है। इन शिक्षकों को अपने कार्यस्थल के नजदीकी शहर में स्थित संस्थाओं में ही भेजा जाएगा। इससे बेकार पड़ी वैज्ञानिक श्रमशक्ति को मामूली निवेश से ही हमारी अनुसंधान की धारा में शामिल कर लिया जाएगा और दो स्तरों वाली संस्थाओं में अनुसंधान एवं शिक्षण की संभावना बेहतर होगी। तीन वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप, पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष आकस्मिकता अनुदान का प्रावधान किया गया है।

युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना

विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इनोवेशन इन साइंस पर्स्ट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर) कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले तीन वर्ष में 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 3.67 लाख विद्यार्थियों को 'इंस्पायर' अवार्ड दिए गए हैं। कक्षा 11 में विज्ञान पढ़ रहे छात्रों को भारत तथा विदेश के नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत प्रमुख वैज्ञानिक हस्तियों से मिलने का मौका देने के लिए विज्ञान शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि वे भी आविष्कार करने का आनंद उठा सकें। पिछले तीन वर्षों में लगभग 40,000 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी गई है। 27 से 32 वर्ष आयु वर्ग में पोस्ट-डॉक्टोरल शोध करने वालों को बुनियादी एवं व्यावहारिक विज्ञान में पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर पद देकर इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्रदान किया जाता है। पिछले चार वर्षों में 700 से अधिक अभ्यर्थियों को फैकल्टी अवार्ड दिए गए हैं।

महिला वैज्ञानिकों के लिए अवसर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी प्रमुख योजना किरण (नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग) के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए। इस अनूठी पहल के जरिए विभाग उन महिला वैज्ञानिकों को भौतिक एवं गणितीय विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान पूरा करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्हें मुख्य तौर पर पारिवारिक कारणों से अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ा था।

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अनुसंधान के इस उभरते क्षेत्र में आरएंडडी को सभी प्रकार से बढ़ावा देने के लिए 2007 में राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अभियान आरंभ किया गया। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं- बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान के बुनियादी ढांचे का विकास, नैनो एप्लिकेशन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, मानव संसाधन विकास, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन तथा राष्ट्रीय विमर्श आरंभ करना।

जलवायु परिवर्तन

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए राष्ट्रीय सतत हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन (एनएमएसएचई) तथा जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के राष्ट्रीय मिशन (एमएमएसकेसीसी) का क्रियान्वयन यही विभाग कर रहा है। इन राष्ट्रीय मिशनों के अंतर्गत छह प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। हिमालय के विषय में जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों और समुदायों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हिमालयाज क्लाइमेट चेंज पोर्टल (http://knowledgeportal-nmshe.in/) आरंभ किया गया।

राष्ट्रीय विकासशील एवं नवाचार दोहन संस्थान *(निधि)*

नवाचार के माहौल को बिना किसी व्यवधान के बढ़ावा देने के इरादे से नेशनल इनीशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (निधि) योजना आरंभ की गई है। नवाचार को बाजार की मूल्य शृंखला से जोड़ने वाली प्रमुख

कड़ियों को देश भर में विभिन्न बिंदुओं (प्रत्येक बिंदु में तीन पड़ोसी जिलों का क्लस्टर होगा) पर सहायता प्रदान की जाएगी और मजबूत किया जाएगा ताकि नवाचार, उद्यमशीलता एवं विकास में सहयोग के जरिए राष्ट्र निर्माण का अभियान पूरा हो सके। निधि के विशिष्ट घटक हैं- नवाचार को तलाशने के लिए प्रतियोगिताएं: प्रमोशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ यंग एंड एस्पाइरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स (प्रयास) - विचार से लेकर प्रोटोटाइप तक सहायता; आंत्रप्रेन्योर इन रेजिडेंस (ईआईआर) - जोखिम कम करने के लिए सहायता प्रणाली, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं में नवाचार एवं उद्यमशीलता विकास केंद्रों (आईईडीसी) के जरिए स्टार्टअप-निधि; मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से स्टार्ट-अप केंद्र - राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में उद्यमशीलता की भावना भरना; टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) - नए विचारों को स्टार्टअप में बदलना; एक्सीलरेटर - लक्षित हस्तक्षेप के जरिए स्टार्टअप को गति देना; सीड सपोर्ट सिस्टम (एसएसएस) - आरंभ में ही निवेश उपलब्ध कराना; उत्कृष्टता केंद्र - स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर जाने अथवा आकार बढ़ाने में सहायता करने के लिए विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान।

भारतीय सर्वेक्षण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी और यह देश का सर्वेक्षण करने तथा मानचित्र तैयार करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्र की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी के रूप में इसे जो भूमिका दी गई है, उसके अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि देश के भू-भाग का सर्वेक्षण कर उसके सटीक मानचित्र बनाए जाएं ताकि तीव्र एवं एकीकृत विकास के लिए आधार मानचित्र तैयार हो सकें। साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि देश की प्रगति, समृद्धि एवं सुरक्षा में सभी संसाधनों का भरपूर योगदान रहे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी 1:250K, 1:50K तथा 1:25K पैमानों पर स्थलीय भाग के मानचित्र तैयार करना है। 1:250K तथा 1:50K पैमानों पर पूरे देश के स्थलीय भाग के मानचित्र तैयार हो चुके हैं तथा मानचित्रों को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है ताकि भू-भाग की नवीनतम जानकारी उनमें शामिल की जा सके। केंद्र/राज्य सरकारों एवं अन्य प्रयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप 1:25K पैमाने पर सर्वेक्षण आरंभ किया गया। इसे भू-गणितीय एवं भू-भौतिकी क्षेत्र में, भूकंपनीयता एवं भूकंप विज्ञान, ग्लेशियरों के अध्ययन में, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों तथा डिजिटल मानचित्रण एवं डिजिटल फोटोग्रामेट्री से संबंधित परियोजनाओं में हिस्सेदारी के लिए अपनी महारत का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ तालमेल वाली प्राथमिक जानकारी उपलब्ध हो सके।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न पैमानों पर स्थानिक मानचित्रों के डिजिटल मानचित्रण डाटाबेस का जिम्मा भी अपने हाथों में लिया है। इस डिजिटल जानकारी का उपयोग विभिन्न एजेंसियां योजना बनाने एवं जीआईएस एप्लिकेशनों के लिए कर रही हैं। इसने जलविद्युत, सिंचाई, कमान क्षेत्र, नहर क्षेत्र, छावनी क्षेत्र योजनाओं समेत विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं का व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण भी किया है। भारत की बाहरी सीमा तय करना, देश में प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में उन्हें दिखाना तथा राज्यों के बीच सीमाओं के सीमांकन पर सलाह देना भी विभाग की ही जिम्मेदारी है। द्विपक्षीय संधियों के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्रण, सर्वेक्षण संबंधी शिक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सर्वेक्षण संबंधी अन्य कई प्रौद्योगिकियों के मामले में नाइजीरिया, अफगानिस्तान, केन्या, इराक, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, भूटान, मॉरीशस आदि देशों को भी सहायता प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के कारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थान संबंधी आंकड़ों का बुनियादी ढांचा तैयार करने की क्षमता हासिल करने में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों की भी मदद करता है।

यूएनडीपी की सहायता के अंतर्गत स्थापित किया गया सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद एक उत्कृष्ट संस्थान है, जो विभाग, राज्य/केंद्र सरकारों के अन्य संगठनों तथा पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षुओं को सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

मई, 2005 में घोषित राष्ट्रीय मानचित्र नीति को ध्यान में रखते हुए उन ओपन सीरीज मानचित्रों का प्रकाशन उपयोगकर्ताओं के लिए किया जा रहा है, जो यूटीएम प्रोजेक्शन पर आधारित हैं और सर्वेक्षण तथा मानचित्रण की सभी गतिविधियों में इस्तेमाल हुई जीपीएस प्रणाली के अनुकूल डब्ल्यूजीएस-84 आंकड़े पर आधारित हैं। लैंबर्ट कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन तथा डब्ल्यूजीएस-84 आंकड़े पर आधारित रक्षा शृंखला के मानचित्र रक्षा बलों के लिए

प्रकाशित किए जा रहे हैं और उन्हें गोपनीय करार दिया गया है। भारत तथा अन्य देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर समुद्री स्तर के आंकड़े देखकर हिंद महासागर में ज्वार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में भारतीय सर्वेक्षण विभाग सबसे आगे है। जलवायु विज्ञान संबंधी नमूने तैयार करने, समुद्र के जलस्तर में परिवर्तन का विश्लेषण करने, सुनामी का पूर्वानुमान लगाने जैसे वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्रों के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री यात्रा के लिए भी ये महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा भू-स्थानिक जानकारी तैयार की जा रही है। उनका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ लाना होता है। जानकारी का एकीकरण करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने देश भर में मानक भू-नियंत्रण बिंदुओं का नेटवर्क स्थापित किया है और जिऑयड के लंबवत विवरण को नए सिरे से परिभाषित करने का भारी-भरकम काम अपने हाथ में ले लिया है। इससे भू-स्थानिक जानकारी प्राप्त करने में जुटे उद्योगों तथा अन्य एजेंसियों के साथ-साथ राज्य भू-कर विभाग को राष्ट्रीय संदर्भ प्रणाली में अपना काम करने में सुविधा होगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग मानचित्रण के क्षेत्र में देश की आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के मुताबिक विशेष विषयों पर मानचित्र उपलब्ध कराने का काम विभाग के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (नैटमो) करता है। वह समुचित सामाजिक-आर्थिक जानकारी के साथ संसाधन मानचित्रों को एक साथ लाता है तथा उन्हें स्थान के रूप में प्रदर्शित करता है, जो विकास की योजनाएं बनाने के लिए उपयोगी हैं। नैटमो अपने मानचित्रों के लिए प्रायोगिक आधार पर रिवर्स प्रिंटिंग की तकनीक भी विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह मानचित्र छापने के लिए धातु रंगों के प्रयोग की तकनीक अपनाने का प्रयास भी कर रहा है।
वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 1942 में स्थापित की गई स्वायत्तशासी संस्था है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अत्याधुनिक आरएंडडी जानकारी के लिए विख्यात है। पूरे देश में पैठ रखने वाले सीएसआईआर के पास 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, तीन नवाचार परिसरों तथा पांच इकाइयों का गतिशील नेटवर्क है। आरएंडडी में उसकी विशेषज्ञता तथा अनुभव का कारण 4,000 सक्रिय वैज्ञानिक हैं, जिन्हें करीब 7,000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मियों की मदद मिलती है। रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, औषधि, जीनोम अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी, यंत्रीकरण, पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तमाम विषय इसके दायरे में आते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य, आवास, ऊर्जा, चमड़ा, कृषि एवं गैर कृषि जैसे सामाजिक प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में यह महत्वपर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। परे देश के लिए द्रव्यमान दूरी, समय, तापमान, प्रवाह आदि को नापने के मानकों का ध्यान भी सीएसआईआर ही रखता है। इसने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) बनाया है और वही उसका संरक्षक है। यह पुस्तकालय भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनैतिक व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ शक्तिशाली हथियार है। यह माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन (एमटीसीसी) और जीन बैंक का संचालन करता है। भारत के बौद्धिक संपदा आंदोलन का अगुआ सीएसआईआर आज अपने पेटेंट के जखीरे को समृद्ध कर रहा है ताकि चुनिंदा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश को वैश्विक प्रतिष्ठा मिल सके।
वेबसाइट: www.csir.res.in

परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की स्थापना 1954 में हुई थी और यह परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्रों तथा मूलभूत अनुसंधान में विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग में लगा है। उनमें से कुछ हैं: (अ) स्वदेशी तथा अन्य आजमाई हुई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और उससे जुड़े ईंधन चक्र की सुविधाओं वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एवं थोरियम रिएक्टर विकसित करना; (आ) रेडियोआइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों का निर्माण एवं संचालन करना तथा चिकित्सा, कृषि एवं

उद्योग के क्षेत्रों में विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना; (इ) एक्सीलरेटर, लेजर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास करना तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना; (ई) परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित अग्रणी वैज्ञानिक क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान में सहायता करना, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं से संपर्क करना, डीएई के कार्यक्रमों पर प्रभाव डालने वाली आरएंडडी परियोजनाओं में मदद करना तथा अनुसंधान के संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग; तथा (उ) राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करना। संगठनों के एकीकृत समूह के रूप में कार्य करने वाला विभाग पांच अनुसंधान केंद्रों, तीन औद्योगिक संगठनों, पांच सार्वजनिक उपक्रमों और तीन सेवा संगठनों से मिलकर बना है। परमाणु एवं संबंधित क्षेत्रों और गणित में बाहरी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसमें दो बोर्ड हैं। यह बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में अनुसंधान में जुटे अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त सात संस्थानों की मदद करता है और एक सोसायटी की सहायता भी करता है, जो डीएई के कर्मचारियों की संतानों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती है।

डीएई के पास यूरेनियम खनन तथा खनिज प्रसंस्करण की व्यापक क्षमताएं हैं और भारी जल के उत्पादन तथा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए जर्कोनियम मिश्र धातु के घटकों तथा अन्य सामग्री तथा आपूर्ति की उसकी अपनी व्यवस्था है। हैदराबाद में यह न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स; प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों, बॉयलिंग वाटर रिएक्टरों तथा फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए फ्यूल असेंबली तैयार करता है।
वेबसाइट: www.dae.nic.in

भारी पानी बोर्ड

भारी पानी बोर्ड ने सभी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए किफायत के साथ भारी जल का उत्पादन कर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले चरण में सफल योगदान किया है, जिससे विभाग को सस्ती परमाणु ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिली। बोर्ड देश में भारी जल की मांग स्वयं ही पूरी करने में सक्षम है और डीएई ने परमाणु ऊर्जा के जिस कार्यक्रम की परिकल्पना की है, उसके अनुरूप भविष्य में बनने वाले प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों तथा एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टरों के लिए भारी जल उपलब्ध कराने के लिए भी वह तैयार है। पिछले कुछ समय में भारी जल बोर्ड इस रणनीतिक सामग्री का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए इन कोर तथा आउट ऑफ कोर सामग्री हेतु तकनीकियों के विकास, प्रदर्शन तथा इस्तेमाल के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने में भारी जल बोर्ड आगे रहा है। इस सामग्री की जरूरत परमाणु ईंधन चक्र के फ्रंट एंड तथा बैक एंड दोनों में ही पड़ती है और यह मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों के लिए होती है- परमाणु ईंधन चक्र की फ्रंट एंड तथा बैक एंड हाइड्रोमेटालर्जी से संबंधित गतिविधियों के लिए विलायक (सॉल्वेंट) के रूप में विभिन्न दुर्लभ धातुओं को प्राप्त करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए तथा फा ब्रीडर रिएक्टरों के लिए ^{10}B एवं सामाजिक प्रयोग के लिए ^{18}O जैसे स्थिर आइसोटोप का निर्माण करने में।

सॉल्वेंट प्रौद्योगिकी

सॉल्वेंट के क्षेत्र में टीबीपी (ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट) और डी2एचपीए के निर्माण के लिए एचडब्ल्यूपी, वडोदरा तथा तलचर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे भारी पानी बोर्ड को एनएफसी, एनआरबी तथा डीएई की अन्य सभी इकाइयों की सभी जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है।

बोरॉन संवर्द्धन

भारी पानी बोर्ड के पास आइसोटोप को अलग करने की प्रक्रिया में दशकों का अनुभव है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में जिस सामग्री की आवश्यकता है, उसे देखते हुए बोर्ड ने संवर्द्धित बोरॉन के निर्माण के लिए देसी तकनीकी का विकास, प्रदर्शन और उपयोग किया। इस क्षेत्र में बोर्ड अब पूरी तरह सक्षम है और विभिन्न रासायनिक रूपों में वह 95 प्रतिशत से अधिक संवर्द्धन कर सकता है।

सोडियम

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए सोडियम एक अन्य महत्वपूर्ण सामग्री है, जो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए कूलैंट के रूप में काम करती है। भारतीय आरएंडडी संगठनों के साथ नेटवर्क तैयार कर भारी जल बोर्ड ने परमाणु ग्रेड वाले

सोडियम के उत्पादन के लिए स्वदेशी और अधिक सुरक्षित क्लोज्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल प्रौद्योगिकी विकसित की है। लगातार बढ़ते आकार वाले सेल का परीक्षण किया जाता है और अंत में औद्योगिक स्तर पर उत्पादन का संयंत्र स्थापित करने की इच्छा है।

खनिज अन्वेषण एवं खनन

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) का जोर यूरेनियम, थोरियम तथा दुर्लभ धातुओं के संवर्द्धन पर है। इसके लिए उसने एकीकृत, बहुपक्षीय पद्धति एवं कर्मचारियों के समझदारी भरे उपयोग द्वारा अन्वेषण की गतिविधियां जारी रखीं। परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा झारखंड में 15,775 टन से भी अधिक यूरेनियम ऑक्साइड (U3O8) का अतिरिक्त भंडार तैयार हो गया।

विद्युत क्षेत्र को आरएंडडी सहायता

परमाणु बिजली कार्यक्रम को अनुसंधान एवं विकास सहयोग डीएई के अनुसंधान केंद्रों से मिलता है। हाइड्रोजन दहन के दौरान विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायोगिक आंकड़ों का उपयोग कर दहन, ज्वाला में तीव्रता तथा विस्फोट के संख्यात्मक नमूने विकसित किए गए एवं उन्हें प्रमाणित किया गया। सीमित तत्व विश्लेषण तथा सीमिति लोड अनुमानों द्वारा एचडब्ल्यूपी, कोटा के दूसरे चरण वाले हॉट टावर की काम करने की क्षमता तथा बची हुई जीवन अवधि का आकलन किया गया।

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं वातावरण

परिचालन केंद्रों की सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की गई। इसने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के परिचालन के कारण सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले विकिरण का उत्सर्जन कम से कम रखा। सीआईएल के सभी चालू संयंत्रों में आईएसओ-14001:2004 प्रमाणन वाली पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा आईएसओ-18001:2007 प्रमाणन वाली पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) रखी जाती है और लगातार सुधार के लिए ऑडिट (आंतरिक, बाह्य तथा प्रबंधन) किए गए।

ट्रॉम्बे में पीआरटीआरएफ में ऑनलाइन थोरॉन निगरानी नेटवर्क लगाया गया ताकि संयंत्र में विभिन्न स्थानों पर थोरॉन गैस के घनत्व पर नजर रखी जा सके। मुंबई तथा तारापुर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) के विभिन्न संयंत्रों में संपूर्ण शरीर/फेफड़ों एवं जैव अपशिष्टों (मल-मूत्र) के नमूनों के विश्लेषण द्वारा पेशेवर कर्मचारियों का आंतरिक जोखिम आकलन किया गया। भारी पानी बोर्ड के सभी संयंत्र आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं ओएसएचए द्वारा प्रमाणित हैं। भारी जल के संयंत्रों के सकलों सुरक्षा मानक देश उन्हीं के समान रासायनिक उद्योगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

परमाणु ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) सोडियम से ठंडे होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तथा उनसे जुड़ी ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियां तैयार कर रहा है। ब्रीडर रिएक्टर जितने ईंधन की खपत करते हैं, उससे ज्यादा ईंधन का उत्पादन करते हैं। आईजीसीएआर के फास्ट रिएक्टर कार्यक्रम को रिएक्टर अभियांत्रिकी, धातु कर्म, सामग्री विज्ञान, यंत्रीकरण, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उसके अनुसंधान तथा विकास प्रयासों से बल मिलता है। कलपक्कम पर 25 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ने भी फास्ट रिएक्टरों से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता की है।

थोरियम आधारित रिएक्टर

विश्व की ऊर्जा संबंधी मांग के बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए क्लोज्ड फ्यूल साइकल वाली परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र टिकाऊ विकल्प है। दुनिया में यूरेनियम से अधिक थोरियम भंडार हैं। इसीलिए थोरियम को 'भविष्य का ईंधन' माना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण का उद्देश्य वाणिज्यिक स्तर पर बिजली उत्पादन के लिए थोरियम को बतौर ईंधन प्रयोग करना है। थोरियम के ईंधन चक्र में थोरियम-232 को विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-233 में बदल दिया जाता है, जो परमाणु ईंधन है।

कलपक्कम मिनी (कामिनी) रिएक्टर

अंतरिक्ष विभाग के लिए विभिन्न पाइरो उपकरणों की न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी हेतु कामिनी रिएक्टर का सफल परिचालन किया गया। पीएफबीआर के न्यूट्रॉन प्रवाह को नापने के लिए आवश्यक उच्च तापमान वाले विखंडन चैंबरों का सफल परीक्षण किया गया।

अनुसंधान रिएक्टर

ध्रुव ने उच्च सुरक्षा स्तर तथा उपलब्धता कारक पर 100 मेगावाट थर्मल की ऊर्जा पर परिचालन किया। देश भर के कई अनुसंधानकर्ताओं ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यूजीसी-डीएई गठबंधन की न्यूट्रॉन बीम सुविधा का प्रयोग किया।

उन्नत प्रौद्योगिकियां

डीएई के अनुसंधान केंद्र एक्सीलरेटर, लेजर, उन्नत सामग्री, रोबोटिक्स, सुपरकंप्यूटर, यंत्रीकरण एवं अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे रहते हैं। बार्क, आरआरकैट, वीईसीसी और ब्रिट विकिरण प्रौद्योगिकियों के विकास में लगे हैं। साथ ही वे फसल की बेहतर किस्मों, फसल सुरक्षा की तकनीकों, कटाई के बाद के लिए विकिरण आधारित तकनीकों, कैंसर जैसे रोगों के रेडियो-निदान तथा रेडियोधर्मी उपचार के लिए तकनीकों, सुरक्षित पेयजल, बेहतर पर्यावरण तथा औद्योगिक वृद्धि हेतु तकनीकों में उनके उपयोग तलाशने में भी जुटे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यंत्रीकरण

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-प्रशासन क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिजाइनिंग, विकास, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना एवं आरंभ में लगी रही।

रोबोटिक्स

न्यूरोसर्जरी करने के लिए बार्क में रोबोट पर आधारित फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्टिक प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें फ्रेम आधारित प्रणाली के बराबर सटीकता है और मरीजों के लिए आराम का स्तर भी उतना ही है। बेहद सटीक क्षमता वाले (पैरेलल मैकेनिज्म पर आधारित) रोबोट का प्रयोग कर यह फ्रेमरहित स्टीरियोटैक्सी को स्वचालित बना देता है।

क्रायोजेनिक्स

वीईसीसी में सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और हेवी आयन लाइनैक्स के लिए तरल हीलियम एवं तरल नाइट्रोजन हेतु क्रायोजेन वितरण लाइन, हीलियम के लिए वातावरण के नीचे निर्वात की परत वाली लाइन, हीलियम बफर टैंकों एवं कंप्रेसरों के बीच गर्म हीलियम की लाइन वाली क्रायोजेनिक प्रणाली तथा 500 वाट का हीलियम लिक्विफायर लगाए जा रहे हैं।

रेडियोआइसोटोप्स एवं विकिरण प्रौद्योगिकी

स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान में विभिन्न रेडियोआइसोटोप के विकास तथा प्रयोगों में परमाणु ऊर्जा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। डीएई के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारत आइसोटोप प्रौद्योगिकी के अग्रणी देशों में शामिल है।

रेडियोआइसोटोप ट्रॉम्बे के ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में, एक्सीलरेटर कोलकाता तथा एनपीसीआईएल के विभिन्न परमाणु बिजली संयंत्रों में बनाए जाते हैं। चिकित्सा, औद्योगिक एवं अनुसंधान प्रयोग के लिए बार्क द्वारा विभिन्न प्रकार के आइसोटोप तैयार किए गए एवं उपलब्ध कराए गए। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) ने चिकित्सा एवं औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप उत्पाद एवं विकिरण प्रौद्योगिकी उपकरणों का निर्माण किया तथा आपूर्ति की।

होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) के दस वर्ष पूरे हो गए। एचबीएनआई ने अपने आठ शिक्षा बोर्डों में विभिन्न पाठ्यक्रमों - रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामरिक अध्ययन तथा स्नातक अध्ययन - के जरिए अपने शैक्षिक कार्यक्रम जारी रखे।

प्रशिक्षण

बार्क में ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स तथा डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम्स के तहत उच्च मानकों के साथ प्रशिक्षुओं का चयन किया गया। आईजीसीएआर में प्रशिक्षु वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शामिल किए गए शोधार्थियों अभियांत्रिकी एवं मूलभूत विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में डॉक्टोरल कार्यक्रम जारी रखे गए।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

देश में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ आरंभ हुईं। उसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के निकट थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर भी कार्य आरंभ हो गया। अगस्त, 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना की गई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई तथा अंतरिक्ष विभाग स्थापित हुआ और 1972 में ही इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। अंतरिक्ष आयोग देश के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां बनाता है तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर नजर रखता है। अंतरिक्ष विभाग इन कार्यक्रमों को मुख्यतया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल), पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनई-एसएसी) तथा सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला के जरिए क्रियान्वित करता है। 1992 में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में गठित एंटिक्स कॉर्पोरेशन अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों तथा सेवाओं की मार्केटिंग करती है।

चंद्रयान-*2* मिशन

भारतीय भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान, जीएसएलवी एमके III-एम 1, ने चंद्रयान-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण स्थल से इसकी नियोजित कक्षा में भूसमीपक (पृथ्वी के सबसे नजदीक बिंदु) और (पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु) 45,475 कलोमीटयाके चर्मोत्कर्ष पर कि गया। यह एक अत्यंत जटिल अभियान था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो के पिछले अभियानों की तुलना में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से यह बहत अग्रणी अभियान था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जहां अब तक कोई अन्वेषण नहीं किया गया है वहां खोज के लिए इस यान में एक ओरबिटर, एक लैडर और एक रोवर भी था। इस अभियान का उद्देश्य इसकी भौगोलिक स्थिति, भूकंप सूचना, खनिज पहचान तथा वितरण, भूतल रसायन संयोजन, मिट्टी की सतह की थर्मो फिजिकल विशेषताओं और सूक्ष्म चंद्र वातावरण के संयोजन के जरिए चंद्रमा की वैज्ञानिक जानकारी के विस्तार के लिए विस्तृत अध्ययन करना है ताकि चंद्रमा के मूल और विकास के बारे में नई जानकारी हासिल की जा सके।

अन्य गतिविधियां

छह प्रक्षेपण यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए। देश के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान की दूसरी विकासात्मक उड़ान जीएसएलवी एमके III डी2, वर्ष 2018 की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी एफ II और चार पीएसएलवी का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो, ने इस वर्ष के दौरान भारत के पांच उपग्रह इनकी कक्षाओं में स्थापित किए। इनमें एक भू-पर्यवेक्षण उपग्रह, तीन संचार उपग्रह और एक दिशा सूचक उपग्रह है। जुलाई, 2018 में किया गया पैड अबोर्ट टेस्ट, गगनयान के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एक बड़ा मील का पत्थर था। इसरो ने कुल मिलाकर 13 अभियान पूरे किए। इनमें छह प्रक्षेपण यान मिशन, छह उपग्रह मिशन और एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक पैड अबोर्ट टेस्ट था।

वेबसाइट: www.isro.org

अंतरिक्ष अनुप्रयोग

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता उसके उपयोग केंद्रित प्रयास और देश को उनसे मिलने वाले लाभ हैं। दूर-शिक्षा (टेली-एजूकेशन) तथा दूर-चिकित्सा (टेली-मेडिसिन) के साथ संचार के विभिन्न क्षेत्रों में इनसैट/जीसैट उपग्रहों द्वारा की जा रही समाज सेवा जारी है। देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के सुस्थापित बहुआयामी क्रियान्वयन ढांचे के जरिए देश में राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर चलाई जा रही दूर-संवेदी अनुप्रयोग परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह समूह ने कृषि फसलों के भंडार, कृषि अकाल के आकलन, दावानल पर नजर रखने, भूजल संभावना के मानचित्रों के बेहतर उपयोग तथा अन्य प्रशासन संबंधी प्रयोगों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद की।

इसरो का आपदा प्रबंधन सहायता (डीएमएस) कार्यक्रम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्थान आधारित जानकारी एवं सूचना तथा संचार के साधन उपलब्ध करा रहा है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र में स्थापित निर्णय सहायता केंद्र (डीएमएस-डीएससी) बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में लगा हुआ है। आग के मौसम (फरवरी से जून) में उपग्रह के आंकड़ों का इस्तेमाल कर रोजाना लगभग वास्तविक समय में आग की चेतावनी भेजी गईं। यह जानकारी उपग्रह गुजरने के बाद 30 मिनट से भी कम समय में उपलब्ध कराई गई। यह काम भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर पूरे देश में किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डेटाबेस (एनडीईएम) बहुमानक भूस्थानिक डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपदा संबंधी जानकारी देता रहा। इस दैनिक जानकारी के अलावा अनुमान लगाने वाली एजेंसियों से मिलने वाली चेतावनियों को भी एनडीईएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया गया। इसरो ने अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष आंकड़े एकत्र करने और आपदा से प्रभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने की एकीकृत प्रणाली तैयार करना है। इसके लिए इसरो चार्टर का समर्थन तथा सेंटिनेल एशिया की मदद करता है और विभिन्न भारतीय दूरसंवेदी उपग्रहों से आंकड़े इकट्ठा करने की योजना बनाता है एवं तय समय में उपलब्ध कराता है। 2017 में इसरो ने आईआरएस आंकड़ों के 140 सेट उपलब्ध कराते हुए 22 देशों में 29 आपदाओं के समय मदद की।

अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रह अनुसंधान

दो ग्रहों के बीच चलाया जा रहा भारत का पहला अंतरिक्ष यान अभियान मंगलयान मंगल के चारों ओर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूरे कर चुका है और नियमित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्धक्षकरा रहा है। अंतरि यान के स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं। अंतरिक्ष यान से मिली जानकारी का वैज्ञानिक विश्लेषण उपग्रह के विभिन्न आयामों पर किया जा रहा है। वर्ष के दौरान अंतरिक्षयान पर कक्षा में दिशा परिवर्तन भी किया गया, जिससे 2021 तक दीर्घकालिक ग्रहण का खतरा खत्म हो गया।

भारत की पहली विविध तरंगदैर्ध्य वाली वेधशाला ने कक्षा में दो वर्ष पूरे कर लिए। उपग्रह से अब 'वेधशाला' की तरह काम लिया जा रहा है, जिसमें दिलचस्पी रखने वाले अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों से इसरो के अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्च्युनिटी के जरिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निगरानी का समय आवंटित किया जाता है।

क्षमता निर्माण

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों का प्रमुख कारण किसी कार्य को हाथ में लेने और संकल्प, समर्पण तथा पेशेवर रवैये के साथ उसे पूरा करने की सुस्थापित कार्यप्रणाली है। ऐसी अनूठी प्रतिभाओं तथा प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा देने की महत्ता भांपकर विभाग ने हमेशा ही क्षमता निर्माण से संबंधित पहलुओं पर जोर दिया है। क्षमता निर्माण में विकास के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जिनसे विभाग का अपनी योजना के अनुसार ही अपने लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। क्षमता निर्माण के कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों का अटूट अंग रहा है और इसरो ने विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों एवं अंतरिक्ष से संबंधित निकायों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबधों को महत्व देना जारी रखा है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख उद्देश्य नई वैज्ञानिक एवं तकनीकी चुनौतियों का सामना करना, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय खाका परिभाषित करना, अंतरिक्ष नीतियों को बेहतर बनाना तथा देशों के साथ संबंध स्थापित करना एवं मौजूदा संबंधों को मजबूत बनाना है। इसरो ने फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमरीका, वियतनाम, अफगानिस्तान एवं रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों और अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के साथ सहयोग के समझौते किए।

अंतरिक्ष वाणिज्य

अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन वैश्विक बाजार में भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग कर रही है। एंट्रिक्स विदेशी ग्राहकों समेत अन्य एजेंसियों के साथ विशिष्ट वाणिज्यिक करारों के जरिए अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। अंतरिक्ष को टीटीसी यानि दूरगामी, खोज, निर्देश सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सेवा प्रदाताओं में से एक माना जाता है। इस प्रतिष्ठित संस्थान के कई जाने माने अंतरराष्ट्रीय ग्राहक हैं। ये विभिन्न मिशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। उपग्रह के अंतरराष्ट्रीय ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराने के सिलसिले में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-पीएसएलवी परीक्षण सेवाओं के तहत ब्रिटेन की सरे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसएसटीएल) को समर्पित विदेशी उपग्रह मिशन पीएसलवी-सी42 ने 450 किलोग्राम के एस बैंड सिंथेटिक अपरचर राडार उपग्रह नोवासार और 450 किलोग्राम के ऑप्टिकल इमेजिंग उपग्रह एस 1-4 का प्रक्षेपण किया।

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मानव संसाधन तैयार करने और कार्यक्रम की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 2007 में तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) की स्थापना की गई, जो मानद विश्वविद्यालय है।

पृथ्वी विज्ञान

पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे वायुमंडल, जलमंडल, हिममंडल, थलमंडल और जीवमंडल तथा उनके बीच के संबंधों से संबंधित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौसम, जलवायु, समुद्र, तटवर्ती स्थल, जलमंडलीय एवं भूसंवेदी सेवाएं प्रदान करने के लिए भू-विज्ञान से संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। सेवाओं में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी तथा चेतावनी शामिल हैं। उपलब्ध कराई गई सेवाओं का उपयोग विभि एजेंसियां एवं राज्य सरकारें कर रही हैं ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल की क्षति कम से कम की जा सके।

वेबसाइट: www.moes.gov.in

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक कार्यकारिणी शाखा के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रों/इकाइयों के लिए समग्र रूप से निर्देश देता है और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की स्थापना वर्ष 2007 में पृथ्वी के विभिन्न घटकों-वातावरण, समुद्र, हिम क्षेत्र और भू क्षेत्र के बीच मजबूत संयोजन के महत्व को मान्यता देते हुए अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान और समुद्री विकास संबंधी सभी गतिविधियों को एक विभाग के तहत लाने के लिए की गई थी। इसमें पृथ्वी विज्ञान की चार प्रमुख शाखाएं हैं- (i) समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, (ii) वातावरणीय और जलवायु विज्ञान (iii) भू-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और (iv) ध्रुवीय विज्ञान और हिम क्षेत्र। इस प्रयास का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी विज्ञान की विविधता को समझने के लिए पृथ्वी प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समग्रता से समाधान करना था। संगठन का प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन विज्ञान तथा जलवायु सेवाओं से संबंधित पहलुओं के समाधान सहित सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय फायदों के लिए मौसम, जलवायु तथा आपदा के बारे में पूर्वानुमान की क्षमता विकसित करना और उसे बेहतर बनाना है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन

पर समुद्री पर्यावरण के क्षेत्र में वैश्विक विकास को ध्यान में रखते हुए समाज के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए सतत रूप से समुद्री संसाधनों के दोहन और अन्वेषण की दिशा में प्रौद्योगिकी के विकास की भी जिम्मेदारी है। संगठन को अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु तथा मौसम विशेषकर हिंद महासागर पर विभिन्न घटनाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए इन क्षेत्रों के ध्रुवीय विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन, इन केंद्रों के जरिए काम करता है: समुद्री जीविका संसाधन तथा पारिस्थितिकी (सीएमएलआरई), राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), राष्ट्रीय भूकंप केंद्र (एनसीएस), राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय सागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), राष्ट्रीय भारतीय सागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं सागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), भारतीय उष्णदेशीय मौसम संस्थान (आईआईटीएम) और राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस)।

वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान

12 किलोमीटर के क्षैतिज रिजॉल्यूशन पर मौसम संबंधी कारगर भविष्यवाणी उपलब्ध कराने के लिए उच्च रिजॉल्यशन वाला वैश्विक निर्धारण योग्य मौसम पर्वानमान मॉडल तैयार किया गया। इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए उच्च रिजॉल्यूशन वाले वैसे ही मॉडल इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर ली, जैसी अमरीका में है। भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों से सांख्यिकी मॉडलों में मिली जानकारी को ग्रहण करने के लिए जानकारी के संग्रह में बहुत सुधार किया गया है। मॉनसून मिशन के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र तथा मौसम के पूर्वानुमानों हेतु कारगर गतिशील मॉडल प्रणालियां लागू की गईं। पहली बार भारतीय मौसम विभाग ने गर्मी की लहरों समेत गर्म मौसम (अप्रैल से मई) के दौरान समय के अलग-अलग पैमानों पर पूर्वानुमान जारी किए।

कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं

मंत्रालय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं (एएएस) मुहैया कराता है। किसान बुआई, सिंचाई, उर्वरक एवं कीटनाशक के इस्तेमाल, कटाई तथा प्रतिकूल मौसम से फसलों के बचाव जैसे कामों में इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। 130 कृषि मौसम क्षेत्रों (4-6 जिलों के समूह) में आरंभ की गई सेवाएं अब सफलतापूर्वक जिला स्तर तक पहुंचा दी गई हैं और देश के 608 जिलों में काम कर रही हैं। इस समय लगभग 21.69 मिलियन किसान क्षेत्रीय भाषाओं में फसल विशेष के लिए कृषि मौसम संबंधी परामर्श प्राप्त कर रहे हैं।

गर्म एवं ठंडी हवा की लहरों का पूर्वानुमान

ग्लोबल वार्मिंग के कारण सतह की हवा का तापमान और भी बढ़ने की आशंका है तथा गर्म हवा की लहरों की आवृत्ति भी बढ़ सकती है। गर्म हवा की लहरों तथा उनके कारण सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में पर्याप्त चेतावनी देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहली बार देश भर में गर्म हवाओं के पूर्वानुमान जारी करना आरंभ किया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों की सरकारों ने गर्मी के मौसम में इन पूर्वानुमानों के आधार पर अपने-अपने राज्य के अनुकूल योजनाएं आरंभ की हैं। इनसे उन्हें लोगों को गर्म हवा की लहरें चलने की चेतावनी पहले ही दे देने और उनकी जान बचाने में मदद मिल सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर गर्म हवा के बारे में ऐसी कार्य योजनाएं बनाने की पहल भी की है।

इस मॉडल को 21 सदस्यों द्वारा इस्तेमाल के लिए 12 किलोमीटर पर लघु और मध्यम रेंज के पूर्वानुमान के वास्ते वैश्विक समष्टि पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2018 में बनाई गई। भारतीय उपग्रह पर्यवेक्षकों सहित नए पर्यवेक्षकों के डाटा समावेशन के लिए सिस्टम में सुधार किए गए हैं। उत्तर हिंद महासागर पर आए 4.5 चक्रवातों की सामान्य बारंबारता की तुलना में वर्ष 2018 के दौरान छह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अरब सागर पर (16 से 21 मई), चक्रवाती तूफान- सागर, अरब सागर पर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान- मेकुनू (21 से 27 मई), वीएससीएस लुबान (06 से 15 अक्तूबर) और वीएससीएस तितली (08 से 13 अक्तूबर) के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय मौसम विभाग की सराहना की क्योंकि इसकी वजह से

इन आपदाओं का असर कम से कम करने मदद मिली और कई लोगों की जान बचाई जा सकी।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बारे में पहले से चेतावनी देने के लिए अमरीका के नेशनल सेंटर फॉर एटमोसफेरिक रिसर्च के साथ मिलकर एक नई पद्धति विकसित की गई। इस पद्धति के तहत पराली जलाने और धूल उड़ने के बारे में उपग्रह डाटा और लगभग 36 निगरानी केंद्रों से आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। ये चेतावनी सेवाएं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण केंद्र को उपलब्ध कराई गई थीं। भारतीय मौसम विभाग और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) ने उर्जा क्षेत्र के लिए विशेष वेब पोर्टल शुरू किया है। मुंबई शहर में स्थान विशेष के बारे में वर्षा की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुंबई वेदर लाइव मोबाइल एप विकसित किया गया है। इसका विकास भारतीय मौसम विभाग तथा वृहद मुंबई नगर निगम और सफर मुंबई द्वारा रिकॉर्ड किए गए पर्यवेक्षणों के समावेशन से किया गया है। वर्तमान में यह एप लगभग 100 स्थानों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। ये स्थान मुंबई शहर, उपनगरीय क्षेत्रों, नवी मुंबई और आसपास के हैं।

महासागरीय सेवाएं, प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षण, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान

सागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षण, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (ओ-स्मार्ट) योजना 2017-18 से 2019-20 के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, पर्यवेक्षणों तथा विज्ञान जैसी सागर विकास गतिविधियों से संबंधित कुल 16 उप परियोजनाएं आती हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के तहत मछली पालन, समुद्रगामी उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, जहाजरानी, बंदरगाहों जैसे तटीय और समुद्री क्षेत्रों में उपयोगकर्ता समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में पांच लाख मछुआरों को प्रतिदिन मोबाइल के जरिए जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें तटीय जल में स्थानीय मौसम परिस्थितियों और मछलियों की संभावना के बारे में जानकारी शामिल है। ओ-स्मार्ट के कार्यान्वयन से सतत लक्ष्य विकास-14 से संबंधित मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षित उपयोग करना है। इस योजना के तहत नीली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को लागू करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पृष्ठभूमि उपलब्ध कराई जाती है। ओ-स्मार्ट के तहत स्थापित की गई पूर्व चेतावनी की आधुनिक प्रणालियों से सुनामी, तूफान जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद मिलती है।

वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान, पर्यवेक्षण विज्ञान सेवाएं

वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान, पर्यवेक्षण विज्ञान सेवाएं (एसीआरओएसएस), मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों के बारे में हैं। इसका उद्देश्य समाज की बेहतरी के लिए मौसम और जलवायु के बारे में विश्वसनीय पूर्वानुमान करना है। इसके अलावा इसका मकसद सतत पर्यवेक्षणों और उन्नत अनुसंधान एवं तथा विकास के जरि मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की दक्षता में सुधार करना भी है। मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन इसके सस्थानों- भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीडब्ल्यूआरडब्ल्यूएफ), भारतीय राष्ट्रीय सागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) के जरिए किया जाता है। इस योजना के तहत मौसम, जलवायु और सागर के बारे में बेहतर पूर्वानुमान तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सार्वजनिक मौसम सेवा, आपदा प्रबंधन, कृषि मौसम सेवाएं, विमानन सेवाएं, वायुमंडलीय निगरानी सेवाएं, जलीय मौसम संबंधी सेवाएं, जलवायु सेवाएं, पर्यटन, तीर्थाटन, पावर जेनरेशन, जल प्रबंधन, खेल तथा साहसपूर्ण कार्य इत्यादि। यह योजना मौसम और जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में हैं जिनमें तूफान, चक्रवात, लू, मेघ गरजन इत्यादि की चेतावनी देना शामिल है। इनमें से प्रत्येक पहलू को उसी तरह समाविष्ट किया गया है जिस तरह नौ उप योजनाओं को अम्ब्रेला योजना-एक्रॉस के तहत शामिल किया गया है।

भारतीय मौसम विभाग ने अपनी पूर्वानुमान क्षमता में और सुधार करने के लिए अपने पर्यवेक्षण नेटवर्क में विस्तार किया है। कुछ प्रमुख संवर्द्धन प्रयासों में शामिल हैं- गोवा में एस बैंड डोपलर मौसम राडार, नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित जीपीएस आधारित प्रायोगिक भौतिक स्थिति जांच उपकरण, आठ हवाई अड्डों पर स्वदेश में विकसित दृष्टि रनवे दृश्यता रेंज (आरवीआर)/स्वचालित मौसम निगरानी प्रणाली, आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती के मौसम केंद्र में एक नई मौसम निगरानी प्रणाली लगाना। केरल और कर्नाटक के लिए तूफान चेतावनी के वास्ते केरल के तिरुअनंतपुरम में भी एक नया तूफान चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र में स्थापित

किया गया आकाशीय विद्युत स्थानक नेटवर्क का विस्तार देश के अन्य भागों में भी किया गया है और 28 अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। लोगों को बिजली गिरने की जानकारी देने के लिए दामिनि नाम के एक एप का विकास भी किया गया है। वर्षण के संवर्द्धन में शामिल भौतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए क्लाउड एरोसॉल इन्टरैक्शन एंड प्रेसीपिटेशन इनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट (सीएआईपीईईएक्स) चरण-4, महाराष्ट्र में शोलापुर के निकट चलाया गया। क्षेत्रीय प्रचार के दौरान 240 घंटे के विमान पर्यवेक्षण किए गए। हिसार और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्दियों के कोहरे के बारे में प्रयोग का तीसरे चरण का अभियान चलाया गया। इस क्षेत्रीय अभियान से कोहरे के बारे में प्रभावी जानकारी एकत्र की गई।

महासागरीय सेवाएं : प्रौद्योगिकी एवं पर्यवेक्षण

संभावित मत्स्य क्षेत्र *(*पीएफजेड*)* के परामर्श

भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) 2.75 लाख मछुआरों को रोजाना पीएफजेड के बारे में परामर्श जारी करता है, जिससे उन्हें समुद्र में अधिक मछलियों वाले क्षेत्र पहचानने में मदद मिलती है।

समुद्र की स्थिति की भविष्यवाणी

मछुआरों, जहाजरानी उद्योग, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, नौसेना, तटरक्षक बल तथा अन्य पक्षों को समुद्र की स्थिति (लहरों, प्रवाह, समुद्र की सतह के तापमान आदि) के बारे में मुहैया कराए जाने वाले पूर्वानुमानों में बहुत सुधार आया है। तेल रिसाव के परामर्श मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि तेल रिसाव की स्थिति में पर्यावरण-संवेदी क्षेत्रों, मछली मारने की संभावना वाले क्षेत्रों और मछली का शिकार नहीं करने वाले क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा रि-यूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन के प्रक्षेपण के दिन से पहले और उस दिन भी समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान उपलब्ध कराए गए थे।

समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान की सेवाएं हिंद महासागर रिम संगठन के दो सदस्य देशों श्रीलंका तथा सेशेल्स को भी दी जा रही हैं। उन्हें ये सेवाएं अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-जोखिम शीघ्र चेतावनी प्रणाली (रीम्स) के तहत दिए जाने वाले मानचित्र में हवा, लहरों, प्रवाह तथा तापमान जैसे पैमानों पर दी जाती हैं।

सुनामी चेतावनी प्रणाली

मंत्रालय द्वारा हैदराबाद स्थित भारतीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) में स्थापित भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को हिंद महासागर के देशों को चेतावनी देने के मामले में यूनेस्को द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें हिंद महासागर के लिए दूसरे स्तर की सुनामी परामर्श सेवाएं भी शामिल हैं। भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली के पास भूकंप आने के 10 मिनट के भीतर ही चेतावनी जारी करने की क्षमता है। भारतीय सुनामी शीघ्र चेतावनी केंद्र (आईटीईडब्ल्यूएस) ने हिंद महासागर के भीतर तथा आसपास सुनामी भूकंप पर नजर रखी तथा सुनामी की आशंका का खतरा होने पर समुचित संदेश जारी किए।

ओपन केज कल्चर

मत्स्य प्रोटीन की लगातार बढ़ती मांग को पूरी करने का व्यावहारिक विकल्प यही है कि मैरीकल्चर के द्वारा भारी स्तर पर मछलियों का उत्पादन किया जाए। इस मांग को उपलब्ध इंजीनियरिंग तथा जैविक विशेषज्ञता के साथ पूरा करने के लिए भारतीय समुद्री परिस्थितियों के अनुरूप और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछलियों हेतु खुले पिंजड़ों वाला ओपन सी केज कल्चर तैयार किया गया। यह प्रौद्योगिकी तट पर रहने वाले मछुआरों के लिए आजीविका का आदर्श विकल्प प्रतीत होती है, जो देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है और राष्ट्र के मत्स्य खाद्य उत्पादन का लक्ष्य भी प्राप्त करती है।

दूर से संचालित वाहन

500 मीटर की गहराई वाले उथले जल/ध्रुव में दूर से संचालित होने वाले स्वदेश में विकसित वाहन को अंडमान के मूंगे के द्वीपों में सफलतापूर्वक तैनात किया गया। मूंगे की चट्टानों की जैव विविधता के दृश्य वर्णक्रम दीप्ति के साथ

रिकॉर्ड करने के लिए इस वाहन ने मूंगे के ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिचालन किया।

ध्रुवीय एवं क्रायोस्फियर रिसर्च (पेसर)

राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान (एनसीएओआर), गोवा ने हिमालय में काफी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसे हिमांश कहा गया। यह 13.500 फुट (4,000 मीटर से अधिक) से ऊपर स्पीति, हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर स्थान पर स्थित है। इस केंद्र में ऑटोमैटिक मौसम केंद्र, वाटर लेवल रिकॉर्डर, स्ट्रीम ड्रिल, स्नो/आइस कोरर, ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रेडार, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्नो फॉर्क, फ्लो ट्रैकर, थर्मिस्टर स्ट्रिंग, रेडियोमीटर आदि जैसे उपकरण हैं। जलीय संतुलन/मॉडलिंग के लिए पश्चिमी हिमालय में चंद्र नदी के 130 किलोमीटर लंबे हिस्से में पांच स्थानों पर वाटर लेवल रिकॉर्डर तैनात किए गए। द्रव्यमान संतुलन, गतिकी, ऊर्जा संतुलन तथा जल विज्ञान के लिए ग्लेशियरों की निगरानी की गई।

भूकंप विज्ञान एवं भू-विज्ञान अनुसंधान (सेज)

115 वेधशालाओं वाला राष्ट्रीय भूसंवेदी नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है। भूकंप संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी जानकारी राज्यों तथा केंद्र सरकार की उन सभी संबंधित एजेंसियों को दे दी गई, जो क्षेत्र में राहत एवं बचाव के काम से जुड़ी थीं। यह जानकारी वेबसाइट पर भी डाली गई। 2016 में कोयना में आरंभ की गई वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग का उद्देश्य गहराई में बोरहोल वेधशाला स्थापित करना है, जिससे भूकंप के स्थान के आसपास के इंट्राप्लेट, सक्रिय फॉल्ट जोन में मौजूद चट्टानों के भौतिक गुणों, छिद्र में तरल के दबाव, जलीय मानदंडों, तापमान तथा अन्य मानदंडों को भूकंप से पहले, उसके दौरान एवं उसके बाद सीधे मापा जा सके। इससे फॉल्टिंग की प्रक्रिया, जलाशय के कारण आए भूकंपों की भौतिकी की बेहतर समझ होती है एवं अनुमान लगाने वाला मॉडल तैयार करने में मदद मिलती है।

अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच कार्यक्रम

अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच कार्यक्रम (रीचआउट), प्रौद्योगिकी विकास सहित पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक/अनुसंधान संगठनों को सहायता प्रदान करने की योजना है।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- (i) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विषय तथा शिक्षा आधारित विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में सहायता करना, (ii) लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और उपयोगकर्ता समुदायों के बीच पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति जागरूकता पैदा करना और प्रशिक्षण प्रदान करना।

जैव प्रौद्योगिकी

मनुष्य तथा पशु का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता सुधारने, कृषि गतिविधियां बढ़ाने में जैव प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता को देखते हुए सरकार ने 1982 में ही कई एजेंसियों वाला बोर्ड राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड गठित कर दिया था। जैव प्रौद्योगिकी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस बोर्ड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यूजीसी, आईसीएमआर और सीएसआईआर शामिल हैं। बाद में बोर्ड को 1986 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसे संपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी विभाग में बदल दिया गया। इससे जैव प्रौद्योगिकी को आवश्यक बल मिला और विभाग ने अपने निर्धारित कामकाज के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए और एकीकृत कार्यक्रम बनाए।

विभाग ने आधुनिक जीव विज्ञान तथा जैव प्रौद्योगिकी में घटनाओं को नई गति प्रदान की है। पिछले 30 वर्ष में विभाग ने शैशवावस्था वाले एक क्षेत्र को तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बनते हुए देखा है। उसने कृषि, स्वास्थ्य सेवा, जीव जलजीव विज्ञान तथा जैव संसाधनों एवं पर्यावरण की निरंतरता के मामले में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग और वृद्धि में अनेक उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा है एवं देश में नवाचार तथा उद्यमिता का माहौल मजबूत बनाते हुए देखा है। आज भारत दुनिया में जैव प्रौद्योगिकी के बड़े केंद्रों में गिना जाता है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उसका तीसरा स्थान है। अमरीका के बाद भारत के पास ही अमरीकी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (यूएसएफडीए) से मंजूरी पाए सबसे अधिक पौधे हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि, स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा की किफायती प्रौद्योगिकी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, पशु जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय सुरक्षा, स्वच्छ उर्जा तथा जैव ईंधन और जैव विनिर्माण इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में खोज तथा शुरुआती और बाद की अवस्था के ट्रांसलेशनल अनुसंधान के लिए हमेशा नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देश भर में जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जीव विज्ञान में नवाचार अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग जिन क्षेत्रों पर जोर देता है उनमें अग्रणी अनुसंधान, उपयुक्त किस्म का आधारभूत ढांचा तैयार करना और नई राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का निर्माण करने में क्षमता निर्माण करना है। इसी प्रकार विभाग जैव अर्थव्यवस्था को बड़ा रूप देने और भारत को निकट भविष्य में विकसित और विकासशील बाजारों के लिए विश्व स्तरीय जैव विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्पादों और उनके व्यवसायीकरण पर जोर दे रहा है।

देश में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को गतिशील बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिकों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों तथा प्रबुद्ध वर्ग के अग्रणी लोगों, स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संगठनों, विनियामकों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सलाह मशविरे के साथ राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति बनाई हैं। इस कार्यनीति में पेशेवरों के लिए विशिष्टीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए दक्ष कार्यबल और नेतृत्व निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया हैं। ये कार्यक्रम, वैज्ञानिकों के लिए कौशल आकर्षित करने तथा निरंतर सुधार के लिए शिक्षक सुधार कार्यक्रम में मदद देकर जैव प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए करियर के नए विकल्प, प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्धा सृजित करने के बारे में है। मौजूदा संस्थानों में क्षमता मजबूत करना, मौजूदा संस्थानों और उनके आसपास के संस्थानों में विशषज्ञ केंद्र बनाकर मूल सुविधाएं और उपकरण स्थापित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इस कार्यनीति के तहत नए विषय पर आधारित डाटा केंद्र और भंडारण की स्थापना भी इस कार्यनीति का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें मौलिक अनुसंधान को सतत सहायता उपलब्ध कराने, जीव विज्ञान में बहुआयामी अनुसंधान को बढ़ावा देने, उभरती प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने और वैश्विक तथा राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देना भी शामिल है। सभी प्रमुख अनुसंधान केंद्रों तथा संस्थानों में स्थानांतरण क्षमता पैदा करने, कारोबार इनक्यूबेशन, प्रौद्योगिकी मान्यकरण, ढांचागत उन्नयन, निजी-सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और जैव कलस्टरों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान के वास्ते इस कार्यनीति का केंद्र बिंदु नवाचार और उद्यमिता का पोषण करना है।

वेबसाइट: www.dbtindia.nic.in

स्वायत्तशासी संस्थान

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं संवर्द्धन की कल्पना करने के कारण जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि एवं संबंधि विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान करने के लिए 16 स्वायत्तशासी संस्थान स्थापित किए हैं। इनमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के साथ विषय आधारित अनुसंधान होता है। स्वायत्तशासी संस्थानों के प्रयासों के कारण 80 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं और उनमें से कई का तकनीकी के हस्तांतरण द्वारा व्यवसायीकरण भी कर लिया गया है। विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों ने कई अनुसंधान किए हैं, जिनमें बौद्धिक संपदा के अधिकार अथवा पेटेंट भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (एनआईआई), नई दिल्ली ने जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। यह अलग-अलग विषयों वाले दृष्टिकोण का प्रयोग कर उन्नत जीव विज्ञान में अत्याधुनिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देता है ताकि देश के कुशल मानव संसाधन में उच्च स्तर की योग्यता तथा क्षमता हो।

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस), पुणे ने अपने पीएचडी कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान, स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने में नई पहल की हैं। साथ ही उसने जैविक नियंत्रण प्रक्रियाओं और याद्दाश्त के कोशीय तथा आणविक आधार में आरएनए की भूमिका समझने के लिए अनुसंधान में भी नई पहल की हैं।

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र (सीडीएफडी), हैदराबाद के पास जीवन विज्ञान में अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में कामकाज सुचारु करने के लिए विश्वस्तरीय अत्याधुनिक यंत्र एवं कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा मौजूद है। यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जिंसों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है। इसके लिए यह ऐसे डीएनए मार्करों का प्रयोग करता है, जो बासमती की विभिन्न किस्मों में भेद कर सकते हैं, उनके गुण पहचान सकते हैं तथा उनकी पुष्टि कर सकते हैं। केंद्र में अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र सेल सिग्नलिंग, ट्रांसक्रिप्शन, संरचनात्मक जीव विज्ञान, कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान एवं जैव-सूचना विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, आनुवंशिकी एवं मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस के आसपास केंद्रित रहे हैं।

जैविक विज्ञान संस्थान (आईएलएस), भुवनेश्वर का जोर संक्रामक रोग जीव विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन तथा रूपांतरकारी (ट्रांसलेशनल) शोध पर है। इसके पास जैविक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अत्याधुनिक एवं विविध विषयक अनुसंधान के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद है।

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी), मानेसर मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। संस्थान का जोर मस्तिष्क अनुसंधान में कुशल मानव संसाधन के सृजन पर है, जिससे भारत को विज्ञान के इस अग्रणी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर), दिल्ली का ध्यान पादप जीनोम में जीन के विन्यास के साथ उनकी संरचना प्रकटीकरण एवं कामकाज की समझ के क्षेत्र में अनुसंधान करने और पादप जीन/जीनोम में परिवर्तन करने पर है ताकि अधिक उपज एवं बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों हेतु खाद्य एवं औद्योगिक फसलों की बेहतर किस्में तैयार की जा सकें। यह बुनियादी अनुसंधान गतिविधियों के जरिए तैयार की गई कुछ प्रौद्योगिकियों को कृषि में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है।

राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी), तिरुवनंतपुरम गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है।

जैव-संसाधन एवं सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी), इंफाल पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जैव-संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। संस्थान ने जैव-संसाधनों को साझा करने एवं उनका लगातार दोहन करने के लिए उचित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर पहल की हैं।

नवोन्मेषी एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केंद्र (सीआईएबी), मोहाली का ध्यान द्वितीयक कृषि जैव उत्पादों के उत्पादन के लिए द्वितीयक कृषि एवं उत्प्रेरक अनुसंधान, नवोन्मेष तथा ज्ञान पर है। संस्थास फिलहाल खेतों औ खाद्य उद्योग से बचे जैव पदार्थों के रासायनिक, जैविक तथा जैव प्रौद्योगिकी तरीके से प्रसंस्करण करने में लगा हुआ है। साथ ही वह खाद्य एवं गैर खाद्य उपयोग के लिए उत्पादक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धित प्राथमिक तथा द्वितीयक कृषि जैव उत्पादों हेतु जैव-संसाधनों का ज्ञान भी प्रसारित कर रहा है।

राष्ट्रीय जैवचिकित्सा जीनोमिकी संस्थान (एनआईबीएमजी), कल्याणी स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिकी में तीव्रता लाने तथा रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा है। यह समय पूर्व जन्म के जैविक एवं पर्यावरणीय संबंधों की खोज एवं रोग तथा स्वास्थ्य से जुड़े लक्षणों के प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन की परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी), फरीदाबाद विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है और नवोन्मेषी अनुसंधान कर रहा है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले अनुसंधान जगत में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार किए जा सकें।

ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद चिकित्सा, विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ट्रांसलेशनल ज्ञान तथा जैवचिकित्सा नवाचार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत तरीके पर काम कर रहा है। संस्थान एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टरों में तथा ट्रांसलेशनल अनुसंधान तथा उससे संबंधित प्रयासों में विशेषज्ञता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद ने संक्रामक रोगों: ब्रुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस,

बेबसियोसिस, न्यूकैसल डिजीज वायरस (एनडीवी), लेप्टोस्पाइरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मैस्टाइटिस, पेस्टे डेस पटीट यूमिनेंट्स वायरस (पीपीआर) तथा फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) पर और इन रोगों के निदान एवं रोकथाम के नए तरीके विकिसित करने पर पहल की हैं।

इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन (इनस्टेम), बंगलुरु ने विशिष्ट जांचकर्ताओं को इकट्ठा किया है, जिन्होंने विषय विशेष पर कार्यक्रम आरंभ किए हैं। स्टेम सेल अनुसंधान और अनुप्रयोग में फेलोशिप कार्यक्रम के जरिए युवा जांचकर्ताओं का साथ देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (नाबी), मोहाली उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों एवं प्रौद्योगिकियों में जुटा है ताकि भारतीय कृषि तथा खाद्य उद्योग को अधिक नवाचार केंद्रित, लाभकारी तथा टिकाऊ बनाया जा सके। यह गुणवत्तायुक्त पोषण का टिकाऊ एवं सार्थक साधन दे रहा है तथा कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी संबंधी तथा आविष्कारी उत्पाद मुहैया कराता है।

अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीजीईबी), दिल्ली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहा है। संस्थान का मिशन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता लाना है। केंद्र मलेरिया, पादप विकास में माइक्रोआरएनए एवं तनाव प्रबंधन की नई दवाएं खोजने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। मलेरिया, विषाणु विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, रीकॉम्बिनेंट जीन उत्पाद, संरचनात्मक एवं कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, पादप मॉलिक्युलर जीव विज्ञान, कीट प्रतिरोध, पादप कायांतरण एवं सिंथेटिक जीव विज्ञान तथा जैव-ईंधन इसके अनुसंधान के क्षेत्र हैं।

औद्योगिक तथा उद्यमिता विकास

औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास योजनाओं के अंतर्गत विभाग ने ट्रांसलेशनल अनुसंधान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम को सहारा दिया, जिनमें बायो-इनक्यूबेटर तथा बायोटेक पार्क शामिल हैं।

बायोटेक्नोलॉजी पार्क तथा इनक्यूबेटर

जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देता है और अनुसंधान के जरिए उत्पाद एवं सेवाएं तैयार करने में मदद करता है। नए वाणिज्यिक उत्पादों के विकास का एक तरीका बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करना है, जहां प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा प्रायोगिक पादप अध्ययन की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि जैव प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक विकास तेज हो सके। विभाग ने राज्य सरकारों/राज्य सरकार के संगठनों/केंद्र सरकार के संगठनों की साझेदारी में देश के विभिन्न हिस्सों में बायोटेक्नोलॉजी पार्क तथा इनक्यूबेटर स्थापित किए हैं, जिनसे जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास, उद्यमिता, अनुसंधान एवं नवोन्मेष में मदद मिलती है।

बंगलुरु लाइफ साइंसेज क्लस्टर फॉर मल्टी-स्केल बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज (बी-लाइफ) विचारों के सृजन, भागीदार संस्थानों के बीच संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे की साझेदारी के जरिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देता है। क्लस्टर में भागीदारी करने वाले संस्थान हैं: इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन (इनस्टेम), राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस), सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर प्लेटफॉर्म्स (सी-कैंप) और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड एप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी (आईबीएबी)। क्लस्टर अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनूठे संस्थागत मॉडल की स्थापना में लगे हैं, जहां मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग नई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नए केंद्रों के विकास में किया जाता है।

एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पांच स्वायत्तशासी संस्थानों (एनआईआई, एनआईपीजीआर, एनबीआरसी, टीएचएसटीआई और आरसीबी) को मिलाकर की गई। क्लस्टर बायोटेक बिजनेस इनक्यूबेटर एवं पार्कों के जरिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में खोज आधारित अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में तथा निजी-सार्वजनिक साझेदारी में मदद करता है। यह घटक बनने की संभावना वाली संस्थाओं का नेटवर्क तैयार करता है, जिससे खोजों की गति तेज करने के लिए तालमेल वाला माहौल तैयार हो सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विभाग ने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच नए संपर्क (इंटरफेस) को बढ़ावा दिया है और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग विशेषकर स्टार्ट-अप एवं एसएमई की रणनीतिक अनुसंधान एवं नवोन्मेष क्षमताओं को प्रोत्साहित किया है ताकि समाज के बड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक किफायती उत्पाद तैयार हो सकें। इंटरफेस एजेंसी के रूप में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बिराक) की स्थापना की गई है ताकि नवोन्मेष तथा उद्यमशीलता बढ़ सके, प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में किफायती नवोन्मेष को बढ़ावा मिले, स्टार्ट-अप तथा छोटे एवं मझोले उद्यमों को मजबूती मिले, नवोन्मेष के क्षमता विस्तार एवं प्रसार के लिए साझेदारों के जरिए योगदान हो, खोज का व्यावसायीकरण हो और भारतीय उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुनिश्चित हो। बिराक ने मिलकर काम करने और अपनी जिम्मेदारी के तहत विभिन्न कार्य पूरे करने के लिए कई राष्ट्रीय एवं वैश्विक साझेदारों के साथ साझेदारी की है। बिराक के अंतर्गत बायोटेक इग्नीशन ग्रांट (बिग) योजना युवा खोजकर्ताओं के लिए उत्साहवर्द्धक योजना है, जो इनक्यूबेटर के जरिए जैव प्रौद्योगिकी में एसएमई की उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास को बढ़ावा देती है।

विभाग के पास दो सार्वजनिक उपक्रम भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बिबकॉल) और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बिराक) भी हैं। बिबकॉल उत्तर प्रदेश में स्थित अग्रणी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी वैक्सीन), जिंक की गोलियां और डायरिया से छुटकारा दिलाने वाले किट जैसे विभिन्न औषधीय उत्पाद बनाती है। इसका लक्ष्य पोलियो के टीके के जरिए लाखों बच्चों को अपंगता से बचाना है। बिराक धारा 8, अनुसूची बी में आने वाला गैर लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है, जिसे इंटरफेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका काम उभरते हुए जैव प्रौद्योगिकी उपक्रमों को देश के लिए प्रासंगिक उत्पादों के विकास की जरूरतें पूरी करने हेतु रणनीतिक अनुसंधान एवं नवोन्मेष का मौका देने के लिए मजबूत बनाना है।

बिराक उद्योग और शिक्षा जगत के बीच नया इंटरफेस है और प्रभाव डालने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, चाहे वह लक्षित फंडिंग के जरिए जोखिम पूंजी महैया कराना हो, तकनीकी हस्तांतरण हो, बौद्धिक संपदा का प्रबंधन हो या दिशा दिखाने की योजनाएं हों। इनसे जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों को नवोन्मेष के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल होती है और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आ जाती हैं। स्थापना के बाद तीन वर्ष में बिराक ने विभिन्न योजनाएं, नेटवर्क और प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं, जिन्होंने उद्योग-शिक्षा नवोन्मेष अनुसंधान में मौजूद खामियों को दूर करने में और अत्याधुनिक तकनीकी के जरिए नए, उच्च गुणवत्ता वाले किफायती उत्पादों के विकास में मदद की है।

26 परिवहन

देश के सतत आर्थिक विकास में परिवहन की समन्वित और सुचारू संपर्क प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटवर्ती नौ-वहन, हवाई परिवहन शामिल हैं। कुछ वर्षों में इस प्रणाली की क्षमता और नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय की है।

रेलवे

भारत में रेलवे, यात्री परिवहन और माल ढुलाई का एक प्रमुख साधन है। यह देश के सुदूर कोने-कोने से लोगों को मिलाती है और कारोबार, पर्यटन, तीर्थयात्रा तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम है। भारतीय रेल पिछले 164 से अधिक वर्षों के दौरान एक बड़ी समावेशी ताक़त बन गई है। इसने देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है। इसने उद्योग और कृषि क्षेत्र के विकास को तेज करने में मदद की है। पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से शुरू हुई इसकी यात्रा का दायरा अब 67,368 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इसमें 7,349 स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क है। इसके बेड़े में 11,461 इंजन, 53,453 यात्री गाड़ियां, 6,714 अन्य कोचिंग वाहन और 2,77,987 डिब्बे हैं। इस तरह भारतीय रेल ने अपने अस्तित्व में आने के बाद 166 वर्षों में असाधारण प्रगति की है। इसने देश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय रेलवे के बेड़े में 39 भापचालित 6,023 डीज़ल चालित और 5,399 विद्युत चालित इंजन थे। इस समय माल परिवहन के लिए कम ईंधन की खपत वाले, नए डिजाइन के तथा अधिक हॉर्स पावर के तीव्र गति के डिब्बे और आधुनिक बोगियां शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। आधुनिक सिग्नल जैसे पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, स्वचालित सिग्नल और बहुआयामी रंगीन लाइट वाले सिग्नल भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इंजन तथा रेल डिब्बों और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के देश में ही निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अधिकतर वस्तुओं के मामले में यह अब आत्मनिर्भर हो गया है।

कुल मार्ग के लगभग 35.32 प्रतिशत, परिचलन मार्ग के 47.09 प्रतिशत और कुल पटरी मार्ग के 48.26 प्रतिशत का विद्युतीकरण किया जा चुका है। समूचा नेटवर्क 17 मंडलों में विभाजित है। इसके प्रभाग आधारभूत प्रचालन इकाइयां हैं। 17 मंडल और उनके मुख्यालय के नाम इस प्रकार हैं।

मंडल रेलवे		मुख्यालय
मध्य	–	मुंबई
पूर्वी	–	कोलकाता
पूर्व तट	–	भुवनेश्वर
पूर्व मध्य	–	हाजीपुर
उत्तरी	–	नई दिल्ली
उत्तर मध्य	–	प्रयागराज
उत्तर पूर्वी	–	गोरखपुर
पूर्वोत्तर फ्रंटियर	–	मालीगांव (गुवाहाटी)
उत्तर पश्चिम	–	जयपुर
दक्षिण	–	चेन्नई
दक्षिण मध्य	–	सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्वी	–	कोलकाता
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	–	बिलासपुर
दक्षिण पश्चिम रेलवे	–	हुबली
पश्चिमी	–	मुंबई
पश्चिमी मध्य रेलवे	–	जबलपुर
मेट्रो रेलवे	–	कोलकाता

रेलवे नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवहन के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है ताकि अनुमानित यातायात के अनुरूप क्षमता निर्माण किया जा सके और अर्थव्यवस्था की विकास-जरूरतों को पूरा किया जा सके। 1950-51 में नियोजन युग की शुरुआत से भारतीय रेलवे ने वार्षिक योजनाओं के अलावा नौ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं के दौरान प्रणाली के आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम पर जोर दिया गया। रेल परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकी संबंधी बदलावों का लाभ उठाना अनिवार्य बन गया है। परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार पर प्रमुखता से जोर देने के साथ-साथ रेल पटरियों, इंजनों, यात्री डिब्बों, वैगन बोगी डिजाइन, सिग्नलिंग और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव और मानकों का उन्नयन श किया गया है।

वेबसाइट: www.indiarailways.gov.in

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तेरह प्राधिकरण आते हैं। ये हैं: (i) राइट्स लिमिटेड, (ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, (iii) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, (iv) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (v) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, (vi) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, (vii) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, (viii) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (ix) रेल विकास निगम लिमिटेड, (x) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (xi) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, (xii) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और (xiii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड।

अनुसंधान और विकास

लखनऊ का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन भारतीय रेलवे की अनुसंधान और विकास शाखा है। यह तकनीकी मामलों में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह रेलवे विनिर्माण और डिजाइन से संबद्ध अन्य संगठनों को भी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। आरडीएसओ ने 25टी एक्सल लोड के लिए अधिक चौड़े और भारी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर आरटी 8527 का नया डिजाइन तैयार किया है, ताकि रेल/वैल्ड विफलताओं में कमी

की संभावनाओं के साथ डी-स्ट्रैसिंग तापमान में कमी की व्यावहारिकता और हायर रबड़ पैड लाइफ बर्किंग के खिलाफ अधिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल की जा सके।

रेलवे वित्त

भारत सरकार के समग्र वित्तीय आंकड़ों का हिस्सा होने के बावजूद, 1924 की पृथक्करण परिपाटी के कारण वर्ष 1924-25 से रेल बजट संसद में अलग से पेश किया जाता रहा है। रेलवे की अपनी 16 अनुदान मांगे हैं। इन पर संसद में अलग से चर्चा कर पारित किया जाता है। रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा का मुख्य कारण इसके विधानिक आकलन के लिए नियमितता सुनिश्चित करना है क्योंकि रेलवे वित्त, आम वित्त का एक बड़ा हिस्सा होता है। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का फैसला किया। संयुक्त बजट होने से रेलवे से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आने से सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की जा सकेगी। इस विलय से राजमार्गों, रेलमार्गों और जलमार्गों से परिवहन के साधनों के नियोजन में मदद मिलेगी।

विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक अधिकरण के रूप में रेलवे का अलग अस्तित्व बना रहेगा। उसकी वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय अधिकार इत्यादि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार बरकरार रहेंगे। अनुदान के लिए 16 मांगों की पहले की योजना के स्थान पर अब रेल मंत्रालय के लिए वित्त मंत्रालय एक अनुदान मांग शुरू की है।

यात्री कारोबार

वर्ष 2018-2019 के दौरान 8,438 मिलियन यात्रियों ने रेलगाड़ियों से यात्रा की। इससे पिछले वर्ष रेल यात्रियों की संख्या 8,286 मिलियन थी। इस दौरान रेलयात्रियों की संख्या में इससे पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में 1.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-2019 के दौरान यात्री परिवहन से 51,066.64 करोड़ रुपये की आय हुई। यह राशि वर्ष 2017-18 में हुई आय की तुलना में 2,423.50 रुपये (4.98 प्रतिशत) अधिक थी। वर्ष 2018-2019 के दौरान माल ढुलाई भाड़ा (गोदी शुल्क तथा विलंब शुल्क आदि और अन्य सहित) से कुल 1,27,430.08 करोड़ रुपये की आय हुई जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 10,347.86 करोड़ रुपये (8.86 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है।

रेलवे विद्युतीकरण

आयातित पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने, देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, रेलवे प्रणाली को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने और रेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय रेलवे, अपने रेलमार्गों का तेजी से विद्युतीकरण कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केवल 388 किलोमीटर रेलमार्ग विद्युतीकृत था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके विद्युतीकरण का काम तेजी से शुरू किया गया। भारतीय रेलवे ने तबभी लेकर अब तक क पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे ही सही, पर लगातार रेलमार्गों के विद्युतीकरण के काम को आगे बढ़ाया है। भारतीय रेलवे के कुल 67,368 किलोमीटर रेल नेटवर्क में से मार्च, 2018 तक 29,376 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण कर किया जा चुका था। यह कुल रेल नेटवर्क का 44.85 प्रतिशत है।

खान-पान सेवाएं

नई खान-पान नीति 2017 में जारी की गई। इसका उद्देश्य रेलगाड़ियों में खान-पान सेवाओं के लिए अलग-अलग भुगतान की व्यवस्था शुरू कर रेल यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। मुख्य रूप से भोजन तैयार करने और उसके वितरण को एक-दूसरे से अलग करके भुगतान का काम भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंपा गया है। भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम का काम भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई रसोइयों की स्थापना करना, पुरानी रसोइयों का उन्नयन करना और सभी चलती रेल गाड़ियों में खान-पान सेवाओं का प्रबंधन करना है।

रेल पर्यटन

भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों के जरिए देश-भर के पर्यटन स्थलों को रेलमार्ग से जोड़ कर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रमुख माध्यम है। इसने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटक रेलगाड़ियां/कोच सेवाएं शुरू की गई हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए रेल यात्रा, स्थानीय

परिवहन, ठहरने की व्यवस्था, रेलगाड़ियों में खान-पान जैसी सेवाओं सहित पर्यटन पैकेज की शुरुआत भी की गई है। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाली कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां इस प्रकार हैं-(i)लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनें, (ii) सेमी-लग्जरी ट्रेनें (iii) बौद्धस्थल स्पेशल ट्रेनें, (iv) भारत दर्शन ट्रेनें, (v) आस्था सर्किट ट्रेनें, (vi) ग्लास टॉप (विस्टाडोम) कोच, (vi) स्टीम ट्रेन, (viii) मूल्यवर्द्धित टूर पैकेज और (ix) रेल टूर पैकेजेस। रेलवे 1982 से लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन-पैलेस ऑन व्हील्स चला रहा है। इसी की तर्ज पर पिछले कुछ वर्षों से चार और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनके नाम हैं- दकन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, हैरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस। ये सभी रेलगाड़ियां पूरी तरह वातानुकूलित हैं। इनमें से अधिकतर में यात्रियों के लिए एक सप्ताह तक आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ रेलगाड़ियां कम दूरी की भी हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी को भारत की विरासत और संस्कृति के आधार पर अलग-अलग थीम पर तैयार किया गया है। प्रत्येक रेलगाड़ी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें विभिन्न प्रकार के सैलून, विविध व्यंजन वाले रेस्तरां, लॉन्ज, बार, मिनी बार, जिम, स्पा और सम्मेलन कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इनके अलावा व्यक्तिगत रूप से तापमान नियंत्रण, टी.वी., वाई-फाई, इंटरनेट, टेलीफोन, पाइप्ड म्यूज़िक, सीसीटीवी, मनी चेंजर, लॉन्ड्री इत्यादि की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। हर रेलगाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।

सड़कें

वर्ष 2009 में तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विभाजित कर दो स्वतंत्र मंत्रालयों- जहाजरानी मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किया गया। देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह विकास की गति, संरचना और तरीकों को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा रख-रखाव करता है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988%; केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का संचालन और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008; सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, ऑटोमोटिव मानकों आदि से संबंधी नीतियां बनाता है। इसके अलावा यह पड़ोसी देशों में वाहनों की आवाजाही का इंतजाम भी करता है। परिवहन (यात्री और माल) के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में सड़क नेटवर्क लगभग 58.98 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और गांवों की सड़कें शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्ग का क्षेत्र 1,32,500 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 1,56,694 किलोमीटर और अन्य सड़कें 56,08,477 किलोमीटर हैं। कुल मिलाकर सड़क मार्ग 59,97,671 किलोमीटर हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव की जिम्मेदारी मंत्रालय पर है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य सड़कों के विकास में राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सड़क कोष और अंतर-राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की योजना से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

एनएचडीपी को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सात चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा था। इस पर 6,00,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में चार महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलैटेरल, पूर्वोत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ता है। यह सलेम से कोच्चि तक प्रमुख बंदरगाहों को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। एनएचडीपी के तहत शेष कार्य अब मंत्रालय के नए कार्यक्रम- भारतमाला में शामिल कर दिए गए हैं।
वेबसाइट: www.morth.nic.in

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव

सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2000 से चलाई जा रही यह परियोजना देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड कर रहे हैं।

भारतमाला परियोजना

मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना के तहत सागरमाला के समाकलन से सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने, छोटे बंदरगाहों के लिए सड़क संपर्क सहित तटवर्ती सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारे की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारे के विकास, अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है। भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 26,000 कि.मी. लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। आशा है कि इससे गोल्डन क्वाड्रिलैटेरल और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों के साथ सड़क परिवहन से अधिकतम माल की ढुलाई की जा सकेगी। लगभग 8,000 कि.मी. के अंतर गलियारे और लगभग 7.500 कि.मी. फीडर मार्गों की पहचान की गई है ताकि आर्थिक गलियारों, गोल्डन क्यूएड्रिलेटरल और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारों की कार्य-क्षमता में सुधार किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत ढुलाई क्षमता बढ़ाने और शहरों में वाहनों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए रिंग रोड/बाईपास और ऊंचे गलियारों का विकास किया जाना है। इस सिलसिले में रिंग रोड के लिए 28 शहरों और 125 रोधक तथा 66 भीड़-भाड़ वाले स्थलों की पहचान की गई है।

प्रमुख आर्थिक केंद्रों में संपर्क में सुधार के लिए परियोजना के तहत सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके चिह्नित नेटवर्क में और वृद्धि की गई है। महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्धारण और पहचान में न्यूनतम दूरी के सिद्धांत का पालन किया गया है ताकि पहले से बने रेलमार्ग/मौजूदा रेलमार्ग के सुधार और उन्नयन की तुलना में समग्र लागत को कम किया जा सके। इन नई परियोजनाओं से कुछ वर्षों में पूंजीगत मूल्य और वाहन संचालन लागत में भारी कमी आ सकती है।

सेतु भारतम्

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे, मंत्रालय ने सेतु भारतम् नामक योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी/आरयूबी की योजना बनाई है।

चार धाम महामार्ग विकास परियोजना

यह योजना उत्तराखंड में स्थित चार प्रसिद्ध धाम- गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्गों के विकास के बारे में है। ये चारों धाम प्रख्यात तीर्थ स्थल के रूप में काफी लोकप्रिय हैं। इस परियोजना के तहत समाकृति की दो लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गम्प्राधिकरण अधिनिय 1988 के तहत की गई थी। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) संबंधी कार्य सौंपा गया है। इनमें अन्य छोटी परियोजनाओं के साथ-साथ 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख-रखाव और प्रबंधन के कार्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य अनुबंध देने में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सर्वोत्तम किस्म की परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उपयोगकर्ताओं के लिए आरामदेह तथा सुविधाजनक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के रख-रखाव की व्यवस्था के लिए बोली के मानदंडों और प्रक्रिया में पारदर्शिता के वास्ते सभी अनुबंध देने और खरीद में उद्योग की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की अंतर-राज्य आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई के लिए देश की मुख्य मार्गीय सड़कें हैं। वे देश के विभिन्न भागों को राष्ट्रीय और राज्यों की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, रेल जंक्शनों से जोड़ते हैं। ये सीमा सड़कों और विदेशी राजमार्गों के साथ भी संपर्क स्थापित करने का माध्यम हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेस वे सहित) की कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है। जबकि राजमार्ग/एक्सप्रेस वे समूचे सड़क नेटवर्क की लंबाई का केवल लगभग 1.7 प्रतिशत है। इन पर लगभग 40 प्रतिशत सड़क यातायात होता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य के अलावा जो काम सौंपे गए हैं, वे इस प्रकार हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, प्रबंधन तथा रख-रखाव करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क जमा करना, इसके उचित प्रबंधन के लिए वाहनों के संचालन को विनियमित तथा नियंत्रित करना, भारत तथा विदेश में परामर्शदात्री एवं निर्माण सेवाएं प्रदान करना और राजमार्गों के विकास, रख-रखाव, प्रबंधन या अन्य सुविधाओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियां

करना। प्राधिकरण को इसके अलावा राजमार्ग आदि से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार भी दिया गया है।
वेबसाइट: www.nhai.gov.in

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) देश में प्रमुख राजमार्गों के उच्च स्तर के उन्नयन, पुनर्निर्माण और उन्हें चौड़ा करने की परियोजना है। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का प्रबंधन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 49,260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के काम और निर्माण का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल), पूर्णतः मंत्रालय के स्वामित्व वाली कंपनी है। पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ लगे देश के सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन और उन्हें चौड़ा करने का कार्य केवल निगम का ही है।

भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी

भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी (आईएएचई), मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पंजीकृत समिति है। इसकी स्थापना 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य देश के राजमार्ग इंजीनियरों की भर्ती के स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण की लंबे समय से महसूस की जा रही मांग को पूरा करना है।

प्रमुख पहल

राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के सड़क नेटवर्क का केवल दो प्रतिशत है, लेकिन यह परिवहन का 40 प्रतिशत बोझ उठाता है। सरकार, लंबाई और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विस्तार की योजना है ताकि देश के सभी हिस्से सड़कों से जुड़ सकें। सड़क संपर्क निर्माण में पूर्वोत्तर क्षेत्र, पिछड़े तथा अंदरूनी इलाकों, सीमा संपर्क सड़कों, तटीय सड़कों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालय ने भूमि के अधिग्रहण, पेड़ गिराने और पुरानी परियोजनाओं इत्यादि को फिर से शुरू करने तथा संतुलन बनाने के लिए विभिन्न मानकों और नीतियों का सरलीकरण किया है।

राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण और लाइसेंस रिकॉर्ड

इस क्षेत्र में सुधार के लिए बदलावों के वास्ते मंत्रालय ने कई नीतियां लागू की हैं। ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत आरटीओ कार्यों को सफलतापूर्वक स्वचालित बनाया है और समेकित परिवहन डाटाबेस तैयार किया गया है। इसके साथ ही कई नागरिक और व्यापार केंद्रित एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। इस मिशन मोड परियोजना के मुख्य पहलू, दो प्रमुख एप्लीकेशन - वाहन और सारथी हैं। वाहन देशभर में पंजीकरण, कराधान, परमिट, फिटनेस और अन्य सेवाओं के लिए हैं। सारथी- ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूलों और अन्य संबद्ध कार्यों से संबंधित है। इसे 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक आरटीओ में, संबद्ध राज्य के नियमों, कर व्यवस्था आदि के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

इस डाटाबेस को, बायोमीट्रिक प्रमाणन तथा ई-केवाईसी, डिजीलॉकर के साथ समाकलन के लिए आधार से जोड़ा गया है। इससे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों, परमिट इत्यादि जैसे वर्चुअल दस्तावेजों को अधिकृत सॉफ्टकॉपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा

सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनाई है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। इस नीति के तहत जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस बनाया जाता है, दुर्घटना की आशंका वाली जगहों की पहचान तथा परिशोधन किया जाता है, दुर्घटना आंकड़ा संग्रहण में सुधार तथा आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है, राजमार्ग इंजीनियरों तथा पेशेवरों को सड़क इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है, वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार किया जाता है, सुरक्षित सड़क बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जाता है और सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाता है । सड़क सुरक्षा के बारे में मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हैं- प्रचार उपाय तथा जागरूकता अभियान, ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना, असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना। सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण जांच उपकरण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन।

यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी यात्री बसों और टैक्सियों में जीपीएस उपकरण और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मुसीबत में फंसने पर उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके और मदद की जा सके।

ई-टोलिंग

टोल प्लाजा पर परिवहन बाधाएं दूर करने और वाहनों के सुचारू संचालन तथा टोल संग्रह के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक टोल व्यवस्था लागू की है, जो पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन पर आधारित है और ईपीसी जैन-2, आईएसओ 18000-6सी मानकों के अनुरूप है । इससे फास्टैग के जरिए टोल का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह किया जाता है। यह परियोजना 2015 में शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना

राजमार्गों को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए इन पर पौधरोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण और रख-रखाव नीति 2016 में बनाई गई । यह जहाजरानी से संबंधित नियम, विनियम वाला एक अग्रणी निकाय है । इस नीति का उद्देश्य समुदाय, किसानों गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से पर्यावरण हितैषी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना है । नीति के तहत शुरुआत में 1500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधे लगाए गए । इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

जहाजरानी

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजन कर 2009 में जहाजरा मंत्रालय का गठन किया गया। देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से नौवहन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह विकास की गति, संरचना और प्रतिमानों को प्रभावित करता है । जहाजरानी मंत्रालय में पोत परिवहन, बंदरगाह, जहाज निर्माण तथा मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल है। इस पर इनसे संबंधित नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी है । समुद्री परिवहन देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। जल परिवहन के विकास की गति, संरचना और तरीके इससे निर्धारित होते हैं। इसे इन विषयों पर नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने और लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
वेबसाइट: www.shipmin.gov.in

समुद्री विकास

भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत के जहाजरानी उद्योग ने पिछले कई वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश का 95 प्रतिशत व्यापार इसी माध्यम से होता है। यह व्यापार के कुल मूल्य का 68 प्रतिशत है। इस स्थिति के मद्देनज़र जहाजरानी, समुद्री संसाधन, जहाज डिजाइन तथा निर्माण, बंदरगाह, पोतायन, मानव संसाधन विकास से संबंधित मुद्दों, वित्त, सहायकों और नई प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता है। जहाजरानी हमेशा से पूरी दुनिया में परिवहन का सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका है, इसलिए इसकी

उपयोगिता को समझते हुए गुणवत्ता को बढ़ाने की जरूरत है।

सागरमाला कार्यक्रम

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों और जहाज चलने लायक 14,500 कि.मी. समुद्री किनारे के उपयोग के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। इससे देश में बंदरगाह से संबद्ध विकास हो सकेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम ढांचागत निवेश के साथ घरेलू व्यापार और निर्यात-आयात के लिए माल ढुलाई की लागत कम करना है। इनमें शामिल हैं घरेलू कार्गो परिवहन की लागत कम करना, तट के निकट भावी औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाकर बड़ी मात्रा में वस्तुओं की ढुलाई की लागत कम करना; बंदरगाह के निकट अलग विनिर्माण समूहों इत्यादि का विकास। इस कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं- बंदरगाह आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह संपर्क, तटीय सामुदायिक विकास इत्यादि।

जहाजरानी उद्योग

जहाजरानी उद्योग सबसे अधिक वैश्वीकृत उद्योगों में से एक है जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कारोबार के माहौल में कार्य करता है। यह अन्य अधिकतर उद्योगों की तुलना में बहुत ज्यादा उदार है, इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़ा है। जहाजरानी उद्योग विशेषकर निर्यात-आयात व्यापार में भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 68 प्रतिशत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है।

भारतीय जहाजरानी नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं- विदेशों के साथ व्यापार में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जहाजरानी को बढ़ावा और निर्यात-आयात में संबद्ध पक्षों के हितों की रक्षा करना।

जहाज निर्माण

भारतीय जहाज निर्माण उद्योग, रक्षा, तटीय और अंतरदेशीय पोतों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। भारतीय पोत कारखाने मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के बेड़े में विस्तार और भारतीय तटरक्षकों के लिए पोत निर्माण पर बल देते हैं। भारत के जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के वास्ते 1971 तक जहाज निर्माण सब्सिडी योजना लागू थी। अक्टूबर, 2002 में देश के सभी पोत कारखानों को इस योजना में शामिल कर लिया गया। इससे देश के पोत कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला।

जहाज मरम्मत

विश्व के जहाज मरम्मत बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगातार कम बनी हुई है, क्योंकि उसने इस क्षेत्र में बहुत कम क्षमता विकास किया है। दक्षता की कमी और अधिक करों के कारण भारत के जहाज मालिक विदेशी मरम्मत सुविधाओं पर निर्भर हैं। देश में कुल 27 पोत कारखाने हैं। इनमें छह केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं। दो राज्य सरकारों के उपक्रम हैं और 19 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

जहाज पुनरावर्तन

विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30 प्रतिशत है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग-सोसिया में किया जाता है। अलांग-सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसे फरवरी, 1983 में शुरू किया गया था। अलांग-सोसिया गांव से लगी कैंबे की खाड़ी के पश्चिमी तट पर लगभग 10 किमी. समुद्री इलाके के निकट जहाज पुनरावर्तन कारखाना स्थापित किया गया है। यहां उच्च ज्वार-भाटा रेंज, मामूली ढलान और पक्की जमीन के साथ लंबा बीच है। इससे उसे वहीं पर जहाजों की बीचिंग की सुविधा भी मिली हुई है। इसमें प्रतिवर्ष 450 से अधिक (लगभग 4.5 मिलियन एलडीटी) जहाजों के पुनरावर्तन की क्षमता है। जहाज पुनरावर्तन से प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन से अधिक पुनः रोलेबल स्टील का उत्पादन होता है। यह काम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना किया जाता है और अयस्क से इस्पात बनाने की बजाय इसका पुनरावर्तन किया जाता है।

प्रमुख बंदरगाह

उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से समुद्रवर्ती क्षेत्र में नए अवसर खोले हैं। आर्थिक विकास में बंदरगाहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत की लगभग 7,517 किमी. लंबी तटीय रेखा के निकट 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। छह बड़े बंदरगाह कोलकाता, परादीप, विशाखापत्तनम, कामराजार (एन्नौर), चेन्नई और वी.ओ. चिदमन्नार पूर्व तट पर है। अन्य बड़े बंदरगाह कोच्चि, न्यू मंगलोर, मोरमुगाओ, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (शेवा, नवी मुंबई) और दीनदयाल (पहले का कांडला) पश्चिम तट पर हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची में आते हैं। प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर शेष संबंधित राज्य सरकार अधिकार क्षेत्र में हैं और समवर्ती सूची में हैं। भारत के सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल परिवहन यातायात में से 57 प्रतिशत बड़े और 43 प्रतिशत छोटे बंदरगाहों के जरिए होता है।

कोलकाता बंदरगाहः कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है। इसकी स्थापना लगभग 138 वर्ष पहले हुई थी। इसके वृहद भीतरी प्रदेश में समूचा पूर्वी भारत आता है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य और दो पड़ोसी देश-नेपाल और भूटान शामिल हैं। इसमें दो गोदी प्रणालियां-हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है।

पारादीप बंदरगाहः पारादीप बंदरगाह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। भारत सरकार ने 1996 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार से अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार ने 1966 में पारादीप बंदरगाह न्यास को देश का आठवां प्रमख बंदरगाह घोषित किया और इसे स्वतंत्र भारत में गठित पर्व तट का पहला प्रमुख बंदरगाह बना दिया।

न्यू मंगलोर बंदरगाहः न्यू मंगलोर बंदरगाह को 1974 में नौवां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। यह एकल बिंदु लंगर है। इसकी कुल क्षमता 87.63 एमटीपीए है।

कोच्चि बंदरगाहः कोच्चि के इस आधुनिक बंदरगाह का विकास 1920-40 के दौरान सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों से किया गया था। 1930-31 तक इसे पोतों के लिए 30 फुट तक औपचारिक रूप से खोला गया था। इसे 1936 में प्रमुख बंदरगाह का दर्जा दिया गया। प्रमुख बंदरगाह न्यास कानून, 1963 के तहत 1964 में इसका प्रशासन न्यासी बोर्ड के हाथों में था। कोच्चि बंदरगाह भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर स्थित है और पूर्व-पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंता की स्थिति में है। बंदरगाह के परिक्षेत्र में समूचा केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ इलाके हैं। यूरोप तथा सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग की निकटता के कारण कोच्चि बड़ी संख्या में कंटेनर लाइंस आकर्षित कर सकता है और कारोबार के प्रचुर अवसर पैदा कर सकता है।

जवाहरलाह नेहरू बंदरगाहः जवाहरलाह नेहरू बंदरगाह का निर्माण 1980 के दशक के मध्य में किया गया था। इसे 1989 में चालू किया गया था। इसने विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर वाले बंदरगाह का दर्जा हासिल कर लंबी विकास यात्रा तय की है। निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसी नई पहल के जरिए इसने भारत में बंदरगाह विकास का नमूना पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सभी मौसमों में काम कर सकता है। इसमें 12 लंगरगाह हैं। इसकी कुल क्षमता 89.37 एमटीपीए है।

मुंबई बंदरगाहः मुंबई बंदरगाह पूर्णतः एकीकृत बहुउद्देश्यीय बंदरगाह है जिसमें कंटेनर, सूखा बल्क, तरल बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैं। इसमें व्यापक गीली और सूखी गोदी सुविधाएं हैं जिनसे यहां के जहाजों की सामान्य जरूरतें पूरी होती हैं। इसमें 33 बंदरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 65.33 एमटीपीए है।

चेन्नई बंदरगाहः चेन्नई बंदरगाह हर मौसम में कार्य करने वाला कृत्रिम बंदरगाह है। इसमें एक आंतरिक और एक बाहरी बंदरगाह है। इसके अलावा एक गीली गोदी तथा एक नौका घाटी है जहां चौबीसों घंटे नौवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें 24 बंदरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 93.44 एमटीपीए है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी।

मोरमुगाओ बंदरगाहः भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह एक दशक से भी अधिक पुराना है। आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाले इस बंदरगाह को कई प्रकार की कार्गो गतिविधियों में दक्षता हासिल है। यह एक

प्राकृतिक बंदरगाह है, जो ब्रेकवाटर और मोल से घिरा है। सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे वाले इस बंदरगाह में काम करने के लिए प्रेरक माहौल है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल होने के कारण बड़े पोत भी इसमें जा सकते हैं। बंदरगाह में सात लंगरगाह हैं और एक ट्रांस-शिपमेंट हैं। इसकी कुल क्षमता 50.04 एमटीपीए है।

वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह (ततीकोरिन): वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से भारत के दक्षिण-पूर्व तट पर पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग के निकट 8°45' अक्षांश उत्तर और देशांतर रेखांश 78°13' पूर्व पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी पर स्थित इस बंदरगाह के दक्षिण-पश्चिम में श्रीलंका और पश्चिम में भारत भूमि का बड़ा हिस्सा है। इसमें 15 लंगरगाह हैं और इसकी कुल क्षमता 65.90 एमटीपीए है।

दीनदयाल बंदरगाह (कांडला): दीनदयाल बंदरगाह (पूर्व नाम कांडला बंदरगाह) की स्थापना 1950 में केंद्र सरकार की परियोजना के रूप में की गई थी। केंद्र सरकार ने एक बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए कांडला को अपने अधिकार में लिया था। 150.26 एमटीपीए क्षमता वाले इस बंदरगाह में अपतटीय सहित तीन तैरते हुए नौबंध सहित 28 लंगरगाह हैं।

विशाखापत्तनम बंदरगाहः विशाखापत्तनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए खोला गया। यह एकमात्र भारतीय बंदरगाह है जिसे तीन अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन-आईएसओ 14001; 2004 (ईएमएस)। ओएचएसएएस 18001 और आईएसओ 90001:2000 (क्यूएमएस) प्राप्त हैं। इसमें लौह अयस्क, लौह पट्टिकाओं, अल्यूमिना, उर्वरक, कच्चा माल, कच्चा तेल तथा पीओएल उत्पाद, तरल अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, खाद्य तेल, कास्टिक सोडा और अन्य तरल सामग्री के लदान की यंत्रीकृत सुविधा है। इसमें 24 लंगरगाह हैं और इसकी क्षमता 110.75 एमटीपीए है।

कामराज बंदरगाह लिमिटेड (एन्नौर): कामराज बंदरगाह लिमिटेड, जहाजरानी मंत्रालय के तहत संचालित 12वां प्रमुख बंदरगाह है। इसकी स्थापना 2001 में मुख्य रूप से कोयला बंदरगाह के रूप में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की थर्मल कोल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित प्रमुख बंदरगाहों में यह एकमात्र कॉरपोरेट बंदरगाह है। इसमें आठ लंगरगाह हैं। इसकी कुल क्षमला 57 एमटीपीए है।

अंतर्देशीय जल परिवहन

भारत सबसे लंबे जहाजरानी और अंतर्देशीय जल नेटवर्क वाले देशों में शामिल है। फिर भी देश में जहाजों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई के केवल एक प्रतिशत की ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्गों से होती है। जहाजरानी और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के नियमन और विकास के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्र जलमार्ग घोषित किया गया है। 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा के बाद पूर्व-संभाव्यता अध्ययन तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसमें अन्य विषयों के अलावा नौ-परिवहन, नौभार की उपलब्धता, विकास की लागत इत्यादि शामिल होगी।

जल मार्ग विकास परियोजना

जल मार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण करता है। इसका उद्देश्य गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी भाग पर राष्ट्रीय जल मार्ग की क्षमता बढ़ाना है। यह कार्य विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है। परियोजना के मुख्य कार्यों में शामिल हैं- तीन मल्टीमॉडल और इंटर-मॉडल टर्मिनल लॉक का निर्माण तथा फरक्का में नई नेविगेशनल रख-रखाव सुविधाएं, दिन-रात जहाजरानी सहायता, नदी संरक्षण कार्य इत्यादि।

तटीय जहाजरानी

तटीय जहाजरानी से ईंधन की बचत होती है। यह पर्यावरण हितैषी है और सड़कों पर वाहनों की भीड़ भाड़ कम करने में मददगार है। चीन, अमरीका और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में परिवहन में जलमार्गों की भागीदारी, भारत की तुलना में काफी अधिक है। वर्तमान में अंतरदेशीय जलमार्गों से देश के अंदर माल ढुलाई, इसकी क्षमता से बहुत कम होती है।

क्रूज जहाजरानी

दुनियाभर में अवकाश पर्यटन के घटक के तौर पर 'क्रूज पर्यटन' का तेजी से विकास हो रहा है। इस प्रकार के अवकाश पर्यटन से काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। उचित बुनियादी ढांचे और नीतियों से अनुकूल माहौल बनाकर इसे आय का साधन बनाया जा सकता है। भारत में तीव्र आर्थिक विकास और मध्यम वर्ग के बढ़ने तथा आय में वृद्धि होने से देश में क्रूज पर्यटन के अनुकूल माहौल बना है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय के कैंपस चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम में हैं। सात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त समुद्री प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थानों का भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में विलय कर दिया गया है। ये संस्थान हैं- मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता; मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई; लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एडवांस्ड मेरीटाइम स्टडीज़ एंड रिसर्च, मुंबई; टी.एस. चाणक्य, नवी मुंबई; नेशनल मेरीटाइम अकादमी, चेन्नई; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट, कोलकाता और नेशनल शिप डिजायन एंड रिसर्च सेंटर, विशाखापत्तनम।

लाइटहाउसेज़ एवं लाइटशिप्स

विशाल समुद्र में नाविकों को अपनी स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जमीन या अंतरिक्ष से किसी संकेतक से दिशा-निर्देशों की आवश्यकता होती है। लाइटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय, नौवहन में दृश्य सहायता उपलब्ध कराता है जिससे नाविक धरती पर एक निश्चित बिंदु के संदर्भ में अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह दृश्य सहायता लाइटहाउस, लाइटशिप, पानी पर तैरने वाले चिह्नों तथा प्रकाशस्तंभों के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। नाविकों को अंतरीय ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, राडार संकेत दीपों, पोत यातायात सेवा, स्वचालित पहचान प्रणाली जैसी रेडियो सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

जहाजरानी महानिदेशालय, मुंबई

जहाजरानी मंत्रालय से संबद्ध जहाजरानी महानिदेशालय की स्थापना 1949 में की गई थी। इस पर भारतीय व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 को लागू करने की जिम्मेदारी है। इनमें जहाजरानी नीति तथा कानून और सुरक्षा, प्रदूषण रोकथाम से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठनों के अन्य आदेशात्मक नियमों को लागू करना, समुद्र संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, परीक्षा लेना व प्रमाण-पत्र देना और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभावी कामकाज के लिए उन पर निगरानी रखना शामिल है।
वेबसाइट: www.dgshipping.gov.in

भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड

भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में, जहाजरानी निगम एकीकरण आदेश 1961 के तहत ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का विलय करके की गई थी। दोनों कंपनियों के बीच नीतियों के बेहतर समन्वय, बेहतर अर्थप्रबंधन तथा कार्य संचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए इनका विलय किया गया था। भारतीय जहाजरानी निगम, पांच दशक की अपनी इस यात्रा में जहाजरानी के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। निगम के पास 70 जहाजों का बेड़ा है।
वेबसाइट: www.shipindia.com

कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड

केरल के कोच्चि में स्थित कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड देश का सबसे बड़ा पोत कारखाना है, जो 1,10,000 डीडब्ल्यूटी क्षमता वाले पोतों का निर्माण कर सकता है तथा 1,25,000 डीडब्ल्यूटी क्षमता वाले पोतों की मरम्मत कर सकता है। इसने 100 से अधिक पोतों का निर्माण कर उनकी आपूर्ति की है। इनमें टैंकर, बल्क करियर, पोर्टक्रॉफ्ट, अपतट पोत, कर्षण नौकाएं और यात्री पोत शामिल हैं। कंपनी ने पिछले एक दशक से अधिक समय में लगभग 45 जहाजों का

निर्यात किया है। फिलहाल यह भारतीय नौ सेना के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित विमान वाहक लड़ाकू जहाज का निर्माण कर रही है। इसने भारतीय तटरक्षक बल को 20 तीव्र गति वाले गश्ती पोत भी बनाकर दिए हैं। जहाजों की मरम्मत का काम भी इसने बखूबी किया है। कंपनी ने व्यापारिक, नौसैन्य जहाज, तट रक्षक पोत, निकर्षण पोत जैसे विभिन्न प्रकार के जहाजों की मरम्मत की है। यह भारतीय नौसेना के विमान वाहकों की नियमित रूप से सूखी गोदी मरम्मत करने वाला यह एकमात्र कारखाना है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने 13 बार आईएनएस विराट की मरम्मत की। अंतिम बार इसकी मरम्मत 2016-17 में की गई थी। इसे आईएसओ 9001 प्रमाण-पत्र मिल चुका है।
वेबसाइट: www.cochinshipyard.com

भारतीय निकर्षण निगम

भारतीय निकर्षण निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। इसे देश में अन्य देशों के साथ समुद्री व्यापार बढ़ाने, समुद्र तट विकास, भूमि सुधार, अंतर्देशीय निकर्षण, पर्यावरण सुरक्षा और निकर्षण के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी बनने के लिए एकीकृत निकर्षण और इससे संबंधित अन्य समुद्री सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामरिक दृष्टि से विशाखापत्तनम में भारत के पूर्वी तट पर स्थापित यह कंपनी बड़े तथा छोटे बंदरगाहों के शिपिंग चैनलों, नौसेना, मछली पकड़ने के स्थानों और अन्य समुद्री संगठनों में वांछित गहरेपन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। निगम, नए बंदरगाहों की स्थापना के लिए कैपिटल निकर्षण, मौजूदा बंदरगाहों को गहरा करने या विभिन्न बंदरगाहों पर आवश्यक गहराई बनाए रखने के लिए निकर्षण के रख-रखाव जैसे कार्यों द्वारा राष्ट्र की सेवा करता है।
वेबसाइट: www.dredging-india.nic.in

अंडमान तथा लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स

जहाजरानी मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय अंडमान तथा लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स की स्थापना 1965 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह को सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे इन द्वीप समूहों में बंदरगाह और पत्तन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वेबसाइट: www.andsswland.nic.in/alhw

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता 1984 में केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना। कंपनी की पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में दो कार्यरत इकाइयां हैं। एक इकाई सईकिया में और दूसरी नजीरगंज है। इसकी स्थापित क्षमता जहाज निर्माण में 1,100 टन और जहाज मरम्मत में 125 जहाज सालाना है। इसमें एक सूखी गोदी और एक जलबंधक के अलावा छह जलावतरण मंच भी हैं। इसका पोत कारखाना विभिन्न प्रकार के जहाज (यात्री जहाज सहित) और निकर्षण पोत, कर्षण, आपूर्ति और सहायता पोत, बहु उपयोगी पत्तन, पोत, लाइटहाउस टेंडर पोत, माल ढुलाई नौका, नौबंध नाव जैसे विभिन्न प्रकार के पोत निर्माण में सक्षम है।

नागर विमानन

नागर विमानन मंत्रालय पर देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाने की ज़िम्मेदारी है। इस पर विमान अधिनियम, 1934; विमान नियम, 1937 और नागर विमानन क्षेत्र संबंधी अन्य कानूनों के लागू करने का उत्तरदायित्व भी है। मंत्रालय, नीतियां बनाने के मुख्य कार्य के अलावा नीतिगत दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में संगठनों का मार्गदर्शन करता है, उनकी गतिविधियों की निगरानी और आकलन करता है। यह सरकार के विशेष कार्यक्रमों खासकर समाज के कमजोर तबकों के लिए बनाए गए विशेष कार्यक्रमों के संगठनों द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
वेबसाइट: www.civilaviation.gov.in

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार जून 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति अधिसूचित की गई। इसका उद्देश्य ऐसा पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है जिससे नागर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिले। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सकेगा। इस नीति का उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता तथा सुविधाजनक बनाकर यात्रियों की संख्या को बढ़ाना है। इसका मकसद इस कारोबार को आसान बनाने के लिए नियंत्रण हटाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और ई-गवर्नेंस तथा समूचे नागर विमानन क्षेत्र को सुसंगत रूप से बढ़ावा देना है। इसमें कार्गो, एमआरओ, सामान्य विमानन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी निर्माण और कौशल विकास भी शामिल है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना

क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान को राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में शामिल किया गया है। इसके दो उद्देश्य- संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और विमान यात्रा को सस्ता बनाना है। यह योजना 10 वर्ष तक लागू रहेगी। इसके तहत मौजूदा हवाईपट्टियों और हवाई अड्डों का पुनरुद्धार कर हवाई संपर्क सुविधा से वंचित या इसके अभाव वाले क्षेत्रों में यह सुविधा पहुंचाना है।

एयर सेवा

नागर विमानन मंत्रालय ने लोगों को सुविधाजनक और आरामदायक हवाई यात्रा का अनुभव कराने के लिए 2016 में एयर सेवा की शुरुआत की थी। यह एन्ड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों के लिए मोबाइल एप या इंटरएक्टिव वेब पोर्टल (airsewa.gov.in) से संचालित है। इसमें शिकायत निपटान, शिकायत निपटान के लिए बैक ऑफिस ऑपरेशन, फ्लाइट स्टेटस/समय-सारणी सूचना, हवाई अड्डा संबंधी जानकारी और एफएक्यूएस के लिए व्यवस्था है। एयर सेवा पहल से विमानन क्षेत्र में उन संबद्ध पक्षों को एकीकृत किया गया है, जिनसे विमान यात्रियों को संवाद की जरूरत होती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उदारीकरण

भारत सरकार ने अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई यातायात सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दी है। अनुसूचित एयरलाइंस में स्वतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत है और इससे अधिक के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। प्रवासी भारतीयों के लिए स्वतः तरीके से शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति जारी रहेगी।

नागर विमानन महानिदेशालय

नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय से संबद्ध है। इसका प्रमुख महानिदेशक (नागर विमानन) है। इसका मुख्यालय दिल्ली में और उप-क्षेत्रीय कार्यालय देशभर में हैं। निदेशालय में मुख्य उत्तरदायित्व देश के भीतर विमान सेवाओं का नियमन और नागरिक उड्यन नियमों, विमान सुरक्षा, हवाई उपयुक्तता मानकों को लागू करना है। विमान रख-रखाव इंजीनियरों, पायलटों को लाइसेंस देना; चालक दल के सदस्यों के मानकों की निगरानी; विमानों का नियमन; छोटी विमान दुर्घटनाओं की जांच; फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब की प्रशिक्षण गतिविधियों की निगरानी और अन्य नियामक कार्य भी इसकी जिम्मेदारी हैं। ये नियम, विमान कानून 1934, विमान नियम, नागर विमानन आवश्यकताओं, वैमानिक सूचना परिपत्र के रूप में हैं। यह अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठनों के साथ सभी विनियमन गतिविधियों का समन्वय भी करता है।
वेबसाइट: www.dgca.nic.in

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का गठन प्रारंभ में डीजीसीए की एक इकाई के रूप में 1978 में किया गया था। इस पर नागर विमानन सुरक्षा मामलों में समन्वय, निगरानी, निरीक्षण और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व है। 1987 में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया। ब्यूरो, देश में नागर विमानन सुरक्षा नियामक की भूमिका निभाता है। इसे उड़ानों में तोड़-फोड़ निरोधक और पूर्व आरोहण सुरक्षा के लिए मानक तय करने और इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए वह नियमित निरीक्षण और सुरक्षा जांच करता है। मुख्य रूप से इस पर विदेशों

के हवाई अड्डों से भारतीय विमानों के संचालन और भारत में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के मानक तय करने और इन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व है। ब्यूरो का उद्देश्य, विमानन कार्यों में आ रहे गैर-कानूनी व्यवधानों को दूर करना है। विमानन सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व के लिए यह नियामक प्राधिकरण है। यह अन्य विषयों के अलावा नियोजन, विमानन संबंधी सभी सुरक्षा गतिविधियों में समन्वय, संचालन, आपदाओं तथा संकट प्रबंधन का काम करता है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, हैदराबाद और इंफाल हवाई अड्डे पर हैं।
वेबसाइट: www.bcasind.nic.in

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल, 1995 में की गई थी। यह मिनी रत्न श्रेणी-I का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो देशभर में भवन उन्नयन और हवाई अड्डों के आधारभूत ढांचे का प्रबंधन और रख-रखाव करता है। इसके पास 125 हवाई अड्डे हैं (96 चालू और 29 बंद अवस्था में)। इनमें से 21 अंतरराष्ट्रीय (तीन सिविल एन्क्लेव), आठ सीमा शुल्क हवाई अड्डे (चार सिविल एन्क्लेव), 77 घरेलू हवाई अड्डे और 19 घरेलू सिविल एन्क्लेव हैं।
वेबसाइट: www.aai.acro

वायु पथ प्रदर्शन सेवाएं

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण देश के सभी नागरिक अड्डों पर वायु पथ प्रदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह 2.8 मिलियन वर्ग समुद्री मील प्राधिकृत एयर स्पेस का प्रबंधन करता है। इसमें 1.05 मिलियन वर्ग समुद्री मील और 1.75 मिलियन वर्ग समुद्री एयरस्पेस शामिल है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 11 अन्य हवाई अड्डों पर एयर नेविगेशन सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। ये हवाई अड्डे हैं बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोच्चि, लेंगपुई, दीव, लातुर, मुंद्रा, नांदेड़ और सत्यसाईं पुट्टापार्थी हवाई अड्डे। जोकि संयुक्त उद्यम, राज्य सरकार के या निजी हवाई अड्डे हैं।

जीपीएस की सहायता से भू-संवर्धित पथ प्रदर्शन (गगन) प्रणाली, नागर विमानन क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जीपीएस संकेतों को अधिक सटीक और निर्बाध बनाती है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और इसरो मिलकर इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। यह मई, 2015 से पूरी तरह सक्रिय है और प्रतिदिन चौबीसों घंटे उपलब्ध है। वर्तमान में गगन सिंगल-इन-स्पेस, दो भू-स्थिर उपग्रहों (जी सैट-8 और जी सैट-10) से प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध है। गगन प्रणाली को तीसरे भू-स्थिर जी सैट-15 के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

एयर इंडिया

एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का विलय कर एक नई कंपनी- भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी बनाई गई थी। इस विलय के बाद अस्तित्व में आई नई कंपनी को एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके विलय की तिथि एक अप्रैल, 2007 है। इसका शुभंकर 'महाराजा' को ही बनाए रखा गया। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। एयर इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से यात्री एयरलाइन है जो 72 ऑनलाइन घरेलू स्टेशनों (अलाएंस एयर सहित) और 28 देशों में 42 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। यह नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में परिवहन सेवा क्षेत्र की कंपनी है।
वेबसाइट: www.airindia.in

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल), 65 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी एयरलाइन सहायक कंपनियों की उड़ानों के प्रबंधन के अलावा 24 विदेशी अनुसूचित एयरलाइनों, चार घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों, तीन क्षेत्रीय एयरलाइनों, 16 सीजनल चार्टर एयरलाइनों और 23 विदेशी एयरलाइनों के लिए भी ग्राउंड हैंडलिंग कारगो सेवाएं उपलब्ध कराती है।

एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एआईसीएल), 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' ब्रांड नाम से सस्ती एयरलाइन चलाती है। इसे किराए पर लिए गए तीन बी 737-800 विमानों के साथ 2005 में शुरू किया गया था। यह केरल के तीन स्टेशनों से खाड़ी में पांच स्टेशनों तक सेवाएं उपलब्ध कराती है। 31 मार्च, 2016 को इसके पास सत्रह बी 737-800 विमान स्वयं के और एक किराए का बी 737-800 विमान था। यह 12 भारतीय और 13 विदेशी ऑनलाइन स्टेशनों की सेवाएं प्रदान करती है।

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सेवा लिमिटेड

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सेवा लिमिटेड (एआईईएसएल) अभी एयर इंडिया लिमिटेड के 135 विमानों और इसकी सहायक कंपनियों-एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसिज लिमिटेड तथा कुछ अन्य एयरलाइन्स को रख-रखाव, मरम्मत और निरीक्षण सेवाएं उपलब्ध करा रही है। सभी एयरलाइन्स और विमानों को अड्डे से पांच घंटे की उड़ान के दौरान ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड

कंपनी के पास 2016 में किराये के तीन एटीआर 42-320, पांच एटीआर 72-600 और तीन सीआरजे 700 विमानों का बेड़ा था। इस वर्ष के अंत तक देश के भीतर कंपनी के नेटवर्क में 29 स्टेशन थे। वर्तमान में इसकी हर सप्ताह लगभग 196 उड़ानें होती हैं।

अलाएंस एयर पूर्वोत्तर परिषद के साथ समझौता ज्ञापन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। यह लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा व्यावहारिकता अंतरनिधीयन के अनुदान वचन के तहत अगात्ती और मुख्यभूमि के बीच विमान चलाती है। यह पोर्टब्लेयर/कार निकोबार/पोर्टब्लेयर में चार्टर सेवाएं , अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से सप्ताह में एक बार सीआरजे विमान की सेवाएं जुलाई, 2014 से उपलब्ध करा रहा है।

होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विनिवेश प्रक्रिया के तहत होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तीन इकाइयों (सेंटूर मुंबई एयरपोर्ट, सेंटूर जुहू बीच, मुंबई और इंडो होक्के होटल लिमिटेड, राजगीर) की बिक्री के बाद, वर्तमान में इसकी तीन इकाइयां हैं - सेंटूर लेक व्यू होटल , श्रीनगर , शैफेयर फ्लाइट कैटरिंग, दिल्ली और शैफेयर फ्लाइट कैटरिंग, मुंबई सहित सेंटूर दिल्ली हवाई अड्डा।
वेबसाइट: www.centaurhotels.com

पवन हंस लिमिटेड

पवन हंस लिमिटेड को अक्टूबर, 1985 में कंपनी अधिनियम के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में (हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से) निगमित किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके अलावा पर्वतीय तथा दुर्गम इलाकों में सेवाएं उपलब्ध कराना और चार्टर विमान उपलब्ध कराना है ताकि यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में और कॉरपोरेट कार्यालय नोएडा में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय- मुंबई, नई दिल्ली और गुवाहाटी में हैं। कंपनी कई सरकारों- मेघालय, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गृह मंत्रालय को हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को चार डॉफिन हेलीकॉप्टर और लक्षद्वीप को दो डॉफिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। कंपनी एनटीपीसी, गेल, जीएसपीसी और ऑयल इंडिया को भी हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही है।

पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में इसके पास 43 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है और यह पूरे देश में सेवाएं उपलब्ध कराती है। पवन हंस ने कड़ी स्पर्धा की स्थिति में संस्थागत ग्राहकों, मुख्यतः तेल उद्योग और सरकारी क्षेत्र में दीर्घावधि अनुबंध हासिल किए हैं।

यह ओएनजीसी की मुंबई स्थित ड्रिलिंग रिंग को चौबीसों घंटे महत्वपूर्ण आपूर्ति और कर्मियों के आवागमन और अपतटीय संचालन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें मुंबई के समुद्री तट के पास ड्रिलिंग रिंग के

लिए उसके कामगारों का आवागमन और सामग्री की दिन-रात ढुलाई शामिल है। यह कंपनी मुंबई में मुख्य भूमि से 130 किमी. के दायरे में ओएनजीसी रिंग के उद्गम और उत्पादन प्लेटफार्म कार्यों में मदद करती है।

पवन हंस हर वर्ष मई-जून और सितंबर-अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसने श्री अमरनाथजी यात्रा के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।
वेबसाइट: www.pawanhans.co.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली (उत्तर प्रदेश) के फुर्सतगंज में की गई थी। अकादमी के पास अति-आधुनिक दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण सहायक और अन्य सुविधाएं भी हैं जो 180° तक दृश्य प्रदान करने वाले साइमूलेटर से लैस है। अकादमी में योग्य और विमानन तथा उड़ान प्रशिक्षण में लंबे अनुभव वाले प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अकादमी का उद्देश्य केवल पायलटों को प्रशिक्षित करना ही नहीं है बल्कि वैमानिकी में योग्य प्रणाली प्रबंधक तैयार करना भी है। इसमें फ्लाइंग प्रशिक्षणार्थियों को कॉकपिट में सहजता से पारगमन के लिए आवश्यक स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। अकादमी ने अपने मौजूदा ढांचे में बड़ा विस्तार किया है। छात्रावास के कमरों की संख्या 72 से बढ़ाकर 144 कर दी गई है। इनमें 20 कमरे लड़कियों के छात्रावास के हैं। इसके अलावा सड़कें फिर से बनाई गई हैं, छात्रावासों में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणाली लगाई गई है, 60 टीआर x 3 क्षमता वाला एयर कंडिशनिंग संयंत्र लगाया गया है, नई जल आपूर्ति लाइनें बिछाई गई हैं, खेल परिसर का नवीकरण किया गया है और स्वीमिंग पूल तथा मनोरंजन केंद्र बनाया गया है।
वेबसाइट: www.igrua.gov.in

भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण

भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2009 में भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण कानून, 2008 के तहत की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कानून, 2013 के अंतर्गत की गई है। यह उत्तर प्रदेश में रायबरेली के फुर्सतगंज में है। यह देश में विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ताप प्रशिक्षण तथा शोध का एक अग्रणी संस्थान है। यह विश्वविद्यालय नागर विमानन क्षेत्र में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है।

इसका उद्देश्य विमानन उद्योग के सभी उपक्षेत्रों के संचालन और प्रबंधन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर विमानन अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना है।
वेबसाइट: www.rgnau.ac.in

27 जल संसाधन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। इसके कार्यों में क्षेत्रगत आयोजना, समन्वय, नीति दिशानिर्देश, परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, विशेष परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना, बाहरी सहायता मुहैया कराने में मदद करना और अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान में सहायता करना, बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में नीति निर्माण, आयोजना और मार्गदर्शन, भूमिगत जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण, बांध सुरक्षा और नदी विकास तथा गंगा (इसकी सहायक नदियों के संरक्षण सहित) संरक्षण, अंतरराज्यीय नदियों का नियमन और विकास, न्यायाधिकरणों के फैसलों को लागू करना, जल गुणवत्ता मूल्यांकन, द्विपक्षीय बाहरी सहायता और भारत और पड़ोसी देशों की साझा नदियों से संबंधित मामले शामिल हैं।

इस मंत्रालय का नाम बदल कर जल शक्ति मंत्रालय रखा गया है, जिसके दो विभाग-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हैं।
वेबसाइट: www.mwr.gov.in

जल उपलब्धता

देशभर में या उसके किसी भी क्षेत्र में सालाना तौर पर जल उपलब्धता ज्यादातर विज्ञान और भूगर्भीय कारकों पर निर्भर करती है। समेकित जल संसाधन प्रबंधन के राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईडब्ल्यआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में वर्षा के माध्यम से प्रतिवर्ष 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल प्राप्त होता है। वाष्पन के उपरांत 1869 बीसीएम जल प्राकृतिक तौर पर बचता है। भूगर्भीय और अन्य कारकों से, प्रतिवर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल की मात्रा 1,137 बीसीएम रह जाती है जिसमें 690 बीसीएम सतह का और 447 बीसीएम पुनः इस्तेमाल किया जा सकने वाला भूजल होता है।

देश में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है और भारत में प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता उसकी बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार गिरती जा रही है। वर्ष 2001 और 2011 में प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता क्रमशः 1,820 क्यूबिक मीटर्स और 1,545 क्यूबिक मीटर्स आंकी गई थी जिसके वर्ष 2025 और 2050 में घटकर क्रमशः 1,340 और 1,140 क्यूबिक मीटर्स तक रह जाएगी। वार्षिक तौर पर प्रतिव्यक्ति 1,700 क्यूबिक मीटर्स से कम जल उपलब्धता उसकी कमी वाली स्थिति मानी जाती है, जबकि सालाना प्रतिव्यक्ति 1,000 क्यूबिक मीटर्स से कम जल उपलब्धता को जलाभाव की स्थिति माना जाता है। अस्थायी और विभिन्न स्थानों पर अनियमित वर्षा के कारण देश के कई क्षेत्रों में जल उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है जिसे जल की कमी/जलाभाव की स्थिति कहा जा सकता है। वर्ष 2025 और 2050 में बढ़ी जरूरतों को देखते हुए विभिन्न तरह के इस्तेमाल के लिए यह जरूरत क्रमशः 843 और 1,180 बीसीएम आंकी गई है।

राष्ट्रीय जल नीति

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी। इस नीति के तहत देश में जल स्रोतों के संरक्षण, विकास एवं उनके रख-रखाव के लिए कई सिफारिशें दी गई थीं। इसमें मुख्य जोर राष्ट्रीय जल संरचना कानून पर है; अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए व्यापक योजना; विभिन्न कार्यों के

लिए पानी के उचित इस्तेमाल के लिए मानदंड स्थापित करना; प्रत्येक राज्य द्वारा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और जल के पुनः इस्तेमाल और री-साइकिल करने को प्रोत्साहन देना है। नीति में जल स्रोत परियोजनाओं और सेवाओं के रख-रखाव में सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिया गया है; सूक्ष्म सिंचाई, स्वचालित सिंचाई प्रणाली आदि के लिए जल संचयन को प्रोत्साहन; नदियों, रिवर कॉरिडोर, जल निकायों और अवसंरचना को सामुदायिक सहयोग से नियोजित तरीके से वैज्ञानिक आधार पर तैयार करना; अत्यधिक दोहन किए जाने वाले इलाकों में गिरते भूजल का बचाव करना प्रमुख कार्य हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन

जलवायु परिवर्तन और संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) की तैयारी की है, जिसके अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों के जरिए जलवायु परिवर्तन के असर से उपजी चुनौतियों को सामना करने हेतु तैयारियां की जाएंगी। इनमें से एक राष्ट्रीय जल मिशन है।

राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य है 'जल संरक्षण, अपव्यय से बचाना और समेकित जल स्रोत विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के अंदर और बाहर जल की बराबर आपूर्ति करना। मिशन के पांच निर्धारित लक्ष्य हैं: (क) जन क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा बेस तैयार करना और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलनः (ख) जल संरक्षण, वृद्धि और बचाव के लिए नागरिकों और राज्य की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना; (ग) अति-दोहित क्षेत्रों सहित अन्य असुरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना; (घ) जल इस्तेमाल में मितव्ययिता में 20 प्रतिशत सुधार और (ङ) जलाशय स्तर के जल स्रोतों के प्रबंधन को प्रोत्साहन। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहभागियों के सक्रिय सहयोग के साथ स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन के आधार पर विभिन्न नीतियां अपनाई गई हैं।

प्रमुख गतिविधियां

जन क्षेत्रों में व्यापक जल डाटा बेसः इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस (जल संसाधन सूचना पद्धति), केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल स्रोतों के संबंध में सूचना देने वाला एक पोर्टल। इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस पर सतह जल और भूजल से जुड़ा समूचा डाटा उपलब्ध कराया जाता है। इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस पर सतही जल स्रोतों और भूजल स्रोतों के बारे में जीआईएस डाटा उपलब्ध कराया जाता है।

एनडब्ल्यूएम वेब पोर्टल: एनडब्ल्यूएम के स्वतंत्र वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। पोर्टल का लक्ष्य किसी एक समय पर जल स्रोतों, संगठनों और जल स्रोतों के विभिन्न पक्षों पर उनकी गतिविधियों की प्रत्येक सूचना देना है।

जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन: मंत्रालय की शोध एवं विकास योजना के अंतग एनडब्ल्यूएम ने आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी और एनआईएच के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन का पता लगाने के लिए आठ नदी घाटियों की पहचान की है। ये हैं महानदी, माही, लूनी, तापी, सतलुज, साबरमती, सुबर्णरेखा और तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन

गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां केवल भारत में ही 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इससे भारत की 28 प्रतिशत जलापूर्ति होती है और इसके दायरे में भारत का 26 प्रतिशत भूक्षेत्र के साथ 43 प्रतिशत जनसंख्या आती है। गंगा का प्रमुख प्रवाह पांच राज्यों से होकर निकलता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए 2,525 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। गंगा घाटी में इसकी सभी उपधाराओं की गिनती भी होती है जो देश के 11 राज्यों में एक मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। गंगा घाटी पूरी तरह 'जलीय सभ्यता' है, जहां नदी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण और उसकी विध्वंसक क्षमता पर रोक लगाना स्थायी एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से जरूरी है। इसके अलावा इस नदी में घड़ियाल, कछुए, गंगा डॉल्फिनें और सुनहरी महसीर आदि जीव भी इस नदी में पाए जाते हैं। इसकी भौतिक क्षमता के अतिरिक्त गंगा भारत के लिए सांस्कृतिक तौर पर भी गहरा महत्व रखती है। धार्मिक/आध्यात्मिक अवसरों पर लाखों लोग गंगा किनारे जुटते हैं और वहां पूजा-अर्चना तथा स्नान करते हैं, इसलिए उनके लिए स्वच्छ गंगा का बड़ा महत्व है। वर्ष 2013 में 120 मिलियन लोग प्रयागराज कुंभ में पहुंचे थे, जो अब तक एक स्थान पर जुटा दुनिया का

सबसे बड़ा जनसमूह रहा।

देश के हृदयस्थल के लिए बहुत पवित्र और प्रमुख जलस्रोत होने के बावजूद, आज गंगा गंभीर रूप से प्रदूषित और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद तनावपूर्ण कारण बन चुकी है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवनशैली में विकास और औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के कारण विराट गंगा कई रूपों में दुर्दशा का सामना कर रही है। गंगा कई तरह के जैविक और बैक्टीरियाई प्रदूषणों से जूझ रही है, खासकर इसके मध्य प्रसार में, जिस कारण मानव स्वास्थ्य, कृषि, नागरी सेवाएं एवं पर्यावरण से जुड़े कई नकारात्मक असर सामने खड़े हैं। गंगा में प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू और औद्योगिक तरल व्यर्थ पदार्थ है। इसमें से 70 प्रतिशत प्रदूषण घरेलू सीवेज के कारण, 20 प्रतिशत विषाक्त औद्योगिक तरल पदार्थों और 10 प्रतिशत कृषि अपशिष्ट, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट आदि के कारण होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, पिघलते हिमखंडों का गंगा के बहाव और अवसंरनात्मक ढांचों का उसके ऊपरी क्षेत्रों पर असर के कारण कई मुद्दे उठ खड़े हुए हैं जिनका व्यापक निवारण आवश्यक है।

गंगा की साफ करने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं, जिनके मिले-जुले नतीजे रहे। गंगा एक्शन प्लान (जीएपी) की शुरुआत 1985 में हुई थी और अगले दो दशकों में इसे दो चरणों (जीएपी 1 और जीएपी 2) के आधार पर आगे बढ़ाया गया। इस योजना का प्रमुख फोकस शहरी व्यर्थ जल अवसंरचना पर था और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) और संबंधित नगरीय व्यर्थ जल अवसंरचना के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया। प्रस्तुत डाटा के अनुसार, शहरी और औद्योगिक विकास के फलस्वरूप फैलने वाले प्रदूषण के कारण समग्र तौर पर कार्यक्रम के आधार पर जल की गुणवत्ता को स्थायी रखा जा सका या उसमें सुधार देखा गया। हालांकि, इसके अमलीकरण में कई सीमाएं भी रहीं- (1) अपर्याप्त निवेश, (2) स्थापित क्षमता का अधूरा इस्तेमाल, (3) स्थानीय निकायों का अल्प स्वामित्व, (4) दीर्घकालिक विलंब और कमजोर संप्रेषण- जिस कारण जनसंपर्क असफल रहा।

2015 में 20,000 करोड़ रुपये की निर्देशात्मक राशि के साथ 'नमामि गंगे' नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पिछली एवं मौजूदा परियोजनाओं को समाहित किया गया है और कई नई शुरुआत भी इसका हिस्सा रहीं। 2016 में, गंगा नदी (पुनर्नवीकरण, रक्षण और रख-रखाव) प्राधिकरण आदेश 2016, एनजीआरबीए को नमामि गंगे के तौर पर एक प्राधिकरण में भी बदला गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को भी एक प्राधिकरण के रूप में बदला गया है।

जल क्रांति अभियान

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2015-16 से 2017-18 तक के लिए जल क्रांति अभियान की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य देश में सभी सहभागियों को एकजुट कर, समग्र प्रयास से जलसंरक्षण और रख-रख करना था ताकि यह जन आंदोलन के तौर पर सामने आए। जल क्रांति अभियान के लक्ष्य इस प्रकार हैं: जल संरक्षण और विकास योजनाओं में (उदाहरण, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम)) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को शामिल कर सभी सहभागियों की मदद से इसे मूल स्तर पर सशक्त करना; जल स्रोत संरक्षण और उनके रख-रखाव के संबंध में पारंपरिक ज्ञान को अपनाना और उसे अमल में लाने को प्रोत्साहन देना; सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों आदि में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्र आधारित विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करने को बढ़ावा देना।

जलमंथन

जलमंथन, जल क्षेत्र के मामलों से संबंधित नए विचारों पर मंथन करने और उनका स्पष्ट समाधान तलाशने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श से जुड़ी इस मंत्रालय की पहल है। जलमंथन, मंत्रालय की नीतियों को ज्यादा से ज्यादा जनता के अनुकूल और राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने पर केंद्रित है। जलमंथन विविध हितधारकों को अपनी चिंताओं और जल संसाधन से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की राह में आने वाली रुकावटों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत 2015-16 से की गई। इसका लक्ष्य सुनिश्चित सिंचाई

के अंतर्गत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना, खेती में जल के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतना, स्थायी जल संरक्षण अभ्यासों को अपनाना आदि रहा है।

इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश अभिसरण (जिला स्तर पर और यदि आवश्यक हुआ तो जल उपयोग योजनाओं की उप-जिला स्तर पर तैयारी); खेत में जलापूर्ति को बढ़ावा और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विकास (हर खेत को पानी); खेत में मौजूद जल के इस्तेमाल में सुधार जिससे वह व्यर्थ न जाए और उसकी अवधि तथा प्रसार दोनों की उपलब्धता बढ़े जलभृत का पुन:भरण और जल संरक्षण से जुड़े स्थायी उपायों का आरंभ; किसानों और जमीनी स्तर पर कार्यकारियों के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल एकत्रीकरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना; और सूक्ष्म सिंचाई में निजी निवेश को बढ़ावा देना है।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई/बहुउद्देशीय सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई एआईबीपी के जरिए आर्थिक तौर पर पोषित किया जा रहा है और मरम्मत, नवीकरण एवं जल निकायों की बहाली (आरआरआर), सतही छोटी सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरुआत देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता देने के लक्ष्य से 1996-97 में की गई थी। इसका लक्ष्य यह भी था कि जिन राज्यों के पास ऐसी योजनाओं के लिए उचित स्रोत नहीं हैं या जहां यह पूर्ण होने वाले हैं, उन्हें भी तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। इसमें प्राथमिकता उन परियोजनाओं को दी गई जो पांचवीं योजना से पहले या उसके दौरान शुरू की गई हों, और उन्हें भी जो कबीलायी या अकाल पीड़ित इलाकों के हित में काम कर रही हों। 1999-2000 से एआईबीपी के अंतर्गत विशेष श्रेणी राज्यों जिनमें पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और ओडिशा के कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट जैसे क्षेत्रों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय ऋण सहयोग भी पारित किया गया है।

कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन

केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में किसानों के खलिहानों तक सिंचाई जल को सुचारू तरीके से पहुंचाने के लिए विकसित किया गया था। इसका लक्ष्य किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रति यूनिट भूमि और जल से उपजने वाली जोत के उत्पादन और उत्पादन क्षमता के लिए जल के इस्तेमाल में बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बहुविषयक टीम के माध्यम से समन्वित विधि से सिंचित कृषि संबंधित सभी गतिविधियों को एक-दूसरे से जोड़ने का विचार रखा गया है।

वर्ष 2004 में कार्यक्रम को कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) के तौर पर पुनर्गठित कर नया नाम दिया गया। इस कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के साथ अमल में लाया जा रहा है। प्रोग्राम 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के उपांश हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अधीन कार्यरत है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम को 2016-17 से एआईबीपी की 99 सीएडी प्राथमिक परियोजनाओं के अमल तक सीमित कर दिया गया है। सीएडी अंश के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को वृहद तौर पर 'संरचनात्मक' और 'गैर-संरचनात्मक' हस्तक्षेप के तौर पर श्रेणीगत किया गया, जो इस प्रकार हैः

(क) संरचनात्मक हस्तक्षेपः सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन एवं कार्यान्वयनः (i) ऑन-फार्म डेवलपमेंट (ओएफडी) कार्य; (ii) खेत, मध्यवर्ती एवं संपर्क नालों का निर्माण; (iii) व्यवस्थागत कमियों का निवारण; और (iv) जलप्लावित क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति।

(ख) गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेपः इसमें सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधियां संचालित होती हैं: (i) पंजीकृत जल उपभोक्ता संघों (डब्ल्यूयूए) को एक बार कार्यात्मक अनुदान; (ii) पंजीकृत डब्ल्यूयूए को एक बार अवसंरचना अनुदान; (iii) जल उपभोग में प्रशिक्षण, प्रदर्शन और अनुकूलन

विधियां और साथ ही, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्थायी सिंचाई सहभागिता परिवेश विकास।

सिंचाई में जल उपभोग में मितव्ययिता बरतने के लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग दिया जाता है ताकि वह फील्ड चैनलों के विकल्प के तौर पर लघु-सिंचाई में स्प्रिंक्लर/ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवस्था की शुरुआत करें। प्रत्येक परियोजना के कम-से-कम 10 प्रतिशत सीसीए को लघु सिंचाई के दायरे में लाया जाता है। लघु-सिंचाई अवसंरचना में जल वहन और खेत कार्यों के लिए सम्प, पम्प, हाई-डेन्सिटी पॉलीथीन और उपयुक्त उपकरणों (स्प्रिंक्लर, रेन गन, पिवट आदि) का इस्तेमाल किया जाता है। लघु-सिंचाई के मामले में जमीन को समतल करने वाले, ड्रेनेज कार्यों आदि के उपकरणों को कम इस्तेमाल किया जाता है या पूरी तरह हटा दिया जाता है; इससे खर्च में कटौती होती है जिससे लघु-सिंचाई अवसंरचना की उच्च लागत में कमी आती है। स्प्रिंक्लर/रेन गन/ड्रिप सेट्स आदि को किसानों को खेतों के केंद्र के नीचे लगाना पड़ता है- ये उपकरण लघु-सिंचाई अवसंरचना के अंश नहीं होते। किसानों के समक्ष कृषि मंत्रालय की प्रचलित योजनाओं से जुड़ा अनुदान प्राप्त करने या ऐसे उपकरणों को खरीदने में से एक विकल्प रहता है।

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन

राष्ट्रीय जल नीति जल संसाधन प्रबंधन में सहभागिता के भाव पर जोर देती है। यह देखा गया है कि सिंचाई व्यवस्था और सिंचाई जल के प्रभावी इस्तेमाल के लिए लाभार्थियों की सहभागिता बहुत कारगर साबित होती है। सिंचाई व्यवस्था में किसानों के सहयोग से उसके कार्यान्वयन और रख-रखाव की जिम्मेदारी हस्तांतरण में और जल उपभोक्ता संघों को उनके अधिकार क्षेत्रों में जल शुल्क एकत्र करने में भी मदद मिलती है। प्रति हेक्टेयर 1200 रुपये का एक बार का अनुदान जल उपभोग संघों को केंद्र, राज्य और किसानों द्वारा क्रमश: 45:45:10 के अनुपात में आवंटित होता है और इस राशि से प्राप्त ब्याज रख-रखाव के काम आता है।

बाढ़ प्रबंधन

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

भारत में बाढ़ द्वारा बारंबार तबाही होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष, देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आती है। इससे निजी और सार्वजनिक, जान-माल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही, अवसंरचना पर भी गहरा असर पड़ता है और लोगों में मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक तौर पर भी गहरा असर पड़ता है। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) ने देश में 40 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) बाढ़ प्रवण क्षेत्र का अनुमान लगाया था, जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ प्रबंधन कार्यकारी समूह ने बढ़ाकर 49.815 एमएच कर दिया था। बाढ़ के प्रकोप से मानव जीवन, भूमि और संपत्ति को बचाने के लिए पिछले पांच दशकों से राज्य सरकारें बाढ़ प्रबंधन कार्यों में लगी हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन कार्यकलाप

12वीं योजना के दौरान प्रमुख कार्यों/योजनाओं को कवर करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना 2014 से प्रचालित की जा रही है। इसके निम्नलिखित घटक हैं: पड़ोसी देशों के साथ साझी सीमावर्ती नदियों के संबंध में जल विज्ञान संबंधी प्रेक्षण एवं बाढ़ पूर्वानुमानः (क) भारत और नेपाल दोनों ही देशों में बहने वाली नदियों के बारे में बाढ़ का पूर्वानुमानः भारत और नेपाल दोनों ही देशों में बहने वाली नदियों के बारे में बाढ़ का पूर्वानुमान जारी है और वर्तमान में नेपाली क्षेत्र में 46 मौसम विज्ञान संबंधी/जलमौसम विज्ञानी स्थल हैं, (ख) भूटान से शुरू होने वाली नदियों पर जलविज्ञानीय प्रेक्षणः भारत में नियंत्रण कक्षों को वास्तविक आंकड़े प्रदान करने के लिए भारत और भूटान दोनों ही देशों में बहने वाली नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए एक व्यापक योजना भी परिचालन में है। भूटान में अवस्थित इन स्थलों के परिचालन और रख-रखाव की लागत भारत द्वारा वहन की जाती है, (ग) भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में बहने वाली नदियों पर संयुक्त प्रेक्षण और पड़ोसी देशों के साथ सहयोगः भारत-बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित संधि के प्रावधानों के अनुसार, जल की कमी वाले मौसम (जनवरी से मई) के दौरान गंगा/गंगा नदी का जल भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किया जाता है। हर साल जल की कमी वाले मौसम में जलविज्ञानीय प्रेक्षण फरक्का (भारत) और हार्डिंग ब्रिज (बांग्लादेश) में संयुक्त रूप से

किए जाते हैं। इसके अलावा, मौजूदा समझौता ज्ञापनों के अनुसार, चीन की ओर से प्रत्येक मानसून, में ब्रह्मपुत्र पर तीन केंद्रों (नुगेशा, येंगक्नेन और नुक्सिया) तथा सतलुज पर एक केंद्र (त्सादा) के जलविज्ञानीय आंकड़े भारत को प्रदान किए जाते हैं तथा इन केंद्रों के रख-रखाव की लागत भारत द्वारा वहन की जाती है। चीन की ओर से प्रदान की जाने वाली सूचना का उपयोग बाढ़ के पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी में किया जाता है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा घाटी में बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीबी) की स्थापना की गई थी। इसके कार्य हैं: व्यापक नीतियां बनाना और विभिन्न योजनाओं पर प्राथमिकता के अनुसार निर्णय लेना; गंगा घाटी में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करना और योजनाओं को पारित करना।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन आने वाला विभाग है जिसका मुख्यालय पटना में है। इसकी स्थापना भी 1972 में गंगा घाटी राज्यों में बाढ़ से जूझने के लिए एक सचिवालय एवं कार्यकारी शाखा के तौर पर हुई थी।

गंगा घाटी के 11 राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। गंगा घाटी के नदी तंत्र हैं (1) गोमती, (2) अधवारा समूह, (3) घाघरा, (4) महानंदा, (5) कमलाबालन, (6) बूढीगंडक, (7) बागमती, (8) पुनपुन, (9) कोसी, (10) गंडक, (11) अजय, (12) किऊल-हरोहर, (13) दामोदर, (14) मयूराक्षी, (15) यमुना, (16) रामगंगा, (17) टोन्स, (18) बदुआ-चंदन, (19) रूपनारायण-हल्दी-रसूलपुर, (20) जलंगी, (21) सोन, (22) टाइडल नदियां और (23) मुख्य गंगा। इनमें से अधिकांश नदियां अंतरराज्यीय नदियां हैं।

केंद्रीय भूजल बोर्ड

भूजल विकास

देश के विभिन्न हिस्सों में भूजल क्षमता कई स्तरों पर पाई जाती है। एक ओर जहां गंगा के जलोढ़ क्षेत्रों में भूजल की अपार क्षमता है, वहीं दूसरी ओर पथरीले क्षेत्रों में भूजल स्रोत बहुत सीमित हैं। इसी तरह, देश के भिन्न क्षेत्रों में भूजल स्रोत विकास की दिशा में भी एक समान कार्य नहीं हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में भूजल विकास की दिशा में किए गए कार्यों के कारण अत्यधिक दोहन हुआ है और भूजल स्तर गिरा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भूजल क्षेत्र में अभी तक सामान्य से कम विकास कार्य हुआ है, जिस कारण अभी इस क्षेत्र में कार्य की कई संभावनाएं हैं। सीजीडब्ल्य राज्य भूजल विभागों के साथ निश्चित अवधि के बाद भूजल स्रोतों का आकलन करता रहता है।

जलभर मापन एवं जलभर प्रबंधन योजना निरूपण

जलभर सतह से नीचे की चट्टानों का ऐसा संस्तर होता है जहां भूजल एकत्र और प्राप्त होता है। बारहवीं योजना में सीजीडब्ल्यूबी ने राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना (एनएक्यूयूआईएम) के अंतर्गत भूजल की पहचान, निरूपण, विवरण एवं असरकारी प्रबंधन का कार्य अपने हाथों में लिया है। परियोजना के अधीन मौजदा डाटा, डाटा में अंतर का आकलन, जलभर मानचित्र हेत अतिरिक्त डाटा तैयारी और जलभर प्रबंधन योजना की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे जुड़ी प्रत्येक गतिविधि के अधीन अन्य गतिविधियां एवं कार्यों को विस्तृत कार्यविधि से अमल में लाया जा रहा है।

'कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संग्रहण' पर प्रदर्शन परक परियोजनाएं

सीजीडब्ल्यूबी ने कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संग्रहण पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रदर्शन परक परियोजनाएं आयोजित की हैं।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को देश में भूजल विकास और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस संबंध में वह आवश्यक आदेश भी दे सकता है। प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के खंड 5 के अंतर्गत प्राधिकारों को प्रस्तावित अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (2) से संबंधित सभी मामलों में निर्देश देने एवं कार्यवाही का अधिकार है; उक्त कानून के खंडों 15 से 21 की सहायता लेना; देश में भूजल नियमन एवं नियंत्रण, प्रबंधन और विकास की दिशा में कार्य करना और आवश्यक हो तो इस दिशा में जरूरी नियामक दिशानिर्देश जारी करना।

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटी आरआई) केंद्रीय भूजल बोर्ड की प्रशिक्षण इकाई है। यह केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य संगठनों, अकादमिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों की प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करता है। जलभर प्रबंधन की राष्ट्रीय परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई त्रिस्तरीय (राष्ट्रीय, राज्यीय एवं ब्लॉक स्तर) प्रशिक्षण कार्यक्रम को अमल में ला रहा है।

केंद्रीय जल आयोग

केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार का कोई पदेन अधिकारी होता है। आयोग के कार्य मुख्यतः तीन खंडों में बंटे हैं, जो हैं, डिजाइन एवं शोध खंड (डी एंड आर), जल प्रबंधन एवं परियोजना खंड (डब्ल्यूपी एंड पी) और नदी प्रबंधन खंड (आरएम)। प्रत्येक खंड में कई इकाइयां/संगठन आते हैं और वह उन्हें प्रदान किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन और राज्य सरकार के विभागों के साथ कुशल तालमेल के लिए सीडब्ल्यूसी ने 13 स्थानीय कार्यालय स्थापित किए हैं। ये कार्यालय बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलांग, सिलिगुड़ी एवं गांधी नगर में हैं। केंद्रीय एवं राज्य के कार्यरत अभियांत्रिकों एवं गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रशिक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी का प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में स्थित है।
वेबसाइट: www.cwc.gov.in

कार्य

सीडब्ल्यूसी पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके राज्यों में जल संसाधनों के रख-रखाव, संरक्षण ए इस्तेमाल के लिए शुरुआत, समन्वय एवं उसे विकसित करने की जिम्मेदारी होती है। यह कार्य बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन के क्षेत्रों में किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो आयोग, ऐसी किसी भी योजना के निर्माण और कार्यान्वयन का काम अपने हाथ में ले सकता है। सीडब्ल्यूसी के प्रमुख कार्य होते हैं: राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और बहुआयामी परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक पक्ष को प्रोत्साहन; देश की प्रमुख नदियों के जलीय एवं जलीय मौसमी परियोजनाओं से जुड़े डाटा को एकत्र, संकलित, प्रकाशित और उसका आकलन करना। यह मुख्यतः वर्षा, अतिरिक्त बहाव और तापमान आदि के लिए कार्य करता है; देशभर में जल संसाधनों और उनके इस्तेमाल एवं जल की गुणवत्ता से जुड़े विवरण संबंधी डाटा को एकत्र करना, जारी रखना और प्रकाशित करना; देश के सभी नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों को बाढ़ की भविष्यवाणी से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराना; भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के लिए किसी भी नदी घाटी विकास योजना में निर्माण कार्य; केंद्र एवं राज्य संगठनों में कार्यरत अभियांत्रिकों को जल संसाधन विकास के भिन्न पक्षों से जुड़ा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना; जल संसाधन विकास के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक, बाढ़ की भविष्यवाणी और संबंधित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास जैसी डाटा एकत्र करने वाली तकनीक को प्रोत्साहनः आकति विज्ञान की मदद से नदियों के आचरण, तट क्षरण समस्याओं का आकलन करना और इन मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।

जलीय अवलोकन

केंद्रीय जल आयोग देशभर में सभी प्रमुख नदी घाटियों पर जलीय-मौसमी अवलोकन का कार्य करने वाले 878 स्टेशनों का नेटवर्क चला रहा है, जिनके कार्य हैं: (i) जल स्तर (मापन), (ii) बहाव, (iii) जल गुणवत्ता, (iv) गाद, (v) खास स्टेशनों पर बर्फ का अवलोकन करने वाले चुनिंदा मौसम विज्ञानी मानदंडों का इस्तेमाल। इसके अतिरिक्त, आयोग 76 विशिष्ट मौसम विज्ञान अवलोकन केंद्र भी संचालित करता है। इन केन्द्रों से प्राप्त डाटा का इस्तेमाल जल संसाधन परियोजनाओं के योजना निर्माण एवं विकास में, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, जल उपलब्धता अध्ययन, बाढ़/अंतर्वाह पूर्वानुमान, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मुद्दों की परख करने, नदी आकृति विज्ञान अध्ययन, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास, जलकुंड गाद अध्ययन एवं शोध आधारित गतिविधियों के काम आता है।

जल गुणवत्ता निगरानी

केंद्रीय जल आयोग देश की सभी प्रमुख नदी घाटियों में जल गुणवत्ता निगरानी करने वाले 429 स्थलों पर कार्यरत है। सीडब्ल्यूसी जल के भौतिक-रासायनिक मानदंडों की जांच करने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली का संचालन करता है। प्रथम स्तरीय प्रयोगशालाएं भारत की प्रमुख नदियों पर 406 जल गुणवत्ता जांच केंद्रों पर स्थित हैं जहां तापमान, रंग, गंध विशेष चालकता, विद्युत चालकता, पूर्ण विघटित ठोस तत्व, पीएच एवं नदी जल की विघटित ऑक्सीजन का आकलन किया जाता है। देशभर के चुनिंदा प्रखंडों में 18 द्वितीय स्तरीय प्रयोगशालाएं भी हैं जिनमें जल की 25 भौतिक-रासायनिक विशेषताओं और बैक्टीरियाई मानदंडों का आकलन किया जाता है। वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, कोयंबटूर और गुवाहाटी में पांच तृतीय स्तर/द्वितीय प्लस प्रयोगशालाएं हैं जिनमें मजबूत धातुओं/विषाक्त मानदंडों एवं कीटनाशकों सहित 41 मापदंडों का अध्ययन होता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा जल गुणवत्ता डाटा जल संसाधन परियोजनाओं, शोध उद्देश्यों आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकत्रित जल गुणवत्ता डाटा उपयोग जल संसाधन परियोजनाओं की योजना एवं विकास संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है।

बाढ़ का पूर्वानुमान

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) आंकड़ों के संग्रह और वास्तविक समय में आंकड़ों के पारेषण की वांछित स्वचालित प्रणाली के लिए अपने बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अब तक 510 आंकड़ा संग्रह केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है, तीन अर्थ रिसीविंग सेंटर नई दिल्ली, जयपुर और बरला में स्थापित किए जा चुके हैं, आंकड़ों के विश्लेषण, बाढ़ पूर्वानुमान निरुपण और संबद्ध एजेंसियों तक उसे त्वरित रूप से प्रसारित करने के लिए 21 मॉडलिंग सेंटर अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रणालियों से युक्त किए गए हैं। 12वीं योजना के अंतर्गत बाढ़ के पूर्वानुमान, आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कार्यकलापों के लिए देश के विविध बेसिनों में उपग्रह आधारित टेलीमेट्री सिस्टम के साथ पांच अतिरिक्त मॉडलिंग सेंटर सहित 458 अन्य केंद्रों का आंकड़ों की स्वचालित प्राप्ति के लिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

सीडब्ल्यूसी 226 केंद्रों पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवा उपलब्ध करा रहा है, जिनमें से 166 प्रमुख नदियों पर स्तर पूर्वानुमान केंद्र हैं और 60 प्रमुख बांधों/बैराजों पर प्रवाह पूर्वानुमान केंद्र हैं। इनमें से 27 केंद्रों पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवा 2017 के दौरान प्रारंभ की गई। यह देश की 19 प्रमुख नदी प्रणालियों और 20 राज्यों को कवर करती हैं, जिनमें-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश-दादरा और नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। बाढ़ के मौसम के दौरान सीडब्ल्यूसी स्थिति पर नजर रखने के लिए नई दिल्ली और देश भर में फैले 24 मंडल कार्यालयों में चौबीसों घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्षों का संचालन करता है। प्रत्येक वर्ष हर मौसम के दौरान लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। सामान्य तौर पर ये अनुमान नदी क्षेत्र, बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों और बेस स्टेशनों के स्थान के आधार पर 6 से 48 घंटे पहले जारी किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में परम्परागत बाढ़ पूर्वानुमान की पद्धति के अलावा वर्षा-रनऑफ पद्धति पर आधारित पूर्वानुमान के गणितीय मॉडल भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसने सीडब्ल्यूसी को तीन दिन पहले बाढ़ चेतावनी जारी करने में सक्षम बनाया है।

आकृति विज्ञान अध्ययन

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण उपायों का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद, नदी आकृति विज्ञान और उपयुक्त नदी प्रशिक्षण कार्य को अमल में लाना हमारे जैसे विशाल देश के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहां प्रतिवर्ष बाढ़ से जान-माल का गंभीर नुकसान होता है। बाढ़ की समस्या नदी के निचले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गाद/कीचड़ जमा होने के कारण होती है। इसलिए बाढ़ से निपटने के लिए नदी की विशेषताओं को समझना आवश्यक है ताकि समस्या पर प्रभावशाली नीतियों से काबू पाया जा सके। तीन नदियों, घाघरा, सतलुज एवं गंडक का आकृति विज्ञान अध्ययन पूरा हो चुका है। साथ ही, 15 अन्य नदियों के आकृति विज्ञान अध्ययन चल रहे हैं, जिनमें गंगा, शारदा, राप्ती, कोसी, बागमती, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, पगलादिया, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानंदा, महानदी, हुगली और ताप्ती शामिल हैं।

डिजाइन परामर्श

केंद्रीय जल आयोग भारत और पड़ोसी देशों, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यामां, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देशों की अधिकांश विशाल जल संसाधन परियोजनाओं से जुड़ा है। यह कार्य इन परियोजनाओं के डिजाइन परामर्श या तकनीकी समीक्षा के जरिए चल रहा है। चार डिजाइन इकाइयां इस दिशा में आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों की डिजाइन संबंधित समस्याओं पर कार्य कर रही हैं।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना

विश्व बैंक की मदद से चलने वाली बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की लागत करीब 21,00 करोड़ रुपये की है। इस परियोजना के अंतर्गत सात राज्यों के 223 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है। ये राज्य हैं झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड। इसके अतिरिक्त, परियोजना में शामिल राज्यों एवं केंद्रीय जल आयोग के सांगठनिक सशक्तीकरण अंश का भी प्रावधान निहित है।

बड़े बांधों का नेशनल रजिस्टर

सीडब्ल्यूसी द्वारा रखे जाने वाले बड़े बांधों के नेशनल रजिस्टर (एनआरएलडी) की हालिया संग्रहित सूचना के अनुसार देश में 5,701 बड़े बांध हैं। इनमें से 5,254 बांध पूरे हो चुके हैं और 447 अन्य का कार्य चल रहा है। एनआरएलडी सीडब्ल्यूसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जल संसाधन सूचना प्रणाली

सीडब्ल्यूसी और इसरो ने 2010 में संयुक्त रूप से जल संसाधन सूचना प्रणाली (इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस) विकसित की थी। इसके उपरांत, इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस की वेबसाइट के चार संस्करण जारी किएजा चुके हैं। संस्कर 4.1 वर्ष 2015 में जारी किया गया और पब्लिक डोमेन (जन क्षेत्र) पर यह 1:250000 के मापन पर उपलब्ध है। इस सूचना प्रणाली में जल संसाधन परियोजनाओं, बड़े जल स्रोतों, भूमि उपयोग/आच्छादित भूक्षेत्र, बंजर जमीन, भू-क्षरण आदि विषयक कार्यों के अतिरिक्त, पर्यावरण तथा अवसंरचना और अन्य प्रशासनिक सूचना भी निहित रहती है। सूचना प्रणाली में मानचित्र देखने और नौ-परिवहन की बुनियादी क्षमताएं जैसे जूम, ओवरव्यू, बुकमार्क, विषय सूची आदि भी होती है। जलीय-मौसम विज्ञान डाटा वितरण योजना 2013 (एमओडब्ल्यूआर) के प्रावधानों के अनुसार, सीडब्ल्यूसी जी एंड डी स्टेशनों के सभी अवर्गीकृत डाटा को इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

केंद्रीय जल आयोग प्रतिवर्ष जल क्षेत्र के प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), सीडब्ल्यूसी मुख्यालय एवं फील्ड कार्यालयों में दिया जाता है। जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के अंतर्गत जल संसाधन परियोजना के नियोजन, डिजाइन, आकलन, निर्माण, संचालन और जांच जैसे सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाला सीडब्ल्यूसी अग्रणी संस्थान है। साथ ही, यहां जल क्षेत्र के शीर्ष तकनीकी उपयोग की जानकारी भी दी जाती है।

राष्ट्रीय जल अकादमी

राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) एक प्रशिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत खडकवासला, पुणे में की गई थी। एनडब्ल्यूए का मुख्य लक्ष्य जल संसाधन योजना, विकास, प्रबंधन एवं सांगठनिक सुधार क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से जुड़ा प्रशिक्षण देने का है। संस्थान का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर नई उभरती तकनीकों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाए। एनडब्ल्यूए जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी और गैर-तकनीकी पक्षों से जुड़े सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

1988 में स्थापना के बाद से एडब्ल्यूए ने जल संसाधन क्षेत्र के सभी कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण में अद्वितीय योगदान दिया है। इसमें राष्ट्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा अधिकारों के लिए कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य संगठनों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम; अध्यापकों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई), मीडियाकर्मियों, युवा प्रतिनिधियों आदि सभी सहभागियों के लिए भी कार्यक्रम संचालित करता है।

केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

नई दिल्ली स्थित केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस) भू-तकनीकी अभियांत्रिकी एवं सिविल इंजीनियरी के क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला जांच और मूल तथा प्रायोगिक कार्य करने वाला अग्रणी संस्थान है। यह कार्य विशेषकर नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण एवं बांधों की सुरक्षा मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अनुसंधानशाला मुख्यतः भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के उपक्रमों के सलाहकार के तौर पर काम करता है। अनुसंधानशाला में बेहतरीन सुविधाएं और उच्च योग्यता वाले अधिकारी हैं और इसने भू-तकनीकी अभियांत्रिकी और निर्माण सामग्री वर्णन के क्षेत्र में देश में विशिष्ट क्षमताएं हासिल की हैं। अनुसंधानशाला मौजूदा जलीय ढांचों और विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के सुरक्षा आकलन से जुड़ी है जिनमें पड़ोसी देशों भूटान और नेपाल की परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अनुसंधानशाला की गतिविधियों को निम्न प्रमुख क्षेत्रों में रखा जा सकता है: प्रसरणशील मृदा, फैली हुई मृदा का अध्ययन, मूल सामग्री का द्रवचालित विभंजन और गुणवत्ता नियंत्रण; बांध भरण, मृदा विज्ञान, जियोसिंथेटिक्स, संख्यात्मक प्रतिमान और गुणवत्ता नियंत्रण; कंक्रीट डायग्नोस्टिक और कैमिस्ट्री में नैदानिक जांच/स्वास्थ्य जांच, मरम्मत एवं पुनर्वास के लिए सामग्री, पेट्रोग्राफी, रासायनिक जांच, कंक्रीट का टिकाऊपन, रसायन एवं खनिज विज्ञान, जल गुणवत्ता, अल्काली एग्रीगेट रिएक्शन, पॉलीमर जैसा नया पदार्थ, ग्राउट आदि; रॉक मेकेनिक्स में नींव शिला वर्णन, यथास्थान बल एवं विरूप्यता का मापन, भू-भौतिकीय जांच, सांख्यिकीय प्रतिमान।
वेबसाइट: www.csmrs.gov.in

फरक्का बैराज परियोजना

फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में है। यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ है। फरक्का बैराज परियोजना प्राधिकरण 1961 में स्थापित किया गया था। इसके पास फरक्का बैराज परियोजना कॉम्प्लेक्स को बनाने एवं उसके बाद उसे चलाने और रख-रखाव के अधिकार हैं। इस परियोजना में फरक्का बैराज, जंगीपुर बैराज, फीडर कैनाल, नेविगेशन लॉक एवं संबंधित ढांचे आते हैं।

बैराज में 112 गेट (108 मेन गेट और चार फिश लॉक गेट) हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 40,000 क्युसेक (1035 क्यूमेक) जल फीडर कैनाल में छोड़ने के लिए 11 नंबर हेड रेगुलेटर गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। परियोजना का मख्य उद्देश्य गंगा से उचित मात्रा में जल भागीरथी-हुगली नदी समूह में छोड़ना है, जिसके लिए 38.38 कि.मी. लंबी फीडर कैनाल के जरिए कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण और देखभाल की जाती है। इसके लिए भागीरथी-हुगली नदियों की व्यवस्था और नौ-परिवहन में सुधार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गंगा/पद्मा नदियों के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षरण को समयबद्ध तरीके से रोकने और किनारों को बचाने के लिए एफबीपी प्राधिकरण फरक्का बैराज को बचाने का कार्य कर सका, साथ ही, स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी आजीविका सुरक्षा की दिशा में भी कार्यरत रहा है। इन उपलब्धियों के अतिरिक्त, फरक्का बैराज परियोजना ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल को बांटने के लिए 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि भी की थी।

बेतवा नदी बोर्ड

बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी) की स्थापना 1976 में राजघाट बांध परियोजना और बिजली घर को स्थापित करने की दृष्टि से हुई थी। परियोजना प्राधिकरण ने इसकी शुरुआत बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कर दी थी। परियोजना से प्राप्त लाभ और खर्च उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश द्वारा समान रूप से बांटे जाएंगे।

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति

सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) की स्थापना भारत सरकार ने सितंबर, 1980 में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (एनडब्ल्यूडीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार की थी।

एसएससीएसी के कार्यों में शामिल है- बांध एवं बिजलीघर परियोजनाओं का आकलन और इसे प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुमोदित करना; तकनीकी बारीकियों एवं डिजाइन से जुड़े सभी प्रस्तावों का आकलन और उनकी सिफारिश; पारित प्रोग्राम के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए वित्त से जुड़ी जरूरतों का आकलन; जिन कार्यों के अधिकार परियोजना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों, उन अनुबंधों और खर्चों से जुड़ी सिफारिशें और आकलन का कार्य।

तुंगभद्रा बोर्ड

तुंगभद्रा बोर्ड की शुरुआत 1953 में हुई थी। बोर्ड में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। नियत कार्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड राज्य सरकार के अधिकारों का पालन करता है। अपने कार्य व्यापार को पूरा करने के लिए बोर्ड अपने नियम निर्धारित करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों की सरकारें निर्धारित अनुपात में वित्तीय सहयोग देती हैं और इसके निश्चित पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की आपूर्ति भी करती हैं।

अपर यमुना नदी बोर्ड

मंत्रालय के अंतर्गत अपर यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके सदस्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आते हैं।

केंद्रीय जल आयोग इसका सदस्य है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रत्येक की ओर से इसमें एक प्रतिनिधि रहता है। अपर यमुना नदी बोर्ड लाभान्वित राज्यों को पहुंचने वाले पानी और लौटने वाले पानी से जुड़े नियामक तय करता है तथासतही और भूजल गुणवत्ता में सुधार और संरक्षण की जांच; नदी घाटी के लिए जलीय मौसमविज्ञान संबंधी डाटा तैयार रखना; जल-विभाजन प्रबंधन की देखभाल; ओखला बैराज और उस तक की सभी परियोजनाओं की प्रगति की देखभाल और अवलोकन भी करता है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त वैधानिक इकाई है जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनों आते हैं। इसके अतिरिक्त, समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में आने वाला पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। बोर्ड के प्रमुख कार्यों में बाढ़ रोकने के लिए मास्टर प्लान की तैयारी, तटीय क्षरण और जलनिकासी की रुकावट में सुधार, सिंचाई के लिए ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी योजना के जलीय स्रोतों का विकास एवं उपयोग, पनबिजली, नौवहन एवं अन्य लाभकारी उद्देश्यों की दिशा में काम करना है।

नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड

नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (एनडब्ल्यूडीटी) की स्थापना 1969 में नर्मदा से जुड़े जल विवाद पर निर्णय देने के लिए की गई थी। ट्रिब्यूनल ने अपने निर्देश एवं निर्णयों को अमल में लाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इसी तरह,

केंद्र सरकार ने नर्मदा जल योजना को नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (एनसीए) के साथ संलग्न किया है।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमएबी) की स्थापना मंत्रालय के अधीन 2014 में स्वायत्त इकाई के तौर पर की गई थी। बोर्ड के कार्य हैं: परियोजनाओं से परवर्ती राज्यों को जल आपूर्ति करना; अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल्स द्वारा निर्णय लिए जाते हैं; आंध्र प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के साथ किसी अनुबंध या समझौते से जुड़ा निर्णय; केंद्र सरकार द्वारा उल्लेख्य परवर्ती राज्यों को नदियों एवं उनकी उप-धाराओं में जल संसाधन विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चल रहे या नए कार्यों का निर्माण; गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर नई परियोजनाओं के निर्माण और उनकी तकनीकी मंजूरी से जुड़े प्रस्ताव का मूल्यांकन। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहले से पूरी हो चुकी या नियत दिवस पर आरंभ होने वाली ऐसी परियोजनाएं किसी भी तरह जल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव न डालें, जैसा कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कोई अन्य कार्य जो ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपा जाये।

पोलावरम परियोजना प्राधिकरण

पोलावरम सिंचाई परियोजना पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के समीप गोदावरी नदी पर सर ऑर्थर कॉटन बैराज से लगभग 42 किलोमीटर ऊपर स्थित एक बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना है, जहां नदी पूर्वी घाटों के दायरे से आखिरी बार निकलती है और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के मैदानी भाग में दाखिल होती है। इसमें 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता वाले एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना 960 मेगावॉट पनबिजली के उत्पादन, 540 गांवों की लगभग 28.50 लाख आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति, कृष्णा नदी बेसिन में 80 टीएमसी जल धारा का रुख मोड़ने, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ पांच टीएमसी और 1.5 टीएमसी जल की साझेदारी करने की भी परिकल्पना करती है। यह पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में 7.2 लाख एकड़ (2.91 लाख हैक्टेयर) भूमि की सिंचाई करने की क्षमता का सृजन करती है।

भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग

भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सहयोग (जेआरसी) 1972 से कार्यरत है। इसका मुख्य कार्य संयुक्त नदी व्यवस्था से एक समान लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए संपर्क साधे रखना है। इसके लिए भारत और बांग्लाद के प्रधानमंत्रियों ने 1996 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे ताकि जल की कमी वाले मौसम में फरक्का के माध्यम से गंगा जल साझा किया जा सके। संधि के अनुसार, फरक्का (नदी पर स्थापित अंतिम बांध) से जल बांटा जाता है। यह अभ्यास, संधि के अनुसार, प्रतिदिन 10 के आधार पर प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक जारी रहता है। संधि की मियाद 30 वर्षों की है। जल आवंटन पर दोनों ओर से जेआरसी की संयुक्त समिति के सदस्य नजर रखते हैं।

भारत-नेपाल जल संसाधन सहयोग

नेपाल से भारत आने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ पर रोक लगाना अक्सर चिंता का विषय होता है और इससे संबंधित विषयों पर भारत-नेपाल द्विपक्षीय प्रणाली विमर्श करती है, जिसमें हैं: (i) जल संसाधन के लिए मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (ii) जल संसाधन पर संयुक्त आयोग (जेसीडब्ल्यूआर), और (iii) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी), (iv) बाढ़ प्रबंधन में जल प्लावन पर संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम), (v) कोसी गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी)। भारत सरकार लगातार नेपाल सरकार से इन नदियों पर बांध बनाए जाने पर जोर दे रही है जिससे दोनों देशों को आपसी लाभ पहुंच सकता है।

सिंधु जल समझौता

1960 के सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत एवं पाकिस्तान ने सिंधु जल कमिश्नर का स्थायी पद स्थापित किया है। प्रत्येक कमिश्नर अपनी सरकार का प्रतिनिधि होता है और संधि को अमल में लाने के लिए संपर्क सूत्र का काम करते हैं

। दोनों कमिश्नर मिलकर स्थायी सिंधु परिषद (पीआईसी) संचालित करते हैं।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रायद्वीपीय घटकों के भीतरी संबंधों की व्यावहारिकता के अध्ययन के लिए की गई थी। एनडब्ल्यूडीए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में समय-समय पर बदलाव लाया गया है और इसके मौजूदा कार्य हैं: (क) संभावित जलकुंड क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण और श्रृंखला को प्रस्तावित प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास के घटकों से जोड़ना जिससे जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिदृश्य के अवयव तैयार हो सकें; (ख) प्रायद्वीपीय नदी एवं हिमालयी नदी क्षेत्रों में मौजूद अधिकांश जल का विस्तृत अध्ययन करना ताकि उसे निकट भविष्य में घाटियों/राज्यों की उचित जरूरतें पूरी करने के लिए वहां स्थानांतरित किया जा सके; (ग) अपने या निर्धारित एजेंसी/संगठन/लोक विभाग अथवा कंपनी की आधार परियोजनाओं की जिम्मेदारी/निर्माण/मरम्मत/नवीकरण/पुनर्वास/अमल में लाना तथा नदियों की जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आने वाले कार्य जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और मिलती-जुलती अन्य परियोजनाएं भी आती हैं।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) की स्थापना 1978 में मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के तौर पर हुई थी। यह जलविज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में सभी विषयों में अनुसंधान का बुनियादी, व्यावहारिक और कूटनीतिक दायित्व, सहयोग, प्रोत्साहन और संयोजन करता है। संस्थान का मुख्यालय उत्तराखंड के रुड़की में है। देश के भिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए, संस्थान के चार क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। ये केंद्र बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और भोपाल में हैं। साथ ही, बाढ़ प्रबंधन अध्ययन के लिए दो केंद्र गुवाहाटी और पटना में हैं।

संस्थान के लक्ष्य हैं: (क) जलविज्ञान से जुड़े सभी पक्षों के व्यवस्थागत एवं वैज्ञानिक कार्यों का दायित्व, सहयोग, प्रोत्साहन और संयोजन करना; (ख) जलविज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संयोजन एवं सहयोग करना; (ग) समाज के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक शोध एवं संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना और उसका रख-रखाव और उसे प्रासंगिक पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं और अन्य सामग्री से भरा-पूरा रखना; और (घ) जिन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संस्थान की स्थापना हुई है, सामाजिक दृष्टिकोण से उन आवश्यक, प्रासंगिक या सहायक उन कार्यों को पूरा करना। इन लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए, संस्थान ने जलविज्ञान में आणविक प्रयोग, जल गुणवत्ता, मृदा जल, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एप्लिकेशन्स, हिम और हिमनद, न्यूमेरिकल ग्राउंडवाटर मॉडलिंग एंड हाइड्रोलॉजिकल इंस्ट्रमेंटेशन सुविधाओं वाली अत्याधुनिक अनुसंधानशाला स्थापित की है।

संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जलविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में उपभोक्ता केंद्रित, मांग आधारित शोध के लिए उच्चकोटि के तकनीकी हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास एवं सांगठनिक विकास संस्थान के तौर पर कार्य करता है।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) की स्थापना 1957 में देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना निर्माण के लिए एक अग्रणी संस्था के तौर पर की गई थी। थर्मल एवं हाइड्रो परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं, औद्योगिक ढांचों, इमारतों, मकानों, मार्गों, पुलों और अवसंरचना परियोजनाओं जैसे सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए एनपीसीसी आईएसओ 9001 2008 के गुणवत्ता मानकों की शर्तों का पालन करता है। कॉरपोरेशन 59 वर्षों की अपनी यात्रा में कई राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ परिकल्पना से प्रवर्तन तक जुड़ा रहा है। इनमें से कई देश के दुर्गम इलाकों में स्थित रही हैं।

जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं

अग्रणी कार्य करने वाले अभियंताओं की विशेषज्ञता का उपयोग करने और अन्य विकासशील देशों के साथ जानकारी एवं अनुभव साझा करने तथा बदले में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जल एवं विद्युत परामर्श सेवा (वाप्कोस) की

स्थापना 1969 में की गई थी। वाप्कोस ने भारतीय अभियंताओं को विभिन्न भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराया इस प्रकार भारतीय ज्ञान और विशेषज्ञता में वृद्धि हुई। भारत अपने किफायती तकनीकी ज्ञान और समर्पित तकनीकी मानव शक्ति के रूप में पहचाना गया। अन्य विकासशील देशों के साथ दीर्घकालिक मैत्री कायम करने के लिए राजनयिक पहलों को सरल बनाया गया और परामर्शी सेवाओं ने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर अपने तरीके से आर्थिक विकास में योगदान दिया। धीरे-धीरे अन्य परामर्शी संगठनों ने स्वयं को स्थापित किया और अंततः भारतीय मानव संसाधनों और नवाचारी प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हासिल की।

कंपनी की विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों में सिंचाई, जल निकासी एवं जल प्रबंधन, भूजल खोज एवं लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं नदी मॉर्कोलोजी, नदी प्रबंधन, बांध एवं जलाशय अभियांत्रिकी, जलस्रोत और भूमि संरक्षण, कृषि, जल-संभर प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पनबिजली, तापीय बिजली, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन एवं वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं जल निकासी, पर्यावरण, बंदरगाह, पत्तन और अंतर्देशीय जलमार्ग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास, सड़क और राजमार्ग अभियांत्रिकी, भवन और टाउनशिप शामिल हैं। कम्पनी भारत तथा विदेश में विकासात्मक परियोजनाओं को संकल्पना से चालू करने की सेवाएं उपलब्ध कराती है।

परामर्शी सेवाओं ने राष्ट्र की विकास प्रक्रिया नवाचार के साथ परम्परागत क्षेत्रों में भी अपने लिए स्थान बनाया है और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में प्रभावी योगदान दिया है। दुनियाभर में स्वस्थ वृद्धि की परिपाटी ने उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों के लिए परामर्शदाताओं की सेवाओं की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया और पेशेवर भागीदारी की आवश्यकता ने परामर्शदाताओं के कार्य करने के परिदृश्य को व्यापक बना दिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद, देश भर में जल संसाधनों और बिजली परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लगभग 4300 विशाल बांधों (695 निर्माणाधीन बांधों सहित) का निर्माण किया गया है और इन्हें नहर प्रणालियों एवं संबंधित संरचनाओं के साथ जोड़ा गया। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध और दंतेवाड़ा बांध जैसी कुछ बहुउद्देशीय योजनाओं की गिनती विश्व की विशालतम परियोजनाओं में होती है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के शुरुआती दो दशकों में विशाल बांधों की योजना और निर्माण संबंधी कार्य में विदेशी परामर्शदाताओं को शामिल किया जाता था।

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (नेरीवाल्म) की स्थापना उत्तर-पूर्व परिषद (सेंनईसी) द्वारा 1989 तेजपुर, असम में की गई थी। यह संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह संस्थान गुवाहाटी से लगभग 180 किलोमीटर दूर, विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर असम के सोनितपुर जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर तेजपुर से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। यह सड़क, रेल और वायुमार्ग के माध्यम से देश के अन्य भागों से जुड़ा है।

इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य कृषि की पैदावार और पूर्वोत्तर के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्षमता निर्माण करना, अनुसंधान करना और विभागों को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

लघु सिंचाई एवं जल निकायों की गणना

केंद्रीय प्रायोजित योजना 'लघु सिंचाई सांख्यिकी युक्तिकरण' (आरएमआईएस) की शुरुआत वर्ष 1987-88 में जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत हुई जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरएमआईएस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" (डीडब्ल्यूआरआईएस) का एक संघटक बनाया गया। सिंचाई गणना का मुख्य उद्देश्य प्रभावी नियोजन और नीति निर्धारण के लिए लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र में समग्र और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। इसके अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने समूचे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लघु सिंचाई संबंधी आंकड़ों के संकलन के लिए एक नोडल विभाग की पहचान की है।

लघु सिंचाई (एमआई) योजनाओं से संबंधित डेटाबेस देश में उपलब्ध जल संसाधनों के लिए नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । एमआई गणनाएं भारत के भू-जल क्षेत्र के बारे में जानकारी का समृद्ध स्रोत हैं । एमआई गणनाओं में सिंचाई के स्रोतों (डग वैल, शैलो ट्यूबवैल, मीडियम ट्यूबवैल, डीप ट्यूबवैल, सरफेस फ्लो और सरफेस लिफ्ट स्कीम्स), सृजित सिंचाई की क्षमता, उपयोग में लाई गई क्षमता, स्वामित्व वाले जोत-भूमि का आकार, वॉटर लिफ्टिंग के लिए उपयोग में लाए गए उपकरण, ऊर्जा का स्रोत, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसे ऊर्जा संरक्षण के उपकरण, सौर पम्प, पवन चक्की आदि जैसे ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों आदि जैसे विभिन्न पहलुओं/मानकों के बारे में विस्तृत जानकारी का संग्रह किया गया है ।

इस योजना के अंतर्गत अब तक की गई पांच गणनाओं क्रमशः संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 के माध्यम से देश में लघु सिंचाई कार्यों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया गया है । गणना की रिपोर्ट्स मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

28 | कल्याण

सन् 1985-86 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय को दो भागों में बांटकर महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग बना दिया गया। साथ ही तत्कालीन कल्याण मंत्रालय का गठन करने के लिए अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, आदिवासी विकास प्रभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को गृह मंत्रालय से तथा वक्फ प्रभाग को विधि मंत्रालय से हटा दिया गया। इसके अलावा मंत्रालय का नाम बदलकर मई, 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया।

अक्टूबर, 1999 में एक पृथक आदिवासी मामलों का मंत्रालय बनाने के लिए आदिवासी विकास प्रभाग को हटा दिया गया। जनवरी, 2007 में वक्फ इकाई के साथ अल्पसंख्यक प्रभाग को मंत्रालय से हटा कर एक अलग मंत्रालय बना दिया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दो विभागों में बांट दिया गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का विभाग।
वेबसाइट: www.socialjustice.nic.in, www.disabilityaffairs.gov.in

अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंधित कार्यक्रम

संविधान दिवस समारोह

संविधान सभा ने 29 अगस्त, 1947 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया और 26 जनवरी, 1950 से यह प्रभावी हो गया। इसे स्वीकार किए जाने के साथ ही भारतीय संघ आधुनिक और समकालीन भारतीय गणराज्य बन गया जिसने देश के मौलिक संचालन दस्तावेज के रूप में भारत सरकार के 1935 के कानून का स्थान ले लिया। संविधान ने भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और जिसके नागरिक न्याय, समानता, और स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। डॉ. बी. आर. अंबेडकर को भारत के संविधान का प्रमुख निर्माता माना जाता है। यह दुनिया के किसी भी प्रभुसत्ता सम्पन्न देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसमें जाति और समुदाय आधारित किसी भी समाज को सामाजिक तौर पर नागरिकों के एक आधुनिक समाज में बदलने के लिए एक कानूनी रूपरेखा बनाई गई जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग पर ध्यान दिए बिना व्यक्तियों को समान आदर दिया गया हो। डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जिस राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था उसने संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया।

बाबा साहब की जयंती

बाबा साहब डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 128वीं जयंती 14 अप्रैल, 2018 को संसद भवन लॉन में मनाई गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अगुवाई में राष्ट्र ने डॉ. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित दो कानून विशेष रूप

से इसे रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं: (i) छुआछूत और (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए: (i) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 महत्वपूर्ण हैं।

नागरिक अधिकारों का संरक्षण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का पालन करते हुए, छुआछूत (अपराध) कानून 1955 बनाया गया। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 1976 में इसे नया नाम 'नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1955' दिया गया। इस कानून के अंतर्गत नियमों, यानी 'नागरिक अधिकार संरक्षण नियमों, 1977' को 1977 में अधिसूचित किया गया। यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ और इसमें छुआछूत के लिए सजा की व्यवस्था की गई। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों ने इसे लागू किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(*अत्याचारों की रोकथाम*)* कानून

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून 1989 (अत्याचारों की रोकथाम कानून) को 1990 में लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधों को रोकना था। इस कानून के अंतर्गत विस्तृत नियम, जिनका शीर्षक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) नियम, 1995 जिन्हें 1995 में गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इन नियमों में इसके बाद कोई संशोधन नहीं किया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति *(*अत्याचारों की रोकथाम*)* संशोधन कानून*, 2015* और *2016*

अत्याचारों की रोकथाम कानून में रक्षा के प्रावधान करने के बावजूद, अनुसूचित जातियों (अजा.) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा.) के सदस्यों के खिलाफ लगातार जारी अत्याचार चिंता का विषय है। अजा. और अजजा. के सदस्यों के खिलाफ बार-बार होने वाली आपराधिक घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि अत्याचारों की रोकथाम कानून का निवारक प्रभाव अपराधियों द्वारा पर्याप्त तरीके से महसूस नहीं किया जा रहा है। अतः इस कानून को मजबूत बनाना और कानून के प्रमुख प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाना उचित माना गया। सभी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर, अत्याचार निरोधक कानून में संशोधनों का प्रस्ताव मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों में रखा गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

राष्ट्रीय अजा. और राष्ट्रीय अजजा. आयोग की स्थापना 1990 में संविधान के अनुच्छेद 383 के अंतर्गत की गई थी उसे 89वें संविधान (संशोधन) कानून 2003 के बाद दो भागों में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की निगरानी और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

एनसीएससी के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 (5) में इस प्रकार बताये गए हैं: (क) संविधान के अंतर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की जांच और निगरानी करना और ऐसी सुरक्षा का मूल्यांकन; (ख) अनुसूचित जातियों को अधिकारों और संरक्षण से वंचित करने के संबंध में कुछ विशेष शिकायतों की जांच करना; (ग) अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह तथा केंद्र और किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना; (घ) इन संरक्षणों की कार्यप्रणाली की जानकारी हर वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, और किसी अन्य समय पर जब आयोग उचित समझे, (ङ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन संरक्षणों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में रिपोर्ट, सिफारिशें तैयार करना और (च) संरक्षण, कल्याण, विकास और अनुसूचित जातियों की तरक्की के बारे में अन्य कार्यों को करने के लिए जैसा कि

राष्ट्रपति की आज्ञा हो, विनिर्दिष्ट नियमों द्वारा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत है।
वेबसाइट: www.ncsc.nic.in

शिक्षा की दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाना

बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

यह केंद्र प्रायोजित योजना भी है, जिसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों ने लागू किया है, योजना के अंतर्गत संबद्ध प्रतिबद्ध देनदारी से अधिक और उससे ऊपर कुल खर्च के लिए सरकार से 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता मिलती है। संबद्ध राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों की एक वर्ष के लिए प्रतिबद्ध देनदारी का स्तर पिछले पांच वर्ष की योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय के स्तर के बराबर होगा।

इस योजना की शुरुआत 1977-78 में की गई थी। आरंभ में इसमें केवल छात्रावास में रहने वाले बच्चों को शामिल किया गया था। बाद में 1991 में योजना के दायरे में दिन में पढ़ने वाले छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षित समूहों, यानी (i) मैला ढोने वालों, (ii) पशओं की खाल को संसाधित करने वालों, (iii) चमड़ा उतारने वालों और (iv) कचरा उठाने वालों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

यह योजना 2012 में शुरू की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों ने इसे लागू किया है। योजना के अंतर्गत संबद्ध देनदारी से अधिक और उससे ऊपर खर्च के लिए सरकार से 100 प्रतिशत सहायता मिलती है। संबद्ध राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों की एक वर्ष के लिए प्रतिबद्ध देनदारी पिछले पांच वर्ष की योजना के अंतिम वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय के बराबर होगी, उनके द्वारा अपने बजट में इसका प्रावधान कर इसे वहन किया जाएगा।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

इस योजना में संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक, मासिक रखरखाव भत्ते, वीजा शुल्क और बीमा प्रीमियम आदि वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ते का शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चे इसका लाभ लेने के पात्र हैं। उसी माता-पिता/अभिभावक के दूसरे बच्चे के बारे में तभी विचार किया जाएगा यदि उस वर्ष के लिए निर्धारित स्थान अभी भी उपलब्ध है। छात्रवृत्ति लेने वाले की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष कुल 100 छात्रवृत्तियां (अधिकतम) दी जाती हैं। चयन का वर्ष 2014-15 से लागू किया गया है और 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के नहीं भरे गए स्थानों को आगे वर्ष 2016-17 में स्थानांतरित कर दिया गया और यह योजना पूरे वर्ष खुली रहेगी ताकि छात्र किसी भी समय आवेदन कर सकें। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता पीएच.डी के लिए अधिकतम चार वर्ष और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। रोजगार प्राप्त उम्मीदवार अथवा उसके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आमदनी की अधिकतम सीमा 50,000 प्रति महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

इस योजना का उद्देश्य मिडल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रशासन और केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालय/संस्थान केंद्रीय सहायता के पात्र हैं, दोनों छात्रावास के लिए नई इमारतों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान छात्रावास सुविधा का विस्तार कर सकते हैं। जबकि एनजीओ और निजी क्षेत्र में स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय केवल अपनी वर्तमान छात्रावास सुविधा का विस्तार करने के लिए इसका लाभ ले सकते हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप

इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को एम.फिल, पीएच.डी और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में बराबर इनके अनुसंधान डिग्री के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रमुख एजेंसी है। अनुसूचित जाति के छात्रों को करीब 2,000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) दी जाती है। फेलोशिप की संख्या 2010 में 1,333 थी जिसे बढ़ाकर 2011 में 2,000 कर दिया गया। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उस वर्ष नहीं ली गई फेलोशिप की संख्या को अगले शैक्षणिक सत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि उपलब्ध फेलोशिप के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो यूजीसी स्नातकोत्तर परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उनका चयन करता है। योजना के अंतर्गत आय की कोई सीमा नहीं दी गई है।

विशेष केंद्रीय सहायता

अनुसूचित जाति उप योजना

विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) से लेकर अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे 1980 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी अनुसूचित जाति उप योजना के लिए एक योज्य के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए परिवारोन्मुखी योजनाओं को प्रेरित करना है।

अनुसूचित जाति विकास निगम

अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) के इक्विटी शेयर में हिस्सेदार बनने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 49:51 के अनुपात (केंद्र/राज्य) में 1979 में शुरू की गई। इस समय एससीडीसी 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है। एससीडीसी का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजना के लिए प्रेरित करना, ऋण सहायता के लिए योजनाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए प्रायोजित करना, कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि भुगतान देनदारी को कम किया जा सके और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सके। निगम ऋण प्रदान करने और मार्जिन मनी ऋण के रूप में निवेश तथा लक्षित समूह को सब्सिडी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना कंपनी कानून 2013 (पूर्व में कंप कानून, 1956 के अनुच्छेद 25) के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत फरवरी 1989 में की गई थी। एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपये प्रतिवर्ष और शहरी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपये) से नीचे रह रहे लक्षित समूह के युवकों को उनके आर्थिक विकास के लिए कौशल और उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष

सरकार ने वर्ष 2014 में अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

वित्त मंत्री ने 18 जुलाई, 2014 को केंद्रीय बजट भाषण 2014-15 के दौरान घोषणा की कि अनुसूचित जातियों में विश्वास पैदा करने के अलावा अनुसूचित जातियों के उन युवा और स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि सुविधा की दिशा में 200 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी जो रोजगार सृजन करने वाले समाज के निचले स्तर में उद्यम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नए मध्यम वर्ग की श्रेणी का हिस्सा बनना चाहते हैं।

यह आवंटन अनुसूचित जातियों के उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत किया जाएगा जो समाज के निचले स्तर से ताल्लुक रखते हैं। इसके लिए उन्हें ऋण वृद्धि गारंटी के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सहयोग मिलेगा जो अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के उद्देश्य से चल रहे कार्यों पर विशेष जोर देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 मई, 2012 को दिव्यांग मामलों का एक अलग विभाग बनाया। इस विभाग को 08.12.2014 को दिव्यांग जन को अधिकार संपन्न बनाने के विभाग के रूप में नया नाम दिया गया। यह विभाग दिव्यांगता और दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही विभिन्न साझेदारों यथा- संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/केंद्र शासित सरकारों, एनजीओ आदि के साथ दिव्यांगता से जुड़े मामलों में प्रभावी निकट सहयोग बनाकर रखता है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग थे। (जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है) दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी में से करीब 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें नेत्रहीनता, बहरापन, स्पीच और लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, मंदबुद्धि, बहु-दिव्यांगता और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं।

संवैधानिक प्रावधान

भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना के जरिए अन्य बातों के अलावा अपने सभी नागरिकों को: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी, आस्था, विश्वास और आराधना; ओहदे और अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का भाग-III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है (और कुछ मामलों में गैर-नागरिकों को भी)। इनमें शामिल है- समानता का अधिकार; स्वतंत्रता का अधिकार; उत्पीड़न के खिलाफ़ अधिकार; धार्मिक आज़ादी का अधिकार; और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपायों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं हालांकि ऐसे व्यक्तियों का संविधान के इस हिस्से में कोई विशेष जिक्र नहीं है।

संविधान के भाग-IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। गैर-न्यायिक होने के बावजूद, इन्हें देश के शासन में मौलिक सिद्धांत घोषित किया गया है। ये सिद्धांत राज्य नीति के लिए अनिवार्य हैं। वास्तव में इनकी प्रकृति निर्देश देने संबंधी है जो भविष्य में विधानमंडलों और कार्यकारिणी शक्ति को उन मार्गदर्शन के लिए जारी किए जाएंगे। अनुच्छेद, 41 काम करने का अधिकार, कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे के भीतर, काम करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लिए और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अनुपयुक्त मांग के अन्य मामलों में प्रभावी प्रावधान बनाने होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 243-जी की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की 12वीं अनुसूची जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में क्रमशः पंचायतों और नगर निगमों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ी है, उसमें समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच दिव्यांगों के कल्याण और हितों की रक्षा शामिल है। इस अनुसूची के संबद्ध निष्कर्षों को नीचे दोबारा तैयार किया गया है। अनुच्छेद 243-जी की 11वीं अनुसूची: दिव्यांग और मंदबुद्धि के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण (प्रविष्टि संख्या 26)। अनुच्छेद 243-डब्ल्यू की 12वीं अनुसूची: दिव्यांगों और मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा (प्रविष्टि संख्या 9)।

विभाग दिव्यांगता और कल्याण तथा दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के विभिन्न पहलुओं से जुड़े निम्नलिखित कानूनों को देखता है:–

- भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, 1992;
- दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995; और

- ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु दिव्यांगता कानून, 1999।

दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाने के विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान- 'सुगम्य भारत' अभियान चलाया। इस अभियान में सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग कार्यक्षेत्र लक्षित किए गए। जिनमें माहौल बनाना, परिवहन पर्यावरण-प्रणाली और सूचना तथा संचार पर्यावरण प्रणाली शामिल हैं। इस अभियान में निर्धारित समय सीमा के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं और अभियान के बारे में तथा विभिन्न साझेदारों की प्रतिबद्धता/उनके जुड़ने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। विभाग ने विभिन्न राज्यों से कहा है कि वे बड़े शहरों में 50 से 100 सार्वजनिक इमारतों और नागरिकों से जुड़ी सार्वजनिक वेबसाइटों की पहचान करें, जिनकी पूरी तरह पहुंच होगी, उसका दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। एक बार पहचान कर लिए जाने पर इन इमारतों और वेबसाइटों का पेशेवर एजेंसियों द्वारा एक्सेस ऑडिट (Access Audit) किया जाएगा। निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार इमारतों में बदलाव और उनमें हिस्से जोड़ने, परिवहन और वेबसाइटों को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा हाथ में लिया जाएगा। इसे दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना 'दिव्यांग कार्यान्वयन योजना' से सहयोग मिलेगा ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अधिकारसंपन्न बनाने के लिए लागू किया जा सके।

विभाग देशभर में सुगम्य पुलिस स्टेशन, सुगम्य अस्पताल और सुगम्य पर्यटन का सृजन करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। विभाग शीर्षक देने, भाषण के विषय और ऑडियो विवरण जैसी विशेषताओं को शामिल करके टेलीविजन कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाने का विभाग एक मोबाइल एप बनाने की प्रक्रिया में है, साथ ही वह एक वेबपोर्टल भी बना रहा है ताकि पहुंच के बाहर वाले स्थानों के बारे में सूचना मिल सके। मोबाइल फोन में डाउनलोड किए गए एप की मदद से कोई भी व्यक्ति पहुंच के बाहर वाले सार्वजनिक स्थलों (जैसे- स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि) की फोटो अथवा वीडियो ले सकेगा और उसे सुगम्य इंडिया पोर्टल में अपलोड कर सकेगा। पोर्टल पहुंच ऑडिट, वित्तीय मंजूरी के लिए अनुरोध को देखेगा और इमारत में नया एप जोड़े जाने की संभावना तलाशेगा ताकि इसे पूरी तरह सुगम्य बनाया जा सके। मोबाइल एप और पोर्टल बड़े कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अभियान से जोड़ने का प्रयास करेगा और उन्हें आसानी से इस्तेमाल होने वाले, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और दिव्यांगों को इनमें मिलने वाली सुविधाओं के मामले में और इमारत/परिवहन और वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए बदलाव में उनकी मदद लेगा।

दिव्यांग व्यक्ति

दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के अनुच्छेद 2 (टी) कानून 1995 में 40 प्रतिशत तक की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। दिव्यांगता (क) नेत्रहीनता (ख) कम दिखाई देना (ग) उपचारित कुष्ठ रोग (घ) सुनने में परेशानी (ङ) लोको-मोटर दिव्यांगता (च) मानसिक बीमारी (छ) मंदबुद्धि (ज) ऑटिज्म (झ) सैरीब्रल पाल्सी अथवा (च) (छ), (ज) और (झ) के कोई दो अथवा अधिक का मिश्रण हो सकती है (अनुच्छेद 2 (झ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून, 1995 को ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999 के अनुच्छेद 2 (झ) के साथ पढ़ा जाए।

मानसिक स्वास्थ्य कानून

दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995 के अंतर्गत मानसिक बीमारी को एक प्रकार की दिव्यांगता के रूप में मान्यता दी गई। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज और देखभाल मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987 से संचालित है। यह कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लागू किया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून

एक विस्तृत कानून, जिसे दिव्यांगता वाले व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून नाम दिया गया, उसे 1995 में बनाया गया और इसे फरवरी 1996 में लागू किया गया। यह कानून रोकथाम और पुनर्वास को बढ़ावा देने के पहलुओं जैसे- शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाधा मुक्त माहौल तैयार करने, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय केंद्र और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र द्वारा निपटाया जाता है।

ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-दिव्यांगताः राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सैरीब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्टीय न्यास और बहु-दिव्यांगता कानून, 1999 के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है। न्यास का मुख्य उद्देश्य इन दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अधिकारसंपन्न बनाना है ताकि जहां तक संभव हो वे पूर्णरूप से स्वतंत्र जीवन जी सकें। साथ ही उन पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं तथा संरक्षण चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बनाना है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

मुख्य आयुक्त एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकारी है जिसकी नियुक्ति दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) कानून, 1995 के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत की गई है। मुख्य आयुक्त के कार्य और कर्तव्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य के साथ तालमेल, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि के इस्तेमाल की निगरानी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों को देखना शामिल है। मुख्य आयुक्त किसी भी ऐसे नियम, कानून आदि को लागू नहीं करने के संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है जो दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं और जिसमें गवाहों को बुलाने, खोज, किसी दस्तावेज़ को प्राप्त करने और पेश करने आदि से संबंधित दीवानी अदालत के अधिकार निहित हैं।

पुनर्वास परिषद

भारतीय पुनर्वास परिषद एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, 1992 के अंतर्गत की गई है। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों में शामिल हैं: (i) देशभर के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और नियंत्रण, (ii) देश के भीतर और बाहर आपस में दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों को मान्यता, (iii) पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा, (iv) पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले पेशेवरों के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव और (v) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के साथ सहयोग करके चल रहे पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।
वेबसाइट: rehabcouncil.nic.in

राष्ट्रीय संस्थाएं

दिव्यांगों की बहुआयामी समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दिव्यांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थान/शीर्ष स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं: (i) राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान, देहरादून, (ii) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, कोलकाता, (iii) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई, (iv) मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद, (v) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, (vi) शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली, (vii) विविध विकलांगता वाले लोगों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई। ये संस्थान मुख्य रूप से नवोन्मेष अनुसंधान करने, मानव शक्ति विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और देश में सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत का कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ), कानपुर सार्वजनिक क्षेत्र की एक संस्था है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण बनाने के कार्य में लगी हुई है। निगम द्वारा बनाए गए उत्पाद आईएसआई मानकों की पुष्टि करते हुए जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो से मंजूरी मिली हुई है। उत्पादों का विपणन क्षेत्रीय विपणन केंद्रों कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर

और दिल्ली तथा राष्ट्रीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों के जरिए किया जाता है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, सुंदरनगर और गुवाहाटी में स्थित हैं। ये केंद्र पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोटों और हड्डियों से संबंधित अन्य दिव्यांगता के चार क्षेत्रीय केंद्र मोहाली, कटक, जबलपुर और बरेली में स्थित हैं जो मौलिक प्रबंधन के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और रीढ़ की हड्डी की चोटों के बारे में आगे क्या करना है ये जानकारी ले रहे हैं ताकि प्रभावित व्यक्तियों को स्वतंत्र होकर काम करने लायक बनाया जा सके।

आर्थिक विकास

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) एक शीर्ष स्तर का वित्तीय संस्थान है जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं देता है। वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के जरिए दी जाती है। ये स्नातक और उच्च स्तर पर शिक्षा के लिए ऋण देता है। इसके अलावा यह तकनीकी और उद्यम संबंधी कौशल के उन्नयन में सहायता करता है ताकि लाभान्वित अपनी उत्पादन इकाइयों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर सकें।
वेबसाइट: www.nhfdc.nic.in

सहायक उपकरण की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना के अंतर्गत टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्मित, मानकीकृत साधन और सहायक उपकरण खरीदने/उनकी फिटिंग के लिए सहायता दी जाती है। इनसे उनके दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिलता है और उनके लिए आर्थिक संभावनाएं बढ़ती हैं। योजना को स्वयंसेवी संगठनों, मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान, एएलआईएमसीओ, जिला पंचायतों, डीआरडीए आदि के जरिए लागू किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियां साधन और उपकरणों की खरीद, संरचना और वितरण के लिए सहायता अनुदान देती हैं। इस योजना के दायरे में चिकित्सा/सर्जिकल इलाज और रोगी की बेहतरी के लिए अन्य उपाय शामिल हैं जो साधनों और उपकरणों को लगाने से पहले आवश्यक हो सकते हैं।

जनजातीय मामले

अनुसूचित जनजातियों का विकास

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को विभाजित करने के बाद 1999 में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित, अनुसूचित जनजातियों (अजजा.) के समन्वित सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में एक समन्वित और नियोजित तरीके से अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना है। मंत्रालय के गठन से पूर्व आदिवासी मामलों का प्रबंध अलग-अलग समय पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता था। सम्पूर्ण नीति, योजना और अनुसूचित (अजजा.) के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रमों का यह शीर्ष मंत्रालय है। इस मंत्रालय ने उन क्रियाकलापों को हाथ में लिया है जो भारत सरकार के नियमों, 1961 के अंतर्गत आवंटित (कार्य का आवंटन) विषयों का पालन करते हैं।
वेबसाइट: www.tribal.nic.in

अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत समूहों में रहती हैं इसलिए विकास गतिविधियों के लिए क्षेत्रवार दृष्टिकोण सरलता से अपनाया जा सकता है और उनके हितों की रक्षा के लिए नियामक प्रावधान भी अपनाए जा सकते हैं। भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची अनुसूचित इलाकों को ऐसे इलाकों के रूप में

परिभाषित करती है जिन्हें राज्य के राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के अंत छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के उन इलाकों से है जिन्हें जनजातीय इलाकों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें अथवा क्षेत्रीय परिषदें प्रदान की गई हैं। इन परिषदों को व्यापक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र : किसी भी इलाके को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित इलाके के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड हैं: (क) जनजातीय आबादी की प्रचुरता, (ख) इलाके की सघनता और उपयुक्त आकार, (ग) एक व्यवहार्य प्रशासनिक संस्था जैसे- जिला, ब्लॉक अथवा तालुक और (घ) पड़ोसी इलाकों की तुलना में उस इलाके में आर्थिक पिछड़ापन। किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित इलाकों का विनिर्देशन संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। यही तरीका परिवर्तन, वृद्धि, कटौती, नए इलाकों को शामिल करने, अथवा अनुसूचित इलाकों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के लिए लागू होता है।

अनुसूचित इलाकों के लाभ इस प्रकार हैं: (क) कोई भी ऐसा राज्य जिसके पास अनुसूचित इलाके हैं उसके राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाए : (i) जनजातीय लोगों से भूमि के हस्तांतरण पर रोक अथवा प्रतिबंध; (ii) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने के व्यवसाय को नियंत्रित करना। ऐसा कोई नियम बनाने में, राज्यपाल, संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है जो उस क्षेत्र के संबंध में लागू होता है। (ख) राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए निर्देश दे सकता है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई विशेष कानून अनुसूचित इलाकों अथवा राज्य में किसी अन्य हिस्से पर लागू नहीं किया जाए अथवा ऐसे इलाकों में लागू हो जो इसके अपवाद हों और जिनमें तब्दीली की जा सके जिसकी वह विस्तृत जानकारी दे। (ग) जिस राज्य के पास अनुसूचित इलाके हैं वहां के राज्यपाल हर वर्ष, अथवा भारत के राष्ट्रपति की जरूरत के मुताबिक उस राज्य के अनुसूचित इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे और केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राज्य को और उस इलाके के प्रशासन को निर्देश देने के लिए बढ़ाई जा सकती हैं। (घ) जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) उन राज्यों में स्थापित की जा सकती हैं जिनके पास अनुसूचित इलाके हैं। टीएसी की भूमिका राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी तरक्की से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है जैसा कि उसे राज्यपाल ने निर्दिष्ट किया है। टीएसी में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से करीब तीन चौथाई अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से होंगे। टीएसी भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर किसी भी ऐसे राज्य में स्थापित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित इलाकों में नहीं आते। (ङ) पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित इलाकों के विस्तार) कानून, 1996 (पीईएसए), संविधान के भाग-IX में इलाकों तक बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही इसमें अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। छठी अनुसूची- जनजातीय इलाके: संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय इलाकों में स्वायत्तशासी जिलों की पहचान करती है। यह इन स्वायत्तशासी जिलों के भीतर स्वायत्तशासी क्षेत्रों की पहचान का प्रावधान भी करती है। इन्हें छठी अनुसूची के पैरा 20 के साथ संलग्न तालिका के भाग I, II, II ए और III में निर्दिष्ट किया गया है। दूसरे शब्दों में, जिन क्षेत्रों में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं उन्हें जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। जनजातीय इलाकों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

भाग-I असमः (1) उत्तरी कछार पहाड़ी जिला; (2) कर्बी-आंगलोंग जिला; और (3) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले; भाग-II मेघालयः (1) खासी पहाड़ी जिला; (2) जयंतिया पहाड़ी जिला; और (3) गारो पहाड़ी जिला; भाग-II त्रिपुरा; त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला; भाग-III मिज़ोरम; (1) चकमा जिला; (2) मारा जिला; और (3) लाई जिला।

जिला और क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिए गए हैं कि प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरियों, बाजार, मवेशियों के तालाब, नौकाओं, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण अथवा प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी से नियम बनाएं। उत्तरी कछार और कर्बी आंगलोंग पहाड़ी जिलों की स्वायत्तशासी परिषदों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे सेकेंडरी शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बना सकें। परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए दीवानी कार्यविधि कोड और फौजदारी कार्यविधि कोड के अंतर्गत भी अधिकार दिए गए हैं, साथ ही उन्हें अपने इलाकों के राजस्व और कर एकत्र

करने के लिए राजस्व प्राधिकरण की शक्तियां और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं।

अनुसूचित जनजाति घोषणा प्रक्रिया

अनुच्छेद 366 (25) के अंतर्गत भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसाकि संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत माना गया। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मामलों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 342 (1) के मामले में किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, और जहां वह राज्य है, के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श करने के बाद जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। यह जनजातीय समूह अथवा उसके एक हिस्से को संवैधानिक दर्जा देता है जिसमें संविधान में इन समुदायों को इनके संबद्ध राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा प्रदान की गई है। अत: अनुच्छेद 342 (1) के मामले में केवल ऐसे समुदाय जिन्हें एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। सूची में भविष्य में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के कानून (अनुच्छेद 342(2)) के जरिए किया जाएगा। संसद अनुसूचित जनजाति, किसी भी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय अथवा इसके किसी भाग को कानून द्वारा सूची में शामिल कर सकती है अथवा निकाल सकती है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष के अधिकार में है। दूसरे शब्दों में, यह जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति माना जाए।

जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना और हटाना

किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति का अधिसूचित आदेश होता है। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले मानदंड हैं: (क) प्रारंभिक लक्षणों के संकेत; (ख) विशेष संस्कृति; (ग) समुदाय के साथ संपर्क बनाने में संकोच; और (घ) भौगोलिक रूप से अलग-थलग यानी पिछड़ापन। इनकी जानकारी संविधान में नहीं दी गई है लेकिन ये मानदंड भलीभांति स्थापित हो चुके हैं। इसमें 1931 की जनगणना, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर समिति), 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों के संशोधन समिति सलाहकार समिति (लोकूर समिति), 1965 और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों के बारे में संसद की संयुक्त समिति (संशोधन) विधेयक, 1967 और (चंदा समिति), 1969 की परिभाषाओं ध्यान में रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार 700 से अधिक जनजातियां (इनमें से अनेक एक से अधिक राज्यों में व्याप्त हैं) हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब तथा केंद्र शासित चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया।

अनुसूचित जनजाति के दर्जे का निर्धारण

जहां भी कोई व्यक्ति जन्म से ही अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने का दावा करता है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए (क) वह व्यक्ति और उसके माता पिता उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिसका उसने दावा किया है; (ख) समुदाय को संबद्ध राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया है; (ग) वह व्यक्ति उस राज्य और राज्य के भीतर किसी इलाके से संबंध रखता है जिसमें समुदाय को अनुसूचित किया गया है; (घ) वह किसी भी धर्म का हो सकता है; (ङ) उसे या उसके माता-पिता/दादा-दादी आदि को इस संबंध में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसचना की तारीख को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए: (च) जो व्यक्ति इस मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर था, उदाहरण के लिए वह आजीविका कमाने अथवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ था उसे भी अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यदि उसकी जनजाति को उसके गृह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस आदेश में निर्दिष्ट किया गया है; (छ) लेकिन उसे उसके अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता, चाहे उस

राज्य के संबंध में उसकी जनजाति का नाम राष्ट्रपति के किसी भी आदेश में अनुसूचित किया गया हो जहां वह अस्थाई रूप से बस गया है; (ज) राष्ट्रपति के संबद्ध आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनका रहने का स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता-पिता का स्थायी निवास होना चाहिए जिसके अंतर्गत वे उस जनजाति से ताल्लुक रखने का दावा कर सकते हैं। यह लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता जिनके लिए यह जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में ही जन्म लिया हो।

निर्देशक सिद्धांत यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है लेकिन उसने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक नहीं रखता है।

अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकार से निर्धारित फार्म में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र मिल सकता है:

जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त (अपर) जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त (अपर) उपायुक्त/उप कलेक्टर/वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त [प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट से कम रैंक का नहीं] (II) चीफ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट; (III) राजस्व अधिकारी जिसका रैंक तहसीलदार से कम न हो; (IV) इलाके का सब डिवीजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्य तौर पर रहता है; (V) प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) का प्रशासक/सचिव।

यदि कोई अधिकारी यथोचित सत्यापन के बिना लापरवाही से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर देता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के उचित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह उन अन्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगी जिनमें उनके ऊपर लागू उपयुक्त अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

स्थानांतरण पर अनुसूचित जनजाति होने का दावा

रोजगार, शिक्षा आदि के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, उन्हें उस राज्य से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई का अनुभव होता है जिस राज्य को छोड़कर वह आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह फैस किया गया कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन का नियत प्राधिकार दूसरे राज्य से आए व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति को उस राज्य के नियत प्राधिकार द्वारा उसके पिता/माता को जारी किया गया वास्तविक प्रमाण-पत्र पेश करना होगा, केवल उन मामलों मामलों को छोड़कर जहां उचित प्राधिकार महसूस करता है कि प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले मूल राज्य से विस्तृत जांच आवश्यक है। प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा चाहे पूछताछ की जाने वाली जनजाति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित है या नहीं जिस राज्य में व्यक्ति आया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एससीएसटी) की स्थापना संविधान (नवासीवां संशोधन) कानून, 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और नए अनुच्छेद 338ए को शामिल करके 19 फरवरी, 2004 को की गई। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार में सचिव का दर्जा दिया गया। आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों को प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और सुरक्षा के कामकाज का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और उन्हें अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। आयोग को किसी भी मामले की जांच करते समय अथवा अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और उन्हें अधिकारों से वंचित करने से संबंधित किसी शिकायत की जांच करने के लिए मुकदमे की सुनवाई

कर रहे एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

जनजातीय उपयोजना

वर्तमान जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) कार्य नीति आरम्भ में 1972 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आदिवासी व्यक्तियों के तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकसित की गई और इसे पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ टीएसपी कार्य नीति आज तक जारी है और राज्यों के लिए टीएसपी के संबंध में विशेषताएं इस प्रकार हैं:

राज्य की जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि कम से कम प्रत्येक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में समान होनी चाहिए; राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनजातियों और जनजातीय इलाकों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सम्पूर्ण योजना से धीरे-धीरे मिलने वाले लाभों के साथ ही टीएसपी के अंतर्गत फायदे दिए जाते हैं उप योजना में; (क) जनजातीय लोगों की समस्याओं और जरूरतों तथा उनके विकास में महत्वपूर्ण खामियों को पहचाना जाए; (ख) टीएसपी के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को पहचाना जाए; (ग) विकास के लिए एक विस्तृत नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए; (ङ) इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक रणनीति तैयार करें; और (च) निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र की जानकारी दें।

मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान और जनजातीय उप योजना (टीएसपी के लिए एससीए) को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत अंतर-राज्य धनराशि के आवंटन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जून 2016 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशा-निर्देश क्षेत्रीय आवंटन पर केंद्रीय दृष्टिकोण और लेनदेन करने वाली आबादी के अंतर-राज्य संशोधित आवंटन, क्षेत्र और पैरामीटर के रूप में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन करते हैं। इसके अलावा अंतर-जिला आवंटन की स्पष्ट जानकारी दी जाती है। प्रमुख अनुसूचित जनजातीय समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है। लाइन विभाग की वर्तमान गतिविधियों से वित्तीय संसाधनों के ब्यौरे के साथ उनके इस्तेमाल से बृहद स्थानिक और उच्च भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होती है। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठकें इस वर्ष हुई जिसमें आदिवासी उपयोजना, अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान और पीवीटीजी योजना के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 26 राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम

अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने और उनके आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए, तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को दो भागों मेंरबांट दिया गया औ जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) की स्थापना की गई। एनएसटीएफडीसी को कम्पनी कानून के अनुच्छेद 25 (कंपनी जो लाभ कमाने के लिए नहीं है) के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया।

एनएसटीएफडीसी के लिए अधिदेश प्राप्त करने के लिए (स्वरोजगार उद्यम/गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए) अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को एनएसटीएफडीसी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से दोगुनी है। एनएसटीएफडीसी लक्षित समूह के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। वित्तीय सहायता संबद्ध मंत्रालयों/राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों द्वारा मनोनीत सरकारी एजेंसियों के जरिए दी जाती है। एनएसटीएफडीसी लघु वन उत्पादों की खरीद और मार्केटिंग के लिए भी वित्तीय सहायता देता है ताकि अनुसूचित जनजातियां उत्पाद/उत्पादों की मजबूरन बिक्री से बच सकें।

पात्रता मानदंड

लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित होने चाहिए और लाभान्वितों की परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय सीमा (वर्तमान में ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिवर्ष 39,500/- और शहरी इलाकों के लिए प्रतिवर्ष 54,500/-) से दोगुनी नहीं होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के मामले में,

एसएचजी के सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए जिनकी परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की आय से दोगुनी है। इसी प्रकार से सहकारी समिति के लिए ऋण सहकारी समिति के जरिए पात्र अनसचित जनजाति को देने की व्यवस्था की गई है जहां न्यूनतम 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अनुसूचित जनजाति के सदस्य सहकारी समिति के सदस्य हैं। अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए एनएसटीएफडीसी निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रही है।

आय सृजन करने वाले क्रियाकलापों के लिए मियादी ऋण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों और/अथवा संबंधित उत्पाद/सेवाओं द्वारा एकत्र/उगाए गए लघु वन उत्पाद/कृषि उत्पाद की खरीद और/अथवा मार्केटिंग के लिए केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर की फेडरेशनों की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है। मार्केटिंग सहायता लाभान्वितों को एससीए के जरिए दी जाती है, ब्याज दीर्घ अवधि के ऋण की ब्याज दरों के बराबर होता है और सहायता केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के संगठनों/प्रत्यक्ष खरीद से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशनों को दी जाती है, ब्याज दर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत है। अनुदान के रूप में भी सहायता दी जाती है।

विशेष योजनाएं

आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराने की एक विशिष्ट योजना है। इस योजना के अंतर्गत एनएसटीएफडीसी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए मियादी ऋण उपलब्ध कराता है जिन पर प्रति स्वतंत्र इकाई/लाभ केंद्र 50,000 लागत आती है। इसके लिए योजना/परियोजना लागत के 99 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता एनएसटीएफडीसी द्वारा दी जाती है। एससीए लाभार्थी महिला से प्रतिवर्ष अधिकतम चार प्रतिशत तक सालाना ब्याज दर ले सकता है।

लघु ऋण योजना लाभ में चल रहे वर्तमान स्व सहायता समूहों के लिए अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों को छोटे और स्व-रोजगार उद्यमों/कार्यों को हाथ में लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। एससीए लक्षित समूह के लिए योजना (योजनाओं के) अनुसार उपयुक्त सब्सिडी या मार्जिन राशि उपलब्ध करा सकता है और शेष राशि एनएसटीएफडीसी द्वारा मियादी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है। सब्सिडी नहीं मिलने अथवा एससीए के रूप में एससीए/बैंकों की कोई अंश पूंजी नहीं मिलने की स्थिति में एनएसटीएफडीसी मांगी गई धनराशि का शत-प्रतिशत मियादी ऋण के रूप में प्रदान कर सकता है जो प्रति सदस्य अधिकतम 15,000 रुपये हो सकता है।

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन

बहुराज्य सहकारी समिति कानून, 1984 (एमएससीएस कानून, 1984) के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन के रूप में 1987 में ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) की स्थापना की गई थी। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (एमएससीएस कानून, 2002) बनने के बाद ट्राइफेड को इसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत मान लिया गया और यह कानून की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में भी सूचीबद्ध है।

ट्राइफेड की नियमावली में अप्रैल 2003 में संशोधन किया गया। जो बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुरूप है। इस संशोधित आदेश के अनुसार ट्राइफेड ने जनजातियों से लघु वनोत्पाद (एमएफपी) और अतिरिक्त कृषि उत्पादों (एसएपी) की बड़ी मात्रा में खरीद बंद कर दी है। (यह खरीद अब राज्य स्तर की जनजातीय सहकारी समितियों/फेडरेशन द्वारा की जाती है।) ट्राइफेड अब जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।

ट्राइफेड अब अपनी दुकानों (ट्राइब्स इंडिया) के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों (प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प, सत्यापन आदि) की मार्केटिंग के विकास में लगा हुआ है और दुकानों में इन उत्पादों की बिक्री प्रेषण आधार (कंसाइनमेंट बेसिस) पर की जा रही है।
वेबसाइट: www.trifed.in

अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकार

अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों (वन अधिकारों को मान्यता) के लिए कानून, 2006 वनों में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों की वन भूमि को मान्यता, वन अधिकार और वन भूमि पर कब्जे का अधिकार प्रदान करता है जिनकी पीढ़ियां सदियों से इन वनों में रह रही थी लेकिन उन्होंने पैतृक भूमि पर अधिकार चुना तथा उपनिवेशी शासन के दौरान स्वतंत्र भारत में सरकारी वनों के एकीकरण में पैतृक भूमि और प्राकृतिक वास पर वन अधिकारों को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी वनवासी अनुसूचित जनजातियों के साथ बेहद अन्याय हुआ जो जंगलों में अपना गुजारा कर रही थीं। यह कानून अमल में लाने के लिए वर्ष 2007 में अधिसूचित किया गया।

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम जनवरी, 2008 में अधिसूचित किए गए और इनमें अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समितियों के गठन के बारे में विचार किया गया, यानी राज्य सरकारों द्वारा सब डिवीजनल स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की निगरानी समिति; सभी राज्यों से अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है जिससे अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा हो और मुद्रित सामग्री जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टरों के जरिए जागरूकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न उपायों के जरिए नियमों की जानकारी हो; अधिनियमों और नियमों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन हो और सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों और पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय एवं समाज कल्याण व वन विभागों सहित सभी सरकारी विभागों में इनका वितरण सुनिश्चित करें; राज्य के अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, जिससे जागरूकता कार्यक्रमों में उनकी सहायता ली जा सके; सब-डिवीजनल तथा जिला स्तरीय समितियों को अधिनियम व नियमों के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाना है।

अधिनियम के अनुसार, वन अधिकारों और भूमि अधिकारों के वितरण और वन अधिकारों की पहचान और उन्हें प्रदान करने का उत्तरदायित्व अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नियमों के तहत राज्य सरकार पर है। सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार वन अधिकार प्रदान करने की संपूर्ण प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। अधिनियम के कार्यान्वयन की ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब आधारित एमआईएस की 4 जून, 2008 से शुरुआत वेबसाइट: www.tribal.gov.in के परीक्षण के उद्देश्य से की गई है।

वनबंधु कल्याण योजना

केंद्र सरकार ने परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनजातीय आबादी के संपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) शुरू की। वीकेवाई को एक रणनीतिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए आवश्यकता अनुरूप और परिणाम आधारित माहौल तैयार करना है। इस प्रक्रिया की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के सभी भावी लाभ उपयुक्त संस्थागत तंत्र के जरिए संसाधनों के सम्मिलन द्वारा लक्षित समूहों तक पहुंच सकें।

अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए छत्र योजना

जनजातीय मामलों का मंत्रालय अपनी शिक्षा योजना को नया रूप दे रहा है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पर्याप्त शैक्षिक ढांचा और छात्रवृत्ति के जरिए उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसे मंत्रालयों की योजनाओं के समावेश के जरिए हासिल किया जा सकेगा जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और शिक्षा कार्य विधि में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी। चूंकि अलग-अलग राज्यों की जरूरतें भी अलग-अलग हैं, प्रस्तावित नई योजना में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को लचीलापन प्रदान करने की उम्मीद है। प्रस्तावित प्रमुख योजना में, निम्नलिखित योजनाओं को मिला दिया गया है : (क) आश्रम स्कूलों की स्थापना और उन्हें बढ़ाना; (ख) छात्रावासों की स्थापना और उनकी वृद्धि; (ग) जनजातीय इलाकों में व्यावसायिक प्रशिक्षण; (घ) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति; और (ङ) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।

विदेशी छात्रवृत्ति

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संशोधित राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत विदेश में उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर, पीएच.डी और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कार्यक्रम के लिए चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इसे और अधिक लाभदायक बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किए हैं।

अध्ययन के क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए, छात्रवृत्तियों की संख्या वर्तमान 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। योजना को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए, कुल 20 छात्रवृत्तियों में से तीन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए और 30 प्रतिशत लड़कियों के लिए रखी गई हैं। योजना में अब कुछ और विस्तृत आधार वाले क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विषयों के समूह बनाकर अध्ययन के क्षेत्र को पुनः संगठित किया गया है, इससे अनुसूचित जनजाति के अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा क्योंकि इनकी संख्या 35 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है।

इससे पहले योग्यता का मानदंड 60 प्रतिशत अंक था, अब इसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि एनओएस के अंतर्गत अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के योग्य हो सकें। आय की अधिकत्तम सीमा बढ़ाकर छह लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है लेकिन अन्य मानदंड पहले की तरह ही रहेंगे, कम आय वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से, मुद्रास्फीति की दरों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता, उपकरण भत्ता और आकस्मिक यात्रा खर्चों को 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (आमतौर पर मंडल आयोग नाम से मशहूर) का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों ('अन्य पिछड़ा वर्ग' अथवा ओबीसी कहलाने वाले) के लिए केंद्र सरकार के पदों में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। भारत सरकार ने, 1993 में केंद्र सरकार के प्रशासनिक पदों और सेवाओं के 27 प्रतिशत रिक्त पदों को अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के जरिए भरा। 2006 में संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन और वर्ष 2007 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिलों में आरक्षण) कानून को लागू करने के साथ ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्गों को सूचीबद्ध किया जाना महत्वपूर्ण हो गया। इस कानून के अंतर्गत, ओबीसी छात्र केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2008-09 से तीन वर्षों की अवधि तक चरणबद्ध रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण के हकदार हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अगस्त, 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन किया गया था।
वेबसाइट: www.ncbc.nic.in

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

इस योजना में, व्यय 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बंट जाता है। इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के बच्चों को मैट्रिक पूर्व तक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्रता के लिए आय की सीमा 2,50,500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य मैट्रिक/सेकेंडरी के बाद के स्तरों पर अध्ययन कर रहे ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पीएच.डी. डिग्री के स्तर तक लाना है। ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन के लिए उस राज्य सरकार केंद्र शासित प्रशासन के जरिए दी जाती हैं जिससे आवदेनकर्ता ताल्लुक रखता है। यह योजना सीमित धनराशि योजना है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों को बजट की उपलब्धता के अनुसार उनकी प्रतिबद्ध देनदारी से अधिक 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए माता-पिता/ अभिभावक की आय एक लाख रुपये प्रतिवर्ष (यदि काम में लगा है, स्व-रोजगार से होने वाली आय सहित) है।

ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है ताकि वे सेकंडरी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें दिशानिर्देशों के अनुसार फंड का स्वरूप इस प्रकार होगाः (i) लड़कों के छात्रावासों के निर्माण की लागत 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य आपस में बांटेंगे । लड़कियों के छात्रावास के लिए अनुपात 90:10 होगा; (i) केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत होगी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90 प्रतिशत है; (iii) लड़के और लड़कियों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है और शेष 10 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा; (iv) निजी विश्वविद्यालय/संस्थान और एनजीओ लागत का 45 प्रतिशत तक केंद्रीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं; शेष 55 प्रतिशत राशि राज्य और विश्वविद्यालय/संस्थान/ एनजीओ द्वारा 45:10 वहन की जाएगी; (v) अनुदान की राशि 50:4:5 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी जिसमें पांच अनुदान राशि निर्माण कार्य पूरा होने और ओबीसी लड़के और लड़कियों द्वारा कमरों को अधिकार में लेने के बाद जारी की जाएगी । छात्रावास का निर्माण कार्य काम मिलने के 18 महीने के भीतर अथवा केंद्रीय सहायता जारी होने के दो वर्ष के भीतर पूरा होना चाहिए, जो भी पहले हो । किसी भी मामले में समय दो वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जाएगा । परियोजना में देरी के कारण यदि लागत बढ़ती है तो उसे राज्य/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा ।

अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी)/गैर-अधिसूचित खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश आदिवासियों (डीएनटी)/ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के कौशल विकास के लिए सहायता इस योजना का लक्ष्य लक्षित समूह जैसे ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी की शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है ताकि उनमें कौशल बढ़ाया जा सके और वे स्वयं रोजगार सृजन संबंधी कार्य शुरू कर सकें अथवा किसी क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त कर सकें ।

ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

कौशल विकास के लिए सहायता

इस योजना का उद्देश्य लक्षित समूह जैसे; अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी)/अधिसूचना रद्द, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी)/आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की शैक्षिक तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए स्वैच्छिक सेक्टर को सहभागी बनाना है ताकि अपना कौशल विकसित कर स्वयं ही आय सृजन वाली गतिविधियां शुरू कर सकें और किसी न किसी सेक्टर में अच्छा रोजगार पा सकें ।

इस योजना का उद्देश्य ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल. और पीएच.डी. जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त कर सकें । इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के छात्रों को वर्ष 2014-15 से प्रतिवर्ष कुल 300 जूनियर रिसर्च फैलोशिप और 2016-17 से 300 सीनियर रिसर्च फैलोशिप प्रदान की जा रही हैं । योजना को लागू करने के लिए यूजीसी शीर्ष एजेंसी है और यह उपयुक्त तारीख पर मीडिया में विज्ञापन के जरिए योजना को अधिसूचित करती है । योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं । फैलोशिप एम.फिल. और पीएच.डी. करने वाले रिसर्च के छात्रों को दी जाती है । जेआरएफ स्तर के लिए फैलोशिप की दर 25,000 रुपये प्रतिमाह और एसआरएफ स्तर के लिए यह 28,000 रुपये प्रतिमाह है ।

शैक्षिक ऋण पर ब्याज छूट हेतु डॉ. अंबेडकर योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के योग्य छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल और उनके नियोजन के अवसर बढ सकें । ओबीसी उम्मीदवारों की पात्रता के लिए नियोजित उम्मीदवार की सभी स्रोतों से आमदनी, अथवा बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में उसके माता-पिता/ अभिभावक की कुल आमदनी वर्तमान क्रीमी लेयर मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए । ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता के लिए, नियोजित उम्मीदवार की सभी स्रोतों से कुल आमदनी अथवा बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में उसके माता-पिता/अभिभावक की कुल आमदनी 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । एक वर्ष के लिए कुल व्यय में से 50 प्रतिशत राशि लड़कियों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में रखी जाती है ।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

यह राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद अथवा सेकेंडरी कक्षा की पढ़ाई कर रहे ईबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी पात्रता के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की सीमा एक लाख रुपये प्रतिवर्ष (स्व-रोजगार सहित) है।

डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति

यह वर्ष 2014-15 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे उन डीएनटी छात्रों के कल्याण के लिए शुरू किया गया था जो एससी, एसटी, ओबीसी में शामिल नहीं हैं। पात्रता के लिए आय की सीमा 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। इस योजना को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों के जरिए लागू किया गया। व्यय केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में आपस में बांटते हैं।

छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना

यह वर्ष 2014-15 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जरिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन डीएनटी छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है जो एससी, एसटी अथवा ओबीसी में शामिल नहीं हैं, ताकि वे सेकेंडरी और उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। पात्रता के लिए आय सीमा 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। केंद्र सरकार देशभर से प्रतिवर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत व्यय मानक छात्रावास के लिए प्रति सीट 3.00 लाख रुपये है (जो केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है) और फर्नीचर के लिए 5,000 रुपये प्रति सीट है। छात्रावास का निर्माण काम मिलने के 18 महीने के भीतर अथवा केंद्रीय सहायता जारी होने के दो वर्ष के भीतर पूरा होना चाहिए, जो भी पहले हो। किसी भी मामले में समय 2 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जाएगा। परियोजना में देरी के कारण यदि लागत बढ़ती है तो उसे राज्य/संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को लाभ नहीं कमाने वाली कम्पनी के रूप में 1992 में शामिल किया गया जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा इन वर्गों के गरीब तबके को कौशल विकास और स्व-रोजगार उद्यम में सहायता करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है। निगम लक्षित समूह जैसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण देता है। पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय से दोगुने से कम (यानी ग्रामीण इलाकों में 98,000 रुपये और शहरी इलाकों में 120,000 रुपये) है वह एनबीसीएफडीसी योजना के अंतर्गत एससीए के जरिए ऋण ले सकते हैं। विकास संबंधी अन्य गतिविधियों के अलावा, निगम देश के प्रमुख मेलों जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हाट, सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला के साथ-साथ संबद्ध राज्यों में आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके लक्षित समूहों के कारीगरों के लिए मार्केटिंग की सुविधा को बढ़ावा दे रहा है।

एनबीसीएफडीसी परंपरागत कारीगरों को मार्केटिंग संपर्क स्थापित करने के लिए इन प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करके मदद करता है। एनबीसीएफडीसी निगम की उन योजनाओं, विविध उत्पादों और सेवाओं को दर्शाने के लिए अपने राज्य की रास्ता दिखाने वाली एजेंसियों को प्रदर्शनियां आयोजित करने अथवा उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करता है जिनके लिए एनबीसीएफडीसी ने एससीए के जरिए देश के विभिन्न भागों के पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के प्रति वचनबद्ध है। लक्षित समूहों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं–

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति

बुजुर्गों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) की घोषणा जनवरी 1999 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है। इस नीति का उद्देश्य वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, आश्रय व्यवस्था और अन्य जरूरतें उपलब्ध कराना, विकास में इक्विटी शेयर, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संरक्षण, तथा उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

- व्यक्ति को खुद की और अपने जीवनसाथी की वृद्धावस्था की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना;
- परिवार द्वारा प्रदान की गई देखभाल में वृद्धि के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को सक्षम बनाना और इनका समर्थन करना;
- कमजोर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण;
- बुजुर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना;
- वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों के लिए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना; तथा
- वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना जिससे वे उपयोगी और स्वतंत्र जीवन का मजा ले सकें।

बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद

बुजुर्गों के लिए विकास नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सरकार को सलाह और सहायता देने के लिए बजर्गों की राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का पुनर्गठन किया गया। यह वृद्धों से संबंधित राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन और बुजुर्गों के लिए की गई विशेष पहलों के बारे में सरकार को फीडबैक उपलब्ध कराती है। एनसीओपी बुजुर्गों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की संकल्पना और उनके कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने और समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। बुजुर्गों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता एनजीओ को वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, सचल चिकित्सा सुविधा इकाइयां खोलने और बुजुर्गों को गैर-संस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराने पर खर्च की जाती है। एक पुख्ता ढांचे और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का 2012 में पुनर्गठन किया गया और इसे नया नाम वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय परिषद (एनसीएसआरसी) दिया गया।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ कानून, 1985, अन्य बातों के अलावा मादक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया। इस कानून के अनुच्छेद 71 (नशेड़ियों और नशीले पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की आपूर्ति की पहचान, उपचार आदि के केंद्र स्थापित करने के सरकार के अधिकार) में व्यवस्था है कि सरकार अपने विवेक से कई केंद्र स्थापित कर सकती है जिनके लिए वह समझती हो कि ऐसे केंद्र नशेड़ियों की पहचान करने, उनके उपचार, शिक्षा, इलाज के बाद देखभाल, पुनर्वास, दोबारा सामाजिक एकीकरण और अन्य कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं, अगर किसी संबद्ध सरकार द्वारा सरकार और अन्य के साथ पंजीकृत नशेड़ियों और अन्य के लिए किसी भी मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थों के बारे में स्थिति इस तरीके से बताई गई है जहां इनकी आपूर्ति करना चिकित्सा संबंधी आवश्यकता है। फलस्वरूप विभाग स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटांस (ड्रग्स) एब्यूज योजना के अंतर्गत नशेड़ियों के लिए समेकित पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) को सहायता प्रदान कर रहा है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नीति

वित्त मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहित सभी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करके स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नीति (एनडीपीएस), लाया जिसका उद्देश्यः (क) मादक और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रति भारत की नीति की व्याख्या करना; (ख) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों तथा राज्य

सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ आदि के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करना और (ग) समग्र रूप से मादक पदार्थों से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराना है।

अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को किया गया था। इसका उद्देश्य 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों के कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करना है, जो भारत की कुल आबादी का 19 प्रतिशत से अधिक हैं। अक्टूबर, 2016 से, मंत्रालय के आदेश पत्र का विस्तार किया गया ताकि इसमें हज यात्रियों के लिए भी व्यवस्था की जा सके।
वेबसाइट: www.ncm.nic.in, www.minorityaffairs.gov.in

अल्पसंख्यकों के लिए *15* सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी। इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (क) शिक्षा के अवसरों में बढ़ोत्तरी, (ख) मौजूदा और नई योजनाओं के जरिए, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य व केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के जरिए आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, (ग) ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं में उचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, (घ) सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण करना। नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपेक्षितों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के उपेक्षित वर्गों को मिले। इन योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक भी पहंचना सुनिश्चित करने के लिए नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का कुछ हिस्सा केंद्रित करने पर विचार किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां तक संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 15 प्रतिशत वास्तविक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित हों।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है (i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (ii) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति; और (iii) योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति।

छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता सुधारने के लिए 2016-17 के दौरान छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का एक नया और संशोधित संस्करण शुरू किया गया। इस मंत्रालय की उपर्युक्त तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल पर हैं। छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में छात्रों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाती हैं। जहां आधार संख्या उपलब्ध है, छात्रों के बैंक खातों को उनसे जोड़कर ऐसे खातों में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है।

(1) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 में मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के लिए केंद्र से शत-प्रतिशत धनराशि मिलती है। पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सालाना आमदनी 1.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है वह इस योजना के अंतर्गत मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। योजना के अंतर्गत नवीनीकरण के अलावा हर वर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए अलग रखी गई हैं। प्रत्येक चुने हुए छात्र को 1000 रुपये से लेकर 10,700 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। योजनावधि (2012-17) के दौरान 414.50 लाख ताजा छात्रवृत्तियां देने और पिछली के नवीनीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5,000 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है।

(ii) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना 2007 में शुरू की गई थी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत में सरकारी आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कॉलेजों सहित उच्चतर माध्यमिक स्कलों/कॉलेजों और संबद्ध राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चुने गए और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। पिछली वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सालाना आमदनी 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है वह इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं। योजना के अंतर्गत नवीनीकरण के अलावा हर वर्ष पांच लाख नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए अलग रखी गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां उपलब्ध नहीं होंगी तो ये छात्रवृत्तियां पात्र लड़कों को दे दी जाएंगी।

(iii) योग्यता और साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

योग्यता और साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 2007 में शुरू किया गया था। इस छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत हर साल नवीनीकरणों के अतिरिक्त 60,000 नयी छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए अलग रखी गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां उपलब्ध नहीं होंगी तो ये छात्रवृत्तियां पात्र लड़कों को दे दी जाएंगी।

योजना में पेशेवर और तकनीकी कोर्स के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को इन संस्थानों में दाखिला दिया जाता है और कोर्स की पूरी फीस लौटा दी जाती है। अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की कोर्स फीस 20,000 रुपये प्रतिवर्ष लौटा दी जाती है। इसके अलावा एक छात्र 10,000 रुपये प्रतिवर्ष भरण-पोषण भत्ते का भी हकदार है। पात्रता के लिए छात्र ने किसी ऐसे तकनीकी अथवा पेशेवर संस्थान में दाखिला लिया हो जो उपयुक्त प्राधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यदि छात्र का दाखिला प्रतिस्पर्धा परीक्षा के बिना हुआ है तो उसके 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए। उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप (एमएएनएफ) योजना की शुरुआत केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2009 में की गई थी। इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के जरिए ल किया गया। योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य एम.फिल. और पीएच.डी. पाठ्यक्रमों जैसे उच्च अध्ययनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष की फैलोशिप प्रदान करना है। फैलोशिप में मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं। यह फैलोशिप ऐसे रिसर्च स्कॉलर को दी जाती है जो जेआरएफ/एसआरएफ बनने के लिए नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल. और पीएच.डी. पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहा है, यूजीसी के नियम एम.फिल. पूर्व और पीएच.डी. पूर्व अवस्था में लागू होंगे। इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। 30 प्रतिशत फैलोशिप महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है। यदि महिला उम्मीदवारों की संख्या कम पाई जाती है तो इसे उसी अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष उम्मीदवारों को दे दिया जाता है।

नया सवेरा- मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना की शुरुआत मंत्रालय द्वारा 2007 में की गई थी।

नई उड़ान

इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही प्रारंभिक परीक्षा को पास कर रहे हैं ताकि

उन्हें संघ और राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके और प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशासनिक सेवाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

पढ़ो परदेस

इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें और उनके नियोजन की संभावना बढ़ सके। योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी योग्य छात्रों को केवल एक बार उपलब्ध होगी चाहे स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अथवा पीएच.डी. स्तर के लिए।

नई रोशनी

मंत्रालय ने नई रोशनी नाम से एक विशिष्ट योजना लागू की है। यह योजना सभी स्तरों पर सरकारी व्यवस्थाओं, बैंकों और मध्यस्थों के साथ बातचीत के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास, उन्हें अधिकार संपन्न बनाने और उनमें विश्वास कायम करने के उद्देश्य से लागू की गई। इस योजना को गैर-सरकारी संगठनों के जरिए लागू किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून, 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। पहले संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। एनसीएम 1992 के कानून में 1995 में संशोधन किया गया और आयोग में उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया। 1995 में संशोधन के साथ आयोग में सदस्य संख्या सात (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित) कर दी गई। अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

वेबसाइट: www.ncm.nic.in

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

तेरह राज्य सरकारों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक आयोग स्थापित किये। वहीं दो राज्यों मणिपुर व उत्तराखंड ने गैर-संवैधानिक आयोगों का गठन किया

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (सीएलएम) का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 350बी के प्रावधान के मुताबिक जुलाई, 1957 में स्थापित किया गया था जो राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) की सिफारिशों के फलस्वरूप संविधान (7वां संशोधन) कानून, 1956 के कारण अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 350बी में व्यवस्था है कि सीएलएम भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी मामलों की जांच कर सकता है और ऐसे अंतराल में इन मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है जब राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं और सभी ऐसी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए प्रेरित करते हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संबद्ध सरकारों/प्रशासनों को भेजते हैं। सीएलएम संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके तीन जोनल कार्यालय बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में हैं। सीएलएम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उन सभी मामलों पर बात करता है जो संवैधानिक और राष्ट्रीय सहमति के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए संरक्षण के कार्यान्वयन से जुड़े हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण

भारत के संविधान के अंतर्गत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान का

अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और उनकी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने और उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य अथवा किसी हिस्से की बहुत अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान करता है। उससे इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 केंद्र/राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में केंद्र अथवा राज्य के किसी प्राधिकार की शिकायतों के निपटारे के लिए अभिवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350ए में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से ताल्लुक रखने वालों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350बी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त विशेष अधिकारी प्रदान करता है जो संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जांच करता है।

केंद्रीय वक्फ परिषद

वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए धार्मिक, पवित्र अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल अथवा अचल परिसंपत्तियों का स्थायी समर्पण है। इन धार्मिक पहलुओं के अलावा वक्फ सामाजिक और आर्थिक उत्थान का माध्यम भी हैं। वक्फ के लिए केंद्रीय कानून के प्रशासन का उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का है। वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वक्फ कानून, 1954 की धारा 8 ए के अंतर्गत (अब वक्फ कानून 1995 की धारा (9) की उपधारा (1)के रूप में पढ़ें) एक संवैधानिक निकाय के रूप में की। वर्तमान परिषद का 2005 में पुनर्गठन किया गया। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास और शिक्षा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
वेबसाइट: www.centralwakfcouncil.org

दरगाह ख्वाजा साहब कानून

इस कानून के अंतर्गत दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) की दरगाह और उसके धर्मार्थ दान के समुचित प्रबंध के लिए प्रावधान किये जाते हैं। इस केंद्रीय कानून के अंतर्गत, दरगाह का प्रबंध, उसके धर्मार्थ दान का नियंत्रण और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दरगाह समिति के रूप में जानी जाने वाली प्रतिनिधि समिति के पास है। राजस्थान के अजमेर में जिले में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्फ है। इस दरगाह का संचालन दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 के तहत किया जाता है। भारत सरकार की मदद से शहरी विकास मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के जरिए राजस्थान सरकार की सक्रिय भागीदारी से दरगाह समि सालाना उर्स में शामिल होने वाले लाखों जायरीनों के ठहरने के लिए एक योजना लागू की है। यह सुविधा पहले विश्राम स्थली के नाम से जानी जाती थी और अब इसका नामकरण गरीब नवाज मेहमानखाना कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दरगाह ख्वाजा साहब के जायरीनों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिलाओं और बच्चों का विकास सर्वाधिक महत्व रखता है और इसी से संपूर्ण विकास की गति निर्धारित होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के मामले में सरकारी कार्यों की खामियों को दूर करने, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और बच्चों पर केंद्रित कानून, नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों को एक तरफ ले जाने के लिए बढ़ावा देना है। मंत्रालय का प्रमुख उत्तरदायित्व महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सरोकारों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना तथा उनके जीवित रहने, सुरक्षा, विकास एवं भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा सकें तथा अच्छी परवरिश के साथ बच्चों को सुरक्षित वातावरण में विकास करने और बढ़ने के सभी अवसर मिलें। बच्चों के लिए इसका मिशन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाकर, शिक्षा, पोषण, संस्थागत सुविधाएं और कानूनी सहायता उपलब्ध करवा कर उनके समग्र विकास और उन्नति के लिए पूर्ण रूप से बच्चों का विकास, देख-रेख

और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
वेबसाइट: www.wcd.nic.in

महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून

मंत्रालय पर बच्चों और महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है: (क) अनैतिक व्यापार (निरोधक) कानून, 1956 (1986 में संशोधित), (ख) महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986 (1986 का 60), (ग) दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित), (घ) सती प्रथा (निरोधक) कानून, 1987 (1988 का 3), (ङ) बाल विवाह निषेध कानून, 2006 (जनवरी, 2007 में अधिसूचित), (च) घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा कानून, 2005 (छ) राष्ट्रीय महिला आयोग कानून, 1990, (ज) शिशु दुग्ध विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण) कानून, 1992 (1992 का 41), (झ) बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005, (ब) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) कानून, 2000 (ट) बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पीओसीएसओ) कानून और पीओसीएसओ नियम 2012 तथा (ठ) कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) 2012। संसद ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक अगस्त, 2011 में पारित कर दिया। मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाना, उनसे संबंधित कानून बनाना और उनमें संशोधन करना तथा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का मार्गदर्शन और उनमें समन्वयन स्थापित करना शामिल है। मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम, उसके विकासात्मक कार्यक्रमों में पूरक और सहायक की भूमिका निभाते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के परिणामस्वरूप सार्वजनिक तौर पर घटते सीएसआर के मुद्दे पर जागरूकता, संवेदनशीलता बढ़ी है और लोग सचेत हुए हैं। जन्म, संस्थागत डिलीवरी में लिंग अनुपात में बेहतर प्रवृत्ति, चुने हुए जिलों में से अधिकांश में एएनसी पंजीकरण, सेकेंडरी स्तर पर स्कूलों में लड़कियों के दाखिले सहित उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

इस योजना के विशेष उद्देश्यों में लिंग आधारित गर्भपात पर रोक, लड़की का बचाव और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लड़की की शिक्षा और उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना, जिलों में बहु क्षेत्रीय कार्य में विशेष ध्यान पीसी और पीएनडीटी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और उसकी निगरानी, गर्भधारण करने के बारे में जल्द पंजीकरण को बढ़ावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वार संस्थागत डिलीवरी और जन्म का पंजीकरण, मानव संसाध मंत्रालय द्वारा स्कूलों को लडकियों के अनुकूल बनाना, स्कूल में लड़कियों का नाम लिखवाना, सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों को रोकने का कार्य, चालू शौचालयों की उपलब्धता, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता पैदा करना, हिमायत, सामुदायिक लामबंदी और साझेदारों का प्रशिक्षण, स्थानीय चैम्पियन, संस्थानों और आगे बढ़कर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कार शामिल है।

इस योजना की परिकल्पना अल्प अवधि में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना है जबकि बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा में लिंग समानता, बेहतर स्वच्छता, अवसरों के रूप में संपूर्ण विकास को दर्शाता है और लिंग के बीच विषमताओं को समाप्त करने का दीर्घकाल में प्रयोग होगा। थोड़े से समय में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की गूंज देशभर में सुनाई पड़ रही है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में सीएसआर में सुधार करने में सफल रहा है। इसने राष्ट्रीय नेतृत्व और सरकार के अंतर्विवेक को जगाया है, केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर दोनों ने पहल की है।

इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक तौर पर घटते सीएसआर के मुद्दे पर जागरूकता, संवेदनशीलता बढ़ी है और लोग सचेत हुए हैं। जन्म, संस्थागत डिलीवरी में लिंग अनुपात में बेहतर प्रवृत्ति, चुने हुए जिलों में से अधिकांश में एएनसी पंजीकरण, सेकेंडरी स्तर पर स्कूलों में लड़कियों के दाखिले सहित उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

सोशल मीडिया की उपस्थिति :

BBBP Facebook Page:

https://www.facebook.com/WCD.BetiBachaoBetiPadhao

YouTube channed on BBBP (for films/audio-video spots):

www.youtube.com/user/BetiBachaoBetiPadhao

Vand aspedia:http://vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/child-development-i/girl-child-welfare/beti-bachao-beti-padhao

BBBP Mobile Application:

https://apps.mgov.gov.in/descp.doappid=792

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

सरकार ने पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देशभर में घोषणा की । इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाईजे) रखा गया । पीएमएमवीवाईजे एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता जारी की जाती है जिसे केंद्र और राज्य तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश 60:40 के अनुपात में बांटते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है जबकि विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सौ प्रतिशत है।

इस योजना में कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उनके बैंक/ डाक घर डीबीटी मोड में पीडब्ल्यू और एलएम खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद राशि अंतरित कर दी जाती है।

पोषण अभियान

पोषण अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जो विभिन्न कार्यक्रमों जैसे आंगनवाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), एमडब्ल्यूसीडी की किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के साथ मिलना सुनिश्चित करता है। यह शिशु के शुरुआती 1000 दिन पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें नौ माह की गर्भावस्था, छह महीने तक केवल स्तनपान और छह महीने से लेकर दो वर्ष की अवधि जिसमें अल्प पोषण जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके। जन्म के बाद वज़न बढ़ाने के अलावा यह शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) दोनों को कम करने में मदद कर रहा है। निरंतर अतिरिक्त एक वर्ष के हस्तक्षेप (तीन वर्ष की उम्र तक) से सुनिश्चित होगा कि शुरुआती 1000 दिनों का ठोस लाभ हुआ है। 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के संपूर्ण विकास की तरफ भी आंगनवाड़ी सेवाओं के जरिए ध्यान दिया जा रहा है।

महिला शक्ति केंद्र *(*एमएसके*)*

सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना के कार्यान्वयन के लिए 2017 में इसे मंजूरी दी ताकि सामुदायिक भागीदारी के जरिये ग्रामीण महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाया जा सके। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करना है जिससे वे सरकारी योजनाओं में अपनी पात्रता का लाभ उठाने के लिए सरकार से आग्रह कर सकें और जहां उन्हें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिये अधिकार सम्पन्न बनाया जा सके। योजना में अन्य बातों के अलावा बीबीबीपी योजना सहित महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की योजनाओं पर उन्हें पकड़ प्रदान करने पर भी गौर किया गया है। एमएसके योजना को पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों को छोड़कर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात की लागत में साझा किया गया है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में आर्थिक सहायता का अनुपात 90:10 है।

वन स्टॉप सेंटर

जो महिलाएं हिंसा का सामना करती हैं उन्हें न्याय हासिल करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि

उन्हें एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है और कोर्ट केस लड़ने के लिए वकील की सहायता लेनी पड़ती है। अनेक मामलों में जानकारी नहीं होने अथवा अपराधियों से दबाव के कारण चिकित्सा संबंधी सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप महिलाएं अक्सर हिंसा का सामना करती हैं लेकिन शिकायत नहीं करतीं। ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए, एक नई पहल करते हुए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की कल्पना की गई और अप्रैल, 2015 से इसे देशभर में स्थापित किया गया। एक महिला जिसने हिंसा का सामना किया है उसे चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सहायता इन केंद्रों में मिल सकती है। इन स्थानों पर महिलाएं अस्थाई तौर पर रह भी सकती हैं यदि उनकी स्थिति इसकी मांग करती है। ओएससी, जिसका लोकप्रिय नाम 'सखी' है, इसे अन्य मौजूदा 181 हेल्पलाइनों से जोड़ा जाएगा। पहले केंद्र का उद्घाटन रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2015 में किया गया। अब तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे 138 केंद्र काम कर रहे हैं। इन केंद्रों में 4,000 से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई है जो अंतिम एसबीसी महीनों में आईं। कम से कम ऐसा एक केंद्र प्रत्येक जिले में 2018-19 की समाप्ति तक स्थापित किया जाएगा। योजना को राज्य/केंद्र शासित सरकार के जरिए लागू किया गया है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में प्रबंधन समिति ओएससी के रोज़मर्रा के कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमीकरण

महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमीकरण की योजना अप्रैल, 2015 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिला को सिंगल यूनीफॉर्म नंबर (181) के जरिए देशभर के महिला संबंधी सरकारी कार्यक्रमों के बारे में सूचना और नाम लेने के जरिए (उपयुक्त प्राधिकार जैसे- पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल से जोड़कर) आपात स्थिति और गैर-आपात स्थिति में 24 घंटे सेवा प्रदान करना है। महिला हेल्पलाइन को वन स्टॉप सेंटर से जोड़ दिया जाएगा और सुधार सेवाओं की जरूरत में पड़ी महिला को यहां भेज दिया जाएगा। योजना में व्यवस्था है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एक समर्पित सिंगल राष्ट्रीय नंबर के जरिए अपनी वर्तमान महिला हेल्पलाइन का इस्तेमाल करेंगे अथवा उसे आगे बढ़ाएंगे। दूरसंचार विभाग, जीओएल ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लघु कोड 181 आवंटित किया है। अब तक महिला हेल्पलाइन 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ (यूटी), दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तराखंड, मिज़ोरम, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, नगालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में काम कर रही है।

मोबाइल फोन पर पैनिक बटन

परेशानी में पड़ी महिला को मदद प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मोबाइल फोनों पर पैनिक बटन लगाने का काम किया। मंत्रालय की पहल से बड़ी संख्या में साझेदारों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर पैनिक बटन और मोबाइल फोन में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हैंडसेट नियम 2016, दूरसंचार विभाग अधिसूचित किया। इस नियम के अंतर्गत सभी नये फीचर वाले फोनों में पैनिक बटन की सुविधा होगी जो न्यूमेरिक 5 अथवा 9 से काम करेगा और सभी स्मार्ट फोन ऑन-ऑफ बटन को तीन बार दबाने पर कनफिगर हो जाएंगे। सभी नये मोबाइल फोनों में सेटेलाइट आधारित ओपीएस के जरिए स्थान की पहचान करने की सुविधा होनी चाहिए। गृह मंत्रालय के सहयोग से निर्भया कोष के अंतर्गत एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) भी स्थापित किया गया है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए सभी आपात नंबरों को 112 से जोड़ देगा। यह पैनिक बटन से भेजे गए परेशानी के सिगनल का जवाब देगा।

महिला पुलिस स्वयंसेवी

महिला पुलिस स्वयंसेवी का प्रमुख कार्य महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा जैसे- घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज के लिए उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की जानकारी अधिकारियों/पुलिस को देना है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को चालू किया। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार ने 2016 में संयुक्त रूप से करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में शुरू किया। अन्य राज्यों द्वारा भी जल्द ही इसे शुरू करने की उम्मीद है।

स्वाधार गृह

महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना उन महिलाओं को

लक्षित कर बनाई गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का शिकार हुई हैं और जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता है ताकि वे सम्मान से अपनी जिंदगी जी सकें। इस योजना में विधवा, परित्यक्ता और बुजुर्ग महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़ा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने पर ध्यान दिया गया है। स्वाधार गृह योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजना 'महिलाओं का संरक्षण और उन्हें अधिकारसम्पन्न बनाने' की उप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों को छोड़कर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात की लागत में राज्यों के जरिये धनराशि जारी की जा रही है। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों में आर्थिक सहायता का अनुपात 90:10 है और 2016 से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 100 प्रतिशत है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना

कामकाजी महिला छात्रावास योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती छात्रावास उपलब्ध कराना है। इन छात्रावासों में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए छात्रावास में दिन में देखभाल (डे-केयर) की सुविधा भी है। मंत्रालय एनजीओ अथवा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे छात्रावास स्थापित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी देता है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की इमारत का निर्माण/ किराये के परिसर में छात्रावास चलाने के लिए केंद्र सरकारों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों को छोडकर) और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच लागत साझा करने का अनुपात 60:15:25 है। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों का अनुपात 65:10:25 है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण

महिला और बाल विकास मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ पुलिस को लिंग की दृष्टि से और अधिक उत्तरदायी बनाने और तथा बल में और अधिक महिलाओं को लाने तथा पलिस बल में लिंग संवेदनशीलता को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य कर रहा है। सभी राज्य सरकारों को एक परामर्श जारी किया है कि वे पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर कुल क्षमता का 33 प्रतिशत तक करें। इसके परिणामस्वरूप 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण बढ़ाया गया है। अब तक आठ राज्य बिहार, गुजरात, ओडिशा, नगालैंड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छह केंद्र शासित प्रदेश-चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुद्दुचेरी पुलिस बल में महिलाओं के लिए इस तरह के आरक्षण को बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर चुके हैं।

एसिड हमला पीड़ित को दिव्यांगों में शामिल करना

एसिड हमले के शिकार किसी व्यक्ति के स्थायी नुकसान अथवा उसके बदसूरत होने तथा लगातार इलाज को ध्यान में रखते हुए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आग्रह किया कि नुकसान अथवा बदसूरत होने को विशिष्ट दिव्यांगता की सूची में डाला जाए। हाल ही में बनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 में एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल किया गया है। एसिड हमले का शिकार व्यक्ति अब दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ ले सकता है।

मेट्रीमोनियल वेबसाइट के लिए दिशा-निर्देश

मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचना के आधार पर महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर गौर करने और इस दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक नियामक ढांचा बनाने का फैसला किया गया। मंत्रालय मेट्रीमोनियल वेबसाइट के लिए तत्परता से उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए पहले ही विस्तृत कार्य कर चुका है और उसने समस्या की सीमा, वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था, वर्तमान कानूनी उपायों आदि के बारे में विस्तार से एक अवधारणा-पत्र तैयार कर लिया है जो संबद्ध साझेदारों के बीच बांटा जाएगा।

एनआरआई विवाह विवाद

प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप विदेशों में होने वाले विवाहों के कारण, महिला चाहे भारत में रहती हो अथवा विदेश में, वह परित्याग किए जाने, घरेलू हिंसा, एकतरफा तलाक और बच्चों की रक्षा आदि

जैसे मुद्दों का सामना कर रही है। चूंकि ये मुद्दे अंतर-देशीय न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे मामलों से जुड़ी महिलाओं को दूसरे पक्ष के विदेश में रहने से जुड़ी प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना के अभाव के कारण कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे विवाह विवाद में शामिल महिलाओं के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) तैयार की है। ये एसओपी महिला द्वारा की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी देगा ताकि उसे तेजी से न्याय मिल सके। ये अदालत और देशभर के पुलिस अधिकारियों के लिए भी प्रभावी संदर्भ पुस्तिका का काम करेंगे जो ऐसे विवादों की जांच कर रहे हैं अथवा अदालतों में महिलाओं के हितों को रख रहे हैं।

लिंग संबंधी बजट बनाने की पहल

लिंग संबंधी बजट बनाना (जेंडर बजटिंग पहल) लिंग को मुख्यधारा में लाने का एक शक्तिशाली औजार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ जितने पुरुषों तक पहुंचते हैं उतने महिलाओं तक भी पहुंचे। यह कोई लेखा विधि प्रयोग नहीं है बल्कि बजट तैयार करते समय, उसके आवंटन, कार्यान्वयन, प्रभाव/परिणाम आकलन, समीक्षा और लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कदमों पर लिंग दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश में लिंग संबंधी बजट बनाने को संस्थागत बनाने के लिए 2007 में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग सेल्स (जीबीसी) स्थापित करने का आदेश दिया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग के लिए प्रमुख एजेंसी है जिसने इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आगे ले जाने के लिए अनेक पहल की हैं। अब तक 57 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने जीबीसी की स्थापना कर ली है। उम्मीद है कि यह जेंडर बजटिंग पहलों के साथ समन्वय के लिए अंतर्मंत्रालय तथा अंतर-मंत्रालय दोनों स्तर पर केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जेंडर बजटिंग नोडल केंद्र निर्दिष्ट कर दिए हैं।

जेंडर चैंपियंस

जेंडर चैम्पियंस पहल शैक्षणिक संस्थानों के जरिए लागू की जा रही है जिससे युवा छात्रों को संवेदनशील बनाया जा सके और कानून, विधि निर्माण, कानूनी अधिकारों और जीवन कौशल शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। जेंडर चैंपियन दिशा-निर्देश महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किए हैं और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से अमल में लाया जा रहा है।

जेंडर चैंपियन को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 150 विश्वविद्यालयों और 230 कॉलेजों ने जेंडर चैंपियन के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।

मृत्यु प्रमाण-पत्र पर विधवा का नाम अनिवार्य

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके सभी अधिकार मिलें, महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत के महा पंजीयक और राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है ताकि पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र में महिला का नाम लिखना अनिवार्य किया जाए।

विधवाओं के लिए आश्रय गृह

यह अब तक की सबसे बड़ी सुविधा है जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और जिसके लिए सरकार धनराशि दे रही है। इस आश्रय में 1,000 महिलाओं को रखने की क्षमता है जिसे वृंदावन में करीब 57 करोड़ रुपये (भूमि की कीमत सहित) की लागत से 1.424 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है। इस आश्रय का डिजाइन 'हेल्पएज इंडिया' के साथ विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है और यह बुजुर्गों के अनुकूल है।

महिला पंचायत प्रमुखों का प्रशिक्षण

हांलाकि ग्राम पंचायतों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण के अभाव में और पति के लगातार शासन/हस्तक्षेप के कारण ये पंच गांव की बेहतरी के लिए वास्तविक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इन महिलाओं को जमीनी स्तर पर शक्तिशाली बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय

ने दो लाख महिला पंचों को प्रशिक्षित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम की पहल की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की भागीदारी से मई, 2016 से इनका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इस पहल के देश में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में सामने आने की उम्मीद है क्योंकि प्रशिक्षित और अधिकारसंपन्न महिला सरपंच सच्चे मायनों में राजनैतिक बदलाव लाने में सक्षम होंगी।

प्रशिक्षण में हर स्तर के प्रबंधन के सभी पहलू शामिल हैं जिनमें सरकारी योजनाओं की बुनियादी जानकारी, सामाजिक मुद्दे और उनका समाधान, पंचायत का वित्तीय प्रबंधन, गांव का बुनियादी ढांचा आदि शामिल है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से लागू की जा रही है। अनेक राज्यों में अब 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतों में महिला प्रमुख हैं। जबकि कानून द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। महिला सरपंचों के पहले बैच के प्रशिक्षण का आयोजन अप्रैल, 2017 में झारखंड में किया गया और धीरे-धीरे इसमें सभी राज्यों को शामिल कर लिया जाएगा।

मातृत्व अवकाश की अवधि में विस्तार

कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर सात महीने करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्य कर रहा था ताकि शिशु को जन्म के बाद छह महीने तक स्तनपान कराया जा सके और इसके बाद पूरक भोजन दिया जाए ताकि कुपोषण के मामले कम हो सकें। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर विचार किया और कानून में उचित संशोधन किया जो इस प्रकार है:

(i) मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह;

(ii) शिशु को गोद लेने वाली और सरोगेट मां के लिए मातृत्व लाभ में बढ़ोत्तरी;

(iii) कार्यालय/फैक्टरी परिसर में क्रेच की सुविधा स्थापित करना। यह कानून अब मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 कहलाता है;

इस विधेयक को राज्य सभा और लोक सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अब इसे मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 के नाम से जाना जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर महिलाओं की हिफ़ाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस संबंध में राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को परामर्श और निगरा रूपरेखा जारी की जा चुकी है ताकि यौन उत्पीड़न कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, शिकायत पर तेजी से जांच हो सके और शिकायककर्ता का भविष्य में उत्पीड़न रोका जा सके।

साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक यौन उत्पीड़न कानून पर एक पुस्तिका तैयार की है और उसे जारी किया है जिसमें आसान शब्दों में कानून के प्रावधान बताए गए हैं। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 के अंतर्गत गठित आतंरिक शिकायत समितियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण मापदंड तैयार किया है। इस मानदंड को अपने सेवा नियमों और शर्तों के अनुसार निजी संगठनों द्वारा विशिष्ट रूप से तैयार किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) कानून, 2013 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संस्थानों/संगठनों को सूची में शामिल किया है।

ग्राम अभिसरण और सुविधा सेवा *(*वीसीईएस*)*

ग्राम अभिसरण और सुविधा सेवा 2015 में शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य सामुदायिक कार्य के जरिए जागरूकता पैदा करना है। महिलाओं के मुद्दों पर झुकाव करके उन मुद्दों को सरल बनाने और ग्राम पंचायत और उसकी उप समितियों के साथ निकट सहयोग कायम करके कार्य करने के लिए समर्पित ग्राम संयोजकों का चयन किया

जाता है। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कानूनी अधिकार, हिफाजत और सुरक्षा जैसे मुद्दों का समाधान निकाला गया है और सरकार द्वारा लागू योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' तथा 'जन-धन योजना' तक पहुंच प्रदान की गई है। एक स्थान पर सभी सुविधाएं और महिला हेल्पलाइन आदि दी गई है। यह सेवा देशभर में लिंग की दृष्टि से संवेदनशील 100 जिलों से बढ़ाकर 303 जिलों में दी गई है।

भारत की महिला उद्यमियों की प्रदर्शनी/महोत्सव

इस पहल की शुरुआत नवंबर, 2014 में की गई ताकि आर्गेनिक महिला कृषक और उद्यमी सीधे बाजार से जुड़ सकें। ये प्रदर्शनियां/महोत्सव दिल्ली में हो चुकी हैं और ऐसी अनेक प्रदर्शनियों/महोत्सवों का आयोजन दिल्ली से बाहर भी अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। ऐसी प्रदर्शनियां खासतौर से गांवों की महिला उद्यमियों और किसानों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन्हें बेचने के लिए मंच प्रदान करती। ऐसी प्रदर्शनियों/महोत्सवों के माध्यम से महिलाओं को एक-दूसरे से जानकारियां मिलती हैं और वित्तीय समावेशन के जरिए सामाजिक संतुलन बनाने के लिए उद्यम संबंधी अवसर मिलते हैं।

महिला ई-हाट

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई-हाट की मार्च, 2016 में शुरुआत की, जो महिला उद्यमियों/एसएचओ/एनओओ के लिए सीधे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का एक मंच है। यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि यह महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है।

राष्ट्रीय महिला नीति

राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा अंतिम रूप लेने की अवस्था में है। इस नीति में 15 वर्ष बाद संशोधन किया गया है और उम्मीद है कि यह अगले 15-20 वर्ष महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगी। यह नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय लेने, हिंसा, एक उदार माहौल तैयार करने आदि जैसे विस्तृत मुद्दों को सम्मिलित करेगी।

पासपोर्ट के नये नियम

महिला और बाल विकास मंत्रालय के आग्रह पर एक प्रमुख प्रगतिशील कदम उठाते हुए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के नये नियम (https://www.mea.gov.in/pressreleases.html) 2016 में जारी किए। ये नियम सिंगल/तलाकशुदा मां और उनके बच्चों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। इनमें गोद लिए गए/गोद लिए जा सकने वाले बच्चे भी शामिल हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अब, पिता का नाम डालना अनिवार्य नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को अपनी का नाम लिखकर ही पासपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपना विवाह/तलाक प्रमाण-पत्र भी जमा कराने की जरूरत नहीं है।

मानव तस्कारी पर कानून

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अवैध व्यापार-अवैध मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2017 के विस्तृत कानून का मसौदा तैयार किया है ताकि वर्तमान खाई को पाटा जा सके और मानव तस्करी की रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़े विभिन्न अपराधों सहित इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके। विधेयक के मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि मानव तस्करी से निपटने के लिए पीड़ितों के लिए मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक माहौल बनाया जाए और इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाए।

महिलाओं के लिए पहल

मानव तस्करी

मानव तस्करी सबसे बड़े संगठित अपराधों में से एक है जिसमें मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न और जबरन श्रम सहित अनेक स्वरूपों में हो सकती है। ये अपराध मुख्य रूप से गरीबी,

निरक्षरता, आजीविका के विकल्पों का अभाव आदि के कारण पनपते हैं। भारत तस्करी का एक स्रोत, एक गंतव्य स्थान होने के साथ-साथ पारगमन देश भी है। अधिकांश तस्करी देश के भीतर होती है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है जिन्हें पड़ोसी देशों से तस्करी करके लाया जाता है और अन्य देशों खासतौर से पश्चिम एशिया में भेज दिया जाता है। वर्तमान में मानव तस्करी के मामलों से भारतीय दंड संहिता 1860 और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) कानून, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निपटा जा रहा है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 केवल मानव तस्करी के अपराध को परिभाषित करती है और दंडित करती है, जबकि अनैतिक तस्करी (रोकथाम) कानून, 1956 व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से मानव तस्करी से संबंधित है और यह शारीरिक और अन्य प्रकार के उत्पीड़न के उद्देश्य से मानव तस्करी को मान्यता नहीं देता।

उज्ज्वला योजना

तस्करी से निपटने के लिए उज्ज्वला एक विस्तृत योजना है। यह योजना व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने, इसके शिकार लोगों को छुड़ाने और उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं/जरूरतें प्रदान करके पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, तस्करी के शिकार लोगों को परिवार और समाज से मिलवाने, सीमा-पार शिकार लोगों को स्वदेश भेजने के लिए 2007 में शुरू की गई थी। इस योजना को मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठनों के जरिये लागू किया गया है। उज्ज्वला योजना के नियमों को पहली अप्रैल, 2016 से संशोधित किया गया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत, बजटीय प्रावधान बढ़ाए गए हैं और योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजना 'महिलाओं का संरक्षण और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने' की उप योजना के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जरिये लागू किया जा रहा है। योजना के लिए केंद्र, राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच लागत साझा करने का अनुपात 60:30:10 है। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों में यह अनुपात 80:10:10 है। संघशासित प्रदेशों में केंद्र और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच अनुपात 90:10 है।

एनआरआई विवाह

अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) से विवाह होने पर कई बार महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है और उनके विवाह में विवादास्पद विषय रहते हैं। सीमा-पार कानून लागू होने के कारण ऐसे मामलों का समाधान कठिन होता है। भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जो इन मुद्दों और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों से विवाह करने वाले भारतीय नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखेगा और वर्तमान कानूनों/नीतियों/नियमों में संशोधनों का सुझाव देगा।

निर्भया कोष

सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनका संरक्षण बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक पहलों को लागू करने के लिए वर्ष 2013 में निर्भया कोष नाम से एक समर्पित कोष गठित किया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार/मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे। मूल्यांकन करने/किसी भी प्रस्ताव की सिफारिश करने के लिए मंत्रालय शीर्ष एजेंसी है। इस कोष की स्थापना 2013-14 के दौरान 1000.00 करोड़ रुपये की खत्म नहीं होने वाली राशि से की गई है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं लागू की गई हैं। इसके अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक वृहत ऑनलाइन एमआईएस विकसित किया गया है।

नारी शक्ति पुरस्कार

हर वर्ष, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रेरित करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस अवसर पर 'नारी शक्ति पुरस्कार' उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिए जाते हैं जिन्होंने महिलाओं को अधिकार-सम्पन्न बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किए हों। वर्ष 2019 में, मंत्रालय ने 44 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की घोषणा की जिनमें तीन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी के थे। पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।

बच्चों से जुड़े मुद्दे

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। देश के विकास के लिए बच्चों का कल्याण आवश्यक है क्योंकि वे देश के भविष्य का मानव संसाधन बनते हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा- करीबन 158 मिलियन 0-6 वर्ष की आयु के (2011 की जनगणना) बच्चे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण, विकास और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है।

लापता/तस्करी किए गए भागे हुए बच्चे

खोया-पाया पोर्टल : बच्चों के संरक्षण के लिए नागरिकों की भागीदारी के लिए एक नया नागरिक पोर्टल खोया-पाया जून, 2015 में शुरू किया गया। इस पोर्टल में लापता और देखे गए बच्चों के बारे में सूचना डाली जा सकती है। यह पोर्टल दो डेटाबेस-लापता और देखे गए बच्चों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर जून, 2015 और मार्च, 2017 के बीच, 7671 लापता/देखे गए बच्चों के मामले खत्म किए गए।

रेलवे स्टेशनों पर एनजीओ/चाइल्ड हेल्प ग्रुप/चाइल्ड लाइन यूनिट होंगे जो बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों को सौंपने अथवा माता-पिता/अभिभावकों की अनुपस्थिति में उनके पुनर्वास के लिए रेलवे स्टेशनों के साथ कार्य करेंगे। रेलवे कोचों में 2015 में पोस्टरों के जरिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। पहले चरण में ट्रेनों में एक लाख पोस्टर लगाए गए हैं।

चाइल्ड लाइन का विस्तार : चाइल्डलाइन परेशानी में पड़े बच्चों को मुक्त कराने और उनकी सहायता के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। पिछले कई वर्षों में, चाइल्डलाइन (हेल्पलाइन संख्या 1098) का विस्तार 316 शहरों से 412 स्थानों पर किया गया है जल्दी ही 100 और शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा।

पोक्सो ई-बॉक्स

बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में शिकायत नहीं कर पाते क्योंकि यह आमतौर पर किसी जान-पहचान वाले व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। वह अपनी शिकायत सुरक्षित और गुमनाम तरीके से कर सकें, इसके लिए इंटरनेट आधारित सुविधा ई-बॉक्स प्रदान की गई है। यहां बच्चा अथवा उसकी तरफ से कोई भी कम शब्दों में शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे ही शिकायत दर्ज होगी, एक प्रशिक्षित काउंसलर तत्काल बच्चे से संपर्क करेगा और उसे सहायता प्रदान करेगा। जहां कहीं जरूरत होगी बच्चे की ओर से काउंसलर भी एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। पोक्सो ई-बॉक्स अगस्त, 2016 में शुरू किया गया, ये अब तक 300 शिकायतें प्राप्त कर चुका है और उनका निपटारा कर चुका है।

किशोर न्याय

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जेजे मॉडल नियम, 2016) को भारत राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया, अतः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 (जेजे नियम, 2007) को रद्द कर दिया गया। जेजे मॉडल नियम, 2016 इस तर्क पर आधारित है कि बच्चों में सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें एक बार फिर समाज से जोड़ा जाना चाहिए। नियम बच्चों की विकास की जरूरतों के लिए सराहनीय है और बच्चे का सर्वश्रेष्ठ हित शुरुआती चिंता है। बोर्ड में बच्चों के अनुकूल कार्यप्रणाली शामिल की गई है।

जेजे मॉडल नियम, 2016 में पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत के लिए बच्चों के अनुकूल विस्तृत प्रक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से कुछ प्रकियाओं में शामिल है। किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाए, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाए, बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाए, कानूनी सहायता आदि के बारे में माता-पिता/अभिभावक को जानकारी दी जाए। किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत को चाहिए कि वे बच्चे का तनाव कम करें और बच्चे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उससे पूछे गए सवालों को समझने के बाद उसे बिना किसी डर के सच्चाई और परिस्थितियां बताने के लिए प्रोत्साहित करें।

जेजे मॉडल नियम, 2016 में किशोर न्याय प्रणाली बच्चे की प्रगति की समीक्षा करने और उसे पर्याप्त पुनर्वास और वापसी की सेवा देने के लिए विभिन्न नई विधियों को शामिल किया गया है। कुछ नई विधियां हैं- मामला निगरानी शीट, बच्चे की देखभाल की विस्तृत योजना, बच्चे की देखभाल करने वाले संस्थान के पंजीकरण का आवेदन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट आदि। इसके अलावा निगरानी के

प्रावधान मजबूत बनाए गए हैं।

विस्तृत दत्तक ग्रहण सुधार

सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 को अधिसूचित कर दिया और कानून का अध्याय (viii) अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने तथा साथ ही रिश्तेदार द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है। इस कानून में बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की गई है। इसके अनुसार रिश्तेदारों के गोद लेने सहित सभी दत्तक ग्रहण की जानकारी देश में देनी पड़ेगी। साथ ही कानून के अंतर्गत सभी दत्तक ग्रहण केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का पुनर्गठन कर उसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नाम दिया गया है।

दत्तक ग्रहण नियम 2017 में अधिसूचित किए बच्चों को गोद लेने के लिए संचालन दिशा निर्देश, 2015 के स्थान पर ये प्रभावी हो गए।

i. भारत में कहीं भी बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।

ii. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और दिशा-निर्देश प्रणाली (कैरिंग्स) कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने के लिए 'कारा' ही एकमात्र सरकारी पोर्टल है।

iii. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2015 की धारा 80 और 81 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो गैर-कानूनी तरीके से गोद लेने के कार्य में शामिल है उसे दंडित किया जाएगा।

iv. किसी बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से गोद लेकर, व्यक्ति गैर-इरादतन बच्चों की तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है।

v. गोद लेना एक सामाजिक-कानूनी प्रकिया है और इसमें दलालों/बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वे बच्चे को गैर-कानूनी तरीके से गोद लेने के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं।

vi. दत्तक ग्रहण नियमों में देश में और दूसरे देश से क्यूएएस (अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित) बच्चों को गोद लेने का प्रावधान है।

vii. देश के भीतर और विदेश में रिश्तेदार द्वारा गोद लेने के संबंध में प्रक्रिया नियमों में परिभाषित की गई है।

viii. सौतेले बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था की गई है।

ix. नियमों में 32 अनुसूचियां संलग्न हैं। इनमें अदालत में दायर किए जाने वाला आदर्श दत्तक ग्रहण आवेदन भी शामिल हैं और इससे अदालत का आदेश प्राप्त करने में होने वाली देरी भी समाप्त हो सकेगी।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष), किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। यह कार्य तीन वर्ष की अवधि में एक नियत समय के भीतर बच्चों (0-3 वर्ष) में अल्प-पोषण को कम करना; बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया को कम करना; महिलाओं और किशोर लड़कियों (15-49 वर्ष) में एनीमिया की व्यापकता कम करना और जन्म के समय कम वजन के मामले घटाना।

आंगनवाड़ी सेवा

समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना जिसे अब आंगनवाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना; बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखना; मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की घटनाओं को कम करना; बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन; और मां की क्षमता बढ़ाना ताकि वह उपयुक्त

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान दे सके। इस योजना के लाभार्थियों में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। यह योजना खुद चुनी जा सकती है और बिना किसी शर्त के सभी लाभार्थियों के लिए खुली है। उपर्युक्त उद्देश्यों को आईसीडीएस योजना के अंतर्गत एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच द्वारा छह सेवाओं यानी पूरक पोषण, प्री-स्कूल और गैरऔपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच; और रैफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान कर हासिल किया जा सकता है। सेवाओं का पैकेज प्रदान करने की अवधारणा प्रमुख रूप से इस बात पर आधारित है कि कुल मिलाकर इसका प्रभाव काफी विशाल हो सकता है यदि विभिन्न सेवाओं को समन्वित तरीके से विकसित किया जाए क्योंकि किसी विशेष सेवा की क्षमता संबद्ध सेवाओं से मिलने वाली सहायता पर निर्भर करती है। तीन सेवाएं देशभर में फैली 14 लाख आंगनवाड़ियों के जरिए प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 4, 5, 6 और 7 आईसीडीएस पर लागू है क्योंकि ये धाराएं कुपोषित बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने का प्रावधान करती हैं। कानून के प्रावधानों के अनुसार, आईसीडीएस के अंतर्गत एसएनपी प्रदान करने के नियम 2017 में अधिसूचित कर दिए गए हैं।

आंगनवाड़ी के बुनियादी ढांचे में सुधार

सरकार आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) को आकर्षक बचपन विकास केंद्र के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्वास्थ्य, पोषण और शुरुआती शिक्षा का पहली ग्राम चौकी होगी। पहले से तय उद्देश्य को हासिल करने के लिए, आईसीडीएस योजना में सुधार और इसे मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन और संस्थागत क्षेत्र शामिल हैं।

पूरक पोषण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए), 2013 में शामिल प्रावधानों का पालन करते हुए, मंत्रालय ने पूरक पोषण (समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत) नियम, 2017 में अधिसूचित किया ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशु के जन्म के बाद स्तनपान कराने वाली माता को छह महीने के लिए और 6 महीने से 6 वर्ष (कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों सहित) की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को इस कानून में अनुसूचित पोषण मानकों के अनुसार एक वर्ष में 300 दिन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकार के अनुसार पूरक पोषण मिल सके। खाद्यान्न और भोजन की पात्रता मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर पात्र व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से उतने समय और तरीके से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हक़दार होगा जो केंद्र सरकार ने दिया हुआ है।

आईसीडीएस प्रणाली

महिला और बाल विकास मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अमल में ला रहा है जो देश के आठ राज्यों के 162 अत्यधिक बोझ वाले जिलों की सहायता कर रहा है जहां निम्नलिखित परियोजना विकास उद्देश्यों के साथ 368 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं: (i) समन्वित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) नीतिगत ढांचे, प्रणाली और क्षमताओं को मजबूत बनाने, सामुदायिक कार्य को आगे बढ़ाने, तीन वर्ष की आयु के भीतर आने वाले बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना; (ii) बेहतर पोषण नतीजों के लिए सम्मिलित कार्यों को मजबूत करना। आईसीडीएस प्रणाली को मजबूत बनाने और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) में एक प्रमुख गतिविधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम आईसीडीएस की रियल टाइम मॉनीटरिंग (आईसीटी-आरटीएम) प्रणाली स्थापित करना है ताकि सेवा डिलीवरी तंत्र में सुधार हो सके और चुने हुए राज्यों के आंगनवाड़ी केंद्रों में विशिष्ट रूप से निर्मित आईसीडीएस-कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) मोबाइल सॉल्यूशन तैनात करके आईसीडीएस योजना की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आईसीडीएस सीएएस के साथ लगे मोबाइल डिवाइस के जरिए उनके द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में जानकारी डालते हैं। इस सूचना तक महिला सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, राज्य कार्यालय और केंद्रीय स्तर की पहुंच होती है।

आईसीडीएस और सहायक प्रणाली की आईटी सक्षम वास्तविक समय जांच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) के डिजाइन, विकास और उसके असरदार तरीके से इस्तेमाल के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। फलस्वरूप, बीएमजीएफ ने एक

विशिष्ट रूप से निर्मित कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस सीएएस) विकसित किया।

किशोर लड़कियों के लिए योजना

किशोर लड़कियों के लिए योजना (एसएजी) 2010-11 में शुरू की गई और यह देशभर के 205 चुने हुए जिलों में काम कर रही है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक आधार पर 11-18 वर्ष की किशोर लड़कियों का चौतरफा विकास करना है। यह योजना राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए लागू की जा रही है जिसका व्यय केंद्र और राज्य के बीच (कानून के साथ) 50:50 के अनुपात में पोषण के लिए है और शेष घटकों के लिए यह अनुपात 60:40 है। आठ पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) तथा विशेष श्रेणी वाले दो हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) व एक केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर) के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 होगी। केंद्र शासित प्रदेशों (बिना विधान वाले) को शत-प्रतिशत धनराशि अथवा वास्तविक खर्च दिया जाता है जो भी कम हो। आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) सेवाओं की डिलीवरी का प्रमुख बिंदु है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं- पोषण प्रदान करने वाले और पोषण नहीं प्रदान करने वाले। पोषण प्रदान करने वाले घटक में, स्कूल से निकली किशोर लड़कियां (11-16 वर्ष) जो एडब्ल्यूसी जा रही है और सभी लड़कियों (14-18 वर्ष) को घर ले जाने के लिए राशन/गर्म पके हुए भोजन के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक किशोर लड़की को एक वर्ष में 300 दिन रोजाना 600 कैलरी और 18-20 ग्राम प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रीएन्ट्स (जो आहार संबंधी अनुशंसित अंश का करीब एक-तिहाई है) प्रदान किए जाते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की नियमों के अनुसार पोषण प्रदान किया जाता है। पोषण प्रदान करने वाले घटक का उद्देश्य किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण अवस्था में सुधार लाना है जबकि पोषण नहीं प्रदान करने वाला घटक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करता है। पोषण नहीं प्रदान करने वाले घटक में, 11-18 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को आईएफए सप्लीमेंटेशन, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, किशोरी को प्रजनन संबंधी यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) काउंसलिंग/परिवार कल्याण के बारे में दिशा-निर्देश, जीवन कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के बारे में दिशा-निर्देश और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए) प्रदान किया जाता है। इस योजना का एक और उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को मुख्यधारा में लाकर स्कूल व्यवस्था में शामिल करना है।

जंक फूड दिशा-निर्देश

जंक फूड दिशा-निर्देश तैयार किए गए और इन्हें लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों से आग्रह किया कि वे इनका पालन करें। इसके पश्चात मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि वह सभी राज्यों/क शासित प्रदेशों को परामर्श जारी करे। दिशा-निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया कि विक्रेताओं/रेहड़ी-पटरी वालों को किसी स्कूल के 200 मीटर के दायरे में स्कूल के समय के दौरान जंक फूड बेचने की इजाजत नहीं दी जाए। दिशा-निर्देशों में ऐसे उपयुक्त भोजन की सूची प्रदान की गई थी जो स्कूल कैंटीन में बेचे जा सकते हैं।

खाद्य और पोषण बोर्ड की प्रमुख पहल

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी) चार खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है ये हैं: फरीदाबाद में केंद्रीय प्रयोगशाला और मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में तीन क्षेत्रीय जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जहां खाद्य सुरक्षा के लिए भोजन और पूरक पोषण का विश्लेषण किया जाएगा और आईसीडीएस योजना में पूरक पोषण के पोषण और भोजन संबंधी नियम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों में, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को गंभीरता से लेते हुए भोजन में अतिरिक्त सामग्री के जरिए इस समस्या को दूर करने के लिए पहल की। इस संबंध में भोजन में अतिरिक्त सामग्री के बारे में एक विस्तत नियम बनाया गया जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक (भोजन का सुदृढ़ीकरण) नियमन, 2016 नाम दिया गया। इसका संचालन एफएसएसएम कर रहा है जो प्रमुख मूल खाद्यानों गेहूं का आटा, चावल, दूध, खाने का तेल और नमक के सुदृढ़ीकरण

मानक तय करता है। सुदृढ़ीकृत खाद्यानों के लिए एक प्रतीक चिह्न भी दिया गया है।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनपीएसी), 2016 राष्ट्रीय बाल नीति में अभिन्न अंग के रूप में शामिल सिद्धांतों पर आधारित है। कार्ययोजना के चार प्रमुख क्षेत्र हैं; जीवित रहना, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा और विकास; संरक्षण; और भागीदारी। एनपीएसी का कार्य सुनिश्चित करना है कि वर्तमान कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए और नये कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए ताकि पूर्णतः स्पष्ट रणनीतियों और क्रियाकलापों के जरिए लक्ष्यों पर ध्यान दिया जा सके जिससे बच्चों के लिए वांछित नतीजे हासिल किए जा सकें।

राष्ट्रीय शिशु सदन योजना

राष्ट्रीय शिशु सदन योजना कामकाजी महिलाओं और अन्य पात्र महिलाओं के बच्चों की दिन में देखभाल के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जरिये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2017 में लागू की गई। योजना के सभी आवर्तक घटकों के लिए धनराशि साझा करने के प्रतिमान इस प्रकार हैं- (i) शिशु सदन चलाने वाले केंद्रों, राज्यों और संगठनों/संस्थानों में राज्यों के लिए 60:30:10 (ii) शिशु सदन चलाने वाले केंद्रों, राज्यों और संगठनों/संस्थानों में पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों के लिए 80:10:10 (iii) शिशु सदन चलाने वाले केंद्र और संगठनों/संस्थानों के बीच केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 है।

बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति

मंत्रालय ने बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनईसीसीई) की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। इस नीति में प्रत्येक बच्चे की देखभाल और शुरुआती अध्ययन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही बच्चे के जीवित रहने, उसकी वृद्धि और विकास की मजबूत नींव सुनिश्चित करने की दिशा में एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए आगे बढ़ने का मार्ग तय किया गया। यह बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण, मनो-सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों के बीच सहक्रियाशील और आपसी निर्भरता के संबंधों को मान्यता देता है। यह आईसीडीएस के संशोधित सेवा पैकेज में बताए गए नीतिगत कार्यों को गति प्रदान करेगा। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद को प्रशिक्षण की प्रणालियां, पाठ्यक्रम की रूपरेखा, मानक और सम्बन्धित कार्य प्रणाली प्रदान करने और बचपन की देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अधिसूचना के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। परिषद का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ समग्र और एकीकृत विकास के लिए विचारों और परम्पराओं को लागू करना है।

ईसीसीई पर आईसीडीएस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण : बच्चों के लिए प्रासंगिक वार्षिक पाठ्यक्रम, मूल्यांकन कार्ड और क्रियाकलाप, पुस्तकें विकसित करने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई पाठ्यक्रम लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न पदाधिकारियों के लिए ईसीसीई प्रशिक्षण कराना अनिवार्य होगा। यूनिसेफ के सहयोग से पोषण अभियान के अंतर्गत, आंगनबाड़ी सेवाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए वर्तमान ऑफलाइन ईसीसीई मॉड्यूल के साथ 21 ई-ईसीसीई ऑनलाइन मॉडयूल तैयार किए गए हैं।

आधार के अंतर्गत छह वर्ष से कम आयु के बच्चे का नाम दर्ज करना

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित भारत के निवासी के लिए आधार जारी करने के लिए भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को कानूनी दर्जा प्रदान करते हुए आधार कानून अधिसूचित किया गया। यूआईडीएआई ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डब्ल्यूसीडी विभाग को सलाह दी कि वह पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार में नाम दर्ज करने के लिए पंजीयक के रूप में कार्य करे। आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत सेवाएं बच्चों (0-6 वर्ष) के लक्षित समूह को दी जाती हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में इन बच्चों तक पहुंचना अधिक आसान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह समझाया गया कि वे आधार नामांकन शिविर स्थापित करें ताकि प्रत्येक बच्चे के पास आधार कार्ड सुनिश्चित हो सके। इसके बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे प्रत्येक आंगनबाड़ी में वर्ष में कम से कम दो बार आधार नामांकन शिविर लगाएं ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में शामिल होने वाले प्रत्येक लाभान्वित बच्चे के पास आधार कार्ड सुनिश्चित हो सके।

विविध मुद्दे

लाभार्थी को सीधे हस्तांतरण

भारत सरकार ने लाभार्थी को सीधे हस्तांतरण (डीबीटी) को अपनाने और सेवाएं देने, व्यक्तियों और समूहों को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ अथवा सब्सिडी देने के लिए लाभार्थियों की पहचान के रूप में आधार का इस्तेमाल किया जहां भारत की जमा राशि खर्च होती है। अपनी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यान्वयन के लिए 15 योजनाओं/घटकों की पहचान की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित करने के लिए, मंत्रालय ने एक पोर्टल pmmyy-cas.nic.in शुरू किया है। यह पोर्टल स्थानीय सरकार निदेशक कोड (एलजीडी) से भी जुड़ा हुआ है जो स्थान को भी रिकॉर्ड करता है।

सोशल मीडिया में सक्रियता

मंत्रालय फेसबुक, ट्वीटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों पर भी सक्रिय है जिसके लाखों फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों, सकारात्मक नजरिया देने और आचरण में बदलाव जैसे विषयों पर आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस माध्यम का इस्तेमाल सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करने के लिए भी किया जा रहा है ताकि नागरिकों की प्रतिबद्धता बढ़ाई जा सके। सरकार के नागरिकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की पहुंच और शक्ति का इस्तेमाल करने के समान, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मदद शुरू कर दी है जहां महिलाएं और बच्चे अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। मंत्रालय एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी चला रहा है जो देशभर से महिलाओं और बच्चों की ई-मेल के जरिए मिलने वाली सीधी शिकायतों को दर्ज़ करता है और उनका जवाब देता है।

महिला और बाल विकास विभाग के तहत संगठन

महिला और बाल विकास मंत्रालय के छह स्वायत्तशासी संगठन ये हैं:

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान जिसका लोकप्रिय नाम एनआईपीसीसीडी भी है, महिला और बाल विकास के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन है। 1860 के सोसाइटी पंजीकरण कानून के अंतर्गत 1966 में नई दिल्ली में स्थापित यह संगठन देश की विशेष क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्थान ने पिछले कुछ वर्षों में चार क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी (1978), बंगलुरु (1980), लखनऊ (1982) और इंदौर (2001) में स्थापित किए हैं। संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। एक केंद्रीय संसाधन एजेंसी के रूप में, एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) की नई योजना के अंतर्गत, इसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे बाल अधिकारों और सार्क देशों को लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम जैसे दो महत्वपूर्ण मामलों पर प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय संस्थान के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी रक्षा की समीक्षा करने; सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों का निवारण करने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग कानून, 1990 के अंतर्गत 1992 में की गई थी। आयोग, अन्य बातों के अलावा, संविधान और अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण से जुड़े सभी मामलों की वार्षिक जांच-पड़ताल कर सकता है, इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसे अन्य समय में जब आयोग को उपयुक्त लगता हो, इन सुरक्षा संबंधी कामकाज के बारे में रिपोर्ट दे सकता है, ऐसी रिपोर्टों में वह संघ अथवा किसी राज्य द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की सिफारिश कर सकता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के वर्तमान प्रावधानों और अन्य

कानूनों की समय-समय पर समीक्षा के अतिरिक्त संशोधनों की सिफारिश कर सकता है ताकि सुधारात्मक विधायी उपाय किए जा सकें और ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अंतर या किसी प्रकार की कसर को पूरा किया जा सके। संविधान और महिलाओं से जुड़े अन्य कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले, शिकायतें आदि देख रहे उपयुक्त प्राधिकारों के समक्ष मामले उठाए जा सकें।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना बच्चों के अधिकारों का संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) कानून, 2005 के अंतर्गत 2007 में की गई। एनसीपीसीआर एक वैधानिक संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रशासनिक तंत्र में बाल अधिकारों की दृष्टि से तालमेल हो जैसा कि भारत के संविधान और साथ ही बच्चों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते में प्रतिष्ठापित है। बच्चे को जन्म से 18 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर बेहद बारीक प्रतिक्रिया के साथ प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता और ताकत को ध्यान में रखते हुए अधिकार आधारित दृष्टि से देखता है, प्रत्येक बच्चे से संपर्क बनाने के लिए, उसे समुदायों और परिवारों तक गहरी पैठ बनानी पड़ती है और उसे उम्मीद रहती है कि क्षेत्र में एकत्र किए गए बुनियादी अनुभव को उच्च स्तर पर सभी अधिकारी ध्यान में रखेंगे।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) एक वैधानिक संस्था है जो भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करती है और देश में और दूसरे देश में गोद लेने के लिए निगरानी और नियमन अनिवार्य है। एक-दूसरे के देश से गोद लेने के बारे में हेग सम्मेलन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक-दूसरे के देश से गोद लेने की प्रक्रिया पर कार्य करने के लिए केंद्रीय प्राधिकार के रूप में कारा को प्राधिकृत किया गया, जिसे भारत सरकार ने 2003 में मंजूरी दी। कारा अपनी सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त एजेंसियों के जरिये मुख्य रूप से अनाथ, छोड़ दिए गए और परित्यक्त बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था करता है।

केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड

केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में परिवार, महिलाओं और बच्चों की सामान्य भलाई के लिए स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होने को बढ़ावा देने, स्वयंसेवी संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। ऐसे संगठन की स्थापना का यह पहला प्रयास था जो एक गैर-सरकारी संगठन के रूप में स्वयंसेवी संगठनों में शामिल होने के सिद्धांत पर कार्य करे। बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सरकार और लोगों के ब एक सम्पर्क के रूप में कार्य करना है।

राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना 1993 में स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई और इसे सोसाइटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। आरएमके महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अधिकार सम्पन्न बनाने का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आरएमके वर्तमान में कार्य को सुगम बनाने के मॉडल को अपना रहा है जहां वह मध्यस्थ संगठन (आईएमओ) के रूप में परिभाषित एनजीओ-एमएफआई को ऋण प्रदान करता है जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को आगे ऋण प्रदान करता है। साथ ही आरएमके के पास आय सृजित करने संबंधी कार्यों के लिए सूक्ष्म ऋण तक आसान पहुंच के साथ महिला लाभार्थियों तक पहुंचने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त केंद्रीय एजेंसियां और फ्रेंचाइजी हैं। आरएमके का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आजीविका सहायता और ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया में रियायती शर्तों पर आय सृजन संबंधी गतिविधियों के लिए गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है ताकि उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

29 युवा कार्यक्रम और खेल

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष भर खेल और युवा कार्यक्रम के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के संपूर्ण मार्गदर्शन में कार्य किया। अप्रैल, 2008 में युवा खेल विभाग और खेल विभाग के नाम से दो अलग-अलग विभागों का सृजन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया।

देश की आबादी में युवा सबसे ऊर्जावान और सक्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। यहां लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है। देश की आबादी का 27.5 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग का है। अनुमान है कि 2020 तक भारत की आबादी की औसत आयु केवल 28 वर्ष होगी। जनसंख्या का यह हिस्सा अपार अवसर प्रदान करता है। इस जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति में वृद्धि करते रहने की क्षमता होना जरूरी है। साथ ही युवाओं के पास उचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा अन्य योग्यताएं व क्षमताएं भी होनी चाहिए ताकि वे अर्थव्यवस्था में लाभकारी ढंग से योगदान कर सकें। भारत सरकार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से युवाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर बड़ी मात्रा में निवेश करती है।
वेबसाइट: www.yas.nic.in

राष्ट्रीय युवा नीति

राष्ट्रीय युवा नीति को फरवरी, 2014 में लागू किया गया था। इसे राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर लाया गया था। 2014 की नीति को सभी संबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था। इस नीति में 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

युवाओं के लिए योजनाएं

युवा कार्यक्रम विभाग, युवाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इनमें कुछ योजनाओं पर सालाना 10 करोड़ रुपये से कम खर्च किया जाता है। इन योजनाओं की उपयोगिता में सुधार के लिए, इनका विलय कर केवल एक योजना तैयार करने की अनिवार्यता महसूस की गई, जो विभाग की सर्वोत्कृष्ट योजना की तरह काम कर सके। इससे इन योजनाओं के बीच एक बेहतर तालमेल कायम किया जा सकेगा और इस तरह, इनकी प्रभाविता में सुधार कर, मौजूदा संसाधनों के साथ बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद मिलेगी।

विभाग ने सभी योजनाओं के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण करने का व्यापक बीड़ा उठाया है जो अब निम्नलिखित तीन सर्वोत्कृष्ट योजनाओं के तहत युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं:

क्र.सं.	पूर्व योजना का नाम	नई योजनाओं का नाम
1.	नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)	इन योजनाओं का एक नई योजना (अंब्रेला स्कीम) में विलय हुआ जिसे राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) नाम दिया गया है
2.	राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी)	
3.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)	
4.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	
5.	युवा छात्रावास (वाईएच)	
6.	स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता	
7.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एनडीएस)	
8.	राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)	
9.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम

नेहरू युवा केंद्र संगठन

नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की स्थापना 1972 में की गई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में शामिल है। लगभग 87 लाख युवा एनवाईकेएस से 3.04 लाख युवा क्लबों/महिला मंडलों के माध्यम से जुड़े हैं। इस संगठन ने नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से 623 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व को निखारना, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र-निर्माण कीगतिविधियों में लगा है। संगठन साक्षरता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वच्छता, साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरुकता, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, स्व-रोज़गार, उद्यमशीलता विकास, नगर विषयक शिक्षा, आपदा राहत और पुनर्वास जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक और अभिप्रेरित होते हैं बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों से सामाजिक विकास कार्यों के प्रति समर्पित भी होते हैं।

राष्ट्रीय युवा कोर

राष्ट्रीय युवा कोर योजना 2010-11 में शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय युवा केंद्र संस्थान के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं- ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह बनाना जिनका झुकाव और जज़्बा राष्ट्र-निर्माण के कार्यों के प्रति हैं; समावेशी विकास (सामाजिक और आर्थिक) हासिल करने में मदद करना; अपरिवर्तक समूह और साथी समूह शिक्षक के रूप में कार्य करना; विशेषकर लोकाचार, सत्यनिष्ठा और श्रम की गरिमा की दृष्टि से युवा साथियों के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में कार्य करना।

इस योजना के तहत 18 से 25 वर्ष के युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में अधिकतम दो वर्ष के लिए राष्ट्र-निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं पास है। इन्हें प्रारंभ में प्रतिमाह 2,500 रुपये मानदेय दिया जाता था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2016 में 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इनका चयन एक चयन समिति करती है, जिसका प्रमुख संबद्ध जिले का जिला कलेक्टर या उपायुक्त होता है। स्वयंसेवकों को नियुक्ति के

तुरंत बाद 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और दूसरे वर्ष में सात दिन का पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वयंसेवक नियुक्त किए जाते हैं। ये ब्लॉक में राष्ट्रीय युवा केंद्र संगठन की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करते हैं और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और पहल के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) 1969 में शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वैच्छिक समाज सेवा के जरिए युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है। इस योजना का लक्ष्य 'सेवा के माध्यम से शिक्षा' है। योजना का सिद्धांत महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है। इसका आदर्श वाक्य 'मैं नहीं, बल्कि आप हैं।' इसके स्वयंसेवक, अपने से अधिक, समुदाय को अहमियत देते हैं। योजना का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में इन गुणों/क्षमताओं का विकास करना है- उस समुदाय को समझना जिसमें स्वयंसेवी काम करते हैं और उस समुदाय के संबंध में स्वयं को समझना; समुदाय की जरूरतों तथा समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना; अपने में सामाजिक तथा नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना; व्यक्तियों और समुदाय की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए अपनी जानकारी का इस्तेमाल करना; समुदाय को भागीदार बनाने का कौशल हासिल करना और राष्ट्रीय अखंडता तथा सामाजिक सद्भावना पर अमल करना।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसकी स्थापना समिति पंजीकरण कानून, 1975 के तहत 1993 में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008 में इसे 'डे-नोवो' श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय के समकक्ष का दर्जा दिया। यह संस्थान अपने बहुमुखी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कई प्रकार के कार्य करता है। यह देशभर में विस्तार और पहुंच पहल के अलावा स्नातकोत्तर स्तर के शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है, युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मौलिक अनुसंधान करता है और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के कार्यक्रम चलाता है।

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय युवा और किशोर कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) 2008 से लागू किया गया था। इसके अंतर्गत युवाओं और किशोरों के विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता इन पांच प्रमुख घटकों के लिए सहायता दी जाती है- (क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विक प्रशिक्षण; (ख) राष्ट्रीय अखंडता संवर्द्धन; (ग) साहसिक कार्य संवर्द्धन-तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार; (घ) किशोरों का विकास तथा सशक्तीकरण और तकनीकी तथा संसाधन विकास।

राष्ट्रीय युवा उत्सव

एनपीवाईएडी के राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ावा कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन (12 जनवरी) मनाने के लिए, प्रत्येक वर्ष जनवरी में एक नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, यह नेशनल यूथ डे (राष्ट्रीय युवा दिवस) के रूप में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल उस राज्य में आयोजित किया जाता है जो इसे मनाने को इच्छुक हो तथा जिसके पास पर्याप्त संसाधन हों। केंद्र और आयोजन करने वाला राज्य इसका खर्च बांटते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों (प्रतियोगी व गैर-प्रतियोगी दोनों) सहित इस कार्यक्रम में युवा सम्मेलन, सुविचार, प्रदर्शनियां, रोमांचक कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। इस फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 5,000 युवा शामिल होते हैं।

यूथ हॉस्टल

यूथ हॉस्टलों का निर्माण युवाओं को भ्रमण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जान सकें। इनका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। केंद्र सरकार इनके निर्माण में आए खर्च का वहन करती है तो राज्य सरकारें पूरी तरह विकसित जमीन निःशल्क उपलब्ध कराती

है। राज्य सरकारें जलापूर्ति, बिजली कनेक्शन और सड़क संपर्क की व्यवस्था भी करती है। यूथ हॉस्टल ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों, शिक्षण केंद्रों और पर्यटन स्थलों में बनाए गए हैं। ये हॉस्टल युवाओं को उचित दर पर ठहरने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मौजूदा 83 हॉस्टलों में से 11 को नेहरू युवा केंद्र संस्थानों, भारतीय खेल प्राधिकरण और संबद्ध राज्यों को हस्तांतरित किया गया है ताकि युवा इनका अधिकतम इस्तेमाल कर सकें और खेलों का विकास हो सके। शेष 72 हॉस्टल सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में हैं।

स्काउट और गाइड संगठनों की सहायता

विभाग, स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता देता है ताकि देश में स्काउट और गाइड आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य युवा लड़कें-लड़कियों में राष्ट्र भक्ति तथा सेवा की भावना पैदा करना और आदर्शवाद, विश्वास तथा चरित्र का निर्माण करना है। स्काउट और गाइड के जरिये लड़के और लड़कियों में शारीरिक तथा मानसिक विकास के संतुलन को बढ़ावा मिलता है। स्काउट और गाइड संगठनों को प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों और उत्सवों आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इनकी अन्य गतिविधियों में प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य और साफ-सफाई को बढ़ावा देना शामिल है।

खेल

मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में खेलों को हमेशा एक अभिन्न अंग के रूप में देखा गया है। मनोरंजन और शारीरिक फिटनेस का माध्यम होने के अलावा, खेल ने समुदाय के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जुड़ाव की भावना पैदा करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। खेलों में प्राप्त उपलब्धियां हमेशा राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत रही हैं। आधुनिक खेलों के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने की वजह से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक आधारभूत ढांचा, उपकरण और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग ने खेलों के परिदृश्य को बदल दिया है। उन्नत आधारभूत ढांचा, उपकरण और वैज्ञानिक सहायता के लिए बढ़ती मांगों के अनुरूप, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं और वैज्ञानिक व उपकरणों के सहयोग द्वारा प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के जरिए खिलाड़ियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय खेल नीति

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में मुख्य रूप से खेलों में उत्कृष्टता के विस्तार और प्रचार की परिकल्पना की गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं है: (i) खेलों का व्यापक विस्तार और विशिष्टता हासिल करना, का (ii) आधारभूत ढांचे उन्नयन और विकास, (iii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य उपयुक्त निकायों को समर्थन तथा सहयोग, (iv) खेलों में वैज्ञानिक और कोचिंग समर्थन को सुदृढ़ करना, (v) खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, (vi) महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी, (vii) खेलों के प्रचार-प्रसार में कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी और (vii) बड़े पैमाने पर जनता में खेलों के प्रति जागरूकता व रुचि पैदा करना।

भारतीय खेल प्राधिकरण

वर्ष 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की स्थापना मुख्य रूप से वर्ष 1982 में हुए एशियाड के दौरान दिल्ली में निर्मित खेलों के बुनियादी ढांचे के प्रभावी ढंग से रख-रखाव और उसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। अब यह देश में खेलों का व्यापक रूप से विस्तार करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली एक नोडल एजेंसी है। 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सोसाइटी (सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (एसएनआईपीईएस) का एसएआई के साथ विलय कर दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला और बंगलुरु, कोलकाता और गांधीनगर में इसके सहयोगी केंद्रों और तिरुवनंतपुरम स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक व्यायाम शिक्षा विद्यालय (लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन) एसएआई के तहत आ गया। अब इसके बंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता, सोनीपत, भोपाल, इंफाल, चंडीगढ़ और लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र हैं। एसएआई शिल्लारू हिमाचल प्रदेश) में एक उच्च ऊंचाई

प्रशिक्षण केंद्र (हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर-एचएटीसी) का भी संचालन करता है। एसएआई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सब-जूनियर, जूनियर और वरिष्ठ स्तरों पर, जैसे- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), आर्मी ब्वॉयज स्पोर्ट्स कंपनी (एबीएससी), एसएआई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और विशेष क्षेत्रीय खेलों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। विशिष्ट वर्ग के खिलाड़ियों के लिए एसएआई ने अपने प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्रों में विशिष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। एक विशिष्टता केंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में भी स्थापित किया गया है। एकल अनुशासन आधार पर खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 14 से 25 वर्षों के आयु वर्ग में संबंधित खेल अनुशासन में खेल प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से एसएआई द्वारा राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना की गई है। इस योजना में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों की परिकल्पना की गई है जिसमें उच्चस्तरीय खेल सुविधाएं, उपकरण, आवश्यक खेल विज्ञान बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्रशिक्षार्थियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य प्रशिक्षक होंगे।

वर्ष 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पर्याप्त लागत पर नवीनीकरण किए गए अपने पांच स्टेडियम का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2011 में 'आओ और खेलो योजना' शुरू की। एसएआई स्टेडियम में नामित क्षेत्रों जैसे- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज, डॉ. एस.पी.एम. तैराकी पूल परिसर, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (जिमनास्टिक, कुश्ती और साइकलिंग वेलोड्रोम) को 2011 में स्थापित (प्रतिभाशाली) खिलाड़ियों को और नए उभरते खिलाड़ियों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षण देने के लिए खेलों में भाग लेने और स्टेडियम के इष्टतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खोला गया था।

दिल्ली में इस योजना की सफलता के बाद, एसएआई ने स्थानीय युवाओं को इन केंद्रों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का उपयोग और कोचिंग प्रदान करने, खासतौर पर नए उभरते खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2011 से पूरे देश में फैले अपने सभी केंद्रों में 'आओ और खेलो योजना' की शुरुआत की।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान

आरंभ में इस संस्थान की स्थापना एक कॉलेज के रूप में 1957 को हुई थी। यह भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई का शताब्दी वर्ष था। यह विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। संस्थान द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेलों में दिए जाने वाले योगदान को एक पहचान देने के लिए इसे 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी (समकक्ष विश्वविद्यालय) में उन्नयन किया गया। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) को भारत सरकार से पूरी वित्तीय सहायता मिलती है। संस्थान निम्नलिखित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है: (1) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीई),)(4 वर्षीय डिग्री कोस (2) शारीरिक शिक्षा में स्नात्तकोत्तर की डिग्री (एमपीई), (2 साल का कोर्स), (3) शारीरिक शिक्षा में एम फिल शिक्षा (1 वर्षीय पाठ्यक्रम) और (4) शारीरिक शिक्षा में पीएचडी। इनके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा निम्नलिखित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं: (क) साहसिक खेल, (ख) विशेष खेल, (ग) युवा कार्यक्रम, (घ) सूचना प्रौद्योगिकी, (ङ) खेल कोचिंग, (च) योग और वैकल्पिक उपचार, (छ) खेल प्रबंधन और (ज) खेल पत्रकारिता। यह संस्थान पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। इस संस्थान में विदेशों से भी छात्र आते हैं। एलएनआईपीई का एक उत्तर पूर्वी परिसर गुवाहाटी (असम) में भी स्थापित किया गया जो 2010-11 से काम कर रहा है।

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

उत्तर-पूर्वी राज्यों और विशेष रूप से मणिपुर के खिलाड़ियों की प्रतिभा और योगदान को एक पहचान देने के लिए, भारत सरकार ने मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मणिपुर सरकार ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए पश्चिम इंफाल जिले में 325.90 एकड़ भूमि प्रदान की है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को अपनाकर चुनिंदा खेल शिक्षणों के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करने के अलावा, यह विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के विभिन्न क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला यह अपनी तरह का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय विभिन्न शिक्षणों में

खेल कोचिंग, खेल विज्ञान, और शारीरिक शिक्षा में स्नातक, स्नात्तकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा। भविष्य में विभिन्न खेल शिक्षा और कोचिंग विषयों में विशिष्ट डिग्री कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। अकादमिक सत्र 2018-2019 से, एमएससी (स्पोर्ट्स कोचिंग/खेल कोचिंग) और एमए (स्पोर्ट्स साइकोलॉजी/खेल मनोविज्ञान) को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

खेलो इंडिया

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 2008-2009 से 2013-14 तक पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहे थे। इस योजना का उद्देश्य गांव और ब्लॉक/पंचायत स्तरों पर विकास के द्वारा आधारभूत खेल संरचनाओं को निर्मित करना और वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धाओं के संचालन के माध्यम से खेल के मैदानों के रखरखाव और खेल में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। अलग से, एक शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (यूएसआईएस) की भी 2010-11 में शुरुआत की गई थी जो 2015-16 तक चलती रही। पीईकेकेए योजना की मध्यावधि की समीक्षा की गई। उसके अनुसार, 2014-15 से 2015-16 के दौरान राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के रूप में इस योजना की समीक्षा और संशोधन किया गया था जिसमें सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से इनडोर और आउटडोर दोनों खेल सुविधाओं को शामिल करते हुए और खंडों (ब्लॉक) की प्रतिस्पर्धाओं को उन्नत बनाते हुए, ब्लॉक स्तर के खेल परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। वर्तमान में जारी योजना राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), शहरी खेल आधारभूत संरचना योजना (यूएसआईएस) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम (एनएसटीएसएसपी) को समाहित करने के बाद 2016 2017 के दौरान एक नई समग्र योजना 'खेलो इंडिया' शुरू की गई थी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ बहुत विचार-विमर्श करने के बाद नवीकृत 'खेलो इंडिया' को विकसित किया गया है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है। नवीकृत खेलो इंडिया में बारह घटक हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के दो लक्ष्यों को हासिल करना है। ये लक्ष्य हैं- खेलों का आधार व्यापक बनाना और खेलों में श्रेष्ठता हासिल करना। इससे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और इससे वे लाभ भी मिल सकेंगे जो खेल प्रदान करता है अर्थात, बच्चों और युवाओं का विकास, सामुदायिक विकास, लड़के-लड़की में समानता, स्वस्थ राष्ट्र, राष्ट्रीय गौरव और खेल विकास संबंधी आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी।

इसके 12 घटक है: प्ले फील्ड डेवलपमेंट, सामुदायिक कोचिंग डेवलपमेंट, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज और विकास, उपयोग और निर्माण/खेल बुनियादी ढांचे काय्र्उन्नयन, राष्ट्रीय/क्षेत्री राज्य खेल अकादमियों को सहयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए शारीरिक फिटनेस, महिलाओं के लिए खेल, विकलांग व्यक्तियों में खेल का प्रचार, शांति और विकास के लिए खेल और ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा।

खेलों में उत्कृष्टता संवर्धन

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को देश में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करवाने, विदेशों में आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, खेल संबंधी उपकरणों की खरीद और विदेशी प्रशिक्षक (कोच) की नियुक्ति आदि हेतु को सहायता उपलब्ध कराती है।

खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना

प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण की योजना के पूर्ण रूपेण संशोधन के बाद 2013-14 में खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेल प्रबंधन के अकादमिक (शैक्षणिक) और बौद्धिक पक्ष को महत्व देना है। ऐसा योग्य अभ्यर्थियों को खेलों से संबंधित ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों, जिनमें अभी तक अपर्याप्त

मानव संसाधन हैं, में परा-स्नातक (मास्टर्स) और शोध (डॉक्टरेट) स्तर हेतु विशिष्ट अध्ययन के लिए फैलोशिप प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह योजना प्रशिक्षण/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों (कोच), तकनीकी और सहायक कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) की स्थापना खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी/कॉरपोरेट क्षेत्र और अनिवासी भारतीयों सहित सरकार के संसाधनों के साथ-साथ गैर-सरकारी स्रोतों से धन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। इस कोष में योगदान देने को आकर्षक बनाने के लिए, इसमें आयकर में 100 प्रतिशत छूट दी जाती है। एनएसडीएफ के तहत उपलब्ध कोष का इस्तेमाल खेलों का प्रचार करने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष खेल शिक्षणों तथा खिलाड़ियों को श्रेष्ठता हासिल करने, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों को संबंधित खेल क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने, खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रख-रखाव करने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को उपकरणों की आपूर्ति करने, समस्याओं की पहचान करने और खेलों में उत्कृष्टता लाने के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन शुरू करने आदि के लिए किया जाता है।

खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन संबंधी योजनाएं

खेलों में आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं भी लागू की जाती हैं।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

वर्ष 1991-92 में खिलाड़ियों के स्तर को बढ़ाने और उन्हें समाज में सम्मान और एक पहचान दिलावाने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत, जिस वर्ष पुरस्कार दिया जाना है, उससे पहले चार साल की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार श्री विमल कुमार को बैडमिंटन, श्री संदीप गुप्ता को टेबल टेनिस और श्री मनोहर सिंह ढिल्लन को एथलेटिक्स के लिए दिया गया है।

अर्जुन पुरस्कार

अजुर्न पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। इस पुरस्कार को पाने के लिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों के दौरान लगातार शानदार प्रदर्शन करना जरूरी है, वरन जिस साल पुरस्कार की सिफारिश की गई हो, उस वर्ष भी उसका प्रदर्शन विशिष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, उस खिलाड़ी में नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का गुण भी होना चाहिए। पुरस्कार विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र, समारोह की पोशाक और पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। 2019 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 18 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया था।

ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

यह पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान किया है और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे खेलों को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। इस पुरस्कार में विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र, समारोह की पोशाक और पांच लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। 2019 के लिए यह पुरस्कार तीन खिलाड़ियों को दिया गया था।

द्रोणाचार्य पुरस्कार

इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में उन प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय नतीजे हासिल करने

में सक्षम बनाया है। पुरस्कार विजेता को गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, एक प्रमाण-पत्र, समारोह की पोशाक और पांच लाख नकद दिए जाते हैं। 2019 के लिए पांच लोगों को विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए यह पुरस्कार दिया गया।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी

यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू हुई थी। अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। यह ट्रॉफी एक रॉलिंग ट्रॉफी है जो पिछले विजेता से नए विजेता के पास जाती है। इस ट्रॉफी का एक छोटा प्रतिरूप भी विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसे वे अपने पास रखता है।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सराहना करने के उद्देश्य से, सरकार ने 2009 से 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की है। इसमें चार श्रेणियां है: उभरती/युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के रोज़गार और खेल कल्याण उपायों और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में इस पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा-पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

यह योजना 1986 में बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को खेल को एक करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इसके तहत, एक साल के दौरान आयोजित मान्यताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को निम्न दरों के आधार पर विशेष पुरस्कार दिए जाते है:

***(क)* श्रेणी *:* ओपन श्रेणी खेल**

क्र. सं.	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	ओलंपिक खेल (ग्रीष्म एवं शीतकालीन)	75 लाख	50 लाख	30 लाख
2.	एशियाई खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
3.	राष्ट्रमंडल खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
4.	विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप (प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित)/ बैडमिंटन का अखिल इंग्लैंड चैंपियनशिप	40 लाख	25 लाख	15 लाख
5.	विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप (दो वर्ष में एक बार आयोजित)	20 लाख	14 लाख	8 लाख
6.	विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप (एक वर्ष में एक बार आयोजित)	10 लाख	7 लाख	4 लाख
7.	एशियाई चैंपियनशिप (चार वर्ष में एक बार)	15 लाख	10 लाख	5 लाख
8.	एशियाई चैंपियनशिप (दो वर्ष में एक बार)	7.5 लाख	5 लाख	2.5 लाख
9.	एशियाई चैंपियनशिप (वर्ष में एक बार)	3.75 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख
10.	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (चार वर्ष में एक बार आयोजित)	15 लाख	10 लाख	5 लाख
11.	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (दो वर्ष में एक बार आयोजित)	7.5 लाख	5 लाख	2.5 लाख
12.	राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (हर वर्ष आयोजित)	3.75 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख
13.	अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	3.75 लाख	2.5 लाख	1.25 लाख

***(ख)* श्रेणी *:* पैरा-स्पोर्ट्स**

क्र. सं.	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	पैरा–ओलंपिक खेल (ग्रीष्म एवं शीतकालीन)	75 लाख	50 लाख	30 लाख
2.	पैरा–एशियाई खेल	30 लाख	20 लाख	10 लाख
3.	राष्ट्रमंडल खेल (पैरा–एथलेटिक्स)	30 लाख	20 लाख	10 लाख
4.	आईपीसी विश्व कप/चैंपियनशिप (दो साल में एक बार आयोजित)	20 लाख	14 लाख	8 लाख
5.	आईपीसी विश्व कप/चैंपियनशिप (दो साल में एक बार आयोजित)	10 लाख	7 लाख	4 लाख

(ग) श्रेणी *:* दृष्टिबाधितों के खेल

क्र. सं.	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	आईबीएसए वर्ल्ड चैंपियनशिप	10 लाख	7 लाख	4 लाख

(घ) श्रेणी *:* बधिरों के लिए खेल

क्र. सं	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	बधिर ओलंपिक खेल	15 लाख	10 लाख	5 लाख

(ङ) श्रेणी *:* विशेष ओलंपिक खेल

क्र. सं.	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	विशेष ओलंपिक (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन)	5 लाख	3 लाख	1 लाख

(च) श्रेणी *:* दृष्टिबाधितों के लिए क्रिकेट विश्व कप

क्र. सं.	खेल प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार राशि (रुपये में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1.	दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप (चार साल में आयोजित)	5 लाख		

प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, उसके प्रशिक्षक को उसकी 50 फीसदी राशि पुरस्कार में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हों तो पुरस्कार राशि को समान रूप से बांटा जाता है।

शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना

यह योजना 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार, वे खिलाड़ी, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों और पैरा-एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवनभर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं। अप्रैल, 2018 से पेंशन की दरें दोगुनी हो गई हैं। पेंशन की बढ़ी हुई दरें निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की श्रेणी	पेंशन दर (रुपये/प्रति माह)
(1)	ओलंपिक खेलों/पैरा–ओलंपिक खेलों के पदक विजेता	20,000
(2)	ओलंपिक में विश्व कप/ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता*	16,000
(3)	ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप के रजत और कांस्य पदक विजेता	14,000
(4)	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा–एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता	14,000
(5)	एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों/पैरा–एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता	12,000

* चार साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप/विश्व चैंपियनशिप को ही माना जाएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष

वर्ष 2017 से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष कर दिया गया था। इस कोष की स्थापना 1982 में की गई थी, ताकि वर्षों पहले देश को गौरव दिलाने वाले उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता की जा सके जो इस समय गरीबी का जीवन जी रहे हैं। खिलाड़ियों और उनके परिवार को यह सहायता प्रशिक्षण या खेल या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगी घातक चोट या अन्य चोट की स्थिति में, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे खिलाड़ी के परिवार के जीवनयापन के लिए, खिलाड़ियों के इलाज के लिए और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाले (रेफरी, कोच और अंपायर) गरीब व्यक्तियों दी जाती है। यह सहायता उन्हें दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी सभी स्रोतों से 2,00,000 से कम होती है।

एंटी-डोपिंग गतिविधियों के लिए सहायता की योजना

डोपिंग का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति/वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) के मेडिकल कमीशन द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ या तरीके का खिलाड़ियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किया गया इस्तेमाल। स्वर्ण और प्रतिष्ठा की चाह में, दुनियाभर में बड़ी संख्या में खिलाड़ी दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जीत हासिल करने के प्रयास में अपना प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। भारत भी इस परेशानी से अछूता नहीं है। ग्लोबल (वैश्विक) एंटी डोपिंग समुदाय के सहयोग से डोपिंग की जांच करने के लिए एक ठोस प्रयास शुरू करने के लिए तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहल द्वारा स्थापित फाउंडेशन बोर्ड ऑफ वाडा का सदस्य बन गया है।

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी

2009 में स्थापित राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (एनएडीए-नाडा), देश में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रीय संगठन है। नाडा के एंटी डोपिंग नियमों का पालन वाडा के डोपिंग रोधी मानकों के अनुरूप किया जाता है।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक स्वायत्त निकाय है। यह आईएसओ 17025 (2003) के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से और मूत्र तथा रक्त नमूनों के परीक्षण के लिए विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) (सितंबर, 2018) द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनडीटीएल दुनिया में 33 बड़े मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक है और एशिया में सातवें नंबर पर आती है। इसमें सामान्य और अनुसंधान दोनों तरह की क्रियाकलापों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। एनडीटीएल 2008 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, (संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860) 1860 के तहत पंजीकृत हुई थी। मानवीय डोप परीक्षण के अलावा, एनडीटीएल ने घोड़े के डोप परीक्षण और प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में भी विविधता हासिल की है।

30 | राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश

आंध्र प्रदेश

क्षेत्रफल	:	1,60,205 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	4.9 करोड़ (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	:	अमरावती	**मुख्य भाषाएं**	:	तेलुगू , उर्दू, हिंदी, बंजारा

इतिहास और भूगोल

आंध्र प्रदेश के संबंध में प्रारंभिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (2000 ईसा पूर्व) में मिलता है। इसमें जो संकेत दिए गए हैं कि आंध्र निवासी मूल रूप से आर्य जाति के थे और उत्तर भारत में रहते थे, जहां से वे विंध्य पर्वतों के दक्षिण में चले गए और बाद में गैर-आर्यों के साथ घुल-मिल गए। इतिहासविदों के अनुसार आंध्र प्रदेश का नियमित इतिहास 236 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसी वर्ष सम्राट अशोक का निधन हुआ था। उसके बाद की शताब्दियों में सातवाहनों, शकों, इक्ष्वाकुओं, पूर्वी चालुक्यों और ककातियों ने तेलुगू देश पर शासन किया। बाद में विजयनगर और कुतुबशाही शासकों का शासन रहा और उनके बाद मीर कमरुद्दीन और निज़ाम के नाम से प्रसिद्ध उसके उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। धीरे-धीरे 17वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने निज़ाम के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और मद्रास प्रांत की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद तेलुगू भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेजीडेंसी से अलग कर 1 अक्टूबर, 1953 को नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित होने के साथ ही हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को मिला दिया गया। परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया।

आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह राज्य भारत का आठवां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह राज्य दसवें स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 4,93,86,799 है।

भारत के सभी राज्यों में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी तटरेखा 974 किलोमीटर (605 मील) है। इस राज्य की सीमाओं में उत्तर-पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में तटरेखा वाली बंगाल की खाड़ी है। राज्य के उत्तर पूर्व में गोदावरी नदी के डेल्टा में पुद्दुचेरी का 30 वर्ग किलोमीटर का छोटा-सा क्षेत्र है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, *2014*

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 जो कि तेलंगाना अधिनियम भी कहलाता है, भारतीय संसद का अधिनियम है, के अनुसार आंध्र प्रदेश का विभाजन दो राज्यों में हुआ है- तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश। इस अधिनियम में संपत्ति और ऋण के विभाजन के सारे पहलू स्पष्ट हैं। साथ ही प्रस्तावित नए राज्यों की सीमाएं और हैदराबाद का दर्जा निर्धारित है।

कृषि

आंध्र प्रदेश के करीब 62 प्रतिशत हिस्से की आबादी का मुख्य व्यवसाय खेती है। चावल राज्य की मुख्य फसल है तथा राज्य के कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 77 प्रतिशत है। अन्य प्रमुख फसलें हैं- ज्वार, बाजरा, रागी,

तंबाकू, कपास, गन्ना, मक्का, दालें तथा अरबी इत्यादि । राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23 प्रतिशत हिस्से में वन हैं । महत्वपूर्ण वन उत्पादों में सागवान, यूक्लिप्टस, काजू, बांस और इमारती लकड़ी इत्यादि शामिल हैं ।

सिंचाई

'जलयज्ञम' कार्यक्रम के तहत बहुत-सी परियोजनाओं को शामिल किया गया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संभव स्रोतों से धन प्राप्त कर सभी चालू तथा नई परियोजनाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा करना है, जिसमें पानी की कमी वाले सभी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

बिजली

राज्य की महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं हैं- नागार्जुन सागर और नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीसेलम पनबिजली परियोजना), ऊपरी सिलेरू, निचला सिलेरू, तुंगभद्रा पनबिजली परियोजना और नेल्लोर, रामगुंडम, कोठागुडम, विजयवाड़ा और मुड्डानूर तापबिजली परियोजना । 1,260 मेगावाट क्षमता वाला विजयवाड़ा ताप बिजलीघर तथा 1,220 मेगावाट क्षमता वाला कोठागुडम ताप बिजलीघर ताप बिजली के प्रमुख स्रोत हैं । 1,000 मेगावाट क्षमता वाले कोयले पर आधारित सिंहाद्रि ताप बिजलीघर का उद्देश्य संपूर्ण बिजली उत्पादन से प्रदेश की बिजली आवश्यकता को पूरा करना है ।

उद्योग

राज्य सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों, छोटे-मोटे क्षेत्रों और बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है । राज्य सरकार निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सेज (विशेष आर्थिक जोन) में विद्युत शुल्क, भूमि आवंटन में रियायत देकर तथा श्रम कानूनों को उदार बना रही है ।

खान एवं भूविज्ञान

आंध्र प्रदेश पूरे विश्व में चट्टानी तथा खनिज विविधता के लिए प्रसिद्ध है । इसे 'रत्नगर्भा' कहा जाता है । राज्य में उच्च स्तरीय क्राइसोलाइट एसबेस्टस का सबसे बड़ा भंडार है । राज्य के अन्य महत्वपूर्ण खनिज तांबा, मैगनीज, अभ्रक, कोयला तथा चूना पत्थर हैं । सिंगरेनी कोयला खदान से पूरे दक्षिण भारत में कोयले की आपूर्ति होती है । राज्य 100 से 110 मिलियन टन औद्योगिक खनिज तथा 200 मिलियन घन मीटर पत्थर और भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन करता है । देश में बैरिट्स तथा चूना पत्थर उत्पादन में यह पहले स्थान पर है ।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है । अवसरों का लाभ उठाने के मामले में यह अन्य राज्यों से बहुत आगे है । आईटी क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए राज्य सरकार ने बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं ।

परिवहन

सड़कें : राज्य में मौजूदा सड़कों- आर एवं बी की कुल लंबाई 69,051 कि.मी. है, जिसमें राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4,472 कि.मी., राज्य राजमार्ग 10,519 कि.मी., मुख्य जिला सड़कें 32,170 कि.मी. तथा ग्रामीण सड़कें 21,714 कि.मी. हैं । राज्य में आर एवं बी सड़क नेटवर्क के संदर्भ के तहत घनत्व 0.23 कि.मी. प्रति वर्ग कि.मी. तथा 0.86 कि.मी. प्रति 1,000 व्यक्ति है ।

रेलवे : राज्य के 5,107 कि.मी. रेल मार्ग में से 4,633 कि.मी. बड़ी लाइन के, 437 कि.मी. मीटर गेज के तथा 37 कि.मी. नैरो गेज के हैं ।

उड्डयन : शमशाबाद, तिरुपति तथा विशाखापत्तनम महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं । शमशाबाद से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध है ।

बंदरगाह : भारत सरकार का मुख्य बंदरगाह विशाखपत्तनम तथा राज्य सरकार के 13 छोटे बंदरगाह राज्य में

स्थित हैं। समुद्री गतिविधियों जैसे- अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, तटीय शिपिंग, पोत मरम्मत, मछली पकड़ने, विशिष्ट उद्योगों के लिए केप्टिव पोर्ट (निजी बंदरगाह), हर मौसम के लिए अनुकूल बंदरगाहों, पर्यटन तथा खेलों आदि के लिए बंदरगाह महत्वपूर्ण विकास की क्षमता रखते हैं।

पर्यटन स्थल

आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने ईको-पर्यटन, बीच-पर्यटन तथा क्रूज-पर्यटन जैसे नए पर्यटन कार्यक्रमों से पर्यटन को बढ़ावा देना जारी रखा है। निगम सभी प्रमुख स्थानों पर 52 होटल चलाता है। जिनमें घरेलू परिवेश से सुसज्जित 1,043 कमरे और 2,222 बिस्तर हैं। राज्य के भीतर और बाहर प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए निगम के पास 144 बसें हैं।

हैदराबाद में चारमीनार, सालारजंग संग्रहालय और गोलकुंडा किला, वारंगल में सहस्र स्तंभ मंदिर और किला, यादागिरिगुट्टा में श्रीलक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, नागार्जुनकोंडा, नागार्जुन सागर में बौद्धस्तूप, तिरुमला-तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीसेलम का श्रीमल्लिकार्जुनस्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दर्गा मंदिर, अन्नावरम में श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर, सिंहाचलम में श्री वराह नरसिंह स्वामी मंदिर, भद्राचलम में श्री सीताराम मंदिर, अरकुघाटी, होर्सले पहाड़ियां, नेलापट्ट आदि आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं।
वेबसाइट : www.ap.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: विश्वभूषण हरिचंदन	**मुख्य सचिव :**	नीलम साहनी
मुख्यमंत्री	: वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :**	आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

क्षेत्रफल	: 83,743 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 13.84 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	: ईटानगर	**मुख्य भाषा**	: न्यीशी, अदी, बंगाली, नेपाली, हिंदी, असमिया, वांचो, तंग्सा, मिशमी, मिशिंग, नोकटे आदि

इतिहास और भूगोल

अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1972 तक यह पूर्वोत्तरसीमांत एजेंसी के न से जाना जाता था। 20 जनवरी, 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। 15 अगस्त, 1975 को चयनित विधानसभा का गठन किया गया तथा पहली मंत्री परिषद ने कार्यभार ग्रहण किया। प्रथम आम चुनाव फरवरी, 1978 में करवाए गए। राज्य में 16 जिले हैं। राज्य की राजधानी ईटानगर पापुम पारा जिले में है। ईटानगर नाम ईटा किले पर पड़ा है, जिसका अर्थ है ईटों का किला। 14वीं सदी में निर्मित इस किले का जिक्र कालिका पुराण तथा महाभारत में अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। यहां पुराणों में वर्णित प्रभु पर्वत नामक स्थान है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में फैले पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है।

कृषि और बागवानी

अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है। अब नकदी फसल जैसे- आलू और बागवानी की फसलें जैसे- सेब, संतरे और अन्नानास आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उद्योग और खनिज

राज्य की विशाल खनिज संपदा का पता लगाने तथा उसके संरक्षण के लिए 1991 में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड (एपीएमडीटीसीएल) की स्थापना की गई।

त्योहार

राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदीस लोगों द्वारा मनाए जाने वाले मोपिन और सोलुंग; मोनपा लोगों का त्योहार लोस्सार; हिल-मिरी और शरदूकपेन समुदाय का बूरी-बूत; अपतानी लोगों का द्री: तगिनों का सी-दोन्याई; इदु-मिशमी समुदाय का रेह; निशीस लोगों का न्योकुम, आदि शामिल हैं। अधिकांश त्योहारों पर पशुओं की बलि चढ़ाने का रिवाज आम है।

पर्यटन स्थल

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं- तवांग, दिरांग, बोमडिला, टीपी, ईटानगर, मालिनीथान, लीकाबाली, पासी घाट, अलोंग, तेजू, मियाओ, रोइंग, दापोरिजो, नामदफा, भीष्मकनगर, परशुराम कुंड और खोंसा।
वेबसाइट : www.arunachalpradesh.gov.in

सरकार

राज्यपाल : ब्रि. (डॉ.) बी.डी. मिश्र (सेवानिवृत्त)	**मुख्य सचिव :** नरेश कुमार
मुख्यमंत्री : पेमा खांडु	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

असम

क्षेत्रफल	: 78,438 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 3.12 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	: दिसपुर	**मुख्य भाषा**	: असमिया, बोडो

इतिहास और भूगोल

असम भारत के उत्तर-पूर्वी कोने में 89°42 पूर्व से 96° पूर्व देशांतर और 24°8 उत्तर से 28°2 उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। सदियों से लोग तथा विभिन्न समुदाय असम के उपजाऊ वातावरण तथा प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से आकर्षित होते रहे हैं। लोगों के दल आए, मिले और घुल-मिल गए। संस्कृतियों तथा रीति-रिवाजों का विलय हुआ और इस प्रक्रिया में एक समृद्ध और मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ।

असम, जिसे 'लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि' के नाम से भी जाना जाता है, देश के सर्वाधिक आकष तथा रमणीक राज्यों में से एक है। विशाल नदी ब्रह्मपुत्र इस राज्य से होकर बहती है, जो इसके दोनों किनारों पर बसे लोगों की जीवनरेखा के समान है। माना जाता है कि असम शब्द संस्कृत के 'असोमा' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है- अनुपम अथवा अद्वितीय। एक अन्य अर्थ के अनुसार यह शब्द मूल रूप से 'अहोम' से बना है। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग छह सौ वर्ष तक इस भूमि पर 'अहोम' राजाओं ने शासन किया। ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन काल से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय-समय पर आकर बसीं और यहां की समृद्ध मिश्रित संस्कृति में अपना योगदान किया।

प्राचीनकाल में असम को 'प्राग्ज्योतिष' अर्थात 'पूर्वी ज्योतिष' का स्थान कहा जाता था। बाद में इसका नाम कामरूप पड़ गया। कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख प्रयागराज में समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिलता है। इसमें कामरूप का उल्लेख 'प्रत्यंत' यानी ऐसे सीमावर्ती देश के रूप में मिलता है, जो गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करता था और जिसके साथ उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। चीन का विद्वान यात्री ह्वेनसांग लगभग 743 ईस्वी में सम्राट कुमार भास्कर बर्मन के निमंत्रण पर कामरूप आया। उसने कामरूप का उल्लेख 'कामोलुपा' के रूप में किया। 11वीं शताब्दी के अरब इतिहासकार अलबरूनी की पुस्तक में भी कामरूप का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार महाकाव्य काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक समूचे आर्यावर्त में पूर्वी सीमांत देश को प्राग्ज्योतिष और कामरूप के नाम से जाना जाता था। यहां के राजा अपने आपको 'प्राग्ज्योतिष का नरेश' कहते थे।

सन् 1228 ईस्वी में पूर्वी पहाड़ियों पर 'अहोम' लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया। उन्होंने लगभग

छह सौ वर्षों तक असम पर शासन किया। जब राजदरबार में व्याप्त असंतोष और लड़ाई-झगड़े के कारण 'अहोम' शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी तो पूर्वी सीमा से बर्मी लोगों ने आक्रमण किया। उन्होंने यंडाबू संधि के तहत 1826 में असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया।

असम 78,438 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.39 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जो लगभग 3,200 कि.मी. तक फैली हैं, राज्य को घेरे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेशद्वार असम, भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश से घिरा है। इसके पूर्व में मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, दक्षिण में त्रिपुरा और मिज़ोरम, पश्चिम में बांग्लादेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल स्थित हैं।

भौगोलिक विशिष्टता

असम की भौगोलिक विशिष्टता यह है कि इसमें भारत के छह में से तीन भौगोलिक विभाजन मौजूद हैं- उत्तरी हिमालय (पूर्वी चोटियां), उत्तरी मैदान (ब्रह्मपुत्र के मैदान) और दक्खन घाटियां (कार्बी आंगलोंग)। ब्रह्मपुत्र के कारण असम की जलवायु ठंडी है और यहां बेहद वर्षा होती है। कार्बी आंगलोंग, उत्तरी कछार और गुवाहाटी के निकट की पहाड़ियां (खासी-गारो पहाड़ियां भी) कभी दक्षिण भारतीय घाटियों का हिस्सा थे, जो अब पृथक हो चुके हैं। दक्षिण में बरेल रेंज असम-नगालैंड सीमा से निकलने वाली बराक कछार जिले में बहती है। यह 40-50 कि.मी. चौड़ी घाटी में बहती है और बांग्लादेश पहुंच कर इसका नाम सुर्मा नदी हो जाता है। बादामी आकार की यह घाटी अधिकांशतः ब्रह्मपुत्र और उसकी धाराओं के जमाव के कारण अस्तित्व में आई है। असम के अधिकांश शहर तथा कस्बे इस घाटी में स्थित हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 725 कि.मी. और 80-100 कि.मी. है। मेघालय के पठार और भूटान-अरुणाचल-हिमालय के संकरे दर्रे से होकर निकलती यह घाटी अंत में उत्तरी बंगाल के मैदानों में जाकर खुलती है।

असम का दूसरा प्राकृतिक विभाजन बराक या सुरमा घाटी का है, जो उत्तरी कछार, मणिपुर और मिजोरम से घिरी है। इस घाटी में बराक नदी का विशेष महत्व है। यह समूची घाटी से होकर जाती है और अंत में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। इस घाटी में कई पहाड़ियां और 'बील्स' या झीलें हैं। यहां अक्सर बाढ़ भी आ जाती है, जिसका असर घाटी की उर्वरक क्षमता पर सीधे तौर पर पड़ता है।

पहाड़ों की लंबी शृंखला दोनों घाटियों को अलग करती है। ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण की ओर कार्बी और एन.सी. की पहाड़ियां हैं। कार्बी पहाड़ियां मेघालय के पठारों का ही हिस्सा हैं। इन पहाड़ियों में समतल क्षेत्र भी हैं। पठारों की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जिनमें चेंगेहिसियन (1359 मी.) और दंबक्सो (1361 मी.) जैसी कुछ अधिक ऊंची पहाड़ियां भी हैं। हरियाली इन पहाड़ियों की खास पहचान है और दीमा हसाओ जिले में यह शृंखला धीरे-धीरे अपना पूरा आकार लेते हुए बरेल शृंखला से मिलती जा रही है। बरेल असम की सबसे ऊंची पर्वत शृंखला है। स्थान विशेष के अनुसार बरेल शृंखला का उठान समुद्रतट से 1000 से 2000 मीटर ऊंचा रहता है। बरेल शृंखला का दक्षिणी हिस्सा काफी ढलवां है। हेफलोंग के पूरब में महादेव चोटी पर इसकी ऊंचाई सबसे अधिक 1953 फीट है। यह घाटी घने जंगलों और वन्य जनजीवन से भरी-पूरी है।

अर्थव्यवस्था

राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया है। पिछले कुछ वर्षों से यहां उद्योग और व्यवसाय जगत ने रफ्तार पकड़ी है।

कृषि

असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग कि.मी. है और इसे बेहद उपजाऊ भूमि तथा बड़ी मात्रा में जल संसाधनों का वरदान प्राप्त है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी अपनी 121 छोटी और सूक्ष्म सहायक नदियों और शाखाओं के साथ दोनों घाटियों में बहती है तथा राज्य को हमेशा उपजाऊ और शीतल रखती है। राज्य के जीडीपी में कृषि योगदान से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चावल का उत्पादन बढ़कर 54.40 लाख मी.टन हो गया है। इसी तरह खाद्यान्नों का उत्पादन भी 41.72 लाख मी.टन से बढ़कर 57.22 लाख मी.टन हो गया है।

वन एवं वन्यजीव

असम में कुल 29,282 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वन एवं वृक्ष आच्छादित है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 37.33 प्रतिशत है। राज्य में 13,870 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन, 3,013 वर्ग कि.मी. प्रस्तावित आरक्षित वन, 5,850 वर्ग कि.मी. अवर्गीकृत राज्य वन और 3,925 वर्ग कि.मी. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (स्रोतः एफएसआई डाटा-2019 और 'असम 2011' पृष्ठ-152) है।

असम में स्तनपायी जानवरों की करीब 180 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गोल्डन लंगूर, हलुक गिब्बन, बौना हॉग, हिस्पीड खरगोश, सफेद पंखवाला लकड़ी बत्तख, बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड, हाथी, दलदली हिरण, गंगा की डॉल्फिन आदि प्रजातियां हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है। राज्य में पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियां तथा सरीसृपों की करीब 195 प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्यजीव संरक्षण उपायों को सख्ती से लागू किए जाने के फलस्वरूप राज्य में बाघों की संख्या बढ़ी है और 2010-11 के 143 से बढ़कर 2014 में 167 हो गई है। 2015 की गणना के मुताबिक असम में गैंडों की संख्या 2,624 है। वन समुदायों को टिकाऊ आजीविका प्रदान करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उद्योग

आज का असम स्थायी तौर पर पर्यावरण के अनुकूल संपत्तियों के सृजन द्वारा नई पूंजी गठन पर जोर दे रहा है। पीएमआरवाई योजना (2008 तक) और पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों और सेवा क्षेत्र को ऋण दिया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत 2011 से 2014 के बीच 2,76,022 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

बिजली

राज्य में बिजली उत्पादन 2001 में 935 एमयू की तुलना में 2014-15 में 1894.7 एमयू रहा। उपभोक्ताओं की संख्या भी 2001 के नौ लाख से बढ़कर 33 लाख हो गई है। इसी तरह, प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता भी 2001 के 83 यूनिट से बढ़कर 232 यूनिट हो गई है। बिजली उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन के क्षेत्रों में समयानुसार उन्नयन और नवीनीकरण कार्य के चलते ही यह संभव हो पाया है।

परिवहन एवं संचार

राज्य सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार और विस्तार तथा पुराने लकड़ी के पुलों को सीमेंट, कंक्रीट के पुल बनाकर बदलने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2001 से अब तक 23,000 कि.मी. से अधिक सभी मौसम के अनुकूल सड़क और करीब 3,800 आरसीसी पुल बनाए जा चुके हैं तथा करीब 5,000 कि.मी. मौसम के अनुक सड़क तथा 1,250 आरसीसी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

त्योहार

असम में, भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार मनाए जाते हैं। यहां के स्थानीय त्योहारों की एक विशिष्ट शृंखला है, जो इस भूमि के सांस्कृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है। 'बिहु' असम का महत्वपूर्ण त्योहार है। असमिया नववर्ष के दौरान पड़ने वाला 'रंगोली बिहु' या 'बोहाग बिहु' मुख्य 'बिहु' त्योहार है, परंतु फसल कटाई के समय आने वाला 'भोगली बिहु' या 'माघ बिहु' भी उतना ही महत्वपूर्ण पर्व है। कांगली' या 'कटी बिहु' नामक तीसरा 'बिहु' भी है, जिसे केवल प्रेम की उपासना के लिए ही मनाया जाता है। कभी-कभार इसमें श्रृंगारिकता की भी झलक दिखती है। इसकी धुनें भी खासी कर्ण प्रिय होती हैं। सबसे बड़ा जनजातीय समूह बोडो 'खेरई पूजा' को त्योहार की तरह मनाता है, जो कई स्थानों पर मेले का रूप ले लेता है। 'खेरई' पूजा में शमानिस्टिक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कुछ महिला कलाकार भाव समाधि में चली जाती हैं और कुछ सिर को तेजी से हिलाती-उछालती, हवा में अपने बाल लहराती हैं। बैथो बोडो समुदाय की एक महत्वपूर्ण पूजा है।

पर्यटन

पिछले कुछ वर्षों के दौरान असम, जिसे पूर्वोत्तर का द्वार' कहा जाता है, लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरा है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, अनूठी वनस्पतियों और जीव-जगत, जैव विविधता, अछूते

जंगल, उन्नत चोटियों तथा हरी-भरी घाटियों की वजह से असम इको-टूरिज्म तथा वन्यजीव का प्रमुख स्थान बन गया है। असम समुद्र तल से करीब 79.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पांच राष्ट्रीय उद्यान, उन्नीस वन्यजीव अभयारण्य और तीन पक्षी अभयारण्य दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों के भंडार हैं।

पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र - कामाख्या देवी का मंदिर, उमानंद (मोर द्वीप), नवग्रह (नवग्रह मंदिर), वशिष्ठ आश्रम, डोलगोबिंदा मंदिर, राज्यीय प्राणी उद्यान, राज्यीय संग्रहालय, मदन कामदेव मंदिर - जो कि पुरातात्विक महत्व का स्थान है, सरायघाट सेतु, श्रीमाता शंकरदेव कलाक्षेत्र विज्ञान संग्रहालय, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आदि।
वेबसाइट: www.assam.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	प्रो. जगदीश मुखी	**मुख्य सचिव**	:	संजय कृष्ण
मुख्यमंत्री	:	सर्बानंद सोनोवाल	**गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	असम, नगालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश

बिहार

क्षेत्रफल	:	94,163 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	10.41 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	पटना	**मुख्य भाषा**	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

बिहार नाम का प्रादुर्भाव संस्कृत शब्द 'विहार' से हुआ, जिसका अर्थ है निवास। स्वयं विहार शब्द की व्युत्पति ब्रह्मविहार शब्द से हुई, जिसका अर्थ है 'ब्रह्मा का वास'। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों आदि में मिलता है तथा यह राज्य महात्मा बुद्ध और 24 तीर्थकरों की कर्मभूमि रहा है। उद्भव से देखें तो बिहार या प्राचीन मगध भारतीय सभ्यता का उद्गमस्थल तथा पुरातन काल से भारतीय संस्कृति और शिक्षा का केंद्र रहा है। मगध भारत के प्रथम महान साम्राज्य- मौर्य साम्राज्य के साथ ही साथ विश्व के महान शांतिवादी धर्म में से एक बौद्ध धर्म के स्थल के रूप में उभरा। यह जैन धर्म का भी स्थान है। यह बिहार ही था, जहां राज्य की शैक्षिक समृद्धि के प्रतीक नालंदा और विक्रमशिला जैसे भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।

ईसा पूर्व काल में इस क्षेत्र पर बिम्बिसार, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाले उदयनौर्यचंद्रगुप्त मौर्य और म वंश के सम्राट अशोक सहित मौर्य, शुंग तथा कण्व राजवंश के नरेशों ने राज किया। इसके पश्चात कुषाण शासकों का समय आया और बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिहार पर राज किया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। बिहार पर विजय पाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश तथा मुगल वंश का आधिपत्य था।

बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य हैं। यहां अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें प्रमुख है गंगा। अन्य नदियां हैं-सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक और घाघरा आदि।

कृषि

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 55.54 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। वैसे राज्य में लगभग 72.95 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। यहां की प्रमुख खाद्य फसलें हैं: धान, गेहूं, मक्का और दालें। मुख्य नकदी फसलें हैं: गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता। लगभग 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 6.65 प्रतिशत है। लगभग 30.64 हजार हेक्टेयर शुद्ध तथा 44.33 हजार हेक्टेयर सकल क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से सिंचाई सुविधा प्राप्त है।

सिंचाई

बिहार में 28.73 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता है, जो बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है और 6.63 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है।

त्योहार

त्योहार किसी भी भारतीय समाज की धमनियों की तरह होते हैं, जो समूचे शरीर में फैली होती हैं। बिहार इसका अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले सभी त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, जन्माष्टमी, होली, ईद, क्रिसमस आदि बिहार के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन से गहरे से जुड़े हैं। इनके अलावा, कई अनोखे और महत्वपूर्ण उत्सव भी हैं, जो राज्य के सामाजिक ताने-बाने को व्याख्यायित करते हैं, जिनमें छठ पूजा, जिसे छठी, डाला छठ और सूर्य षष्ठि भी कहते हैं, 'सामा चकेबा', सोनपुर का हरिहर मेला आदि प्रमुख हैं।

पर्यटन

इतिहास और ज्ञान से समृद्ध इस राज्य में कई पर्यटन स्थल हैं। केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी सैलानी बिहार आते हैं। यहां पटना, बोध गया, गया, राजगीर जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहां बाराबार गुफाएं, केसरिया स्तूप, औरंगाबाद में 100 फीट लंबा देव सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध स्तूप भी हैं।
वेबसाइट: www.gov.bih.nic.in

सरकार

राज्यपाल	:	फागू चौहान	**मुख्य सचिव**	:	दीपक कुमार
मुख्यमंत्री	:	नीतीश कुमार	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	बिहार

छत्तीसगढ़

क्षेत्रफल	:	1,35,192 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	2.56 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	रायपुर	**मुख्य भाषा**	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र को अलग कर के नवंबर, 2000 में छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया था। इसके निर्माण के साथ ही यहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण-कौशल नाम से जाना जाता था। छठी से बारहवीं सदियों के बीच सरभपुरिया, पांडुवावंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंश शासकों का यहां शासन रहा। कलचुरी साम्राज्य ने 980 से 1790 ईसवी तक छत्तीसगढ़ पर राज किया। 1845 में अंग्रेजों के आगमन के साथ, राजधानी रत्नपुर के स्थान पर रायपुर की प्रतिष्ठा बढ़ गई। 1904 में सम्भलपुर को ओडिशा को सौंप दिया गया और सरगुजा रियासत को बंगाल से छत्तीगढ़ को सौंप दिया गया।

छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में दक्षिणी झारखंड और ओडिशा से लगती है। इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ नवां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार यह देश में सत्रहवें स्थान पर आता है।

कृषि

राज्य का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि 47.70 लाख हेक्टेयर है। धान इस क्षेत्र की प्रमुख खरीफ फसल है और जो खरीफ की 76 प्रतिशत फसल है। अन्य मुख्य फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, उड़द दाल और अरहर होती हैं। इसी तरह रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी की पैदावार होती है।

छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र तीन हैं- उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ सतही क्षेत्र तथा बस्तर के पठार। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1307.3 मि.मी. है।

सिंचाई और बिजली

जब यह राज्य अस्तित्व में आया, तब इसकी कुल सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी, जो कि कुल बुवाई क्षेत्र का 23 प्रतिशत थी। अब यह बढ़कर 18.44 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो कुल बुवाई क्षेत्र का 33.15 प्रतिशत है।

खनिज संसाधन

छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट तथा डोलोमाइट के विशाल भंडार राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिले जैसे सरगुजा, रायगढ़, कोरिया तथा बिलासपुर विशाल कोयला भंडारों के लिए जाने जाते हैं।

उद्योग

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का असीम भंडार है, जिस पर राज्य की अर्थव्यवस्था टिकी है। सीमेंट, ऊर्जा, खनन, इस्पात तथा अल्युमिनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। भारत के सबसे समृद्ध खनिज वाले राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ सबसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर सीमेंट उत्पादन का अवसर प्रदान करता है।

परिवहन

सड़कें : पीडब्ल्यूडी के तहत राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 31,803 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,226 कि.मी., प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 5,240 कि.मी., जिला सड़कों की लंबाई 10,539.80 कि.मी. और ग्रामीण तथा अन्य सड़कों की लंबाई 13,798 कि.मी. है। राज्य में सड़कों की लंबाई 17.75 कि.मी. से 21.40 कि.मी. प्रति 100 कि.मी. बढ़ी है।

रेल : रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं।

पर्यटन स्थल

भारत के केंद्र में स्थित छत्तीसगढ़ में समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और आकर्षक प्राकृतिक विविधता है। राज्य में प्राचीन स्मारक, दुर्लभ वन्यजीव, नक्काशीदार मंदिर, बौद्धस्थल, महल, जल-प्रपात, पर्वतीय पठार, रॉक पेंटिंग और गुफाए।

वेबसाइट : www.cgstate.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	अनुसुईया उइके	**मुख्य सचिव**	:	आर. पी. मंडल
मुख्यमंत्री	:	भूपेश बघेल	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	छत्तीसगढ़

गोवा

क्षेत्रफल	:	3,702 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	14.59 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	पणजी	**मुख्य भाषा**	:	कोंकणी (राजभाषा)
			अन्य भाषाएं	:	मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़

इतिहास और भूगोल

गोवा प्राचीनकाल में गोमांचल, गोपाकपट्टम, गोपकपुरी, गोवापुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है । इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है । राज्य के प्रारंभिक इतिहास के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है । ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गोवा सातवाहन साम्राज्य का अंग था । उसके बाद कदंब, मलखेड़ के राष्ट्रकूटों, चालुक्य तथा सिलहार राजवंशों का इस पर शासन रहा । 14वीं शताब्दी के अंत में यादवों का साम्राज्य समाप्त हुआ और दिल्ली के खिलजी वंश ने इस पर अपना अधिकार किया । इस प्रकार गोवा मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया । 1498 में वास्को डि गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद कई पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचे । 1510 में एल्फांसो द अलबुकर्क ने विजयनगर के सम्राट की सहायता से गोवा पर आक्रमण कर इस पर कब्जा कर लिया । 1542 में जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर के आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन का काम आरंभ हुआ । 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के कुछ वर्षों को छोड़कर, जब शिवाजी ने गोवा तथा उसके आस-पास के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, समूचे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन जारी रहा ।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, किंतु पुर्तगाली शासक गोवावासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए और अंततः 19 दिसंबर, 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन तथा दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया । मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन तथा दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया । गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है । इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है । इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला और पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर है । पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा तथा पोंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं ।

कृषि

गोवा में कुल 1,60,320 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है, जबकि कुल उत्पादन 1,08,333 टन होता है । पॉलीहाउस और ग्रीन हाउस निर्माण के लिए भी 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है । इसी तरह की सब्सिडी ड्रिप सिंचाई तथा बायोगैस प्लांट निर्माण के लिए भी उपलब्ध है ।

जल संसाधन

जल संसाधन विभाग ने सिंचाई के लिए कच्चे पानी की आपूर्ति करने के अलावा पीडब्ल्यूडी की कच्चे पानी की आपूर्ति में भी वृद्धि की है । असोनरा वॉटर वर्क्स की आपूर्ति साल में चापोरा नदी से 25 एमएलडी और अम्थाने टैंक से 10 एमएलडी बढ़ाई गई है ।

उद्योग

राज्य औद्योगिक नीति के साथ-साथ राज्य बायोटेक नीति लागू रहेगी और उन्हें आगे बढ़ावा दिया जाएगा । गोवा के शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए गोवा और गोवा से बाहर 'गोवा हाट-सह-शिल्प ग्राम' तथा विश्वभर में हस्तशिल्प सामानों की बिक्री के लिए ई-पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है ।

परिवहन

सड़कें : राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 264 किलोमीटर तथा प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 279.4 किलोमीटर है । इसके अलावा 4501.18 किलोमीटर जिला तथा अन्य मार्ग हैं ।

रेलवे : गोवा कोंकण रेलवे के माध्यम से मुंबई, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम से जुड़ा है । इस रेलमार्ग पर अनेक तेज रफ्तार रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं । वास्को डि गामा दक्षिण मध्य रेलवे के बंगलुरु और बेलगांव स्टेशनों से जुड़ा है । इस मार्ग का इस्तेमाल फिलहाल केवल माल यातायात के लिए हो रहा है ।

उड्डयन : डबोलिम हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई और बंगलुरु के लिए नियमित विमान सेवाएं हैं ।

बंदरगाह : मरमुगांव राज्य का प्रमुख बंदरगाह है । यहां मालवाहक जहाजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं । इसके अलावा पणजी, तिराकोल, चपोरा, बेतूल और तालपोना में भी छोटे बंदरगाह हैं, मगर इनमें से पणजी प्रमुख व्यस्त

बंदरगाह है। यहां जहाजों के लिए एक पत्तन (पोर्ट) चालू हुआ है।

पर्यटन स्थल

गोवा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं- कोलवा, कालांगुट, वागाटोर, बागा, हरमल, अंजुना और मीरामार समुद्र तट; पुराने गोवा में बैसीलिका ऑफ बॉम जीसस और सेंट केथेड्रल चर्च; कावलेम, मारडोल, मंगेशी तथा बनडोरा मंदिर; अगुआडा, तेरेखोल, चपोरा और काबो डि रामा किले; प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दूधसागर और हरवालेम जलप्रपात तथा माएम झील रिसॉर्ट हैं। राज्य में समृद्ध वन्यप्राणी उद्यान हैं, जैसे- बोंडला, कोटीगांव तथा मोलेम वन्यप्राणी उद्यान और चोराव में डॉ. सालिम अली पक्षी उद्यान, जिसका कुल क्षेत्रफल 354 वर्ग किलोमीटर है।

वन

गोवा में 33 प्रतिशत राष्ट्रीय आवश्यकता के मुकाबले 34 प्रतिशत वन हैं तथा करीब 62 प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित हैं।

स्वास्थ्य

गोवा मधुमेह पंजीकरण आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मडगांव तथा मापुसा में नये जिला अस्पताल और पोंडा में नया 170 बिस्तर वाला संक्रामक रोग अस्पताल महत्वपूर्ण है।
वेबसाइट: www.goa.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	सत्यपाल मलिक	**मुख्य सचिव**	:	परिमल राय
मुख्यमंत्री	:	प्रमोद सावंत	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ

गुजरात

क्षेत्रफल	:	1,96,024 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	60,439,692 (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	गांधीनगर	**मुख्य भाषा**	:	गुजराती

इतिहास और भूगोल

गुजरात का इतिहास ईसा पूर्व लगभग 2,000 साल पुराना है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर जा बसे, जो बाद में द्वारका कहलाया। बाद के वर्षों में मौर्य, गुप्त तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर राज किया। चालुक्य (सोलंकी) राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। इस गौरवपूर्ण काल के पश्चात गुजरात को मुसलमानों, मराठों और ब्रिटिश शासन के दौरान बुरे दिन देखने पड़े। आज़ादी से पहले गुजरात का वर्तमान क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बंटा था- एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। राज्यों के पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों और कच्छ के केंद्र शासित प्रदेश के साथ पूर्व के ब्रिटिश गुजरात को मिलाकर सबसे बड़े द्विभाषी बंबई राज्य का गठन हुआ। 1 मई, 1960 को वर्तमान गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है।

कृषि

कृषि संवृद्धि दर को बढ़ाने तथा इसमें और सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2014-15 को 'कृषि विकास वर्ष' के रूप में मनाया। किसानों को खेती की आधुनिक प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक कृषि विधियों से अवगत कराने हेतु हर वर्ष 'कृषि महोत्सव' मनाया जा रहा है। गुजरात कपास, मूंगफली तथा तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है और वस्त्र, साबुन तथा तेल जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में भी निवेश उपलब्ध कराता है। अन्य मुख्य नकदी फसलें हैं: धान, गेहूं और

बाजरा।

विद्युत

सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में सौर नीति बनाने वाला गुजरात पहला राज्य है। इस परियोजना की स्थापित क्षमता 400 मेगावाट की है।

सड़कें

सड़क मार्ग राज्य के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। एक नई पद्धति के तहत, राज्य सरकार ने एक मज़बूत सड़क तंत्र के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को सड़क निर्माण कार्य में शामिल किया है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अहमदाबाद में त्वरित आवाजाही के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीसी) सुविधा शुरू की गई है।

बंदरगाह

पिछले दशक में गुजरात ने देश के प्रमुख समुद्रवर्ती राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। देश के गैर-प्रमुख बंदरगाहों के कुल यातायात का लगभग 80 प्रतिशत और सभी बंदरगाहों के कुल यातायात का लगभग 48 प्रतिशत गुजरात के बंदरगाहों से संचालित होता है, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। यहां 41 छोटे और एक बड़ा बंदरगाह है, जिसका नाम है कांदला बंदरगाह।

त्योहार

सुरेंद्रनगर जिले के तरणेतर गांव में भाद्रपद मास (अगस्त/सितंबर) में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगता है। पोरबंदर के निकट माधवपुर में माधवराय मेला लगता है। चैत्र (मार्च/अप्रैल) के शुक्ल पक्ष की नवमी को यह मेला लगता है। बनासकांठा जिले में अंबा देवी को समर्पित अंबाजी मेला लगता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर लगने वाला मेला साल का सबसे बड़ा मेला है। यह द्वारका तथा डाकोर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि विश्व का सबसे बड़ा नृत्य मेला, जगन्नाथ रथ यात्रा-प्रसिद्ध रथ उत्सव, उत्तरी गुजरात के भगवान सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में मोधेरा नृत्य उत्सव-उत्तरार्द्ध महोत्सव, रण उत्सव-कच्छ के विस्तृत मरुस्थल में चांदनी रातों में गुजरात के कुछ प्रसिद्ध मेले तथा उत्सव हैं। इसके अलावा मकर-संक्रांति, डांग दरबार, शामलाजी मेला तथा भावनाथ मेला यहां के कुछ अन्य त्योहार हैं।

पर्यटन केंद्र

राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वारका सोमनाथ, पालीताना, पावागढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, शामलाजी, तरंगा और गिरनार जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर तथा पुरातत्व एवं वास्तुकला की दृष्टि से उल्लेखनीय पाटन, सिद्धपुर, घुरली, दाभेई, वडनगर, मोधेरा, लोथल और अहमदाबाद जैसे स्थान हैं। अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, उभारत तथा तीथल जैसे समुद्री तट, सपुतड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभयारण्य, कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभयारण्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। इसके अलावा साबरमती नदी का मुहाना : विकास का स्तर तथा पर्यटन की संभावनाएं दर्शाता है, वडोदरा में सुर सागर झीलः पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, नालसरोवर पक्षी विहारः दुनियाभर से आए प्रवासी पक्षियों का गृह है।
वेबसाइट: www.gujaratindia.gov.in

सरकार

राज्यपाल :	आचार्य देवव्रत	**मुख्य सचिव** :	जे.एन. सिंह
मुख्यमंत्री :	विजय रूपाणी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र** :	गुजरात

हरियाणा

क्षेत्रफल	: 44,212 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 2.54 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	: चंडीगढ़	**मुख्य भाषा**	: हिंदी

इतिहास और भूगोल

हरियाणा का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है तथा यह वैदिक काल से आरंभ होता है। यह राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हरियाणा की भूमि कला और संस्कृति का उत्पत्ति स्थल रही है। 1915 में ई. गाय पिलग्रिम द्वारा की गई पुरातत्वीय खोज से स्थापित होता है कि 1.5 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन मानव शिवालिकों में रहते थे। वामन पुराण में जिक्र है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में सोने का हल चलाया था, जिसे भगवान शिव के नंदी ने सात कोस के क्षेत्र में खींचा था।

पौराणिक तथा वैदिक संदर्भों के अनुसार हरियाणा का इतिहास बहुत गरिमामयी है। वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पाठ यहीं पढ़ाया था। महाभारत का महायुद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया। उत्तरी भारत का द्वार होने के नाते यह क्षेत्र कई लड़ाइयों की युद्धभूमि रहा है। हूण, तुर्क और तुगलकों ने भारत पर चढ़ाई की और कई निर्णायक युद्ध इसी धरती पर लड़े गए। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर अपनी फौज इसी रास्ते से दिल्ली लाया। बाद में, सन 1526 में पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई में मुगलों ने लोधियों को हराया। 1556 में एक अन्य निर्णायक युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया, जिसने भारत में ब्रिटिश राज आने और दिल्ली के भारत की साम्राज्यिक राजधानी बनने तक मुगलों की सत्ता कायम रखी।

इसके बाद हरियाणा दिल्ली का ही हिस्सा बन गया और 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम महासंग्राम से पूर्व तक यह गुमनाम बना रहा। विद्रोह को कुचलने के बाद जब ब्रिटिश प्रशासन फिर से स्थापित हुआ तो झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाबों, बल्लभगढ़ के राजा तथा रिवाड़ी के राव तुलाराम की सत्ता छीन ली गई। उनके क्षेत्र या तो ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला लिए गए या पटियाला, नाभा और जींद के शासकों को सौंप दिए गए। इस तरह हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। नवंबर, 1956 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा पूर्ण राज्य बन गया।

हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में राजस्थान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दायरे में हरियाणा भी है। मात्र 1.37 प्रतिशत भू-क्षेत्र और देश की कुल आबादी के केवल दो प्रतिशत से भी कम के साथ हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक, हरियाणा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है।

कृषि

हरियाणा की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का रहता है। फसलों में विविधता लाने के लिए गन्ना, कपास, तिलहन और सब्जियों तथा फलों जैसी नकदी फसलें अधिक उगाई जा रही हैं। राज्य में गहन और विस्तृत खेती को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों तथा कार्बनिक कृषि के प्रचार के ज़रिए चिरस्थायी कृषि का संवर्द्धन किया जा रहा है।

सिंचाई

1,429 नहरों का ठोस तंत्र हरियाणा की सिंचाई प्रणाली को आधार प्रदान करता है, जिसमें 6.83 लाख ट्यूबवेल और पंपसेटों की भूमिका भी कुछ कम नहीं है। राज्य में प्रमख सिंचाई परियोजनाएं हैं-पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर और गुड़गांव नहर प्रणाली। भारत में पहली बार लिफ्ट सिंचाई प्रणाली को व्यावहारिक आकार देते हुए, हरियाणा ने जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना के ज़रिए जल का स्तर निचले स्तरों से ऊंची शुष्क ढलानों तक पहुंचाया है। हरियाणा बहुउद्देशीय सतलुज-ब्यास परियोजना के लाभार्थियों में से है। इसके साथ दो अन्य लाभार्थी पंजाब तथा राजस्थान हैं।

बिजली

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां 1970 में ही सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी। धीरे-धीरे हरियाणा बिजली क्षेत्र में विद्युत अभाव वाले क्षेत्र से विद्युत 'सरप्लस' वाला राज्य बन रहा है।

शिक्षा

हरियाणा आधुनिक तक्षशिला तथा नालंदा का रूप ले रहा है और शिक्षा के हब के रूप में अग्रसर है। प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों की पहुंच में लाने और विश्वस्तरीय मानकों पर उच्च शिक्षा उपलब्ध करवा कर हरियाणा शिक्षा का आधुनिक केंद्र बनने के पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्राथमिक शिक्षा राज्य के हर हिस्से में उपलब्ध कराई जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर 76.64 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय दर 74.04 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर 66.77 प्रतिशत तथा पुरुष साक्षरता दर 85.38 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी के लिए एक कि.मी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालय, 1.17 कि.मी. के दायरे में माध्यमिक विद्यालय, 1.45 कि.मी. के दायरे में हाई स्कूल तथा 2.10 कि.मी. के दायरे में उच्चतम माध्यमिक विद्यालय हैं।

उद्योग

सरकार की निवेश और उद्योग समर्थित नीतियों ने हरियाणा को निवेश करने वालों की आंख का तारा बना दिया है और राज्य को औद्योगिक क्रांति के द्वार तक पहुंचा दिया है। हरियाणा कारों, ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, रेफ्रिजरेटरों, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा, हरियाणा विश्व बाजार में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। पचरंगा अचार के अलावा पानीपत की हथकरघे की बनी वस्तुएं और कालीन विश्वभर में प्रसिद्ध हैं।

स्वास्थ्य

उचित मूल्य पर हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जिला और उप-खंड अस्पतालों का राज्यव्यापी नेटवर्क है। स्टाफ तथा उपकरणों द्वारा इन्हें मज़बूत किया जा रहा है और रेफरल सेवाओं की कमियों को दूर किया जा रहा है। राज्यव्यापी स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत 56 अस्पताल, 109 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 467 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2,630 उप-केंद्र, 15 जिला टीबी केंद्र, 639 आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा यूनानी केंद्र, 90 शहरी आरसीएच कार्य कर रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य में आईटी/ साइबर पार्कों की स्थापना के लिए 85 प्रस्तावों, जिनकी सिफ़ारिश इस उद्देश्य से बनाई गई समिति द्वारा की गई है, में से 35 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं।

परिवहन

हरियाणा में सड़क और रेल परिवहन यात्रा का प्रमुख साधन है। हवाई यातायात की भी छोटी-सी भूमिका है। हरियाणा में सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 35,303 किलोमीटर से अधिक है।

राज्य के अंदर और राज्य से बाहर रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कालका, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, जींद, हिसार, अंबाला और जाखल के रेलवे स्टेशन प्रमुख हैं। जगाधरी शहर में रेलवे की एक वर्कशॉप है। हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे- हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल और भिवानी में हैं।

पर्यटन स्थल

हाइवे पर्यटन में अग्रणी हरियाणा में 43 पर्यटन परिसर हैं, जिनमें 846 रिहायशी कमरे हैं। हरियाणा में प्रति वर्ष 70 लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति बनाई है। इसके अलावा, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रमुख शहरों एवं जिला मुख्यालयों में भी पर्यटन सुविधाएं स्थापित की गई हैं। पर्यटन परिसरों में से कुछ हैं: दिल्ली के निकट सूरजकुंड तथा बडकल झील, सुल्तानपुर पक्षी विहार (सुल्तानपुर), गुरुग्राम में सोहना तथा दमदमा और मनोरम चीड़ वन के लिए प्रसिद्ध मोरनी हिल्स। अन्य महत्वपूर्ण रिजॉर्ट हैं- एथनिक इंडिया (राय सोनीपत), ब्लू जे (समालखा), स्काईलार्क (पानीपत), कर्ण झील

और ओएसिस (उचाना), पराकीट (पीपली), किंगफिशर (अंबाला), मैगपाई (फरीदाबाद), दबचिक (होडल), शमा (गुड़गांव), जंगल बब्लर (धारूहेड़ा), गौरैया (बहादुरगढ़), मैना (रोहतक), ब्लू बर्ड (हिसार), रेड बिशप (पंचकूला) और पिंजौर गार्डन (पिंजौर)।
वेबसाइट: www.haryana.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	सत्यदेव नारायण आर्य	**मुख्य सचिव**	:	केशनी आनंद अरोड़ा
मुख्यमंत्री	:	मनोहर लाल खट्टर	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	पंजाब और हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

क्षेत्रफल	:	55,673 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	68.65 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	शिमला	**मुख्य भाषा**	:	हिंदी और पहाड़ी

इतिहास और भूगोल

पश्चिमी हिमालय की गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश खूबसूरत भूमि है। मानचित्र पर यह 30°.22' तथा 33°.12' उत्तरी अक्षांश और 75°.47' तथा 79.4' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह रमणीक क्षेत्र विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों का घर है और इसे 'देवभूमि' भी कहा जाता है। हिमाचल का नाम हिमालय से ही प्रेरित है, जिसका अर्थ है 'हिमाच्छादित भूमि'। इस क्षेत्र को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, बाहरी हिमालय या शिवालिक, भीतरी हिमालय या मध्यवर्ती पर्वतमाला और ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन क्षेत्र। समूचे राज्य में पत्थर और लकड़ी से बने हुए अनेकानेक मंदिर हैं। हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और परंपरा दुनिया में अनोखी है। गहरी घाटियां, मजबूत चट्टानें, विशाल हिमनद, ऊंचे देवदार के पेड़, गर्जन करती नदियां और खूबसूरत वनस्पति हिमाचल को उसके अद्वितीय रूप में प्रस्तुत करती हैं।

हिमाचल का राजनीतिक इतिहास भी खासा रोचक रहा है। 15 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन तीस पहाड़ी रियासतों को मिलाकर यह राज्य अस्तित्व में आया था। इन रियासतों में शिमला के 26 पहाड़ी राज्य और पंजाब सूबे की 4 पहाड़ी रियासतें थीं। उस समय हिमाचल का कुल क्षेत्रफल 27,018 वर्ग कि.मी. था और यहां की आबादी 9,35,000 थी। पंजाब सीमा समिति की सिफारिश के बाद, भारत सरकार ने पंजाब को दो राज्यों, पंजाब और हरियाणा में विभक्त करते समय पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था। यह क्षेत्र थे कांगड़ा जिला, शिमला, कुल्लू और लाहौल-स्पीति, अम्बाला जिले का नालागढ़ क्षेत्र, होशियारपुर जिले की उना तहसील और गुरदासपुर जिले की पठानकोट तहसील। यह विलय 1 नवंबर, 1966 को संपन्न हुआ और इसके बाद हिमाचल के क्षेत्र में 55,673 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हो गई थी। नए राज्य का उद्घाटन शिमला में 1971 में किया गया था। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के तौर पर भारतीय संघ का 18वां राज्य अस्तित्व में आया था।

कृषि

राज्य की 70 प्रतिशत से अधिक कामकाजी आबादी आजीविका के लिए सीधे कृषि से जुड़ी है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद का करीब 22.1 प्रतिशत है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,673 वर्ग कि.मी. में से 9.79 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य को समर्पित है।

राज्य की कृषि-जलवायु परिस्थितियां आलू, गैर मौसमी सब्जियों और अदरक जैसी नकदी फसलों के लिए उपयुक्त हैं। अनाज की बेहतर पैदावार प्राप्ति के लिए, किसानों के बीच अधिक फसल देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया है। किसानों की उत्साह वृद्धि के लिए 'मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना' की भी शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश को 2014-15 और 2015-16 के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर का 'कृषि कर्मण्य पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ है। किसानों के कल्याण के लिए राज्य भर में बैंकों की 2,061 शाखाएं किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अमल

में ला रही हैं। खलिहानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उनके गिर्द सौर ऊर्जा युक्त बाड़ लगाने के लिए 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' की शुरुआत की गई। ओलावृष्टि से बचने के लिए जालों पर छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक कर दी गई है।

बागवानी

हिमाचल प्रदेश को देश का 'फल प्रदाता' कहा जाता है। राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2.27 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फलों की खेती और उत्पादन के लिए तैयार करने के बाद उत्पादन 10.28 लाख मी. टन तक पहुंच गया है। राज्य की उपयुक्त जलवायु के कारण यहां सेब, नाशपाती, आड़ू, आलूबुखारा, खुबानी, आम, लीची, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और नींबू प्रजातीय फलों जैसे विविध फलों का अच्छा उत्पादन होता है। ओलावृष्टि से बाग़वानी की रक्षा करने के लिए 15,51,813 वर्ग मी. क्षेत्र को एंटी-हेल नेट्स से सुरक्षित किया गया है। बाग़वानी के एकीकृत विकास के लिए बाग़वानी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की जा रही है। यह मिशन 'अंत से अंत' तक की अवधारणा पर आधारित है जिसके तहत राज्य में बाग़वानी विकास की सभी तरह की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। आम, सेब और नींबू प्रजातीय फलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मार्केटिंग मध्यवर्ती योजना की शुरुआत कर रही है।

सड़कें

पहाड़ी राज्य होने के कारण सड़कें जीवनरेखा होने के साथ-साथ आवाजाही का मुख्य साधन हैं। 1948 में जब यह राज्य अस्तित्व में आया, तो यहां केवल 288 कि.मी. लंबी सड़कें थीं। राज्य में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत असाधारण विकास देखा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांवों/निवास स्थानों को पूरी तरह सड़कों से जोड़ने के लिए अमल में लाया जा रहा है।

पनबिजली उत्पादन

पनबिजली क्षमता राज्य की खुशहाली का आधार है और 27,436 मेगावाट की कुल मौजूदा क्षमता में से राज्य में 10,351 मेगावाट बिजली की खपत होती है। राज्य में सौ प्रतिशत बिजली मुहैया कराई जा चुकी है।

सिंचाई और जलापूर्ति

पानी किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण अंश होता है। इसके लिए राज्य में कृषि और बाग़वानी के लिए सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। सिंचाई के लिए 3.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 2.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा चुका है। सभी पेयजल योजनाओं के तहत जल उपचाए संयंत्र उपलब्ध कर जाते हैं।

वानिकी

हिमाचल प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 37,033 वर्ग कि.मी. है, जिस हिसाब से यह समूचे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 66.52 प्रतिशत बैठता है। वानिकी प्रबंधन के अंतर्गत सरकार संरक्षण के साथ-साथ वन क्षेत्र के बेहतर इस्तेमाल और उसका क्षेत्र बढ़ाने का भी कार्य कर रही है। वानिकी योजना और मृदा संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत वनरोपण का कार्य भी जारी है। छोटे किसानों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए एकीकृत रूप से फसल और मवेशीपालन के साथ-साथ वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 'सब-मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री' नामक नई योजना शुरू की गई। वन्यजीवन और प्राकृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाएं प्राणी उद्यानों एवं राष्ट्रीय पार्कों की दशा में सुधार कर रहे हैं, जिसके जरिए लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके पक्षी और जानवरों की सुरक्षा हो रही है।

पर्यटन

राज्य में पर्यटन को सफल बनाने से जुड़े सभी बुनियादी स्रोत मौजूद हैं, जैसे कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ और शांत पर्यावरण और खूबसूरत नदियां, पवित्र स्थल, ऐतिहासिक इमारतें और मेहमाननवाज़ लोग। पर्यटन उद्योग को यहां बहुत प्राथमिकता दी जाती है और सरकार ने इस दिशा में समुचित विकास भी किया है। सरकार ने जनोपयोगी सेवाएं, मार्ग, संचार नेटवर्क, हवाई अड्डे, यातायात सुविधाएं, बस अड्डों पर साफ टॉयलेट,

रेस्तरां और पेट्रोल पंप, जलापूर्ति और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए उपयुक्त अवसंरचनात्मक ढांचा तैयार किया है। इनके अलावा 70,869 बिस्तरों वाले 2,064 होटल और करीब 787 होम स्टे इकाइयां भी राज्य में हैं। पर्यटन से राज्य के घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत आय जुड़ती है और 2020 तक यह आंकड़ा 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। बिजली की संशोधित दरों को नए पर्यटन उद्योग को सौंपा गया है। राज्य में पैकेज टूर भी दिए जा रहे हैं और इनमें प्रमुख ध्यान रोमांच, धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज, शीतकालीन खेलों, पैदल यात्राओं और बाहरी गतिविधियों को दिया गया है।

वेबसाइट: www.himachal.nic.in

सरकार

राज्यपाल	:	बंडारू दत्तात्रेय	**मुख्य सचिव**	:	अनिल खाची
मुख्य मंत्री	:	जयराम ठाकुर	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	हिमाचल प्रदेश

झारखंड

क्षेत्रफल	:	79,716 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	3,29,88,134 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	रांची	**मुख्य भाषा**	:	हिंदी

इतिहास और भूगोल

झारखंड नवंबर, 2000 को संघ के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह आदिवासियों की गृहभूमि है, जो लंबे समय से एक अलग राज्य का सपना देख रहे थे। एक कथा के अनुसार, ओडिशा के राजा जयसिंह देव ने तेरहवीं शताब्दी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। यहां की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नियमित आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद् की स्थापना की और अंततः पूर्ण राज्य अस्तित्व में आया।

झारखंड पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में ओडिशा से घिरा हुआ है।

कृषि

राज्य के 79,714 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 18,423 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन हैं। कृषि और संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है।

सिंचाई और बिजली

दामोदर, मयूराक्षी, बराकर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, संख, सुवर्णरेखा, खरकई और अजय राज्य के प्रमुख जल स्रोत हैं। राज्य में कुल बुवाई क्षेत्र 18 लाख हेक्टेयर है, जिसमें आठ प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में बिजली की स्थापित क्षमता 2,590 मेगावाट है।

उद्योग और खनिज

झारखंड के कुछ बड़े उद्योग हैं: सार्वजनिक क्षेत्र का बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर में निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को)। अन्य प्रमुख उद्योग हैं: टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (टेल्को), टिमकेन इंडिया लिमिटेड (जमशेदपुर), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (धनबाद), खिलारी सीमेंट फैक्टरी (पलामू), इंडियन एल्युमिनियम (मुरी), एसीसी सीमेंट (चाइबासा), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रांची), उषा मार्टिन, उषा बेल्ट्रॉन, यूरेनियम कॉरपोरेशन (आई) लिमिटेड (जादूगोड़ा), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (मुसाबनी), टिन प्लेट कंपनी ऑफ

इंडिया लिमिटेड (जमशेदपुर), इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड (गोमिया) और हिंडालको बॉक्साइट (लोहरदगा) आदि।

झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध है। प्रमुख उपलब्ध खनिज हैं: कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, खनिज तांबा, बॉक्साइट, पाइराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बैंटोनाइट, साबुन पत्थर, बिल्लौरी रेत और सिलिका बालू। राज्य में विशेषकर सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की अपार क्षमताएं हैं।

परिवहन

सड़कें : राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 4,311 किलोमीटर है। इसमें 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 2,711 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग शामिल हैं।

रेलवे : राज्य में सुविकसित रेलवे प्रणाली है। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं।

उड्डयन : विमान सेवा से रांची दिल्ली, पटना और मुंबई से जुड़ा है। जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज तथा नोआमुंडी में हवाई पट्टियां हैं।

पर्यटन स्थल

राज्य में अनेक मनोरम स्थल हैं। ये हैं: इचागढ़ पक्षी विहार, उद्धव पक्षी विहार- साहिबगंज (पटौरा झील), चाचरो मगरमच्छ पालन केंद्र- कोडरमा (तिलैया बांध), चंद्रपुरा पक्षी विहार, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान (बोकारो), तेनुघाट पक्षी विहार, डालमा वन्यजीव अभयारण्य (जमशेदपुर), टाटा स्टील जैविक उद्यान (जमशेदपुर), पलकोट वन्यजीव अभयारण्य (गुमला), भगवान बिरसा जैविक उद्यान (रांची), बिरसा हिरण अभयारण्य (कालमाटी रांची), बेतला राष्ट्रीय उद्यान (पलामू), रांची मत्स्य केंद्र (रांची), हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तातोलोई गर्म पानी झरना (दुमका) और सारंदा वन।

उपर्युक्त के अलावा झारखंड में कुछ मशहूर मंदिर हैं: झारखंड धाम, लंग्ता बाबा मंदिर/ मजार, विन्ध्यवासिनी मंदिर, मसनजोर धाम आदि।
वेबसाइट: www.jharkhand.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	द्रौपदी मुर्मू	**मुख्य सचिव**	:	देवेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्यमंत्री	:	हेमंत सोरेन	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	झारखंड

कर्नाटक

क्षेत्रफल	:	1,91,791 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	6.11 करोड़ (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	बंगलुरु	**मुख्य भाषा**	:	कन्नड़

इतिहास और भूगोल

कर्नाटक का लगभग 2,000 वर्ष से भी अधिक पुराना लिखित इतिहास उपलब्ध है। कर्नाटक पर नंद, मौर्य और सातवाहन राजाओं के शासन के अलावा चौथी शताब्दी के मध्य से इस क्षेत्र पर स्थानीय राजवंशों- बनवासी के कदंब तथा गंगों का अधिकार रहा। श्रवणबेलगोला में विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की विशाल प्रस्तर प्रतिमा गंग वंश के एक मंत्री चाबुंडराया ने ही बनवाई थी। श्री गोमतेश्वर की यह विशाल प्रस्तर प्रतिमा जैन कला में सबसे भव्य है। इसे तथा अन्य स्मारकों को देखने असंख्य आगंतुक श्रवणबेलगोला आते हैं। बादामी के चालुक्य वंश (500 से 735 ई. तक) ने नर्मदा से कावेरी तक के विस्तृत क्षेत्र में पुलिकेशी द्वितीय (609 से 642 ई.) के समय से राज किया और उसने कन्नौज के शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया। इस राजवंश ने बादामी, एहोल और पट्टादकल में अनेक

सुंदर कलात्मक तथा कालजयी स्मारकों का निर्माण किया। इनमें चट्टानों को तराश कर बनाए गए मंदिर भी शामिल हैं। एहोल देश के ऐसे स्थानों में से है, जहां मंदिर वास्तुकला पनपी। चालुक्यों की जगह लेने वाले माल्खेड के राष्ट्रकूटों ने तो (753 से 973 ई.) कन्नौज साम्राज्य के वैभव वाले युग में वहां के शासकों से कर भी प्राप्त किए। इस काल में कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ। भारत के श्रेष्ठ जैन विद्वान इन राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाते थे। कल्याण के चालुक्य राजाओं (973 से 1189 ई.) और उनके परवर्ती हलेबिडु के होयसाल सामंतों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण किया और साहित्य तथा ललित कलाओं को प्रोत्साहित किया। सुविख्यात न्यायशास्त्री विज्ञानेश्वर (कृतिः मिताक्षर) कल्याण के रहने वाले थे। महान धार्मिक नेता वासवेश्वर भी कल्याण साम्राज्य के मंत्री थे। विजयनगर साम्राज्य (1336 से 1646 ई.) ने अपनी देशज परंपराओं का पोषण किया और कला, धर्म तथा संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल साहित्य को प्रोत्साहित किया। इस काल में विदेशों में व्यापार खूब फला-फूला। बहमनी सुलतानों (राजधानी : गुलबर्ग एवं बाद में बीदर) और बीजापुर के आदिलशाहों ने भारतीय-सारासैनिक शैली के भव्य भवनों का निर्माण किया और उर्दू व फारसी साहित्य को प्रोत्साहन दिया। पुर्तगालियों के आगमन से राज्य में कई नई फसलों (तंबाकू, मक्का, मिर्च, मूंगफली, आलू आदि) की खेती होने लगी। पेशवा (1818) और टीपू सुलतान (1799) की पराजय के पश्चात कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने अंग्रेजी शिक्षा तथा मशीनों से छपाई का प्रसार किया तथा परिवहन, संचार और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आई। शहरी नगरों में मध्य वर्ग का उदय हुआ। मैसूर साम्राज्य ने औद्योगीकरण एवं सांस्कृतिक विकास की शुरुआत की। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राज्य के एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ हुआ।

स्वतंत्रता के बाद 1953 में मैसूर राज्य बना और कन्नड़ भाषियों की अधिकता वाले विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण किया गया। 1956 में कन्नड़ प्रभुत्व वाले सभी क्षेत्रों को शामिल कर विस्तारित मैसूर राज्य बना और 1973 में इसका नाम बदलकर 'कर्नाटक' कर दिया गया।

कर्नाटक 11°31' और 18°14' उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 74°12' और 78°10' पूर्वी देशांतर के बीच में भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है।

वन और वन्यजीव

वन विभाग राज्य के 20.15 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का प्रबंध करता है। वनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है- सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ग्रामीण वन और निजी वन। यहां पांच राष्ट्रीय पार्क और 23 वन्यजीव अभयारण्य है। ईंधन की लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए बेकार जंगलों और भूमि को विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट की कोमल पर्यावरण प्रणाली के संरक्षण और विकास पर बल दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट जैसी अनेक योजनाएं केंद्रीय सहायता से लागू की जा रही हैं। विदे सहायता से शुरू की गई दो परियोजनाओं-पश्चिमी घाट वानिकी और पर्यावरण परियोजना (डीएफआईडी) तथा पूर्वी मैदान वानिकी और पर्यावरण परियोजना (जेबीआईएस) में लागू संयुक्त वन नियोजन एवं प्रबंधन की अवधारणा के परिणामस्वरूप ग्रामीण वन समितियों की स्थापना द्वारा ग्रामीण वन नियोजन एवं प्रबंधन हुआ है।

कृषि

कर्नाटक की करीब 66 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है और लगभग 55.60 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि श्रमिक है। राज्य की 60 प्रतिशत (114 लाख हेक्टेयर) भूमि खेती योग्य है, जिसके 72 प्रतिशत क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है। केवल 28 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की जाती है। राज्य में 10 कृषि मौसम क्षेत्र हैं। लाल मिट्टी राज्य की प्रमुख मृदा प्रकार है, जिसके बाद काली मिट्टी आती है। कुल भूमि का केवल 5.17 प्रतिशत हिस्सा ही बुआई क्षेत्र है।

डेयरी

कर्नाटक देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादकों में से एक है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के पास बहुत सारे डेयरी प्रसंस्करण संयत्र हैं।

बाग़वानी

राज्य में 16.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाग़वानी होती है। इसमें 101 लाख मी. टन उत्पादन होता है। केंद्र सरकार ने

राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन के अंतर्गत कर्नाटक के लिए 171.29 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

विद्युत उत्पादन

कर्नाटक देश का ऐसा अग्रणी राज्य है जहां पनबिजली संयंत्र स्थापित किए गए। आज राज्य की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 7,222.91 मेगावाट है और 31,229 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होता है।

जैव प्रौद्योगिकी

कर्नाटक और विशेषकर बंगलुरु शहर देश का सबसे बड़ा जैव भंडार बन गया है।

परिवहन

सड़कें : कर्नाटक में सड़कों की लंबाई 83,749 कि.मी. से बढ़ाकर 2,15,849 कि.मी. की गई है।

बंदरगाह : राज्य में 155 समुद्री मील (300 कि.मी.) लंबे समद्र तट पर केवल एक बडा बंदरगाह है मंगलोर में यानी न्यू मंगलोर पोर्ट। इसके अलावा 10 छोटे बंदरगाह हैं: कारवाड़, बेलेकेरी, ताद्री, भत्कल, कुंडापुर, हंगरकट्टा, मालपे, पदुबिद्री, होन्नावर और पुराना मंगलोर। इन 10 बंदगाहों में से केवल कारवाड़ हर मौसम के लिए है, अन्य सभी रिवराइन एंकरेज लाइटरेज पोर्ट हैं।

उड्डयन : अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 50 प्रतिशत और घरेलू यात्रियों में 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में जबर्दस्त विकास हुआ है।

पर्यटन

'एक राज्य कई दुनिया' के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र कर्नाटक में लगातार बहुत पर्यटक आए हैं। यह राज्य अपने स्मारकों की विरासत और प्राकृतिक पर्यटन के गंतव्य के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर्ण रथ (लक्जरी ट्रेन), जिसका नाम दक्षिण भारत की विश्व धरोहर 'हंपी' के प्रस्तर रथ के नाम पर रखा गया है, प्राचीन धरोहरों, भव्य महलों, वन्यजीवन और सुनहरे समुद्र-तटों के बीच भ्रमण करेगा। इसकी सात रात और आठ दिन की यात्रा प्रत्येक सोमवार को बंगलुरु से शुरू होती है। मैसूर में श्रीरंगपटन, मैसूर महल, नगरहोल राष्ट्रीय पार्क (कबीनी) की सैर कराते हुए 11वीं शताब्दी के होयसाल स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवणबेलगोला, बेलूर, हलेबिडु, हंपी से होते हुए बादामी, पट्टादकल और एहोल की त्रिकोणीय धरोहर से गोवा के सुनहरे समुद्र-तटों का अवलोकन कराते हुए अंत में यह बंगलुरु वापस आती है।
वेबसाइट: www.karnataka.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	वजुभाई वाला	**मुख्य सचिव**	:	टी. एम. विजयभास्कर
मुख्यमंत्री	:	बी.एस. येदियुरप्पा	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	कर्नाटक

केरल

क्षेत्रफल	:	38,852 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	3.34 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	तिरुवनंतपुरम	**मुख्य भाषा**	:	मलयालम

इतिहास और भूगोल

केरल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। जब स्वतंत्र भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ, तब त्रावणकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर जुलाई, 1949 को त्रावणकोर-कोचीन राज्य बना दिया गया, किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत त्रावणकोर-कोचीन

राज्य तथा मालाबार को मिलाकर नवंबर, 1956 को केरल राज्य बनाया गया। पूर्व में ऊंचे पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर के बीच स्थित इस प्रदेश की चौड़ाई 35 कि.मी. से 120 कि.मी. तक है। भौगोलिक दृष्टि से केरल को पर्वतीय क्षेत्र, घाटी, मध्यवर्ती मैदान तथा तटवर्ती क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। केरल नदियों और तालाबों के मामले में समृद्ध है। 44 नदियां (41 पश्चिम की ओर और तीन पूर्व की ओर बहने वाली) अपनी सहायक नदियों और उपधाराओं के साथ राज्य से होकर गुजरती हैं। समुद्री झीलें केरल में आकर्षण का केंद्र तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

कृषि

हरे-भरे धान के खेत, नारियल के पेड़, खुशबूदार मसाले के बागान और 'गॉड्स ओन कंट्री' के रूप में मशहूर केरल भारत के दक्षिणी छोर पर बसा है। उपजाऊ जमीन तथा समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय मौसम केरल को विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र बनाता है, जिनमें नारियल, चावल, रबर, केला, मसाले, फल, सब्जियां, काजू, कंद, चाय, कॉफी, सुपारी तथा औषधीय पौधे आदि शामिल हैं।

उद्योग

राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में मजबूत निवेश के लिए निवेशक हितैषी औद्योगिक नीति लागू करने की पहल की है, जिससे हर क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानक हासिल करने के उद्देश्य से त्वरित, समग्र तथा स्थायी आर्थिक संवृद्धि के साथ केरल को जीवंत उद्यमी समाज में बदला जा सके।

सिंचाई

राज्य में सिंचाई अवसंरचना का प्रमुख हिस्सा भूतल सिंचाई है। सिंचाई के लिए कुल 18 बांध हैं। सिंचाई विकास मुख्यत: बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के विकास पर, सतही जल संसाधनों के विकास पर केंद्रित है। प्रत्येक योजना में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होने वाली प्रमुख फसल धान की है। केरल में कृषि के मोर्चे पर तेजी से हो रहे बदलावों से चावल की खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट आई है। बदलावों के चलते चावलों की खेती की गुरुत्व सिंचाई सेवा के लिए विकसित की गई वितरण प्रणाली को भी फिर से श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता है।

पेयजल

देश में मानव गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी बढ़ रही है। पेयजल सुविधा प्रदान करना राज्यों की प्रमुख जिम्मेदारी है। 71 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 29 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध है।

बिजली

सभी विकास गतिविधियों में बिजली क्षेत्र की भूमिका अहम है। स्पष्टतः औद्योगिक क्षेत्र में नई पहल के लिए बिजली की समस्या मुख्य अवरोधक है। केरल उन कुछ राज्यों में से है, जहां बिजली की कमी है और यह राज्य 60 प्रतिशत बिजली दूसरे राज्यों से खरीदता है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राज्य के सभी गांवों में बिजली है।

परिवहन

अब किसी भी देश के समग्र विकास में परिवहन एक निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक विकास को सक्षम बनाता है। परिवहन की ढांचागत सुविधाओं में स्थापित प्रतिष्ठान, सड़कें, रेलमार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग, नहरें, पाइपलाइन तथा टर्मिनल शामिल हैं। केरल में परिवहन प्रणाली अच्छी है। केरल में सड़कों का रख-रखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्थानीय निकायों, सिंचाई विभाग, केरल राज्य विद्युत बोर्ड, वन विभाग, रेलवे इत्यादि का दायित्व है।

बंदरगाह : केरल राज्य भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम छोर पर है। इसकी तटीय लंबाई 585 कि.मी. है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 60 कि.मी. है। कोच्चि में इसका एक प्रमुख बंदरगाह है तथा 17 अन्य छोटे बंदरगाह हैं। केरल की भौगोलिक स्थिति अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से बेहद करीब है। यहां 17 छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से तीन

को, उनमें उपलब्ध गोदी, पोतभार संचालन और भंडारण सुविधाओं के आधार पर मध्यवर्ती बंदरगाह माना जाता है। इन्होंने देश के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा कृषि विकास में पर्याप्त योगदान किया है।

रेलवे : रेलमार्ग निश्चित रूप से देश की औद्योगिक उन्नति का कारण हैं और यह आज भी देश का सबसे विशाल रोज़गार प्रदाता है। केरल में रेलमार्ग की कुल लंबाई 1257 कि.मी. है और यह 13 रेलमार्गों को कवर करता है।

हवाई परिवहन : केरल में तीन- तिरुवनंतपुरम, कोच्चि तथा कालीकट हवाई अड्डे हैं, जो घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही प्रकार की उड़ानों का संचालन करते हैं। तिरुवनंतपुरम तथा कालीकट हवाई अड्डा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का है, जिसकी स्थापना केरल सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) से की गई है।

त्योहार

केरल में कई रंग-बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम यहां का विशिष्ट त्योहार है, जो फसल कटाई के समय में आता है। अब यह खगोलीय नव वर्ष दिवस पर मनाया जाता है। नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जाती है। महा शिवरात्रि पेरियार नदी के तट पर एक शानदार उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जिसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है। 41 दिन चलने वाला यह उत्सव, जो कि सबरीमाला अयप्पन मंदिर में मकरविलाक्कु के साथ पड़ता है, देश-विदेश से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। वल्लमकलि अथवा नौका दौड़ केरल की खासियत है। पुन्नयदा झील में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका रेस के अलावा, केरल के सभी नौका उत्सव धार्मिक होते हैं। त्रिशूर में हर वर्ष अप्रैल-मई में पूरम उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सुसज्जित हाथियों का एक शानदार जुलूस निकलता है और अनूठी आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। ईसाइयों के प्रमुख त्योहार क्रिसमस तथा ईस्टर हैं। पुम्बा रिवरबेड पर हर वर्ष होने वाला मॉरमॉन सम्मेलन एशिया में ईसाइयों की सबसे बड़ी गोष्ठी है। मुस्लिम मिलाद-ए-शरीफ, रमजान, ईद-उल-फितर तथा बकरीद मनाते हैं।

पर्यटन

केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति ने इसे विश्व के सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्यों में से एक बना दिया है। 'गॉड्स ओन कंट्री' कहे जाने वाले केरल को नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 ऐसे गंतव्यों में से एक के रूप में चुना गया है, जहां हर एक को जीवन में एक बार जाना ही चाहिए। इसे दुनिया में मौजूद 13 जन्नतों में से एक बताया गया है। इसके अनूठे ईको टूरिज्म प्रयासों, संस्कृति तथा परंपराओं और इसकी विविध जनसांख्यिकी ने इसे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय गंतव्यों में से एक बना दिया है। सौम्य जलवायु, शांत समुद्र तट, अप्रवाही जल (बैक वॉटर) का प्रशांत प्रसार, हरे-भरे पहाड़ी स्थल तथा अनोखे वन्य जीव इसणभूमि के प्रमुख आकष हैं। केरल घूमने का एक अनूठा लाभ ये भी है कि यहां अधिकांश पर्यटन स्थल एक-दूसरे से केवल दो-चार घंटे की दूरी पर ही हैं।
वेबसाइट: www.kerala.gov.in

सरकार

राज्यपाल :	आरिफ मोहम्मद खां	**मुख्य सचिव** :	टॉम जोस
मुख्यमंत्री :	पिनराई विजयन	**अधिकार क्षेत्र** :	केरल और लक्षद्वीप

मध्य प्रदेश

क्षेत्रफल :	3,08,252 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या** :	7.27 करोड़ (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी :	भोपाल	**मुख्य भाषा** :	हिंदी

इतिहास और भूगोल

क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है।

भौगोलिक दृष्टि से यह देश में महत्वपूर्ण स्थान पर है। सम्राट अशोक ने सबसे पहले उज्जैन पर शासन किया। मध्य भारत का काफी बड़ा हिस्सा गुप्त साम्राज्य (300-500 ई.) का भाग था। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। सबसे पहले महमूद गजनी यहां आया और फिर मुहम्मद गौरी, जिसने वहां के कुछ भागों को अपनी दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। मध्य भारत मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा रहा। मराठों का प्रभाव आरंभ होने से लेकर 1794 में माधोजी सिंधिया के देहांत तक मध्य भारत पर मराठों का बोलबाला रहा। परंतु उसके बाद छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य बनने लगे। ये छोटे राज्य ही आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता के पैर जमने का कारण बने।

इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर, गोंड की महारानी कमलापति और रानी दुर्गावती आदि कुछ महान महिला शासकों ने अपने उत्कृष्ट शासन से अपनी अमिट छाप छोड़ी। मध्य प्रदेश नवंबर, 1956 को अस्तित्व में आया। नये राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए इसे नवंबर, 2000 को पुनर्गठित किया गया। मध्य प्रदेश के उत्तर में अब उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात तथा राजस्थान है।

अर्थव्यवस्था

मध्य प्रदेश ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक के बाद एक सफलताएं हासिल की हैं और आज देश में इसकी सफलता अनेक अध्ययनों का विषय है। एक दशक के दौरान ही इसकी जीएसडीपी एक लाख करोड़ रुपये से पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।

कृषि

देश में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर में पिछले चार वर्षों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दालों, तिलहन, सोयाबीन, ग्राम, फलियां, लहसुन, अमरूद एवं औषधीय व सुगंधित जड़ी-बूटियों के उत्पादन में राज्य देश में अग्रणी है। यहां बागवानी को भी बड़े तौर पर प्रश्रय दिया जा रहा है।

सिंचाई

सिंचाई हेतु क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दस वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन बड़ी, पांच मझोली और 700 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिसके बाद नहर सिंचाई क्षमता में 2.5 गुना इजाफा हुआ है।

बिजली

मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षेत्र में असाधारण सफलता मिली है। पिछले बारह वर्षों में विद्युत उत्पादन 4,500 मेगावाट से बढ़कर 17,169 मेगावाट हो चुका है। देश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच में स्थापित हो चुका है।

उद्योग

लघु , छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकार की एमएसएमई नीति के अमलीकरण के लिए उद्योग आधारित ज्ञापन के अंतर्गत 50,000 इकाइयों का पंजीकरण किया गया है। पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित उन इकाइयों में दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

आनंद विभाग

लोगों को प्रसन्न और आनंदमय जीवन जीने के लिए उचित वातावरण तैयार करने के प्रयास में मदद के लिए सरकार ने आनंद विभाग की स्थापना की है। भारत के प्राचीन ज्ञान के आधार पर और साथ ही राष्ट्रीय विकास के संबंध में विशिष्ट अवयवों को सूचीबद्ध करने तथा हमारी नीतियों और कार्यकारी योजनाओं में अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर राज्य ने प्रसन्नता की अवधारणा को तय करने का निर्णय लिया है।

परिवहन

सड़कें : मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 58,423 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,709 कि.मी. और प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 10,501 कि.मी. है।

रेलवे : उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला प्रमुख रेलमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। राज्य में भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम और उज्जैन मुख्य जंक्शन हैं। रेलवे के क्षेत्रीय मंडल मुख्यालय भोपाल, रतलाम और जबलपुर में हैं।

त्योहार

राज्य में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार भगोरिया है, जो परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। खजुराहो, भोजपुर, पचमढी और उज्जैन में शिवरात्रि पर्व के दौरान स्थानीय परंपराओं का रंग दिखाई देता है। चित्रकूट और ओरछा में रामनवमी पर्व के आयोजन की अनोखी परंपरा है। ओरछा, मालवा और पचमढ़ी के उत्सवों में कला और संस्कृति का बड़ा सुंदर मेल दिखाई देता है। ग्वालियर के तानसेन संगीत समारोह, मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उज्जैन के कालिदास समारोह और खजुराहो के नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध कला उत्सव हैं।

पर्यटन स्थल

अपनी मध्यकालीन विशेषताओं को सहेजकर रखे हुए मध्य प्रदेश के शहर, स्फूर्ति भर देने वाले वन्य जीव अभयारण्य, अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान और देश के पवित्रतम तथा महत्वपूर्ण तीर्थ इस राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। पचमढ़ी का अद्‌भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टानें और जलप्रपातों का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहां अनूठे बारहसिंगे रहते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां प्रागैतिहासिक गुफाएं और वन्य जीव हैं- ये सब राज्य के प्रमुख आकर्षण हैं। ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरि, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन, चित्रकूट और अमरकंटक ऐसे स्थान हैं, जहां आकर तीर्थयात्रियों के मन को शांति मिलती है। खजुराहो के मंदिर विश्व में अनूठे हैं। इसके अलावा, ओरछा, भोजपुर और उदयपुर के मंदिर इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। सतना, सांची, विदिशा, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, भोपाल, जबलपुर, रीवा और अन्य अनेक स्थानों के संग्रहालयों में पुरातत्वीय महत्व के भंडारों को संरक्षित रखा गया है। महेश्वर, ओंकारेश्वर तथा अमरकंटक को उनके धार्मिक महत्व के अनुसार समग्र विकास के लिए पवित्र शहर घोषित किया गया है।

वेबसाइट: www.mp.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	लालजी टंडन	**मुख्य सचिव**	:	सुधि रंजन मोहंती
मुख्यमंत्री	:	कमलनाथ	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र क्षेत्रफल

क्षेत्रफल	:	3,07,713 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	11.24 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	मुंबई	**मुख्य भाषा**	:	मराठी

इतिहास और भूगोल

महाराष्ट्र के प्रथम प्रसिद्ध शासक सातवाहन (ई.पू. 230 से 225 ई.) थे, जो कि महाराष्ट्र के संस्थापक थे। उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं। इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने सर्व-

भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला तथा धर्म सभी दिशाओं में विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्तिचित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता में आए। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य कायम किया।

हालांकि बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को कुछ हद तक समन्वित किया, पर शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ और यह एक अलग पहचान के साथ उभरकर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया। पेशवाओं ने दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया।

स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यहीं हुआ। मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधीजी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी।

देश के राज्यों के भाषायी पुनर्गठन के फलस्वरूप मई, 1960 को महाराष्ट्र राज्य का प्रशासनिक प्रादुर्भाव हुआ। यह राज्य आसपास के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया, जो कि पहले चार अलग-अलग प्रशासनों के नियंत्रण में थे। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निज़ाम की रियासत के पांच जिले, मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश) के दक्षिण के आठ जिले तथा आसपास की ऐसी अनेक छोटी-छोटी रियासतें शामिल थीं, जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई थीं। महाराष्ट्र प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से एक समान है। यहां का मुंबई बंदरगाह अरब सागर का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। भौतिक दृष्टि से यह राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्रि पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर हैं तथा इसकी ढलान पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व की ओर धीरे-धीरे बढ़ती है। उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जबकि अजंता तथा सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती हैं। अरब सागर राज्य की पश्चिमी सीमा का प्रहरी है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में हैं। राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में हैं।

कृषि

महाराष्ट्र के लगभग 65 प्रतिशत श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। यहां की प्रमुख फसलें हैं- धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, मूंग, उड़द, चना और अन्य दलहन। यह राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है और मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं- कपास, गन्ना, हल्दी और सब्जियां।

उद्योग

महाराष्ट्र को देश का पावर हाउस माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य उत्पाद, ब्रेवरीज, तंबाकू और इससे बनी चीजें, सूती कपड़ा, कपड़े से बना सामान, कागज और इससे बनी चीजें, मुद्रण और प्रकाशन, रबड़, प्लास्टिक, रसायन व रासायनिक उत्पाद, मशीनें, बिजली की मशीनें, यंत्र व उपकरण तथा परिवहन उपकरण और उनके कलपुर्जे आदि का राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है।

परिवहन

सड़कें : सड़कों की कुल लंबाई 2.43 लाख कि.मी. है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,376 कि.मी., प्रांतीय राजमार्गों की 34,157 कि.मी., प्रमुख जिला सड़कों की 50,256 कि.मी., अन्य जिला सड़कों की लंबाई 46,817 कि.मी. और ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,06,601 कि.मी. है।

रेलवे : महाराष्ट्र में 5,983 कि.मी. रेल मार्ग है, जो कि देश में कुल रेल मार्ग का 9.2 प्रतिशत है।

उड्डयन : राज्य में तीन अंतरराष्ट्रीय तथा पांच घरेलू हवाई अड्डे हैं। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने के लिए नवी मुंबई में एक और हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है।

बंदरगाह : मुंबई प्रमुख बंदरगाह है। राज्य में दो बड़े और 48 छोटे अधिसूचित बंदरगाह हैं।

पर्यटन स्थल

यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं: अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंटा, कन्हेरी और कारला गुफाएं, महाबलेश्वर, माथेरन और पंचगनी, जोहार, मालशेजघाट, अंबोली, चिकलधारा और पन्हाला पर्वतीय स्थल। पंढरपुर, नासिक, शिरडी, नांदेड़, औंधा नागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपतिपुले, भीमशंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव, कोल्हापुर, जेजुरी तथा अंबजोगई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं।
वेबसाइट: www.maharashtra.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	भगत सिंह कोश्यारी	**मुख्य सचिव**	:	अजय मेहता
मुख्यमंत्री	:	उद्धव ठाकरे	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली

मणिपुर

क्षेत्रफल	:	22,327 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	28.56 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	इंफाल	**मुख्य भाषा**	:	मणिपुरी

इतिहास और भूगोल

ईसा युग के प्रारंभ होने से पहले से ही मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास है। यहां के राजवंशों का लिखित इतिहास सन् 33 ई. में नोंगडा लैरेन पखंगबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद सात वर्ष (1819 से 1826 तक) बर्मी लोगों ने यहां पर कब्जा करके शासन किया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन अधीन आ गया। 1947 में इसे पुनः आजादी मिली और 1950 को यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग 'सी' के राज्य के रूप में मिला दिया गया। 1950-51 के दौरान एक सलाहकार के रूप में सरकार बनी। बाद में 1957 में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई, जिसमें 30 चयनित तथा दो मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1963 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा तीन मनोनीत सदस्यों की एक विधान सभा स्थापित की गई। दिसंबर, 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उप राज्यपाल कर दिया गया। 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधान सभा गठित की गई। इसमें से 19 अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य से लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक प्रतिनिधि है।

मणिपुर भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित है। मणिपुर पूर्व में ऊपरी म्यामां, उत्तर में नगालैंड, पश्चिम में असम का कछार जिला और दक्षिण में म्यामां की चिन पहाड़ियों और मिज़ोरम से घिरा हुआ है। मणिपुर की सीमा रेखा कुल 854 कि.मी. है, जिसमें 352 कि.मी. पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में म्यामां की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। भौगोलिक दृष्टि से यह अनोखी स्थिति है, क्योंकि यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से मिलाता है। यह 23.80° से 25.68° उत्तरी अक्षांश और 93.03° से 94.78° पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।

राज्य का कुल क्षेत्र 22,327 वर्ग कि.मी. है। मध्य भाग में एक छोटा अंडाकार मैदान है। इंफाल घाटी के नाम से जाना जाने वाला यह मध्य भाग समुद्र तल से लगभग 790 मीटर ऊपर है। यह घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी

हुई है। पहाड़ियां राज्य के 9/10 हिस्से को घेरे हुए हैं। पहाड़ियां उत्तर में ऊंची हैं और दक्षिण में कम होते-होते समाप्त हो जाती हैं। घाटी भी दक्षिण की ओर ढल जाती है।

कृषि

कृषि और संबद्ध गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। 70 प्रतिशत आबादी इस पर निर्भर करती है। घाटी तथा पर्वत राज्य के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं। घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। घाटी में उष्णकटिबंधीय से उष्ण-समशीतोष्ण जलवायु है। पहाड़ियों पर उष्ण-समशीतोष्ण से समशीतोष्ण जलवायु है, जहां पर्वतों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3,000 मीटर ऊपर की है। राज्य में विशिष्ट तरह का शीतकाल और गर्म, आर्द्र तथा बरसाती ग्रीष्मकाल होता है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में औसतन 1482.20 मि.मी. वर्षा हुई। जून, जुलाई तथा अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। राज्य में कृषि का विकास भी असमान है, क्योंकि यह बरसात पर निर्भर करती है।

वन

राज्य में 701 वर्ग कि.मी. अत्यधिक घना, 5474 वर्ग कि.मी. कम घना तथा 11,105 वर्ग कि.मी. खुला वन क्षेत्र है।

सिंचाई

वर्ष 1980 से राज्य में मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। अभी तक आठ बड़ी और मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से पांच परियोजनाएं-लोकतक लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खोपम बांध परियोजना, इंफाल बैराज परियोजना, सेकमी बैराज परियोजना और सिंगडा बहुउद्देशीय परियोजना पूरी कर ली गई है।

वाणिज्य तथा उद्योग

हथकरघा उद्योग बड़ा और महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। इससे बुनकरों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधरती है, आधुनिक मशीनी युग में भी इसकी उत्कृष्टता बरकरार है। नेशनल कांउसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा कराई गई तीसरी बुनकरों और सहयोगी कामगारों की राष्ट्रीय हथकरघा जनगणना 2010 के मुताबिक, मणिपुर बुनकर परिवार हिस्सेदारी में सबसे ऊपर है। राज्य में कुल 2,18,753 हथकरघा कारीगर (जिनमें 2,00,607 बुनकर और 18,146 श्रमिक) हैं, जो कि देश में चौथे स्थान पर हैं। राज्य में 1,90,634 हथकरघा हैं, जिसका देश में तीसरा स्थान है और जिसमें वर्ष 2009-10 में सूत की खपत 1,86,703 किलोग्राम रही, जो कि देश में तीसरे स्थान पर है। कुल हथकरघा श्रमिकों में से लगभग 91 प्रतिशत को-ऑपरेटिव/ मास्टर वीर्वस कॉर्पोरेश केवीआईसी/ निजी क्षेत्र के मालिकों से अलग, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए मणिपुर देश के सर्वश्रेष्ठ चार ऐसे राज्यों में से एक है, जो हथकरघा उद्योग को संवर्द्धित तथा पोषित कर राज्य की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए रोज़गार पैदा कर रहा है।

बिजली

मणिपुर राज्य की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशन पर निर्भर है। चूंकि राज्य में उत्पादन स्टेशन जल आधारित हैं, इसलिए कम पानी की स्थिति में उत्पादन घट जाता है और परिणामस्वरूप मणिपुर के हिस्से में भारी कमी आ जाती है।

परिवहन

सड़कें : चूंकि राज्य में कोई अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे या रोपवे नहीं है, अतः सड़क परिवहन ही विकास के लिए एकमात्र संचार साधन है। सारी विकास गतिविधियां सड़क परिवहन सुविधाओं पर निर्भर हैं। तीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39, 53 तथा 150 राज्य के सभी जिलों को जोड़ते हैं। राजधानी इंफाल को राष्ट्रीय राजमार्ग 39 उत्तर में नगालैंड तथा पूर्व में म्यामां से तथा एनएच 53 पश्चिम में असम से तथा एनएच 150 दक्षिण में मिज़ोरम से जोड़ता है।

उड्डयन : इंफाल पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह आईजॉल, गुवाहाटी, अगरतला और दीमापुर, कोलकाता, पुणे, सिलचर, बंगलुरु तथा नई दिल्ली से वायु सेवा द्वारा जुड़ा है।

रेलवे : 1990 में जिरीबम में रेल का अंतिम स्टेशन हेड खोले जाने के साथ ही राज्य देश के रेल मानचित्र पर अंकित हो गया। यह इंफाल से 225 कि.मी. है। इंफाल का निकटवर्ती रेल का अंतिम स्टेशन दीमापुर (नगालैंड) 215 कि.मी. है। जिरीबम-तुपुल इंफाल रेलवे लाइन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।

त्योहार

मणिपुर में वर्ष भर त्योहार मनाए जाते हैं। शायद ही कोई महीना हो जब कोई त्योहार न मनाया जाता हो। त्योहार मणिपुर निवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। राज्य के प्रमुख त्योहार हैं- लाई हारोबा, रास लीला, चिराओबा, निंगोल चाक-कुबा, रथ यात्रा, ईद-उल-फितर, इमोइनुइराटपा, गान-नागाई, लुई-नगाई-नी, ईद-उल-जुहा, योशांग (होली), दुर्गा पूजा, मेरा होचोंगबा, दीवाली, कुट तथा क्रिसमस आदि।

पर्यटन स्थल

मणिपुर न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, बल्कि शौकीन पर्यटकों के लिए एक रोमांचक गंतव्य भी है। स्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा मनमोहक प्राकृतिक भू-दृश्यों से मणिपुर पर्यटकों को बार-बार आने के लिए लुभाता है। मुख्य पर्यटन केंद्र- कांगला, श्रीश्री गोविंदाजी मंदिर, ख्वाराम्बंद बाजार (इमा किथेल), युद्ध स्मारक, शहीद मीनार, नूपी लन (स्त्रियों का युद्ध) स्मारक परिसर, खोगंमपट्ट उद्यान, आजाद हिंद सेना (मोइरंग) स्मारक, लोकतक झील, केइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, सेंदरा, मोरह, सिरोय पहाड़ियां, जूको घाटी, राज्य संग्रहालय, कैना पर्यटक आवास, खोंग्जोम युद्ध स्मारक परिसर तथा भारत शांति स्मारक (रेड हिल) इत्यादि।
वेबसाइट: www.manipur.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	डॉ. नजमा हेपतुल्ला	**मुख्य सचिव**	:	डॉ. जे. सुरेश बाबू
मुख्यमंत्री	:	एन. बीरेन सिंह	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	मणिपुर

मेघालय

क्षेत्रफल	:	22,429 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	29.67 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	शिलांग	**मुख्य भाषा**	:	खासी, गारो तथा अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1970 को एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया। एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी, 1972 को अस्तित्व में आया। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय, जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'मेघों का आलय' यानी बादलों का घर, मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहां मुख्यतः खासी, जयंतिया और गारो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग, जिसमें खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, विशाल पठारी क्षेत्र हैं। इस इलाके में विस्तृत मैदान, पहाड़ियां और नदी घाटियां हैं। इस पठार के दक्षिणी इलाके में गहरे खड्ड तथा खड़ी ढलानें हैं और पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है।

कृषि

मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य है। यहां की लगभग 81 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य

रूप से खेती-बाड़ी पर निर्भर है। यहां की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहां काफी क्षमता है। शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहां अच्छी संभावनाएं हैं। चावल और मक्का यहां की मुख्य फसलें हैं। इनके अतिरिक्त मेघालय अपने संतरे (खासी मेंडेरियन), अनानास, केला, कटहल, आलूबुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है। नकदी फसलों तथा प्रचलित व परंपरागत ढंग से उगाई जाने वाली फसलों में आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, सुपारी, पान, टैपियोका, छोटे रेशे वाली कपास, पटसन और मेस्टा, सरसों और तोरिया शामिल हैं। इस समय गैर-परंपरागत फसलों जैसे तिलहनों (मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी), काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय और कॉफी, मशरूम, जड़ी-बूटियों, आर्किड और व्यावसायिक दृष्टि से उगाए जाने वाले फूलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वन

राज्य में कुल 9,49,56,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसमें आरक्षित, सुरक्षित, राष्ट्रीय उद्यान और श्रेणीहीन उद्यान आते हैं। मुख्य वन्य उत्पादन हैं- लकड़ी, बांस, ईख, झाड़ की डंडी, बेंत, औषधीय जड़ी-बूटियां और पौधे, इलायची और छप्पर घास। अजालीस तथा बुरुंश से खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां भरे हुए होते हैं। इन जंगलों में कई खूबसूरत ऑर्किड भी पाए जाते हैं। जयंतिया पहाड़ियों में कीट-पतंगों को खाने वाले अनोखे पिचर पौधे भी मिलते हैं। यह बोटेनिकल अजूबे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पौधे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जंगली साइटरस और बौना लिली जैसे दुर्लभ और रोचक पौधे भी यहां मिलते हैं।

वन्य जीव

मेघालय का वन्य जीवन बहुत ही समृद्ध है। यहां पर हाथी, भालू, बाघ, जंगली सुअर, तेंदुए, गोल्डन बिल्लियां, तेंदुआ बिल्लियां, जंगली बिल्लियां, विभिन्न प्रकार के हिरण, बिन्टुरान्गस, स्लो लोरिस, विभिन्न प्रकार के बंदर, सुनहरी लंगूर और हूलॉक, उड़ने वाली गिलहरी तथा विशालकाय गिलहरियां पाई जाती हैं। यहां पर बहुत ही दिलचस्प और दुर्लभ जाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे- हॉर्नबिल, तीतर, टील, स्नाइप, हंस, बतख और कोयल। इन सब की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं: नोकरेक और बालपकरम, और दो वन्य जीवन अभयारण्य हैं- नोंगखाइलम और सीजू।

उद्योग

राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कृषि रहित उद्योग सीमेंट है। चूना पत्थर की बहुतायत के कारण यहां अनेक सीमेंट प्लांट सक्रिय हैं। इसके अलावा, सेवा उद्योग, बेकरी, फर्नीचर निर्माण, लौह एवं इस्पात निर्माण, टायर पुनर्निर्माण आदि लघु उद्योग भी लगातार बढ़ रहे हैं। मेघालय उद्योग विकास संगठन छोटे उद्यमियों केो पंजीकरण करने ह प्रोत्साहित करता है, ताकि वह वित्तीय एवं लाभांश सहभागिता के आधार पर छोटे एवं लघु क्षेत्रों में उद्योग को मिलने वाले सहयोग और प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें।

रोचक स्थल

मेघालय में अनेक रमणीक पर्यटन स्थल हैं। राजधानी शिलांग में अनेक खूबसूरत स्थल हैं। वार्ड झील, फान नोंगलेत पार्क, उच्चस्तरीय पोलो मैदान, एलिफेंट फाल्स और शहर की ओर देखती शिलांग पहाड़ियां प्रमुख हैं। उमियम शिलांग से 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है और राज्य में प्रमुख पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान बना रहा है। इसी तरह शिलांग चोटी समुद्र तट से 1960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदर्श पिकनिक स्थल है और यह शहर से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भारी वर्षापात के लिए प्रसिद्ध सोहरा शिलांग से 56 कि.मी. पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी तरह शिलांग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित मॉसिनरम शिलांग-माफलांग-बलत मार्ग के एक ओर स्थित है। यहां सोहरा जितनी ही वर्षा होती है। जक्रेम जाना-माना हेल्थ रिजॉर्ट है, जहां सल्फर जल के स्रोत हैं। माना जाता है कि यहां से निकलने वाले जल में औषधीय तत्व होते हैं। यह शिलांग से 64 कि.मी. दूर है। रानीकोर शिलांग से 140 कि.मी. दूर है। यह स्थान रमणीक सौंदर्य से आच्छादित है। दावकी की दूरी शिलांग से 96 कि.मी. है। यह बेहद सुंदर पिकनिक स्पॉट है, जहां स्वच्छ जल धाराएं और गहरे पानी के स्रोत हैं। इसके एक ओर खासी की पहाड़ियां हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश पड़ता है।

परिवहन

पर्वतीय राज्य होने के कारण जिसकी 4/5 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, पर्याप्त सड़क नेटवर्क की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में रेल सेवा नहीं है और नदी परिवहन संभव नहीं है। अतः अधिकांश परिवहन का एक मात्र साधन सड़कें हैं।

सड़कें : मेघालय से छह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य में 9,350 कि.मी. लंबे मार्ग हैं। प्रत्येक 100 वर्ग कि.मी. का मार्ग घनत्व 41.69 कि.मी. है।

उड्डयन : राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा उमरोई में है, जो शिलांग से 35 किलोमीटर दूर है।

प्राकृतिक विशेषताएं

मेघालय के मध्य और पूर्वी हिस्से में पड़ने वाली खासी और जयंतिया पहाड़ियां, घास के मैदान, चोटियों और नदी-घाटियों के लुभावने पठार हैं। पठारों के दक्षिणी हिस्से में गहरी घाटियां और ऊंची-नीची जमीन है। इस ऊबड़-खाबड़ जमीन के अंत में संकरी मैदानी पट्टी है जो बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचती है।

मेघालय के पश्चिमी हिस्से में गारो पहाड़ियां अपेक्षाकृत छोटी हैं। गारो पहाड़ियों का सबसे ऊपरी हिस्सा ऊंचाई में 450 मीटर से 600 मीटर तक है और उत्तर में यह सीधा ब्रह्मपुत्र घाटी में और दक्षिण में बांग्लादेश के मैदानों में उतरती हैं। पश्चिमी मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, तूरा नगर के पूर्व में स्थित 1412 मीटर ऊंची नोकरेक चोटी है।

इस पहाड़ी राज्य में कई नदियां हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी नाव नहीं चलाई जा सकती। गारो पहाड़ियों में मंदा, दामरिंग और जंजीराम नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, जबकि गेनल पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। दक्षिण को बहने वाली सिमसांग है, जो कि गारो पहाड़ियों और भोगाई की सबसे बड़ी नदी है।
वेबसाइट: www.meghalaya.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	आर.एन. रवि	**मुख्य सचिव**	:	एम.एस. राव
मुख्यमंत्री	:	कोनराड कोंग्कल संगमा	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	मेघालय

मिज़ोरम

क्षेत्रफल	:	21,081 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	10.97 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	:	आईजॉल	**मुख्य भाषा**	:	मिज़ो, लुशाई और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

मिज़ोरम पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1987 में यह भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का एक जिला था। 1891 में ब्रिटिश कब्जे में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा- लुशाई हिल्स जिला और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिज़ोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी, 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्व और दक्षिण में म्यामां और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिज़ोरम सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है तथा इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है।

19वीं शताब्दी में यहां ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और इस समय तो अधिकांश मिज़ो लोग ईसाई

धर्म को ही मानते हैं। मिज़ो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। मिशनरियों ने मिज़ो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया।

कृषि

मिज़ोरम के 60 प्रतिशत लोग कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में लगे हैं। कृषि की मुख्य प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है। कुल क्षेत्र का 21 प्रतिशत धान/ मौसमी फसलों वाला क्षेत्र है। लगभग 63 प्रतिशत पर झूम खेती होती है। विनाशक और अनुत्पादक झूम खेती को बदलने के लिए राज्य सरकार ने नई भूमि उपयोग नीति लागू की है, जो सभी जिलों को कवर करती है। झूम खेती क्षेत्र 2014-15 के अंतर्गत घटकर 20,000 हेक्टेयर रह गया है, जो कि 11वीं योजना में 44,947 हेक्टेयर था। यह कमी 55.36 प्रतिशत की रही। झूम खेती में यह कमी एमएलयूपी, नारियल तेल विकास कार्यक्रम, गन्ना खेती कार्यक्रम, आरकेवीई एवं आरएडी को अमल में लाए जाने के कारण आई है।

बागवानी

वास्तविकता है कि आबादी के 60 प्रतिशत से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए भूमि आधारित गतिविधियों पर निर्भर करते हैं, यही कारण है कि मिज़ोरम की अर्थव्यवस्था में बागवानी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यहां की लाभप्रद कृषि जलवायु स्थिति, पहाड़ी इलाके वाली प्राकृतिक भू-संरचना और वर्षा ऋतु में सुविभाजित बारिश के चलते बागवानी एक स्थायी भूमि आधारित गतिविधि है, जिससे अर्थव्यवस्था की उन्नति होती है। अनुमानित 21 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6.30 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। बागवानी की मुख्य फसलें फल हैं। इनमें मैंडरिन संतरा, केला, सादे फल, अंगूर, हटकोरा, अनानास और पपीता आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहां एंथुरियम, बर्ड ऑफ पेराडाइज, आर्किड, गुलदाउदी, गुलाब तथा अन्य कई मौसमी फूलों की खेती होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च और बर्ड्स आई चिली भी उगाई जाती हैं। इजराइल की मेसर्स अर्गोस (एग्रीप्रोजेक्ट्स) के साथ चिती में बहुउद्देशीय पैकिंग हाउस स्थापित किया गया है।

पुष्पोत्पादन मिज़ोरम में फलता-फूलता पेशा है। प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में एंथूरियम की खेती शुरू की गई। आज मिज़ोरम एंथूरियम कट फूल देश के अन्य राज्यों और विदेशों में निर्यात हो रहा है। 2006 में हाईटेक ग्रीन हाउस के तहत गुलाब की व्यापारिक खेती शुरू की गई। अब लगभग 10,000 गुलाब के फूल रोज़ाना उगाए जा रहे हैं।

वन

मिज़ोरम देश में सबसे अधिक घने वन क्षेत्रों में से एक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2015 के अनुसार राज का 91.47 प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका है। कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, कटिबंधीय नम पर्णपाती, उपकटिबंधीय वृहदपर्णी हिल एवं उपकटिबंधीय चीड़ वृक्ष यहां आमतौर पर पाए जाते हैं। यहां के 31 प्रतिशत (6,446 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र में बांस की बहुतायत होती है। राज्य में बांस की 35 किस्में पाई जाती हैं, जिनमें 77 प्रतिशत में मेलोकना बेसिफेरा (मॉतक) किस्म के बांस पाए जाते हैं।

झूम की खेती प्राचीन परंपरा थी और यह वन क्षेत्र के लिए नुकसानदेह होती थी। राज्य में सरकार की नवीन भूमि उपयोग नीति के तहत हाल के दशकों में इस में कमी आई है। प्रति वर्ष वनरोपण और उनके रख-रखाव संबंधी गतिविधियों के चलते लोकप्रिय एवं असरकारी ग्रीन मिज़ोरम कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 4,700 हेक्टेयर वनरोपण किया गया है।

सिंचाई

राज्य की पहाड़ी प्रकृति के चलते सभी सिंचाई परियोजनाएं लघु परियोजनाएं हैं। मिज़ोरम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अनुसार कुल वेट राइस कल्टीवेशन क्षेत्र अनुमानित 74,644 हेक्टेयर है। अब तक 18,228 हेक्टेयर कमांड एरिया से 439 लघु परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो 18,228 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करती हैं।

उद्योग

अपनी स्थलाकृति तथा भौगोलिक स्थिति और कम विकसित ढांचा तथा परिवहन समस्याओं के कारण औद्योगिक

विकास धीमा है। हालांकि म्यामां और बांग्लादेश के साथ सीमा व्यापार खुलने और भारत सरकार की 'लुक/ एक्ट ईस्ट पॉलिसी' तथा राज्य में शांति के चलते भविष्य में औद्योगीकरण की रफ्तार तेज होने के आसार हैं।

राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में लघु उद्योग का विशेष स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को संवर्धन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 35 प्रशिक्षकों के साथ एक क्षेत्रीय औद्योगिक विकास निगम और दो सामान्य सुविधा केंद्र चला रही है।

चाय की वैज्ञानिक तरीके से खेती आरंभ की गई है। निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों (ईओयूज) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अपेरल प्रशिक्षण तथा डिजाइन केंद्र तथा रत्नों की कटाई तथा पॉलिश करने की इकाइयां लगाने की योजना है। कुटीर उद्योगों में हथकरघा तथा हस्तशिल्प को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा ये दोनों क्षेत्र मिज़ोरम तथा इसके पड़ोसी राज्यों- मेघालय तथा नगालैंड में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए फल-फूल रहे हैं।

बिजली

मिज़ोरम की कुल बिजली आवश्यकता 201 मेगावाट है और उसे 103.09 मेगावाट ऊर्जा आवंटित (आमतौर पर वास्तविक समय में ऊर्जा प्राप्यता 60 मेगावाट रहती है) होती है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत 280 किलोवाट है। वर्तमान जरूरत 102 मेगावाट है, परंतु राज्य 29.35 मेगावाट उत्पादन स्टेशनों से केवल 15 मेगावाट ऊर्जा ही बना पाता है। एनईईपीसीओ, एनएचपीसी, एनटीपीसी जैसी केंद्रीय इकाइयों के रंगनदी स्थित लोकतक जैसे विभिन्न स्रोतों से शेष आवश्यकता हेतु ऊर्जा आयात की जाती है।

परिवहन

सड़कें : सड़कें राज्य के भीतर, राज्य से बाहर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार संचार, परिवहन, यात्रियों और सामान ढोने का साधन हैं। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 6,349.60 कि.मी. है और सड़क घनत्व 3,00,012 कि.मी. प्रति 100 वर्ग कि.मी. है। छह राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से गुजरते हैं। एनएच-54 आईजॉल को सिल्चर के जरिए बाकी देश से जोड़ता है। आईजॉल अब शिलांग और गुवाहाटी से भी जुड़ा है।

रेल : असम सीमा के पास मिज़ोरम के बैराबी में ब्रॉड गेज रेल लिंक स्थापित की गई है।

उड्डयन : लेंगपुई हवाई अड्डे तक कोलकाता, इंफाल और गुवाहाटी से उड़ाने पहुंचती हैं। आईजॉल को लेंगलेई, ल्वांगतलाई, सेहा, चांगते, सेरछिप, चम्फाई, कोलासिब, ख्वाजोल, ममित और हनाथियल तक आंतरिक हेलिकॉप्टर सेवा भी जोड़ती है।

त्योहार

मिज़ो लोग मूलतः किसान हैं। अतः उनकी तमाम गतिविधियां तथा त्योहार भी झूम खेती से ही जुड़े हैं। त्योहार के लिए मिज़ो शब्द 'कुट' है। मिज़ो लोगों के विभिन्न त्योहारों में से आजकल केवल तीन मुख्य त्योहार 'चपचार कुट', 'मिम कुट' और 'थालफवांग कुट' मनाए जाते हैं।

पर्यटन स्थल

मिज़ोरम प्रचुर वानस्पतिक दृश्यावली और मनभावन जलवायु वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से लगभग 3,715 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आईजॉल, मिज़ोरम का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यामां की सीमा के निकट चम्फाई एक सुंदर पर्यटन स्थल है। ताम दिल एक प्राकृतिक झील है, जहां मनोहारी वन हैं। यह आईजॉल से 76 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सैतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वानतांग जलप्रपात मिज़ोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है। यह थेनजोल कस्बे से पांच किलोमीटर दूर है, जो हथकरघा का प्रमुख क्षेत्र है। वानतांग से दो किलोमीटर की दूरी पर विचित्र और खूबसूरत जलप्रपात तुरीहियाऊ है। फांगपुई इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यह 2,157 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और पर्वतारोहियों के लिए बड़ा आकर्षण है। आईजॉल से 30 कि.मी. की दूरी पर रेइक चोटी भी है। पुराने मिज़ो गांव की तर्ज पर ही आईजॉल से 24 कि.मी. दूर फाकुआइन में एक गांव स्थापित किया गया है। मईफांग तलांग और कियालसुक तलांग आईजॉल से क्रमशः 50 और 66 कि.मी. दूर

हैं और प्रमुख पर्यटन आकर्षण हैं। पर्यटन विभाग ने राज्य में सभी बड़े कस्बों में पर्यटक आवास गृह तथा अन्य कस्बों में राजमार्ग रेस्तरां तथा यात्री सरायों का निर्माण किया है। जोबौक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तिलिंग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं। रेइक त्लांग में मिज़ो गांव और आधुनिक मिज़ो गांव रिजॉर्ट बनाए गए हैं।
वेबसाइट: www.mizoram.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	पी.एस. श्रीधरन पिल्लई	**मुख्य सचिव**	:	पू लालनूनमोइया चुआंगू
मुख्यमंत्री	:	जोरामथंगा	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मिज़ोरम में न्यायालय की एक खंडपीठ है।

नगालैंड

क्षेत्रफल	:	16,579 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	19.79 लाख (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	कोहिमा	**मुख्य भाषाएं**	:	अंग्रेजी, हिंदी, 16 आदिवासी बोलियां, नागामी

इतिहास और भूगोल

नगालैंड 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। यह राज्य पूर्व में म्यामां, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। यह पूर्व में 98° तथा 96° देशांतर तथा भूमध्य रेखा के उत्तर में 26.6° तथा 27.4° अक्षांश के बीच बसा हुआ है।

नगा लोग भारतीय-मंगोल वर्ग के लोगों में से हैं, जो भारत की उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों से सटे क्षेत्रों और पश्चिमी म्यामां के ऊपरी भाग में रहते हैं। नगालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं: अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खिआमनीउंगन, कुकी, कोन्याक, कचारी लोथा, फौम, पोचुरी, रेंग्मा, संगताम, सुमी, यिमचुंगरू और जेलिआंग। नगा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी-कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है। तथा इन्हें तिब्बत-बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है।

बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में इन लोगों का आज के असम के अहोम लोगों से धीरे-धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन-सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह नगा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र कहलाया। यह जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में इसका नाम बदलकर 'नगालैंड' रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन दिसंबर, 1963 को हुआ।

कृषि

नगालैंड मूलतः कृषि की भूमि है। लगभग 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चावल यहां का मुख्य भोजन है। कुल क्षेत्र के 70 प्रतिशत में धान की खेती होती है और राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 75 प्रतिशत चावल है। यहां मुख्यतः 'स्लैश' और 'बर्न' खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। कुल कृषि क्षेत्र 7,21,924 हेक्टेयर है।

वन

कुल 16,579 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में से करीब 8,62,9.30 हेक्टेयर क्षेत्र में वन हैं। पेरेन जिले में इंतंकी राष्ट्रीय

उद्यान, तुएनसांग जिले में फाकिम, दीमापुर जिले में रंगापहाड़ और मोन जिले में सिंघफैन वन्य जीव अभयारण्य तथा दीमापुर जिले में प्राणी उद्यान है।

बिजली

राज्य में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता मात्र 27.84 मेगावाट है, जबकि मांग 95 मेगावाट है। अधिकतर बिजली केंद्रीय बिजली आवंटन क्षेत्र से मिलती है।

सिंचाई

राज्य सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, ताकि मुख्यतः पहाड़ी झरनों की धारा मोड़कर घाटी में धान की खेती की सिंचाई में काम आए और 82,150 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सके।

परिवहन

दीमापुर देश से हवाई और रेल यातायात से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 दीमापुर से वाया कोहिमा मणिपुर तक जाता है। शेष राज्य केवल सड़कों से ही जुड़ा हुआ है, जिनकी कुल लंबाई 24,709 किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 61 तथा राज्य राजमार्ग भी शामिल हैं। राज्य सभी जिला मुख्यालयों से डाक सेवाओं, टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

पर्यटन

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) में ढील देने से राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आना-जाना शुरू हो गया है, अतः यहां देशी-विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष बड़ी संख्या में आते हैं।

पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में 'हॉर्नबिल' उत्सव आयोजित करता है, जिसमें राज्य की सभी जनजातियां एक जगह आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती तथा बेचती हैं। तीन पारंपरिक उत्सवों-कोहिमा जिले के तोउफेमा में सेकरेन्यी (फरवरी); लोंगलेंग उपमंडल के पोंगो में मोन्यू (अप्रैल) तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलांग में मोआत्सु (मई) की उत्सव गंतव्यों के रूप में पहचान की गई है।

संगीत और नृत्य नगा जनजीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोकगाथाएं पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच-गाना और उल्लास होता है। विभिन्न आदिवासी समूह तथा उनके त्योहार हैं:- अंगाम सेकरेन्यो, चाखेसांग-सुख्खन्ये तथा त्सुखेन्ये, चांग-नाकन्युलेम, खियाम्नियुंगन त्सोकुम, कुकी-मिमकुट, कोन्यक-आओलियांग मोन्यु, कछारी-बुशु, लोथा-तोखू, फोम-मोन्यु, पोचुरी येमशी, रेम्मा-नगदा, सुमी-तुलनी, संगतम-एमोंगमोंग, यिमचंगू-मितिमिन्यो, जेलियांग-मिलिंगी/ हेगा लेंग्सिंम्गी/ चेगागड़ी आदि।

उद्योग

राज्य में 17 सिट्रोनेला प्रदर्शन फार्म (जिसे आर्थिक संयंत्र कहा जाता है) हैं। ये राज्यभर में स्थापित किए गए हैं। नगालैंड हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, दीमापुर राज्य के स्वामित्व वाला निगम संगठन है, जिस पर राज्य में हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन तथा विपणन का दायित्व है। गणेशनगर, दीमापुर में एक औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि उद्यमियों तथा शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को उद्योगों के संवर्धन देने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
वेबसाइट: www.nagaland.gov.in

सरकार

राज्यपाल	**:**	आर.एन. रवि	**मुख्य सचिव**	**:**	तालितेमजे तोय
मुख्यमंत्री	**:**	निफियू रियो	**उच्च न्यायालय**	**:**	नगालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ओडिशा

क्षेत्रफल	**:**	1,55,707 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	**:**	41,947.358 (जनगणना 2011)
राजधानी	**:**	भुवनेश्वर	**मुख्य भाषा**	**:**	ओडिया

इतिहास और भूगोल

ओडिशा का इतिहास प्राचीन काल तक फैला है, जब इसे कलिंग, उत्कल और ओद्रा नामों से जाना जाता था। महावीर और बुद्ध के समय में समूचे पूर्वी तट पर कलिंग क्षेत्र की पहचान और प्रसिद्धि थी। प्राचीन काल में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर हमला अद्वितीय घटना थी, जिसके व्यापक असर रहे थे। कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली गई थी, परंतु विजय ने सम्राट का हृदय परिवर्तन कर दिया था। सम्राट अशोक के इस हृदय परिवर्तन ने न केवल भारतीय, बल्कि समूचे एशिया के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की दिशा को बदल डाला था। ओडिशा के इतिहास का अगला स्वर्णिम काल महामेघवाहन खारवेल के शासनकाल को कहा जाता है, जिन्होंने दूसरी सदी ईसवी के पूर्वार्द्ध में यहां शासन किया। कलिंग पर खारवेल का शासन उत्तर में गंगा नदी तक और दक्षिण में गोदावरी तक फैला था। इसी तरह परवर्ती राजवंशों में शैलोद्वाबस, भौमकरा, सोमवंशियों और गंगों ने न केवल महान साम्राज्यों की स्थापना की, बल्कि वह कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षक और प्रोत्साहक भी थे। कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की स्थापना तेरहवीं सदी में नरसिंह देव के राज में हुई थी और पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बारहवीं सदी में अनंगभीम देव के शासनकाल में बना तथा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ग्यारहवीं सदी के जजाति द्वितीय ने बनवाया था। सोलहवीं सदी के मध्य से 1592 तक ओडिशा पर तब पांच मुस्लिम शासकों का भी राज रहा, जब अकबर ने इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ओडिशा पर मराठों का कब्जा हो गया और 1803 में इस पर अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ।

आधुनिक ओडिशा की नींव 1936 में पड़ी थी। भगवान जगन्नाथ की यह भूमि बंगाल की खाड़ी से लगती है और इसके उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश हैं। इसका विविध भूदृश्य तटवर्ती मैदानों, पहाड़ी दर्रों, पठारों, सब्ज नदी घाटियों और झरनोंंजल स्रोत, झीलों त विविधरूपी जंगलों से अटा है।

कृषि

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के 2012-13 के सर्वेक्षण के अनुसार 2002-03 के सर्वेक्षणों की अपेक्षा कृषि से आय दोगुनी हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रभावी विस्तार और उत्पादन क्षमता, फसल कटाई उपरांत के समाधान, असरकारी मूल्य संवर्धन और लाभकारी बाजार विकल्पों के आधार पर स्थायी कृषि नीतियों के चलते किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया है।

राज्य सरकार ने 'बीजू कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत कृषि समुदाय के एक लाख से पांच लाख सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा दी गई है। राज्य देश भर में शकरकन्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और समूचे देश के उत्पादन का 30 प्रतिशत यहां से आता है। काजू उत्पादन में भी राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। आम की कलम बांधने में भी ओडिशा अग्रणी है और इस क्षेत्र में उत्पादन 23.85 लाख से बढ़कर 54.56 लाख तक पहुंच गया है। पिछले पांच वर्षों में 85,200 मी. टन क्षमता वाले 19 नए कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं। 2018-19 के दौरान टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन, संसाधन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार की गई है।

सिंचाई

ओडिशा मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यहां जोती जाने वाली भूमि लगभग 87.46 लाख हेक्टेयर है, जिसमें

से 18.79 लाख पर सिंचाई होती है। मौसम कई तरह की फसलों के लिए लाभकारी रहता है जिसमें प्रमुख हैं- चावल, दालें, तिलहन, पटसन, गन्ना, नारियल और हल्दी। राज्य सरकार ने किसानों की सिंचाई जरूरतों को देखते हुए मेगा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, डीप बोर वेल निर्माण कार्यक्रम और चेक डैम निर्माण योजनाओं की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2019 के अंत तक अतिरिक्त 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि को जोड़ना है। अपर इंद्रावती लिफ्ट नहर व्यवस्था में पार्वती गिरि मेगा लिफ्ट इरिगेशन वर्क के अंतर्गत 171 मेगा लिफ्ट योजनाओं को जोड़ा गया है।

उद्योग

राज्य में अधिकांश बड़े उद्योग खनिज आधारित हैं, जबकि यहां देश के लौह अयस्क का 25 प्रतिशत रिजर्व है। हालिया वर्षों में राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में भारी विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ओडिशा का देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में अग्रणी स्थान है और देश में निर्माण संबंधित निवेश आकर्षित करने में इसका स्थान पहले तीन में है। देश में औद्योगिक परियोजनाओं को अमल में लाने में भी राज्य सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। स्थायी औद्योगिक विकास, नवीकरण को प्रोत्साहन, उद्योग पक्षीय नीति और समावेशी ढांचे के कार्यान्वयन में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

परिवहन

सड़कें: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचनात्मक ढांचे को विकसित करने और सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं अमल में ला रही है। 2017-18 के दौरान बीजू सेतु योजना, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 8,000 किलोमीटर लंबे ग्रामीण मार्गों और उन पर 145 पुलों को बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। सरकार ने सड़क निर्माण में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। औसतन, प्रति दिन लोक निर्माण विभाग 2.1 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करता है और इस वर्ष विभाग ने 20 बड़े पुलों का निर्माण किया है। वर्ष 2000 से 343 पुलों, नौ रोड ओवर ब्रिज, तीन फ्लाईओवर तैयार हो चुके हैं तथा 13,090 किलोमीटर सड़क का सुधार कार्य हो चुका है।

रेलवेः सरकार राज्य में रेल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। पहली बार मलकानगिरी और नबरंगपुर जिलों में रेल पहुंचाने के लिए 130 किलोमीटर लंबे जेपुर-मलकानगिरी और 38 किलोमीटर लंबे नबरंगपुर-जेपुर नामक दो परियोजनाओं पर रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 32 किलोमीटर लंबी पुरी-कोणार्क रेलवे परियोजना के निर्माण और 50 प्रतिशत भूमि आवंटन का भी प्रस्ताव रखा है।

बंदरगाह: भारत सरकार द्वारा 1966 में पारादीप बंदरगाह को देश के आठवें सबसे बड़े बंदरगाह के तौर पर घोषित किया गया था। स्वतंत्र भारत में यह ओडिशा में पहला और पूर्वी तट पर पहला प्रमाणित बंदरगाह है। 480 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा वाले ओडिशा में 13 छोटे बंदरगाहों के लायक भी स्थान हैं। यह स्थान हैं- गंजम जिले के गोपालपुर, बेहुदा मूहन और पलूर, पुरी जिले के बालिहरचंडी और अष्टरंगा, जगतसिंहपुर जिले का जटाधर मूहन, बालासोर जिले के इंचरी, चंडीपुर, बहाबलपुर, किर्तनिया और विचित्रपुर (तालासरी) तथा भद्रक जिले के धामरा और चूड़ामणि। ओडिशा सरकार पारादीप के निकट महानदी में तटीय नौपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक नदी बंदरगाह को विकसित करने के भी प्रयास कर रही है।

ओडिशा में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) की व्यापक संभावना है, परंतु छोटा नेटवर्क है। दूरदराज के क्षेत्रों में यात्री सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जहां यातायात के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन उपलब्ध कराया जाता है।

उड्डयनः उतकेला और जेपुर हवाई पट्टियों पर आरसीएस-उड़ान योजना को अमल में लाने के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं। झारसुगुडा हवाई अड्डा अब पूरी तरह विकसित किया जा चुका है।

बिजली

आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बड़ी शक्ति होती है, चाहे वह कोयला, तेल और गैस के रूप में हो या पनबिजली ऊर्जा और जैव ईंधन या उसके द्वारा प्राप्त बिजली के रूप में हो। चौबीस घंटे आमजन को सस्ती दरों पर गुणवत्तापरक और

अबाध ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने संवर्द्धित विद्युत उत्पादन के लिए एक व्यापक नीति विकसित की है।

पर्यटन

ओडिशा पर्यटकों के लिए आदर्श स्थल है, जहां अलग-अलग रुचियों और पसंद के अनुसार विभिन्न तरह के अवसर उपलब्ध हैं। चंडीपुर के रेतीले समुद्रतट, गोपालपुर का नीला सागर, कोणार्क और पुरी के सुनहरी तट, तालासारी तट के रेड क्रैब्स, पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का ओडिशा के तटीय क्षेत्र के बीच में स्थित है। चिल्का झील एक पारिस्थितिक अजूबा है, जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा में स्थित महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है। इसे रामसार स्थल भी कहा जाता है और यह स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकणिका दूसरा सबसे बड़ा मैन्ग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। 672 वर्ग कि.मी. के इस वन्यजीव अभयारण्य के 175 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को 1998 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। यह केंद्रापारा जिले में स्थित है। भीतरकणिका देश के सबसे अद्‌भुत वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में से है। यहां विशुद्ध मैन्ग्रोव वृक्ष और जलीय क्षेत्र हैं। यहां मैन्ग्रोव की 71 किस्में और संबंधित नस्लें, सरीसृपों की 35 प्रजातियां, पक्षियों की 297 किस्मों की जैव विविधता संरक्षित है। मध्य एशिया और यूरोप से शीतकाल के दौरान भी बड़ी संख्या में पक्षी यहां आते हैं। धब्बेदार हिरण, सांबर, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, साही और ऊदबिलाव आदि जैसे स्तनधारियों की 26 किस्में भी यहां पाई जाती हैं।
वेबसाइट: www.odisha.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	प्रो. गणेशी लाल	**मुख्य सचिव**	:	असित कुमार त्रिपाठी
मुख्यमंत्री	:	नवीन पटनायक	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	ओडिशा

पंजाब

क्षेत्रफल	:	50,362 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	2,77,43,338 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चंडीगढ़	**मुख्य भाषा**	:	पंजाबी

इतिहास और भूगोल

प्राचीन पंजाब किसी जमाने में विस्तृत भारत-ईरानी क्षेत्र का हिस्सा रहा है। बाद के वर्षों में यहां मौर्य, यूनानी, शक, कुषाण, गुप्त जैसी अनेक शक्तियों का उत्थान और पतन हुआ। मध्यकाल में पंजाब मुसलमानों के अधीन रहा। सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोदी और मुगल वंशों का पंजाब पर अधिकार रहा। पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में पंजाब के इतिहास ने नया मोड़ लिया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से यहां भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। सिख पंथ ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में संगठित किया तथा उन्हें सदियों के दमन और अत्याचार के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज की स्थापना की। एक फारसी लेखक के शब्दों में, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को 'मदम कदा' अर्थात् नरक से 'बाग-ए-बहिश्त' यानी स्वर्ग में बदल दिया। किंतु उनके देहांत के बाद अंदरूनी साजिशों और अंग्रेजों की चालों के कारण पूरा साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। अंग्रेजों और सिखों के बीच दो निष्फल युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के आगमन से बहुत पहले ही पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष सुधारवादी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा। देश की आजादी के बाद भी पंजाब के कष्टों का अंत नहीं हुआ और उसे विभाजन की विभीषिका का

सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात तथा विस्थापन हुआ। विस्थापित लोगों के पुनर्वास के साथ-साथ राज्य को नए सिरे से संगठित करने की भी चुनौती थी।

पूर्वी पंजाब की आठ रियासतों को मिलाकर नए राज्य 'पेप्सू' अर्थात् पूर्वी पंजाब राज्य संघ-पटियाला का निर्माण किया गया। पटियाला को इसकी राजधानी बनाया गया। 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया और चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बनाया गया। बाद में 1966 में पंजाब से कुछ हिस्से निकालकर हरियाणा बनाया गया। पंजाब देश के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर-पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान हैं।

कृषि

हरित क्रांति के स्वर्णिम दिनों में पंजाब कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वाला अग्रणी राज्य रहा है। वर्ष 1971-72 से वर्ष 1985-86 तक राज्य में कृषि विकास की दर 5.7 प्रतिशत रही, जो इस अवधि में दर्ज अखिल भारतीय विकास दर 2.31 प्रतिशत का लगभग दोगुना है। अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पंजाब ने ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की कि गेहूं के बाद धान (चावल) के क्षमता से अधिक उत्पादन के चलते भारत ने स्वयं को पीएल 480 खाद्य सहायता और उसके राजनैतिक दंश से मुक्त कर पाने में सफलता पाई। देश के लिए बहुत जरूरी खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में पंजाब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसके बाद राज्य की कृषि विकास दर में कमी आई और वर्ष 1986-87 से लेकर वर्ष 2004-05 तक राज्य के अन्न उत्पादन की दर घट कर लगभग तीन प्रतिशत हो गई, जो अखिल भारतीय कृषि विकास दर के बराबर थी। पंजाब में कृषि उत्पादन और उससे होने वाले लाभ अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। राज्य में लगभग 42 लाख हेक्टेयर कृषि उत्पादन योग्य भूमि उपलब्ध है, जो पूरे देश के बुवाई क्षेत्र का लगभग तीन प्रतिशत है। यहां देश में उपजने वाले गेहूं का लगभग 17.8 प्रतिशत और धान (चावल) का 11.3 प्रतिशत उगता है। पिछले चार दशकों में राज्य से केंद्रीय खाद्य पूल में देश के कुल उत्पादन का 25-50 प्रतिशत चावल और 38-75 प्रतिशत गेहूं दिया गया है। 5183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज के साथ राज्य गेहूं उत्पादकता के क्षेत्र में विश्व में चौथे स्थान पर है, जबकि भारत में अन्य राज्यों की तुलना में इसका पहला स्थान है। चावल उत्पादन के क्षेत्र में देश चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है।

बागवानी

बागवानी पंजाब में उच्च लाभांश वाला क्षेत्र है। राज्य में केवल चार प्रतिशत कुल फसल वाले क्षेत्र के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी की फसलें कुल कृषि उत्पाद में लगभग 10.5 प्रतिशत का योगदान देती हैं।

सिंचाई

राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग (पहले का सिंचाई विभाग) के अंतर्गत वर्ष 2017 में अलग से भूजल प्रबंध निदेशालय की स्थापना की है। ताकि राज्य में भूजल संसाधनों का उचित, समान और दीर्घकालीन तरीके से संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन करने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नीतियां, कार्यक्रम और रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और जल संरक्षण के उद्देश्य को समझते हुए सतह पर उपलब्ध जल स्रोतों का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

पंजाब में नहरों से सिंचाई के लिए 14,500 कि.मी. लंबा नहरी आधारभूत ढांचा बनाया गया है। इसके माध्यम से 30.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। भारत सरकार के सिंचाई कार्य के अंतर को पाटने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 12 योजनाओं का चयन किया गया है, जिनके माध्यम से नहरों की प्रणाली में खामियों को सुधारना प्रस्तावित है।

पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की मुख्य संस्था पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने 1607.55 मेगावाट क्षमता की एनआरएसई विद्युत परियोजना शुरू की है, जिसमें से 935 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर ली गई है। इस पहल से लगभग 14,500 युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है।

परिवहन

परिवहन विभाग ने 32 स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का निर्माण किया है, जहां किसी भी अभ्यर्थी को ड्राईविंग लाइसेंस जारी किए जाने से पहले योग्यता की परीक्षा के लिए जाना अनिवार्य है। सभी 22 जिलों के जिला मुख्यालय में एक-एक टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है।

विभाग ने हाल में ही एक सड़क सुरक्षा कोष भी बनाया है, जिसमें सड़क सुरक्षा उपायों के लिए पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त सभी तरह के शुल्कों की धनराशि का 50 प्रतिशत उपलब्ध रहेगा। सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है और पंजाब उन कुछ राज्यों में से एक है, जहां ऐसा किया गया है। राज्य ने सड़क सुरक्षा के लिए एक अत्यधिक कारगर परिवहन योजना अधिसूचित की है, जिसके द्वारा राज्य में चल रहे सभी तरह के वाहनों में सड़कों पर सुरक्षा के लिए आरएफआईडी और जीपीएस उपकरण लगाना पड़ेगा।

नागरिक उड्डयन

पंजाब में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर (राजासांसी) और मोहाली में हैं। राज्य में चार घरेलू हवाई अड्डे-लुधियाना, पठानकोट, भटिंडा तथा आदमपुर में हैं।

मेले और त्योहार

राज्य में एक नयी सांस्कृतिक नीति तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन स्थलों के बारे में फिर से लोगों को जागरूक करना और राज्य के अत्यधिक प्रतिभावान युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाना है। सांस्कृतिक और पर्यटन नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य पंजाब राज्य में मौजूद विभिन्न ऐतिहासिक शाही महलों, सरायों, गुरुद्वारों और स्मारकों की अपार पर्यटन संभावनाओं का दोहन करना और सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के साथ ही राज्य के युवाओं को अपने वैभवशाली ऐतिहसिक और सांस्कृतिक अतीत से जोड़ना है।

दशहरा, दीवाली, होली के अतिरिक्त मुक्तसर में माघी मेला, किला रायपुर में ग्रामीण खेल, पटियाला का बसंत, आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला, तलवंडी साबो में बैसाखी, सरहिंद में रौजा शरीफ का उर्स, छप्पर में छप्पार मेला, फरीदकोट में फरीद आगमन पर्व, गांव राम तीरथ में राम तीरथ मेला, सरहिंद में शहीदी जोड़ मेला, जालंधर में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, बाबा सोदल प्रमुख मेले और त्योहार हैं। इनके अतिरिक्त अमृतसर, पटियाला, कपूरथला में भी प्रति वर्ष तीन पारंपरिक मेले आयोजित किए जाते हैं और यह पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं।
वेबसाइट: www.punjab.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	वी.पी. सिंह बदनोरे	**मुख्य सचिव**	:	करण अवतार सिंह
मुख्यमंत्री	:	कैप्टन अमरिंदर सिंह	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	पंजाब और हरियाणा

राजस्थान

क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किलोमिटर	**जनसंख्या**	:	6.86 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	जयपुर	**मुख्य भाषाएं**	:	हिंदी और राजस्थानी

इतिहास और भूगोल

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आजादी से पहले यह क्षेत्र एक योद्धा समुदाय, जिसने सदियों तक इस क्षेत्र पर राज किया, के नाम पर राजपूताना या राजपूत कहलाता था। राजस्थान का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। ईसा पूर्व 3,000 से 1,000 के बीच यहां की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी

। सातवीं शताब्दी में यहां चौहान राजपूतों का प्रभुत्व बढ़ने लगा और बारहवीं शताब्दी तक उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चौहानों के बाद इस योद्धा जाति का नेतृत्व मेवाड़ के गहलोतों ने संभाला। मेवाड़ के अलावा जो अन्य रियासतें ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख रहीं, वे हैं- मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर और अलवर। अन्य सभी रियासतें इन्हीं रियासतों से बनीं। इन सभी रियासतों ने 1818 में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि स्वीकार कर ली, जिसमें राजाओं के हितों की रक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन इस संधि से आम जनता स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थी।

1857 के विद्रोह के बाद लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। 1935 में अंग्रेजी शासन वाले भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के बाद राजस्थान में नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन और तेज हो गया। 1948 में इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1956 में राज्य में पुनर्गठन कानून लागू होने तक जारी रही। सबसे पहले 1948 में मत्स्य संघ बना, जिसमें चंद राज्यों के हिस्से थे, लेकिन धीरे-धीरे अन्य राज्य भी इस संघ में आकर मिलने लगे। 1949 तक बीकानेर, जयपुर, जोधपुर तथा जैसलमेर जैसे राज्य भी इस संघ से जुड़ गए और यह क्षेत्र वृहत राजस्थान संयुक्त राज्य (यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान) बन गया। अंततः 1950 में वर्तमान राजस्थान औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका और सुनेल तप्पा भी शामिल हो गए।

राज्य का पूरा पश्चिमी भाग पाकिस्तान से सटा हुआ है, उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है।

कृषि

राज्य के कुल अनुमानित बुवाई क्षेत्र 241.21 लाख हेक्टेयर में मुख्य फसलें हैं- चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों और संतरा तथा माल्टा जैसे नींबू प्रजाति के फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। लाल मिर्च, सरसों, मेथी और जीरा व्यावसायिक फसलें हैं।

उद्योग

राजस्थान सांस्कृतिक रूप में समृद्ध होने के साथ-साथ खनिजों के मामले में भी समृद्ध रहा है और अब देश के औद्योगिक परिदृश्य में भी तेजी से उभर रहा है। राज्य के प्रमुख केंद्रीय प्रतिष्ठानों में देवारी (उदयपुर) और चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट, खेतड़ी नगर (झुंझनूं) में हिंदुस्तान तांबा संयंत्र, सांभर (जयपुर) में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, अजमेर में एचएमटी लिमिटेड और कोटा में प्रिसीज़न इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री शामिल है। मुख उद्योग हैं : वस्त्र, ऊनी कपड़े, इंजीनियरिंग के समान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑटोमोबाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं गहने, संगमरमर के स्लैब एवं टाइलें, कांच और सिरामिक, सीमेंट, ऑक्सीजन, जस्ता, उर्वरक, रेल के डिब्बे, बॉल बियरिंग, पानी व बिजली के मीटर, टेलीविजन सेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक धागे, हस्तशिल्प की वस्तुएं, स्टेनलेस स्टील, रि-रोलिंग, स्टील फाउंड्री तथा तापरोधी ईंटें आदि। बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्नों के अलावा कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बाइड, नाइलोन तथा टायर आदि अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां हैं।

राजस्थान में जिंक, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, चांदी, अभ्रक, धातु विशेष और अभ्रक के प्रचुर भंडार हैं। राज्य से भारी मात्रा में निर्यात भी होता है, इसीलिए निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक उद्यान की स्थापना सीतापुरा (जयपुर), बोरांडा (जोधपुर) में की गई है और उसे चालू भी कर दिया गया है। निर्यात को संवर्द्धन देने के लिए इन्लैंड कंटेनर डिपो जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर और भिवाड़ी (अलवर) में स्थापित किए गए हैं। सीतापुरा में रत्न और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक जोन और बोरांडा (जोधपुर) में हस्तकला के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। जयपुर में पीपीपी मॉडल में बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (जोन) महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी भी स्थापित की गई है।

खनिज

राजस्थान देश में खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है। राज्य के पास खान और खनिज के क्षेत्र में एक गौरवशाली विरासत है और खनिज संपदा के संबंध में झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य को

खनिजों का संग्रहालय के रूप में सम्मानित किया गया है, जहां पर धातु और गैर-धातु दोनों खनिज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध इमारत का पत्थर और रेडियो एक्टिव खनिज, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के संसाधन भी पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण खनिज जिनका नाम शुरू से इस राज्य से जुड़ा हुआ है, वे हैं- अलौह धातु जैसे सीसा, जस्ता, तांबा और फेरोमैगनीशियन धातु जैसे कि टंगस्टन, बहुत से औद्योगिक खनिज और विभिन्न प्रकार के आयामी एवं सजावटी पत्थर पाए जाते हैं। यहां 79 खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से 57 का वाणिज्यिक उत्पादन होता है। वर्तमान में राज्य वोलास्टोनाइट, सीसा-जस्ता, कैलसाइट तथा सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक है। चांदी, संगमरमर, कैडमियम, बॉल क्ले, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, फेल्डसपार का राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न रंगों के पत्थर जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन तथा कोटास्टोन की न केवल देश, बल्कि विदेश में भी भारी मांग है। पश्चिमी राजस्थान में तेल तथा प्राकृतिक गैस के स्रोत पता लगने के बाद राज्य का कच्चा तेल उत्पादक के रूप में बांबे हाई के बाद दूसरा स्थान हो गया है।

भारत के 85 प्रतिशत से भी अधिक वोलास्टोनाइट, पोटाश, सीसा-जस्ता तथा चांदी के संसाधन राज्य में है। राज्य में देश के कुल संसाधनों में से पोटाश (94 प्रतिशत), सीसा-जस्ता अयस्क (89 प्रतिशत), वोलास्टोनाइट (88 प्रतिशत), चांदी अयस्क (87 प्रतिशत), जिप्सम (82 प्रतिशत), फुलर्सअर्थ (74 प्रतिशत), डायटोमाइट (72 प्रतिशत), फेल्डस्पार (66 प्रतिशत), मारबल (64 प्रतिशत), एस्बेस्टेस (61 प्रतिशत), तांबा अयस्क (50 प्रतिशत), कैलसाइट (50 प्रतिशत), पाउडर साबुन का पत्थर (49 प्रतिशत), ग्रेनाइट (42 प्रतिशत), बॉल-क्ले (38 प्रतिशत), रॉक फॉस्फेट (30 प्रतिशत), फ्लोराइट (29 प्रतिशत), टंगस्टन अयस्क (27 प्रतिशत), लेटेराइट (26 प्रतिशत), स्वर्ण अयस्क (प्राथमिक) (23 प्रतिशत), माइका (21 प्रतिशत) तथा चीनी मिट्टी (16 प्रतिशत) है।

बिजली

राज्य में स्थापित बिजली 15,986.87 मेगावाट तक पहुंच गई, जिसमें 5,357.35 मेगावाट राज्य की परियोजनाओं से, 853.44 मेगावाट समन्वित परियोजनाओं से तथा 2,803.47 मेगावाट केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त की गई। पवन, सौर तथा जैविक परियोजनाओं से 3,916.61 मेगावाट और 3,056 मेगावाट निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से प्राप्त हुई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

यह योजना छह जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही तथा उदयपुर) में लागू की गई। द्वितीय चरण में छह जिलों (बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाई माधोपुर तथा टोंक) में लागू की गई। तीसरे चरण में यह योजना राज्य के बाकी जिलों में लागू कर दी गई।

परिवहन

सड़कें: राजस्थान में सड़कों की अनुमानित कुल लंबाई 2,07,019 कि.मी. है।

रेलवे: जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर राज्य के प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं। राज्य में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 5,871.65 कि.मी. है, जिसमें 4,801.18 कि.मी. ब्रॉड गेज, 983.71 कि.मी. मीटर गेज तथा 86.76 कि.मी. छोटी लाइन शामिल हैं।

जयपुर मेट्रो: जयपुर शहर में जयपुर मेट्रो एक तेज रफ्तार आवागमन प्रणाली है। जून, 2015 में इसने चांदपोल और मानसरोवर के बीच वाणिज्यिक सेवा शुरू की। कोलकाता, दिल्ली-एनसीआर, बंगलुरु, गुरुग्राम तथा मुंबई के बाद यह देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। यह भूतल से ऊपर दोमंजिला सड़क तथा पटरियों पर चलने वाली देश की पहली मेट्रो है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य जारी है।

उड्डयनः जयपुर हवाई अड्डे से सभी प्रमुख शहर जुड़े हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, पुणे और गुवाहाटी के लिए नियमित घरेलू विमान सेवाएं हैं। दुबई, मस्कट तथा शारजाह के लिए जयपुर से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

त्योहार

राजस्थान मेलों और उत्सवों की धरती है। होली, दीपावली, विजयदशमी, क्रिसमस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा अनेक देवी-देवताओं, संतों और लोकनायकों तथा नायिकाओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं। यहां के महत्वपूर्ण मेले हैं- तीज, गणगौर, होली-धुलैंडी, पतंग तथा राजस्थान दिवस (जयपुर), अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स (अजमेर) और गलियाकोट का पुष्कर मेला, रामदेवजी मवेशी मेला (नागौर), ऊंट मेला (बीकानेर), मरुस्थल उत्सव (जैसलमेर), बेनेश्वर मेला (डूंगरपुर), ब्रज-होली महोत्सव (भरतपुर), कैलादेवी मेला, श्री महावीर जी मेला (करोली), रनकपुर उत्सव, गोदवार उत्सव (पाली), मेवाड़ उत्सव (उदयपुर), ग्रीष्म और शीत उत्सव माउंट आबू (सिरोही), कजली तीज और बूंदी उत्सव (बूंदी), दशहरा उत्सव और साहसिक उत्सव (कोटा), मत्स्य उत्सव (अलवर), मारवाड़ उत्सव (जोधपुर), चन्द्रभागा मेला (झालावाड़), जम्भेश्वर मेला और कोलायत मेला (नोखा-बीकानेर) और खाटू श्यामजी मेला (खाटू-सीकर) आदि।

पर्यटन स्थल

राज्य में पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (बाघ रिजर्व)- (सवाई माधोपुर), अलवर में सरिस्का बाघ विहार, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अजमेर, जैसलमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और शेखावटी आदि।
वेबसाइट: www.rajsthan.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	कलराज मिश्र	**मुख्य सचिव**	:	देवेंद्र भूषण गुप्ता
मुख्यमंत्री	:	अशोक गहलोत	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	राजस्थान

सिक्किम

क्षेत्रफल	:	7,096 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	6.11 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	गंगटोक	**मुख्य भाषाएं**	:	लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिंबू, सिक्किमी

इतिहास और भूगोल

सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी से आरंभ होता है, जब लेप्चा समुदाय प्रमुख थेकोंग टेक और भूटिया समुदाय प्रमुख खे-बूमसा के बीच उत्तरी सिक्किम में काबी लुंगत्सोक में भाईचारे के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 1641 में सम्मानित लामा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युकसाम प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने खे-बूमसा के छठी पीढ़ी के वंशज फुत्सोग नामग्याल का सिक्किम के पहले चोग्याल के रूप में राज्याभिषेक किया और इस तरह सिक्किम में नामग्याल राजवंश का उदय हुआ। समय के बदलाव के साथ सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा और 1975 में वह भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। आठवीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान इस स्थान को आशीर्वाद दिया था। सिक्किम में सभी समुदायों के लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। सिक्किम में भिन्न-भिन्न मतों से जुड़े लोग हैं और शायद यह भारतीय संघ में सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक शांति वाला राज्य है, जिसकी भारत जैसे बहु-सामाजिक व्यवस्था वाले देश में नितांत आवश्यकता भी है।

विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंघा, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है, इस राज्य पर अपनी मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती है। सिक्किम जैव विविधताओं से भरे दुनिया के 18 प्रमुख क्षेत्रों में एक है। राज्य में आवृतबीजी वनस्पतियों की 5,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देशभर में पाई जाने वाली आवृतबीजी प्रजातियों का एक-तिहाई हैं। फूल वाले पौधों की 4,500 जातियां, फर्न तथा एल्गी की 362 जातियां, 30 प्रजातियां प्राइमल की तथा बांस की 28 प्रजातियां, जंगली ऑर्किड की 550 प्रजातियां, रोडेन्ड्रान की 36 प्रजातियां,

ओक की 11 प्रजातियां, उभयचर जीवों की 50 प्रजातियां, पक्षियों की 600 प्रजातियां, मछलियों की 48 प्रजातियां, स्तनधारियों की 150 प्रजातियां, तितली की 700 प्रजातियां तथा सरीसृपों की 80 प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं।

दुर्लभ और विश्व स्तर पर खतरे की आशंका वाले हिम तेंदुए, तिब्बत की अरगली भेड़, लाल पांडा, याक और साथ में अधिक ऊंचाइयों पर पालतु बोविड, काली गर्दन वाले (क्रेन) सारस और फेरेरियम आदि यहां पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं।

पर्यटन

पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित सिक्किम भारत के सबसे सुंदर प्रदेशों में से है। विश्व के तीन सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक कंचनजंघा यहीं हैं, जिसे इस क्षेत्र में रक्षक के रूप में पूजा जाता है। सिक्किम की हिमाच्छादित पर्वतमालाएं, घने जंगल, आकर्षक वनस्पति तथा जीव-जंतु, अविरल झरने, पवित्र झीलें, धार्मिक गुफाएं, गर्म पानी के औषधीय स्रोत, प्रपात के समान गिरती नदियां और सौम्य धाराएं इसे सदाबहार पर्यटन स्थल बनाती हैं। यहां रह रहे विभिन्न समुदायों की संस्कृति की मिश्रित छटा लिए हुए यह राज्य एक-दूसरे समुदायों के सभी त्योहार तथा जश्न समान हर्षोल्लास के साथ मनाता है। ध्यान लगाने हेतु एकांत चाहने वालों से लेकर साहसिक पर्यटन के लिए छुट्टियों पर जाने वालों तक के लिए यहां भरपूर आनंद है। अधिक रोमांच चाहने वालों के लिए ट्रैकिंग है, रिवर राफ्टिंग है, माउंटेन बाइकिंग से लेकर रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग और एंग्लिंग तक सभी कुछ है। यहां आप बर्ड वॉचिंग और बर्फीली पहाड़ियों का अहसास पाने के लिए माउंटेन फ्लाइट का लुत्फ भी उठा सकते हैं।

कृषि

कृषि क्षेत्र में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसी फसलों की शुरुआत से सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे किसान परिवारों की आय बढ़ी है। नमी परिस्थितियों में उगने वाली फसलों तथा अन्य अनाज जिनकी उच्च वैश्विक मांग है, जैसे- कुट्टू, ज्वार तथा अन्य मोटे अनाज पर अधिक जोर है।

बागवानी

फलों का उत्पादन 5,250 टन से बढ़कर 22,240 टन हो गया यानी 323 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि। सब्जियों का उत्पादन 22,130 टन से बढ़कर 78,820 टन हो गया यानी 256 प्रतिशत की बढ़त। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृद्धि बागवानी में देखी गई, जहां 200 हेक्टेयर के उत्पादन में 230 लाख कट फूल और पौध सामग्री का उत्पादन हुआ।

सिंचाई

11वीं पंचवर्षीय योजना 2010-11 के दौरान सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 3,866.68 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है।

बिजली

केंद्रीय जल आयोग के मूल्यांकन के अनुसार सिक्किम की कुल जल विद्युत क्षमता लगभग 8,000 मेगावाट है। सिक्किम सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य में विशाल जल विद्युत क्षमता के दोहन की दृष्टि से जल विद्युत विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए हाइड्रो समिति गठित की और जल विद्युत परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए सिफारिशें की।

परिवहन

सड़कें : गंगटोक सड़क मार्ग से कोलकाता के दार्जिलिंग जिले और सिक्किम के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़ा है। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 3,672.32 कि.मी. है और पुलों की संख्या 216 है। इसमें 873.40 कि.मी. सड़कें सीमा सड़क संगठन ने बनाई हैं।

रेलवे और उड्डयन : राज्य के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी (113 कि.मी.) और न्यू जलपाईगुड़ी (125 कि.मी.) हैं, जो इसे कोलकाता, दिल्ली तथा अन्य शहरों और बागडोगरा हवाई अड्डे से जोड़ते हैं। पूर्वी सिक्किम के पक्योंग में हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया है और इसके साथ ही यह राज्य का प्रथम है। गंगटोक और बागडोगरा के बीच

नियमित हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी परियोजनाओं के माध्यम से आम आदमी का जीवन सुधारने के लिए राज्य सरकार ने राज्यभर में ग्रामीण इलाकों सहित कई कदम उठाए हैं, जैसे- 45 सामुदायिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना, स्टेट-वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), जिससे सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल बुनियादी स्तर पर पैठ बना सके। इससे सरकार के साथ जनता का संपर्क काफी बढ़ा है और कुछ राज्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आया है। शेरग के सीएससी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्वोच्च साइबर कैफे घोषित किया गया है।
वेबसाइट: www.sikkim.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	गंगा प्रसाद	**मुख्य सचिव**	:	एस. सी. गुप्ता
मुख्यमंत्री	:	प्रेम सिंह तमांग	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	सिक्किम

तमिलनाडु

क्षेत्रफल	:	1,30,060 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	7.21 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चेन्नई	**मुख्य भाषा**	:	तमिल

इतिहास और भूगोल

तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यद्यपि प्रारंभिक काल के संगम ग्रंथों में इस क्षेत्र के इतिहास का अस्पष्ट उल्लेख मिला है, किंतु तमिलनाडु का लिखित इतिहास पल्लव राजाओं के समय से ही उपलब्ध है। दक्षिण भारत पर कई शताब्दियों तक चोल, चेर और पांड्य राजाओं का शासन रहा। चौथी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पल्लवों का वर्चस्व कायम हुआ। उन्होंने ही द्रविड़ शैली की प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला का सूत्रपात किया। अंतिम पल्लव राजा अपराजित थे, जिनके राज्य में लगभग दसवीं शताब्दी में चोल शासकों ने विजयालय और आदित्य के मार्गदर्शन में अपना महत्व बढ़ाया। ग्यारहवीं शताब्दी के अंत में तमिलनाडु पर चालुक्य, चोल, पांड्य जैसे अनेक राजवंशों का शासन रहा। इसके बाद के 200 वर्षों तक दक्षिण भारत पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा।

मुसलमानों ने भी धीरे-धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिससे चौदहवीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सल्तनत कायम हुई। लगभग उसी समय विजयनगर साम्राज्य ने तेजी से अपनी स्थिति मजबूत बना ली और समूचे दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। शताब्दी के अंत तक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण की सर्वोच्च शक्ति बन चुका था, किंतु 1564 में तालीकोटा की लड़ाई में दक्षिण के सुलतानों की सामूहिक फौजों से वह पराजित हो गया।

तालीकोटा के युद्ध के बाद कुछ समय तक स्थिति अस्पष्ट रही, लेकिन इस बीच यूरोप के व्यापारी अपने व्यापारिक हितों के लिए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करने लगे। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी एक के बाद एक आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए, जिन्हें उन दिनों फैक्ट्रीज़ कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम (जो अब आंध्र प्रदेश में है) में अपनी फैक्ट्री लगाई और धीरे-धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों को एक-दूसरे के खिलाफ करके उनके क्षेत्र हथिया लिए। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई। 1901 में मद्रास प्रेसीडेंसी बना, जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्से शामिल थे। बाद में संयुक्त मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया गया और वर्तमान तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में आया।

तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है।

कृषि एवं सिंचाई

तमिलनाडु तीन प्रतिशत पानी और चार प्रतिशत भू-भाग के साथ देश की छह प्रतिशत जनसंख्या को संभालता है। राज्य सरकार ने दूसरी हरित क्रांति में अपना योगदान देने के एक प्रयास के रूप में वर्ष 2019-20 के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, ताकि खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना और किसानों की आय को तिगुना किया जा सके। राज्य ने लगातार छठी बार एक करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करके पांचवीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्य की एक क्रांतिकारी अवधारणा 'सामूहिक खेती' है, जिसके अंतर्गत उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं और जिसके माध्यम से किसान कृषि में काम आने वाली मशीनों को खरीद/ उधार ले सकते हैं। इसी तरह राज्य के जिन जिलों में ऐसी इकाइयों में बहुत से किसान शामिल थे, वहां पायलट परियोजना के तौर पर समेकित खेती योजना शुरू की गई थी।

कृषि कार्यों के लिए राज्य ने सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी पहल की है और 15 महत्वपूर्ण निजी कृषि सूचनाएं देने के लिए 'उझावन' नाम से एक मोबाइल एप भी शुरू किया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में राज्य में 'प्रति बूंद अधिक उपज' योजना भी लागू की जा रही है, ताकि सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। यह अकेला राज्य है, जहां लघु एवं सीमान्त किसानों को शत-प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है।

पर्यटन

कला तथा संस्कृति का वास्तविक खजाना, तमिलनाडु पर्यटकों के लिए हमेशा ही प्रमुख आकर्षण रहा है। तमिलनाडु बीते समय की कला तथा संस्कृति की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति पेश करता है, वह देश में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कला तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने के मामले में तमिलनाडु प्रसिद्ध प्रतिमाओं, दीवारों तथा स्तंभों पर खुदी कलाकृतियों तथा चित्रकारियों, मंदिरों की विशाल मीनारों; गोपुरम् का स्वामी है। तमिलनाडु में पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थल हैं, जिनमें 1076 किलोमीटर का समुद्र तट, 30,000 से भी अधिक मंदिर तथा पूजा स्थल, जो ईसवी सन् की शुरुआत से भी कहीं पहले के हैं, जल-प्रपात, अभयारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस से बने हस्तशिल्प तथा हथकरघा, ऐतिहासिक स्थल, पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि शामिल हैं।

राज्य में देश के सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थापत्यकला से परिपूर्ण मंदिर होने के साथ ही संगीत, नृत्य, लोक कलाएं और ललित कलाओं की जीवंत परंपरा विद्यमान है। तमिलनाडु अपने देवस्थानों एवं पुरातात्विक धरोहर स्थलों, स्मारकों, किलों, पर्वतीय पर्यटन स्थलों, जल प्रपातों, राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री तटों, स्थानीय भोजन, प्राकृतिक परिवेश और वन्य जीवन के लिए प्रख्यात है। राज्य में यूनेस्को द्वारा अधिसूचित पांच विश्व धरोहरें इस प्रकार हैं: तट मंदिर, पंच रथ, अर्जुन तपस्या- मामल्लापुरम, बृहदीश्वर मंदिर- तंजावुर, इरावथीश्वर मंदिर- दराशुरम, बृहदीश्वर मंदिर- गंगाईकोंडा चोलपुरम और नीलगिरि रेलवे स्टेशन, चार हवाई अड्डे- चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर, दो- बंदरगाहों चेन्नई और थूठुकुदी के माध्यम से राज्य देश-दुनिया से भली-भांति जुड़ा हुआ है। पर्यटन स्थलों को जोड़ती बढ़िया सड़कें पर्यटकों के लिए वरदान हैं और इन सभी सुविधाओं ने तमिलनाडु को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बना दिया है।

कल्याण योजनाएं

राज्य का सामाजिक कल्याण और पोषाहार कार्यक्रम विभाग बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और उभयलिंगी लोगों के उन्नयन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1982 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना को वर्ष 2001 में फिर से संशोधित किया गया और इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं के लिए वित्तीय लाभों में वृद्धि की गई। 01 अगस्त, 2011 अथवा उसके बाद जन्मी बालिका को योजना-1 के अंतर्गत 50,000 रुपये और योजना-2 के अंतर्गत 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रत्येक जिले के दो विकास खंडों में समेकित परिसरों में वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित बच्चों के लिए विशेष आवास बनाए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार ने वृद्धावस्था आवासों में रहने वाले 4,133 वरिष्ठ

नागरिकों के निमोनिया टीकाकरण हेतु एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वर्ष 1982 में पुरात्वी थलाईवर एमजीआर पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के पोषक मानकों एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना था। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों तथा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा प्रथम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में अंडे सहित तैयार गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके आलावा भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें अंडा मसाला, मूंग दाल और चना दाल के साथ आलू सहित कई तरह का भोजन भी दिया जाता है।

भू-तत्व तथा खनिज

खनिज कई महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए मूल संसाधन होते हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खनिजों को आर्थिक विकास का मेरुदंड माना जाता है और इन्हें देश की संपदा समझा जाता है। राज्य की विकासात्मक गतिविधियां और इसकी आर्थिक समृद्धि खनिज संपदा की उपलब्धता तथा इसके विवेकपूर्ण दोहन से प्रतिबिंबित होती है।

राज्य लिग्नाइट, चूना पत्थर, गार्नेट सैंड, सिलिका सैंड, स्फगटिक तथा फेल्डस्पार, ग्रेफाइट, तेल तथा प्राकृतिक गैस, मैग्नेसाइट, लौह अयस्क इत्यादि जैसे कई औद्योगिक खनिजों से संपन्न है। यहां आम प्रयोग वाले कुछ साधारण खनिजों के भंडार भी पाए जाते हैं, जैसे विश्व प्रसिद्ध काला ग्रेनाइट तथा मल्टी कलर ग्रेनाइट, जिससे राज्य में सीमेंट, रिफ्रैक्ट्री, कांच, सेरामिक तथा ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग स्थापित करने में सहायता मिली है।

परिवहन

सड़कें : राज्य में कुल 66,039 कि.मी. सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें से 6,634 कि.मी. सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

रेलवे : (1) रेलवे लाइन की लंबाई 3,856 किलोमीटर है।
(2) सितंबर, 2019 तक रनिंग ट्रैक की लंबाई 5,266 किलोमीटर है।

मुख्य स्टेशन हैं: चेन्नई सेंट्रल, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, तिरुनलवेल्ली, नागरकोइल, कोयम्बटूर, इरोड, सलेम, जोलारपेट्टी, कटपडी और एराकोणम।

बंदरगाह : चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन चेन्नई राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं। इनके अलावा सात सरकारी छोटे बंदरगाहों- कुड्डेलोर, नागापट्टीनम, रामेश्वरम, पम्बन, कोलाचेल, कन्याकुमारी, वेलिनोक्कम सहित 23 घोषित छोटे बंदरगाह हैं। 16 घोषित कैप्टिव छोटे पोर्ट हैं, जिनमें कटूपल्ली, एन्नौर माइनर पोर्ट, पीवाई-3 ऑयल फील्ड औ तिरुकड्डीयूर संचालन में हैं और अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
वेबसाइट: www.tn.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: बनवारीलाल पुरोहित	**मुख्य सचिव**	: के. षणमुगम
मुख्यमंत्री	: इदापड्डी के. पलनीस्वामी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: तमिलनाडु तथा पुदुचेरी

तेलंगाना

क्षेत्रफल	: 1,12,077 वर्ग कि.मी.	**जनसंख्या**	: 3,50,04 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	: हैदराबाद	**मुख्य भाषाएं**	: तेलुगू तथा उर्दू

भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन 2014 को हुआ। इसकी राजधानी हैदराबाद है। 1956 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के अनुसार तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। हैदराबाद सहित तेलंगाना के दस जिले हैं। इनके नाम हैं- आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल

।

तेलंगाना का इतिहास

तेलंगाना नाम का संदर्भ त्रिलिंगा देसा शब्द से है। राज्य में कालेस्वरम, श्रीसेलम और द्रकश्रमम में भगवान शंकर के तीन प्राचीन मंदिरों की उपस्थिति की वजह से यह नाम अर्जित हुआ। एक और ऐतिहासिक कारण यह है कि निज़ामों के राज में यह क्षेत्र तेलुगू अंगना के नाम से जाना जाता था, ताकि इसे मराठी भाषी क्षेत्रों से अलग पहचाना जा सके। इस क्षेत्र में सातवाहन, काकतिया, चालुक्य, मुगल, कुतुबशाही और असफजाही जैसे महान राजवंशों ने शासन किया। काकतिया का वास्तुकला में योगदान अधिक प्रभावशाली माना जाता है। काकतियों में प्रतापरूद्रा महान शासक था, जिसने 1323 ईस्वी तक शासन किया। सातवाहनों ने तेलंगाना में दूसरी शताब्दी बीसी (ईसापूर्व) से दूसरी शताब्दी (ईसवी) तक लगभग 400 वर्षों तक शासन किया।

तेलंगाना और आंध्र के विलय को रद्द करने के लिए कई आंदोलन हुए, जिनमें से 1969, 1972 और 2009 वाले आंदोलन प्रमुख थे। तेलंगाना को नया राज्य बनाने के लिए होने वाले आंदोलनों ने इन दशकों के दौरान गति पकड़ी। भारत सरकार ने 2009 को तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया घोषित की। घोषणा के तुरंत बाद तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और दिसंबर, 2009 को इस फैसले पर अमल रोक दिया गया। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में आंदोलन जारी रहा। अलग राज्य की मांग करते हुए सैकड़ों आत्मदाह, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक जीवन की गड़बड़ी के मामले सामने आए।

जुलाई, 2013 में कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से एक अलग राज्य के गठन की सिफारिश का प्रस्ताव पारित किया। विभिन्न चरणों के बाद विधेयक संसद में रखा गया। फरवरी, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम से दस जिलों वाले तेलंगाना राज्य के गठन के लिए भारतीय संसद में पारित किया गया।

भूगोल

तेलंगाना भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र तट के मध्य खंड में दक्कन के पठार पर स्थित है। इसमें 1,14,800 वर्ग किलोमीटर (44,300 वर्ग मील) क्षेत्र शामिल है। राज्य में 79 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र के साथ गोदावरी नदी और लगभग 69 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र वाली कृष्णा नदी दो मुख्य नदियां बहती हैं, परंतु फिर भी अधिकतर क्षेत्र सूखा है। तेलंगाना में भीमा, मंजीरा और मूसी जैसी और भी बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। राज्य के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और पूर्व में ओडिशा है।

कृषि

चावल राज्य की मुख्य फसल है। तंबाकू, आम, कपास और गन्ना अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। प्रमुख खरीफ के मोटे अनाज में यहां मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी का उत्पादन होता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 40.5 प्रतिशत कुल बुवाई क्षेत्र, 23.9 प्रतिशत वन के तहत, 10.5 प्रतिशत परती भूमि, 7.7 प्रतिशत गैर-कृषि उपयोग के लिए और 5.4 प्रतिशत बंजर एवं अकृष्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुल फसली क्षेत्र 46.54 लाख हेक्टेयर है। कृषि उत्पादन वहां होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। यहां प्रमुख प्रभाव दक्षिण-पश्चिमी मानसून का है।

कला और शिल्प

हस्तकला तेलंगाना का अभिन्न अंग रहा है। यह क्षेत्र अद्‌भुत हस्तशिल्प प्रदान करता है, जैसे बिदरी शिल्प, बंजारा सुई शिल्प, डोकरा धातु शिल्प, निर्मल कला, कांस्य की ढलाई, लाख का सामान आदि। बारीक सुई की कारीगरी हो, कांस्य की अद्‌भुत ढलाई हो या धातु शिल्प या फिर अति उत्तम पाषाण शिल्प, तेलंगाना में हस्तकला के व्यापक संग्रह देखने को मिलते हैं।

त्योहार

'बठूकम्मा' राज्य का एक रंग-बिरंगा और जीवंत त्योहार है। फूलों का यह अद्वितीय त्योहार यहां की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। 'देवी महाकाली' की पूजा वाला 'बोनालू' वार्षिक हिंदू त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया

जाता है। दशहरा, समक्का सारक्का जाठारा, पीरला पान्डगा और रमजान आदि त्योहार भी तेलंगाना में धूमधाम से मनाए जाते हैं।

वेबसाइट: www.telangana.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: डॉ. टी. सुंदरराजन	**मुख्य सचिव**	: शैलेंद्र कुमार जोशी
मुख्यमंत्री	: के. चंद्रशेखर राव	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: तेलंगाना

त्रिपुरा

क्षेत्रफल	: 10,486 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 36.74 लाख (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	: अगरतला	**मुख्य भाषाएं**	: बांग्ला और कोकबोरक

इतिहास और भूगोल

त्रिपुरा की अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोकगाथाएं हैं। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में 'राजमाला' गाथाओं तथा इतिहासकारों के वर्णनों से जाना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को 'फा' उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ 'पिता' होता है। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। त्रिपुरा के शासकों को मुगलों के बार-बार आक्रमण का भी सामना करना पड़ा, जिसमें आक्रमणकारियों को कमोबेश सफलता मिलती रहती थी। कई लड़ाइयों में त्रिपुरा के शासकों ने बंगाल के सुल्तानों को हराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नये युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्टूबर, 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। शुरू में यह भाग-सी के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना। 1972 में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

त्रिपुरा बांग्लादेश तथा म्यामां की नदी घाटियों के बीच स्थित है। इसके तीन तरफ बांग्लादेश है और केवल उत्तर-पूर्व में यह असम और मिज़ोरम से जुड़ा हुआ है।

कृषि

त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। 24 प्रतिशत भूमि इसी क्षेत्र से जुड़ी है। 51 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है।

सिंचाई

त्रिपुरा राज्य मुख्यतः पहाड़ी इलाका है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 10,49,169 हेक्टेयर है। अनुमान है कि 2,55,241 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। 11,700 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था है।

पर्यटन

त्रिपुरा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटा, परंतु मनोरम राज्य है। यह लगभग 10,491,69 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। इसके उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसके पूर्व में बांग्लादेश है और इसकी सीमा दो राज्यों- असम तथा मिज़ोरम से लगी हुई है। इस खूबसूरत राज्य में 19 पारंपरिक जनजातियां, बंगाली, मणिपुरी तथा अन्य रहते हैं।

त्रिपुरा के मनोहारी दृश्य, इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति, पुरातत्व तथा वास्तुकला, इसकी हस्तशिल्प और हस्तकला के रंग, डिजाइन और शिल्पकारी सब अपनी ओर खींचते हैं। त्रिपुरा की झीलें, मौसम, पेड़-पौधे और इससे

ऊपर यहां के लोगों की मेहमाननवाजी सब आकर्षित करते हैं। एक बार जो यहां आता है, वह बार-बार आना चाहता है।

वेबसाइट: www.tripura.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	रमेश बैस	**मुख्य सचिव**	:	मनोज कुमार
मुख्यमंत्री	:	बिप्लब कुमार देब	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	त्रिपुरा

उत्तराखंड

क्षेत्रफल	:	53,483 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	1.01 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	देहरादून	**मुख्य भाषाएं**	:	हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली और कुमाऊंनी

इतिहास और भूगोल

उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में हुआ है। इस क्षेत्र पर कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, पौरवों, कतूरियों, पालों, चंद्रों, पंवारों और ब्रिटिश शासकों ने समय-समय पर राज किया है। इसके पवित्र स्थलों और तीर्थस्थलों के कारण बहुधा इसे देवताओं की धरती 'देवभूमि' कहा जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को निर्मल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करते हैं। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत 1902 में अस्तित्व में आया। 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी, 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया। 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा।

हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है।

कृषि

यहां की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का कुल खेती योग्य क्षेत्र 7,67,459 हेक्टेयर है।

उद्योग और खनिज

राज्य में चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि के प्रचुर भंडार हैं।

सिंचाई और बिजली

राज्य के 5,61,733 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। राज्य के पास पनबिजली उत्पादन की जबर्दस्त क्षमता है। यमुना, भागीरथी, भीलांगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी और काली नदियों पर अनेक पनबिजली संयंत्र हैं, जिनमें बिजली का उत्पादन हो रहा है।

परिवहन

सड़कें: राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 33,914 किलोमीटर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लंबाई 25,665 कि.मी., स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई सड़कों की लंबाई 2,674 कि.मी. है।

रेलवे : प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, रामनगर और काठगोदाम।

उड्डयनः जौली ग्रांट (देहरादून) और पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) में हवाई पट्टियां हैं। नैनी-सैनी (पिथौरागढ़), गौचर

(चमोली) और चिनयालिसौर (उत्तरकाशी) में हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। पवनहंस लि. ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है।

त्योहार

विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला/ अर्द्ध कुंभ मेला हरिद्वार में प्रति बारहवें/ छठे वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। अन्य प्रमुख मेले/ त्योहार हैं: देवीधुरा मेला (चंपावत), पूर्णागिरि मेला (चंपावत), नंदा देवी मेला (अल्मोड़ा), गौचर मेला (चमोली), बैसाखी (उत्तरकाशी), माघ मेला (उत्तरकाशी), उत्तरायणी मेला (बागेश्वर), विशु मेला (जौनसार बाबर), पीरान-कलियार (रुड़की) तथा नंदा देवी राज जात यात्रा हर बारहवें वर्ष होती है।

पर्यटन स्थल

तीर्थयात्रियों/ पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख स्थल हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता आदि। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र से होकर की जाती है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, रूपकुंड, दयारा बुग्याल, औली तथा मसूरी, देहरादून, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, कौसानी और लैंसडाउन जैसे पर्वतीय स्थल पर्यटकों के आकर्षण के महत्वपूर्ण स्थल हैं।
वेबसाइट: www.uk.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	बेबी रानी मौर्य	**मुख्य सचिव**	:	उत्पल कुमार सिंह
मुख्यमंत्री	:	त्रिवेंद्र सिंह रावत	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश

क्षेत्रफल	: 2,36,286 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 19.98 करोड़ (जनगणना 2011 अनंतिम)
राजधानी	: लखनऊ	**मुख्य भाषाएं**	: हिंदी और उर्दू

इतिहास

उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत प्राचीन और दिलचस्प है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह वैदिक काल के कई महान ऋषि-मुनियों, जैसे- भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गईं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश दो नए धर्मों जैन और बौद्ध के संपर्क में आया। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और अपने संप्रदाय की शुरुआत की तथा उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश में कई नगर जैसे- अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्या अध्ययन के प्रसिद्ध केंद्र बन गए थे। मध्य काल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्मों के संपर्क से नयी मिली-जुली संस्कृति का जन्म हुआ। तुलसीदास और सूरदास, रामानंद और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर तथा कई अन्य संतों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में योगदान किया।

उत्तर प्रदेश ने अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता को ब्रिटिश शासनकाल में भी बनाए रखा। अंग्रेजों ने आगरा और अवध नामक दो प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत बनाया, जिसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से पुकारा जाने लगा। बाद में 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनवरी, 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तर प्रदेश' रखा गया। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा पूर्व में बिहार राज्य है। उत्तर प्रदेश को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है : 1. दक्षिणी पर्वत तथा 2. गंगा का मैदान।

कृषि

लगभग 66 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य में कुल 164.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है

।

उद्योग और खनिज

राज्य में कुल 6,12,338 लघु इकाइयां थीं, जिनमें 7,172 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट और सिलिकन रेत का खनन किया जाता है। छोटे खनिजों तथा कुछ और बड़े खनिजों, जैसे- चूना पत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइट, फाइरोफाइलाइट और डायोस्पार के बड़े पैमाने पर उत्पादन का अधिकतर कार्य निजी क्षेत्र में है। खनिज आधारित महत्वपूर्ण उद्योगों में सोनभद्र का बड़ा सीमेंट संयंत्र शामिल है।

सिंचाई और बिजली

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को पुनर्गठित करके उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन और उत्तर प्रदेश पनबिजली निगम की स्थापना की गई है। विद्युत आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है।

परिवहन

सड़कें : लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई 1,46,728 किलोमीटर है। इसमें 3,820 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, 8,391 किलोमीटर लंबे प्रांतीय राजमार्ग, 1,19,726 किलोमीटर अन्य जिला सड़कें तथा 1,34,517 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं।

रेलवे : रेलवे के उत्तरी नेटवर्क का मुख्य जंक्शन लखनऊ है। अन्य महत्वपूर्ण रेल जंक्शन हैं- आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मुगलसराय, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी, टुंडला, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बरेली और सीतापुर।

उड्डयन : प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, हिंडन (गाजियाबाद), गोरखपुर, सरसावा (सहारनपुर) और फुर्सतगंज (रायबरेली) में हवाई अड्डे हैं।

त्योहार

प्रयागराज में प्रत्येक बारहवें वर्ष कुंभ मेला आयोजित होता है, जो कि संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा, प्रयागराज में प्रत्येक छह साल में अर्द्ध कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। प्रयागराज में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी में माघ मेला भी आयोजित होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन व अयोध्या के झूला मेले शामिल हैं, जिनमें प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखा जाता है। ये झूला मेले एक पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाना अत्यंत पवित्र मा जाता है और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोरन, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध हो गया है। इसके अतिरिक्त, यहां हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारों को राज्यभर में मनाया जाता है।

पर्यटन केंद्र

उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के सैलानियों के लिए आकर्षण की कई चीजें हैं। प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा, कंपिल, पिपरहवा और कौशांबी प्रमुख हैं। आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल में हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिल्प और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने हैं।
वेबसाइट: www.up.gov.in

सरकार

राज्यपाल	: आनंदीबेन पटेल	**मुख्य सचिव**	: राजेंद्र कुमार तिवारी
मुख्यमंत्री	: योगी आदित्यनाथ	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल	: 88,752 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 9.13 करोड़ (जनगणना 2011-अनंतिम)
राजधानी	: कोलकाता	**मुख्य भाषा**	: बांग्ला

इतिहास

बंगाल अथवा बांग्ला नाम प्राचीन राज्य वंग या बंग से लिया गया है। हालांकि राज्य में खुदाई के दौरान 20,000 वर्ष पुरानी पाषाणकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। द्रविड़ों, तिब्बत-बर्मन और ऑस्ट्रो-एशियाई लोगों ने इसे बसाया। यह क्षेत्र प्राचीन भारत के वंग राज्य का हिस्सा था। यह मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था। महावीर और बुद्ध के समय में यह भारत के चार प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसके तहत कई जनपद थे। प्राचीन ग्रीस ने लगभग 100 ई. पूर्व बंगाल को गंगारीदाई का नाम दिया, जिसका मतलब ऐसी धरती जिसके हृदय में गंगा है। बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा शशांक था, जिसने सातवीं सदी की शुरुआत में राज किया। कुछ अवधि की अव्यवस्था के बाद, लगभग चार सौ वर्ष तक बौद्ध अनुयायी पाल वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया। इसके बाद छोटी अवधि के लिए हिंदू सेन वंश का शासन भी रहा।

बंगाल में सूफी मिशनरी 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म लेकर आए। बाद में मुस्लिम हमलावरों ने मस्जिद, मदरसा और सूफी खानकाह के निर्माण से रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू की। सोलहवीं शताब्दी में मुगलकाल के प्रारंभ से पहले बंगाल पर अनेक मुसलमान राजाओं और सुल्तानों ने शासन किया।

मुगलों के पश्चात् आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से आरंभ होता है। 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जब अंग्रेजों ने पहले-पहल बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए। 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। राज्य के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर-पूर्व में भूटान, उत्तर में सिक्किम, पश्चिम में बिहार और झारखंड, दक्षिण-पश्चिम में ओडिशा तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है।

कृषि

कृषि 70 प्रतिशत जनसंख्या की आय का प्रमुख स्रोत है। पटसन और चावल राज्य की प्रमुख फसलें हैं। इनके अलावा, चाय, मक्का, तम्बाकू और गन्ने की भी खेती होती है।

उद्योग

राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन और आर्थिक विकास की नीति के अंतर्गत विदेशी तकनीक और निवेश को स्वीकार किया जाता है। बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश तथा औद्योगिक अवसंरचना संशोधन और उन्नयन को राज्य का पूरा समर्थन है। पेट्रोरसायन और संबंधित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, लौह और इस्पात, धातु विज्ञान और अभियांत्रिकी, टेक्सटाइल, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय पौधे, खाद्य तेल, वनस्पति प्रसंस्करण और मछली उत्पादन राज्य के प्रमुख उद्योग हैं।

बिजली और सिंचाई

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह आर्थिक विकास की तेजी, रोजगार उत्पत्ति, गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ मानव विकास की अत्यावश्यक जरूरत है। पश्चिम बंगाल में ऊर्जा क्षेत्र अधिकांशतः पनबिजली से जुड़ा है, क्योंकि यह आसान और सस्ती होती है; राज्य की हाइडल थर्मल ऊर्जा का प्रतिकूल अनुपात 3:97 है। इसके विपरीत, नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में कई स्तरों पर काम हुआ है। राज्य में तकनीकी परियोजनाओं को

अमल में लाने वाली मुख्य एजेंसी डब्ल्यूबीआरईडीए ने सुंदरबन, पश्चिमी मिदनापुर और बांकुरा तथा मालदा, मुर्शिदाबाद के क्षेत्रों के दूरदराज के कई गांवों में बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है।

परिवहन

यात्रियों और सामान को गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य मुख्यतः परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। विभाग यह कार्य यातायात आधारित अवसंरचना के विकास और उससे संबंधित नीतियों को अमल में लाकर पूरा करता है। राज्यीय यातायात उपक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभाग ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कुछ नई शुरुआत की हैं, जिनमें मोटर वाहन विभाग का कंप्यूटरीकरण, सड़क सुरक्षा योजनाएं, बस स्टैंड योजनाएं, टीओआईपी योजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 2-स्ट्रोक ऑटो रिक्शा को 4-स्ट्रोक ऑटो रिक्शा से बदलना, 15 वर्ष से पुरानी बसों को बदलना आदि शामिल हैं।

त्योहार

राज्य में दुर्गा पूजा, पोइला बैसाख (बंगाली नववर्ष), रथयात्रा, डोलयात्रा या वसंत उत्सव जैसे अनेकानेक उत्सव मनाए जाते हैं। क्रिसमस कार्निवल से ईद उल-फितर और मुहर्रम तक; बुद्ध पूर्णिमा से प्रसिद्ध गंगा सागर यात्रा तक जैसे उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं।

पर्यटन

पश्चिम बंगाल टेराकोटा कार्य, हथकरघा सिलाई, हेरिटेज साड़ियों और कई अन्य अनोखे हस्तशिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में शक्तिपीठ प्रमुख हैं। कालीघाट मंदिर और तारापीठ ऐसे धर्मस्थल हैं। बेलूर मठ, मायापुर इस्कॉन मंदिर, हंगेश्वरी मंदिर और तारकेश्वर मंदिर, भव्य मस्जिदें जैसे मुर्शिदाबाद की निजामत इमामबाड़ा और कटरा मस्जिद, फुर्फुरा शरीफ और कोलकाता स्थित टीपू सुल्तान शाही मस्जिद भी यहां स्थित हैं। कई गुरुद्वारे और शानदार गिरजाघर भी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जिनमें बंदेल का होली रोजरी, सेंट जॉन चर्च, सेंट जेम्स चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल और चर्च ऑफ लॉर्ड जीज़स हैं। घूम का बौद्ध मठ, भूतिया बस्ती, माग-डोग योल्मोवा, थरपा चोलिंग, ज़ान्ग ढोक पलरी फोडंग जैसे कई मठ राज्य के आकर्षण हैं।

राज्य में रोमांच आकर्षण की भी भरमार है। सुंदरबन के घने मैन्ग्रोव में जलीय यात्रा का आनंद लेते हुए यहां की विविध वनस्पति को देखते हुए रॉयल बंगाल टाइगर को भी यहां देखा जा सकता है। हिमालय पर ट्रेकिंग का आनंद या चिलापाता के जल्दापारा के धुंध भरे जंगलों में सफारी का भी आनंद लिया जा सकता है।

वेबसाइट: www.westbengal.gov.in

सरकार

राज्यपाल	:	जगदीप धनखड़	**मुख्य सचिव**	:	राजीव सिन्हा
मुख्यमंत्री	:	ममता बनर्जी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्रफल	:	8,249 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	3,79,944 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	पोर्ट ब्लेयर	**मुख्य भाषाएं**	:	हिंदी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगू

इतिहास और भूगोल

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 6° और 14° उत्तरी अक्षांश तथा 92° और 94° पूर्वी देशांतर में स्थित है। 10° उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप अंडमान द्वीपसमूह कहलाते हैं, जबकि 10° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप निकोबार द्वीपसमूह कहलाते हैं। यहां की जलवायु नम, उष्णकटिबंधीय और तटीय है। इस

समस्त द्वीपसमूह में दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी-दोनों मानसूनों की वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा मई और दिसंबर के महीनों में होती है।

इस द्वीपसमूह के मूल निवासी जंगलों में रहते थे और शिकार तथा मछलियां पकड़कर अपना गुजारा चलाते थे। अंडमान के द्वीपसमूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटीनली नाम की चार निग्रेटो जातियां हैं तथा निकोबार द्वीपसमूह में निकोबारी तथा शोमपेन नाम की दो मंगोलाइड जातियां हैं।

कृषि

कुल 8,249 वर्ग कि.मी. के भाग में से केवल छह प्रतिशत (50,000 हेक्टेयर) में से भी घटकर 47,000 हेक्टेयर भूमि 2004 के सुनामी के बाद कृषि के अंतर्गत है। धान यहां की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो कि मुख्यतः अंडमान द्वीपसमूह में उगाई जाती है। जबकि निकोबार द्वीपसमूह की मुख्य नकदी फसलें नारियल और सुपारी हैं। रबी के मौसम के दौरान दालें, तिलहन और सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसके बाद धान की फसल बोई जाती है। यहां के किसान पहाड़ी जमीन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के फल जैसे आम, चीकू, संतरा, केला, पपीता, अन्नानास और कंद-मूल आदि उगाते हैं। यहां बहुफसल व्यवस्था के अंतर्गत मसाले जैसे- मिर्च, लौंग, जायफल तथा दालचीनी आदि भी उगाए जाते हैं। इन द्वीपों में रबड़, रेड आयल, ताड़ तथा काजू आदि भी थोड़ी-बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं।

वन

इन द्वीपों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7,171 वर्ग किलोमीटर भाग वनों से ढका हुआ है। लगभग सभी प्रकार के वन जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्द्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, गिरि शिखर पर होने वाले तथा तटवर्ती और दलदली वन पाए जाते हैं। यहां विभिन्न प्रकार की लकड़ियां पाई जाती हैं। सबसे बहुमूल्य लकड़ियां पाडोक तथा गरजन की हैं। ये निकोबार में नहीं मिलतीं।

वन्यजीव

इन द्वीपों में 96 वन्यजीव अभयारण्य, नौ राष्ट्रीय पार्क तथा एक जैव संरक्षित क्षेत्र (बायोस्फियर रिजर्व) हैं। अब तक अधिसूचित कुल 55 स्थलीय एवं सात समुद्री स्तनपायी प्रजातियों में से 32 क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। इन द्वीपों में पक्षियों की 246 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से 99 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। इस राज्य में सरीसृपों की 76 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 24 क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं। इन द्वीपों के समुद्र में मछलियों की 1,200 से अधिक प्रजातियां, इकाइनो डर्म की 359, घोंघा (मोलस्क) समूह की 1,067 तथा अन्य सूक्ष्म प्रजातियां पाई जाती हैं। कशेरूकी प्राणियों में मुख्यतः ड्यूगॉग, डॉल्फिन, व्हेल,खारे पानी के घड़िया समुद्री कछुए तथा समुद्री सर्प इत्यादि मिलते हैं। पूर्वी तट पर मुख्यतः झब्बेदार (फ्रिंजिंग) प्रकार के तथा पश्चिमी तट पर अवरोधी (बैरियर) प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं।

उद्योग

राज्य में 1833 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम एवं हस्तशिल्प इकाइयां पंजीकृत हैं। झींगा मछली प्रसंस्करण के क्षेत्र में दो इकाइयां शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख हैं। इसके अतिरिक्त सीपी एवं लकड़ी आधारित हस्तशिल्प इकाइयां हैं। छोटे पैमाने की इकाइयां पेंट तथा वार्निश, छोटी आटा पिसाई चक्कियां, शीतल पेय एवं शराब, स्टील फर्नीचर एवं अन्य उपकरण, रेडीमेड कपड़े, लोहे के दरवाजे, ग्रिल इत्यादि के उत्पादन का कार्य करती हैं। लघु औद्योगिक इकाइयां सीपी शिल्प, बेकरी उत्पाद, चावल निकालने तथा फर्नीचर बनाने का कार्य भी कर रही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम ने पर्यटन, मत्स्य उद्योग तथा औद्योगिक ऋण के क्षेत्रों में काम करना आरंभ कर दिया है।

परिवहन

मोटर परिवहन विभाग उत्तरी और दक्षिणी द्वीपसमूह के 14 केंद्रों से सेवा संचालित करता है। विभाग के पास कुल 264 बसें हैं, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं। वर्ष 2007 से एटीआर एक्सप्रेस सेवा के लिए कंप्यूटरीकृत टिकट प्रणाली शुरू की गई है। यहां से अग्रिम टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं।

पर्यटन

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। पर्यटकों के इस स्वर्ग में सेल्यूलर जेल, रॉस आइलैंड तथा हैवलॉक आइलैंड जैसे विशिष्ट स्थान हैं। अंडमान के उष्णकटिबंधीय सदाबहार घने वन, सुंदर रूपहले व रेतीले समुद्र तट, सर्पाकार मैंग्रोव युक्त क्रीक, दुर्लभ समुद्री वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की प्रजातियों युक्त समुद्री परिवेश तथा मूंगे यहां पर्यटकों को एक स्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। समुद्र तट पर बने रिसॉर्ट्स, जलक्रीड़ा केंद्रों तथा पानी के साहसिक खेलों, ट्रेकिंग, आइलैंड कैंपिंग, प्रकृति के बीच निवास (नेचर ट्रेल), स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक पर्यटन के रूप में यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के ठहरने की आरामदेह व्यवस्था के लिए पर्यटन विभाग की ओर से द्वीपों के विभिन्न भागों में विश्राम गृहों का संचालन किया जाता है। यहां के प्रमुख पर्यटक स्थलों में नृत्य संग्रहालय, समुद्री संग्रहालय, जलक्रीड़ा परिसर, गांधी पार्क, उत्तरी खाड़ी (नार्थ बे), वाइपर आइलैंड, रॉस आइलैंड, चिड़िया टापू (बर्ड वॉचिंग), रेडस्किन आइलैंड, कोर्बिन्स कोव बीच तथा नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, सिंक, लघु अंडमान, दिगलीपुर (रॉस एवं स्मिथ) इत्यादि हैं।

मुख्यभूमि से द्वीप हवाई और समुद्री यात्रा मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन और जेटलाइट की नियमित उड़ानें हैं। चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम से यहां के लिए नियमित यात्री नौका सेवा है।
वेबसाइट: www.and.nic.in

सरकार

उप-राज्यपाल	: एडमिरल डी.के. जोशी	**उच्च न्यायालय** : अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मुख्य सचिव	: चेतन बी. सांघी	

चंडीगढ़

क्षेत्रफल	:	114 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	10.55 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी	:	चंडीगढ़	**मुख्य भाषाएं**	:	हिंदी, पंजाबी

इतिहास और भूगोल

चंडीगढ़ आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न प्रदेश है। शिवालिक पहाड़ियों की नयनाभिराम तलहटी में बसा चंडीगढ़ वास्तविक अर्थों में एक खूबसूरत शहर है। फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ला कार्बूजिए द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। चंडीगढ़ और उसके आस-पास के क्षेत्र को 1 नवंबर, 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है। इसके उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व और दक्षिण में हरियाणा है।

परिवहन

चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रयोक्ता-अनुकूल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता को महसूस करते हुए जल्द ही, जन त्वरित परिवहन प्रणाली शुरू करने का निश्चय किया है। चंडीगढ़ प्रशासन तथा पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारें मिल कर इस परियोजना पर काम कर रही हैं।

सीटीयू (चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग) का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अपनी फ्लीट की निगरानी के लिए उपक्रम चरणबद्ध ढंग से ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) भी स्थापित करेगा।

ग्रामीण विकास

गरीब तथा पिछड़े तबके के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उन्हें मुहैया कराने के लिए विभिन्न गांवों में 14 विधि जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए। यह पहल राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई। कझेरी तथा पालसोरा गांव में सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ तथा नालियों को ढकने का काम पूरा कर लिया गया है। मौली जागरण गांव में 70 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

चंडीगढ़ जनता को प्रयोक्ता अनुकूल तथा त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में रोल मॉडल बन चुका है। ई-गवर्नेंस पहल के तहत धनास, खुड्डा जस्सु, कैंबवाला, रायपुर खुर्द, रायपुर कलां, मक्खन माजरा तथा बहलाना में ग्राम संपर्क केंद्र स्थापित किए गए। पलसोरा, दादू माजरा, हल्लू माजरा, खुदा अलीसर, दरिया, मौली जागरण तथा मालोया में ग्राम संपर्क केंद्र काम कर रहे हैं। प्रशासन ऊर्जा संरक्षण के लिए भी कार्य कर रहा है। टाटा बीपी सोलर लिमिटेड को वनस्पति उद्यान में ऊर्जा पार्क स्थापित करने का ऑर्डर दिया गया है। गांवों की सभी स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।

उद्योग

प्रशासन मौली जागरण गांव के राजस्व इस्टेट में औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे चरण का विकास कर रहा है।

पर्यटन

प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रहा है, जैसे विवाह पर्यटन। चिकित्सीय, शैक्षिक तथा मनोरंजन सुविधाओं में वृद्धि कर प्रशासन सिनेमैटिक, खेल तथा चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बिजली

सभी निवासियों के लिए पर्याप्त बिजली का प्रावधान प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारने तथा विद्युत वितरण नेटवर्क पर दबाव को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक विंग ने विभिन्न स्थानों पर स्थित 66 किलोवाट ग्रिड सब-स्टेशनों में 80 एमवीएआर स्वचालित कैपेसिटर बैंक लगाने की योजना बनाई है। सभी सरकारी भवनों में सीएफएल अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार शैक्षणिक भवन अपने परिसर के पार्किंग स्थानों पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे।

वेबसाइट: www.chandigarh.gov.in

सरकार

प्रशासक : वी.पी. सिंह बदनोरे	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** चंडीगढ़
प्रशासक के सलाहकार : मनोज कुमार परिदा	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दादरा और नगर हवेली

क्षेत्रफल	:	491 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	3.44 लाख (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	सिलवासा	**मुख्य भाषाएं**	:	गुजराती, हिंदी तथा अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

1954 में मुक्त होने तक पुर्तगालियों ने इस प्रदेश पर शासन किया। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, जिसे 'स्वतंत्र दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन' ने चलाया, लेकिन 1961 को यह प्रदेश भारतीय

संघ में शामिल हो गया और तब से भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। पुर्तगाल के चंगुल से इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद से 'वरिष्ठ पंचायत' प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, परंतु इसे अगस्त, 1989 में भंग कर दिया गया और अखिल भारतीय स्तर पर संविधान संशोधन के अनुरूप दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद गठित कर दी गई। दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग कि.मी. में फैला छोटा-सा क्षेत्र है। यह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके दो भाग हैं: एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। निकटतम रेलवे स्टेशन वापी में है, जो सिलवासा से 18 किलोमीटर दूर है। सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। सिलवासा नगर परिषद 2006 में अस्तित्व में आई और यह मुख्यतः दो नगरों से बनी है- सिलवासा और आमली। 2011 की जनगणना में अन्य पांच गांवों-दादरा, नरोली, समरवाणी, मस्त तथा रखोली को गैर-संवैधानिक जनगणना शहर माना गया।

कृषि

दादरा और नगर हवेली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां 79 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं। इसका कृषि क्षेत्र लगभग 21,115 हेक्टेयर है। मुख्य फसल धान (खरीफ) है तथा नागली और पहाड़ी बाजरा अन्य प्रमुख फसलें हैं। फलों में आम, चीकू तथा केले का मुख्य उत्पादन होता है तथा कुल भू-भाग के 40 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। पिछले कुछ वर्षों से गन्ने की खेती में वृद्धि हुई है। सिंचित क्षेत्रों में बहु-फसल पद्धति के उपाय किए जा रहे हैं। गैर-सरकारी संगठन, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन बीएआईएफ द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से दादरा तथा नगर हवेली के जनजातीय क्षेत्र में वाडी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

उद्योग

1965-66 से पहले यहां कोई उद्योग नहीं था। केवल कुछ दस्तकार परंपरागत रूप से बर्तन, चप्पल, जूते जैसे चमड़े का कुछ सामान और बांस की चीजें बनाते थे। 1967-68 में दान उद्योग सहकारी संघ लि. ने सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की स्थापना करके छोटे पैमाने पर औद्योगिक विकास के काम की शुरुआत की। आर्थिक उदारता नीति लागू होने के बाद औद्योगिक विकास में उछाल आया। इसके बाद सिलवासा, मसात और खदोली में तीन सरकारी औद्योगिक संपदाएं विकसित की गईं। 1863 लघु उद्योग, 430 मझोली/ लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत थीं, जिनमें लोग काम कर रहे थे।

सिंचाई और बिजली

इस क्षेत्र के स्वतंत्र होने से पहले, यहां किसी प्रकार की सिंचाई सुविधाएं नहीं थीं और किसानों को पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। प्रदेश के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बाद लघु सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त उप किए गए हैं। अब तक सिंचाई कुंओं से संबंधित 128 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिससे 1,851 हेक्टेयर और अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ी है। मझोली सिंचाई परियोजना जैसे दमनगंगा आरक्षित जल परियोजना के जरिए इस केंद्र शासित प्रदेश में 115 कि.मी. छोटी नहरें और डिस्ट्रीब्यूटरी काम कर रही हैं। 4,300 हेक्टेयर में सभी तरह के फील्ड चैनलों में विकास कार्य पूरा हो चुका है तथा 4,049 हेक्टेयर में परीक्षण किया गया है।

परिवहन

केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह महाराष्ट्र और गुजरात के सड़क नेटवर्क पर निर्भर है, क्योंकि मुंबई से इन दोनों राज्यों को पार करने के उपरांत ही प्रदेश में पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 635 कि.मी. है, जिसमें से 570 कि.मी. पक्की हैं। लगभग सभी गांव ऐसी सड़कों से जुड़े हैं, जो हर मौसम में ठीक रहती हैं। मुंबई से अहमदाबाद का रेल मार्ग वापी से भी जुड़ा है। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई है। बढ़ते यातायात की जरूरतों के मद्देनजर प्रदेश में सड़कें चौड़ी करने का काम हाल में शुरू किया गया है। तेजी से बढ़ रहे औद्योगीकरण को देखते हुए सिलवासा और आस-पास के क्षेत्रों में अन्य छुट-पुट कार्यों के अलावा चार लेन सड़क-निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।

पर्यटन स्थल

घने वन क्षेत्र तथा अनुकूल जलवायु को देखते हुए यहां पर्यटन क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन की दृष्टि से

प्रमुख स्थान हैं- ताड़केश्वर शिव मंदिर, बिन्द्राविन, खानवेल का हिरण पार्क, वाणगंगा झील और द्वीप उद्यान, दादरा, वनविहार उद्यान, लघु प्राणी विहार, बाल उद्यान, आदिवासी म्यूजियम और सिलवासा स्थित हिरवावन उद्यान। सिलवासा के यात्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल तारपा उत्सव और विश्व पर्यटन दिवस आदि आयोजित किए जाते हैं।

त्योहार

इस क्षेत्र में सामान्यतया सभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई त्योहार मनाए जाते हैं। आदिवासी अपने ही त्योहार मनाते हैं। ढोडिया और वर्ली जनजातियां 'दिवसो' त्योहार मनाती हैं और ढोडिया जनजाति रक्षाबंधन भी मनाती है। वर्ली और कोली जनजातियां भावड़ा त्योहार मनाती हैं। यहां की सभी जातियों के लोग फसल काटने से पहले ग्राम देवी की पूजा करते हैं तथा फसल काटने के बाद 'काली पूजा' का त्योहार मनाते हैं।
वेबसाइट: www.dnh.nic.in

सरकार

प्रशासक	:	प्रफुल्ल खोडा पटेल
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

दमन और दीव

क्षेत्रफल	:	111 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	2,42,911 (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	:	दमन	**मुख्य भाषाएं**	:	गुजराती

इतिहास और भूगोल

दमन और दीव तथा गोवा देश की आजादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। 1961 में इन्हें भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। 30 मई, 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दमन मुंबई से लगभग 193 किलोमीटर दूर है। यह पूर्व में गुजरात, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में कोलक नदी तथा दक्षिण में कलाई नदी से घिरा है। गुजरात का वलसाड, दमन का पड़ोसी जिला है। दीव दो पुलों से जुड़ा हुआ द्वीप है। दीव का पड़ोसी जिला गुजरात का जूनागढ़ है।

कृषि और सिंचाई

दमन और दीव में कुल सिंचित क्षेत्र 393.93 हेक्टेयर है, जबकि असिंचित क्षेत्र 3304.73 हेक्टेयर है। यहां की महत्वपूर्ण फसलें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, दालें, सेम, गेहूं, चीकू, आम, केला, नारियल और गन्ना हैं। इस क्षेत्र में कोई बड़ा जंगल नहीं है।

उद्योग और बिजली

दमन और दीव में 2,930 मझोली तथा लघु उद्योग इकाइयां हैं। दमन में ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम द्वारा दो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। दाभेल, भीमपोर, काचीगाम और कदाइया दूसरे औद्योगिक क्षेत्र हैं।

सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। दमन और दीव को पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय बिजलीघरों से पर्याप्त बिजली मिल रही है।

परिवहन

सड़कें : सड़कों की कुल लंबाई क्रमशः 191 कि.मी. और 78 कि.मी. है।

रेलवे : दमन और दीव रेलमार्ग से नहीं जुड़े हैं। दमन का निकटतम रेलवे स्टेशन वापी है, जो पश्चिम रेलवे के मुंबई-दिल्ली मार्ग पर है। दीव का समीपवर्ती रेलवे स्टेशन मीटर गेज लाइन पर स्थित दलवाड़ा है।

उड्डयन : दमन और दीव दोनों में ही हवाई अड्डे हैं। दीव विमान सेवा से जुड़ा हुआ है तथा मुंबई से दीव तक की नियमित विमान सेवा उपलब्ध है।

पर्यटन स्थल

दमन के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं- बॉम जीसस चर्च, अवर लेडी ऑफ सी चर्च, अवर लेडी ऑफ रेमेडिओज चर्च, मोती दमन और नानी दमन के किले, जंपौर और देवका समुद्र तट, नानी दमन और मोती दमन जेट्टी में सार्वजनिक उद्यान, परगोला गार्डन, मोती दमन; एम्यूजमेंट पार्क, देवका; दमनगंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, काचिगाम; सत्य सागर उद्यान; मिरासोल गार्डन, मिरासोल वाटर पार्क।

दीव में सेंट पॉल चर्च, दीव फोर्ट और पानीकोटा फोर्ट, नागोआ और चक्रतीर्थ तथा घोघला और समर हाउस चिल्ड्रन पार्क प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।
वेबसाइट: www.daman.nic.in

सरकार

प्रशासक	:	प्रफुल्ल खोडा पटेल
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

दिल्ली

क्षेत्रफल	:	1,483 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	1.68 करोड़ (जनगणना 2011)
राजधानी	:	दिल्ली	**मुख्य भाषाएं**	:	हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

महाकाव्य महाभारत काल से ही दिल्ली का विशेष उल्लेख रहा है। दिल्ली का शासन एक वंश से दूसरे वंश को हस्तांतरित होता गया। यह मौर्यों से आरंभ होकर पल्लवों तथा मध्य भारत के गुप्तों से होता हुआ 13वीं से 15वीं सदी तक अफगान के तुर्क और अंत में 16वीं सदी में मुगलों के हाथों में पहुंचा। 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में दिल्ली में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। 1911 में कोलकाता से राजधाती दिल्ली स्थानांतरि होने पर यह शहर सभी तरह की गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ। देश के उत्तरी भाग में स्थित दिल्ली पूर्व दिशा को छोड़कर सभी ओर से हरियाणा राज्य से घिरी है, पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा इससे लगती है। दिल्ली के इतिहास में 69वां संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में लागू हो जाने से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ।

कृषि

गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का यहां की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अब किसान अनाज वाली फसलों की बजाय फलों और सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये गतिविधियां खाद्यान्नों, फसलों के मुकाबले अधिक लाभदायक साबित हुई हैं।

उद्योग

दिल्ली न केवल उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, बल्कि यह लघु उद्योगों का भी सबसे बड़ा केंद्र है। इनमें टेलीविजन, टेपरिकॉर्डर, हल्का इंजीनियरिंग साज-सामान, मशीनें, मोटरगाड़ियों के हिस्से-पुर्जे, खेलकूद का सामान, साइकिलें, पी.वी.सी. से बनी वस्तुएं, जूते-चप्पल, कपड़ा, उर्वरक, दवाएं, होजरी का सामान, चमड़े की वस्तुएं, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं।

सिंचाई और बिजली

दिल्ली के गांवों का तेजी से शहरीकरण होने की वजह से सिंचाई के अंतर्गत आने वाली खेती योग्य भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। राज्य में केशोपुर प्रवाह सिंचाई योजना चरण तृतीय' तथा 'जल संशोधन संयंत्र से सुधार एवं प्रवाह विस्तार सिंचाई प्रणाली' नामक दो योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में 350 हेक्टेयर की सिंचाई राज्य नलकूपों द्वारा और 1,376 हेक्टेयर की सिंचाई अतिरिक्त पानी द्वारा की जा रही है। इसके अलावा 4,900 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हरियाणा सरकार के अधीन पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जा रही है।

दिल्ली के लिए इसकी अपनी उत्पादन इकाइयों- राजघाट बिजलीघर, इंद्रप्रस्थ स्टेशन और बदरपर ताप बिजलीघर सहित गैस टरबाइन पर आधारित इकाई से 850-900 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। शेष बिजली उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड से प्राप्त की जाती है। दिल्ली में कई बिजली उत्पादन इकाइयां शुरू करने की योजना है। इंद्रप्रस्थ एस्टेट में प्रगति कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा चुका है। 330 मेगावाट प्रगति पावर परियोजना निर्माणाधीन है और जल्दी ही चालू होने वाली है। बिजली वितरण को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण कर दिया गया है और दिल्ली की बिजली व्यवस्था अब देश की दो जानी-मानी संस्थाओं- बीएसईएस तथा टाटा पावर (एनडीपीएल) द्वारा देखी जा रही है।

परिवहन

दिल्ली सड़कों, रेल लाइनों और विमान सेवाओं के जरिए भारत के सभी भागों से भली-भांति जुड़ी हुई है। यहां तीन हवाई अड्डे हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, पालम हवाई अड्डा घरेलू उड़ानों के लिए तथा सफदरजंग हवाई अड्डा प्रशिक्षण उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में पांच महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी हैं। ये दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। तीन अंतरराज्यीय बस अड्डे- कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में हैं।

दिल्ली शहर में बढ़ते वाहन प्रदूषण और यातायात की अस्त-व्यस्त स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने मास रेपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) लागू करने का निर्णय लिया। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली में आ गई है।

त्योहार

महानगर होने की वजह से यहां भारत के सभी प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। इनके अलावा दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम कुछ वार्षिक उत्सवों का भी आयोजन करता है। ये हैं: रोशनआरा उत्सव, शालीमार उत्स कुतुब मेला, शीतकालीन मेला, उद्यान पर्यटन मेला, जहान-ए-खुसरो उत्सव तथा आम महोत्सव।

पर्यटन स्थल

दिल्ली के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लक्ष्मीनारायण (बिड़ला) मंदिर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेंपल, अक्षरधाम आदि प्रमुख हैं। दिल्ली राज्य पर्यटन और परिवहन विकास निगम पर्यटकों को यहां के विभिन्न स्थानों की सैर कराने के लिए विशेष बस सेवाएं चलाता है। निगम ने पैरा सेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बोटिंग जैसी साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की हैं। निगम ने दो 'दिल्ली हाट' का विकास किया है, जहां विभिन्न राज्यों की खाद्य वस्तुएं और पेय एक ही जगह उपलब्ध हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में ऐसी ही 'हाट' बनाने की योजना है। निगम दिल्ली के अनेक भागों में 'कॉफी होम' भी चला रहा है। दिल्ली के दक्षिणी जिले में 'पंचेंद्रियों का पार्क' (गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज) भी खुला है, जो दिल्ली में आने वाले बहुत-से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।

वेबसाइट: www.delhi.gov.in

सरकार

उप-राज्यपाल	:	अनिल बैजल	**मुख्य सचिव**	:	विजय कुमार देव
मुख्य मंत्री	:	अरविंद केजरीवाल	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	:	दिल्ली

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल	:	2,22,236* वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	1.25 करोड़ (2011 जनगणना)
राजधानी	:	श्रीनगर (ग्रीष्मकाल में) जम्मू (शीतकाल में)	**मुख्य भाषाएं**	:	उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, बाल्टी, पहाड़ी, पंजाबी, गूजरी और दादरी।

क्षेत्रफल में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 78,114 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से दिया गया 5,180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र और चीन के अवैध कब्जे वाला 37,555 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है। जनसंख्या के आंकड़ों में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जों वाले क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं कराई जा सकी।

इतिहास और भूगोल

राजतरंगिणी तथा नीलमत पुराण नामक दो प्रामाणिक ग्रंथों में यह आख्यान मिलता है कि कश्मीर की घाटी कभी बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। इस कथा के अनुसार कश्यप ऋषि ने यहां से पानी निकाल लिया और इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया, किंतु भू-गर्भशास्त्रियों का कहना है कि भू-गर्भीय परिवर्तनों के कारण खदियानयार, बारामुला में पहाड़ों के धंसने से झील का पानी बहकर निकल गया और इस तरह पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाने वाली कश्मीर घाटी अस्तित्व में आई। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बाद में कनिष्क ने इसकी जड़ें और गहरी की। छठी शताब्दी के आरंभ में कश्मीर पर हूणों का अधिकार हो गया। यद्यपि 530 ईसवी में घाटी फिर स्वतंत्र हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। विक्रमादित्य राजवंश के पतन के पश्चात कश्मीर पर स्थानीय शासक राज करने लगे। वहां हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का मिश्रित रूप विकसित हुआ। कश्मीर के हिंदू राजाओं में ललितादित्य (697 से 738 ईसवी) सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका राज्य पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण, उत्तर-पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर-पूर्व में तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण किया। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ। मुस्लिम शासकों में जैन-उल-आबदीन (1420-70) सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जो कश्मीर में उस समय सत्ता में आया, जब तातारों के हमले के बाद हिंदू राजा सिंहदेव भाग गए। बाद में चक शासकों ने जैन-उल-आबदीन के पुत्र हैदरशाह की सेना को खदेड़ दिया और 1586 तक कश्मीर पर राज किया। सन 1586 अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। 1752 में कश्मीर तत्कालीन कमजोर मुगल शासक के हाथ से निकलकर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया। 67 वर्षों तक पठानों ने कश्मीर घाटी पर शासन किया।

जम्मू का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेषों तथा मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों से जम्मू के प्राचीन स्वरूप पर नया प्रकाश पड़ा है। जम्मू 22 पहाड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। डोगरा शासक राजा मालदेव ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने विशाल राज्य की स्थापना की। 1733 से 1782 तक राजा रणजीत देव ने जम्मू पर शासन किया। किंतु उनके उत्तराधिकारी दुर्बल थे, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया। बाद में उन्होंने डोगरा शाही खानदान के वंशज राजा गुलाब सिंह को जम्मू राज्य सौंप दिया। रणजीत सिंह के गवर्नरों में गुलाब सिंह सबसे शक्तिशाली बन गए और लगभग समूचे जम्मू क्षेत्र को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। 1947 तक जम्मू पर डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन

गृह मंत्रालय के आदेश एसओ संख्या 3979 (ई) दिनांक 02, नवम्बर 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया। इस आदेश के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को दो भागों- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती राज्य की

विधायिका, जिसमें विधान परिषद भी शामिल है, को समाप्त कर दिया गया है और अब उसे "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा" कहा जाएगा।

परिवहन

सड़कें : यह प्रदेश 400 वर्ग कि.मी. लंबे एक राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1ए) द्वारा शेष देश से जुड़ा हुआ है, जिसका रख-रखाव सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाता है। रेल यातायात शुरुआती चरण में होने के कारण पूरी तरह से सड़क मार्ग पर निर्भर है, जो दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने का मुख्य जरिया है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 1ए) के रख-रखाव का खर्च विश्व में सबसे अधिक है।

उड्डयन : तीन प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जो हवाई संपर्क उपलब्ध कराते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाकर इसका नाम शेख-उल-आलम हवाई अड्डा रखा गया है। जम्मू हवाई अड्डे का भी उन्नयन किया गया है।

कृषि

कृषि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी जीविका कृषि से अर्जित करती है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। 49 प्रतिशत (2011) कार्यरत आबादी में से 42 प्रतिशत किसान तथा सात प्रतिशत कृषि मजदूर हैं, जो अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। कृषि संवृद्धि का ग्रामीण रोजगार तथा आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के अलावा इसका ग्रामीण गैर कृषि-क्षेत्रों से महत्वपूर्ण द्वितीयक संबंध अधिक निर्णायक है। केसर, शहद तथा बासमती जैसे दुर्लभ उत्पादों के निर्यात में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और यह कई उद्योगों की कच्चे माल की मांग की आपूर्ति करने का भी महत्वपूर्ण जरिया है।

सिंचाई

सिंचाई खेती का एक अनिवार्य घटक है और विश्व के उन सभी हिस्सों में उपयोग में लाई जाती है, जहां बारिश का पानी धरती को पर्याप्त नमी नहीं दे पाता। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई क्षमता के केवल 50 प्रतिशत का ही दोहन किया गया है। प्रदेश की संभावित सिंचाई क्षमता 1,358 हजार हेक्टेयर है, जिसमें 250 हजार हेक्टेयर बड़ी और मझोली सिंचाई के जरिए तथा 1,108 हजार हेक्टेयर लघु सिंचाई से विकसित की जानी है।

बागवानी

जम्मू और कश्मीर देश तथा विदेशों में अपने बागवानी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सभी प्रकार के बागवा उत्पादों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिनमें सेब, नाशपती, आलूबुखारा, खुबानी, आड़ू, बादाम, चेरी जैसे समशीतोष्ण और आम, अमरूद, नींबू, लीची आदि जैसे उपोष्णकटिबंधीय फल शामिल हैं। इसके अलावा, यहां कुछ स्थानों पर केसर तथा जीरा जैसे महत्वपूर्ण मसाले भी उगाए जाते हैं।

हथकरघा

यह श्रम आधारित कुटीर उद्योग है, जिसमें रोजगार के काफी अवसर हैं। इस उद्योग की वृद्धि के लिए राज्य सरकार उत्पाद के डिजाइन एवं विविधीकरण, ऋण सुविधाएं तथा कौशल और हथकरघा उन्नयन के माध्यम से बुनकरों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। व्यापक प्रचार तथा विपणन प्रोत्साहनों के जरिए हथकरघा उत्पादों के लिए बाजारी पैठ विस्तृत की जा रही है।

पर्यटन

जम्मू और कश्मीर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। घने हरे जंगल, मीठे झरने, सदाबहार नदियां, चीड़ के जंगलों के मनोहर नजारे और कश्मीर घाटी का सुहावना मौसम-धरती का यह स्वर्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जबकि जम्मू क्षेत्र मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें प्रमुख मंदिर माता वैष्णो देवी का है।

मेले और त्योहार

मेले और त्योहार राज्य की विविध सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का प्रतिबिंब हैं। सभी हिंदू, मुस्लिम और सिख त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भारत के अन्य भागों की तरह जम्मू और कश्मीर में भी दीवाली, होली, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा तथा मिलाद-उन-नबी मनाए जाते हैं।
वेबसाइट: www.jammukashmir.nic.in

सरकार

राज्यपाल	:	गिरीश चंद्र मुर्मु	**मुख्य सचिव**	:	बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम
			उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र	:	जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख

लद्दाख

गृह मंत्रालय के आदेश एसओ संख्या 3979 (ई) दिनांक 02, नवम्बर 2019 द्वारा जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया। इस आदेश के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को दो भागों- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दो जिले लेह और करगिल हैं। दोनों जिलों में स्वायत्तशासी जिला परिषद हैं। आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, भूमि उपयोग, कराधान और स्थानीय शासन संबंधी निर्णयों के लिए ये परिषदें ग्राम पंचायतों के साथ मिल कर कार्य करती हैं। प्रदेश का अपना पुलिस बल है, जिसके मुखिया पुलिस महानिदेशक होते हैं। लद्दाख में निर्वाचित विधान सभा अथवा मुख्यमंत्री नहीं है।

सरकार

उप-राज्यपाल: राधा कृष्ण माथुर
उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

लक्षद्वीप

क्षेत्रफल	:	30 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	:	64,000 (जनगणना 2011)
राजधानी	:	कवारत्ती	**मुख्य भाषाएं**	:	मलयालम, धिवेही (मालदीव की भाषा)

इतिहास और भूगोल

इन द्वीपों के बारे में, इनके पूर्व इतिहास के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। समझा जाता है कि पहले-पहल लोग आकर अमीनी, अनद्रौत, कवरत्ती और अगात्ती द्वीपों पर बसे। पहले यह विश्वास किया जाता था कि द्वीप में आकर बसने वाले मूल लोग हिंदू थे और लगभग 14वीं शताब्दी में किसी समय अरब व्यापारियों के प्रभाव में आकर मुसलमान बन गए। परंतु हाल में पुरातत्वीय खोजों से पता चलता है कि लगभग छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास यहां बौद्ध रहते थे। सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को अपनाने वाले जिन लोगों और निवासियों का पता चलता है, वे 139 हिजरी वर्ष (आठवीं शताब्दी) के समय के मालूम होते हैं। इस तारीख का पता अगात्ती में हाल में खोजे गए मकबरों के पत्थरों पर खुदी तारीखों से लगा है। स्थानीय परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इस द्वीप में अरब सूफी उबैदुल्ला सन् 41 हिजरी में इस्लाम को लेकर आए।

शायद 16वीं शताब्दी तक स्वतंत्र इन द्वीपों में बसने वाले लोगों को पुर्तगालियों के उपनिवेशों के आधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए चिरक्कल के राजा की सहायता लेनी पड़ी। इससे वह यहां अपना प्रभुत्व जमा सका और बाद में इन द्वीपों को कन्नानूर में मोपला समुदाय के प्रमुख अली राजा को जागीर के रूप में सौंप दिया, जो बाद में स्वतंत्र शासक बन बैठा। अरक्कल शासन लोकप्रिय नहीं हुआ और 1787 में टीपू सुल्तान ने इन द्वीपों पर कब्जा करने की उत्तर के द्वीपवासियों की याचिका को स्वीकार कर लिया। टीपू सुल्तान के पतन के बाद ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के

अधिकार में दे दिए गए, परंतु इन पर कन्नानूर के शासक वस्तुतः तब तक शासन करते रहे, जब तक कि अंततः बीसवीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों ने इन पर कब्जा नहीं कर लिया। 1956 में इन द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और तब से इसका शासन केंद्र सरकार के प्रशासक के माध्यम से चल रहा है। 1973 में लक्का दीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, तीन प्रवाल भित्ति और छह जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। यहां के कुल 36 द्वीपों में से केवल 11 में आबादी है। ये द्वीप उत्तर में 8° और 12°3' अक्षांश पर तथा पूर्व में 71° और 74° देशांतर पर केरल तट से लगभग 280 से 480 कि.मी. दूर अरब सागर में फैले हुए हैं।

कृषि

यहां की प्रमुख फसल नारियल है और प्रतिवर्ष 60 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। 2,689 हेक्टेयर भूमि में यहां खेती की जाती है। यहां के नारियल को जैव उत्पाद (ऑर्गेनिक प्रोडक्ट) के रूप में जाना गया है। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन लक्षद्वीप में होता है तथा प्रति हेक्टेयर उपज 20,600 नारियल है और प्रत्येक पेड़ से प्रति वर्ष औसतन 82 नारियलों का उत्पादन होता है। लक्षद्वीप के नारियलों में विश्व के अन्य नारियलों के मुकाबले सर्वाधिक तेल (82 प्रतिशत) पाया जाता है।

मछली पालन

मछली पकड़ना यहां का अन्य प्रमुख कार्य है। इसके चारों ओर के समुद्र में मछलियां बहुत अधिक हैं। लक्षद्वीप में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है।

उद्योग

नारियल के रेशे और उससे बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन यहां का मुख्य उद्योग है। सरकारी क्षेत्र के अधीन नारियल के रेशों की सात फैक्ट्रियां, पांच रेशा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र और सात रेशा बंटने वाली इकाइयां हैं। इन इकाइयों में नारियल रेशों और सुतली के उत्पादन के अतिरिक्त नारियल के रेशे से बनी रस्सियां, कॉरीडोर मैट, चटाइयों और दरियों आदि का भी उत्पादन किया जाता है। विभिन्न द्वीपों में निजी क्षेत्र में भी कई नारियल रेशा इकाइयां काम कर रही हैं।

परिवहन

इस समय मुख्य द्वीपीय क्षेत्र में और अंतःद्वीपीय क्षेत्र एम.वी. कवरत्ती, एम.वी. अरब सागर, एम.वी. टीपू सुल्तान, एम.वी. भारत सीमा, एम.वी. मिनिकॉय, एम.वी. अमिनदिवी तथा एम.वी. दीपसेतु संचालित हैं। इसके अतिरि तीन 150 यात्री हाई स्पीड वैसल (उच्च गति जहाज) (एचएससी पराली, एचएससी वलियापनी और एचएससी चिरयापनी), तीन 50 यात्री वाले उच्च गति जहाज (एचएससी स्किप जैक, एचएससी ब्लू मार्लिन) और (एचएससी ब्लेक मार्लिन), एक 15 यात्री उच्च गति जहाज, एचएसी वीरंजली और दो 100 यात्री फेरी जहाज (एम.वी. खदीजा बीवी और एम.वी. हमीद बी) अंतर द्वीपीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बनाए रखती हैं। तीन 150 यात्री एचएससी आवश्यकतानुसार द्वीप और मुख्य क्षेत्र को जोड़ते हैं। चार कार्गो बार्ज- एम.वी. उबैदुल्ला, एम.वी. थिनाकारा, एम.वी. लाकादिव तथा एम.वी. चेरियम कार्गो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। द्वीपों से कवरत्ती तथा मुख्य भूमि तक गंभीर रोगियों को पहुंचाने के लिए प्रशासन चार्टर पर दो पवन हंस हेलीकॉप्टर चलाता है। एयरलाइंस अगाती और कोची को जोड़ने के लिए भी रविवार छोड़कर इंडियन एयरलाइन की वायुयान सेवा उपलब्ध है।

पर्यटन स्थल

एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में पर्यटन का विकास हो रहा है। अगाती, बंगारम, कलपेनी, कादमत, कवरत्ती तथा मिनीकॉय आदि मुख्य पर्यटन स्थल हैं।
वेबसाइट: www.lakshadweep.gov.in

सरकार

प्रशासक : दिनेश्वर शर्मा

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पुद्दुचेरी

क्षेत्रफल	: 490 वर्ग किलोमीटर	**जनसंख्या**	: 12,47,953 (जनगणना 2011–अनंतिम)
राजधानी	: पुदुचेरी	**मुख्य भाषाएं**	: तमिल, तेलुगू, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी

इतिहास और भूगोल

केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी रही है, जिसमें यहां के चार स्वायत्त क्षेत्र पुद्दुचेरी, करईकल, माहे और यनम आते हैं। पुद्दुचेरी इस क्षेत्र की राजधानी है और एक समय यह भारत में फ्रांसीसी सरकार का मुख्यालय हुआ करती थी। फ्रांस सरकार ने इन क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था 1954 में भारत सरकार को सौंप दी थी। इन सभी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में शामिल कर लिया गया था। पुद्दुचेरी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष तीन ओर तमिलनाडु के कडलूर और विल्लुपुरम जिले हैं।

कृषि

पोंडल की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को विस्तार देने और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को कद्दू वर्गीप सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहयोग दिया जाता है, ताकि वह स्थायी पोंडल ढांचों को स्थापित कर सकें। निर्माण की उच्च लागत के कारण किसानों को पोंडल ढांचों के निर्माण में काफी समस्याएं आती हैं। इस संबंध में 50 प्रतिशत छूट से लेकर प्रति एकड़ एक लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सब्जी उत्पादकों के लिए प्रति यूनिट क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने और आमदनी में वृद्धि करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त विकल्प है।

उद्योग

पुद्दुचेरी का कुल क्षेत्र 479 वर्ग कि.मी. है और पिछली जनगणना के अनुसार यहां की कुल आबादी 12.44 लाख है। यहां दक्षिण भारत के चार तटीय क्षेत्र जुड़ते हैं। निवेशोन्मुख होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में यहां बड़ी संख्या में निवेश और औद्योगिक विकास देखा गया है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था की सुस्त चाल के कारण औद्योगिक मंदी भी देखने को मिली है, बावजूद इसके विकास जारी है। पुद्दुचेरी में 77 बड़े,ख9067 लघु, छोटी औ मझोली औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें 2,909 करोड़ रुपये का निवेश है और यह इकाइयां क्षेत्र की जीवनधारा हैं और इनमें करीब एक लाख लोग काम करते हैं।

पर्यटन

शहर के पुराने हिस्से को बुलवार्ड टाउन कहा जाता है। यह चार बुलवार्ड्स से जुड़ा है, जो एक समय शहर की बाहरी सीमा निश्चित करते थे। बुलवार्ड टाउन में तमिल और फ्रांसीसी अंशों का स्थापत्य झलकता है, जिनके बीच एक नहर बहती है और इन्हें एक आयताकार ग्रिड योजना की मदद से जोड़ा गया है। कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं और शहर के स्थापत्य पर तमिल एवं फ्रांसीसी क्षेत्रों में पारंपरिक शैली से बने घरों का गहरा असर पड़ा है। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में पुरातात्विक स्थल अरिकनमेडु है, जिसकी खोज 200 ईसा पूर्व रोमनों ने की थी। इसका खुदाई कार्य अभी चल रहा है। आयी मंडपम का निर्माण नेपोलियन तृतीय के शासनकाल में हुआ था। 1773 में बना आनंद रंगपिल्लई का भवन तथा अपने गॉथिक स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस गिरजाघर दर्शनीय स्थल हैं।

बिजली

केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा बिजली आपूर्ति केंद्र सरकार के सेंट्रल जेनरेटिंग स्टेशंस (सीजीएस) और निकटवर्ती राज्यों के बिजली बोर्डों (टीएएनजीईडीसीओ और केएसईबी) से होती है। पुद्दुचेरी पावर कॉरपोरेशन लि. द्वारा चालित करईकल क्षेत्र में एक 32.5 मेगावाट गैस आधारित बिजली संयंत्र भी है, जो करईकल क्षेत्र की बिजली

जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करता है।
वेबसाइट: www.py.gov.in

सरकार

उपराज्यपाल	: डॉ. किरण बेदी, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	**मुख्य सचिव**	: अश्विनी कुमार
मुख्यमंत्री	: वी. नारायणसामी	**उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र**	: पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

31 राष्ट्रीय घटनाक्रम

1 जनवरी, 2019 - 31 दिसंबर, 2019

जनवरी-2019

- संविधान (103वां संशोधन अधिनियम), 2019 लागू हुआ, जो सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
- महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया।
- वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हुआ।
- भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी-सी44, ने सफलतापूर्वक माइक्रोसैट-R और कलामसैट-V2 उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट कक्षाओं में प्रविष्ट किया।
- मुंबई में पहला भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।
- सरकार ने विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंजूरी दी; भारतीय बैंकिंग में पहली बार तीन बैंकों का विलय हुआ।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस पहल पर वुमेनिया शुरू की गई ताकि महिला उद्यमी अपने द्वारा निर्मित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर सकें।
- देशभर में जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ई-कोर्ट सेवाएं शुरू की गईं।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट दुनिया के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय बंदरगाह बना।

फरवरी-2019

- राष्ट्रपति ने वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए।
- खेलों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए खेलो इंडिया ऐप शुरू किया गया।
- राष्ट्रपति ने वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान किए।
- प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया।
- खनन क्षेत्र के प्रभावी विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंजूरी।
- किसानों के कल्याण के लिए 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' योजना को मंजूरी।
- आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए ई-औषधि पोर्टल शुरू किया गया।
- मध्य प्रदेश के भोपाल और असम के जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया गया।
- वेब स्पेस में उत्कृष्टता के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार, 2018 प्रदान किए गए।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उद्योगों में प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्नातकों के लिए श्रेयस (SHREYAS) नाम से "कौशल और प्रशिक्षुता में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए योजना" शुरू की है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य शृंखला के विकास के लिए

वन धन योजना का शुभारम्भ किया।

मार्च-2019 Bharat_2020_DPD: E published on DPD mobile app

- भारत ने ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपना पहला उपग्रह रोधी मिसाइल (एंटी सैटेलाइट मिसाइल) परीक्षण "मिशन शक्ति" का संचालन किया जिसके द्वारा अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित एक उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया।
- नागपुर में महाराष्ट्र की दूसरी मेट्रो लेन का उद्घाटन किया गया।
- दृष्टिबाधित दिव्यांगों के अनुकूल 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नए सिक्के जारी।
- इसरो ने 2019 से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम अथवा युवा विज्ञानी कार्यकम (युविका) शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया।
- "विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद" विषय के साथ "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2019" मनाया गया जिसमें स्मार्ट उत्पादों से जुड़े सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में जानकारी दी गई।
- कुंभ मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थानों में सबसे बड़े पेंटिंग अभ्यास के लिए स्थान मिला।
- राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- "मन की बात - ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो" नामक पुस्तक नई दिल्ली में जारी की गई। यह पुस्तक आकाशवाणी पर प्रसारित भारत के नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री की दिल से दिल की बात के 50 एपिसोड्स पर आधारित है।
- गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर का पणजी में निधन।
- देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए एक ही स्मार्ट कार्ड का प्रारूप जारी।
- पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया।
- राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार, 2018 के अंतर्गत 44 पुरस्कार प्रदान किए।

अप्रैल-2019

- पीएसएलवी-सी45 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR से EMISAT और 28 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- भारत ने दोहा, कतर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2019 में 17 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया।
- बढ़ते वित्तीय संकट के चलते भारत की प्रमुख निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का परिचालन बंद हुआ।

मई-2019

- श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) देशों के सभी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
- संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया। इससे पहले चीन ने उसे काली सूची में डाले जाने के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति वापस ले ली थी।
- आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR से पीएसएलवी-सी 46 ने राडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, RISAT-2B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश एमके-1 एस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर, ओडिशा से सफल परीक्षण किया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना शुरू की।

जून-2019

- 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। राजस्थान से भाजपा सांसद ओम बिरला को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।
- प्रधानमंत्री ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के लिए राष्ट्रीय संस्थान के पुनर्गठन को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में देश के सभी किसानों को शामिल किया गया, भले ही उनकी भूमि कितनी भी हो।
- हवाई क्षेत्र के श्रेष्ठतम उपयोग और हवाई यातायात को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली में नई केंद्रीकृत वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
- तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना - कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया।

जुलाई-2019

- भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी एमके III-एमआई I, ने सफलतापूर्वक चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में भेजा।
- जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया गया।
- आयुष मंत्रालय ने सभी स्तरों पर आयुष स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण के लिए आयुष जीआरआईडी परियोजना को मूर्त रूप दिया।
- भारत 2019 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पांच स्थानों की छलांग लगाकर 52वें स्थान पर पहुंच गया।
- दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का दिल्ली में निधन।
- संसद ने तीन तलाक प्रथा को अवैध, असंवैधानिक और दंडनीय बनाने वाला तीन तलाक अधिनियम पारित किया।
- तेज धावक दुती चंद इटली के नेपल्स में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
- तेज धावक हिमा दास ने पोलैंड और चेक गणराज्य में अलग-अलग प्रतिस्पर्धाओं में एक महीने में लगातार पांच स्वर्ण पदक जीते।
- बिहार और असम के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा किया।

अगस्त-2019

- राष्ट्रपति ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किया और संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को मंजूरी दी। इस कदम से जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त करके इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार प्रदान किए।
- बैडमिंटन खिलाड़ी पी. वी. सिंधु जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराने के बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी।
- पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी ने स्विट्जरलैंड के बासेल में बीडब्ल्यूएफ पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण हासिल करके इतिहास रच दिया।
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की।
- कुश्ती में दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में तालिन, एस्टोनिया में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 18 साल में वह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने।

- वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल्ली में निधन।
- देश में कहीं भी जेनेरिक दवाओं की खोज और उनके बिक्री केंद्रों का पता लगाने के लिए जनऔषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा पोर्टल 'शगुन' प्रारम्भ किया।
- पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली का दिल्ली में निधन।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रोज़गार समाचार के ई-संस्करण की शुरुआत की।
- भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चेहरे के बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए हैं, जिन्हें नाविकों के लिए बायोमेट्रिक सीफ़रर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है।
- एक देश, एक राशन कार्ड योजना को चार राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पायलट आधार पर लागू किया गया।

सितंबर-2019

- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू हुआ।
- भारत ने पृथ्वी के मरुस्थलीकरण से निपटने (यूएनसीसीडी) के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के 14वें सम्मेलन (सीओपी 14) की मेजबानी की।
- भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन, चंद्रयान 2 के लैंडर 'विक्रम' का चंद्रमा की सतह पर उतरने के समय अंतिम क्षणों में जमीनी संचार केंद्रों से संपर्क टूटा जिससे उसकी हार्ड लैंडिंग हुई।
- लघु और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा आवरण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना शुरू हुई।
- भारत ने सुखोई-30 MKI से उड़ान के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र' का सफल परीक्षण किया।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक पहुंच बढ़ाने के लिए आगामी दशक (2019-2029) के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति शुरू की गयी।

अक्टूबर-2019

- राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई।
- जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया।
- भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने वैश्विक गरीबी पर अपने काम के लिए अर्थशास्त्र का 2019 का नोबेल पुरस्कार जीता।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
- मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के दसवें संस्करण का आयोजन हुआ।
- सीसीआरटी का ई-पोर्टल और यूट्यूब चैनल 'डिजिटल भारत डिजिटल संस्कृति' शुरू किया गया।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व-2019 का आयोजन किया गया।
- भारत और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 190 देशों में 14 पायदानों की छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंचा।

नवंबर-2019

- गुरु नानक देव की 550वीं जयंती देशभर में मनाई गई। प्रधानमंत्री ने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और 500 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।

- उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर अपने फैसले में उसी स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और केंद्र सरकार को अयोध्या में मुसलमानों के लिए पांच एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया।
- राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
- न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- संसद ने ट्रांसजेंडर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया।
- मुंबई और हैदराबाद फिल्म और पाक कला के क्षेत्र में यूनेस्को के सृजनात्मक नगर तंत्र (क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क) के सदस्य बने।
- भारत का 50वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया।
- उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।

दिसंबर-2019

- भारत के उपराष्ट्रपति ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता अमिताभ बच्चन 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए।
- भारत ने मैड्रिड, स्पेन में आयोजित वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 में भाग लिया।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत, जिसे 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी।
- संसद ने दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली का विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया- अभी तक ये दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। नए केंद्र शासित प्रदेश को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव कहा जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर (टोल) संग्रह के लिए पहले से भुगतान किया हुआ (प्रीपेड रिचार्जेबल) टैग - फास्टैग (FASTags) सभी वाहनों के लिए अनिवार्य बनाया गया।
- भारतीय रेलवे में 2019 के दौरान एक भी यात्री की मृत्यु दर्ज नहीं की गयी, जिससे यह इस राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली का सबसे सुरक्षित वर्ष बना।
- हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के तहत नए सैन्य विभाग के प्रमुख के पद के लिए रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख के पद को मंजूरी दी।
- जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया।
- जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।
- भारतीय वायु सेना ने अंतिम मिग-27 स्क्वाड्रन को सेवा से हटाया।

32 सामान्य सूचना

वरीयता तालिका[1]

राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता क्रम इस प्रकार है :

1. राष्ट्रपति

2. उप-राष्ट्रपति

3. प्रधानमंत्री

4. राज्यों के राज्यपाल (अपने राज्य में)

5. पूर्व राष्ट्रपति

5क. उप-प्रधानमंत्री

6. भारत के प्रधान न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष

7. केंद्र के कैबिनेट मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने राज्य में) उपाध्यक्ष, नीति आयोग पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता

7क. भारत-रत्न से अलंकृत/सम्मानित

8. भारत में मान्यता प्राप्त अन्य देशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त
   राज्यों के मुख्यमंत्री (अपने-अपने राज्यों के बाहर)
   राज्यों के राज्यपाल (अपने-अपने राज्यों के बाहर)

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

9क. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
   मुख्य निर्वाचन आयुक्त
   भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक

10. राज्यसभा के उप-सभापति
   राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
   लोकसभा उपाध्यक्ष
   नीति आयोग के सदस्य
   केंद्र के राज्यमंत्री (और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री)

11. भारत के महान्यायवादी
   मंत्रिमंडल सचिव

केंद्र शासित प्रदेशों में उप-राज्यपाल (अपने प्रदेश में)

12. पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक के सेनाध्यक्ष

13. भारत में मान्यता प्राप्त विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री

14. राज्य विधायिकाओं के सभापति और अध्यक्ष (अपने-अपने राज्यों में)
अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

15. अपने-अपने राज्यों के कैबिनेट मंत्री
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद
केंद्र के उप-मंत्री

16. लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के स्थानापन्न सेनाध्यक्ष

17. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
अपने-अपने क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों के उत्तरवर्ती न्यायाधीश

18. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के कैबिनेट मंत्री
अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष
एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार कार्यकलाप आयोग के अध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों में राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति और उपाध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों में राज्यों के राज्यमंत्री
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद,
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष

19. अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रिपरिषद रहित केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त
अपने-अपने राज्यों में राज्यों के उप-मंत्री
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों में वहां की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति

20. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति और उपाध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के राज्यमंत्री
अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर उच्च न्यायालयों के उत्तरवर्ती न्यायाधीश

21. संसद सदस्य

22. अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उप-मंत्री

23. सेना कमांडर/थल सेना उपाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष पदाधिकारी
अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य
पूर्ण जनरल रैंक तथा समकक्ष रैंक के अधिकारी
भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन रूप में धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
अल्पसंख्यक आयोग के सचिव
अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के सचिव

राष्ट्रपति के सचिव
प्रधानमंत्री के सचिव
राज्यसभा/लोकसभा के सचिव
सॉलिसिटर जनरल (महान्यायवादी)
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष

24. लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी

25. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (अतिरिक्त महान्यायवादी)
राज्यों के महाधिवक्ता
प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) के अध्यक्ष
प्रभारी राजदूत तथा अंतरिम कार्यवाहक उच्चायुक्त
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद
अपने-अपने राज्य से बाहर राज्यों के मुख्य सचिव
उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति
निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
निदेशक, गुप्तचर ब्यूरो
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर उप-राज्यपाल
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य
एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार कार्यकलाप आयोग के सदस्य
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद
मेजर जनरल तथा समकक्ष रैंक के सशस्त्र बलों के प्रमुख स्टाफ अधिकारी
अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के सभापति और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष स्तर के अधिकारी
मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारी

नोट

नोट-*1*: वरीयता तालिका केवल राजकीय और समारोह अवसरों के लिए है और इसका दैनिक सरकारी कार्य से कोई संबंध नहीं है।

नोट-*2*: वरीयता तालिका में उल्लिखित व्यक्ति अपने क्रम के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे। एक ही क्रम में वर्णित प्रविष्टियां अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दी गई हैं। एक ही क्रम में जोड़े गए नामों के वरीयता क्रम उसमें की गई प्रविष्टि की तारीख के अनुसार होंगे। यद्यपि एक ही क्रम में शामिल विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गणमान्य व्यक्ति, अपने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से बाहर किसी समारोह में उपस्थित हैं तथा उनकी प्रविष्टि की तारीख सुनिश्चित करना कठिन है तो उनको उक्त क्रम में प्रविष्टि की तारीख के अनुसार वरीयता क्रम निर्धारित किए जा चुके व्यक्तियों के बाद संबंधित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार वरीयता क्रम दिया जा सकता है।

नोट-*3*: क्रम संख्या 7 में पूर्व प्रधानमंत्रियों का वरीयता क्रम केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों तथा लोकसभा और राज्यसभा में

विरोधी दल के नेताओं से पहले होगा। अपने-अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वरीयता क्रम संबंधित राज्यों में आयोजित सरकारी समारोहों में केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों से पहले होगा।

नोट-*4*: क्रम संख्या 8 में :

(क) असाधारण राजदूतों और पूर्णाधिकारी राजदूतों तथा भारत में मान्यताप्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्तों का अग्रता क्रम सामूहिक रूप से अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपालों से ऊपर होगा।

(ख) अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यपाल सामूहिक रूप से अग्रता क्रम में अपने-अपने राज्यों से बाहर के मुख्यमंत्रियों से ऊपर होंगे।

नोट-*5*: विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय राजदूतों/उच्चायुक्तों तथा पूर्णाधिकारी मंत्रियों की भारत यात्रा के दौरान उन्हें समुचित रैंक प्रदान कर सकता है।

नोट-*6*: नोट-*2* में निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद क्रम 10 में वर्णित व्यक्तियों का पारस्परिक अग्रता-क्रम निम्नलिखित होगाः

(1) उप-सभापति, राज्यसभा

(2) उपाध्यक्ष, लोकसभा

(3) रक्षा मामलों को देखने वाले रक्षा मंत्रालय में केंद्र के राज्यमंत्री तथा कोई अन्य मंत्री

(4) राज्यों के उप-मुख्यमंत्री

(5) नीति आयोग के सदस्य।

यद्यपि अपने-अपने राज्यों से बाहर राज्यों के उप-मुख्यमंत्रियों का अग्रता-क्रम हमेशा इस क्रम में वर्णित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के रैंक से नीचे होगा।

नोट-*7*: एक ही दिन निर्वाचित होने की स्थिति में राज्यों की विधान परिषद के सभापतियों का अग्रता-क्रम विधान सभाओं के अध्यक्षों से ऊपर होगा।

नोट-*8*: बड़े राजकीय समारोहों में समूह में संसद सदस्यों को आमंत्रित किए जाने की स्थिति में उनके लिए आरक्षित स्थान प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा राजदूतों के बाद होना चाहिए।

नोट-*9*: केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष तथा दिल्ली महानगर परिषद के सभापति का अग्रता-क्रम उसी क्रम में शामिल मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों से पहले होगा।

नोट-*10*: क्रम संख्या 23 में :

(क) विदेश सचिव को छोड़कर विदेश मंत्रालय के सचिवों का पारस्परिक अग्रता-क्रम वही होगा जो भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में उनका वरिष्ठतम क्रम है तथा दोनों ही विदेश सचिव के बाद होगा।

(ख) अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का अग्रता-क्रम हमेशा इन आयोगों के सचिवों से ऊपर होगा।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले सरकारी समारोहों में सेना कमांडरों/थल सेना उपाध्यक्षों तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारियों का अग्रता-क्रम हमेशा भारत सरकार के सचिवों के बाद होगा।

नोट-*11*: क्रम संख्या 25 में :

(क) विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिवों का पारस्परिक अग्रता-क्रम वही होगा जो भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में उनका वरिष्ठतम क्रम है।

(ख) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का अग्रता-क्रम राज्यों के महाधिवक्ताओं से ऊपर होगा।

(ग) उप-राज्यपालों का अग्रता-क्रम मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऊपर होगा, जो अग्रता-क्रम में विधान सभाओं के अध्यक्षों तथा दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष के पहले होंगे।

(घ) केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के उपाध्यक्षों तथा दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति का अग्रता-क्रम केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद होगा।

नोट-***12***: क्रम संख्या 26 के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के समकक्ष पदों के अग्रता-क्रम का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति[2]

नाम	अवधि
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884–1963)	26 जनवरी, 1950 — 13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	13 मई, 1962 — 13 मई, 1967
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	13 मई, 1967 — 03 मई, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)(कार्यवाहक)	03 मई, 1969 — 20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 — 24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	24 अगस्त, 1969 — 24 अगस्त, 1974
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905–1977)	24 अगस्त, 1974 — 11 फरवरी, 1977
बी.डी. जत्ती (1912–2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 — 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913–1996)	25 जुलाई, 1977 — 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी ज़ैल सिंह (1916–1994)	25 जुलाई, 1982 — 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरामन (1910–2009)	25 जुलाई, 1987 — 25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	25 जुलाई, 1992 — 25 जुलाई, 1997
के.आर. नारायणन (1920–2005)	25 जुलाई, 1997 — 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931–2015)	25 जुलाई, 2002 — 25 जुलाई, 2007
प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007 — 25 जुलाई, 2012
प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012 — 25 जुलाई, 2017
रामनाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017 से अब तक

भारत के उप-राष्ट्रपति[3]

नाम	अवधि
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	13, मई, 1952 — 12 मई, 1962
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	13 मई, 1962 — 12 मई, 1967
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	13 मई, 1967 — 3 मई, 1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896–1982)	31 अगस्त, 1969 — 30 अगस्त, 1974
बी.डी. जत्ती (1912–2002)	31 अगस्त, 1974 — 30 अगस्त, 1979
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992)	31 अगस्त, 1979 — 30 अगस्त, 1984
आर. वेंकटरमन (1910–2009)	31 अगस्त, 1984 — 24 जुलाई, 1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	3 सितंबर, 1987 — 24 जुलाई, 1992
के.आर. नारायणन (1920–2005)	21 अगस्त, 1992 — 24 जुलाई, 1997
कृष्णकांत (1927–2002)	21 अगस्त, 1997 — 21 जुलाई, 2002
भैरों सिंह शेखावत (1923–2010)	19 अगस्त, 2002 — 21 जुलाई, 2007
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	11 अगस्त, 2007 — 10 अगस्त, 2017
श्री एम. वेंकैया नायडू (जन्म 1949)	11 अगस्त, 2017 से अब तक

भारत के प्रधानमंत्री[4]

नाम	अवधि
पं. जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)	15 अगस्त, 1947 — 27 मई, 1964
गुलज़ारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964 — 09 जून, 1964
लाल बहादुर शास्त्री (1904–1966)	9 जून, 1964 — 11 जनवरी, 1966
गुलज़ारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966 — 24 जनवरी, 1966
इंदिरा गांधी (1917–1984)	24 जनवरी, 1966 — 24 मार्च, 1977
मोरारजी देसाई (1896–1995)	24 मार्च, 1977 — 28 जुलाई, 1979
चरण सिंह (1902–1987)	28 जुलाई, 1979 — 14 जनवरी, 1980
इंदिरा गांधी (1917–1984)	14 जनवरी, 1980 — 31 अक्टूबर, 1984
राजीव गांधी (1944–1991)	31 अक्तूबर, 1984 — 02 दिसंबर, 1989
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931–2008)	2 दिसंबर, 1989 — 10 नवंबर, 1990
चन्द्रशेखर (1927–2007)	10 नवंबर, 1990 — 21 जून, 1991
पी.वी. नरसिम्हा राव (1921–2004)	21 जून, 1991 — 16 मई, 1996
अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2018)	16 मई, 1996 — 01 जून, 1996
एच.डी. देवेगौड़ा (जन्म 1933)	01 जून, 1996 — 21 अप्रैल, 1997
इंद्र कुमार गुजराल (1919–2012)	21 अप्रैल, 1997 — 19 मार्च, 1998
अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2018)	19 मार्च, 1998 — 22 मई, 2004
डॉ. मनमोहन सिंह (जन्म 1932)	22 मई, 2004 — 26 मई, 2014
नरेंद्र मोदी (जन्म 1950)	26 मई, 2014 से अब तक

भारत के मुख्य न्यायाधीश[5]

नाम	अवधि
हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 — 06 नवंबर, 1951
एम. पतंजलि शास्त्री	07 नवंबर, 1951 — 03 जनवरी, 1954
मेहर चंद महाजन	04 जनवरी, 1954 — 22 दिसंबर, 1954
बी.के. मुखर्जी	23 दिसंबर, 1954 — 31 जनवरी, 1956
एस.आर. दास	01 फरवरी, 1956 — 30 सितंबर, 1959
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	01 अक्तूबर, 1959 — 31 जनवरी, 1964
पी.बी. गजेंद्रगडकर	01 फरवरी, 1964 — 15 मार्च, 1966
ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 — 29 जून, 1966
के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 — 11 अप्रैल, 1967
के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 — 24 फरवरी, 1968
एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 — 16 दिसंबर, 1970
जे.सी. शाह	17 दिसंबर, 1970 — 21 जनवरी, 1971
एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 — 25 अप्रैल, 1973
ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 — 28 जनवरी, 1977
एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 — 21 फरवरी, 1978
वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 — 11 जुलाई, 1985
पी. एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 — 20 दिसंबर, 1986
आर. एस. पाठक	21 दिसंबर, 1986 — 18 जून, 1989
ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 — 17 दिसंबर, 1989
एस. मुखर्जी	18 दिसंबर, 1989 — 25 सितंबर, 1990
रंगनाथ मिश्र	25 सितंबर, 1990 — 24 नवंबर, 1991
के.एन. सिंह	25 नवंबर, 1991 — 12 दिसंबर, 1991
एम.एच. कानिया	13 दिसंबर, 1991 — 17 नवंबर, 1992
एल.एम. शर्मा	18 नवंबर, 1992 — 11 फरवरी, 1993
एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 — 24 अक्टूबर, 1994
ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 — 24 मार्च, 1997
जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 — 17 जनवरी, 1998
एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 — 09 अक्टूबर, 1998
ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 — 31 अक्टूबर, 2001
एस.पी. भरूचा	01 नवंबर, 2001 — 05 मई, 2002
बी.एन. कृपाल	06 मई, 2002 — 07 नवंबर, 2002
जी.बी. पटनायक	08 नवंबर, 2002 — 18 दिसंबर, 2002
वी.एन. खरे	19 दिसंबर, 2002 — 01 मई, 2004
एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004 — 31 मई, 2004
आर.सी. लाहोटी	01 जून, 2004 — 31 अक्टूबर, 2005

वाई.के. सब्बरवाल	01 नवंबर, 2005 — 13 जनवरी, 2007
के.जी. बालाकृष्णनन	14 जनवरी, 2007 — 11 मई, 2010
एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010 — 28 सितंबर, 2012
अल्तमश कबीर	29 सितंबर, 2012 — 18 जुलाई, 2013
पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013 — 26 अप्रैल, 2014
आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014 — 27 सितंबर, 2014
एच.एल. दत्तू	28 सितंबर, 2014 — 02 दिसंबर, 2015
टी. एस. ठाकुर	03 दिसंबर, 2015 — 03 जनवरी, 2017
जगदीश सिंह खेहर	04 जनवरी, 2017 — 27 अगस्त, 2017
दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017 — 02 अक्टूबर, 2018
रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018 — 17 नवंबर, 2019
शरद अरविंद बोबड़े	18 नवंबर, 2019 से अब तक

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त[6]

नाम	अवधि		
सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950	—	19 दिसंबर, 1958
के.वी.के. सुंदरम	20 दिसंबर, 1958	—	30 सितंबर, 1967
एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967	—	30 सितंबर, 1972
डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972	—	06 फरवरी, 1973
टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973	—	17 जून, 1977
एस.एल. शकधर	18 जून, 1977	—	17 जून, 1982
आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982	—	31 दिसंबर, 1985
आर.वी.एस. पेरी सास्त्री	01 जनवरी, 1986	—	25 नवंबर, 1990
श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवंबर, 1990	—	11 दिसंबर, 1990
टी.एन. शेषन	12 दिसंबर, 1990	—	11 दिसंबर, 1996
एम.एस. गिल	12 दिसंबर, 1996	—	13 जून, 2001
जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001	—	07 फरवरी, 2004
टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004	—	15 मई, 2005
बी.बी. टंडन	16 मई, 2005	—	29 जून, 2006
एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006	—	20 अप्रैल, 2009
नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009	—	29 जुलाई, 2010
एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010	—	10 जून, 2012
वी.एस. संपत	11 जून, 2012	—	15 जनवरी, 2015
एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015	—	18 अप्रैल, 2015
नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015	—	05 जुलाई, 2017
अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017	—	22 जनवरी, 2018
ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018	—	1 दिसंबर, 2018
सुनील अरोड़ा	2 दिसंबर, 2018 से अब तक		

कैबिनेट सचिव[7]

कैबिनेट सचिव	अवधि		
एन.आर. पिल्लै	06 फरवरी, 1950	—	13 मई, 1953
वाई.एन. सूक्तांकर	14 मई, 1953	—	31 जुलाई, 1957
एम.के. वेल्लोडी	01 अगस्त, 1957	—	04 जून, 1958
विष्णु सहाय	01 जुलाई, 1958	—	10 नवंबर, 1960
बी.एन. झा	10 नवंबर, 1960	—	08 मार्च, 1961
विष्णु सहाय	09 मार्च, 1961	—	15 अप्रैल, 1962
एस.एस. खेड़ा	15 अप्रैल, 1962	—	18 नवंबर, 1964
धर्म वीरा	18 नवंबर, 1964	—	27 जून, 1966
डी.एस. जोशी	27 जून, 1966	—	31 दिसंबर, 1968
बी. सिवरामन	01 जनवरी, 1969	—	30 नवंबर, 1970
टी. स्वामीनाथन	01 दिसंबर, 1970	—	02 नवंबर, 1972
बी.डी. पांडे	02 नवंबर, 1972	—	31 मार्च, 1977
एन.के. मुखर्जी	31 मार्च, 1977	—	31 मार्च, 1980
एस.एस. ग्रेवाल	02 अप्रैल, 1980	—	30 अप्रैल, 1981
सी.आर. कृष्णास्वामी राव	30 अप्रैल, 1981	—	08 फरवरी, 1985
पी.के.कौल	08 फरवरी, 1985	—	22 अगस्त, 1986
बी.जी. देशमुख	23 अगस्त, 1986	—	27 मार्च, 1989
टी.एन. शेषन	27 मार्च, 1989	—	23 दिसंबर, 1989
वी.सी. पांडे	23 दिसंबर, 1989	—	11 दिसंबर, 1990
नरेश चंद्रा	11 दिसंबर, 1990	—	31 जुलाई, 1992
एस. राजगोपाल	01 अगस्त, 1992	—	31 जुलाई, 1993
ज़फर सैफुल्ला	31 जुलाई, 1993	—	31 जुलाई, 1994
सुरेंद्र सिंह	01 अगस्त, 1994	—	31 जुलाई, 1996
टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन	01 अगस्त, 1996	—	31 मार्च, 1998
प्रभात कुमार	01 अप्रैल, 1998	—	31 अक्टूबर, 2000
टी.आर. प्रसाद	01 नवंबर, 2000	—	31 अक्टूबर, 2002
कमल पांडे	01 नवंबर, 2002	—	14 जून, 2004
बी.के. चतुर्वेदी	14 जून, 2004	—	13 जून, 2007
के.एम. चंद्रशेखर	14 जून, 2007	—	13 जून, 2011
अजीत कुमार सेठ	14 जून, 2011	—	13 जून, 2015
प्रदीप कुमार सिन्हा	13 जून, 2015	—	30 अगस्त, 2019
राजीव गाबा	30 अगस्त, 2019 से अब तक		

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष[8]

नाम	अवधि		
सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926	—	अगस्त 1932
सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932	—	1936
सर आयरे गोर्डन	1937	—	1942
सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन	1942	—	1947
एच.के. कृपलानी	01 अप्रैल, 1947	—	13 जनवरी, 1949
आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी, 1949	—	09 मई, 1955
एन. गोविंदराजन	10 मई, 1955	—	09 दिसंबर, 1955
वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसंबर, 1955	—	09 दिसंबर, 1961
बी.एन. झा	11 दिसंबर, 1961	—	22 फरवरी, 1967
के.आर. दामले	18 अप्रैल, 1967	—	02 मार्च, 1971
आर.सी.एस. सरकार	11 मई, 1971	—	01 फरवरी, 1973
डॉ. ए.आर. किदवई	05 फरवरी, 1973	—	04 फरवरी, 1979
डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी, 1979	—	16 फरवरी, 1985
एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी, 1985	—	05 मार्च, 1990
जे.पी. गुप्ता	05 मार्च, 1990	—	02 जून, 1992
आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितंबर, 1992	—	23 अगस्त, 1996
एस.जे.एस. छतवाल	23 अगस्त, 1996	—	30 सितंबर, 1996
जे.एम. कुरैशी	30 सितंबर, 1996	—	11 दिसंबर, 1998
ले.ज. (सेनानिवृत) सुरिंदर नाथ	11 दिसंबर, 1998	—	25 जून, 2002
पी.सी. होता	25 जून, 2002	—	08 सितंबर, 2003
माता प्रसाद	08 सितंबर, 2003	—	04 जनवरी, 2005
डॉ. एस.आर. हाशिम	04 जनवरी, 2005	—	01 अप्रैल, 2006
गुरबचन जगत	01 अप्रैल, 2006	—	30 जून, 2007
सुबीर दत्ता	30 जून, 2007	—	16 अगस्त, 2008
प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त, 2008	—	16 अगस्त, 2014
रजनी राजदान	16 अगस्त, 2014	—	22 नवंबर, 2014
दीपक गुप्ता	22 नवंबर, 2014	—	20 सितंबर, 2016
अल्का सिरोही	20 सितंबर, 2016	—	03 जनवरी, 2017
प्रो. डेविड आर. सिमलिएह	4 जनवरी, 2017	—	21 जनवरी, 2018
विनय मित्तल	22 जनवरी, 2018	—	19 जून, 2018
अरविंद सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून, 2018	—	28 नवंबर, 2018
अरविंद सक्सेना	28 नवंबर, 2018 से अब तक		

नागरिक सम्मान

भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण मानवीय सेवा/कार्यों के लिए

दिया जाता है। 1954 में इसकी शुरुआत के बाद आज तक भारत रत्न 48 लोगों को दिया जा चुका है।

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

क्रम संख्या	नाम	पुरस्कार का वर्ष
1.	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878–1972)	1954
2.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	1954
3.	डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888–1970)	1954
4.	डॉ. भगवान दास (1869–1958)	1955
5.	डॉ. मोक्षागुंडम विस्वेश्वरैया (1861–1962)	1955
6.	पं. जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)	1955
7.	पं. गोविंद बल्लभ पंत (1887–1961)	1957
8.	डॉ. धोंडो केशव कर्वे (1858–1962)	1958
9.	डॉ. बिधानचंद्र रॉय (1882–1962)	1961
10.	पुरुषोत्तम दास टंडन (1882–1962)	1961
11.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884–1963)	1962
12.	डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	1963
13.	डॉ. पांडुरंग वामन काणे (1880–1972)	1963
14.	लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत) (1904–1966)	1966
15.	इंदिरा गांधी (1917–1984)	1971
16.	वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	1975
17.	कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत) (1903–1975)	1976
18.	मदर टेरेसा (1910–1997)	1980
19.	आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत) (1895–1982)	1983
20.	खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान (1890–1988)	1987
21.	मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत) (1917–1987)	1988
22.	डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (मरणोपरांत) (1891–1956)	1990
23.	डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला (1918–2013)	1990
24.	राजीव गांधी (मरणोपरांत) (1944–1991)	1991
25.	सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत) (1875–1950)	1991
26.	मोरारजी रणछोड़जी देसाई (1896–1995)	1991
27.	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (मरणोपरांत) (1888–1958)	1992
28.	जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा (1904–1993)	1992

29.	सत्यजित राय (मरणोपरांत) (1921–1992)	1992
30.	गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत) (1898–1998)	1997
31.	अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत) (1909–1996)	1997
32.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931–2015)	1997
33.	मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी (1916–2005)	1998
34.	चिदंबरम सुब्रमण्यम (1910–2000)	1998
35.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत) (1902–1979)	1999
36.	प्रोफेसर अमर्त्य सेन (जन्म 1933)	1999
37.	लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत) (1890–1950)	1999
38.	पंडित रविशंकर (1920–2012)	1999
39.	लता दीनानाथ मंगेशकर (जन्म 1929)	2001
40.	उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (1916–2006)	2001
41.	पं. भीमसेन गुरुराज जोशी (1922–2011)	2009
42.	प्रो. सी.एन.आर. राव (जन्म 1934)	2014
43.	सचिन रमेश तेंदुलकर (जन्म 1973)	2014
44.	पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत) (1861–1946)	2015
45.	अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2018)	2015
46.	नानाजी देशमुख (मरणोपरांत) (1916–2010)	2019
47.	डॉ. भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) (1926–2011)	2019
48.	प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	2019

गणतंत्र दिवस, 2019 को घोषित पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार

पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से है। पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां है- 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्म श्री'। ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, खेल, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। वर्ष 2019 में, भारत के राष्ट्रपति ने 112 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की। सम्मानितों में चार पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्म श्री विजेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें से 21 महिलाएं हैं और 11 व्यक्ति विदेशी/प्रवासी भारतीय/भारतीय मूल/ओसीआई श्रेणी, तीन मरणोपरांत तथा एक ट्रांसजेंडर विजेता हैं।

पद्म विभूषण से सम्मानित (4)

तीजन बाई
इस्माइल उमर गुलेह
अनिलकुमार मणिभाई
बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे

पद्म भूषण (14)

जॉन चैम्बर्स (विदेशी)
सुखदेव सिंह ढींडसा
प्रवीण गोरधन (विदेशी)
महाशय धर्म पाल गुलाटी
दर्शन लाल जैन
अशोक लक्ष्मणराव कुकड़े
करिया मुंडा
बुधादित्य मुखर्जी
मोहनलाल विश्वनाथन नायर
एस नांबी नारायण
कुलदीप नैयर (मरणोपरांत)
बछेंद्री पाल
वी के शुंगलू
हुकुमदेव नारायण यादव

पद्म श्री (94)

राजेश्वर आचार्य
बंगारू आदिगलर
इलियास अली
मनोज बाजपेयी
उद्धव कुमार भाराली
ओमेश कुमार भारती
प्रीतम भर्तवान
श्री ज्योति भट्ट
दिलीप चक्रवर्ती
मम्मीन चांडी
स्वप्न चौधरी
कंवल सिंह चौहान
सुनील छेत्री
दिनयार कॉनट्रैक्टर
मुक्ताबेन पंकजकुमार दागली
बाबूलाल दहिया
थंगा दारलोंग
प्रभु देवा
राजकुमारी देवी
भागीरथी देवी

बलदेव सिंह ढिल्लों
हरिका द्रोणावल्ली
गोदावरी दत्ता
गौतम गंभीर
द्रौपदी घिमिरय
रोहिणी गोडबोले
संदीप गुलेरिया
प्रताप सिंह हार्डिया
बुलु इमाम
फ्रेडरिके इरिना (विदेशी)
जोरावरसिंह जादव
एस जयशंकर
नरसिंह देव जम्वाल
फैयाज अहमद जान
के जी जयान
सुभाष काक (विदेशी)
शरथ कमल
रजनी कांत
सुदाम केवट
वामन केंद्रे
कादर खान (मरणोपरांत-विदेशी)
अब्दुल गफूर खत्री
रवींद्र कोल्हे (युगल)*
सुश्री स्मिता कोल्हे (युगल)*
बोम्बायला देवी लेशराम
कैलाश मडबैया
रमेश बाबाजी महाराज
वल्लभभाई वासरांभाई मारवानिया
गीता मेहता (विदेशी)
शादाब मोहम्मद
के के मुहम्मद
श्यामा प्रसाद मुखर्जी
दैतारी नाइक
शंकर महादेवन नारायण
शांतनु नारायण (विदेशी)
नर्तकी नटराज
टर्सिंग नोरबो

अनूप रंजन पांडे
जगदीश प्रसाद पारिख
गणपतभाई पटेल (विदेशी)
बिमल पटेल
हुकुमचंद पाटीदार
हरविंदर सिंह फुल्का
मदुरै चिन्ना पिल्लई
ताओ पोर्चन.लिंच (विदेशी)
कमला पुझारी
बजरंग पुनिया
जगत राम
आर वी रमानी
देवरापल्ली प्रकाश राव
अनूप साह
मिलिना साल्विनी (विदेशी)
नागिनदास सांघवी
सिरीविनेला सीतारमा शास्त्री
शब्बीर सैय्यद
महेश शर्मा
मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री
बृजेश कुमार शुक्ल
नरेंद्र सिंह
प्रशांति सिंह
सुल्तान सिंह
ज्योति कुमार सिन्हा
आनंदन शिवमणि
शारदा श्रीनिवासन
देवेन्द्र स्वरूप (मरणोपरांत)
अजय ठाकुर
राजीव थारानाथ
शालुमारदा थिमक्का
जमुना टुडू
भारत भूषण त्यागी
रामास्वामी वेंकटस्वामी
राम शरण वर्मा
स्वामी विशुद्धानंद
हीरालाल यादव
वेंकटेश्वर राव यदलापल्ली

जीवन रक्षा पदक शृंखला पुरस्कार

जीवन रक्षा पदक शृंखला पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो हिम्मत और तत्परता दिखाकर किसी व्यक्ति को डूबने, आग में जलने, खान में फंसने, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य विपत्तियों की परिस्थिति में अपनी जान पर खेलकर बचाने का उल्लेखनीय कार्य करते हैं। जीवन रक्षा पदक की तीन श्रेणियां हैं जिनमें सर्वोत्तम रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक आते हैं। वर्ष 2019 में जीवन रक्षा पदक शृंखला पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिए गए जिनमें आठ व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 15 व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 25 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किये गए।

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक **(8)**

1.	किशोरराय (मरणोपरांत)	छत्तीसगढ़
2.	मास्टर चेतन कुमार निषाद (मरणोपरांत)	छत्तीसगढ़
3.	कौस्तुभ भगवान तारामले (मरणोपरांत)	महाराष्ट्र
4.	मास्टर प्रथमेश विजय वाडकर (मरणोपरांत)	महाराष्ट्र
5.	पी. लालवेनपूईया (मरणोपरांत)	मिजोरम
6.	टी. लालरिनामा (मरणोपरांत)	मिजोरम
7.	कुमारी नितिशा नेगी (मरणोपरांत)	दिल्ली
8.	राकेश चंद्र बेहरा (मरणोपरांत)	ओडिशा

उत्तम जीवन रक्षा पदक **(15)**

1.	कुमारी विसमाया पी	केरल
2.	श्री साजिद खान	मध्य प्रदेश
3.	डॉ. चरणजीत सिंह बलवीर सिंह सलूजा	महाराष्ट्र
4.	श्री अमोल सरजेराव लोहार	महाराष्ट्र
5.	मास्टर लल्लियांसंगा	मिजोरम
6.	मास्टर वनलल्धुवामा	मिजोरम
7.	श्री विनोद	हरियाणा
8.	श्री रामराजा यादव	मध्य प्रदेश
9.	श्री आज़ाद सिंह मलिक	दिल्ली
10.	मास्टर एच. बीदुआसा	मिजोरम
11.	मास्टर करण	दिल्ली
12.	मास्टर दीपांशु	दिल्ली
13.	मास्टर प्रशांत सिदर	छत्तीसगढ़
14.	मास्टर वालम्बोक सोहोहोह	मेघालय
15.	श्री अविनाश बाबू नाइक	गोवा

जीवन रक्षा पदक **(25)**

1.	अब्राहम तेयिंग	अरुणाचल प्रदेश
2.	पाडी पयांग	अरुणाचल प्रदेश
3.	मास्टर मोनूज चवटल	असम
4.	मास्टर राजू गढ़	असम
5.	राधाकृष्णन एम	केरल
6.	अंकित धनगर	मध्य प्रदेश
7.	महेंद्र टेकम	मध्य प्रदेश
8.	शांलंग मारबानियांग	मेघालय
9.	वनलालवेनैमा छंगते	मिजोरम
10.	मास्टर दारचुंगुंगा	मिजोरम
11.	चंद्र कुमार गुरुंग	सिक्किम
12.	बारिया मेहुल बाबूभाई	दमन और दीव
13.	एम. पद्मनाभन	तमिलनाडु
14.	सुशील भोई	उत्तर प्रदेश
15.	मास्टर समरपान मालवीय	मध्य प्रदेश
16.	मास्टर धैराशिल ढाकुट्टा अडके	महाराष्ट्र
17.	मास्टर धनंजय कुमार सोनवणे	छत्तीसगढ़
18.	मास्टर अभिनव के.के.	केरल
19.	मास्टर खारबोकलंग खारलुखी	मेघालय
20.	मास्टर ध्रुव लव	उत्तर प्रदेश
21.	मास्टर माधव लव	उत्तर प्रदेश
22.	कुमारी ललथसंगज़ुअली	मिज़ोरम
23.	कुमारी रूहिनफ़ातिमा एम. तलत	गुजरात
24.	मास्टर वैष्णव ई. आर.	केरल
25.	मास्टर श्रीजिथ पी.एस.	केरल

नोबेल पुरस्कार विजेता

अभिजीत विनायक बनर्जी **(जन्म-1961):** मुंबई में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। 58 वर्षीय अर्थशास्त्री श्री बनर्जी आधे बंगाली और आधे कोंकणी हैं और कैंब्रिज स्थित मेस्साचुसेट इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात, 1983 में दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। इसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए और 1988 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईशर डफ्लो और एक अन्य अमरीका-स्थित अर्थशास्त्री माइकेल क्रमर के साथ दिया गया।

कैलाश सत्यार्थी **(जन्म 1954):** कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में

हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करियर को तिलांजलि देते हुए उन्होंने 'बचपन बचाओ' आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

वेंकटरामन रामकृष्णन (जन्म **1952):** वेंकटरामन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरामन तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहायो विश्वविद्यालय से 1971 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने 1976 से 1978 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

अमर्त्य सेन (जन्म **1933):** प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्मे यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं।

सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर **(1910-1995):** भारत में जन्मे खगोल भौतिकी विज्ञानी को 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज में पढ़े सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमरीका चले गए, जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

मदर टेरेसा **(1910-1997):** मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अल्बानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सि था। सन् 1928 में वह डब्लिन में आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शांति के लिए पहला नोबेल प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

हरगोबिंद खुराना **(1922-2011):** हरगोबिंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ. खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

चंद्रशेखर वेंकटरमन **(1888-1970):** भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता

विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

रवींद्रनाथ ठाकुर **(1861-1941):** रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध गुरुदेव ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कमांडर इन चीफ

नाम	कार्यकाल
जनरल सर रॉब लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 – 31 दिसंबर, 1947
जनरल सर रॉय बूचर	01 जनवरी, 1948 – 14 जनवरी, 1949
जनरल (फील्ड मार्शल) के.एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 – 14 जनवरी, 1953
जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 – 31 मार्च, 1955

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)

देश में उच्चतर रक्षा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित किया गया है जो चार तारा वाले जनरल रैंक का है, जिसे सेवा प्रमुख के समतुल्य वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय में बनाये जाने वाले सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए) के भी मुखिया होंगे और इसके सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

जनरल विपिन रावत ने 1 जनवरी, 2020 से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए देश के प्रथम सीडीएस के रूप में पद ग्रहण किया है।

थल सेनाध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 – 14 मई, 1955
जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 – 07 मई, 1957
जनरल के.एस. तिमैया	08 मई, 1957 – 07 मई, 1961
जनरल पी.एन. थापर	08 मई, 1961 – 19 नवंबर, 1962
जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवंबर, 1962 – 07 जून, 1966
जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	08 जून, 1966 – 07 जून, 1969
फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	08 जून, 1969 – 15 जनवरी, 1973
जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 – 31 मई, 1975
जनरल टी.एन. रैना	01 जून, 1975 – 31 मई, 1978
जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	01 जून, 1978 – 31 मई, 1981
जनरल के.वी. कृष्णा राव	01 जून, 1981 – 31 जुलाई, 1983
जनरल ए.एस. वैद्य	01 अगस्त, 1983 – 31 जनवरी, 1985
जनरल के. सुंदरजी	01 फरवरी, 1985 – 31 मई, 1988
जनरल वी.एन. शर्मा	01 जून, 1988 – 30 जून, 1990
जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	01 जुलाई, 1990 – 30 जून, 1993
जनरल बी.सी. जोशी	01 जुलाई, 1993 – 19 नवंबर, 1994
जनरल एस. रायचौधरी	20 नवंबर, 1994 – 30 सितंबर, 1997
जनरल वी.पी. मलिक	01 अक्टूबर, 1997 – 30 सितंबर, 2000
जनरल एस. पद्मनाभन	01 अक्टूबर, 2000 – 30 सितंबर, 2002
जनरल एन.सी. विज	31 दिसंबर, 2002 – 31 जनवरी, 2005
जनरल जे.जे. सिंह	01 फरवरी, 2005 – 30 सितंबर, 2007
जनरल दीपक कपूर	30 सितंबर, 2007 – 30 मार्च, 2010
जनरल वी.के. सिंह	31 मार्च, 2010 – 31 मई, 2012
जनरल बिक्रम सिंह	01 जून, 2012 – 31 जुलाई, 2014
जनरल दलबीर सिंह	01 अगस्त, 2014 – 31 दिसंबर, 2016
जनरल विपिन रावत	01 जनवरी 2017 – 31 दिसंबर, 2019
जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे	31 दिसंबर 2019 से अब तक

स्रोत: www.indianarmy.nic.in

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
रियर एडमिरल जे.टी.एस. हाल	15 अगस्त, 1947 – 14 अगस्त, 1948
एडमिरल सर एडवर्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 – 13 अक्टूबर, 1951
एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 – 21 जुलाई, 1955
वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लिल	21 जुलाई, 1955 – 21 अप्रैल, 1958
वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 – 04 जून, 1962
वाइस एडमिरल बी.एस. सोमन	04 जून, 1962 – 03 मार्च, 1966
एडमिरल ए.के. चटर्जी	03 मार्च, 1966 – 27 फरवरी, 1970
एडमिरल एस.एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 – 28 फरवरी, 1973
एडमिरल एस.एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 – 28 फरवरी, 1976
एडमिरल जे.एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 – 28 फरवरी, 1979
एडमिरल आर.एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 – 28 फरवरी, 1982
एडमिरल ओ.एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 – 30 नवंबर, 1984
एडमिरल आर.एच. तहिलियानी	30 नवंबर, 1984 – 30 नवंबर, 1987
एडमिरल जे.जी. नादकर्णी	30 नवंबर, 1987 – 30 नवंबर, 1990
एडमिरल एल. रामदास	30 नवंबर, 1990 – 30 सितंबर, 1993
एडमिरल वी.एस. शेखावत	30 सितंबर, 1993 – 30 सितंबर, 1996
एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितंबर, 1996 – 30 दिसंबर, 1998
एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसंबर, 1998 – 29 दिसंबर, 2001
एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसंबर, 2001 – 31 जुलाई, 2004
एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 – 30 अक्टूबर, 2006
एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 – 31 अगस्त, 2009
एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 – 31 अगस्त, 2012
एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 – 16 अप्रैल, 2014
एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 – 31 मई, 2016
एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 – 31 मई, 2019
एडमिरल करमबीर सिंह	31 मई, 2019 से अब तक

स्रोत: www.india.gov.in

वायु सेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 – 21 फरवरी, 1950
एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 – 09 दिसंबर, 1951
एयर मार्शल सर जेरल्ड ई. गिब्स	10 दिसंबर, 1951 – 31 मार्च, 1954
एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954 – 08 नवंबर, 1960
एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसंबर, 1960 – 31 जुलाई, 1964
एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 – 15 जुलाई, 1969
एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल	16 जुलाई, 1969 – 15 जनवरी, 1973
एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 – 31 जनवरी, 1976
एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 – 31 अगस्त, 1978
एयर चीफ मार्शल आई.एच. लतीफ	01 सितंबर, 1978 – 31 अगस्त, 1981
एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितंबर, 1981 – 3 सितंबर, 1984
एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे	04 सितंबर, 1984 – 01 जुलाई, 1985
एयर चीफ मार्शल डी.ए.ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 – 31 जुलाई, 1988
एयर चीफ मार्शल एस.के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 – 31 जुलाई, 1991
एयर चीफ मार्शल एन.सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 – 31 जुलाई, 1993
एयर चीफ मार्शल एस.के. कौल	01 अगस्त, 1993 – 31 दिसंबर, 1995
एयर चीफ मार्शल एस.के. सरीन	31 दिसंबर, 1995 – 31 दिसंबर, 1998
एयर चीफ मार्शल ए.वाई. टिपणीस	31 दिसंबर, 1998 – 31 दिसंबर, 2001
एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसंबर, 2001 – 31 दिसंबर, 2004
एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसंबर, 2004 – 31 मार्च, 2007
एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 – 31 मई, 2009
एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 – 31 जुलाई, 2011
एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 – 31 दिसंबर, 2013
एयर चीफ मार्शल अरूप राहा	01 जनवरी, 2014 – 31 दिसंबर, 2016
एयर चीफ मार्शल बी.एस.धनोआ	01 जनवरी, 2017 – 30 सितंबर, 2019
एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया	30 सितंबर, 2019 से अब तक

स्रोत : www.indianairforce.nic.in

स्रोत : www.indianairforce.nic.in

परमवीर चक्र विजेता

1. मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजीमेंट (मरणोपरांत), नवंबर 1947 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)।
2. सेकेंड लेफ्टिनेंट आर.आर. राणे, कॉर्स ऑफ इंजीनियर्स, अप्रैल 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)।
3. कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजपूताना राइफल्स (मरणोपरांत), जुलाई 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)।
4. लांस नायक करम सिंह, सिख रेजीमेंट, अक्टूबर 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)।
5. नायक जदुनाथ सिंह राजपूत रेजीमेंट (मरणोपरांत), फरवरी 1948 (कश्मीर ऑपरेशन 1947-48)।
6. कैप्टन गुरबचन सिंह, सलारिया, गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत), दिसंबर 1961 (कांगो)।

7. मेजर धन सिंह थापा, गोरखा राइफल्स, अक्टूबर 1962 (लद्दाख)।
8. सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिख रेजीमेंट (मरणोपरांत), अक्टूबर 1962 (नेफा)।
9. मेजर शैतान सिंह, कुमाऊं रेजीमेंट (मरणोपरांत), नवंबर 1962 (लद्दाख)।
10. कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत), सितंबर 1965 (पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान)।
11. लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापोर, पूना हॉर्स (मरणोपरांत), अक्टूबर 1965 (पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान)।
12. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, फ्लाइंग पायलट (मरणोपरांत), दिसंबर 1971 (भारत पाक युद्ध)।
13. मेजर होशियार सिंह, ग्रेनेडियर्स, दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)।
14. सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, 17 पूना हॉर्स (मरणोपरांत), दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)।
15. लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स (मरणोपरांत), दिसंबर 1971 (भारत-पाक युद्ध)।
16. नायब सूबेदार बाना सिंह, जे. एंड. के. लाइट इनफैंटरी, जून 1987 (सियाचीन ग्लेशियर ऑपरेशन)।
17. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, महार रेजीमेंट (मरणोपरांत), नवंबर 1987 (श्रीलंका में आईपीकेएफ ऑपरेशन)।
18. कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जे. एंड. के. राइफल्स (मरणोपरांत), जून 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)।
19. लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय, 11 गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत), जुलाई 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)।
20. राइफल मैन संजय कुमार, 13 जे. एंड. के. राइफल्स, जुलाई 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)।
21. ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, जुलाई 1999 (करगिल में ऑपरेशन विजय)।

वीरता पुरस्कार

स्वतंत्रता दिवस, **2019** के अवसर पर वीरता पुरस्कारों की संख्या निम्नानुसार है :

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
कीर्ति चक्र	02	01
वीर चक्र	01	–
शौर्य चक्र	14	07
सेना पदक (वीरता)	90	08
नौसेना पदक (वीरता)	05	–
वायु सेना पदक (वीरता)	07	–
युद्ध सेवा पदक	05	–
राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (उल्लेखनीय सेवा)	04	–
तटरक्षक पदक (वीरता)	05	–
तटरक्षक पदक (प्रततभाशाली सेवा)	02	–
पत्राचार में उल्लेख (मेंशन–इन–डिस्पेचेज़)	04	–

साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2018

भाषा	कृति और विधा	लेखक
असमिया	काइलेर दिनदो आमार हब (काव्य)	सनंत तांती
बांग्ला	कृष्णेर कटा दिन (कहानी)	संजीब चट्टोपध्याय
बोडो	दोंसे लामा (लघु कथाएं)	रितुराज बसुमतारी
डोगरी	भागीरथ (उपन्यास)	इंदरजीत केसर
अंग्रेजी	द ब्लाइंड लेडीज डीसेंडेंट्स (नॉवेल)	अनीस सलीम
गुजराती	विभाजननी व्यथा (आलेख)	शरीफा वीजलीवाला
हिंदी	पोस्ट बॉक्स नं. 203-नाला सोपारा (उपन्यास)	चित्रा मुद्गल
कन्नड़	अनुश्रेणी-यजामणिके (साहित्यिक समालोचन)	के.जी.नागराजप्पा
कश्मीरी	आख (लघु कथाएं)	मुश्ताक अहमद मुश्ताक
कोंकणी	चित्रलिपी (काव्य)	परेश नरेंद्र कामत
मैथिली	परिणीता (लघु कथाएं)	वीणा ठाकुर
मलयालम	गुरुपउर्णमी (काव्य)	एस.रमेसन
मणिपुरी	नगमखइगी वंगमादा (लघु कथाएं)	बुधिचंद्र हैस्नाम्बा
मराठी	सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध (साहित्यिक समालोचन)	म.सु. पाटील
नेपाली	किन रोयौ उपमा (लघु कथाएं)	लोकनाथ उपाध्याय चापागाई
उड़िया	प्रसंग पुरुन भाबना नुआ (साहित्यिक समालोचन)	दशरथि दास
पंजाबी	कोने दा सूरज (काव्य)	मोहनजीत
राजस्थानी	कविता दैवे दीठ (काव्य)	रमाकांत शुक्ल
संस्कृत	गंगपुत्रवदनम (कविता)	निरंजन मिश्र
संताली	मारोम (उपन्यास)	श्याम बेसरा 'जीवी रारेक'
सिंधी	जिया में टांडा (काव्य)	खीमण यू. मुलाणी
तमिल	संचारम (उपन्यास)	एस. रामकृष्णन
तेलुगू	संचारम (उपन्यास)	कोलाकलुरी इनोक
उर्दू	रोहजिन (उपन्यास)	रहमान अब्बास

राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार

राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे अधिकारिक रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, खेल कूद के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है। 1991-92 में स्थापित यह पुरस्कार हर वर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और अति उत्कृष्ट उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाता है।

खेल-कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो देश में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान भी विगत चार वर्षों की अवधि में प्रशिक्षकों के ऐसे निरंतर उत्कृष्ट तथा प्रतिभाशाली योगदान के लिए चयनित कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में खिलाड़ियों में निखार आता है और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनका अच्छा प्रदर्शन होता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के

क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि की मान्यता के रूप में प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार देश के किसी खिलाड़ी को जीवन-भर की उपलब्धि के सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है : (क) उदयमान युवा प्रतिभाओं की पहचान तथा प्रोत्साहन; (ख) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों की हौसला अफजाई; (ग) खिलाड़ियों को रोजगार तथा खेल कल्याण उपायों; तथा (घ) खेल-विकास के लिए। तेन्जिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार थल, जल और नभ में साहसिक क्रीड़ाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता के रूप में दिया जाता है। क्रीड़ा उत्कृष्टता का यह पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एक रॉलिंग ट्रॉफी है, जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से हर वर्ष उस विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की अंतर-विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ट बहुमुखी प्रदर्शन किया हो।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-**2019**

बजरंग पुनिया (कुश्ती)

दीपक मलिक (पारा-लेटिक्स)

द्रोणाचार्य पुरस्कार-**2019**

(नियमित श्रेणी):

मोहिन्दर सिंह ढिल्लन (एथलेटिक्स),

संदीप गुप्ता (टेबल टेनिस),

विमल कुमार (बेडमिंटन)।

आजीवन श्रेणी:

संजय भारद्वाज (क्रिकेट),

रामबीर सिंह खोकर (कबड्डी),

मेज़बान पटेल (हॉकी)।

अर्जुन पुरस्कार-**2019**

रविन्द्र जडेजा (क्रिकेट), मोहम्मद अनस यह्या (एथलेटिक्स), गुरप्रीत सिंह संधू (फुटबाल), सोनिया लाथर (मुक्केबाजी), चिंग्लेनसाना सिंह कंगुजम (हॉकी), एस भास्करन (बॉडी बिल्डिंग), अजय ठाकुर (कबड्डी), अंजुम मुगिल (निशानेबाजी), भिमदीपति साय प्रणीत (बेडमिंटन), तजिंदर पाल सिंह तूर (एथलेटिक्स), प्रमोद भगत (पैरा स्पोर्ट्स-बेडमिंटन), हरमीत राजुल देसाई (टेबल टेनिस), पूजा धंडा (कुश्ती), फुवाद मिर्जा (घुड़सवारी), सिमरन सिंह शेरगिल (पोलो), पूनम यादव (क्रिकेट), स्वपना बरमन (एथलेटिक्स), सुंदर सिंह गुर्जर (पैरा स्पोर्ट्स-एथलेटिक्स) और गौरव सिंह गिल (मोटर स्पोर्ट्स)।

ध्यानचंद पुरस्कार-**2019**

मनोज कुमार (कुश्ती), सी ललरेम्सांग (तीरंदाजी), अरूप बसाक (टेबल टेनिस), नितिन कीर्ताने (टेनिस) तथा मैनुअल फ्रेड्रिक्स (हॉकी)।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2019

गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रोमोशन फाऊंडेशन, गो स्पोर्ट्स तथा रायलसीमा डवलप्मेंट ट्रस्ट।

तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक क्रीड़ा पुरस्कार-2018

थल साहसिक क्रीड़ा श्रेणी : अपर्णा कुमार, स्वर्गीय दीपांकर घोष तथा मणिकंदन के.।

जल साहसिक क्रीड़ा श्रेणीः प्रभात राजू कोली।

नभ साहसिक क्रीड़ा श्रेणी: रामेश्वर जांगरा।

आजीवन उपलब्धिः वांगचुक शेरपा।

मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्रॉफी, 2018-19

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (किमी)
1.	आंध्र प्रदेश	16, 216, 216ए, 516सी, 516डी, 516ई, 716, 716ए, 716बी, 26, 326, 326ए, 30, 40, 140, 340, 340सी, 42, 44 एन.एस., 544डी, 544एफ, 544डीडी, 544ई, 150ए, 65, 165, 365बीबी, 565, 765, 67, 167, 167ए, 167बी, 167बीजी, 69, 71, 75	**6,912**
2.	अरुणाचल प्रदेश	13, 113, 313, 513, 713, 713ए, 15, 115, 215, 315, 415, 515, 315ए	**2,537**
3.	असम	2, 702, 702सी, 702डी, 6, 306, 8, 208ए, 15, 115, 215, 315, 315ए, 415, 515, 715, 715ए, 17, 117, 117ए, 217, 27ई.डब्ल्यू., 127, 127ए, 127बी, 127सी, 127डी, 127ई, 427, 627, 29, 129, 329, 329ए, 37	**3,909**
4.	बिहार	19 जी.क्यू., 119, 219, 319, 319ए, 20, 120, 22, 122, 122ए, 122बी, 322, 722, 922, 27ई.डब्ल्यू., 227, 227ए, 227एफ, 227जे, 227एल, 327, 327ए, 327एडी, 527, 527ए, 527बी, 527सी, 527डी, 527ई, 727, 727ए, 727एए, 31, 131, 131ए, 131बी, 231, 331, 431, 531, 33, 133, 133ए, 133बी, 333, 333ए, 333बी, 333सी, 139	**5,358**
5.	चंडीगढ़	5	**15**
6.	छत्तीसगढ़	30, 130, 130ए, 130बी, 130सी, 130डी, 130सीडी, 930, 43, 143बी, 343, 45, 49, 149बी, 53, 153, 353, 63, 163, 163ए	**3,605**
7.	दिल्ली	9, 709बी, 44, 344एम, 344एन, 344पी, 48, 148ए, 148एई, 148एनए, 248बीबी	**157**
8.	गोवा	748, 748एए, 66, 366, 566	**293**
9.	गुजरात	एनई-1, 27, 927डी, 41, 141, 341, 47, 147, 147डी, 48, 148एम, 148एन, 848, 848ए, 848बी, 51, 151, 151ए, 251, 351, 351एफ, 751, 751डी, 751डीडी, 53, 753बी, 953, 754के, 56, 756, 58, 64, 68, 168, 168ए	**6,635**
10.	हरियाणा	एनई2, 703, 5, 105, 7, 907, 907जी, 9, 709, 709ए, 709एडी, 11, 919, 334बी, 334डी, 44, 344, 344एन, 344पी, 444ए, 48, 148ए, 148बी, 148एन, 148एनए, 248ए, 248बीबी, 54, 52, 152, 152ए, 152डी, 352, 352ए, 352आर, 352डब्ल्यू, 254	**3,166**
11.	हिमाचल प्रदेश	3, 103, 303, 503, 503ए, 5, 105, 205, 305, 505, 505ए, 705, 7, 707, 907ए, 907, 154, 154ए, 44 एन.एस.	**2,607**
12.	जम्मू और कश्मीर	1, 301, 501, 701, 701ए, 3, 44, 144, 144ए, 244, 244ए, 444	**2,423**
13.	झारखंड	114ए, 18, 118, 218, 19, 419, 20, 220, 320, 320डी, 320जी, 22, 522, 33, 133, 333, 133ए, 133बी, 333ए, 39, 139, 43, 143, 143ए, 143बी, 143एजी, 143डी, 143एच, 343, 49	**3,367**
14.	कर्नाटक	44 एन.एस., 544डीडी, 544ई, 48 जी.क्यू., 548बी, 548एच, 648, 748, 748एए, 948, 948ए, 50, 150, 150ए, 52, 752के, 160, 161ए, 561ए, 163, 65, 66, 166ई, 766, 766सी, 766ई, 766ईई, 67, 167, 367, 367ए, 69, 169, 169ए, 369, 369ई, 73, 173, 373, 75, 275, 275के, 181	**7,335**
15.	केरल	544, 744, 66, 766, 966, 966 ए, 966 बी, 183, 183ए, 85, 185	**1,782**

16. मध्य प्रदेश	719, 27, 927ए, 30, 34, 135, 135बी, 135बीबी, 135बीडी, 135बीजी, 135सी, 44, 45, 934, 39, 339बी, 539, 43, 543, 943, 46, 146, 146बी, 346, 47, 147ई, 347, 347ए, 347बी, 347सी, 547, 548सी, 52, 552ईएक्सटी., 752बी, 752सी, 752जी, 753एल, 56, 161जी	**8,772**
17. महाराष्ट्र	930, 930डी, 130डी, 543, 44, 47, 547, 547ई, 347सी, 247, 647, 347ए, 48, 348, 348ए, 348बी, 348बीबी, 548ए, 548बी, 548सी, 548डीडी, 548एच, 548डी, 548, 548सीसी, 548ई, 848, 848ए, 50, 150, 52, 652, 752ई, 752जी, 752आई, 752के, 752एच, 53, 353सी, 353डी, 353ई, 753, 753ए, 753बी, 753ई, 753एफ, 953, 353बी, 353आई, 753जे, 753एल, 353जे, 353के, 753सी, 753बीबी, 753एबी, 753एच, 753एम, 60, 160, 160ए, 160बी, 160सी, 160डी, 160एच, 61, 161, 161ए, 161ई, 161जी, 161एच, 461बी, 361एफ, 361, 361बी, 361सी, 361एच, 561ए , 561, 761, 63, 65, 465, 965, 965डीडी, 965डी, 965सी, 965जी, 66, 166, 166ए, 166एच, 166डी, 166एफ, 166जी, 166ई, 266	**17,757**
18. मणिपुर	2, 102, 102ए, 102बी, 102सी, 202, 702ए, 29, 129ए, 37, 137, 137ए	**1,750**
19. मेघालय	6, 106, 206, 217, 127बी	**1,156**
20. मिजोरम	2, 102बी, 302, 502, 502ए, 6, 306, 306ए, 108	**1,423**
21. नगालैंड	2, 202, 702, 702ए, 702बी, 702डी, 29, 129, 129ए, 229, 329ए	**1,548**
22. ओडिशा	16 जी.क्यू., 316, 316ए, 516, 516ए, 18, 20, 220, 320डी, 520, 720, 26, 126, 126ए, 326, 326ए, 130सी, 130सीडी, 143, 143एच, 49, 149, 53, 153बी, 353, 55, 655, 57, 157, 157ए, 59, 63	**5,762**
23. पुडुचेरी	32, 332	**27**
24. पंजाब	3, 503, 503ए, 703, 703ए, 703बी, 5, 105बी, 205, 205ए, 7, 9, 44, 344, 344ए, 344बी, 148बी, 148बीबी, 52, 152, 152ए, 154, 154ए, 254, 354, 354बी, 354ई, 754, 62	**3,274**
25. राजस्थान	709, 11, 311, 911, 911ए, 919, 21, 921, 23, 123, 25, 125, 325, 925, 925ए, 27, 927ए, 44, 48, 148, 148बी, 148सी, 148डी, 148एन, 248, 248ए, 448, 52, 552, 552जी, 752, 54, 754के, 954, 56, 156, 58, 158, 458, 758, 62, 162, 162ए, 68, 168, 168ए, 968, 70	**10,342**
26. सिक्किम	10, 310, 310ए, 510, 710, 717ए, 717बी	**463**
27. तमिलनाडु	16 जी.क्यू., 716, 716ए, 716बी, 32, 32ई3टी., 132, 132बी, 332, 332ए, 532, 36, 136, 136बी, 336, 536, 38, 138, 338, 40, 42, 44 एन.एस., 544, 544एच, 744, 744ए, 844, 944, 48 जी.क्यू., 648, 948, 66, 75, 77, 79, 179ए, 179बी, 179डी, 81, 181, 381, 381ए, 381बी, 83, 183, 383, 85, 785, 87	**6,742**
28. तेलंगाना	30, 44, 150, 353बी, 353सी, 61, 161, 161बी, 161एए, 161बीबी, 63, 163, 363, 563, 65, 365, 365ए, 365बी, 365बीबी, 565, 765, 765डी, 167	**3,795**
29. त्रिपुरा	8, 108, 108ए, 108 बी, 208, 208ए	**854**
30. उत्तराखंड	7, 107, 107ए, 507, 307, 707, 707ए, 9, 109, 309, 309ए, 309बी, 30, 34, 134, 334, 334ए, 534, 734, 344	**2,949**
31. उत्तर प्रदेश	एनई2, 307, 9, 509, 709ए, 709एडी, 709बी, 19, 219, 319डी, 519, 719, 21, 321, 321जी, 123, 24, 124सी, 124डी, 27, 227ए, 727, 727ए, 727एए, 727बीबी, 727बी, 727जी, 727एच, 927, 28, 128, 128ए, 128बी, 128सी, 328, 328ए, 30, 230, 330, 330ए, 330बी, 330डी, 530, 730सी, 730एस, 530बी, 730बी, 730एच, 730, 730ए, 31, 731, 731ए, 731बी, 731एजी, 731के, 135, 335, 931, 931ए, 34, 234, 334, 334ए, 334सी, 334बी, 334डी, 334डीडी, 534, 734, 35, 135सी, 135ए, 135बीबी, 135बी, 39, 339, 539, 44, 344, 552ई3टी.	**11,737**
32. पश्चिम बंगाल	10, 110, 12, 112, 312, 512, 14, 114, 114ए, 314, 16, 116, 116ए, 116बी, 316ए, 17, 317, 317ए, 517, 717, 717ए, 18, 218, 19, 419, 27, 327, 327बी, 327सी, 31, 131ए, 33, 133ए, 49	**3,664**
33. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूल	4	**331**
34. दादर और नगर हवेली	848ए	**31**
35. दमन एवं दीव	848बी, 251	**22**
	कुल	**1,32,500**

स्रोतः सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, http://morth.nic.in

1. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1950- इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद-19 में वर्णित वाणी की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका,व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है । इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में राज्य आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है। इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद-31क और 31ख तथा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके।

2. संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1952- इस संशोधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया।

3. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1954- इस संशोधन द्वारा (सातवीं अनुसूची की) सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 प्रतिस्थापित की गई है, ताकि वह अनुच्छेद-396 के समरूप हो सके।

4. संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1955- निजी संपत्ति को अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत करने की राज्य की शक्तियों की फिर से ठीक-ठीक ढंग से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से जहां राज्य की विनियमनकारी और प्रतिषेधात्मक विधियों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया हो, अलग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-31(2) में संशोधन किया गया । संविधान के अनुच्छेद-31क की परिधि का जमींदारी उन्मूलन जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित आयोजन और देश के खनिज तथा तेल स्त्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। नौवीं अनुसूची में छह अधिनियम भी शामिल किए गए । राज्य-एकाधिपत्यों के लिए उपबंध करने वाली विधियों के समर्थन में अनुच्छेद-305 में भी संशोधन किया गया।

5. संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955- इस संशोधन में अनुच्छेद-3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान-मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।

6. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956- इस संशोधन द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद-269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में एक प्रविष्टि 92क शामिल की गई।

7. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और पारिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया । संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की भी व्यवस्था की गई है।

8. संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960- संसद और राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए और नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद-334 में संशोधन किया गया।

9. संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960- भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया । यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य-क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद-3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

10. संविधान (10वां संशोधन) अधिनियम, 1961- दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में

शामिल करने और राष्ट्रपति की अधिनियम बनाने की शक्तियों के तहत् उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद-240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया।

11. संविधान (11वां संशोधन) अधिनियम, 1961- इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचक मंडल में किसी ख़ाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके।

12. संविधान (12वां संशोधन) अधिनियम, 1962- इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद-240 का संशोधन किया गया।

13. संविधान (13वां संशोधन) अधिनियम, 1962- इस संशोधन द्वारा भारत सरकार और नगा पीपुल्स कंवेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नगालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद-371(ए) जोड़ा गया।

14. संविधान (14वां संशोधन) अधिनियम, 1962- इस अधिनियम के द्वारा पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुद्दुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधान मंडलों का गठन किया जा सका।

15. संविधान (15वां संशोधन) अधिनियम, 1963- इस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता देने का उपबंध किया गया। इस अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद-226 का भी विस्तार किया गया, ताकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी जा सके कि वे किसी प्राधिकारी को निर्देश, आदेश या हुक्मनामा (रिट) जारी कर सकें। यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद का कारण उन राज्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ हो, जिनमें वहां का उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, चाहे उस सरकारी अधिकारी का स्थान इन राज्य क्षेत्रों के अंदर नहीं हो। इस अधिनियम द्वारा सेवा आयोगों के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा किए जाने का भी प्रावधान है।

16. संविधान (16वां संशोधन) अधिनियम, 1963- इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-19 में संशोधन किया गया, जिसमें भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के हित में शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सम्मिलन तथा संस्था बनाने के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या अधिनियम का संशोधन करके उसमें यह शर्त किभी शामिल की गई वे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण रखेंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

17. संविधान (17वां संशोधन) अधिनियम, 1964- अनुच्छेद-31क में और आगे संशोधन किया गया, जिसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रतिपूर्ति के रूप में उसका बाजार मूल्य न दिया जाए। साथ ही, इस संशोधन द्वारा उक्त अनुच्छेद में दी गई 'संपदा' की परिभाषा को पीछे की तारीख से लागू किया गया। नौवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया और उसमें 44 और अधिनियम शामिल किए गए।

18. संविधान (18वां संशोधन) अधिनियम, 1966- इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि 'राज्य' शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होगा और इस अनुच्छेद के तहत् नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक भाग को किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल किया गया।

19. संविधान (19वां संशोधन) अधिनियम, 1966- निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद-324 का संशोधन इस पारिणामिक परिवर्तन के लिए किया गया।

20. संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम, 1966- यह संशोधन चन्द्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में जिला

न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था। एक नया अनुच्छेद-233ए जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को वैध बना दिया गया।

21. संविधान (21वां संशोधन) अधिनियम, 1967- इस अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया।

22. संविधान (22वां संशोधन) अधिनियम, 1969- यह अधिनियम असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया।

23. संविधान (23वां संशोधन) अधिनियम, 1969- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद-334 का संशोधन किया गया।

24. संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1971- यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद-13 और अनुच्छेद-368 में संशोधन किया गया।

25. संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम, 1971- इस संशोधन द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद-31 में संशोधन किया गया। 'मुआवज़ा' शब्द की 'पर्याप्त मुआवज़ा' के रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते हुए 'मुआवजा' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द रखा गया।

26. संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971- इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के 'प्रिवी' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।

27. संविधान (27वां संशोधन) अधिनियम, 1971- यह संशोधन अधिनियम उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक कतिपय बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। एक नया अनुच्छेद-239ख जोड़ा गया, जिससे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए।

28. संविधान (28वां संशोधन) अधिनियम, 1972- यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबंध में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया।

29. संविधान (29वां संशोधन) अधिनियम, 1972- संविधान की नौंवी अनुसूची का संशोधन करके उसमें भूमि सुध के बारे में केरल के दो अधिनियम शामिल किए गए।

30. संविधान (30वां संशोधन) अधिनियम, 1972- इस संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद-133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना तथा उसके स्थान पर सिविल कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना है, जो केवल उच्च न्यायालय के इस प्रमाण-पत्र पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न शामिल है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

31. संविधान (31वां संशोधन) अधिनियम, 1973- इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़कर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया।

32. संविधान (32वां संशोधन) अधिनियम, 1973- इस अधिनियम द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई और लोक सेवाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की अधिकारिता का एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किया गया। इसके द्वारा संसद को यह शक्ति भी दी गई कि वह उस राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बना सकती है।

33. संविधान (33वां संशोधन) अधिनियम, 1974- इस संशोधन द्वारा संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों से त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अनुच्छेद-101 तथा 190 में संशोधन किया गया।

34. संविधान (34वां संशोधन) अधिनियम, 1974- इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

35. संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम, 1974- इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद-2(क) जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय केंद्र के सह-राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 80-81 में परिणामिक संशोधन किए गए। एक नई अनुसूची, अर्थात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें सिक्किम के भारतीय केंद्र में शामिल होने की नियम एवं शर्ते दी गईं हैं।

36. संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975- सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक-एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद-2(क) और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद-80 और 81 में समुचित संशोधन किया गया।

37. संविधान (37वां संशोधन) अधिनियम, 1975- इस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई, संविधान के अनुच्छेद-240 का भी संशोधन किया गया और यह उपबंध किया गया कि विधान मंडल वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकेगा, जब विधानसभा या तो भंग हो गई हो या उसके कार्य निलंबित हों।

38. संविधान (38वां संशोधन) अधिनियम, 1975- इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

39. संविधान (39वां संशोधन) अधिनियम, 1975- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया।

40. संविधान (40वां संशोधन) अधिनियम, 1976- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा महाद्वीपीय जल सीमा अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को केंद्र के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। इसमें इस बात का भी उपबंध कि गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह केंद्र के अधिकार में होंगे। इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा, महाद्वीपीय जल सीमा और भारत की आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं तथा समुद्री क्षेत्र पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर संसद अथवा संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी। साथ ही साथ, नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए।

41. संविधान (41वां संशोधन) अधिनियम, 1976- इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद-316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।

42. संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976- इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्णसिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे।

कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्चादर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक-आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है, पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए। इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से चाहे वे व्यक्तियों द्वारा हों या संस्थाओं द्वारा, निपटने के लिए विशेष उपबंध किए गए। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित

करने तथा किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए कम-से-कम दो तिहाई न्यायाधीशों की विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायापालिका संबंधी उपबंधों में भी संशोधन किया गया।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मामलों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए और सेवा, राजस्व, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में कतिपय अन्य मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-136 के अधीन ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के गठन के लिए उपबंध किया गया। अनुच्छेद-226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किया गया।

43. संविधान (43वां संशोधन) अधिनियम,1977- इस अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो कटौती हो गई थी, उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद-32क, 131क, 144क, 226क और 228क को इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया । इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-31 को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय कानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियां दी गई थीं, हटा दिया गया।

44. संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978- संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान के अनुच्छेद-352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह' होगा। आंतरिक गडबडी, यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जैसा कि अनुच्छेद-21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है जिसके तहत् निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत दो महीने से अधिक नज़रबंद नहीं किया जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नज़रबंदी के पर्याप्त कारण हैं। इसके लिए अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

विलंब से बचने के लिए अनुच्छेद-132 और 134 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद-134क जोड़ा गया जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्णय, अंतिम आदेश अथवा सज़ा सुनाए जाने के तत्काल बाद संबंधि पक्ष के मौखिक आवेदन के आधार पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो स्वयं ही उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने पर विचार करे। इस अधिनियम द्वारा किए गए अन्य संशोधन मुख्य रूप से आंतरिक आपात स्थिति की अवधि के दौरान किए गए संशोधन के कारण संविधान में आई विकृतियों को दूर करने अथवा सुधार करने के लिए हैं।

45. संविधान (45वां संशोधन) अधिनियम, 1980- यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया।

46. संविधान (46वां संशोधन) अधिनियम, 1982- इसके द्वारा अनुच्छेद-269 में संशोधन किया गया, ताकि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। इस अनुच्छेद का संशोधन इस दृष्टि से भी किया गया, ताकि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सके कि किस स्थिति में भेजा जाने वाला माल अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के तहत् भेजा हुआ माना जाएगा। केंद्र सूची में एक नई प्रविष्टि 92 ख भी शामिल की गई, ताकि ऐसी स्थिति में जब माल अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा जाए तो उस माल पर कर लगाया जा सके।

अनुच्छेद-286 के खंड 3 का संशोधन किया गया, ताकि संसद कानून द्वारा कार्य-संविदा के निष्पादन के दौरान वस्तुओं के हस्तांतरण में, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी के आधार पर माल की सुपुर्दगी पर कर लगाने की

प्रणाली, दरों और अन्य बातों के संबंध में प्रतिबंध और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकें।

'माल के क्रय और विक्रय पर कर' की परिभाषा में यह जोड़ने के लिए अनुच्छेद-366 का यथोचित संशोधन किया गया कि उसमें नियंत्रित वस्तुओं के प्रतिफलार्थ अंतरण, कार्य-संविदा के निष्पादन से संबंधित वस्तुओं के रूप में संपत्ति का अंतरण, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी आदि की प्रणाली में माल की सुपुर्दगी को भी शामिल किया जा सके।

47. संविधान (47वां संशोधन) अधिनियम, 1984- इस संशोधन का उद्देश्य संविधान की नवम अनुसूची में कतिपय भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करना है, ताकि उन अधिनियमों को लागू किए जाने में रुकावट डालने वाली मुकदमेबाजी को रोका जा सके।

48. संविधान (48वां संशोधन) अधिनियम, 1984- संविधान के अनुच्छेद-356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तब तक एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती, जब तक कि उक्त अनुच्छेद-के खंड 5 में उल्लिखित शर्त पूरी नहीं होती। चूंकि यह महसूस किया गया है कि उक्त उद्घोषणा का लागू रहना आवश्यक है, इसलिए यह संशोधन किया गया है, ताकि इस मामले में अनुच्छेद-356 के खंड 5 में उल्लिखित शर्तें लागू न होने पाएं।

49. संविधान (49वां संशोधन) अधिनियम, 1984- त्रिपुरा सरकार ने सिफ़ारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए। इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य राज्य में काम कर रही स्वायत्तशासी जिला परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है।

50. संविधान (50वां संशोधन) अधिनियम, 1984- संविधान के अनुच्छेद-33 द्वारा संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी को सशस्त्र सेनाओं अथवा लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बलों पर लागू करने में किस सीमा तक प्रतिबंधित अथवा निराकृत किया जाए, ताकि उनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

अनुच्छेद-33 की परिधि में निम्नलिखित बातों को लाने के लिए इसका संशोधन प्रस्तावित है:

(1) राज्य की अथवा उसके प्रभार या कब्जे में संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रभारित बलों के सदस्य, अथवा

(2) आसूचना अथवा प्रति-आसूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो अथवा अन्य संगठनों में नियुक्त व्यक्ति, अथवा

(3) किसी बल, ब्यूरो अथवा संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में नियुक्त अथवा उनसे संबंधित व्यक्ति।

अनुभव से पता चला है कि इनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित्त करने की आवश्यकता राष्ट्रीय हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

51. संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम, 1984- इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-330 में संशोधन किया गया, ताकि मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में स्थान सुरक्षित किए जा सकें। साथ ही साथ, स्थानीय जनजातियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुच्छेद-332 में संशोधन करके नगालैंड और मेघालय की विधान सभाओं में भी इसी तरह का आरक्षण किया गया।

52. संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985- इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद-सदस्य या विधानसभा सदस्य दल-बदल करता है या उस दल द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान है।

53. संविधान (53वां संशोधन) अधिनियम, 1986- यह भारत सरकार और मिज़ोरम सरकार द्वारा मिज़ोरम नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून, 1986 को हुए मिज़ोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए नया

अनुच्छेद-371-जी संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मिज़ो लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों, परंपरागत कानून और विधि के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की मनाही, दीवानी तथा फ़ौजदारी संबंधी मामलों, जिन पर मिज़ो लोगों के परंपरागत कानून के अनुसार निर्णय लिया जाता है तथा जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण के बारे में भी तब तक संसदीय कानून लागू नहीं होगा जब तक मिज़ोरम की विधानसभा इसे मंजूरी नहीं दे देती। लेकिन यह धारा मिज़ोरम राज्य में संशोधन के जारी होने से पहले से लागू होने वाले केंद्रीय कानूनों पर लागू नहीं होगी। नई धारा में यह भी व्यवस्था है कि मिज़ोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।

54. संविधान (54वां संशोधन) अधिनियम, 1986- इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को निम्न प्रकार से बढ़ाया गया है :

1.	भारत के प्रधान न्यायाधीश	₹ 10,000 प्रतिमाह
2.	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	₹ 9,000 प्रतिमाह
3.	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश	₹ 9,000 प्रतिमाह
4.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	₹ 8,000 प्रतिमाह

इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद-125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि संसद कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।

55. संविधान (55वां संशोधन) अधिनियम, 1986- इसमें केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया है। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद-371 एच जोड़ा गया है। अन्य बातों के अलावा, इस अनुच्छेद में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश की अत्यंत नाजुक स्थिति के कारण कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में राज्यपाल मंत्रिपरिषद में सलाह-मशविरा करके की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकेंगे। यदि राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल की यह ज़िम्मेदारी खत्म की जा सकेगी। नए अनुच्छेद के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे।

56. संविधान (56वां संशोधन) अधिनियम, 1987- भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित प्रदेश के दमन व दीव में शामिल क्षेत्र को दमन व दीव नामक एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में यह प्रस्तावित किया गया कि नए राज्य गोवा की विधानसभा में 40 सदस्य होंगे। केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव की मौज विधानसभा में 30 निर्वाचित सदस्य हैं तथा तीन मनोनीत सदस्य हैं। ऐसा विचार किया गया कि जब तक मौजूदा विधानसभा की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होकर नए निर्वाचन न कर लिए जाएं, तब तक गोवा राज्य के लिए बनी नई विधानसभा में दमन व दीव का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों को शामिल न किया जाए। अतएव, नए राज्य गोवा को ऐसी विधानसभा देने का निश्चय किया गया, जिसमें 30 से कम सदस्य न हों। इस संशोधन ने उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित विशेष प्रावधान को प्रभावी बनाया।

57. संविधान (57वां संशोधन) अधिनियम, 1987- संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम, 1984 लोकसभा में नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने तथा संविधान के अनुच्छेद-330 व 332 को समुचित प्रकार से संशोधित करके नगालैंड और मेघालय की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यद्यपि ये क्षेत्र जनजाति-बहुल हैं, तथापि इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां अपना न्यूनतम प्रतिनिधित्व तो कर ही सकें, क्योंकि वे विकसित वर्ग के लोगों के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हैं। यद्यपि संविधान (51वां संशोधन) अधिनियम औपचारिक रूप से प्रभावी था, फिर भी यह पूरी तरह से तब तक लागू नहीं हो सकता था, जब तक यह निर्धारित न हो जाए कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए किन-किन स्थानों का आरक्षण करना है। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद-332 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-332(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता

है, किंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, इन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के विकास व अन्य संबंधित बातों पर विचार करके यह जरूरी समझा गया कि इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, ताकि ये लोग भी, जैसा कि संविधान में संकल्पना की गई है, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। संविधान के अनुच्छेद-332 को अस्थाई प्रावधान बनाने के लिए फिर से संशोधित किया गया, जिससे अनुच्छेद-170 के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का पुनः निर्धारण किया जा सके। इस संशोधन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि यदि ऐसे राज्यों की विधान सभाओं (जो संशोधित अधिनियम के लागू होने की तिथि पर अस्तित्व में थीं) में सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अधिग्रहीत किए गए हों, तो एक को छोड़कर सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएं तथा अन्य किसी मामले में जहां पर स्थानों की संख्या कुल संख्या के बराबर हो, एक ऐसा अनुपात हो जिसमें मौजूदा विधानसभा के सदस्यों की संख्या मौजूदा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के बराबर हो। यह अधिनियम इन उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

58. संविधान (58वां संशोधन) अधिनियम, 1987- हिंदी में संविधान के प्राधिकृत पाठ के प्रकाशन की मांग सामान्यतः रही है। विधि प्रक्रिया में संविधान का आसानी से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसका हिंदी पाठ भी प्राधिकृत हो। संविधान का कोई भी हिंदी संस्करण न केवल संवैधानिक सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी अनुवाद के अनुरूप हो, बल्कि हिंदी में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली व शब्दावली के भी अनुरूप हो। संविधान को संशोधित करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने प्राधिकार के तहत् संविधान के हिंदी अनुवाद को, जिस पर संवैधानिक सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा जिनमें उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर लिया गया है जिससे यह हिंदी भाषा के केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा, शैली व शब्दावली के अनुरूप हो, प्रकाशित करा सकें। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्रदत्त की गई है कि वह संविधान में किए गए प्रत्येक अंग्रेज़ी संशोधन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाएं।

59. संविधान (59वां संशोधन) अधिनियम, 1988- इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-356 (5) का संशोधन किया गया, जिससे कि अनुच्छेद-356 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा का एक वर्ष की अवधि से आगे विस्तार किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो पंजाब राज्य में अशांति की स्थिति बनी रहने के कारण अनुच्छेद-356 के खंड (4) के अधीन यथा अनुज्ञेय तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावी बनाया जा सके। इस अधिनियम द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा से संबंधित संविधान के अनुच्छेद-352 का, पंजाब राज्य में इसे लागू किए जाने की बाबत संशोधन किया गया है जिसके अनुसार आंतरिक गड़बड़ी को पंजाब में आपातस्थिति की उद्घोषणा हेतु एक आधार बनाया गया है। अनुच्छेद 352 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, पंजाब राज्य के संबंध में अनुच्छेद-358 और 359 के संशोधन की तारीख 30 मार्च, 1988 से जो इस संशोधन के प्रारंभ की तारीख है, दो व की अवधि के लिए ही प्रवर्तनीय रहेंगे।

60. संविधान (60वां संशोधन) अधिनियम, 1988- अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद-276 के खंड (2) का इस दृष्टि से संशोधन करता है, जिससे कि व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिवर्ष किया जा सके। इस कर में वृद्धि करने से राज्यों को अतिरिक्त स्रोत जुटाने में सहायता मिलेगी। धारा (2) के उपबंध का लोप किया गया है।

61. संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम, 1989- इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि देश के उस युवा-वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सकें।

62. संविधान (62वां संशोधन) अधिनियम, 1989- संविधान के अनुच्छेद-334 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था संविधान में लागू होने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी। हालांकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों ने गत 40 वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है, किंतु संविधान सभा के सामने इस तरह की व्यवस्था बनाते समय जो कारण थे, वे अभी बरकरार हैं। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद-334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय का

मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्षों तक जारी रहेगा।

63. संविधान (63वां संशोधन) अधिनियम, 1989- संविधान (59वां संशोधन) अधिनियम मार्च 1988 में लागू किया गया, जिससे पंजाब में आपात स्थिति की घोषणा और राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए थे। इस पर पुनर्विचार करने पर सरकार ने निर्णय किया कि संशोधन में पंजाब में आपात स्थिति की घोषणा के संबंध में जिस विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, उनकी अब जरूरत नहीं रही। तद्नुसार, अनुच्छेद-356 की धारा 5 तथा अनुच्छेद-359(क) को हटा दिया गया है।

64. संविधान (64वां संशोधन) अधिनियम, 1990- इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा 4 व 5 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद-356 की धारा 1 के तहत् पंजाब के संबंध में ई. 1987 को संशोधित की गई घोषणा की अवधि को साढ़े तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया।

65. संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990- संविधान के अनुच्छेद-338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है, जो संविधान के तहत् अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। यह अनुच्छेद संशोधित कर दिया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मुहर से नियुक्त करेंगे। संशोधित अनुच्छेद में आयोग के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है और उसके उन कदमों के बारे में भी बताया गया है, जो उसे केंद्र अथवा राज्य सरकार को कमीशन की रिपोर्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाने होंगे। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि आयोग के पास शिकायत पर की जाने वाली जांच के दौरान वे सभी अधिकार होंगे, जो कि एक न्यायिक अदालत को होते हैं और आयोग की रिपोर्ट संसद और राज्य विधान सभाओं के समक्ष रखी जाएगी।

66. संविधान (66वां संशोधन) अधिनियम, 1990- इस अधिनियम के तहत् भूमि सुधार तथा कृषिभमि की सीमा से संबंधित राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की नौंवी अनसची में शामिल तथा सुरक्षित कर दिया गया है, जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

67. संविधान (67वां संशोधन) अधिनियम, 1990- संविधान के 64वें संशोधन के तहत् पंजाब के संबंध में 11 मई, 1987 को की गई तीन वर्ष की अवधि की घोषणा को साढ़े तीन वर्ष किया था। 67वें संशोधन के तहत् अनुच्छेद-356 की धारा 4 को पुनः संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है।

68. संविधान (68वां संशोधन) अधिनियम, 1991- संविधान के 67वें संशोधन के तहत् पंजाब के संबंध में 17 मई, 1987 को की गई घोषणा को बढ़ाकर चार वर्ष किया गया था। 68वें संशोधन के तहत् अनुच्छेद-356 की धारा 4 को संशोधित करके इस अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

69. संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991- भारत सरकार ने 24 दिसंबर, 1987 को दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों का अध्ययन करने तथा प्रशासनिक ढांचे को चुस्त बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी गठित की थी। पूरी जांच-पड़ताल और अध्ययन के बाद इस समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद भी हो, जो आम आदमी से संबंधित मामलों के बारे में पूरी तरह से अधिकार संपन्न हो। कमेटी ने सिफ़ारिश की थी कि स्थायित्व और सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्राप्त हो। यह अधिनियम उपर्यक्त सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया।

70. संविधान (70वां संशोधन) अधिनियम, 1992- संविधान (74वें संशोधन) विधेयक, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र सरकार, विधेयक 1991 पर संसद के दोनों सदनों में विचार प्रकट करते समय केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी संविधान के अनुच्छेद-54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचनमंडल में शामिल करने के पक्ष में विचार प्रकट किए गए।

इस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद-54 में निर्वाचनमंडल के लिए केवल निर्वाचित संसद

सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों (इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है) को शामिल करने का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुच्छेद-55 में इस प्रकार के चुनाव के तरीके के लिए राज्यों की विधान सभाओं की भी बात की गई है।

अनुच्छेद-54 में शामिल की गई एक व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद-54 और 55 में राज्य के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचनमंडल में राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को भी शामिल किया जाएगा। इससे अनुच्छेद-239ए के प्रावधानों के तहत् केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए बनाई गई विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और अनुच्छेद-239एए के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी सीमा क्षेत्र दिल्ली की प्रस्तावित विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचनमंडल में शामिल किया जा सकेगा।

71. संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम, 1992- संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाएं जोड़ने की मांग चल रही थी। इस अधिनियम से संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है।

72. संविधान (72वां संशोधन) अधिनियम, 1992- त्रिपुरा राज्य में जहां गड़बड़ी का माहौल बना हुआ है, शांति और सद्भाव कायम करने के लिए गत 12 अगस्त, 1988 को भारत सरकार और नेशनल वालेंटियर्स त्रिपुरा के बीच एक समझौते को लागू करने के लिए संविधान (72वां संशोधन) अधिनियम, 1972 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद-332 में संशोधन किया गया है, ताकि त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए तब तक के लिए अस्थाई व्यवस्था की जा सके, जब तक कि संविधान के 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आधार पर सीटों का तालमेल न हो जाए।

73. संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1993- संविधान के अनुच्छेद-40 में सुरक्षित किए गए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए क़दम उठाने चाहिए, जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक हैं।

इसके आलोक में पंचायतों से जुड़ा एक नया भाग IX संविधान में जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य अन्य चीजों के अलावा, एक गांव में अथवा गांवों के समूह में ग्रामसभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उसके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव कराना, पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सी का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम-से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए पांच साल की कार्यवधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो छह महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना है।

74. संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1993- विभिन्न कारणों से अनेक राज्यों के स्थानीय निकाय कमजोर और बेअसर हो गए हैं। इनमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।

इन खामियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9 ए शामिल किया गया है, ताकि अन्य चीजों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें: तीन तरह की पालिकाओं का गठन, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

75. संविधान (75वां संशोधन) अधिनियम, 1994- इन दिनों विभिन्न राज्यों में जो किराया नियंत्रण कानून लागू हैं, उनमें कई खामियां हैं, जिनके कारण अनेक अवांछनीय परिणाम हो रहे हैं। किराया नियंत्रण कानूनों के कुछ वैधानिक दुष्परिणाम हैं- लगातार बढ़ती हुई मुकदमेबाजी, न्यायालयों द्वारा समय पर न्याय न दे पाना, किराया

नियंत्रण कानूनों से बचने के तरीके निकालना और किराए के लिए मिल सकने वाले मकानों की निरंतर कमी।

उच्चतम न्यायालय ने देश में किराया नियंत्रण कानूनों की अनिश्चित और तर्करहित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभाकरण नय्यर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सिविल रिट पेटीशन संख्या 506 ऑफ 1986) तथा अन्य रिट याचिकाओं के संदर्भ में यह विचार प्रकट किया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को किराया विवादों के जबर्दस्त भार से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। इन मुकदमों में अपील करने के अवसर कम कर दिए जाने चाहिए। किराया नियंत्रण कानून, सरल, विवेकपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए। मुकदमेबाजी जल्दी ही अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए।

इस कानून द्वारा संविधान के भाग 14(क) के अनुच्छेद-323(ख) में संशोधन किया गया है ताकि किराएदारों और मकान मालिकों को समय पर राहत मिल सके। इस संशोधन में राज्य स्तर पर किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने और अन्य सभी अदालतों में मकान मालिक-किराएदार से संबंधित मुकदमे दायर करने पर रोक लगाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के कारण से मुकदमों के फैसलों की अपील संविधान के अनुच्छेद-136 के तहत् केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी।

76. संविधान (76वां संशोधन) अधिनियम, 1994- पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित करने की नीति का लंबा इतिहास 1921 में तमिलनाडु से शुरू हुआ था। राज्य सरकार अधिकांश लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित स्थानों की संख्या समय-समय पर बढ़ती रही। अब आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई है-18 प्रतिशत अनुसूचित जातियां, एक प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां और 50 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग।

उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (एआईआर 1993 एससी 477) में 16 नवंबर, 1992 को फैसला दिया कि अनुच्छेद-16(4) के अधीन कुल आरक्षित स्थानों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों (शिक्षा संस्थाओं में स्थान और राज्य के अधीन नौकरियां या पद आरक्षण) विधेयक 1993 पारित कर, इसे संविधान के अनुच्छेद-31सी की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भारत सरकार के पास भेजा। भारत सरकार ने राज्य सरकार के इस कानून की व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के इस विधेयक को स्वीकृति दे दी। इस निश्चय के परिणास्वरूप यह जरूरी था कि 1994 के तमिलनाडु कानून, 45 को संविधान की नौवीं अनुसूची की परिधि में लाया जाए, ताकि संविधान के अनुच्छेद-31बी के अधीन न्यायालयों द्वारा विचार न कर सकने के बारे में इस कानून को संरक्षण मिल सके।

77. संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 1955 से ही पदोन्नतियों में आरक्षण की सुविधा मिल रही है। लेकिन इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मुकदमे में 16 नवंबर, 1992 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों अथवा पदों का आरक्षण केवल शुरू में की जाने वाली नियुक्ति पर लागू होता है तथा इसे पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण पर लागू नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जिस स्तर पर होना चाहिए था, अतः अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की वर्तमान छूट को जारी रखना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए यह आवश्यक था कि संविधान के अनुच्छेद-16 में एक नई धारा (4ए) जोड़कर उसमें संशोधन किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान किया जा सके।

78. संविधान (78वां संशोधन) अधिनियम, 1995- संविधान का अनुच्छेद-31बी नौवीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को इस आधार पर कानूनी चुनौती देने से संवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड-3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सरकारों और केंद्रीय सरकार

द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची है, जो अन्य चीजों के अलावा भूमि-सहित संपत्ति के हितों और अधिकारों को प्रभावित करती है।

पहले जब कभी यह महसूस किया गया कि जिन प्रगतिशील कानूनों की परिकल्पना जनता के हित में गई है, उन्हें मुकदमेबाजी का ख़तरा है तो उसके लिए नौवीं अनुसूची का सहारा लिया गया। तदनुसार, भूमि सुधारों और कृषि योग्य भूमि की हदबंदी से संबंधित विभिन्न राज्यों के कानूनों को पहले ही नौंवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। चूंकि सरकार भूमि सुधारों को महत्व देने के प्रति वचनबद्ध है, अतः भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया गया, ताकि उन्हें अदालतों में चुनौती न दी जा सके। बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भूमि से संबंधित अपने कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया है।

चूंकि उन कानूनों में संशोधन को, जो पहले ही नौंवी अनुसूची में शामिल हैं, कानूनी चुनौती से स्वतः छूट नहीं मिली हुई है, अतः नौंवीं अनुसूची में कुछ मूलभूत कानूनों के साथ-साथ अनेक संशोधित कानूनों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागू होने पर ये कानून मुकदमेबाजी से प्रभावित नहीं होंगे।

79. संविधान (79वां संशोधन) अधिनियम, 1999- इस कानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा आंगल-भारतीयों के लिए लोकसभा और विधान सभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

80. संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम, 2000- दसवें वित्त आयोग की सिफरिशों के आधार पर संविधान (80वां संशोधन) अधिनियम-2000 में केंद्र और राज्यों के बीच करों से एकत्र राजस्व बांटने के बारे में वैकल्पिक योजना पर अमल करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अनुसार आयकर, उत्पाद शुल्कों, विशेषतः उत्पाद शुल्कों तथा रेल यात्री किरायों पर कर के बदले अनुदानों के लिए अब तक राज्य सरकारों को केंद्रीय करों तथा शुल्कों से एकत्र कुल राजस्व का जितना हिस्सा मिलता था अब उसके स्थान पर 26 प्रतिशत भाग राज्यों को दिया जाएगा।

81. संविधान (81वां संशोधन) अधिनियम, 2000- इस संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि संविधान के अनुच्छेद-16 की किसी भी व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित, वर्ष में जितने ख़ाली सरकारी पद हैं यदि वे पद उसी वर्ष नहीं भरे जाते हैं तो उन पर आगामी वर्ष में या वर्षों में नियुक्ति की जाएगी जिन्हें नियुक्ति वर्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत आरक्षित पदों की अधिकतम में शामिल नहीं किया जाएगा।

82. संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000- इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र या किसी राज्य के मामलों से संबद्ध किसी सेवा के किन्हीं वर्गों या वर्ग अथवा पदों पर पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा के अर्हता अंकों में अथवा मूल्यांकन के स्तरों में नरमी बरतने के लिए की गई किसी व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद-335 का कोई भी प्रावधान राज्य को नहीं रोक सकेगा।

83. संविधान (83वां संशोधन) अधिनियम, 2000- इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद-243 (एम) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

84. संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम, 2001- इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है ताकि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गयी आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सके। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। ऐसा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी-मतदाताओं की संख्या में अनियमित वृद्धि के कारण पैदा हुए असंतुलन को दूर करने के लिए किया गया है। इससे वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गयी आबादी के आधार पर राज्यों की विधान सभाओं और लोकसभा के लिए आरक्षित, अनुसूचित और जनजाति की सीटों की संख्या भी फिर से निर्धारित की जा सकेगी।

85. संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001- इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद-16 (4ए) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत्

पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। इसे 17 जून, 1995 से प्रभावी माना गया है।

86. संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002– इसका संबंध अनुच्छेद-21 के पश्चात् जोड़े गए नए अनुच्छेद-21 ए से है। नया अनुच्छेद-21ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है- 'राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत् होगी।'

संविधान के अनुच्छेद-45 को बदलकर नया अनुच्छेद जोड़ा गया है संविधान के अनुच्छेद-45 छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद बदला जाएगा। अनुच्छेद-45 'राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है।'

संविधान के अनुच्छेद-51 ए में संशोधन करके (जे) के बाद नया अनुच्छेद-(के) जोड़ा गया है, 'इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।'

87. संविधान (87वां संशोधन) अधिनियम, 2003- संविधान के अनुच्छेद-81 के खंड (3) के उपबंध में धारा (II) में, '1991' की जगह '2001' लिखा जाए।

संविधान के अनुच्छेद-82 के तीसरे उपबंध की धारा (II) में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए।

संविधान के अनुच्छेद-170 व्याख्या में (i) धारा 2 के उपबंध की व्याख्या में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए; (i) धारा 3 के तीसरे उपबंध की व्याख्या में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए।

संविधान के अनुच्छेद-330 में व्याख्या में, उपखंड में '1991' की जगह '2001' लिखा जाए।

88. संविधान (88वां संशोधन) अधिनियम, 2003- यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा सरकारी बजट में अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद-268 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए :

*268 ए (1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रहण और उपयोग भारत सरकार और राज्यों द्वारा धारा (2) में दिए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।'

(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में धारा (1) में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक लगाए गए ऐसे किसी भी कर को, (क) भारत सरकार और राज्य एकत्रित करेंगे; (ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा इसका उचितइस्तेमाल किया जाए और यह संग्रहण और उपयोग उन सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा जैसा कि संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किया हो।

संविधान के अनुच्छेद-270 की धारा (1) में 'अधिनियम 268 और 269' के स्थान पर 'अधिनियम, 268, 268ए और 269' लिखा जाए।

संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची। केंद्रीय सूची में 92 बी के बाद 92सी-सेवाओं पर कर' को सूचीबद्ध किया जाए।

89. संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003- यह संशोधन उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से केंद्र सरकार इसे अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में शामिल करेगी।

संविधान के अनुच्छेद-338 में :

(ए) उपांतिक (मार्जिनल) शीर्षक की जगह निम्नलिखित उपांतिक शीर्षक लिखा जाए: 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग' (बी) धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं शामिल की जाएं :

1. अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाए।

2. संसद द्वारा इस बारे में बनाए गए कानून के प्रावधानों के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे और नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय नियमों से निर्धारित होंगे।

(सी) धारा (5), (9) तथा (10) में जहां भी अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयुक्त हुआ हो, उसे हटा दिया जाए।

अनुच्छेद-338 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए।

"338ए- (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा।

(2) संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित किसी कानून के प्रावधानों के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्य होंगे और नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय नियमों से निर्धारित होंगे।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ से जारी सीलबंद वारंट द्वारा की जाएगी।

(4) आयोग को अपनी कार्यप्रक्रिया स्वयं निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि- (क) संविधान या वर्तमान में लागू अन्य किसी कानून के अंतर्गत या सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के तहत् अनुसूचित जातियों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की छानबीन एवं निगरानी तथा इन तय सुरक्षा मानदंडों का मूल्यांकन; (ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षा से वंचित करने के संदर्भ में किसी विशेष शिकायत की जांच; (ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में शामिल होना एवं सलाह देना और केंद्र तथा किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास का मूल्यांकन; (घ) निर्धारित सुरक्षा मानकों के कारगर होने या न होने के बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक तथा अन्य किसी ऐसे समय, जब उसे उचित लगे, राष्ट्रपति को सौंपेगा; (ङ) ऐसी रिपोर्ट अथवा सिफ़ारिशें करेगा, उपाय सुझाएगा जो केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा इन सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जाएंगे ताकि अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, उनका कल्याण और आर्थिक-सामाजिक विकास हो सके; और (च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उनकी प्रगति संबंधी ऐसे अन्य कार्य करेगा जोकि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति निदिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखीसेजाए। साथ ही, केंद्र संबंधित सिफारिशों के संदर्भ में उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में ज्ञापन भी हो जिसमें किसी सिफ़ारिश को अगर स्वीकार नहीं किया गया हो तो उसका कारण भी निर्दिष्ट हो।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट, या उसका कोई हिस्सा, किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जोकि किसी राज्य सरकार से संबद्ध हो, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जानी चाहिए जोकि यह सुनिश्चित करे कि वह रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के समक्ष राज्य से संबंधित अनुशंसाओं के संदर्भ में 36 (ए) गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में ज्ञापन सहित रखी जाए। साथ ही, राज्य से संबद्ध सिफ़ारिश को अगर स्वीकार नहीं किया गया है, तो उसकी अस्वीकृति के कारणों के बारे में भी बताया जाए।

(8) आयोग को धारा 5 की उपधारा (ए) में दिए गए किसी मामले की छानबीन करने या उपधारा (बी) के तहत् किसी शिकायत की जांच करने के लिए वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी मुकदमें की सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट को प्राप्त होती हैं, विशेषतौर से निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में, जो इस प्रकार हैं :

(क) भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए उसे सम्मन जारी करना तथा उसकी उपस्थिति दर्ज करना और शपथ से उसकी जांच करना; (ख) किसी दस्तावेज की खोज तथा प्रस्तुति की आवश्यकता पड़ने पर; (ग) शपथ-पत्र पर प्रमाण प्राप्त करने पर; (घ) किसी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकार्ड या प्रति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना; (ङ) गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच-परख के लिए कमीशन जारी करना, (च) अन्य कोई मामला जो किसी नियम के मुताबिक राष्ट्रपति सामने रखे।

(9) केंद्र तथा सभी राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों पर आयोग से विचार-विमर्श करेंगी।

90. संविधान (90वां संशोधन) अधिनियम, 2003- संविधान के अनुच्छेद-332 की धारा (6) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, जो कि इस प्रकार है :

'असम राज्य के लिए विधानसभा चुनावों हेतु बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि अधिसूचित हो, तथा जो वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला गठित होने से पहले हैं, को बरकरार रखा जाए।'

91. संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003- संविधान के अनुच्छेद-75 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएं, जो कि इस प्रकार हैं :

(1ए) मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1बी) संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो कि किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो तथा उसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया हो, वह धारा (1) के तहत् मंत्री के पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा और यह अवधि उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से शुरू होगी और उस तारीख तक लागू रहेगी जिस अवधि तक उसका सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त नहीं होता या उस अवधि के समाप्त होने से पहले उस तारीख तक, जब वह कहीं से संसद के किसी भी सदन के लिए हुए चुनाव में खड़ा हुआ हो, और उसे निर्वाचित घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।

संविधान के अनुच्छेद-164 में धारा (1) के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएं :

(1ए) राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए :

बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होः

बशर्ते जहां किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 लागू होने की तारीख को उपर्युक्त 15 प्रतिशत या पहले उपखंड में निर्दिष्ट संख्या से ज्यादा हो, जैसा भी मामला हो, तब उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या को इस धारा के प्रावधानों के मुताबिक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर इस धारा प्रावधानों का पालन किया जाए।

(1बी) राज्य विधानसभा या राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन, जहां विधानपरिषद हो, का सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो तथा जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत् उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, धारा (1) के तहत् उसे मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा तथा वह अवधि उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से उस तारीख तक जारी रहेगी जब तक उसकी उस सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस अवधि के समाप्त होने से पहले, उस तारीख से, जब वह राज्य विधानसभा या विधान मंडल के किसी भी सदन के लिए चुनाव लड़े, जहां विधानपरिषद हो, जैसा भी मामला हो, उसे निर्वाचित घोषित किया जाए, जो भी पहले हो।

संविधान के अनुच्छेद-361ए के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए, जो इस प्रकार है :

'316-बी- किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध सदन का सदस्य जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया हो, वह उस अवधि में किसी लाभकारी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। यह उसे अयोग्य घोषित किए जाने की तारीख से तब तक के लिए होगा, जब तक उसकी सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती या उस तारीख तक, जब वह सदन के लिए कोई चुनाव लड़े और निर्वाचित घोषित किया जाए, जो भी पहले हो।'

व्याख्याः इस अनुच्छेद के उद्देश्य से

(ए) 'सदन' का अर्थ वही समझा जाएगा जो दसवीं अनुसूची के पैरा 1 की धारा (ए) में दिया गया हैं।

(बी) शब्द 'लाभकारी राजनीतिक पद' से तात्पर्य किसी कार्यालय में (1) भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत, जहां ऐसे कार्यालय में वेतन या पारिश्रमिक भारत सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक राजस्व से दिया जाता हो, जैसा भी मामला हो, या (II) ऐसा संकाय, जो निगमित हो या नहीं, पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन हो तथा ऐसे कार्यालय का वेतन या परिश्रमिक ऐसे संकाय द्वारा दिया जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिपूरक के रूप में दिया जाता हो।

संविधान की दसवीं अनुसूची में (ए) पैरा 1 में धारा बी में शब्दों तथा संख्या को 'पैरा 3 या, जैसा भी मामला हो, हटा दिया जाए;' (बी) पैरा 2 के उप-पैरा (1) में शब्दों तथा संख्या 'पैरा 3, 4 तथा 5', के स्थान पर 'पैरा 4 तथा 5' लिखा जाए; (सी) पैरा 3 को हटा दिया जाए।

92. संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम, 2003- संविधान की आठवीं अनुसूची में :

(क) वर्तमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 किया जाए तथा प्रविष्टि 5 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएं : '3 बोडो; 4 डोगरी'।

(ख) वर्तमान 4 से 7 तक की प्रविष्टि को क्रमशः प्रविष्टि 6 से 9 लिखा जाए;

(ग) वर्तमान प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रविष्टि 11 लिखा जाए तथा प्रविष्टि 11 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए : '10 मैथिली'

(घ) वर्तमान 9 से 14 तक की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः 12 से 17 लिखा जाए;

(ङ) वर्तमान प्रविष्टि 15 की जगह प्रविष्टि 19 लिखा जाए और प्रविष्टि 19 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए : '18 संथाली'

(च) वर्तमान प्रविष्टि 16 से 18 के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि 20 से 22 लिखा जाए।

93. संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2006- बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों और सामाजिक तथा शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए अन्य वर्गों के नागरिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा संस्थानों में, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद-15 की धारा (4) के प्रावधानों तहत् की गई है। इस समय सहायता प्राप्त अथवा प्रशासन द्वारा संचालित संस्थानों में विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं, वे गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों की तुलना में सीमित हैं।

संविधान के अनुच्छेद-30 की धारा (1) के प्रावधानों के तहत् सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को संस्थानों की स्थापना और उसके संचालन के बारे में जो अधिकार मिले हुए हैं, उनकी रक्षा करना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप जिन संस्थानों को सरकार ने अनुच्छेद-30 की धारा (1) के तहत् अल्पसख्यक घोषित कर रखा है, उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों, अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को, अनुच्छेद-30 की धारा (1) के तहत् आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर बाकी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के मामले में अनुच्छेद-15 के प्रावधानों का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद-15 की नयी धारा (5) के तहत् संसद तथा राज्यों की विधायिकाएं ऊपर दिए गए उद्देश्य के लिए समुचित कानून बना सकती हैं।

94. संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006- संविधान के अनुच्छेद-164 की धारा (1) के प्रावधान में 'बिहार' शब्द के स्थान पर 'झारखंड, छत्तीसगढ़' शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

95. संविधान (95वां संशोधन) अधिनियम, 2009- लोकसभा और राज्यसभा तथा विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के लिए अनुच्छेद-334 में संशोधन किया गया।

96. संविधान (96वां संशोधन) अधिनियम, 2011- संविधान की आठवीं अनुसूची में 'उडिया' के स्थान पर 'ओड़िया' लिखा जाए।

97. संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011- अनुच्छेद-19 (i) (ग) में अथवा 'संघों' शब्दों के बाद अथवा 'सहकारी सोसायटी' शब्द जोड़े गए अनुच्छेद-43(ख) यानी सहकारी सोसायटियों के संवर्धन को शामिल किया गया और खंड-18 यानी सहकारी सोसायटी जोड़ा गया।

98. संविधान (98वां संशोधन) अधिनियम, 2012- संविधान में अनुच्छेद-371(जे) जोड़ा गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए शक्ति प्रदान करना था।

99. संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014- नए अनुच्छेद-124क, 124ख, 124ग को संविधान के अनुच्छेद-124 के बाद शामिल किया गया। यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन तथा अधिकार को तैयार करता है।

100. संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015- संविधान की पहली अनुसूची को 16 मई, 1974 को हस्ताक्षरित भू-सीमा के सीमांकन से समझौते तथा दिनांक 6 सितंबर, 2011 को हस्ताक्षरित उसके मूल पत्र के अनुसरण में हानिकर आधिपत्य को बनाए रखते हुए तथा विदेशी अंतः क्षेत्र की अदला-बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया।

101. संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016- इस अधिनियम द्वारा "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)" लागू करने के लिए संविधान की धाराएं 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 एवं 368 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 268ए को हटाकर नए अनुच्छेद 269ए (अंतरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं संवा कर की लेवी तथा संग्रह) तथा 279ए (वस्तु एवं सेवा कर परिषद) जोड़े गए। इस अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से राज्यों के राजस्व नुकसान की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

102. संविधान (एक सौ दो/102वां संशोधन) कानून, 2018- इस कानून के माध्यम से पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को सांवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 366 में 26सी क्लॉज़ के साथ दो नए अनुच्छेद 338बी तथा 342ए जोड़े गए, जो सामाजिक तथा शैक्षिक तौर से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करते हैं और अनुच्छेद 340 को लुप्त कर दिया गया।

इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों के परीक्षण तथा कल्याण के उपाय करने का अधिकार है। इसके अधिकारों में देश के किसी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाने और हाजिर होने का निर्देश देने और प्रण के साथ उससे पूछताछ का अधिकार शामिल है। यह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और शपथ-पत्र साक्ष्य ले सकता है।

103. संविधान (एक सौ तीन/103वां संशोधन) कानून, 2019- इस कानून के माध्यम से समाज के आर्थिक तौर से कमजोर ऊंची जातियों के लोगों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों तथा केंद्र सरकार द्वारा और निजी संचालन वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन से राज्य सरकारों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों या राज्य सरकार की नौकरियों में इस तरह का आरक्षण अनिवार्य नहीं होगा। यह आरक्षण वर्तमान आरक्षणों के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में कुल स्थानों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही होगा। इससे संविधान के अनुच्छेदों 15 और 16 में संशोधन हुआ है।

स्रोत : http://www.indiacode.nic.in

परिशिष्ट

भारत सरकार

श्री राम नाथ कोविंद - राष्ट्रपति

श्री एम. वेंकैया नायडु - उपराष्ट्रपति

मंत्रिपरिषद[1]

(31 दिसंबर, 2019 तक)

1.	श्री नरेन्द्र मोदी	प्रधानमंत्री, साथ ही निम्न मंत्रालयों का भी कार्यभार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।
		कैबिनेट मंत्री
2.	श्री अमित शाह	गृह मंत्री
3.	श्री राजनाथ सिंह	रक्षा मंत्री
4.	श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
5.	श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	रसायन और उर्वरक मंत्री
6.	श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्री कॉरपोरेट कार्य मंत्री
7.	श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
8.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि और किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री
9.	श्री रविशंकर प्रसाद	कानून और न्याय मंत्री संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
10.	श्रीमती हरसिमरत	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

	कौर बादल	
11.	श्री थावर चंद गहलोत	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
12.	डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्री
13.	श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’	मानव संसाधन विकास मंत्री
14.	श्री अर्जुन मुंडा	जनजातीय कार्य मंत्री
15.	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	महिला और बाल विकास मंत्री कपड़ा मंत्री
16.	डॉ. हर्षवर्धन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी विज्ञान मंत्री
17.	श्री प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री
18.	श्री पीयूष गोयल	रेलवे मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री
19.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस्पात मंत्री
20.	श्री मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
21.	श्री प्रह्लाद जोशी	संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री खान मंत्री
22.	डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
23.	श्री गिरिराज सिंह	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री
24.	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्री
		राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
1.	श्री संतोष कुमार गंगवार	श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
2.	श्री राव	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री

	इंद्रजीत सिंह	योजना राज्य मंत्री
3.	श्री श्रीपद येसो नाइक	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा राज्य मंत्री, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) रक्षा राज्य मंत्री
4.	डॉ. जितेंद्र सिंह	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री
5.	श्री किरन रिजिजू	युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री
6.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	संस्कृति राज्य मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री
7.	श्री राज कुमार सिंह	बिजली राज्य मंत्री नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री
8.	श्री हरदीप सिंह पुरी	आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
9.	श्री मनसुख एल. मंडाविया	जहाज़रानी राज्य मंत्री रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
		राज्य मंत्री
1.	श्री फग्गनसिंह कुलस्ते	इस्पात राज्य मंत्री
2.	श्री अश्विनी कुमार चौबे	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री
4.	जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री
5.	श्री कृष्णपाल	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
6.	दानवे रावसाहेब दादराव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
7.	श्री जी. किशन रेड्डी	गृह राज्य मंत्री
8.	श्री परषोत्तम रुपाला	कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री

9.	श्री रामदास अठावले	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
10.	साध्वी निरंजन ज्योति	ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
11.	श्री बाबुल सुप्रियो	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
12.	श्री संजीव कुमार बालियान	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री
13.	श्री धोत्रे संजय शामराव	मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, संचार राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
14.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	वित्त राज्य मंत्री कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री
15.	श्री अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा	रेल राज्य मंत्री
16.	श्री नित्यानंद राय	गृह राज्य मंत्री
17.	श्री रतन लाल कटारिया	जल शक्ति राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
18.	श्री वी. मुरलीधरन	विदेश राज्य मंत्री संसदीय कार्य राज्य मंत्री
19.	श्रीमती रेणुका सिंह सरुता	जनजातीय मामलों का राज्य मंत्री
20.	श्री रामेश्वर तेली	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
21.	श्री सोम प्रकाश	वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री
22.	श्री प्रताप चन्द्र सारंगी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री
23.	श्री कैलाश चौधरी	कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
24.	सुश्री देबाश्री चौधरी	महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

---

1 स्रोत : कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : *www.cabsec.nic.in.*

संसद सदस्य[2]

राज्य सभा (राज्यवार सूची) 31 दिसंबर, 2019 तक

सभापतिः एम. वेंकैया नायडु

उप सभापतिः हरिवंश नारायण सिंह

राज्य

क्र.सं.	नाम	दल/समूह
आंध्र प्रदेश **(11)**		
1.	चौधरी, श्री वाई. एस.	बीजेपी
2.	कनकमेदला, श्री रवींद्र कुमार	टीडीपी
3.	खान, श्री मोहम्मद अली	आईएनसी
4.	प्रभु, श्री सुरेश	बीजेपी
5.	रमेश, श्री सी. एम.	बीजेपी
6.	राव, डॉ. के. केशव	टीआरएस
7.	रेड्डी, डॉ. टी. सुब्बारामी	आईएनसी
8.	रेड्डी, श्री वि. विजयसाई	वाईएसआरसीपी
9.	सीताराम लक्ष्मी, श्रीमती तोटा	टीडीपी
10.	वेमिरेड्डी, श्री प्रभाकर रेड्डी	वाईएसआरसीपी
11.	वेंकटेश, श्री टी.जी.	बीजेपी
अरुणाचल प्रदेश **(1)**		
12.	मुकुट, श्री मिथि	आईएनसी
असम **(5)**		
13.	बैश्य, श्री बीरेन्द्र प्रसाद	एजीपी
14.	बोरा, श्री रिपुन	आईएनसी
15.	दैमारी, श्री बिश्वजीत	बीपीएफ
16.	नाराह, श्रीमती रानी	आईएनसी
17.	तसा, श्री कामाख्या प्रसाद	बीजेपी
बिहार **(15)**		
18.	भारती, श्रीमती मीशा	आरजेडी
19.	दुबे, श्री सतीश चंद्र	बीजेपी
20.	हरिवंश, श्री	जेडी (यू)
21.	झा, प्रो. मनोज कुमार	आरजेडी
22.	करीम, श्री अहमद अशफाक	आरजेडी

23.	प्रसाद, डॉ. महेन्द्र	जेडी (यू)
24.	पासवान, श्री राम विलास	एलजेएसपी
25.	परवीन, श्रीमती कहकशां	जेडी (यू)
26.	सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद	आईएनसी
27.	सिंह, श्री बशिष्ठ नारायण	जेडी (यू)
28.	सिंह, श्री गोपाल नारायण	बीजेपी
29.	सिंह, श्री राम चन्द्र प्रसाद	जेडी (यू)
30.	सिन्हा, श्री आर.के.	बीजेपी
31.	ठाकुर, डॉ. सी.पी.	बीजेपी
32.	ठाकुर, श्री राम नाथ	जेडी (यू)
छत्तीसगढ़ **(5)**		
33.	जूदेव, श्री रणविजय सिंह	बीजेपी
34.	नेताम, श्री राम विचार	बीजेपी
35.	पाण्डेय, सुश्री सरोज	बीजेपी
36.	वर्मा, श्रीमती छाया	आईएनसी
37.	वोरा, श्री मोतीलाल गोवा (1)	आईएनसी
गोवा**(1)**		
38.	तेंदुलकर, श्री विनय दीनू गुजरात (11)	बीजेपी
गुजरात **(11)**		
39.	गोहेल, श्री चुनीभाई कानजीभाई	बीजेपी
40.	जयशंकर, श्री एस.	बीजेपी
41.	लोखंडवाला, श्री जुगलसिंह माथुरजी	बीजेपी
42.	मांडविया, श्री मनसुख	बीजेपी
43.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	आईएनसी
44.	पटेल, श्री अहमद	आईएनसी
45.	राठवा, श्री नारणभाई जे.	आईएनसी
46.	रूपाला, श्री परशोत्तम	बीजेपी
47.	तुंदिया, महंत शम्भुप्रसादजी	बीजेपी
48.	वड़ोदिया, श्री लाल सिंह	बीजेपी
49.	याज्ञिक, डॉ. अमी	आईएनसी
हरियाणा **(4)**		
50.	शैलजा, कुमारी	आईएनसी
51.	सिंह, चौधरी बीरेन्द्र	बीजेपी
52.	चन्द्र, डॉ. सुभाष	स्वतंत्र
53.	वत्स (सेवानिवृत्त), लेफ्टीनेंट जनरल (डॉ.) डी.पी.	बीजेपी
हिमाचल प्रदेश **(3)**		
54.	शर्मा, श्री आनन्द	आईएनसी

55.	नड्डा, श्री जगत प्रकाश	बीजेपी
56.	ठाकुर, श्रीमती विप्लव	आईएनसी

जम्मू और कश्मीर **(4)**

57.	आज़ाद, श्री गुलाम नबी	आईएनसी
58.	फ़ैयाज, मीर मोहम्मद	जेएंडके पीडीपी
59.	लवाय, श्री नज़ीर अहमद	जेएंडके पीडीपी
60.	मन्हास, श्री शमशेर सिंह	बीजेपी

झारखंड **(6)**

61.	गुप्ता, श्री प्रेम चन्द	आरजेडी
62.	नक़वी, श्री मुख़्तार अब्बास	बीजेपी
63.	नथवानी, श्री परिमल	आईएनडी
64.	उरांव, श्री समीर	बीजेपी
65.	पोद्दार, श्री महेश	बीजेपी
66.	साहू, श्री धीरज प्रसाद	आईएनसी

कर्नाटक **(11)**

67.	चन्द्रशेखर, श्री राजीव	बीजेपी
68.	चन्द्रशेखर, श्री जी.सी.	आईएनसी
69.	फर्नांडिस, श्री ऑस्कर	आईएनसी
70.	गौडा, प्रो. एम.वी. राजीव	आईएनसी
71.	हनुमंतय्या, डॉ. एल.	आईएनसी
72.	हरिप्रसाद, श्री बी. के.	आईएनसी
73.	हुसैन, श्री सैयद नासिर	आईएनसी
74.	कोरे, डॉ. प्रभाकर	बीजेपी
75.	सीतारमण, श्रीमती निर्मला	बीजेपी
76.	रमेश, श्री जयराम	आईएनसी
77.	रेड्डी, श्री डी. कुपेन्द्र	जेडी (एस)

केरल **(9)**

78.	वहाब, श्री अब्दुल	आईयूएमएल
79.	अन्तोनी, श्री ए. के.	आईएनसी
80.	करीम, श्री इलामारम	सीपीआई (एम)
81.	मणि, श्री जोस के.	केसी (एम)
82.	रागेश, श्री के.के.	सीपीआई (एम)
83.	रवि, श्री वायालार	आईएनसी
84.	सोमप्रसाद, श्री के.	सीपीआई (एम)
85.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	आईएनडी
86.	विस्वम, श्री बिनोय	सीपीआई

मध्य प्रदेश **(11)**

87.	अकबर, श्री एम.जे.	बीजेपी

88.	गहलोत, श्री थावरचन्द	बीजेपी
89.	जटिया, डॉ. सत्यनारायण	बीजेपी
90.	झा, श्री प्रभात	बीजेपी
91.	पटेल, श्री राजमणि	आईएनसी
92.	प्रधान, श्री धर्मेंद्र	बीजेपी
93.	सिंह, श्री अजय प्रताप	बीजेपी
94.	सिंह, श्री दिग्विजय	आईएनसी
95.	सोनी, श्री कैलाश	बीजेपी
96.	तन्खा, श्री विवेक के.	आईएनसी
97.	उइके, श्रीमती सम्पतिया	बीजेपी

महाराष्ट्र **(19)**

98.	अठावले, श्री रामदास	आरपीआई (ए)
99.	चव्हाण, श्रीमती वंदना	एनसीपी
100.	चिदम्बरम, श्री पी.	आईएनसी
101.	दलवई, श्री हुसैन	आईएनसी
102.	देसाई, श्री अनिल	एसएस
103.	धूत, श्री राजकुमार	एसएस
104.	गोयल, श्री पीयूष	बीजेपी
105.	जावड़ेकर, श्री प्रकाश	बीजेपी
106.	काकडे, श्री संजय दत्तात्रय	आईएनडी
107.	केतकर, श्री कुमार	आईएनसी
108.	महात्मे, डॉ. विकास	बीजेपी
109.	मेमन, श्री माजीद	एनसीपी
110.	मुरलीधरन, श्री वी.	बीजेपी
111.	पटेल, श्री प्रफुल्ल	एनसीपी
112.	पवार, श्री शरद	एनसीपी
113.	राणे, श्री नारायण	बीजेपी
114.	राउत, श्री संजय	एसएस
115.	साबले, श्री अमर शंकर	बीजेपी
116.	सहस्रबुद्धे, डॉ. विनय पी.	बीजेपी

मणिपुर **(1)**

117.	सिंह, श्री के. भावानंद	बीजेपी

मेघालय **(1)**

118.	साइम, श्रीमती वानसुक	आईएनसी

मिज़ोरम **(1)**

119.	लाउ, श्री रोनाल्ड सपा	आईएनसी

नागालैंड **(1)**

120.	केन्ये, श्री के.जी.	एनपीएफ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली **(3)**

121.	गुप्ता, श्री नारायण दास	एएपी
122.	गुप्ता, श्री सुशील कुमार	एएपी
123.	सिंह, श्री संजय	एएपी

ओडिशा **(9)**

124.	आचार्य, श्री प्रसन्न	बीजेडी
125.	बिस्वाल, श्री रेजिब	आईएनसी
126.	हेम्ब्रम, श्रीमती सरोजिनी	बीजेडी
127.	नन्दा, श्री प्रशांत	बीजेडी
128.	नेक्कांति, श्री भास्कर राव	बीजेडी
129.	पटनायक, डॉ. अमर	बीजेडी
130.	पात्रा, डॉ. सस्मित	बीजेडी
131.	स्वैन, श्री नरेन्द्र कुमार	बीजेडी
132.	वैष्णव, श्री अश्वनी	बीजेपी

पुद्दुचेरी **(1)**

133.	गोकुलकृष्णन, श्री एन.	एआईएडीएमके

पंजाब **(7)**

134.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	आईएनसी
135.	भुंडर, सरदार बलविंदर सिंह	एसएडी
136.	ढिंडसा, सरदार सुखदेव सिंह	एसएडी
137.	दुलो, श्री शमशेर सिंह	आईएनसी
138.	गुजराल, श्री नरेश	एसएडी
139.	मलिक, श्री श्वेत	बीजेपी
140.	सोनी, श्रीमती अम्बिका	आईएनसी

राजस्थान **(10)**

141.	एल्फोंस, श्री के.जे.	बीजेपी
142.	डूडी, श्री राम नारायण	बीजेपी
143.	डुंगरपुर, श्री हर्षवर्धन सिंह	बीजेपी
144.	गोयल, श्री विजय	बीजेपी
145.	माथुर, श्री ओम प्रकाश	बीजेपी
146.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	बीजेपी
147.	पंचारिया, श्री नारायण लाल	बीजेपी
148.	सिंह, डॉ. मनमोहन	आईएनसी
149.	वर्मा, श्री रामकुमार	बीजेपी
150.	यादव, श्री भूपेन्द्र	बीजेपी

सिक्किम **(1)**

151.	लाचुंगपा, श्री हिशे	एसडीएफ

तमिलनाडु **(18)**

152.	बालासुब्रमण्यम, श्री एस.आर.	एआईएडीएमके
153.	भारती, श्री आर.एस.	डीएमके
154.	चंद्रशेखरन, श्री एन.	एआईएडीएमके
155.	एलंगोवन, श्री टी.के.एस.	डीएमके
156.	मोहम्मदजन, श्री ए.	एआईएडीएमके
157.	मुत्तुकरुप्पन, श्री एस.	एआईएडीएमके
158.	नवनीतकृष्णन, श्री ए.	एआईएडीएमके
159.	रामादॉस, डॉ. अंबुमणि	पीएमके
160.	रामास्वामी, डॉ. शशिकला पुष्पा	एआईएडीएमके
161.	रंगराजन, श्री टी. के.	सीपीआई (एम)
162.	सेल्वाराज, श्री ए.के.	एआईएडीएमके
163.	शनमुगम, श्री एम.	डीएमके
164.	शिवा, श्री तिरुची	डीएमके
165.	वाइको, श्री	एमडीएमके
166.	वैद्यलिंगम, श्री आर.	एआईएडीएमके
167.	विजयकुमार, श्री ए.	एआईएडीएमके
168.	सत्यानंत, श्रीमती विजिला	एआईएडीएमके
169.	विल्सन, श्री पी.	डीएमके
तेलंगाना **(7)**		
170.	बांडा, डॉ. प्रकाश	टीआरएस
171.	जोगिनीपल्ली, श्री संतोष कुमार	टीआरएस
172.	राव, श्री गरिकपति मोहन	बीजेपी
173.	राव, डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र	आईएनसी
174.	राव, श्री वी. लक्ष्मीकांत	टीआरएस
175.	श्रीनिवास, श्री धर्मपुरी	टीआरएस
176.	यादव, श्री बी लिंग्याह	टीआरएस
त्रिपुरा **(1)**		
177.	बैद्य, श्रीमती झरना दास	सीपीआई (एम)
उत्तर प्रदेश **(30)**		
178.	अग्रवाल, डॉ. अनिल	बीजेपी
179.	सिद्धार्थ, श्री अशोक	बीएसपी
180.	बच्चन, श्रीमती जया	एसपी
181.	बाजपेयी, डॉ. अशोक	बीजेपी
182.	जैन, डॉ. अनिल	बीजेपी
183.	कर्दम, श्रीमती कान्ता	बीजेपी
184.	खान, श्री जावेद अली	एसपी
185.	मिश्रा, श्री सतीश चन्द्र	बीएसपी
186.	नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	बीजेपी

187.	निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद	एसपी
188.	पुनिया, श्री पी.एल.	आईएनसी
189.	पुरी, श्री हरदीप सिंह	बीजेपी
190.	राजाराम, श्री	बीएसपी
191.	राजभर, श्री सकलदीप	बीजेपी
192.	राव, श्री जी.वी.एल. नरसिंहा	बीजेपी
193.	सेठ, श्री संजय	बीजेपी
194.	शेखर, श्री नीरज	बीजेपी
195.	शुक्ल, श्री शिव प्रताप	बीजेपी
196.	सिब्बल, श्री कपिल	आईएनसी
197.	सिंह, श्री अमर	स्वतंत्र
198.	सिंह, श्री रेवती रमन	एसपी
199.	सिंह, श्री वीर	बीएसपी
200.	तोमर, श्री विजय पाल सिंह	बीजेपी
201.	त्रिवेदी, डॉ. सुधांशु	बीजेपी
202.	वर्मा, श्री बेनी प्रसाद	एसपी
203.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	एसपी
204.	यादव, डॉ. चन्द्रपाल सिंह	एसपी
205.	यादव, श्री हरनाथ सिंह	बीजेपी
206.	यादव, प्रो. राम गोपाल	एसपी
207.	यादव, चौधरी सुखराम सिंह	एसपी
उत्तराखंड **(3)**		
208.	बब्बर, श्री राज	आईएनसी
209.	बलूनी, श्री अनिल	बीजेपी
210.	टम्टा, श्री प्रदीप	आईएनसी
पश्चिम बंगाल **(16)**		
211.	बनर्जी, श्री रीताब्रता	स्वतंत्र
212.	भट्टाचार्य, श्री पि.	आईएनसी
213.	भूनिया, श्री मानस रंजन	एआईटीसी
214.	बिस्वास, श्री अबीर रंजन	एआईटीसी
215.	चक्रबर्ती, श्री शुभाशीष	एआईटीसी
216.	क्षत्री, श्रीमती शांता	एआईटीसी
217.	चौधरी, प्रो. जोगेन	एआईटीसी
218.	गुप्ता, श्री मनीष	एआईटीसी
219.	हक, श्री मो. नदीमुल	एआईटीसी
220.	हसन, श्री अहमद	एआईटीसी
221.	ओब्राईन, श्री देरेक	एआईटीसी
222.	राय, श्री सुखेन्दु शेखर	एआईटीसी

223.	सेन, सुश्री दोला	एआईटीसी
224.	सेन, डॉ. सांतनु	एआईटीसी
225.	सिंह, डॉ. कनवर दीप	एआईटीसी
226.	सिंघवी, डॉ. अभिषेक मनु	आईएनसी

मनोनीत **(12)**

227.	छत्रपती, श्री संभाजी	बीजेपी
228.	दासगुप्ता, श्री स्वपन	मनोनीत
229.	गांगुली, श्रीमती रूपा	बीजेपी
230.	जाधव, डॉ. नरेन्द्र	मनोनीत
231.	कॉम, श्रीमती एम.सी. मेरी	मनोनीत
232.	मानसिंह, डॉ. सोनल	बीजेपी
233.	महापात्र, डॉ. रघुनाथ	बीजेपी
234.	शकल, श्री राम	बीजेपी
235.	सिन्हा, श्री राकेश	बीजेपी
236.	गोपी, श्री सुरेश	बीजेपी
237.	स्वामी, डॉ. सुब्रमण्यम	बीजेपी
238.	तुलसी, श्री के.टी.एस.	मनोनीत

---

2 स्रोत : http://rajyasabha.nic.in

लोकसभा[3]

(राज्यवार सूची) 30 नवम्बर, 2019 तक

अध्यक्षः श्री ओम बिरला

आंध्र प्रदेश **(25)**

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	दल का नाम
1.	तिरुपति (अ.जा.)	श्री दुर्गा प्रसाद राव बल्ली	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
2.	विजियानगरम	श्री चन्द्र शेखर बेल्लाना	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
3.	राजामुन्दरी	श्री मारगनी भरत	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
4.	अमलापुरम (अ.जा)	श्रीमती चिंता अनुराधा	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
5.	नरसाराओपेट	श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
6.	गुंटूर	श्री जैदेव गल्ला	तेलुगू देशम पार्टी
7.	नरसापुरम	श्री रघु रामकृष्ण राजू	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी

		कानुमुरू	
8.	विजयवाड़ा	श्री श्रीनिवास केसिनेनी	तेलुगू देशम पार्टी
9.	हिन्दुपुर	श्री कुरुवा गोरांतला माधव	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
10.	अराकु (अ.ज.जा)	श्रीमती गोड्डेटी माधवी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
11.	चित्तूर (अ.जा)	श्री एन. रेड्डप्पा	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
12.	श्रीकाकुलम	श्री किन्जरापु राम मोहन नायडू	तेलुगू देशम पार्टी
13.	अनन्तपुर	श्री तालारी रंगैय्या	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
14.	नेल्लोर	श्री अदाला प्रभाकर रेड्डी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
15.	ओंगोले	श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
16.	राजमपेट	श्री मिधुन रेड्डी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
17.	नांदयाल	श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
18.	कडापा	श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
19.	विशाखापटनम	श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
20.	कुरनूल	डॉ. संजीव कुमार सिंगारी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
21.	इलुरू	श्री कोटागिरी श्रीधर	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
22.	बापतला (अ.जा)	श्री नंदीगम सुरेश	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
23.	मछलीपत्तनम	श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
24.	काकीनाड़ा	श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी
25.	अनकापल्ली	डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती	युवाजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी

अरुणाचल प्रदेश **(2)**

26.	अरुणाचल पूर्व	गाव, श्री तापिर	भारतीय जनता पार्टी
27.	अरुणाचल पश्चिम	रिजीजु, श्री किरन	भारतीय जनता पार्टी

असम **(14)**

28.	धुबरी	अजमल, मौलाना बदरुद्दीन	आल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट
29.	लखीमपुर	बरुआ, श्री प्रदान	भारतीय जनता पार्टी
30.	स्वशासी जिला (अ.ज.जा)	बे, श्री होरेन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
31.	नौगोंग	बोरदोलोई, श्री प्रद्युत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
32.	तेजपुर	दास, श्री पल्लब लोचन	भारतीय जनता पार्टी
33.	मंगलदोई	साईकिया, श्री दिलीप	भारतीय जनता पार्टी
34.	कलियाबोर	गोगोई, श्री गौरव	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

35.	जोरहाट	गोगोई, श्री तपन कुमार	भारतीय जनता पार्टी
36.	बारपेटा	खालेक, श्री अब्दुल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
37.	करीमगंज (अ.जा)	मल्लाह, श्री कृपानाथ	भारतीय जनता पार्टी
38.	गौहाटी	ओझा, श्रीमती क्वीन	भारतीय जनता पार्टी
39.	सिल्चर	राय, श्री राजदीप	भारतीय जनता पार्टी
40.	कोकराझार (अ.ज.जा)	सरनीया, श्री नबा (हीरा) कुमार	निर्दलीय
41.	डिब्रुगढ़	तेली, श्री रामेश्वर	भारतीय जनता पार्टी

बिहार **(40)**

42.	बक्सर	चौबे, श्री अश्विनी कुमार	भारतीय जनता पार्टी
43.	शिवहर	देवी, श्रीमती रमा	भारतीय जनता पार्टी
44.	वैशाली	देवी, श्री वीणा	लोक जन शक्ति पार्टी
45.	कटिहार	गोस्वामी, श्री दुलाल चंद्र	जनता दल (यूनाइटिड)
46.	पश्चिम चम्पारण	जायसवाल, डॉ. संजय	भारतीय जनता पार्टी
47.	किशनगंज	जावेद, डॉ. मोहम्मद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
48.	खगड़िया	कैसर, चौधरी महबूब अली	लोक जन शक्ति पार्टी
49.	सुपौल	कामैत, श्री दिलेश्वर	जनता दल (यूनाइटिड)
50.	नालन्दा	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	जनता दल (यूनाइटिड)
51.	पूर्णिया	कुमार, श्री संतोष	जनता दल (यूनाइटिड)
52.	गया (अ.जा)	कुमार, श्री विजय	जनता दल (यूनाइटिड)
53.	वाल्मीकि नगर	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	जनता दल (यूनाइटिड)
54.	भागलपुर	मंडल, श्री अजय कुमार	जनता दल (यूनाइटिड)
55.	झंझारपुर	मंडल, श्री रामप्रीत	जनता दल (यूनाइटिड)
56.	मुजफ्फरपुर	निषाद, श्री अजय	भारतीय जनता पार्टी
57.	हाजीपुर (अ.जा)	पारस, श्री पशुपति कुमार	लोक जन शक्ति पार्टी
58.	सासाराम (अ.जा)	पासवान, श्री छेदी	भारतीय जनता पार्टी
59.	जमुई (अ.जा)	पासवान, श्री चिराग	लोक जन शक्ति पार्टी
60.	जहानाबाद	प्रसाद, श्री चन्द्रेश्वर	जनता दल (यूनाइटिड)
61.	पटना साहिब	प्रसाद, श्री रवि शंकर	भारतीय जनता पार्टी
62.	समस्तीपुर (अ.जा)	राज, श्री प्रिंस	लोक जन शक्ति पार्टी
63.	उजियारपुर	राय, श्री नित्यानंद	भारतीय जनता पार्टी
64.	सारण	रूडी, श्री राजीव प्रताप	भारतीय जनता पार्टी
65.	दरभंगा	ठाकुर, श्री गोपाल जी	भारतीय जनता पार्टी
66.	महाराजगंज	सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
67.	नवादा (अ.जा)	सिंह, श्री चंदन	लोक जन शक्ति पार्टी
68.	बेगूसराय	सिंह, श्री गिरिराज	भारतीय जनता पार्टी

69.	सीवान	सिंह, श्रीमती कविता	जनता दल (यूनाइटिड)
70.	काराकाट	सिंह, श्री महाबली	जनता दल (यूनाइटिड)
71.	अररिया	सिंह, श्री प्रदीप कुमार	भारतीय जनता पार्टी
72.	पूर्वी चम्पारण	सिंह, श्री राधा मोहन	भारतीय जनता पार्टी
73.	आरा	सिंह, श्री राज कुमार	भारतीय जनता पार्टी
74.	मुंगेर	सिंह, श्री राजीव रंजन (ललन)	जनता दल (यूनाइटिड)
75.	औरंगाबाद	सिंह, श्री सुशील कुमार	भारतीय जनता पार्टी
76.	गोपालगंज (अ.जा)	सुमन, डॉ. आलोक कुमार	जनता दल (यूनाइटिड)
77.	सीतामढ़ी	कुमार (पिंटू), श्री सुनील	जनता दल (यूनाइटिड)
78.	मधुबनी	यादव, श्री अशोक कुमार	भारतीय जनता पार्टी
79.	मधेपुरा	यादव, श्री दिनेश चंद्र	जनता दल (यूनाइटिड)
80.	बांका	यादव, श्री गिरिधारी	जनता दल (यूनाइटिड)
81.	पाटलिपुत्र	यादव, श्री राम कृपाल	भारतीय जनता पार्टी

छत्तीसगढ़ **(11)**

82.	जांजगीर-चंपा (अ.जा)	अजगल्ले, श्री गुहाराम	भारतीय जनता पार्टी
83.	दुर्ग	बघेल, श्री विजय	भारतीय जनता पार्टी
84.	बस्तर (अ.ज.जा)	बैज, श्री दीपक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
85.	कोरबा	महंत, श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
86.	कांकेर (अ.ज.जा)	मण्डावी, श्री मोहन	भारतीय जनता पार्टी
87.	राजनन्दगांव	पांडेय, श्री संतोष	भारतीय जनता पार्टी
88.	महासमुन्द	साहू, श्री चुन्नी लाल	भारतीय जनता पार्टी
89.	रायगढ़ (अ.ज.जा)	साय, श्रीमती गोमती	भारतीय जनता पार्टी
90.	बिलासपुर	साव, श्री अरूण	भारतीय जनता पार्टी
91.	सरगुजा (अ.ज.जा)	सरूता, श्रीमती रेणुका सिंह	भारतीय जनता पार्टी
92.	रायपुर	सोनी, श्री सुनील कुमार	भारतीय जनता पार्टी

गोवा **(2)**

93.	उत्तर गोवा	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	भारतीय जनता पार्टी
94.	दक्षिण गोवा	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

गुजरात **(26)**

95.	दाहोद (अ.ज.जा)	भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई	भारतीय जनता पार्टी
96.	वडोदरा	भट्ट, श्रीमती रंजनबेन धनंजय	भारतीय जनता पार्टी
97.	खेडा	चौहान, श्री देवुसिंह जेसिंहभाई	भारतीय जनता पार्टी

98.	कच्छ (अ.जा)	चावड़ा, श्री विनोद	भारतीय जनता पार्टी
99.	जूनागढ़	चुडासमा, श्री राजेशभाई नारणभाई	भारतीय जनता पार्टी
100.	पाटन	डाभी, श्री भरत सिह्ंजी शंकरजी	भारतीय जनता पार्टी
101.	पोरबंदर	धडुक, श्री रमेशभाई लवजीभाई	भारतीय जनता पार्टी
102.	सूरत	जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम	भारतीय जनता पार्टी
103.	अमरेली	काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई	भारतीय जनता पार्टी
104.	राजकोट	कुंदरिया, श्री मोहनभाई कल्याणजी	भारतीय जनता पार्टी
105.	जामनगर	माडम, श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई	भारतीय जनता पार्टी
106.	सुरेन्द्रनगर	मुंजपरा, डॉ. महेन्द्रभाई	भारतीय जनता पार्टी
107.	अहमदाबाद पूर्व	पटेल, श्री हंसमुखभाई सोमभाई	भारतीय जनता पार्टी
108.	वलसाड (अ.ज.जा)	पटेल, डॉ. के.सी.	भारतीय जनता पार्टी
109.	आनन्द	पटेल, श्री मितेश रमेशभाई	भारतीय जनता पार्टी
110.	बनासकांठा	पटेल, श्री परबतभाई सवाभाई	भारतीय जनता पार्टी
111.	मेहसाणा	पटेल, श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई	भारतीय जनता पार्टी
112.	नवसारी	पाटील, श्री सी.आर.	भारतीय जनता पार्टी
113.	साबरकंठा	राठौड़, श्री दीपसिंह शंकरसिंह	भारतीय जनता पार्टी
114.	पंचमहल	राठौर, श्री रतनसिंह मगनसिंह	भारतीय जनता पार्टी
115.	छोटा उदयपुर (अ.ज.जा)	राठवा, श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई	भारतीय जनता पार्टी
116.	गांधीनगर	शाह, श्री अमित अनिल चन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
117.	भावनगर	शियाल, डॉ. भारती धीरूभाई	भारतीय जनता पार्टी
118.	अहमदाबाद पश्चिम (अ.जा)	सोलंकी, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई	भारतीय जनता पार्टी
119.	भरूच	वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई	भारतीय जनता पार्टी
120.	बारडोली (अ.ज.जा)	वसावा, श्री प्रभुभाई	भारतीय जनता पार्टी

हरियाणा **(10)**

121.	करनाल	भाटिया, श्री संजय	भारतीय जनता पार्टी
122.	भिवानी महेन्द्रगढ़	सिंह, श्री धर्मवीर	भारतीय जनता पार्टी
123.	सिरसा (अ.जा)	दुग्गल, श्रीमती सुनीता	भारतीय जनता पार्टी
124.	फरीदाबाद	गूर्जर, श्री कृष्णपाल	भारतीय जनता पार्टी
125.	अम्बाला (अ.जा)	कटारिया, श्री रत्न लाल	भारतीय जनता पार्टी
126.	सोनीपत	कौशिक, श्री रमेश चन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
127.	गुड़गाँव	सिंह, श्री राव इन्द्रजीत	भारतीय जनता पार्टी
128.	रोहतक	शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार	भारतीय जनता पार्टी
129.	हिसार	सिंह, श्री बृजेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
130.	कुरुक्षेत्र	सिंह, श्री नायब	भारतीय जनता पार्टी

हिमाचल प्रदेश **(4)**

131.	कांगड़ा	कपूर, श्री किशन	भारतीय जनता पार्टी
132.	शिमला (अ.जा)	कश्यप, श्री सुरेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
133.	मंडी	शर्मा, श्री राम स्वरूप	भारतीय जनता पार्टी
134.	हमीरपुर	ठाकुर, श्री अनुराग सिह	भारतीय जनता पार्टी

जम्मू और कश्मीर **(6)**

135.	श्रीनगर	अब्दुल्ला, डॉ. फारूक	जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस
136.	बारामुल्ला	लोन, श्री मोहम्मद अकबर	जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस
137.	अनंतनाग	मसूदी, श्री हसनैन	जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस
138.	लद्दाख	नामग्याल, श्री जामयांग त्सेरिंग	भारतीय जनता पार्टी
139.	जम्मू	शर्मा, श्री जुगल किशोर	भारतीय जनता पार्टी
140.	उधमपुर	सिंह, डॉ. जितेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी

झारखंड **(14)**

141.	लोहरदगा (अ.ज.जा)	भगत, श्री सुदर्शन	भारतीय जनता पार्टी
142.	गिरिडीह	चौधरी, श्री चन्द्र प्रकाश	एजेएसयू पार्टी
143.	गोड्डा	दुबे, डॉ. निशिकान्त	भारतीय जनता पार्टी
144.	राजमहल (अ.ज.जा)	हांसदाक, श्री विजय कुमार	झारखंड मुक्ति मोर्चा
145.	सिंहभूम (अ.ज.जा)	कोड़ा, श्रीमती गीता	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
146.	जमशेदपुर	महतो, श्री विद्युत वरन	भारतीय जनता पार्टी
147.	कोडरमा	देवी, सुश्री अन्नपुर्णा	भारतीय जनता पार्टी
148.	खूटी (अ.ज.जा)	मुंडा, श्री अर्जुन	भारतीय जनता पार्टी
149.	पलामू (अ.जा)	राम, श्री विष्णु दयाल	भारतीय जनता पार्टी

150.	राँची	सेठ, श्री संजय	भारतीय जनता पार्टी
151.	धनबाद	सिंह, श्री पशुपति नाथ	भारतीय जनता पार्टी
152.	चतरा	सिंह, श्री सुनील कुमार	भारतीय जनता पार्टी
153.	हजारीबाग	सिन्हा, श्री जयंत	भारतीय जनता पार्टी
154.	दुमका (अ.ज.जा)	सोरेन, श्री सुनील	भारतीय जनता पार्टी

कर्नाटक **(28)**

155.	चित्रदुर्ग (अ.जा)	नारायणस्वामी, श्री ए.	भारतीय जनता पार्टी
156.	मांडया	अम्बरीश, श्रीमती सुमलता	निर्दलीय
157.	बेलगाम	अंगड़ी, श्री सुरेश चनबसप्पा	भारतीय जनता पार्टी
158.	चिकबलपुर	बी.एन., श्री बचे गौडा	भारतीय जनता पार्टी
159.	तुमकुर	बसवराज, श्री गंगासांद्र सिडप्पा	भारतीय जनता पार्टी
160.	बागलकोट	गद्दीगौदर, श्री पर्वतगौडा चंदनगौडा	भारतीय जनता पार्टी
161.	बैंगलोर उत्तर	गौड़ा, श्री डी.वी. सदानंद	भारतीय जनता पार्टी
162.	उत्तर कन्नड़	हेगड़े, श्री अनंतकुमार	भारतीय जनता पार्टी
163.	गुलबर्गा (अ.जा)	जाधव, श्री उमेश जी.	भारतीय जनता पार्टी
164.	बीजापुर (अ.जा)	जिगाजिनागि, श्री रमेश चंदप्पा	भारतीय जनता पार्टी
165.	चिक्कोडी	जोल्ले, श्री अण्णासाहेब शंकर	भारतीय जनता पार्टी
166.	धारवाड़	जोशी, श्री प्रहलाद वेंकटेश	भारतीय जनता पार्टी
167.	कोप्पल	करादी, श्री सनगन्ना अमरप्पा	भारतीय जनता पार्टी
168.	उदुपी चिकमगलूर	कारान्दलाजे, कुमारी शोभा	भारतीय जनता पार्टी
169.	दक्षिण कन्नड	कटील, श्री नलीन कुमार	भारतीय जनता पार्टी
170.	बीदर	खुबा, श्री भगवंत	भारतीय जनता पार्टी
171.	बंगलौर केन्द्रीय	मोहन, श्री पी.सी.	भारतीय जनता पार्टी
172.	कोलार (अ.जा)	मुनिस्वामी, श्री एस.	भारतीय जनता पार्टी
173.	रायचूर (अ.ज.जा)	नाईक, श्री राजा अमरेश्वर	भारतीय जनता पार्टी
174.	चामराजनगर (अ.जा)	प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास	भारतीय जनता पार्टी
175.	शिमोगा	राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.	भारतीय जनता पार्टी
176.	हासन	रेवन्ना, श्री प्रज्वल	जनता दल (सेक्यूलर)
177.	दावनगेरे	सिद्देश्वरा, श्री गौडर मल्लिकार्जुनप्पा	भारतीय जनता पार्टी

178.	मैसूर	सिम्हा, श्री प्रताप	भारतीय जनता पार्टी
179.	बंगलौर ग्रामीण	सुरेश, श्री डोड्डालाहल्ली केंपेगौडा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
180.	बंगलौर दक्षिण	सूर्या, श्री एल.एस. तेजस्वी	भारतीय जनता पार्टी
181.	हावेरी	उदासी, श्री शिवकुमार चनबसप्पा	भारतीय जनता पार्टी
182.	बेल्लारी (अ.ज.जा)	देवेन्द्रप्पा, श्री वाई.	भारतीय जनता पार्टी

केरल **(20)**

183.	पथनमथीट्टा	एन्टोनी, श्री एंटो	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
184.	अलप्पुझा	आरिफ, एडवोकेट अब्दुल मजीद	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
185.	पोन्नानी	बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
186.	चालाकुडी	बैन्नी, श्री बेहनन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
187.	कोट्टायम	चाछीकादन, श्री थॉमस	केरल कांग्रेस (एम)
188.	एर्नाकुलम	इडन, श्री हिबी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
189.	वयनाड	गांधी, श्री राहुल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
190.	अलथूर (अ.जा)	हरिदास, श्रीमती राम्या	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
191.	मावेलीक्करा (अ.जा)	कोडिकुन्नील, श्री सुरेश	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
192.	इडुक्की	कुरियाकोस, एडवोकेट डीन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
193.	वडकरा	मुरलीधरन, श्री के.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
194.	मलप्पुरम	पी. के., श्री कुन्हालीकुट्टी	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
195.	अटिंगल	प्रकाश, एडवोकेट अदूर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
196.	त्रिस्सूर	प्रथापन, श्री टी.एन.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
197.	कोल्लम	प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
198.	कोझीकोड	राघवन, श्री एम.के.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
199.	कन्नूर	सुधाकरन, श्री कुंबाकुडी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
200.	तिरुवनन्तपुरम	थरूर, डॉ. शशि	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
201.	कासरगोड	उन्नीथन, श्री राजमोहन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
202.	पलक्काड	श्रीकंदन, श्री वी.के.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

मध्य प्रदेश **(29)**

203.	विदिशा	भार्गव, श्री रमाकान्त	भारतीय जनता पार्टी
204.	बालाघाट	बिसेन, डॉ. ढाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
205.	खंडवा	चौहान, श्री नन्द कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
206.	रतलाम (अ.ज.जा)	दामोर, श्री गुमान सिंह	भारतीय जनता पार्टी
207.	धार (अ.ज.जा)	दरबार, श्री छतरसिंह	भारतीय जनता पार्टी

208.	उज्जैन (अ.जा)	फिरोजिया, श्री अनिल	भारतीय जनता पार्टी
209.	मंदसौर	गुप्ता, श्री सुधीर	भारतीय जनता पार्टी
210.	मण्डला (अ.ज.जा)	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
211.	टीकमगढ़ (अ.जा)	कुमार, डॉ. वीरेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
212.	इन्दौर	लालवानी, श्री शंकर	भारतीय जनता पार्टी
213.	रीवा	मिश्र, श्री जनार्दन	भारतीय जनता पार्टी
214.	राजगढ़	नागर, श्री रोडमल	भारतीय जनता पार्टी
215.	छिंदवाड़ा	नाथ, श्री नकुल	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
216.	खरगोन (अ.ज.जा)	पटेल, श्री गजेन्द्र उमराव सिंह	भारतीय जनता पार्टी
217.	दमोह	पटेल, श्री प्रहलाद सिंह	भारतीय जनता पार्टी
218.	सीधी	पाठक, श्रीमती रीती	भारतीय जनता पार्टी
219.	भिंड (अ.जा)	राय, श्रीमती संध्या	भारतीय जनता पार्टी
220.	खजुराहो	शर्मा, श्री विष्णु दत्त	भारतीय जनता पार्टी
221.	ग्वालियर	शेजवलकर, श्री विवेक नारायण	भारतीय जनता पार्टी
222.	सतना	सिंह, श्री गणेश	भारतीय जनता पार्टी
223.	शहडोल (अ.ज.जा)	सिंह, श्रीमती हिमाद्री	भारतीय जनता पार्टी
224.	सागर	सिंह, श्री राजबहादुर	भारतीय जनता पार्टी
225.	जबलपुर	सिंह, श्री राकेश	भारतीय जनता पार्टी
226.	होशंगाबाद	सिंह, श्री उदय प्रताप	भारतीय जनता पार्टी
227.	देवास (अ.जा)	सोलंकी, श्री महेंद्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
228.	भोपाल	ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा सिंह	भारतीय जनता पार्टी
229.	मुरैना	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
230.	बेतूल (अ.ज.जा)	उईके, श्री दुर्गा दास	भारतीय जनता पार्टी
231.	गुना	सिंह, श्री कृष्ण पाल	भारतीय जनता पार्टी

महाराष्ट्र **(48)**

232.	पुणे	बापट, श्री गिरिश भालचन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
233.	मावल	बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा	शिव सेना
234.	धुले	भामरे, डॉ. सुभाष रामराव	भारतीय जनता पार्टी
235.	यवतमाल-वाशिम	गवली (पाटील), सुश्री भावना	शिव सेना
236.	नांदेड़	चिखलीकर, श्री प्रतापराव पाटिल	भारतीय जनता पार्टी
237.	जालना	दानवे, श्री रावसाहेब पाटील	भारतीय जनता पार्टी
238.	चन्द्रपुर	धानोरकर, श्री बालूभाऊ	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

		(उर्फ सुरेश नारायण)	
239.	अकोला	धोत्रे, श्री संजय शामराव	भारतीय जनता पार्टी
240.	नागपुर	गडकरी, श्री नितिन जयराम	भारतीय जनता पार्टी
241.	नन्दुरबार (अ.ज.जा)	गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार	भारतीय जनता पार्टी
242.	पालघर (अ.ज.जा)	गावित, श्री राजेन्द्र ढेड्या	शिव सेना
243.	नासिक	गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम	शिव सेना
244.	बुलढाणा	जाधव, श्री प्रतापराव	शिव सेना
245.	परभणी	जाधव, श्री संजय हरिभाऊ	शिव सेना
246.	रावेर	खाडसे, श्रीमती रक्षा निखिल	भारतीय जनता पार्टी
247.	मुंबई उत्तर-पश्चिम	कीर्तिकर, श्री गजानन चंद्रकांत	शिव सेना
248.	शिरूर	कोल्हे, डॉ. अमोल रामसिंह	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
249.	मुम्बई उत्तर-पूर्व	कोटक, श्री मनोज किशोरभाई	भारतीय जनता पार्टी
250.	शिरडी (अ.जा)	लोखंडे, श्री सदाशिव किसन	शिव सेना
251.	शोलापुर (अ.जा)	महास्वामीजी, डॉ. जय सिधेश्वर शिवचारी	भारतीय जनता पार्टी
252.	कोल्हापुर	मांडलिक, श्री संजय सदाशिवराव	शिव सेना
253.	भन्डारा गोंदिया	मेंधे, श्री सुनील बाबूराव	भारतीय जनता पार्टी
254.	बीड	मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ	भारतीय जनता पार्टी
255.	माधा	नाईक-निम्बालकर, श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव	भारतीय जनता पार्टी
256.	गडचिरोली-चिमुर (अ.ज.जा)	नेते, श्री अशोक महादेवराव	भारतीय जनता पार्टी
257.	हिंगोली	पाटिल, श्री हेमन्त	शिव सेना
258.	भिवंडी	पाटील, श्री कपिल मोरेश्वर	भारतीय जनता पार्टी
259.	सांगली	पाटील, श्री संजय (काका) रामचंद्र	भारतीय जनता पार्टी
260.	सतारा	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
261.	जलगांव	पाटिल, श्री उन्मेश भैय्यासाहेब	भारतीय जनता पार्टी

262.	दिन्डोरी (अ.ज.जा)	पवार, डॉ. भारती प्रवीण	भारतीय जनता पार्टी
263.	उस्मानाबाद	राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन	शिव सेना
264.	अमरावती (अ.जा)	राणा, श्रीमती नवनीत रवि	निर्दलीय
265.	रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग	राउत, श्री विनायक भाउराव	शिव सेना
266.	मुंबई-दक्षिण	सावंत, श्री अरविन्द गणपत	शिव सेना
267.	मुम्बई-उत्तर	शेट्टी, श्री गोपाल चिनैय्या	भारतीय जनता पार्टी
268.	कल्याण	शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ	शिव सेना
269.	लातूर (अ.जा)	अंगरे, श्री सुधाकर तुकाराम	भारतीय जनता पार्टी
270.	हातकणंगले	धैर्यशील, श्री संभाजीराव माणे	शिव सेना
271.	मुम्बई दक्षिण-मध्य	शेवाले, श्री राहुल रमेश	शिव सेना
272.	औरंगाबाद	सैयद, श्री इम्तियाज जलील	आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
273.	बारामती	सुले, श्रीमती सुप्रिया सदानन्द	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
274.	वर्धा	तडस, श्री रामदास चन्द्रभानजी	भारतीय जनता पार्टी
275.	रायगढ़	तटकरे, श्री सुनील दत्तात्रेय	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
276.	रामटेक (अ.ज.जा)	तुमाने, श्री कृपाल बालाजी	शिव सेना
277.	मुम्बई उत्तर-मध्य	महाजन, श्रीमती पूनम	भारतीय जनता पार्टी
278.	ठाणे	विचारे, श्री राजन बाबूराव	शिव सेना
279.	अहमदनगर	विखेपाटील, डॉ. सुजय राधाकृष्ण	भारतीय जनता पार्टी

मणिपुर **(2)**

280.	बाहरी मणिपुर (अ.ज.जा)	फोज, डॉ. लोरहो एस.	नागालैंड पीपुल्स फ्रंट
281.	आंतरिक मणिपुर	रंजन, डॉ. राजकुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी

मेघालय **(2)**

282.	शिलांग (अ.ज.जा)	पाला, श्री विनसेंट एच.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

283.	तुरा (अ.ज.जा)	संगमा, कुमारी अगाथा के.	नेशनल पीपल्स फ्रंट

मिजोरम **(1)**

284.	मिजोरम (अ.ज.जा)	लालरोसांगा, श्री सी.	मिजो नेशनल फ्रंट

नागालैंड **(1)**

285.	नागालैंड	येपथोमी, श्री तोखेहो	नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी

ओडिशा **(21)**

286.	आस्का	बिसाई, श्रीमती प्रमिला	बीजू जनता दल
287.	सम्बलपुर	देब, श्री नितेश गंगा	भारतीय जनता पार्टी
288.	कटक	महताब, श्री भर्तृहरि	बीजू जनता दल
289.	नबरंगपुर (अ.ज.जा)	माझी, श्री रमेश चन्द्र	बीजू जनता दल
290.	जगतसिंहपुर (अ.जा)	मल्लिक, श्रीमती राजश्री	बीजू जनता दल
291.	भद्रक (अ.जा)	मंडल, श्रीमती मंजुलता	बीजू जनता दल
292.	पुरी	मिश्रा, श्री पिनाकी	बीजू जनता दल
293.	केन्द्रपाड़ा	मोहंती, श्री अनुभव	बीजू जनता दल
294.	क्योंझर (अ.ज.जा)	मुर्मु, सुश्री चन्द्राणी	बीजू जनता दल
295.	सुन्दरगढ़ (अ.ज.जा)	ओराम, श्री जुएल	भारतीय जनता पार्टी
296.	कालाहांडी	पांडा, श्री बसंत कुमार	भारतीय जनता पार्टी
297.	बालासोर	सारंगी, श्री प्रताप चंद्र	भारतीय जनता पार्टी
298.	बारगढ़	पुजारी, श्री सुरेश	भारतीय जनता पार्टी
299.	कानाल	साहू, श्री महेश	बीजू जनता दल
300.	बरहामपुर	साहू, श्री चंद्र शेखर	बीजू जनता दल
301.	कंधमाल	सामंत, श्री अच्युतानंद	बीजू जनता दल
302.	भुवनेश्वर	सारंगी, श्रीमती अपराजिता	भारतीय जनता पार्टी
303.	जाजपुर (अ.जा)	सेठी, श्रीमती शर्मिष्ठा सिंह	बीजू जनता दल
304.	बोलनगीर	देव, श्रीमती संगीता कुमारी	भारतीय जनता पार्टी
305.	मयूरभंज (अ.ज.जा)	टुडु, श्री बिश्वेश्वर	भारतीय जनता पार्टी
306.	कोरापुट (अ.ज.जा)	उलाका, श्री सप्तगिरी शंकर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

पंजाब **(13)**

307.	अमृतसर	औजला, श्री गुरजीत सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
308.	भटिंडा	बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	शिरोमणि अकाली दल
309.	फिरोजपुर	बादल, श्री सुखबीर सिंह	शिरोमणि अकाली दल
310.	जालंधर (अ.जा)	चौधरी, श्री संतोख सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

311.	गुरदासपुर	देओल, श्री सन्नी	भारतीय जनता पार्टी
312.	खडूर साहिब	सिंह, श्री जसबीर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
313.	पटियाला	कौर, श्रीमती परनीत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
314.	संगरूर	मान, श्री भगवंत	आम आदमी पार्टी
315.	होशियारपुर (अ.जा)	प्रकाश, श्री सोम	भारतीय जनता पार्टी
316.	फरीदकोट (अ.जा)	सादिक, मोहम्मद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
317.	फतेहगढ़ साहिब (अ.जा)	सिंह, डॉ. अमर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
318.	लुधियाना	सिंह, श्री रवनीत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
319.	आनंदपुर साहिब	तिवारी, श्री मनीष	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राजस्थान **(25)**

320.	भीलवाड़ा	बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
321.	नागौर	बेनीवाल, श्री हनुमान	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
322.	अजमेर	चौधरी, श्री भगीरथ	भारतीय जनता पार्टी
323.	कोटा	बिरला, श्री ओम	भारतीय जनता पार्टी
324.	जयपुर	बोहरा, श्री रामचरण	भारतीय जनता पार्टी
325.	पाली	चौधरी, श्री पी.पी.	भारतीय जनता पार्टी
326.	गंगानगर (अ.जा)	चौहान, श्री निहाल चंद	भारतीय जनता पार्टी
327.	बाड़मेर	चौधरी, श्री कैलाश	भारतीय जनता पार्टी
328.	टोंक-सवाई माधोपुर	जौनापुरिया, श्री सुखबीर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
329.	चित्तौड़गढ़	जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश	भारतीय जनता पार्टी
330.	चुरू	कस्वां, श्री राहुल	भारतीय जनता पार्टी
331.	बांसवाड़ा (अ.ज.जा)	कटारा, श्री कनकमल	भारतीय जनता पार्टी
332.	भरतपुर (अ.जा)	कोली, श्रीमती रंजीता	भारतीय जनता पार्टी
333.	झुंझुनू	कुमार, श्री नरेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
334.	राजसमन्द	कुमारी, सुश्री दिया	भारतीय जनता पार्टी
335.	उदयपुर (अ.ज.जा)	मीना, श्री अर्जुनलाल	भारतीय जनता पार्टी
336.	दौसा (अ.ज.जा)	मीना, श्रीमती जसकौर	भारतीय जनता पार्टी
337.	बीकानेर (अ.जा)	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	भारतीय जनता पार्टी
338.	अलवर	नाथ, श्री बालक	भारतीय जनता पार्टी
339.	जालौर	पटेल, श्री देवजी मनसिंहराम	भारतीय जनता पार्टी
340.	करौली-धौलपुर (अ.जा)	राजोरिया, डॉ. मनोज	भारतीय जनता पार्टी
341.	जयपुर ग्रामीण	राठौर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
342.	सीकर	सरस्वती, श्री सुमेधानंद	भारतीय जनता पार्टी
343.	जोधपुर	शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
344.	झालावाड़-बारां	सिंह, श्री दुष्यंत	भारतीय जनता पार्टी

सिक्किम (1)

345.	सिक्किम	सुब्बा, श्री इन्द्रा हांग	सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा

तमिलनाडु (39)

346.	वेल्लौर	आनंद, श्री डी.एम. कथीर	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
347.	तिरुवन्नामलाई	अन्नादुरई, श्री सी.एन.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
348.	श्रीपेरूम्बुदूर	बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
349.	कृष्णागिरि	चैल्लाकुमार, डॉ. ए.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
350.	शिवगंगा	चिदम्बरम, श्री कार्ती पी.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
351.	नामाक्कल	चिनराज, श्री ए.के.पी.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
352.	धर्मपुरी	सेंथिलकुमार एस., श्री डी.एन.वी.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
353.	चेन्नई दक्षिण	थंगापंडियन, डॉ. टी. सुमती (ए) तामिझाची	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
354.	इरोड	गणेशमूर्ति, श्री ए.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
355.	तिरुनेलवेली	ज्ञानतिरावियम, श्री एस.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
356.	अराकोनम	जगतरक्षकन, श्री एस.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
357.	तिरुवल्लूर (अ.जा)	जयकुमार, डॉ. के.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
358.	करूर	जोतिमणि, श्रीमती एस.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
359.	रामनाथपुरम	के.नवस, श्री कनी	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग
360.	चेन्नई उत्तर	कलानिधि, श्री वी.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
361.	थूथुकुडी	करुणानिधि, श्रीमती कनिमोझी	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
362.	तेनकासी (अ.जा)	कुमार, श्री धनुष एम.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
363.	चेन्नई मध्य	मारन, थिरू दयानिधि	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
364.	कोयम्बटूर	नटराजन, श्री पी.आर.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
365.	पेरम्बलुर	पारिवेन्धर, डॉ. टी.आर.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
366.	तंजावूर	पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
367.	सेलम	पार्थिबन, श्री एस.आर.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
368.	कल्लाकुरिची	पौन, श्री गौतम सिगामनी	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
369.	नीलगिरि (अ.जा)	राजा, श्री अन्डिमुथु	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
370.	मइलादुथुरई	रामलिंगम, श्री एस.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
371.	कुड्डालोर	रमेश, श्री टी.आर.वी.एस.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
372.	थेनी	रविन्द्रनाथ कुमार, श्री पी.	ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम
373.	विलुपुरम (अ.जा)	रविकुमार, श्री डी.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
374.	कांचीपुरम (अ.जा)	सेल्वम, श्री गणेशन	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
375.	नागापट्टिनम (अ.जा)	सेल्वराज, श्री एम.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

376.	पोल्लाची	शनमुगासुंदरम, श्री के.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
377.	तिरूप्पुर	सुब्बारायण, श्री के.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
378.	विरुधुनगर	टैगोर, श्री माणिक	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
379.	तिरुचिरापल्ली	थिरूनवुक्करास, श्री सु	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
380.	चिदम्बरम (अ.जा)	थोल, श्री तिरूमा वलावन	विदुथलाई चिरूथाईगल काची
381.	कन्याकुमारी	वसंतकुमार, श्री एच.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
382.	डिंडीगुल	वेलुसामी, श्री पी.	द्रविड़ मुनेत्र कषगम
383.	मदुरै	वेंकटेशन, श्री एस.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
384.	अरानी	विष्णु प्रसाद, श्री एम.के.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

तेलंगाना **(17)**

385.	करीमनगर	बंदी, श्री संजय कुमार	भारतीय जनता पार्टी
386.	पेड्डापल्ले (अ.जा)	बोरलाकुंता, डॉ. वेंकटेश नेता	तेलंगाना राष्ट्र समिति
387.	निजामाबाद	धर्मापुरी, श्री अरविंद	भारतीय जनता पार्टी
388.	सिकन्दराबाद	गंगापुरम, श्री किशन रेड्डी	भारतीय जनता पार्टी
389.	महबूबाबाद (अ.ज.जा)	मलोथू, श्रीमती कविता	तेलंगाना राष्ट्र समिति
390.	हैदराबाद	ओवैसी, श्री असादुद्दीन	आल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन
391.	वारंगल (अ.ज.जा)	पसुनूरी, श्री दयाकर	तेलंगाना राष्ट्र समिति
392.	ज़हीराबाद	पाटील, श्री भीमराव बसवंतराव	तेलंगाना राष्ट्र समिति
393.	नगर कुरनूल (अ.जा)	पोथूगन्टी, श्री रमुलु	तेलंगाना राष्ट्र समिति
394.	खम्माम	राव, श्री नामा नागेश्वर	तेलंगाना राष्ट्र समिति
395.	आदिलाबाद (अ.ज.जा)	राव, श्री सोयम बाबू	भारतीय जनता पार्टी
396.	मल्काजगिरि	रेड्डी, श्री अनुमुला रेवंत	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
397.	चेवेल्ला	रेड्डी, डॉ. गदम रंजीत	तेलंगाना राष्ट्र समिति
398.	भोंगीर	रेड्डी, श्री कोमती रेड्डी वेंकट	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
399.	मेडक	रेड्डी, श्री कोथा प्रभाकर	तेलंगाना राष्ट्र समिति
400.	महबूबनगर	रेड्डी, श्री मन्ने श्रीनिवास	तेलंगाना राष्ट्र समिति
401.	नलगोंडा	रेड्डी, श्री उत्तम कुमार नलमाडा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

त्रिपुरा **(2)**

402.	त्रिपुरा पश्चिम	भौमिक, सुश्री प्रतिमा	भारतीय जनता पार्टी
403.	त्रिपुरा पूर्व (अ.ज.जा)	त्रिपुरा, श्री रेबती	भारतीय जनता पार्टी

उत्तर प्रदेश **(80)**

404.	मेरठ	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
405.	गाजीपुर	अंसारी, श्री अफजाल	बहुजन समाज पार्टी
406.	लालगंज (अ.जा)	आजाद, श्रीमती संगीता	बहुजन समाज पार्टी

407.	आगरा (अ.जा)	बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह	भारतीय जनता पार्टी
408.	मुजफ्फरनगर	बालियान, डॉ. संजीव कुमार	भारतीय जनता पार्टी
409.	संभल	बर्क, श्री शफीकुर्रहमान	समाजवादी पार्टी
410.	मछलीशहर (अ.जा)	भोलानाथ (बी.पी. सरोज), श्री	भारतीय जनता पार्टी
411.	फतेहपुर सीकरी	चाहर, श्री राजकुमार	भारतीय जनता पार्टी
412.	हमीरपुर	चन्देल, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
413.	नगीना (अ.जा)	चन्द्र, श्री गिरीश	बहुजन समाज पार्टी
414.	कैराना	कुमार, श्री प्रदीप	भारतीय जनता पार्टी
415.	महाराजगंज	चौधरी, श्री पंकज	भारतीय जनता पार्टी
416.	हाथरस (अ.जा)	दिलेर, श्री राजवीर	भारतीय जनता पार्टी
417.	भदोही	बिंद, श्री रमेश चन्द	भारतीय जनता पार्टी
418.	कुशीनगर	दूबे, श्री विजय कुमार	भारतीय जनता पार्टी
419.	बस्ती	द्विवेदी, श्री हरीश	भारतीय जनता पार्टी
420.	पीलीभीत	गांधी, श्री फिरोज़ वरुण	भारतीय जनता पार्टी
421.	सुल्तानपुर	गांधी, श्रीमती मेनका संजय	भारतीय जनता पार्टी
422.	रायबरेली	गांधी, श्रीमती सोनिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
423.	बरेली	गंगवार, श्री संतोष कुमार	भारतीय जनता पार्टी
424.	अलीगढ़	गौतम, श्री सतीश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
425.	गाज़ियाबाद	सिंह, जनरल (डा.) विजय कुमार (सेवानिवृत्त)	भारतीय जनता पार्टी
426.	प्रतापगढ़	गुप्ता, श्री संगम लाल	भारतीय जनता पार्टी
427.	मुरादाबाद	हसन, डॉ. एस. टी.	समाजवादी पार्टी
428.	मथुरा	हेमामालिनी, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी
429.	अमेठी	ईरानी, श्रीमती स्मृति जुबिन	भारतीय जनता पार्टी
430.	हरदोई (अ.जा)	जय प्रकाश, श्री	भारतीय जनता पार्टी
431.	इलाहाबाद	जोशी, प्रो. रीता बहुगुणा	भारतीय जनता पार्टी
432.	फतेहपुर	ज्योति, साध्वी निरंजन	भारतीय जनता पार्टी
433.	आंवला	कुमार, श्री धर्मेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
434.	इटावा (अ.जा)	कठेरिया, प्रो. (डॉ.) राम शंकर	भारतीय जनता पार्टी
435.	रामपुर	खान, श्री मोहम्मद आजम	समाजवादी पार्टी
436.	मोहनलाल गंज (अ.जा)	किशोर, श्री कौशल	भारतीय जनता पार्टी
437.	अमरोहा	अली, कुंवर दानिश	बहुजन समाज पार्टी
438.	सलेमपुर	कुशवाहा, श्री रविन्दर	भारतीय जनता पार्टी
439.	बहराइच (अ.जा)	लाल, श्री अक्षयवर	भारतीय जनता पार्टी

440.	राबर्ट्सगंज (अ.जा)	लाल, श्री पकौड़ी	अपना दल
441.	बदायूं	मौर्या, डॉ. संघमित्रा	भारतीय जनता पार्टी
442.	खीरी	मिश्रा, श्री अजय (टेनी)	भारतीय जनता पार्टी
443.	वाराणसी	मोदी, श्री नरेन्द्र दामोदरदास	भारतीय जनता पार्टी
444.	बिजनौर	नागर, श्री मलूक	बहुजन समाज पार्टी
445.	सन्त कबीर नगर	निषाद, श्री प्रवीन कुमार	भारतीय जनता पार्टी
446.	कानपुर	पचौरी, श्री सत्यदेव	भारतीय जनता पार्टी
447.	डुमरियागंज	पाल, श्री जगदम्बिका	भारतीय जनता पार्टी
448.	चन्दौली	पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ	भारतीय जनता पार्टी
449.	अम्बेडकर नगर	पांडेय, श्री रितेश	बहुजन समाज पार्टी
450.	बांसगांव (अ.जा)	पासवान, श्री कमलेश	भारतीय जनता पार्टी
451.	मिर्जापुर	पटेल, श्रीमती अनुप्रिया	अपना दल
452.	फूलपुर	पटेल, श्रीमती केसरी देवी	भारतीय जनता पार्टी
453.	बांदा	पटेल, श्री आर. के. सिंह	भारतीय जनता पार्टी
454.	कन्नौज	पाठक, श्री सुब्रत	भारतीय जनता पार्टी
455.	फरुखाबाद	राजपूत, श्री मुकेश	भारतीय जनता पार्टी
456.	श्रावस्ती	राम, श्री शिरोमणि	बहुजन समाज पार्टी
457.	मिस्रेख (अ.जा)	रावत, श्री अशोक कुमार	भारतीय जनता पार्टी
458.	बाराबंकी (अ.जा)	रावत, श्री उपेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
459.	सहारनपुर	रहमान, श्री हाजी फजलुर	बहुजन समाज पार्टी
460.	शाहजहांपुर (अ.जा)	सागर, श्री अरूण कुमार	भारतीय जनता पार्टी
461.	फिरोजाबाद	सेन, डॉ. चन्द्र जादौन	भारतीय जनता पार्टी
462.	झांसी	शर्मा, श्री अनुराग	भारतीय जनता पार्टी
463.	गौतम बुद्ध नगर	शर्मा, डॉ. महेश	भारतीय जनता पार्टी
464.	गोरखपुर	श्यामनारायण, श्री रविंद्र	भारतीय जनता पार्टी
465.	घोसी	सिंह, श्री अतुल कुमार	बहुजन समाज पार्टी
466.	बुलन्दशहर (अ.जा)	सिंह, श्री भोला	भारतीय जनता पार्टी
467.	कैसरगंज	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	भारतीय जनता पार्टी
468.	अकबरपुर	सिंह, श्री देवेन्द्र (ऊर्फ) भोले सिंह	भारतीय जनता पार्टी
469.	गोंडा	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	भारतीय जनता पार्टी
470.	फैजाबाद	सिंह, श्री लल्लू	भारतीय जनता पार्टी
471.	लखनऊ	सिंह, श्री राजनाथ	भारतीय जनता पार्टी
472.	एटा	सिंह, श्री राजवीर (राजू भैय्या)	भारतीय जनता पार्टी
473.	बागपत	सिंह, डॉ. सत्य पाल	भारतीय जनता पार्टी
474.	जौनपुर	सिंह, श्री श्याम यादव	बहुजन समाज पार्टी

475.	बलिया	सिंह, श्री वीरेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
476.	कौशांबी (अ.जा)	सोनकर, श्री विनोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
477.	उन्नाव	स्वामी महाराज, डॉ. साक्षी जी	भारतीय जनता पार्टी
478.	देवरिया	त्रिपाठी, श्री रमापति राम	भारतीय जनता पार्टी
479.	जालौन (अ.जा)	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
480.	सीतापुर	वर्मा, श्री राजेश	भारतीय जनता पार्टी
481.	धौरहरा	वर्मा, श्रीमती रेखा अरुण	भारतीय जनता पार्टी
482.	आजमगढ़	यादव, श्री अखिलेश	समाजवादी पार्टी
483.	मैनपुरी	यादव, श्री मुलायम सिंह	समाजवादी पार्टी

उत्तराखंड **(5)**

484.	नैनीताल ऊधमसिंह नगर	भट्ट, श्री अजय	भारतीय जनता पार्टी
485.	हरिद्वार	निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल	भारतीय जनता पार्टी
486.	गढ़वाल	रावत, श्री तीरथ सिंह	भारतीय जनता पार्टी
487.	टिहरी गढ़वाल	शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी	भारतीय जनता पार्टी
488.	अल्मोड़ा (अ.जा)	टम्टा, श्री अजय	भारतीय जनता पार्टी

पश्चिम बंगाल **(42)**

489.	घाटल	अधिकारी, श्री दीपक (देव)	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
490.	तामलुक	अधिकारी, श्री दिव्येन्दु	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
491.	कांथी	अधिकारी, श्री शिशिर कुमार	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
492.	बर्धमान-पूर्व (अ.जा)	मण्डल, श्री सुनील कुमार	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
493.	उलूबेरिया	अहमद, श्रीमती सज़दा	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
494.	आसनसोल	सुप्रियो, श्री बाबुल	भारतीय जनता पार्टी
495.	कोलकाता उत्तर	बंदोपाध्याय, श्री सुदीप	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
496.	डायमंड हार्बर	बनर्जी, श्री अभिषेक	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
497.	श्रीरामपुर	बनर्जी, श्री कल्याण	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
498.	हावड़ा	बनर्जी, श्री प्रसून	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
499.	अलीपुरद्वार (अ.ज.जा)	बर्ला, श्री जॉन	भारतीय जनता पार्टी
500.	दार्जिलिंग	बिष्ट, श्री राजू	भारतीय जनता पार्टी
501.	जादवपुर	चक्रबर्ती, सुश्री मिमी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
502.	हुगली	चटर्जी, श्रीमती लॉकेट	भारतीय जनता पार्टी
503.	रायगंज	चौधरी, सुश्री देबाश्री	भारतीय जनता पार्टी
504.	मालदा दक्षिण	चौधरी, श्री अहु हाशेम खान	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

505.	बहरामपुर	चौधरी, श्री अधीर रंजन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
506.	बारासात	दस्तीदार, डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
507.	मेदिनीपुर	घोष, श्री दिलीप	भारतीय जनता पार्टी
508.	झाड़ग्राम (अ.ज.जा)	हेमब्राम, श्री कुनार	भारतीय जनता पार्टी
509.	मथुरापुर (अ.जा)	जटुआ, श्री चौधरी मोहन	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
510.	मुर्शिदाबाद	खान, श्री अबू ताहेर	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
511.	पुरुलिया	महतो, श्री ज्योतिर्मय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
512.	बलूरघाट	मजूमदार, श्री सुकान्त	भारतीय जनता पार्टी
513.	बोलपुर (अ.जा)	माल, श्री असीत कुमार	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
514.	कृष्णनगर	मोइत्रा, सुश्री महुआ	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
515.	जयनगर (अ.जा)	मण्डल, श्रीमती प्रतिमा	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
516.	बर्धमान	अहलुवालिया, श्री एस.एस.	भारतीय जनता पार्टी
517.	माल्दहा उत्तर	मुर्मु, श्री खगेन	भारतीय जनता पार्टी
518.	आरामबाग (अ.जा)	पोद्दार, श्रीमती अपरूपा	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
519.	कूचबिहार (अ.जा)	प्रामाणिक, श्री निसिथ	भारतीय जनता पार्टी
520.	जंगीपुर	रहमान, श्री खलीलुर	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
521.	दमदम	राय, प्रो. सौगत	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
522.	जलपाईगुड़ी (अ.जा)	राय, डॉ. जयंत कुमार	भारतीय जनता पार्टी
523.	कोलकाता दक्षिण	राय, श्रीमती माला	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
524.	बीरभूम	राय (बनर्जी), श्रीमती शताब्दी	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
525.	बसीरहाट	रूही, श्रीमती नुसरत जहां	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
526.	राणाघाट (अ.जा)	सरकार, श्री जगन्नाथ	भारतीय जनता पार्टी
527.	बांकुरा	सरकार, डॉ. सुभाष	भारतीय जनता पार्टी
528.	विष्णुपुर (अ.जा)	सौमित्र, श्री खान	भारतीय जनता पार्टी
529.	बैरकपुर	सिंह, श्री अर्जुन	भारतीय जनता पार्टी
530.	बनगांव (अ.जा)	ठाकुर, श्री शान्तनु	भारतीय जनता पार्टी

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह **(1)**

531.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शर्मा, श्री कुलदीप राय	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

चंडीगढ़ **(1)**

532.	चण्डीगढ़	खेर, श्रीमती किरण अनुपम	भारतीय जनता पार्टी

दादर और नगर हवेली **(1)**

533.	दादर और नगर हवेली	देलकर, श्री मोहनभाई	निर्दलीय

	(अ.ज.जा)	सांजीभाई	

दमन और दीव **(1)**

534.	दमन और दीव	पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**,** दिल्ली **(7)**

535.	दक्षिण दिल्ली	बिधुड़ी, श्री रमेश	भारतीय जनता पार्टी
536.	पूर्वी दिल्ली	गंभीर, श्री गौतम	भारतीय जनता पार्टी
537.	उत्तर-पश्चिम दिल्ली (अ.जा)	हंस, श्री राज हंस	भारतीय जनता पार्टी
538.	चांदनी चौक	हर्षवर्धन, डॉ.	भारतीय जनता पार्टी
539.	नई दिल्ली	लेखी, श्रीमती मीनाक्षी	भारतीय जनता पार्टी
540.	पश्चिम दिल्ली	सिंह, श्री प्रवेश साहिब	भारतीय जनता पार्टी
541.	उत्तर-पूर्व दिल्ली	तिवारी, श्री मनोज कुमार	भारतीय जनता पार्टी

लक्षद्वीप **(1)**

542.	लक्षद्वीप (अ. ज. जा)	मोहम्मद, श्री फैजल पी. पी.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

पुद्दुचेरी **(1)**

543.	पुद्दुचेरी	वी., श्री वैथिलिंगम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

---

3 स्रोत : http://loksabha.nic.in

पाद टिप्पणी

1. भारत भूमि और उसके निवासी

[1] अनंतिम-आंकड़े

[2] पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बनाये गये।

2. राष्ट्रीय प्रतीक

[1] श्री अरबिंदो जन्म शताब्दी पुस्तकालय पोपुलर एडिशन, 1972 के आठवें खंड से साभार

32. सामान्य सूचना

[1] स्रोत : http://mha.nic.in/sites/upload_files/mhafiles/table_of_precedence.pdf

[2] स्रोत : भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट : http://presidentofindia.nic.in

[3] स्रोत : भारत के उप-राष्ट्रपति की वेबसाइट : http://vicepresidentofindia.nic.in

[4] स्रोत : प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट : http://pmindia.nic.in

[5] स्रोत : भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट : http://supremecourtofindia.nic.in

[6] स्रोत : भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट : http://eci.nic.in

[7] स्रोत : कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट : http://cabsec.nic.in

[8] स्रोत: वेबसाइट: www.upsc.gov.in



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 सितंबर, 2019 को अमरीका के न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यूएनजीए) के 74वें सत्र को संबोधित करते हुए।

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2020, विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति को दर्शाने वाला वृहद ग्रंथ है। इसमें गांवों से लेकर शहरों तक, उद्योग से लेकर बुनियादी ढांचे तक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से लेकर कला तथा संस्कृति तक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य तथा रक्षा से लेकर शिक्षा और जनसंचार तक विकास के सभी पहलुओं की जानकारी दी गई है।

सामान्य ज्ञान, ताज़ा घटनाओं, खेलों तथा महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में इसके खण्ड विस्तृत जानकारी से ओत-प्रोत हैं और पाठकों की पहली पसंद हैं। तथ्यों और आंकड़ों की प्रामाणिकता के कारण यह पुस्तक विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए बहुत उपयोगी है।





प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार